फकत तरजुमा - तफसीर

तर्जुमा

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह॰

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

एम॰ ए॰ (अलीग॰)

1 सूरः फ़ातिहः 5

सूरः फ़ातिहः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 7 आयतें और 1 रुकूअ़ है।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]सब तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लायक़ हैं जो पालने वाले हैं हर-हर आ़लम के।[2] **(1)** जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं। **(2)** जो मालिक हैं बदले के दिन के। **(3)** हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद की दरख़्वास्त करते हैं। **(4)** बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। **(5)** रास्ता उन लोगों का जिनपर आपने इनाम फ़रमाया है।[3] **(6)** न रास्ता उन लोगों का जिनपर आपका ग़ज़ब किया गया[4] और न उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। **(7)** ❖

---

1. यह सूरः रब्बुल आ़लमीन ने अपने बन्दों की ज़बान से फ़रमाई कि इन अल्फ़ाज़ में अपने ख़ालिक़ व राज़िक़ के सामने दरख़्वास्त पेश किया करें।
2. मख़्लूक़ात की अलग-अलग जिन्स एक-एक आ़लम कहलाता है, जैसे आ़लमे मलायका, आ़लमे इनसान, आ़लमे परिन्द, आ़लमे हैवानात, आ़लमे जिन्न।
3. इनाम से दीनी इनाम मुराद है। इनाम वाले चार गिरोह हैं, अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और नेक लोग।
4. ग़ज़ब के हक़दार वे लोग हैं जो तहक़ीक़ात के बावजूद हिदायत के रास्ते को छोड़ दें और गुमराह वे हैं जो सीधे रास्ते की तहक़ीक़ात न करना चाहें, इनमें से मग़ज़ूब ज़्यादा नाराज़ी के हक़दार हैं जो देखते-भालते हक़ की मुख़ालफ़त में सरगर्म हैं।

पहला पारः

अलिफ़्-लाम्-मीम

2 सूरः ब-क़रः 87

सूरः ब-क़रः मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 286 आयतें और 40 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़-लाम-मीम।[1] (1) यह किताब ऐसी है जिसमें कोई शुब्हा नहीं[2] राह बतलाने वाली है ख़ुदा तआ़ला से डरने वालों को।[3] (2) वे ख़ुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यक़ीन लाते हैं छुपी हुई चीज़ों पर[4] और क़ायम रखते हैं[5] नमाज़ को, और जो कुछ दिया है हमने उनको उसमें से ख़र्च करते हैं।[6] (3) और वे लोग ऐसे हैं कि यक़ीन रखते हैं इस किताब पर भी जो आपकी तरफ़ उतारी गई है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी हैं[7] और आख़िरत पर भी वे लोग यक़ीन रखते हैं।[8] (4) बस ये लोग हैं ठीक राह पर जो उनके परवर्दिगार की तरफ़ से

---

1. इन हुरूफ़ के मायने से अ़वाम को इत्तिला नहीं दी गई, शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बतला दिया गया हो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एहतिमाम के साथ वही बातें बताई हैं जिनके न जानने से दीन में कोई हर्ज और नुक़सान लाज़िम आता था, लेकिन इन हुरूफ़ का मतलब न जानने से कोई हर्ज न था इसलिए हमको भी ऐसी बातों की तफ़्तीश न करनी चाहिए।
2. यानी क़ुरआन के अल्लाह की जानिब से होने में कोई शक नहीं। यानी यह बात यक़ीनी है चाहे कोई ना-समझ इसमें शुब्हा रखता हो, क्योंकि यक़ीनी बात किसी के शुब्हा करने से भी यक़ीनी ही रहती है।
3. क्योंकि जिसको ख़ौफ़े ख़ुदा न हो वह क़ुरआन का बतलाया हुआ रास्ता नहीं देखता।
4. यानी जो चीज़ें हवास और अ़क़्ल से पोशीदा हैं उनको सिर्फ़ अल्लाह व रसूल के फ़रमाने से सही मान लेते हैं।
5. यानी उसको पाबन्दी से हमेशा अदा करते हैं और उसकी शर्तों और अरकान को पूरा-पूरा बजा लाते हैं।
6. यानी नेक कामों में।
7. यानी क़ुरआन पर भी ईमान रखते हैं और पहली आसमानी किताबों पर भी। ईमान सच्चा समझने को कहते हैं, अ़मल करना दूसरी बात है। पस हक़ तआ़ला ने जितनी किताबें पिछले अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर नाज़िल की हैं सबको सच्चा समझना फ़र्ज़ और ईमान की शर्त है, रह गया अ़मल सो वह सिर्फ़ क़ुरआन पर होगा, पहली किताबें मन्सूख़ हो गई हैं इसलिए उनपर अ़मल जायज़ नहीं।
8. आख़िरत से क़ियामत का दिन मुराद है, चूँकि वह दिन दुनिया के बाद आएगा इसलिए उसको आख़िरत कहते हैं।

मिली है, और ये लोग हैं पूरे कामयाब।[1] (5) बेशक जो लोग काफ़िर हो चुके हैं बराबर है उनके हक़ में चाहे आप उनको डराएँ या न डराएँ, वे ईमान न लाएँगे।[2] (6) बंद लगा दिया है अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए सज़ा बड़ी है।[3] (7) ❖

और उन लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हम ईमान लाए अल्लाह तआ़ला पर और आख़िरी दिन पर, हालाँकि वे बिलकुल ईमान वाले नहीं। (8) चालबाज़ी करते हैं अल्लाह तआ़ला से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं। (यानी सिर्फ़ चालबाज़ी की राह से ईमान का इज़हार करते हैं) और हक़ीक़त में किसी के साथ भी चालबाज़ी नहीं करते सिवाय अपनी ज़ात के, और वे इसका शऊर नहीं रखते।[4] (9) उनके दिलों में बड़ा मर्ज़ है सो और भी बढ़ा दिया अल्लाह तआ़ला ने उनका मर्ज़,[5] और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है इस वजह से कि वे झूठ बोला करते थे। (10) और जब उनसे कहा जाता है कि फ़साद "यानी ख़राबी और बिगाड़" मत करो ज़मीन में, तो कहते हैं कि हम तो सुधार ही करने वाले हैं। (11) याद रखो बेशक यही लोग मुफ़सिद "यानी बिगाड़ पैदा करने वाले" हैं, लेकिन वे इसका शऊर नहीं रखते। (12) और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ऐसा ही ईमान ले आओ जैसा ईमान लाए हैं और लोग, तो कहते हैं, क्या हम ईमान लाएँगे जैसा ईमान लाए हैं ये बेवक़ूफ़? याद रखो बेशक यही हैं बेवक़ूफ़, लेकिन वे इसका इल्म नहीं रखते। (13) और जब मिलते हैं वे मुनाफ़िक़ उन लोगों से जो ईमान लाए हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में पहुँचते हैं अपने बुरे सरदारों के पास तो कहते हैं कि हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ़ मज़ाक़ किया करते हैं। (14) अल्लाह ही मज़ाक़ कर रहे हैं उनके साथ और ढील देते चले जाते हैं उनको कि वे अपनी सरकशी में हैरान व सरगरदाँ हो रहे हैं। (15) ये वे लोग हैं कि उन्होंने गुमराही ले ली बजाय हिदायत के, तो फ़ायदेमंद न हुई उनकी यह तिजारत और न ये ठीक तरीक़े पर चले।[6] (16) उनकी हालत उस शख़्स की हालत के जैसी है जिसने कहीं आग जलाई हो, फिर जब रोशन कर दिया हो उस आग ने उस शख़्स के आस-पास की सब चीज़ों को, ऐसी हालत में छीन लिया हो अल्लाह तआ़ला ने उनकी रोशनी को और छोड़ दिया हो उनको अन्धेरों में कि कुछ देखते भालते न हों। (17) बहरे हैं, गूँगे हैं, अन्धे हैं, सो ये अब रुजू

---

1. यानी ऐसे लोगों को दुनिया में यह नेमत मिली कि हक़ का रास्ता नसीब हुआ और आख़िरत में यह दौलत नसीब होगी कि हर तरह की कामयाबी उनके लिए है।

2. इस आयत में सब काफ़िरों का बयान नहीं बल्कि ख़ास उन काफ़िरों का ज़िक्र है जिनके बारे में ख़ुदा तआ़ला को मालूम है कि उनका ख़ात्मा कुफ़्र पर होगा। और इस आयत से यह ग़रज़ नहीं कि उनको अल्लाह के अ़ज़ाब से डराने और अहकाम सुनाने की ज़रूरत नहीं बल्कि मतलब यह है कि आप उनके ईमान लाने की फ़िक्र न करें और उनके ईमान न लाने से रंजीदा न हों, उनके ईमान लाने की उम्मीद नहीं।

3. उन्होंने शरारत और दुश्मनी करके अपने इख़्तियार से ख़ुद अपनी सलाहियत बर्बाद कर ली है, सो इस सलाहियत के तबाह होने का सबब और करने वाले तो वे ख़ुद ही हैं, मगर चूँकि बन्दों के तमाम अफ़आ़ल का ख़ालिक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला है इसलिए इस आयत में अपने ख़ालिक़ होने का बयान फ़रमा दिया कि जब वे सलाहियत के तबाह करने वाले हुए और उसको अपने इरादे से इख़्तियार करना चाहा तो हमने भी वह बुरी सलाहियत की कैफ़ियत उनके दिलों वग़ैरह में पैदा कर दी। बन्द लगाने से इसी बुरी सलाहियत का पैदा करना मुराद है, उनका यह फ़ेल (काम) इस ख़त्म यानी बन्द लगाने का सबब हुआ, अल्लाह का बन्द लगाना इस फ़ेल का सबब नहीं हुआ।

4. यानी इस चालबाज़ी का बुरा अन्जाम ख़ुद उन्हीं को भुगतना पड़ेगा।

5. मर्ज़ में उनका बुरा एतिक़ाद रखना, हसद और हर वक़्त का अन्देशा व ख़लजान सब कुछ आ गया, चूँकि इस्लाम की रोज़ाना तरक़्क़ी होती जाती थी इसलिए उनके दिलों में साथ-साथ ये बीमारियाँ तरक़्क़ी पाती जाती थीं।

6. यानी उनको तिजारत का ढंग न आया कि हिदायत जैसी चीज़ छोड़ी और गुमराही जैसी बुरी चीज़ ली।

न होंगे[1] (18) या उन मुनाफ़िक़ों की ऐसी मिसाल है जैसे बारिश हो आसमान की तरफ़ से, उसमें अन्धेरा भी हो और बिजली व कड़क भी हो, जो लोग उस बारिश में चल रहे हैं वे ठूँसे लेते हैं अपनी उंगलियाँ अपने कानों में कड़क के सबब मौत के अन्देशे से, और अल्लाह तआ़ला घेरे में लिए हुए हैं काफ़िरों को। (19) बिजली की यह हालत है कि मालूम होता है कि अभी उनकी आँखों की रोशनी उसने ली। जहाँ ज़रा उनको बिजली की चमक हुई तो उसकी रोशनी में चलना शुरू किया और जब उनपर अन्धेरा हुआ फिर खड़े के खड़े रह गए, और अगर अल्लाह तआ़ला इरादा करते तो उनके आँख-कान सब छीन लेते, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर हैं।[2] (20) ❖

ऐ लोगो! इबादत इख़्तियार करो अपने परवर्दिगार की जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी कि तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, अ़जब नहीं कि तुम दोज़ख़ से बच जाओ।[3] (21) वह ज़ाते पाक ऐसी है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत, और बरसाया आसमान से पानी, फिर नापैदी के परदे से निकाला बज़रिए उस पानी के फलों की ग़िज़ा को तुम लोगों के वास्ते, तो अब मत ठहराओ अल्लाह के मुक़ाबिल और तुम जानते बूझते हो।[4] (22) और अगर तुम कुछ ख़लजान में हो इस किताब के बारे में जो हमने नाज़िल फ़रमाई है अपने ख़ास बन्दे पर, तो अच्छा फिर तुम बना लाओ एक महदूद "यानी सीमित" टुकड़ा जो उसके जैसा हो,[5] और बुला लो अपने हिमायतियों को जो ख़ुदा से अलग (तजवीज़ कर रखे) हैं अगर तुम सच्चे हो।[6] (23) फिर अगर तुम यह काम न कर सके और क़ियामत तक भी न कर सकोगे तो फिर ज़रा बचते रहो दोज़ख़ से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार हुई रखी है काफ़िरों के वास्ते।[7] (24) और ख़ुशख़बरी सुना दीजिए आप ऐ पैग़म्बर उन लोगों को जो ईमान लाए और काम किए अच्छे, इस बात की कि बेशक उनके वास्ते जन्नतें हैं कि बहती होंगी उनके नीचे से नहरें, जब कभी दिए जाएँगे वे लोग उन जन्नतों में से किसी फल की ग़िज़ा तो हर बार में यही कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले और मिलेगा भी उनको दोनों बार का फल मिलता जुलता।[8] और उनके वास्ते उन जन्नतों में बीवियाँ होंगी साफ़, पाक की हुईं, और वे लोग उन जन्नतों में हमेशा को बसने वाले होंगे। (25) हाँ वाक़ई अल्लाह तआ़ला तो नहीं शरमाते इस बात से कि बयान कर दें कोई मिसाल भी चाहे मच्छर की हो चाहे उससे

1. यानी हक़ से बहुत दूर हो गए हैं कि उनके कान हक़ सुनने के क़ाबिल न रहे, ज़बान उनकी हक़ बात कहने के लायक़ न रही, आँखें हक़ देखने के क़ाबिल न रहीं, सो अब उनके हक़ की तरफ़ रुजू होने की क्या उम्मीद है।

2. मुतरद्दिद (शक में पड़े हुए) मुनाफ़िक़ीन इस्लाम के ग़ालिब होने के आसार की ज़्यादती देखकर कभी इस्लाम के नूर की झलक देखकर इधर को बढ़ने लगते हैं और कभी ख़ुद-ग़रज़ी के अन्धेरे में पड़कर फिर हक़ से रुक जाते हैं।

3. शाही मुहावरे में 'अ़जब नहीं' का लफ़्ज़ वायदे के मौक़े में बोला जाता है।

4. यानी इस बात को जानते हो कि इन तसर्रुफ़ात का (यानी इन कामों का) सिवाय ख़ुदा तआ़ला के कोई करने वाला नहीं, तो इस सूरत में कब मुनासिब है कि ख़ुदा के मुक़ाबले में दूसरों को माबूद बनाओ।

5. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बेशुमार मोजिज़े अ़ता हुए, जिनमें सबसे बड़ा मोजिज़ा क़ुरआन शरीफ़ है कि नुबुव्वत के साबित करने की बड़ी दलील है। इसके मोजिज़ा होने में मुख़ालिफ़ीन को शुब्हा था कि शायद इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद तसनीफ़ कर लिया करते हों तो इस सूरत में इसके मोजिज़ा होने में कलाम की गुन्जाइश हो गई, पस नुबुव्वत की दलील मुश्तबह हो गई, इसलिए अल्लाह तआ़ला इस शुब्हा को ख़त्म फ़रमाते हैं ताकि इसका मोजिज़ा होना साबित हो जाए। फिर नुबुव्वत पर क़तई दलील बन सके।

6. जब बावजूद इसके न बना सकेंगे तो इन्साफ़ की रू से बिना सोचे साबित हो जाएगा कि यह मोजिज़ा अल्लाह की जानिब से है, और बिला शुब्हा आप पैग़म्बर हैं और यही मक़सूद था।

7. यह सुनकर कैसा कुछ जोश व ख़रोश और बल व गुस्सा न आया होगा, और कोशिश की कोई कसर क्यों उठा रखी होगी? फिर आ़जिज़ होकर अपना-सा मुँह लेकर बैठ रहना क़तई दलील है कि क़ुरआने करीम मोजिज़ा है।

8. दोनों बार के फलों की सूरत एक-सी होगी, जिससे वे यूँ समझेंगे कि यह पहली ही क़िस्म का फल है मगर खाने में मज़ा दूसरा होगा, जिससे लुत्फ़ और ख़ुशी बढ़ जाएगी।

भी बढ़ी हुई हो, सो जो लोग ईमान लाए हुए हैं चाहे कुछ ही हो वे तो यक़ीन करेंगे कि बेशक यह मिसाल तो बहुत ही मौक़े की है उनके रब की जानिब से, और रह गए वे लोग जो काफ़िर हैं, सो चाहे कुछ भी हो जाए वे यूँ ही कहते रहेंगेः वह कौन-सा मतलब होगा जिसका इरादा किया होगा अल्लाह ने इस हक़ीर मिसाल से, गुमराह करते हैं अल्लाह तआ़ला उस मिसाल की वजह से बहुतों को और हिदायत करते हैं उसकी वजह से बहुतों को। और गुमराह नहीं करते अल्लाह तआ़ला उस मिसाल से किसी को मगर सिर्फ़ बेहुक्मी करने वालों को। **(26)** जो कि तोड़ते रहते हैं उस मुआ़हदे को जो अल्लाह तआ़ला से कर चुके थे, उसकी मज़बूती के बाद और ख़त्म करते रहते हैं उन ताल्लुक़ात को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने उनको वाबस्ता रखने "यानी जोड़ने" का[1] और फ़साद "यानी बिगाड़" करते रहते हैं ज़मीन में, पस ये लोग पूरे घाटे में पड़ने वाले हैं।[2] **(27)** भला क्योंकर नाशुक्री करते हो अल्लाह की हालाँकि थे तुम महज़ बेजान सो तुमको जानदार किया, फिर तुमको मौत देंगे, फिर ज़िन्दा करेंगे (यानी क़ियामत के दिन) फिर उन्हीं के पास ले जाए जाओगे। **(28)** वह ज़ाते पाक ऐसी है जिसने पैदा किया तुम्हारे फ़ायदे के लिए जो कुछ भी ज़मीन में मौजूद है सब का सब, फिर तवज्जोह फ़रमाई आसमान की तरफ़, सो दुरुस्त करके बनाए सात आसमान[3] और वह तो सब चीज़ों के जानने वाले हैं। **(29)** ❖

और जिस वक़्त इर्शाद फ़रमाया आपके रब ने फ़रिश्तों से कि ज़रूर मैं बनाऊँगा ज़मीन में एक नायब[4] फ़रिश्ते कहने लगेः क्या आप पैदा करेंगे ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फ़साद करेंगे और ख़ून बहाएँगे? और हम बराबर तस्बीह करते रहते हैं बिहम्दिल्लाह, और पाकी बयान करते रहते हैं आपकी।[5] हक़ तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया कि मैं जानता हूँ उस बात को जिसको तुम नहीं जानते।[6] **(30)** और इल्म दे दिया अल्लाह तआ़ला ने (हज़रत) आदम (अ़लैहिस्सलाम) को (उनको पैदा करके) कुल चीज़ों के नामों का[7] फिर वे चीज़ें फ़रिश्तों के सामने कर दीं, फिर फ़रमाया कि बतलाओ मुझको नाम इन चीज़ों के (उनके आसार व ख़ासियतों के साथ) अगर तुम सच्चे हो। **(31)** फ़रिश्तों ने अ़र्ज़ किया कि आप तो पाक हैं हमको कोई इल्म नहीं, मगर वही जो कुछ आपने हमको इल्म दिया।

---

1. इसमें तमाम शरई ताल्लुक़ात दाख़िल हो गए।
2. यहाँ तक उस शुब्हा के जवाब का सिलसिला था जो कि कुफ़्फ़ार ने पेश किया था कि अल्लाह के कलाम में ऐसी कम-क़द्र चीज़ों का ज़िक्र क्यों आया। अब उस मज़मून की तरफ़ रुजू करते हैं जो इससे ऊपर आयत "या अय्युहन्नासुअ़बुदू" में तौहीद से मुताल्लिक़ मज़कूर हुआ था।
3. अव्वल ज़मीन का माद्दा बना और अभी इसकी मौजूदा शक्ल न बनी थी कि उसी हालत में आसमान का माद्दा बना, जो धुँए की सूरत में था। उसके बाद ज़मीन मौजूदा शक्ल पर फैला दी गई, फिर उसपर पहाड़ और पेड़ वग़ैरह पैदा किए गए। फिर उस धुँए के बहते हुए माद्दे के सात आसमान बना दिए।
4. यानी वह मेरा नायब होगा कि अपने शरई अहकाम को जारी करने और लागू करने की ख़िदमत मैं उसके सुपुर्द करूँगा।
5. यह बतौर एतिराज़ के नहीं कहा, न अपना हक़ जताया बल्कि यह फ़रिश्तों की अ़र्ज़ व दरख़्वास्त इन्किसारी और आ़जिज़ी के इज़हार के वास्ते थी।
6. यानी जो मामला तुम्हारे नज़दीक आदम की औलाद की पैदाइश के लिए रुकावट है, वही मामला हक़ीक़त में उनकी पैदाइश और तख़्लीक़ का सबब है।
7. यानी रू-ए-ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों के नामों और उनकी ख़ासियतों का इल्म दे दिया।

बेशक आप बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हिक्मत वाले हैं (कि जिस क़द्र जिसके लिए मसलिहत जाना उसी क़द्र समझ व इल्म अ़ता फ़रमाया)। **(32)** हक़ तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया कि ऐ आदम! इनको इन चीज़ों के नाम बतला दो, सो जब बतला दिए उनको आदम ने उन चीज़ों के नाम तो हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः (देखो) मैं तुमसे कहता न था कि बेशक मैं जानता हूँ तमाम छुपी चीज़ें आसमानों और ज़मीन की, और जानता हूँ जिस बात को तुम ज़ाहिर कर देते हो और जिस बात को दिल में रखते हो। **(33)** और जिस वक़्त हमने हुक्म दिया फ़रिश्तों को (और जिन्नों को भी) कि सज्दे में गिर जाओ आदम के सामने,[1] सो सब सज्दे में गिर पड़े सिवाय इबलीस के, उसने कहना न माना और ग़ुरूर में आ गया, और हो गया काफ़िरों में से।[2] **(34)** और हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम! रहा करो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, फिर खाओ दोनों इसमें से फ़राग़त के साथ जिस जगह से चाहो, और नज़दीक न जाइयो उस दरख़्त के, वरना तुम भी उन्हीं में शुमार हो जाओगे जो अपना नुक़सान कर बैठते हैं।[3] **(35)** फिर बहका दिया आदम और हव्वा को शैतान ने उस दरख़्त की वजह से, सो निकलवाकर रहा उनको उस ऐश से जिसमें वे थे, और हमने कहाः नीचे उतरो तुममें से बाज़े बाज़ों के दुश्मन रहेंगे, और तुमको ज़मीन पर कम ही ठहरना है, और काम चलाना एक मुक़र्ररा मीयाद तक।[4] **(36)** उसके बाद हासिल कर लिए आदम ने अपने रब से चन्द अलफ़ाज़, तो अल्लाह तआ़ला ने रहमत के साथ तवज्जोह फ़रमाई उनपर (यानी तौबा क़बूल कर ली) बेशक वही हैं बड़े तौबा क़बूल करने वाले, बड़े मेहरबान। **(37)** हमने हुक्म फ़रमायाः नीचे जाओ इस जन्नत से सबके सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से किसी क़िस्म की हिदायत, सो जो शख़्स पैरवी करेगा मेरी उस हिदायत की तो न कुछ अन्देशा होगा उसपर और न ऐसे लोग ग़मगीन होंगे। **(38)** और जो लोग कुफ़्र करेंगे और झुठलाएँगे हमारे अहकाम को, ये लोग होंगे दोज़ख़ वाले, वे उसमें हमेशा रहेंगे। **(39)** ❖

ऐ बनी इसराईल! याद करो तुम लोग मेरे उन एहसानों को जो किए हैं मैंने तुमपर, और पूरा करो तुम मेरे अ़ह्द को, पूरा करूँगा मैं तुम्हारे अ़ह्द को, और सिर्फ़ मुझ ही से डरो। **(40)** और ईमान ले आओ उस किताब पर जो मैंने नाज़िल की है (यानी क़ुरआन पर) ऐसी हालत में कि वह सच बतलाने वाली है उस किताब को जो तुम्हारे पास है (यानी तौरात के अल्लाह की किताब होने की तस्दीक़ करती है) और मत बनो तुम सबमें पहले इनकार करने वाले इस (क़ुरआन) के, और मत लो मेरे अहकाम के मुक़ाबले में हक़ीर मुआवज़े को, और ख़ास मुझ ही से पूरे तौर पर डरो।[5] **(41)** और मख़्लूत "यानी गड्-मड्" मत करो हक़ को नाहक़ के साथ, और छुपाओ भी मत हक़ को

---

1. ग़ालिबन फ़रिश्तों को बिला वास्ता हुक्म किया होगा और जिन्नों को किसी फ़रिश्ते वग़ैरह के ज़रिए से कहा गया होगा।

2. उसपर काफ़िर होने का फ़तवा इसलिए दिया गया कि उसने हुक्मे इलाही के मुक़ाबले में तकब्बुर किया और उसके क़बूल करने में बुरा समझा और उसको ख़िलाफ़े हिक्मत और ख़िलाफ़े मस्लहत ठहराया।

3. ख़ुदा जाने वह क्या दरख़्त था।

4. यानी वहाँ भी जाकर दवाम (हमेशा का रहना) न मिलेगा, कुछ वक़्त के बाद वह घर भी छोड़ना पड़ेगा।

5. यानी मेरे अहकाम छोड़कर और उनको बदल कर और छुपाकर आ़म लोगों से दुनिया-ए-ज़लील व क़लील को वसूल मत करो, जैसा कि उनकी आ़दत थी।

जिस हालत में कि तुम जानते हो।[1] **(42)** और क़ायम करो तुम लोग नमाज़ को (यानी मुसलमान होकर) और दो ज़कात को और आ़जिज़ी करो आ़जिज़ी करने वालों के साथ।[2] **(43)** क्या ग़ज़ब है कि कहते हो और लोगों को नेक काम करने को (नेक काम करने से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाना है) और अपनी ख़बर नहीं लेते, हालाँकि तुम तिलावत करते रहते हो किताब की, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते।[3] **(44)** और (अगर तुमको माल और जाह की मुहब्बत के ग़लबे से ईमान लाना दुश्वार मालूम हो तो) मदद लो सब्र और नमाज़ से, और बेशक वह नमाज़ दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिल में ख़ुशूअ़ "यानी आ़जिज़ी और गिड़गिड़ाना" हो उनपर कुछ दुश्वार नहीं। **(45)** वे ख़ाशिअ़ीन, वे लोग हैं जो ख़्याल रखते हैं इसका कि वे बेशक मिलने वाले हैं अपने रब से। ◆ **(46)** ❖

और इस बात का भी ख़्याल रखते हैं कि वे बेशक अपने रब की तरफ़ वापस जाने वाले हैं। ऐ याक़ूब की औलाद! तुम लोग मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको इनाम में दी थी और उस (बात) को (याद करो) कि मैंने तुमको तमाम दुनिया जहान वालों पर (ख़ास बर्ताव में) फ़ौक़ियत दी थी। **(47)** और डरो तुम ऐसे दिन से कि न तो कोई शख़्स किसी शख़्स की तरफ़ से कुछ मुतालबा अदा कर सकता है और न किसी शख़्स की तरफ़ से कोई सिफ़ारिश क़बूल हो सकती है, और न किसी शख़्स की तरफ़ से कोई मुआ़वज़ा लिया जा सकता है, और न उन लोगों की तरफ़दारी चल सकेगी।[4] **(48)** और (वह ज़माना याद करो) जबकि रिहाई दी हमने तुमको फ़िरऔ़न के मुताल्लिक़ीन से जो फ़िक्र में लगे रहते थे तुम्हें सख़्त तकलीफ़ पहुँचाने के, गले काटते थे तुम्हारे लड़कों के और ज़िन्दा छोड़ देते थे तुम्हारी औ़रतों को। इस (वाक़िए) में एक इम्तिहान था तुम्हारे रब की जानिब से बड़ा भारी।[5] **(49)** और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारी वजह से दरिया-ए-शोर "यानी नमकीन या काले पानी के दरिया" को, फिर हमने (डूबने से) तुमको बचा लिया और फ़िरऔ़न के मुताल्लिक़ीन को (मय फ़िरऔ़न के) डुबो दिया, और तुम (उसका) मुआ़यना कर रहे थे।[6] **(50)** और (वह ज़माना याद करो) जबकि वायदा किया था हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से चालीस रात का, फिर तुम लोगों ने तजवीज़ कर लिया गौसाला को मूसा के (जाने के) बाद, और तुमने ज़ुल्म पर कमर बाँध रखी थी। **(51)** फिर भी हमने (तुम्हारे तौबा करने पर) माफ़ किया तुमसे इतनी बड़ी बात होने के बाद, इस उम्मीद पर कि तुम एहसान मानोगे। **(52)** और (वह ज़माना याद करो) जब दी हमने मूसा को किताब (तौरात)

---

1. शरीअ़त के अहकाम की तब्दीली दो तरह से किया करते हैं। एक तो यह कि उसको ज़ाहिर ही न होने दिया, यह छुपाना है। और अगर छुपाए न छुप सका और ज़ाहिर ही हो गया तो फिर उसमें गड्-मड् करना चाहते हैं, यह "लब्स" (हक़ के साथ नाहक़ को मिला देना) है। हक़ तआ़ला ने दोनों से मना कर दिया।

2. नमाज़ से उनकी रुतबे और मन्सब की मुहब्बत कम होगी, ज़कात से उनकी माल की मुहब्बत घटेगी, बातिनी तवाज़ो से हसद वग़ैरह में कमी आएगी। यही मर्ज़ उनमें ज़्यादा थे।

3. इससे यह मसला नहीं निकलता कि बे-अ़मल को वाइज़ बनना जायज़ नहीं, बल्कि यह निकलता है कि वाइज़ को बे-अ़मल बनना जायज़ नहीं।

4. यह दिन क़ियामत का होगा।

5. किसी ने फ़िरऔ़न से भविष्यवाणी कर दी थी कि बनी इसराईल में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों तेरी हुकूमत जाती रहेगी, इसलिए उसने नये पैदा होने वाले लड़कों को क़त्ल करना शुरू कर दिया।

6. यह क़िस्सा उस वक़्त हुआ कि मूसा अ़लैहिस्सलाम पैदा होकर पैग़म्बर हो गए और मुद्दतों फ़िरऔ़न को समझाते रहे।

7. फ़ैसले की चीज़ या तो उन अहकाम को कहा जो तौरात में लिखे हैं, या मोजिज़ों को कहा, या ख़ुद तौरात ही को कह दिया।

और फ़ैसले की चीज़,[7] इस उम्मीद पर कि तुम राह पर चलते रहो। **(53)** और (वह ज़माना याद करो) जब मूसा ने फ़रमाया अपनी क़ौम से कि ऐ मेरी क़ौम! बेशक तुमने अपना बड़ा नुक़सान किया, अपनी इस गौसाला (को पूजने) की तजवीज़ से, सो तुम अब अपने ख़ालिक़ की तरफ़ मुतवज्जह हो, फिर बाज़ आदमी बाज़ को क़त्ल करो।[1] यह (अ़मल करना) तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम्हारे ख़ालिक़ के नज़दीक, फिर हक़ तआ़ला तुम्हारे हाल पर (अपनी इनायत से) मुतवज्जह हुए, बेशक वह तो ऐसे ही हैं कि तौबा क़बूल कर लेते हैं और इनायत फ़रमाते हैं। **(54)** और जब तुम लोगों ने (यूँ) कहा कि ऐ मूसा! हम हरगिज़ न मानेंगे तुम्हारे कहने से यहाँ तक कि हम (ख़ुद) देख लें अल्लाह तआ़ला को खुले तौर पर, सो (इस गुस्ताख़ी पर) आ पड़ी तुमपर कड़क बिजली और तुम (उसका आना) अपनी आँखों से देख रहे थे। **(55)** फिर हमने तुमको ज़िन्दा कर उठाया तुम्हारे मर जाने के बाद, इस उम्मीद पर कि तुम एहसान मानोगे। **(56)** और साया डालने वाला किया हमने तुमपर बादल को, (तीह के मैदान में) और (ग़ैब के ख़ज़ाने से) पहुँचाया हमने तुम्हारे पास तुरन्जबीन और बटेरें। खाओ नफ़ीस चीज़ों से जो कि हमने तुमको दी हैं, और (इससे) उन्होंने हमारा कोई नुक़सान नहीं किया, लेकिन अपना ही नुक़सान करते थे।[2] **(57)** और जब हमने हुक्म किया कि तुम लोग उस आबादी के अन्दर दाख़िल हो, फिर खाओ उस (की चीज़ों में) से जिस जगह तुम रग़बत करो बेतकल्लुफ़ी से, और दरवाज़े में दाख़िल होना (आ़जिज़ी से) झुके-झुके और (ज़बान से) कहते जाना कि तौबा है (तौबा है)। हम माफ़ कर देंगे तुम्हारी ख़ताएँ और अभी उसपर और ज़्यादा देंगे दिल से नेक काम करने वालों को। **(58)** सो बदल डाला उन ज़ालिमों ने एक और कलिमा जो ख़िलाफ़ था उस कलिमे के जिस (के कहने) की उनसे फ़रमाइश की गई थी, इसपर हमने नाज़िल की उन ज़ालिमों पर एक आसमानी आफ़त, इस वजह से कि वे नाफ़रमानी करते थे।[3] **(59)** ❖

और (वह ज़माना याद करो) जब (हज़रत) मूसा ने पानी की दुआ़ माँगी अपनी क़ौम के वास्ते, इसपर हमने (मूसा को) हुक्म दिया कि अपनी इस लाठी को फ़लाँ पत्थर पर मारो, पस फ़ौरन उससे फूट निकले बारह चश्मे (और बारह ही ख़ानदान थे बनी इसराईल के, चुनाँचे) मालूम कर लिया हर-हर शख़्स ने अपने पानी पीने की जगह को। खाओ और (पीने को) पियो अल्लाह के रिज़्क़ से और (दरमियाना दर्जे की) हद से मत निकलो फ़साद (व फ़ितना) करते हुए मुल्क में।[4] **(60)** और जब तुम लोगों ने (यूँ) कहा कि ऐ मूसा (रोज़ के रोज़) हम एक ही क़िस्म के खाने

---

1. यह बयान है उस तरीक़े का जो उनकी तौबा के लिए तजवीज़ हुआ, यानी मुजरिम लोग क़त्ल किए जाएँ।

2. ये दोनों क़िस्से वादी-ए-तीह में हुए, तीह के मायने हैं सरगर्दानी (हैरानी व परेशानी)।

3. वह ख़िलाफ़ कलिमा यह था कि "हित्ततुन्" जिसके मायने तौबा की जगह के हैं, इसकी जगह मज़ाक़ उड़ाने के अन्दाज़ में "हब्बतुन् फ़ी शअ़्रतिन्" यानी 'ग़ल्ला जौ के दरमियान' कहना शुरू कर दिया, और वह आसमानी आफ़त ताऊन था।

4. यह क़िस्सा वादी-ए-तीह में हुआ, वहाँ प्यास लगी तो पानी माँगा, मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ की तो एक ख़ास पत्थर से सिर्फ़ लाठी के मारने से बारह चश्मे अल्लाह की क़ुदरत से निकल पड़े, और खाने से मुराद "मन्न" व "सल्वा" का खाना है, और पीने से यही पानी पीना मुराद है। और फ़साद व फ़ितना फ़रमाया नाफ़रमानी और अहकाम के छोड़ने को।

पर कभी न रहेंगे, आप हमारे वास्ते अपने परवर्दिगार से दुआ करें कि वह हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ज़मीन में उगा करती हैं, साग (हुआ) ककड़ी (हुई) गेहूँ (हुआ) मसूर (हुई) और प्याज़ (हुई) आपने फ़रमायाः क्या तुम बदले में लेना चाहते हो अदना दर्जे की चीज़ों को ऐसी चीज़ के मुक़ाबले में जो आला दर्जे की है। किसी शहर में (जाकर) उतरो, (वहाँ) ज़रूर तुमको वे चीज़ें मिलेंगी जिनकी तुम दरख़्वास्त करते हो, और जम गई उनपर ज़िल्लत और पस्ती (कि दूसरों की निगाह में क़द्र और खुद उनमें हिम्मत व जुरंत न रही) और मुस्तहिक़ हो गए अल्लाह के ग़ज़ब के।[1] (और) यह इस वजह से (हुआ) कि वे लोग इनकारी हो जाते थे अहकामे इलाही के और क़त्ल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को नाहक़ (और दूसरे) यह इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअ़त न की और (इताअ़त के) दायरे से निकल निकल जाते थे। **(61)** ❖

यह तहक़ीक़ी बात है कि मुसलमान और यहूदी और नसारा "यानी ईसाई" और फ़िर्क़ा साबिईन (इन सबमें) जो शख़्स यक़ीन रखता हो अल्लाह तआ़ला (की ज़ात और सिफ़ात) पर और क़ियामत के दिन पर, और कारगुज़ारी अच्छी करे, ऐसों के लिए उनका अज्र भी है उनके परवर्दिगार के पास, और (वहाँ जाकर) किसी तरह का अन्देशा भी नहीं उनपर और न वे ग़मज़दा होंगे।[2] **(62)** और जब हमने तुमसे क़ौल व क़रार लिया (कि तौरात पर अ़मल करेंगे) और हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर (बिलकुल सामने मुक़ाबिल में) लटका दिया कि (जल्दी) क़बूल करो जो किताब हमने तुमको दी है मज़बूती के साथ, और याद रखो जो (अहकाम) उसमें हैं जिससे उम्मीद है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। **(63)** फिर तुम इस क़ौल व क़रार के बाद भी (उससे) फिर गए, सो अगर तुम लोगों पर ख़ुदा तआ़ला का फ़ज़्ल और रहम न होता तो ज़रूर तुम (फ़ौरन) तबाह (और हलाक) हो जाते। **(64)** और तुम जानते ही हो उन लोगों का हाल जो तुममें से (शरीअ़त की) हद से निकल गए थे, (उस हुक्म के) बारे में (जो) शनिवार के दिन के (मुताल्लिक़ था) सो हमने उनको कह दिया कि तुम बन्दर ज़लील बन जाओ। **(65)** फिर हमने उसको एक सबक़ (हासिल किए जाने वाला वाक़िआ़) बना दिया उन लोगों के लिए भी जो उस क़ौम के ज़माने के लोग थे और उन लोगों के लिए भी जो बाद के ज़माने में आते रहे, और नसीहत का ज़रिया (बनाया ख़ुदा तआ़ला से) डरने वालों के लिए।[3] **(66)** और (वह ज़माना याद करो) जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि हक़ तआ़ला तुमको हुक्म देते हैं कि तुम एक बैल ज़िब्ह करो। वे लोग कहने लगे कि आया आप हमको मस्ख़रा बनाते हैं। (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमायाः मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो मैं ऐसी जहालत वालों जैसा काम करूँ।[4] **(67)** वे

---

1. ज़िल्लत व आ़जिज़ी में से यह भी है कि यहूदियों से हुकूमत क़ियामत के क़रीब होने तक के लिए छीन ली गई।

2. क़ानून का हासिल ज़ाहिर है कि जो शख़्स पूरी इताअ़त एतिक़ाद और आमाल में इख़्तियार करेगा, चाहे वह पहले से कैसा ही हो, हमारे यहाँ मक़बूल और उसकी ख़िदमत क़ाबिले क़द्र है। मतलब यह हुआ कि जो मुसलमान हो जाएगा अज्र व आख़िरत में नजात का हक़दार होगा।

3. बनी इसराईल के लिए शनिवार का दिन अ़ज़मत वाला और इबादत के लिए मुक़र्रर था और मछली का शिकार भी इस दिन मना था। ये लोग समुद्र के किनारे आबाद थे, मछली के शौक़ीन हज़ार जाल डालकर शिकार करना था सो किया, उसपर अल्लाह तआ़ला का यह अ़ज़ाब शक्ल को बिगाड़ देने का नाज़िल हुआ और तीन दिन के बाद वे सब मर गए।

4. बनी इसराईल में एक ख़ून हो गया था, लेकिन उस वक़्त क़ातिल का पता न लगा था। बनी इसराईल ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से अ़र्ज़ किया कि हम चाहते हैं कि क़ातिल का पता लगे। आपने अल्लाह के हुक्म से एक बैल के ज़िब्ह करने का हुक्म फ़रमाया। इसपर उन्होंने अपनी फ़ितरत के मुवाफ़िक़ हुज्जतें निकालना शुरू कीं।

लोग कहने लगे कि आप दरख़्वास्त कीजिए अपने रब से कि हमसे बयान कर दे कि उस (बैल) की सिफ़तें क्या हैं। आपने फ़रमाया कि वह यह फ़रमाते हैं कि वह ऐसा बैल हो कि न बिलकुल बूढ़ा हो न बहुत बच्चा हो, (बल्कि) पट्ठा हो, दोनों उम्रों के दरमियान में, सो अब (ज़्यादा हुज्जत मत कीजियो बल्कि) कर डालो जो कुछ तुमको हुक्म मिला है।[1] **(68)** कहने लगे कि (अच्छा यह भी) दरख़्वास्त कर दीजिए हमारे लिए अपने रब से कि हमसे यह भी बयान कर दें कि उसका रंग कैसा हो। आपने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला यह फ़रमाते हैं कि वह एक ज़र्द रंग का बैल हो, जिसका रंग तेज़ ज़र्द "यानी तेज़ पीला" हो कि देखने वालों को अच्छा लगता हो। **(69)** कहने लगे कि (अबकी बार और) हमारी ख़ातिर अपने रब से दरियाफ़्त कर दीजिए कि हमसे बयान कर दें कि उसकी ख़ूबियाँ और सिफ़तें क्या-क्या हों, क्योंकि हमको उस बैल में (किसी क़द्र) इशतिबाह "यानी सिफ़तें पहचानने में शक व शुब्हा" है, और हम ज़रूर इन्शा-अल्लाह तआ़ला (अबकी बार) ठीक समझ जाएँगे। **(70)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि हक़ तआ़ला यूँ फ़रमाते हैं कि वह न तो हल में चला हुआ हो, जिससे ज़मीन जोती जाए और न उससे खेती को पानी दिया जाए (ग़रज़ हर क़िस्म के ऐब से) सालिम हो और उसमें कोई दाग़ न हो। (यह सुनकर) कहने लगे कि अब आपने पूरी बात फ़रमाई। फिर उसको ज़िब्ह किया और (उनकी हुज्जतों से बज़ाहिर) करते हुए मालूम न होते थे। **(71)** ❖

और जब तुम लोगों (में से किसी) ने एक आदमी का ख़ून कर दिया फिर एक-दूसरे पर उसको डालने लगे, और अल्लाह को उस मामले का ज़ाहिर करना मन्ज़ूर था, जिसको तुम पोशीदा रखना चाहते थे। **(72)** इसलिए हमने हुक्म दिया कि उसको उसके कोई से टुकड़े से छुआ दो, इसी तरह हक़ तआ़ला (क़ियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा कर देंगे, और अल्लाह तआ़ला अपनी क़ुदरत के नज़ारे तुमको दिखलाते हैं, इसी उम्मीद पर कि तुम अ़क़्ल से काम लिया करो।[2] **(73)** ऐसे-ऐसे वाक़िआ़त के बाद तुम्हारे दिल फिर भी सख़्त ही रहे तो (यूँ कहना चाहिए कि) उनकी मिसाल पत्थर जैसी है, बल्कि सख़्ती में (पत्थर से भी) ज़्यादा सख़्त। और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे (बड़ी-बड़ी) नहरें फूटकर चलती हैं और उन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं कि जो फट जाते हैं, फिर उनसे (अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही) पानी निकल आता है, और उन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जो ख़ुदा तआ़ला के ख़ौफ़ से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं, और हक़ तआ़ला तुम्हारे आमाल से बेख़बर नहीं हैं।[3] **(74)** (ऐ मुसलमानो!) क्या अब भी तुम उम्मीद रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान ले आएँगे, हालाँकि इनमें के कुछ लोग ऐसे गुज़रे हैं कि अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसको कुछ का कुछ कर डालते थे (और) उसको समझने के बाद (ऐसा करते) और जानते थे।[4] **(75)** और जब मिलते हैं (मुनाफ़िक़ीन यहूद) मुसलमानों से तो (उनसे तो) कहते हैं कि हम (भी) ईमान ले आए हैं, और

1. हदीस में है कि अगर वे हुज्जतें न करते तो इतनी क़ैदें (शर्तें) उनके ज़िम्मे न होतीं, जो बैल ज़िब्ह कर देते काफ़ी हो जाता।

2. उस क़त्ल किए गए शख़्स ने ज़िन्दा होकर अपने क़ातिल का नाम बतला दिया और फ़ौरन फिर मर गया।

3. इस मक़ाम पर इन पत्थरों की तीनों क़िस्मों में तरतीब निहायत लतीफ़ और जो फ़ायदा पहुँचाना मक़सूद है उसमें निहायत बलीग़ है। यानी कुछ पत्थरों से मख़्लूक़ को नहरों का बड़ा नफ़ा पहुँचता है, उनके दिल ऐसे भी नहीं। कुछ पत्थरों से थोड़े पानी का कम नफ़ा पहुँचता है, लेकिन उनके दिल उनसे भी सख़्त हैं, और कुछ पत्थरों से अगरचे किसी को नफ़ा नहीं पहुँचता मगर ख़ुद तो उनमें एक असर है, मगर उनके दिलों में असर क़बूल करने की यह मामूली कैफ़ियत भी नहीं।

4. मतलब यह कि जो लोग ऐसे निडर और नफ़्सानी ग़रज़ों के बन्धक हों, वे किसी के कहने से कब बाज़ आने वाले और किसी की कब सुनने वाले हैं।

जब तन्हाई में जाते हैं ये बाज़े दूसरे कुछ (ऐलानिया) यहूदियों के पास तो वे उनसे कहते हैं कि तुम मुसलमानों को वो बातें बतला देते हो जो अल्लाह ने तुमपर ज़ाहिर कर दी हैं, तो नतीजा यह होगा कि वे लोग तुमको हुज्जत में मग़लूब कर देंगे कि यह मज़मून अल्लाह के पास (से) है, क्या तुम (इतनी मोटी बात) नहीं समझते। **(76)** क्या उनको इल्म नहीं है इसका कि हक़ तआ़ला को सब ख़बर है उन चीज़ों की भी जिनको वे पोशीदा रखते हैं **(77)** और उनकी भी जिनका वे इज़्हार कर देते हैं। और उन (यहूदियों) में बहुत से अनपढ़ (भी) हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते, लेकिन (बग़ैर सनद के) दिल खुश करने वाली बातें (बहुत याद हैं) और वे लोग और कुछ नहीं, ख़्यालात पका लेते हैं। ● **(78)** तो बड़ी ख़राबी उनकी होगी जो लिखते हैं (अदल-बदलकर) किताब (तौरात) को अपने हाथों से, फिर कह देते हैं कि यह (हुक्म) खुदा की तरफ़ से है। ग़र्ज़ (सिर्फ़) यह होती है कि इस ज़रिये से कुछ नक़्द किसी क़द्र थोड़ा वसूल कर लें। सो बड़ी ख़राबी (पेश) आएगी उनको उसकी बदौलत (भी) जिसको उनके हाथों ने लिखा था और बड़ी ख़राबी होगी उनको उसकी बदौलत (भी) जिसको वे वसूल कर लिया करते थे। **(79)** और यहूदियों ने यह भी कहा कि हरगिज़ हमको (दोज़ख़ की) आग छुएगी (भी) नहीं, मगर (बहुत) थोड़े दिन जो (उँगलियों पर) गिन लिए जा सकें। आप यूँ फ़रमा दीजिएः क्या तुम लोगों ने हक़ तआ़ला से (इसके मुताल्लिक़) कोई मुआ़हदा ले लिया है, जिसमें अल्लाह तआ़ला अपने मुआ़हदे के ख़िलाफ़ न करेंगे, या अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी कोई इल्मी सनद अपने पास नहीं रखते।[1] **(80)** क्यों नहीं? जो शख़्स जान बूझकर बुरी बातें करता रहे और उसको उसकी ख़ता (और क़ुसूर इस तरह) घेर ले (कि कहीं नेकी का असर तक न रहे) सो ऐसे लोग दोज़ख़ वाले होते हैं, (और) वे उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे।[2] **(81)** और जो लोग (अल्लाह और रसूल पर) ईमान लाएँ और नेक काम करें, ऐसे लोग जन्नत वाले होते हैं (और) वे उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे। **(82)** ❖

और (वह ज़माना याद करो) जब लिया हमने (तौरात में) क़ौल व क़रार बनी इसराईल से कि इबादत मत करना (किसी की) सिवाय अल्लाह तआ़ला के, और माँ-बाप की अच्छी तरह ख़िदमत गुज़ारी करना और रिश्तेदारों व क़रीबी लोगों की भी, और यतीम बच्चों की भी और ग़रीब मोहताजों की भी, और आ़म लोगों से बात भी अच्छी तरह (अच्छे अख़्लाक़ से) करना, और पाबन्दी रखना नमाज़ की, और अदा करते रहना ज़कात, फिर तुम (क़ौल व क़रार करके) उससे फिर गए सिवाय कुछ के, और तुम्हारी तो मामूली आ़दत है इक़रार करके हट जाना। **(83)** और (वह ज़माना भी याद करो) जब हमने तुमसे यह क़ौल व क़रार (भी) लिया कि आपस में ख़ून मत बहाना और एक-दूसरे को वतन से मत निकालना, फिर तुमने इक़रार भी कर लिया और (इक़रार भी इशारे में नहीं बल्कि ऐसा

1. यह मामला तहक़ीक़ी है कि अगर मोमिन गुनाहगार हो तो अगरचे गुनाहों की वजह से दोज़ख़ में अ़ज़ाब पाए, लेकिन ईमान की वजह से हमेशा दोज़ख़ में न रहेगा। कुछ मुद्दत के बाद नजात हो जाएगी।

2. कुफ़्र की वजह से कोई नेक अ़मल मक़बूल नहीं होता, बल्कि अगर कुछ कुफ़्र के पहले के आमाल हों तो वे भी बेकार और ज़ाया हो जाते हैं। इस वजह से कुफ़्फ़ार में सब बदी ही बदी होगी, ब-ख़िलाफ़ ईमान वालों के कि अव्वल तो उनका ईमान खुद एक सबसे बड़ा नेक अ़मल है, दूसरे और आमाल भी उनके आमाल नामे में दर्ज होते हैं, इसलिए वे नेकी के असर से ख़ाली नहीं।

साफ़ जैसे) तुम शहादत देते हो। **(84)** फिर तुम यह (आँखों के सामने मौजूद ही) हो (कि) क़त्ल व क़िताल भी करते हो और एक-दूसरे को वतन से भी निकालते हो (इस तौर पर कि) उन अपनों के मुक़ाबले में (उनकी मुख़ालिफ़ क़ौमों की) इम्दाद करते हो, गुनाह और ज़ुल्म के साथ, और अगर उन लोगों में से कोई गिरफ़्तार होकर तुम तक पहुँच जाता है तो ऐसों को कुछ ख़र्च कर कराकर रिहा करा देते हो, हालाँकि यह बात (भी मालूम) है कि तुमको उनका वतन से निकाल देना भी मना है।[1] क्या (पस यूँ कहो कि) किताब (तौरात) के बाज़ ''यानी कुछ'' (अहकाम) पर तुम ईमान रखते हो और बाज़ पर ईमान नहीं रखते, सो और क्या सज़ा हो ऐसे शख़्स की जो तुम लोगों में से ऐसी हरकत करे, सिवाय रुस्वाई के दुनियावी ज़िन्दगी में और क़ियामत के दिन को बड़े सख़्त अ़ज़ाब में डाल दिए जाएँ, और अल्लाह तआ़ला (कुछ) बेख़बर नहीं है तुम्हारे (बुरे) आमाल से। **(85)** ये वे लोग हैं कि उन्होंने दुनियावी ज़िन्दगी (के लुत्फ़, और मज़ों) को ले लिया है आख़िरत (की नजात) के बदले में, सो न तो उनकी सज़ा में (कुछ) कमी की जाएगी और न कोई उनकी तरफ़दारी (पैरवी) करने पाएगा। **(86)** ❖

और हमने मूसा को किताब (तौरात) दी, और (फिर) उनके बाद एक के बाद एक पैग़म्बरों को भेजते रहे, और फिर हमने ईसा इब्ने मरियम को (नुबुव्वत की) वाज़ेह दलीलें अ़ता फ़रमाईं और हमने रूहुल्-क़ुदुस से ताईद दी, क्या जब कभी (भी) कोई पैग़म्बर तुम्हारे पास ऐसे अहकाम लाए जिनको तुम्हारा दिल न चाहता था, (जब ही) तुमने तकब्बुर करना शुरू कर दिया, सो बाज़ों को तो तुमने झूठा बतलाया और बाज़ों को (बे-धड़क) क़त्ल ही कर डालते थे। **(87)** और वे (यहूदी फ़ख़्र के तौर पर) कहते हैं कि हमारे दिल महफ़ूज़ हैं, बल्कि उनके कुफ़्र के सबब उनपर ख़ुदा की मार है, सो बहुत ही थोड़ा-सा ईमान रखते हैं। **(88)** और जब उनको एक ऐसी किताब पहुँची (यानी क़ुरआन) जो अल्लाह की तरफ़ से है (और) उसकी (भी) तस्दीक़ करने वाली है जो पहले से उनके पास है, (यानी तौरात) हालाँकि इसके पहले वे (ख़ुद) बयान किया करते थे कुफ़्फ़ार से। फिर जब वह चीज़ आ पहुँची जिसको वे (ख़ूब जानते) पहचानते हैं तो उसका (साफ़) इनकार कर बैठे। सो (बस) ख़ुदा की मार हो ऐसे इनकार करने वालों पर। **(89)** वह हालत (बहुत ही) बुरी है जिसको इख़्तियार करके वे अपनी जानों को छुड़ाना चाहते हैं, (और वह हालत) यह (है) कि कुफ़्र करते हैं ऐसी चीज़ का जो हक़ तआ़ला ने नाज़िल फ़रमाई, सिर्फ़ (इसी) ज़िद पर कि

---

1. इस बारे में उनपर तीन हुक्म वाजिब थे। अव्वल क़त्ल न करना, दूसरे न निकालना, तीसरे अपनी क़ौम में से किसी को गिरफ़्तार व बन्द देखें तो रुपया ख़र्च करके छुड़ा देना। सो उन लोगों ने पहले और दूसरे हुक्म को तो ज़ाया कर दिया था और तीसरे की पाबन्दी किया करते थे। जिन मुख़ालिफ़ क़ौमों कि इम्दाद का ज़िक्र फ़रमाया है, मुराद उन क़ौमों से औस और ख़ज़्रज हैं, कि औस बनू क़ुरैज़ा की मुवाफ़क़त में बनू नज़ीर के मुख़ालिफ़ थे और ख़ज़्रज बनू नज़ीर की मुवाफ़क़त में बनू क़ुरैज़ा के मुख़ालिफ़ थे। गुनाह और ज़ुल्म दो लफ़्ज़ लाने में इशारा हो सकता है कि इसमें दो हक़ ज़ाया होते हैं, अल्लाह का हक़ भी कि हुक्मे इलाही की तामील न की, और बन्दे का हक़ भी कि दूसरे को तकलीफ़ पहुँची।

अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से जिस बन्दे पर उसको मन्जूर हो नाज़िल फ़रमाए, सो वे लोग ग़ज़ब पर ग़ज़ब के हक़दार हो गए, और इन कुफ़्र करने वालों को ऐसी सज़ा होगी जिसमें ज़िल्लत (भी) है।[1] **(90)** और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उन (तमाम) किताबों पर जो अल्लाह तआ़ला ने (अनेक पैग़म्बरों पर) नाज़िल फ़रमाई हैं, तो कहते हैं कि हम (तो सिर्फ़) उस (ही) किताब पर ईमान लाएँगे जो हमपर नाज़िल की गई है, (यानी तौरात) और जितनी उसके अ़लावा हैं उन (सब) का इनकार करते हैं, हालाँकि वे भी हक़ हैं और तसदीक़ करने वाली भी हैं उसकी जो उनके पास है (यानी तौरात की)। आप कहिए कि (अच्छा तो) फिर क्यों क़त्ल किया करते थे अल्लाह के पैग़म्बरों को इससे पहले के ज़माने में अगर तुम (तौरात पर) ईमान रखने वाले थे। **(91)** और (हज़रत) मूसा तुम लोगों के पास साफ़-साफ़ दलीलें लाए (मगर) इसपर भी तुम लोगों ने गौसाला को (माबूद) तजवीज़ कर लिया मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के (तूर पर जाने के) बाद, और तुम सितम ढा रहे थे।[2] **(92)** और जब हमने तुम्हारा क़ौल व क़रार लिया था और तूर को तुम्हारे (सरों के) ऊपर ला खड़ा किया था, जो कुछ (अहकाम) हम तुमको देते हैं हिम्मत (और पुख़्तगी) के साथ लो और सुनो। (उस वक़्त) उन्होंने ज़बान से कह दिया कि हमने सुन लिया और हमसे अ़मल न होगा, और (वजह इसकी यह है कि) उनके दिलों में वही गौसाला जम गया था, उनके (पहले) कुफ़्र की वजह से। आप फ़रमा दीजिए कि ये आमाल बहुत बुरे हैं जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान तुमको कर रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो। **(93)** आप कह दीजिए कि अगर (तुम्हारे कहने के मुताबिक़) आ़लमे आख़िरत सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही नफ़ा देने वाला है अल्लाह के पास किसी दूसरे की शिर्कत के बग़ैर तो तुम (इसकी तसदीक़ के लिए ज़रा) मौत की तमन्ना कर (के दिखला) दो, अगर तुम सच्चे हो। **(94)** और वे हरगिज़ कभी उस (मौत) की तमन्ना न करेंगे उन (कुफ़्रिया) आमाल (की सज़ा के डर) की वजह से जो अपने हाथों समेटे हैं, और हक़ तआ़ला को ख़ूब इत्तिला है इन ज़ालिमों (के हाल) की। **(95)** और आप (तो) उनको (दुनियावी) ज़िन्दगी के (आ़म) लालची आदमियों से भी बढ़कर पाएँगे, और मुश्रिकीन से भी इनका एक-एक (शख़्स) इस हवस में है कि उसकी उम्र हज़ार साल की हो जाए, और यह चीज़ अ़ज़ाब से तो नहीं बचा सकती कि (किसी की बड़ी) उम्र हो जाए, और हक़ तआ़ला के सब सामने हैं उनके (बुरे) आमाल।[3] **(96)** ❖

---

1. एक ग़ज़ब तो कुफ़्र पर था ही, दूसरा ग़ज़ब उनके हसद पर हो गया। और अ़ज़ाब में "मुहीन" (ज़िल्लत वाले) की क़ैद से कुफ़्फ़ार को ख़ास करना हो गया, क्योंकि मोमिन गुनाहगार को अ़ज़ाब गुनाहों से पाक करने के लिए होगा।

2. "बय्यिनात" से मुराद वे दलीलें हैं जो इस क़िस्से से पहले कि उस वक़्त तक तौरात न मिली थी, मूसा अ़लैहिस्सलाम के सच्चा होने पर क़ायम हो चुकी थीं, जैसे 'अ़सा' (लाठी) और 'चमकता हुआ हाथ' और 'दरिया का फटना' और इनके अ़लावा और मोजिज़े।

3. बावजूद आख़िरत के एतिक़ाद के लम्बी उम्र की तमन्ना साफ़ दलील है कि यह आख़िरत की नेमतों के हक़दार होने और अपने ख़ास होने का दावा ही दावा है, दिल में ख़ूब समझते हैं कि वहाँ पहुँचकर जहन्नम ही नसीब होना है। इसलिए जब तक बचे रहें तब तक ही सही।

आप (इनसे) यह कहिए कि जो शख़्स जिबराईल से दुश्मनी रखे, सो उन्होंने यह क़ुरआन आपके दिल तक पहुँचा दिया है अल्लाह के हुक्म से, उसकी (ख़ुद) यह हालत है कि तस्दीक़ कर रहा है अपने से पहले वाली (आसमानी) किताबों की, और रहनुमाई कर रहा है और ख़ुशख़बरी सुना रहा है ईमान वालों को। **(97)** जो (कोई) शख़्स हक़ तआ़ला का दुश्मन हो और फ़रिश्तों का (हो) और पैग़म्बरों का (हो) और जिबराईल का (हो) और मीकाईल का (हो) तो अल्लाह तआ़ला दुश्मन है ऐसे काफ़िरों का।[1] **(98)** और हमने तो आपके पास बहुत-सी दलीलें खुली नाज़िल की हैं, और कोई इनकार नहीं किया करता मगर सिर्फ़ वही लोग जो नाफ़रमानी के आ़दी हैं। **(99)** क्या और जब कभी भी उन लागों ने कोई अ़हद किया होगा (ज़रूर) उसको उनमें से किसी न किसी फ़रीक़ ने नज़र-अन्दाज़ कर दिया होगा, बल्कि उनमें ज़्यादा तो ऐसे ही निकलेंगे जो (मेरे उस अ़हद का) यक़ीन ही नहीं रखते। **(100)** और जब उनके पास एक पैग़म्बर आए अल्लाह की तरफ़ से, जो तस्दीक़ भी कर रहे हैं उस किताब की जो उन लोगों के पास है (यानी तौरात की)। इन अह्ले किताब में के एक फ़रीक़ ने ख़ुद उस अल्लाह की किताब ही को पीठ पीछे डाल दिया है, जैसे उनको गोया बिलकुल इल्म ही नहीं। **(101)** और उन्होंने ऐसी चीज़ का (यानी जादू का) इत्तिबा किया जिसका चर्चा किया करते थे शयातीन (यानी ख़बीस जिन्न) (हज़रत) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) की हुकूमत के ज़माने में, और (हज़रत) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने कुफ़्र नहीं किया,[2] मगर (हाँ) शयातीन कुफ़्र करते थे, और (हालत यह थी कि) आदमियों को भी (उस) जादू की तालीम किया करते थे, और उस (जादू) की भी जो कि उन दोनों फ़रिश्तों पर नाज़िल किया गया था शहर बाबिल में जिनका नाम हारूत व मारूत था।[3] और वे दोनों किसी को न बतलाते जब तक यह (न) कह देते कि हमारा वजूद भी एक इम्तिहान है, सो तू कहीं काफ़िर मत बन जाइयो (कि इसमें फँस जाए) सो (कुछ) लोग उन दोनों से इस क़िस्म का जादू सीख लेते थे जिसके ज़रिए से (अ़मल करके) किसी मर्द और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर देते थे। और ये (जादूगर) लोग उसके ज़रिए से किसी को भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते थे मगर ख़ुदा ही के (तक़दीरी) हुक्म से। और ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो (ख़ुद) उनको नुक़सान पहुँचाने वाली हैं और उनको नफ़ा देने वाली नहीं हैं। और ज़रूर ये (यहूदी) भी इतना जानते हैं कि जो शख़्स इसको इख़्तियार करे ऐसे शख़्स का आख़िरत में कोई हिस्सा (बाक़ी) नहीं। और बेशक बुरी है वह चीज़ (यानी जादू व कुफ़्र) जिसमें वे लोग अपनी जान दे रहे हैं। काश उनको (इतनी) अ़क़्ल होती! **(102)** और अगर वे लोग (बजाय इसके) ईमान और तक़्वा (इख़्तियार) करते तो ख़ुदा तआ़ला के यहाँ का मुआ़वज़ा बेहतर था। काश उनको

1. बाज़े यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सुनकर कि जिबराईल अ़लैहिस्सलाम वह्य लाते हैं, कहा कि उनसे तो हमारी दुश्मनी है, मशक़्क़त में डालने वाले अहकाम और डरावने वाक़िआ़त उन्हीं के हाथों आया किए हैं। मीकाईल ख़ूब हैं कि बारिश और रहमत उनसे मुताल्लिक़ है। अगर वह वह्य लाया करते तो हम मान लेते। इस आयत में इसी का रद्द है।

2. ये बेवक़ूफ़ लोग जो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ जादू की निस्बत करते थे यहूद हैं, इसलिए अल्लाह तआ़ला ने बीच में उन (सुलैमान अ़लैहिस्सलाम) का बरी होना भी ज़ाहिर फ़रमा दिया।

3. इन आयतों के मुताल्लिक़ एक लम्बा-चौड़ा क़िस्सा ज़ोहरा का मशहूर है जो किसी मोतबर रिवायत से साबित नहीं।

(इतनी) अ़क़्ल होती! **(103)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुम (लफ़्ज़) 'राअ़िना' मत कहा करो और 'उन्ज़ुरना' कह दिया करो, और (इसको अच्छी तरह) सुन लीजियो, और (इन) काफ़िरों को (तो) दर्दनाक सज़ा (ही) होगी।[1] **(104)** ज़रा भी पसन्द नहीं करते काफ़िर लोग, (चाहे) उन अहले किताब में से (हों) और (चाहे) मुश्रिकीन में से, इस बात को कि तुमको किसी तरह की बेहतरी (भी) नसीब हो तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से, हालाँकि अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत (व इनायत) के साथ जिसको मन्ज़ूर होता है मख़सूस फ़रमा लेते हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल (करने) वाले हैं।[2] **(105)** हम किसी आयत का हुक्म जो मौकूफ़ "यानी रोक देते और मुल्तवी" कर देते हैं, या उस आयत (ही) को (ज़ेहनों से) भुला देते हैं, तो हम उस आयत से बेहतर या उस आयत ही की मिसल ले आते हैं। (ऐ एतिराज़ करने वाले!) क्या तुझको यह मालूम नहीं कि हक़ तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत रखते हैं।[3] **(106)** क्या तुझको यह मालूम नहीं कि हक़ तआ़ला ऐसे हैं कि ख़ास उन्ही की है हुकूमत आसमानों की और ज़मीन की, और (यह भी समझ रखो कि) तुम्हारा हक़ तआ़ला के सिवा कोई यार व मददगार भी नहीं। **(107)** हाँ क्या तुम यह चाहते हो कि अपने रसूल से (बेजा-बेजा) दरख़्वास्तें करो, जैसा कि इससे पहले मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से भी (ऐसी-ऐसी) दरख़्वास्तें की जा चुकी हैं, और जो शख़्स बजाय ईमान लाने के कुफ़्र (की बातें) करे, बेशक वह शख़्स सीधे रास्ते से दूर जा पड़ा। **(108)** इन अह्ले किताब (यानी यहूद) में से बहुत-से दिल से यह चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर काफ़िर कर डालें, सिर्फ़ हसद की वजह से जो कि ख़ुद उनके दिलों ही से (जोश मारता) है हक़ वाज़ेह होने के बाद। ख़ैर (अब तो) माफ़ करो और दरगुज़र करो, जब तक हक़ तआ़ला (इस मामले के मुताल्लिक़) अपना हुक्म (नया क़ानून) भेजें,[4] अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर हैं। ▲ **(109)** और (फ़िलहाल सिर्फ़) नमाज़ें पाबन्दी से पढ़े जाओ और ज़कात दिए जाओ, और जो नेक काम भी अपनी भलाई के वास्ते जमा करते रहोगे हक़ तआ़ला के पास (पहुँचकर) उसको पा लोगे, क्योंकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब किए हुए कामों को देखभाल रहे हैं।[5] **(110)** और (यहूदी और ईसाई यूँ) कहते हैं कि जन्नत में हरगिज़ कोई न जाने पाएगा सिवाय उन लोगों के जो यहूदी हों या उन लोगों के जो ईसाई हों, यह (ख़ाली) दिल बहलाने की बातें हैं। आप कहिए कि (अच्छा) अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे

---

1. कुछ यहूदियों ने एक शरारत ईजाद की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुज़ूर में आकर "राअ़िना" से आपको ख़िताब करते, जिसके मायने उनकी इबरानी ज़बान में बुरे हैं। और वे उसी नीयत से कहते, और अ़रबी में इसके मायने बहुत अच्छे हैं। और उस अच्छे मायने के इरादे से बाज़े मुसलमान भी हुज़ूर को इस कलिमे से ख़िताब करने लगे। इससे उन शरीरों को और गुन्जाइश मिली, हक़ तआ़ला ने उस गुन्जाइश को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को यह हुक्म दिया।
2. बाज़े यहूद बाज़ मुसलमानों से कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम! हम दिल से तुम्हारा भला चाहने वाले हैं, मगर तुम्हारा दीन हमारे दीन से अच्छा साबित नहीं हुआ। हक़ तआ़ला इस भला चाहने के दावे का झूठा होना इस आयत में बयान फ़रमाते हैं।
3. यहूद ने क़िबला का हुक्म बदल जाने पर जिसका ज़िक्र आगे जल्द ही आता है, एतिराज़ किया था और मुश्रिकीन भी बाज़े हुक्मों के मन्सूख़ हो जाने पर ज़बान-दराज़ी करते थे, हक़ तआ़ला उस ताना मारने और एतिराज़ करने का इस आयत में जवाब देते हैं।
4. इशारे के तौर पर बतला दिया कि उनकी शरारतों का इलाज आ़म अमन के इन्ज़िामी क़ानून यानी क़िताल व जिज़या (मुस्लिम हुकूमत में रहने वाले ग़ैर-मुस्लिमों से उनकी जान-माल की हिफ़ाज़त के बदले में लिया जाने वाला टैक्स) से हम जल्दी ही करने वाले हैं।
5. उस वक़्त मौजूदा हालत का तक़ाज़ा यही था। फिर हक़ तआ़ला ने इस वायदे को पूरा फ़रमा दिया और जिहाद की आयतें नाज़िल फ़रमा दीं।

हो। **(111)** ज़रूर (दूसरे लोग भी जाएँगे) जो कोई शख़्स भी अपना रुख़ अल्लाह तआला की तरफ़ झुका दे और वह मुख़्लिस भी हो तो ऐसे शख़्स को उसका अज्र मिलता है उसके परवर्दिगार के पास पहुँचकर, और न ऐसे लोगों पर (क़ियामत में) कोई अन्देशा है और न ऐसे लोग (उस दिन) ग़मगीन होने वाले हैं।[1] **(112)** ❖

और यहूद कहने लगे कि ईसाइयों का मज़हब किसी बुनियाद पर क़ायम नहीं और (इसी तरह) ईसाई कहने लगे कि यहूद किसी बुनियाद पर नहीं, हालाँकि ये सब (लोग आसमानी) किताबें (भी) पढ़ते हैं। इसी तरह ये लोग (भी) जो कि (महज़) बेइल्म हैं उनके जैसे बात कहने लगे। सो अल्लाह उन सबके दरमियान (अ़मली) फ़ैसला कर देंगे क़ियामत के दिन, उन तमाम (मुक़द्दमों) में जिनमें वे आपस में इख़्तिलाफ़ कर रहे थे।[2] **(113)** और उस शख़्स से ज़्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो ख़ुदा तआला की मस्जिदों में उनका ज़िक्र (और इबादत) किए जाने से बन्दिश करे, और उनके वीरान (व बेकार) होने (के बारे) में कोशिश करे, उन लोगों को तो कभी निडर होकर उनमें क़दम भी न रखना चाहिए था (बल्कि जब जाते डर और अदब से जाते)। उन लोगों को दुनिया में भी रुस्वाई (नसीब) होगी और उनको आख़िरत में भी बड़ी सज़ा होगी।[3] **(114)** और अल्लाह ही की ममलूक हैं (सब सम्तें) मश्रिक़ भी और मग़रिब भी, पस तुम लोग जिस तरफ़ मुँह करो (उधर ही) अल्लाह तआला का रुख़ है, क्योंकि अल्लाह तआला (तमाम सम्तों को) घेरे हुए हैं, कामिल इल्म वाले हैं।[4] **(115)** और ये लोग कहते हैं कि ख़ुदा तआला औलाद रखता है। सुब्हानल्लाह! (क्या बेकार बात है) बल्कि ख़ास अल्लाह तआला की ममलूक हैं जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में (मौजूद चीज़ें) हैं, (और) सब उनके महकूम (भी) हैं। **(116)** (हक़ तआला) बनाने वाले हैं आसमानों और ज़मीन के। और जब किसी काम को पूरा करना चाहते हैं तो बस उस काम के बारे में (इतना) फ़रमा देते हैं कि हो जा, पस वह (उसी तरह) हो जाता है।[5] **(117)** और (बाज़े) जाहिल यूँ कहते हैं कि (ख़ुद) हमसे क्यों नहीं कलाम फ़रमाते अल्लाह तआला, या हमारे पास कोई और ही दलील आ जाए।[6] इसी तरह वे (जाहिल) लोग भी कहते चले आए हैं जो इनसे पहले हो गुज़रे हैं, उन्हीं के जैसा (जाहिलाना) क़ौल, उन सबके दिल (टेढ़ी समझ रखने में) आपस में एक दूसरे के जैसे हैं, हमने तो बहुत-सी दलीलें साफ़-साफ़ बयान कर दी हैं, (मगर वे) उन लोगों के लिए (फ़ायदेमन्द हैं) जो यक़ीन (हासिल करना) चाहते हैं। **(118)** हमने आपको एक सच्चा दीन देकर भेजा है कि

---

1. दलील का हासिल यह हुआ कि जब यह क़ानून मुसल्लम है तो अब सिर्फ़ यह देख लो कि यह मज़मून किस पर फ़िट बैठता है। सो ज़ाहिर है कि किसी पहले हुक्म के मन्सूख़ हो जाने के बाद उसपर चलने वाला किसी तरह फ़रमाँबर्दार नहीं कहा जा सकता। पस यहूदी और ईसाई किसी तरह फ़रमाँबर्दार न हुए।

2. अ़मली फ़ैसला यह कि अहले हक़ को जन्नत में और अहले बातिल को दोज़ख़ में भेज देंगे। और यह क़ैद इसलिए लगाई कि क़ौल से और दलील के ज़रिए फ़ैसला तो हक़ व बातिल के दरमियान अ़क़्ली और नक़्ली दलीलों से दुनिया में भी हो चुका है।

3. मस्जिदों में मक्का की मस्जिद, मदीना की मस्जिद, बैतुल मक़्दिस की मस्जिद और सब मस्जिदें आ गईं।

4. यहूद ने क़िब्ला के बदलने के हुक्म पर एतिराज़ किया था, उसका जवाब हक़ तआला यह देते हैं कि सब सम्तें अल्लाह तआला की मिल्क में हैं। जब वह मालिक हैं तो जिस सम्त को चाहें क़िब्ला मुक़र्रर कर दें।

5. 'कुन' कहने में दो एहतिमाल हैं, एक यह कि मुराद हो जल्दी हो जाने और जल्दी बना देने से, दूसरे यह कि हक़ीक़त में हक़ तआला की यही आ़दत हो।

6. यहूद व नसारा (ईसाइयों) को बावजूद अहले किताब व अहले इल्म होने के जाहिल इसलिए कह दिया गया कि यह बात जाहिलों जैसी कही थी कि बावजूद मज़बूत, क़तई और बहुत-सी दलीलों के क़ायम हो चुकने के अभी तक इनकार किए जाते हैं।

ख़ुशख़बरी सुनाते रहिए और डराते रहिए, और आपसे दोज़ख़ में जाने वालों की पूछ-ताछ न होगी।[1] **(119)** और कभी ख़ुश न होंगे आपसे यहूद और न ईसाई जब तक कि आप (ख़ुदा न करे) उनके मज़हब के (बिलकुल) पैरवी करने वाले न हो जाएँ। (आप साफ़) कह दीजिए कि (भाई) हक़ीक़त में तो हिदायत का वही रास्ता है जिसको ख़ुदा तआ़ला ने बतलाया है, और अगर आप इत्तिबा करने लगें उनके ग़लत ख़्यालात का (अल्लाह की वह्य से साबित क़तई) इल्म के आ चुकने के बाद तो आपका कोई ख़ुदा से बचाने वाला न यार निकले न मददगार। **(120)** जिन लोगों को हमने किताब (तौरात व इन्जील) दी, शर्त यह है कि वे उसकी तिलावत (उस तरह) करते रहे जिस तरह कि तिलावत का हक़ है। ऐसे लोग उसपर ईमान ले आते हैं, और जो शख़्स न मानेगा (किसका नुक़सान करेगा) ख़ुद ही ऐसे लोग घाटे में रहेंगे। **(121)** ❖

ऐ याक़ूब की औलाद! मेरी उन नेमतों को याद करो जिनका मैंने तुमपर (वक़्त-वक़्त पर) इनाम किया, और इसको (भी) कि मैंने तुमको बहुत-से लोगों पर फ़ौक़ियत "यानी रुतबा और बड़ाई" दी। **(122)** और तुम डरो ऐसे दिन से जिसमें कोई शख़्स किसी शख़्स की तरफ़ से न कोई मुतालबा (वाजिब हक़) अदा करने पाएगा और न किसी की तरफ़ से कोई मुआ़वज़ा क़बूल किया जाएगा, और न किसी को कोई सिफ़ारिश (जबकि ईमान न हो) मुफ़ीद होगी, और न उन लोगों को कोई बचा सकेगा। **(123)** और जिस वक़्त इम्तिहान किया (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का उनके परवर्दिगार ने चन्द बातों में, और वह उनको पूरे तौर से बजा लाए, (उस वक़्त) हक़ तआ़ला ने (उनसे) फ़रमाया कि मैं तुमको लोगों का मुक़्तदा "यानी रहनुमा और ऐसा शख़्स जिसकी पैरवी की जाए" बनाऊँगा। उन्होंने अ़र्ज किया: और मेरी औलाद में से भी किसी-किसी को (नुबुव्वत दीजिए) इर्शाद हुआ कि मेरा (यह नुबुव्वत का) ओ़हदा ख़िलाफ़-वर्ज़ी करने वालों को न मिलेगा। **(124)** और (वह वक़्त भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जिस वक़्त हमने काबा शरीफ़ को लोगों के इबादत की जगह और अमन (की जगह) मुक़र्रर किया।[2] और मक़ामे इब्राहीम को (कभी-कभी) नमाज़ पढ़ने की जगह बना लिया करो।[3] और हमने (हज़रत) इब्राहीम और (हज़रत) इसमाईल (अ़लैहिमस्सलाम) की तरफ़ हुक्म भेजा कि मेरे (इस) घर को ख़ूब पाक-साफ़ रखा करो, बाहर से आने वालों और मक़ामी लोगों (की इबादत) के वास्ते, और रुकू और सज्दे करने वालों के वास्ते। **(125)** और जिस वक़्त इब्राहीम

---

1. यहाँ तक यहूद की चालीस क़बाहतें "यानी ख़राबियाँ और बुराइयाँ" जिनमें से कुछ में ईसाई भी शरीक हैं, बयान फ़रमाई गईं। आगे यह बतलाना मक़सूद है कि ऐसे हठ-धर्म लोगों से ईमान की उम्मीद न रखनी चाहिए। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ग़म व फ़िक्र को दूर करना है, कि आप उनके आ़म तौर पर ईमान लाने से मायूस हो जाइए और परेशानी और कुल्फ़त दिल से दूर कीजिए। और इसके अ़लावा आगे उनकी एक और बुराई का भी बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी करने की तो उनको क्या तौफ़ीक़ होती वे तो यहाँ तक सोचते हैं कि 'अल्लाह की पनाह' आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अपनी राह पर चलाने की नामुम्किन फ़िक्र में हैं।

2. अमन का मक़ाम दो वजह से फ़रमाया, एक तो यह कि इसमें हज व उमरः और नमाज़ व तवाफ़ करने से दोज़ख़ के अ़ज़ाब से अमन होता है, दूसरे इस वजह से कि अगर कोई ख़ूनी काबा की हदों में जिसको "हरम" कहते हैं, जा घुसे तो वहाँ उसे मौत की सज़ा न देंगे।

3. मक़ामे इब्राहीम एक ख़ास पत्थर का नाम है जिसपर खड़े होकर आपने काबा की इमारत बनाई। वह काबा के पास एक महफ़ूज़ जगह रखा है और वहाँ नफ़िलें पढ़ना सवाब है।

(अ़लैहिस्सलाम) ने (दुआ़ में) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! इसको एक (आबाद) शहर बना दीजिए[1] अमन (व अमान) वाला, और इसके बसने वालों को फलों से भी इनायत कीजिए, उनको (कहता हूँ) जो कि उनमें से अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हों।[2] हक़ तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया और उस शख़्स को भी जो कि काफ़िर रहे, सो ऐसे शख़्स को थोड़े दिन तो ख़ूब आराम बरताऊँगा फिर उसे खींचते हुए दोज़ख़ के अ़ज़ाब में पहुँचाऊँगा, और वह पहुँचने की जगह तो बहुत बुरी है। **(126)** और जबकि उठा रहे थे इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ख़ाना-काबा की दीवारें और इसमाईल भी,[3] (और यह कहते जाते थे) ऐ हमारे परवर्दिगार! (यह ख़िदमत) हमसे क़बूल फ़रमाइए बिला शुब्हा आप ख़ूब सुनने वाले जानने वाले हैं। **(127)** ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको अपना और ज़्यादा फ़रमाँबर्दार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमाअ़त (पैदा) कीजिए जो आपकी इताअ़त करने वाली हो, और (तथा) हमको हमारे हज (वग़ैरह) के अह्काम भी बतला दीजिए और हमारे हाल पर तवज्जोह रखिए, (और) हक़ीक़त में आप ही हैं तवज्जोह फ़रमाने वाले, मेहरबानी करने वाले। **(128)** ऐ हमारे परवर्दिगार! और उस जमाअ़त के अन्दर उन्हीं में से एक ऐसे पैग़म्बर भी मुक़र्रर कीजिए जो उन लोगों को आपकी आयतें पढ़-पढ़कर सुनाया करें, और उनको (आसमानी) किताब की और अ़क़्ल व समझ की तालीम दिया करें और उनको पाक कर दें। बेशक आप ही हैं ग़ालिब क़ुदरत वाले, कामिल इन्तिज़ाम वाले।[4] **(129)** ❖

और मिल्लते इब्राहीमी से तो वही मुँह फेरेगा जो अपनी ज़ात ही से अहमक़ हो, और हमने उन (इब्राहीम अ़लै.) को दुनिया में चुना और (इसी की बदौलत) वह आख़िरत में बड़े लायक़ लोगों में शुमार किए जाते हैं। **(130)** जबकि उनसे उनके परवर्दिगार ने फ़रमाया कि तुम इताअ़त इख़्तियार करो, उन्होंने अ़र्ज़ किया कि मैंने इताअ़त इख़्तियार की रब्बुल-आ़लमीन की। **(131)** और इसी का हुक्म कर गए हैं इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) अपने बेटों को और (इसी तरह) याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) भी, मेरे बेटो! अल्लाह ने इस दीन (इस्लाम) को तुम्हारे लिए मुन्तख़ब फ़रमाया है, सो तुम सिवाय इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। **(132)** क्या तुम ख़ुद (उस वक़्त) मौजूद थे जिस वक़्त याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) का आख़िरी वक़्त आया, (और) जिस वक़्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि तुम लोग मेरे (मरने के) बाद किस चीज़ की परस्तिश "यानी पूजा और इबादत" करोगे। उन्होंने (मुत्तफ़िक़ होकर) जवाब दिया कि हम उसकी इबादत करेंगे जिसकी आप और आपके बुज़ुर्ग (हज़रात) इब्राहीम व इसमाईल व इसहाक़ इबादत करते आए हैं, यानी वही माबूद जो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं है, और हम उसी की इताअ़त पर (क़ायम) रहेंगे। **(133)** यह (उन बुज़ुर्गों की) एक जमाअ़त थी जो गुज़र चुकी, उनके काम उनका किया हुआ आयेगा

---

1. शहर होने की दुआ़ इस वास्ते की थी कि उस वक़्त यह जगह बिलकुल जंगल थी, फिर अल्लाह तआ़ला ने उसको शहर कर दिया।
2. इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जो काफ़िरों के लिए रिज़्क़ की दुआ़ नहीं माँगी, ग़ालिबन् इसकी वजह यह हुई कि पहली दुआ़ के जवाब में हक़ तआ़ला ने ज़ालिमों को एक नेमत की सलाहियत से ख़ारिज फ़रमा दिया था, इसलिए अदब की वजह से इस दुआ़ में उनको शामिल नहीं किया कि कहीं अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो।
3. हज़रत इसमाईल अ़लैहिस्सलाम का शरीक होना दो तरह हो सकता है, या तो पत्थर-गारा देते होंगे या किसी वक़्त चुनाई भी करते होंगे।
4. जिस जमाअ़त का इस आयत में ज़िक्र है वे सिर्फ़ इसमाईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद हैं, जिनमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भेजे गए। क्योंकि यह दुआ़ दोनों हज़रात ने की है, तो वही जमाअ़त मुराद हो सकती है जो दोनों की औलाद हो, और पैग़म्बर के ज़िक्र में कहा गया है कि वे इस जमाअ़त से हों तो वह जमाअ़त इसमाईल की औलाद हुई और पैग़म्बर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हुए जो कि इसमाईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसी लिए सही हदीस में नबी करीम का इर्शाद है कि मैं अपने बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ का ज़ुहूर हूँ।

और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आयेगा, और तुमसे उनके किए हुए की पूछ भी तो न होगी। **(134)** और ये (यहूदी व ईसाई) लोग कहते हैं कि तुम लोग यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, तुम भी राह पर पड़ जाओगे। आप कह दीजिए कि हम तो मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) पर रहेंगे, जिसमें टेढ़ का नाम नहीं, और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) मुश्रिक भी न थे।[1] **(135)** (मुसलमानो!) कह दो कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस (हुक्म) पर जो हमारे पास भेजा गया और उसपर भी जो (हज़रत) इब्राहीम और (हज़रत) इसमाईल और (हज़रत) इसहाक़ और (हज़रत) याकूब (अ़लैहिमुस्सलाम) और याकूब की औलाद की तरफ़ भेजा गया, और उस (हुक्म व मोजिज़े) पर भी जो (हज़रत) ईसा को दिया गया, और उसपर भी जो कुछ और नबियों (अ़लैहिमुस्सलाम) को दिया गया उनके परवर्दिगार की तरफ़ से, इस कैफ़ियत से कि हम उन (हज़रात) में से किसी एक में भी तफ़रीक़ नहीं करते, और हम तो अल्लाह तआ़ला के फ़रमाँबर्दार हैं।[2] **(136)** सो अगर वे भी इसी तरीक़े से ईमान ले आएँ जिस तरीक़े से तुम (मुसलमान) ईमान लाए हो, तब तो वे भी (हक़) रास्ते पर लग जाएँगे, और अगर वे रूगर्दानी करें तो वे लोग तो (हमेशा से) मुख़ालफ़त पर कमर बाँधे हुए हैं ही, तो (समझ लो कि) तुम्हारी तरफ़ से जल्द ही निमट लेंगे अल्लाह तआ़ला, और अल्लाह तआ़ला सुनते हैं, (और) जानते हैं। **(137)** हम (दीन की) उस हालत पर हैं जिसमें (हमको) अल्लाह तआ़ला ने रंग दिया है, और (दूसरा) कौन है जिसके रंग देने की हालत अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा अच्छी हो, और (इसी लिए) हम उसी की गुलामी इख़्तियार किए हुए हैं। **(138)** आप फ़रमा दीजिए कि क्या तुम लोग हमसे (अब भी) हुज्जत किए जाते हो अल्लाह तआ़ला के बारे में, हालाँकि वह हमारा और तुम्हारा (सबका) रब है, और हमको हमारा किया हुआ मिलेगा और तुमको तुम्हारा किया हुआ मिलेगा, और हमने सिर्फ़ हक़ तआ़ला के लिए अपने (दीन) को (शिर्क वग़ैरह) से ख़ालिस कर रखा है। **(139)** या कहे जाते हो कि इब्राहीम और इसमाईल और इसहाक़ और याकूब और याकूब की औलाद (में जो नबी गुज़रे हैं, ये सब हज़रात) यहूदी या ईसाई थे। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! कह दीजिए कि तुम ज़्यादा वाक़िफ़ हो या हक़ तआ़ला, और ऐसे शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो ऐसी गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की जानिब से पहुँची हो, और अल्लाह तुम्हारे किए हुए से बेख़बर नहीं हैं।[3] **(140)** यह (उन बुज़ुर्गों की) एक जमाअ़त थी जो गुज़र गई, उनके काम उनका किया हुआ आएगा और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आएगा, और तुमसे उनके किए हुए की पूछ भी तो न होगी।[4] **(141)** ❖

1. 'मिल्लते इब्राहीम' एक लक़ब है 'शरीअ़ते मुहम्मदिया' का। सो यह कहना कि हम मिल्लते इब्राहीम पर रहेंगे, या यह कहना कि तुम मिल्लते इब्राहीम की इत्तिबा करो, इसका मतलब यही है कि हम शरीअ़ते मुहम्मदिया पर रहेंगे और तुम शरीअ़ते मुहम्मदिया की इत्तिबा करो।
2. हुक्म में सहीफ़े और किताबें सब दाख़िल हैं। मज़मून का हासिल यह हुआ कि देखो हमारा दीन कैसा इन्साफ़ और हक़ का है कि सब नबियों को मानते हैं, सब किताबों को सच्चा जानते हैं, सबके मोजिज़ों को हक़ पहचानते हैं। अगरचे ज़्यादातर अहकाम के रद्द हो जाने की वजह से दूसरी मुस्तक़िल शरीअ़त यानी शरीअ़ते मुहम्मदिया पर अ़मल करते हैं लेकिन इनकार और झुठलाना किसी का नहीं करते।
3. पस जब ये हज़रात यहूद व ईसाई न थे तो तुम दीन के तरीक़े में उनके मुवाफ़िक़ कब हुए? फिर तुम्हारा हक़ पर होना भी साबित न होगा।
4. और जब ख़ाली तज़किरा भी न होगा तो उससे तुमको कोई नफ़ा नहीं पहुँच सकता। इससे साबित हुआ कि किसी बुज़ुर्ग से ख़ाली किसी निस्बत और ताल्लुक़ का होना आख़िरत की नजात के लिए काफ़ी नहीं हो सकता।

दूसरा पारः स-यक़ूलु

सूरः ब-क़रः (आयत 142 से 252)

अब तो (ये) बेवक़ूफ़ लोग ज़रूर कहेंगे ही, कि उन (मुसलमानों) को उनके (पहली सम्त वाले) क़िब्ला से (कि बैतुल मक़्दिस था) जिस तरफ़ पहले मुतवज्जह हुआ करते थे, किस (बात) ने बदल दिया। आप फ़रमा दीजिए कि सब पूरब और पश्चिम अल्लाह ही की मिल्क हैं।[1] जिसको ख़ुदा ही चाहें (यह) सीधा रास्ता बतला देते हैं।[2] **(142)** और हमने तुमको ऐसी ही एक जमाअ़त बना दी है जो (हर पहलू से) दरमियानी राह पर है, ताकि तुम (मुख़ालिफ़) लोगों के मुक़ाबले में गवाह हो, और तुम्हारे लिए (अल्लाह के) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) गवाह हों।[3] और जिस (सम्त) क़िब्ला पर आप रह चुके हैं (यानी बैतुल मक़्दिस) वह तो सिर्फ़ इसलिए था कि हमको मालूम हो जाए कि कौन तो (अल्लाह के) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की पैरवी इख़्तियार करता है और कौन पीछे को हटता जाता है। और यह (क़िब्ला का बदलना बेराह और नाफ़रमान लोगों पर) बड़ा भारी है, (हाँ) मगर जिन लोगों को अल्लाह तआ़ला ने हिदायत फ़रमाई है। और अल्लाह तआ़ला ऐसे नहीं हैं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया (और नाक़िस) कर दें, (और) वाक़ई अल्लाह तआ़ला तो (ऐसे) लोगों पर बहुत ही शफ़ीक़ (और) मेहरबान हैं।[4] **(143)** हम आपके मुँह का (यह) बार-बार आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम आपको उसी क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह कर देंगे जिसके लिए आपकी मर्ज़ी है, (लो) फिर अपना चेहरा (नमाज़ में) मस्जिदे हराम (काबा) की तरफ़ किया कीजिए, और तुम सब लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हो अपने चेहरों को उसी (मस्जिदे हराम) की तरफ़ किया करो, और ये अहले किताब भी यक़ीनन जानते हैं कि यह (हुक्म) बिलकुल ठीक है, (और) उनके परवर्दिगार ही की तरफ़ से (है) और अल्लाह तआ़ला उनकी कार्रवाइयों से बेख़बर नहीं हैं।[5] **(144)** और अगर आप (इन) अहले किताब के सामने तमाम (दुनिया भर की) दलीलें पेश कर दें जब भी यह (कभी) आपके क़िब्ला को क़बूल न करें, और आप भी उनके क़िब्ला को क़बूल नहीं कर सकते, (फिर मुवाफ़क़त की क्या सूरत) और उनका कोई (फ़रीक़) भी दूसरे (फ़रीक़) के क़िब्ला को क़बूल नहीं करता। और अगर आप उनके (उन) नफ़्सानी ख़्यालात को इख़्तियार कर लें (और वे भी) आपके पास इल्म (वह्य) आने के बाद तो यक़ीनन आप (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) ज़ालिमों में शुमार होने लगें।[6] **(145)** जिन लोगों को हमने किताब (तौरात व इन्जील) दी है वे लोग इन (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को ऐसा पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं, और बाज़े उनमें से हक़ को इसके बावजूद कि ख़ूब जानते हैं, (मगर) छुपाते हैं।[7] **(146)** (हालाँकि) यह हक़ बात अल्लाह की जानिब से (साबित हो

---

1. ख़ुदा तआ़ला को मालिकाना इख़्तियार है, जिस सम्त (दिशा) को चाहें क़िब्ला मुक़र्रर फ़रमा दें, किसी को वजह दरियाफ़्त करने का हक़ नहीं।

2. जिस चीज़ को इस मक़ाम पर सीधा रास्ता कहा गया है हक़ीक़त में सलामती और अमन उसी तरीक़े में है।

3. यानी तुम एक बड़े मुक़द्दमे में जिसमें एक फ़रीक़ हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम होंगे और दूसरा फ़रीक़ उनकी मुख़ालिफ़ क़ौमें होंगी, उन मुख़ालिफ़ लोगों के मुक़ाबले में गवाह तजवीज़ हो, और इ़ज़्ज़त पर इ़ज़्ज़त यह है कि तुम्हारे गवाही के क़ाबिल और मोतबर होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम गवाह हों।

4. क़िब्ला की तब्दीली पर एतिराज़ का हाकिमाना जवाब देकर अब हकीमाना जवाब शुरू होता है जिसमें कई हिक्मतों की तरफ़ इशारा है।

5. इस आयत से बैतुल मक़्दिस का मन्सूख़ करना और काबा को क़िब्ला मुक़र्रर करना मन्ज़ूर है। हासिल हिक्मत का यह है कि हमको आपकी ख़ुशी मन्ज़ूर थी और आपकी ख़ुशी काबा के क़िब्ला मुक़र्रर होने में देखी, (शेष तफ़सीर पृष्ठ 42 पर)

चुकी) है, सो हरगिज़ शक व शुब्हा लाने वालों में शुमार न होना। **(147)** ❖

और हर शख़्स (मज़हब वाले) के वास्ते एक-एक क़िब्ला रहा है जिसकी तरफ़ वह (इबादत में) मुँह करता रहा है, सो तुम नेक कामों में दौड़-धूप करो चाहे तुम कहीं होगे (लेकिन) अल्लाह तआ़ला तुम सबको हाज़िर कर देंगे। यक़ीनन अल्लाह तआ़ला हर मामले पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। **(148)** और जिस जगह से भी (कहीं सफ़र में) आप बाहर जाएँ तो (भी) अपना चेहरा (नमाज़ में) मस्जिदे हराम (यानी काबा) की तरफ़ रखा कीजिए, और यह (हुक्म आ़म क़िब्ला का) बिलकुल हक़ है (और) अल्लाह की जानिब से (है) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों से हरगिज़ बेख़बर नहीं। **(149)** और (फिर कहा जाता है कि) आप जिस जगह से भी (सफ़र में) बाहर जाएँ अपना चेहरा मस्जिदे हराम की तरफ़ रखिए और तुम लोग जहाँ कहीं (मौजूद) हो अपना चेहरा उसी की तरफ़ रखा करो, ताकि (इन मुख़ालिफ़) लोगों को तुम्हारे मुक़ाबले में गुफ़्तगू (की मजाल) न रहे, मगर उनमें जो (बिलकुल ही) बेइन्साफ़ हैं, तो ऐसे लोगों से (हरगिज़) अन्देशा न करो, और मुझसे डरते रहो, और ताकि तुमपर जो (कुछ) मेरा इनाम है मैं उसकी तक्मील कर दूँ, और ताकि (दुनिया में) तुम हक़ रास्ते पर रहो।[1] **(150)** जिस तरह तुम लोगों में हमने एक (अ़ज़ीमुश्शान) रसूल भेजा, तुम ही में से, जो हमारी आयतें (और अहकाम) पढ़-पढ़कर तुमको सुनाते हैं और (जहालत से) तुम्हारी सफ़ाई करते रहते हैं और तुमको (अल्लाह की) किताब और समझ की बातें बतलाते रहते हैं। और तुमको ऐसी (मुफ़ीद) बातें तालीम करते रहते हैं जिनकी तुमको ख़बर भी न थी।[2] **(151)** तो (इन नेमतों पर) मुझको याद करो मैं तुमको (इनायत से) याद रखूँगा और मेरी (नेमत की) शुक्र गुज़ारी करो, और मेरी नाशुक्री मत करो। **(152)** ❖

ऐ ईमान वालो! सब्र और नमाज़ से सहारा हासिल करो, बेशक अल्लह सब्र करने वालों के साथ (रहते) हैं। (और नमाज़ पढ़ने वालों के साथ तो और भी ज़्यादा)[3] **(153)** और जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किए जाते हैं उनके बारे में (यूँ भी) मत कहो कि वे (मामूली मुर्दों की तरह) मुर्दे हैं, बल्कि वे तो (एक ख़ास ज़िन्दगी के साथ) ज़िन्दा हैं, लेकिन तुम (इन हवास से उस ज़िन्दगी का) एहसास नहीं कर सकते।[4] **(154)** और (देखो) हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी क़द्र ख़ौफ़ से, और फ़ाक़े से, और माल और जान और फलों की कमी से, और आप ऐसे सब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए **(155)** (जिनकी यह आ़दत है) कि उनपर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वे

(पृष्ठ 40 का शेष) इसलिए उसी को क़िब्ला मुक़र्रर कर दिया। रहा यह कि आपकी ख़ुशी इसमें क्यों थी, वजह इसकी यह मालूम होती है कि आपकी नुबुव्वत की निशानियों में से एक निशानी यह भी थी कि आपके क़िब्ला की यह सम्त होगी। अल्लाह तआ़ला ने आपके नूरानी दिल में उसी के मुवाफ़िक़ तमन्ना पैदा कर दी।

6. आपका ज़ालिम होना मासूम (यानी ख़ता व गुनाहों से महफ़ूज़ होने की वजह से) मुहाल है, इसलिए यह बात कि आप उनके ख़्यालात को जिनमें से एक उनका क़िब्ला भी है, क़ुबूल कर लें मुहाल है।

7. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पहचानने को जो बेटों के पहचानने के मानिन्द बताया है तो तश्बीह यानी मिसाल देने में बेटे के बेटा होने का लिहाज़ नहीं है बल्कि बेटे की सूरत का लिहाज़ किया गया है।

1. क़िब्ला की बहस के शुरू और आख़िर के इत्तिहाद में इशारा है कि काबा का इन नबी की शरीअ़त में क़िब्ला मुक़र्रर होना कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि काबा इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का तामीर किया हुआ है और यह नबी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और इस इमारत के क़ुबूल होने की और इस "बेटे" के रसूल होने की उन्होंने दुआ़ भी की थी, हमने उनकी दोनों दुआ़एँ क़ुबूल कर लीं।

2. ऊपर की आयतों में हक़ तआ़ला की बड़ी-बड़ी नेमतों का ज़िक्र था, इसलिए अगली आयत में नेमत देने वाले (यानी अल्लाह पाक) के ज़िक्र और उनकी नेमत के शुक्र का हुक्म फ़रमाकर ज़िक्र की हुई आयतों के मज़मून को उम्दा तरीक़े से मुकम्मल फ़रमाते हैं।

3. जब सब्र में यह वायदा है तो नामज़ जो उससे बढ़कर है उसमें तो और ज़्यादा यह ख़ुशख़बरी होगी। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 44 पर)**

कहते हैं कि हम तो (मय माल व औलाद हक़ीक़त में) अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं, और हम सब (दुनिया से) अल्लाह तआ़ला के पास जाने वाले हैं। **(156)** उन लोगों पर (अलग-अलग) ख़ास-ख़ास रहमतें भी उनके रब की तरफ़ से होंगी, और (सबपर मुश्तरका) आ़म रहमत भी होगी, और यही लोग हैं जिनकी (असल हक़ीक़त तक) पहुँच हो गई[1] **(157)** यह बात तहक़ीक़ी है कि सफ़ा और मर्वा अल्लाह (के दीन) की यादगारों में से हैं, इसलिए जो शख़्स हज करे (अल्लाह के) घर का, या (उसका) उमरः करे, उसपर ज़रा भी गुनाह नहीं उन दोनों के दरमियान आना-जाना करने में (जिसका नाम "सई" है) और जो शख़्स ख़ुशी से कोई ख़ैर की बात करे तो हक़ तआ़ला (उसकी बड़ी) क़दर-दानी करते हैं, (और उसकी नीयत को) ख़ूब जानते हैं।[2] **(158)** जो लोग छुपाते हैं उन मज़ामीन को जिनको हमने नाज़िल किया है, जो कि (अपनी ज़ात में) वाज़ेह हैं और (दूसरों को) हिदायत देने वाले हैं बाद इसके कि हम उनको (अल्लाह की) किताब (तौरात व इन्जील) में आ़म लोगों पर ज़ाहिर कर चुके हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह तआ़ला भी लानत फ़रमाते हैं और (दूसरे बहुत-से) लानत करने वाले भी उनपर लानत भेजते हैं। **(159)** मगर जो लोग तौबा कर लें और सुधार कर लें और (उन मज़ामीन को) ज़ाहिर कर दें तो ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जह हो जाता हूँ, और मेरी तो आ़दत ही है तौबा क़बूल कर लेना और मेहरबानी फ़रमाना। **(160)** अलबत्ता जो लोग (उनमें से) इस्लाम न लाएँ और इसी ग़ैर-इस्लामी हालत पर मर जाएँ, ऐसे लोगों पर (वह) लानत (जिसका ज़िक्र हुआ) अल्लाह की और फ़रिश्तों की और आदमियों की भी सबकी **(161)** (ऐसे तौर पर बरसा करेगी कि) वे हमेशा-हमेशा उसी (लानत) में रहेंगे। उनसे अ़ज़ाब हल्का न होने पाएगा और न (दाख़िल होने से पहले) उनको मोहलत दी जाएगी।[3] **(162)** और (ऐसा माबूद) जो तुम सबके माबूद बनने का मुस्तहिक़ "यानी हक़दार" है, वह तो एक ही (हक़ीक़ी) माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, (वही) रहमान है और रहीम है।[4] **(163)** ❖

बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने में और एक के बाद एक रात और दिन के आने में और जहाज़ों में जो कि समुंद्रों में चलते हैं, आदमियों के नफ़े की चीज़ें (और असबाब) लेकर और (बारिश के) पानी में जिसको अल्लाह ने आसमान से बरसाया, फिर उससे ज़मीन को तरोताज़ा किया उसके सूख जाने के बाद, और हर क़िस्म के जानदार उसमें फैला दिए, और हवाओं के बदलने में, और बादल में जो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुक़ैयद (और लटका हुआ) रहता है, (तौहीद की) दलीलें (मौजूद) हैं उन लोगों के लिए जो अ़क़्ल (सही सलामत) रखते हैं।[5] **(164)** और एक आदमी वह (भी) हैं जो ख़ुदा तआ़ला के अ़लावा औरों को भी (ख़ुदाई में) शरीक क़रार देते हैं, उनसे ऐसी

(पृष्ठ 42 का शेष) **4.** ऐसे क़त्ल किए गए शख़्स को शहीद कहते हैं, और उसके मुताल्लिक़ अगरचे गह कहना कि वह मर गया सही और जायज़ है लेकिन उसकी मौत को दूसरे मुर्दों के जैसी मौत समझने की मनाही की गई है।

1. यह ख़िताब सारी उम्मत को है, तो सबको समझ लेना चाहिए कि दुनिया मुसीबतों और परेशानियों का घर है, यहाँ के हादसों को अ़जीब और बईद न समझना चाहिए।

2. हज, उमरः और सई का तरीक़ा मसाइल की किताबों में बयान किया गया है, और सई इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक सुन्नते मुसतहिबा है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अ़लैहि व इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक फ़र्ज़ है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक वाजिब है, कि उसके छोड़ने से एक बकरी ज़िब्ह करनी पड़ती है।

3. इस आयत में हक़ के छुपाने पर जो वईद (डाँट-डपट और सज़ा की धमकी) ज़िक्र हुई, हर चन्द कि हर हक़ मामले के बारे में लफ़्ज़ों के एतिबार से आ़म है, लेकिन जुमला "यअ़रिफ़ूनहू कमा यअ़रिफ़ू-न अब्ना-अहुम्" के क़रीने से मक़ाम के ख़ास होने के सबब ज़्यादा मक़सूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत का मसला है, पस इस लिहाज़ से इस आयत में रिसालत के मसले को साबित करना हुआ, चूँकि तौहीद व रिसालत का एतिक़ाद दोनों शरीअ़त में जुड़े हुए हैं, इसलिए अगली आयत में तौहीद के मसले की तक़रीर फ़रमाई जाती है।

4. अ़रब के मुश्रिक लोगों ने जो आयत "इलाहुकुम् इलाहुन् वाहिदुन्" (यानी ऐसा माबूद जो तुम सबके माबूद **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 46 पर)**

मुहब्बत रखते हैं जैसी मुहब्बत अल्लाह से (रखना ज़रूरी) है, और जो मोमिन हैं उनको अल्लाह तआला के साथ क़वी मुहब्बत है,[1] और क्या ख़ूब होता अगर ये ज़ालिम (मुश्रिकीन) जब (दुनिया में) किसी मुसीबत को देखते तो (उसके पेश आने में ग़ौर करके) समझ लिया करते कि सब क़ुव्वत हक़ तआला ही को है, और यह (समझ लिया करते) कि अल्लाह तआला का अ़ज़ाब (आख़िरत में और भी) सख़्त होगा।[2] **(165)** जबकि वे लोग जिनके कहने पर दूसरे चलते थे उन लोगों से साफ़ अलग हो जाएँगे जो उनके कहने पर चलते थे, और सब अ़ज़ाब को देख लेंगे, और आपस में उनमें जो ताल्लुक़ात थे उस वक़्त सब टूट जाएँगे। **(166)** और (जब) ये पैरोकार लोग यूँ कहने लगेंगे कि किसी तरह हम सबको ज़रा एक दफ़ा (दुनिया में) जाना मिल जाए तो हम भी उनसे साफ़ अलग हो जाएँ, जैसा कि ये हमसे (इस वक़्त) साफ़ अलग हो बैठे, अल्लाह तआला यूँ ही उनकी बद-आमालियों को ख़ाली अरमान करके उनको दिखला देंगे, और उनको दोज़ख़ से निकलना भी नसीब न होगा।[3] **(167)** ❖

ऐ लोगो! जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद हैं उनमें से (शरई) हलाल पाक चीज़ों को खाओ (बरतो) और शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर मत चलो, हक़ीक़त में वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। **(168)** वह तो तुमको उन्हीं बातों की तालीम करेगा जो कि (शरई तौर पर) बुरी और गन्दी हैं, और यह (भी तालीम करेगा) कि अल्लाह तआला के ज़िम्मे वे बातें लगाओ जिसकी तुम सनद भी नहीं रखते। **(169)** और जब कोई उन (मुश्रिक) लोगों से कहता है कि अल्लाह तआला ने जो हुक्म भेजा है उसपर चलो, तो कहते हैं (नहीं) बल्कि हम तो उसी (तरीक़े) पर चलेंगे जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है। क्या अगरचे उनके बाप-दादा (दीन की) न कुछ समझ रखते हों और न (किसी आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों।[4] **(170)** और इन काफ़िरों की कैफ़ियत (ना-समझी में) उस (जानवर की) कैफ़ियत के जैसी है कि एक शख़्स है, वह ऐसे (जानवर) के पीछे चिल्ला रहा है जो सिवाय बुलाने और पुकारने के कोई बात नहीं सुनता। (इसी तरह ये कुफ़्फ़ार) बहरे हैं, गूँगे हैं, अन्धे हैं, इसलिए समझते कुछ नहीं। **(171)** ऐ ईमान वालो! जो (शरीअ़त की रू से) पाक चीज़ें हमने तुमको इनायत फ़रमाई हैं, उनमें से (जो चाहो) खाओ (बरतो) और हक़ तआला की शुक्र गुज़ारी करो, अगर तुम ख़ास उनके साथ गुलामी (का ताल्लुक़) रखते हो। **(172)** अल्लाह तआला ने तो तुमपर सिर्फ़ हराम किया है मुर्दार को, और ख़ून को (जो बहता हो) और सुअर के गोश्त को, (इसी

(पृष्ठ 44 का शेष) बनने का हक़दार है, वह तो एक ही हक़ीक़ी माबूद है) अपने अ़क़ीदे के ख़िलाफ़ सुनी तो ताज्जुब से कहने लगे कि कहीं सारे जहान का एक माबूद भी हो सकता है? और अगर यह दावा सही है तो कोई दलील पेश करनी चाहिए। हक़ तआला आगे तौहीद की दलील बयान फ़रमाते हैं।

5. ऊपर की आयतों में तौहीद का सुबूत था, आगे मुश्रिकीन की ग़लती और वईद (डाँट और धमकी) का बयान फ़रमाते हैं।

1. अगर किसी मुश्रिक को यह साबित हो जाए कि मेरे माबूद से मुझपर नुक़सान पड़ेगा तो फ़ौरन मुहब्बत ख़त्म हो जाए, और मोमिन बावजूद इसके कि नफ़े व नुक़सान का पहुँचाने वाला अल्लाह तआला ही को एतिक़ाद करता है, लेकिन फिर भी मुहब्बत व रिज़ा उसकी बाक़ी रहती है।

2. और आख़िरत के अ़ज़ाब को सख़्त फ़रमाया है। आगे उस सख़्ती की कैफ़ियत का बयान फ़रमाते हैं।

3. इस अ़ज़ाब में कई तरह की सख़्ती साबित हुई, हसरत और आग से निकलना न होने की वजह वग़ैरह से। ऊपर मुश्रिकों के अ़क़ीदे के बातिल होने का बयान है, आगे मुश्रिकों के बाज़ आमाल के बातिल होने का बयान है, जैसे साँड का अदब व ताज़ीम वग़ैरह।

4. बाज़ मुश्रिकीन बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे और उनसे फ़ायदा उठाने को, उनकी ताज़ीम के एतिक़ाद की वजह से हराम समझते थे। और अपने इस फ़ेल को हुक्मे इलाही और अल्लाह तआला की रिज़ा का सबब और उन बुतों की सिफ़ारिश के वास्ते से अल्लाह तआला के क़ुर्ब का ज़रिया समझते थे, इस आयत में इसकी मनाही की गई है।

तरह उसके सब अंगों और हिस्सों को भी) और ऐसे जानवर को जो (निकटता हासिल करने के इरादे से) अल्लाह के ग़ैर के लिए नामज़द कर दिया गया हो, फिर भी जो शख़्स (भूख से बहुत ही) बेताब हो जाए, शर्त यह है कि न तो मज़े का तालिब हो और न (ज़रूरत की मात्रा से) आगे बढ़ने वाला हो, तो उस शख़्स पर कोई गुनाह नहीं होता, वाक़ई अल्लाह तआ़ला हैं बड़े बख़्शने वाले, रहम करने वाले।[1] **(173)** इसमें कोई शुब्हा नहीं कि जो लोग अल्लाह की भेजी हुई किताब (के मज़ामीन) को छुपाते हैं और उसके मुआ़वज़े में (दुनिया की) मामूली क़ीमत और फ़ायदा वसूल करते हैं,[2] ऐसे लोग और कुछ नहीं अपने पेट में आग (के अंगारे) भर रहे हैं, और अल्लाह तआ़ला उनसे न तो क़ियामत में (नरमी और मेहरबानी के साथ) कलाम करेंगे और न (गुनाह माफ़ करके) उनकी सफ़ाई करेंगे, और उनको दर्दनाक सज़ा होगी। **(174)** ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने (दुनिया में तो) हिदायत छोड़कर गुमराही इख़्तियार की और (आख़िरत में) मग़फ़िरत छोड़कर अ़ज़ाब (सर पर लिया) सो दोज़ख़ के लिए कैसे हिम्मत वाले हैं। **(175)** ये (सारी ज़िक्र की गई सज़ाएँ उनको) इस वजह से हैं कि अल्लाह ने (उस) किताब को ठीक़-ठीक भेजा था। और जो लोग (ऐसी) किताब में बेराही करें वे बड़ी दूर के इख़्तिलाफ़ में होंगे।[3] ◆ **(176)** ❖

(कुछ सारा) कमाल इसी में नहीं (आ गया) कि तुम अपना मुँह पूरब को कर लो या पश्चिम को,[4] लेकिन (असली) कमाल तो यह है कि कोई शख़्स अल्लाह तआ़ला पर यक़ीन रखे, और क़ियामत के दिन पर, और फ़रिश्तों पर, और (सब आसमानी) किताबों पर, और पैग़म्बरों पर, और माल देता हो अल्लाह की मुहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और (ख़र्च से परेशान) मुसाफ़िरों को और सवाल करने वालों को और गर्दन छुड़ाने में, और नमाज़ की पाबन्दी रखता हो और ज़कात भी अदा करता हो, और जो लोग अपने अ़हदों को पूरा करने वाले हों जब अ़हद कर लें, और (वे लोग) मुस्तक़िल रहने वाले हों तंगदस्ती में और बीमारी में और क़िताल में, ये लोग हैं जो सच्चे (कमाल वाले) हैं, और यही लोग हैं जो (सच्चे) मुत्तक़ी (कहे जा सकते) हैं।[5] **(177)** ऐ

---

1. इस मक़ाम के मुताल्लिक़ चन्द फ़िक़्ही मसाइल हैं। **1:** जिस जानवर का ज़िब्ह करना शरअ़न ज़रूरी हो और वह बिना ज़िब्ह किए हलाक हो जाए वह हराम होता है, और जिस जानवर का ज़िब्ह करना ज़रूरी नहीं हैं वे दो तरह के हैं: एक टिड्डी और मछली, दूसरे जंगली जैसे हिरन वग़ैरह, जबकि उसके ज़िब्ह करने पर ताक़त न हो, तो उसको दूर ही से तीर या और किसी तेज़ हथियार से अगर बिस्मिल्लाह कहकर ज़ख़्मी किया जाए तो हलाल हो जाता है, अलबत्ता बन्दूक़ का शिकार बिना ज़िब्ह किए हलाल नहीं, क्योंकि गोली में धार नहीं होती। **2:** ख़ून जो बहता न हो। इससे दो चीज़ें मुराद हैं: जिगर और तिल्ली, ये हलाल हैं। **3:** ख़िनज़ीर (सुअर) के सब अंग और हिस्से और गोश्त, चर्बी, खाल और पट्ठे वग़ैरह हराम भी हैं और नापाक भी हैं। **4:** जिस जानवर को अल्लाह के ग़ैर के लिए नामज़द इस नीयत से कर दिया हो कि वे हमसे खुश होंगे और हमारी कार्रवाई कर देंगे, वह हराम हो जाता है, अगरचे ज़िब्ह के वक़्त उसपर अल्लाह तआ़ला का नाम लिया हो।

2. ऊपर महसूस होने वाली हराम चीज़ों का ज़िक्र था, इस आयत में उन हराम चीज़ों का बयान है जिन्हें ज़ाहिरी तौर पर महसूस नहीं किया जा सकता, जो यहूदी आ़लिमों की आ़दत थी कि अहकाम ग़लत बयान करके अ़वाम से रिश्वत लेते और खाते थे। तथा इसमें तालीम है उम्मते मुहम्मदिया के आ़लिमों को कि हमने जो कुछ अहकाम बयान किए हैं, किसी नफ़्सानी ग़रज़ और फ़ायदे से उनके बयान व तब्लीग़ में कोताही मत करना।

3. आने वाली आयतों में जो कि सूरः ब-क़रः का बाक़ी का आधा हिस्सा है, ज़्यादा मक़सूद मुसलमानों को बाज़ बुनियादी और कुछ अ़मली चीज़ों की तालीम करना है, अगरचे किसी मज़मून के ताबे होकर ग़ैर-मुस्लिमों को कोई ख़िताब हो जाए। और यह मज़मून सूरः के ख़त्म तक चला गया है, जिसको एक मुख़्तसर उन्वान "बिर्र" से शुरू किया गया है जो कि तमाम ज़ाहिरी व बातिनी नेकियों को आ़म है। और अव्वल आयत में जामे अल्फ़ाज़ से एक तालीम की गई है, आगे इस "बिर्र" की तफ़सील चली है, जिसमें बहुत से अहकाम वक़्त और जगह की ज़रूरत के मुताबिक़ ज़रूरत के बक़द्र बयान फ़रमा कर खुशख़बरी, रहमत और मग़्फ़िरत के वायदे पर ख़त्म फ़रमा दिया।

4. ख़ास सम्तों का किस्सा यहाँ इसलिए बयान हुआ है कि क़िब्ला की तब्दीली के वक़्त पूरी की पूरी बहस यहूद व नसारा की इसी में रह गई थी, इसलिए ख़बरदार फ़रमाया कि इससे बढ़कर और काम हैं उनकी पाबन्दी और एहतिमाम करो।

5. ग़रज़ यह कि दीन के असली मक़ासिद और कमालात ये हैं, नमाज़ में किसी सम्त को मुँह करना इन्हें **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 50 पर)**

ईमान वालो! तुमपर क़िसास "यानी बदले" (का क़ानून) फ़र्ज़ किया जाता है, (जान-बूझकर क़त्ल करने से) क़त्ल किए गए लोगों के बारे में, आज़ाद आदमी आज़ाद अदमी के बदले में और गुलाम गुलाम के बदले में, और औरत औरत के बदले में। हाँ जिसको उसके फ़रीक़ की तरफ़ से कुछ माफ़ी हो जाए (मगर पूरी न हो) तो (दावा करने वाले के ज़िम्मे) माकूल तौर पर (ख़ून की क़ीमत का) मुतालबा करना और (क़ातिल के ज़िम्मे) ख़ूबी के साथ उसके पास पहुँचा देना (है), यह (माफ़ करने और ख़ून की क़ीमत लेने का क़ानून) तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से (सज़ा में) कमी और (शाहाना) रहम करना है। फिर जो शख़्स उसके बाद ज़्यादती करेगा तो उस शख़्स को बड़ा दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। **(178)** और ऐ समझदार लोगो! बदले (के इस क़ानून) में तुम्हारी जानों का बड़ा बचाव है, (हम) उम्मीद (करते हैं) कि तुम लोग (ऐसे अमन वाले क़ानून की ख़िलाफ़-वर्ज़ी करने से) परहेज़ रखोगे। **(179)** तुमपर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब किसी को मौत नज़दीक मालूम होने लगे, शर्त यह है कि कुछ माल भी अपने पीछे छोड़ा हो, तो माँ-बाप और रिश्तेदारों व क़रीबी लोगों के लिए माकूल तौर पर (जो कि कुल मिलाकर एक तिहाई से ज़्यादा न हो) कुछ-कुछ बतला जाए, (इसका नाम वसीयत है) जिनको ख़ुदा का ख़ौफ़ है उनके ज़िम्मे यह ज़रूरी है।[1] **(180)** फिर जो शख़्स उस (वसीयत) के सुन लेने के बाद उसको तब्दील करेगा तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों को होगा जो उसको तब्दील करेंगे, अल्लाह तआ़ला तो यक़ीनन सुनते, जानते हैं। **(181)** हाँ, जिस शख़्स को वसीयत करने वाले की जानिब से किसी बेइन्तिज़ामी की या किसी जुर्म के करने की तहक़ीक़ हुई हो, फिर यह शख़्स उनमें आपस में सुलह-सफ़ाई करा दे तो इसपर कोई गुनाह नहीं, वाक़ई अल्लाह तआ़ला (तो ख़ुद गुनाहों के) माफ़ करने वाले हैं (और गुनाहगारों पर) रहम करने वाले हैं। **(182)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुमपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जिस तरह तुमसे पहले (वाली उम्मतों के) लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, इस उम्मीद पर कि तुम (रोज़े की बदौलत धीरे-धीरे) परहेज़गार बन जाओ।[2] **(183)** थोड़े दिनों (रोज़ा रख लिया करो) फिर (इसमें भी इतनी आसानी है कि) जो शख़्स तुममें (ऐसा) बीमार हो (जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल या नुक़सानदेह हो) या (शरई) सफ़र में हो तो दूसरे दिनों का शुमार (करके उनमें रोज़े) रखना (उसपर वाजिब) है, और (दूसरी आसानी जो बाद में मन्सूख़ हो गई यह है कि) जो लोग (रोज़े की) ताक़त रखते हों उनके ज़िम्मे फ़िदया है (कि वह) एक ग़रीब का खाना (खिला देना या दे देना है), और जो शख़्स ख़ुशी से (ज़्यादा) ख़ैर करे (कि ज़्यादा फ़िदया दे) तो उस शख़्स के लिए और भी बेहतर है। और तुम्हारा रोज़ा रखना (इस हाल में) ज़्यादा बेहतर है अगर तुम (रोज़े की फ़ज़ीलत की) ख़बर रखते हो।[3] **(184)** (वे थोड़े दिन) रमज़ान का महीना है जिसमें क़ुरआन मजीद

(पृष्ठ 48 का शेष) ज़िक्र हुए कमालात में से एक ख़ास कमाल यानी नमाज़ के क़ायम करने की शर्तों और ताबे चीज़ों में से है, और उसके अच्छा होने से इसमें भी अच्छाई और कमाल आ गया, वरना अगर नमाज़ न होती तो किसी ख़ास सम्त को मुँह करना भी इबादत न होता।

1. इस हुक्म के तीन हिस्से थेः एक सिवाय औलाद के अ़लावा वारिसों के हिस्सों व हुक़ूक़ का तर्के में मुक़र्रर न होना। दूसरे ऐसे रिश्तेदारों और क़रीबी लोगों के लिए वसीयत का वाजिब होना। तीसरे एक तिहाई माल से ज़्यादा वसीयत की इजाज़त न होना। पस पहला हिस्सा तो मीरास की आयत से मन्सूख़ है, दूसरा हिस्सा हदीस से जो कि इज्मा के ज़रिए ताईद-शुदा है मन्सूख़ है, और वाजिब होने के साथ जायज़ होना भी मन्सूख़ हो गया, यानी शरई वारिस के लिए माल की वसीयत बातिल है। तीसरा हिस्सा अब भी बाक़ी है, एक तिहाई से ज़्यादा में बिना बालिग़ वारिसों की रज़ामन्दी के वसीयत बातिल है।

2. रोज़ा रखने से नफ़्स को उसके अनेक तक़ाज़ों से रोकने की आ़दत पड़ेगी, और इसी आ़दत की पुख़्तगी तक़्वे की बुनियाद है। यह रोज़े की एक हिक्मत का बयान है, लेकिन हिक्मत इसी में सीमित नहीं हो गई, ख़ुदा जाने और क्या-क्या हज़ारों हिक्मतें होंगी।

3. अब यह हुक्म मन्सूख़ है, अलबत्ता जो शख़्स बहुत बूढ़ा हो या ऐसा बीमार हो कि अब सेहत की उम्मीद नहीं, ऐसे लोगों के लिए यह हुक्म अब भी है।

भेजा गया है,[1] जिसका (एक) वसफ़ 'यानी ख़ूबी' यह है कि लोगों के लिए हिदायत (का ज़रिया) है, और (दूसरा वसफ़) वाज़ेह दलालत करने वाला है उन सब किताबों में जो कि हिदायत (का ज़रिया भी) हैं और (हक़ व बातिल में) फ़ैसला करने वाली (भी) हैं। सो जो शख़्स इस महीने में मौजूद हो उसको ज़रूर इस (महीने) में रोज़ा रखना चाहिए, और जो शख़्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों का (उतना ही) शुमार (करके उनमें रोज़ा) रखना (उसपर वाजिब) है। अल्लाह को तुम्हारे साथ (अहकाम में) आसानी करना मन्ज़ूर है, और तुम्हारे साथ (अहकाम व क़वानीन मुक़र्रर करने में) दुश्वारी मन्ज़ूर नहीं, और ताकि तुम लोग (अदा या क़ज़ा के दिनों के) शुमार को पूरा कर लिया करो, (कि सवाब में कमी न रहे) इसलिए तुम लोग अल्लाह की बड़ाई (व तारीफ़) बयान किया करो, इसपर कि तुमको (एक ऐसा) तरीक़ा बतला दिया (जिससे तुम रमज़ान की बरकतों और फ़ायदों से महरूम न रहोगे) और (उज़्र की वजह से ख़ास रमज़ान में रोज़े न रखने की इजाज़त इसलिए दे दी) ताकि तुम लोग (इस आसानी की नेमत पर अल्लाह का) शुक्र अदा किया करो। **(185)** और जब आपसे मेरे बन्दे मेरे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करें तो (आप मेरी तरफ़ से फ़रमा दीजिए कि) मैं क़रीब ही हूँ, (और नामुनासिब दरख़्वास्त को छोड़कर) मन्ज़ूर कर लेता हूँ (हर) अर्ज़ी दरख़्वास्त करने वाले की, जबकि वह मेरे हुज़ूर में दरख़्वास्त दे, सो उनको चाहिए कि मेरे अहकाम को क़बूल किया करें और मुझपर यक़ीन रखें, उम्मीद है कि वे लोग हिदायत (व फ़लाह) हासिल कर सकेंगे।[2] **(186)** तुम लोगों के लिए रोज़े की रात में अपनी बीवियों से मश्ग़ूल होना हलाल कर दिया गया, क्योंकि वे तुम्हारे ओढ़ने-बिछौने (की जगह) हैं, और तुम उनके ओढ़ने-बिछौने (जैसे) हो, ख़ुदा तआला को इसकी ख़बर थी कि तुम ख़ियानत (कर) के गुनाह में अपने को मुब्तला कर रहे थे, (मगर) ख़ैर अल्लाह तआला ने तुमपर इनायत फ़रमाई और तुमसे गुनाह को धो दिया।[3] सो अब उनसे मिलो-मिलाओ, और जो (इजाज़त का क़ानून) अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए तजवीज़ कर दिया है (बिला तकल्लुफ़) उसका सामान करो, और खाओ और पियो (भी) उस वक़्त तक कि तुमको सफ़ेद ख़त (यानी सुबहे सादिक़ का नूर) अलग मालूम हो जाए काले ख़त से।[4] फिर (सुबहे सादिक़ से) रात तक रोज़ा पूरा किया करो, और उन (बीवियों) से अपना बदन भी मत मिलने दो जिस ज़माने में कि तुम लोग एतिकाफ़ वाले हो मस्जिदों में।[5] ये ख़ुदाई ज़ाबते हैं, सो इन (से निकलने) के नज़दीक भी मत हो, इसी तरह अल्लाह तआला अपने (और) अहकाम (भी) लोगों (की इस्लाह) के वास्ते बयान फ़रमाते हैं, इस उम्मीद पर कि वे लोग (बाख़बर होकर ख़िलाफ़ करने से) परहेज़ रखें। **(187)** और आपस में एक-दूसरे के माल नाहक़ (तौर पर) मत खाओ, और उन (के झूठे

---

1. क़ुरआन मजीद में दूसरी आयत में आया है कि हमने क़ुरआन मजीद शबे क़दर में नाज़िल फ़रमाया, और यहाँ रमज़ान शरीफ़ में नाज़िल करना फ़रमाया है। सो वह शबे क़दर रमज़ान की थी, इसलिए दोनों मज़मून मुवाफ़िक़ हो गए। और अगर यह वस्वसा हो कि क़ुरआन मजीद तो कई साल में थोड़ा-थोड़ा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुआ है फिर रमज़ान या शबे क़दर में नाज़िल फ़रमाने के क्या मायने? इसका जवाब यह है कि क़ुरआन लौहे-महफ़ूज़ से दुनिया के आसमान पर एक ही बार में रमज़ान की शबे क़दर में नाज़िल हो चुका था, फिर दुनिया के आसमान से दुनिया में धीरे-धीरे कई साल में नाज़िल हुआ। पस इसमें भी इख़्तिलाफ़ और टकराव न रहा।
2. यह जो फ़रमाया कि मैं क़रीब हूँ तो जिस तरह हक़ तआला की ज़ात की हक़ीक़त बेनज़ीर व बेमिस्ल होने की वजह से महसूस नहीं की जा सकती, उसी तरह उनकी सिफ़ात की हक़ीक़त भी मालूम नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी चीज़ों में ज़्यादा खोज-बीन जायज़ नहीं।
3. शुरू इस्लाम में यह हुक्म था कि रात को एक बार नींद आ जाने से आँख खुलने के बाद खाना-पीना और बीवी के पास जाना हराम हो जाता था। कुछ सहाबा से ग़ल्बे में इस हुक्म के पूरा करने में कोताही हो गई, फिर शर्मिन्दा होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इत्तिला की। उनकी शर्मिन्दगी और तौबा पर हक़ तआला ने रहमत फ़रमाई और इस हुक्म को मन्सूख़ कर दिया।
4. मुराद अलग और फ़र्क़ मालूम होने से यह है कि सुबह सादिक़ निकल आए।
5. एतिकाफ़ की हालत में बीवी के साथ सोहबत और इसी तरह चूमना और लिपटाना सब हराम है। एतिकाफ़ सिर्फ़ ऐसी मस्जिद में जायज़ है जिसमें पाँचों वक़्त जमाअ़त से नमाज़ का इन्तिज़ाम हो। जो एतिकाफ़ रमज़ान में न हो उसमें भी रोज़ा शर्त है। एतिकाफ़ वाले को मस्जिद से किसी वक़्त बाहर निकलना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता जो काम बहुत ही लाचारी के हैं जैसे पाख़ाना या कोई खाना लाने वाला न हो तो घर से खाना ले आना या जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ के लिए बाहर जाना दुरुस्त है, लेकिन घर या रास्ते में ठहरना दुरुस्त नहीं। अगर औ़रत एतिकाफ़ करना चाहे तो जो जगह उसकी नमाज़ पढ़ने की मुक़र्रर है उसी जगह एतिकाफ़ भी दुरुस्त है।

मुक़द्दमे) को हाकिमों के यहाँ इस ग़रज़ से रुजू मत करो कि (उसके ज़रिए से) लोगों के मालों का एक हिस्सा गुनाह के तरीक़े पर (यानी ज़ुल्म से) खा जाओ और तुमको (अपने झूठ और ज़ुल्म का) इल्म भी हो। **(188)** ❖

आपसे चाँदों के हालात की तहक़ीक़ात करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि वह (चाँद) वक़्तों के पहचानने का आला "यानी यन्त्र" है, लोगों (के इख़्तियारी मामलात जैसे इद्दत और हुक़ूक़ के मुतालबे) के लिए, (और ग़ैर-इख़्तियारी इबादात जैसे रोज़ा, ज़कात वग़ैरह) और हज के लिए।[1] और इसमें कोई फ़ज़ीलत नहीं कि घरों में उनकी पुश्त की तरफ़ से आया करो, हाँ लेकिन फ़ज़ीलत यह है कि कोई शख़्स (हराम चीज़ों से) बचे, और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ,[2] और ख़ुदा तआ़ला से डरते रहो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। **(189)** और (बेतकल्लुफ़) तुम लड़ो अल्लाह की राह में, उन लोगों के साथ जो (अ़हद को तोड़ कर) तुम्हारे साथ लड़ने लगें और (अपनी तरफ़ से मुआ़हदे की) हद से न निकलो। वाक़ई अल्लाह तआ़ला (शरई क़ानून की) हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते। **(190)** और (जिस हालत में वे ख़ुद अ़हद तोड़ें उस वक़्त चाहे) उनको क़त्ल करो जहाँ उनको पाओ और (चाहे) उनको निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुमको निकलने पर मजबूर किया है, और शरारत क़त्ल से भी ज़्यादा सख़्त है, और उनके साथ मस्जिदे हराम के (आस) पास में (जो कि हरम कहलाता है) क़िताल मत करो जब तक कि वे लोग वहाँ तुमसे ख़ुद न लड़ें। हाँ अगर वे (काफ़िर लोग) ख़ुद ही लड़ने का सामान करने लगें तो तुम (भी) उनको मारो, ऐसे काफ़िरों की (जो हरम में लड़ने लगें) ऐसी ही सज़ा है। **(191)** फिर अगर वे लोग (अपने कुफ़्र से) बाज़ आ जाएँ (और इस्लाम क़बूल कर लें) तो अल्लाह तआ़ला बख़्श देंगे और मेहरबानी फ़रमा देंगे। **(192)** और उनके साथ इस हद तक लड़ो कि अ़क़ीदे का बिगाड़ (यानी शिर्क) न रहे और (उनका) दीन (ख़ालिस) अल्लाह ही का हो जाए। और अगर वे लोग कुफ़्र से बाज़ आ जाएँ तो सख़्ती किसी पर नहीं हुआ करती सिवाय बेइन्साफ़ी करने वालों के। **(193)** हुर्मत वाला महीना है हुर्मत वाले महीने के बदले, और (ये) हुर्मतें तो बदला मुआवज़ा (की चीज़ें) हैं, सो जो तुमपर ज़्यादती करे तो तुम भी उसपर ज़्यादती करो जैसी उसने तुमपर ज़्यादती की है, और अल्लाह से डरते रहो और यक़ीन कर लो कि अल्लाह तआ़ला डरने वालों के साथ होते हैं।[3] **(194)** और तुम लोग (जान के साथ माल भी) ख़र्च किया करो अल्लाह की राह में, और अपने आपको अपने हाथों तबाही में मत डालो,[4] और काम अच्छी तरह किया करो बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला पसन्द करते हैं अच्छी तरह काम करने

1. शरीअ़त ने बुनियादी तौर पर चाँद के हिसाब पर अहकाम व इबादतों का मदार रखा है कि सबका जमा होना व इत्तिफ़ाक़ इन उमूर में सहूलत से मुम्किन हो, फिर कुछ अहकाम में तो इस हिसाब पर लाज़िम कर दिया है कि उनमें दूसरे हिसाब पर मदार रखना जायज़ ही नहीं, जैसे हज, रमज़ान के रोज़े, दोनों ईद, ज़कात और इद्दत व तलाक़ वग़ैरह। और कुछ में अगरचे इख़्तियार दिया है, जैसे कोई चीज़ ख़रीदी और वायदा ठहरा कि इस वक़्त से एक साल सूरज के हिसाब से गुज़रने पर क़ीमत अदा करेंगे, इसमें शरीअ़त ने मजबूर नहीं किया कि चाँद के हिसाब से साल पूरा हो जाने पर मुतालबे का हक़ हो जाएगा। लेकिन इसमें शक नहीं है कि अगर शुरू में चाँद के हिसाब पर मदार रखा जाए तो आ़म तौर पर सहूलत उसमें है।

2. कई लोग इस्लाम से पहले हज के एहराम की हालत में अगर किसी ज़रूरत से घर जाना चाहते तो दरवाज़े से जाना मना समझते, इसलिए पीछे की दीवार में नक़ब देकर उसमें से अन्दर जाते थे, और इस अ़मल को फ़ज़ीलत का सबब समझते थे। हक़ तआ़ला इसके मुताल्लिक़ इर्शाद फ़रमाते हैं कि इसमें कोई फ़ज़ीलत नहीं कि घरों में उनकी पुश्त की तरफ़ से आया करो। इससे एक बड़े काम की बात मालूम होती है कि जो चीज़ शरीअ़त में मुबाह हो उसको नेकी व इबादत एतिक़ाद कर लेना इसी तरह उसको गुनाह और मलामत का मौक़ा एतिक़ाद कर लेना शरअ़न् बुरा है और बिद्अ़त में दाख़िल है।

3. काफ़िरों के साथ क़िताल करने की पहल करना जायज़ है जबकि उसके जायज़ होने की शर्तें पाई जाएँ। जज़ीरा-ए-अ़रब के अन्दर कुफ़्फ़ार को वतन बनाने की इजाज़त नहीं।

4. यह जो फ़रमाया है कि "अपने हाथों" इस क़ैद लगाने का हासिल यह है कि अपने इख़्तियार से कोई काम ख़िलाफ़े हुक्म न करे, और जो बिना इरादे व इख़्तियार के कुछ हो जाए तो वह माफ़ है।

वालों को। **(195)** और (जब हज व उमरः करना हो तो उस) हज व उमरे को अल्लाह तआला के वास्ते पूरा-पूरा अदा किया करो। फिर अगर (किसी दुश्मन या बीमारी के सबब) रोक दिए जाओ तो क़ुर्बानी का जानवर जो कुछ मयस्सर हो (ज़िब्ह करो) और अपने सरों को उस वक़्त तक न मुंडवाओ जब तक कि क़ुर्बानी अपनी जगह पर न पहुँच जाए, (और वह जगह हरम है, कि किसी के हाथ वहाँ जानवर भेज दिया जाए)। अलबत्ता अगर तुममें से कोई बीमार हो या उसके सर में कुछ तकलीफ़ हो, (जिससे पहले ही सर मुंडाने की ज़रूरत पड़ जाए) तो (वह सर मुँडवाकर) फ़िदया (यानी उसका शरई बदला) दे दे (तीन) रोज़े से या (छह मिस्कीनों को) ख़ैरात दे देने या (एक बकरी) ज़िब्ह कर देने से, फिर जब अमन की हालत में हो (या तो पहले ही से कोई ख़ौफ़ पेश न आया हो, या होकर जाता रहा हो) तो जो शख़्स उमरः से उसको हज के साथ मिलाकर मुनतफ़ा हुआ हो (यानी हज के दिनों में उमरः भी किया हो) तो जो कुछ क़ुर्बानी मयस्सर हो (ज़िब्ह) करे, (और जिसने सिर्फ़ उमरः या सिर्फ़ हज किया हो, उसपर हज वग़ैरह के मुताल्लिक़ कोई क़ुर्बानी नहीं)। फिर जिस शख़्स को क़ुर्बानी का जानवर मयस्सर न हो तो (उसके ज़िम्मे) तीन दिन के रोज़े हैं हज (के दिनों) में, और सात हैं जबकि (हज से) तुम्हारे लौटने का वक़्त आ जाए, ये पूरे दस हुए। यह उस शख़्स के लिए है जिसके अहल (व अ़याल) ''यानी बाल-बच्चे और घर वाले'' मस्जिदे हराम (यानी काबा) के क़रीब में न रहते हों (यानी क़रीब का वतन रखने वाला न हो) और अल्लाह तआला से डरते रहो (कि किसी बात में हुक्म के ख़िलाफ़ न हो जाए) और जान लो कि बेशक अल्लाह तआला (बेबाकी और मुख़ालफ़त करने वालों को) सख़्त सज़ा देते हैं।[1] **(196)** ❖

हज (का ज़माना) चन्द महीने हैं जो मालूम हैं, (शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा की दस तारीख़ें) सो जो शख़्स इनमें हज मुक़र्रर करे तो फिर (उसको) न कोई गन्दी बात (जायज़) है और न कोई नाफ़रमानी (दुरुस्त) है, और न किसी क़िस्म का झगड़ा (मुनासिब) है। हज में[2] जो नेक काम करोगे ख़ुदा तआला को उसकी इत्तिला होती है, और (जब हज को जाने लगो) ख़र्च ज़रूर ले लिया करो क्योंकि सबसे बड़ी बात ख़र्च में (भीख माँगने से) बचा रहना है, और ऐ अ़क़्ल वालो! मुझसे डरते रहो।[3] **(197)** तुमको इसमें ज़रा भी गुनाह नहीं कि (हज में) रोज़ी की तलाश करो,[4] जो तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से है, फिर जब तुम लोग अ़रफ़ात से वापस आने लगो तो मश्अ़रे हराम के पास (मुज़दलिफ़ा में रात को ठहर करके) ख़ुदा तआला की याद करो,[5] और (इस तरह) याद करो जिस तरह तुमको बतला रखा है, (न यह कि अपनी राय को दख़ल दो) और हक़ीक़त में इससे पहले तुम महज़ अन्जान ही थे। **(198)** फिर तुम सबको ज़रूरी है कि उसी जगह होकर वापस आओ जहाँ और लोग जाकर वहाँ से वापस आते हैं, और (हज के अहकाम में पुरानी रस्मों पर अ़मल करने से) अल्लाह के सामने तौबा करो, यक़ीनन अल्लाह

1. औ़रत को सर मुंडाना हराम है, वह सिर्फ़ एक-एक उंगल बाल काट डाले। हज तीन तरह का होता है: ''इफ़राद'' कि हज के दिनों में सिर्फ़ हज किया जाए। और ''तमत्तो'' और ''क़िरान'' जिनमें हज के दिनों में उमरः और हज दोनों किए जाएँ। इफ़राद हर शख़्स को जायज़ है और तमत्तो और क़िरान सिर्फ़ उन लोगों को जायज़ है जो ''मीक़ात'' की हदों से बाहर रहते हैं। और जो लोग ''मीक़ात'' के अन्दर रहते हैं उनके लिए तमत्तो और क़िरान की इजाज़त नहीं है।

2. गन्दी और बेहूदा बातें दो तरह की हैं: एक वह जो पहले ही से हराम है, वह हज की हालत में ज़्यादा हराम होगी। दूसरे वह कि पहले से हलाल थी जैसे अपनी बीवी से बेपर्दगी की बातें करना, हज में यह भी दुरुस्त नहीं।

3. बेख़र्च लिए हुए ऐसे शख़्स को हज को जाना दुरुस्त नहीं जिसके नफ़्स में तवक्कुल की ताक़त न हो।

4. हज में तिजारत यक़ीनन मुबाह (जायज़ और दुरुस्त) है, अब रही यह बात कि इख़्लास के ख़िलाफ़ तो नहीं, सो इसमें इसका हुक्म और जायज़ चीज़ों की तरह है कि दारो-मदार नीयत पर होता है।

5. ज़माना-ए-जाहिलियत में क़ुरैश अ़रफ़ात में न जाते थे, मुज़दलिफ़ा ही में ठहर कर वहाँ से लौट आते थे, इसलिए अल्लाह तआला ने इस आयत में इन अहकाम का आ़म होना बतला दिया।

तआ़ला माफ़ कर देंगे (और) मेहरबानी फ़रमा देंगे। **(199)** फिर जब तुम अपने हज के आमाल पूरे कर चुको तो हक़ तआ़ला का (इस तरह) ज़िक्र किया करो जिस तरह तुम अपने बापों (और दादाओं) का ज़िक्र किया करते हो, बल्कि यह ज़िक्र उससे (कई दरजे) बढ़कर हो।[1] सो बाज़े आदमी (जो कि काफ़िर हैं) ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार हमको (जो कुछ देना हो) दुनिया में दे दीजिए, और ऐसे शख़्स को आख़िरत में (आख़िरत के इनकार करने की वजह से) कोई हिस्सा न मिलेगा। **(200)** और बाज़े आदमी (जो कि मोमिन हैं) ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको दुनिया में भी बेहतरी इनायत कीजिए और आख़िरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचाइए। **(201)** ऐसे लोगों को (दोनों जहान में) बड़ा हिस्सा मिलेगा उनके अ़मल की बदौलत, और अल्लाह तआ़ला जल्द ही हिसाब लेने वाले हैं।[2] ● **(202)** और अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करो कई दिन तक, फिर जो शख़्स दो दिन में (मक्का वापस आने में) जल्दी करे उसपर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो शख़्स (दो दिन में) ताख़ीर "यानी देरी" करे उसपर भी कुछ गुनाह नहीं उस शख़्स के लिए जो (ख़ुदा से) डरे, और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और ख़ूब यक़ीन रखो कि तुम सबको ख़ुदा के ही पास जमा होना है। **(203)** और बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि आपको उसकी गुफ़्तगू जो सिर्फ़ दुनियावी ग़रज़ से होती है मज़ेदार मालूम होती है और वह अल्लाह तआ़ला को हाज़िर व नाज़िर बताता है अपने दिल की बात पर, हालाँकि वह (आपकी) मुख़ालफ़त में (बहुत ही) सख़्त है। **(204)** और जब पीठ फेरता है तो इस दौड़-धूप में फिरता रहता है कि शहर में फ़साद करे और (किसी के) खेत या मवेशी को बर्बाद कर दे, और अल्लाह तआ़ला फ़साद को पसन्द नहीं फ़रमाते। **(205)** और जब उससे कोई कहता है कि ख़ुदा का ख़ौफ़ कर, तो घमंड उसको उस गुनाह पर (दुगना) आमादा कर देता है, सो ऐसे शख़्स की काफ़ी सज़ा जहन्नम है, और वह बुरा ही ठिकाना है।[3] **(206)** और बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि अल्लाह की रिज़ा हासिल करने में अपनी जान तक ख़र्च कर डालता है, और अल्लाह (ऐसे) बन्दों (के हाल) पर निहायत मेहरबान हैं। **(207)** ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे-पूरे दाख़िल हो, और (फ़ासिद ख़्यालात में पड़कर) शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर मत चलो, वाक़ई वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। **(208)** फिर अगर तुम इसके बाद कि तुमको वाज़ेह दलीलें पहुँच चुकी हैं (सीधे रास्ते से) बहकने लगो तो यक़ीन रखो कि हक़ तआ़ला बड़े ज़बरदस्त हैं (और) हिक्मत वाले हैं। **(209)** ये (टेढ़ी राह चलने वाले) लोग इस बात के मुन्तज़िर (मालूम होते) हैं कि हक़ तआ़ला और फ़रिश्ते बादल के छज्जों में उनके पास (सज़ा देने के लिए) आएँ और सारा क़िस्सा ही ख़त्म हो जाए, और ये सारे मुक़द्दमे अल्लाह तआ़ला ही की तरफ़ लौटाए जाएँगे।[4] **(210)** ❖

---

1. आयत में जो हुक्म याद का फ़रमाया इसमें नमाज़ें भी दाख़िल हैं। पस यह ज़िक्र तो वाजिब है, बाक़ी ज़िक्र जो कुछ करे मुस्तहब है।
2. हासिल यह है कि दुनिया तलब की जगह है, ख़ुद मतलूब नहीं बल्कि मतलूब बेहतरी है।
3. कोई शख़्स था अख़्नस बिन शुरैक़, बड़ा फ़सीह व बलीग़ था। वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर क़स्में खा-खाकर झूठा इस्लाम का दावा किया करता और मज्लिस से उठकर जाता तो फ़साद व शरारत और मख़्लूक़ को तकलीफ़ पहुँचाने में लग जाता था। उस मुनाफ़िक़ के बारे में ये आयतें नाज़िल हुईं।
4. रूहुल-मआ़नी में इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसे पाक नक़ल की गई है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला तमाम अगलों और पिछलों को जमा फ़रमाएँगे और सब हिसाब किताब के मुन्तज़िर होंगे। अल्लाह तआ़ला बादल के सायबानों (साया करने वालों) में अ़र्श से तजल्ली फ़रमाएँगे। और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत नक़ल की है कि उन सायबानों के चारों तरफ़ फ़रिश्ते होंगे, सो आयत में इस क़िस्से की तरफ़ इशारा है। मतलब यह हुआ कि क़ियामत के मुन्तज़िर हैं फिर उस वक़्त क्या हो सकता है?

आप बनी इसराईल (के उलमा) से (ज़रा) पूछिए (तो सही) कि हमने उनको कितनी वाज़ेह दलीलें दी थीं,[1] और जो शख़्स अल्लाह तआला की नेमत को बदलता है उसके पास पहुँचने के बाद, तो हक़ तआला यक़ीनन सख़्त सज़ा देते हैं।[2] **(211)** दुनियावी ज़िन्दगी कुफ़्फ़ार को अच्छी और ख़ुशनुमा मालूम होती है, और (इसी वजह से) इन मुसलमानों से ठट्ठा-मज़ाक़ करते हैं, हालाँकि ये (मुसलमान) जो (कुफ़्र व शिर्क से) बचते हैं, उन (काफ़िरों) से आला दर्जे में होंगे क़ियामत के दिन, और रोज़ी तो अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं बेहिसाब दे देते हैं।[3] **(212)** (एक ज़माने में) सब आदमी एक ही तरीक़े के थे[4] फिर अल्लाह तआला ने पैग़म्बरों को भेजा, जो कि ख़ुशी (के वायदे) सुनाते थे और डराते थे और उनके साथ (आसमानी) किताबें भी ठीक तौर पर नाज़िल फ़रमाईं, इस ग़रज़ से कि अल्लाह तआला लोगों में उनके (मज़हबी) इख़्तिलाफ़ी मामलों में फ़ैसला फ़रमा दें, और इस (किताब) में (यह) इख़्तिलाफ़ और किसी ने नहीं किया मगर सिर्फ़ उन लोगों ने जिनको (शुरू में) वह (किताब) मिली थी, उसके बाद कि उनके पास वाज़ेह दलीलें पहुँच चुकी थीं, आपसी ज़िद्दा-ज़िद्दी की वजह से। फिर अल्लाह तआला ने (हमेशा) ईमान वालों को वह हक़ अम्र "यानी बात और मामला" जिसमें इख़्तिलाफ़ करने वाले इख़्तिलाफ़ किया करते थे, अपने फ़ज़्ल व करम से बतला दिया, और अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं उसको सही रास्ता बतला देते हैं। **(213)** (दूसरी बात सुनो) क्या तुम्हारा यह ख़्याल है कि जन्नत में (मशक़्क़त उठाए बग़ैर) जा दाख़िल होंगे, हालाँकि तुमको अभी उन (मुसलमान) लोगों के जैसा कोई अ़जीब वाक़िआ पेश नहीं आया जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं, उनपर (मुख़ालिफ़ों के सबब) ऐसी-ऐसी तंगी और सख़्ती पेश आई और (मुसीबतों से) उनको यहाँ तक हिलाया गया कि (उस ज़माने के) पैग़म्बर तक और जो उनके साथ ईमान वाले थे, बोल उठे कि अल्लाह तआला की (वायदा की गई) इम्दाद कब होगी।[5] याद रखो बेशक अल्लाह तआला की इम्दाद (बहुत) नज़दीक है। **(214)** लोग आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ ख़र्च किया करें? आप फ़रमा दीजिए कि जो कुछ माल तुमको ख़र्च करना हो सो माँ-बाप का हक़ है[6] और रिश्तेदारों व क़रीबी लोगों का, और बेबाप के बच्चों का, और मोहताजों का, और मुसाफ़िर का, और जो भी नेक काम करोगे सो अल्लाह तआला को उसकी ख़ूब ख़बर है। (वह उसपर सवाब देंगे) **(215)** जिहाद करना तुमपर फ़र्ज़

---

1. जैसे तौरात मिली, चाहिए था कि उसको क़बूल करते मगर उसका इनकार किया। आख़िर तूर पहाड़ गिराने की धमकी दी गई। और जैसे हक़ तआला का कलाम सुना, चाहिए था कि सर-आँखों पर रखते, मगर शुब्हात निकाले। आख़िर बिजली से हलाक हुए। और जैसे दरिया को फाड़कर के फ़िरऔन से नजात दी गई, एहसान मानते, मगर गौसाला को पूजना शुरू कर दिया, तो क़त्ल की सज़ा दी गई। और जैसे "मन्न" व "सलवा" नाज़िल हुआ, शुक्र करना चाहिए था, मगर नाफ़रमानी की, वह सड़ने लगा और उससे नफ़रत ज़ाहिर की तो वह बन्द हो गया (यानी अल्लाह की तरफ़ से उसका अ़ता करना बंद कर दिया गया) और खेती की मुसीबत सर पर पड़ी। और जैसे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का सिलसिला उनमें जारी रहा, ग़नीमत समझते, मगर उनको क़त्ल करना शुरू किया, हुकूमत से महरूमी की सज़ा दी गई। और इसी तरह बहुत-से मामलात इस सूरः अल-बक़रः के शुरू में भी ज़िक्र हो चुके हैं।
2. यह सज़ा कभी दुनिया में भी हो जाती है, कभी आख़िरत में होगी।
3. पस इसका मदार क़िस्मत पर है न कि कमाल और मक़बूलियत पर।
4. अव्वल दुनिया में आदम अ़लैहिस्सलाम मय अपनी बीवी के तशरीफ़ लाए और जो औलाद होती गई उनको दीने हक़ की तालीम फ़रमाते रहे, और वे उनकी तालीम पर अ़मल करते रहे। एक मुद्दत इसी हालत में गुज़र गई, फिर तबीयतों के मुख़्तलिफ़ और अलग-अलग होने से मक़सद और ग़रज़ में इख़्तिलाफ़ होना शुरू हुआ, यहाँ तक कि एक मुद्दत के बाद आमाल व अ़क़ीदों में इख़्तिलाफ़ की नौबत आ गई।
5. नबियों और मोमिनों का इस तरह कहना नऊज़ु बिल्लाह (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) शक की वजह से न था, बल्कि वजह यह थी कि इम्दाद आने और मुख़ालिफ़ीन के मुक़ाबले में ग़ालिब होने का वक़्त उन हज़रात को न बतलाया गया था, वक़्त के साफ़ बयान न होने से उनको जल्दी होने का इन्तिज़ार रहता था। जब इन्तिज़ार से थक जाते तब इस तरह अ़र्ज़ व दरख़्वास्त करने लगते, जिसका हासिल गिड़गिड़ाने के साथ दुआ करना है, और रोना-गिड़गिड़ाना ख़िलाफ़े रिज़ा व तस्लीम नहीं है, बल्कि जब गिड़गिड़ाने और आ़जिज़ी करने का अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्दीदा होना रिज़ा-ए-हक़ से है तो रोना और गिड़गिड़ाना बिलकुल हक़ की रिज़ा से है।
6. माँ-बाप को ज़कात और दूसरे वाजिब सदक़ात देना दुरुस्त नहीं। इस आयत में नफ़िल ख़ैरात का बयान है।

किया गया है और वह तुमको (तबई तौर पर) गिराँ "यानी भारी और नागवार" (मालूम होता) है, और यह बात मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को गिराँ समझो और वह तुम्हारे हक़ में ख़ैर हो, और यह (भी) मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो और वह तुम्हारे हक़ में ख़राबी (का सबब) हो। और अल्लाह तआला जानते हैं और तुम (पूरा-पूरा) नहीं जानते।[1] **(216)** ❖

लोग आपसे हराम महीने में क़िताल करने के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि उसमें ख़ास तौर पर क़िताल करना (यानी जान-बूझकर) बड़ा जुर्म है, और अल्लाह की राह से रोक-टोक करना और अल्लाह तआला के साथ कुफ़्र करना और मस्जिदे हराम (यानी काबा) के साथ, और जो लोग मस्जिदे हराम के अहल थे उनको उससे ख़ारिज कर देना बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़दीक, और फ़ितना उठाना (उस ख़ास) क़त्ल से कई दर्जे बढ़कर है,[2] और ये कुफ़्फ़ार तुम्हारे साथ हमेशा जंग रखेंगे इस ग़रज़ से कि अगर (ख़ुदा न करे) क़ाबू पाएँ तो तुमको तुम्हारे दीन (इस्लाम) से फेर दें, और जो शख़्स तुममें से अपने दीन से फिर जाए, फिर काफ़िर ही होने की हालत में मर जाए तो ऐसे लोगों के (नेक) आमाल दुनिया व आख़िरत में सब ग़ारत हो जाते हैं[3] और ऐसे लोग दोज़ख़ी होते हैं, (और) ये लोग दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे। **(217)** हक़ीक़त में जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों ने राहे ख़ुदा में वतन छोड़ा हो और जिहाद किया हो, ऐसे लोग तो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हुआ करते हैं, और अल्लाह तआला (इस ग़लती को) माफ़ कर देंगे (और तुमपर) रहमत करेंगे। **(218)** लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि इन दोनों (के इस्तेमाल) में गुनाह की बड़ी-बड़ी बातें भी हैं और लोगों को (बाज़े) फ़ायदे भी हैं, और (वे) गुनाह की बातें उनके फ़ायदों से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं।[4] और लोग आपसे पूछते हैं कि (ख़ैर-ख़ैरात में) कितना ख़र्च किया करें, आप फ़रमा दीजिए कि जितना आसान हो, अल्लाह तआला इसी तरह अहकाम को साफ़-साफ़ बयान फ़रमाते हैं। **(219)** ताकि तुम दुनिया व आख़िरत के मामलों में सोच लिया करो। और लोग आपसे यतीम बच्चों का हुक्म पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि उनकी मस्लहत की रियायत रखना ज़्यादा बेहतर है, और अगर तुम उनके साथ ख़र्च शामिल रखो तो वे तुम्हारे (दीनी) भाई हैं, और अल्लाह तआला मस्लहत के ज़ाया करने वाले को और मस्लहत की रियायत रखने वाले को (अलग-अलग) जानते हैं,[5] और अगर अल्लाह चाहते तो तुमको मुसीबत में डाल देते, क्योंकि अल्लाह तआला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। **(220)** और

---

1. जिहाद फ़र्ज़ है जबकि उसकी वे शर्तें पाई जाएँ जो मसाइल की किताबों (फ़िक़्ह) में ज़िक्र हुई हैं। और फ़र्ज़ दो तरह का होता है: फ़र्ज़े अैन और फ़र्ज़े किफ़ाया। सो दीन के दुश्मन जब मुसलमानों पर चढ़ आएँ तब तो जिहाद फ़र्ज़े अैन है, वरना फ़र्ज़े किफ़ाया है।

2. हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कुछ सहाबा का एक सफ़र में इत्तिफ़ाक़ से काफ़िरों के साथ मुक़ाबला हो गया। एक काफ़िर उनके हाथ से मारा गया, और जिस दिन यह क़िस्सा हुआ रजब की पहली तारीख़ थी, मगर सहाबा जमादिल आख़िर की तीस समझते थे। (और रजब उन महीनों में से है जिनको हराम का दर्जा हासिल है। यानी जिन महीनों में लड़ाई और क़िताल की मनाही है)। कुफ़्फ़ार ने इस वाक़िए पर ताना दिया कि मुसलमानों ने 'शह्रे हराम' (यानी हराम महीने) की हुर्मत और इ़ज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं किया। मुसलमानों को इसकी फ़िक्र हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा। इस आयत में उसी का जवाब इर्शाद हुआ है, और ख़ुलासा जवाब का यह है कि अव्वल तो मुसलमानों ने कोई गुनाह नहीं किया, और अगर मान लें कि किया है तो एतिराज़ करने वाले इससे बड़े-बड़े गुनाह यानी कुफ़्र और दीने हक़ से टकराने और रुकावट पैदा करने में मुब्तला हैं। फिर उनको मुसलमानों पर एतिराज़ करने का क्या हक़ है।

3. दुनिया में आमाल का ज़ाया होना यह है कि उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है, अगर उसका कोई मूरिस (जिसकी मीरास मिलने वाली हो) मुसलमान मरे, उस शख़्स को मीरास का हिस्सा नहीं मिलता। इस्लाम की हालत में नमाज़-रोज़ा जो कुछ किया था सब ज़ाया हो जाता है। मरने के बाद जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न नहीं किया जाता। और आख़िरत में ज़ाया होना यह है कि इबादतों का सवाब नहीं मिलता, हमेशा-हमेशा के लिए दोज़ख़ में दाख़िल होता है।

4. पहले ये दोनों चीज़ें हलाल थीं। सबसे पहली आयत शराब व जुए के मुताल्लिक़ यह नाज़िल की गई। इस आयत से इन दोनों को हुर्मत का इनकी ज़ात के एतिबार से बयान मक़सूद नहीं था, बल्कि बाज़-बाज़ पेश आने वाली ग़ैर-ज़रूरी चीज़ों की वजह से इन दोनों के छोड़ने का मश्विरा देना मक़सद था।

5. चूँकि शुरू में हिन्दुस्तान की तरह अ़रब में भी यतीमों का हक़ देने में पूरी एहतियात न थी इसलिए यह वईद सुनाई गई थी कि यतीमों का माल खाना ऐसा है जैसा कि दोज़ख़ के अंगारे पेट में भरना। तो सुनने वाले डर गए। इसके मुताल्लिक़ यह आयत नाज़िल हुई।

निकाह मत करो काफ़िर औ़रतों के साथ जब तक कि वे मुसलमान न हो जाएँ, और मुसलमान औ़रत (चाहे) बाँदी (क्यों न हो, वह हज़ार दर्जा) बेहतर है काफ़िर औ़रत से, चाहे वह तुमको अच्छी ही मालूम हो। और औ़रतों को काफ़िर मर्दों के निकाह में मत दो, जब तक कि वे मुसलमान न हो जाएँ। और मुसलमान मर्द ग़ुलाम बेहतर है काफ़िर मर्द से, चाहे वह तुमको अच्छा ही मालूम हो, (क्योंकि) ये लोग दोज़ख़ (में जाने) की तहरीक देते हैं "यानी दोज़ख़ की ओर ले जाते हैं", और अल्लाह तआ़ला जन्नत और मग़्फ़िरत की तहरीक देते हैं अपने हुक्म से।[1] और (अल्लाह इस वास्ते) आदमियों को अपने अहकाम बता देते हैं ताकि वे लोग नसीहत पर अ़मल करें। **(221)** ❖

और लोग आपसे हैज़ "यानी माहवारी" का हुक्म पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि वह गन्दी चीज़ है। तो माहवारी में तुम औ़रतों से अलग रहा करो और उनसे निकटता मत किया करो जब तक कि वे पाक न हो जाएँ, फिर जब वे अच्छी तरह पाक हो जाएँ तो उनके पास आओ-जाओ जिस जगह से अल्लाह तआ़ला ने तुमको इजाज़त दी है (यानी आगे से), यक़ीनन अल्लाह तआ़ला मुहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से, और मुहब्बत रखते हैं साफ़-पाक रहने वालों से।[2] **(222)** तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे (लिए बतौर) खेत (के) हैं। सो अपने खेत में जिस तरफ़ से होकर चाहो आओ। और आइन्दा के लिए (भी) अपने लिए कुछ करते रहो, और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और यह यक़ीन रखो कि बेशक तुम अल्लाह तआ़ला के सामने पेश होने वाले हो, और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ऐसे ईमानदारों को ख़ुशी की ख़बर सुना दीजिए। **(223)** और अल्लाह तआ़ला को अपनी क़स्मों के ज़रिये से इन उमूर का हिजाब मत बनाओ कि तुम नेकी के और तक़्वे के और मख़्लूक़ के दरमियान सुधार के काम करो, और अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनते जानते हैं।[3] **(224)** अल्लाह तआ़ला तुमपर (आख़िरत में) पकड़ न फ़रमाएँगे तुम्हारी (ऐसी) बेहूदा क़स्मों पर, लेकिन पकड़ फ़रमाएँगे उस (झूठी क़सम) पर जिसमें तुम्हारे दिलों ने (झूठ बोलने का) इरादा किया था, और अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाले हैं, हलीम "यानी बर्दाश्त करने वाले और नर्मी बरतने वाले" हैं।[4] **(225)** जो लोग क़सम खा बैठते हैं अपनी बीवियों (के पास जाने) से, उनके लिए चार महीने तक की मोहलत है। सो अगर ये लोग (क़सम तोड़कर औ़रत की तरफ़) रुजू कर लें तब तो अल्लाह तआ़ला माफ़ कर देंगे, रहमत फ़रमा देंगे।[5] **(226)** और अगर बिलकुल छोड़ ही देने का पुख़्ता इरादा कर लिया है तो अल्लाह तआ़ला सुनते हैं,

---

1. इस आयत में दो हुक्म हैं, एक यह कि काफ़िर मर्दों से मुसलमान औ़रतों का निकाह न किया जाए। सो यह हुक्म तो अब भी बाक़ी है। दूसरा हुक्म यह है कि मुसलमान मर्द का काफ़िर औ़रत से निकाह न किया जाए। इस हुक्म में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यह है कि वह काफ़िर औ़रत किताबी यानी यहूदी या ईसाई न हो और कोई मज़हब कुफ़्र का रखती हो। सो इस हिस्से में भी इसका हुक्म बाक़ी है। चुनाँचे हिन्दू औ़रत या आग को पूजने वाली औ़रत से मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। दूसरा हिस्सा यह है कि औ़रत किताबिया हो यानी यहूदी या ईसाई हो। इस ख़ास हिस्से में इस आयत का हुक्म बाक़ी नहीं, बल्कि एक आयत सूरः माइदः में इस मज़मून की है कि किताबी औ़रत से निकाह दुरुस्त है, सो इस सूरत में इस आयत का यह ख़ास हिस्सा मन्सूख़ हो गया। चुनाँचे यहूदी या ईसाई औ़रत से निकाह दुरुस्त है। अगरचे किताबी औ़रत से निकाह दुरुस्त है लेकिन अच्छा नहीं है। हदीस में दीनदार औ़रत के हासिल करने का हुक्म है, तो बद्-दीन औ़रत का हासिल करना इस दर्जे में ना-पसन्द होगा।
2. माहवारी की हालत में नाफ़ से घुटने तक औ़रत के बदन को देखना और हाथ लगाना भी दुरुस्त नहीं।
3. नेक काम का छोड़ना बिना क़सम भी बुरा है।
4. बेहूदा क़सम के दो मायने हैं, एक तो यह कि किसी गुज़री हुई बात पर झूठी क़सम बिना इरादा निकल गई, या आगे आने वाली बात पर इस तरह क़सम निकल गई कि कहना चाहता था कुछ और बेइरादा मुँह से क़सम निकल गई, इसमें गुनाह नहीं होता। इसके मुक़ाबले में जिसपर पकड़ होने का ज़िक्र फ़रमाया, यह वह क़सम है जो जान-बूझकर झूठी समझकर खाई हो।
5. अगर कोई क़सम खा ले कि मैं अपनी बीवी से सोहबत न करूँगा, तो अगर चार महीने के अन्दर अपनी क़सम तोड़ डाले और बीवी के पास चला जाए तो क़सम का कफ़्फ़ारा दे और निकाह बाक़ी है। और अगर चार महीने गुज़र गए और क़सम न तोड़ी तो उस औ़रत पर क़तई तलाक़ पड़ गई, रुजू करना दुरुस्त नहीं रहा, अलबत्ता अगर दोनों रज़ामन्दी से फिर निकाह कर लें तो दुरुस्त है।

जानते हैं। **(227)** और तलाक़ दी हुई औरतें अपने आपको (निकाह से) रोके रखें तीन हैज़ तक,[1] और उन औरतों को यह बात हलाल नहीं कि ख़ुदा तआ़ला ने जो कुछ उनके रहम में पैदा किया हो (चाहे गर्भ या हैज़) उसको छुपाएँ, अगर वे औरतें अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर यक़ीन रखती हैं। और उन औरतों के शौहर उनके (बिना दोबारा निकाह किए) फिर लौटा लेने का हक़ रखते हैं, उस (इद्दत) के अन्दर, शर्त यह है कि इस्लाह ''यानी भलाई और सुधार'' का इरादा रखते हों। और औरतों के भी हुक़ूक़ हैं जो कि उन्हीं के हुक़ूक़ की तरह हैं जो उन औरतों पर हैं (शरई) क़ायदे के मुवाफ़िक़। और मर्दों का उनके मुक़ाबले में कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है, और अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त (हाकिम) हैं, हकीम हैं।[2] **(228)** ❖

वह तलाक़ दो बार (की) है, फिर चाहे रख लेना क़ायदे के मुवाफ़िक़ चाहे छोड़ देना अच्छे अन्दाज़ के साथ,[3] और तुम्हारे लिए यह बात हलाल नहीं कि (छोड़ने के वक़्त) कुछ भी लो (अगरचे) उसमें से (ही सही) जो तुमने उनको (महर में) दिया था, मगर यह कि मियाँ-बीवी दोनों को अन्देशा हो कि अल्लाह तआ़ला के ज़ाबतों ''यानी क़ानूनों'' को क़ायम न कर सकेंगे। सो अगर तुम लोगों को यह अन्देशा हो कि वे दोनों ख़ुदावन्दी ज़ाबतों को क़ायम न कर सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह न होगा उस (माल के लेने-देने) में जिसको देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले। ये ख़ुदाई ज़ाबते हैं सो तुम इनसे बाहर मत निकलना। और जो शख़्स ख़ुदाई ज़ाबतों से बाहर निकल जाए सो ऐसे ही लोग अपना नुक़सान करने वाले हैं।[4] **(229)** फिर अगर कोई (तीसरी) तलाक़ दे दे औरत को तो फिर वह उसके लिए हलाल न रहेगी उसके बाद, यहाँ तक कि वह उसके सिवा एक और ख़ाविन्द के साथ (इद्दत के बाद) निकाह करे। फिर अगर यह उसको तलाक़ दे दे तो इन दोनों पर इसमें कुछ गुनाह नहीं कि बदस्तूर फिर मिल जाएँ, शर्त यह है कि दोनों ग़ालिब गुमान रखते हों कि (आइन्दा) ख़ुदावन्दी ज़ाबतों को क़ायम रखेंगे।[5] और ये ख़ुदावन्दी ज़ाबते हैं, (हक़ तआ़ला) उनको बयान फ़रमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो समझदार हैं। **(230)** और जब तुमने औरतों को (रजूअ़ी) तलाक़ दे दी हो, फिर वे अपनी इद्दत गुज़रने के क़रीब पहुँच जाएँ तो (या तो) तुम उनको क़ायदे के मुवाफ़िक़ (लौटा करके) निकाह में रहने दो या क़ायदे के मुवाफ़िक़ उनको रिहाई दो। और उनको तकलीफ़ पहुँचाने की ग़रज़ से मत रोको, इस इरादे से कि उनपर ज़ुल्म किया करोगे। और जो शख़्स ऐसा (बर्ताव) करेगा सो वह अपना ही नुक़सान करेगा। और अल्लाह तआ़ला के अहकाम को खेल-कूद (की तरह बेवक़ूअ़त) मत समझो, और हक़ तआ़ला की जो नेमतें तुमपर हैं उनको याद करो, और (ख़ास कर) इस किताब और हिक्मत (के मज़ामीन) को जो अल्लाह तआ़ला ने तुमपर (इस हैसियत से) नाज़िल फ़रमाई है कि तुमको उसके ज़रिए से नसीहत फ़रमाते हैं। और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं। ▲ **(231)** ❖

---

1. उन औरतों में इतनी सिफ़तें होंः ख़ाविन्द ने उनसे सोहबत या ''ख़िलवते सहीहा'' (यानी इतनी देर मियाँ-बीवी को तन्हाई का मौक़ा मिलना कि अगर चाहें तो सोहबत कर सकें) की हो, उनको हैज़ (माहवारी) आता हो, आज़ाद हों यानी शरई क़ायदे से बाँदी न हों। जिस औरत से मर्द ने सोहबत या ख़िलवते सहीहा न की हो और उसको तलाक़ दे दे तो उसपर बिलकुल इद्दत लाज़िम नहीं, इद्दत के अन्दर दूसरे शौहर से निकाह दुरुस्त है।

2. तलाक़ पाई हुई औरत पर वाजिब है कि अपने माहवारी में होने या गर्भ से होने की हालत ज़ाहिर कर दे, ताकि उसके मुवाफ़िक़ इद्दत का हिसाब हो। मर्द पर औरत के ख़ास हुक़ूक़ ये हैं: अपनी गुंजाइश के मुताबिक़ उसको खाना, कपड़ा, रहने का घर और महर दे, उसको तंग न करे। और औरत पर मर्द के ख़ास हक़ ये हैं कि उसकी फ़रमाँबरदारी करे, उसकी ख़िदमत करे।

3. उस तलाक़ को 'रजूअ़ी' कहते हैं जो कि दो बार से ज़्यादा न हो, और उसमें यह भी क़ैद है कि साफ़ लफ़्ज़ों से हों। और क़ायदे से मुराद यह है कि उसका तरीक़ा भी शरीअ़त के मुवाफ़िक़ हो और नीयत भी उसमें शरीअ़त के मुवाफ़िक़ हो, और अच्छे अन्दाज़ से भी मुराद यह है कि उसका तरीक़ा शरीअ़त के मुवाफ़िक़ हो। तथा अच्छे अन्दाज़ से छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि नीयत भी शरीअ़त के मुताबिक़ हो यानी झगड़े का टालना मक़सूद हो, यह मक़सद न हो कि उसका दिल तोड़ें, उसको ज़लील करें, इसलिए नरमी व हमदर्दी की रियायत ज़रूरी है।

4. औरत से माल ठहराकर छोड़ना इसकी दो सूरतें हैं। एक ''ख़ुला'' दूसरा ''तलाक़ अ़ला माल''। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 68 पर)**

और जब तुम (में ऐसे लोग पाए जाएँ कि वे) अपनी बीवियों को तलाक़ दे दें, फिर वे औरतें अपनी (इद्दत की) मीयाद भी पूरी कर चुकें तो तुम उनको इस बात से मत रोको कि वे अपने शौहरों से निकाह कर लें, जबकि आपस में सब रज़ामन्द हो जाएँ क़ायदे के मुवाफ़िक़। इस (मज़मून) से नसीहत की जाती है उस शख़्स को जो कि तुममें से अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर यक़ीन रखता हो, यह (यानी इस नसीहत को क़बूल करना) तुम्हारे लिए ज़्यादा सफ़ाई और ज़्यादा पाकी की बात है, और अल्लाह तआ़ला जानते हैं और तुम नहीं जानते।[1] **(232)** और माएँ आपने बच्चों को पूरे दो साल दूध पिलाया करें, (यह मुद्दत) उसके लिए (है) जो दूध पिलाने की तक्मील करना चाहे। और जिसका बच्चा है (यानी बाप) उसके ज़िम्मे है उन (माओं) का खाना और कपड़ा क़ायदे के मुवाफ़िक़, किसी शख़्स को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुवाफ़िक़। किसी माँ को तकलीफ़ न पहुँचाना चाहिए उसके बच्चे की वजह से, और न किसी बाप को तकलीफ़ देनी चाहिए उसके बच्चे की वजह से,[2] और इसी तरह (यानी ज़िक्र हुए तरीक़े के मुताबिक़) उसके ज़िम्मे है जो वारिस हो,[3] फिर अगर दोनों दूध छुड़ाना चाहें अपनी रज़ामन्दी और मश्विरे से तो दोनों पर किसी क़िस्म का गुनाह नहीं, और अगर तुम लोग अपने बच्चों को (किसी और अन्ना का) दूध पिलवाना चाहो तब भी तुमपर कोई गुनाह नहीं, जबकि उनके हवाले कर दो जो कुछ उनको देना किया है क़ायदे के मुवाफ़िक़, और हक़ तआ़ला से डरते रहो, और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों को ख़ूब देख रहे हैं। **(233)** और जो लोग तुममें वफ़ात पा जाते हैं और बीवियाँ छोड़ जाते हैं, वे बीवियाँ अपने आपको (निकाह वग़ैरह से) रोके रखें चार महीने और दस दिन, फिर जब अपनी (इद्दत की) मीयाद ख़त्म कर लें तो तुमको कुछ गुनाह न होगा ऐसी बात में कि वे औरतें अपनी ज़ात के लिए (निकाह की) कुछ कार्रवाई करें क़ायदे के मुवाफ़िक़, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों की ख़बर रखते हैं।[4] **(234)** और तुमपर कोई गुनाह नहीं होगा जो (इन ज़िक्र की गई) औरतों को (निकाह का) पैग़ाम देने के बारे में कोई बात इशारे में कहो, या अपने दिल में (निकाह के इरादे को) छुपाओ, अल्लाह तआ़ला को यह बात मालूम है कि तुम उन औरतों का (ज़रूर) ज़िक्र मज़कूर करोगे, लेकिन उनसे निकाह का वायदा (और गुफ़्तगू) मत करो, मगर यह कि कोई बात क़ायदे के मुवाफ़िक़ कहो। और तुम निकाह के ताल्लुक़ का (फ़िलहाल) इरादा भी मत करो, यहाँ तक कि मुक़र्ररा इद्दत अपनी इन्तिहा को (न) पहुँच जाए। और यक़ीन रखो इसका कि अल्लाह तआ़ला को इत्तिला है तुम्हारे दिलों की बात की, सो अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो। और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआला माफ़ भी करने वाले हैं, हलीम भी हैं।[5] **(235)** ◆

(पृष्ठ 66 का शेष) ख़ुला यह है कि औरत कहे कि तू इतने माल पर मुझसे ख़ुला कर ले और मर्द कहे कि मुझको मन्ज़ूर है। इसके कहते ही अगरचे तलाक़ का लफ़्ज़ न कहे मगर "तलाक़े बाइन" पड़ जाएगी, और उसी क़द्र माल औरत के ज़िम्मे वाजिब हो जाएगा। और 'तलाक़ अ़ला माल' यह है कि मर्द औरत से कहे कि तुझको इस क़द्र माल के बदले तलाक़ है। इसका हुक्म यह है कि औरत मन्ज़ूर न करे तो तलाक़ नहीं होती और मन्ज़ूर कर ले तो "तलाक़े बाइन" हो जाएगी, और उस क़द्र माल औरत के ज़िम्मे वाजिब हो जाएगा।

5. इसको हलाला कहते हैं।

1. इस आयत में रोकने की सब सूरतें दाख़िल हैं, और हर सूरत में रोकने को मना फ़रमाया है।

2. यानी बच्चे के माँ-बाप आपस में किसी बात पर ज़िद्दा-ज़िद्दी न करें। माँ अगर किसी वजह से माज़ूर न हो तो उसके ज़िम्मे दियानत के तौर पर यानी अल्लाह के नज़दीक वाजिब है कि बच्चे को दूध पिलाए, जबकि वह निकाह वाली (बीवी) हो या इद्दत में हो, और उजरत लेना दुरुस्त नहीं। और अगर तलाक़ के बाद इद्दत गुज़र चुकी तो उसपर बिना उजरत दूध पिलाना वाजिब नहीं। अगर माँ दूध पिलाने से इनकार करे तो उसपर ज़बरदस्ती न की जाएगी। हाँ अगर बच्चा किसी का दूध ही नहीं लेता और न ऊपर का दूध पीता है तो माँ को मजबूर किया जाएगा। माँ दूध पिलाना चाहती है और उसके दूध में कोई ख़राबी भी नहीं तो बाप को जायज़ नहीं कि उसको न पिलाने दे और दूसरी अन्ना का दूध पिलाए। माँ दूध पिलाने पर रज़ामन्द है **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 70 पर)**

तुमपर (मह्र का) कुछ मुतालबा और पकड़ नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में तलाक़ दे दो कि न उनको तुमने हाथ लगाया है और न उनके लिए कुछ मह्र मुक़र्रर किया है, और (सिर्फ़) उनको एक जोड़ा दे दो। गुंजाइश वाले के ज़िम्मे उसकी हैसियत के मुवाफ़िक़ है और तंगदस्त के ज़िम्मे उसकी हैसियत के मुवाफ़िक़ जोड़ा देना क़ायदे के मुवाफ़िक़ वाजिब है, मामले के अच्छे लोगों पर। **(236)** और अगर तुम उन बीवियों को तलाक़ दो इससे पहले कि उनको हाथ लगाओ और उनके लिए कुछ मह्र भी मुक़र्रर कर चुके थे तो जितना मह्र तुमने मुक़र्रर किया हो उसका आधा (वाजिब) है, मगर यह कि वे औरतें (अपना आधा) माफ़ कर दें या यह कि वह शख़्स रियायत कर दे जिसके हाथ में निकाह का ताल्लुक़ (रखना और तोड़ना) है। और तुम्हारा माफ़ कर देना (ब-निस्बत वसूल करने के) तक़्वे से ज़्यादा क़रीब है। और आपस में एहसान करने से ग़फ़लत न करो। बेशक अल्लाह तआला सब कामों को ख़ूब देखते हैं।[1] **(237)** हिफ़ाज़त करो सब नमाज़ों की (आम तौर पर) और दरमियान वाली नमाज़ की (ख़ास तौर पर), और खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने आजिज़ बने हुए।[2] **(238)** फिर अगर तुमको अन्देशा हो तो खड़े-खड़े या सवारी पर चढ़े-चढ़े पढ़ लिया करो। फिर जब तुमको इत्मीनान हो जाए तो तुम ख़ुदा तआला की याद उस तरीक़े से करो जो तुमको सिखलाया है, जिसको तुम न जानते थे। **(239)** और जो लोग वफ़ात पा जाते हैं तुममें से और छोड़ जाते हैं बीवियों को, वे वसीयत कर जाया करें अपनी उन बीवियों के वास्ते एक साल तक फ़ायदा उठाने की, इस तौर पर कि वे घर से निकाली न जाएँ, हाँ अगर ख़ुद निकल जाएँ तो तुमको कोई गुनाह नहीं उस क़ायदे की बात में जिसको वे अपने बारे में करें, और अल्लाह तआला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं।[3] **(240)** और सब तलाक़ दी हुई औरतों के लिए कुछ-कुछ फ़ायदा पहुँचाना क़ायदे के मुवाफ़िक़ (यह) मुक़र्रर हुआ है उनपर जो (शिर्क व कुफ़्र से) परहेज़ करते हैं।[4] **(241)** इसी तरह हक़ तआला तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान फ़रमाते हैं, इस उम्मीद पर कि

(पृष्ठ 68 का शेष) लेकिन उसका दूध बच्चे को नुक़सानदेह है तो बाप को जायज़ है कि उसको दूध न पिलाने दे और किसी अन्ना का दूध पिलवाए।

3. बाप के होते हुए बच्चे की परवरिश का ख़र्च सिर्फ़ बाप के ज़िम्मे है, और जब बाप मर जाए तो उसमें तफ़सील यह है कि अगर बच्चा माल का मालिक है तब तो उसी माल में से उसका ख़र्च होगा, और अगर माल का मालिक नहीं है तो उसके मालदार रिश्तेदारों में जो उसके मेहरम हैं और मेहरम होने के अलावा शरई तौर पर उसकी मीरास के हक़दार भी हैं, पस ऐसे मेहरम वारिस रिश्तेदारों के ज़िम्मे उसका ख़र्च वाजिब होगा और उन रिश्तेदारों में माँ भी दाख़िल है।

4. यह इद्दत उस बेवा की है जिसको हमल (गर्भ) न हो। और अगर हमल हो तो बच्चा पैदा होने तक उसकी इद्दत है, चाहे जनाज़ा लेजाने से पहले ही पैदा हो जाए या चार महीने दस दिन से भी ज़्यादा में हो। यह मसला सूरः तलाक़ में आएगा। जिसका शौहर मर जाए उसको इद्दत के अन्दर सिंघार करना, सुर्मा और तेल दवा की ज़रूरत के बिना लगाना, मेहंदी लगाना, रंगीन कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं, और दूसरे निकाह के लिए खुली बात-चीत करना भी दुरुस्त नहीं जैसा कि अगली आयत में आता है। और रात को दूसरे के घर में रहना भी दुरुस्त नहीं।

5. यहाँ इद्दत के अन्दर चार काम ज़िक्र किए गए हैं, दो ज़बान के और दो दिल के, और हर एक का अलग हुक्म है। अव्वल ज़बान से खुले तौर पर पैग़ाम देना, यह हराम है। "ला तुवाअ़िदूहुन्-न सिर्रन्" में इसका ज़िक्र है। दूसरे ज़बान से इशारे के तौर पर कहना, यह जायज़ है। "ला जुना-ह अ़लैकुम्" और "क़ौलम्-मअ़रूफ़न्" में इसका ज़िक्र है। तीसरे दिल से यह इरादा करना कि अभी यानी इद्दत के अन्दर निकाह कर लेंगे, यह भी हराम है। क्योंकि इद्दत के अन्दर निकाह करना हराम है, और हराम का इरादा करना हराम है। "ला तअ़्ज़िमू" में इसका ज़िक्र है। चौथे दिल से यह इरादा करना कि इद्दत के बाद निकाह कर लेंगे, यह जायज़ है। "अक्-नन्तुम् फ़ी अन्फ़ुसिकुम्" में इसका ज़िक्र है।

1. जिस औरत का मह्र निकाह के वक़्त मुक़र्रर हुआ हो उसको सोहबत व मुकम्मल तन्हाई से पहले अगर तलाक़ दे दी हो तो मुक़र्रर किए हुए मह्र का आधा मर्द के ज़िम्मे वाजिब होगा, हाँ अगर औरत माफ़ कर दे या मर्द पूरा दे दे तो इख़्तियारी बात है।

2. कसरत से उलमा का क़ौल बाज़ हदीसों की दलील से यह है कि बीच वाली नमाज़ 'अ़सर' है क्योंकि इसके एक तरफ़ दो नमाज़ें दिन की हैं 'फ़ज्र' और 'ज़ोहर' और एक तरफ़ दो नमाज़ें रात की हैं 'मग़रिब' व 'इशा'। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 72 पर)**

तुम समझो (और अ़मल करो)। **(242)** ❖

(ऐ मुख़ातब!) तुझको उन लोगों का क़िस्सा तहक़ीक़ नहीं हुआ जो कि अपने घरों से निकल गए थे, और वे लोग हज़ारों ही थे मौत से बचने के लिए, सो अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए (हुक्म) फ़रमा दिया कि मर जाओ, फिर उनको ज़िन्दा कर दिया। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा फ़ज़्ल करने वाले हैं लोगों (के हाल) पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। **(243)** (इस क़िस्से में ग़ौर करो) और अल्लाह की राह में क़िताल करो और यक़ीन रखो इस बात का कि अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनने वाले (और) ख़ूब जानने वाले हैं। **(244)** (ऐसा) कौन शख़्स है जो अल्लाह तआ़ला को क़र्ज़ दे अच्छे तौर पर क़र्ज़ देना, फिर अल्लाह तआ़ला उस (के सवाब) को बढ़ाकर बहुत-से हिस्से कर दे,[1] और अल्लाह कमी करते हैं और फ़राख़ी "यानी वुसअ़त" करते हैं, और तुम उसी की तरफ़ (मरने के बाद) ले जाए जाओगे। **(245)** (ऐ मुख़ातब!) तुझको बनी इसराईल की जमाअ़त का क़िस्सा जो मूसा के बाद हुआ है तहक़ीक़ नहीं हुआ, जबकि उन लोगों ने अपने एक पैग़म्बर से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुक़र्रर कर दीजिए कि हम अल्लाह की राह में (जालूत से) क़िताल करें। (उन पैग़म्बर ने) फ़रमायाः क्या यह एहतिमाल "यानी वहम व अन्देशा" नहीं कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो तुम (उस वक़्त) जिहाद न करो? वे लोग कहने लगे कि हमारे वास्ते ऐसा कौन-सा सबब होगा कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें? हालाँकि हम अपनी बस्तियों और अपने बेटों से भी जुदा कर दिए गए हैं, फिर जब उन लोगों को जिहाद का हुक्म हुआ तो बहुत थोड़े-से लोगों को छोड़कर (बाक़ी) सब फिर गए। और अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को ख़ूब जानते हैं।[2] **(246)** और उन लोगों से उनके पैग़म्बर ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुमपर तालूत को बादशाह मुक़र्रर फ़रमाया है। वे कहने लगे उनको हमपर हुक्मरानी का हक़ कैसे हासिल हो सकता है? हालाँकि उनकी ब-निस्बत हम हुक्मरानी के ज़्यादा हक़दार हैं, और उनको तो कुछ माली गुंजाइश भी नहीं दी गई। (उन पैग़म्बर ने जवाब में) फ़रमाया कि (अव्वल तो) अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे मुक़ाबले में उनको चुना है, और (दूसरे) इल्म और जसामत "यानी भारी-भरकम होने और डील-डोल" में उनको ज़्यादती दी है,[3] और (तीसरे) अल्लाह तआ़ला अपना मुल्क जिसको चाहें दें, और (चौथे) अल्लाह तआ़ला वुसअ़त देने वाले, जानने वाले हैं। **(247)** और उनसे उनके पैग़म्बर ने फ़रमाया कि उनके (अल्लाह की जानिब से)

(पृष्ठ 70 का शेष) और आ़जिज़ी की तफ़सीर हदीस में ख़ामोशी के साथ आई है। इसी आयत से नमाज़ में बातें करने की मनाही हुई, इससे पहले बोलना दुरुस्त था।

3. जब मीरास की आयत नाज़िल हो गई, घर-बाहर सब तरके में से औ़रत का हक़ मिल गया तो यह आयत मन्सूख़ हो गई।

4. निकाह और तलाक़ वग़ैरह के अहकाम में जगह-जगह "इत्तक़ुल्ला-ह" और "हुदूदुल्लाह" और "समीअुन् अ़लीमुन्" और "अ़ज़ीज़ुन् हकीमुन्" और "बसीरुन्" और "ख़बीरुन्" और "हुमुज़्ज़ालिमून" और "फ़-क़द् ज़-ल-म नफ़्सहू" वग़ैरह का आना क़तई दलील है कि ये सब अहकाम शरीअ़त में मक़सूद और वाजिब हैं। बतौर मश्विरे के नहीं जिनमें तर्मीम व तब्दीली करने का या अ़मल न करने का हमको नऊज़ु बिल्लाह इख़्तियार हो।

1. क़र्ज़ मजाज़न् कह दिया वरना सब ख़ुदा ही की मिल्क है। मतलब यह है कि जैसे क़र्ज़ का बदला ज़रूर ही दिया जाता है इसी तरह तुम्हारे ख़र्च करने का बदला ज़रूर मिलेगा। और बढ़ाने का बयान एक हदीस में इस तरह आया है कि अगर एक छुवारा अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए तो ख़ुदा तआ़ला उसको इतना बढ़ाते हैं कि वह उहुद पहाड़ से ज़्यादा हो जाता है।

2. उन बनी इसराईल ने हक़ तआ़ला के अहकाम को छोड़ दिया था, अ़मालिक़ा के काफ़िरों को उनपर मुसल्लत कर दिया गया, उस वक़्त उन लोगों को इस्लाह की फ़िक्र हुई। और उन पैग़म्बर का नाम शमवील मश्हूर है।

3. बादशाह होने के लिए इल्म की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मुल्क के इन्तिज़ाम पर क़ादिर हो और जसामत (भारी-भरकम और डील-डोल का होना) भी इस मायने में मुनासिब है कि मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ के दिल में वक़अ़त व रोब पैदा हो।

बादशाह होने की यह निशानी है कि तुम्हारे पास वह सन्दूक़ आ जाएगा जिसमें तस्कीन (और बरकत) की चीज़ है तुम्हारे रब की तरफ़ से, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जिनको (हज़रत) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और (हज़रत) हारून (अ़लैहिस्सलाम) की औलाद छोड़ गई है। उस (सन्दूक़) को फ़रिश्ते ले आएँगे। उसमें तुम लोगों के वास्ते पूरी निशानी है अगर तुम यक़ीन लाने वाले हो।[1] **(248)** ❖

फिर जब तालूत फ़ौजों को लेकर (बैतुल मक़्दिस से अ़मालिक़ा की तरफ़) चले तो उन्होंने कहा कि हक़ तआ़ला तुम्हारा इम्तिहान करेंगे एक नहर से। सो जो शख़्स (बहुत ज़्यादती के साथ) उससे पानी पियेगा तो वह मेरे साथियों में नहीं, और जो उसको ज़बान पर भी न रखे वह मेरे साथियों में है, लेकिन जो शख़्स अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। सो सबने उससे (बहुत ज़्यादा) पीना शुरू कर दिया, मगर थोड़े आदमियों ने उनमें से।[2] सो जब तालूत और जो मोमिनीन उनके साथ थे नहर के पार उतर गए, कहने लगे कि आज तो हममें जालूत और उसके लश्कर से मुक़ाबले की ताक़त मालूम नहीं होती, (यह सुनकर) ऐसे लोग जिनको यह ख़्याल था कि वे अल्लाह तआ़ला के रू-ब-रू पेश होने वाले हैं, कहने लगे कि कितनी ही बार बहुत-सी छोटी-छोटी जमाअ़तें बड़ी-बड़ी जमाअ़तों पर ख़ुदा के हुक्म से ग़ालिब आ गई हैं, और अल्लाह तआ़ला मुस्तक़िल रहने और जमने वालों का साथ देते हैं। **(249)** और जब जालूत और उसकी फ़ौजों के सामने (मैदान में) आए तो कहने लगेः ऐ हमारे परवर्दिगार! हमपर इस्तिक़लाल "यानी मज़बूती और मुस्तक़िल मिज़ाजी" (ग़ैब से) नाज़िल फ़रमाइए और हमारे क़दम जमाए रखिए और हमको इस काफ़िर क़ौम पर ग़ालिब कीजिए।[3] **(250)** फिर (तालूत वालों ने जालूत वालों को) ख़ुदा तआ़ला के हुक्म से शिकस्त दे दी और दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) ने जालूत को क़त्ल कर डाला, और उनको (यानी दाऊद को) अल्लाह तआ़ला ने हुकूमत और हिक्मत अ़ता फ़रमाई, और भी जो-जो मन्ज़ूर हुआ उनको तालीम फ़रमाया। और अगर यह बात न होती कि अल्लाह तआ़ला बाज़े आदमियों को बाज़ों के ज़रिये से दफ़ा करते रहा करते हैं तो सर-ज़मीन "यानी दुनिया" (पूरी की पूरी) फ़साद और बिगाड़ से भर जाती, लेकिन अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं जहान वालों पर।[4] **(251)** ये अल्लाह तआ़ला की आयतें हैं जो सही-सही तौर पर हम तुमको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, और (इससे साबित है कि) आप बेशक पैग़म्बरों में से हैं। **(252)**

1. उस सन्दूक़ में तबर्रुकात थे। जालूत जब बनी इसराईल पर ग़ालिब आया था तो यह सन्दूक़ भी ले गया था। जब अल्लाह को उस सन्दूक़ का पहुँचाना मन्ज़ूर हुआ तो यह सामान किया कि जहाँ उस सन्दूक़ को रखते वहाँ ही सख़्त बलाएँ नाज़िल होतीं। आख़िर उन लोगों ने एक गाड़ी पर उसको लादकर बैलों को हाँक दिया। फ़रिश्ते उसको हाँककर यहाँ पहुँचा गए, जिससे बनी इसराईल को बड़ी ख़ुशी हुई और तालूत बादशाह मान लिए गए।

2. इस इम्तिहान की हिक्मत और वजह नाचीज़ (हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि) के ज़ौक़ में यह मालूम होती है कि ऐसे मौक़ों पर जोश व ख़रोश और भीड़-भाड़ बहुत हो जाया करती है, लेकिन वक़्त पर जमने वाले कम होते हैं और उस वक़्त ऐसों का उखड़ जाना बाक़ी लोगों के पाँव भी उखाड़ देता है, अल्लाह तआ़ला को ऐसे लोगों का अलग करना मन्ज़ूर था।

3. इस दुआ़ की तरतीब बड़ी पाकीज़ा है कि ग़ल्बे के लिए चूँकि क़दम जमाने की ज़रूरत है इसलिए पहले उसकी दुआ़ की, और साबित-क़दमी का मदार दिल के जमने पर है इसलिए उससे पहले दिल के जमने और मुस्तक़िल रहने की दुआ़ की।

4. चूँकि क़ुरआन के बड़े मक़ासिद में से हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत का साबित करना भी है, इसलिए अक्सर जिस जगह किसी मज़मून के साथ मुनासबत होने से मौक़ा होता है वहाँ उसको दोहराया जाता है। चुनाँचे इस मक़ाम पर इस क़िस्से की सही ख़बर देना ऐसे तौर पर कि न आपने कहीं पढ़ा न किसी से सुना न आपने देखा, मोजिज़ा होने की बिना पर नुबुव्वत के दावे के सच्चा होने की खुली दलील है, इसलिए आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत पर इस्तिदलाल फ़रमाते हैं।

तीसरा पारः तिल्कर्रुसुलु

सूरः ब-क़रः आयत (253 से 286)

ये हज़राते मुर्सलीन ऐसे हैं[1] कि हमने उनमें से बाज़ों को बाज़ों पर फ़ौक़ियत दी है, (मिसाल के तौर पर) बाज़े उनमें वे हैं जो अल्लाह तआला से हम-कलाम हुए और बाज़ों को उनमें से बहुत-से दर्जों पर सरफ़राज़ किया। और हमने (हज़रत) ईसा बिन मरियम को खुली-खुली दलीलें अ़ता फ़रमाई, और हमने उनकी ताईद रूहुल-क़ुदुस (यानी जिबराईल) से फ़रमाई। और अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो (उम्मत के) जो लोग उनके बाद हुए आपस में क़त्ल व क़िताल न करते, बाद इसके कि उनके पास (हक़ बात के) दलाइल पहुँच चुके थे, लेकिन वे लोग (आपस में दीन में) मुख़्तलिफ़ हुए, सो उनमें कोई तो ईमान लाया और कोई काफ़िर रहा, (और नौबत क़त्ल व क़िताल की पहुँची) और अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो वे लोग आपस में क़त्ल व क़िताल न करते, लेकिन अल्लाह तआला जो चाहते हैं करते हैं।[2] **(253)** ❖

ऐ ईमान वालो! ख़र्च करो उन चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, इससे पहले कि वह (क़ियामत का) दिन आ जाए जिसमें न तो ख़रीद व फ़रोख़्त होगी और न दोस्ती होगी, और न (बिना अल्लाह की इजाज़त के) कोई सिफ़ारिश होगी, और काफ़िर लोग ही ज़ुल्म करते हैं। (तो तुम ऐसे मत बनो)।[3] **(254)** अल्लाह तआला (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं,[4] ज़िन्दा है संभालने वाला है (तमाम आ़लम का) न उसको ऊँघ दबा सकती है और न नींद, उसी के मम्लूक हैं सब जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं, ऐसा कौन शख़्स है जो उसके पास (किसी की) सिफ़ारिश कर सके बिना उसकी इजाज़त के,[5] वह जानता है उनके तमाम हाज़िर व ग़ायब हालात को, और वे मौजूदात उसके मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इल्मी इहाते "यानी जानकारी के घेरे" में नहीं ला सकते, मगर जिस क़द्र (इल्म देना) वही चाहे, उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और ज़मीन को अपने अन्दर ले रखा है,[6] और अल्लाह को उन दोनों की हिफ़ाज़त कुछ गिराँ नहीं गुज़रती, और वह आ़लीशान और अ़ज़ीमुश्शान है। **(255)** दीन में ज़बरदस्ती (का अपने आपमें कोई मौक़ा) नहीं,[7] (क्योंकि) हिदायत यक़ीनन गुमराही से मुम्ताज़ "यानी अलग और नुमायाँ" हो चुकी है, सो जो शख़्स शैतान से बद-एतिक़ाद हो और अल्लाह तआला के साथ अच्छा एतिक़ाद रखे (यानी इस्लाम क़बूल कर ले) तो उसने बड़ा मज़बूत हल्क़ा थाम लिया, जिसको किसी तरह शिकस्तगी नहीं[8] (हो सकती) और अल्लाह ख़ूब सुनने वाले (और) ख़ूब जानने वाले हैं। **(256)** अल्लाह साथी है उन

---

1. चूँकि ऊपर की आयत में ज़िम्नी तौर पर पैग़म्बरों का मुख़्तसरन् ज़िक्र आ गया था इसलिए इस आयत में किसी क़द्र तफ़सील उनमें से बाज़ हज़रात के हालात व कमालात की और फिर उनके ज़िक्र की मुनासबत से उनकी उम्मतों की एक ख़ास हालत और उस हालत के वजूद में आने में ख़ुदा की हिक्मत व मस्लहत के शामिल होने की तरफ़ इशारा, ये सब मज़ामीन ज़िक्र किये जाते हैं।

2. इस मज़मून में एक तरह से तसल्ली देना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने यह बात सुना दी कि और भी पैग़म्बर मुख़्तलिफ़ दर्जों के गुज़रे हैं, लेकिन ईमान किसी की उम्मत में आ़म नहीं हुआ, किसी ने मुवाफ़क़त की, किसी ने मुख़ालफ़त की। और इसमें भी हक़ तआला की हिक्मतें होती हैं, भले ही हर शख़्स पर ज़ाहिर न हों मगर मुख़्तसर तौर पर इतना अ़क़ीदा रखना ज़रूरी और लाज़िम है कि कोई हिक्मत ज़रूर है।

3. मतलब यह है कि जो नेक अ़मल दुनिया में छूट जाएगा फिर वहाँ उसकी कोई तलाफ़ी क़ुदरत से ख़ारिज हो जाएगी। चुनाँचे तलाफ़ी के तरीक़ों में से कुछ तरीक़े तो ख़ुद ही न होंगे, जैसे ख़रीद व फ़रोख़्त, और बाज़े आ़म न होंगे जैसे दोस्ती, बाज़े इख़्तियारी न होंगे जैसे शफ़ाअ़त। और इससे मक़सूद क़ियामत के दिन नेक आमाल के बदले और नतीजे को हासिल करने पर क़ादिर न होने का याद दिलाना है।

4. इस आयत का लक़ब "आयतुल कुर्सी" है।

5. क़ियामत में अम्बिया और औलिया गुनाहगारों की शफ़ाअ़त करेंगे। वे पहले हक़ तआला की मरज़ी पा लेंगे जब शफ़ाअ़त करेंगे।

6. कुर्सी अ़र्श से छोटा और आसमानों से बड़ा एक जिस्म है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 78 पर)**

लोगों का जो ईमान लाए, उनको (कुफ़्र की) अन्धेरियों से निकालकर (या बचाकर) (इस्लाम के) नूर की तरफ़ लाता है, और जो लोग काफ़िर हैं उनके साथी शयातीन हैं, (इनसानी या जिन्नी) वे उनको (इस्लाम के) नूर से निकालकर (या बचाकर कुफ़्र की) अन्धेरियों की तरफ़ ले जाते हैं, ऐसे लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं, (और) ये लोग उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। **(257)** ❖

(ऐ मुख़ातब!) तुझको उस शख़्स का क़िस्सा मालूम नहीं हुआ (यानी नमरूद का) जिसने (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) से मुबाहसा किया था, अपने परवर्दिगार के (वजूद के) बारे में, इस वजह से कि ख़ुदा तआ़ला ने उसको हुकूमत दी थी। जब इब्राहीम ने फ़रमाया कि मेरा परवर्दिगार ऐसा है कि वह ज़िन्दा करता है और मारता है, कहने लगा कि मैं भी ज़िन्दा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमायाः अल्लाह तआ़ला सूरज को (हर दिन) पूरब से निकालता है तू (एक ही दिन) पश्चिम से निकाल दे, इसपर चकित रह गया वह काफ़िर (और कुछ जवाब बन न आया) और अल्लाह तआ़ला (की आ़दत है कि) ऐसे बेजा राह पर चलने वालों को हिदायत नहीं फ़रमाते। **(258)** या तुमको इस तरह का क़िस्सा भी मालूम है जैसे एक शख़्स था[1] कि एक बस्ती पर ऐसी हालत में उसका गुज़र हुआ कि उसके मकानात अपनी छतों पर गिर गए थे,[2] कहने लगा कि अल्लाह तआ़ला इस बस्ती (के मुर्दों) को उसके मरने के बाद किस कैफ़ियत से ज़िन्दा करेंगे, सो अल्लाह तआ़ला ने उस शख़्स को सौ साल तक मुर्दा रखा, फिर उसको ज़िन्दा कर उठाया (और फिर) पूछा कि तू कितनी मुद्दत इस हालत में रहा? उस शख़्स ने जवाब दिया कि एक दिन रहा हूँगा या एक दिन से भी कम, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि नहीं! बल्कि तू सौ साल रहा है।[3] तू अपने खाने (की चीज़) और पीने (की चीज़) को देख ले कि नहीं सड़ी-गली, और (दूसरे) अपने गधे की तरफ़ नज़र कर, और ताकि हम तुझको एक नज़ीर लोगों के लिए बना दें, और (इस गधे की) हड्डियों की तरफ़ नज़र कर कि हम उनको किस तरह तरकीब दिए देते हैं, फिर उनपर गोश्त चढ़ाए देते हैं। फिर जब यह सब कैफ़ियत उस शख़्स को वाज़ेह हो गई तो कह उठा कि मैं यक़ीन रखता हूँ कि बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं।[4] **(259)** और (उस वक़्त को याद करो) जबकि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको दिखला दीजिए कि आप मुर्दों को किस कैफ़ियत से ज़िन्दा करेंगे। इर्शाद फ़रमायाः क्या तुम यक़ीन नहीं लाए? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि यक़ीन क्यों न लाता, लेकिन इस ग़रज़ से यह दरख़्वास्त करता हूँ कि मेरे दिल को सुकून हो जाए।[5] इर्शाद हुआ कि अच्छा तो तुम चार पक्षी लो फिर उनको (पालकर) अपने लिए हिला लो, फिर हर पहाड़ पर उनमें का एक-एक हिस्सा रख दो (और) फिर उन सबको बुलाओ, (देखो) तुम्हारे पास सब दौड़ते चले आएँगे, और ख़ूब यक़ीन रखो इस बात का कि हक़ तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं।[6] **(260)** ❖

(पृष्ठ 76 का शेष) **7.** ऊपर आयत "व इन्न-क ल-मिनल् मुर्सली-न" में पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत, और "आयतुल कुर्सी" में हक़ तआ़ला की तौहीद मज़कूर हुई है, और यही दो चीज़ें इस्लाम की असल और बुनियादी हैं, तो उनके साबित करने से दीने इस्लाम का हक़ होना भी लाज़िमी तौर पर साबित हो गया। इस आयत में इसी से निकालते हुए इस्लाम का ज़बरदस्ती का महल न होना इर्शाद फ़रमाते हैं।

8. इस्लाम को मज़बूत पकड़ने वाला चूँकि हलाकत व घाटे से महफ़ूज़ रहता है इसलिए उसको ऐसे शख़्स से तश्बीह दी जो किसी मज़बूत रस्सी का हल्क़ा हाथ में मज़बूत थाम कर गिरने से महफ़ूज़ रहता है।

फ़ायदाः- अगर मुर्तद (जो दीन से फिर गया हो) पर या काफ़िर हर्बी पर दलील के मख़्फ़ी होने की वजह से इक्राह यानी ज़बरदस्ती की जाए जैसा कि शरीअ़त में हुक्म है तो यह अपने आपमें "इक्राह" की नफ़ी के ख़िलाफ़ नहीं।

1. रूहुल-मआ़नी में हाकिम की रिवायत से हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और इसहाक़ बिन बशर की रिवायत से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु व अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़्ल किया है कि यह बुज़ुर्ग उज़ैर अ़लैहिस्सलाम हैं।

2. यानी पहले छतें गिरीं फिर उनपर दीवारें गिर गईं। मुराद यह कि किसी हादसे से वह बस्ती बिलकुल वीरान हो गई थी और सब आदमी मर-मरा गए थे।

3. यह तो यक़ीन था कि अल्लाह तआ़ला क़ियामत में मुर्दों को ज़िन्दा कर देंगे, मगर उस वक़्त के ज़िन्दा करने का जो ख़्याल ग़ालिब हुआ तो अ़जीब मामला होने की वजह से एक हैरत-सी दिल पर ग़ालिब हो गई, और चूँकि अल्लाह तआ़ला एक काम को कई तरह कर सकते हैं इसलिए तबीयत में इसकी ख़्वाहिश हुई कि ख़ुदा जाने ज़िन्दा करना किस सूरत से होगा। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 80 पर)**

जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को ख़र्च करते हैं, उनके ख़र्च किए हुए मालों की हालत ऐसी है जैसे एक दाने की हालत (अल्लाह तआ़ला के नज़दीक) जिससे (फ़र्ज़ करो) सात बालें जमें (और) हर बाल के अन्दर सौ दाने हों, और यह बढ़ोत्तरी ख़ुदा तआ़ला जिसको चाहता है अ़ता फ़रमाता है, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसअ़त वाले हैं, जानने वाले हैं।[1] **(261)** जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर ख़र्च करने के बाद न तो (उसपर) एहसान जतलाते हैं और न (बर्ताव से उसको) तकलीफ़ पहुँचाते हैं।[2] उन लोगों को उन (के आमाल) का सवाब मिलेगा उनके परवर्दिगार के पास, और न उनपर कोई ख़तरा होगा और न वे ग़मगीन होंगे। **(262)** (कुछ पास न होने के वक़्त) मुनासिब बात कह देना और दरगुज़र करना (हज़ार दर्जे) बेहतर है ऐसी ख़ैरात (देने) से जिसके बाद तकलीफ़ पहुँचाई जाए। और अल्लाह तआ़ला ग़नी हैं, हलीम हैं।[3] **(263)** ऐ ईमान वालो! तुम एहसान जतलाकर या तकलीफ़ पहुँचाकर अपनी ख़ैरात को बर्बाद मत करो, उस शख़्स की तरह जो अपना माल ख़र्च करता है (महज़) लोगों को दिखलाने की ग़रज़ से, और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर, सो उस शख़्स की हालत ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर (हो) जिसपर कुछ मिट्टी (आ गई) हो फिर उसपर ज़ोर की बारिश पड़ जाए सो उसको बिलकुल साफ़ कर दे, ऐसे लोगों को अपनी कमाई ज़रा भी हाथ न लगेगी, और अल्लाह तआ़ला काफ़िर लोगों को (जन्नत का) रास्ता न बतलायेंगे।[4] **(264)** और उन लोगों के ख़र्च किए हुए माल की हालत जो अपने मालों को ख़र्च करते हैं अल्लाह तआ़ला की रिज़ा हासिल करने की ग़रज़ से, और इस ग़रज़ से कि अपने नफ़्सों (को इस कठिन काम का आ़दी बनाकर उन) में पुख़्तगी पैदा करें, उनकी हालत एक बाग़ की तरह है जो किसी टीले पर हो कि उसपर ज़ोर की बारिश पड़ी हो, फिर वह दोगुना (चौगुना) फल लाया हो, और अगर ऐसे ज़ोर की बारिश न पड़े तो हल्की फुवार भी उसको काफ़ी है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को ख़ूब देखते हैं। **(265)** भला तुम में से किसी को यह बात पसन्द है कि उसका एक बाग़ हो खजूरों का और अंगूरों का, उसके (पेड़ों के) नीचे नहरें बहती हों, उस शख़्स के यहाँ उस बाग़ में और भी हर क़िस्म के (मुनासिब) मेवे हों, और उस शख़्स का बुढ़ापा आ गया हो और अहल व अ़याल "यानी घर वाले और बाल बच्चे" भी हों जिनमें (कमाने की) ताक़त नहीं, से उस बाग़ पर बगूला आए जिसमें आग का (माद्दा) हो, फिर वह बाग़ जल जाए। अल्लाह तआ़ला इसी तरह नज़ीरें बयान फ़रमाते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम सोचा करो।[5] **(266)** ❖

ऐ ईमान वालो! (नेक काम में) ख़र्च किया करो उम्दा चीज़ को अपनी कमाई में से, और उसमें से जो कि हमने

(पृष्ठ 78 का शेष) अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर हुआ कि उसका तमाशा उनको दुनिया ही में दिखला दें ताकि एक नज़ीर के ज़ाहिर हो जाने से लोगों को ज़्यादा हिदायत हो।

4. उनकी हैरत का जवाब इस मजमूई कैफ़ियत से देना, इसकी वजह नाचीज़ (हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि) के ज़ौक़ में यह है कि हैरत की बात यानी क़ियामत के दिन ज़िन्दा करना मुश्तमिल है कई हिस्सों पर, अव्वल तो ख़ुद ज़िन्दा करना, दूसरे लम्बी मुद्दत के बाद ज़िन्दा करना, तीसरे ख़ास कैफ़ियत से ज़िन्दा करना, चौथे उस मुद्दत तक रूह का बाक़ी रखना, पाँचवे ज़िन्दा होने के बाद बरज़ख़ में रहने की मुद्दत मालूम न होना। पहले जुज़ पर ख़ुद उनके ज़िन्दा करने और उनके गधे में जान डालने से दलालत की गई, और दूसरे जुज़ के साबित करने के लिए उनको सौ साल तक मुर्दा रखा, तीसरा जुज़ ख़ुद गधा उनके सामने ज़िन्दा करके दिखला दिया, चौथे जुज़ का नमूना खान-पान का बाक़ी रखना और ख़ुद उनके बदन का बाक़ी रखना दिखला दिया जो रूह के बाक़ी रहने के मुम्किन होने पर अच्छी तरह दलालत करता है, क्योंकि बदन और खान-पान अ़नासिर पर मुश्तमिल होने के सबब रूह के मुक़ाबले में तब्दीली और ख़राब होने के ज़्यादा क़ाबिल हैं, और पाँचवे अमूर की नज़ीर उनका जवाब में "यौमन् औ बअ्-ज़ यौमिन्" (एक दिन या उससे भी कम) कहना है, जैसा कि बिलकुल यही जवाब बाज़ महशर वाले भी देंगे।

5. यानी ज़िन्दा करने का तो यक़ीन है मगर अ़क़्ली तौर पर उसकी मुख़्तलिफ़ कैफ़ियतें हैं, अब उनमें से मालूम नहीं कौन-सी कैफ़ियत होगी।

6. इस वाक़िए को दिखला कर अल्लाह ने क़ियामत के दिन ज़िन्दा करने की कैफ़ियत बतला दी कि इसी तरह पहले बदन के हिस्से मुख़्तलिफ़ मक़ामात से जमा होकर जिस्म तैयार होंगे फिर उनमें रूह पड़ जाएगी।

1. नेक काम में ख़र्च करना नीयत के एतिबार से तीन क़िस्म का है, एक नुमाइश के साथ, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 82 पर)**

तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है, और रद्दी (नाकारा) चीज़ की तरफ़ नीयत मत ले जाया करो कि उसमें से ख़र्च करो, हालाँकि तुम कभी उसके लेने वाले नहीं हो मगर देखकर टाल जाओ (तो और बात है)[1] और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला किसी के मोहताज नहीं, तारीफ़ के लायक़ हैं। **(267)** शैतान तुमको मोहताजी से डराता है[2] और तुमको बुरी बात (यानी कन्जूसी) का मश्विरा देता है, और अल्लाह तुमसे वायदा करता है अपनी तरफ़ से गुनाह माफ़ कर देने का और ज़्यादा देने का, और अल्लाह तआ़ला वुसुअ़त वाले हैं, ख़ूब जानने वाले हैं।[3] **(268)** दीन की समझ जिसको चाहते हैं दे देते हैं, और (सच तो यह है कि) जिसको दीन की समझ मिल जाए उसको बड़ी ख़ैर की चीज़ मिल गई, और नसीहत वही लोग क़बूल करते हैं जो अ़क्ल वाले हैं। (यानी जो सही अ़क्ल रखते हैं) **(269)** और तुम लोग जो किसी क़िस्म का ख़र्च करते हो या किसी तरह की नज़्र "यानी मन्नत" मानते हो, सो हक़ तआ़ला को यक़ीनन सबकी इत्तिला है, और बेजा काम करने वालों का कोई साथी (और हिमायती) न होगा।[4] **(270)** अगर तुम ज़ाहिर करके दो सदक़ों को तब भी अच्छी बात है, और अगर उनको छुपाओ और फ़क़ीरों को दे दो तो यह छुपाना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह तआ़ला (उसकी बरकत से) तुम्हारे कुछ गुनाह भी दूर कर देंगे। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों की ख़ूब ख़बर रखते हैं।[5] **(271)** उन (काफ़िरों) को हिदायत पर ले आना कुछ आपके ज़िम्मे (फ़र्ज़ या वाजिब) नहीं, लेकिन ख़ुदा तआ़ला जिसको चाहें हिदायत पर ले आएँ। और (ऐ मुसलमानो!) जो कुछ तुम ख़र्च करते हो अपने फ़ायदे की ग़रज़ से करते हो, और तुम और किसी ग़रज़ से ख़र्च नहीं करते सिवाय हक़ तआ़ला की ज़ाते पाक की रिज़ा हासिल करने के, और (तथा) जो कुछ माल ख़र्च कर रहे हो यह सब (यानी इसका सवाब) पूरा-पूरा तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारे लिए इसमें ज़रा कमी न की जाएगी।[6] **(272)** (सदक़ात) असल हक़ उन ज़रूरतमन्दों का है जो क़ैद हो गए हों अल्लाह की राह में,[7] (और इसी वजह से) वे लोग कहीं मुल्क में चलने-फिरने की (आ़दतन) संभावना नहीं रखते, (और) नावाक़िफ़ उनको मालदार ख़्याल करता है उनके सवाल से बचने के सबब से, (अलबत्ता) तुम उनको उनके तर्ज़ से पहचान सकते हो (कि तंगदस्ती व फ़ाक़े से चेहरे पर असर ज़रूर आ जाता है) वे लोगों से लिपट कर माँगते नहीं फिरते, और जो माल ख़र्च करोगे बेशक हक़ तआ़ला को उसकी ख़ूब इत्तिला है। ◆ **(273)** ❖

जो लोग ख़र्च करते हैं अपने मालों को रात और दिन में, (यानी वक़्त को ख़ास किए बग़ैर) खुले और छुपे तौर

(पृष्ठ 80 का शेष) उसका कुछ सवाब नहीं। दूसरे मामूली दरजे के इख़्लास के साथ, उसका सवाब दस हिस्से मिलता है। तीसरे ज़्यादा इख़्लास यानी उसके दरमियानी या आला दरजे के साथ, उसके लिए इस आयत में वायदा है दस से ज़्यादा सात सौ तक, और आयत "मन् ज़ल्लज़ी युक़्रिज़ुल्ला-ह....." में इस सात सौ के वायदे के बाद और ज़्यादा का भी वायदा किया गया है।

2. बर्ताव से तकलीफ़ पहुँचाना यह कि जैसे अपने एहसान की बिना पर उसके साथ अपमान से पेश आए कि इससे दूसरा तकलीफ़ पाता है, और तकलीफ़ पहुँचाना हराम और अ़ज़ाब को वाजिब करने वाला है। एहसान जताना भी इसमें आ गया।

3. नादारी (कुछ पास न होने) की क़ैद इसलिए लगाई कि गुंजाइश होते हुए ज़रूरतमन्द की मदद न करना ख़ुद बुरा है, उसको बेहतर क्यों कहा जाता, अलबत्ता नादारी के वक़्त नरमी से जवाब दे देना और साइल की सख़्ती को टाल देना चूँकि सवाब का सबब है इसलिए इसको ख़ैर फ़रमाया।

4. मालूम होता है कि ख़र्च करने के लिए ईमान के साथ एक शर्त इख़्लास का सही होना भी है, और एहसान जताने और तकलीफ़ पहुँचाने से बाज़ रहना उसके बाक़ी रहने की शर्त है, इसलिए मुनाफ़िक़ और दिखावा करने वाले के ख़र्च करने को बातिल और एहसान जताने और तकलीफ़ पहुँचाने को बातिल करने वाला (यानी ख़ैरात को बेकार और ज़ाया करने वाला) कहा गया, कि उसमें सही होने और बाक़ी रहने की शर्त मौजूद नहीं है।

5. ज़ाहिर बात है कि किसी को अपने लिए यह बात पसन्द नहीं आ सकती। पस जब तुम इस मिसाल के वाक़िए को पसन्द नहीं करते तो नेकियों के बातिल और बेकार करने को कैसे गवारा करते हो?

1. यह उस शख़्स के लिए है जिसके पास उम्दा चीज़ हो और फिर वह बुरी और निकम्मी चीज़ ख़र्च करे। और जिसके पास अच्छी हो ही नहीं वह इस मुमानअ़त (मनाही) से बरी है और उसकी वह बुरी चीज़ मक़बूल है।

2. यानी अगर ख़र्च करोगे या अच्छा माल ख़र्च करोगे तो मोहताज हो जाओगे। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 84 पर)**

पर (यानी हालात को ख़ास किए बग़ैर) सो उन लोगों को उनका सवाब मिलेगा अपने रब के पास, और उनपर कोई ख़तरा नहीं है और न वे ग़मगीन होंगे। **(274)** जो लोग सूद खाते हैं, नहीं खड़े होंगे (क़ियामत में क़ब्रों से) मगर जिस तरह खड़ा होता है ऐसा शख़्स जिसको ख़बती बना दे लिपट कर, (यानी हैरान व मदहोश) यह (सज़ा) इसलिए (होगी) कि उन लोगों ने कहा था कि बैअ् "यानी तिजारत" भी तो सूद की तरह है, हालाँकि अल्लाह ने बैअ् को हलाल फ़रमाया है और सूद को हराम क़रार दिया है। फिर जिस शख़्स को उसके परवर्दिगार की तरफ़ से नसीहत पहुँची और वह बाज़ आ गया तो जो कुछ पहले (लेना) हो चुका है वह उसी का रहा, और (बातिन का) मामला उसका ख़ुदा के हवाले रहा। और जो शख़्स फिर लौट जाए 'यानी दोबारा सूदी मामले में मश्ग़ूल हो जाए' तो ये लोग दोज़ख़ में जाएँगे, वे उसमें हमेशा रहेंगे। **(275)** अल्लाह तआ़ला सूद को मिटाते हैं[1] और सदक़ात को बढ़ाते हैं,[2] और अल्लाह पसन्द नहीं करते किसी कुफ़्र करने वाले को (और) किसी गुनाह के काम करने वाले को। **(276)** बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए और (ख़ास तौर पर) नमाज़ की पाबन्दी की और ज़कात दी, उनके लिए उनका सवाब होगा उनके परवर्दिगार के पास, और (आख़िरत में) उनपर कोई ख़तरा नहीं होगा और न वे ग़मगीन होंगे।[3] **(277)** ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरो और जो कुछ सूद का बक़ाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। **(278)** फिर अगर तुम इसपर अ़मल न करोगे तो इश्तिहार सुन लो जंग का अल्लाह की तरफ़ से और उसके रसूल की तरफ़ से, (यानी तुमपर जिहाद होगा) और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल माल मिल जाएँगे, न तुम किसी पर ज़ुल्म करने पाओगे और न तुमपर कोई ज़ुल्म करने पाएगा।[4] **(279)** और अगर तंगदस्त हो तो मोहलत देने का हुक्म है ख़ुशहाली तक। और यह (बात) कि माफ़ ही कर दो और ज़्यादा

(पृष्ठ 82 का शेष) 3. आयत का हासिल यह हुआ कि ऐसे ख़र्च करने में नुक़सान तो बिलकुल नहीं और नफ़ा हर तरह का है कि मग़्फ़िरत भी मिले और फ़ज़्ल भी। पस समझ का तक़ाज़ा यही है कि ऐसी हालत में शैतानी वस्वसों को हरगिज़ क़बूल न करे। और अगर ज़ाहिर में और यक़ीनी तौर पर मोहताजी के असबाब व हालात मौजूद हों तो शरीअ़त ख़ुद ऐसे शख़्स को नफ़्ली सदक़ात व ख़ैरात से रोकती है, और ऐसे शख़्स के ख़र्च न करने को कन्जूसी भी नहीं कह सकते।

4. बेजा काम करने वालों से न सिर्फ़ वे लोग मुराद हैं जो ज़रूरी शर्तों का लिहाज़ नहीं करते बल्कि वे भी मुराद हैं जो अहकाम की मुख़ालफ़त करते हैं, उनको खुले तौर पर वईद सुना दी।

5. यह आयत फ़र्ज़ और नफ़िल सब सदक़ात को शामिल है और सबमें छुपाना ही अफ़ज़ल है, और छुपाने के अफ़ज़ल होने से आयत में मुराद अपनी ज़ात में अफ़ज़ल होना है। पस अगर किसी मक़ाम पर किसी सबब से जैसे तोहमत को ख़त्म करने या इस उम्मीद पर कि लोग मेरी पैरवी करेंगे, वग़ैरह के सबब इज़्हार को तरजीह हो जाए तो यह अपने आपमें अफ़ज़लियत के मनाफ़ी नहीं है। और यह जो कहा 'कुछ गुनाह' तो वजह इसकी यह है कि ऐसी नेकियों से सिर्फ़ छोटे गुनाह माफ़ होते हैं।

6. यानी तुमको अपने बदले से मतलब रखना चाहिए और बदला हर हाल में मिलेगा, फिर तुमको इससे क्या बहस कि हमारा सदक़ा मुसलमान ही को मिले काफ़िर को न मिले। ख़ुलासा यह कि नीयत भी तुम्हारी असल में अपना ही नफ़ा हासिल करने की है, और हक़ीक़त में भी हासिल ख़ास तुम ही को होगा, फिर इसपर नज़र क्यों की जाती है कि यह नफ़ा ख़ास इसी तरीक़े से हासिल किया जाए कि मुसलमान को ही सदक़ा दें काफ़िर को न दें। और जानना चाहिए कि हदीस में जो आया है कि तेरा खाना ख़ास मुत्तक़ी खाया करें तो मुराद उससे दावत का खाना है, और इस आयत में ज़रूरत का खाना मुराद है, पस टकराव और इख़्तिलाफ़ का शुब्हा न किया जाए।

7. यानी दीन की ख़िदमत में। और जानना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस आयत के मिस्दाक़ (यानी जिनपर यह फ़िट आती है) सबसे ज़्यादा वे हज़रात हैं जो दीनी उलूम की ख़िदमत और उनको फैलाने में मश्ग़ूल हैं।

1. कभी तो दुनिया ही में सब बर्बाद हो जाता है, वरना आख़िरत में तो यक़ीनी बर्बादी है, क्योंकि वहाँ उसपर अ़ज़ाब होगा।

2. कभी तो दुनिया में भी वरना आख़िरत में तो यक़ीनन बढ़ता है, क्योंकि वहाँ उसपर बहुत-सा सवाब मिलेगा, जैसा कि ऊपर की आयत में मज़कूर हुआ।

3. ऊपर की आयत में सूद खाने वालों का क़ौल "इन्न-मल् बैअु मिस्लुर्रिबा" **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 86 पर)**

बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुमको (इसके सवाब की) ख़बर हो।[1] **(280)** और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह तआला की पेशी में लाए जाओगे, फिर हर शख़्स को उसका किया हुआ (बदला) पूरा-पूरा मिलेगा, और उनपर किसी क़िस्म का ज़ुल्म न होगा। **(281)** ❖

ऐ ईमान वालो! जब उधार का मामला करने लगो,[2] एक मुक़र्ररा मीयाद तक (के लिए) तो उसको लिख लिया करो। और यह ज़रूरी है कि तुम्हारे आपस में (जो) कोई लिखने वाला हो (वह) इन्साफ़ के साथ लिखे, और लिखने वाला लिखने से इनकार भी न करे, जैसा कि अल्लाह तआला ने उसको (लिखना) सिखला दिया, उसको चाहिए कि लिख दिया करे, और वह शख़्स लिखवा दे जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो, और अल्लाह तआला से जो कि उसका परवर्दिगार है डरता रहे, और उसमें से ज़र्रा बराबर (बतलाने में) कमी न करे। फिर जिस शख़्स के ज़िम्मे हक़ वाजिब था वह अगर कम-अक़्ल हो या कमज़ोर बदन वाला हो या ख़ुद लिखने की क़ुदरत न रखता हो,[3] तो उसका कारकुन ठीक-ठीक तौर पर लिखाए। और दो शख़्सों को अपने मर्दों में से गवाह (भी) कर लिया करो,[4] फिर अगर वे दो गवाह मर्द (मयस्सर) न हों तो एक मर्द और दो औरतें (गवाह बना ली जाएँ) ऐसे गवाहों में से जिनको तुम पसन्द करते हो, ताकि उन दोनों औरतों में से कोई एक भूल भी जाए तो उनमें की एक दूसरी को याद दिला दे। और गवाह भी इनकार न किया करें जब (गवाह बनने के लिए) बुलाए जाया करें। और तुम उस (क़र्ज़) के (बार-बार) लिखने से उकताया मत करो, चाहे वह (मामला) छोटा हो या बड़ा हो। यह लिख लेना इन्साफ़ को ज़्यादा क़ायम रखने वाला है अल्लाह के नज़दीक और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है और इस बात के लिए ज़्यादा मुनासिब है कि तुम (मामले के मुताल्लिक़) किसी शुब्हा में न पड़ो, मगर यह कि कोई सौदा हाथों-हाथ हो, जिसको आपस में लेते देते हो तो उसके न लिखने में तुमपर कोई इल्ज़ाम नहीं, और (इतना उसमें भी ज़रूर कर लिया करो कि) ख़रीद व बेच के वक़्त गवाह कर लिया करो, और किसी लिखने वाले को तकलीफ़ न दी जाए और न किसी गवाह को, और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुमको गुनाह होगा, और ख़ुदा से डरो और अल्लाह (का तुमपर एहसान है कि) तुमको तालीम फ़रमाता है और अल्लाह तआला सब चीज़ों के जानने वाले हैं।[5] **(282)** और

(पृष्ठ 84 का शेष) उनके कुफ़्र पर दलालत करता है। उसके मुक़ाबिल इस आयत में "आ-मनू" लाया गया। और वहाँ उनकी सूद की बद-अ़मली मज़कूर थी, जिससे उन लोगों का दुनिया की तरफ़ राग़िब होना भी समझ में आता था, यहाँ उनका अच्छे अ़मल करना मुख़्तसर तौर पर "अ़मिलुस्सालिहाति" से और तफ़सीली तौर पर अल्लाह की तरफ़ राग़िब होना "अक़ामुस्सला-त" से, और सूद का माल हासिल करने के बजाय उसके उलट माल ख़र्च करना "आतुज़्ज़का-त" से ज़िक्र हुआ है। और ज़ाहिर है कि इन मुक़ाबलों की रियायत से कलाम में किस क़द्र हुस्न व ख़ूबी आ गई।

4. इस आयत में जो यह फ़रमाया है कि अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हें मिलेगा, इससे समझ में आता है कि तौबा न करने की सूरत में असल माल भी न मिलेगा।

1. मुफ़्लिस को मोहलत देना वाजिब है। जब उसको गुंजाइश हो फिर मुतालबे की इजाज़त है।

2. चाहे दाम उधार हो या जो चीज़ ख़रीदनी हो वह उधार हो।

3. जैसे गूँगा है और लिखने वाला उसका इशारा नहीं समझता, या जैसे दूसरे मुल्क का रहने वाला है और दूसरी ज़बान बोलता है और लिखने वाला उसकी बोली नहीं समझता।

4. शरीअ़त में दावे को साबित करने का असल मदार यही गवाह हैं अगरचे दस्तावेज़ न हो, और ख़ाली दस्तावेज़ बग़ैर गवाहों के ऐसे मामलात में हुज्जत और मोतबर नहीं। दस्तावेज़ लिखना सिर्फ़ याददाश्त की आसानी के लिए है कि उसका मज़मून सुनकर तबई तौर पर अक्सर वाक़िआ़ याद आ जाता है।

5. लिखने में तीन फ़ायदे बयान फ़रमाए। अव्वल का हासिल यह है कि एक का हक़ **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 88 पर)**

अगर तुम कहीं सफ़र में हो और (वहाँ) कोई लिखने वाला न पाओ, सो रहन रखने की चीज़ें (हैं) जो क़ब्ज़े में दे दी जाएँ।[1] और अगर एक-दूसरे का एतिबार करता हो तो जिस शख़्स का एतिबार कर लिया गया है (यानी क़र्ज़ लेने वाला) उसको चाहिए कि दूसरे का हक़ (पूरा-पूरा) अदा कर दे और अल्लाह तआ़ला से जो कि उसका परवर्दिगार है डरे। और गवाही को मत छुपाया करो, और जो शख़्स उसको छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे किए हुए कामों को ख़ूब जानते हैं।[2] **(283)** ❖

अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं सब जो कुछ कि आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं। और जो बातें तुम्हारे नफ़्सों में हैं उनको अगर तुम ज़ाहिर करोगे या कि छुपाओगे हक़ तआ़ला तुमसे हिसाब लेंगे,[3] फिर (कुफ़्र व शिर्क के अ़लावा) जिसके लिए मन्ज़ूर होगा बख़्श देंगे और जिसको मन्ज़ूर होगा सज़ा देंगे, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं। **(284)** एतिक़ाद रखते हैं रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) उस चीज़ का जो उनके पास उनके रब की तरफ़ से नाज़िल की गई है, और मोमिनीन भी सबके-सब अ़क़ीदा रखते हैं अल्लाह के साथ और उसके फ़रिश्तों के साथ और उसकी किताबों के साथ और उसके पैग़म्बरों के साथ कि हम उसके पैग़म्बरों में से किसी में तफ़रीक़ नहीं करते, और उन सबने यूँ कहा कि हमने (आपका इर्शाद) सुना और ख़ुशी से माना, हम आपकी बख़्शिश चाहते हैं ऐ हमारे परवर्दिगार, और आप ही की तरफ़ (हम सबको) लौटना है। **(285)** अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को मुकल्लफ़ नहीं बनाता मगर उसी का जो उसकी ताक़त (और इख़्तियार) में हो। उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादे से करे, और उसपर अ़ज़ाब भी उसी का होगा जो इरादे से करे।[4] ऐ हमारे रब! हमपर पकड़ न फ़रमाइए अगर हम भूल जाएँ या चूक जाएँ, ऐ हमारे रब! और हमपर कोई सख़्त हुक्म न भेजिए जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजे थे, ऐ हमारे रब! और हमपर कोई ऐसा बोझ (दुनिया या आख़िरत का) न डालिए जिसकी हमको सहार न हो, और दरगुज़र कीजिए हमसे, और बख़्श दीजिए हमको, और रहम कीजिए हमपर, आप हमारे काम बनाने वाले हैं (और काम बनाने वाला तरफ़दार होता है) सो आप हमको काफ़िर लोगों पर ग़ालिब कीजिए।[5] **(286)** ❖

(पृष्ठ 86 का शेष) दूसरे के पास न जाएगा न रहेगा। दूसरे का हासिल यह है कि गवाहों को आसानी होगी। तीसरे का हासिल यह है कि मामला करने वालों का जी साफ़ रहेगा। तीनों फ़ायदों का अलग-अलग होना ज़ाहिर है। और इन फ़ायदों का इस तरह बयान करना क़रीना है लिखने के मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) होने का, इसी तरह गवाह करना भी मुस्तहब है, अलबत्ता लिखने वाले और गवाह को नुक़सान पहुँचाना हराम है, "फ़ुसूक़ुन् बिकुम्" इसका खुला क़रीना है। और यह जो फ़रमाया कि न लिखने में इल्ज़ाम नहीं तो मुराद यह है कि दुनिया का नुक़सान नहीं वरना गुनाह तो किसी मामले के न लिखने में नहीं है।

1. जम्हूर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि रहन रखना जिस तरह सफ़र में जायज़ है हज़र (वतन और ठहरने की जगह) में भी जायज़ है। यहाँ ज़िक्र करने में सफ़र को ख़ास करने की वजह यह है कि हज़र के मुक़ाबले में सफ़र में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी।

मसलाः जो चीज़ रहन रखी जाए उसपर जब तक उसका क़ब्ज़ा न हो जाए जिसके पास वह रखी गई है, वह रहन नहीं होता।

2. शहादत (गवाही) का छुपाना दो तरह से है, एक यह कि बिलकुल बयान न करे, दूसरे यह कि ग़लत-बयानी करे। दोनों में असल वाक़िआ़ छुप गया और दोनों सूरतें हराम हैं। जब किसी हक़दार का हक़ बग़ैर उसकी शहादत के ज़ाया होने लगे और वह दरख़्वास्त भी करे, तो उस वक़्त गवाही देने से इनकार करना हराम है। चूँकि शहादत का देना वाजिब है इसलिए उसपर उजरत लेना जायज़ नहीं, अलबत्ता आने-जाने का ख़र्च और ज़रूरत के मुताबिक़ खाना-पीना साहिबे मामला के ज़िम्मे है। अगर ज़्यादा आ जाए तो बक़िया वापस कर दे।

3. 'मा फ़ी अन्फ़ुसिकुम्' से मुराद दिल की इख़्तियारी बातें हैं।

4. यहाँ जो सवाब व अ़ज़ाब का मदार आमाल और मेहनत पर रखा, मुराद इससे सवाब व अ़ज़ाब शुरूआत में है न कि किसी के देने या सबब बनने से।

5. हदीस में है कि ये सब दुआ़एँ क़बूल हुईं।

3 सूरः आलि इमरान 89

सूरः आलि इमरान मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 200 आयतें और 20 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम्-मीम् **(1)** अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद बनाने के क़ाबिल नहीं और वह ज़िन्दा (हमेशा रहने वाले) हैं, सब चीज़ों के संभालने वाले हैं।[1] **(2)** अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है हक़ के साथ इस कैफ़ियत से कि वह तस्दीक़ करता है उन (आसमानी) किताबों की जो उससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं, और (इसी तरह) भेजा था तौरात और इन्जील को **(3)** इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते, और अल्लाह तआ़ला ने भेजे मोजिज़ात, बेशक जो लोग इनकारी हैं अल्लाह की आयतों के उनके लिए सख़्त सज़ा है, और अल्लाह तआ़ला ग़ल्बे (और क़ुदरत) वाले हैं, (और) बदला लेने वाले हैं। **(4)** बेशक अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, (न कोई चीज़) ज़मीन में और न (कोई चीज़) आसमान में। **(5)** वह ऐसी ज़ाते पाक है कि तुम्हारी सूरत (व शक्ल) बनाता है रहमों "यानी बच्चेदानियों" में, जिस तरह चाहता है। कोई इबादत के लायक़ नहीं सिवाय उसके, वह ग़ल्बे वाले हैं (और) हिक्मत वाले हैं। **(6)** वह ऐसा है जिसने नाज़िल किया तुमपर किताब को जिसमें का एक हिस्सा वे आयतें हैं जो कि मुराद के इश्तिबाह "यानी पोशीदा और मुश्तबह होने" से महफ़ूज़ हैं।[2] और यही आयतें असली मदार हैं (इस) किताब का,[3] और दूसरी आयतें ऐसी हैं जो कि मुराद में मुश्तबह हैं,[4] सो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे उसके उसी हिस्से के पीछे हो लेते हैं जो मुराद में मुश्तबह है, (दीन में) शोरिश "यानी फ़ितना" ढूँढने की ग़रज़ से, और उसका (ग़लत) मतलब ढूँढने की ग़रज़ से, हालाँकि उनका (सही) मतलब सिवाय हक़ तआ़ला के कोई और नहीं जानता। और जो लोग (दीन के) इल्म में पुख़्तगी रखने वाले (और समझदार) हैं वे यूँ कहते हैं कि हम इसपर (इजमालन् "यानी सरसरी और समझ में न आने के बावजूद" यक़ीन रखते हैं, (ये) सब हमारे परवर्दिगार की तरफ़ से हैं, और नसीहत वही लोग क़बूल करते हैं जो कि अ़क़्ल वाले हैं।[5] **(7)** ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए बाद इसके कि आप हमको हिदायत कर चुके हैं, और हमको अपने पास से (ख़ास) रहमत अ़ता फ़रमाइए, बेशक आप बड़े अ़ता फ़रमाने वाले हैं।[6] **(8)** ऐ हमारे परवर्दिगार! आप बेशक तमाम आदमियों को (मैदाने हश्र में)

---

1. 'हय्यु व क़य्यूम' की सिफ़ात लाने में बातिल माबूदों के माबूद न होने की अ़क़्ली दलील पर इशारा है क्योंकि उनमें ये सिफ़तें नहीं हैं।
2. यानी उनका मतलब ज़ाहिर है।
3. यानी मायने ज़ाहिर न करने वाली आयतों को भी मायने ज़ाहिर करने वाली के मुवाफ़िक़ बनाया जाता है।
4. यानी उनका मतलब पोशीदा है, चाहे मुख़्तसर होने की वजह से, चाहे किसी ज़ाहिर मुराद वाली नस्स से टकराने की वजह से।
5. बाज़ तौहीद के इनकारी लोगों का बाज़ ऐसे कलिमात से जो तौहीद के ख़िलाफ़ वहम में डालने वाले हों, से इस्तिदलाल हो सकता था, चुनाँचे कुछ ईसाइयों ने लफ़्ज़ "रूहुल्लाह" और "कलिमतुल्लाह" से जो कि क़ुरआन में आए हैं, अपने मुद्दआ़ पर इल्ज़ामी तौर पर इस्तिदलाल किया था। इस आयत में उस शुब्हे का जवाब है। जिसका हासिल यह है कि ऐसे कलिमात से जिनकी मुराद पोशीदा है हुज्जत पकड़ना दुरुस्त नहीं, बल्कि अ़क़ायद का मदार वाज़ेह और खुली नुसूस (दीन के वे अहकाम जो वाज़ेह हैं) हैं, और जिनकी मुराद पोशीदा हो उनपर जबकि उनकी तफ़सीर मालूम न हो इज्मालन् ईमान ले आना वाजिब है, ज़्यादा तफ़्तीश की इजाज़त नहीं।
6. यह हक़ परस्तों का दूसरा कमाल ज़िक्र किया गया है, कि बावजूद हक़ तक पहुँचने के उसपर नाज़ाँ और मग़रूर नहीं बल्कि हक़ तआ़ला से हक़ पर जमे रहने की दुआ़ करते हैं।

जमा करने वाले हैं, उस दिन जिसमें ज़रा शक नहीं, बेशक अल्लाह तआला वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते।[1] (9) ❖

यक़ीनन जो लोग कुफ़्र करते हैं हरगिज़ उनके काम नहीं आ सकते उनके माल (व दौलत) और न उनकी औलाद अल्लाह तआला के मुक़ाबले में ज़र्रा बराबर भी,[2] और ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। (10) जैसा मामला था फ़िरऔन वालों का और उनसे पहले वाले (काफ़िर) लोगों का, कि उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया इसपर अल्लाह ने उनकी पकड़ फ़रमाई उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देने वाले हैं। (11) आप उन कुफ़्र करने वालों से फ़रमा दीजिए कि जल्द ही तुम (मुसलमानों के हाथ से) मग़लूब किए जाओगे, और (आख़िरत में) जहन्नम की तरफ़ जमा करके ले जाए जाओगे, और वह (जहन्नम) बुरा ठिकाना है।[3] (12) बेशक तुम्हारे लिए बड़ा नमूना है दो गिरोहों (के वाक़िए) में जो कि आपस में एक-दूसरे[4] के मुक़ाबिल हुए थे। एक गिरोह तो अल्लाह की राह में लड़ता था (यानी मुसलमान) और दूसरा गिरोह वे काफ़िर लोग थे, ये काफ़िर अपने को देख रहे थे कि उन (मुसलमानों) से कई हिस्से (ज़्यादा) हैं खुली आँखों देखना, और अल्लाह तआला अपनी इम्दाद से जिसको चाहते हैं क़ुव्वत दे देते हैं, (सो) बेशक इसमें बड़ी इब्रत है (समझने) देखने वाले लोगों के लिए।[5] (13) अच्छी मालूम होती है (अक्सर) लोगों को मुहब्बत पसन्दीदा चीज़ों की, (जैसे) औरतें हुईं, बेटे हुए, लगे हुए ढेर हुए सोने और चाँदी के, नम्बर (यानी निशान) लगे हुए घोड़े हुए, (या दूसरे) मवेशी हुए और खेती हुई, (लेकिन) ये सब चीज़ें दुनियावी ज़िन्दगानी में इस्तेमाल करने की हैं, और अन्जामकार की भलाई तो अल्लाह ही के पास है।[6] (14) आप फ़रमा दीजिए क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ बतला दूँ जो (बहुत ही ज़्यादा) बेहतर हो इन चीज़ों से, (सो सुनो) ऐसे लोगों के लिए जो (अल्लाह से) डरते हैं, उनके (हक़ीक़ी) मालिक के पास ऐसे-ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे और (उनके लिए) ऐसी बीवियाँ हैं जो साफ़-सुथरी की हुई हैं, और (उनके लिए) रिज़ा और ख़ुशनूदी है अल्लाह तआला की तरफ़ से, और अल्लाह तआला ख़ूब देखते (भालते) हैं बन्दों को। (15) (ये) ऐसे लोग (हैं) जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ईमान ले आए, सो आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए

---

1. यहाँ तक ज़बान से हुज्जत पूरी करने का बयान था, आगे तलवार से मुक़ाबले का बयान और तलवार का लुक़्मा बनने और मग़लूब होने की वईद है, जो साफ़ तौर पर इस आयत में ज़िक्र की गई है: 'क़ुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू...' और इससे पहले कि आयत बतौर तम्हीद के है।

2. मुक़ाबले में काम आने के दो मायने हो सकते हैं, एक यह कि अल्लाह तआला की रहमत व इनायत की ज़रूरत न हो, उसके बदले सिर्फ़ माल और औलाद काफ़ी और लाभदायक हो जाए, दूसरे यह कि माल व औलाद अल्लाह तआला के मुक़ाबिल होकर उनके अज़ाब से बचा ले। मुक़ाबले का लफ़्ज़ दोनों जगह बोला जाता है। सो आयत में दोनों की नफ़ी (इनकार) कर दी गई।

3. इस आयत में काफ़िरों के मग़लूब होने की ख़बर दी गई है। आगे उसकी एक काफ़ी नज़ीर बतौर दलील के इर्शाद फ़रमाते हैं।

4. बदर की लड़ाई में।

5. रिवायतों में आया है कि उस दिन मुसलमान तीन सौ तेरह (313) थे और कुफ़्फ़ार एक हज़ार (1000) थे, गोया काफ़िर लोग मुसलमानों से तीन हिस्से थे। इस आयत में उसी ज़्यादा होने को बयान फ़रमाया है, कि कुफ़्फ़ार आँखों से देख रहे थे कि हमारा गिरोह ज़्यादा है मगर फिर भी अन्जाम देख लिया कि मुसलमान ही ग़ालिब रहे।

6. यह जो फ़रमाया कि इन चीज़ों की मुहब्बत ख़ुश्नुमा (अच्छी) मालूम होती है, इसका हासिल मेरे ज़ौक़ में यह है कि मुहब्बत व मैलान अक्सर हालात में फ़ितने का सबब हो जाने की वजह से डर की चीज़ थी मगर अक्सर लोग इसको नुक़सान का सबब नहीं जानते बल्कि इस मैलान को बिना किसी क़ैद के अच्छा समझते हैं। और अल्लाह ही को ज़्यादा इल्म है।

और हमको दोज़ख़ के अज़ाब से बचा लीजिए।[1] **(16)** (और वे लोग) सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं और (अल्लाह के सामने) आजिज़ी करने वाले हैं, और (माल) ख़र्च करने वाले हैं और रात के आख़िरी हिस्से में (उठ-उठकर) गुनाहों की माफ़ी चाहने वाले हैं।[2] **(17)** गवाही दी अल्लाह तआ़ला ने इसकी कि सिवाय उस ज़ात के कोई माबूद होने के लायक़ नहीं और फ़रिश्तों ने भी और इल्म वालों ने भी, और माबूद भी वह इस शान के हैं कि एतिदाल के साथ इन्तिज़ाम रखने वाले हैं,[3] उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक़ नहीं, वह ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। ● **(18)** बेशक (हक़ और मक़बूल) दीन अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इख़्तिलाफ़ किया (कि इस्लाम को बातिल कहा) तो ऐसी हालत के बाद कि उनको दलील पहुँच चुकी थी सिर्फ़ एक-दूसरे से बढ़ने के सबब से,[4] और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के अहकाम का इनकार करेगा तो इसमें कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआ़ला बहुत जल्द उसका हिसाब लेने वाले हैं। **(19)** फिर भी अगर ये लोग आपसे हुज्जतें निकालें तो आप फ़रमा दीजिए कि (तुम मानो या न मानो) मैं तो अपना रुख़ ख़ास अल्लाह की तरफ़ कर चुका और जो मेरी पैरवी करने वाले थे वे भी। और अहले किताब से और अ़रब (के मुश्रिकीन) से कहिए कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? सो अगर वे लोग इस्लाम ले आएँ तो वे लोग भी राह पर आ जाएँगे, और अगर वे लोग रू-गर्दानी करें तो आपके ज़िम्मे सिर्फ़ पहुँचा देना है, और अल्लाह तआ़ला ख़ुद देख (और समझ) लेगें बन्दों को। **(20)** ❖

बेशक जो लोग कुफ़्र करते हैं अल्लाह तआ़ला की आयतों के साथ और क़त्ल करते हैं पैग़म्बरों को नाहक़, और क़त्ल करते हैं ऐसे शख़्सों को जो (अफ़आ़ल व अख़्लाक़ के) एतिदाल की तालीम देते हैं, सो ऐसे लोगों को ख़बर सुना दीजिए एक दर्दनाक सज़ा की। **(21)** (और) ये वे लोग हैं कि उनके सब (नेक) आमाल ग़ारत हो गए दुनिया में और आख़िरत में,[5] और (सज़ा के वक़्त) उनका कोई (हिमायती और) मददगार न होगा। **(22)** (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जिनको किताब (तौरात) का एक (काफ़ी) हिस्सा दिया गया,[6] और उसी अल्लाह की किताब की तरफ़ इस ग़रज़ से उनको बुलाया भी जाता है कि वह उनके दरमियान फ़ैसला कर दे, फिर (भी) उनमें से कुछ लोग मुँह मोड़ते हैं बेरुख़ी करते हुए। **(23)** (और) यह इस सबब से है कि वे लोग यूँ कहते हैं कि हमको सिर्फ़ गिनती के थोड़े दिनों तक दोज़ख़ की आग लगेगी, और उनको धोखे में डाल

1. यह जो कहा कि हम ईमान ले आए सो आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, यह इस वजह से है कि बग़ैर ईमान के मग़्फ़िरत नहीं होती। पस हासिल यह हुआ कि कुफ़्र जो मग़्फ़िरत में हमेशा के लिए रुकावट है उसको हम दूर कर चुके अब माफ़ कर दीजिए।
2. रात के आख़िरी हिस्से की तख़्सीस इसलिए है कि उस वक़्त उठने में मशक़्क़त भी है और वह वक़्त क़बूलियत का भी है।
3. "क़ाइमम्-बिल्क़िस्ति" की सिफ़त ग़ालिबन् इसलिए बढ़ा दी कि वह ऐसे नहीं कि सिर्फ़ अपनी ताज़ीम और इबादत ही कराते हों बल्कि वह सबके काम भी बनाते हैं।
4. यानी इस्लाम के हक़ होने में शुब्हा करने की कोई वजह नहीं हुई, बल्कि उनमें दूसरों से बड़ा बनने का माद्दा है और इस्लाम लाने में यह सरदारी जो उनको अब अ़वाम पर हासिल है ख़त्म होती थी, इसलिए इस्लाम को क़बूल नहीं किया बल्कि उल्टा उसको बातिल बतलाने लगे।
5. दुनिया में ग़ारत होना यह कि उनके साथ मुसलमानों जैसा मामला न होगा, और आख़िरत में यह कि उनकी मग़्फ़िरत न होगी।
6. अगर हिदायत के तालिब होते तो वह हिस्सा इस ग़रज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी था।

रखा है उनके दीन के बारे में उनकी घड़ी हुई बातों ने, सो (उनका) क्या (बुरा) हाल होगा। **(24)** जबकि हम उनको उस तारीख़ में जमा कर लेंगे जिस (के आने) में ज़रा-सा शुब्हा नहीं, और (उस तारीख़ में) पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा हर शख़्स को (उस काम का) जो कुछ उसने (दुनिया में) किया था, और उन शख़्सों पर ज़ुल्म न किया जाएगा।[1] **(25)** (ऐ मुहम्मद) आप (अल्लाह से) यूँ कहिए कि ऐ अल्लाह तमाम मुल्क के मालिक! आप मुल्क जिसको चाहें दे देते हैं और जिससे चाहें मुल्क ले लेते हैं, और जिसको चाहें ग़ालिब कर देते हैं, और जिसको चाहें पस्त कर देते हैं, आप ही के इख़्तियार में है सब भलाई, बेशक आप हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं। **(26)** आप रात के हिस्सों को दिन में दाख़िल कर देते हैं, और (बाज़ मौसमों में) दिन (के हिस्सों) को रात में दाख़िल कर देते हैं, और आप जानदार चीज़ को बेजान चीज़ से निकाल लेते हैं, (जैसे अंडे से बच्चा) और बेजान चीज़ को जानदार से निकाल लेते हैं, (जैसे परिन्दे से अंडा) और आप जिसको चाहते हैं बेशुमार रिज़्क़ अ़ता फ़रमाते हैं।[2] **(27)** मुसलमानों को चाहिए कि काफ़िरों को (खुले तौर पर या छुपे तौर पर) दोस्त न बनाएँ,[3] मुसलमानों (की दोस्ती) से आगे बढ़ करके,[4] और जो शख़्स ऐसा (काम) करेगा सो वह शख़्स अल्लाह के साथ (दोस्ती रखने के) किसी शुमार में नहीं, मगर ऐसी सूरत में कि तुम उनसे किसी क़िस्म का (सख़्त) अन्देशा रखते हो, और अल्लाह तआ़ला तुमको अपनी ज़ात से डराता है, और ख़ुदा ही की तरफ़ लौटकर जाना है।[5] **(28)** आप फ़रमा दीजिए कि अगर तुम छुपाकर रखोगे अपने दिल की बात या उसको ज़ाहिर करोगे, अल्लाह तआ़ला उसको (हर हाल में) जानते हैं, और वह सब कुछ जानते हैं जो कुछ आसमनों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत भी मुकम्मल रखते हैं। **(29)** जिस दिन (ऐसा होगा) कि हर शख़्स अपने अच्छे किए हुए कामों को सामने लाया हुआ पाएगा और अपने बुरे किए हुए कामों को भी, (और) इस बात की तमन्ना करेगा कि क्या ख़ूब होता जो उस शख़्स के और उस दिन के दरमियान बहुत लम्बी दूरी (आड़) होती, और ख़ुदा तआ़ला तुमको अपनी (अ़ज़ीमुश्शान) ज़ात से डराते हैं, और अल्लाह तआ़ला बन्दों पर निहायत मेहरबान हैं। **(30)** ❖

---

1. अगली आयत में उम्मते मुहम्मदिया के काफ़िरों पर ग़ालिब आने की पैशीनगोई (भविष्यवाणी) की तरफ़ तालीमे मुनाजात के उन्वान में इशारा है। जैसा कि शाने नुज़ूल से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रूम व ईरान फ़त्ह हो जाने का वायदा फ़रमाया तो मुनाफ़िक़ लोग और यहूद ने मज़ाक़ उड़ाया और इसे दूर की बात बताया, उसपर यह आयत नाज़िल हुई।

2. यानी हर तरह की क़ुदरत हासिल है। सो कमज़ोरों को क़ुव्वत व हुकूमत दे देना क्या मुश्किल है। इस दुआ़ में एक क़िस्म का इस्तिदलाल है इसके इम्कान (संभावना) पर, और कुफ़्र के दूर होने का दफ़ा करना है। (यानी जो लोग यह समझते हैं कि कुफ़्र का ज़ोर नहीं टूटेगा सो उनका रद्द है) और ख़ैर की तख़्सीस इसलिए मुनासिब हुई कि यहाँ मक़सूद ख़ैर का माँगना है। जैसे कोई कहे कि नौकर रखना आपके इख़्तियार में होता है, अगरचे नौकर का हटा देना और अलग कर देना भी इख़्तियार में होता है।

3. ऊपर कुफ़्फ़ार की बुराई ज़िक्र हुई थी, इस आयत में उनके साथ दोस्ती करने की मुमानअ़त (मनाही) फ़रमाते हैं।

4. हद से बढ़ना दो सूरत से होता है, एक यह कि मुसलमानों के साथ बिलकुल दोस्ती न रखें, दूसरे यह कि मुसलमानों के साथ-साथ कुफ़्फ़ार से भी दोस्ती रखें, दोनों सूरतें मनाही में दाख़िल हैं।

5. काफ़िरों के साथ तीन क़िस्म के मामले होते हैं, एक यह कि 'मवालात' यानी दोस्ती, नम्बर दो 'मुदारात' यानी ज़ाहिरी तौर पर अच्छे अख़्लाक़ का बर्ताव, नम्बर तीन 'मुवासात' यानी एहसान करना व फ़ायदा पहुँचाना। मवालात तो किसी हाल में जायज़ नहीं और मुदारात तीन हालतों में दुरुस्त है, एक नुक़सान और शर को दफ़ा करने के वास्ते, दूसरे उस काफ़िर की दीनी मस्लहत यानी हिदायत की उम्मीद के वास्ते, तीसरे मेहमान के इक्राम और अदब के लिए। और अपनी मस्लहत और माल व जान के फ़ायदे के लिए दुरुस्त नहीं। और मुवासात का हुक्म यह है कि अहले हरब के साथ नाजायज़ है और ग़ैर-अहले हरब के साथ जायज़।

आप फ़रमा दीजिए कि अगर तुम खुदा तआला से मुहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी पैरवी करो और खुदा तआला तुमसे मुहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे, और अल्लाह तआला बड़े माफ़ करने वाले, बड़ी इनायत फ़रमाने वाले हैं। **(31)** (और) आप (यह भी) फ़रमा दीजिए कि तुम फ़रमाँबर्दारी किया करो अल्लाह तआला की और उसके रसूल की, फिर (इसपर भी) अगर वे लोग मुँह मोड़ें सो (सुन रखें कि) अल्लाह तआला काफ़िरों से मुहब्बत नहीं करते। **(32)** बेशक अल्लाह तआला ने (नुबुव्वत के लिए) चुन लिया है (हज़रत) आदम को और (हज़रत) नूह को और (हज़रत) इब्राहीम की औलाद (में से कुछ) को और इमरान की औलाद (में से कुछ) को तमाम जहान पर। **(33)** बाज़े उनमें बाज़ों की औलाद हैं;[1] और अल्लाह तआला ख़ूब सुनने वाले हैं ख़ूब जानने वाले हैं। **(34)** जबकि इमरान[2] (मरियम के बाप) की बीवी ने (गर्भ की हालत में) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने मन्नत मानी है आपके लिए इस बच्चे की जो मेरे पेट में है, कि वह आज़ाद रखा जाएगा, सो आप मुझसे (पैदाइश के बाद) क़बूल कर लीजिए, बेशक आप ख़ूब सुनने वाले, ख़ूब जानने वाले हैं। **(35)** फिर जब लड़की को जन्म दिया (हसरत से) कहने लगीं कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने तो वह हमल ''यानी गर्भ'' लड़की जन्मी, हालाँकि खुदा तआला ज़्यादा जानते हैं उसको जो उन्होंने जन्मी, और वह लड़का (जो उन्होंने चाहा था) इस लड़की के बरावर नहीं, और मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं इसको और इसकी औलाद को (अगर कभी औलाद हो) आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मर्दूद से। **(36)** पस उन (मरियम अलैहस्सलाम) को उनके रब ने बेहतरीन तौर पर क़बूल फ़रमाया और उम्दा तौर पर परवान चढ़ाया[3] और (हज़रत) ज़करिया को उनका सरपरस्त ''यानी अभिभावक'' वनाया, (सो) जब कभी ज़करिया (अलैहिस्सलाम) उनके पास उम्दा मकान में तशरीफ़ लाते तो उनके पास कुछ खाने-पीने की चीज़ें पाते (और) यूँ फ़रमाते कि ऐ मरियम! ये चीज़ें तुम्हारे वास्ते कहाँ से आईं, वह कहतीं कि अल्लाह तआला के पास से आईं, बेशक अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं बे-अहलियत रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। **(37)** इस मौक़े पर दुआ की ज़करिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से, अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! इनायत कीजिए मुझको ख़ास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं दुआ के। **(38)** पस पुकार कर कहा उनसे फ़रिश्तों ने और वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे मेहराब में,[4] कि अल्लाह तआला आपको ख़ुशख़बरी देते हैं यहया की जिनके हालात ये होंगे कि वह कलिमतुल्लाह की तस्दीक़ करने वाले होंगे,[5] और मुक़्तदा होंगे, ''यानी रहनुमा होंगे और उनकी पैरवी की जाएगी'' और अपने नफ़्स को (लज़्ज़तों से) बहुत रोकने वाले होंगे,[6]

---

1. यह जो फ़रमाया कि एक-दूसरे की औलाद है, शायद मक़सूद इससे उन सब हज़रात का इत्तिहाद या ज़ाती शरफ़ के साथ नसब का शरफ़ बयान फ़रमाना हो, या इस बात का जताना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाप-दादाओं में भी नुबुव्वत रही है, अगर आपको नुबुव्वत मिल गई तो बईद क्या है। वल्लाहु अअ्लम्।

2. अगर यह इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं तो औलाद से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं। और अगर यह इमरान हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के वालिद हैं तो औलाद से मुराद हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहस्सलाम हैं।

3. यह जो फ़रमाया कि उम्दा तौर पर उनको परवान चढ़ाया तो इसके दो मायने हो सकते हैं, एक यह कि शुरू से इबादत व इताअत में मशग़ूल रखा, दूसरे यह कि और बच्चों कि मामूली बढ़ोतरी और फलने-फूलने से उनकी ज़ाहिरी बढ़ोतरी थी।

4. मेहराव से मुराद या तो मस्जिदे बैतुल मक़्दिस का मेहराब है, या मुराद इससे वह मकान है जिसमें हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को रखा करते थे, क्योंकि इस जगह मेहराव के मायने उम्दा मकान के हैं।

5. यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत की तस्दीक़ करने वाले होंगे। कलिमतुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए कहते हैं कि वह महज़ खुदा तआला के हुक्म से ख़िलाफ़े आदत बिना बाप के वास्ते के पैदा किए गए।

6. लज़्ज़तों से रोकने में सव जायज़ ख़्वाहिशों से बचना दाख़िल हो गया। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, निकाह करना, वग़ैरह-वग़ैरह।

और नबी भी होंगे और आला दर्जे के सलीक़े वाले होंगे। **(39)** ज़करिया ने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरे लड़का किस तरह होगा हालाँकि मुझको बुढ़ापा आ पहुँचा और मेरी बीवी भी बच्चा जनने के क़ाबिल नहीं रही, अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया कि इसी हालत में लड़का हो जाएगा, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं। **(40)** उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ परवर्दिगार! मेरे वास्ते कोई निशानी मुक़र्रर कर दीजिए, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से तीन दिन तक बातें न कर सकोगे सिवाय इशारे के, और अपने रब को (दिल से) कसूरत से याद कीजिये और (ज़बान से भी) तसबीह (और पाकी बयान) कीजिये दिन ढले भी और सुबह को भी, (कि इसकी क़ुदरत रहेगी) **(41)** ❖

और (वह वक़्त ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जबकि फ़रिश्तों ने कहा[1] कि ऐ मरियम! बेशक तुमको अल्लाह तआ़ला ने मुन्तख़ब (यानी मक़बूल) फ़रमाया है और पाक बनाया है और तमाम जहान की औ़रतों के मुक़ाबले में तुमको मुन्तख़ब फ़रमाया है।[2] **(42)** ऐ मरियम! फ़रमाँबर्दारी करती रहो अपने परवर्दिगार की और सज्दा किया करो, और रुकूअ़ किया करो उन लोगों के साथ जो रुकू करने वाले हैं। **(43)** ये (क़िस्से) ग़ैब की ख़बरों में से हैं, हम उनकी वह्य भेजते हैं आपके पास और उन लोगों के पास आप न तो उस वक़्त मौजूद थे जबकि वे (परची डालने के तौर पर) अपने-अपने क़लमों को (पानी में) डालते थे कि उन सबमें कौन शख़्स (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) की ज़िम्मेदारी लें, और न आप उनके पास मौजूद थे जबकि आपस में इख़्तिलाफ़ कर रहे थे।[3] **(44)** (उस वक़्त को याद करो) जबकि फ़रिश्तों ने (यह भी) कहा कि ऐ मरियम! बेशक अल्लाह तआ़ला तुमको ख़ुशख़बरी देते हैं एक कलिमे की, जो अल्लाह की जानिब से होगा, उसका नाम (व लक़ब) मसीह ईसा बिन मरियम होगा, आबरू वाले होंगे दुनिया में और आख़िरत में और मुक़र्रबीन में से होंगे। **(45)** और अदमियों से कलाम करेंगे गहवारे "यानी पालने" में और बड़ी उम्र में और सलीक़े वाले लोगों में से होंगे। **(46)** (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) बोलीं, ऐ मेरे परवर्दिगार! किस तरह होगा मेरे बच्चा हालाँकि मुझको किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि वैसे ही (बिना मर्द के) होगा, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जो चाहें पैदा कर देते हैं। जब किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं तो उसको कह देते हैं कि हो जा, बस वह चीज़ हो जाती है।[4] **(47)** और अल्लाह तआ़ला उनको तालीम फ़रमाएँगे (आसमानी) किताबें और समझ की बातें, (ख़ास तौर पर) तौरात और इन्जील। **(48)** और उनको (तमाम) बनी इसराईल की तरफ़ भेजेंगे (पैग़म्बर बनाकर, वे कहेंगे कि) मैं तुम लोगों के पास (अपनी नुबुव्वत पर) काफ़ी दलील लेकर आया हूँ तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से, वह यह है कि मैं तुम लोगों के लिए गारे से ऐसी शक्ल बनाता

---

1. फ़रिश्तों का कलाम करना नुबुव्वत की ख़ुसूसियत में से नहीं।

2. लफ़्ज़ "निसा" से जो कि ख़ास है बालिग़ा के साथ, ज़ाहिर में मालूम होता है कि यह कहना फ़रिश्तों का हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम के जवान होने के बाद था, और इस बिना पर "इस्तिफ़ा" (मुन्तख़ब करना और मक़बूल बना लेना) के दो बार लाने की यह वजह बयान की जा सकती है कि पहला "इस्तिफ़ा" बचपन का हो और दूसरा "इस्तिफ़ा" जवानी का हो।

3. शरीअ़ते मुहम्मदिया में हनफ़िया के मस्लक पर क़ुर्आ़ (परची) डालने का यह हुक्म है कि जिन हुक़ूक़ के असबाब शरीअ़त में मालूम व मुतैयन हैं, उनमें क़ुर्आ़ नाजायज़ व जुए के अन्दर दाख़िल है, और जिन हुक़ूक़ के असबाब राय पर छोड़े हुए हों उनमें क़ुर्आ़ जायज़ है।

4. यानी किसी चीज़ के पैदा होने के लिए सिर्फ़ उनका चाहना काफ़ी है, किसी ख़ास वास्ते और सबब की उनको हाजत नहीं।

हूँ जैसी परिन्दे की शक्ल होती है, फिर उसके अन्दर फूँक मार देता हूँ जिससे वह (जानदार) परिन्दा बन जाता है खुदा के हुक्म से, और मैं अच्छा कर देता हूँ जन्म के अन्धे को, और बर्स (कोढ़) के बीमार को, और ज़िन्दा कर देता हूँ मुर्दों को अल्लाह तआ़ला के हुक्म से,[1] और मैं तुमको बतला देता हूँ जो कुछ अपने घरों में खा (कर) आते हो और जो कुछ रख आते हो, बेशक इनमें (मेरी नुबुव्वत की) काफ़ी दलील है तुम लोगों के लिए, अगर तुम ईमान लाना चाहो। **(49)** और मैं इस तौर पर आया हूँ कि तस्दीक़ करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले थी यानी तौरात की, और इसलिए आया हूँ कि तुम लोगों के वास्ते कुछ ऐसी चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुमपर हराम कर दी गई थीं, और मैं तुम्हारे पास (नुबुव्वत की) दलील लेकर आया हूँ तुम्हारे परवर्दिगार की ओर से, हासिल यह कि तुम लोग अल्लाह तआ़ला से डरो और मेरा कहना मानो। **(50)** बेशक अल्लाह तआ़ला मेरे भी रब हैं और तुम्हारे भी रब हैं, सो तुम लोग उसकी इबादत करो, बस यह है सीधा रास्ता। **(51)** सो जब (हज़रत) ईसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उनसे इनकार देखा तो आपने फ़रमाया कि कोई ऐसे आदमी भी हैं जो मेरे मददगार हो जाएँ अल्लाह के वास्ते, हवारिय्यीन बोले कि हम हैं अल्लाह (के दीन) के मददगार, हम अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाए और आप इसके गवाह रहिए कि हम फ़रमाँबरदार हैं। **(52)** ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ईमान ले आए उन चीज़ों (यानी अहकाम) पर जो आपने नाज़िल फ़रमाई और पैरवी इख़्तियार की हमने (इन) रसूल की, सो हमको उन लोगों के साथ लिख दीजिए जो तस्दीक़ करते हैं। **(53)** और उन लोगों ने खुफ़िया तदबीर की[2] और अल्लाह तआ़ला ने खुफ़िया तदबीर फ़रमाई और अल्लाह तआ़ला सब तदबीरें करने वालों से अच्छे हैं।[3] ▲ **(54)** ❖

जबकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः ऐ ईसा (कुछ ग़म न करो) बेशक मैं तुमको वफ़ात देने वाला हूँ[4] और (फ़िलहाल) मैं तुमको अपनी तरफ़ उठाए लेता हूँ[5] और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जो इनकारी हैं,[6] और जो लोग तुम्हारा कहना मानने वाले हैं उनको ग़ालिब रखने वाला हूँ उन लोगों पर जो कि (तुम्हारे) मुन्किर "यानी इनकार करने वाले" हैं क़ियामत के दिन तक,[7] फिर मेरी तरफ़ होगी सबकी वापसी, सो मैं तुम्हारे दरमियान (अ़मली) फ़ैसला कर दूँगा उन मामलों में जिनमें तुम आपस में इख़्तिलाफ़ करते थे। **(55)** (तफ़सील फ़ैसले की यह है कि) जो लोग (इन इख़्तिलाफ़ करने वालों में) काफ़िर थे सो उनको सख़्त सज़ा दूँगा दुनिया में भी और आख़िरत में भी, और उन लोगों का कोई हिमायती (व तरफ़दार) न होगा। **(56)** और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे,

1. परिन्दे की शक्ल बनाना तस्वीर था जो उस शरीअ़त में जायज़ था। हमारी शरीअ़त में इसका जायज़ होना मन्सूख़ हो गया। और कोढ़ी और जन्म से अन्धे को सही करने की संभावना अगर तबई असबाब से साबित हो जाए तो मोजिज़ा होना इस तौर पर था कि बिना तबई असबाब के सेहत हो जाती थी।
2. चुनाँचे फ़रेब और बहाने से आपको गिरफ़्तार करके सूली देने पर तैयार हो गए।
3. एक और शख़्स को ईसा अ़लैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया और ईसा अ़लैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया जिससे वह महफ़ूज़ रहे और वह हम-शक्ल सूली दिया गया।
4. यानी अपने मुक़र्ररा वक़्त पर तबई मौत से वफ़ात देने वाला हूँ। इससे मक़सूद दुश्मनों से हिफ़ाज़त की खुशख़बरी देनी थी, यह मुक़र्ररा वक़्त उस वक़्त आएगा जब क़ियामत के क़रीबी ज़माने में ईसा अ़लैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएँगे, जैसा कि सही हदीसों में आया है।
5. यह वायदा ऊपर आसमान की तरफ़ फ़िलहाल उठा लेने का है। चुनाँचे यह वायदा साथ-के-साथ पूरा किया गया, जिसके पूरा करने की ख़बर सूरः निसा में दी गई हैः 'र-फ़-अ़हुल्लाहु इलैहि' (यानी अल्लाह ने उनको उठा लिया है) **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 104 पर)**

सो उनको अल्लाह तआ़ला उनके (ईमान और नेक कामों के) सवाब देंगे, और अल्लाह तआ़ला मुहब्बत नहीं रखते ज़ुल्म करने वालों से। **(57)** यह हम आपको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं जो कि (आपकी नुबुव्वत की) दलीलों में से है, और हिक्मत भरे मज़ामीन में से है। **(58)** बेशक अ़जीब हालत (हज़रत) ईसा की अल्लाह तआ़ला के नज़दीक (हज़रत) आदम (अ़लैहिस्सलाम) की अ़जीब हालत की तरह हैं, कि उन (के जिस्मानी ढाँचे) को मिट्टी से बनाया फिर उनको हुक्म दिया कि (जानदार) हो, पस वह (जानदार) हो गये। **(59)** यह वाक़ई अम्र आपके परवर्दिगार की तरफ़ से (बतलाया गया) है, सो आप शुब्हा करने वालों में से न होजिए। **(60)** पस जो शख़्स आपसे ईसा के बारे में (अब भी) हुज्जत करे, आपके पास (क़तई) इल्म आने के बाद तो आप फ़रमा दीजिए कि आ जाओ हम (और तुम) बुला लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औ़रतों को और तुम्हारी औ़रतों को, और ख़ुद अपने तनों को और तुम्हारे तनों को, फिर हम (सब मिलकर) ख़ूब दिल से दुआ़ करें, इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजें उनपर जो (इस बहस में) नाहक़ पर हों।[1] **(61)** बेशक यह (जो कुछ ज़िक्र हुआ) वही है सच्ची बात, और कोई माबूद होने के लायक़ नहीं सिवाय अल्लाह के, और बेशक अल्लाह तआ़ला ही ग़ल्बे वाले, हिक्मत वाले हैं। **(62)** फिर (भी) अगर नाफ़रमानी करें तो बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले हैं फ़साद वालों को। **(63)** ❖

आप फ़रमा दीजिए कि ऐ अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान (मुसल्लम होने में) बराबर है, (वह यह) कि सिवाय अल्लाह तआ़ला के हम किसी और की इबादत न करें, और अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न ठहराएँ, और हममें से कोई किसी दूसरे को रब क़रार न दे ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर, फिर अगर वे लोग (हक़ से) मुँह मोड़ें तो तुम लोग कह दो कि तुम (हमारे इस इक़रार के) गवाह रहो कि हम तो मानने वाले हैं। **(64)** ऐ अहले किताब! क्यों हुज्जत करते हो (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के बारे में? हालाँकि नहीं नाज़िल की गई तौरात और इन्जील मगर उनके (ज़माने के बहुत) बाद, क्या फिर समझते नहीं हो? **(65)** हाँ तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिससे तुम्हें किसी क़द्र तो जानकारी थी, सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको बिलकुल जानकारी नहीं, और अल्लाह तआ़ला जानते हैं और तुम नहीं जानते। **(66)** इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे और न ईसाई थे, लेकिन (अलबत्ता) सीधे तरीक़े वाले (यानी) इस्लाम वाले थे, और मुश्रिकीन में से (भी) न थे। **(67)** बेशक सब आदमियों में ज़्यादा

(पृष्ठ 102 का शेष) अब ज़िन्दा आसमान पर मौजूद हैं। अगरचे पहला वायदा बाद में पूरा होगा लेकिन उसका ज़िक्र पहले है, क्योंकि यह दूसरे वायदे के लिए दलील की तरह है, और दलील रुतबे के तौर पर मुक़द्दम होती है, और "वाव" चूँकि तरतीब के लिए मौज़ू नहीं इसलिए इसको आगे-पीछे करने में कोई इश्काल नहीं।

6. इस वायदे का पूरा करना यह हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाए और यहूद के सब बेजा इल्ज़ामों और तोहमतों को जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाते थे, उन सबको साफ़ कर दिया।

7. यहाँ फ़रमाँबर्दारी से मुराद ख़ास फ़रमाँबर्दारी है यानी नुबुव्वत का अ़क़ीदा रखना। पस इत्तिबा करने वालों के मिस्दाक़ वे लोग हैं जो आपकी नुबुव्वत के मोतक़िद हैं, सो इसमें ईसाई और मुसलमान दोनों दाख़िल हैं और इनकारियों से मुराद यहूद हैं जो ईसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत के इनकारी थे। पस हासिल यह हुआ कि उम्मते मुहम्मदिया और ईसाई हमेशा यहूद पर ग़ालिब रहेंगे।

1. आयत में 'अपने तन' से मुराद तो ख़ुद बहस करने वाले हैं और 'निसा' से ख़ास बीवी मुराद नहीं बल्कि अपने घर की जो औ़रतें हों जिसमें लड़की भी शामिल है, मुराद हैं। चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस वजह से कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा सब औलाद में ज़्यादा अ़ज़ीज़ थीं उनको लाए, इसी तरह 'अबना-अना' से ख़ास हक़ीक़ी औलाद मुराद नहीं, बल्कि औलाद की औलाद को भी आ़म है, और उनको भी जो मजाज़ी तौर पर औलाद कहलाते हों, यानी उर्फ़ में औलाद के जैसे समझे जाते हों, और इस मतलब में नवासे और दामाद भी दाख़िल हैं, चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 106 पर)**

ख़ुसूसियत रखने वाले (हज़रत) इब्राहीम के साथ अलबत्ता वे लोग थे जिन्होंने उनका इत्तिबा "यानी पैरवी" किया था, और यह नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) हैं और ये ईमान वाले। और अल्लाह तआ़ला हिमायती हैं ईमान वालों के। **(68)** दिल से चाहते हैं बाज़े लोग अहले किताब में से इस बात को कि तुमको (दीने हक़ से) गुमराह कर दें, और वे किसी को गुमराह नहीं कर सकते मगर ख़ुद अपने आपको, और इसकी ख़बर नहीं रखते। **(69)** ऐ अहले किताब! क्यों कुफ़्र करते हो अल्लाह तआ़ला की आयतों के साथ? हालाँकि तुम इक़रार करते हो। **(70)** ऐ अहले किताब! क्यों गड्-मड् करते हो वाक़ई (मज़मून यानी नुबुव्वते मुहम्मदिया) को ग़ैर वाक़ई से, और छुपाते हो हक़ीक़ी बात को हालाँकि तुम जानते हो।[1] **(71)** ❖

और बाज़े लोगों ने अहले किताब में से कहा कि ईमान ले आओ उसपर जो नाज़िल किया गया है मुसलमानों पर (यानी कुरआन पर) शुरू दिन में और (फिर) इनकार कर बैठो आख़िर दिन में, (यानी शाम को) क्या ताज्जुब है कि वे फिर जाएँ।[2] **(72)** और (सच्चे दिल से) किसी के रू-ब-रू इक़रार मत करना मगर ऐसे शख़्स के रू-ब-रू जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला हो। (ऐ मुहम्मद) आप कह दीजिए कि यक़ीनन हिदायत, हिदायत अल्लाह की है, ऐसी बातें इसलिए करते हो कि किसी और को भी ऐसी चीज़ मिल रही है जैसी तुमको मिली थी, या वे लोग तुमपर ग़ालिब आ जाएँगे तुम्हारे रब के नज़दीक।[3] (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप कह दीजिए कि बेशक फ़ज़्ल तो ख़ुदा के क़ब्ज़े में है वह इसको जिसे चाहें अ़ता फ़रमा दें, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसअ़त वाले हैं (और) ख़ूब जानने वाले हैं। **(73)** ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत (व फ़ज़्ल) के साथ जिसको चाहें, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं। **(74)** और अहले किताब में से बाज़ा शख़्स ऐसा है कि (ऐ मुख़ातब) अगर तुम उसके पास ढेर-का-ढेर माल भी अमानत का रख दो तो वह (माँगने के साथ ही) उसको तुम्हारे पास ला रखे, और उन्हीं में से बाज़ा वह शख़्स है कि अगर तुम उसके पास एक दीनार भी अमानत रख दो तो वह भी तुमको अदा न करे, मगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े रहो, यह (अमामत का अदा न करना) इस सबब से है कि वे लोग कहते हैं कि हम पर ग़ैर अहले किताब के (माल के) बारे में किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं।[4] और वे लोग अल्लाह तआ़ला पर झूठ लगाते हैं और (दिल में) वे भी जानते हैं[5] (कि ख़ियानत करने वाले पर इल्ज़ाम क्यों न होगा)। **(75)** जो

(पृष्ठ 104 का शेष) हज़राते हसन और हुसैन और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को लाए। मुबाहला (किसी इख़्तिलाफ़ी मसले को ख़ुदा पर छोड़ते हुए एक-दूसरे के लिए बद्-दुआ़ करना कि जो झूठा हो वह बर्बाद हो जाए) अब भी हाजत के वक़्त जायज़ और मशरू है। मुबाहले का अन्जाम कहीं खुले अल्फ़ाज़ में तो नज़र से नहीं गुज़रा मगर हदीस में इस क़िस्से के मुताल्लिक़ इतना ज़िक्र है कि अगर वे लोग मुबाहला कर लेते तो उनके घर वाले और माल वग़ैरह सब हलाक हो जाते।

1. दोनों जगह जो 'तश्हदून' और 'ता-लमून' फ़रमाया तो इसकी यह वजह नहीं है कि इक़रार न करने या इल्म न होने की हालत में कुफ़्र जायज़ है। जो चीज़ अपनी ज़ात में बुरी हो वह किसी हाल में जायज़ हो ही नहीं सकती, बल्कि वजह यह है कि इक़रार और इल्म के वक़्त कुफ़्र और ज़्यादा मलामत के क़ाबिल है। ऊपर ज़िक्र किया गया था कि बाज़ अहले किताब मुसलमानों को गुमराह करने की फ़िक्र में रहते हैं, आगे उनकी एक तदबीर का बयान फ़रमाते हैं जिसको मोमिनों को गुमराह करने के लिए उन्होंने तजवीज़ किया था।

2. यानी मुसलमान यह ख़्याल करें कि ये लोग इल्म वाले हैं और बे-तअ़स्सुब भी हैं कि इस्लाम क़बूल कर लिया, इसपर भी जो यह फिर गए तो ज़रूर इस्लाम का ग़ैर-हक़ होना उनको इल्मी दलीलों से साबित हो गया होगा, और ज़रूर उन्होंने इस्लाम में कोई ख़राबी देखी होगी जब ही तो उससे फिर गए।

3. हासिल इल्लत का यह हुआ कि तुमको मुसलमानों से हसद है कि उनको आसमानी किताब क्यों मिल गई, या ये लोग हमपर मज़हबी मुनाज़रे में क्यों ग़ालिब आ जाते हैं। उस हसद की वजह से इस्लाम और मुसलमानों की शान घटाने **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 108 पर)**

शख़्स अपने अ़हद को पूरा करे और अल्लाह तआ़ला से डरे तो बेशक अल्लाह तआ़ला महबूब रखते हैं (ऐसे) मुत्तक़ियों को। **(76)** यक़ीनन जो लोग हक़ीर मुआ़वज़ा ले लेते हैं उस अ़हद के मुक़ाबले में जो अल्लाह तआ़ला से (उन्होंने) किया है, और (मुक़ाबले में) अपनी क़सम के, उन लोगों को कुछ हिस्सा आख़िरत में (वहाँ की नेमत का) न मिलेगा, और न ख़ुदा तआ़ला उनसे (नरमी का) कलाम फ़रमाएँगे, और न उनकी तरफ़ (मुहब्बत की नज़र से) देखेंगे क़ियामत के दिन, और न उनको पाक करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। **(77)** और बेशक उनमें से बाज़े ऐसे हैं कि टेढ़ा करते हैं अपनी ज़बानों को किताब (पढ़ने) में, ताकि तुम लोग उस (मिलाई हुई चीज़) को (भी) किताब का हिस्सा समझो, हालाँकि वह किताब का हिस्सा नहीं, और कहते हैं कि यह (लफ़्ज़ या मतलब) ख़ुदा के पास से है हालाँकि वह (किसी तरह) ख़ुदा तआ़ला के पास से नहीं, और अल्लाह तआ़ला पर झूठ बोलते हैं और वह जानते हैं।[1] **(78)** किसी बशर से यह बात नहीं हो सकती कि अल्लाह तआ़ला उसको किताब और समझ और नुबुव्वत अ़ता फ़रमाएँ, फिर वह लोगों से कहने लगे कि मेरे बन्दे बन जाओ ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर, वे लेकिन (कहेगा कि) तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ, इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इस वजह से कि तुम पढ़ते हो।[2] **(79)** और न यह बात बतलाएगा कि तुम फ़रिश्तों को और नबियों को रब क़रार दे लो, क्या वह तुमको कुफ़्र की बात बतलाएगा? इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। **(80)** ❖

और जबकि अल्लाह ने अ़हद लिया नबियों से कि जो कुछ मैं तुमको किताब और इल्म दूँ, फिर तुम्हारे पास कोई पैग़म्बर आए, जो तसदीक़ करने वाला हो उसकी जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर उस रसूल पर एतिक़ाद भी लाना और उसकी तरफ़दारी भी करना। फ़रमाया कि क्या तुमने इक़रार किया और इसपर मेरा अ़हद क़बूल किया? वे बोले हमने इक़रार किया, इरशाद फ़रमाया, तो गवाह रहना और मैं इसपर तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ।[3] **(81)** सो जो शख़्स रू-गरदानी करेगा बाद इसके तो ऐसे ही लोग बेहुक्मी करने वाले हैं। **(82)** क्या फिर अल्लाह के दीन के सिवा और किसी तरीक़े को चाहते हैं, हालाँकि अल्लाह तआ़ला के सामने सब सर झुकाए हुए हैं जितने आसमानों

(पृष्ठ 106 का शेष) और उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो।

4. यानी ग़ैर-अहले किताब जैसे क़ुरैश का माल चुरा लेना या छीन लेना सब जायज़ है।

5. जिन बाज़ की अमानत की तारीफ़ की गई है, अगर उन बाज़ से वे लोग मुराद हैं जो अहले किताब में से ईमान ले आए थे, तब तो तारीफ़ में कोई इश्काल नहीं, और अगर ख़ास मोमिन मुराद न हों बल्कि बिना किसी क़ैद के अहले किताब में अमानतदार और ख़ियानत करने वाले दोनों का ज़िक्र करना मक़सूद है तो तारीफ़ अल्लाह के नज़दीक क़बूल होने के एतिबार से नहीं, क्योंकि ईमान के बग़ैर कोई नेक अ़मल मक़बूल नहीं होता, बल्कि तारीफ़ इस एतिबार से है कि अच्छी बात चाहे काफ़िर की हो किसी दर्जे में अच्छी है।

1. मुम्किन है कि लफ़्ज़ी तहरीफ़ (यानी अल्फ़ाज़ में फेर-बदल या कमी ज़्यादती) करते हों, और मुम्किन है कि तफ़सीर ग़लत बयान करते हों। लफ़्ज़ी तहरीफ़ में तो दावा होता है कि यह लफ़्ज़ ही अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुआ है, और ग़लत तफ़सीर में यह तो नहीं होता लेकिन यह दावा होता है कि यह तफ़सीर शरई क़ायदों से साबित है और शरई क़ायदों का अल्लाह की जानिब से होना ज़ाहिर है। एक सूरत में शक्ल के एतिबार से किताब का हिस्सा होने का दावा होगा, एक सूरत में मायने के एतिबार से किताब का हिस्सा होने का दावा होगा। इस तरह कि यह हिस्सा शरीअ़त से साबित है और हर शरीअ़त से साबित होने वाली बात हक़ीक़त में किताब से साबित है।

2. नबी की तरफ़ से अल्लाह के अ़लावा किसी और की इबादत का हुक्म करना शरअ़न मनफ़ी व मुहाल है।

3. अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से तो इसका अ़हद लिया जाना क़ुरआन मजीद में वाज़ेह है। बाक़ी उनकी उम्मतों से या तो उसी वक़्त लिया गया होगा या अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के ज़रिये से लिया गया हो। और इस अ़हद का मक़ाम या तो अव्वल रूहों की दुनिया हो या सिर्फ़ दुनिया में वह्य से लिया गया हो। अहले किताब को यह अ़हद इसलिए सुनाया कि **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 110 पर)**

और ज़मीन में हैं, ख़ुशी से और बेइख़्तियारी से, और सब अल्लाह ही की तरफ़ लौटाए जाएँगे।[1] **(83)** आप फ़रमा दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसपर जो हमारे पास भेजा गया, और उसपर जो इब्राहीम व इसमाईल व इसहाक़ व याक़ूब और याक़ूब की औलाद की तरफ़ भेजा गया, और उसपर भी जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को दिया गया उनके परवर्दिगार की तरफ़ से, इस कैफ़ियत से कि हम उनमें से किसी एक में भी तफ़रीक़ नहीं करते, और हम तो अल्लाह ही के फ़रमाँबर्दार हैं। **(84)** और जो शख़्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को तलब करेगा तो वह उससे मक़बूल न होगा और वह आख़िरत में तबाहकारों में से होगा। **(85)** अल्लाह तआला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत करेंगे जो काफ़िर हो गए अपने ईमान लाने के बाद, और अपने इस इक़रार के बाद कि रसूल सच्चे हैं, और इसके बाद कि उनको खुली दलीलें पहुँच चुकी थीं, और अल्लाह तआला ऐसे बेढंगे लोगों को हिदायत नहीं करते।[2] **(86)** ऐसे लोगों की सज़ा यह है कि उनपर अल्लाह तआला की भी लानत होती है और फ़रिश्तों की भी और आदमियों की भी सबकी। **(87)** वे हमेशा-हमेशा को उसी में रहेंगे, उनपर से अ़ज़ाब हल्का भी न होने पाएगा और न उनको मोहलत ही दी जाएगी। **(88)** हाँ, मगर जो लोग तौबा कर लें उसके बाद और अपने आपको संवारें।[3] सो बेशक ख़ुदा तआला बख़्श देने वाले, रहमत करने वाले हैं। **(89)** बेशक जो लोग काफ़िर हुए अपने ईमान लाने के बाद, फिर बढ़ते रहे कुफ़्र में,[4] उनकी तौबा हरगिज़ मक़बूल न होगी, और ऐसे लोग पक्के गुमराह हैं। **(90)** बेशक जो लोग काफ़िर हुए और वे मर भी गए कुफ़्र ही की हालत में, सो उनमें से किसी का ज़मीन भर "यानी ज़मीन के बराबर" सोना भी न लिया जाएगा अगरचे मुआवज़े में उसको देना भी चाहे, उन लोगों को दर्दनाक सज़ा होगी और उनके कोई हामी भी न होंगे। **(91)** ❖

(पृष्ठ 108 का शेष) जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत दलीलों से साबित है तो लाज़िमी तौर पर वे भी इस अ़हद के मज़मून में दाख़िल हैं, फिर तुमपर यक़ीनन आपकी तस्दीक़ और मदद फ़र्ज़ है, और यही इस्लाम का हासिल है।

1. हासिले मक़ाम यह हुआ कि हक़ तआला के पैदा करने और मौजूद करने के अहकाम के तो सब ताबे हैं, और "बेइख़्तियारी" से यही मुराद है। और बहुत से तशरीई अहकाम की भी इताअ़त करने वाले हैं। और "ख़ुशी से" का मतलब यही है। तो हुक्म की एक क़िस्म तो सब पर ही जारी है और दूसरी क़िस्म को भी बहुतों ने क़बूल कर रखा है, जिससे हाकिम की अ़ज़मत नुमायाँ है। अब बाज़े जो दूसरी क़िस्म में ख़िलाफ़ करते हैं तो क्या कोई और इस अ़ज़मत और शान का है जिसकी मुवाफ़क़त के लिए ये मुख़ालफ़त करते हैं।

2. यह मतलब नहीं कि ऐसों को इस्लाम की तौफ़ीक़ कभी नहीं देते, बल्कि मक़सूद उनके उसी पहले ज़िक्र हुए दावे की नफ़ी करना है, कि वे कहते थे कि हमने जो इस्लाम छोड़कर यह रास्ता इख़्तियार किया है, हमको ख़ुदा ने हिदायत दी है। ख़ुलासा नफ़ी का यह हुआ कि जो शख़्स कुफ़्र का बेढंगा रास्ता इख़्तियार करे वह ख़ुदा की हिदायत पर नहीं, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि मुझको ख़ुदा ने हिदायत दी है, क्योंकि कुफ़्र हिदायत का रास्ता नहीं बल्कि ऐसे लोग यक़ीनन गुमराह हैं।

3. यानी मुनाफ़िक़ाना तौर पर ज़बान से तौबा काफ़ी नहीं।

4. यानी हमेशा कुफ़्र पर रहे ईमान नहीं लाए।

चौथा पारः लन् तनालू

सूरः आलि इमरान (आयत 92 से 200)

तुम कामिल ख़ैर को कभी न हासिल कर सकोगे यहाँ तक कि अपनी प्यारी चीज़ को ख़र्च न करोगे। और जो कुछ भी ख़र्च करोगे अल्लाह तआला उसको ख़ूब जानते हैं।[1] **(92)** सब खाने की चीज़ें तौरात के नाज़िल होने से पहले उसको छोड़कर जिसको याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने नफ़्स पर हराम कर लिया था,[2] बनी इसराईल पर हलाल थीं,[3] फ़रमा दीजिए की फिर तौरात लाओ फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। **(93)** सो जो शख़्स उसके बाद अल्लाह तआला पर झूठ बात की तोहमत लगाए तो ऐसे लोग बड़े बेइन्साफ़ हैं। **(94)** आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला ने सच कह दिया सो तुम मिल्लते इब्राहीम का इत्तिबा करो जिसमें ज़रा टेढ़ नहीं, और वह मुश्रिक भी न थे। **(95)** यक़ीनन वह मकान जो सबसे पहले लोगों के लिए मुक़र्रर किया गया[4] वह मकान है जो कि मक्का में है,[5] जिसकी हालत यह है कि वह बरकत वाला है और दुनिया भर के लोगों का रहनुमा है।[6] **(96)** उसमें खुली निशानियाँ हैं (उनमें से) एक मक़ामे इब्राहीम है,[7] और जो शख़्स उसमें दाख़िल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है। और अल्लाह के वास्ते लोगों के ज़िम्मे उस मकान का हज करना है, (यानी) उस शख़्स के ज़िम्मे जो कि ताक़त रखे वहाँ तक पहुँचने की,[8] और जो शख़्स मुनकिर "यानी इनकार करने वाला" हो तो अल्लाह तआला तमाम जहान वालों से ग़नी हैं।[9] **(97)** आप फ़रमा दीजिए कि ऐ अहले किताब! तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह तआला के अहकाम का, हालाँकि अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की इत्तिला रखते हैं। **(98)** आप फ़रमा दीजिए कि ऐ अहले किताब क्यों हटाते हो अल्लाह तआला की राह से ऐसे शख़्स को जो ईमान ला चुका इस तौर पर कि टेढ़ ढूँढ़ते हो उस राह के लिए हालाँकि तुम ख़ुद भी इत्तिला रखते हो, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से बेख़बर नहीं। **(99)** ऐ ईमान वालो! अगर तुम कहना मानोगे किसी फ़िर्क़े का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है तो वे लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफ़िर बना देंगे। **(100)** और तुम कुफ़्र कैसे कर सकते हो हालाँकि तुमको अल्लाह तआला के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं, और तुममें अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो शख़्स अल्लाह तआला

---

1. आयत से मालूम हुआ कि सवाब तो हर ख़र्च करने से होता है जो अल्लाह की राह में किया जाए, मगर ज़्यादा सवाब प्यारी और पसन्दीदा चीज़ के ख़र्च करने से होता है।

2. यानी ऊँट का गोश्त। हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम को इर्क़ुन्निसा का मर्ज़ था। आपने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआला इससे शिफ़ा दें तो सबमें ज़्यादा जो खाना मुझको महबूब हो उसको छोड़ दूँ। उनको शिफ़ा हो गई और आपको ऊँट का गोश्त सबमें ज़्यादा महबूब था, उसको छोड़ दिया। फिर यही तहरीम (हराम करना) जो मन्नत से हुई थी बनी इसराईल में भी वह्य के हुक्म से रही। और मालूम होता है कि उनकी शरीअ़त में मन्नत से तहरीम भी हो जाती होगी, जिस तरह हमारी शरीअ़त में मुबाह का ईजाब हो जाता है। (यानी एक चीज़ जिसका करना पहले ज़रूरी नहीं था मन्नत मानने से वह वाजिब हो जाती है) मगर तहरीम (यानी किसी चीज़ को हराम करने) की मन्नत जायज़ नहीं, बल्कि उसमें उसके ख़िलाफ़ करना और फिर उस ख़िलाफ़ करने और तोड़ने का कफ़्फ़ारा वाजिब है।

3. 'तौरात के नाज़िल होने से पहले' इस वास्ते फ़रमाया कि तौरात के नाज़िल होने के बाद इन ज़िक्र कि गई हलाल चीज़ों में से भी बहुत-सी चीज़ें हराम हो गई थीं, जिसकी कुछ तफ़सील सूरः अनुआम की इस आयत में हैः 'व अ़लल्लज़ी-न हादू हर्रम्ना कुल्-ल ज़ी ज़ुफ़ुरिन्.......'।

4. सब इबादतगाहों से पहले उसके मुक़र्रर होने से यह भी मालूम हो गया कि बैतुल-मक़्दिस से भी पहले बना है, चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में इसका ख़ुलासा दिया है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 114 पर)**

को मज़बूत पकड़ता है तो ज़रूर सीधे रास्ते की हिदायत किया जाता है। **(101)** ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरा करो डरने का हक़[1] और सिवाय इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। **(102)** और मज़बूत पकड़े रहो अल्लाह तआला के सिलसिले को इस तौर पर कि (तुम सब) आपस में मुत्तफ़िक़ भी रहो, और आपस में ना-इत्तिफ़ाक़ी मत करो, और तुमपर जो अल्लाह तआला का इनाम है उसको याद करो जबकि तुम दुश्मन थे। पस अल्लाह तआला ने तुम्हारे दिलों में उलफ़त डाल दी, सो तुम ख़ुदा तआला के इनाम से आपस में भाई-भाई हो गए, और तुम लोग दोज़ख़ के गढ़े के किनारे पर थे[2] सो उससे अल्लाह तआला ने तुम्हारी जान बचाई, इसी तरह अल्लाह तआला तुम लोगों को अपने अहकाम बयान करके बतलाते रहते हैं, ताकि तुम लोग राह पर रहो। **(103)** और तुममें एक ऐसी जमाअत होना ज़रूरी है जो कि ख़ैर की तरफ़ बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे लोग पूरे कामयाब होंगे।[3] **(104)** और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने आपस में तफ़रीक़ कर ली और आपस में इख़्तिलाफ़ कर लिया, उनके पास वाज़ेह अहकाम पहुँचने के बाद[4] और उन लोगों के लिए बड़ी सज़ा होगी। **(105)** उस दिन कि बाज़े चेहरे सफ़ेद हो जाएँगे और बाज़े चेहरे सियाह होंगे, सो जिनके चेहरे सियाह हो गए होंगे उनसे कहा जाएगाः क्या तुम लोग काफ़िर हो गए थे अपने ईमान लाने के बाद? तो सज़ा चखो अपने कुफ़्र के सबब से। **(106)** और जिनके चेहरे सफ़ेद हो गए होंगे वे अल्लाह की रहमत में होंगे, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। **(107)** ये अल्लाह तआला की आयतें हैं, जो सही-सही तौर पर हम तुमको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह तआला मख़्लूक़ात पर ज़ुल्म करना नहीं चाहते। **(108)** और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह

(पृष्ठ 112 का शेष) **5.** यानी ख़ाना काबा।

6. मतलब यह कि हज वहाँ होता है और जैसे नमाज़ का सवाब हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, दीनी बरकत तो यह हुई और जो वहाँ नहीं हैं उनको उस मकान के ज़रिये से नमाज़ का रुख़ मालूम होता है, यह रहनुमाई हुई।

7. मक़ामे इब्राहीम एक पत्थर है जिसपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी, और उस पत्थर में आपके क़दमों का निशान बन गया था। अब वह पत्थर ख़ाना काबा से ज़रा फ़ासले पर एक महफ़ूज़ जगह में रखा है।

8. सबील की तफ़सील हदीस में सफ़र के ख़र्च और सवारी के साथ आई है।

9. दलील का हासिल यह हुआ कि देखो ये शरई अहकाम ख़ाना काबा से मुताल्लिक़ हैं, जिनका मुताल्लिक़ होना दलीलों से साबित है, और ऐसे अहकाम बैतुल-मक़्दिस के मुताल्लिक़ शरीअत में बयान नहीं किए गए, पस ख़ाना काबा की अफ़ज़लियत साबित हो गई।

1. पूरे तौर पर डरने का मतलब यह है कि जिस तरह शिर्क व कुफ़्र से बचे हो, तमाम गुनाहों से भी बचा करो। आयत का मतलब यह है कि मामूली तक़्वे पर इक्तिफ़ा मत करो बल्कि आला और कामिल दर्जे का तक़्वा इख़्तियार करो, जिसमें गुनाहों से बचना भी आ गया।

2. यानी काफ़िर होने की वजह से दोज़ख़ से इतने क़रीब थे कि बस दोज़ख़ में जाने के लिए सिर्फ़ मरने की देर थी।

3. जो शख़्स अच्छाई का हुक्म करने और बुराई से रोकने पर क़ादिर हो, यानी हालात से ग़ालिब गुमान रखता हो कि अगर में अच्छाई का हुक्म करूँगा और बुराई से रोकूँगा तो मुझको कोई ख़ास नुक़सान नहीं पहुँचेगा, तो उसके लिए वाजिब उमूर में अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना वाजिब है, और मुस्तहब उमूर में मुस्तहब है। और जो आदमी इस तरह क़ादिर न हो उसपर यह काम वाजिब उमूर में भी वाजिब नहीं, अलबत्ता अगर हिम्मत करे तो सवाब मिलेगा।

4. आयत में जो तफ़रीक़ व इख़्तिलाफ़ की मज़म्मत (निंदा) है, मुराद इससे वह तफ़रीक़ है जो दीन के उसूल में हो, या वाज़ेह अहकाम में नफ़्सानियत से हो। और जो ग़ैर-वाज़ेह अहकाम में या तो खुली नस्स न होने की वजह से या नुसूस के ज़ाहिरी टकराव की वजह से हो, जिनमें मुताबक़त की वजह वाज़ेह न हो तो ऐसे मसाइल में इख़्तिलाफ़ हो जाना इस आयत में दाख़िल नहीं और बुरा नहीं, बल्कि उम्मते मरहूमा में ऐसा इख़्तिलाफ़ मौजूद है।

ही की तरफ़ सब मुक़द्दमात रुजू किए जाएँगे। (109) ◆

तुम लोग अच्छी जमाअ़त हो कि वह जमाअ़त लोगों के लिए ज़ाहिर की गई है, तुम लोग नेक कामों को बतलाते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाते हो, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता, उनमें से बाज़े तो मुसलमान हैं और ज़्यादा हिस्सा उनमें से काफ़िर हैं।[1] (110) वे तुमको हरगिज़ कोई नुक़सान न पहुँचा सकेंगे मगर ज़रा मामूली सी तकलीफ़,[2] और अगर तुमसे वे लड़ाई और जंग करें तो तुमको पीठ दिखाकर भाग[3] जाएँगे, फिर किसी की तरफ़ से उनकी हिमायत भी न की जाएगी। (111) जमा दी गई उनपर बेक़द्री[4] जहाँ कहीं भी पाए जाएँगे, मगर हाँ! एक तो ऐसे ज़रिये के सबब जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है और एक ऐसे ज़रिये से जो आदमियों की तरफ़ से है।[5] और मुस्तहिक़ हो गए ग़ज़बे इलाही के, और जमा दी गई उनपर पस्ती, यह इस वजह से हुआ कि वे लोग इनकारी हो जाते थे अल्लाह के अहकाम के, और क़त्ल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को नाहक़, और यह इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअ़त न की और दायरे से निकल-निकल जाते थे। (112) ये सब बराबर नहीं, इन अहले किताब में से एक जमाअ़त वह भी है जो क़ायम हैं, अल्लाह तआ़ला की आयतें रात के वक़्तों में पढ़ते हैं और वे नमाज़ भी पढ़ते हैं। (113) अल्लाह पर और क़ियामत वाले दिन पर ईमान रखते हैं और नेक काम बतलाते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ते हैं, और ये लोग सलीक़े वाले लोगों में से हैं।[6] (114) और ये लोग जो नेक काम करेंगे उससे महरूम न किए जाएँगे और अल्लाह तआ़ला तक़्वे वालों को ख़ूब जानते हैं। (115) जो लोग काफ़िर हैं हरगिज़ उनके काम न आएँगे उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह तआ़ला के मुक़ाबले में ज़रा भी, और वे लोग दोज़ख़ वाले हैं, वे हमेशा-हमेशा उसी में रहेंगे। (116) वे जो कुछ ख़र्च करते हैं इस दुनियावी ज़िन्दगानी में उसकी हालत उस हालत जैसी है कि एक हवा हो जिसमें तेज़ सर्दी हो, वह लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने अपना नुक़सान कर रखा हो, पस वह उसको बर्बाद कर डाले, और अल्लाह तआ़ला ने उनपर ज़ुल्म नहीं किया लेकिन वे ख़ुद ही अपने

---

1. यह ख़िताब तमाम उम्मते मुहम्मदिया को आ़म है। फिर उनमें से सहाबा अव्वल और अशरफ़ मुख़ातबीन हैं।
2. यानी ज़बानी बुरा-भला कहकर दिल दुखाना।
3. यह एक पेशीनगोई है जो इसी तरह ज़ाहिर हुई। चुनाँचे अहले किताब नुबुव्वत के ज़माने में किसी मौक़े पर भी सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर जो कि मक़ाम की मुनासबत से इस मज़मून के मुख़ातब हैं ग़ालिब न आए, ख़ासकर यहूद जिनकी बुराइयाँ ख़ुसूसियत से इस जगह ज़िक्र की गई हैं।
4. यानी जान की बेअम्नी।
5. अल्लाह की तरफ़ का ज़रिया यह कि कोई किताबी (किताब वाला यानी यहूदी या ईसाई) अल्लाह तआ़ला की इबादत में ऐसा मश्ग़ूल हो कि मुसलमानों से लड़ता-भिड़ता न हो, वह जिहाद में क़त्ल नहीं किया जाता, अगरचे उसकी इबादत आख़िरत में नफ़ा देने वाली न हो। और आदमियों की तरफ़ के ज़रिये से मुराद वह मुआ़हदा व सुलह है जो मुसलमानों के साथ हो जाए। चुनाँचे ज़िम्मी (वह ग़ैर-मुस्लिम जो मुस्लिम हुकूमत में रहे और टैक्स अदा करे, जिसके बदले में मुस्लिम हुकूमत उसकी जान-माल की हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम करे) व सुलह करने वाला भी मामून है। या किसी क़ौम का उनसे लड़ने का इरादा न करना, जैसा बाज़े ज़मानों में हुआ या होगा। यह अमन भी आदमियों ही की जानिब से है। बाक़ी और किसी को अमन नहीं।
6. आयत का हासिल उन लोगों की तारीफ़ है कि उन्होंने उन सिफ़्तों को इख़्तियार किया है जो कि इस उम्मत के ख़ैर होने के असबाब से हैं, इसलिए 'युअ्मिनू-न' और 'यअ्मुरू-न' को तख़्सीस के साथ लाए, जिसकी वजह ख़ैर होने में ख़ुलासा थी, वरना 'का-इमह्' के आ़म होने में ये सब उमूर दाख़िल हो गए थे।

आपको नुक़सान पहुँचा रहे हैं। **(117)** ऐ ईमान वालो! अपने सिवा किसी को साहिबे ख़ुसूसियत मत बनाओ,[1] वे लोग तुम्हारे साथ फ़साद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते, तुम्हारे नुक़सान की तमन्ना रखते हैं, वाक़ई बुग़्ज़ उनके मुँह से ज़ाहिर हो पड़ता है, और जिस क़द्र उनके दिलों में है वह तो बहुत कुछ है, हम निशानियाँ तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर चुके, अगर तुम अक़्ल रखते हो। **(118)** हाँ, तुम ऐसे हो कि उन लोगों से मुहब्बत रखते हो और ये लोग तुमसे बिलकुल मुहब्बत नहीं रखते, हालाँकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो और ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान ले आए और जब अलग होते हैं तो तुमपर अपनी उँगलियाँ काट-काट खाते हैं मारे सख़्त गुस्से के,[2] आप कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्से में,[3] बेशक अल्लाह तआला ख़ूब जानते हैं दिलों की बातों को। **(119)** अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनके लिए रन्ज का सबब होती है। और अगर तुमको कोई नागवार हालत पेश आती है तो वे उससे ख़ुश होते हैं। और अगर तुम इस्तिक़लाल और तक़्वे के साथ रहो तो उन लोगों की तदबीर तुमको ज़रा भी नुक़सान न पहुँचा सकेगी, बेशक अल्लाह तआला उनके आमाल पर इहाता रखते हैं। **(120)** ◆

और जबकि आप सुबह के वक़्त अपने घर से चले,[4] मुसलमानों को जंग करने के लिए मक़ामात पर जमा रहे थे, और अल्लाह तआला सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। **(121)** जब तुममें से दो जमाअतों ने दिल में ख़्याल किया कि हिम्मत हार दें और अल्लाह तो उन दोनों जमाअतों का मददगार था, और बस मुसलमानों को तो अल्लाह तआला ही पर भरोसा करना चाहिए।[5] **(122)** और यह बात तहक़ीक़ी है कि हक़ तआला ने बद्र में तुम्हारी मदद फ़रमाई, हालाँकि तुम बेसरोसामान थे, सो अल्लाह तआला से डरते रहा करो, ताकि तुम शुक्र गुज़ार रहो।[6] **(123)** जबकि आप मुसलमानों से (यूँ) फ़रमा रहे थे कि क्या तुमको यह बात काफ़ी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी इम्दाद

---

1. यहाँ जो ग़ैर-मज़हब वालों से ख़ुसूसियत की मनाही फ़रमाई है उसमें यह भी दाख़िल है कि उनको अपना राज़दार बनाया जाए। और इसमें यह भी दाख़िल है कि अपने ख़ास इन्तिज़ामी मामलात में उनको दख़ल दिया जाए।
2. यह गुस्से की सख़्ती की तरफ़ इशारा है जो मजबूरी के वक़्त हो।
3. मुराद यह है कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हारी मुराद पूरी न होगी।
4. यह क़िस्सा ग़ज़वा-ए-उहुद का है।
5. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर ख़ुदा तआला की कैसी इनायत है कि जुर्म के बयान के साथ उनको मददगार होने की ख़ुशख़बरी भी सुना दी, जिसमें माफ़ी का वायदा मफ़हूम होता है। और जुर्म भी कितना हल्का बतलाया कि वापसी नहीं सिर्फ़ कम-हिम्मती, फिर उसका भी मौजूद होना नहीं बल्कि ख़्याल। पस या तो इतना ही सादिर हुआ हो या सादिर हुए कुछ हिस्से को ज़िक्र नहीं फ़रमाया। और पहली शक्ल मान लेने पर नाराज़गी की वजह इन हज़रात का हद दर्जा क़रीब होना है।
6. बदर असल में एक कुएँ का नाम है जो बदर बिन क़ुरैश ने खोदा था। बदर की लड़ाई उसके नज़दीक ही हुई थी।

करे तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ जो उतारे जाएँगे।[1] **(124)** हाँ, क्यों नहीं! अगर तुम मुस्तकिल रहोगे और मुत्तक़ी रहोगे, और वे लोग तुमपर एक-दम से आ पहुँचेंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी इम्दाद फ़रमाएगा पाँच हज़ार फ़रिश्तों से जो एक ख़ास वज़ा "यानी शक्ल और हुलिया" बनाए होंगे।[2] ◆ **(125)** और अल्लाह तआ़ला ने (यह इम्दाद) महज़ इसलिए की कि तुम्हारे लिए खुशख़बरी हो और ताकि तुम्हारे दिलों को क़रार हो जाए, और मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है, जो कि ज़बरदस्त हैं, हकीम हैं। **(126)** ताकि काफ़िरों में से एक गिरोह को हलाक कर दे या उनको ज़लील व ख़्वार कर दे, फिर वे नाकाम लौट जाएँगे।[3] **(127)** आपको कोई दख़ल नहीं यहाँ तक कि खुदा तआ़ला उनपर या तो मुतवज्जह हो जाएँ या उनको कोई सज़ा दे दें, क्योंकि वे ज़ुल्म भी बड़ा कर रहे हैं। **(128)** और अल्लाह ही कि मिल्क है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वह जिसको चाहें बख़्श दें और जिसको चाहें अ़ज़ाब दें, और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़्फ़िरत करने वाले, बड़े रहमत करने वाले हैं। **(129)** ❖

ऐ ईमान वालो! सूद मत खाओ (यानी असल से) कई हिस्से ज़ायद (करके न लो), और अल्लाह तआ़ला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ।[4] **(130)** और उस आग से बचो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गई है। **(131)** और खुशी से कहना मानो अल्लाह तआ़ला का और रसूल का, उम्मीद है कि तुम रहम किए जाओगे। **(132)** और मग़्फ़िरत की तरफ़ दौड़ो जो तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से है,[5] और जन्नत की तरफ़ जिसकी वुस्अ़त ऐसी है जैसे सब आसमान और ज़मीन, वह तैयार की गई है अल्लाह से डरने वालों के लिए। **(133)** ऐसे लोग जो कि ख़र्च करते हैं फ़राग़त में और तंगी में, और गुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले, और अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक काम करने वालों को महबूब रखता है। **(134)** और ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं जिसमें ज़्यादती हो, या अपनी ज़ात पर नुक़सान उठाते हैं तो अल्लाह तआ़ला को याद कर

---

1. मालूम होता है कि बड़े दर्जे के फ़रिश्ते होंगे वरना जो फ़रिश्ते पहले से ज़मीन पर मौजूद थे उनसे भी यह काम लिया जा सकता था।
2. यहाँ इम्दाद की हिक्मत निहायत वज़ाहत के साथ बयान फ़रमाई जिसमें ग़ौर करने से इस मज़मून पर कोई शुब्हा बाक़ी नहीं रहता, क्योंकि हासिल इसका यह हुआ कि उन फ़रिश्तों के नाज़िल होने से असली मक़सद यह था कि मुसलमानों के दिल को सुकून हो।
3. ग़ज़वा-ए-उहुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दाँत मुबारक शहीद हो गया और चेहरा मुबारक ज़ख़्मी हो गया तो आपने यह फ़रमाया कि ऐसी क़ौम को कैसे फ़लाह होगी जिन्होंने अपने नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के साथ ऐसा किया, हालाँकि वह नबी उनको खुदा की तरफ़ बुला रहा है। उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई।
4. यह जो फ़रमायाः 'असल से कई हिस्से ज़ायद करके' यह सूद के हराम होने की क़ैद नहीं, क्योंकि सूद कम हो या ज़्यादा सब हराम है।
5. मतलब यह है कि ऐसे नेक काम अपनाओ जिससे परवर्दिगार तुम्हारी मग़्फ़िरत कर दें और तुमको जन्नत इनायत हो।

लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं, और अल्लाह तआला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख़्शता हो। और वे लोग अपने फ़ेल पर इसरार नहीं करते और वे जानते हैं। **(135)** उन लोगों की जज़ा बख़्शिश है उनके रब की तरफ़ से, और ऐसे बाग़ हैं कि उनके नीचे नहरें चलती होंगी, ये हमेशा-हमेशा उन्हीं में रहेंगे, और यह अच्छा बदला है उन नेक काम करने वालों का।[1] **(136)** तहक़ीक़ कि तुमसे पहले मुख़्तलिफ़ तरीक़े गुज़र चुके हैं तो तुम रू-ए-ज़मीन पर चलो फिरो और देख लो कि अख़ीर अन्जाम झुठलाने वालों का कैसा हुआ। **(137)** यह बयान काफ़ी है तमाम लोगों के लिए और हिदायत व नसीहत है ख़ास ख़ुदा से डरने वालों के लिए। **(138)** और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो, और ग़ालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। **(139)** अगर तुमको ज़ख़्म पहुँच जाए तो उस क़ौम को भी ऐसा ही ज़ख़्म पहुँच चुका है, और हम इन दिनों को उन लोगों के दरमियान अदलते-बदलते रहा करते हैं, और ताकि अल्लाह तआला ईमान वालों को जान लें, और तुममें से बाज़ों को गवाह बनाना था, और अल्लाह तआला ज़ुल्म करने वालों से मुहब्बत नहीं रखते। **(140)** और ताकि मैल-कुचैल से साफ़ कर दे ईमान वालों को और मिटा दे काफ़िरों को। **(141)** हाँ, क्या तुम यह ख़्याल करते हो कि जन्नत में जा दाख़िल होगे हालाँकि अभी अल्लाह तआला ने उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुममें से जिहाद किया हो और न उनको देखा जो साबित क़दम रहने वाले हों। **(142)** और तुम तो मरने की तमन्ना कर रहे थे मौत के सामने आने से पहले ही,[2] सो उसको तो खुली आँखों देख लिया था। **(143)** ◆

और मुहम्मद सिर्फ़ रसूल ही तो हैं, आपसे पहले और भी बहुत-से रसूल गुज़र चुके हैं,[3] सो अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाए या आप शहीद ही हो जाएँ तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे, और जो शख़्स उल्टा फिर भी जाएगा तो ख़ुदा तआला का कोई नुक़सान न करेगा, और ख़ुदा तआला जल्द ही बदला देगा हक़ पहचानने वाले लोगों

---

1. इन आयतों में दो दर्जों के मुसलमानों का बयान है, एक आला दर्जे के, एक उनसे कम। और ख़ुदा से डरने वालों में सब आ गए, क्योंकि तौबा भी ख़ुदा के डर ही से होती है।

2. इस आयत के नाज़िल होने का सबब और मौक़ा यह है कि पिछले साल बाज़ सहाबा जो बदर में शहीद हुए और उनके बड़े फ़ज़ाइल मालूम हुए तो बाज़ ने तमन्ना की कि काश! हमको भी कोई ऐसा मौक़ा पेश आए कि इस शहादत की दौलत से मुशर्रफ़ हों। (यानी शहीद होने की इज़्ज़त हासिल करें) आख़िर यह उहुद की लड़ाई पेश आई तो पाँव उखड़ गए, इसपर यह आयत नाज़िल हुई।

3. जब उहुद की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दाँत मुबारक शहीद हुआ और सर मुबारक ज़ख़्मी हुआ तो उस वक़्त किसी दुश्मन ने पुकार दिया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) क़त्ल कर दिए गए। मुसलमान लड़ाई बिगड़ जाने से बद-हवास और मुन्तशिर हो ही रहे थे, इस ख़बर से और भी कमर टूट गई। किसी ने यह तजवीज़ किया कि अब कुफ़्फ़ार से अमन ले लेना चाहिए, बाज़े हिम्मत हारकर बैठ रहे और हाथ पाँव छोड़ दिए, बाज़े भाग खड़े हुए, बाज़े मुनाफ़िक़ बोले कि अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) नहीं रहे तो फिर अपना पहला ही दीन क्यों न इख़्तियार कर लिया जाए, बाज़ ने कहा कि अगर नबी होते तो क़त्ल क्यों होते और बाज़ ने कहा कि अगर आप ही न रहे तो हम रहकर क्या करेंगे, जिसपर आपने जान दी उसपर हमको भी जान दे देनी चाहिए। और अगर आप क़त्ल हो गए तो क्या है, अल्लाह तआला तो क़त्ल नहीं हुए। इस परेशानी में अव्वल आपको हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने देखकर पहचाना और पुकार कर कहा कि ऐ मुसलमानो! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़िन्दा और सही-सलामत हैं। ग़रज़ उस वक़्त फिर मुसलमान इकट्ठे हुए, आपने उनको मलामत फ़रमाई। अ़र्ज़ किया: या रसूलल्लाह! यह ख़बर सुनकर हमारे दिलों में होल बैठ गई इसलिए हमारे पाँव उखड़ गए। इस मौक़े पर यह आयत नाज़िल हुई।

को। **(144)** और किसी शख़्स को मौत आना मुम्किन नहीं ख़ुदा तआ़ला के हुक्म के बग़ैर, इस तौर से कि उसकी मुक़र्ररा मीयाद लिखी हुई रहती है। और जो शख़्स दुनियावी नतीजा चाहता है तो हम उसको दुनिया का हिस्सा दे देते हैं, और जो शख़्स आख़िरत का नतीजा चाहता है तो हम उसको आख़िरत का हिस्सा देंगे, और हम बहुत जल्द बदला देंगे हक़ पहचानने वालों को। **(145)** और बहुत नबी हो चुके हैं जिनके साथ होकर बहुत अल्लाह वाले लड़े हैं। सो न तो हिम्मत हारी उन्होंने उन मुसीबतों की वजह से जो उनपर अल्लाह की राह में आईं और न उनका ज़ोर घटा, और न वे दबे, और अल्लाह तआ़ला को ऐसे मुस्तक़िल मिज़ाजों से मुहब्बत है। **(146)** और उनकी ज़बान से भी तो इसके सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे गुनाहों को और हमारे कामों में हमारे हद से निकल जाने को बख़्श दीजिए और हमको साबित क़दम रखिए, और हमको काफ़िर लोगों पर ग़ालिब कीजिए। **(147)** सो उनको अल्लाह तआ़ला ने दुनिया का भी बदला दिया और आख़िरत का भी उम्दा बदला (दिया) और अल्लाह तआ़ला को ऐसे नेकी करने वालों से मुहब्बत है। **(148)** ❖

ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफ़िरों का कहना मानोगे तो वे तुमको उल्टा फेर देंगे, फिर तुम नाकाम हो जाओगे। **(149)** बल्कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारा दोस्त है और वह सबसे बेहतर मदद करने वाला है।[1] **(150)** हम अभी डाले देते हैं होल काफ़िरों के दिलों में, इसके सबब कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला का शरीक ऐसी चीज़ को ठहराया है जिसपर कोई दलील अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल नहीं फ़रमाई, और उनकी जगह जहन्नम है, और वह बुरी जगह है बेइन्साफ़ों की।[2] **(151)** और यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ने तुमसे अपने वायदे को सच्चा कर दिखाया था, जिस वक़्त कि तुम उन काफ़िरों को हुक्मे ख़ुदावन्दी से क़त्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम ख़ुद ही कमज़ोर हो गए और आपस में हुक्म में इख़्तिलाफ़ करने लगे, और तुम क़हने पर न चले बाद उसके कि तुमको तुम्हारी दिल-पसन्द बात दिखला दी थी। तुममें से बाज़े तो वे शख़्स थे जो दुनिया चाहते थे, और बाज़े तुममें से वे थे जो आख़िरत के तलबगार थे, (इसलिए अल्लाह तआ़ला ने आइन्दा के लिए अपनी इम्दाद को बन्द कर लिया और) फिर तुमको उन (काफ़िरों) से हटा दिया ताकि (ख़ुदा तआ़ला) तुम्हारी आज़माइश फ़रमाए और यक़ीन समझो कि (अल्लाह तआ़ला ने) तुमको माफ़ कर दिया और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं मुसलमानों पर।[3] **(152)** (वह वक़्त याद करो) जबकि तुम चढ़े चले जाते थे और किसी को मुड़कर भी तो न देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे की ओर से तुमको पुकार

---

1. पस उसी की दोस्ती पर बस करो और उसी को मददगार समझो। दूसरा मुख़ालिफ़ अगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ मदद की भी तदबीर बतलाए तो अ़मल मत करो।

2. चुनाँचे इस रोब डालने का ज़ुहूर इस तरह हुआ कि अव्वल तो बावजूद मुसलमानों के शिकस्त खा जाने के मुश्रिकीन बिना किसी ज़ाहिरी सबब के मक्का को लौट गए। फिर जब कुछ रास्ता तय कर चुके तो अपने इस तरह आ जाने पर बहुत अफ़सोस हुआ और फिर मदीने की तरफ़ वापसी का इरादा किया, मगर कुछ ऐसा रोब छाया कि फिर न आ सके और रास्ते में कोई देहाती मिल गया उससे कहा कि हम तुझको इतना माल देंगे तू मुसलमानों को डरा देना। यहाँ वह्य से मालूम हो गया, आप उनका पीछा करते हुए 'हमराउल-असद' तक पहुँचे।

3. इस आयत से सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के हाल पर बड़ी इनायत मालूम हुई कि नाराज़गी में भी कई-कई तसल्लियाँ फ़रमाईं। एक यह कि सज़ा न थी बल्कि इसमें भी तुम्हारी मस्लहत थी, फिर आख़िरत की पकड़ से बेफ़िक्र कर दिया।

रहे थे, सो ख़ुदा तआ़ला ने तुमको नतीजे और सज़ा में ग़म दिया ग़म देने के सबब से, ताकि तुम ग़मज़दा न हुआ करो, न उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और न उसपर जो तुमपर मुसीबत पड़े, और अल्लाह तआ़ला सब ख़बर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की। **(153)** फिर अल्लाह तआ़ला ने उस ग़म के बाद तुमपर चैन भेजा यानी ऊँघ, कि तुममें से एक जमाअ़त पर तो उसका ग़ल्बा हो रहा था[1] और एक जमाअ़त वह थी कि उनको अपनी जान ही की फ़िक्र पड़ रही थी, वे लोग अल्लाह तआ़ला के साथ ख़िलाफ़े हक़ीक़त ख़्यालात कर रहे थे जो कि महज़ बेवक़ूफ़ी का ख़्याल था। वे यूँ कह रहे थेः क्या हमारा कुछ इख़्तियार चलता है? आप फ़रमा दीजिए कि इख़्तियार तो सब अल्लाह ही का है। वे लोग अपने दिलों में ऐसी बात छुपाकर रखते हैं जिसको आपके सामने ज़ाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारा कुछ इख़्तियार चलता तो हम यहाँ क़त्ल न किए जाते, आप फ़रमा दीजिए कि तुम लोग घरों में भी रहते तब भी जिन लोगों के लिए क़त्ल होना मुक़द्दर हो चुका है वे लोग उन जगहों की तरफ़ निकल पड़ते जहाँ वे गिरे हैं। और यह (जो कुछ हुआ) इसलिए हुआ ताकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे बातिन की बात की आज़माइश करे और ताकि तुम्हारे दिलों की बात को साफ़ कर दे, और अल्लाह तआ़ला सब बातिन की बातों को ख़ूब जानते हैं। **(154)** यक़ीनन तुममें से जिन लोगों ने पीठ फेर दी थी जिस दिन कि दोनों जमाअ़तें आपस में आमने-सामने हुईं, इसके सिवा और कोई बात नहीं हुई कि उनको शैतान ने बहका दिया उनके बाज़ आमाल के सबब,[2] और यक़ीन समझो कि अल्लाह तआ़ला ने उनको माफ़ फ़रमा दिया। वाक़ई अल्लाह तआ़ला बड़े मग़्फ़िरत करने वाले हैं, बड़े इल्म वाले हैं।[3] **(155)** ❖

1. जब कुफ़्फ़ार मैदान से वापस हो गए तो उस वक़्त ग़ैब से मुसलमानों पर ऊँघ ग़ालिब हुई जिससे सब ग़म दूर हो गया।

2. 'बि-बअ्ज़ि मा क-सबू' से मालूम होता है कि एक गुनाह से दूसरा गुनाह पैदा होता है, जैसा कि एक ताअ़त (यानी नेकी और अच्छाई) से दूसरी ताअ़त की तौफ़ीक़ बढ़ती जाती है।

3. सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के बाज़ मुख़ालिफ़ीन और दुश्मनों ने इस वाक़िए से सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर और ख़ुसूसन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर तान किया है और इससे उनके अन्दर ख़िलाफ़त की सलाहियत न होना निकाला है, लेकिन यह महज़ बेकार और बेहूदा बात है। जब अल्लाह तआ़ला ने माफ़ कर दिया तो अब दूसरों को लब हिलाने का क्या हक़ रहा। रहा ख़िलाफ़त का क़िस्सा, सो अहले हक़ के नज़दीक ख़िलाफ़त के लिए मासूम और बेगुनाह होना शर्त नहीं है।

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना[1] जो कि काफ़िर हैं और कहते हैं अपने भाइयों के बारे में जबकि वे किसी इलाक़े में सफ़र करते हैं,[2] या वे लोग कहीं ग़ाज़ी बनते हैं कि अगर ये लोग हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते, ताकि अल्लाह तआ़ला इस बात को उनके दिलों में हसरत का पैदा करने वाला कर दें, और जिलाता-मारता तो अल्लाह ही है, और अल्लाह तआ़ला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे हैं। **(156)** और अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो लाज़िमी तौर पर अल्लाह के पास की मग़फ़िरत और रहमत उन चीज़ों से बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं। **(157)** और अगर तुम लोग मर गए या मारे गए तो ज़रूर ही अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। **(158)** उसके बाद ख़ुदा ही की रहमत के सबब आप उनके साथ नरम रहे।[3] और अगर आप कड़वे मिज़ाज वाले सख़्त तबीयत के होते तो आपके पास से सब मुन्तशिर हो जाते, "यानी अलग और इधर-उधर हो जाते" सो आप उनको माफ़ कर दीजिए और आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए और उनसे ख़ास-ख़ास बातों में मश्विरा लेते रहा कीजिए।[4] फिर जब आप राय पुख़्ता कर लें तो ख़ुदा तआ़ला पर भरोसा कीजिए,[5] बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे भरोसा करने वालों से मुहब्बत फ़रमाते हैं। **(159)** अगर हक़ तआ़ला तुम्हारा साथ दें तब तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, और अगर तुम्हारा साथ न दें तो उसके बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारा साथ दे (और ग़ालिब कर दे)। और ईमान वालों को सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखना चाहिए। **(160)** और नबी की यह शान नहीं कि वह ख़ियानत करे। हालाँकि जो शख़्स ख़ियानत करेगा वह शख़्स अपनी ख़ियानत की हुई चीज़ को क़ियामत के दिन हाज़िर करेगा। फिर हर शख़्स को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा, और उनपर बिलकुल ज़ुल्म न होगा।[6] **(161)** सो ऐसा शख़्स जो कि अल्लाह की रिज़ा का ताबे हो, क्या वह उस शख़्स के जैसा हो जाएगा जो कि अल्लाह के ग़ज़ब का मुस्तहिक़ हो और उसका ठिकाना दोज़ख़ हो? और वह जाने की बुरी जगह है। **(162)** ये (जिनका ज़िक्र हुआ) दर्जों में मुख़्तलिफ़ होंगे अल्लाह तआ़ला के यहाँ, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब देखते हैं उनके आमाल को। **(163)** हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों पर एहसान किया जबकि उनमें उन्हीं की जिन्स "यानी नस्ल और जमाअ़त में" से एक ऐसे पैग़म्बर को भेजा कि वह उन लोगों को अल्लाह तआ़ला की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाते हैं और उन लोगों की सफ़ाई करते रहते हैं और उनको किताब और समझ की बातें बतलाते रहते हैं, और यक़ीनन ये लोग पहले से खुली ग़लती में थे।[7] ● **(164)** और जब

---

1. ऊपर मुनाफ़िक़ों का क़ौल नक़्ल किया था। चूँकि ऐसे अक़्वाल के सुनने से शुब्हा हो सकता है कि मुसलमानों के दिलों में इस क़िस्म के वस्वसे पैदा होने लगें, इसलिए हक़ तआ़ला इस आयत में मुसलमानों को ऐसे अक़्वाल और ऐसे हालात से मुमानअ़त (मनाही) फ़रमाते हैं।

2. इस सफ़र से दीनी काम के लिए सफ़र करना मुराद है।

3. मिज़ाज की नरमी को रहमत का सबब इसलिए फ़रमाया कि ख़ुश-अख़्लाक़ी इबादत है, और इबादत की तौफ़ीक़ ख़ुदा तआ़ला की रहमत से होती है।

4. यह जो कहा गया है कि ख़ास-ख़ास बातों में मश्विरा लेते रहा कीजिए तो मुराद इनसे वे मामलात हैं जिनमें आप पर वह्य नाज़िल न हुई हो, वरना वह्य के बाद फिर मश्विरों की कोई गुंजाइश नहीं।

5. लफ़्ज़ 'अ़ज़्म' (यानी इरादा) में कोई क़ैद नहीं लगाई। इससे मालूम हुआ कि राय से मुताल्लिक़ इन्तिज़ामी मामलात में कस्रते-राय (यानी बहुमत) का ज़ाबता महज़ बेअसल है। वरना यहाँ 'अ़ज़्म' में यह क़ैद होती कि बशर्ते कि आपका अ़ज़्म बहुमत के ख़िलाफ़ न हो। और मश्विरा व अ़ज़्म के बाद जो तवक्कुल का हुक्म फ़रमाया तो इससे साबित हुआ कि तदबीर तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि मश्विरे व इरादे का तदबीर में दाख़िल होना ज़ाहिर है। और जानना चाहिए कि यह तवक्कुल का मर्तबा कि बावजूद तदबीर के एतिक़ादी तौर पर अल्लाह तआ़ला पर एतिमाद रखे, हर मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज़ है, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 130 पर)**

तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे दो हिस्से तुम जीत चुके थे तो (क्या ऐसे वक़्त में) तुम (यूँ) कहते हो कि यह किधर से हुई, आप फ़रमा दीजिए कि यह (हार ख़ास) तुम्हारी तरफ़ से हुई। बेशक अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत है। **(165)** और जो मुसीबत तुमपर पड़ी जिस दिन कि दोनों गिरोह आपस में आमने-सामने हुए सो अल्लाह की मरज़ी से हुई और ताकि अल्लाह तआ़ला मोमिनों को भी देख लें। **(166)** और उन लोगों को भी देख लें जिन्होंने निफ़ाक़ का बर्ताव किया, और उनसे (यूँ) कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ना या दुश्मनों के लिए रोक बन जाना। वे बोले कि अगर हम कोई ढंग की लड़ाई देखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते। ये (मुनाफ़िक़ लोग) उस दिन कुफ़्र से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए, उस हालत के मुक़ाबले में कि वे ईमान से नज़दीक थे। ये लोग अपने मुँह से ऐसी बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं। **(167)** ये ऐसे लोग हैं कि अपने भाइयों के बारे में बैठे हुए बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते तो क़त्ल न किए जाते। आप फ़रमा दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो।[1] **(168)** और (ऐ मुख़ातब!) जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख़्याल कर बल्कि वे तो ज़िन्दा हैं अपने परवर्दिगार के क़रीबी हैं, उनको रिज़्क़ भी मिलता है। **(169)** वे ख़ुश हैं उस चीज़ से जो उनको अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़ज़्ल से अ़ता फ़रमाई, और जो लोग उनके पास नहीं पहुँचे उनसे पीछे रह गए हैं उनकी भी इस हालत पर वे ख़ुश होते हैं कि उनपर भी किसी तरह का ख़ौफ़ वाक़ेअ़ होने वाला नहीं और न वे ग़मगीन होंगे। **(170)** वे ख़ुश होते हैं अल्लाह की नेमत व फ़ज़्ल की वजह से, और इस वजह से कि अल्लाह तआ़ला ईमान वालों का अज्र ज़ाया नहीं फ़रमाते।[2] **(171)** ❖

जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के कहने को क़बूल किया उसके बाद कि उनको ज़ख़्म लगा था, उन लोगों में जो नेक और मुत्तक़ी हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। **(172)** ये ऐसे लोग हैं कि लोगों ने उनसे कहा कि उन लोगों ने

(पृष्ठ 128 का शेष) और तवक्कुल जो तदबीर को छोड़ देने के मायने में है तो उसमें तफ़सील यह है कि अगर वह तदबीर दीनी है तो उसको छोड़ना बुरा है, और अगर दुनियावी आ़म आ़दत के मुताबिक़ यक़ीनी है तो उसका छोड़ना भी नाजायज़ है, और अगर गुमान और ख़्याल के दर्जे में है तो मज़बूत दिल वाले को जायज़ है, और अगर वहमी है तो उसके छोड़ने का हुक्म दिया गया है।

6. अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का अमीन होना यहाँ दलील से साबित किया गया है।

7. यह जो फ़रमाया गया कि 'उन्हीं की नस्ल और जिन्स से' तो इसमें मुफ़स्सिरीन के कई क़ौल हैं। बाज़ ने कहा कि उनके नसब से यानी क़ुरैश से, बाज़ ने कहा कि अ़रब से, बाज़ ने कहा कि आदम की औलाद से, और यही आख़िर वाला क़ौल ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि लफ़्ज़ 'मोमिनीन' इस जगह आ़म है और 'अन्फ़ुसिहिम्' की ज़मीर (Pro-noun) इसी तरफ़ लौट रही है, पस आ़म सिफ़त के साथ तफ़सीर करना ज़्यादा मुनासिब है।

1. इस शिकस्त के वाक़िए में जो इताब (नाराज़गी और नागवारी) के बाद सहाबा की जगह-जगह तसल्ली की गई तो इससे नाफ़रमानी करने वाले धोखा न खाएँ कि हमसे जो गुनाह होते हैं उनमें भी अल्लाह की मशिय्यत व हिक्मत होती है फिर ग़म की कोई बात नहीं। बात यह है कि अव्वल तो सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से ग़लती से ऐसा हुआ, मुख़ालफ़त का इरादा न था। दूसरे उनपर नदामत और ग़म का बेइन्तिहा ग़ल्बा था जो तौबा का आला दर्जा है, इसलिए उनकी तसल्ली की गई। और जो जान-बूझकर गुनाह करे फिर उसपर जुर्रत करे, वह तसल्ली का हक़दार नहीं बल्कि डाँट-डपट और अ़ज़ाब की धमकी का हक़दार है।

2. ऊपर ग़ज़वा-ए-उहुद का क़िस्सा ज़िक्र हो चुका, आगे उसके मुताल्लिक़ एक-दूसरे ग़ज़वे (लड़ाई और जंग) का ज़िक्र है, जो 'ग़ज़वा-ए-हमराउल-असद' के नाम से मशहूर है। वह यह कि जब कुफ़्फ़ार मैदान से मक्का को वापस हुए तो रास्ते में जाकर इसपर अफ़सोस किया कि हम बाजवूद ग़ालिब आ जाने के नाहक़ लौट आए, सो अब चलकर सबका ख़ात्मा कर दें। अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों में रोब डाल दिया और फिर वे मक्का ही की तरफ़ हो लिए, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 132 पर)**

तुम्हारे लिए सामान जमा किया है सो तुमको उनसे अन्देशा करना चाहिए, सो उसने उनके ईमान को और ज़्यादा कर दिया और (उन्होंने) कह दिया कि हमको अल्लाह तआ़ला काफ़ी है और वही सब काम सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। **(173)** पस ये लोग ख़ुदा की नेमत और फ़ज़्ल से भरे हुए वापस आए कि उनको कोई नागवारी ज़रा भी पेश नहीं आई, और वे लोग अल्लाह की रिज़ा के ताबे रहे, और अल्लाह तआ़ला बड़ा फ़ज़्ल वाला है। **(174)** इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कि यह शैतान है कि अपने दोस्तों से डराता है, सो तुम उनसे मत डरना और मुझ ही से डरना अगर तुम ईमान वाले हो।[1] **(175)** और आपके लिए वे लोग ग़म का सबब न होने चाहिएँ जो जल्दी से कुफ़्र में जा पड़ते हैं, यक़ीनन वे लोग अल्लाह तआ़ला को ज़र्रा बराबर भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर है कि आख़िरत में उनको बिलकुल हिस्सा न दे, और उन लोगों को बड़ी सज़ा होगी। **(176)** यक़ीनन जितने लोगों ने ईमान की जगह कुफ़्र को इख़्तियार कर रखा है, ये लोग अल्लाह तआ़ला को ज़र्रा बराबर भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकते और उनको दर्दनाक सज़ा होगी। **(177)** और जो लोग कुफ़्र कर रहे हैं वे यह ख़्याल हरगिज़ न करें कि हमारा उनको मोहलत देना उनके लिए बेहतर है, हम उनको सिर्फ़ इसलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि जुर्म में उनको और तरक़्क़ी हो जाए और उनको तौहीन भरी सज़ा होगी।[2] **(178)** अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को इस हालत में नहीं रखना चाहते जिसपर तुम अब हो जब तक कि नापाक को पाक से अलग न फ़रमा दें। और अल्लाह तआ़ला ऐसे ग़ैबी उमूर की तुमको इत्तिला नहीं करते वे लेकिन हाँ जिसको ख़ुद चाहें, और वे अल्लाह तआ़ला के पैग़म्बर हैं उनको चुन लेते हैं, पस अब अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ,[3] और अगर तुम ईमान ले आओ और परहेज़ रखो तो फिर तुमको बड़ा अज्र मिले। **(179)** और हरगिज़ ख़्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ में बुख़्ल करते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से दी है कि यह बात कुछ उनके लिए अच्छी

(पृष्ठ 130 का शेष) लेकिन बाज़ राह चलते लोगों से कह गए कि किसी तदबीर से मुसलमानों के दिलों में हमारा रोब जमा दिया जाए। नबी करीम को वह्य से यह बात मालूम हो गई और आप उनका पीछा करते हुए मक़ाम हमराउल-असद तक पहुँचे। हमराउल-असद मदीने से आठ मील के फ़ासले पर है। वहाँ आपने तीन दिन क़ियाम फ़रमाया। उस मक़ाम पर ताजिरों का एक क़ाफ़िला गुज़रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे तिजारत का माल ख़रीदा, अल्लाह तआ़ला ने उसमें नफ़ा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वह नफ़ा साथ में मौजूद मुसलमानों को तक़सीम फ़रमा दिया। आगे आने वाली आयतों में इस क़िस्से की तरफ़ इशारा है।

1. ऊपर मुनाफ़िक़ों की बेवफ़ाई और बुरा चाहने का ज़िक्र था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक दिल पर उनकी इन हरकतों का रंज हुआ होगा, हक़ तआ़ला आने वाली आयत में आपको तसल्ली देते हैं और उसके साथ ज़िम्न व तहत में तमाम कुफ़्फ़ार के मामले के मुताल्लिक़ चाहे कोई हो आपकी तसल्ली फ़रमाते हैं ताकि आपके दिल पर अब या आइन्दा उनकी और दूसरों की तरफ़ से कभी ज़िद ग़ालिब न हो।

2. इस आयत से कोई यह शुब्हा न करे कि जब अल्लाह तआ़ला ने इसी लिए मोहलत दी है कि और ज़्यादा जुर्म करें तो फिर ज़्यादा जुर्म करने से अ़ज़ाब क्यों होगा? असल सबब छूट देने का सज़ा की ज़्यादती है, लेकिन इस सबब के सबब यानी गुनाह के ज़्यादा करने को जो बन्दे के इख़्तियार से है कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए सबब के क़ायम-मक़ाम कर दिया गया।

3. यह जो फ़रमाया कि सब रसूलों पर ईमान लाओ, हालाँकि यह मक़ाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने के ज़िक्र को चाहता है। वजह इसकी यह है कि आप पर भी ईमान जब ही साबित होगा जब सबको माने, क्योंकि एक को झुठलाना सबको झुठलाना है।

होगी, बल्कि यह बात उनके लिए बहुत ही बुरी है, वे लोग क़ियामत के दिन तौक़ पहना दिए जाएँगे उसका जिसमें उन्होंने बुख़्ल किया था, और आख़िर में आसमान व ज़मीन अल्लाह तआ़ला ही का रह जाएगा, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं।[1] **(180)** ❖

बेशक अल्लाह तआ़ला ने सुन लिया है उन लोगों का क़ौल जिन्होंने (यूँ) कहा कि अल्लाह मुफ़लिस है और हम मालदार हैं। हम उनके कहे हुए को लिख रहे हैं,[2] और उनका नबियों को नाहक़ क़त्ल करना भी, और हम कहेंगे कि चखो आग का अ़ज़ाब। **(181)** यह उन (आमाल) की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं, और यह (अमूर साबित ही है) कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर ज़ुल्म करने वाले नहीं। **(182)** वे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको हुक्म फ़रमाया था कि हम किसी पैग़म्बर पर एतिक़ाद न लाएँ जब तक कि हमारे सामने (अल्लाह तआ़ला की नियाज़ व) मन्नत (का मोजिज़ा) ज़ाहिर न करे कि उसको आग खा जाए,[3] आप फ़रमा दीजिए कि यक़ीनन बहुत-से पैग़म्बर मुझसे पहले बहुत-सी दलीलें लेकर आए और (ख़ुद) यह (मोजिज़ा) भी जिसको तुम कह रहे हो, सो तुमने उनको क्यों क़त्ल किया अगर तुम सच्चे हो। **(183)** सो अगर ये लोग आपको झुठलाएँ तो बहुत-से पैग़म्बर जो आपसे पहले गुज़रे हैं झुठलाए जा चुके हैं[4] जो मोजिज़े लेकर आए थे और सहीफ़े और रोशन किताब लेकर।[5] **(184)** हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुमको तुम्हारा पूरा बदला क़ियामत के दिन ही मिलेगा, तो जो शख़्स दोज़ख़ से बचा लिया गया और जन्नत में दाख़िल किया गया सो वह पूरा कामयाब हुआ। और दुनियावी ज़िन्दगी तो कुछ भी नहीं सिर्फ़ धोखे का सौदा है।[6] **(185)** अलबत्ता आगे और आज़माए जाओगे अपने मालों में और अपनी जानों में, और अलबत्ता आगे को और सुनोगे बहुत-सी बातें दिल दुखाने वाली उन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं और उन लोगों से जो कि मुश्रिक हैं।[7] और अगर सब्र करोगे और परहेज़ रखोगे तो यह ताकीदी अहकाम में से है।[8] **(186)** और जबकि अल्लाह ने किताब वालों से यह अ़हद लिया कि इस किताब को

1. इस तौक़ पहनाए जाने की कैफ़ियत हदीसे बुख़ारी में आई है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिसको ख़ुदा तआ़ला माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे तो उसका वह माल क़ियामत के दिन एक ज़हरीले साँप की शक्ल बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा और वह उस शख़्स की बाँछें पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ तेरा सरमाया हूँ। फिर हुज़ूरे पाक ने यह आयत पढ़ी।
2. आमाल नामे में दर्ज करा देने में यह हिक्मत है कि आ़दत यही है कि यह मुज्रिम पर ज़्यादा हुज्जत हो जाता है, वरना हक़ तआ़ला को इसकी ज़रूरत नहीं।
3. पहले बाज़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का यह मोजिज़ा हुआ है कि कोई चीज़ जानदार या ग़ैर-जानदार अल्लाह के नाम की निकाल कर किसी मैदान या पहाड़ पर रख दी, ग़ैब से एक आग ज़ाहिर हुई और उस चीज़ को जला दिया।
4. जब औरों को भी झुठलाया जा चुका है तो आपको झुठलाया जाना कोई नई बात नहीं, फिर ग़म क्या।
5. यानी बाज़े सिर्फ़ मोजिज़े लाए, बाज़े छोटी किताबें, बाज़े बड़ी किताबें, जैसे तौरात व इन्जील। चूँकि किताब से बड़ी किताब मुराद है और बड़ी किताब शान और मज़ामीन में ज़्यादा होगी इसलिए उसकी सिफ़त में 'मुनीर' बढ़ाया कि उसमें शान और मज़ामीन दोनों के एतिबार से ज़ाहिर होने के मायने ज़्यादा होंगे।
6. यह जो फ़रमाया कि धोखे का सौदा, तो इससे यह न समझा जाए कि दुनियावी ज़िन्दगी सबके लिए नुक़सानदेह है। तश्बीह देने (यानी समानता ज़ाहिर करने) से मतलब सिर्फ़ यह है कि यह असली मक़सूद बनाने के क़ाबिल नहीं।
7. आज़माने का मतलब यह है कि ऐसे हादसे तुमपर वक़्त-वक़्त पर आया करेंगे, इसको मजाज़ी तौर पर आज़माना कह दिया, वरना अल्लाह तआ़ला आज़माने के हक़ीक़ी मायने से पाक है क्योंकि वह ग़ैब का जानने वाला है।
8. सब्र करने का यह मतलब नहीं कि तदबीर न करो या इन्तिक़ाम के मौक़ों में इन्तिक़ाम न लो, या क़िताल के मौक़ों में क़िताल न करो, बल्कि हादसों में तंगदिल न हो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदे और मस्लहतें हैं। और तक़्वा यह कि ख़िलाफ़े शरीअ़त बातों और मामलात से बचो, अगरचे तदबीर भी की जाए।

आ़म लोगों के रू-ब-रू ज़ाहिर कर देना और इसको मत छुपाना, सो उन लोगों ने उसको अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उसके मुक़ाबले में कम-हक़ीक़त मुआ़वज़ा ले लिया। सो बुरी चीज़ है जिसको वे लोग ले रहे हैं। **(187)** जो लोग ऐसे हैं कि अपने (बुरे) किर्दार पर खुश होते हैं और जो (नेक) काम नहीं किया उसपर चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ हो सो ऐसे शख़्सों को हरगिज़-हरगिज़ मत ख़्याल करो कि वे ख़ास अन्दाज़ के अ़ज़ाब से बचाव में रहेंगे, (बल्कि) और उनको दर्दनाक सज़ा होगी।[1] **(188)** और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं।[2] **(189)** ❖

बेशक आसमानों के और ज़मीन के बनाने में और एक के बाद एक रात और दिन के आने-जाने में दलीलें हैं अ़क़्ल वालों के लिए। **(190)** जिनकी हालत यह है कि वे लोग अल्लाह की याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, और आसमानों और ज़मीन के पैदा होने में ग़ौर करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने इस को बेकार पैदा नहीं किया।[3] हम आपको पाक समझते हैं सो हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचा लीजिए। **(191)** ऐ हमारे परवर्दिगार! बेशक आप जिसको दोज़ख़ में दाख़िल करें उसको वाक़ई रुस्वा ही कर दिया, और ऐसे बेइन्साफ़ों का कोई भी साथ देने वाला नहीं। **(192)** ऐ हमारे परवर्दिगार! हमने एक पुकारने वाले को सुना कि वह ईमान लाने के वास्ते ऐलान कर रहे हैं[4] कि तुम अपने परवर्दिगार पर ईमान लाओ, सो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे परवर्दिगार! फिर हमारे गुनाहों को भी माफ़ फ़रमा दीजिए और हमारी बुराइयों को भी हमसे दूर कर दीजिए और हमको नेक लोगों के साथ मौत दीजिए। **(193)** ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको वह चीज़ भी दीजिए जिसका हमसे अपने पैग़म्बरों की मारफ़त आपने वायदा फ़रमाया है, और हमको क़ियामत के दिन रुस्वा न कीजिए,[5] यक़ीनन आप वायदा ख़िलाफ़ी नहीं करते।[6] **(194)** सो उनके रब ने मन्ज़ूर कर लिया उनकी दरख़्वास्त को इस वजह से कि मैं किसी शख़्स के काम को

---

1. बुरा किर्दार यही कि हक़ अहकाम को छुपाते थे और जो नेक काम नहीं किया उससे मुराद हक़ का इज़हार है, जिसको वे न करते थे लेकिन दूसरों को यह यक़ीन दिलाना चाहते थे कि हम हक़ को ज़ाहिर करते हैं, ताकि उनका धोखा देना मालूम न हो। चुनाँचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के रू-ब-रू भी यहूद ने यह जुर्रत की।

2. पस चूँकि वह हक़ीक़ी बादशाह हैं, सबपर उनका हुक्म मानना ज़रूरी है और नाफ़रमानी जुर्म है। और चूँकि वह क़ादिर हैं इसलिए जुर्म की सज़ा दे सकते हैं। और चूँकि उन्होंने इस सज़ा की ख़बर दी है इसलिए ज़रूर सज़ा देंगे। और चूँकि ये सिफ़तें उनके साथ ख़ास हैं लिहाज़ा उनके सज़ा दिए हुए को कोई बचा नहीं सकता।

3. बल्कि इसमें हिक्मतें रखी हैं, जिनमें एक बड़ी हिक्मत यह है कि इस मख़्लूक़ से ख़ालिक़ तआ़ला के वजूद व तौहीद पर दलील पकड़ी जाए।

4. मुराद इससे मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं वास्ते से या बिला वास्ता।

5. मतलब यह है कि शुरू ही से जन्नत में दाख़िल कर दीजिए।

6. लेकिन हमको यह ख़ौफ़ है कि जिनके लिए वायदा है यानी मोमिन और नेक लोग, कहीं ऐसा न हो कि ख़ुदा न करे हम उन सिफ़ात वाले न रहें जिनपर वायदा है, इसलिए हम आपसे यह दरख़्वास्त करते हैं कि हमको अपने वायदे की चीज़ें दीजिए। यानी हमको ऐसा कर दीजिए और ऐसा ही रखिए जिससे हम वायदे के मुख़ातब व महल हो जाएँ।

जो कि तुममें से काम करने वाला हो अकारत नहीं करता चाहे वह मर्द हो या औरत,[1] तुम आपस में एक-दूसरे के जुज़ "यानी अंग" हो, सो जिन लोगों ने वतन छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए[2] और तकलीफ़ें दिए गए मेरी राह में और जिहाद किया और शहीद हो गए, ज़रूर उन लोगों की तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दूँगा,[3] और ज़रूर उनको ऐसे बाग़ों में दाख़िल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, यह बदला मिलेगा अल्लाह तआ़ला के पास से, और अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है।[4] **(195)** तुझको उन काफ़िरों का शहरों में चलना-फिरना मुग़ालते में न डाल दे। **(196)** कुछ दिन की बहार है,[5] फिर उनका ठिकाना दोज़ख़ होगा और वह बहुत ही बुरी आरामगाह है। **(197)** लेकिन जो लोग खुदा से डरें उनके लिए बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे, यह मेहमानी होगी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से, और जो चीज़ें खुदा तआ़ला के पास हैं वे नेक बन्दों के लिए बहुत ही बेहतर हैं। ▲ **(198)** और यक़ीनन बाज़े लोग किताब वालों में से ऐसे भी ज़रूर हैं जो अल्लाह तआ़ला के साथ एतिक़ाद रखते हैं और इस किताब के साथ भी जो तुम्हारे पास भेजी गई, और उस किताब के साथ जो उनके पास भेजी गई, इस तौर पर कि अल्लाह तआ़ला से डरते हैं अल्लाह तआ़ला की आयात के मुक़ाबले में कम-हक़ीक़त मुआ़वज़ा नहीं लेते, ऐसे लोगों को उनका नेक बदला मिलेगा उनके परवर्दिगार के पास, इसमें शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआ़ला जल्द ही हिसाब कर देंगे। **(199)** ऐ ईमान वालो! खुद सब्र करो और मुक़ाबले में सब्र करो और मुक़ाबले के लिए तैयार रहो। और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो ताकि तुम पूरे कामयाब हो।[6] **(200)** ❖

4 सूरः निसा 92

सूरः निसा मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 177 आयतें और 24 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

ऐ लोगो! अपने परवर्दिगार से डरो जिसने तुमको एक जानदार से पैदा किया और उस जानदार से उसका जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औ़रतें फैलाईं,[7] और तुम ख़ुदा तआ़ला से डरो जिसके नाम से एक-दूसरे से मुतालबा किया करते हो, और क़राबत "यानी रिश्तेदारी और नातेदारी" से भी डरो, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला तुम सबकी इत्तिला रखते हैं।[8] **(1)** और जिन बच्चों का बाप मर जाए उनके माल उन्हीं को पहुँचाते रहो,

1. दोनों के लिए एक जैसा क़ानून है।
2. यानी कुफ़्फ़ार ने वतन में परेशान किया, बेचारे घर छोड़कर परदेस को निकल खड़े हुए।
3. तमाम ख़ताएँ इसलिए कहा गया कि यहाँ हिजरत व जिहाद और शहादत की फ़ज़ीलत ज़िक्र की गई है और हदीसों से इन आमाल का पिछले तमाम गुनाहों का कफ़्फ़ारा होना मालूम होता है।
4. ऊपर की आयत में मुसलमानों की परेशानियों का बयान और उनका नेक अन्जाम ज़िक्र किया गया था, आगे काफ़िरों की ऐश व आराम का बयान और उनका बुरा अन्जाम ज़िक्र किया गया है। ताकि मुसलमानों को अपना अन्जाम सुनकर जो तसल्ली हुई थी अपने दुश्मनों का अन्जाम सुनकर और ज़्यादा तसल्ली हो, और उनके ऐश व आराम की तरफ़ हिर्स, ग़म या गुस्से के तौर पर भी तवज्जोह न करें।
5. क्योंकि मरते ही इसका नाम व निशान भी न रहेगा।
6. क़ामूस में "मुराबतत" और "रिबात" के दो मायने लिखे हैं, एक इस्लामी हुकूमत और काफ़िर हुकूमत के दरमियान सरहद की जगह क़ियाम करना ताकि कुफ़्फ़ार से दारुल-इस्लाम यानी इस्लामी हुकूमत की हिफ़ाज़त रहे, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 140 पर)**

और तुम अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ को मत बदलो, और उनके माल मत खाओ अपने मालों (के रहने) तक, ऐसी कार्यवाही करना बड़ा गुनाह है। **(2)** और अगर तुमको इस बात का अन्देशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इन्साफ़ न कर सकोगे तो और औरतों से जो तुमको पसन्द हों निकाह कर लो, दो-दो औरतों से और तीन-तीन औरतों से और चार-चार औरतों से,[1] पस अगर तुमको इसका अन्देशा हो कि अ़द्ल "यानी इन्साफ़ और बराबरी" न रखोगे तो फिर एक ही बीवी पर बस करो, या जो बाँदी तुम्हारी मिल्क में हो वही सही, इस ज़िक्र हुए मामले में ज़्यादती न होने की ज़्यादा उम्मीद है।[2] **(3)** और तुम लोग बीवियों को उनके महर खुशदिली से दे दिया करो। हाँ, अगर वे बीवियाँ खुशदिली से छोड़ दें तुमको उस महर में का कोई हिस्सा तो तुम उसको खाओ मज़ेदार और खुश्गवार समझ कर। **(4)** और तुम कम-अ़क्लों को अपने वे माल मत दो जिनको अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए ज़िन्दगी का सरमाया बनाया है, और उन मालों में से उनको खिलाते रहो पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो।[3] **(5)** और तुम यतीमों को आज़मा लिया करो यहाँ तक कि जब वे निकाह को पहुँच जाएँ,[4] फिर अगर उनमें किसी क़द्र तमीज़ देखो[5] तो उनके माल उनके हवाले कर दो,[6] और उन मालों को ज़रूरत से ज़ायद ख़र्च करके और इस ख़्याल से कि ये बालिग़ हो जाएँगे जल्दी-जल्दी उड़ाकर मत खा डालो, और जो शख़्स ज़रूरतमन्द न हो सो वह तो अपने को बिलकुल बचाए, और जो शख़्स ज़रूरतमन्द हो तो वह मुनासिब मिक़्दार "यानी मात्रा" से खा ले, फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो उनपर गवाह भी कर लिया करो, और अल्लाह तआ़ला ही हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं।[7] **(6)** मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ-बाप और बहुत नज़दीक के रिश्तेदार छोड़ जाएँ और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ-बाप और बहुत नज़दीक के रिश्तेदार छोड़ जाएँ, चाहे वह चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, क़तई हिस्सा।[8] **(7)** और जब (वारिसों में तरके के) तक़सीम होने के

(पृष्ठ 138 का शेष) मैंने यही मायने लिए हैं। दूसरे मायने मुत्लक़ अहकाम की पाबन्दी करना। बैज़ावी ने यह मायने भी लिए हैं। और हदीस में नमाज़ के बाद अगली नमाज़ के इन्तिज़ार को "रिबात" फ़रमाया है, इसमें दोनों मायनों की गुंजाइश है। या तो पहले मायने के एतिबार से तश्बीह (उस जैसा होने) के तौर पर इसको "रिबात" फ़रमा दिया कि यह भी नफ़्स व शैतान के मुक़ाबले में तैयार और चौकन्ना रहना है, या दूसरे मायने के एतिबार से हक़ीक़त ही के तौर पर फ़रमा दिया है कि यह इन्तिज़ार खुद पहचान है पाबन्दी और हमेशा करने की, जैसा कि ज़ाहिर है। और अल्लाह ही ज़्यादा जानते हैं।

7. इस आयत में पैदाइश की तीन सूरतों का बयान है। एक तो जानदार का बेजान से पैदा करना, क्योंकि आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। दूसरे जानदार का जानदार से पैदाइश के आ़म जाने-पहचाने तरीक़े के ख़िलाफ़ पैदा होना, क्योंकि हज़रत हव्वा हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की पस्ली से पैदा हुई हैं। और तीसरे जानदार का जानदार से पैदाइश के आ़म और जाने-पहचाने तरीक़े से पैदा होना, जैसे और आदमी आदम और हव्वा से इस वक़्त तक पैदा होते आ रहे हैं। और अपने आपमें अ़जीब होने में और क़ुदरत के सामने अ़जीब न होने में तीनों सूरतें बराबर हैं।

8. ऊपर तक़्वे का हुक्म था और उसके तहत इनसानी और रिश्ते के हुक़ूक़ की रियायत का इर्शाद था, आगे उस तक़्वे के मौक़ों का जो कि ज़िक्र किए हुए हुक़ूक़ हैं, तफ़सील से ज़िक्र फ़रमाते हैं।

1. 'दो-दो, तीन-तीन और चार-चार' अ़रबी ज़बान के क़ायदे के मुताबिक़ यहाँ यह हुक्म मुक़ैयद करने के लिए है, मुत्लक़ और आ़म नहीं। इसलिए अगर क़ैद ख़त्म हो गई जैसे चार से ज़्यादा हों तो वहाँ यह गुंजाइश और मुबाह होना बाक़ी न रहेगा।

2. अगर इन्साफ़ और बराबरी न हो सकने का ग़ालिब गुमान हो तो कई औरतों से निकाह करना इस मायने में ममनू (यानी वर्जित) है कि यह शख़्स गुनाहगार होगा, न कि इस मायने में कि निकाह सही न होगा। निकाह यक़ीनन हो जाएगा।

3. यानी उनकी तसल्ली करते रहो कि माल तुम्हारा ही है। तुम्हारी ख़ैर-ख़्वाही की वजह से अभी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, ज़रा समझदार हो जाओगे तो तुम ही को दे दिया जाएगा।

4. यानी बालिग़ हो जाएँ। क्योंकि निकाह की पूरी क़ाबलियत बालिग़ होने से होती है।

5. यानी माल की हिफ़ाज़त व मस्लहतों की रियायत का सलीक़ा और इन्तिज़ाम उनमें पाओ। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 142 पर)**

वक़्त (दूर के) रिश्तेदार आ मौजूद हों और यतीम और ग़रीब लोग, तो उनको भी उस (तरके) में से (जिस क़द्र बालिग़ों का है) कुछ दे दो और उनके साथ अच्छे अन्दाज़ से बात करो।[1] (8) और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने बाद छोटे-छोटे बच्चे छोड़ जाएँ तो उनकी उनको फ़िक्र हो, सो उन लोगों को चाहिए कि अल्लाह से डरें और मौक़े की बात कहें। (9) बेशक जो लोग यतीमों का माल बिना हक़दार होते हुए खाते (बरतते) हैं, और कुछ नहीं अपने पेट में आग भर रहे हैं। और जल्द ही जलती हुई आग में दाख़िल होंगे।[2] **(10)** ❖

अल्लाह तआला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर, और अगर सिर्फ़ लड़कियाँ ही हों अगरचे दो से ज़्यादा हों तो उन लड़कियों को दो तिहाई मिलेगा उस माल का जो कि मूरिस छोड़कर मरा है, और अगर एक ही लड़की हो तो उसको आधा मिलेगा।[3] और माँ-बाप के लिए यानी दोनों में से हर एक के लिए मय्यित के तरके "यानी छोड़े हुए माल व जायदाद" में से छठा हिस्सा है अगर मय्यित के कुछ औलाद हो, और अगर उस मय्यित के कुछ औलाद न हो और उसके माँ-बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का एक तिहाई है, अगर मय्यित के एक से ज़्यादा भाई या बहन हों तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा (और बाक़ी बाप को मिलेगा) वसीयत निकाल लेने के बाद कि मय्यित उसकी वसीयत कर जाए या क़र्ज़ के बाद,[4] तुम्हारे उसूल व फ़ुरू "यानी बाप-दादा और औलाद व औलाद की औलाद" जो हैं तुम पूरे तौर पर यह नहीं जान सकते हो कि उनमें का कौन-सा शख़्स तुमको नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा नज़दीक है। यह हुक्म अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर कर दिया गया, यक़ीनन अल्लाह तआला बड़े इल्म और हिक्मत वाले हैं।[5] **(11)** और तुमको आधा मिलेगा उस तरके का जो तुम्हारी बीवियाँ छोड़ जाएँ अगर उनके कुछ औलाद न हो। और अगर उनके कुछ औलाद हो तो

(पृष्ठ 140 का शेष) **6.** तमीज़ न होने को "सफ़ह" (यानी कम-अक़्ली) कहते हैं जो माल सुपुर्द करने के लिए रुकावट है, चाहे सलीक़ा न हो चाहे सलीक़ा हो मगर उस सलीक़े से काम न लेता हो। यानी इन्तिज़ाम न करता हो बल्कि माल को उड़ाता हो, दोनों सूरतों में माल अभी न दिया जाएगा।

7. यतीम के हाजतमन्द कारकुन को अपनी लाज़िमी ज़रूरत के मुताबिक़ ख़र्च करना अपनी ख़िदमत करने के हक़ के तौर पर लेना जायज़ है।

8. यहाँ सिर्फ़ मीरास के हिस्सों के हक़दार होने को मुख़्तसर तौर पर बताया है, थोड़ा आगे चलकर वारिसों के हिस्सों की तफ़सील आती है। और नज़दीक के रिश्ते से मतलब यह है कि शरीअ़त में जो तरतीब वारिसों में मुक़र्रर और साबित है उस तरतीब में नज़दीक हो, और ज़ाहिर है कि नज़दीकी दोनों जानिब से होती है। पस इससे लाज़िम आ गया कि जो रिश्तेदार ज़्यादा क़रीब होगा वह मीरास पाएगा।

1. यह हुक्म वाजिब नहीं मुस्तहब (यानी पसन्दीदा) है। और अगर शुरू में वाजिब हुआ हो तो इसका वाजिब होना मन्सूख़ है।

2. जिस तरह यतीम का माल खुद खाना हराम है इसी तरह किसी को खिलाना या देना अगरचे बतौर ख़ैर-ख़ैरात ही के क्यों न हो, यह भी हराम है। और हर नाबालिग़ का हुक्म यही है चाहे वह यतीम न हो।

3. हदीस और अहले-हक़ के इज्मा से इस आयत का हुक्म अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के लिए नहीं। इसी वास्ते हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने 'फ़िदक' (एक गाँव का नाम है जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सरकारी बाग़ था जो आपके ख़लीफ़ाओं को मुन्तक़िल हो गया) वग़ैरह को मीरास में तक़सीम नहीं फ़रमाया।

4. इन दोनों (वसीयत और क़र्ज़) से पहले कफ़न-दफ़न ज़रूरी है। और वसीयत से मुराद वह है जो शरीअ़त के मुवाफ़िक़ हो। जैसे वारिस को वसीयत में कुछ न दे और कफ़न-दफ़न के ख़र्च और क़र्ज़ की अदायगी के बाद जो माल बचे उसके एक तिहाई से ज़ायद की वसीयत न करे वरना वह वसीयत मीरास से मुक़द्दम न होगी। और जानना चाहिए कि क़र्ज़ और वसीयत में क़र्ज़ मुक़द्दम (पहले) है।

5. मीरास का मामला मय्यित की राय पर नहीं रखा गया, बल्कि खुद हक़ तआला ने सब क़ायदे मुक़र्रर फ़रमा दिए।

तुमको उनके तरके से एक चौथाई मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि वे उसकी वसीयत कर जाएँ या क़र्ज़ के बाद। और उन बीवियों को चौथाई मिलेगा उस तरके का जिसको तुम छोड़ जाओ अगर तुम्हारे कुछ औलाद न हो, और अगर तुम्हारे कुछ औलाद हो तो उनको तुम्हारे तरके से आठवाँ हिस्सा मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि तुम उसकी वसीयत कर जाओ या क़र्ज़ के बाद। और अगर कोई मय्यित जिसकी मीरास दूसरों को मिलेगी, चाहे वह मय्यित मर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके न उसूल हों न फ़ुरू, ''यानी न बाप-दादा की जानिब से कोई हो और न औलाद की जानिब से कोई हो'' और उसके एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। फिर अगर ये लोग इससे ज़्यादा हों तो वे सब तिहाई में शरीक होंगे वसीयत निकालने के बाद जिसकी वसीयत कर दी जाए या क़र्ज़ के बाद, शर्त यह है कि किसी को नुक़सान न पहुँचाए, यह हुक्म किया गया है ख़ुदा तआला की तरफ़ से। और अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाले हैं, हलीम हैं।[1] **(12)** ये सब अहकाम जो ज़िक्र हुए ख़ुदावन्दी ज़ाबते हैं, और जो शख़्स अल्लाह और रसूल की पूरी इताअत करेगा अल्लाह तआला उसको ऐसी जन्नतों में दाख़िल कर देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, हमेशा-हमेशा उनमें रहेंगे, और यह बड़ी कामयाबी है। **(13)** और जो शख़्स अल्लाह तआला और रसूल का कहना न मानेगा और बिलकुल ही उसके ज़ाबतों से निकल जाएगा उसको आग में दाख़िल कर देंगे, इस तरह से कि वह उसमें हमेशा-हमेशा रहेगा और उसको ऐसी सज़ा होगी जिसमें ज़िल्लत भी है।[2] **(14)** ❖

और जो औरतें बेहयाई का काम करें तुम्हारी बीवियों में से सो तुम लोग उन औरतों पर चार आदमी अपनों में से गवाह कर लो, सो अगर वे गवाही दे दें तो तुम उनको घरों के अन्दर रोक कर रखो यहाँ तक कि मौत उनका ख़ात्मा कर दे या अल्लाह तआला उनके लिए कोई और राह तजवीज़ फ़रमा दें।[3] **(15)** और जो दो शख़्स भी बेहयाई का काम करें तुममें से तो उन दोनों को तकलीफ़ पहुँचाओ, फिर अगर वे दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उन दोनों से कुछ तअर्रुज़ ''यानी रोक-टोक'' न करो, बिला शुब्हा अल्लाह तआला तौबा क़बूल करने वाले हैं, रहमत करने वाले हैं।[4] **(16)** तौबा जिसका क़बूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है वह तो उन्ही की है जो हिमाक़त से कोई गुनाह कर बैठते हैं,[5] फिर क़रीब ही वक़्त में तौबा कर लेते हैं, सो ऐसों पर तो ख़ुदा तआला तवज्जोह फ़रमाते हैं, और अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाले हैं, हिक्मत वाले हैं। **(17)** और ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो गुनाह करते

---

1. अहकाम को बयान करके आगे उनके एतिक़ादी और अ़मली तौर पर मानने की ताकीद और न मानने पर वईद इर्शाद फ़रमाते हैं।
2. जाहिलियत में जैसे यतीमों और मीरास पाने वालों के मामले में बहुत-सी बेइन्तिज़ामियाँ थीं जिनकी इस्लाह ऊपर की आयतों में ज़िक्र हुई। इसी तरह औरतों के मामले में भी तरह-तरह की बुरी और ख़राब रस्में और बेउन्वानियाँ फैली हुई थीं, आगे 'अर्रिजालु क़व्वामू-न' तक उन मामलात की इस्लाह फ़रमाते हैं, और जो ख़ता व क़ुसूर शरई तौर पर मोतबर हो उसपर तंबीह की इजाज़त देते हैं।
3. वह दूसरा हुक्म बाद में नाज़िल हुआ जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस तरह इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह ने वह सबील इर्शाद फ़रमा दी है। तुम लोग समझ लो, याद कर लो कि ग़ैर-शादीशुदा के लिये सौ दुर्रे और शादीशुदा के लिये संगसारी (यानी पत्थर मार-मारकर हलाक कर देना) है। (जैसा कि हदीस की मोतबर किताबों में है) पस इस आयत का हुक्म मन्सूख़ है।
4. 'जो दो शख़्स भी' इसमें शादीशुदा और ग़ैर-शादीशुदा औरत, और निकाह वाला और बेनिकाह वाला मर्द सब आ गए। पस चारों का हुक्म बयान हो गया।
5. 'हिमाक़त' की क़ैद वाक़ई है शर्त के तौर पर नहीं, क्योंकि हमेशा गुनाह हिमाक़त ही से होता है।

रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई[1] तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूँ, और न उन लोगों की जिनको कुफ़्र की हालत पर मौत आ जाती है। उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। **(18)** ऐ ईमान वालो! तुमको यह बात हलाल नहीं कि औरतों के (माल या जान के) जबूरन मालिक हो जाओ[2] और उन औरतों को इस ग़रज़ से मुक़ैयद मत करो कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो, मगर यह कि वे औरतें कोई खुली नामुनासिब और ग़लत हरकत करें। और उन औरतों के साथ ख़ूबी के साथ गुज़रान किया करो। और अगर वे तुमको नापसन्द हों तो मुम्किन है कि तुम एक चीज़ को नापसन्द करो और अल्लाह तआ़ला उसके अन्दर कोई बड़ी ख़ैर रख दे। **(19)** और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो और तुम उस एक को ढेर का ढेर माल दे चुके हो तो तुम उसमें से कुछ भी मत लो।[3] क्या तुम उसको लेते हो बोहतान रखकर और खुले गुनाह के करने वाले होकर। **(20)** और तुम उसको कैसे लेते हो हालाँकि तुम आपस में एक-दूसरे से बेहिजाबी के साथ मिल चुके हो, और वे औरतें तुमसे एक गाढ़ा इक़रार ले चुकी हैं। **(21)** और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप (दादा या नाना) ने निकाह किया हो, मगर जो बात गुज़र गई गुज़र गई। बेशक यह (अ़क्ल के एतिबार से भी) बड़ी बेहयाई है और बहुत ही नफ़रत की बात है, और (शरअ़न भी) बुरा तरीक़ा है।[4] **(22)** ❖

तुमपर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ[5] और तुम्हारी बहनें[6] और तुम्हारी फूफियाँ[7] और तुम्हारी ख़ालाएँ[8] और भतीजियाँ और भान्जियाँ[9] और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम्हारी वे बहनें जो दूध पीने की वजह से हैं,[10] और तुम्हारी बीवियों की माएँ[11] और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ[12] जो कि तुम्हारी परवरिश में रहती हैं, उन बीवियों से कि जिनके साथ तुमने सोहबत की हो।[13] और अगर तुमने उन बीवियों से सोहबत न की हो तो तुमको कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो कि तुम्हारी नस्ल से हों,[14] और यह कि तुम दो बहनों को एक साथ रखो, लेकिन जो पहले हो चुका। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े बख़्शने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। **(23)**

---

1. मौत के हाज़िर होने का मतलब यह है कि उसे दूसरी दुनिया की चीज़ें नज़र आने लगें।

2. माल का मालिक होना तीन तरह से है। एक यह कि उस औरत का जो हक़ शरई मीरास में है उसको खुद ले लिया जाए, उसको न दिया जाए। दूसरे यह कि उसको निकाह न करने दिया जाए, यहाँ तक कि वह यहीं पर मर जाए, फिर उसका माल ले लें या वह मजबूरन खुद कुछ दे दे। तीसरे यह कि शौहर उसको मजबूर करे कि वह उसको कुछ माल दे तब यह उसको छोड़े। और जान का मालिक होना यह था कि मुर्दे की औरत को मुर्दे के माल की तरह अपनी मीरास समझते थे, इस सूरत में जबर की क़ैद वाक़ई है कि वे ऐसा करते थे। यह नहीं कि औरत अगर राज़ी हो तो वह सचमुच मीरास और मिल्क हो जाएगी।

3. अगर किसी को शुब्हा हो कि हदीस में महर कम मुक़र्रर करने की ताकीद आई है और इस आयत से ज़्यादा का जायज़ होना मालूम होता है, तो उसका जवाब यह है कि यह क़ुरआन से जो जायज़ होने का मफ़हूम निकल रहा है यह सही हो जाने और लागू होने के मायने में है और हदीस में जायज़ होना मुत्लक़ दुरुस्त होने और मक्रूह न होने की नफ़ी है, पस कुछ टकराव नहीं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का एक वाक़िए में ज़्यादा महर के जायज़ और दुरुस्त होने को मान लेना इसलिए था कि सुनने वाले उसको हराम न समझने लगें, पस इससे कराहत का न होना साबित नहीं होता, न हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर कोई एतिराज़ लाज़िम आता है।

4. जिस औरत से बाप ने ज़िना किया हो उससे बेटा निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह जहाँ-जहाँ निकाह से हराम होना साबित हो जाता है ज़िना से भी हराम हो जाता है।

5. इनमें सब उसूल व फ़ुरू (यानी रिश्ते की जड़ जैसे बाप-दादा की जानिब और शाख़ जैसे औलाद की जानिब) वास्ते से और बिला वास्ता सब दाख़िल हैं।

6. चाहे हक़ीक़ी हों या माँ-शरीक या बाप-शरीक।

7. इसमें बाप की और सब मुज़क्कर **(Male)** उसूल की तीनों क़िस्म की बहनें आ गईं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 148 पर)**

पाँचवाँ पारः वल्-मुह्सनातु

सूरः निसा (आयत 24 से 147)

और वे औरतें जो कि शौहर वालियाँ हैं, मगर जो कि तुम्हारी मिल्क में आ जाएँ, अल्लाह तआ़ला ने इन अहकाम को तुमपर फ़र्ज़ कर दिया है।[1] और उन औरतों के अ़लावा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, यानी यह कि तुम उनको अपने मालों के ज़रिये से चाहो,[2] इस तरह से कि तुम बीवी बनाओ, सिर्फ़ मस्ती ही निकालना न हो,[3] फिर जिस तरीक़े से तुमने उन औरतों से फ़ायदा उठाया है सो उनको उनके मह्र दो जो कुछ मुक़र्रर हो चुके हैं। और मुक़र्रर होने के बाद भी जिसपर तुम आपस में रज़ामन्द हो जाओ उसमें तुमपर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े जानने वाले, बड़े हिक्मत वाले हैं। **(24)** और जो शख़्स तुममें पूरी ताक़त और गुंजाइश न रखता हो आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की तो वह अपने आपस की मुसलमान बाँदियों से जो कि तुम लोगों की मिल्क में हैं, निकाह कर ले। और तुम्हारे ईमान की पूरी हालत अल्लाह ही को मालूम है, तुम आपस में एक-दूसरे के बराबर हो। सो उनसे निकाह कर लिया करो उनके मालिकों की इजाज़त से, और उनको उनके मह्र क़ायदे के मुवाफ़िक़ दे दिया करो, इस तौर पर कि वे निकाह में लाई जाएँ, न तो खुले-आ़म बदकारी करने वाली हों और न छुपे ताल्लुक़ात रखने वाली हों।[4] फिर जब वे बाँदियाँ निकाह में लाई जाएँ, फिर अगर वे बड़ी बेहयाई का काम (ज़िना) करें तो उनपर उस सज़ा से आधी सज़ा होगी जो आज़ाद औरतों पर होती है।[5] यह उस शख़्स के लिए है जो तुममें ज़िना का अन्देशा रखता हो,[6] और ज़ब्त करना ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह तआ़ला बड़े बख़्शने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। **(25)** ❖

अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर है कि तुमसे बयान कर दे और तुमसे पहले लोगों के हालात तुम्हें बता दे और तुमपर तवज्जोह फ़रमाए, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़े हिक्मत वाले हैं। **(26)** और अल्लाह तआ़ला को

(पृष्ठ 146 का शेष) **8.** इसमें माँ की और सब मुअन्नस **(Female)** उसूल की तीनों क़िस्म की बहनें आ गईं।

9. इसमें तीनों क़िस्म की बहनों की औलाद वास्ते से और बिला वास्ता सब आ गईं।

10. यानी तुमने उनकी हक़ीक़ी या दूध पिलाने वाली माँ का दूध पिया है, या उन्होंने तुम्हारी हक़ीक़ी या दूध पिलाने वाली माँ का दूध पिया है, अगरचे अलग-अलग वक़्तों में पिया हो।

11. इसमें बीवी के सब मुअन्नस उसूल आ गए।

12. इसमें बीवी के सब मुअन्नस फ़ुरू आ गए।

13. किसी औरत के साथ निकाह से उसकी वह लड़की जो पहले शौहर से हो हराम नहीं होती, बल्कि जब उस औरत से सोहबत हो जाए तब हराम होती है।

14. इसमें सब मुज़क्कर फ़ुरू की बीवियाँ आ गईं। और नस्ल की क़ैद का मतलब यह है कि मुँह-बोले लेपालक जिसको मुतबन्ना कहते हैं, उसकी बीवी हराम नहीं।

1. यहाँ तक उनका बयान था जिनसे निकाह करना हराम है। इसके बाद उनके अ़लावा के निकाह के हलाल होने मय हलाल होने की शर्तों का बयान है।

2. यानी निकाह में मह्र होना ज़रूरी है।

3. इसके आ़म होने में ज़िना और मुत्आ़ (यानी एक मुद्दते मुक़र्ररा के लिए निकाह कर लेना) सब दाख़िल हो गए।

4. बाँदी के साथ निकाह करने में दो शर्तें लगाई हैं, एक यह कि वह ऐसी औरत से निकाह न कर सके जिसमें दो सिफ़तें हों-नम्बर एक आज़ाद होना, नम्बर दो मोमिन होना। दूसरी शर्त यह है कि वह मुसलमान बाँदी हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक इन शर्तों का लिहाज़ रखना अफ़ज़ल है, और अगर इन शर्तों की रियायत किए बग़ैर **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 150 पर)**

तो तुम्हारे हाल पर तवज्जोह फ़रमाना मन्ज़ूर है। और जो लोग शहवत परस्त हैं[1] वे यूँ चाहते हैं कि तुम बड़े भारी कजी ''यानी टेढ़पन'' में पड़ जाओ।[2] **(27)** अल्लाह को तुम्हारे साथ तख़्फ़ीफ़ ''यानी कमी और सहूलत करना'' मन्ज़ूर है और आदमी कमज़ोर पैदा किया गया है। **(28)** ऐ ईमान वालो! आपस में एक-दूसरे के माल नाहक़ तौर पर मत खाओ, लेकिन कोई तिजारत हो जो आपसी रज़ामन्दी से हो तो हर्ज नहीं, और तुम एक-दूसरे को क़त्ल भी मत करो, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला तुमपर बड़े मेहरबान हैं। **(29)** और जो शख़्स ऐसा फ़ेल ''यानी काम'' करेगा इस तौर पर कि हद से गुज़र जाए और इस तौर पर कि ज़ुल्म करे,[3] तो हम जल्द ही उसको[4] आग में दाख़िल करेंगे, और यह (काम) ख़ुदा तआ़ला को आसान है। **(30)** जिन कामों से तुमको मना किया जाता है उनमें जो भारी-भारी काम हैं अगर तुम उनसे बचते रहो तो हम तुम्हारी हल्की और छोटी बुराइयाँ तुमसे दूर फ़रमा देंगे और हम तुमको एक इज़्ज़त वाली जगह में दाख़िल कर देंगे।[5] **(31)** और तुम किसी ऐसे अम्र ''यानी मामले और काम'' की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह तआ़ला ने बाज़ों को बाज़ों पर फ़ौक़ियत बख़्शी है,[6] मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है और औ़रतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है, और अल्लाह तआ़ला से उसके फ़ज़्ल की दरख़्वास्त किया करो, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं। **(32)** और हर ऐसे माल के लिए जिसको माँ-बाप और रिश्तेदार लोग छोड़ जाएँ हमने वारिस मुक़र्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे अ़हद बंधे हुए हैं उनको उनका हिस्सा दे दो,[7] बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर इत्तिला रखते हैं। **(33)** ❖

मर्द हाकिम हैं औ़रतों पर, इस सबब से कि अल्लाह तआ़ला ने बाज़ों को बाज़ों पर फ़ज़ीलत दी है, और इस सबब से कि मर्दों ने अपने माल ख़र्च किए हैं, सो जो औ़रतें नेक हैं इताअ़त करती हैं, मर्द की ग़ैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफ़ाज़त से निगरानी करती हैं, और जो औ़रतें ऐसी हों कि तुमको उनकी बद-दिमाग़ी का अंदेशा हो तो उनको ज़बानी नसीहत करो और उनको उनके लेटने की जगहों में अकेला छोड़ दो, और उनको मारो, फिर अगर वे तुम्हारी इताअ़त करना शुरू कर दें तो उनपर बहाना मत ढूँढो, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ी बुलन्दी और बड़ाई

(पृष्ठ 148 का शेष) बाँदी से निकाह किया तो निकाह हो जाएगा लेकिन मक्रूह होगा।

5. वह सज़ा यह है कि उनको पचास दुर्रे लगाए जाएँगे।

6. और जिसको यह अन्देशा न हो उसके लिए मुनासिब नहीं।

1. इब्ने ज़ैद के क़ौल के मुताबिक़ शहवत परस्त लोगों से फ़ासिक़ लोग मुराद हैं, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के क़ौल के मुताबिक़ ज़िनाकार मुराद हैं। यहाँ शहवत परस्ती की बुराई में मुबाह शहवतों से अलग होना दाख़िल नहीं है।

2. बड़ी भारी कजी (टेढ़ेपन) के दो मतलब हैं। एक यह कि बेख़ौफ़ और निडर होकर हराम कामों को करना, दूसरे यह कि हराम को हलाल समझ लेना। और उसके मुक़ाबले में हल्का टेढ़ापन यह है कि गुनाह को गुनाह समझे और इत्तिफ़ाक़ से गुनाह हो जाए। इस आयत में 'हल्के टेढ़ेपन' (यानी थोड़ी बहुत बेराहरवी) की इजाज़त नहीं है बल्कि उन बदख़्वाहों के हाल का बयान करना है कि वे बड़ी कजी की कोशिश में हैं।

3. ''उद्वान'' का हासिल यह है कि वह (क़त्ल किया गया) शख़्स हक़ीक़त में क़त्ल का मुस्तहिक़ न हो और उसको क़त्ल किया जाए। और ज़ुल्म का हासिल यह है कि जो क़त्ल का हक़दार न हो उसका क़त्ल हो जाना तीन तरह पर हो सकता है, एक यह कि फ़ेल में ख़ता हुई, यानी जैसे गोली शिकार पर चलाई और वह किसी आदमी को लग गई, दूसरे यह कि क़ाज़ी व हाकिम से फ़ैसला करने में ख़ता हुई, तीसरे यह कि हक़ीक़ते हाल यानी उसका क़त्ल का मुस्तहिक़ न होना मालूम है फिर भी जान-बूझकर उसको क़त्ल कर डाला। पस ज़ुल्म कहने से पहली दो सूरतें ख़ारिज हो जाएँगी कि उनमें यह वईद नहीं।

4. यानी मरने के बाद।

5. गुनाहे कबीरा (यानी बड़े गुनाह) की तारीफ़ में बहुत अक़्वाल हैं। सबसे ज़्यादा जामेअ़ क़ौल वह है जिसको 'रूहुल मआ़नी' में शैख़ुल इस्लाम बारज़ी से नक़ल किया है, कि जिस गुनाह पर कोई वईद हो या सज़ा हो या उसपर लानत आई हो, या उसमें किसी ऐसे ही गुनाह के बराबर ख़राबी हो या ज़्यादा हो जिसपर डाँट-डपट या सज़ा या लानत आई हो, या वह दीन की तौहीन करने के तौर पर सादिर हो, वह कबीरा (यानी बड़ा) है, और उसका मुक़ाबिल सग़ीरा (छोटा) है। और हदीसों में जो अ़दद आया है **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 152 पर)**

वाले हैं। **(34)** और अगर तुम ऊपर वालों को उन दोनों मियाँ-बीवी में कशा-कशी का अन्देशा हो तो तुम लोग एक आदमी जो तसफ़िया करने की सलाहियत रखता हो मर्द के ख़ानदान से, और एक आदमी जो तसफ़िया करने की सलाहियत रखता हो औ़रत के ख़ानदान से भेजो, अगर उन दोनों आदमियों को इस्लाह मन्ज़ूर होगी तो अल्लाह तआ़ला उन मियाँ-बीवी में इत्तिफ़ाक़ फ़रमा देंगे। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़े ख़बर वाले हैं। **(35)** और तुम अल्लाह तआ़ला की इबादत इख़्तियार करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो और माँ-बाप के साथ अच्छा मामला करो, और रिश्तेदारों के साथ भी और यतीमों के साथ भी और ग़रीब-ग़ुरबा के साथ भी और पास वाले पड़ौसी के साथ भी और दूर वाले पड़ौसी के साथ भी, और साथ रहने और उठने-बैठने वाले के साथ भी,[1] और राहगीर के साथ भी और उनके साथ भी जो तुम्हारे मालिकाना क़ब्ज़े में हैं,[2] बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्सों से मुहब्बत नहीं रखते जो अपने को बड़ा समझते हों, शेख़ी की बातें करते हों। **(36)** जो कि बुख़्ल "यानी कन्जूसी" करते हों और दूसरे लोगों को भी बुख़्ल की तालीम करते हों, और वे उस चीज़ को छुपाकर रखते हों जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से दी है।[3] और हमने ऐसे नाशुक्रों के लिए तौहीन वाली सज़ा तैयार कर रखी है। **(37)** और जो लोग कि अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करते हैं और अल्लाह तआ़ला पर और आख़िरी दिन पर एतिक़ाद नहीं रखते, और शैतान जिसका साथी हो उसका वह बुरा साथी है।[4] **(38)** और उनपर क्या मुसीबत नाज़िल हो जाएगी अगर वे लोग अल्लाह तआ़ला पर और आख़िरी दिन पर ईमान ले आएँ, और अल्लाह तआ़ला ने जो उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते रहा करें,[5] और अल्लाह तआ़ला उनको ख़ूब जानते हैं। **(39)** बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला एक ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म न करेंगे, और अगर एक नेकी होगी तो उसको कई गुना कर देंगे और अपने पास से और बड़ा अज्र देंगे।[6] **(40)** सो उस वक़्त भी क्या हाल होगा जबकि हम हर उम्मत में से एक-एक गवाह को हाज़िर करेंगे और आपको उन लोगों पर गवाही देने के लिए सामने लाएँगे।[7] **(41)** उस दिन जिन्होंने कुफ़्र किया होगा और रसूल का कहना न माना होगा वे इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश! हम ज़मीन के पैवन्द हो जाएँ, और अल्लाह तआ़ला से किसी बात को छुपा न सकेंगे। **(42)** ❖

(पृष्ठ 150 का शेष) उससे मक़सूद उसी में महदूद करना नहीं बल्कि वक़्त के तक़ाज़े से उन्हीं का ज़िक्र होगा।

6. जैसे मर्द होना या मर्दों का डबल हिस्सा होना, या उनकी गवाही का कामिल होना वग़ैरह-वग़ैरह।

7. जिन दो शख़्सों में आपस में इस तरह क़ौल व क़रार हो जाए कि हम एक-दूसरे के इस तरह मददगार रहेंगे कि अगर एक शख़्स के ज़िम्मे कोई दियत (यानी जुर्माना, ख़ून-बहा) लाज़िम आई तो दूसरा भी उसको बर्दाश्त करने वाला हो, और जब वह मर जाए तो दूसरा उसकी मीरास ले, तो यह अ़हद 'अ़क़्दे मवालात' है और उनमें से हर शख़्स 'मौलल-मवालात' कहलाता है। यह रस्म अ़रब में इस्लाम से पहले भी थी और शुरू इस्लाम में जब तक कि अक्सर मुसलमानों के रिश्तेदार भी मुसलमान न हुए थे, और इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्सार व मुहाजिरीन में आपस में 'अ़क़्दे उखुव्वत' (यानी भाईचारा) आयोजित फ़रमा दिया था, जिसका असर इसी मवालात का-सा था। उस वक़्त भी इसी पुरानी रस्म के मुवाफ़िक़ हुक्म रहा कि अन्सार व मुहाजिरीन में आपस में मीरास जारी होती थी। फिर जब लोग कसूरत से मुसलमान हो गए तो उसमें अव्वल वह तरमीम हुई जो इस आयत में ज़िक्र हुई है, यानी छठा हिस्सा उस 'मौलल मवालात' को और बाक़ी दूसरे वारिसों को दिलाया जाता था। फिर इसके कुछ बाद सूरः अहज़ाब की आयत 'व उलुल् अरहामि बअ़्ज़ुहुम् औला बि-बअ़्ज़िन्' से बिलकुल ही इस 'मौलल मवालात' का हिस्सा मन्सूख़ हो गया।

1. चाहे वह मज्लिस हमेशा की हो जैसे लम्बे सफ़र का साथ और किसी जायज़ काम में शिर्कत, या आरज़ी हो जैसे छोटे सफ़र का साथ या इत्तिफ़ाक़ी जलसे में शिर्कत।

2. ये हुक़ूक़ वाले अगर काफ़िर भी हों तब भी उनके साथ एहसान करे, अलबत्ता मुसलमान का हक़ इस्लाम की वजह से उनसे ज़्यादा होगा।

3. इससे या तो मुराद माल व दौलत है जबकि हिफ़ाज़त की मस्लहत के बग़ैर महज़ बुख़्ल की वजह से कि हुक़ूक़ वाले उम्मीद न करें, छुपाए, या मुराद इल्मे दीन है कि यहूद रिसालत की ख़बरों को छुपाया करते थे, पस बुख़्ल भी आ़म हो जाएगा, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 154 पर)**

ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ कि तुम नशे में हो,[1] यहाँ तक कि तुम समझने लगो कि (मुँह से) क्या कहते हो,[2] और नापाकी की हालत में भी तुम्हारे मुसाफ़िर होने की हालत को छोड़कर, यहाँ तक कि गुस्ल कर लो,[3] और अगर तुम बीमार हो[4] या सफ़र की हालत में हो या तुममें से कोई शख़्स इस्तिन्जे से "यानी पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर" आया हो, या तुमने बीवियों से क़ुरबत की हो, फिर तुमको पानी न मिले तो तुम पाक ज़मीन (पर हाथ मारकर उस) से तयम्मुम कर लिया करो, यानी अपने चेहरों और हाथों पर (हाथ) फेर लिया करो,[5] बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े बख़्शने वाले हैं। **(43)** क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक बड़ा हिस्सा मिला है, वे लोग गुमराही को इख़्तियार कर रहे हैं और (यूँ) चाहते हैं कि तुम राह से बेराह हो जाओ। **(44)** और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दुश्मनों को ख़ूब जानते हैं और अल्लाह तआ़ला काफ़ी रफ़ीक़ है, और अल्लाह तआ़ला काफ़ी हिमायती है। **(45)** ये लोग जो यहूदियों में से हैं क़लाम को उसके मौक़ों से दूसरी तरफ़ फेर देते हैं, और (ये कलिमात) कहते हैं: समिअ्ना व अ़सैना और इस्मअ् ग़ै-र मुस्-मअ् और राअ़िना इस तौर पर कि अपनी ज़बानों को फेर कर और दीन में ताना मारने की नीयत से,[6] और अगर ये लोग (ये कलिमात) कहते, समिअ्ना व अतअ्ना[7] और इस्-मअ् और उन्ज़ुरना[8] तो (यह बात) उनके लिए बेहतर होती और मौक़े की बात थी, मगर उनको ख़ुदा तआ़ला ने उनके कुफ़्र के सबब अपनी रहमत से दूर फेंक दिया, अब वे ईमान न लाएँगे मगर थोड़े-से आदमी।[9] **(46)** ऐ वे लोगो! जो किताब दिए गए हो, तुम उस किताब पर ईमान लाओ जिसको हमने नाज़िल फ़रमाया है, ऐसी हालत पर कि वह सच बतलाती है उस किताब को जो तुम्हारे पास है, इससे पहले-पहले कि हम चेहरों को बिलकुल मिटा डालें और उनको उनकी उल्टी तरफ़ की तरह बना दें, या उनपर हम ऐसी लानत करें जैसी लानत उन हफ़्ते वालों पर की थी, और अल्लाह तआ़ला का हुक्म पूरा ही होकर रहता है। **(47)** बेशक अल्लाह तआ़ला इस बात को न बख़्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक क़रार दिया जाए और इसके सिवा जितने गुनाह हैं जिसके लिए मन्ज़ूर होगा वे गुनाह बख़्श देंगे। और जो अल्लाह तआ़ला

(पृष्ठ 152 का शेष) जिसमें बख़ील लोग और रिसालत का इनकार करने वाले दोनों आ गए।

4. ऊपर अल्लाह व रसूल और क़ियामत के साथ कुफ़्र और बुख़्ल और दिखावे और तकब्बुर की मज़म्मत (बुराई और निंदा) फ़रमाई है, आगे उनकी उलट सिफ़ात की तरग़ीब देते हैं। पस वह जो पहले गुज़रा यह उसका पूरा करने वाला, बक़िया और आख़िरी हिस्सा है।

5. यानी कुछ भी नुक़सान नहीं हर तरह नफ़ा-ही-नफ़ा है।

6. ऊपर जिन उमूर की तर्ग़ीब थी आगे उनके न करने पर डरावा और धमकी है।

7. यानी जिन लोगों ने दुनिया में ख़ुदाई अहकाम न माने होंगे उनके मुक़द्दमे की पेशी के वक़्त बतौर सरकारी गवाह के अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के बयानात सुने जाएँगे। जो-जो मामलात नबियों की मौजूदगी में पेश आए थे वे सब ज़ाहिर कर देंगे। उस गवाही के बाद उन मुख़ालिफ़ीन पर जुर्म साबित होकर सज़ा दी जाएगी।

1. यानी ऐसी हालत में नमाज़ मत पढ़ो। मतलब यह है कि नमाज़ का अदा करना तो अपने वक़्तों में फ़र्ज़ है और यह हालत नमाज़ अदा करने के मनाफ़ी है, पस नमाज़ के वक़्तों में नशे का इस्तेमाल मत करो, कभी तुम्हारे मुँह से कोई ग़लत कलिमा न निकल जाए।

2. यह हुक्म उस वक़्त था जब शराब हलाल थी, फिर शराब हराम हो गई। न नमाज़ के वक़्त दुरुस्त है न ग़ैर-नमाज़ के वक़्त। पस इस आयत का पहला हिस्सा मन्सूख़ है।

3. नापाकी से गुस्ल करना नमाज़ के सही होने की शर्तों में से है। और यह हुक्म यानी नापाकी के बाद बिना गुस्ल किए नमाज़ पढ़ना उज़्र न होने की हालत में है।

4. जिस बीमारी में पानी के इस्तेमाल से बीमारी के ज़्यादा या लम्बी हो जाने का डर हो उसमें तयम्मुम दुरुस्त है। 'मरज़ा' में ये दोनों सूरतें दाख़िल हैं।

5. तयम्मुम हर ऐसी चीज़ से जायज़ है जो ज़मीन की जिन्स से हो, और ज़मीन की जिन्स वह है **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 156 पर)**

के साथ शरीक ठहराता है वह बड़े जुर्म का करने वाला हुआ।[1] (48) क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने को मुक़द्दस "यानी पाकीज़ा और नेक" बतलाते हैं, बल्कि अल्लाह तआ़ला जिसको चाहें मुक़द्दस बना दें, और उनपर धागे के बराबर भी ज़ुल्म न होगा। (49) तू देख ये लोग अल्लाह तआ़ला पर कैसी झूठी तोहमत लगाते हैं। और यही बात खुला मुज्रिम होने के लिए काफ़ी है। (50) ❖

क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा मिला है, वे बुत और शैतान को मानते हैं[2] और वे लोग काफ़िरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग उन मुसलमानों के मुक़ाबले में ज़्यादा सही रास्ते पर हैं। (51) ये लोग वे हैं जिनको ख़ुदा तआ़ला ने मलऊन बना दिया है, और ख़ुदा तआ़ला जिसको मलऊन बना दे उसका कोई हिमायती न पाओगे। (52) हाँ क्या उनके पास कोई हिस्सा है हुकूमत का, सो ऐसी हालत में तो और लोगों को ज़रा-सी चीज़ भी न देते। (53) या दूसरे आदमियों की उन चीज़ों पर जलते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से अ़ता फ़रमाई हैं, सो हमने (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के ख़ानदान को किताब भी दी है और इल्म भी दिया है, और हमने उनको बड़ी भारी हुकूमत भी दी है।[3] (54) सो उनमें से बाज़े तो उसपर ईमान लाए और बाज़े ऐसे थे कि उससे मुँह फेरे ही रहे, और दोज़ख़ की दहकती हुई आग काफ़ी है।[4] (55) बेशक जो लोग हमारी आयतों के इनकारी हुए हम उनको जल्द ही एक सख़्त आग में दाख़िल करेंगे, जबकि एक दफ़ा उनकी खाल जल चुकेगी तो हम उस पहली खाल की जगह फ़ौरन दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि अ़ज़ाब ही भुगतते रहें।[5] बेशक अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। ◆ (56) और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए हम उनको जल्द ही ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। उनके वास्ते

(पृष्ठ 154 का शेष) जो आग में न जले और न गले, लेकिन चूना और राख इससे अलग हैं कि चूना आग में जल जाता है मगर तयम्मुम उससे दुरुस्त है, और राख न जलती है और न गलती है मगर उससे तयम्मुम जायज़ नहीं।

6. नबी का मज़ाक़ उड़ाना और उसको ताना देना, यह दीन का मज़ाक़ उड़ाना और उसको ताना मारना है।

7. जिसके मायने यह हैं कि हमने सुन लिया और मान लिया।

8. 'इस्मअ्' के मायने यह हैं कि आप सुन लीजिए और 'उन्ज़ुरना' के मायने यह हैं कि हमारी मस्लहत पर नज़र फ़रमाइए।

9. यह 'ला युअ्मिनू-न' उन्हीं के बारे में फ़रमाया जो अल्लाह के इल्म में कुफ़्र पर मरने वाले थे। पस नौ-मुस्लिमों के ईमान लाने से कोई शुब्हा नहीं हो सकता। और जो ईमान ले आता है अगर वह किसी वक़्त बेअदबी और नाफ़रमानी भी कर चुका हो, लेकिन जब उससे बाज़ आ गया तो वह ख़त्म हो गई।

1. क़ुरआन व हदीस व इज्मा से यह मसला शरीअ़त की ज़रूरी चीज़ों में से है कि शिर्क और कुफ़्र दोनों बख़्शे नहीं जाएँगे।

2. क्योंकि मुश्रिकीन का दीन बुत-परस्ती और शैतान की पैरवी था, जब ऐसे दीन को अच्छा बतलाया तो बुत और शैतान की तस्दीक़ साफ़ लाज़िम आई।

3. चुनाँचे बनी इसराईल में बहुत से अम्बिया गुज़रे, बाज़ अम्बिया हुकूमत वाले भी हुए जैसे हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम, हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम, उनका बहुत-सी बीवियों वाला होना मालूम व मश्हूर है, और ये सब इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की औलाद में हैं। सो जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की औलाद से हैं तो आपको अगर ये नेमतें व इनामात मिल गए तो ताज्जुब की क्या बात है।

4. पस अगर आपकी रिसालत व क़ुरआन पर भी आपके ज़माने के बाज़े लोग ईमान न लाएँ तो रंज की बात नहीं।

5. क्योंकि पहली खाल में जलने के बाद शुब्हा हो सकता था कि शायद उसमें एहसास न रहे इस शुब्हे को दूर करने के लिए यह सुना दिया।

उनमें पाक-साफ़ बीवियाँ होंगी और हम उनको बहुत ही घने साए में दाख़िल करेंगे।[1] **(57)** बेशक तुमको अल्लाह तआ़ला इस बात का हुक्म देते हैं कि हक़ वालों को उनके हुक़ूक़ पहुँचा दिया करो,[2] और यह कि जब लोगों का तसफ़िया किया करो तो अ़द्ल "यानी इन्साफ़" से तसफ़िया किया करो, बेशक अल्लाह तआ़ला जिस बात की तुमको नसीहत करते हैं वह बात बहुत अच्छी है,[3] बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनते हैं, ख़ूब देखते हैं। **(58)** ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह तआ़ला का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और तुममें जो लोग हुकूमत वाले हैं उनका भी, फिर अगर किसी मामले में तुम आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगो तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया करो अगर तुम अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो। ये उमूर सब बेहतर हैं और इनका अन्जाम अच्छा है। **(59)** ❖

क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वे उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ़ नाज़िल की गई और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाज़िल की गई, अपने मुक़द्दमे शैतान के पास ले जाना चाहते हैं हालाँकि उनको यह हुक्म हुआ है कि उसको न मानें, और शैतान उनको बहका कर बहुत दूर ले जाना चाहता है। **(60)** और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस हुक्म की तरफ़ जो अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल फ़रमाया है और रसूल की तरफ़ तो आप मुनाफ़िक़ों की यह हालत देखेंगे कि आपसे किनारा करते हैं। **(61)** फिर कैसी जान को बनती है जब उनपर कोई मुसीबत पड़ती है उनकी उस हरकत की बदौलत जो कुछ वे पहले कर चुके थे, फिर आपके पास आते हैं ख़ुदा की क़स्में खाते हुए कि हमारा और कुछ मक़सूद न था सिवाय इसके कि कोई भलाई निकल आए और आपस में मुवाफ़क़त हो जाए। **(62)** ये वे लोग हैं कि अल्लाह तआ़ला को मालूम है जो कुछ उनके दिलों में है, सो आप उनसे बेतवज्जोही कर जाया कीजिए और उनको नसीहत फ़रमाते रहिए और उनसे उनकी ख़ास ज़ात के मुताल्लिक़ काफ़ी मज़मून कह दीजिए।[4] **(63)** और हमने तमाम पैग़म्बरों को ख़ास इसी वास्ते भेजा है कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म से उनकी इताअ़त की जाए, और अगर जिस वक़्त अपना नुक़सान कर बैठे थे उस वक़्त आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जाते, फिर अल्लाह तआ़ला से माफ़ी चाहते और रसूल भी उनके लिए

---

1. यानी दुनिया का साया न होगा कि ख़ुद साए के अन्दर भी धूप छनती है, वह बिलकुल मिला हुआ होगा।

2. यह हुकूमत वालों को ख़िताब है।

3. वह बात दुनिया के एतिबार से भी बहुत अच्छी है कि उसमें हुकूमत की बक़ा है और आख़िरत के एतिबार से भी कि सवाब और अल्लाह की निकटता का सबब है।

4. इन आयतों में एक क़िस्से की तरफ़ इशारा है। एक मुनाफ़िक़ शख़्स था, बिश्र उसका नाम था। उसका किसी यहूदी से झगड़ा हुआ, यहूदी ने कहाः चल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के पास उनसे फ़ैसला करा लें। मुनाफ़िक़ ने कहा कि क़ाब बिन अशरफ़ के पास चल, यह यहूद का एक सरदार था। ज़ाहिर में यह मालूम होता है कि इस मामले में हक़ पर यहूदी होगा। उसने जाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी की रियायत न फ़रमाएँगे वहाँ हक़ फ़ैसला होगा, अगरचे मैं आपसे मज़हबी मुख़ालफ़त रखता हूँ। मुनाफ़िक़ क्योंकि बातिल पर था उसने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के यहाँ तो मेरी बात चलेगी नहीं अगरचे मैं ज़ाहिर में मुसलमान हूँ मगर काब बिन अशरफ़ ख़ुद कोई हक़-परस्त नहीं वहाँ मेरा मुक़द्दमा सरसब्ज़ हो जाएगा। फिर आख़िर वे दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ही पास मुक़द्दमा ले गए। आपने यहूदी को ग़ालिब किया, वह मुनाफ़िक़ राज़ी न हुआ। उस यहूदी से कहा कि चलो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास, ग़ालिबन् वह यह समझा होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कुफ़्फ़ार पर सख़्त हैं, इस यहूदी पर सख़्ती फ़रमाएँगे। यहूदी को इत्मीनान था कि अगरचे सख़्त हैं मगर वह सख़्ती हक़-परस्ती ही की वजह से तो है। जब मैं हक़ पर हूँ तो मुझको ही ग़ालिब रखेंगे, इसलिए उसने इनकार नहीं किया। जब वहाँ पहुँचे तो यहूदी ने सारा क़िस्सा बयान कर दिया कि यह मुक़द्दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के यहाँ से फ़ैसले तक पहुँच चुका है, मगर यह शख़्स (यानी मुनाफ़िक़) उसपर राज़ी नहीं हुआ। आपने उस मुनाफ़िक़ से पूछाः क्या यही बात है? उसने कहा हाँ! हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहाः अच्छा ठहरो आता हूँ, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 160 पर)**

अल्लाह तआ़ला से माफ़ी चाहते तो ज़रूर अल्लाह तआ़ला को तौबा का क़ुबूल करने वाला और रहमत करने वाला पाते। **(64)** फिर क़सम है आपके रब की ये लोग ईमानदार न होंगे जब तक यह बात न हो कि उनके आपस में जो झगड़ा उत्पन्न हो उसमें ये लोग आपसे तसफ़िया कराएँ,[1] फिर आपके उस तसफ़िए से अपने दिलों में तंगी न पाएँ और पूरे तौर पर मान लें।[2] **(65)** और हम अगर लोगों पर यह बात फ़र्ज़ कर देते कि तुम ख़ुदकुशी किया करो या अपने वतन से बे-वतन हो जाया करो तो सिवाय थोड़े से लोगों के इस हुक्म को कोई भी न बजा लाता,[3] और अगर ये लोग जो कुछ उनको नसीहत की जाती है उसपर अ़मल किया करते तो उनके लिए बेहतर होता और ईमान को ज़्यादा पुख़्ता करने वाला होता। **(66)** और इस हालत में हम उनको ख़ास अपने पास से बड़ा अज्र अ़ता फ़रमाते। **(67)** और हम उनको सीधा रास्ता बतला देते।[4] **(68)** और जो शख़्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे लोग भी उन हज़रात के साथ होंगे जिनपर अल्लाह तआ़ला ने इनाम फ़रमाया, यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शहीद लोग और नेक लोग, और ये हज़रात बहुत अच्छे साथी हैं। **(69)** यह फ़ज़्ल है अल्लाह तआ़ला की जानिब से, और अल्लाह तआ़ला काफ़ी जानने वाले हैं।[5] **(70)** ❖

ऐ ईमान वालो! अपनी तो एहतियात रखो,[6] फिर अलग-अलग तौर पर या इकट्ठे तौर पर निकलो। **(71)** और तुम्हारे मजमे में बाज़ा-बाज़ा शख़्स ऐसा है जो हटता है, फिर अगर तुमको कोई हादसा पहुँच गया तो कहता हैः बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुझपर बड़ा फ़ज़्ल किया कि मैं उन लोगों के साथ हाज़िर नहीं हुआ। **(72)** और अगर तुमपर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल हो जाता है तो ऐसे तौर पर कि गोया तुममें और उसमें कुछ ताल्लुक़ ही नहीं, कहता हैः हाय क्या ख़ूब होता कि मैं भी उन लोगों के साथ होता[7] तो मुझको भी बड़ी कामयाबी होती। **(73)** तो हाँ उस शख़्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़े जो आख़िरत (की ज़िन्दगी) के बदले दुनियावी ज़िन्दगी इख़्तियार किए हुए हैं,[8] और जो शख़्स अल्लाह की राह में लड़ेगा फिर चाहे जान से मारा जाए या ग़ालिब आ जाए तो हम उसको बड़ा अज्र देंगे। **(74)** और तुम्हारे पास क्या उज़्र है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद न करो और कमज़ोरों की ख़ातिर से जिनमें कुछ मर्द हैं और कुछ औ़रतें हैं और कुछ बच्चे हैं जो दुआ़ कर रहे हैं कि

(पृष्ठ 158 का शेष) और घर से एक तलवार लेकर आए और मुनाफ़िक़ का काम तमाम किया, और कहा कि जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ैसले पर राज़ी न हो उसका यही फ़ैसला है। और बहुत-से मुफ़स्सिरीन ने यह भी लिखा है कि फिर उस मुनाफ़िक़ मक़्तूल के वारिसों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर दावा किया और उस मुनाफ़िक़ के क़ौली व फ़ेली कुफ़्र की तावील की, अल्लाह तआ़ला ने इन आयतों में असल हक़ीक़त ज़ाहिर फ़रमा दी।

1. और आप न हों तो आपकी शरीअ़त से।

2. फ़ैसल बनाने और दिल में तंगी न होने और मानने के तीन दर्जे हैं। एतिक़ाद से, ज़बान से और अ़मल से। एतिक़ाद से यह कि शरीअ़त के क़ानून को हक़ और फ़ैसले की बुनियाद जानता है और उसमें अ़क़्ल के दर्जे में तंगी नहीं, और इसी दर्जे में उसको तस्लीम करता है। और ज़बान से यह कि इन उमूर का इक़रार करता है कि हक़ इसी तरह है, और अ़मल से यह कि मुक़द्दमा ले भी जाता है और तबई तंगी भी नहीं और उस फ़ैसले के मुवाफ़िक़ कार्रवाई भी कर ली। सो पहला दर्जा तस्दीक़ व ईमान का है, उसका न होना अल्लाह के नज़दीक कुफ़्र है, और मुनाफ़िक़ों में ख़ुद इसी की कमी थी, चुनाँचे तंगी के साथ लफ़्ज़ इनकार इसी की वज़ाहत के लिए ज़ाहिर कर दिया है। और दूसरा दर्जा इक़रार का है, इसका न होना लोगों के नज़दीक कुफ़्र है। तीसरा दर्जा तक़्वे व नेकी का है, इसका न होना फ़िस्क़ है, और तबई तंगी माफ़ है। पस आयत में मुनाफ़िक़ों के ज़िक्र से मुताल्लिक़ होने की वजह से पहला दर्जा मुराद है।

3. उन बहुत थोड़े और गिने-चुने लोगों में तमाम सहाबा व कामिल मोमिनीन दाख़िल हैं।

4. ऊपर अल्लाह व रसूल की इताअ़त पर ख़ास मुख़ातब हज़रात से वायदा था, आगे बतौर क़ायदा कुल्लिया के अल्लाह व रसूल की इताअ़त और फ़रमाँबरदारी पर आ़म वायदा है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 162 पर)**

ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको इस बस्ती से बाहर निकाल जिसके रहने वाले सख़्त ज़ालिम हैं, और हमारे लिए ग़ैब से किसी दोस्त को खड़ा कीजिए, और हमारे लिए ग़ैब से किसी हिमायती को भेजिए।[1] (75) जो लोग पक्के ईमानदार हैं वे तो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और जो लोग काफ़िर हैं वे शैतान की राह में लड़ते हैं, तो तुम शैतान के साथियों से जिहाद करो, हक़ीक़त में शैतानी तदबीर लचर होती है।[2] (76) ❖

क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा कि उनको यह कहा गया था कि अपने हाथों को थामे रहो और नमाज़ों की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो, फिर जब उनपर जिहाद करना फ़र्ज़ कर दिया गया तो क़िस्सा क्या हुआ कि उनमें से बाज़-बाज़ आदमी लोगों से ऐसा डरने लगे जैसा कोई अल्लाह तआ़ला से डरता हो बल्कि उससे भी ज़्यादा डरना, और (यूँ) कहने लगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने हमपर जिहाद क्यों फ़र्ज़ फ़रमा दिया, हमको और थोड़ी मोहलत की मुद्दत दे दी होती,[3] आप फ़रमा दीजिए कि दुनिया का फ़ायदा महज़ चन्द दिन का है और आख़िरत हर तरह से बेहतर है उस शख़्स के लिए जो अल्लाह तआ़ला की मुख़ालफ़त से बचे, और तुमपर धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। (77) तुम चाहे कहीं भी हो उसी जगह तुमको मौत आ दबाएगी अगरचे तुम क़लई-चूने के क़िलों में ही हो,[4] और अगर उनको कोई अच्छी हालत पेश आती है[5] तो कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ़ से (इत्तिफ़ाक़न) हो गई, और अगर उनको कोई बुरी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि यह आपके सबब से है। आप फ़रमा दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ़ से है। तो उन लोगों को क्या हुआ कि बात समझने के पास को भी नहीं निकलते। (78) ऐ इनसान! तुझको जो कोई ख़ुशहाली पेश आती है वह महज़ अल्लाह की तरफ़ से है, और जो कोई बदहाली पेश आए वह तेरे ही सबब से है। और हमने आपको तमाम लोगों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा है, और अल्लाह तआ़ला गवाह काफ़ी हैं।[6] (79) जिस शख़्स ने रसूल की इताअ़त की उसने अल्लाह तआ़ला की इताअ़त

(पृष्ठ 160 का शेष) 5. अब जिहाद के अहकाम का ज़िक्र शुरू होता है। यहाँ से छह रुकू तक इसी मज़मून के मुताल्लिक़ अहकाम और तफ़सील बयान होती चली गई है।

6. यानी उनके दाव-घात से भी होशियार रहो और लड़ाई के वक़्त सामान, हथियार, ढाल, तलवार से भी दुरुस्त रहो।

7. यानी जिहाद में जाता।

8. यानी उस शख़्स को अगर बड़ी कामयाबी का शौक़ है तो दिल दुरुस्त करे, हाथ-पाँव हिलाए, मशक़्क़त झेले, तीर व तलवार के सामने सीना तान कर खड़ा हो। देखो बड़ी कामयाबी हाथ आती है कि नहीं।

1. मक्का में ऐसे कमज़ोर मुसलमान रह गए थे कि अपनी जिस्मानी कमज़ोरी और कम-सामानी की वजह से हिजरत न कर सके, फिर काफ़िरों ने भी न जाने दिया और तरह-तरह से उनको सताते थे। चुनाँचे हदीसों व तफ़सीरों में बाज़ों के नाम भी आये हैं। आख़िर हक़ तआ़ला ने उनकी दुआ़ क़बूल फ़रमाई और बाज़ों की रिहाई का तो पहले ही सामान हो गया और फिर मक्का मुकर्रमा फ़त्ह हो गया, जिससे सबको अमन व सम्मान हासिल हो गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनपर हज़रत इताब बिन उसैद को आ़मिल व हाकिम मुक़र्रर फ़रमाया। पस दोस्त व हिमायती का मिस्दाक़ चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कहा जाए और यही अच्छा मालूम होता है, और या हज़रत इताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु को कहा जाए कि उन्होंने अपने हुकूमत के ज़माने में सबको ख़ूब आराम पहुँचाया।

2. ऊपर जिहाद का वाजिब होना और उसके फ़ज़ाइल बयान करके उसकी तरग़ीब थी, आगे दूसरे अन्दाज़ से उसकी तरग़ीब है। यानी जिहाद में बाज़ मुसलमानों के तैयार न होने पर उनकी एक लुत्फ़ भरी शिकायत भी है, जिसकी बिना यह हुई कि मक्का में कुफ़्फ़ार बहुत सताते थे, उस वक़्त बाज़ सहाबा ने जिहाद की इजाज़त इसरार से चाही, मगर उस वक़्त माफ़ करने और दरगुज़र करने का हुक्म था, हिजरत के बाद जब जिहाद का हुक्म नाज़िल हुआ तो तबई तौर पर बाज़ को दुश्वार हुआ, इसपर यह शिकायत फ़रमाई गई। और चूँकि यह बतौर इनकार या हुक्म पर एतिराज़ करने के न था बल्कि कुछ वक़्त तक और इस हुक्म के न आने की महज़ तमन्ना थी इसलिए डाँट-डपट नहीं है महज़ लुत्फ़-भरी शिकायत है।

3. उन हज़रात का यह तमन्नाई क़ौल अगर ज़बान से था तब तो उसके नाफ़रमानी न होने की वजह मालूम (शेष तफ़सीर पृष्ठ 164 पर)

की,[1] और जो शख़्स मुँह फेरे "यानी अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी से अपना रुख़ फेर ले" सो हमने आपको उनका निगराँ करके नहीं भेजा। **(80)** और (ये लोग) कहते हैं कि हमारा काम इताअ़त करना है, फिर जब आपके पास से बाहर जाते हैं तो रात के वक़्त मश्विरा करती है इन्हीं की एक जमाअ़त उसके ख़िलाफ़ जो कुछ कि (ज़बान से) कह चुके थे, और अल्लाह तआ़ला लिखते जाते हैं जो कुछ वे रातों को मश्विरा किया करते हैं, सो आप उनकी तरफ़ ध्यान न कीजिए और अल्लाह के हवाले कीजिए और अल्लाह तआ़ला काफ़ी कारसाज़ हैं।[2] **(81)** क्या फिर क़ुरआन में ग़ौर नहीं करते,[3] और अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ़ से होता तो इसमें कस्रत से फ़र्क़ और इख़्तिलाफ़ पाते।[4] **(82)** और जब उन लोगों को किसी अम्र "यानी मामले और बात" की ख़बर पहुँचती है चाहे अमन हो या ख़ौफ़ तो उसको मश्हूर कर देते हैं। और अगर ये लोग उसको रसूल के और जो उनमें ऐसे मामलात को समझते हैं उनके ऊपर हवाले रखते तो उसको वे हज़रात तो पहचान ही लेते जो उनमें उसकी तहक़ीक़ कर लिया करते हैं। और अगर तुम लोगों पर ख़ुदा तआ़ला का फ़ज़्ल और रहमत न होती तो तुम सबके-सब शैतान के पैरवी करने वाले हो जाते सिवाय थोड़े-से आदमियों के। **(83)** पस आप अल्लाह की राह में क़िताल कीजिए, आपको सिवाय आपके ज़ाती फ़ेल के कोई हुक्म नहीं, और मुसलमानों को तरग़ीब दीजिए, अल्लाह तआ़ला से उम्मीद है कि काफ़िरों के जंग के ज़ोर को रोक देंगे। और अल्लाह तआ़ला जंग के ज़ोर में ज़्यादा शदीद हैं और सख़्त सज़ा देते हैं।[5] **(84)** जो शख़्स अच्छी सिफ़ारिश करे[6] उसको उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा, और जो शख़्स बुरी सिफ़ारिश करे[7] उसको उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाले हैं। **(85)** और जब तुमको कोई (शरीअ़त के मुताबिक़) सलाम करे तो तुम उस (सलाम) से अच्छे अल्फ़ाज़ में

(पृष्ठ 162 का शेष) हो गई। और अगर दिल में बतौर वस्वसे और ख़्याल के था तो वस्वसे और ख़्याल का नाफ़रमानी न होना क़ुरआन करीम व हदीस में आया है, इसलिए कोई इश्काल ही नहीं।

4. ऊपर जिहाद की तरग़ीब में यह ज़िक्र हुआ है कि वक़्त पर मौत नहीं टलती, चाहे जिहाद में जाओ या न जाओ। चूँकि बाज़ मुनाफ़िक़ जिहाद में जाने को मौत में मुअस्सिर (यानी असर करने वाला और सबब) और न जाने को ज़िन्दगी में मुअस्सिर समझते और कहते थे, पस जब कभी जिहाद में क़त्ल व मौत वाक़ेअ़ होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर इल्ज़ाम लगाते कि आप ही के कहने से जिहाद में गए और मौत का शिकार हुए, देखो जिहाद का मौत में असर रखना साबित हो गया। और अगर कभी बावजूद ज़ाहिरी असबाब की कमी के कुफ़्फ़ार पर फ़त्ह होती और उससे दलील पकड़ी जाती कि देखो अगर जिहाद मौत में असर रखता है तो अब वह असर कहाँ गया, तो कहते कि यह सिर्फ़ इत्तिफ़ाक़ी बात अल्लाह की तरफ़ से है। ग़रज़ काम बिगड़ता तो हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर इल्ज़ाम, और संवरता तो इत्तिफ़ाक़ी बात, आगे इसकी तरफ़ इशारा है।

5. जैसे फ़त्ह व कामयाबी।

6. तमाम लोगों में जिन्न और इनसान दोनों आ गए। पस इसमें बयान है हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सबके लिए नबी की हैसियत से तशरीफ़ लाने का, जो क़ुरआन व हदीस में और जगह भी मज़कूर व मन्सूस और क़तई अ़क़ीदा है।

1. और जिसने आपकी नाफ़रमानी की उसने ख़ुदा तआ़ला की नाफ़रमानी की।

2. चुनाँचे कभी उनकी शरारत से कोई नुक़सान नहीं पहुँचा।

3. ताकि इसका अल्लाह का कलाम होना वाज़ेह हो जाए।

4. पस यक़ीनन यह ग़ैरुल्लाह का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला का कलाम है। हासिले कलाम यह है कि कलामुल्लाह के मोजिज़ा होने के दलाइल में से इसके अन्दाज़े बयान का उम्दा और मौक़े के मुताबिक़ होने के एतिबार से बेमिस्ल होना और इसमें दी गई ख़बरों का जिनपर इत्तिला पाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास कोई ज़रिया न था, बिलकुल सही व हक़ीक़त के मुताबिक़ होना है। पस मालूम हुआ कि यह कलाम ख़ालिक़ तआ़ला का है।

5. इस भविष्यवाणी का सामने आना ज़ाहिर है। अगर ख़ास क़ुरैश के कुफ़्फ़ार मुराद हों जब भी और अगर सारी दुनिया के कुफ़्फ़ार मुराद हों जब भी, क्योंकि कुछ ही समय में तमाम हुकूमतें मुसलमानों ने फ़त्ह कर लीं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 166 पर)**

सलाम करो या वैसे ही अल्फ़ाज़ कह दो, बिला शुब्हा अल्लाह तआला हर चीज़ पर हिसाब लेंगे।[1] ● **(86)** अल्लाह ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद होने के काबिल नहीं, वह ज़रूर तुम सबको जमा करेंगे कियामत के दिन में इसमें कोई शुब्हा नहीं, और खुदा तआला से ज़्यादा किसकी बात सच्ची होगी।[2] **(87)** ❖

फिर तुमको क्या हुआ कि इन मुनाफ़िकों के बारे में तुम दो गिरोह हो गए हालाँकि अल्लाह तआला ने उनको उल्टा फेर दिया उनके (बुरे) अ़मल के सबब,[3] क्या तुम लोग इसका इरादा रखते हो कि ऐसे लोगों को हिदायत करो जिनको अल्लाह तआला ने गुमराही में डाल रखा है,[4] और जिसको अल्लाह तआला गुमराही में डाल दें उसके लिए कोई सबील न पाओगे।[5] **(88)** वे इस तमन्ना में हैं कि जैसे वे काफ़िर हैं तुम भी काफ़िर बन जाओ, जिसमें तुम और वे सब एक तरह के हो जाओ, सो उनमें से किसी को दोस्त मत बनाना जब तक कि वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें,[6] और अगर वे मुँह फेरें तो उनको पकड़ो और क़त्ल करो जिस जगह उनको पाओ, और न उनमें से किसी को दोस्त बनाओ और न मददगार बनाओ।[7] **(89)** मगर जो लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे लोगों से जा मिलते हैं[8] कि तुम्हारे और उनके दरमियान अ़हद है या खुद तुम्हारे पास इस हालत से आएँ कि उनका दिल तुम्हारे साथ और तथा अपनी क़ौम के साथ लड़ने से मुन्क़बिज़ "यानी नाखुश और खिंचा हुआ" हो,[9] और अगर अल्लाह तआला चाहता तो उनको तुमपर मुसल्लत कर देता फिर वे तुमसे लड़ने लगते, फिर अगर वे तुमसे अलग रहें यानी तुमसे न लड़ें और तुमसे सलामत-रवी रखें[10] तो अल्लाह तआला ने तुमको उनपर कोई राह नहीं दी।[11] **(90)** बाज़े ऐसे भी तुमको ज़रूर मिलेंगे कि वे यह चाहते हैं कि तुमसे भी बेख़ौफ़ होकर रहें और अपनी क़ौम से भी बेख़ौफ़ होकर रहें। जब कभी उनको शरारत की तरफ़ मुतवज्जह किया जाता है तो वे उसमें जा गिरते हैं, सो ये लोग अगर तुमसे किनारा करने वाले न हों और न तुमसे सलामत-रवी रखें और न अपने हाथों को रोकें तो तुम उनको पकड़ो और क़त्ल करो जहाँ कहीं उनको पाओ। और हमने तुमको उनपर साफ़ हुज्जत दी है। **(91)** ❖

(पृष्ठ 164 का शेष) **6.** यानी जिसका तरीक़ा व मक़सद दोनों शरीअ़त के मुताबिक़ हों।

7. यानी जिसका तरीक़ा या ग़रज़ शरीअ़त के मुताबिक़ न हो।

1. अमर (हुक्म देने) के सीग़े से और "हसीब" से इस हुक्म का ज़ाहिर में वाजिब होना मालूम होता है और फ़ुक़हा का यही मज़हब है। यह सलाम के जवाब का वाजिब होना किफ़ाया के तौर पर है। यानी अगर जमाअ़त में से एक ने भी जवाब दे दिया तो सबके ज़िम्मे से उतर जाएगा। असल जवाब वाजिब है, बाक़ी वैसे ही अल्फ़ाज़ या उनसे अच्छे या बाज़ सूरतों में उनसे कम, यह सब इख़्तियार में है।

2. यह तरकीब जैसे ज़्यादा सच्चा होने की इनकारी है ऐसे ही मुहावरे के एतिबार से सच्चा होने में बराबर होने की भी इनकारी है। (यानी अल्लाह तआला से न कोई ज़्यादा सच्चा हो सकता है और न उनके बराबर सच्चा हो सकता है)।

3. वह बुरा अ़मल इस्लाम से फिर कर दारुल-इस्लाम को बावजूद क़ुदरत के छोड़ देना है, जो कि एक तरह से इस्लाम के इक़रार को छोड़ने की वजह से कुफ़्र की निशानी थी। और हक़ीक़त में तो वे पहले भी मुसलमान न हुए थे और इसी वजह से उनको मुनाफ़िक़ कहा।

4. मतलब यह है कि गुमराह को जो मोमिन कहते हो, हालाँकि मोमिन वह है जिसमें ईमान हो, और उनमें इस वक़्त तक ईमान नहीं है तो क्या अब ईमान पैदा करोगे जो उनको मोमिन कह सको, और यह मुहाल है। पस उनका मोमिन व हिदायत वाला होना मुहाल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उनको मोमिन कहना मुहाल के हुक्म की तरह है।

5. पस उन लोगों को मोमिन न कहना चाहिए।

6. उस वक़्त हिजरत का वह हुक्म था जो अब शहादतैन (यानी अल्लाह के एक माबूद होने और हुज़ूरे पाक के रसूले बरहक़ होने) के इक़रार का है।

7. मतलब यह है कि किसी हालत में उनसे कोई ताल्लुक़ न रखो, न अमन में दोस्ती न ख़ौफ़ में मदद तलब करना, बल्कि बिलकुल अलग-थलग रहो। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 168 पर)**

और किसी मोमिन की शान नहीं कि वह किसी मोमिन को (पहल करते हुए) क़त्ल करे लेकिन ग़लती से, और जो शख़्स किसी मोमिन को ग़लती से क़त्ल कर दे तो उसपर एक मुसलमान ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना है, और ख़ूँ-बहा है जो उसके ख़ानदान वालों के हवाले कर दी जाए मगर यह कि वे लोग माफ़ कर दें।[1] और अगर वह ऐसी क़ौम से हो जो तुम्हारे मुख़ालिफ़ हैं और वह शख़्स ख़ुद मोमिन है तो एक मुसलमान ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना, और अगर वह ऐसी क़ौम से हो कि तुममें और उनमें मुआहदा हो तो ख़ूँ-बहा है जो उसके ख़ानदान वालों के हवाले कर दी जाए और एक मुसलमान ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना, फिर जिस शख़्स को न मिले तो लगातार दो महीने के रोज़े हैं तौबा के तौर पर, जो अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर हुई है, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(92)** और जो शख़्स किसी मुसलमान को जान-बूझकर क़त्ल कर डाले तो उसकी सज़ा जहन्नम है कि हमेशा-हमेशा को उसमें रहता[2] और उसपर अल्लाह तआ़ला ग़ज़बनाक होंगे और उसको अपनी रहमत से दूर कर देंगे, और उसके लिए बड़ी सज़ा का सामान करेंगे।[3] **(93)** ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में सफ़र किया करो तो (हर काम को) तहक़ीक़ (करके किया) करो, और ऐसे शख़्स को जो कि तुम्हारे सामने इताअ़त ज़ाहिर करे[4] दुनियावी ज़िन्दगी के सामान की ख़्वाहिश में यूँ मत कह दिया करो कि तू मुसलमान नहीं, क्योंकि ख़ुदा के पास बहुत ग़नीमत के माल हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे फिर अल्लाह तआ़ला ने तुमपर एहसान किया सो ग़ौर करो, बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे अ़मल की पूरी ख़बर रखते हैं।[5] **(94)** बराबर नहीं वह मुसलमान जो बिना किसी उज़्र के घर में बैठे रहें[6] और वे लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें, अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों का दर्जा बहुत ज़्यादा बनाया है जो अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं घर में बैठने वालों के मुक़ाबले में, और अल्लाह तआ़ला ने सबसे अच्छे घर का वायदा कर रखा है। और अल्लाह तआ़ला

(पृष्ठ 166 का शेष) **8.** यानी उनसे मुआहदा हो जाता है।

9. न तो अपनी क़ौम के साथ होकर तुमसे लड़ें और न तुम्हारे साथ होकर अपनी क़ौम से लड़ें, बल्कि उनसे भी सुलह रखें और तुमसे भी सुलह रखें।

10. इन सब अल्फ़ाज़ का मतलब यह है कि सुलह से रहें।

11. यानी इजाज़त नहीं दी।

1. इस आयत में 'ख़ता' यानी ग़लती से मुराद 'अन्जाने में' है।

2. लेकिन अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल है कि यह असली सज़ा जारी न होगी बल्कि ईमान की बरकत से आख़िरकार नजात हो जाएगी। तमाम अहले हक़ मुत्तफ़िक़ हैं कि सिवाय कुफ़्र व शिर्क के कोई चीज़ जहन्नम में हमेशा के लिए रहने का सबब नहीं है।

3. ऊपर मोमिन के क़त्ल पर सख़्त वईद फ़रमाई है, आगे फ़रमाते हैं कि शरीअ़त के अहकाम जारी होने में मोमिन के मोमिन होने के लिए सिर्फ़ ज़ाहिरी इस्लाम काफ़ी है। जो शख़्स इस्लाम का इज़हार करे उसके क़त्ल से हाथ खींच लेना वाजिब है। अन्दाज़ों और हालात की निशानियों से बातिन की तफ़्तीश करना और इस्लामी अहकाम के जारी करने में उसके सुबूत का मुन्तज़िर रहना जायज़ नहीं।

4. जैसे कलिमा पढ़ना या मुसलमानों के तरीक़े पर सलाम करना।

5. यह हुक्म सफ़र के साथ ख़ास नहीं।

6. यानी जिहाद में न जाएँ।

ने मुजाहिदीन को घर में बैठने वालों के मुक़ाबले में बड़ा अज्रे अ़ज़ीम दिया है। **(95)** यानी बहुत-से दर्जे जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मिलेंगे और मग़्फ़िरत और रहमत[1] और अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं।[2] **(96)** ❖

बेशक जब ऐसे लोगों की जान फ़रिश्ते निकालते हैं जिन्होंने अपने आपको गुनाहगार कर रखा था तो वे फ़रिश्ते (उनसे) कहते हैं कि तुम किस काम में थे? वे कहते हैं कि हम सरज़मीन "यानी अपने मुल्क और ख़ित्ते" में महज़ मग़लूब थे। वे कहते हैं: क्या अल्लाह तआ़ला की ज़मीन कुशादा और फैली हुई न थी, तुमको वतन छोड़ करके उसमें चला जाना चाहिए था, सो उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और जाने के लिए वह बुरी जगह है। **(97)** लेकिन जो मर्द और औ़रतें और बच्चे क़ादिर न हों कि न कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ते से वाक़िफ़ हैं। **(98)** सो उनके लिए उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला माफ़ कर दें, और अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े मग़्फ़िरत करने वाले हैं।[3] **(99)** और जो शख़्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा[4] तो उसको रू-ए-ज़मीन पर जाने की बहुत जगह मिलेगी और बहुत गुंजाइश, और जो शख़्स अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह और रसूल की तरफ़ हिजरत करूँगा फिर उसको मौत आ पकड़े तब भी उसका सवाब साबित हो गया अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे, और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़्फ़िरत करने वाले हैं बड़ी रहमत वाले हैं। **(100)** ❖

और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो[5] सो तुमको इसमें कोई गुनाह न होगा (बल्कि ज़रूरी है) कि तुम नमाज़ को कम कर दो,[6] अगर तुमको यह अन्देशा हो कि तुमको काफ़िर लोग परेशान करेंगे, बिला शुब्हा काफ़िर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।[7] **(101)** और जब आप उनमें तशरीफ़ रखते हों फिर आप उनको नमाज़ पढ़ाना चाहें तो यूँ चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तो आपके साथ खड़े हो जाएँ और वे लोग हथियार ले लें, फिर जब ये लोग सज्दा कर चुकें तो ये लोग तुम्हारे पीछे हो जाएँ और दूसरा गिरोह जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी आ जाए और आपके साथ नमाज़ पढ़ लें, और ये लोग भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले लें। काफ़िर लोग (यूँ) चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और सामानों से ग़ाफ़िल हो जाओ तो तुमपर एक बार में हमला कर बैठें। और अगर तुमको

---

1. यानी उन अनेक आमाल की वजह से जो कि मुजाहिद से सादिर होते हैं, सवाब के बहुत-से दर्जे खुदा तआ़ला की तरफ़ से मिलेंगे और गुनाहों की मग़्फ़िरत और रहमत भी, यह सब अज्रे अ़ज़ीम की तफ़सील हुई। वे अनेक आमाल सूरः बराअत के आख़िर में ज़िक्र हुए हैं।
2. ऊपर जिहाद के वाजिब होने का हुक्म था आगे हिजरत के वाजिब होने का ज़िक्र है।
3. ऊपर हिजरत के छोड़ने पर डाँट और धमकी थी आगे हिजरत की तरग़ीब और उसपर दोनों जहाँ की नेक-बख़्ती का वायदा है।
4. हिजरत शुरू इस्लाम में फ़र्ज़ थी और फ़र्ज़ियत के साथ वह ज़ाहिर में ज़रूरी शिआ़र और किसी के मुसलमान होने के लिए सुबूत थी, लेकिन उज़्र की हालत में उसकी फ़र्ज़ियत और शिआ़र व पहचान होना ख़त्म हो जाता था, और इस शिआ़र होने की वजह से उससे बिला उज़्र फिरना इस्लाम से फिर जाने की निशानी थी।
5. जिसकी मिक़्दार तीन मन्ज़िल हो (यानी 48 मील)।
6. यानी ज़ोहर व अ़सर व इशा के फ़र्ज़ की रक्अ़त चार की जगह दो पढ़ा करो।
7. जो सफ़र तीन मन्ज़िल से कम हो उसमें पूरी नमाज़ पढ़ी जाती है।

बारिश की वजह से तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो तो तुमको इसमें कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो और अपना बचाव ले लो, बिला शुब्हा अल्लाह ने काफ़िरों के लिए तौहीन भरी सज़ा तैयार कर रखी है।[1] **(102)** फिर जब तुम उस नमाज़ को अदा कर चुको तो अल्लाह तआ़ला की याद में लग जाओ खड़े भी और लेटे भी और बैठे भी,[2] फिर जब तुम मुत्मइन हो जाओ तो नमाज़ को क़ायदे के मुवाफ़िक़ पढ़ने लगो। यक़ीनन नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और वक़्त के साथ महदूद है। **(103)** हिम्मत मत हारो उस मुख़ालिफ़ क़ौम का पीछा करने में, अगर तुम तकलीफ़ में हो तो वे भी तो तकलीफ़ के मारे हैं जैसे तुम तकलीफ़ पाए हुए हो, और तुम अल्लाह तआ़ला से ऐसी-ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखते हो कि वे लोग उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हिक्मत वाले हैं। **(104)** ❖

बेशक हमने आपके पास यह नविश्ता "यानी तहरीर और किताब" भेजा है हक़ीक़त के मुवाफ़िक़ ताकि आप इन लोगों के दरमियान उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करें जो कि अल्लाह तआ़ला ने आपको बतला दिया है, और आप इन ख़ियानत करने वालों की तरफ़दारी (की बात) न कीजिए।[3] **(105)** और आप इस्तिग़फ़ार फ़रमाइए, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला बड़े मग़्फ़िरत करने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। **(106)** और आप उन लोगों की तरफ़ से कोई जवाबदेही की बात न कीजिए जो कि अपना ही नुक़सान कर रहे हैं, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स को नहीं चाहते जो बड़ा ख़ियानत करने वाला, बड़ा गुनाह करने वाला हो। **(107)** जिन लोगों की यह कैफ़ियत है कि आदमियों से तो छुपाते हैं और अल्लाह तआ़ला से नहीं शरमाते, हालाँकि वह उस वक़्त उनके पास होता है जबकि वे अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुफ़्तगू के मुताल्लिक़ तदबीरें करते हैं, और अल्लाह तआ़ला उनके सब आमाल को अपने घेरे में लिए हुए हैं। **(108)** हाँ, तुम ऐसे हो कि तुमने दुनियावी ज़िन्दगी में तो उनकी तरफ़ से जवाबदेही की

---

1. सलातुल-ख़ौफ़ (यानी ख़ौफ़ की नमाज़) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर शरीअ़त में जायज़ है। जैसे आदमी से ख़ौफ़ के वक़्त यह नमाज़ शरीअ़त में जायज़ रखी गई है ऐसे ही अगर किसी शेर या अज़्दहे वग़ैरह का ख़ौफ़ हो और नमाज़ का वक़्त तंग हो तो उस वक़्त भी जायज़ है, ऐन क़िताल (यानी जंग और लड़ाई) के वक़्त नमाज़ को क़ज़ा कर दिया जाएगा।

2. यानी हर हालत में यहाँ तक कि ऐन लड़ाई और जंग के वक़्त भी दिल से भी और अहकाम के इत्तिबा से भी, कि वह भी ज़िक्र है। चुनाँचे क़िताल (यानी जंग और लड़ाई) में शरीअ़त के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही करना नाजायज़ है। ग़रज़ नमाज़ तो ख़त्म हुई ज़िक्र ख़त्म नहीं होता, नमाज़ में तो कमी हो गई थी लेकिन यह अपनी जगह बरक़रार है।

3. बनू अबीरक़ एक ख़ानदान था, उसमें एक शख़्स बशीर नामी मुनाफ़िक़ था। उसने हज़रत रिफ़ाआ़ की बुख़ारी (यानी बावरची ख़ाने) में नक़ब देकर कुछ आटा और कुछ हथियार जो उसमें रखे थे चुरा लिए। सुबह को पास-पड़ौस में तलाश किया और बाज़ मज़बूत अन्दाज़ों से बशीर पर शुब्हा हुआ। बनू अबीरक़ ने जो कि बशीर के शरीके हाल थे अपने बचाव के लिए हज़रत लबीद का नाम ले दिया। गर्ज़ हज़रत रिफ़ाआ़ ने अपने भतीजे क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में भेजकर इस वाक़िए की इत्तिला दी, आपने तहक़ीक़ का वायदा फ़रमाया। बनू अबीरक़ को जो यह ख़बर हुई तो एक शख़्स असीर नाम का जो उसी ख़ानदान का था सब उसके पास आए और सब मश्विरा करके जमा होकर और साथ में कुछ मौहल्ले वालों को लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत रिफ़ाआ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शिकायत की, कि बिना गवाहों के एक मुसलमान और दीनदार घराने पर चोरी की तोहमत लगाते हैं। और मक़सद उनका यह था **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 174 पर)**

बातें कर लीं, सो अल्लाह तआ़ला के सामने क़ियामत के दिन उनकी तरफ़ से कौन जवाबदेही करेगा, या वह कौन शख़्स होगा जो उनका काम बनाने वाला होगा। **(109)** जो शख़्स कोई बुराई करे या अपनी जान को नुक़सान पहुँचाए, फिर अल्लाह तआ़ला से माफ़ी चाहे तो वह अल्लाह तआ़ला को बड़ी मग़्फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला पाएगा। **(110)** और जो शख़्स कुछ गुनाह का काम करता है तो वह फ़क़त अपनी ज़ात पर उसका असर पहुँचाता है और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हिक्मत वाले हैं। **(111)** और जो शख़्स कोई छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह, फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बड़ा भारी बोहतान और खुला गुनाह अपने ऊपर लादा।[1] **(112)** ❖

और अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़्ल व रहमत न हो तो उन लोगों में से एक गिरोह ने तो आपको ग़लती में डाल देने का इरादा कर लिया था,[2] और ग़लती में नहीं डाल सकते लेकिन अपनी जानों को, और आपको ज़र्रा बराबर नुक़सान नहीं पहुँचा सकते, और अल्लाह तआ़ला ने आप पर किताब और इल्म की बातें नाज़िल फ़रमाईं और आपको वे-वे बातें बतलाई हैं जो आप न जानते थे, और आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल है। ▲ **(113)** आ़म लोगों कि अक्सर सरगोशियों "यानी कानाफूसी और चुपके-चुपके बातें करने" में ख़ैर नहीं होती। हाँ, मगर उनकी जो ऐसे हैं कि ख़ैरात की या और किसी नेक काम की[3] या लोगों में आपस में सुधार कर देने की तरग़ीब देते हैं, और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला को राज़ी करने के वास्ते यह काम करेगा सो हम उसको जल्द ही बड़ा अज्र अ़ता फ़रमाएँगे। **(114)** और जो शख़्स रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त करेगा इसके बाद कि उसको हक़ बात ज़ाहिर हो चुकी थी और मुसलमानों का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लिया तो हम उसको जो कुछ वह करता है करने देंगे और उसको जहन्नम में दाख़िल करेंगे, और वह जाने की बुरी जगह है। **(115)** ❖

(पृष्ठ 172 का शेष) कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस मुक़द्दमे में उनकी तरफ़दारी करें। आपने यह तो नहीं किया लेकिन इतना हुआ कि हज़रत क़तादा जो ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने इर्शाद फ़रमाया कि तुम ऐसे लोगों पर बे-सनद क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने आकर अपने चचा (रिफ़ाआ़) से कहा। वह अल्लाह पर भरोसा करके ख़ामोश हो गए। इसपर ये अगली आयतें दो रुकू के क़रीब तक नाज़िल हुईं। ग़र्ज़ चोरी साबित हुई और माल बरामद हुआ और मालिक को दिया गया तो बशीर नाखुश होकर इस्लाम से फिर गया और मक्का जाकर मुश्रिकों में जा मिला, इसपर आख़िर की आयतें नाज़िल हुईं: 'व मंय्युशाक़िक़िर्रसू-ल' आख़िर तक।

1. जैसे बशीर ने किया कि खुद तो चोरी की और एक नेक-बख़्त बुज़ुर्ग आदमी लबीद के ज़िम्मे रख दी।
2. लेकिन ख़ुदा के फ़ज़्ल से उनकी लच्छेदार बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ और आइन्दा भी न होगा।
3. नेक काम में जो कि 'मारूफ़' का तर्जुमा है, वे तमाम उमूर आ गए जो नफ़ा देने वाले हों, चाहे दीनी हों या दुनियावी हों, मगर शरीअ़त के मुताबिक़ यानी जायज़ हों। और अगरचे इसमें सदक़ा भी दाख़िल था लेकिन नफ़्स पर भारी होने की वजह से उसका ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया।

बेशक अल्लाह तआ़ला इस बात को न बख़्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक क़रार दिया जाए और इसके अ़लावा जितने गुनाह हैं जिसके लिए मन्ज़ूर होगा वे गुनाह बख़्श देंगे। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक ठहराता है वह बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा।[1] **(116)** ये लोग ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर चन्द ज़नानी चीज़ों की इबादत करते हैं[2] और सिर्फ़ शैतान की इबादत करते हैं जो कि हुक्म से बाहर है। **(117)** जिसको ख़ुदा तआ़ला ने अपनी रहमत से दूर डाल रखा है, और जिसने (यूँ) कहा था कि मैं ज़रूर तेरे बन्दों से अपना (इताअ़त का) मुक़र्रर हिस्सा लूँगा। **(118)** और में उनको गुमराह करूँगा और मैं उनको हवसें दिलाऊँगा, और मैं उनको तालीम दूँगा जिससे वे चौपायों के कानों को तराशा करेंगे, और मैं उनको तालीम दूँगा जिससे वे अल्लाह तआ़ला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे,[3] और जो शख़्स ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर शैतान को अपना साथी बना लेगा[4] वह खुले नुक़सान में पड़ जाएगा। **(119)** (शैतान) उन लोगों से वायदा किया करता है और उनको हवसें दिलाता है, और शैतान उनसे सिर्फ़ झूठे वायदे करता है। **(120)** ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और उससे कहीं बचने की जगह न पाएँगे। **(121)** और जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम किए हम उनको जल्द ही ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे कि उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। ख़ुदा तआ़ला ने वायदा फ़रमाया है (और) सच्चा वायदा (फ़रमाया है) और ख़ुदा तआ़ला से ज़्यादा किसका कहना सही होगा। **(122)** न तुम्हारी तमन्नाओं से काम चलता है और न अहले किताब की तमन्नाओं से, जो शख़्स कोई बुरा काम करेगा वह उसके बदले सज़ा दिया जाएगा और उस शख़्स को ख़ुदा तआ़ला के सिवा न कोई यार मिलेगा न मददगार मिलेगा। **(123)** और जो शख़्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औ़रत, शर्त यह है कि मोमिन हो,[5] सो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उनपर ज़रा भी ज़ुल्म न होगा। **(124)** और ऐसे शख़्स से ज़्यादा अच्छा किसका दीन होगा जो कि अपना रुख़ अल्लाह की तरफ़ झुका दे[6] और वह मुख़्लिस भी हो[7] और वह मिल्लते इब्राहीम का इत्तिबा करे[8] जिसमें टेढ़ का नाम नहीं, और अल्लाह तआ़ला ने इब्राहीम को अपना ख़ालिस दोस्त बनाया था।[9] **(125)** और अल्लाह तआ़ला ही की

1. चूँकि शिर्क करने वाले ने अल्लाह तआ़ला (जो कि सबका पैदा करने वाला है) की तौहीन की इसलिए ऐसी ही सज़ा का हक़दार होगा। बख़िलाफ़ दूसरे गुनाहों के कि कुछ तो गुमराही हैं मगर तौहीद के ख़िलाफ़ और उससे बईद नहीं इसलिए मग़्फ़िरत के क़ाबिल क़रार दिए गए।
2. ज़नानी चीज़ों से मुराद बाज़े बुत हैं जिनके नाम और सूरतें औ़रतों की-सी थीं, और उनको ज़ेवर वग़ैरह भी पहनाते थे।
3. यानी ऐसे शैतान की इताअ़त करते हैं जो एक तो यह कि नाफ़रमान और बाग़ी है, दूसरे नाफ़रमानी और बग़ावत की वजह से मलऊन है, तीसरे इनसान का दुश्मन है जैसा कि उसके अक़्वाल से साफ़ ज़ाहिर है।
4. यानी ख़ुदा तआ़ला की इताअ़त न करेगा बल्कि शैतान की बात मानेगा।
5. यह जो मोमिन की क़ैद लगाई गई इसका मिस्दाक़ हर फ़िर्क़ा नहीं, बल्कि सिर्फ़ वह फ़िर्क़ा है जिसका दीन ख़ुदा तआ़ला के नज़दीक मक़बूल होने में सबसे अच्छा हो, और ऐसा फ़िर्क़ा सिर्फ़ इस्लाम के मानने वाले हैं, जिसकी दलील यह है कि उनके अन्दर ये सिफ़तें हैं: मुकम्मल फ़रमाँबरदारी, इख़्लास, मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) की पैरवी।
6. यानी फ़रमाँबर्दारी इख़्तियार करे अ़क़ीदों में भी और आमाल में भी।
7. दिल से फ़रमाँबर्दारी इख़्तियार की हो, ख़ाली मस्लहत से दिखावे के तौर पर न हो।
8. मिल्लते इब्राहीमी यानी इस्लाम की पैरवी करे।
9. ख़लील होना आला दर्जे का तक़र्रुब व मक़बूलियत है, और हज़रत जुनदुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुझको भी ख़लील बनाया है जैसा कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बनाया था।

मिल्क है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह तआ़ला तमाम चीज़ों को घेरे में लिए हुए हैं।[1] **(126)** ❖

और लोग आपसे औ़रतों के बारे में हुक्म मालूम करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआ़ला उनके बारे में हुक्म देते हैं और वे आयतें भी जो कुरआन के अन्दर तुमको पढ़कर सुनाई जाया करती हैं, जो कि उन यतीम औ़रतों के बारे में हैं जिनको जो उनका हक़ मुक़र्रर है नहीं देते हो, और उनके साथ निकाह करने से नफ़रत करते हो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में और इस बारे में कि यतीमों की कारगुज़ारी इन्साफ़ के साथ करो, और जो नेक काम करोगे सो बेशक अल्लाह तआ़ला उसको ख़ूब जानते हैं।[2] **(127)** और अगर किसी औ़रत को अपने शौहर से ज़्यादा आशंका बद-दिमाग़ी या बेपरवाई की हो, सो दोनों को इस बात में कोई गुनाह नहीं कि दोनों आपस में एक ख़ास तरीक़े पर सुलह कर लें, और यह सुलह बेहतर है, और नफ़्सों के अन्दर लालच भरा रहता है, और अगर तुम अच्छा बर्ताव रखो और एहतियात रखो तो बेशक हक़ तआ़ला तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं। **(128)** और तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि सब बीवियों में बराबरी रखो अगरचे तुम्हारा कितना ही जी चाहे, तो तुम बिलकुल एक ही तरफ़ न ढल जाओ जिससे उसको ऐसा कर दो जैसे कोई अधर में लटकी हो,[3] और अगर सुधार कर लो और एहतियात रखो तो बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। **(129)** और अगर दोनों मियाँ-बीवी जुदा हो जाएँ तो अल्लाह तआ़ला अपनी वुसूअ़त से हर एक को ज़रूरत से फ़ारिग़ कर देगा, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसूअ़त वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(130)** और अल्लाह तआ़ला की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं,[4] और वाक़ई हमने उन लोगों को भी हुक्म दिया था जिनको तुमसे पहले किताब मिली थी और तुमको भी कि अल्लाह तआ़ला से डरो,[5] और अगर तुम नाशुक्री करोगे[6] तो अल्लाह तआ़ला की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं, और अल्लाह तआ़ला किसी के मोहताज नहीं ख़ुद अपनी ज़ात में तारीफ़ के लायक़ हैं। **(131)** और अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं, और अल्लाह तआ़ला काफ़ी कारसाज़ हैं। **(132)** अगर उनको

1. आयत नम्बर 123 से 126 तक की आयतों का ख़ुलासा यह हुआ कि सिर्फ़ तमन्नाओं से काम नहीं चलता और मुसलमान सिर्फ़ तमन्नाओं पर नहीं हैं बल्कि काम करते हैं। और दूसरे फ़िर्क़े जब इस्लाम न लाए जिसपर सारा काम मौक़ूफ़ है तो बस सिर्फ़ तमन्नाओं पर हुए।
2. मतलब का ख़ुलासा यह हुआ कि जो आयतें इस बारे में पहले आ चुकी हैं जिनको तुम वक़्त-वक़्त पर सुनते रहते हो, वे उन अहकाम के बारे में अब भी अ़मल करने के लिए वाजिब और ज़रूरी हैं, कोई नया हुक्म नहीं दिया जाता।
3. यानी न तो उसके हुक़ूक़ अदा किए जाएँ कि शौहर वाली समझी जाए और न उसको तलाक़ दी जाए कि बेशौहर वाली कही जाए।
4. तो ऐसे मालिक के अहकाम मानना बहुत ही ज़रूरी है।
5. इसको तक़्वा कहते हैं जिसमें तमाम अहकाम की मुवाफ़क़त दाख़िल है।
6. यानी अहकाम की मुख़ालफ़त करोगे।

मन्ज़ूर हो तो ऐ लोगो! तुम सबको फ़ना कर दें और दूसरों को मौजूद कर दें, और अल्लाह तआ़ला इसपर पूरी क़ुदरत रखते हैं। **(133)** जो शख़्स दुनिया का मुआ़वज़ा चाहता हो तो अल्लाह तआ़ला के पास तो दुनिया और आख़िरत दोनों का मुआ़वज़ा है, और अल्लाह तआ़ला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं।[1] **(134)** ❖

ऐ ईमान वालो! इन्साफ़ पर ख़ूब क़ायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले रहो, अगरचे अपनी ही ज़ात पर हो[2] या कि माँ-बाप और रिश्तेदारों के मुक़ाबले में हो, वह शख़्स अगर अमीर है तो, और ग़रीब है तो, दोनों के साथ अल्लाह तआ़ला को ज़्यादा ताल्लुक़ है,[3] सो तुम नफ़्स की ख़्वाहिश की पैरवी मत करना, कभी तुम हक़ से हट जाओ, और अगर तुम कज-बयानी "यानी ग़लत और ख़िलाफ़े हक़ीक़त बयान" करोगे या किनारा करो और बचोगे तो बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं। **(135)** ऐ ईमान वालो![4] तुम एतिक़ाद रखो अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, और उस किताब के साथ जो उसने अपने रसूल पर नाज़िल फ़रमाई, और उन किताबों के साथ जो कि पहले नाज़िल हो चुकी हैं। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला का इनकार करे और उसके फ़रिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और क़ियामत के दिन का तो वह शख़्स गुमराही में बड़ी दूर जा पड़ा। **(136)** बेशक जो लोग मुसलमान हुए फिर काफ़िर हो गए, फिर मुसलमान हुए फिर काफ़िर हो गए, फिर कुफ़्र में बढ़ते चले गए,[5] अल्लाह तआ़ला ऐसों को हरगिज़ न बख़्शेंगे और न उनको (मन्ज़िले मक़सूद यानी जन्नत का) रास्ता दिखलाएँगे।[6] **(137)** मुनाफ़िक़ों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए इस बात की कि उनके वास्ते बड़ी दर्दनाक सज़ा है। **(138)** जिनकी यह हालत है कि काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं मुसलमानों को छोड़कर। क्या उनके पास इ़ज़्ज़त वाले रहना चाहते हैं, सो ऐज़ाज़ "यानी इ़ज़्ज़त और सम्मान" तो सारा ख़ुदा तआ़ला के क़ब्ज़े में है।[7] **(139)** और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे पास यह फ़रमान भेज चुका है कि जब अल्लाह के अहकाम के साथ मज़ाक़-ठट्ठा और कुफ़्र होता हुआ सुनो तो उन लोगों के पास मत बैठो जब तक कि वे कोई और बात शुरू न कर दें[8] कि उस हालत में तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे,[9] यक़ीनन अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ों को और काफ़िरों को सबको दोज़ख़ में जमा कर देंगे। **(140)** वे ऐसे हैं कि तुमपर मुसीबत पड़ने के मुन्तज़िर रहते हैं, फिर अगर तुम्हारी

---

1. वे सबकी बातों और दरख़्वासतों को सुनते हैं दुनिया की हों या दीन की, और सबकी नीयतों को देखते हैं। पस आख़िरत के चाहने वालों को सवाब देंगे और दुनिया के चाहने वालों को आख़िरत में महरूम रखेंगे, पस आख़िरत ही की नीयत और दरख़्वास्त करनी चाहिए। अलबत्ता दुनिया की हाजत मुस्तक़िल तौर पर माँगने में हर्ज नहीं, लेकिन इबादत में यह इरादा न करे।
2. इसको इक़रार कहते हैं।
3. यानी गवाही के वक़्त यह ख़्याल न करो कि जिसके मुक़ाबले में हम गवाही दे रहे हैं यह अमीर है, इसको नफ़ा पहुँचाना चाहिए ताकि इससे बेमुरव्वती न हो, या यह कि यह ग़रीब है इसका कैसे नुक़सान कर दें। तुम किसी की अमीरी-ग़रीबी को न देखो, क्योंकि उनसे तुम्हारा ताल्लुक़ जिस क़द्र है वह भी अल्लाह तआ़ला का दिया हुआ है और अल्लाह तआ़ला को जो ताल्लुक़ है वह तुम्हारा दिया हुआ नहीं। फिर जब बावजूद मज़बूत ताल्लुक़ के अल्लाह तआ़ला ने उनकी मस्लहत इसमें रखी है कि हक़ का इज़हार किया जाए तो तुम कमज़ोर ताल्लुक़ पर उनकी एक आरज़ी (यानी अस्थाई) मस्लहत का क्यों ख़्याल करते हो।
4. यानी जो मुख़्तसर तौर पर ईमान लाकर मोमिनों की जमाअ़त में दाख़िल हो चुके हैं।
5. यानी कुफ़्र पर मरते दम तक जमे रहे और क़ायम रहे।
6. क्योंकि मग़्फ़िरत और जन्नत के लिए ईमान पर मौत शर्त है।
7. चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने जल्द ही मुसलमानों के हाथों सबको ज़लील व रुस्वा फ़रमा दिया।
8. यह मज़ाक़-ठट्ठा करने वाले मक्का में मुश्रिकीन थे और मदीने में यहूद तो खुलेआ़म और मुनाफ़िक़ लोग सिर्फ़ ग़रीब व कमज़ोर मुसलमानों के सामने। पस जिस तरह वहाँ मुश्रिकीन के साथ उठना-बैठना ऐसे वक़्त में मना था, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 182 पर)**

फ़त्ह अल्लाह की तरफ़ से हो गई तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफ़िरों को कुछ हिस्सा मिल गया तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुमपर ग़ालिब न आने लगे थे और क्या हमने तुमको मुसलमानों से बचा नहीं लिया। सो अल्लाह तआ़ला तुम्हारा और उनका क़ियामत में (अ़मली) फ़ैसला फ़रमा देंगे, और (उस फ़ैसले में) अल्लाह तआ़ला काफ़िरों को हरगिज़ मुसलमानों के मुक़ाबले में ग़ालिब न फ़रमाएँगे। **(141)** ❖

बिला शुब्हा मुनाफ़िक़ लोग चालबाज़ी करते हैं अल्लाह तआ़ला से, हालाँकि अल्लाह तआ़ला उस चाल की सज़ा उनको देने वाले हैं। और जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बहुत ही सुस्ती के साथ खड़े होते हैं[1] सिर्फ़ आदमियों को दिखलाते हैं, और अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र भी नहीं करते मगर बहुत ही मुख़्तसर।[2] **(142)** लटक रहे हैं दोनों के दरमियान में, न इधर न उधर,[3] और जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराही में डाल दें ऐसे शख़्स के लिए कोई सबील न पाओगे।[4] **(143)** ऐ ईमान वालो! तुम मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों को[5] दोस्त मत बनाओ, क्या तुम यूँ चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह तआ़ला की साफ़ हुज्जत क़ायम कर लो।[6] **(144)** बेशक मुनाफ़िक़ लोग दोज़ख़ के सबसे नीचे के तबक़े में जाएँगे, और तू हरगिज़ उनका कोई मददगार न पाएगा।[7] **(145)** लेकिन जो लोग तौबा कर लें और सुधार कर लें और अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखें और अपने दीन को ख़ालिस अल्लाह ही के लिए किया करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे, और मोमिनों को अल्लाह तआ़ला बड़ा अज्र अ़ता फ़रमाएँगे। **(146)** (और ऐ मुनाफ़िक़ो!) अल्लाह तआ़ला तुमको सज़ा देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्र गुज़ारी करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह तआ़ला बड़ी क़द्र करने वाले और ख़ूब जानने वाले हैं। **(147)**

(पृष्ठ 180 का शेष) यहाँ यहूद और मुनाफ़िक़ों के साथ उठने-बैठने से मना किया गया है।

9. अहले बातिल के साथ उठने-बैठने की चन्द सूरतें हैं। अव्वल उनकी कुफ़्र भरी और ख़िलाफ़े इस्लाम बातों और आमाल पर रज़ामन्दी के साथ, यह कुफ़्र है। दूसरे कुफ़्रियात के इज़हार के वक़्त कराहत यानी नागवारी के साथ, मगर बिना किसी उज़्र के, यह फ़िस्क़ है। तीसरे किसी दुनियावी ज़रूरत के वास्ते, यह मुबाह (यानी जायज़ और गुन्जाइश रखता) है। चौथे अहकाम की तब्लीग़ के लिए, यह इबादत है। पाँचवे मजबूरी और बेइख़्तियारी के साथ, इसमें माज़ूर है।

1. जिस सुस्ती की यहाँ मज़म्मत (यानी निंदा) है वह एतिक़ादी सुस्ती है, और जो बावजूद एतिक़ाद सही होने के सुस्ती हो वह इससे ख़ारिज है। फिर अगर किसी उज़्र से हो जैसे बीमारी व थकन या नींद के ग़ल्बे से, तब तो क़ाबिले मलामत भी नहीं। और अगर बिला उज़्र हो तो क़ाबिले मलामत है।

2. यानी सिर्फ़ नमाज़ की सूरत बना लेते हैं जिससे नमाज़ का नाम हो जाए, और ताज्जुब नहीं कि सिर्फ़ उठना-बैठना ही होता हो।

3. ज़ाहिर में मोमिन तो कुफ़्फ़ार से अलग, और बातिन में काफ़िर तो मोमिनों से अलग।

4. मतलब यह कि इन मुनाफ़िक़ों के राह पर आने की उम्मीद मत रखो। इसमें मुनाफ़िक़ों को बुरा-भला कहना और मलामत है और मोमिनों की तसल्ली, कि उनकी शरारतों से रंज न करें।

5. चाहे मुनाफ़िक़ हों चाहे खुले काफ़िर हों।

6. साफ़ हुज्जत यही कि जब हमने मना कर दिया था तो फिर ऐसा क्यों किया।

7. ऊपर मुनाफ़िक़ों की बुराइयों और ख़राबियों का बयान मक़सूद था (अगरचे एक मज़मून के तहत में उनकी सज़ा जहन्नम होने का भी ज़िक्र आ गया था) आगे उनकी सज़ा का बयान मक़सूद है। और चूँकि सज़ा के बयान का असर अपने आपमें यह है कि सही समझ रखने वाले आदमी को ख़ौफ़ पैदा हो जाता है, जो तौबा का सबब हो जाता है। इसलिए तौबा करने वालों का सज़ा से अलग होना और उनके नेक बदले का बयान भी फ़रमा दिया।

छठा पारः ला युहिब्बुल्लाहु

सूरः निसा (आयत 148 से 177)

अल्लाह तआ़ला बुरी बात ज़बान पर लाने को पसन्द नहीं करते सिवाय मज़्लूम के,[1] और अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनते हैं, ख़ूब जानते हैं।[2] **(148)** अगर नेक काम ऐलानिया करो या उसको ख़ुफ़िया करो या किसी बुराई को माफ़ कर दो तो अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले हैं, पूरी क़ुदरत वाले हैं। **(149)** जो लोग कुफ़्र करते हैं अल्लाह तआ़ला के साथ और उसके रसूलों के साथ और (यूँ) चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूलों के दरमियान में फ़र्क़ रखें, और कहते हैं कि हम बाज़ों पर तो ईमान लाते हैं और बाज़ों के इनकारी हैं,[3] और (यूँ) चाहते हैं कि बीच की एक राह तजवीज़ करें **(150)** ऐसे लोग यक़ीनन काफ़िर हैं, और काफ़िरों के लिए हमने तौहीन वाली सज़ा तैयार कर रखी है। **(151)** और जो लोग अल्लाह तआ़ला पर ईमान रखते हैं और उसके सब रसूलों पर भी, और उनमें से किसी में फ़र्क़ नहीं करते, उन लोगों को अल्लाह तआ़ला ज़रूर उनके सवाब देंगे, और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़्फ़िरत वाले हैं, बड़े रहमत वाले हैं।[4] **(152)** ◆

आपसे अहले किताब यह दरख़्वास्त करते हैं कि आप उनके पास एक ख़ास तहरीर आसमान से मंगवा दें, सो उन्होंने मूसा से इससे भी बड़ी बात की दरख़्वास्त की थी और (यूँ) कहा था कि हमको अल्लाह तआ़ला को खुल्लम-खुल्ला दिखला दो, उनकी (इस) गुस्ताख़ी के सबब उनपर कड़क बिजली आ पड़ी,[5] फिर उन्होंने गौसाला को तजवीज़ किया था, उसके बाद कि बहुत-सी दलीलें उनको पहुँच चुकी थीं। फिर हमने उनसे दरगुज़र कर दिया था। और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को हमने बहुत बड़ा रोब दिया था। **(153)** और हमने उन लोगों से क़ौल व क़रार लेने के वास्ते तूर पहाड़ को उठाकर उनके ऊपर (लटका हुआ) कर दिया था, और हमने उनको यह हुक्म दिया था कि दरवाज़े में आ़जिज़ी से दाख़िल होना, और हमने उनको यह हुक्म दिया था कि हफ़्ते "यानी शनिवार" के दिन के बारे में हद से मत बढ़ना, और हमने उनसे क़ौल व क़रार बहुत सख़्त लिए। **(154)** सो (हमने उनको सज़ा में

---

1. यानी मज़्लूम अगर अपने ज़ालिम के बारे में शिकायत बयान करे तो वह गुनाह नहीं।
2. इसमें इशारा है कि मज़्लूम को हक़ीक़त के ख़िलाफ़ कहने की इजाज़त नहीं।
3. इस क़ौल और अ़क़ीदे से अल्लाह तआ़ला के साथ भी कुफ़्र लाज़िम आ गया और सब रसूलों के साथ भी, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने और हर रसूल ने सब रसूलों को रसूल कहा है, जब बाज़ का इनकार हुआ तो अल्लाह तआ़ला और दूसरे रसूलों को झुठलाना हो गया, जो कि तस्दीक़ और ईमान के ख़िलाफ़ है।
4. बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इस आयत को यहूद व ईसाइयों (नसारा) दोनों की शान में कहा है, क्योंकि ईसाई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नहीं मानते लेकिन मज़मून के गुज़रे हुए और आने वाले हिस्से में यहूद का ज़िक्र होना इसको चाहता है कि आयत का यहूद की शान में होना ज़्यादा अहम है, अगरचे उसके तहत में ईसाई भी लफ़्ज़ के आ़म होने में दाख़िल हो जाएँ।
5. यहूद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से (दुश्मनी के तौर पर) यह दरख़्वास्त की कि हम आपसे जब बैअ़त करें कि हमारे पास अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक तहरीर (यानी लिखा हुआ) इस मज़मून की आए कि ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से फ़लाँ यहूदी के नाम यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रसूल हैं, इस तरह हर-हर यहूदी के नाम ये ख़त हों, अल्लाह तआ़ला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली फ़रमाई है कि ये लोग हमेशा से ऐसी जहालतें करते आए हैं, आप रन्जीदा न हों।

मुब्तला किया) उनके अ़हद तोड़ने की वजह से और अल्लाह के अहकाम के साथ उनके कुफ़्र की वजह से, और उनके नबियों को नाहक़ क़त्ल करने की वजह से, और उनके इस कहने की वजह से कि हमारे दिल महफ़ूज़ हैं। (महफ़ूज़ नहीं) बल्कि उनके कुफ़्र के सबब उन (दिलों) पर अल्लाह तआ़ला ने बन्द लगा दिया है, सो उनमें ईमान नहीं मगर बहुत मामूली।[1] **(155)** और (उन्हें सज़ा दी) उनके कुफ़्र की वजह से, और (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) पर उनके बड़ा भारी बोहतान धरने की वजह से। **(156)** और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम को जो कि अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं, क़त्ल कर दिया,[2] हालाँकि उन्होंने न उनको क़त्ल किया न उनको सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको धोखा और शुब्हा हो गया। और जो लोग उनके बारे में इख़्तिलाफ़ करते हैं वे ग़लत ख़्याल में हैं, उनके पास इसपर कोई दलील नहीं सिवाय अटकली बातों पर अ़मल करने के, और यक़ीनी बात है कि उन्होंने उनको क़त्ल नहीं किया। **(157)** बल्कि उनको ख़ुदा तआ़ला ने अपनी तरफ़ उठा लिया, और अल्लाह तआ़ला बड़े ज़बरदस्त, हिक्मत वाले हैं। **(158)** और कोई शख़्स अहले किताब से नहीं रहता मगर वह ईसा अ़लैहिस्सलाम की अपने मरने से पहले ज़रूर तस्दीक़ कर लेता है, और क़ियामत के दिन वह उनपर गवाही देंगे।[3] **(159)** सो यहूद के इन्ही बड़े-बड़े जुर्मों के सबब हमने बहुत-सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनके लिए हलाल थीं उनपर हराम कर दीं,[4] और इस सबब से कि वे बहुत आदमियों के लिए अल्लाह तआ़ला की राह से रुकावट बन जाते थे। **(160)** और इस सबब से कि वे सूद लिया करते थे हालाँकि उनको इससे मना किया गया था, और इस सबब से कि वे लोगों के माल नाहक़ तरीक़े से खा जाते थे। और हमने उन लोगों के लिए जो उनमें से काफ़िर हैं दर्दनाक सज़ा का सामान कर रखा है। **(161)** लेकिन उनमें जो लोग (दीन के) इल्म में पुख़्ता हैं और जो (उनमें) ईमान ले आने वाले हैं, कि इस (किताब) पर भी ईमान लाते हैं जो आपके पास भेजी गई और (उसपर भी ईमान रखते हैं) जो आपसे पहले भेजी गई थी, और जो (उनमें) नमाज़ की पाबन्दी करने वाले हैं और जो (उनमें) ज़कात देने वाले हैं और जो (उनमें) अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर एतिक़ाद रखने वाले हैं, (सो) ऐसे लोगों को हम (आख़िरत में) ज़रूर बहुत बड़ा सवाब अ़ता फ़रमाएँगे।[5] **(162)** ❖

---

1. अ़हद तोड़ने में बाद वाला सारा मज़मून दाख़िल है, लेकिन बुराई और मलामत के ज़्यादा होने की वजह से सब मामलात को अलग-अलग भी बयान फ़रमा दिया कि अल्लाह तआ़ला के साथ उनका मामला यह है कि उनके अहकाम के इनकारी हैं, अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के साथ यह बर्ताव है कि उनको झुठलाने से गुज़रकर उनको क़त्ल करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ यह मामला है कि आपके सामने अपने हक़ पर होने के दावेदार हैं, और ये सब कुफ़्र की क़िस्में हैं।

2. ईसा अ़लैहिस्सलाम के नाम के साथ जो रसूलुल्लाह आया है यह यहूद का क़ौल नहीं, बल्कि अल्लाह तआ़ला ने बढ़ा दिया है कि देखो ऐसे के बारे में ऐसा कहते हैं।

3. ऊपर यहूद की बाज़ शरारतें और कुछ सज़ाएँ लान-तान वग़ैरह जो कि दुनिया में होने वाली और तक्वीनी उमूर से थीं, बयान फ़रमाई हैं, आगे भी उनकी बाज़ शरारतों का ज़िक्र है और साथ में बाज़ सज़ाओं का भी, दुनिया में शरीअ़त के हुक्म के एतिबार से यह कि बाज़ हलाल चीज़ों का हराम होना और आख़िरत के अन्जाम का ज़िक्र कि दर्दनाक अ़ज़ाब है, का बयान है, और चूँकि असल सज़ा यही है इसलिए यहूद के ज़िक्र के शुरू पर भी अ़ज़ाबे मुहीन (यानी तौहीन वाले अ़ज़ाब) के उनवान से इसको फ़रमाया था, पस दोनों तरफ़ में होने से ज़्यादा ताकीद हो गई।

4. जुर्मों की वजह से जो तहरीम (यानी हराम करना) हुई वह तहरीम आ़म थी, अगरचे जुर्मों से बाज़ नेक लोग महफ़ूज़ भी थे, क्योंकि बहुत-सी हिक्मतों के तक़ाज़े से अल्लाह का तरीक़ा यूँ ही जारी है जैसा कि क़ुरआन में इसकी तरफ़ इशारा भी है, "वत्तक़ू फ़ित्न-तल्ला तुसीबन्नल्लज़ी-न मिन्कुम् ख़ास्स-तन्" और हदीस में भी आया है कि बड़ा मुज्रिम वह है जिसके बेज़रूरत सवाल करने से कोई चीज़ सबके लिए हराम हो जाए, यानी वह्य के ज़माने में। और शरीअ़ते मुहम्मदिया में जो चीज़ें हराम हैं वे किसी जिस्मानी या रूहानी नुक़सान की वजह से हराम हैं, कि इस हैसियत से नापाक हैं, पस फ़ायदेमन्द हलाल चीज़ों का **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 188 पर)**

हमने आपके पास वह्य भेजी है जैसे नूह के पास भेजी थी, और उनके बाद और पैग़म्बरों के पास, और हमने इब्राहीम और इसमाईल और इसहाक़ और याक़ूब और याक़ूब की औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलैमान के पास वह्य भेजी थी, और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। **(163)** और (ऐसे) पैग़म्बरों को (वह्य वाला बनाया) जिनका हाल हम इससे पहले आपसे बयान कर चुके हैं और ऐसे पैग़म्बरों को जिनका हाल हमने आपसे बयान नहीं किया, और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से अल्लाह तआ़ला ने ख़ास तौर पर कलाम फ़रमाया। **(164)** उन सबको ख़ुशख़बरी देने वाले और ख़ौफ़ सुनाने वाले पैग़म्बर बनाकर इसलिए भेजा ताकि लोगों के पास अल्लाह तआ़ला के सामने उन पैग़म्बरों के बाद कोई उज़्र बाक़ी न रहे, और अल्लाह तआ़ला पूरे ज़ोर वाले हैं, बड़ी हिक्मत वाले हैं।[1] **(165)** लेकिन अल्लाह तआ़ला (इस किताब) के ज़रिये से जिसको आपके पास भेजा है, और भेजा भी अपने इल्मी कमाल के साथ, शहादत दे रहे हैं और फ़रिश्ते तस्दीक़ कर रहे हैं, और अल्लाह ही की शहादत काफ़ी है। **(166)** जो लोग इनकारी हैं और ख़ुदाई दीन से रुकावट होते हैं, बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। **(167)** बेशक जो लोग इनकारी हैं और (दूसरों का भी) नुक़सान कर रहे हैं अल्लाह तआ़ला उनको कभी न बख़्शेंगे और न उनको कोई और राह दिखाएँगे **(168)** सिवाय जहन्नम की राह के, इस तरह पर कि उसमें हमेशा-हमेशा रहा करेंगे, और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक यह (सज़ा देना) मामूली बात है।[2] **(169)** ऐ तमाम लोगो! तुम्हारे पास यह रसूल सच्ची बात लेकर तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से तशरीफ़ लाए हैं, सो तुम यक़ीन रखो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर तुम मुनकिर "यानी इनकार करने वाले" रहे तो ख़ुदा तआ़ला की मिल्क है यह सब जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है, और अल्लाह तआ़ला पूरी इत्तिला रखते हैं, कामिल हिक्मत वाले हैं।[3] **(170)** ऐ अहले किताब![4] तुम अपने दीन में हद से मत निकलो और ख़ुदा तआ़ला की शान में ग़लत बात मत कहो,[5] मसीह ईसा इब्ने मरियम तो और कुछ भी नहीं अलबत्ता अल्लाह के रसूल हैं और उसका एक कलिमा हैं, जिसको उसने मरियम

(पृष्ठ 186 का शेष) हराम होना सज़ा व सियासत है और नुक़सानदेह हलाल चीज़ों का हराम होना रहमत व हिफ़ाज़त है।

5. मुराद उनसे ये हज़रात और उनके जैसे हैं, जैसे अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु व उसैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु व सअ़लबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और आयत का यही नाज़िल होने का सबब भी है। और आयत में कामिल अज्र को उन पहले ज़िक्र हुए उमूर के साथ जोड़ना मक़सूद है, और जहाँ तक अज्र व मुतलक़ नजात की बात है तो वह सिर्फ़ अ़क़ायदे ज़रूरिया को सही करने से वाबस्ता है।

1. अल्लाह तआ़ला पूरे ज़ोर और इख़्तियार वाले हैं कि रसूलों को भेजे बिना भी सज़ा देते तो तन्हा हक़ीक़ी मालिक होने की वजह से, यह कोई ज़ुल्म न होता, और हक़ीक़त में किसी को उज़्र करने का हक़ भी न होता, लेकिन चूँकि बड़ी हिक्मत वाले भी हैं इसलिए हिक्मत रसूलों के भेजने में यह थी ताकि ज़ाहिरी उज़्र भी न रहे।

2. ऊपर यहूद के शुब्हा का जो कि हुज़ूरे पाक की नुबुव्वत के मुताल्लिक़ था, जवाब और नुबुव्वत का साबित करना, साथ ही इनकार करने वालों के लिए वईद निहायत साफ़ और उम्दा अन्दाज़ से ज़िक्र हो चुकी, आगे आ़म ख़िताब से नुबुव्वत की तस्दीक़ का वाजिब होना बयान फ़रमाते हैं।

3. ऊपर यहूद को ख़िताब था आगे नसारा (यानी ईसाइयों) को ख़िताब है।

4. यानी इन्जील वालो।

5. कि नऊज़ु बिल्लाह (यानी अल्लाह अपनी पनाह में रखे) वह औलाद वाला है, जैसा कि बाज़ कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं, या वह माबूदों के मजमूए का एक हिस्सा हैं, जैसा कि बाज़ कहते थे कि अल्लाह तीन का तीसरा है और बक़िया दो हिस्से एक हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को कहते थे और एक हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम को, जैसा कि आगे आयत में "व लल्मलाइ-कतुल्-मुक़र्रबून" के बढ़ाने से मालूम होता है, और बाज़े हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम को, जैसा कि "इत्तख़िज़ूनी व उम्मि-य" से मालूम होता है, या वह ऐन मसीह है, जैसा कि बाज़ कहते थे, "कि ख़ुदा तो बस मसीह इब्ने मरियम है" ये सब अ़क़ीदे बातिल हैं।

तक पहुँचाया था और उसकी तरफ़ से एक जान हैं। सो अल्लाह पर और उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ, और (यूँ) मत कहो कि तीन हैं, बाज़ आ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माबूदे हक़ीक़ी तो एक ही माबूद है, वह औलाद वाला होने से पाक है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद चीज़ें हैं सब उसकी मिल्क हैं, और अल्लाह तआ़ला कारसाज़ होने में काफ़ी हैं। **(171)** ❖

मसीह हरगिज़ ख़ुदा के बन्दे बनने से शर्म नहीं करेंगे और न क़रीबी फ़रिश्ते, और जो शख़्स ख़ुदा तआ़ला की बन्दगी से शर्म करेगा "या बुरा समझेगा" और तकब्बुर करेगा तो ख़ुदा तआ़ला ज़रूर सब लोगों को अपने पास जमा करेंगे। **(172)** फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो उनको उनका पूरा सवाब देंगे और उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा देंगे, और जिन लोगों ने शर्म की होगी और तकब्बुर किया होगा तो उनको सख़्त दर्दनाक सज़ा देंगे। **(173)** और वे लोग अल्लाह के अ़लावा किसी और को अपना मददगार हिमायती न पाएँगे।[1] **(174)** ऐ लोगो! यक़ीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से एक दलील आ चुकी है,[2] और हमने तुम्हारे पास एक साफ़ नूर भेजा है।[3] **(175)** सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने उसको मज़बूत पकड़ा,[4] तो ऐसों को अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत में दाख़िल करेंगे और अपने फ़ज़्ल में और अपने तक उनको सीधा रास्ता बता देंगे।[5] **(176)** लोग आपसे हुक्म दरियाफ़्त करते हैं,[6] आप फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआ़ला तुमको कलाला के बारे में हुक्म देता है।[7] अगर कोई शख़्स मर जाए जिसके औलाद न हो (और न माँ-बाप) और उसके एक (हक़ीक़ी या माँ-शरीक सौतेली) बहन हो तो उसको तमाम तर्के का आधा मिलेगा, और वह शख़्स उस (अपनी बहन) का वारिस होगा, अगर (वह बहन मर जाए और) उसके औलाद न हो, (और माँ-बाप भी न हों)। और अगर (बहनें) दो हों (या ज़्यादा) तो उनको उसके कुल तरके में से दो तिहाई मिलेगें। और अगर (कई वारिस) भाई (बहन) हों मर्द और औ़रत तो एक मर्द को दो औ़रतों के हिस्से के बराबर,[8] अल्लाह तआ़ला तुमसे (दीन की बातें) इसलिए बयान करते हैं कि तुम गुमराही में न पड़ो, और अल्लाह हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं। **(177)** ❖

---

1. ऊपर ईसाइयों के अ़क़ीदों का बातिल होना तथा इक़रार करने वालों की जज़ा और इनकार करने वालों की सज़ा का बयान हो चुका, आगे आ़म ख़िताब से इन मज़ामीन का और इन मज़ामीन के तालीम फ़रमाने वाले रसूल और क़ुरआन का सच्चा होना और तस्दीक़ करने वालों की फ़ज़ीलत बयान फ़रमाते हैं, जिस तरह यहूद के सामने हुज्जत पेश करने के बाद इसी तरह ख़िताबे आ़म फ़रमाया था। "या अय्युहन्नासु क़द जा-अकुमुर्रसूलु"......
2. वह मुबारक ज़ात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की।
3. वह क़ुरआन मजीद है।
4. यानी इस्लाम को।
5. हासिल यह है कि इताअ़त की बरकत से इताअ़त पर जमे रहने की तौफ़ीक़ अ़ता होती है।
6. इस आयत के नाज़िल होने का सबब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का फ़त्वा मालूम करना है कि उस वक़्त सिर्फ़ उनकी बहनें वारिस थीं जैसा कि नसई शरीफ़ और लबाब में इब्ने मरदूया से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का सवाल करना भी नक़ल किया है।
7. कलाला यानी जिसके न औलाद हो न माँ-बाप हों।
8. क्योंकि इस सूरः में यहाँ तक बहुत-से उसूल व अहकाम की तफ़सील है इसलिए आख़िर में एक मुख़्तसर उनवान से पूरी की पूरी तफ़सील को दोबारा याद दिलाकर अपनी मन्नत और एहसान, शरीअ़त के बयान करने में और उन अहकाम में हिक्मत की रियायत ज़िक्र फ़रमा कर सूरः को ख़त्म फ़रमाते हैं।

5 सूरः मा-इदः 112

सूरः मा-इदः मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 120 आयतें और 16 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

ऐ ईमान वालो! अ़हदों को पूरा करो,[1] तुम्हारे लिए तमाम चौपाए "यानी चार पैरों पर चलने वाले चरने वाले जानवर" (यानी ऊँट, बकरी, गाय) हलाल किए गए हैं,[2] मगर जिनका ज़िक्र आगे आता है, लेकिन शिकार को हलाल मत समझना जिस हालत में कि तुम एहराम में हो। बेशक अल्लाह तआ़ला जो चाहें हुक्म करें। **(1)** ऐ ईमान वालो! खुदा तआ़ला की निशानियों की बेहुर्मती न करो और न हुर्मत वाले महीने की, और न (हरम में) कुरबानी होने वाले जानवर की, और न उन (जानवरों) की जिनके गले में पट्टे पड़े हुए हों, और न उन लोगों की जो कि बैतुल-हराम के इरादे से जा रहे हों, अपने रब के फ़ज़्ल और रज़ामन्दी के तालिब हों। और जिस वक़्त तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो शिकार किया करो। और ऐसा न हो कि तुमको किसी क़ौम से, जो इसी सबब से बुग़्ज़ है कि उन्होंने तुमको मस्जिदे-हराम से रोक दिया था, वह तुम्हारे लिए इसका सबब हो जाए कि तुम हद से निकल जाओ। और नेकी और परहेज़गारी में एक-दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और "ज़ुल्म व" ज़्यादती में एक-दूसरे की मदद मत करो, और अल्लाह तआ़ला से डरा करो, बेशक अल्लाह तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाले हैं। ◆ **(2)** तुमपर हराम किए गए हैं मुर्दार[3] और ख़ून और ख़िन्ज़ीर "यानी सुअर" का गोश्त[4] और जो (जानवर) कि अल्लाह के अ़लावा किसी और के लिए नामज़द कर दिया गया हो, और जो गला घुटने से मर जाए, और जो किसी चोट से मर जाए, और जो गिरकर मर जाए, और जो किसी की टक्कर से मर जाए, और जिसको कोई दरिन्दा खाने लगे लेकिन जिसको ज़िब्ह कर डालो,[5] और जो (जानवर) इबादत गाहों पर ज़िब्ह किया जाए,[6] और यह कि तक़सीम करो तीरों के क़ुरा डालने के ज़रिये, ये सब गुनाह हैं। आजके दिन ना-उम्मीद हो गये[7] काफ़िर लोग तुम्हारे दीन से,[8] सो उनसे मत डरना और मुझसे डरते रहना,[9] आजके दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया,[10] और मैंने तुमपर अपना इनाम मुकम्मल कर दिया, और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन (बनने के लिए) पसन्द कर लिया,[11] पस जो शख़्स शिद्दत की भूख में बेताब हो जाए शर्त यह है कि किसी गुनाह की तरफ़ उसका मैलान "यानी रुझान" न हो,[12] तो यक़ीनन अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाले हैं, रहमत वाले हैं।[13] **(3)** लोग आपसे पूछते हैं कि क्या-क्या

---

1. ऊपर की सूरः के ख़त्म पर फ़रमाया था कि हम शरीअ़त के अहकाम को तुमसे बयान करते हैं। इस सूरः के शुरू में इसका हुक्म है कि तुम हमारे उन बयान किए हुए शरीअ़त के अहकाम की पूरी-पूरी तामील करो, यह ताल्लुक़ तो दोनों सूरतों के आख़िर और शुरू में है, बाक़ी पूरी सूरतों में भी दोनों के शरीअ़त के अहकाम पर मुश्तमिल होने से ताल्लुक़ ज़ाहिर है, और खुद इस सूरः के हिस्सों में भी एक अ़जीब ताल्लुक़ और मुनासबत है कि इसके पहले की आयत एक तरह से "मतन" (यानी असल इबारत) है। और पूरी सूरत गोया उसकी शरह यानी ख़ुलासा है, क्योंकि लफ़्ज़ "अ़क़ूद" हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के क़ौल के मुताबिक़ शरीअ़त के तमाम अहकाम को आ़म और शामिल है और सूरः में उन्हीं अहकाम की तफ़सील है, पस अव्वलन मुख़्तसर व कुल्ली उनवान से शरीअ़त के अहकाम पर अ़मल का हुक्म फ़रमाते हैं।
2. जैस हिरन, नील-गाय वग़ैरह सिवाय उन मवेशी जानवरों के जो कि शरीअ़त की दूसरी दलीलों हदीस वग़ैरह से ख़ास व अलग हो चुके हैं, जैसे गधा, ख़च्चर वग़ैरह। इन अलग किए हुए जानवरों के सिवा और सब पालतू व जंगली जानवर हलाल हैं सिवाय उनके जिनका ज़िक्र आगे आता है।
3. यानी जो जानवर बावजूद इसके कि उनका ज़िब्ह करना वाजिब है, शरई तौर पर बिना ज़िब्ह किए मर जाए।
4. इसी तरह उसके सब हिस्से और अंग। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 194 पर)

(जानवर) उनके लिए हलाल किए गए हैं, आप फ़रमा दीजिए कि तुम्हारे लिए कुल हलाल (जानवर) हलाल रखे हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुम तालीम दो और तुम उनको छोड़ो भी, और उनको उस तरीक़े से तालीम दो जो तुमको अल्लाह तआला ने तालीम दिया है, तो ऐसे शिकारी जानवर जिस (शिकार) को तुम्हारे लिए पकड़ें उसको खाओ और उसपर अल्लाह का नाम भी लिया करो, और अल्लाह से डरते रहा करो, बेशक अल्लाह तआला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। **(4)** आज तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें हलाल रखी गईं और जो लोग किताब दिए गए हैं उनका खाना (यानी ज़बीहा) तुमको हलाल है, और तुम्हारा खाना (यानी ज़बीहा) उनको हलाल है, और पारसा औरतें भी जो मुसलमान हों, और पारसा औरतें उन लोगों में से भी जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं जबकि तुम उनका मुआवज़ा दे दो,[1] इस तरह से कि तुम बीवी बनाओ, न तो एलानिया बदकारी करो न खुफ़िया ताल्लुक़ात पैदा करो,[2] और जो शख़्स ईमान के साथ कुफ़्र करेगा[3] तो उस शख़्स का अमल ग़ारत हो जाएगा और वह आख़िरत में बिलकुल घाटे में होगा।[4] **(5)** ◆

ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ को उठने लगो तो अपने चेहरों को धोओ और अपने हाथों को भी (धोओ) कोहनियों समेत, और अपने सरों पर हाथ फेरो और (धोओ) अपने पैरों को भी टख़्नों समेत,[5] और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो (सारा बदन) पाक करो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, या तुममें से कोई शख़्स इस्तन्जे से आया हो या तुमने बीवियों से नज़दीकी की हो, फिर तुमको पानी न मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम (कर लिया) करो, यानी अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो इस (ज़मीन पर) से,[6] अल्लाह तआला को यह मन्ज़ूर नहीं कि तुमपर कोई तंगी डालें,[7] लेकिन उसको (यानी अल्लाह तआला को) यह मन्ज़ूर है कि तुमको पाक साफ़ रखे,[8] और यह कि तुमपर अपना इनाम पूरा फ़रमाए ताकि तुम शुक्र अदा करो। **(6)** और

(पृष्ठ 192 का शेष) **5.** यानी "दम घुटने" से, "जिसको दरिन्दा खाने लगे" तक जिनका ज़िक्र है उनमें से जिनको दम निकलने से पहले शरई क़ायदे के मुताबिक़ ज़िब्ह कर डालो वे इस हराम होने के हुक्म से अलग हैं।

6. अगरचे ज़बान से अल्लाह के ग़ैर के लिए नामज़द न करे, क्योंकि हराम होने का दारोमदार बुरी नीयत पर है, इसका ज़ाहिर होना कभी क़ौल से होता है कि नामज़द करे और कभी फ़ेल से होता है कि ऐसे मक़ामात पर ज़िब्ह कराए।

7. आजके दिन से मुराद ख़ास दिन नहीं, बल्कि वह ज़माना मुराद है जिसमें उससे मिला हुआ शुरू व आख़िर का ज़माना भी मुराद है, पस अगर उसके बाद भी किसी हुक्म का नाज़िल होना साबित हो तो मुकम्मल करने यानी अहकाम को मुकम्मल करने पर एतिराज़ लाज़िम नहीं आता।

8. क्योंकि माशा-अल्लाह इस्लाम का ख़ूब फैलाव हो गया।

9. यानी मेरे अहकाम की मुख़ालफ़त मत करना।

10. क़ुव्वत में भी जिससे कुफ़्फ़ार को मायूसी हुई और अहकाम व क़ायदों में भी।

11. यानी क़ियामत तक तुम्हारा यही दिन रहेगा इसको मन्सूख़ करके दूसरा दिन तजवीज़ न किया जाएगा।

12. यानी न ज़रूरत से ज़्यादा खाए और न लज़्ज़त मक़सूद हो।

13. यह आयत जैसा कि इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया, असर के वक़्त जुमा के दिन ज़िलहिज्जा की नवीं तारीख़ हिज्जतुल विदाअ में जो दस हिजरी में हुआ था, नाज़िल हुई है और इसके नाज़िल होने के क़रीब तीन महीने के बाद तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़िन्दा रहे।

1. यानी महर देना अगरचे शर्त नहीं मगर वाजिब है।

2. ये सब शरीअत के अहकाम हैं जिनपर ईमान लाना फ़र्ज़ है।

3. जैसे क़तई हलाल के हलाल होने और क़तई हराम के हराम होने का इनकार करेगा।

4. इसलिए हलाल को हलाल समझो और हराम को हराम समझो।

5. ये चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वुज़ू में बाक़ी चीज़ें मसनून व पसन्दीदा हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 196 पर)**

तुम लोग अल्लाह तआ़ला के इनाम को जो तुमपर हुआ है याद करो और उसके उस अ़हद को भी जिसका तुमसे मुआ़हदा किया है, जबकि तुमने कहा था कि हमने सुना और मान लिया, और अल्लाह तआ़ला से डरो बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला दिलों तक की बातों की पूरी ख़बर रखते हैं।[1] (7) ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला के लिए पूरी पाबन्दी करने वाले, इन्साफ़ के साथ शहादत अदा करने वाले रहो, और किसी ख़ास क़ौम की दुश्मनी तुम्हारे लिए इसका सबब न हो जाए कि तुम अ़दल "यानी इन्साफ़" न करो। इन्साफ़ किया करो कि वह तक़्वे "यानी परहेज़गारी" से ज़्यादा क़रीब है, और अल्लाह से डरो, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है।[2] (8) अल्लाह तआ़ला ने ऐसे लोगों से जो ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे काम किए वायदा किया है कि उनके लिए मग़्फ़िरत और बड़ा सवाब है। (9) और जिन लोगों ने कुफ़्र किया और हमारे अहकाम को झूठा ठहराया ऐसे लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं। (10) ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला के इनाम को याद करो जो तुमपर हुआ है, जबकि एक क़ौम फ़िक्र में थी[3] कि तुमपर हाथ डाल दें, सो अल्लाह तआ़ला ने तुमपर उनका क़ाबू न चलने दिया, और अल्लाह तआ़ला से डरो,[4] और ईमान वालों को हक़ तआ़ला ही पर भरोसा रखना चाहिए। (11) ❖

और अल्लाह तआ़ला ने बनी इसराईल से अ़हद लिया था, और हमने उनमें से बारह सरदार मुक़र्रर किए, और अल्लाह तआ़ला ने (यूँ) फ़रमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज़ की पाबन्दी रखोगे और ज़कात अदा करते रहोगे और मेरे सब रसूलों पर ईमान लाते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को अच्छे तौर पर क़र्ज़ देते रहोगे,[5] तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूँगा और ज़रूर तुमको ऐसे बाग़ों में दाख़िल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। और जो शख़्स इसके बाद भी कुफ़्र करेगा तो बेशक वह सही रास्ते से दूर जा पड़ा।[6] (12) तो

(पृष्ठ 194 का शेष) 6. ऊपर पाकी के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं जिनमें बन्दों की रियायत, सहूलत और मस्लहत का लिहाज़ है, आगे इस पाकी और रियायत पर एहसान ज़ाहिर फ़रमाते हैं और शुक्र अदा करने की तरफ़ तवज्जोह दिलाते हैं।

7. यानी यह मन्ज़ूर है कि तुमपर कोई तंगी न रहे, चुनाँचे ज़िक्र हुए अहकाम में ख़ास तौर पर और शरीअ़त के कुल अहकाम में आ़म तौर पर सहूलत व मस्लहत की रियायत ज़ाहिर है।

8. इसलिए तहारत (यानी पाकी) के क़ायदे और तरीक़े तय किए और किसी एक तरीक़े पर बस नहीं किया कि अगर वह न हो तो तहारत मुम्किन ही न हो।

1. इसलिए जो काम करो उसमें इख़्लास व एतिक़ाद भी होना चाहिए, सिर्फ़ दिखावे के लिए हुक्म मानना काफ़ी नहीं।

2. ऐसी आयत पारः वल्मुह्सनात के आख़िर के क़रीब में भी आ चुकी है। और दोनों में फ़र्क़ यह है कि बेइन्साफ़ी की वजह दो चीज़ें होती हैं, या तो एक फ़रीक़ की रियायत या किसी फ़रीक़ की दुश्मनी, वहाँ पहला सबब ज़िक्र है यहाँ दूसरा सबब। चुनाँचे वहाँ अल्फ़ाज़ "व लौ अ़ला अन्फ़ुसिकुम् अविल् वालिदैनि वल् अक़्रबी-न इंय्यकुन् ग़निय्यन् औ फ़क़ीरन् फ़ल्लाहु औला बिहिमा" और यहाँ लफ़्ज़ "श-नआनु" इसकी साफ़ दलील है, पस इस फ़र्क़ के बाद दोहराना न रहा।

3. यानी क़ुरैश के काफ़िर शुरू इस्लाम में जबकि मुसलमान कमज़ोर थे।

4. शुरू सूरत से यहाँ तक अक्सर आयतों में हक़ तआ़ला से डरने का हुक्म फ़रमाया है, एक जगह लफ़्ज़ "ख़शिय्यत" से बाक़ी जगह लफ़्ज़ "तक़्वा" से। इससे मालूम होता है कि इसको हुक्म मानने में बहुत दख़ल है, चुनाँचे ज़ाहिर भी है।

5. ख़ैर में ख़र्च करने को मजाज़न् (अवास्तविकता के तौर पर) क़र्ज़ इसलिए फ़रमा दिया कि जिस तरह क़र्ज़ का अदा करना लाज़िम होता है उसी तरह अल्लाह तआ़ला इसका बदला ज़रूर देंगे।

6. यहाँ उस शख़्स का हाल बयान नहीं फ़रमाया जो कुफ़्र न करे लेकिन आमाल की पूरी पाबन्दी भी न करे, और क़ुरआन मजीद में अक्सर जगह यही आ़दत है कि इताअ़त में जो कामिल हो और मुख़ालफ़त में जो कामिल हो ज़्यादा ज़िक्र उन्हीं का होता है, वजह यह है कि दोनों तरफ़ वालों के हाल से बीच का हाल अ़क़्लमन्द को ख़ुद अन्दाज़े और क़्यास से मालूम हो जाता है, कि उनकी ऐसी जज़ा होगी, ऐसी सज़ा होगी, फिर हदीसों में तफ़सील मालूम हो गई।

सिर्फ़ उनके अ़हद तोड़ने की वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया, और हमने उनके दिलों को कठोर कर दिया। वे लोग कलाम को उसके मौक़ों से बदलते हैं,[1] और वे लोग जो कुछ उनको नसीहत की गई थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा ज़ाया कर बैठे, और आपको आए दिन किसी न किसी (नई) ख़ियानत की इत्तिला होती रहती है[2] जो उनसे सादिर होती है सिवाय उनमें के गिनेचुने चन्द शख़्सों के, सो आप उनको माफ़ कीजिए और उनसे दरगुज़र कीजिए, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला अच्छा मामला करने वाले लोगों से मुहब्बत करता है।[3] **(13)** और जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हमने उनसे भी उनका अ़हद लिया था, सो वे भी जो कुछ उनको नसीहत की गई उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा ज़ाया कर बैठे, तो हमने उनमें आपस में क़ियामत तक के लिए बुग़्ज़ और दुश्मनी डाल दी, और उनको अल्लाह तआ़ला उनका किया हुआ जतला देंगे।[4] **(14)** ऐ किताब वालो! तुम्हारे पास हमारे (ये) रसूल आए हैं, किताब में से जिन उमूर को तुम छुपाते हो उनमें से बहुत-सी बातों को तुम्हारे सामने साफ़-साफ़ खोल देते हैं और बहुत-से उमूर को दरगुज़र कर देते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से एक रोशन चीज़ आई है और एक स्पष्ट किताब **(15)** कि उसके ज़रिए से अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्सों को जो हक़ की रिज़ा के तालिब हों सलामती की राहें बतलाते हैं, और उनको अपनी तौफ़ीक़ से अन्धेरियों से निकाल कर नूर की तरफ़ ले आते हैं,[5] और उनको सही रास्ते पर क़ायम रखते हैं।[6] **(16)** बिला शुब्हा वे लोग काफ़िर हैं जो (यूँ) कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ऐन मसीह इब्ने मरियम है। आप (यूँ) पूछिए (कि अगर ऐसा है तो यह बतलाओ) कि अगर अल्लाह तआ़ला हज़रत मसीह इब्ने मरियम को और उनकी माँ को और जितने ज़मीन में हैं उन सबको हलाक करना चाहें तो कोई शख़्स ऐसा है जो ख़ुदा तआ़ला से उनको ज़रा भी बचा सके, और अल्लाह तआ़ला ही के लिए ख़ास है हुकूमत आसमानों पर और ज़मीन पर, और जितनी चीज़ें इन दोनों के दरमियान हैं उनपर, और वह जिस चीज़ को चाहें पैदा कर दें, और अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत है।[7] **(17)** और यहूद व नसारा ''यानी ईसाई'' दावा

---

1. यानी लफ़्ज़ी रद्दोबदल या मायनों में रद्दोबदल करते हैं।
2. नई ख़ियानत यह कि एक बार जैसे रज्म (यानी अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा हो तो पत्थरों से हलाक करने) के हुक्म को छुपा लिया। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरियाफ़्त फ़रमाने पर तौरात का एक मज़मून ग़लत बयान कर दिया, जिसपर आयत ''ला तह्स-बन्नल्लज़ी-न यफ़्रहू-न'' नाज़िल हुई थी, और जैसे हलाल चीज़ों के हराम करने के क़दीमी होने का एक बार ग़लत दावा किया था जिसपर शुरू पारः लन्-तनालू में आयत ''कुल् फ़अ्तू बित्तौराति'' नाज़िल हुई और वे सब ग़लत बयानियाँ जिनकी तफ़सील मय उनके बातिल होने के क़ुरआन मजीद में जगह-जगह मज़कूर है, इसमें दाख़िल हैं, जैसे ''लन् तमस्स-नन्नारु'' और ''लँय्यदख़ुलल् जन्न-त इल्ला मन् का-न हूदन् औ नसारा'' और ''नह्नु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहू'' और इसी तरह दूसरी ग़लत बयानियाँ।
3. ऊपर यहूद का हाल था आगे कुछ ईसाइयों का हाल बयान फ़रमाते हैं।
4. ऊपर यहूद व ईसाइयों का अलग-अलग ज़िक्र था, आगे दोनों को जमा करके नसीहत का ख़िताब फ़रमाते हैं।
5. क़ुरआन के ज़रिये से सलामती की राहें बतलाना आ़म है लेकिन यहाँ रिज़ा-ए-हक़ के तालिबों को इसलिए ख़ास किया गया कि इससे फ़ायदा वही लोग उठाते हैं।
6. ऊपर आयत ''व मिनल्लज़ी-न क़ालू इन्ना नसारा'' में ईसाइयों के अ़हद तोड़ने का मुख़्तसर तौर पर बयान था, आगे उनके बाज़ अ़क़ायद को तय किया गया है कि वह तौहीद में ख़लल डालना है।
7. ऊपर यहूद और ईसाइयों के बाज़-बाज़ बुरे आमाल और ख़राबियाँ ज़िक्र की गई थीं आगे उनमें से एक मुश्तरका और मामले और उसके बातिल होने का बयान है, यानी दोनों फ़रीक़ बावजूद कुफ़्र व नाफ़रमानी के अपने अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मुक़र्रब और मक़बूल होने के दावेदार थे।

करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं,[1] आप (यह) पूछिए कि (अच्छा तो) फिर तुमको तुम्हारे गुनाहों के बदले अ़ज़ाब क्यों देंगे, बल्कि तुम भी और सब मख़्लूक़ ही की तरह के एक (मामूली) आदमी हो, अल्लाह तआ़ला जिसको चाहेंगे बख़्शेंगे और जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे, और अल्लाह तआ़ला ही की है सब हुकूमत आसमानों में भी और ज़मीन में भी और जो कुछ उनके दरमियान में है (उनमें भी)। उसी की (यानी अल्लाह ही की) तरफ़ सबको लौटकर जाना है। **(18)** ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास हमारे (ये) रसूल आ पहुँचे जो कि तुमको साफ़-साफ़ बतलाते हैं, ऐसे वक़्त में कि रसूलों का सिलसिला मौक़ूफ़ "यानी रुका हुआ और बन्द" था,[2] ताकि तुम (यूँ न) कहने लगो कि हमारे पास कोई ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला नहीं आया। सो तुम्हारे पास ख़ुशख़बरी देने वाले और डराने वाले आ चुके हैं, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। **(19)** ❖

और (वह वक़्त भी ज़िक्र के क़ाबिल है) जब मूसा ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआ़ला के इनाम को जो कि तुमपर हुआ है याद करो, जबकि अल्लाह तआ़ला ने तुममें से बहुत-से पैग़म्बर बनाए और तुमको मुल्क वाला बनाया और तुमको वे चीज़ें दीं जो दुनिया जहान वालों में से किसी को नहीं दीं। **(20)** ऐ मेरी क़ौम! बरकत वाले मुल्क में दाख़िल हो कि इसको अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया, और पीछे वापस मत चलो कि फिर बिलकुल ख़सारे में पड़ जाओगे।[3] **(21)** कहने लगे कि ऐ मूसा! वहाँ तो बड़े-बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और हम तो वहाँ हरगिज़ क़दम न रखेंगे जब तक कि वे वहाँ से (न) निकल जाएँ, (हाँ) अगर वे वहाँ से (कहीं और) चले जाएँ तो हम बेशक जाने को तैयार हैं। **(22)** उन दो शख़्सों ने जो कि डरने वालों में से थे, जिनपर अल्लाह तआ़ला ने फ़ज़्ल किया था, कहा कि तुम उनपर दरवाज़े तक तो चलो, सो जिस वक़्त तुम दरवाज़े में क़दम रखोगे उसी वक़्त ग़ालिब आ जाओगे, और अल्लाह तआ़ला पर नज़र रखो अगर तुम ईमान रखते हो। **(23)** कहने लगे कि ऐ मूसा! हम तो हरगिज़ कभी भी वहाँ क़दम न रखेंगे जब तक वे लोग वहाँ मौजूद हैं, तो आप और

---

1. मतलब यह मालूम होता है कि हमको इस वजह से कि नबियों की औलाद व नस्ल से हैं दूसरे लोगों की बनिस्बत अगरचे वे हमारे मज़हब के क्यों न हों, अल्लाह तआ़ला के साथ यह खुसूसियत है कि हमसे बावजूद नाफ़रमानियों के भी औरों के बराबर नाखुश नहीं होते, जैसे बाप के साथ औलाद को यह खुसूसियत होती है कि अगर वह नाफ़रमानी भी करे तब भी उसके दिल पर वह असर नहीं होता जो किसी ग़ैर-आदमी के उसी की नाफ़रमानी करने से होता है, अल्लाह तआ़ला इसका रद्द फ़रमाते हैं।
2. ईसा अ़लैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरमियान जो ज़माना है वह ज़माना "फ़ित्रत" का कहलाता है। इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि यह ज़माना छह सौ साल का है, और इस दरमियान में कोई नबी नहीं भेजे गए।
3. दुनिया में भी मुल्क के विस्तार से महरूम रहोगे और आख़िरत में भी कि जिहाद के फ़रीज़े को छोड़ने से गुनाहगार होगे।

आपके अल्लाह मियाँ चले जाइए और दोनों लड़-भिड़ लीजिए, हम तो यहाँ से सरकते नहीं। **(24)** (मूसा) दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं अपनी जान और अपने भाई पर अलबत्ता इख़्तियार रखता हूँ। सो आप हम दोनों के और इस नाफ़रमान क़ौम के दरमियान फ़ैसला फ़रमा दीजिए। **(25)** इरशाद हुआ कि यह (मुल्क) तो उनके हाथ चालीस साल तक न लगेगा, यूँ ही ज़मीन में सर मारते फिरते रहेंगे।[1] सो आप इस बेहुक्म क़ौम पर ग़म न कीजिए।[2] **(26)** ❖

और आप इन अहले किताब को आदम के दो बेटों का क़िस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए, जबकि दोनों ने एक-एक नियाज़ पेश की और उनमें से एक की तो मक़बूल हो गई और दूसरे की मक़बूल न हुई। (वह दूसरा) कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर क़त्ल करूँगा, (उस एक ने) जवाब दिया कि ख़ुदा तआ़ला मुत्तक़ियों का ही अ़मल क़बूल करते हैं। ● **(27)** अगर तू मुझपर मेरे क़त्ल करने के लिए दस्त-दराज़ी करेगा जब भी मैं तुझपर तेरे क़त्ल करने के लिए हरगिज़ दस्त-दराज़ी करने वाला नहीं, मैं तो ख़ुदा परवर्दिगारे आ़लम से डरता हूँ। **(28)** मैं (यूँ) चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, फिर तू दोज़ख़ियों में शामिल हो जाए, और यही सज़ा होती है ज़ुल्म करने वालों की। **(29)** सो उसके जी ने उसको अपने भाई के क़त्ल पर आमादा कर दिया, फिर उसको क़त्ल ही कर डाला जिससे बड़े नुक़सान उठाने वालों में शामिल हो गया। **(30)** फिर अल्लाह तआ़ला ने एक कौआ भेजा कि वह ज़मीन को खोदता था ताकि उसको तालीम कर दे कि अपने भाई की लाश को किस तरीक़े से छुपाए। कहने लगा कि अफ़सोस मेरी हालत पर! क्या मैं इससे भी गया गुज़रा कि इस कौए ही के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता, सो बड़ा शर्मिन्दा हुआ।[3] **(31)** इसी वजह से हमने बनी इसराईल पर यह लिख दिया कि जो शख़्स किसी शख़्स को बिना मुआ़वज़ा दूसरे शख़्स के या बिना किसी फ़साद के (जो ज़मीन में उससे

---

1. चुनाँचे चालीस साल तक ज़मीन के एक महदूद हिस्से में हैरान व परेशान फिरा किए, यहाँ तक कि सब वहाँ ही ख़त्म हो चुके। इस मुद्दत में उनके जो औलाद पैदा हुई उनको रिहाई हासिल हुई। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और उनसे ज़रा मुद्दत पहले हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम भी उस वादी में जिसे वादी-ए-तीह कहते हैं इन्तिक़ाल फ़रमा गए और हज़रत यूशा अ़लैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है पैग़म्बर हुए और उनकी मारफ़त इस नई नस्ल बनी इसराईल को उस मुल्क की फ़त्ह का हुक्म हुआ, चुनाँचे सबने उनके साथ होकर जिहाद किया और फ़त्ह हुई।

2. ऊपर अहले किताब की बहुत-सी बुराइयों में से उनका यह क़ौल नक़्ल फ़रमाया था कि "नह्नु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहू" जिसका मन्शा अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की औलाद में होने पर फ़ख़्र था, हक़ तआ़ला इस घमण्ड के तोड़ने के लिए आगे हाबील व क़ाबील का क़िस्सा बयान फ़रमाते हैं कि आदम अ़लैहिस्सलाम के हक़ीक़ी बेटे होने में इन मुद्दइयों से बढ़कर दोनों भाई बराबर थे, मगर उनमें भी मक़बूल वही हुआ जो हुक्म का फ़रमाँबरदार रहा, यानी हाबील, और दूसरे ने नाफ़रमानी की तो वह मरदूद हो गया और आदम का बेटा होना कुछ काम न आया।

3. आयत के आख़िर में जो उसका शर्मिन्दा होना ज़िक्र किया गया है, यह शर्मिन्दा होना मुफ़स्सिरीन के क़ौल के मुताबिक़ क़त्ल पर नहीं, ताकि तौबा का शुब्हा हो, बल्कि क़त्ल करने पर जो परेशानियाँ पेश आईं उनपर है, जैसे लाश के दफ़न में हैरान होना और कौए की तालीम का मोहताज होना और बद-हवास हो जाना, या बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि बदन का काला हो जाना और आदम अ़लैहिस्सलाम का नाराज़ हो जाना।

फैला हो) क़त्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम आदमियों को क़त्ल कर डाला। और जो शख़्स किसी शख़्स को बचा ले तो गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया, और उनके (यानी बनी इसराईल के) पास हमारे बहुत-से पैग़म्बर भी खुले दलाइल लेकर आए, फिर उसके बाद भी उनमें से बहुत-से दुनिया में ज़्यादती करने वाले ही रहे।[1] **(32)** जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं[2] और मुल्क में फ़साद फैलाते फिरते हैं,[3] उनकी यही सज़ा है कि क़त्ल किए जाएँ या सूली दिए जाएँ या उनके हाथ और पाँव मुख़ालिफ़ जानिब से काट दिए जाएँ या ज़मीन पर से निकाल दिए जाएँ। यह उनके लिए दुनिया में सख़्त रुस्वाई है और उनको आख़िरत में बड़ा अ़ज़ाब होगा। **(33)** हाँ मगर जो लोग इससे पहले कि तुम उनको गिरफ़्तार करो तौबा कर लें तो जान लो कि बेशक अल्लाह तआ़ला बख़्श देंगे, मेहरबानी फ़रमा देंगे।[4] **(34)** ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से डरो और अल्लाह तआ़ला का क़ुर्ब "यानी निकटता" ढूँढो और अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद किया करो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे।[5] **(35)** यक़ीनन जो लोग काफ़िर हैं अगर उनके पास तमाम दुनिया भर की चीज़ें हों और उन चीज़ों के साथ इतनी चीज़ें और भी हों ताकि वे उसको देकर क़ियामत के दिन के अ़ज़ाब से छूट जाएँ तब भी वे चीज़ें उनसे क़बूल न की जाएँगी और उनको दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। **(36)** (इस बात की) ख़्वाहिश करेंगे कि दोज़ख़ से निकल आएँ और वे उससे (कभी) न निकलेंगे और उनको हमेशा का अ़ज़ाब होगा। **(37)** और जो मर्द चोरी करे और जो औ़रत चोरी करे, सो उन दोनों के (दाहिने) हाथ (गट्टे पर से) काट डालो उनके किरदार के बदले में बतौर सज़ा के, अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से, और अल्लाह तआ़ला बड़े क़ुव्वत वाले हैं (जो सज़ा चाहें मुक़र्रर फ़रमाएँ) बड़ी हिक्मत वाले हैं (कि मुनासिब ही सज़ा मुक़र्रर फ़रमाते हैं)।[6] **(38)** फिर जो शख़्स अपनी (इस) ज़्यादती के बाद तौबा करे और (आमाल की) दुरुस्ती रखे तो

---

1. बहुत-से इसलिए फ़रमाया कि बाज़े इताअ़त करने वाले और फ़रमाँबरदार भी थे।

2. ऊपर नाहक़ क़त्ल की जो बिला मुआ़वज़ा किसी शख़्स के क़त्ल या ज़मीन में फ़साद के हो, बुराई व क़बाहत बयान फ़रमाई थी, आगे क़त्ल और उसके तहत आने वाले जैसे हाथ-पैर काटना और सज़ा का जारी करना जो कि हक़ के साथ हो, यानी ज़मीन में फ़साद फैलाने और क़त्ल के बदले में क़त्ल करने के सबब से हो, इसका जायज़ और शरीअ़त में पसन्दीदा होना बयान फ़रमाते हैं, इसलिए पहले राहगीरों से लूटपाट करने वालों का हुक्म फिर चोर का हुक्म मज़कूर होता है, और उसके दरमियान और मज़मून ख़ास मुनासबत की वजह से लाया गया है।

3. मुराद इससे रहज़नी और डकैती है।

4. मतलब यह है कि ऊपर जो सज़ा मज़कूर हुई है वह अल्लाह के हक़ और सज़ा के तौर पर है, जो कि बन्दे के माफ़ करने से माफ़ नहीं होती, क़िसास व बन्दे के हक़ के तौर पर नहीं जो कि बन्दे के माफ़ करने से माफ़ हो जाता है, पस जब गिरफ़्तारी से पहले उन लोगों का तौबा करने वाला होना साबित हो जाए तो सज़ा ख़त्म हो जाएगी जो कि अल्लाह का हक़ था, अलबत्ता बन्दे का हक़ बाक़ी रहेगा। पस अगर माल लिया होगा तो उसका ज़िमान देना पड़ेगा और क़त्ल किया होगा तो उसका क़िसास लिया जाएगा। लेकिन इस ज़िमान व क़िसास के माफ़ करने का हक़ माल वाले और मक़्तूल के वली को हासिल होगा।

5. वह कामयाबी अल्लाह की रज़ामन्दी का हासिल होना और दोज़ख़ से नजात है।

6. माल की कम से कम मिक़्दार जिसमें हाथ काटा जाता है दस दिरम है।

बेशक अल्लाह उसपर तवज्जोह फ़रमाएँगे, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। **(39)** क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए (साबित) है हुकूमत सब आसमानों की और ज़मीन की, वह जिसको चाहें सज़ा दें और जिसको चाहें माफ़ कर दें, और अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है।[1] **(40)** ऐ रसूल! जो लोग कुफ़्र में दौड़-दौड़ गिरते हैं[2] आपको ग़मगीन न करें, (चाहे वे) उन लोगों में (हों) जो अपने मुँह से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए और उनके दिल यक़ीन नहीं लाए,[3] और (चाहे) उन लोगों में से हों जो यहूदी हैं। ये लोग ग़लत बातों के सुनने के आ़दी हैं, (आपकी बातें) दूसरी क़ौम की ख़ातिर कान धर-धर सुनते हैं। (जिस क़ौम के ये हालात हैं) कि आपके पास नहीं आए, कलाम को बाद इसके कि वह अपने मौक़े पर होता है बदलते रहते हैं। कहते हैं कि अगर तुमको यह (हुक्म) मिले तब तो इसको क़बूल कर लेना और अगर तुमको यह हुक्म न मिले तो एहतियात रखना। और जिसका ख़राब होना ख़ुदा तआ़ला ही को मन्ज़ूर हो[4] तो उसके लिए अल्लाह से तेरा कुछ ज़ोर नहीं चल सकता। ये लोग ऐसे हैं कि अल्लाह को उनके दिलों का पाक करना मन्ज़ूर नहीं हुआ,[5] उन लोगों के लिए दुनिया में रुस्वाई है और आख़िरत में उनके लिए बड़ी सज़ा है। **(41)** ये लोग ग़लत बातों के सुनने के आ़दी हैं, बड़े हराम खाने वाले हैं, तो अगर ये लोग आपके पास आएँ तो (आप मुख़्तार हैं) चाहे आप उनमें फ़ैसला कर दीजिए या उनको टाल दीजिए, और अगर आप उनको टाल दें तो उनकी मजाल नहीं कि वे आपको ज़रा भी नुक़सान पहुँचा सकें, और अगर आप फ़ैसला करें तो उनमें इन्साफ़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कीजिए,[6] बेशक अल्लाह इन्साफ़ करने वालों से मुहब्बत करते हैं।[7] **(42)** और वे आपसे कैसे फ़ैसला कराते हैं हालाँकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर उसके बाद हट जाते हैं, और ये लोग हरगिज़ एतिक़ाद वाले नहीं। **(43)** ❖

1. सूरः के तीसरे रुकूअ़ से अहले किताब का ज़िक्र चला आ रहा था, दरमियान में थोड़े से और बाज़ मज़ामीन ख़ास-ख़ास मुनासबत से आ गए थे। अब आगे फिर उसी अहले किताब के ज़िक्रे की तरफ़ लौटते हैं, जिनमें यहूद और उन यहूद में जो मुनाफ़िक़ थे, और ईसाई सब दाख़िल हैं, अहले किताब के इन्हीं तीनों फ़िर्क़ों का ज़िक्र मिले-जुले अन्दाज़ में यहाँ से दूर तक यानी पारः के ख़त्म तक चला गया है, फिर सूरः के ख़त्म के क़रीब ख़ास ईसाइयों के मुताल्लिक़ कुछ बयान आएगा।
2. यानी बेतकल्लुफ़ रग़बत से उन बातों को करते हैं।
3. मुराद मुनाफ़िक़ लोग हैं जो कि एक वाक़िए में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए थे।
4. यह पैदाइशी मन्ज़ूरी उस गुमराह के गुमराही का इरादा करने के बाद होती है।
5. क्योंकि यह इरादा ही नहीं करते इसलिए अल्लाह तआ़ला पैदाइशी पाक करने का अ़मल नहीं फ़रमाते बल्कि उनके गुमराही के इरादे की वजह से पैदाइशी तौर पर उनका ख़राब ही होना मन्ज़ूर है। पस ज़िक्र हुए क़ायदे के मुवाफ़िक़ कोई शख़्स उनको हिदायत नहीं कर सकता। मतलब यह है कि जब ये ख़ुद ख़राब रहने का पुख़्ता इरादा रखते हैं और इरादे के बाद उस फ़ेल की पैदाइश और वजूद में लाना अल्लाह की आ़दत है और अल्लाह को किसी चीज़ को वजूद में लाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर उनके राह पर आने की क्या उम्मीद की जाए, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ज़्यादा तसल्ली हो सकती है, जिससे कलाम शुरू भी हुआ था। पस कलाम की शुरूआ़त व आख़िर तसल्ली के मज़मून से हुआ। आगे उन आमाल का समरा (नतीजा और फल) बयान फ़रमाते हैं।
6. यानी इस्लामी क़ानून के मुवाफ़िक़।
7. और वह इन्साफ़ अब इस्लामी क़ानून में मुन्हसिर (यानी सीमित और महदूद) हो गया है, पस वही लोग महबूब होंगे जो इस क़ानून के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेंगे।

हमने तौरात नाज़िल फ़रमाई थी जिसमें हिदायत थी और वज़ाहत थी, अम्बिया जो कि अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार थे उसके मुवाफ़िक़ यहूद को हुक्म दिया करते थे, और अल्लाह वाले और उलमा भी इस वजह से कि उनको उस अल्लाह की किताब की हिफ़ाज़त का हुक्म दिया गया था और वे उसके इक़रारी हो गए थे, सो तुम भी लोगों से अन्देशा मत करो और मुझसे डरो और मेरे अहकाम के बदले में मता-ए-क़लील "यानी मामूली फ़ायदा" मत लो, और जो शख़्स अल्लाह के नाज़िल किए हुए के मुवाफ़िक़ हुक्म न करे सो ऐसे लोग बिलकुल काफ़िर हैं। **(44)** और हमने उनपर उसमें यह बात फ़र्ज़ की थी कि जान बदले जान के, और आँख बदले आँख के, और नाक बदले नाक के, और कान बदले कान के, और दाँत बदले दाँत के, और ख़ास ज़ख़्मों का भी बदला है, फिर जो शख़्स उसको माफ़ कर दे तो वह उसके लिए कफ़्फ़ारा हो जाएगा,[1] और जो शख़्स ख़ुदा के नाज़िल किए हुए के मुवाफ़िक़ हुक्म न करे, तो ऐसे लोग बिलकुल सितम कर रहे हैं।[2] **(45)** और हमने उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम (अ़लैहिमस्सलाम) को इस हालत में भेजा कि वे अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक़ फ़रमाते थे, और हमने उनको इन्जील दी जिसमें हिदायत थी और वज़ाहत थी और अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक़ करती थी, और वह (सरासर) हिदायत और नसीहत थी (ख़ुदा से) डरने वालों के लिए। **(46)** और इन्जील वालों को चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो कुछ उसमें नाज़िल फ़रमाया है उसके मुवाफ़िक़ हुक्म किया करें, और जो शख़्स ख़ुदा तआला के नाज़िल किए हुए के मुवाफ़िक़ हुक्म न करे तो ऐसे लोग बिलकुल बेहुक्मी करने वाले हैं।[3] **(47)** और हमने (यह) किताब[4] आपके पास भेजी है जो (ख़ुद भी) सच्चाई के साथ मौसूफ़ है और इससे पहले जो किताबें हैं उनकी तस्दीक़ करती है, और उन (किताबों) की मुहाफ़िज़ है, तो उनके आपसी मामलात में इस भेजी हुई (किताब) के मुवाफ़िक़ फ़ैसला फ़रमाया कीजिए, और यह जो सच्ची किताब आपको मिली है इससे दूर होकर उनकी ख़्वाहिशों पर अ़मल दरामद न कीजिए, तुममें से हर एक के लिए हमने (ख़ास) शरीअ़त और (ख़ास) तरीक़ा तजवीज़ किया था। और अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देते, लेकिन (ऐसा नहीं किया) ताकि जो दीन तुमको दिया है उसमें तुम सबका इम्तिहान फ़रमाएँ, तो मुफ़ीद बातों की तरफ़ दौड़ो,[5] तुम सबको ख़ुदा ही के पास जाना है, फिर वह तुम सबको जतला देगा, जिसमें तुम इख़्तिलाफ़ किया करते थे। **(48)** और (हम एक

1. यानी माफ़ करना सवाब का सबब है।

2. मसाइलः मसला नम्बर १. क़िसास उस क़त्ल या जुर्म में है जो नाहक़ और जान-भूझकर हो, इसलिए कि हक़ पर क़त्ल करना दुरुस्त है, और ग़लती से किए गए क़त्ल में दियत (यानी ख़ून-बहा) है। **मसला नम्बर २.** जान के बदले जान में आज़ाद व ग़ुलाम, मुसलमान व काफ़िर, ज़िम्मी, मर्द व औ़रत, बड़ा व छोटा, शरीफ़ व रज़ील, बादशाह और रइय्यत सब दाख़िल हैं, अलबत्ता ख़ुद अपने ममलूक ग़ुलाम और अपनी औलाद के क़िसास में न मारा जाना इज्मा व हदीस से साबित है।

3. ऊपर तौरात व इन्जील का अपने-अपने दौर में वाजिबुल-अ़मल होना (जिसपर अ़मल करना वाजिब हो) बयान फ़रमाया है। आगे क़ुरआन मजीद का अपने दौर में जो कि इसके नाज़िल होने के ज़माने से क़ियामत आने तक है, वाजिबुल-अ़मल होना बयान फ़रमाते हैं।

4. यानी क़ुरआन मजीद।

5. यानी उन अ़क़ीदों, आमाल और अहकाम की तरफ़ दौड़ो जिनपर क़ुरआन मुश्तमिल है, यानी क़ुरआन पर ईमान लाकर इसपर चलो।

बार फिर हुक्म देते हैं कि) आप उनके आपसी मामलात में इस भेजी हुई (किताब) के मुवाफ़िक़ फ़ैसला फ़रमाया कीजिए और उनकी ख़्वाहिशों पर अ़मल दरामद न कीजिए और उनसे (यानी उनकी इस बात से) एहतियात रखिए कि वे आपको ख़ुदा तआ़ला के भेजे हुए किसी हुक्म से भी बिचला दें, फिर अगर ये लोग मुँह मोड़ें तो (यह) यक़ीन कर लीजिए कि बस ख़ुदा ही को मन्ज़ूर है कि उनके बाज़े जुर्मों पर उनको सज़ा दें, और ज़्यादा आदमी तो बेहुक्म ही (होते) हैं। **(49)** क्या ये लोग ज़माना-ए-जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं, और फ़ैसला करने में अल्लाह से अच्छा कौन होगा यक़ीन रखने वालों के नज़दीक।[1] **(50)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुम यहूद और ईसाइयों को दोस्त मत बनाना। वे एक दूसरे के दोस्त हैं।[2] और जो शख़्स तुममें से उनके साथ दोस्ती करेगा बेशक वह उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह तआ़ला समझ नहीं देते उन लोगों को जो अपना नुक़सान कर रहे हैं। **(51)** (इसी लिए) तुम ऐसे लोगों को जिनके दिल में मर्ज़ है देखते हो कि दौड़-दौड़कर उनमें घुसते हैं, कहते हैं कि हमको अन्देशा है कि हमपर कोई हादसा पड़ जाए, सो क़रीब ही उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला कामिल फ़त्ह को ज़ाहिर फ़रमा दे या किसी और बात को ख़ास अपनी तरफ़ से,[3] फिर अपने छुपे हुए दिली ख़्यालात पर शर्मिन्दा होंगे।[4] **(52)** और मुसलमान लोग कहेंगेः (अरे) क्या ये वही लोग हैं कि बड़े मुबालग़े से "यानी बढ़-बढ़कर" अल्लाह तआ़ला की क़स्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन लोगों की सारी कार्यवाहियाँ ग़ारत गईं, जिससे नाकाम रहे।[5] ▲ **(53)** ऐ ईमान वालो! जो शख़्स तुममें से अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह बहुत जल्दी ऐसी क़ौम पैदा कर देगा जिससे उसको (यानी अल्लाह तआ़ला को) मुहब्बत होगी और उनको उससे (यानी अल्लाह तआ़ला से) मुहब्बत होगी। वे मुसलमानों पर मेहरबान होंगे और काफ़िरों पर तेज़ होंगे, जिहाद करते होंगे अल्लाह की राह में, और वे लोग किसी मलामत करने वाले की मलामत का अन्देशा न करेंगे।[6] यह अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल है जिसको चाहें अ़ता फ़रमाएँ, और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसअ़त वाले हैं, बड़े इल्म वाले हैं। **(54)** तुम्हारे

1. ऊपर यहूद व ईसाइयों की बद-आमाली और बुराइयाँ मज़कूर हुई हैं और बाज़ मुनाफ़िक़ लोग जो कि ज़ाहिर में इस्लाम के दावेदार थे, उनसे बाज़ वहमी मस्लहतों की बिना पर दोस्ती रखते थे, इसलिए आगे इसी मज़मून की मुनासबत से ईमान वालों को उनके साथ दोस्ती करने से मना फ़रमाते हैं कि जब उन लोगों के ये हालात हैं तो उनका तक़ाज़ा तो यही है कि उनसे मुनाफ़िक़ों की तरह हरगिज़ दोस्ती मत करो, ईमान वालों को मना करने के बाद उन मुनाफ़िक़ों की निन्दा और उन मस्लहतों का बातिल होना और अन्जामकार उनका नदामत यानी शर्मिन्दगी उठाना बतौर पेशीनगोई (यानी भविष्यवाणी) के मज़कूर है।
2. मतलब यह है कि दोस्ती होती है ताल्लुक़ से, सो उनमें आपस में तो ताल्लुक़ है मगर तुममें और उनमें क्या मुनासबत और ताल्लुक़?
3. मतलब यह है कि मुसलमानों की फ़त्ह और मुनाफ़िक़ों की छुपी हालत ज़ाहिर होना दोनों बातें जल्द ही होने वाली हैं।
4. एक शर्मिन्दगी तो अपने ख़्याल की ग़लती पर कि फ़ितरी बात है, दूसरी शर्मिन्दगी अपने निफ़ाक़ पर जिसकी बदौलत आज रुस्वा हुए, 'मा असर्रू' में ये दोनों दाख़िल हैं, और तीसरी शर्मिन्दगी कुफ़्फ़ार के साथ दोस्ती करने पर कि बेकार ही गई और मुसलमानों से भी बुरे बने चूँकि यह दोस्ती 'मा असर्रू' पर मुन्हसिर थी, इसलिए इन दो नदामतों के ज़िक्र से यह तीसरी साफ़ तौर पर ज़िक्र किए बिना ही ख़ुद समझ में आ गई।
5. चुनाँचे यह पेशीनगोई सच्ची हुई, उन मुनाफ़िक़ों की ज़्यादा दोस्ती मदीने के यहूद और मक्का के मुश्रिकीन से थी, मक्का फ़त्ह हो गया और यहूद तबाह व बर्बाद हुए जिसका ज़िक्र कई बार आ चुका है।
6. चुनाँचे बाज़े लोग इस्लाम से फिर गए थे लेकिन ख़ुदा तआ़ला ने अपनी इस पेशीनगोई के मुवाफ़िक़ मुख़्लिस मोमिनों के हाथों हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में उनका ख़ात्मा फ़रमा दिया, बाज़ ने तौबा कर ली थी। बहर हाल इस्लाम को कोई कमज़ोरी या नुक़सान नहीं पहुँचा।

दोस्त तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले लोग हैं जो कि इस हालत से नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और ज़कात देते हैं कि उनमें ख़ुशूअ़ "यानी आ़जिज़ी और गिड़गिड़ाना" होता है।[1] (55) और जो शख़्स अल्लाह से दोस्ती रखेगा और उसके रसूल से और ईमान वाले लोगों से, सो अल्लाह का गिरोह बिला शक ग़ालिब है। (56) ❖

ऐ ईमान वालो! जिन लोगों को तुमसे पहले किताब मिल चुकी है, जो ऐसे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे दीन को हँसी और खेल बना रखा है, उनको और दूसरे कुफ़्फ़ार को दोस्त मत बनाओ, और अल्लाह तआ़ला से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। (57) और जब तुम नमाज़ के लिए ऐलान करते हो तो वे लोग उसके साथ हँसी और खेल करते हैं, यह इस सबब से है कि वे लोग ऐसे हैं कि बिलकुल अ़क्ल नहीं रखते।[2] (58) आप कहिए कि ऐ अहले किताब! तुम हममें कौन-सी बात ऐबदार और बुरी पाते हो, सिवाय इसके कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उसपर जो हमारे पास भेजी गई है और उसपर जो पहले भेजी जा चुकी है बावजूद इसके कि तुममें अक्सर लोग ईमान से ख़ारिज हैं।[3] (59) आप कहिए कि क्या मैं तुमको ऐसा तरीक़ा बतलाऊँ जो इससे भी ख़ुदा के यहाँ पादाश "यानी नतीजा और बदला" मिलने में ज़्यादा बुरा हो। वह उन शख़्सों का तरीक़ा है जिनको अल्लाह तआ़ला ने दूर कर दिया हो और उनपर ग़ज़ब फ़रमाया हो और उनको बन्दर और सुअर बना दिया हो, और उन्होंने शैतान की परस्तिश की हो, ऐसे लोग मक़ाम के एतिबार से भी बहुत बुरे हैं और सही रास्ते से भी बहुत दूर हैं।[4] (60) और जब ये लोग तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालाँकि वे कुफ़्र को ही लेकर आए थे और कुफ़्र को ही लेकर चले गए, और अल्लाह तआ़ला तो ख़ूब जानते हैं जिसको ये छुपाते हैं। (61) और आप उनमें बहुत आदमी ऐसे देखते हैं जो दौड़-दौड़कर गुनाह और ज़ुल्म और हराम खाने पर गिरते हैं, वाक़ई उनके ये काम (बहुत) बुरे हैं। (62) उनको नेक लोग और उलमा गुनाह की बात कहने से और हराम माल खाने से क्यों नहीं

1. यानी अक़ायद व अख़्लाक़ और बदनी व माली आमाल सब के जामे हैं।

2. यह इशारा है दो क़िस्सों की तरफ़, एक यह कि जब अज़ान होती और मुसलमान नमाज़ शुरू करते तो यहूद कहते कि यह खड़े होते हैं, ख़ुदा करे कभी खड़ा होना नसीब न हो। और जब उनको रुकूअ़ व सज्दा करते देखते तो हँसते और मज़ाक़ उड़ाते। दूसरा क़िस्सा यह है कि मदीना में एक ईसाई था, जब अज़ान सुनता "अश्हदु अन्-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह" तो कहता "क़द ह-रक़ल् काज़िब" यानी झूठा जल जाए। एक रात ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि वह और उसके घर वाले और बाल बच्चे सब सो रहे थे। कोई ख़ादिम घर में आग लेकर गया, एक चिंगारी गिर पड़ी। वह, उसका घर और घर वाले सब जल गए। यह तो "अल्लज़ी-न ऊतुल् किता-ब" के मिस्दाक़ थे और "अल्-कुफ़्फ़ार" के मिस्दाक़ का एक क़िस्सा यह हुआ था कि रिफ़ाआ़ बिन ज़ैद बिन ताबूत और सुवैद बिन हारिस ने दिखावे के तौर पर इस्लाम का इज़्हार किया था। बाज़े मुसलमान उनसे मिलना-जुलना रखते थे। इन सब वाक़िआ़त पर ये आयतें नाज़िल हुईं।

3. अक्सर इसलिए फ़रमाया कि कुछ न कुछ हर ज़माने में ईमान वाले रहे।

4. जिनसे दोस्ती करने की ऊपर मुमानअ़त फ़रमाई उनमें बाज़े मुनाफ़िक़ थे जो ऊपर भी लफ़्ज़ "अल-कुफ़्फ़ार" में या लफ़्ज़ के आ़म होने में यहूद दाख़िल होकर मज़कूर हैं, आगे उनकी एक ख़ास हालत बयान फ़रमाते हैं।

मना करते, वाक़ई उनकी यह आ़दत बुरी है। **(63)** और यहूद ने कहा कि अल्लाह तआ़ला का हाथ बन्द हो गया है,[1] उन्हीं के हाथ बन्द हैं और अपने इस कहने से ये रहमत से दूर कर दिए गए। बल्कि अल्लाह तआ़ला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं,[2] जिस तरह चाहते हैं ख़र्च करते हैं।[3] और जो (मज़मून) आपके पास आपके परवर्दिगार की तरफ़ से भेजा जाता है वह उनमें से बहुतों की सरकशी और कुफ़्र की तरक़्क़ी का सबब हो जाता है, और हमने उनमें आपस में क़ियामत तक दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। जब कभी लड़ाई की आग भड़काना चाहते हैं अल्लाह तआ़ला उसको ख़त्म कर देते हैं, और मुल्क में फ़साद "यानी बिगाड़ और ख़राबी" करते फिरते हैं,[4] और अल्लाह फ़साद करने वालों को महबूब नहीं रखते। **(64)** और अगर अहले किताब ईमान ले आते और तक़्वा इख़्तियार करते तो हम ज़रूर उनकी तमाम बुराइयाँ माफ़ कर देते और ज़रूर उनको चैन के बाग़ों में दाख़िल करते। **(65)** और अगर ये लोग तौरात की और इन्जील की और जो (किताब) उनके परवर्दिगार की तरफ़ से उनके पास भेजी गई है उसकी पूरी पाबन्दी करते[5] तो ये लोग अपने ऊपर से और अपने नीचे से ख़ूब फ़राग़त से खाते। उनमें एक जमाअ़त सही रास्ते पर चलने वाली है, और ज़्यादा उनमें ऐसे ही हैं कि उनके किरदार बहुत बुरे हैं। **(66)** ❖

ऐ रसूल! जो-जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाज़िल किया गया है आप सब पहुँचा दीजिए, और अगर आप ऐसा न करेंगे तो आपने अल्लाह तआ़ला का एक पैग़ाम भी नहीं पहुँचाया,[6] और अल्लाह तआ़ला आपको लोगों से महफ़ूज़ रखेगा,[7] यक़ीनन अल्लाह तआ़ला उन काफ़िर लोगों को राह न देंगे। **(67)** आप कहिए कि ऐ अहले

---

1. वजह इस गुस्ताख़ी की यह हुई थी कि पहले यहूद पर रोज़ी की फ़राग़त थी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाए और वे आपके साथ दुश्मनी और मुख़ालफ़त से पेश आए तो रोज़ी में तंगी हो गई। इसपर बेहूदा बातें बकने लगे, और बार-बार कहने वाले दो ही शख़्स थे। लेकिन चूँकि और यहूद भी इससे रोकने वाले नहीं हुए बल्कि राज़ी रहे इसलिए औरों को भी इस बात में शरीक फ़रमाया गया।
2. यानी बड़े दाता और करीम हैं।
3. क्योंकि हिक्मत वाले भी हैं इसलिए जिस तरह चाहते हैं ख़र्च करते हैं। पस यहूद पर जो तंगी हुई उसकी वजह हिक्मत है कि उनके कुफ़्र का वबाल उनको चखाना और दिखाना है, न यह कि बुख़्ल इसकी वजह हो।
4. जैसे नौ-मुस्लिमों को बहकाना, लगाई-बुझाई करना, अ़वाम को तौरात के कमी-बेशी किए हुए मज़ामीन सुनाकर इस्लाम से रोकना।
5. यानी उनमें जिस-जिस बात पर अ़मल करने को लिखा है सब पर पूरा अ़मल करते। इसमें रिसालत की तस्दीक़ भी आ गई और इससे तब्दील किए हुए और मन्सूख़ हुए अहकाम निकल गए, क्योंकि उन किताबों का मजमूआ़ उनपर अ़मल करने को नहीं बतलाता बल्कि मना करता है।
6. क्योंकि इस मजमूए का पहुँचाना फ़र्ज़ है तो जैसा कुल के छुपाने से यह फ़र्ज़ छूटता है इसी तरह बाज़ के छुपाने से भी वह फ़र्ज़ छूट जाता है।
7. चुनाँचे यह वायदा इसी तरह सच्चा हुआ कि अगरचे बाज़ लड़ाई और जंगों में आप ज़ख़्मी हुए और यहूद ने नामर्दों की तरह आपको ज़हर दिया, मगर इकट्ठे व मुक़ाबिल होकर कोई क़त्ल व हलाक न कर सका। और इस पेशीनगोई का ज़ाहिर होना आपका मोजिज़ा और नुबुव्वत की दलील है। तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहरा दिया जाता था, जब यह आयत नाज़िल हुई तो आपने फ़रमाया कि चले जाओ, अल्लाह तआ़ला ने मेरी हिफ़ाज़त कर ली, यह भी नुबुव्वत की दलील है, क्योंकि ऐसा एतिमाद वह्य के बग़ैर नहीं हो सकता।

क़िताब! तुम किसी भी (सही) चीज़ पर नहीं,[1] जब तक कि तौरात की और इन्जील की और जो (किताब) तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से भेजी गई है उसकी भी पूरी पाबन्दी न करोगे। और ज़रूर जो (मज़मून) आपके पास आपके रब की तरफ़ से भेजा जाता है वह उनमें से बहुतों की सरकशी और कुफ़्र की तरक़्क़ी का सबब बन जाता है, तो आप उन काफ़िरं लोगों पर ग़म न किया कीजिए।[2] **(68)** यह तहक़ीक़ी बात है कि मुसलमान और यहूदी और साबिईन का फ़िर्क़ा और नसारा में से जो शख़्स यक़ीन रखता हो अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर, और कारगुज़ारी अच्छी करे,[3] ऐसों पर न किसी तरह का अन्देशा है और न वे ग़मगीन होंगे। **(69)** हमने बनी इसराईल से अ़हद लिया[4] और हमने उनके पास (बहुत-से) पैग़म्बर भेजे। जब कभी उनके पास कोई पैग़म्बर वह (हुक्म) लाया जिसको उनका जी न चाहता था तो उन्होंने बाज़ों को झूठा बतलाया और बाज़ों को क़त्ल ही कर डालते थे। **(70)** और (यही) गुमान किया कि कुछ सज़ा न होगी, तो वे (उससे और भी) अन्धे और बहरे बन गए, फिर अल्लाह तआ़ला ने उन पर तवज्जोह फ़रमाई, फिर भी उनमें के बहुत-से अन्धे और बहरे बने रहे, और अल्लाह तआ़ला उनके आमाल को ख़ूब देखने वाले हैं। **(71)** बेशक वे लोग काफ़िर हो चुके जिन्होंने (यह) कहा कि अल्लाह तआ़ला ऐन मरियम के बेटे मसीह हैं, हालाँकि मसीह ने ख़ुद फ़रमाया (था) कि ऐ बनी इसराईल! तुम अल्लाह तआ़ला की इबादत करो जो मेरा भी और तुम्हारा भी रब है।[5] बेशक जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक क़रार देगा, सो उसपर अल्लाह तआ़ला जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख़ है, और (ऐसे) ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा। **(72)** बिला शुब्हा वे लोग भी काफ़िर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला तीन में का एक है, हालाँकि सिवाय एक माबूद के और कोई माबूद नहीं, और अगर ये लोग अपने इन क़ौलों से बाज़ न आए तो जो लोग उनमें काफ़िर रहेंगे उनपर दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। **(73)** क्या फिर भी अल्लाह तआ़ला के सामने तौबा नहीं करते और उससे माफ़ी नहीं चाहते, हालाँकि अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत करने वाले, बड़ी रहमत

---

1. क्योंकि ग़ैरे-मकबूल राह पर होना बेराह होने की तरह है।
2. ऊपर अहले किताब को इस्लाम की तरग़ीब थी, आगे भी एक आ़म क़ानून से जो कि अहले किताब और ग़ैर-अहले किताब सबको शामिल है, इसी की तरग़ीब है।
3. यानी शरीअ़त के क़ानून के मुवाफ़िक़।
4. यानी तमाम पैग़म्बरों की तस्दीक़ व फ़रमाँबरदारी का अ़हद।
5. इस क़ौल में अपने बन्दा होने की वज़ाहत और स्पष्टता है, फिर उनको माबूद कहना वही बात है कि "मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त"।

फ़रमाने वाले हैं।[1] **(74)** मरियम के बेटे मसीह कुछ भी नहीं सिर्फ़ एक पैग़म्बर हैं, जिनसे पहले (और) भी पैग़म्बर गुज़र चुके हैं, और उनकी वालिदा सिद्दिक़ा (यानी एक वली बीबी) हैं, दोनों खाना खाया करते थे। देखिए तो हम उनसे कैसी (कैसी) दलीलें बयान कर रहे हैं, फिर देखिए वे उल्टे किधर जा रहे हैं।[2] **(75)** आप फ़रमाइए क्या ख़ुदा के सिवा ऐसे की इबादत करते हो जो कि तुमको न कोई नुक़सान पहुँचाने का इख़्तियार रखता हो और न नफ़ा पहुँचाने का, हालाँकि अल्लाह तआला सब सुनते हैं, सब जानते हैं।[3] **(76)** आप फ़रमाइए कि ऐ अहले किताब! तुम अपने दीन में नाहक़ का ग़ुलू मत करो "यानी हद से मत गुज़रो" और उन लोगों के ख़्यालात पर मत चलो जो पहले (ख़ुद भी) ग़लती में पड़ चुके हैं और बहुतों को ग़लती में डाल चुके हैं, और वे लोग सीधे रास्ते से बहक गए (यानी दूर हो गए) थे। **(77)** ❖

बनी इसराईल में जो लोग काफ़िर थे उनपर लानत की गई थी दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की ज़बान से,[4] यह (लानत) इस सबब से हुई कि उन्होंने हुक्म की मुख़ालफ़त की और हद से निकल गए। **(78)** जो बुरा काम उन्होंने कर रखा था उससे एक-दूसरे को मना न करते थे, वाक़ई उनका फ़ेल (बेशक) बुरा था। **(79)** आप उनमें बहुत आदमी देखेंगे कि काफ़िरों से दोस्ती करते हैं,[5] जो (काम) उन्होंने आगे के लिए किया है वह बेशक बुरा है कि अल्लाह तआला उनसे नाख़ुश हुआ और ये लोग अ़ज़ाब में हमेशा रहेंगे। **(80)** और अगर ये लोग अल्लाह तआला पर ईमान रखते और पैग़म्बर पर और उस (किताब) पर जो उनके पास भेजी गई तो उन (मुश्रिकीन) को कभी दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें ज़्यादा लोग ईमान से ख़ारिज ही हैं।[6] **(81)** तमाम आदमियों से ज़्यादा मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले आप इन यहूद और इन मुश्रिकों को पाएँगे, और उनमें मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के ज़्यादा क़रीब उन लोगों को पाइएगा जो अपने को ईसाई कहते हैं,[7] यह इस सबब से है कि उनमें बहुत-से (इल्म से दोस्ती रखने वाले) आ़लिम हैं, और बहुत-से दुनिया से बेताल्लुक़ (दुर्वेश), और (यह इस सबब से है कि) ये लोग तकब्बुर करने वाले नहीं हैं।[8] **(82)**

---

1. हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के माबूद होने का बातिल होना आ़म मज़मून से बयान फ़रमाया था। आगे एक ख़ास दलील से बयान करते हैं।
2. यह दलील माद्दियात के इस्तिदलाल के एतिबार से "रूहुल्-क़ुदुस" के माबूद होने के बातिल होने के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि उनका आना-जाना, चलना-फिरना कि ये सब उमूर माद्दे के ख़्वास से हैं, मुसल्लम हैं, और माद्दियत से मुम्किन होना और उससे माबूद होने का बातिल होना ज़ाहिर है, इसलिए अलग से मुस्तक़िल तौर पर इसका ज़िक्र ज़रूरी नहीं।
3. या तो ये ईसाई जिनका ज़िक्र हुआ ईसा अ़लैहिस्सलाम की पूजा भी करते होंगे या यह कि इबादत में सबसे बड़ा दर्जा माबूद होने के एतिक़ाद का है। जब वे ईसा अ़लैहिस्सलाम के माबूद होने के क़ायल हुए तो यक़ीनन उनकी इबादत की।
4. यानी ज़बूर और इन्जील में काफ़िरों पर लानत लिखी थी, जैसे क़ुरआन मजीद में है "फ़-लअ़नतुल्लाहि अ़लल् काफ़िरीन" चूँकि ये किताबें हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अ़लैहिमस्सलाम पर नाज़िल हुईं इसलिए यह मज़मून उनकी ज़बान से ज़ाहिर हुआ।
5. मदीना के यहूद और मक्का के मुश्रिकीन में मुसलमानों की दुश्मनी के ताल्लुक़ से जिसका मन्शा कुफ़्र में तनासुब था, आपस में ख़ूब मुवाफ़क़त थी।
6. ज़्यादा का मिस्दाक़ दोनों जगह एक ही है, यानी ग़ैर-मोमिन, और यह क़ैद मोमिनों को अलग निकालने के लिए है।
7. ज़्यादा क़रीब का मतलब यह है कि दोस्त वे भी नहीं मगर दूसरे जिनका ज़िक्र किया गया उनसे ग़नीमत हैं।
8. यह आयत तमाम ज़मानों और तमाम जगहों के ईसाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि इससे वे ईसाई मुराद हैं जो उन सिफ़तों से जो सबब और मुसब्बब में मज़कूर हैं मौसूफ़ हों, पस बाज़ चापलूसी करने वालों का दुनियावी ग़रज़ से इसके आ़म होने का दावा करना महज़ अपनी मनमानी और ख़्वाहिश परस्ती है।

तंबीहः मक़सूद आयत में ईसाइयों की तारीफ़ नहीं बल्कि तक़रीर में इन्साफ़ है, और मक़सूद दोस्ती का पूरी तरह नज़दीकी होना नहीं बल्कि इज़ाफ़ी नज़दीकी है।

सातवाँ पारः व इज़ा समिअ़ू

सूरः मा-इदः (आयत 83 से 120)

और जब वे उसको सुनते हैं जो कि रसूल की तरफ़ भेजा गया है तो आप उनकी आँखें आँसुओं से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया,[1] (यूँ) कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम मुसलमान हो गए, तो हमको भी उन लोगों के साथ लिख लीजिए जो तस्दीक़ करते हैं। **(83)** और हमारे पास कौन-सा उज़्र है कि हम अल्लाह पर और जो हक़ हमको पहुँचा है उसपर ईमान न लाएँ, और इस बात की उम्मीद रखें कि हमारा रब हमको नेक लोगों के साथ दाख़िल कर देगा। **(84)** सो उनको अल्लाह तआ़ला उनके क़ौल के बदले में ऐसे बाग़ देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे, और नेक काम करने वालों की यही जज़ा है। **(85)** और जो लोग काफ़िर रहे और हमारी आयतों को झूठा कहते रहे वे लोग दोज़ख़ वाले हैं।[2] **(86)** ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला ने जो पाक व लज़ीज़ चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं[3] उन्हें हराम मत करो, और हदों से आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह तआ़ला हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते। **(87)** और ख़ुदा तआ़ला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल पसन्दीदा चीज़ें खाओ और अल्लाह तआ़ला से डरो जिसपर तुम ईमान रखते हो।[4] **(88)** अल्लाह तआ़ला तुम्हारी पकड़ नहीं फ़रमाते तुम्हारी क़स्मों में लग़्व "यानी बेअसर" क़स्म (तोड़ने) पर[5], लेकिन पकड़ इसपर फ़रमाते हैं कि तुम क़स्मों को मज़बूत करो, (फिर तोड़ दो) सो इसका कफ़्फ़ारा दस मोहताजों को खाना देना है दरमियानी दर्जे का जो अपने घर वालों को खाने को दिया करते हो, या उनको कपड़ा देना या एक गर्दन (यानी एक ग़ुलाम या बाँदी) आज़ाद करना।[6] और जिसको यह हासिल न हो तो तीन दिन के रोज़े हैं। यह कफ़्फ़ारा है तुम्हारी क़स्मों का, जबकि तुम क़सम खा लो (फिर तोड़ दो), और अपनी क़स्मों का ख़्याल रखा करो। इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फ़रमाते हैं ताकि तुम शुक्र करो।[7] **(89)** ऐ ईमान वालो! (बात यही है कि) शराब और जुआ और बुत (वग़ैरह) और क़ुर्आ़ के तीर (ये सब) गन्दे शैतानी काम हैं, सो इनसे बिलकुल अलग रहो ताकि तुमको कामयाबी हो। **(90)** शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के

---

1. मतलब यह कि हक़ को सुनकर मुतास्सिर होते हैं।
2. यहाँ तक तो अहले किताब के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू थी, आगे फिर उन अहकाम की तरफ़ वापस आते हैं जिनका कुछ शुरू सूरः में और कुछ दरमियान में भी बयान हुआ है।
3. चाहे खाने की क़िस्म में से हों या पहनने की, या निकाह करने की क़िस्म से हों।
4. यानी हलाल चीज़ का हराम कर लेना अल्लाह की रिज़ा के ख़िलाफ़ है, इससे डरो और इसका जुर्म मत करो।
5. यानी कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं करते।
6. यानी तीनों में से जिसको चाहे इख़्तियार कर ले।
7. 'लग़्व' कहते हैं बेअसर को, इसके दो मायने हैं, एक वह जिसपर गुनाह का असर मुरत्तब न हो, दूसरे वह जिसपर कफ़्फ़ारे का असर मुरत्तब न हो, इस आयत में इसी का ज़िक्र है।

ज़रिए से तुम्हारे आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे और अल्लाह तआ़ला की याद से और नमाज़ से तुमको रोक दे। सो अब भी बाज़ (नहीं) आओगे?[1] **(91)** और तुम अल्लाह तआ़ला की इताअ़त करते रहो और रसूल की इताअ़त करते रहो और एहतियात रखो, और अगर मुँह मोड़ोगे तो यह जान रखो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ साफ़-साफ़ पहुँचा देना था। **(92)** ऐसे लोगों पर जो ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वे खाते-पीते हों, जबकि वे लोग परहेज़ रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेज़ करने लगते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेज़ करने लगते हों और ख़ूब नेक अ़मल करते हों, और अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत रखते हैं। **(93)** ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला किसी क़द्र शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे, ताकि अल्लाह तआ़ला मालूम करें कि कौन शख़्स उससे बिन देखे डरता है।[2] तो जो शख़्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक सज़ा है। **(94)** ऐ ईमान वालो! (जंगली) शिकार को क़त्ल मत करो जबकि तुम एहराम की हालत में हो,[3] और जो शख़्स तुममें से उसको जान-बूझकर क़त्ल करेगा तो उसपर सज़ा और जुर्माना वाजिब होगा, जो कि बराबर होगा उस जानवर के जिसको उसने क़त्ल किया है, जिसका फ़ैसला तुममें से दो मोतबर शख़्स कर दें, (चाहे वह जुर्माना ख़ास चौपायों में से हो) शर्त यह है कि नियाज़ के तौर पर काबा तक पहुँचाई जाए, चाहे कफ़्फ़ारा कि ग़रीबों को खाना दे दिया जाए, चाहे उसके बराबर रोज़े रख लिए जाएँ, ताकि अपने किए की शामत का मज़ा चखे। जो गुज़र गया अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, और जो शख़्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा तो अल्लाह उससे इन्तिक़ाम लेंगे, और अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं, इन्तिक़ाम ले सकते हैं। **(95)** तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया है,[4] तुम्हारे फ़ायदा उठाने के वास्ते और मुसाफ़िरों के वास्ते, और ख़ुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया, जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो, और अल्लाह तआ़ला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। **(96)** ख़ुदा तआ़ला ने काबा को जो कि

---

1. हासिल यह हुआ कि यह शराब, जुआ, बुत-परस्ती और कुफ़्र के क़रीब इसलिए हैं कि नमाज़ से जो कि ईमान की बड़ी निशानियों और अ़लामतों में से है, रोक बने हुए हैं। जब इस तौर पर ईमान से दूरी हुई तो कुफ़्र से नज़दीकी हुई।

2. इम्तिहान का मतलब यह है कि एहराम की हालत में जंगली जानवरों के शिकार करने को तुमपर हराम करके उन जंगली जानवरों को तुम्हारे आस-पास फिराते रहेंगे। चुनाँचे जंगली जानवर इसी तरह आस-पास लगे फिरते थे। चूँकि सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में बहुत-से शिकार के आ़दी थे, इसमें उनकी इताअ़त का इम्तिहान हो रहा था जिसमें वे पूरे उतरे।

3. इसी तरह जबकि वह शिकार हरम में हो, अगरचे शिकारी एहराम में न हो, उसका भी यही हुक्म है।

4. दरियाई जानवर वह है कि जिस तरह पानी उसके रहने की जगह है उसी तरह पानी ही उसके पैदा होने की जगह हो, पस बत्तख़ व मुरग़ाबी वग़ैरह इससे ख़ारिज और ख़ुश्की के शिकार में दाख़िल हैं।

अदब का मकान है लोगों के क़ायम रहने का सबब क़रार दे दिया[1] और इज़्ज़त वाले महीने को भी, और हरम में क़ुरबानी होने वाले जानवरों को भी और उन (जानवरों) को भी जिनके गले में पट्टे हों, यह इसलिए कि तुम इस बात का यक़ीन कर लो कि बेशक अल्लाह तआ़ला तमाम आसमानों और ज़मीन के अन्दर की चीज़ों का इल्म रखते हैं। और बेशक अल्लाह तआ़ला सब चीज़ों को ख़ूब जानते हैं। **(97)** तुम यक़ीन जान लो कि अल्लाह तआ़ला सज़ा भी सख़्त देने वाले हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़्फ़िरत वाले (और) रहमत वाले भी हैं। **(98)** रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ़ पहुँचाना है। और अल्लाह सब जानते हैं जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाकर रखते हो। **(99)** आप फ़रमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, अगरचे तुझको नापाक की कसरत "यानी ज़्यादा होना" ताज्जुब में डालती हो, तो ख़ुदा तआ़ला से डरते रहो ऐ अ़क़्लमन्दो! ताकि तुम कामयाब हो जाओ। **(100)** ❖

ऐ ईमान वालो! ऐसी (फ़ुज़ूल) बातें मत पूछो[2] कि अगर तुमसे ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हारी नागवारी का सबब हो। और अगर तुम क़ुरआन के नाज़िल होने के ज़माने में (कारामद बातें) पूछो तो तुमसे ज़ाहिर कर दी जाएँ, वे (गुज़रे हुए सवालात) अल्लाह ने माफ़ कर दिए और अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले हैं, बड़े बर्दाश्त करने वाले हैं। **(101)** ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थीं, फिर उन बातों का हक़ न पूरा किया। **(102)** अल्लाह तआ़ला ने न बहीरा को मशरूअ़ "यानी जायज़ और मुक़र्रर" किया है और न सायबा को और न वसीला को और न हामी को, लेकिन जो लोग काफ़िर हैं वे अल्लाह तआ़ला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर (काफ़िर) उनमें के अ़क़्ल नहीं रखते।[3] **(103)** और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआ़ला ने जो अहकाम नाज़िल फ़रमाए हैं उनकी तरफ़ और रसूल की तरफ़ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिसपर हमने अपने बड़ों को देखा है। क्या अगरचे उनके बड़े न कुछ समझ रखते हों और न हिदायत रखते हों! **(104)** ऐ ईमान वालो! अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह पर चल रहे हो, तो जो शख़्स गुमराह रहे तो उससे तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं, अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वह तुम सबको जतला देंगे जो-जो तुम सब किया करते थे। **(105)** ऐ ईमान वालो! तुम्हारे आपस में दो शख़्सों का वसी "यानी जिसको वसीयत की गई हो, वसीयत पर अ़मल करने वाला" होना

1. काबा की दुनियावी मस्लहतों और बरकतों में से बाज़ ये हैं। १. उसका अमन की जगह होना। २. वहाँ हर साल मजमा होना जिसमें माली तरक़्क़ी और क़ौमी इत्तिहाद बहुत सहूलत से मयस्सर हो सकता है। ३. उसके बाक़ी रहने तक दुनिया का बाक़ी रहना, यहाँ तक कि जब कुफ़्फ़ार उसको ढा देंगे तो क़रीब ही क़ियामत आ जाएगी।

2. फ़ुज़ूल की क़ैद इसलिए लगाई कि ज़रूरत की बात पूछने में कोई हर्ज नहीं, जैसे जब बाज़ औ़रतों की इद्दत का हुक्म नाज़िल हुआ और बाज़ का नहीं हुआ और ज़रूरत सबकी पड़ती है। उसको सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने पूछा तो बिला नाराज़गी के इस आयत में जवाब नाज़िल हुआः "वल्लाई यअिस्-न मिनल् महीजि....।

3. बहीरा वह जानवर है जिसका दूध बुतों के नाम कर देते, उसे कोई अपने काम में न लाता, और साइबा वह जानवर है जिसको बुतों के नाम पर छोड़ देते, उससे कोई काम न लेते। जैसे इस मुल्क में बाज़े लोग साँड छोड़ देते हैं। और वसीला वह ऊँटनी है जो पहली बार मादा बच्चा जने, फिर दूसरी बार भी मादा बच्चा दे, दरमियान में नर बच्चा न पैदा हो। उसको भी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। और हामी वह नर ऊँट है जो एक ख़ास गिन्ती से जुफ़्ती (यानी सोहबत) कर चुका हो, उसको भी बुतों के नाम पर छोड़ देते। यह सब बातिल, कुफ़्र और शिर्क हैं।

मुनासिब है, जबकि तुममें से किसी को मौत आने लगे, जब वसीयत करने का वक़्त हो वे दो शख़्स ऐसे हों कि दीनदार हों और तुममें से हों या ग़ैर क़ौम के दो शख़्स हों, अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो फिर तुमपर मौत का वाक़िआ पड़ जाए, अगर तुमको शुब्हा हो तो उन दोनों को बाद नमाज़ के रोक लो, फिर दोनों ख़ुदा की क़सम खाएँ कि हम इस क़सम के बदले कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते अगरचे कोई रिश्तेदार भी होता, और अल्लाह की बात को हम छुपाकर न रखेंगे (वरना) हम इस हालत में सख़्त गुनाहगार होंगे। **(106)** फिर अगर इसकी इत्तिला हो कि वे दोनों (वसी) किसी गुनाह के करने वाले हुए हैं तो उन लोगों में से जिनके मुक़ाबले में गुनाह का काम हुआ था और दो शख़्स जो सबमें ज़्यादा क़रीब हैं, जहाँ वे दोनों खड़े हुए थे ये दोनों खड़े हों, फिर दोनों ख़ुदा की क़सम खाएँ कि यक़ीनन हमारी यह क़सम इन दोनों की उस क़सम से ज़्यादा सच्ची और दुरुस्त है और हम ज़रा भी हद से नहीं बढ़े, (वरना) हम इस हालत में सख़्त ज़ालिम होंगे।[1] **(107)** यह बहुत क़रीब ज़रिया है इस बात का कि वे लोग वाक़िए को ठीक तौर पर ज़ाहिर कर दें, या इस बात से डर जाएँ कि उनसे क़स्में लेने के बाद (वारिसों पर) क़स्में मुतवज्जह की जाएँगी। और अल्लाह तआ़ला से डरो और सुनो, और अल्लाह तआ़ला फ़ासिक़ लोगों की रहनुमाई न करेंगे।[2] **(108)** ❖

जिस दिन अल्लाह तआ़ला पैग़म्बरों को (मय उनकी उम्मतों के) जमा करेंगे, फिर इरशाद फ़रमाएँगे कि तुमको (उन उम्मतों की तरफ़ से) क्या जवाब मिला था? वे अ़र्ज़ करेंगे कि (ज़ाहिरी जवाब तो हमें मालूम है, लेकिन उनके दिल की) हमको कुछ ख़बर नहीं, आप बेशक छुपी बातों के जानने वाले हैं।[3] **(109)** जब अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाएँगे कि ऐ मरियम के बेटे ईसा! मेरा इनाम याद करो जो तुमपर और तुम्हारी माँ पर (हुआ है)[4] जबकि मैंने तुमको रूहुल-क़ुदुस से ताईद दी। तुम आदमियों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, और जबकि मैंने तुमको किताबें और समझ की बातें और तौरात और इन्जील तालीम कीं, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिन्दे की शक्ल होती है, फिर तुम उसके अन्दर मेरे हुक्म से फूँक मार देते थे जिससे वह परिन्दा बन जाता था, और तुम मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे जन्म के अन्धे को और कोढ़ के बीमार को, और जबकि तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को निकालकर खड़ा कर लेते थे, और जबकि मैंने बनी इसराईल को तुमसे (यानी तुम्हारे क़त्ल व हलाक करने से) बाज़ रखा जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए थे, फिर उनमें जो काफ़िर थे उन्होंने कहा था कि यह सिवाय खुले जादू के और कुछ भी नहीं। **(110)** और जबकि मैंने हवारियों को हुक्म दिया

1. क्योंकि पराया माल जान-बूझकर बिला इजाज़त ले लेना ज़ुल्म है।

2. ऊपर मुख़्तलिफ़ अहकाम का ज़िक्र हुआ है और दरमियान में उनपर अ़मल करने की तरग़ीब और उनकी मुख़ालफ़त पर डरावा और डाँट बयान फ़रमाई गई है, इसी की ताकीद के लिए अगली आयत में क़ियामत की हौल व हैबत याद दिलाते हैं ताकि इताअ़त का ज़्यादा सबब हो और मुख़ालफ़त से ज़्यादा रोकने वाला हो, और अक्सर क़ुरआन मजीद का यही तरीक़ा है।

3. मतलब यह है कि एक ऐसा दिन होगा और आमाल व हालात की पूछ-गछ होगी, इसलिए तुमको मुख़ालफ़त व नाफ़रमानी से डरते रहना चाहिए।

4. ज़िक्र की गई चीज़ों का हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के लिए इनाम होना तो ज़ाहिर है, लेकिन हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम के हक़ में इनाम होना इस तौर पर है कि इन सब उमूर से आपका नबी होना साबित है, और आपने उनकी पाकीज़गी की ख़बर दी, और नबी की दी हुई ख़बरें सब सच्ची होती हैं। पस उनकी पाकदामनी साबित हो गई और यह बड़ा इनाम है। और वालिदा पर जो इनाम हुआ वह ईसा अ़लैहिस्सलाम को इसलिए याद दिलाया गया कि असल और जड़ पर इनाम होना एक तरह से शाख़ पर भी है, कि वे उसी असल से निकली हुई हैं।

कि तुम मुझपर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, आप गवाह रहिए कि हम पूरे फ़रमाँबर्दार हैं। **(111)** (वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है) जबकि हवारियों ने अ़र्ज़ किया कि ऐ ईसा इब्ने मरियम! क्या आपके रब ऐसा कर सकते हैं कि हमपर आसमान से दस्तरख़्वान (यानी कुछ खाना) नाज़िल फ़रमा दें? आपने फ़रमाया खुदा तआ़ला से डरो अगर तुम ईमान वाले हो।[1] **(112)** वे बोले, हम यह चाहते हैं कि उसमें से खाएँ और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए, और हमारा यह यक़ीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है, और हम गवाही देने वालों में से हो जाएँ। ◆ **(113)** ईसा इब्ने मरियम ने दुआ़ की, ऐ अल्लाह! ऐ हमारे परवर्दिगार! हमपर आसमान से दस्तरख़्वान (यानी खाना) नाज़िल फ़रमाइए कि वह हमारे लिए यानी हममें जो अव्वल हैं और जो बाद में हैं सबके लिए ईद (यानी एक ख़ुशी की बात) हो जाए, और आपकी तरफ़ से एक निशान हो जाए, और आप हमको अ़ता फ़रमाइए कि आप सब अ़ता करने वालों से अच्छे हैं। **(114)** हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया कि मैं वह खाना तुम लोगों पर नाज़िल करने वाला हूँ, फिर जो शख़्स तुममें से हक़ न पहचानने का जुर्म करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूँगा कि वह सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को न दूँगा।[2] **(115)** ❖

और (वह वक़्त भी ज़िक्र के क़ाबिल है) जबकि अल्लाह तआ़ला फ़रमाएँगे[3] कि ऐ ईसा इब्ने मरियम! क्या तुमने उन लोगों से कह दिया था कि खुदा के अ़लावा मुझको और मेरी माँ को भी दो माबूद क़रार दे लो। (ईसा अ़लैहिस्सलाम) अ़र्ज़ करेंगे कि (तौबा-तौबा मैं) आप (को शरीक से) पाक (समझता हूँ और) हैं, मुझको किसी तरह मुनासिब न था कि मैं ऐसी बात कहता जिस (के कहने) का मुझको कोई हक़ नहीं,[4] अगर मैंने यह कहा होगा तो आपको इसका इल्म होगा, आप तो मेरे दिल के अन्दर की बात भी जानते हैं, और मैं आपके इल्म में जो कुछ है उसको नहीं जानता, तमाम ग़ैबों के जानने वाले आप ही हैं। **(116)** मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ़ वही जो आपने मुझसे कहने को फ़रमाया था कि तुम अल्लाह की बन्दगी (इख़्तियार) करो, जो मेरा भी रब है और

---

1. मतलब यह है कि तुम ईमान वाले हो इसलिए खुदा से डरो और मोजिज़ात की फ़रमाइश से जो कि बेज़रूरत होने की वजह से अदब के ख़िलाफ़ है, बचो।

2. हक़ न पहचानने का जुर्म करेगा, यानी अ़क़्ली और नक़ली तौर पर जो हुक़ूक़ वाजिब हैं उनको अदा न करेगा। मजमूआ़ उन हुक़ूक़ का यह था कि उसपर शुक्र किया जाए कि अ़क़्ल के एतिबार से भी वाजिब है और उसमें ख़ियानत न करें और अगले दिन के लिए उठाकर न रखें, चुनाँचे इसका हुक्म होना तिर्मिज़ी शरीफ़ की हदीस में अ़म्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया गया है, और उस हदीस में यह भी है कि जो दस्तरख़्वान आसमान से नाज़िल हुआ उसमें रोटी और गोश्त था। और उस हदीस में यह भी है कि उन लोगों ने (यानी उनमें से बाज़ ने) ख़ियानत की और अगले दिन के लिए उठाकर रखा, पस बन्दर और ख़िन्ज़ीर की सूरत में शक्लें बिगड़ गईं।

3. यानी क़ियामत में।

4. न अपने अ़क़ीदे के एतिबार से कि मैं मुवह्हिद (यानी अल्लाह को एक मानने वाला, पक्का सच्चा मुसलमान) हूँ और न हक़ीक़त के एतिबार से कि आप वाहिद हैं।

तुम्हारा भी रब है, और मैं उनपर बा-ख़बर रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब आपने मुझको उठा लिया तो आप उनपर मुत्तला रहे, और आप हर चीज़ की पूरी ख़बर रखते हैं। **(117)** अगर आप इनको सज़ा दें तो ये आपके बन्दे हैं, और अगर आप इनको माफ़ फ़रमा दें तो आप ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। **(118)** अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाएँगे कि यह वह दिन है कि जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा, उनको बाग़ मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा-हमेशा को रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी और ख़ुश और वे अल्लाह तआ़ला से राज़ी और ख़ुश हैं, यह बड़ी भारी कामयाबी है। **(119)** अल्लाह ही की हुकूमत है आसमानों की और ज़मीन की, और उन चीज़ों की जो उनमें मौजूद हैं, और वह हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। **(120)** ❖

6 सूरः अनूआम 55

सूरः अनूआम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 166 आयतें और 20 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और अन्धेरियों को और नूर को बनाया, फिर भी काफ़िर लोग दूसरों को अपने रब के बराबर क़रार देते हैं। **(1)** वह ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर एक वक़्त मुक़र्रर किया, और दूसरा मुक़र्ररा वक़्त ख़ास उसी के (यानी अल्लाह ही के) नज़दीक है, फिर भी तुम शक रखते हो। **(2)** और वही है अल्लाह (माबूद बरहक़) आसमानों में भी और ज़मीन में भी, वह तुम्हारे छुपे हालात को भी और ज़ाहिरी हालात को भी जानते हैं, और तुम जो कुछ अ़मल करते हो उसको जानते हैं।[2] **(3)** और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वे उससे मुँह ही मोड़ लेते हैं। **(4)** सो उन्होंने उस सच्ची किताब को भी झूठा बतलाया जबकि वह उनके पास पहुँची। सो जल्दी ही उनको ख़बर मिल जाएगी उस चीज़ की जिसके साथ ये लोग मज़ाक़-ठट्ठा किया करते थे।[3] **(5)** क्या उन्होंने देखा नहीं कि

---

1. पिछली सूरः के ख़त्म और इस सूरः के आग़ाज़ में तो मुनासबत यह है कि दोनों शिर्क के बातिल करने और तौहीद के साबित करने और उसके दलाइल पर मुश्तमिल हैं, और दोनों में शरीअ़तों पर का बयान किया गया है। अगरचे पिछली सूरः में उसूल की तरह फ़ुरूअ़ यानी अहकाम भी बहुत हैं, चुनाँचे बीस तक उनकी गिन्ती पहुँची है। और इसमें तक़रीबन तमाम सूरः में उसूल ही ज़्यादा हैं और फ़ुरूअ़ बहुत कम हैं, जो कि ज़िक्र की गई गिन्ती के तिहाई या चौथाई से ज़्यादा नहीं। और ख़ुद इस सूरः के हिस्सों में आपस में मुनासबत व ताल्लुक़ यह है कि हासिल सूरः का चन्द उमूर हैं। तौहीद का साबित करना, रिसालत का साबित करना, तौहीद व रिसालत की ताईद के लिए बाज़ अम्बिया के वाक़िआत, क़ुरआन का साबित करना, हुज़ूरे पाक के नबी बनाकर भेजने को साबित करना, उनके इनकारियों की क़ौली व फ़ेली दुश्मनी, उन इनकारियों पर वईदें, उन वईदों की ताईद के लिए बाज़ झुठलाने वाली उम्मतों की बर्बादी का हाल, उन इनकारियों से गुफ़्तगू, बहस व हुज्जत, ख़ुद उनके तौर-तरीक़ों व आदत की बुराई ज़ाहिर करना, उनके साथ मामला रखने में एनिदाल की तालीम, कि तब्लीग़ में कमी न हो, सख़्ती में शरई हदों से गुज़रना न हो, मेल-जोल में दीन की किसी बात की तरफ़ से चश्मपोशी न हो, दिलजोई या हिदायत की फ़िक्र में मुबालग़ा न हो, उनकी जहालत की रस्मों के मुक़ाबले में बाज़ बुलन्द इस्लामी अख़्लाक़ का बयान, और यह पूरी की पूरी गुफ़्तगू मुशिरकीन से है, सिर्फ़ दो तीन जगह नुबुव्वत व क़ुरआन के मसले में या चीज़ों के हलाल व हराम होने की बहस में मुनासबत से ज़िम्नन अहले किताब ख़ासकर यहूद की बुराई और कमियों का बयान आ गया है। यह हासिल है सूरः का, और इन सब मज़ामीन में ताल्लुक़ व रब्त का सबब पोशीदा नहीं। पस सबसे पहले तौहीद की आयतें हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 232 पर)**

हम उनसे पहले कितनी जमाअतों को हलाक कर चुके हैं, जिनको हमने ज़मीन (यानी दुनिया) में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वह कुव्वत नहीं दी, और हमने उनपर ख़ूब बारिशें बरसाईं, और हमने उनके नीचे से नहरें जारी कीं, फिर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला, और उनके बाद दूसरी जमाअतों को पैदा कर दिया।[1] **(6)** और अगर हम काग़ज़ पर लिखी हुई कोई तहरीर आप पर नाज़िल फ़रमाते फिर उसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते तब भी ये काफ़िर लोग यही कहते कि यह कुछ भी नहीं, मगर खुला जादू है। **(7)** और ये लोग यूँ कहते हैं कि उनके पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया? और अगर हम कोई फ़रिश्ता भेज देते तो सारा क़िस्सा ही ख़त्म हो जाता, फिर उनको ज़रा भी मोहलत न दी जाती। **(8)** और अगर हम उसको फ़रिश्ता तजवीज़ करते तो हम उसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फ़ेल से फिर उनपर वही इश्काल होता जो इश्काल अब कर रहे हैं।[2] **(9)** और वाक़ई आपसे पहले जो पैग़म्बर हुए हैं उनका भी हँसी और मज़ाक़ उड़ाया गया है, फिर जिन लोगों ने उनसे हँसी-मज़ाक़ किया था उनको उस अज़ाब ने आ घेरा जिसका वे मज़ाक़ उड़ाते थे। **(10)** ❖

आप फ़रमा दीजिए कि ज़रा ज़मीन में चलो-फिरो, फिर देख लो कि झुठलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ। **(11)** आप कहिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है, यह सब किसकी मिल्क है? आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मिल्क है, उसने (यानी अल्लाह तआला ने) मेहरबानी फ़रमाना अपने ऊपर लाज़िम फ़रमा लिया है। तुमको ख़ुदा तआला क़ियामत के दिन जमा करेंगे इसमें कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने को ज़ाया कर दिया है सो वे ईमान न लाएँगे। **(12)** और उसी की (यानी अल्लाह ही की मिल्क) है सब जो कुछ रात और दिन में रहते हैं, और वही है बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला। **(13)** आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो कि आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले हैं और जो कि खाने को देते हैं और उनको कोई खाने को नहीं देता, किसी को माबूद क़रार दूँ? आप फ़रमा दीजिए कि मुझको यह हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम क़बूल करूँ, और तुम मुश्रिकों में से हरगिज़ न होना। **(14)** आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। **(15)** जिस शख़्स से उस दिन वह अज़ाब हटाया जाएगा तो उसपर

(पृष्ठ 230 का शेष) **2.** तौहीद तीनों आयतों का मक़सूदे मुश्तरक है। यानी इबादत के लायक़ वह है जिसमें ये सिफ़तें हों कि वह दुनिया जहान का पैदा करने वाला हो, और हाज़िर व ग़ायब का जानने वाला हो। और आख़िर की दो आयतों में नबी करीम को भेजने की ख़बर और उसके मना करने को रद्द करना और किए हुए आमाल पर हिसाब व पूछताछ पर तंबीह भी है, जिससे शिर्क पर वईद साबित हो गई। और दूसरे 'वक़्त' (ग़ालिबन इससे मुराद क़ियामत है) के इल्म को अपने साथ मख़्सूस फ़रमाया, क्योंकि पहले 'वक़्त' (यानी मौत) का अगरचे क़तई इल्म न सही मगर अन्दाज़े के तौर पर निशानियों से मालूम हो जाता है।

3. मुराद इससे वह अज़ाब है जिसकी ख़बर क़ुरआन में सुनकर हँसते थे, जिससे क़ुरआन का झुठलाना लाज़िम आता था। उसकी ख़बर मिलने का मतलब यह है कि जब अज़ाब नाज़िल होगा उसकी ख़बर आँखों से देख लेंगे।

1. मुराद इन हलाक होने वाली जमाअतों से आद व समूद वग़ैरह हैं कि अज़ाब के मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से हलाक किए गए।

2. यानी उस फ़रिश्ते को बशर (यानी इनसान) समझकर फिर वही एतिराज़ करते। ग़रज़ फ़रिश्ते के नाज़िल होने से उनका नफ़ा तो कुछ न होता, क्योंकि उनका शक व शुब्हा अपनी जगह बाक़ी रहता, और उनका नुक़सान यह होता कि हलाक कर दिए जाते। इसलिए हमने इस तरह नाज़िल नहीं किया। ख़ुलासा यह हुआ कि हद दर्जा दुश्मनी की वजह से ऐसी बातें मुँह से निकालते थे जो हिदायत और हक़ के वाज़ेह होने का तरीक़ (यानी रास्ता और तरीक़ा) नहीं, और जो उसका तरीक़ा है कि मौजूद आयात व मोजिज़ात में ग़ौर करना, उससे काम नहीं लेते।

अल्लाह तआला ने बड़ा रहम किया और यह खुली कामयाबी है। **(16)** और अगर अल्लाह तआला तुझको कोई तकलीफ़ पहुँचा दें तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं। और अगर तुझको वह (यानी अल्लाह तआला) कोई नफ़ा पहुँचा दें तो वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। **(17)** और वही अल्लाह तआला अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब (व बरतर) हैं, और वही बड़ी हिक्मत वाले (और) पूरी ख़बर रखने वाले हैं।[1] **(18)** आप कहिए कि गवाही देने के लिए सबसे बढ़कर चीज़ कौन है? आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह तआला गवाह है, और मेरे पास यह कुरआन बतौर वह्य के भेजा गया है ताकि मैं इस कुरआन के ज़रिये से तुमको और जिस-जिसको यह कुरआन पहुँचे उन सबको डराऊँ, क्या तुम सब सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह तआला के साथ कुछ और माबूद भी हैं? आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता, आप कह दीजिए कि बस वह तो एक ही माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हूँ। **(19)** जिन लोगों को हमने किताब दी है वे लोग इस (रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने को ज़ाया कर लिया है[2] सो वे ईमान न लाएँगे। **(20)** ❖

और उससे ज़्यादा और कौन बेइन्साफ़ होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बोहतान बाँधे या अल्लाह तआला की आयतों को झूठा बतलाए, ऐसे बेइन्साफ़ों को छुटकारा न मिलेगा।[3] **(21)** और (वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन हम उन तमाम मख़्लूक़ों को जमा करेंगे, फिर हम मुश्रिकों से (वास्ते से या बिला वास्ता सज़ा और झिड़की के तौर पर) कहेंगे कि (बतलाओ) तुम्हारे वे शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए? **(22)** फिर उनके शिर्क का अन्जाम इसके सिवा कुछ भी न होगा कि वे यूँ कहेंगे कि अल्लाह की क़सम, अपने परवर्दिगार की, हम मुश्रिक न थे।[4] **(23)** ज़रा देखो तो किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीज़ों कोतराशा करते थे वे सब उनसे ग़ायब हो गईं।[5] **(24)** और उनमें[6] बाज़े ऐसे हैं कि आपकी तरफ़ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, इससे कि वे उसको समझें[7] और उनके कानों में डाट दे रखी है, और अगर वे लोग तमाम दलीलों को देख लें; उनपर भी ईमान न लाएँ, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख़्वाह-मख़्वाह झगड़ते हैं। ये लोग जो काफ़िर हैं यूँ कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ़ बे-सनद बाते हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। **(25)** और ये लोग उससे औरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी उससे दूर रहते हैं, और

---

1. ऊपर तौहीद व रिसालत के बारे में अलग-अलग कलाम हुआ है, आगे दोनों के बारे में इकट्ठे तौर पर कलाम है। चुनाँचे "अ-इन्नकुम् ल-तश्हदू-न" में तौहीद की बहस है, और "क़ुलिल्लाहु शहीदुम् बैनी व बैनकुम्" में रिसालत की बहस है। शाने नुज़ूल भी इसका दो वाक़िआत दोनों मसलों के मुताल्लिक़ हैं। चुनाँचे कल्बी ने रिवायत किया है कि मक्का के काफ़िरों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर कहा कि क्या ख़ुदा तआला को आपके सिवा कोई रसूल नहीं मिला? हम तो नहीं समझते कि आपके दावे की कोई तस्दीक़ कर सकता है? और हमने तो यहूद व नसारा (यानी ईसाइयों) से पूछकर देख लिया है कि उनकी किताबों में आपका ज़िक्र ही नहीं, सो हमको कोई ऐसा शख़्स बतलाइए जो इस बात की गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसपर यह आयत नाज़िल हुई और इब्ने जरीर वग़ैरह ने इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि नुहाम बिन ज़ैद और क़रूम बिन कअ़ब और बहज़ी बिन अ़म्र आपकी ख़िदमत में आए और कहा कि क्या आपके इल्म में सिवाय अल्लाह तआला के और कोई माबूद नहीं? आपने फ़रमाया कि हक़ीक़त में भी अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, मैं तो यही देकर भेजा गया हूँ और इसी की दावत देता हूँ। इसपर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई।

2. यानी अपनी अ़क़्ल को मज़कूरा शहादत पर दलालत करने वाली वुजूहात में सही ग़ौर व फ़िक्र करने से बेकार कर लिया है, चाहे वे अहले किताब हों या ग़ैर-अहले किताब हों।

3. ऊपर कुफ़्फ़ार का फ़लाह न पाना ज़िक्र हुआ है। आगे इस फ़लाह न पाने की कुछ कैफ़ियत ज़िक्र है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 236 पर)**

ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ ख़बर नहीं रखते। **(26)** और अगर आप (उस वक़्त) देखें जबकि ये दोज़ख़ के पास खड़े किए जाएँगे तो कहेंगेः क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएँ, और (अगर ऐसा हो जाए तो) हम अपने परवर्दिगार की आयतों को झूठा न बताएँ और हम ईमान वालों में से हो जाएँ। **(27)** बल्कि जिस चीज़ को इससे पहले दबाया करते थे वह उनके सामने आ गई है।[1] और अगर ये लोग फिर वापस भी भेज दिए जाएँ तब भी यह वही काम करें जिससे उनको मना किया गया था, और यक़ीनन ये लोग बिलकुल झूठे हैं।[2] **(28)** और ये कहते हैं कि जीना और कहीं नहीं सिर्फ़ यही फ़िलहाल का जीना है, और हम ज़िन्दा न किए जाएँगे। **(29)** और अगर आप (उस वक़्त) देखें जबकि वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे और अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा कि क्या यह अम्र वाक़ई नहीं है? वह कहेंगे बेशक क़सम अपने रब की! अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा तो अब अपने कुफ़्र के बदले अ़ज़ाब चखो। **(30)** ❖

बेशक़ घाटे में पड़े वे लोग जिन्होंने अल्लाह तआ़ला से मिलने को झुठलाया, यहाँ तक कि जब वह मुक़र्ररा वक़्त[3] उनपर अचानक आ पहुँचेगा तो कहने लगेंगे कि हाय अफ़सोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई![4] और हालत उनकी यह होगी कि वे अपने बोझ अपनी कमर पर लादे होंगे। ख़ूब सुन लो कि बुरी होगी वह चीज़ जिसको वे लादेंगे। **(31)** और दुनियावी ज़िन्दगानी तो कुछ भी नहीं सिवाय खेल-कूद, सैर-तमाशे और तफ़रीह के,[5] और पिछला घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते समझते नहीं हो! **(32)** हम ख़ूब जानते हैं कि आपको उनकी बातें ग़मगीन करती हैं। सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये ज़ालिम तो अल्लाह तआ़ला की आयतों का इनकार करते हैं। **(33)** और बहुत-से पैग़म्बर जो आपसे पहले हुए हैं उनको भी झुठलाया जा चुका है, सो उन्होंने उसपर सब्र ही किया कि उनको झुठलाया गया और उनको तकलीफ़ें पहुँचाई गईं, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँची, और अल्लाह तआ़ला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और आपके पास बाज़ पैग़म्बरों के बाज़ क़िस्से पहुँच चुके हैं।[6] **(34)** और अगर आपको उनका मुँह मोड़ना नागवार गुज़रता है तो आपको यह ताक़त है कि

(पृष्ठ 234 का शेष) मुश्रिकीन की तो खुले तौर पर, कि मक्का में जो इस सूरः के नाज़िल होने की जगह है और वहाँ मुश्रिकीन ज़्यादा थे, और दूसरे कुफ़्फ़ार की क़ियास के तौर पर, क्योंकि असल इल्लत फ़लाह न होने की यानी कुफ़्र सबमें पाई जाती है।

4. यानी जिसके हक़ होने का आज दावा है उसका अन्जाम यह होगा कि ख़ुद ही उसको बातिल समझने लगेंगे।

5. यानी उनके कोई काम न आएगा।

6. यानी मुश्रिकीन में से।

7. यह जो फ़रमाया कि हमने पर्दे डाल रखे हैं तो यह मिसाल के तौर पर है, अगरचे परिचित पर्दे वग़ैरह न हों। और ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ उसकी निस्बत होने से न तो ये माज़ूर हो सकते हैं न अल्लाह तआ़ला पर कोई इल्ज़ाम आ सकता है, क्योंकि इस पर्दे वग़ैरह का सबब उनका इख़्तियारी तौर पर मुँह मोड़ना है और निस्बत तख़्लीक़ के एतिबार से है।

1. मुराद उस चीज़ से वह अ़ज़ाब है जिसकी वईद कुफ़्र और झुठलाने पर उनको की जाती थी। और दबाने से मुराद इनकार है।

2. ऊपर तौहीद व रिसालत और क़ुरआन के इनकार पर सज़ाओं का बयान था, आगे इनकारे बअ़्स (यानी नबी को भेजने का इनकार) और उसकी सज़ा का बयान है।

3. यानी क़ियामत का दिन मय मुक़द्दिमात।

4. अगरचे झुठलाना उनके मरने के वक़्त ही ख़त्म हो जाएगा लेकिन क़ियामत को इसलिए हद क़रार दिया कि उस दिन सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। और 'साहिबे कश्शाफ़' ने कहा है कि मौत का वक़्त भी क़ियामत के मुक़द्दिमात में से है, इसलिए वह भी क़ियामत के हुक्म में दाख़िल है।

5. ख़ुद दुनियावी ज़िन्दगी को 'लह्व-व-लअ़िब' फ़रमाना मक़सूद नहीं बल्कि इसके उन मश्ग़लों और आमाल को जो कि आख़िरत के लिए नहीं बनाए गए और न आख़िरत के लिए मददगार हैं। तो इस क़ैद से नेक काम और अच्छाइयाँ **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 238 पर)**

ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूँढ लो, फिर कोई मोजिज़ा ले आओ (तो ऐसा करो), और अगर अल्लाह को मन्ज़ूर होता तो उन सबको सही रास्ते पर जमा कर देता, सो आप नादानों में से न होइए।[1] ● **(35)** वही लोग क़बूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह तआला ज़िन्दा करके उठाएँगे फिर वे सब अल्लाह ही की तरफ़ लाए जाएँगे। **(36)** और ये लोग कहते हैं कि उनपर उनके रब की तरफ़ से कोई मोजिज़ा क्यों नाज़िल नहीं किया गया, आप फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआला को बेशक इसपर पूरी कुदरत है कि वह मोजिज़ा नाज़िल फ़रमाएँ, लेकिन उनमें अक्सर बेख़बर हैं। **(37)** और जितने क़िस्म के जानदार ज़मीन पर चलने वाले हैं और जितने क़िस्म के परिन्दे (जानवर) हैं कि अपने दोनों बाज़ुओं से उड़ते हैं उनमें कोई क़िस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी ही तरह के गिरोह न हों,[2] हमने दफ़्तर (लौहे महफ़ूज़) में कोई चीज़ नहीं छोड़ी (सब कुछ लिख लिया है)। फिर सब अपने परवर्दिगार के पास जमा किए जाएँगे। **(38)** और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं वे तो बहरे और गूँगे हो रहे हैं, तरह-तरह की अंधेरियों में हैं,[3] अल्लाह तआला जिसको चाहे बेराह कर दें और जिसको चाहें सीधी राह पर लगा दें। **(39)** आप कहिए कि अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुमपर ख़ुदा का कोई अ़ज़ाब आ पड़े या तुमपर क़ियामत ही आ पहुँचे तो क्या ख़ुदा के सिवा किसी और को पुकारोगे, अगर तुम सच्चे हो? **(40)** बल्कि ख़ास उसी को पुकारने लगो, फिर जिसके लिए तुम पुकारो, अगर वह चाहे तो उसको हटा भी दे, और जिन-जिन को तुम शरीक ठहराते हो उन सबको भूल जाओ।[4] **(41)** ❖

और हमने और "यानी दूसरी" उम्मतों की तरफ़ भी जो कि आपसे पहले हो चुकी हैं पैग़म्बर भेजे थे, सो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वे ढीले पड़ जाएँ। **(42)** सो जब उनको हमारी सज़ा पहुँची थी वे ढीले क्यों न पड़े? लेकिन उनके दिल तो सख़्त रहे और शैतान उनके आमाल को उनके ख़्याल में सँवार करके दिखलाता रहा। **(43)** फिर जब वे लोग उन चीज़ों को भूले रहे जिनकी उनको नसीहत की जाती थी तो हमने उनपर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए,[5] यहाँ तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थीं वे ख़ूब इतरा गए तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया, फिर तो वे बिलकुल भौचक्के रह गए। **(44)** फिर ज़ालिम लोगों की जड़ कट गई

(पृष्ठ 236 का शेष) और वे मुबाह काम जो नेक कामों में मददगार हों सब निकल गए, और वे मुबाह काम जो बेफ़ायदा हों और गुनाह व नाफ़रमानी सब दाख़िल रह गए, अगरचे ऐसे मुबाहात यानी जायज़ कामों में गुनाह न हो, लेकिन बेफ़ायदा और बेअसर तो हैं। और 'लह्व' और 'लअ़िब' के मायने अहले लुग़त ने क़रीब-क़रीब बल्कि एक ही लिखे हैं सिर्फ़ एतिबारी फ़र्क़ हो सकता है। वह यह कि बेफ़ायदा काम में मशग़ूल होने के दो असर हैं, एक ख़ुद उसकी तरफ़ मुतवज्जह होना, दूसरे उस तवज्जोह की वजह से फ़ायदेमन्द चीज़ों से बेतवज्जोह हो जाना। वह पहले मामले के एतिबार से 'लअ़िब' कहलाता है और दूसरे के एतिबार से 'लह्व'।

6. तसल्ली के मज़मून का हासिल यह हुआ कि ये जो आपको झुठला रहे हैं, ये हक़ीक़त में अल्लाह तआला और उसकी आयतों को झुठला रहे हैं। इस वजह से कि आप अल्लाह की जानिब से अहकाम पहुँचाने वाले हैं, पस देखने में तो आपको झुठलाना है और हक़ीक़त में जान-बूझकर अल्लाह तआला को झुठलाना है।

1. "फ़ला तकूनन्-न मिनल् जाहिलीन" नसीहत व मुहब्बत के तौर पर है। चुनाँचे तर्जुमा से ज़ाहिर है। और लफ़्ज़ "जह्ल" या "जहालत" से तर्जुमा न करना इस वजह से है कि हमारे मुहावरे में ये अल्फ़ाज़ अपमान करने, बेवक़ूफ़ ज़ाहिर करने और डाँटने के लिए इस्तेमाल होते हैं इसलिए बेअदबी का गुमान और वहम पैदा करने वाले हैं।

2. यानी क़ियामत के दिन जमा होने की सिफ़त में।

3. क्योंकि हर कुफ़्र एक ज़ुल्मत यानी अंधेरी है, उनका मुँह मोड़ना जो कि न सुनने और बहरा बनने का हासिल है, एक कुफ़्र है। उनका कुफ़्र भरी बातें बकना जो कि गूँगा होने से मक़सूद है, एक कुफ़्र है। और यह ख़ुद कई मर्तबा होता है इसलिए बहुत-सी ज़ुल्मतें (अंधेरियाँ) हो गईं।

4. पस इसी से समझ लो कि ख़ुदा के सिवा जब कोई क़ादिर व मुख़्तार नहीं तो इबादत का हक़दार भी उसके सिवा कोई नहीं हो सकता।

5. यानी ख़ूब नेमत व दौलत दी।

और अल्लाह का शुक्र है[1] जो तमाम जहानों का परवर्दिगार है। **(45)** आप कहिए कि यह बतलाओ कि अगर अल्लाह तआ़ला तुम्हारी सुनने और देखने की कुव्वत बिलकुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह तआ़ला के सिवा और कौन माबूद है कि ये तुमको फिर से दे दे? आप देखिए तो हम किस तरह दलीलों को मुख़्तलिफ़ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर (भी) ये मुँह मोड़ते हैं। **(46)** आप कहिए कि यह बतलाओ, अगर तुमपर अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब आ पड़े चाहे बेख़बरी में या ख़बरदारी में तो क्या सिवाय ज़ालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा।[2] **(47)** और हम पैग़म्बरों को सिर्फ़ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वे ख़ुशख़बरी दें और डराएँ, फिर जो शख़्स ईमान ले आए और दुरुस्ती कर ले, सो उन लोगों को कोई अन्देशा नहीं और न वे ग़मज़दा होंगे। **(48)** और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएँ उनको अ़ज़ाब लगता है, इस वजह से कि वे दायरे से निकलते हैं।[3] **(49)** आप कह दीजिए कि न तो मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मेरे पास[4] ख़ुदा तआ़ला के ख़ज़ाने हैं और न मैं तमाम ग़ैबों को जानता हूँ, और न मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ़ उसकी इत्तिबा कर लेता हूँ जो मेरे पास वह्य आती है।[5] आप कहिए कि अन्धा और देखने वाला कहीं बराबर हो सकता है? सो क्या तुम ग़ौर नहीं करते? **(50)** ❖

और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अन्देशा रखते हैं[6] कि अपने रब के पास ऐसी हालत से जमा किए जाएँगे कि ग़ैरुल्लाह में से न कोई उनका मददगार होगा और न कोई शफ़ाअ़त करने वाला होगा,[7] इस उम्मीद पर कि वे डर जाएँ। **(51)** और उन लोगों को न निकालिए जो सुबह व शाम अपने परवर्दिगार की इबादत करते हैं, जिससे ख़ास उसकी रज़ामन्दी का इरादा रखते हैं, उनका हिसाब ज़रा भी आपसे मुताल्लिक़ और आपका हिसाब ज़रा भी उनसे मुताल्लिक़ नहीं कि आप उनको निकाल दें, वरना आप नामुनासिब काम करने वालों में हो जाएँगे। **(52)** और

---

1. इसलिए कि ऐसे ज़ालिमों का पाप कटा जिनके होने से नहूसत ही फैलती।
2. यानी वह अ़ज़ाब ज़ुल्म की वजह से होगा, जैसा कि पहली उम्मतों पर भी इसी वजह से हुआ है। सो लाज़िमी तौर पर ज़ालिमों ही के साथ ख़ास होगा और ज़ालिम तुम हो, पस ख़ास तुमपर ही पड़ेगा और मोमिन लोग बचे रहेंगे। सो तुमको सचेत होना चाहिए और यह ख़्याल भी दिल से निकाल देना चाहिए कि अगर मुसीबत आ़म हो तो उसका एहसास कम होता है। (क्योंकि यहाँ अ़ज़ाब आ़म नहीं बल्कि सिर्फ़ ज़ालिमों को होगा)।
3. यानी पैग़म्बरों का असल काम और उसका नतीजा यह है न कि तमाम फ़रमाइशों का पूरा करना। पस इसी क़ायदे के मुवाफ़िक़ यह रसूल भी हैं।
4. यानी मेरी क़ुदरत में।
5. आयत में तीन उमूर की नफ़ी की गई है। ख़ज़ानों पर क़ुदरत, इल्मे ग़ैब और मिल्कियत। मक़सूद इससे कुफ़्फ़ार के एतिराज़ का दूर करना हो सकता है। यानी तुम जो निशानियों के पेश करने से मेरे रसूल होने को झुठलाते हो तो वह बिलकुल बेमानी है, इसलिए कि रिसालत जिसका मैं दलील के साथ दावेदार हूँ कोई मुहाल अम्र नहीं है। किसी अ़जीब व ग़रीब बात और मामले जैसे क़ुदरत, इल्म, मज़कूरा मिल्कियत का तो मैं दावेदार नहीं, जो उसको मुहाल समझकर इनकार करते हो।
6. हश्र के मुताल्लिक़ कुल तीन तरह के आदमी हैं, एक वे जो यक़ीनी तौर पर उसके सुबूत के मोतक़िद हैं, दूसरे वे जो शक में हैं। आयत में इन्हीं दोनों जमाअ़तों का ज़िक्र है। तीसरे वे जो कि यक़ीनी तौर पर इसके इनकारी हैं, और डराना अगरचे उनको भी आ़म है जैसा कि दूसरी आयतों में साफ़ मौजूद है, लेकिन यहाँ मुतलक़ डराना मुराद नहीं बल्कि वह डराना जिसमें ख़ास एहतिमाम हो। सो यह वहाँ ही होगा जहाँ नफ़ा यक़ीनी हो या नफ़े की उम्मीद हो, जैसा कि पहली और दूसरी क़िस्म का हाल है। बख़िलाफ़ इस तीसरी क़िस्म के कि नफ़े की उम्मीद न होने की वजह से उनको डराना सिर्फ़ हुज्जत पूरा करने के लिए होगा, दुश्मनी की वजह से उनमें तवज्जोह की क़ाबलियत ही नहीं, इसलिए यहाँ पहली दो क़िस्मों की तख़्सीस की गई है जैसा कि बाज़ आयतों में नफ़े के यक़ीनी होने की वजह से सिर्फ़ पहली क़िस्म ही की तख़्सीस भी है।
7. ग़ैर-मोमिनों के लिए शफ़ाअ़त और ग़ैरुल्लाह की तरफ़ से किसी तरह की मदद होने की यहाँ मुतलक़ तौर पर नफ़ी है। और मोमिनों के लिए अल्लाह का मददगार होना और मक़बूल हज़रात का शफ़ाअ़त करना साबित है।

इसी तरीक़े पर हमने एक को दूसरे से आज़माइश में डाल रखा है ताकि लोग कहा करें कि क्या ये लोग हैं कि हम सबमें से उनपर अल्लाह ने फ़ज़्ल किया है? क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह तआ़ला हक़ पहचानने वालों को ख़ूब जानता है? **(53)** और ये लोग जब आपके पास आएँ जो कि हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो यूँ कह दीजिए कि तुमपर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फ़रमाना अपने ज़िम्मे मुक़र्रर कर लिया है कि जो शख़्स तुममें से कोई बुरा काम कर बैठे नादानी से फिर वह उसके बाद तौबा कर ले और सुधार रखे तो (अल्लाह तआ़ला की यह शान है कि) वह बड़े मग़्फ़िरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। **(54)** और इसी तरह हम आयतों की तफ़सील करते रहते हैं और ताकि मुज्रिमों का तरीक़ा ज़ाहिर हो जाए।[1] **(55)** ❖

आप कह दीजिए कि मुझे इससे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूँ जिनकी तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ख़्यालात की पैरवी न करूँगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊँगा और राह पर चलने वालों में न रहूँगा।[2] **(56)** आप कह दीजिए कि मेरे पास तो मेरे रब की तरफ़ से एक दलील है,[3] और तुम उसको झुठलाते हो, जिस चीज़ का तुम तक़ाज़ा कर रहे हो वह मेरे पास नहीं। हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह तआ़ला के, वह (यानी अल्लाह तआ़ला) हक़ बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला वही है। **(57)** आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वह चीज़ होती जिसका तुम तक़ाज़ा कर रहे हो तो मेरा और तुम्हारा आपसी क़िस्से का फ़ैसला हो चुका होता, और ज़ालिमों को अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानता है।[4] **(58)** और उसी के (यानी अल्लाह तआ़ला के) पास हैं ख़ज़ाने तमाम छुपी चीज़ों के, उनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह तआ़ला के,[5] और वह तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ ख़ुश्की में हैं और जो कुछ दरियाओं में हैं, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उसको भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के अन्धेरे वाले हिस्सों में नहीं पड़ता, और न कोई तर और ख़ुश्क चीज़ गिरती है मगर ये सब किताबे-मुबीन में हैं।[6] **(59)** और वह ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक तरह से क़ब्ज़ कर देता है,[7] और जो कुछ दिन में करते हो उसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मुक़र्ररा मीयाद "यानी निश्चित समय" पूरी कर दी जाए, फिर उसी की तरफ़ तुमको जाना है, फिर तुमको बतला देगा जो कुछ तुम किया करते थे। **(60)** ❖

और वही अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब हैं (बरतर हैं) और तुमपर निगरानी रखने वाले भेजते हैं, यहाँ तक कि

---

1. और हक़ व बातिल के वाज़ेह होने से तालिबे हक़ को हक़ का पहचानना आसान हो जाए।
2. इस मज़मून का ज़्यादा ताल्लुक़ तौहीद से था, आगे का मज़मून रिसालत से ज़्यादा मुताल्लिक़ है।
3. यानी क़ुरआन मजीद जो कि मेरा मोजिज़ा है, जिससे मेरी तस्दीक़ होती है।
4. उनके इल्म में जब मुनासिब होगा अ़ज़ाब नाज़िल हो जाएगा, चाहे दुनिया में भी जैसे बद्र वग़ैरह में हलाक किए गए और चाहे आख़िरत में कि दोज़ख़ में जाएँगे। ग़रज़ न मुझको उसकी क़ुदरत है न उसके मुनासिब होने का वक़्त मुझको मालूम है और न इसकी ज़रूरत है।
5. इनमें से जिस चीज़ को जिस वक़्त चाहें ज़ुहूर में ले आते हैं, इन चीज़ों में अ़ज़ाब भी आ गया। मतलब यह है कि और किसी को उन पर क़ुदरत नहीं, और जिस तरह मुकम्मल क़ुदरत उनके साथ ख़ास है उसी तरह मुकम्मल इल्म भी।
6. किताबे-मुबीन यानी लौहे महफ़ूज़ में हर वह चीज़ जो क़ियामत तक होने वाली है लिखी है, और ज़ाहिर है कि बिना इल्म के लिखना मुम्किन नहीं है। पस हासिल यह हुआ कि सब चीज़ें अल्लाह तआ़ला के इल्म के घेरे में हैं। और यह न समझो कि अल्लाह तआ़ला की तमाम मालूमात लौहे महफ़ूज़ ही में मुन्हसिर हैं बल्कि उनकी तो कोई इन्तिहा ही नहीं।
7. ''रूहे-नफ़्सानी'' तीन पाक रूहों में से है। इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ''अल्लाहु य-तवफ़्फ़ल् अन्फ़ु-स'' की तफ़सीर में इसको ''नफ़्से तमीज़'' फ़रमाया है, और ''रूहे हैवानी'' को जिसके निकलने से मौत आ जाती है ''नफ़्से हयात'' फ़रमाया है। क़ुरआन में लफ़्ज़े नफ़्स दोनों को शामिल है, जिस जगह पर जो तफ़सीर मुनासिब होगी वही की जाएगी।

जब तुममें किसी को मौत आ पहुँचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए क़ब्ज़ कर लेते हैं, और वे ज़रा भी कोताही नहीं करते।[1] (61) फिर सब अपने हक़ीक़ी मालिक अल्लाह के पास लाए जाएँगे। ख़ूब सुन लो कि फ़ैसला उसी का (यानी अल्लाह ही का) होगा, और वह बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। (62) आप कहिए कि वह कौन है जो तुमको ख़ुश्की और दरिया की अंधेरियों से उस हालत में नजात देता है कि तुम उसको पुकारते हो आ़जिज़ी ज़ाहिर करके और चुपके-चुपके, कि अगर आप हमको इनसे नजात दे दें तो हम ज़रूर हक़ पहचानने वालों में से हो जाएँगे। (63) आप कह दीजिए कि ख़ुदा तआ़ला ही तुमको उनसे नजात देता है, और हर ग़म से, तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो।[2] (64) आप कहिए कि इसपर भी वही क़ादिर है कि तुमपर कोई अ़ज़ाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे,[3] या तुम्हारे पाँव तले से,[4] या कि तुमको गिरोह-गिरोह करके सबको भिड़ा दे, और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह से मुख़्तलिफ़ पहलुओं से दलीलें बयान करते हैं, शायद वे समझ जाएँ। (65) और आपकी क़ौम उसको झुठलाती है हालाँकि वह यक़ीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूँ। (66) हर ख़बर के ज़ाहिर होने का एक वक़्त है, और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा (कि यह अ़ज़ाब आया)।[5] (67) और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयतों में ऐब ढूँढ रहे हैं तो उन लोगों से किनारा करने वाला हो जा, यहाँ तक कि वे किसी और बात में लग जाएँ। और अगर तुझको शैतान भुला दे[6] तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के पास मत बैठ। (68) और जो लोग एहतियात रखते हैं उनपर उनकी पूछताछ का कोई असर न पहुँचेगा।[7] लेकिन उनके ज़िम्मे नसीहत कर देना है शायद कि वे भी एहतियात करने लगें। (69) और ऐसे लोगों से बिलकुल अलग रह जिन्होंने अपने दीन को लह्व-व-लअ़िब "यानी खेल-तमाशा" बना रखा है, और दुनियावी ज़िन्दगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, और इस कुरआन के ज़रिये से नसीहत भी करता रह ताकि कोई शख़्स अपने किरदार के सबब इस तरह न फंस जाए कि अल्लाह के अ़लावा कोई न उसका मददगार हो न सिफ़ारिश करने वाला, और (यह कैफ़ियत हो कि) अगर दुनिया भर का मुआ़वज़ा भी दे डाले तब भी उससे न लिया जाए, ये ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए, उनके लिए पीने के लिए बहुत तेज़ (खोलता हुआ) पानी होगा और दर्दनाक सज़ा होगी अपने कुफ़्र के सबब से।[8] (70) ❖

---

1. ग़रज़ मौत नहीं टलती। आयत के ज़ाहिर से इस मक़ाम पर तीन किस्म के फ़रिश्तों का ज़िक्र है। एक आमाल लिखने वाले जिनका ज़िक्र इस आयत में है, "व इन्-न अ़लैकुम् ल-हाफ़िज़ी-न, किरामन् कातिबीन" दूसरे जान की हिफ़ाज़त करने वाले जिनको नुक़सानात से हिफ़ाज़त करने का हुक्म हो और जब तक हुक्म हो, उनका ज़िक्र इस आयत में है "लहू मुअ़क्क़िबातुम् मिम्बैनि यदैहि" तीसरे जान निकालने वाले। और दूसरी आयत से मालूम होता है कि यह काम मौत के फ़रिश्ते का है। इसलिए उलमा ने रूहुल्-मआ़नी में ज़िक्र हुई इन बाज़ रिवायतों की बिना पर कहा है कि ये मौत के फ़रिश्ते के मददगार हैं। साथ रहने और ताल्लुक़ की वजह से उनकी तरफ़ निस्बत कर दी गई, अल्लाह ही ज़्यादा जानते हैं।

2. ग़रज़ यह कि परेशानी और सख़्ती के वक़्त में तुम्हारे इक़रार से तौहीद का हक़ होना साबित हो जाता है, फ़िर इनकार कब तवज्जोह के क़ाबिल है।

3. जैसे पत्थर या हवा या तूफ़ानी बारिश।

4. जैसे ज़ल्ज़ला या ग़र्क़ हो जाना।

5. अ़ज़ाब दुनिया और आख़िरत के अ़ज़ाब दोनों को शामिल है, जिसमें जिहाद भी दाख़िल है।

6. यानी ऐसी मज्लिस में बैठने की मनाही याद न रहे।

7. यानी ज़रूरत की वजह से वहाँ जाने वाले गुनाहगार न होंगे।

8. कुछ रिवायतों में आया है कि मुश्रिकीन ने मुसलमानों से इस्लाम को छोड़ने की दरख़्वास्त भी की थी। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 246 पर)**

आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें कि वह हमको न नफ़ा पहुँचाए और न हमको नुक़सान पहुँचाए? और क्या हम इसके बाद उल्टे फिर जाएँ कि हमको ख़ुदा तआ़ला ने हिदायत कर दी है? जैसे कोई शख़्स हो कि उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो और वह भटकता फिरता हो,[1] उसके कुछ साथी भी हों कि वे उसको ठीक रास्ते की तरफ़ बुला रहे हों कि हमारे पास आ, आप कह दीजिए कि यक़ीनी बात है कि सही रास्ता वह ख़ास अल्लाह ही का रास्ता है, और हमको यह हुक्म हुआ है कि हम परवर्दिगारे आ़लम के पूरे फ़रमाँबर्दार हो जाएँ। **(71)** और यह कि नमाज़ की पाबन्दी करो और उससे डरो, और वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। **(72)** और वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को बाक़ायदा पैदा किया, और जिस वक़्त वह (यानी अल्लाह तआ़ला) इतना कह देगा कि (हश्र) हो जा, बस वह हो जाएगा। ▲ **(73)** उसका कहना असरदार है, और जबकि सूर में फूँक मारी जाएगी, सारी हुकूमत ख़ास उसी की होगी, वह छुपी हुई और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है, वही है बड़ी हिक्मत वाला (और) पूरी ख़बर रखने वाला।[2] **(74)** और (वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है) जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से फ़रमाया कि क्या तू बुतों को माबूद क़रार देता है?[3] बेशक मैं तुझको और तेरी सारी क़ौम को खुली ग़लती में देखता हूँ। **(75)** और हमने ऐसे ही तौर पर इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की मख़्लूक़ात दिखलाईं (ताकि वे आ़रिफ़ हो जाएँ) और ताकि कामिल यक़ीन करने वालों में से हो जाएँ। **(76)** फिर जब उनपर रात का अंधेरा छा गया तो उन्होंने एक सितारा देखा तो फ़रमाया कि यह मेरा रब है, सो जब वह छुप गया तो फ़रमाया कि मैं छुप जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता। **(77)** फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो फ़रमाया कि यह मेरा रब है,[4] सो जब वह छुप गया तो आपने फ़रमाया कि अगर मेरा रब मुझको हिदायत न करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊँ। **(78)** फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा[5] तो आपने फ़रमाया कि यह मेरा रब है, यह तो सबसे बड़ा है, सो जब वह छुप गया तो फ़रमायाः ऐ मेरी क़ौम! बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हूँ।[6] **(79)** मैं यक्सू होकर अपना रुख़ उसकी तरफ़ करता हूँ जिसने

(पृष्ठ 244 का शेष) अगली आयत में इसका जवाब है, ऊपर ''ज़िक्रा'' और ''ज़क्किर'' में हुक्म था कि मुश्रिकीन को इस्लाम की तरफ़ बुलाएँ, आगे उनके इस्लाम को छोड़ देने की दावत देने का जवाब है।

1. मिसाल देने में जो शैतानों का राह भुला देना ज़िक्र किया गया है, इससे मालूम हुआ कि शैतान और ख़बीस जिन्न की तरफ़ से कभी-कभी इस क़िस्म का क़ब्ज़ा जमाना और अफ़आ़ल ज़ाहिर हो सकते हैं।

2. ऊपर शिर्क को बातिल करना और तौहीद को साबित करना मज़कूर था, आगे इसी मज़मून की ताईद में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तौहीद की तरफ़ दावत का क़िस्सा बयान फ़रमाते हैं, और इस वजह से कि अ़रब वाले इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को मानते थे, ज़िक्र किए गए मज़मून की ताईद में ज़्यादा क़ुव्वत हो गई। और इस क़िस्से में रिसालत के मसले की भी ताईद है कि नुबुव्वत कोई ऐसी अ़जीब व ग़रीब चीज़ नहीं है, पहले से भी अम्बिया होते आए हैं।

3. इन आयतों की तफ़सीर से पहले चन्द ज़रूरी उमूर का लिहाज़ रखना तफ़सीर के समझने में मददगार होगा। अव्वल इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के जो हालात क़ुरआन में ज़िक्र हुए हैं उनसे मालूम होता है कि वह बुत-परस्ती भी करती थी और सितारों को भी दुनिया के कामों में तसर्रुफ़ करने वाला जानती थी। पस वह दो तरीक़े पर मुश्रिक थी, बुतों के माबूद होने का एतिक़ाद रखने और सितारों के रब होने का एतिक़ाद रखने से, इसी वास्ते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के मुनाज़रों में दोनों पर कलाम है। दूसरे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम होश सँभालने ही के वक़्त से तौहीद के पहचानने वाले और मुहक़्क़िक़ थे। तीसरे आपकी क़ौम ख़ुदा की भी क़ायल थी या नहीं, दोनों एहतिमाल हैं। (यानी ख़ुदा की क़ायल हो भी सकती है और नहीं भी)।

4. यानी आपने अपनी क़ौम से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि तुम्हारे गुमान के मुवाफ़िक़ यह मेरा और तुम्हारा रब है।

5. चूँकि उस बस्ती में जिसमें बाबिल और हलब भी दाख़िल हैं जो कि इतिहासकारों के मुताबिक इस गुफ़्तगू **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 248 पर)**

आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। **(80)** और उनसे उनकी क़ौम ने हुज्जत करना शुरू की। फ़रमाया कि क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालाँकि उसने मुझको तरीक़ा बतला दिया है, और मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह तआला के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता, लेकिन हाँ अगर मेरा परवर्दिगार ही कोई मामला चाहे, मेरा परवर्दिगार हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है।[1] क्या तुम फिर ख़्याल नहीं करते? **(81)** और मैं उन चीज़ों से कैसे डरूँ जिनको तुमने शरीक बनाया है, हालाँकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह तआला के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिनपर अल्लाह तआला ने कोई दलील नाज़िल नहीं फ़रमाई,[2] सो उन दो जमाअ़तों में से अमन का ज़्यादा हक़दार कौन है? अगर तुम ख़बर रखते हो। **(82)** जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाते ऐसों ही के लिए अमन है, और वही राह पर (चल रहे) हैं। **(83)** ❖

और यह हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहीम को उनकी क़ौम के मुक़ाबले में दी थी। हम जिसको चाहते हैं रुतबों में बढ़ा देते हैं, बेशक आपका रब बड़ा हिक्मत वाला, बड़ा इल्म वाला है। **(84)** और हमने उनको (एक बेटा) इसहाक़ और (एक पोता) याक़ूब दिया, हर एक को (हक़ रास्ते की) हमने हिदायत की, और (इब्राहीम से) पहले ज़माने में हमने नूह को हिदायत की, और उन (इब्राहीम) की औलाद में से दाऊद को और सुलैमान को और अय्यूब को और यूसुफ़ को और मूसा को और हारून को (हक़ रास्ते की हिदायत की थी), और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते हैं। **(85)** और ज़करिया को और यह्या को और ईसा को और इलियास को (हमने हक़ रास्ते की हिदायत की थी), और ये सब (हज़रात) पूरे शायस्ता "यानी तहज़ीब वाले और अख़्लाक़ व मुरव्वत वाले नेक" लोगों में थे। **(86)** और फिर इसमाईल को और यसअ़ को और यूनुस को और लूत को (हक़ रास्ते की हिदायत की थी) और (इनमें से) हर एक को (उन ज़मानों के) तमाम जहान वालों पर हमने (नुबुव्वत से) फ़ज़ीलत दी **(87)** और साथ ही उनके कुछ बाप-दादों को और कुछ औलाद को और कुछ भाइयों को, और हमने उन (सब) को मक़बूल बनाया और हमने उन सबको सही रास्ते की हिदायत की। **(88)** अल्लाह की हिदायत वह यही (दीन) है, अपने बन्दों में से जिसको चाहे इसकी हिदायत करता है, और अगर (थोड़ी देर को मान लें कि) ये हज़रात भी शिर्क करते तो जो कुछ ये (आमाल किया) करते थे उनसे सब बेकार हो जाते। **(89)** ये ऐसे थे कि हमने उन (के मजमूए) को (आसमानी) किताब और हिक्मत (के उलूम) और नुबुव्वत अ़ता की थी, सो अगर

(पृष्ठ 246 का शेष) का मौक़ा था, सितारों की जो मामूल की रफ़्तार है उसके मुताबिक़ यह एक रात में नहीं हो सकता कि चाँद का अपने किनारे से निकलना किसी सय्यारे के छुपने के बाद हो, और फिर सूरज के निकलने से पहले छुप जाए, इसलिए ये तीनों वाक़िए एक रात के नहीं हो सकते, या तो दो रात के हैं या तीन रात के। पस दोनों जगह "फ़लम्मा रआ" में जो "फ़ा" है वह उर्फ़ के एतिबार से मिलाने और एक दूसरे के बाद होने के मायने में है, न कि हक़ीक़ी तौर पर मिलाने के लिए।

6. यानी बराअत ज़ाहिर करता हूँ। यूँ एतिक़ाद के तौर पर तो हमेशा से बेज़ार ही थे।

1. ग़रज़ क़ुदरत और इल्म दोनों उसी के साथ ख़ास हैं, और तुम्हारे माबूद को न क़ुदरत है न इल्म है।

2. मतलब यह कि तुमको डरना चाहिए, फिर उल्टा मुझ ही को डराते हो।

ये लोग नुबुव्वत का इनकार करें तो हमने उसके लिए बहुत-से ऐसे लोग मुक़र्रर कर दिए हैं जो उसके इनकारी नहीं हैं। **(90)** ये (हज़रात) ऐसे थे जिनको अल्लाह तआला ने (सब्र की) हिदायत की थी, सो आप भी उन्हीं के तरीक़े पर चलिए। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस (क़ुरआन की तब्लीग़) पर कोई मुआवज़ा नहीं चाहता, यह क़ुरआन तो तमाम जहान वालों के वास्ते सिर्फ़ एक नसीहत है।[1] **(91)** ❖

और उन लोगों ने अल्लाह तआला की जैसी क़द्र पहचानना वाजिब थी वैसी क़द्र न पहचानी, जबकि यूँ कह दिया कि अल्लाह ने किसी इनसान पर कोई चीज़ भी नाज़िल नहीं की।[2] आप कहिए कि वह किताब किसने नाज़िल की है जिसको मूसा लाए थे? (जिसकी यह कैफ़ियत है) कि वह नूर है और लोगों के लिए हिदायत है, जिसको तुमने अलग-अलग पन्नों में रख छोड़ा है, जिनको ज़ाहिर कर देते हो और बहुत-सी बातों को छुपाते हो।[3] और तुमको बहुत-सी ऐसी बातें तालीम की गईं जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बड़े, आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़रमाया है फिर उनको उनके मश्ग़ले में बेहूदगी के साथ लगा रहने दीजिए। **(92)** और यह भी ऐसी ही किताब है जिसको हमने नाज़िल किया है, जो बड़ी बरकत वाली है, अपने से पहली किताबों की तस्दीक़ करने वाली है, और ताकि आप मक्का वालों को और उसके आस-पास वालों को डराएँ, और जो लोग आख़िरत का यक़ीन रखते हैं ऐसे लोग इसपर ईमान ले आते हैं और वे अपनी नमाज़ की पूरी पाबन्दी करते हैं। **(93)** और उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ तोहमत लगाए, या यूँ कहे कि मुझ पर वह्य आती है, हालाँकि उसके पास किसी भी बात की वह्य नहीं आई, और जो शख़्स (यूँ) कहे कि जैसा कलाम अल्लाह तआला ने नाज़िल किया है इसी तरह का मैं भी लाता हूँ, और अगर आप उस वक़्त देखें जबकि ये ज़ालिम लोग मौत की सख़्तियों में होंगे और फ़रिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगेः हाँ अपनी जानें निकालो, आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी, इस सबब से कि तुम अल्लाह तआला के ज़िम्मे झूठी बातें बकते थे, और तुम उसकी (यानी अल्लाह तआला की) आयतों से घमण्ड करते थे। **(94)** और तुम हमारे पास अकेले-अकेले आ गए, जिस तरह हमने तुमको अव्वल बार पैदा किया था और जो कुछ हमने तुमको दिया था उसको अपने पीछे ही छोड़ आए, और हम तो तुम्हारे साथ

---

1. ऊपर तौहीद का मज़्मून मक़सद बनाकर मज़्कूर था अगरचे उसके तहत रिसालत के मसले की भी ताईद थी। आगे रिसालत के मसले को मक़सद बनाकर ज़िक्र किया गया है, और इसके नाज़िल होने का सबब यह हुआ था कि एक यहूदी जिसका नाम मालिक बिन सैफ़ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कुछ मज़हबी गुफ़्तगू होने लगी तो जोश में आकर इस क़द्र मुबालग़ा किया कि कहने लगा कि किसी इनसान पर अल्लाह तआला ने कोई किताब नाज़िल नहीं की। एक रिवायत में है कि यहूद ने कहा कि ख़ुदा की क़सम! आसमान से कोई किताब अल्लाह तआला ने नाज़िल नहीं की, इसपर यह आयत नाज़िल हुई।

2. यह कहना क़द्र न पहचानना इसलिए है कि इससे नुबुव्वत के मसले का इनकार लाज़िम आता है, और नुबुव्वत का इनकार करने वाला अल्लाह तआला को झुठलाता है। और हक़ की तस्दीक़ वाजिब है, पस इसमें वाजिब क़द्र पहचानने में ख़लल डालना हुआ।

3. "तज्अलूनहू क़राती-स" से तो यही ज़ाहिर होता है कि हर मज़्मून के पन्ने अलग कर रखे थे, और बाज़ का ऐसा कर लेना कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं। और अगर "क़राती-स" से वह मुराद लिया जाए जो पन्नों में है तो मायने यह हो सकते हैं कि अपने ज़ेहन में तौरात के मुख़्तलिफ़ हिस्से तजवीज़ कर रखे थे, जिनमें से बाज़ मज़ामीन को जैसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तारीफ़ व सिफ़ात को छुपाते थे और उसकी और तावीलें कर देते थे, और अल्लाह ही ज़्यादा जानते हैं। मतलब यह कि जिस तौरात कि यह हालत है कि उसको अव्वल तो तुम मानते हो, दूसरे नूर व हिदायत होने की वजह से मानने के क़ाबिल भी है, तीसरे हर वक़्त तुम्हारे इस्तेमाल में है अगरचे वह इस्तेमाल शर्मनाक है, लेकिन उसकी वजह से इनकार की गुन्जाइश तो नहीं रही, चौथे तुम्हारे हक़ में वह बड़ी नेमत और एहसान की चीज़ है, उसी की बदौलत आ़लिम बने बैठे हो, इस हैसियत से भी उसमें इनकार की गुन्जाइश नहीं। यह बताओ कि उसको किसने नाज़िल किया है।

तुम्हारे उन शफ़ाअ़त करने वालों को नहीं देखते जिनके बारे में तुम दावे रखते थे कि वे तुम्हारे मामले में शरीक हैं। वाक़ई तुम्हारा आपस में तो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, और वह तुम्हारा दावा सब तुमसे गया-गुज़रा हुआ।[1] **(95)** ❖

बेशक अल्लाह तआ़ला फाड़ने वाला है दाने और गुठलियों को,[2] वह जानदार (चीज़) को बेजान (चीज़) से निकाल लाता है[3] और वह बेजान (चीज़) को जानदार (चीज़) से निकालने वाला है,[4] अल्लाह यही है।[5] सो तुम कहाँ उल्टे जा रहे हो? **(96)** वह सुबह का निकालने वाला है, और उसने रात को राहत की चीज़ बनाई है, और सूरज और चाँद (की रफ़्तार) को हिसाब से रखा है।[6] यह ठहराई हुई बात है ऐसी ज़ात की जो कि क़ादिर है, बड़े इल्म वाला है। **(97)** और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फ़ायदे के) लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनके ज़रिये से ख़ुश्की और दरिया के अंधेरों में रास्ता मालूम कर सको, बेशक हमने ख़ूब खोल-खोलकर दलीलें बयान कर दी हैं, उन लोगों के लिए जो ख़बर रखते हैं। **(98)** और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम (सब) को (असल में) एक शख़्स से पैदा किया, फिर एक जगह ज़्यादा रहने की है और एक जगह थोड़ा रहने की है, बेशक हमने ख़ूब खोल-खोलकर दलीलें बयान कर दी हैं, उन लोगों के लिए जो समझ-बूझ रखते हैं। **(99)** और वह ऐसा है जिसने आसमानों से पानी बरसाया, फिर हमने उसके ज़रिये से हर क़िस्म के पेड़-पोधों को निकाला, फिर हमने उससे हरी डाली निकाली कि उससे हम ऊपर-तले चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के दरख़्तों से यानी उनके गुफ्फे में से गुच्छे निकलते हैं, जो (बोझ के मारे) नीचे को लटक जाते हैं, और उसी पानी से हमने अंगूरों के बाग़ और ज़ैतून और अनार के दरख़्त पैदा किए जो कि एक-दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं और एक-दूसरे से मिलते-जुलते नहीं होते। ज़रा हर एक के फल को तो देखो जब वह फलता है, और (फिर) उसके पकने को देखो,[7] उनमें (भी तौहीद की) दलीलें (मौजूद) हैं उन लोगों के लिए जो ईमान (लाने की फ़िक्र) रखते हैं।[8] **(100)** और उन लोगों ने शैतानों को अल्लाह का शरीक क़रार दे रखा है, हालाँकि उन लोगों को ख़ुदा ने पैदा किया है, और उन लोगों ने अल्लाह के हक़ में बेटे और बेटियाँ बिना सनद तराश रखी हैं,[9] वह उन बातों से पाक और बरतर है जिनको ये लोग बयान करते हैं। **(101)** ❖

---

1. ऊपर रिसालत के मसले की तहक़ीक़ मय उसके मुताल्लिक़ात के थी, और उससे ऊपर तौहीद का मसला मज़कूर था। आगे फिर तौहीद की तरफ़ वापसी है, और उसके साथ इस्तिदलाल में अपनी नेमतों का ज़िक्र और अपने नेमत देने वाला होने का भी बयान है ताकि शिर्क का फ़ितरी तौर पर बुरा होना भी ज़ाहिर हो जाए।

2. यानी ज़मीन में दबाने के बाद जो दाना या गुठली फूटती है तो यह अल्लाह ही का काम है।

3. जैसे नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) से आदमी पैदा होता है।

4. जैसे आदमी के बदन से नुत्फ़ा (वीर्य की बूँद) ज़ाहिर होता है।

5. जिसकी ऐसी क़ुदरत है।

6. यानी उनकी रफ़्तार मुक़र्रर और एक निज़ाम के तहत (व्यवस्थित) है, जिससे वक़्तों के मुक़र्रर करने और पाबन्दी में सहूलत हो।

7. इन मज़ामीन में एक अ़जीब तरतीब की रियायत रखी गई है। वह यह कि यहाँ कायनात की तीन क़िस्में ज़िक्र की गयी हैं: सिफ़लियात (यानी नीचे की चीज़ें), उलुव्वियात (बुलन्दी की चीज़ें), फ़िज़ाई कायनात। और शुरू किया नीचे की चीज़ों से कि वे हमसे ज़्यादा क़रीब हैं, और फिर उसके दो हिस्से किए, एक पेड़-पौधों का बयान, दूसरे जानदार चीज़ों का बयान, फिर फ़िज़ाई कायनात का ज़िक्र किया जैसे सुबह व रात, फिर बुलन्दी की चीज़ों का ज़िक्र किया जैसे सूरज व चाँद और सितारे। फिर चूँकि नीचे की चीज़ों का ज़्यादा मुशाहदा होता है इसलिए इसको दोबारा लाकर इसपर ख़त्म फ़रमाया कि पहले वे मुख़्तसर तौर पर मज़कूर थे अब तफ़सील से ज़िक्र किए गए। लेकिन तफ़सील की तरतीब में मुख़्तसर बयान का उल्टा कर दिया गया कि जानदारों के बयान को पहले लाया गया और पेड़-पौधों के बयान को बाद में लाया गया।

8. ऊपर तौहीद की दलीलों का ज़िक्र था, आगे वाज़ेह तौर पर तौहीद को साबित करने **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 254 पर)**

वह आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है, उसके (यानी अल्लाह के) औलाद कहाँ हो सकती है? हालाँकि उसकी कोई बीवी तो है नहीं, और अल्लाह तआला ने हर चीज़ को पैदा किया और वह हर चीज़ को ख़ूब जानता है। **(102)** यह है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, तो तुम उसकी इबादत करो, और वह हर चीज़ का कारसाज़ है।[1] **(103)** उसको तो किसी की निगाह नहीं घेर सकती और वह सब निगाहों को घेर लेता है, और वही बड़ा बारीक देखने वाला, ख़बर रखने वाला है। **(104)** अब बिला शुब्हा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक़ देखने के ज़राए "यानी साधन" पहुँच चुके हैं, सो जो शख़्स देख लेगा वह अपना फ़ायदा करेगा, और जो शख़्स अन्धा रहेगा वह अपना नुक़सान करेगा, और मैं तुम्हारा निगराँ नहीं हूँ। **(105)** और हम इस तौर पर दलाइल को मुख़्तलिफ़ पहलुओं से बयान करते हैं (ताकि आप सबको पहुँचा दें) और ताकि ये यूँ कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम उसको समझदारों के लिए ख़ूब ज़ाहिर कर दें। **(106)** आप खुद इस रास्ते पर चलते रहिए जिसकी वह्य आपके रब की तरफ़ से आपके पास आई है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, और मुश्रिकों की तरफ़ ख़्याल न कीजिए। **(107)** और अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो ये शिर्क न करते, और हमने आपको उनका निगराँ नहीं बनाया और न आप उनपर मुख़्तार हैं।[2] **(108)** और उनको गाली मत दो जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं, (यानी उनके माबूदों को क्योंकि) फिर वे जहालत की वजह से हद से गुज़र कर अल्लाह तआला की शान में गुस्ताख़ी करेंगे, हमने इसी तरह हर तरीक़े वालों को उनका अ़मल पसन्दीदा बना रखा है,[3] फिर अपने रब ही के पास उनको जाना है, सो वह उनको बतला देगा जो कुछ भी वे किया करते थे। **(109)** और उन (इनकार करने वाले) लोगों ने अपनी क़स्मों में बड़ा ज़ोर लगाकर अल्लाह की क़सम खाई कि अगर उनके पास कोई निशानी आ जाए तो वे ज़रूर ही उसपर ईमान ले आएँगे। आप (जवाब में) कह दीजिए कि निशानियाँ सब खुदा तआला के क़ब्ज़े में हैं, और तुमको इसकी क्या ख़बर (बल्कि हमको ख़बर है) कि वे निशान जिस वक़्त आ जाएँगे, ये लोग जब भी ईमान न लाएँगे।[4] **(110)** और हम भी उनके दिलों और निगाहों को फेर देंगे[5] जैसा कि ये लोग उसपर पहली बार ईमान नहीं लाए और हम उनको उनकी सरकशी में हैरान रहने देंगे। **(111)** ❖

(पृष्ठ 252 का शेष) और शिर्क को बातिल करने का बयान है।

9. जैसे ईसाई लोग हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम को और कुछ यहूदी हज़रत उज़ैर अ़लैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और अ़रब के मुश्रिक फ़रिश्तों को खुदा की बेटियाँ कहते थे।

1. ग़रज़ ख़ालिक़ भी वही, जानने वाला भी वही, वकील भी वही और ये सब उमूर इसका तक़ाज़ा करते हैं कि माबूद भी वही हो।

2. ऊपर के मज़ामीन में मुश्रिकीन के तरीक़े का बातिल होना और साथ ही ज़िक्र हुए मज़ामीन के साथ उसकी तब्लीग़ का हुक्म भी किया गया है। आगे मुश्रिकीन के बातिल माबूदों को बुरा-भला कहने से मुसलमानों को मना फ़रमा कर तब्लीग़े-दीन की हदें क़ायम करते हैं, जिसका हासिल यह है कि ग़ैर-क़ौम से मुनाज़रा करना तो तब्लीग़ का हिस्सा है लेकिन गाली-गलोच और दिल दुखाने वाली बातें उनके हक़ में कहना जिनका वे एहतिराम करते हैं मना है। सबब यह है कि इस तरह वे भी हमारे माबूद या रसूलों और क़ाबिले एहतिराम शख़्सियतों की शान में गुस्ताख़ी करेंगे, तो गोया उसके सबब हम हुए।

★ बुतों को बुरा कहना अपने आपमें जायज़ है मगर जब वह ज़रिया बन जाए एक हराम काम यानी अल्लाह तआ़ला की शान में गुस्ताख़ी का तो वह भी मना और ना-पसन्दीदा हो जाएगा। इससे शरीअ़त का एक क़ायदा साबित हुआ कि जब कोई जायज़ काम या मामला हराम का सबब बन जाए तो वह भी हराम हो जाता है, और क़ुरआन मजीद की बाज़ आयतों में जो बातिल माबूदों की तहक़ीर (अपमान) मज़कूर है वह बुरा-भला कहने के तौर पर नहीं, बल्कि मुनाज़रे में बतौर मक़सद की तहक़ीक़ व इस्तिदलाल और मुख़ालिफ़ पर इल्ज़ाम रखने के लिए है जो मुनाज़रों में इस्तेमाल होता है, और हालात से मुख़ातब को फ़र्क़ **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 256 पर)**

आठवाँ पारः व लौ अन्नना

सूरः अनूआम (आयत 112 से 166)

और अगर हम उनके पास फ़रिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम (ग़ैब में) मौजूद तमाम चीज़ों को उनके पास उनकी आँखों के सामने लाकर जमा कर देते तब भी ये लोग ईमान न लाते, हाँ अगर ख़ुदा ही चाहे (तो और बात है), लेकिन उनमें से अक्सर लोग जहालत की बातें करते हैं। **(112)** और इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बहुत-से शैतान पैदा किए, कुछ आदमी और कुछ जिन्न, जिनमें से बाज़े दूसरे बाज़ों को चिकनी-चुपड़ी बातों का वस्वसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें। और अगर तुम्हारा परवर्दिगार चाहता तो ये ऐसे काम न कर सकते, सो उन लोगों को और जो कुछ ये बोहतान लगा रहे हैं उसको आप रहने दीजिए। **(113)** और ताकि उसकी तरफ़ उन लोगों के दिल माइल हो जाएँ जो आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते, और ताकि उसको पसन्द कर लें और ताकि उन उमूर के करने वाले हो जाएँ जिनको वे करते थे। **(114)** तो क्या अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी और फ़ैसला करने वाले को तलाश करूँ? हालाँकि वह ऐसा है कि उसने एक कामिल किताब तुम्हारे पास भेज दी है, उसकी हालत यह है कि उसके मज़ामीन ख़ूब साफ़-साफ़ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस बात को यक़ीन के साथ जानते हैं कि यह (क़ुरआन) आपके रब की तरफ़ से हक़ के साथ भेजा गया है, सो आप शुब्हा करने वालों में न हों। **(115)** और आपके रब का कलाम हक़ीक़त और एतिदाल के एतिबार से कामिल है, उसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं, और वे ख़ूब सुन रहे हैं, ख़ूब जान रहे हैं। **(116)** और दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वे आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें,[1] वे सिर्फ़ बेअसल ख़्यालात पर चलते हैं और बिलकुल ख़्याली बातें करते हैं।[2] **(117)** यक़ीनन आपका रब उसको ख़ूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वह उनको भी ख़ूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं **(118)** सो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ[3] अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो[4] **(119)** और तुमको कौन-सी चीज़ इसका सबब हो

(पृष्ठ 254 का शेष) मालूम हो जाता है कि तहक़ीक़ मक़सूद है या अपमान। अव्वल जायज़ है दूसरा नाजायज़।

3. यानी ऐसे असबाब जमा हो जाते हैं कि उनकी वजह से हर एक को अपना तरीक़ा पसन्द होता है, इससे मालूम हुआ कि यह जहान असल में आज़माइश का है, पस इसमें सज़ा ज़रूरी नहीं।

4. "लयुअ्मिनुन्-न बिहा" में कुफ़्फ़ार के क़ौल की नक़ल है और "इन्नमल् आयातु अिन्दल्लाहि" में उनका जवाब है, और "व मा युश्अिरुकुम" से आख़िर तक मुसलमानों को तंबीह और ख़िताब है। जवाब का हासिल यह है कि रसूल नुबुव्वत के दावेदार हैं और मोजिज़ात इस दावे की दलील हैं और मुद्दई के ज़िम्मे अक़्ली क़ायदे के मुताबिक़ मुतलक़ दलील का क़ायम करना ज़रूरी है, किसी ख़ास दलील का मुतैयन करना ज़रूरी नहीं, इसलिए इन इनकार करने वालों को नई निशानियों के तलब करने का हक़ न था, हाँ पेश की हुई दलीलों पर बहस व सवालात करें तो उसका जवाब ख़ुद या अपने किसी नायब के ज़रिये मुद्दई के ज़िम्मे है, जिसके लिए इस्लाम के हक़ होने का हर मुद्दई अब भी आमादा है।

5. इससे यह शुब्हा न किया जाए कि अल्लाह तआ़ला ही ने उनको ख़राब कर दिया फिर पकड़ व इल्ज़ाम क्यों, इसलिए कि इस फेर देने का सबब उनका मुँह मोड़ना है। यह नहीं कि उनके दिल हक़ की तरफ़ पहले ही से मुतवज्जह हों और फिर फेर दिया गया हो, ख़ुदा की पनाः हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि तवज्जोह के साथ तो यह वायदा है कि "वल्लज़ी-न जाहदू फ़ीना ल-नह्दियन्नहुम् सुबु-लना" (यानी जो हमारे रास्ते में मशक़्क़तें बर्दाश्त करते हैं हम ज़रूर उनको अपने क़ुर्ब व सवाब यानी जन्नत के रास्ते दिखा देंगे)।

1. "ला तकूनन्-न" और "इन तुतिअ्......" में फ़ेअ़्ल की निस्बत जो रसूलुल्लाह सल्ल. (शेष तफ़सीर पृष्ठ 258 पर)

सकती है कि तुम ऐसे जानवर में से न खाओ जिसपर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालाँकि अल्लाह तआला ने उन सब जानवरों की तफ़सील बतला दी है जिनको तुमपर हराम किया है, मगर जब तुमको सख़्त ज़रूरत पड़ जाए तो वे भी हलाल हैं, और यह यक़ीनी बात है कि बहुत-से आदमी अपने ग़लत ख़्यालात से बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुब्हा नहीं कि आपका रब हद से निकल जाने वालों को ख़ूब जानता है। **(120)** और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिनी गुनाह को भी (छोड़ो), बिला शुब्हा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की जल्द ही सज़ा मिलेगी। **(121)** और उन (जानवरों) में से मत खाओ जिनपर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और यह नाफ़रमानी (की बात) है,[1] और यक़ीनन शयातीन अपने दोस्तों को तालीम कर रहे हैं, ताकि ये तुमसे (बेकार) झगड़ा करें। और अगर (ख़ुदा न करे) तुम उन लोगों की इताअ़त करने लगो तो यक़ीनन तुम मुश्रिक हो जाओ।[2] **(122)** ❖

ऐसा शख़्स जो कि पहले मुर्दा था[3] फिर हमने उसको ज़िन्दा बना दिया,[4] और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वह उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है,[5] क्या उस शख़्स की तरह हो सकता है जिसकी हालत यह है कि वह अंधेरियों में है, उनसे निकलने ही नहीं पाता, इसी तरह काफ़िरों को उनके आमाल अच्छे मालूम हुआ करते हैं।[6] **(123)** और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों 'यानी बड़े लोगों और सरदारों' ही को जुर्मों का करने वाला बनाया ताकि वे लोग वहाँ शरारतें किया करें,[7] और वे लोग अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं[8] और उनको ज़रा ख़बर नहीं। **(124)** और जब उनको कोई आयत पहुँचती है तो यूँ कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान न लाएँगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ (न) दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है।[9] उस मौक़े को तो ख़ुदा ही ख़ूब जानता है जहाँ अपना पैग़ाम भेजता है, जल्द ही उन लोगों को जिन्होंने यह जुर्म किया है ख़ुदा के पास पहुँचकर ज़िल्लत पहुँचेगी, और उनकी शरारतों के मुक़ाबले में सख़्त सज़ा। **(125)** सो जिस शख़्स को अल्लाह तआला रास्ते पर डालना चाहते हैं उसके सीने को[10] इस्लाम के लिए खोल देते हैं, और जिसको बेराह रखना चाहते हैं उसके सीने को तंग, बहुत तंग कर देते हैं, जैसे कोई आसमान में चढ़ता हो,[11] इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर फिटकार डालता है। **(126)**

(पृष्ठ 256 का शेष) की तरफ़ की गई है, इससे सुनाना औरों को मन्ज़ूर है। आपकी तरफ़ निस्बत करने से मुबालग़ा हो गया कि जब आपको बावजूद इसके कि इसका इम्कान ही नहीं कि आप ग़ैरुल्लाह की इताअ़त करें, ऐसा कहा गया तो दूसरों की क्या हस्ती है, जैसा कि "अव्लग़ी" में भी ज़ाहिरन निस्बत आपकी तरफ़ है और मक़सूद यह है कि तुम किसी और को तलाश करते हो, जिसका सबब मुनाज़रे में नर्मी का अन्दाज़ इख़्तियार करना है जो दावत में ज़्यादा मुफ़ीद है।

2. यानी अ़क़ीदों में वे महज़ बेअसल ख़्यालात पर चलते हैं, और गुफ़्तगू में बिलकुल ख़्याली और अन्दाज़े की बातें करते हैं।

3. ऊपर "व इन् तुतिअ्....." में गुमराह लोगों की पैरवी से बिलकुल मना फ़रमाया था, अब एक वाक़िए की ज़रूरत के सबब एक ख़ास मामले में पैरवी करने से मना फ़रमाते हैं, और वह ख़ास मामला ज़िब्ह किए गए और ग़ैर-ज़िब्ह किए गए जानवर के हलाल और हराम होने का मामला है। और वह वाक़िआ यह है कि कुफ़्फ़ार ने मुसलमानों को यह शुब्हा डालना चाहा कि अल्लाह के मारे हुए जानवर को तो खाते नहीं हो और अपने मारे हुए यानी ज़िब्ह किए हुए को खाते हो। बाज़ मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह शुब्हा नक़ल किया, उसपर ये आयतें "ल-मुश्रिकून" तक नाज़िल हुई।

4. क्योंकि हलाल को हराम जानना ख़िलाफ़े ईमान है।

1. यानी "मा लम् युज़्करिस्मुल्लाहि अ़लैहि" का खाना नाफ़रमानी है।

2. यानी उनकी इताअ़त ऐसी बुरी चीज़ है कि उसकी तरफ़ ध्यान लगाने से भी बचना चाहिए।

3. यानी गुमराह था।

4. यानी मुसलमान बना दिया।

5. यानी ईमान दे दिया जो हर वक़्त उसके साथ रहता है, जिससे वह सब नुक़सानों **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 260 पर)**

और यही आपके रब का सीधा रास्ता है।[1] हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ़-साफ़ बयान कर दिया।[2] **(127)** उन लोगों के वास्ते उनके रब के पास सलामती का घर है, और वह (यानी अल्लाह तआला) उनसे उनके आमाल की वजह से मुहब्बत रखता है। **(128)** और जिस दिन अल्लाह तआला तमाम मख़्लूक़ों को जमा करेंगे (और कहेंगे) ऐ जिन्नात की जमाअत! तुमने इनसानों (को गुमराह करने) में बड़ा हिस्सा लिया। जो इनसान उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे वे (इक़रार के तौर पर) कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हममें एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था, और हम अपनी इस मुक़र्ररा मीयाद "यानी निश्चित समय" तक आ पहुँचे जो आपने हमारे लिए मुअय्यन "यानी निर्धारित" फ़रमाई थी (यानी क़ियामत)। वह (यानी अल्लाह तआला सारे काफ़िर जिन्न और काफ़िर इनसानों से) फ़रमाएँगे कि तुम सबका ठिकाना दोज़ख़ है, जिसमें हमेशा-हमेशा को रहोगे। हाँ अगर ख़ुदा ही को मन्ज़ूर हो (तो दूसरी बात है)। बेशक आपका रब बड़ा हिक्मत वाला, बड़ा इल्म वाला है।[3] **(129)** और इसी तरह हम बाज़ कुफ़्फ़ार को बाज़ के क़रीब रखेंगे उनके आमाल के सबब। **(130)** ❖

ऐ जिन्नात और इनसानों की जमाअत! क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैग़म्बर नहीं आए थें? जो तुमसे मेरे अहकाम बयान किया करते थे, और तुमको इस आज के दिन की ख़बर दिया करते थे। वे सब अर्ज़ करेंगे कि हम अपने ऊपर (जुर्म का) इक़रार करते हैं, और उनको दुनियावी ज़िन्दगानी ने भूल में डाल रखा है, और ये लोग इक़रार करेंगे कि वे काफ़िर थे। **(131)** यह इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफ़्र के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले बेख़बर हों।[4] **(132)** और हर एक के लिए दर्जे हैं उनके आमाल के सबब, और आपका रब उनके आमाल से बेख़बर नहीं है। **(133)** और आपका रब बिलकुल ग़नी है, रहमत वाला है,[5] अगर वह चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक-दूसरी क़ौम की नस्ल से पैदा किया है। **(134)** जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया जाता है वह बेशक आने वाली चीज़ है,[6] और तुम आजिज़ नहीं कर सकते। **(135)** आप यह फ़रमा दीजिए कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। सो अब जल्दी ही तुमको मालूम हो जाता है कि (उस जहान का) अन्जामकार किसके लिए नफ़ा देने वाला

(पृष्ठ 258 का शेष) जैसे गुमराही वग़ैरह से महफ़ूज़, मामून और बेफ़िक्र है।

6. चुनाँचे इसी वजह से ये मक्का के सरदार लोग जो आपसे बेकार फ़रमाइशें और शुब्हात व झगड़े पेश करते रहते हैं, अपने कुफ़्र को अच्छा ही समझकर उसपर अड़े हुए हैं।

7. जिससे उनका सज़ा का हक़दार होना ख़ूब साबित हो जाए।

8. क्योंकि उसका वबाल तो ख़ुद उनको ही भुगतना पड़ेगा।

9. इस क़ौल का बहुत बड़ा जुर्म होना ज़ाहिर है कि झुठलाने, दुश्मनी, घमण्ड और गुस्ताख़ी सब को शामिल है।

10. यानी दिल को।

11. यानी चढ़ना चाहता हो और चढ़ा नहीं जाता, और जी तंग होता है, और मुसीबत का सामना होता है।

1. यानी इस्लाम।

2. ताकि वे इसके मोजिज़ा होने से इसकी तस्दीक़ करें और फिर इसके मज़ामीन पर अमल करके नजात हासिल करें, यही तस्दीक़ व अमल सीधा रास्ता है, बख़िलाफ़ उनके जिनको नसीहत हासिल करने की फ़िक्र ही नहीं। उनके वास्ते न यह काफ़ी है न दूसरी दलीलें काफ़ी हैं।

3. इल्म से सबके जराइम मालूम करता है और हिक्मत से मुनासिब सज़ा देता है।

4. इसलिए रसूलों को भेजते हैं ताकि उनको जराइम की इत्तिला हो जाए, फिर जिसको अज़ाब हो उसका हक़दार होने की वजह से हो।

5. वह रसूलों को कुछ इसलिए नहीं भेजता कि नऊज़ु बिल्लाह (अल्लाह की पनाह) वह इबादत का **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 262 पर)**

होगा। यह यक़ीनी बात है कि हक़-तल्फ़ी करने वालों को कभी फ़लाह "यानी कामयाबी" न होगी।[1] (136) और (अल्लाह तआला ने) जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, उन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुक़र्रर किया और अपने गुमान के मुताबिक़ कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है और यह हमारे माबूदों का है, फिर जो चीज़ उनके माबूदों की होती है वह तो अल्लाह की तरफ़ नहीं पहुँचती और जो चीज़ अल्लाह की होती है वह उनके माबूदों की तरफ़ पहुँच जाती है,[2] उन्होंने क्या बुरी तजवीज़ निकाल रखी है। (137) और इसी तरह बहुत-से मुश्रिकों के ख़्याल में उनके माबूदों ने अपनी औलाद के क़त्ल करने को अच्छा और पसन्दीदा बना रखा है ताकि वे उनको बर्बाद करें और ताकि उनके तरीक़े को ख़ल्त-मल्त कर दें।[3] और अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो ये ऐसा काम न करते। तो आप उनको और जो कुछ ये ग़लत बातें बना रहे हैं, यूँ ही रहने दीजिए। (138) और वे अपने (बातिल) ख़्याल पर यह भी कहते हैं कि ये (मख़्सूस) मवेशी हैं और (मख़्सूस) खेत हैं, जिनका इस्तेमाल हर शख़्स को जायज़ नहीं, उनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहें,[4] और कहते हैं कि ये (मख़्सूस) मवेशी हैं जिनपर सवारी या बोझ लादने का काम हराम कर दिया गया है,[5] और (मख़्सूस) मवेशी हैं जिनपर ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते, (ये सब बातें) सिर्फ़ अल्लाह पर बोहतान बाँधने के तौर पर (कहते) हैं[6] अभी अल्लाह तआला उनको उनके बोहतान बाँधने की सज़ा दिए देता है (139) और वे (यूँ भी) कहते हैं कि जो चीज़ उन मवेशियों के पेट में (से निकलती) है[7] वह ख़ालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वह (पेट का निकला हुआ बच्चा) मुर्दा है तो उस (से नफ़ा उठाने के जायज़ होने) में (मर्द व औरत) सब बराबर हैं,[8] अभी अल्लाह तआला उनको उनकी ग़लत-बयानी की सज़ा दिये देता है। बेशक वह बड़ा हिक्मत वाला है, बड़ा इल्म वाला है।[9] (140) वाक़ई वे लोग ख़राबी में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को महज़ बेवक़ूफ़ी की वजह से बिला किसी सनद के क़त्ल कर डाला, और जो (हलाल) चीज़ें उनको अल्लाह तआला ने खाने-पीने को दी थीं उनको हराम कर लिया महज़ अल्लाह पर तोहमत बाँधने के तौर पर, बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह पर चलने वाले नहीं हुए।[10] ◆ (141) ❖

(पृष्ठ 260 का शेष) मोहताज है, वह तो बिलकुल ग़नी है, बल्कि इसलिए भेजता है कि वह रहमत वाला भी है। अपनी रहमत से रसूलों को भेजा ताकि उनके ज़रिये से लोगों को फ़ायदेमन्द और नुक़सान देने वाली चीज़ें मालूम हो जाएँ, और वे नफ़ा देने वाली चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ और नुक़सान देने वाली चीज़ों से महफ़ूज़ रहें, इसमें बन्दों ही का नफ़ा है।

6. यानी क़ियामत व अ़ज़ाब।

1. ऊपर मुश्रिकीन के कुफ़्रिया व शिर्किया एतिक़ादों की जहालतों का बयान था, आगे उनकी बाज़ अ़मली जहालतों का बयान है, जिसका मन्शा शिर्क व कुफ़्र था।

2. ग़ल्ले और फल में से कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम का निकालते और कुछ बुतों और जिन्नात के नाम का। फिर अगर इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के हिस्से में से कुछ बुतों के हिस्से में मिल जाता तो उसको मिला रहने देते, और अगर उल्टा हो जाता तो उसको निकाल कर फिर बुतों के हिस्से में मिला देते, और बहाना यह करते कि अल्लाह तो ग़नी है, उसका हिस्सा कम हो जाने से उसको कोई नुक़सान नहीं, और शुरका यानी बुत मोहताज हैं, उनका हिस्सा न घटना चाहिए।

3. ताकि वे हमेशा ग़लती में फँसे रहें।

4. कुछ खेत बुतों के नाम वक़्फ़ कर देते और कहते कि इसके ख़र्च होने की असल जगह मर्द हैं और औरतों को इसमें से कुछ देना हमारी राय पर है, अगर हमारी मरज़ी हो तो कुछ हिस्सा उनको दे सकते हैं वरना वे इसके ख़र्च होने की जगह नहीं। इसी तरह मवेशियों के बारे में भी उनका अ़मल था। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 264 पर)**

और वही (अल्लाह पाक) है जिसने बाग़ पैदा किए, वे भी जो टट्टियों "यानी बाँस या सरकन्डों के बने हुए छप्पर व झोंपड़ी" पर चढ़ाए जाते हैं, (जैसे अंगूर) और वे भी जो टट्टियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के पेड़ और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख़्तलिफ़ तौर की होती हैं, और आपस में ज़ैतून और अनार (यानी अनार-अनार आपस में और ज़ैतून-ज़ैतून आपस में) एक-दूसरे के जैसे भी होते हैं और (कभी) एक-दूसरे के जैसे नहीं होते, उन सबकी पैदावार खाओ जब वह निकल आए, और उसमें (शरीअ़त की रू से) जो हक़ वाजिब है वह उसके काटने (और तोड़ने) के दिन (ग़रीबों को) दिया करो।[1] और हद से मत गुज़रो, यक़ीनन वह हद से गुज़रने वालों को ना-पसन्द करते हैं। **(142)** और मवेशियों में ऊँचे क़द के और छोटे क़द के, जो कुछ अल्लाह तआ़ला ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर मत चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। **(143)** (और ये मवेशी) आठ नर व मादा (पैदा किए) यानी भेड़ (और दुंबा) में दो क़िस्म (नर व मादा) और बकरी में दो क़िस्म (नर व मादा)। आप (उनसे) कहिए कि क्या अल्लाह तआ़ला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को, या उस (बच्चे) को जिसको दोनों मादा (अपने) पेट में लिए हुए हैं! तुम मुझको किसी दलील से तो बतलाओ, अगर तुम सच्चे हो। **(144)** और ऊँट में दो क़िस्म और गाय (भैंस) में दो क़िस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह तआ़ला ने उन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को, या उस (बच्चे) को जिसको दोनों मादा (अपने) पेट में लिए हुए हों। क्या तुम उस वक़्त हाज़िर थे जिस वक़्त अल्लाह तआ़ला ने इस (हराम व हलाल होने) का हुक्म दिया? तो उससे ज़्यादा (और) कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआ़ला पर बिला दलील झूठ तोहमत लगाए? ताकि लोगों को गुमराह करे। यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ज़ालिम लोगों को (आख़िरत में जन्नत का) रास्ता न दिखलाएँगे।[2] **(145)** ❖

आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम वह्य के ज़रिये से मेरे पास आए हैं उनमें तो मैं किसी खाने वाले के लिए कोई हराम (ग़िज़ा) नहीं पाता जो उसको खाए, मगर यह कि वह मुर्दार (जानवर) हो,[3] या बहता हुआ ख़ून हो, या सुअर का गोश्त हो क्योंकि वह बिलकुल नापाक है,[4] या जो (जानवर) शिर्क का ज़रिया हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नामज़द कर दिया गया हो। फिर जो शख़्स बेताब हो जाए, शर्त यह है कि न तो मज़े का तालिब हो और न (ज़रूरत की मात्रा से) आगे बढ़ने वाला हो तो वाक़ई आपका रब माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है।[5] **(146)** और यहूद पर हमने तमाम नाख़ुन वाले जानवर हराम कर दिए थे,

---

(पृष्ठ 262 का शेष) **5.** जिन जानवरों को बुतों के नाम मख़्सूस करके छोड़ देते थे उनपर सवारी करने और सामान लादने को जायज़ न समझते थे।

6. बोहतान बाँधना इसलिए कि वे इन उमूर को अल्लाह तआ़ला की ख़ुश्नूदी का सबब समझते थे।

7. जैसे दूध या बच्चा।

8. बहीरा और साइबा के ज़िब्ह के वक़्त जो बच्चा पेट में से निकलता, अगर वह ज़िन्दा होता तो उसको ज़िब्ह कर लेते और उसे मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम समझते। और अगर वह मुर्दा होता तो सबके लिए हलाल समझते। इसी तरह बाज़ जानवरों के दूध को मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम समझते थे।

9. अब तक जो सज़ा नहीं मिली तो उसकी वजह यह है कि बेशक अल्लाह तआ़ला हिक्मत वाला है, उसने बाज़ हिक्मतों से मोहलत दे रखी है। और अभी सज़ा न देने से कोई यह न समझे कि उसको ख़बर नहीं, क्योंकि वह बड़ा इल्म वाला है, उसको सब ख़बर है।

10. यह गुमराही नई नहीं क्योंकि पहले भी कभी राह पर चलने वाले नहीं हुए। पस इस आयत में उनके गुमराह होने को और ताकीद के साथ बयान किया गया और आयत के आख़िरी हिस्से में उनके बुरे अन्जाम यानी सज़ा होने का ज़िक्र है।

1. इस आयत में जिस शरई हक़ ख़ैर-ख़ैरात का ज़िक्र है उससे उश्र (यानी दसवाँ हिस्सा) मुराद नहीं जो कि ज़मीन की ज़कात है।

2. ऊपर मुश्रिकों के ख़ुद ही हलाल व हराम घड़ लेने के ग़लत और बेबुनियाद होने को बयान फ़रमाया है। आगे भी इसी मज़मून की ताईद है कि जिन जानवरों का बयान हो रहा है उनमें हराम तो फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें हैं, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 266 पर)**

और गाय और बकरी (के अंगों) में से उन दोनों की चरबियाँ उनपर हमने हराम कर दी थीं, मगर वह जो उनकी पुश्त पर या अंतड़ियों में लगी हो, या जो हड्डी से मिली हो। उनकी शरारत के सबब हमने उनको यह सज़ा दी थी, और हम यक़ीनन सच्चे हैं। **(147)** फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फ़रमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी विशाल रहमत वाला है[1] और उसका अ़ज़ाब मुज्रिम लोगों से न टलेगा। **(148)** ये मुश्रिक यूँ कहने को हैं कि अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो न हम शिर्क करते और न हमारे बाप-दादा, और न हम किसी चीज़ को हराम कह सकते, इसी तरह जो (काफ़िर) लोग उनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (रसूलों को) झुठलाया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अ़ज़ाब का मज़ा चखा।[2] आप कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है?[3] तो उसको हमारे सामने ज़ाहिर करो, तुम लोग सिर्फ़ ख़्याली बातों पर चलते हो, और तुम बिलकुल अटकल से बातें बनाते हो। **(149)** आप कहिए कि पस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वह चाहता तो तुम सबको राह पर ले आता।[4] **(150)** आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर (बाक़ायदा) गवाही दें कि अल्लाह तआ़ला ने इन (ज़िक्र की हुई चीज़ों) को हराम कर दिया है, फिर अगर वे गवाही दे दें तो आप उस गवाही को न सुनें। और (ऐ मुख़ातब!) ऐसे लोगों के बातिल ख़्यालात की पैरवी मत करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, और वे अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। **(151)** ❖

आप (उनसे) कहिए कि आओ मैं तुमको वे चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुमपर हराम फ़रमाया है, वे ये कि (१) अल्लाह तआ़ला के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ,[5] (२) और माँ-बाप के साथ एहसान किया करो, (३) और अपनी औलाद को बदहाली और तंगी के सबब क़त्ल मत किया करो, हम तुमको और उनको (तयशुदा) रिज़्क़ देंगे, (४) और बेहयाई के जितने तरीक़े हैं उनके पास भी मत जाओ, चाहे वे एलानिया हों या छुपे तौर पर हों, (५) और जिसका ख़ून करना अल्लाह तआ़ला ने हराम कर दिया है उसको क़त्ल मत करो मगर हक़ पर, इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। **(152)** (६) और

(पृष्ठ 264 का शेष) तुम अपनी तरफ़ से क्यों घड़ते हो। और इसमें उनकी एक दूसरी गुमराही की तरफ़ भी इशारा है, क्योंकि बहते हुए ख़ून और अल्लाह के अ़लावा दूसरे के नाम पर ज़िब्ह किए हुए जानवर के खाने की आ़म आ़दत थी। पस ऊपर हलाल को हराम करने का ज़िक्र था और यह हराम को हलाल करने का ज़िक्र है।

3. यानी जिसका ज़िब्ह करना वाजिब हो और वह शरई तरीक़े पर ज़िब्ह किए बिना मर जाए।

4. सुअर के सब हिस्से और अंग नापाक और हराम हैं, ऐसा नापाक मुकम्मल नापाक कहलाता है।

5. ऊपर जो मज़मून ज़िक्र किया गया था आगे उसके मुताल्लिक़ एक शुब्हा का जवाब है कि खाने-पीने की जिन चीज़ों की बहस जारी है उनमें कुछ चीज़ों को छोड़कर सबको हलाल किया गया है, हालाँकि बाज़ अहले किताब से मालूम हुआ कि बाज़े और जानवर भी हराम हैं। जवाब यह है कि यह हराम होना सिर्फ़ यहूद के लिए एक सबब की वजह से हुआ था जो अब ख़त्म हो गया, पस दावा अपनी जगह पर सही और उसकी ज़िद (यानी उसका उल्टा) अपनी जगह पर ग़लत है।

1. इसलिए बाज़ हिक्मतों से जल्दी पकड़ नहीं फ़रमाते।

2. चाहे दुनिया में जैसा कि अक्सर पिछले कुफ़्फ़ार पर अ़ज़ाब नाज़िल हुआ है, या मरने के बाद तो ज़ाहिर ही है। और यह इशारा है इस तरफ़ कि उन लोगों के उन कुफ़्रियात (यानी कुफ़्र भरी बातों और हरकतों) के मुक़ाबले में सिर्फ़ ज़बानी जवाब और मुनाज़रे पर बस न किया जाएगा बल्कि पिछले कुफ़्फ़ार की तरह अ़मली सज़ा भी दी जाएगी। चाहे दुनिया में भी या सिर्फ़ आख़िरत में।

3. यानी इस दावे पर कि किसी अ़मल के सादिर होने की क़ुदरत देना रज़ामन्दी की दलील है।

4. मगर हक़ तआ़ला की बहुत-सी हिक्मतें हैं, किसी को तौफ़ीक़ दी किसी को नहीं दी। अलबत्ता हक़ का इज़हार और इख़्तियार व इरादे का देना सबके लिए आ़म है।

5. पस शरीक ठहराना हराम हुआ।

यतीम के माल के पास मत जाओ मगर ऐसे तरीक़े से जो कि अच्छा और पसन्दीदा है,[1] यहाँ तक कि वह अपने बालिग़ होने की उम्र को पहुँच जाए, (७) और नाप-तौल पूरी-पूरी किया करो इन्साफ़ के साथ, हम किसी शख़्स को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते,[2] (८) और जब तुम बात किया करो तो इन्साफ़ रखा करो, चाहे वह शख़्स[3] रिश्तेदार ही हो, (९) और अल्लाह तआला से जो अ़हद किया करो[4] उसको पूरा किया करो। इन (सब) का तुमको अल्लाह तआ़ला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो (और अ़मल करो)। **(153)** और यह कि यह दीन मेरा रास्ता है, जो कि सीधा है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वे (राहें) तुमको उसकी (यानी अल्लाह की) राह से जुदा कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह तआ़ला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम (इस राह के ख़िलाफ़ करने से) एहतियात रखो। **(154)** फिर हमने मूसा को किताब दी थी, जिससे अ़मल करने वालों पर अच्छी तरह नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफ़सील हो जाए, और रहनुमाई हो और रहमत हो, ताकि वे लोग अपने रब की मुलाक़ात होने पर यक़ीन लाएँ। **(155)** ❖

और यह (क़ुरआन मजीद) एक किताब है जिसको हमने भेजा, बड़ी ख़ैर व बरकत वाली, सो इसका इत्तिबा करो और डरो, ताकि तुम पर रहमत हो। **(156)** कभी तुम लोग यूँ कहने लगते कि किताब तो सिर्फ़ हमसे पहले जो दो फ़िर्क़े थे उनपर नाज़िल हुई थी और हम उनके पढ़ने-पढ़ाने से बिलकुल बेख़बर थे। **(157)** या यूँ कहते कि अगर हमपर कोई किताब नाज़िल होती तो हम उनसे भी ज़्यादा राह पर होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब के पास से एक वाज़ेह किताब और रहनुमाई का ज़रिया और रहमत आ चुकी है, सो उस शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बतलाए और इससे रोके? हम अभी उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं उनके इस रोकने के सबब सख़्त सज़ा देंगे। **(158)** ये लोग सिर्फ़ इस बात के मुन्तज़िर हैं कि उनके पास फ़रिश्ते आएँ या उनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए।[5] जिस दिन आपके रब की यह बड़ी निशानी आ पहुँचेगी, किसी ऐसे शख़्स का ईमान उसके काम न आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता, या उसने अपने ईमान में कोई नेक अ़मल न किया हो, आप फ़रमा दीजिए कि तुम मुन्तज़िर रहो हम भी मुन्तज़िर हैं।[6] **(159)** बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को

---

1. जैसे उसके काम में लगाना, उसकी हिफ़ाज़त करना और बाज़ औलिया (सरपरस्तों) और जिनके लिए वसीयत की गई है, उनको उसमें यतीम के लिए तिजारत करने की भी इजाज़त है।
2. फिर उनके अहकाम में कोताही क्यों की जाए।
3. जिसके मुक़ाबले में वह बात कह रहे हो।
4. जैसे क़सम या मन्नत. शर्त यह है कि वह शरीअ़त में जायज़ हो।
5. मतलब यह हुआ कि क्या ईमान लाने में क़ियामत के आने या नज़दीक होने का इन्तिज़ार है।
6. यहाँ तक बयान का ज़्यादा हिस्सा मुश्रिकीन के बारे में है, आगे एक आ़म उनवान से दूसरे गुमराहों का हक़ से दूर और वईद (सज़ा की धमकी) का हक़दार होना बयान फ़रमाते हैं, जिसमें सब कुफ़्फ़ार, मुश्रिकीन, अहले किताब और ख़्वाहिशों के पीछे चलने वाले और बिद्अ़त में मुब्तला लोग वईद के दर्जों के एतिबार से दाख़िल हो गए।
7. यानी दीने हक़ को मुकम्मल तौर पर क़बूल न किया, चाहे सबको छोड़ दिया या बाज़ को, और शिर्क, बिद्अ़त और कुफ़्र के तरीक़े इख़्तियार कर लिए।

जुदा-जुदा कर दिया[7] और गिरोह-गिरोह बन गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, बस उनका मामला अल्लाह तआ़ला के हवाले है, फिर वह उनको उनका किया हुआ जतला देंगे।[1] **(160)** जो शख़्स नेक काम करेगा तो उसको उसके दस हिस्से (मिलेंगे) और जो शख़्स बुरा काम करेगा सो उसको उसके बराबर ही सज़ा मिलेगी, और उन लोगों पर ज़ुल्म न होगा।[2] **(161)** आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बतला दिया है, कि वह एक मज़बूत दीन है, जो इब्राहीम का तरीक़ा है, जिसमें ज़रा भी टेढ़पन नहीं, और वह शिर्क करने वालों में से न थे।[3] **(162)** आप फ़रमा दीजिए कि यक़ीनन मेरी नमाज़ और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना यह सब ख़ालिस अल्लाह तआ़ला ही का है जो सारे जहान का मालिक है। **(163)** उसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ है, और मैं सब मानने वालों से पहला हूँ।[4] **(164)** आप फ़रमा दीजिए कि क्या मैं ख़ुदा तआ़ला के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ हालाँकि वह हर चीज़ का मालिक है, और जो शख़्स भी कोई अ़मल करता है वह उसी पर रहता है, और कोई दूसरे का बोझ न उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वह तुमको जतला देंगे जिस-जिस चीज़ में तुम इख़्तिलाफ़ करते थे। **(165)** और वह ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में इख़्तियार वाला बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि (ज़ाहिरन्) तुमको उन चीज़ों में आज़माए जो तुमको दी हैं,[5] यक़ीनन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है, और बेशक वह बड़ी मग़्फ़िरत करने वाला, बड़ी मेहरबानी करने वाला है।[6] ● **(166)** ❖

1. दुर्रे मन्सूर में इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इन गिरोहों से यहूद व नसारा मुराद होना, और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न् बिद्अ़ती लोगों का होना और तफ़सीरे ख़ाज़िन में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से तमाम मुश्रिकीन इस एतिबार से कि बाज़े बुत-परस्त हैं, बाज़े सितारों को पूजते हैं वग़ैरह, मुराद होना नक़ल किया गया है। चूँकि लफ़्ज़ "फ़र्रक़ू" सबको शामिल हो सकता है इसलिए आ़म मुराद लेना ज़्यादा मुनासिब है। अलबत्ता वईद (सज़ा की धमकी और डाँट) के दर्जे अलग-अलग होंगे। यानी काफ़िरों को हमेशा का अ़ज़ाब होगा और बिद्अ़तियों को ईमान के मौजूद होने के सबब बुरे और फ़ासिद अ़क़ायद की सज़ा पाने के बाद नजात होगी।

2. कि कोई नेकी लिखी न जाए या कोई बदी ज़्यादा करके लिख ली जाए।

3. आगे ज़िक्र हुए दीन की किसी क़द्र तफ़सील बयान फ़रमा दी।

4. इसमें दूसरों को एक ख़ास अन्दाज़ के साथ दावत है कि जब नबी भी ईमान लाने का मुकल्लफ़ है तो दूसरे क्यों न होंगे।

5. आज़माना यह कि कौन इन नेमतों की क़द्र करके नेमतों के देने वाले की इताअ़त करता है और कौन बेक़द्री करके इताअ़त नहीं करता। पस बाज़े फ़रमाँबरदार हुए और बाज़े नाफ़रमान हुए, और दोनों के साथ मुनासिब मामला किया जाएगा।

6. पस नाफ़रमानों के लिए सज़ा है और फ़रमाँबरदारों के लिए रहमत है, और नाफ़रमानी से फ़रमाँबरदारी की तरफ़ आने वालों के लिए मग़्फ़िरत है। पस जो मुकल्लफ़ हैं उनके लिए यह ज़रूरी हुआ कि दीने हक़ के मुवाफ़िक़ इताअ़त इख़्तियार करें, बातिल (ग़ैर-हक़) पर अ़मल करने और हक़ की मुख़ालफ़त से बाज़ आएँ।

7 सूरः आराफ़ 39

सूरः आराफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 206 आयतें और 24 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़-लाम-मीम-सॉद।[1] **(1)** यह एक किताब है, जो आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके ज़रिये से डराएँ, सो आपके दिल में इससे बिलकुल तंगी न होनी चाहिए,[2] और यह नसीहत है ईमान वालों के लिए। **(2)** तुम लोग इसका इत्तिबा करो, जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से आई है,[3] और ख़ुदा तआला को छोड़कर दूसरे रफ़ीक़ों की इत्तिबा मत करो, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते हो। **(3)** और बहुत-सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया, और उनपर हमारा अ़ज़ाब रात के वक़्त पहुँचा, या ऐसी हालत में कि वे दोपहर के वक़्त आराम में थे। **(4)** तो जिस वक़्त उनपर हमारा अ़ज़ाब आया उस वक़्त उनके मुँह से सिवाय इसके और कोई बात न निकली थी कि वाक़ई हम ज़ालिम थे।[4] **(5)** फिर हम उन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनके पास पैग़म्बर भेजे गए थे, और हम पैग़म्बरों से ज़रूर पूछेंगे।[5] **(6)** फिर हम चूँकि पूरी ख़बर रखते हैं, उनके सामने बयान कर देंगे, और हम कुछ बेख़बर न थे। **(7)** और उस दिन वज़न भी किया जाएगा,[6] फिर जिस शख़्स का पल्ला भारी होगा सो ऐसे लोग कामयाब होंगे। **(8)** और जिस शख़्स का पल्ला हल्का होगा सो ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक़सान कर लिया, इस वजह से कि वे हमारी आयतों की हक़-तल्फ़ी करते थे।[7] **(9)** और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी और हमने उसमें तुम्हारे लिए ज़िन्दगानी का सामान पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो।[8] **(10)** ❖

और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम को सज्दा करो, सो सबने सज्दा किया सिवाय शैतान के, वह सज्दा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। **(11)** (अल्लाह तआला ने) फ़रमाया, तू जो सज्दा नहीं करता, तुझको इससे कौन-सी बात रुकावट है, जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका। कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया है और

---

1. पूरी सूरः पर नज़र डालने से मालूम होता है कि इसमें ज़्यादा मज़ामीन मआ़द (यानी आख़िरत) और नुबुव्वत से मुताल्लिक़ हैं।
2. क्योंकि किसी के न मानने से आपके डराने में तो (जो कि असली ग़रज़ है) ख़लल नहीं पड़ता, फिर आप क्यों दिल छोटा करें।
3. इत्तिबा यह कि तस्दीक़ भी करो, अ़मल भी करो।
4. यानी उस वक़्त अपने जुर्म का इक़रार किया जबकि इक़रार का वक़्त गुज़र गया।
5. दोनों सवालों से कुफ़्फ़ार को झिड़कना और मलामत होगी।
6. यानी क़ियामत के दिन।
7. उस तराज़ू में ईमान व कुफ़्र का वज़न किया जाएगा और उस तराज़ू में एक पल्ला ख़ाली रहेगा और एक पल्ले में अगर वह मोमिन है तो ईमान और अगर काफ़िर है तो कुफ़्र रखा जाएगा। जब उस तौल से मोमिन और काफ़िर अलग-अलग हो जाएँगे तो फिर ख़ास मोमिनों के लिए एक पल्ले में उनकी नेकियाँ और दूसरे पल्ले में उनकी बुराइयाँ रखकर उन आमाल का वज़न होगा। और जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया गया है कि अगर नेकियाँ ग़ालिब हुईं तो जन्नत और अगर बुराइयाँ ग़ालिब हुईं तो दोज़ख़, और अगर दोनों बराबर हुईं तो आराफ़ उसके लिए तजवीज़ होगी। फिर चाहे सज़ा से पहले चाहे सज़ा के बाद शफ़ाअ़त से मग़्फ़िरत हो जाएगी।
8. मुराद शुक्र से इताअ़त व फ़रमाँबरदारी है।

इसको आपने मिट्टी से पैदा किया। **(12)** (अल्लाह तआ़ला ने) फ़रमाया, तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक़ हासिल नहीं कि तू इसमें (यानी आसमान में रहकर) तकब्बुर करे, सो तू निकल, बेशक तू ज़लीलों में शुमार होने लगा। **(13)** वह कहने लगा कि मुझे क़ियामत के दिन तक मोहलत दीजिये। **(14)** (अल्लाह तआ़ला ने) फ़रमाया कि तुझको मोहलत दी गई।[1] **(15)** वह कहने लगा इस सबब से कि आपने मुझको गुमराह किया है मैं क़सम खाता हूँ कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूँगा। **(16)** फिर उनपर हमला करूँगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी, और उनकी दाहिनी तरफ़ से भी और उनकी बाईं तरफ़ से भी,[2] और आप उनमें ज़्यादातर को एहसान मानने वाला न पाइएगा। **(17)** (अल्लाह तआ़ला ने) फ़रमाया कि यहाँ से ज़लील व ख़्वार होकर निकल, जो शख़्स उनमें से तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम सबसे[3] जहन्नम को भर दूँगा। **(18)** और (हमने हुक्म दिया कि) ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों आदमी खाओ और उस पेड़ के पास मत जाओ, कभी उन लोगों की गिनती में आ जाओ जिनसे नामुनासिब काम हो जाया करता है। **(19)** फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वस्वसा डाला, ताकि उनका पर्दे का बदन जो एक-दूसरे से छुपा हुआ था दोनों के सामने बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस पेड़ से और किसी सबब से मना नहीं फ़रमाया, मगर सिर्फ़ इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फ़रिश्ते हो जाओ, या कहीं हमेशा ज़िन्दा रहने वालों में से हो जाओ। **(20)** और उन दोनों के सामने क़सम खाई कि यक़ीन जानिए मैं आप दोनों का ख़ैरख़्वाह "यानी तुम दोनों का भला चाहने वाला" हूँ। **(21)** सो उन दोनों को फ़रेब से नीचे ले आया,[4] पस उन दोनों ने जब पेड़ को चखा तो दोनों के पर्दे का बदन एक-दूसरे के सामने बेपर्दा हो गया, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़-जोड़कर रखने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस पेड़ से मना न कर चुका था, और यह न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? **(22)** दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे रब! हमने अपना बड़ा नुक़सान किया, और अगर आप हमारी मग़्फ़िरत न करेंगे और हमपर रहम न करेंगे तो वाक़ई हमारा बड़ा नुक़सान हो जाएगा। **(23)** (अल्लाह तआ़ला ने) फ़रमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम आपस में बाज़े दूसरे बाज़ों 'यानी एक-दूसरे' के

---

1. इससे मालूम हुआ कि काफ़िर की दुआ़ भी कभी क़बूल हो जाती है, और इससे अल्लाह के नज़दीक उसका महबूब और सम्मानित होना लाज़िम नहीं आता।

2. यानी उनके बहकाने में ख़ूब कोशिश करूँगा, जिससे वे आपकी इबादत न करने पाएँ।

3. यानी तुझसे और उनसे।

4. नीचे ले आया, हालत और राय के एतिबार से भी और जगह के एतिबार से भी, यहाँ तक कि अपनी बुलन्द राय से उसकी घटिया राय की तरफ़ माइल हो गए, जिससे जन्नत से नीचे की तरफ़ उतारे गए।

दुश्मन रहोगे।[1] और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और फ़ायदा हासिल करना एक वक़्त तक। **(24)** (और) फ़रमाया कि तुमको वहाँ ही ज़िन्दगी बसर करना है और वहाँ ही मरना है, और उसी में से फिर पैदा होना है।[2] **(25)** ❖

ऐ आदम की औलाद! हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो कि तुम्हारे पर्दे वाले बदन को भी छुपाता है और ज़ीनत का सबब भी है, और तक़्वे का लिबास यह उससे बढ़कर है,[3] यह अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें।[4] **(26)** ऐ आदम की औलाद! शैतान तुमको किसी ख़राबी में न डाल दे, जैसा कि उसने तुम्हारे दादा-दादी को जन्नत से बाहर करा दिया, (ऐसी हालत से) कि उनका लिबास भी उनसे उतरवा दिया, ताकि उनको उनके पर्दे का बदन दिखाई देने लगे। वह और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते हो, हम शैतानों को उन्हीं लोगों का साथी होने देते हैं जो ईमान नहीं लाते। **(27)** और वे लोग जब कोई फ़ुहश "यानी ग़लत और बेहूदा" काम करते हैं[5] तो कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादा को इसी तरीक़े पर पाया है और अल्लाह तआ़ला ने हमको यही बतलाया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह तआ़ला फ़ुहश "यानी बुरी और बेहूदा" बात की तालीम नहीं देता, क्या ख़ुदा के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते?[6] **(28)** आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इन्साफ़ करने का, और यह कि तुम हर सज्दे के वक़्त अपना रुख़ सीधा रखा करो, और उसकी (यानी अल्लाह की) इबादत इस तौर पर करो कि उस इबादत को ख़ालिस अल्लाह ही के वास्ते रखा करो,[7] जिस तरह तुमको अल्लाह तआ़ला ने शुरू में पैदा किया था उसी तरह फिर तुम दोबारा पैदा होगे। **(29)** बाज़ लोगों को तो अल्लाह ने हिदायत की है और बाज़ पर गुमराही साबित हो चुकी है। उन लोगों ने अल्लाह तआ़ला को छोड़कर शैतानों को अपना रफ़ीक़ बना लिया,[8] और ख़्याल रखते हैं कि वे राह पर हैं। **(30)** ऐ आदम की औलाद! तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त अपना लिबास पहन लिया करो, और (ख़ूब) खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह तआ़ला हद से निकल जाने वालों को पसन्द नहीं करते। **(31)** ❖

1. यानी जन्नत से नीचे ज़मीन पर जाओ।

2. मतलब "तुमको वहाँ ही ज़िन्दगानी बसर करनी है" का यह है कि आ़म आ़दत के मुताबिक़ तुम्हारा असली ठिकाना यह होगा, और अगर किसी सबब के पेश आने की वजह से इस आ़दत के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसकी नफ़ी (इनकार) नहीं है। पस इससे हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के आसमान पर ज़िन्दा जाने और रहने के इनकार पर दलील पकड़ना ग़लत और बातिल है।

3. क्योंकि इस ज़ाहिरी लिबास का शरई तौर पर पसन्दीदा होना इसी तक़्वे के वाजिब होने की एक क़िस्म है। पस असली मक़सूद जो हर हालत में ज़रूरी है वह यह लिबास है।

4. ऊपर के क़िस्से में शैतान की गुमराही और आदम की औलाद से उसकी दुश्मनी ज़िक्र की गई थी, आगे उसके गुमराह करने और उससे बचने व एहतियात की ताकीद का बयान है।

5. चाहे अ़क़ीदों में से जैसे शिर्क कि बड़ी बेहयाई है, चाहे आमाल में से जैसे तवाफ़ के वक़्त नंगे हो जाना।

6. पैरवी उस मसले में जायज़ है जिसमें पैरवी करने के लिए इजाज़त और शरई सनद हो, जो उसकी शर्तों के जमा होने पर मौक़ूफ़ है। और यहाँ ख़ुद "क़तई नस्स" की मुख़ालफ़त से शर्तें ग़ायब हैं, पस ऐसी पैरवी से एहतिजाज (यानी मुख़ालफ़त में आवाज़ उठाना) ख़ुद बातिल हो गया।

7. इन मामूरात (यानी जिन चीज़ों का हुक्म किया गया है) में शरीअ़त के सब उसूल आ गए। "इन्साफ़ करने" में बन्दों के हुक़ूक़, "रुख़ सीधा करने" में आमाल व अच्छे काम, "ख़ालिस अल्लाह ही के लिए रखने" में अक़ायद। मतलब यह कि अल्लाह के तो ये अहकाम हैं, इनको मानो, क्योंकि सिर्फ़ तुमको हुक्म देकर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि एक वक़्त हिसाब-किताब के लिए भी आने वाला है, यानी क़ियामत।

8. यानी अल्लाह तआ़ला की इताअ़त न की और शैतानों की इताअ़त की।

आप फ़रमाइए कि अल्लाह तआला के पैदा किए हुए कपड़ों को, जिनको उसने अपने बन्दों के वास्ते बनाया है और खाने-पीने की हलाल चीज़ों को किस शख़्स ने हराम किया है?[1] आप यह कह दीजिए कि ये चीज़ें इस तौर पर कि क़ियामत के दिन भी ख़ालिस रहें, दुनियावी ज़िन्दगानी में ख़ालिस ईमान वालों ही के लिए हैं, हम इसी तरह समझदारों के वास्ते तमाम आयतों को साफ़-साफ़ बयान किया करते हैं। **(32)** आप फ़रमाइए कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम फ़ुहश "यानी गन्दी और बेहूदा" बातों को, उनमें जो खुले तौर पर हों वे भी[2] और उनमें जो छुपे तौर पर हों वे भी,[3] और वह हर गुनाह की बात को और नाहक़ किसी पर ज़ुल्म करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह तआला ने कोई सनद नाज़िल नहीं फ़रमाई। और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तआला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसकी तुम सनद न रखो।[4] **(33)** और हर गिरोह के लिए एक मुक़र्ररा मीयाद है, सो जिस वक़्त उनकी मुक़र्ररा मीयाद आ जाएगी उस वक़्त एक घड़ी न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे।[5] **(34)** ऐ आदम की औलाद![6] अगर तुम्हारे पास पैग़म्बर आएँ जो तुम्ही में से होंगे, जो मेरे अहकाम तुमपर बयान करेंगे, सो जो शख़्स परहेज़ रखे और दुरुस्ती करे,[7] सो उन लोगों पर न कुछ अन्देशा है और न वे ग़मगीन होंगे। **(35)** और जो लोग हमारे इन अहकाम को झूठा बतलाएँगे और इनसे तकब्बुर करेंगे, वे लोग दोज़ख़ वाले होंगे, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। **(36)** सो उस शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँधे[8] या उसकी आयतों को झूठा बतलाए, उन लोगों के नसीब का जो कुछ (लिखा) है वह उनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) उनकी जान क़ब्ज़ करने आएँगे तो कहेंगे कि वे कहाँ गए जिनकी तुम ख़ुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे? वे कहेंगे कि हमसे सब ग़ायब हो गए,[9] और अपने काफ़िर होने का इक़रार करने लगेंगे।[10] **(37)** (अल्लाह) फ़रमाएगा कि जो फ़िर्क़े तुमसे पहले गुज़र चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, उनके साथ तुम भी दोज़ख़ में जाओ। जिस वक़्त भी (काफ़िरों की) कोई जमाअत (दोज़ख़ में) दाख़िल होगी, अपनी जैसी दूसरी जमाअत को लानत करेगी,[11] यहाँ तक कि जब उसमें सब जमा हो जाएँगे तो बाद वाले लोग पहले लोगों के बारे में कहेंगे

---

1. यानी किसी चीज़ को हराम करने के लिए तो उसको हराम करने वाले की ज़रूरत है, वह हराम क़रार देने वाला अल्लाह तआला के सिवा कौन है।

2. जैसे नंगे तवाफ़ करना।

3. जैसे बद्कारी।

4. यानी जो हक़ीक़त में हलाल हैं उनको तो तुमने हराम समझा, और जो हक़ीक़त में हराम हैं उनको हलाल समझा, अजीब जहालत में गिरफ़्तार हो। और जिस तरह आयत "क़ुल् अ-म-र रब्बी बिल्क़िस्ति (आख़िर तक)" में तमाम अहकाम दाख़िल हो गए थे उसी तरह यहाँ आयत "इन्नमा हर्र-म (आख़िर तक)" में तमाम वे चीज़ें दाख़िल हैं जिनसे मना किया गया है। "बग़्-य" में तो सब मामलात आ गए, और "अन् तुश्रिकू व अन तक़ूलू" में तमाम फ़ासिद और बुरे अक़ायद आ गए, और "इस्-म" में तमाम गुनाह और नाफ़रमानियाँ आ गईं, जिनमें से फ़ुहश गुनाहों को ख़ास तौर पर एहतिमाम के साथ ज़िक्र किया गया।

5. उस मीयाद से पहले सज़ा न होना इसकी दलील नहीं कि हराम कामों पर सज़ा न होगी।

6. ऊपर अक़ीदों व आमाल में शैतान की इत्तिबा व मुवाफ़क़त से मुमानअत फ़रमाई गई थी, अब यह बतलाते हैं कि इस मज़मून का ख़िताब तुमको नया नहीं, बल्कि "आलमे अरवाह" (यानी रूहों की दुनिया) में यह अहद ले लिया गया था, अब उसी को दोहराया जा रहा है। और इसमें रिसालत और आख़िरत के मसले का सुबूत भी हो गया, जो कि इस सूरत के बड़े मक़ासिद में से है।

7. मुराद यह कि मुकम्मल इत्तिबा करे। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 280 पर)**

कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, सो इनको दोज़ख़ का अ़ज़ाब (हमसे) दोगुना दीजिए। (अल्लाह तआ़ला) फ़रमाएँगे कि सब ही का दोगुना है, लेकिन (अभी) तुमको ख़बर नहीं। **(38)** और पहले लोग बाद वाले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हमपर कोई बरतरी नहीं, सो तुम भी अपने किरदार के मुक़ाबले में अ़ज़ाब (का मज़ा) चखते रहो। **(39)** ❖

जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाते हैं और उन (के मानने) से तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाज़े न खोले जाएँगे, और वे लोग कभी जन्नत में न जाएँगे, जब तक कि ऊँट सूई के नाके के अन्दर से (न) चला जाए,[1] और हम मुज्रिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। **(40)** उनके लिए दोज़ख़ (की आग) का बिछौना होगा और उनके ऊपर (उसी का) ओढ़ना होगा, और हम ऐसे ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं।[2] **(41)** और जो लोग ईमान लाए[3] और उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख़्स को उसकी ताक़त से ज़्यादा कोई काम नहीं बतलाते, ऐसे लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। **(42)** और जो कुछ उनके दिलों में गुबार था हम उसको दूर कर देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वे लोग कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) एहसान है जिसने हमको इस मक़ाम तक पहुँचाया, और हमारी कभी रसाई न होती अगर अल्लाह तआ़ला हमको न पहुँचाते,[4] वाक़ई हमारे रब के पैग़म्बर सच्ची बातें लेकर आए थे। और उनसे पुकारकर कहा जाएगा कि तुमको यह जन्नत दी गई है[5] तुम्हारे आमाल के बदले।[6] ▲ **(43)** और जन्नत वाले दोज़ख़ वालों को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वायदा फ़रमाया था हमने तो उसको हक़ीक़त के मुताबिक़ पाया,[7] सो तुमसे जो तुम्हारे रब ने वायदा किया था तुमने भी उसको हक़ीक़त के मुताबिक़ पाया?[8] वे कहेंगे हाँ, फिर एक पुकारने वाला उन (दोनों) के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो उन ज़ालिमों पर **(44)** जो अल्लाह की राह से मुँह फेरा करते थे, और उसमें कजी "यानी टेढ़ और कमी" तलाश करते रहते थे,

---

(पृष्ठ 278 का शेष)
8. यानी जो बात ख़ुदा की कही हुई हो उसको बेकही बतला दे।
9. यानी वाक़ई कोई काम न आया।
10. लेकिन उस वक़्त का इक़रार बिलकुल बेकार होगा।
11. यानी आपस में हमदर्दी न होगी। हक़ीक़त के सामने आ जाने की वजह से हर शख़्स दूसरे को बुरी नज़र से देखेगा और बुरा कहेगा।
1. और यह मुहाल है। पस जो चीज़ मुहाल (नामुम्किन) के साथ मश्रूत (जुड़ी हुई) हो वह भी हमेशा के लिए मन्फ़ी (न होने वाली) होगी।
2. यानी हमको कोई दुश्मनी न थी, जैसा किया वैसा भुगता।
3. ऊपर झुठलाने वालों की सज़ा की तफ़सील थी। अब मोमिनों की जज़ा और बदले की तफ़सील है।
4. इसमें यह भी आ गया कि यहाँ तक पहुँचने का जो तरीक़ा था, ईमान व आमाल, वह हमको बतलाया और उसपर चलने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाई।
5. यह आवाज़ देने वाला एक फ़रिश्ता होगा, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अबी हातिम की रिवायत से अबू मुआ़ज़ बसरी से मरफ़ूअ़न् नक़ल किया गया है।
6. "तुम्हारे आमाल के बदले" से ज़ाहिर में आमाल का जन्नत में दाख़िल होने का सबब होना मालूम होता है, और हदीस में आया है कि आमाल के सबब कोई जन्नत में न जाएगा बल्कि रहमते इलाही के सबब जाएँगे। असल यह है कि आयत में ज़ाहिरी सबब मुराद है और हदीस में हक़ीक़ी सबब मुराद है। पस ज़ाहिरी के होने और हक़ीक़ी के न होने में कोई टकराव नहीं।
7. कि ईमान और नेक आमाल के इख़्तियार करने से जन्नत देंगे।
8. यानी अब तो अल्लाह तआ़ला व रसूल के सच्चा होने और अपनी गुमराही की हक़ीक़त मालूम हुई।

और वे लोग आख़िरत का इनकार करने वाले भी थे। **(45)** और उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी,[1] और आराफ़ के ऊपर बहुत-से आदमी होंगे, वे लोग हर एक को उनके निशानों से पहचानेंगे और जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे, अस्सलामु अ़लैकुम। अभी ये (आराफ़ वाले) उसमें (यानी जन्नत में) दाख़िल नहीं हुए होंगे और उसके उम्मीदवार होंगे। **(46)** और जब उनकी निगाहें दोज़ख़ वालों की तरफ़ जा पड़ेंगी तो कहेंगे ऐ हमारे रब! हमको उन ज़ालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए। **(47)** ❖

और आराफ़ "जन्नत और दोज़ख़ के बीच एक जगह" वाले बहुत-से आदमियों को जिनको कि उनके निशानों और अन्दाज़ों से पहचानेंगे, पुकारेंगे। कहेंगे कि तुम्हारी जमाअ़त और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम न आया। **(48)** क्या ये वही हैं जिनके बारे में तुम क़स्में खा-खाकर कहा करते थे कि अल्लाह तआ़ला उनपर रहमत न करेगा? (उनको यूँ हुक्म हो गया कि) जाओ जन्नत में, तुमपर न कुछ अन्देशा है और न तुम ग़मज़दा होंगे। **(49)** और दोज़ख़ वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो, या और ही कुछ दे दो, जो अल्लाह तआ़ला ने तुमको दे रखा है। (जन्नत वाले) कहेंगे कि अल्लाह तआ़ला ने दोनों चीज़ों की काफ़िरों के लिए बन्दिश कर रखी है। **(50)** जिन्होंने (दुनिया में) अपने दीन को लह्व-व-लअ़िब "यानी खेल-तमाशे की चीज़" बना रखा था, और जिनको दुनियावी ज़िन्दगानी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम भी आजके दिन उनका नाम न लेंगे, जैसा कि उन्होंने इस दिन का नाम तक न लिया था, और जैसा कि ये हमारी आयतों का इनकार किया करते थे।[2] **(51)** और हमने उन लोगों के पास एक ऐसी किताव[3] पहुँचा दी है जिसको हमने अपने कामिल इल्म से बहुत ही वाज़ेह करके बयान कर दिया है, (और वह) हिदायत का ज़रिया और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। **(52)** उन लोगों को और किसी बात का इन्तिज़ार नहीं सिर्फ़ उसके आख़िरी नतीजे का इन्तिज़ार है,[4] जिस दिन उसका आख़िरी नतीजा पेश आएगा उस दिन जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे यूँ कहने लगेंगे कि वाक़ई हमारे रब के पैग़म्बर सच्ची-सच्ची वातें लाए थे, सो अब क्या हमारा कोई सिफ़ारिश करने वाला है कि वह हमारी सिफ़ारिश कर दे, या क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग उन आमाल के उलट जिनको हम किया करते थे दूसरे आमाल करें? बेशक उन लोगों ने अपने को घाटे में डाल दिया, और ये जो-जो बातें बनाते थे सब गुम हो गईं।[5] **(53)** ❖

1. इसकी ख़ास्सा यह होगा कि जन्नत का असर दोज़ख़ तक और दोज़ख़ का असर जन्नत तक न जाने देगी।
2. ऊपर जज़ा और सज़ा की तफ़सील बयान की गई है। आगे यह फ़रमाते हैं कि इस खुले बयान का और फिर क़ुरआन के दूसरे मज़ामीन का तक़ाज़ा यह है कि कुफ़्र और मुख़ालफ़त से बाज़ आ जायें। चुनाँचे ईमान वाले इस सआ़दत से मुशर्रफ़ होते भी हैं लेकिन कुफ़्फ़ार और मुख़ालिफ़ीन की सख़्तदिली इस दर्जा बढ़ी हुई है कि वे सज़ा के ज़ाहिर होने से पहले न मानेंगे, लेकिन उस वक़्त मानना काम न आएगा।
3. यानी क़ुरआन।
4. यानी सज़ा का वायदा।
5. ऊपर आख़िरत की तफ़सील थी। चूँकि मुशिरकीन दोबारा ज़िन्दा होने को दूर की और न होने वाली बात समझते थे, इसलिए आगे अपनी क़ुदरत और कामिल तसर्रुफ़ का बयान फ़रमाते हैं।

बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को छह दिन में पैदा किया, फिर अ़र्श पर क़ायम हुआ,[1] छुपा देता है रात से दिन को,[2] ऐसे तौर पर कि वह रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है,[3] और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया, ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं, याद रखो अल्लाह ही के लिए ख़ास है ख़ालिक़ "यानी पैदा करने वाला" होना और हाकिम होना, बड़ी ख़ूबियों से भरे हुए हैं अल्लाह तआ़ला जो तमाम जहान के पालने वाले हैं। **(54)** तुम लोग अपने परवर्दिगार से दुआ़ किया करो आ़जिज़ी ज़ाहिर करके भी और चुपके-चुपके भी, (अलबत्ता यह बात) वाक़ई (है कि) अल्लाह तआ़ला उन लोगों को ना-पसन्द करते हैं जो हद से निकल जाएँ।[4] **(55)** और दुनिया में बाद इसके कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई है, फ़साद मत फैलाओ, और उसकी (यानी अल्लाह की) इबादत किया करो डरते और उम्मीदवार रहते हुए,[5] बेशक अल्लाह की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों से। **(56)** और वह (अल्लाह) ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वे खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वे हवाएँ भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी सूखी ज़मीन की तरफ़ हाँक ले जाते हैं, फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर क़िस्म के फल निकालते हैं, यूँ ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा कर देंगे,[6] ताकि तुम समझो। **(57)** और जो सुथरी सरज़मीन होती है उसकी पैदावार तो खुदा के हुक्म से ख़ूब निकलती है, और जो ख़राब है उसकी पैदावार (अगर निकली भी) तो बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम (हमेशा) दलीलों को तरह-तरह से बयान करते रहते हैं, उन लोगों के लिए जो क़द्र करते हैं।[7] **(58)** ❖

हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम की तरफ़ भेजा, सो उन्होंने फ़रमायाः ऐ मेरी क़ौम! तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के लायक़ नहीं, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े (सख़्त) दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा है। **(59)** उनकी क़ौम के आबरूदार "यानी समाज के इ़ज़्ज़तदार" लोगों ने कहा कि हम तुमको खुली ग़लती में (मुब्तला) देखते हैं। **(60)** उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! मुझमें तो ज़रा भी ग़लती नहीं लेकिन मैं परवर्दिगारे-आ़लम का रसूल हूँ। **(61)** तुमको अपने परवर्दिगार के पैग़ाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी ख़ैर-ख़्वाही करता हूँ और मैं खुदा की तरफ़ से उन चीज़ों की ख़बर रखता हूँ जिनकी तुमको

1. यानी ज़मीन व आसमान में अहकाम जारी करने लगा।
2. यानी रात के अन्धकार से दिन की रोशनी छुप जाती और ख़त्म हो जाती है।
3. यानी दिन आनन-फ़ानन गुजरता मालूम होता है, यहाँ तक कि अचानक रात आ जाती है।
4. जैसे वे चीज़ें माँगने लगें जो अ़क़्ली या शरई तौर पर मुहाल हों, या ऐसी चीज़ों का मुतालबा करने लगें जो आ़दतन् न पाई जाती हों, या गुनाह की या बेकार चीज़ें माँगने लगें, जैसे खुदाई या नुबुव्वत या फ़रिश्तों पर हुकूमत या बेनिकाह किए औरतों से फ़ायदा हासिल करना, या जन्नत के दाहिनी तरफ़ का सफ़ेद महल और इसी तरह की चीज़ें माँगने लगें, यह सब अदब के ख़िलाफ़ है। हाँ जन्नत और फ़िरदौस की दुआ़ मतलूब है, इसमें ये फ़ुज़ूल क़ैदें ममनूअ़ (वर्जित) हैं।
5. यानी इबादत करके न तो नाज़ हो और न मायूसी हो।
6. यानी क़ियामत के दिन।
7. इन आयतों का खुलासा यह है कि जब हक़ तआ़ला के ये ज़ाती व सिफ़ाती कमालात साबित हुए तो इबादत और अपनी हाजत तलब करने में उनके साथ किसी को शरीक मत करो, और उनकी क़ुदरत को सामने रखकर मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का इनकार मत करो।

ख़बर नहीं। **(62)** क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख़्स के ज़रिये जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वह शख़्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ, और ताकि तुमपर रहम किया जाए? **(63)** सो वे लोग उनको झुठलाते ही रहे तो हमने उनको (यानी नूह को) और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको हमने डुबो दिया, बेशक वे लोग अन्धे हो रहे थे। **(64)** ❖

और हमने आ़द कौ़म की तरफ़ उनके भाई हूद को भेजा,[1] उन्होंने फ़रमाया, ऐ मेरी कौ़म! तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, सो क्या तुम नहीं डरते? **(65)** उनकी कौ़म में जो आबरूदार काफ़िर थे उन्होंने कहा कि हम तुमको कम-अ़क्ली में देखते हैं, और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं।[2] **(66)** उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी कौ़म! मुझमें ज़रा भी कम-अ़क्ली नहीं, लेकिन मैं परवर्दिगारे-आ़लम का भेजा हुआ पैग़म्बर हूँ। **(67)** तुमको अपने परवर्दिगार के पैग़ाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा ख़ैर-ख़्वाह हूँ। **(68)** और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास एक शख़्स की मारिफ़त जो तुम्हारी जिन्स का (आदमी) है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वह शख़्स तुमको डराए? और तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआ़ला ने तुमको नूह की कौ़म के बाद आबाद किया और डील-डोल में तुमको फैलाव (भी) ज़्यादा दिया। सो ख़ुदा तआ़ला की (इन) नेमतों को याद करो[3] ताकि तुमको कामयाबी हो। **(69)** वे कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत किया करें और जिनको हमारे बाप-दादा पूजते थे हम उनको छोड़ दें? और हमको जिस अ़ज़ाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मँगवा दो अगर तुम सच्चे हो। **(70)** उन्होंने फ़रमाया कि बस अब तुमपर ख़ुदा की तरफ़ से अ़ज़ाब और ग़ज़ब आया ही चाहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने (आप ही) ठहरा लिया है। उसकी (यानी उनके माबूद होने की) ख़ुदा तआ़ला ने कोई (नक़्ली या अ़क़्ली) दलील नहीं भेजी, सो तुम इन्तिज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा हूँ। **(71)** ग़रज़ हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया,

1. मश्हूर अहले नसब के नज़दीक यही है कि हूद अ़लैहिस्सलाम आ़द कौ़म के नसबी भाई और ख़ुद कौ़मे आ़द से हैं। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि वे दूसरी कौ़म के हैं, और "उनके भाई" के मायने "उनके साथी" लेते हैं, अल्लाह ही को ख़ूब मालूम है। और आ़द असल में एक शख़्स का नाम है, फिर उसकी औलाद को भी आ़द कहने लगे, और ये लोग बड़े लम्बे-तड़न्गे और मज़बूत जिस्म के मालिक होते थे। "ज़ा-दकुम् फ़िल् ख़ल्क़ि बस्त-तन्" के यही मायने हैं।

2. यानी (अल्लाह की पनाह) न तौहीद सही मसला है और न अ़ज़ाब का आना सही है।

3. और याद करके एहसान मानो और इताअ़त करो।

और उन लोगों की जड़ (तक) काट दी[1] जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, और वे ईमान लाने वाले न थे। **(72)** ❖

और हमने समूद की तरफ़ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने फ़रमाया, ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से एक साफ़ और वाज़ेह दलील आ चुकी है यह ऊँटनी है अल्लाह की, जो तुम्हारे लिए दलील है,[2] सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा करे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको दर्दनाक अ़ज़ाब आ पकड़े। **(73)** और तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआ़ला ने तुमको आ़द के बाद आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने के लिए ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश-तराशकर उसमें घर बनाते हो, सो ख़ुदा तआ़ला की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ। **(74)** उनकी क़ौम में जो घमण्डी सरदार थे, उन्होंने ग़रीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान ले आए थे पूछा कि क्या तुमको इस बात का यक़ीन है कि सालेह अपने रब की तरफ़ से भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा कि बेशक हम तो उसपर पूरा यक़ीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। **(75)** वे घमण्डी लोग कहने लगे कि तुम जिस चीज़ पर यक़ीन लाए हुए हो हम तो उसका इनकार करते हैं। **(76)** ग़रज़ उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवर्दिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ऐ सालेह! जिसकी आप हमको धमकी देते थे उसको मंगवाइए, अगर आप पैग़म्बार हैं। **(77)** पस आ पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, सो अपने घरों में औंधे (के औंधे) पड़े रह गए।[3] **(78)** उस वक़्त वह (यानी सालेह अ़लैहिस्सलाम) उनसे मुँह मोड़कर चले और फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी क़ौम! मैंने तो तुमको अपने परवर्दिगार का हुक्म पहुँचा दिया था, और मैंने

1. यानी बिलकुल हलाक कर दिया "क़-तअ्ना दाबि-र......" से बाज़ ने कहा है कि उनकी नस्ल बिलकुल ख़त्म हो गई। और बाज़ ने कहा कि कुफ़्फ़ार बिलकुल हलाक हो गए और मोमिनीन बाक़ी रहे, और मुम्किन है कि कुफ़्फ़ार की छोटी औलाद भी रह गई हो, उनकी नस्ल आगे बढ़ी, उनको "दूसरी आ़द" कहते हैं और पहले वालों को "पहली आ़द"। और अ़ज़ाब इस क़ौम का तेज़ आँधी थी जैसा कि कई जगह क़ुरआन में ज़िक्र है। और सूरः फ़ुस्सिलत में जो "साअ़िक़ा" (यानी कड़कदार बिजली) आया है उससे मुराद मुत्लक़ अ़ज़ाब है, और सूरः मोमिन में नूह अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से के बाद जो "सुम्-म अन्शअ्ना मिम्बअ़्दिहिम क़र्नन् आख़रीन" आया है। जिन्होंने उसकी तफ़सीर क़ौमे आ़द से की है वे इसके क़ायल हैं कि उनपर ज़ोरदार आवाज़ या चीख़ भी आई और तेज़ आँधी भी आई, अल्लाह ही को ज़्यादा और सही इल्म है। और उसका ठिकाना दूसरी आयत में "अह्क़ाफ़" आया है जो मुहम्मद बिन इसहाक़ के क़ौल के मुताबिक़ "अ़म्मान" और "हज़रे-मौत" के दरमियान एक रेगिस्तान है।

2. उन्होंने एक ख़ास मोजिज़े की दरख़्वास्त की कि उस पत्थर में से एक ऊँटनी पैदा हो तो हम ईमान लाएँ। चुनाँचे आपकी दुआ़ से ऐसा ही हुआ कि वह पत्थर फटा और उसके अन्दर से एक बड़ी ऊँटनी निकली।

3. दूसरी आयत में 'सख़्त आवाज़ या चिन्घाड़' यानी फ़रिश्ते के नारे से हलाक होना आया है। बाज़ ने कहा कि ऊपर से चीख़ और चिन्घाड़ और नीचे से ज़लज़ला आया था। और बाज़ ने कहा कि ज़लज़ले से मुराद दिल की वह हरकत है जो सख़्त आवाज़ या चीख़ के ख़ौफ़ से पैदा हुई थी। और जिसने ऊँटनी को क़त्ल किया उसका नाम क़िदार आया है। और दूसरी आयत में उनके रहने का मक़ाम हिज्र आया है जो कि "हिजाज़" और "शाम" के दरमियान एक मक़ाम था। और आयत के ज़ाहिर से मालूम होता है कि सालेह अ़लैहिस्सलाम यहाँ से क़ौम के हलाक होने के बाद तशरीफ़ ले गए। फिर कुछ ने मुल्क शाम की तरफ़ जाना और कुछ ने मक्का को जाना नक़्ल किया है।

तुम्हारी ख़ैर-ख़्वाही की, लेकिन तुम लोग ख़ैर-ख़्वाहों को पसन्द ही नहीं करते थे। **(79)** और हमने लूत को भेजा जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया, क्या तुम ऐसा फ़ुहश "यानी गंदा और बुरा" काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। **(80)** (यानी) तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ख़्वाहिश पूरी करते हो, बल्कि तुम (इनसानियत की) हद से ही गुज़र गए हो।[1] **(81)** और उनकी क़ौम से कोई जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि (आपस में) कहने लगे कि इन लोगों को तुम अपनी बस्ती में से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक-साफ़ बनते हैं। **(82)** सो हमने उनको (यानी लूत अ़लैहिस्सलाम को) और उनके मुताल्लिक़ीन को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के,[2] कि वह उन्हीं लोगों में रही जो अ़ज़ाब में रह गए थे। **(83)** और हमने उनके ऊपर एक नई तरह की बारिश बरसाई (जो कि पत्थरों की थी)। सो देख तो सही उन मुज्रिमों का अन्जाम कैसा हुआ? **(84)** ❖

और हमने मद्यन की तरफ़ उनके भाई शुऐब को भेजा।[3] उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआ़ला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से एक वाज़ेह और खुली दलील आ चुकी है, तो तुम नाप और तौल पूरी-पूरी किया करो और लोगों का इन चीज़ों में नुक़सान मत किया करो, और रू-ए-ज़मीन में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई, फ़साद मत फैलाओ, यह तुम्हारे लिए फ़ायदेमन्द है, अगर तुम तस्दीक़ करो। **(85)** और तुम सड़कों पर (इस ग़रज़ से) मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको, और उसमें कजी "यानी टेढ़ और कमी" की तलाश में लगे रहो, और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे फिर अल्लाह तआ़ला ने तुमको ज़्यादा कर दिया, और देखो कि कैसा अन्जाम हुआ फ़साद करने वालों का। **(86)** और अगर तुममें से बाज़े उस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया है, ईमान लाए हैं, और बाज़े ईमान नहीं लाए हैं तो ज़रा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान में अल्लाह तआ़ला फ़ैसला किए देते हैं, और वह सब फ़ैसला करने वालों से बेहतर हैं। **(87)**

---

1. "बल अन्तुम" की तफ़सीर का हासिल यह है कि बाज़ गुनाहों में बाप-दादा की पैरवी वग़ैरह से धोखा हो जाता है, इसमें तो यह भी नहीं। और बाज़ आयतों में जो "तज्हलून" (यानी तुम नहीं जानते) आया है उससे यह शुब्हा न हो कि उनको उसकी बुराई मालूम न थी, क्योंकि वहाँ जहालत से मुराद यह नहीं बल्कि मुराद यह है कि तुमको इसका बुरा अन्जाम यानी अ़ज़ाब मालूम नहीं।

2. यह बीवी काफ़िरा थी। जब लूत अ़लैहिस्सलाम को अ़ज़ाब से पहले बस्ती से निकल जाने का हुक्म हुआ, कुछ ने तो कहा है कि यह बीवी साथ नहीं गई, कुछ ने कहा कि साथ चली थी फिर वापस लौटने लगी और हलाक कर दी गई। और लूत अ़लैहिस्सलाम फिर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के पास आकर रहने लगे।

3. क़ुरआन में शुऐब अ़लैहिस्सलाम का 'मद्यन' और 'ऐका' वालों की तरफ़ नबी बनाकर भेजा जाना और मद्यन वालों पर कहीं ज़ोरदार चीख़ और कहीं ज़ल्ज़ले का अ़ज़ाब और ऐका वालों पर सायबान का अ़ज़ाब होना ज़िक्र किया है। बाज़ ने तो दोनों क़ौमों को एक ही कहा है और बाज़ ने अलग-अलग कहा है कि एक क़ौम यानी मद्यन वालों के हलाक होने के बाद दूसरों की यानी ऐका वालों की तरफ़ जो कि मद्यन के क़रीब रहते थे और निकटता की वजह से उनमें भी कम तौलने-नापने का मर्ज़ मुश्तरक था, नबी बनाकर भेजे गए, और अक्सर का क़ौल यही है। और अ़ज़ाब की क़िस्मों में दो का या तीनों को जमा होना कुछ बईद नहीं। और इन काफ़िरों के हलाक होने के बाद आप मक्का में आकर रहने लगे थे, और वहीं पर आपकी वफ़ात हुई। और मद्यन असल में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के एक लड़के का नाम था, फिर उस क़बीले पर जो उनकी औलाद थे या उस शहर पर जो उनकी औलाद के रहने की जगह था, इसको बोला जाने लगा।

नवाँ पारः क़ालल् म-लउ

सूरः आराफ़ (आयत 88 से 206)

उनकी क़ौम के घमण्डी सरदारों ने कहा कि ऐ शुऐब! हम आपको और आपके साथ जो ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या (यह हो कि) तुम हमारे मज़हब में फिर आ जाओ,[1] (शुऐब अ़लैहिस्सलाम ने) जवाब दिया कि क्या (हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएंगे) अगरचे हम उसको (समझ की दलील से) ना-पसन्द और मक्रूह ही समझते हों।[2] **(88)** हम तो अल्लाह पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएँ अगर (ख़ुदा न करे) हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएँ, (ख़ास कर) इसके बाद कि अल्लाह तआ़ला ने हमको उससे नजात दी हो, और हमसे मुम्किन नहीं कि उसमें (यानी तुम्हारे मज़हब में) फिर आ जाएँ, लेकिन हाँ यह कि अल्लाह ही ने जो कि हमारा मालिक है हमारे मुक़द्दर (में) किया हो, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। हम अल्लाह तआ़ला ही पर भरोसा रखते हैं,[3] ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे और हमारी (इस) क़ौम के बीच हक़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कर दीजिए, और आप सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। **(89)** और उनकी क़ौम के (उन्ही ज़िक्र किए गए) काफ़िर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुऐब की राह पर चलने लगोगे तो बेशक बड़ा नुक़सान उठाओगे। **(90)** पस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, सो अपने घर में (औंधे के औंधे) पड़े रह गए। **(91)** जिन्होंने शुऐब को झुठलाया था (उनकी यह हालत हो गई कि) जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुऐब को झुठलाया था वही घाटे में पड़ गए। **(92)** उस वक़्त वह (यानी शुऐब अ़लैहिस्सलाम) उनसे मुँह मोड़कर चले और फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी क़ौम! मैंने तुमको अपने परवर्दिगार के अहकाम पहुँचा दिए थे, और मैंने तुम्हारी ख़ैर-ख़्वाही की, फिर मैं उन काफ़िर लोगों पर क्यों रंज करूँ।[4] **(93)** ❖

और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर यह कि वहाँ के रहने वालों को (झुठलाने पर) हमने मोहताजी और बीमारी में पकड़ा ताकि वे ढीले पड़ जाएँ। **(94)** फिर हमने उस बदहाली की जगह ख़ुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि उनको ख़ूब तरक़्क़ी हुई और (उस वक़्त अपनी उल्टी समझ की वजह से) कहने लगे कि हमारे बाप-दादा को भी तंगी और राहत पेश आई थी, तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया और उनको ख़बर भी न थी। **(95)** और अगर उन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेज़गारी "यानी हराम

---

1. यह बात मोमिनों के लिए इसलिए कही कि वे लोग ईमान से पहले उसी कुफ़्र के तरीक़े पर थे। लेकिन शुऐब अ़लैहिस्सलाम के हक़ में बावजूद इसके कि नबियों से कभी कुफ़्र सादिर नहीं होता इसलिए कही कि नबी बनाए जाने से पहले उनके चुप रहने से वे यही समझते थे कि उनका एतिक़ाद भी हम ही जैसा होगा।

2. यानी जब उसके बातिल होने पर दलील क़ायम है तो हम उसको कैसे इख़्तियार कर लें।

3. इससे यह शुब्हा न किया जाए कि उनको अपने ख़ैर पर ख़ात्मे का यक़ीन न था, अम्बिया को यह यक़ीन दिया जाता है। मक़सूद आ़जिज़ी और अपने मालिक को अपने तमाम मामलात सौंपने का इज़हार करना है जो कि नुबुव्वत के लवाज़िमात में से है।

4. ऊपर जिन क़ौमों का क़िस्सा ज़िक्र हुआ है चूँकि और क़ौमों के भी ऐसे क़िस्से पेश आए हैं, आगे आ़म उनवान से मुख़्तसर तौर पर उन सबकी जुर्म की हालत और जुर्म पर भी शुरू में मोहलत मिलने की और फिर भी न समझने पर सज़ा जारी होने को ज़िक्र किया गया है। और क़िस्से को नक़ल करने के बाद आयत "अ-वलम् यह्दि लहुम्......" से इसके नक़ल करने की ग़रज़ पर जो कि इससे इबरत और सबक़ हासिल करना है, तंबीह फ़रमाई गई है।

कामों से बचते और एहतियात'' करते तो हम उनपर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते,[1] लेकिन उन्होंने तो (पैग़म्बरों को) झुठलाया, तो हमने (भी) उनके (बुरे) आमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। **(96)** क्या फिर भी उन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफ़िक्र हो गए हैं कि उनपर (भी) हमारा अ़ज़ाब रात के वक़्त आ पड़े, जिस वक़्त वे (पड़े) सोते हों। **(97)** और क्या इन (मौजूदा) बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफ़िक्र हो गए हैं कि उनपर हमारा अ़ज़ाब दिन-दोपहरी आ पड़े, जिस वक़्त कि वे अपने फ़ुज़ूल क़िस्सों में मश्ग़ूल हों।[2] **(98)** हाँ तो क्या अल्लाह की इस (अचानक) पकड़ से बेफ़िक्र हो गए, सो (समझ लो कि) ख़ुदा तआ़ला की पकड़ से सिवाय उनके जिनकी शामत ही आ गई हो और कोई बेफ़िक्र नहीं होता।[3] **(99)** ❖

और इन (गुज़रे हुए) ज़मीन पर रहने वालों के बाद जो लोग (अब) ज़मीन पर उनकी जगह रहते हैं, क्या (इन ज़िक्र हुए वाक़िआ़त ने) उनको यह बात (अभी) नहीं बतलाई कि अगर हम चाहते तो उनको उनके जुर्मों के सबब हलाक कर डालते, और हम उनके दिलों पर बन्द लगाए हुए हैं, इससे वे सुनते नहीं।[4] **(100)** उन (ज़िक्र हुई) बस्तियों के कुछ-कुछ क़िस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं, और उन सबके पास उनके पैग़म्बर मोजिज़ात लेकर आए थे, फिर जिस चीज़ को उन्होंने पहली (ही मर्तबा में एक बार) झूठा कह दिया, यह बात न हुई कि फिर उसको मान लेते, अल्लाह तआ़ला इसी तरह काफ़िरों के दिलों पर बन्द लगा देते हैं। **(101)** और ज़्यादातर लोगों में हमने अ़हद को पूरा करना न देखा, और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। **(102)** फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी दलीलें[5] देकर फ़िरऔ़न और उसके सरदारों के पास भेजा, सो उन लोगों ने उनका हक़ बिलकुल अदा न किया, सो देखिए उन फ़सादियों और बिगाड़ करने वालों का क्या अन्जाम हुआ?[6] **(103)** और मूसा ने फ़रमाया कि ऐ फ़िरऔ़न! मैं रब्बुल्-आ़लमीन की तरफ़ से पैग़म्बर हूँ। **(104)** मेरे लिए (यही) मुनासिब है कि सिवाय सच के ख़ुदा की तरफ़ कोई बात मन्सूब न करूँ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से एक बड़ी दलील भी लेकर आया हूँ, सो तू बनी इसराईल को मेरे साथ भेज दे। **(105)** (फ़िरऔ़न ने कहा) अगर आप कोई मोजिज़ा लेकर आए हैं तो उसको पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं। **(106)** पस आपने (फ़ौरन) अपना अ़सा ''यानी लाठी'' डाल दिया, सो वह देखते ही देखते साफ़ एक अज़्दहा (बन गया)।[7] **(107)** और अपना हाथ बाहर निकाल लिया, सो वह एकदम सब देखने वालों

1. यानी आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार उनको बरकत के साथ अ़ता फ़रमाते। और अगरचे इस हलाकत से पहले उनको ख़ुशहाली एक हिक्मत के लिए दी, लेकिन उस ख़ुशहाली में इसलिए बरकत न थी कि आख़िर में वह वबाले जान हो गई, उन नेमतों के उलट जो ईमान और इताअ़त के साथ मिलती हैं कि उनमें यह ख़ैर व बरकत होती है कि वे वबाल कभी नहीं होतीं, न दुनिया में न आख़िरत में। हासिल यह है कि अगर वे ईमान व तक़्वा इख़्तियार करते तो उनको भी ये बरकतें देते।
2. मुराद इससे दुनियावी कारोबार हैं।
3. इस आयत से यह बात निकाली गई है कि अल्लाह के अ़ज़ाब से बेख़ौफ़ होना कुफ़्र है, क्योंकि क़ुरआनी मुहावरों में अक्सर ''ख़ासिर'' (यानी घाटा उठाने वाले) से मुराद काफ़िर होता है।
4. इस बन्द लगाने का सबब उन्हीं का शुरू में कुफ़्र करना है, अल्लाह तआ़ला के क़ौल ''त-बअ़ल्लाहु अ़लैहा बिकुफ़्रिहिम्'' के सबब।
5. यानी मोजिज़े।
6. यह तो तमाम क़िस्से का मुख़्तसर बयान था, आगे तफ़सील है।
7. 'मुबीन' यानी साफ़ से मालूम होता है कि हक़ीक़त बदल जाती थी, ख़्याली क़िस्सा न था।

के सामने बहुत चमकता हुआ (हो गया)[1] (108) ❖

फ़िरऔन की क़ौम में जो सरदार "यानी बड़े" लोग थे, उन्होंने कहा कि वाक़ई यह शख़्स बड़ा माहिर जादूगर है। (109) (ज़रूर) यह चाहता है कि तुमको तुम्हारे (इस) मुल्क से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मश्विरा देते हो। (110) उन्होंने कहा कि आप इनको और इनके भाई को थोड़ी मोहलत दीजिए और शहरों में चपरासियों को भेज दीजिए (111) कि वे सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाज़िर कर दें। (112) (चुनाँचे ऐसा ही किया गया) और वे जादूगर फ़िरऔन के पास हाज़िर हुए! कहने लगे कि अगर हम ग़ालिब आए तो क्या हमको कोई (बड़ा) सिला मिलेगा? (113) (फ़िरऔन) ने कहा कि हाँ! (बड़ा इनाम मिलेगा) और (उसके अ़लावा यह कि) तुम क़रीबी और ख़ास लोगों में दाख़िल हो जाओगे। (114) (उन जादूगरों ने) अ़र्ज़ किया, ऐ मूसा! चाहे आप डालिए और या हम ही डालें। (115) (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि (पहले) तुम ही डालो। जब उन्होंने (अपनी रस्सियों और लाठियों को) डाला तो लोगों की नज़र-बन्दी कर दी,[2] और उनपर हैबत ग़ालिब कर दी और एक (तरह का) बड़ा जादू दिखलाया। (116) और हमने मूसा को (वह्य के ज़रिये) हुक्म दिया कि आप अपनी लाठी डाल दीजिए। (सो लाठी का डालना था कि) उसने अचानक (अज़्दहा बनकर) उनके सारे बने-बनाए खेल को निगलना शुरू किया। (117) पस (उस वक़्त) हक़ (का हक़) होना ज़ाहिर हो गया, और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब (आता) जाता रहा। (118) पस वे लोग उस मौक़े पर हार गए और ख़ूब ज़लील हुए। (119) और वे जो जादूगर थे सज्दे में गिर गए। (120) (और पुकार-पुकार कर) कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल्-आ़लमीन पर। (121) जो मूसा और हारून का भी रब है।[3] (122) फ़िरऔन कहने लगा कि हाँ तुम उसपर (यानी मूसा पर) ईमान लाए हो इसके बग़ैर ही कि मैं तुमको इजाज़त दूँ, बेशक यह एक कार्रवाई थी जिसपर इस शहर में तुम्हारा अ़मल दरामद हुआ है ताकि तुम सब इस (शहर) के रहने वालों को इससे बाहर निकाल दो, सो (बेहतर है) अब तुमको हक़ीक़त मालूम हुई जाती है। (123) मैं तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव काटूँगा, फिर तुम सबको सूली पर टाँग दूँगा।[4] (124) उन्होंने जवाब दिया कि (कुछ परवाह नहीं) हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएँगे।[5] (125) और तूने हममें कौन-सा ऐब देखा सिवाय इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए, जब वे (अहकाम) हमारे पास आए। ऐ हमारे रब! हमारे ऊपर सब्र का फ़ैज़ान फ़रमा और हमारी जान इस्लाम की हालत पर निकालिए।[6] (126) ❖

---

1. "लिन्नाज़िरीन" (यानी देखने वालों के सामने) से कोई नज़रबन्दी का शुब्हा न करे, क्योंकि यह उसकी वाक़ई सफ़ेदी की ताकीद है, जैसे कहा करते हैं कि लोगों ने खुली आँखों देखा।
2. जिससे वे लाठियाँ और रस्सियाँ साँप की शक्ल में लहराती हुई नज़र आने लगीं।
3. "जो मूसा और हारून का भी रब है" इसलिए बढ़ाया कि फ़िरऔन अपने को रब्बे-आला बतलाता था। तो रब्बुल-आ़लमीन का मिस्दाक़ सुनने वाले उसको न समझ जाएँ, इसलिए इसको बढ़ाकर मुराद तय कर दी कि जिसको मूसा व हारून रब कहते हैं।
4. ताकि औरों को इबरत हो।
5. जहाँ हर तरह अमन व राहत है।
6. ताकि उसकी सख़्ती से परेशान होकर कोई बात ईमान के ख़िलाफ़ न हो जाए।

और फ़िरऔन की क़ौम के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा और उनकी क़ौम को यूँ ही रहने देंगे कि वे मुल्क में फ़साद करते फिरें,[1] और वे आपको और आपके माबूदों को छोड़े रहें।[2] (फ़िरऔन ने) कहा कि हम अभी उन लोगों के बेटों को क़त्ल करना शुरू कर दें और उनकी औरतों को ज़िन्दा रहने दें, और हमको उनपर हर तरह का ज़ोर है। **(127)** मूसा ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ख़ुदा तआ़ला का सहारा रखो और मुस्तक़िल "यानी जमे" रहो, (घबराओ मत) यह ज़मीन अल्लाह तआ़ला की है, अपने बन्दों में से जिसको चाहें इसका मालिक (व हाकिम) बना दें, और अख़ीर कामयाबी उन्हीं (लोगों) की होती है जो ख़ुदा तआ़ला से डरते हैं।[3] **(128)** (क़ौम के लोग) कहने लगे कि हम तो (हमेशा) मुसीबत ही में रहे, आपके तशरीफ़ लाने से पहले भी और आपके तशरीफ़ लाने के बाद भी। (मूसा ने) फ़रमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देंगे, और उनकी जगह तुमको इस ज़मीन का मालिक बना देंगे, फिर तुम्हारे अ़मल का तरीक़ा देखेंगे।[4] **(129)** ❖

और हमने फ़िरऔन वालों को क़हत-साली (अकाल) में मुब्तला किया, और फलों की कम पैदावारी में ताकि वे (हक़ बात को) समझ जाएँ।[5] **(130)** सो जब उनपर ख़ुशहाली आ जाती तो कहते कि यह तो हमारे लिए होना ही चाहिए,[6] और अगर उनको कोई बदहाली पेश आती तो मूसा और उनके साथियों की नहूसत बतलाते। याद रखो कि उनकी नहूसत अल्लाह तआ़ला के इल्म में है,[7] लेकिन उनमें अक्सर लोग नहीं जानते थे। **(131)** और (यूँ) कहते थे (चाहे) कैसी ही अ़जीब बात हमारे सामने लाओ, कि उसके ज़रिये से हमपर जादू चलाओ, (जब भी) हम तुम्हारी बात हरगिज़ न मानेंगे। **(132)** फिर हमने उनपर तूफ़ान भेजा[8] और टिड्डियाँ और घुन का कीड़ा और मेंढ़क और ख़ून, कि ये सब खुले-खुले मोजिज़े थे,[9] सो वे तकब्बुर करते रहे, और वे लोग कुछ थे ही जराइम-पेशा।[10] **(133)** और जब उनपर कोई अ़ज़ाब आता तो (यूँ) कहते कि ऐ मूसा! हमारे लिए अपने रब से दुआ़ कर दीजिए, जिसका उसने आपसे अ़हद कर रखा है। अगर आप इस अ़ज़ाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर आपके कहने से ईमान ले आएँगे और हम बनी इसराईल को भी (रिहा करके) आपके साथ कर देंगे। **(134)** फिर जब उनसे उस अ़ज़ाब को एक ख़ास वक़्त तक कि उस तक

---

1. फ़साद यह कि अपना मजमा बढ़ाएँ जिससे अन्जामकार बग़ावत का अन्देशा है।

2. यानी उनके माबूद होने के इनकारी रहें।

3. सो तुम ईमान व तक़्वे पर क़ायम रहो, इन्शा-अल्लाह यह हुकूमत तुम ही को मिल जाएगी, थोड़े दिनों इन्तिज़ार की ज़रूरत है।

4. कि शुक्र, क़द्र और इताअ़त करते हो या बेक़द्री और ग़फ़लत व नाफ़रमानी। इसमें नेक कामों की तरफ़ शौक़ दिलाना और नाफ़रमानी से डराना और ख़ौफ़ दिलाना है।

5. और समझकर क़बूल कर लें।

6. यानी हम अच्छी क़िस्मत वाले हैं। यह हमारी ख़ुशक़िस्मती का असर है। यह न था कि उसको ख़ुदा की नेमत समझकर शुक्र बजा लाते और इताअ़त इख़्तियार करते।

7. यानी उनके कुफ़्र के आमाल तो अल्लाह को मालूम हैं। यह नहूसत उन्हीं आमाल की सज़ा है।

8. बारिश की ज़्यादती।

9. रुकूअ़ के शुरू में ज़िक्र हुए उमूर १. क़हतसाली यानी अकाल २. फलों कि कमी और ये पाँच चीज़ें और लाठी और सफ़ेद चमकता हुआ हाथ मिलकर नौ निशानियाँ कहलाती हैं।

10. क्योंकि इतनी सख़्ती पर भी बाज़ न आते थे।

उनको पहुँचना था हम हटा देते तो वे फ़ौरन ही अ़हद तोड़ने लगते। **(135)** फिर हमने उनसे बदला लिया, यानी उनको दरिया में डुबो दिया, इस सबब से कि वे हमारी आयतों को झुठलाते थे, और उनसे बिलकुल ही लापरवाही बरतते थे। **(136)** और हमने उन लोगों को जो कि बिलकुल कमज़ोर ही शुमार किए जाते थे[1] उस सरज़मीन "यानी मुल्क" के पूरब-पश्चिम का[2] मालिक बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है।[3] और आपके रब का नेक वायदा बनी इसराईल के हक़ में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया, और हमने फ़िरऔ़न को और उसकी क़ौम के तैयार किए और सजाए हुए कारख़ानों को और जो कुछ वे ऊँची-ऊँची इमारतें बनवाते थे, सबको उलट-पलट कर दिया। ◆ **(137)** और हमने बनी इसराईल को दरिया से पार उतार दिया, पस उन लोगों का एक क़ौम पर गुज़र हुआ जो अपने चन्द बुतों को लगे बैठे हैं। कहने लगे कि ऐ मूसा! हमारे लिए भी एक (जिस्म वाला) माबूद ऐसा ही मुक़र्रर कर दीजिए, जैसे उनके ये माबूद हैं। आपने फ़रमाया कि वाक़ई तुम लोगों में बड़ी जहालत है।[4] **(138)** ये लोग जिस काम में लगे हैं यह (अल्लाह की तरफ़ से भी) तबाह किया जाएगा और (अपने आप में भी) उनका यह काम महज़ बेबुनियाद है। **(139)** फ़रमाया कि क्या अल्लाह तआ़ला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज़ कर दूँ? हालाँकि उसने तुमको तमाम दुनिया-जहान वालों पर बरतरी दी है। **(140)** और (वह वक़्त याद करो) जब हमने तुमको फ़िरऔ़न वालों (के जुल्म व तकलीफ़ पहुँचाने) से बचा लिया, जो तुमको बड़ी सख़्त तकलीफ़ें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को (कसरत से) क़त्ल कर डालते थे और तुम्हारी औ़रतों को (अपनी बेगार और ख़िदमत के लिए) ज़िन्दा छोड़ देते थे। और इस (वाक़िए) में तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से बड़ी भारी आज़माइश थी। **(141)** ❖

और हमने मूसा से तीस रात का वायदा किया, और दस रात को उन (तीस रात) का पूरा करने वाला बनाया, सो उनके परवर्दिगार का वक़्त पूरी चालीस रात हो गया। और मूसा ने अपने भाई हारून से कह दिया था कि मेरे बाद मेरी क़ौम का इन्तिज़ाम रखना[5] और इस्लाह करते रहना और बद-नज़्म "यानी बिगाड़ व ख़राबी पैदा करने वाले" लोगों की राय पर अ़मल मत करना। **(142)** और जब मूसा हमारे (मुक़र्ररा) वक़्त

1. यानी बनी इसराईल को।
2. यानी तमाम हदों (सीमाओं) का।
3. यानी ज़ाहिरी और बातिनी बरकत। ज़ाहिरी बरकत पैदावार ज़्यादा होने से। और बातिनी बरकत अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वहाँ रहने और उनके दफ़न होने की जगह होने से।
4. उनकी इस बेहूदा दरख़्वास्त की वजह अ़ल्लामा बग़वी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने यह लिखी है कि उनको तौहीद में शक न हुआ था बल्कि अपनी जहालत से यह समझे कि ग़ायब माबूद की तरफ़ मुतवज्जह होने के लिए अगर किसी सामने मौजूद को ज़रिया बनाया जाए तो यह बात दियानत के मनाफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह की ताज़ीम और निकटता ज़्यादा है। और चूँकि यह ख़्याल नक़ल और अ़क़्ल के एतिबार से अपने आप में ग़लत है, इसलिए इसको जहल (मूर्खता) फ़रमाया गया। और अल्लाह को ज़्यादा मालूम है।
5. मूसा अ़लैहिस्सलाम का 'मेरे बाद मेरी क़ौम का इन्तिज़ाम रखना' फ़रमाना इस बिना पर है कि हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम सिर्फ़ नबी थे, हाकिम और सुल्तान न थे। इस सिफ़त में ख़लीफ़ा बनाना मक़सूद है, नुबुव्वत में ख़लीफ़ा बनाना मक़सूद नहीं।

पर आए और उनके रब ने उनसे (बहुत ही लुत्फ़ और इनायत की) बातें कीं,[1] तो अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको अपना दीदार दिखला दीजिए कि मैं आपको एक नज़र देख लूँ। इरशाद हुआ कि तुम मुझको (दुनिया में) हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ़ देखते रहो, सो अगर यह अपनी जगह बरक़रार रहा तो (ख़ैर) तुम भी देख सकोगे।[2] पस उनके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली फ़रमाई तो (तजल्ली ने) उस (पहाड़) के परख़्चे "यानी धज्जियाँ" उड़ा दिए और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े।[3] फिर जब होश में आए तो अ़र्ज़ किया कि बेशक आपकी ज़ात पाकीज़ा (और बुलन्द) है, मैं आपकी जनाब में माज़िरत करता हूँ और सबसे पहले मैं उसपर यक़ीन करता हूँ। **(143)** इरशाद हुआ कि ऐ मूसा! (यही बहुत है कि) मैंने पैग़म्बरी और अपनी गुफ़्तगू से और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया है, तो (अब) जो कुछ मैंने तुमको अ़ता किया है उसको लो और शुक्र करो। **(144)** और हमने चन्द तख़्तियों पर हर क़िस्म की (ज़रूरी) नसीहत और (ज़रूरी अहकाम के मुताल्लिक़) हर चीज़ की तफ़सील उनको लिखकर दी, तो उनको कोशिश के साथ (ख़ुद भी) अ़मल में लाओ और अपनी क़ौम को (भी) हुक्म करो कि उनके अच्छे-अच्छे अहकाम पर अ़मल करें, मैं अब बहुत जल्द तुम लोगों को उन बेहुक्मों का मक़ाम दिखलाता हूँ।[4] **(145)** मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगश्ता "यानी विमुख" ही रखूँगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं जिसका उनको कोई हक़ हासिल नहीं,[5] और अगर तमाम निशानियाँ देख लें तब भी उनपर ईमान न लाएँ, और अगर हिदायत का रास्ता देख लें तो उसको अपना तरीक़ा न बनाएँ, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो उसको अपना तरीक़ा बना लें।[6] यह इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया और उनसे ग़ाफ़िल रहे। **(146)** और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़ियामत के पेश आने को झुठलाया, उनके सब काम ग़ारत गए, उनको वही सज़ा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। **(147)** ❖

और मूसा की क़ौम ने उनके बाद अपने (क़ब्ज़े में मौजूद) ज़ेवरों का एक बछड़ा ठहरा लिया[7] जो कि एक क़ालिब "यानी ढाँचा और साँचा" था जिसमें एक आवाज़ थी। क्या उन्होंने यह न देखा कि वह उनसे बात तक नहीं करता था, और न उनको कोई राह बतलाता था, उसको उन्होंने (माबूद) क़रार दिया और बड़ा बेढंगा काम किया। **(148)** और जब शर्मिन्दा हुए और मालूम हुआ कि वाक़ई वे लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने

1. हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से हक़ तआ़ला ने कलाम फ़रमाया, मगर यह कि उसकी हक़ीक़त क्या थी, अल्लाह ही को मालूम है। जिन अ़क़्ली गुमानों की शरीअ़त नफ़ी न करे उन सबके क़ायल होने की गुन्जाइश है, लेकिन बिना दलील यक़ीन का न होना ज़्यादा एहतियात की राह है।

2. मूसा अ़लैहिस्सलाम का दीदार की दरख़्वास्त करना दुनिया में उसके अ़क़्ली तौर पर मुम्किन होने पर, और हक़ तआ़ला का जवाब शरई तौर पर उसकी मुमानअ़त की दलील है। और अहले सुन्नत वल् जमाअ़त (यानी हक़ पर क़ायम जमाअ़त) का यही मज़हब है।

3. मूसा अ़लैहिस्सलाम की बेहोशी उनपर तजल्ली फ़रमाने से न थी, क्योंकि ज़ाहिरन् 'लिल्ज-बलि' के ख़िलाफ़ है, बल्कि पहाड़ की यह हालत देखकर और फिर तजल्ली के मक़ाम यानी पहाड़ के साथ एक तरह से ताल्लुक़ और क़रीब होने से बेहोशी हुई।

4. इसमें ख़ुशख़बरी और वायदा है कि 'मिस्र' या 'शाम' पर जल्द ही क़ब्ज़ा हुआ चाहता है। मक़सूद इससे इताअ़त का शौक़ दिलाना है, कि अल्लाह के अहकाम की इताअ़त की ये बरकतें हैं।

5. क्योंकि अपने को बड़ा समझना उसका हक़ है जो हक़ीक़त में बड़ा हो, और वह एक ख़ुदा की ज़ात है।

6. यानी हक़ के क़बूल न करने से फिर दिल सख़्त हो जाता है और बरगश्तगी (विमुखता) इस हद तक पहुँच जाती है।

7. इसका क़िस्सा सूरः 'ता-हा' में है।

लगे कि अगर हमारा रब हमपर रहम न करे और हमारा (यह) गुनाह माफ़ न करे तो हम बिलकुल गए गुज़रे।[1] **(149)** और जब मूसा अपनी क़ौम की तरफ़ वापस आए गुस्से और रंज में भरे हुए,[2] तो फ़रमाया तुमने मेरे बाद यह बड़ी नामाकूल हरकत की। क्या अपने रब का हुक्म (आने) से पहले ही तुमने जल्दबाज़ी कर ली? और (जल्दी में) तख़्तियाँ एक तरफ़ रखीं[3] और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ़ घसीटने लगे। (हारून ने) कहा कि ऐ मेरे माँ-जाये (भाई!) इन लोगों ने मुझको बेहक़ीक़त समझा और क़रीब था कि मुझको क़त्ल कर डालें, तो तुम मुझपर (सख़्ती करके) दुश्मनों को मत हँसाओ, और मुझको इन ज़ालिमों के साथ मत शुमार करो। **(150)** (मूसा ने) कहा कि ऐ मेरे रब! मेरी ख़ता माफ़ फ़रमा दे और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाख़िल फ़रमाइए, और आप सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। **(151)** ❖

बेशक जिन लोगों ने गौसाला-परस्ती की है, उनपर बहुत जल्द उनके रब की तरफ़ से ग़ज़ब और ज़िल्लत इस दुनियावी ज़िन्दगी में ही पड़ेगी, और हम बोहतान बाँधने वालों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। **(152)** और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वे उनके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आयें तो तुम्हारा रब उस (तौबा) के बाद गुनाह का माफ़ कर देने वाला, रहमत करने वाला है। **(153)** और जब मूसा का गुस्सा ख़त्म हुआ तो (उन) तख़्तियों को उठा लिया[4] और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। **(154)** और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने सत्तर आदमी अपनी क़ौम में से हमारे

---

1. चुनाँचे ख़ास तरीक़े से उनको तौबा को मुकम्मल करने का हुक्म हुआ, जिसका क़िस्सा सूरः ब-क़रः आयत 'फ़क़्तुलू अन्फ़ु-सकुम्' में गुज़रा है।

2. क्योंकि उनको वह्य से यह मालूम हो गया था।

3. और जल्दी में ऐसे ज़ोर से रखी गईं कि देखने वाले को अगर ग़ौर न करे तो शुब्हा हो कि जैसे किसी ने पटख़ दी हों।

4. मूसा अ़लैहिस्सलाम का गुस्सा अल्लाह के लिए था। उसकी मिसाल 'सुक्र मिनल मुबाह' (यानी जायज़ और हलाल चीज़ से नशे या बेहोशी की कैफ़ियत) जैसी है, जिसमें आदमी मुकल्लफ़ नहीं रहता। उसपर दूसरे शख़्स के गुस्से को जो नफ़्स के वास्ते हो क़ियास नहीं कर सकते बल्कि उसकी हालत 'सुक्र मिनल हराम' (यानी किसी हराम चीज़ से नशे व ख़ुमार की कैफ़ियत) जैसी है, जिसको शरीअ़त में उज़्र क़रार नहीं दिया गया। और फिर आ़दतन् मुम्किन है कि ज़्यादा मश्ग़ूली की वजह से ख़्याल ही न रहा हो कि मेरे हाथ में क्या है, और भाई को पकड़ने और पूछताछ करने के लिए हाथ ख़ाली करना हो, इसलिए तख़्तियों के 'इल्क़ा-ए-अल्वाह' (यानी तख़्तियों को डाल देने) का अ़मल हो गया हो। और बाज़ ने लिखा है कि इल्क़ा के मायने हैं 'जल्दी से रख देना', मजाज़न व तश्बीहन इल्क़ा से ताबीर किया।

मुक़र्ररा वक़्त (पर लाने) के लिए चुने,[1] सो जब उनको ज़लज़ले (वग़ैरह) ने आ पकड़ा तो (मूसा) अ़र्ज़ करने लगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! अगर आपको यह मन्ज़ूर होता तो आप इससे पहले ही इनको और मुझको हलाक कर देते, कहीं आप हममें के चन्द बेवक़ूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देंगे? यह सिर्फ़ आपकी तरफ़ से एक इम्तिहान है, और इन (इम्तिहानों) से जिसको आप चाहें गुमराही में डाल दें और जिसको आप चाहें हिदायत पर क़ायम रखें, आप ही तो हमारे ख़बरगीरी करने वाले हैं। हमपर मग़्फ़िरत और रहमत फ़रमाइए, और आप सब माफ़ी देने वालों से ज़्यादा हैं। **(155)** और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हालत पर रहना लिख दीजिए और आख़िरत में भी हम आपकी तरफ़ रुजू करते हैं। (अल्लाह तआ़ला) ने फ़रमाया कि मैं अपना अ़ज़ाब तो उसी पर करता हूँ जिसपर चाहता हूँ और मेरी रहमत तमाम चीज़ों को घेरे हुए है। तो वह रहमत उन लोगों के नाम तो ज़रूर ही लिखूँगा जो अल्लाह तआ़ला से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो कि हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं।[2] **(156)** जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं जिनको वे लोग अपने पास तौरात व इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं, (जिनकी सिफ़त यह भी है) कि वह उनको नेक बातों का हुक्म फ़रमाते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को उनके लिए हलाल बतलाते हैं और गन्दी चीज़ों को (बदस्तूर) उनपर हराम फ़रमाते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौक़ "यानी बेड़ियाँ" थे उनको दूर करते हैं, सो जो लोग उन (नबी मौसूफ़) पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी मदद करते हैं, और उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो उनके साथ भेजा गया है,[3] ऐसे लोग पूरी फ़लाह पाने वाले हैं। **(157)** ❖

आप कह दीजिए कि ऐ (दुनिया-जहान के) लोगो! मैं तुम सबकी तरफ़ उस अल्लाह का भेजा हुआ (पैग़म्बर) हूँ जिसकी बादशाही है तमाम आसमानों और ज़मीन में, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वही ज़िन्दगी देता है और वही मौत देता है। सो (ऐसे) अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके (ऐसे) नबी उम्मी पर (भी) जो कि (ख़ुद) अल्लाह पर और उसके अहकाम पर ईमान रखते हैं,[4] और उन (नबी) की पैरवी करो ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। **(158)** और मूसा की क़ौम में एक जमाअ़त ऐसी भी है जो (दीने) हक़ के मुवाफ़िक़ हिदायत करते हैं और उसी के मुवाफ़िक़ इन्साफ़ भी करते हैं।[5] **(159)** और हमने उनको बारह

---

1. जब गौसाला का क़िस्सा तमाम हुआ तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इत्मीनान से तौरात के अहकाम सुनाए। उन लोगों की शुब्हात निकालने की आ़दत थी ही, चुनाँचे उसमें भी शुब्हा निकाला कि हमको यह कैसे मालूम हो कि ये अल्लाह तआ़ला के अहकाम हैं। हमसे अल्लाह तआ़ला ख़ुद कह दें तो यक़ीन किया जाए। आपने हक़ तआ़ला से अ़र्ज़ किया। वहाँ से हुक्म हुआ कि उनमें के कुछ आदमी जिनको ये लोग मोतबर समझते हों चुन करके उनको तूर पहाड़ पर ले आओ, हम उनसे ख़ुद कह देंगे कि ये हमारे अहकाम हैं। और उनके लाने के लिए एक वक़्त तय किया गया।

2. तक़्वा और ज़कात व ईमान में सीमित करना मक़सूद नहीं, हर बाब का एक अ़मल नमूने के तौर पर ज़िक्र फ़रमा दिया। मतलब यह है कि अहकाम की इताअ़त करते हैं, फिर जिस दर्जे की इताअ़त होगी उसी दर्जे की रहमत होगी।

3. इससे क़ुरआन मुराद है।

4. यानी बावजूद इस बड़े रुतबे के उनको अल्लाह पर और सब रसूलों व किताबों पर ईमान से आ़र और शर्म नहीं, तो तुमको अल्लाह व रसूल पर ईमान लाने से क्यों इनकार है?

5. इससे अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु वग़ैरह मुराद हैं। और इससे यह भी मालूम हुआ कि आपकी नुबुव्वत जैसे दलीलों की शहादत से साबित है इसी तरह अहले इल्म की शहादत से भी ताईद पाई हुई है।

ख़ानदानों में बाँट करके सबकी अलग-अलग जमाअ़त मुक़र्रर कर दी।[1] और (एक इनाम यह किया कि) हमने मूसा को हुक्म दिया जबकि उनकी क़ौम ने पानी माँगा कि अपनी लाठी को (फ़लाँ) पत्थर पर मारो, (बस मारने की देर थी) फ़ौरन उससे बारह चश्मे फूट निकले, (चुनाँचे) हर-हर शख़्स ने अपने पानी पीने का मौक़ा "यानी जगह" मालूम कर लिया। और (एक इनाम यह किया कि) हमने उनपर बादल से साया किया, और (एक इनाम यह किया कि) उनको तुरन्जबीन "यानी एक क़िस्म की क़ुदरती शक्र" और बटेरें पहुँचाईं, (और इजाज़त दी कि) खाओ पाक चीज़ों से जो कि हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कोई नुक़सान नहीं किया लेकिन अपना ही नुक़सान करते थे।[2] **(160)** और (वह ज़माना याद करो) जब उनको हुक्म दिया कि तुम लोग उस आबादी में जाकर रहो, और खाओ उससे जिस जगह से तुम्हारा दिल चाहे, और (ज़बान से) कहते जाना कि तौबा है (तौबा है) और (आ़जिज़ी से) झुके-झुके दरवाज़े में दाख़िल होना, हम तुम्हारी (पिछली) ख़ताएँ माफ़ कर देंगे (यह तो सबके लिए होगा और) जो नेक काम करेंगे उनको और भी ज़्यादा देंगे। **(161)** सो बदल डाला उन ज़ालिमों ने एक और कलिमा जो ख़िलाफ़ था उस (कलिमे) के जिसकी उनसे फ़रमाइश की गई थी, (इसपर) हमने उनपर एक आसमानी आफ़त भेजी, इस वजह से कि वे हुक्म को ज़ाया करते थे। **(162)** ❖

और आप इन (अपने ज़माने के यहूदी) लोगों से (तंबीह के तौर पर) उस बस्ती[3] (वालों) का जो कि दरिया-ए-शोर के क़रीब आबाद थे, (उस वक़्त का) हाल पूछिए, जबकि वे हफ़्ता "शनिवार" के बारे में (शरई) हद से निकल रहे थे, जबकि उनके हफ़्ते "शनिवार" के दिन उन (के दरिया) की मछलियाँ ज़ाहिर हो-होकर उनके सामने आती थीं, और जब हफ़्ते "शनिवार" का दिन न होता तो उनके सामने न आती थीं। हम उनकी इस तरह पर (सख़्त) आज़माइश करते थे, इस सबब से कि वे (पहले से) बेहुक्मी किया करते थे। ● **(163)** और (उस वक़्त का हाल पूछिए) जबकि उनमें से एक जमाअ़त ने (यूँ) कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत किए जाते हो जिनको अल्लाह तआ़ला (बिलकुल) हलाक करने वाले हैं या उनको सख़्त सज़ा देने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे (और अपने) रब के सामने उज़्र करने के लिए, और (साथ ही) इसलिए कि शायद ये डर जाएँ।[4] **(164)** सो (आख़िर) जब वे उस अम्र "यानी बात और हुक्म" को छोड़े ही रहे जो उनको समझाया जाता था, (यानी न माना) तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया जो उस बुरी बात से मना किया करते थे, और उन लोगों को जो (ज़िक्र हुए हुक्म में) ज़्यादती करते थे एक सख़्त अ़ज़ाब में पकड़ लिया, इस वजह से कि वे नाफ़रमानी किया करते थे। **(165)** (यानी) जिस काम से उनको मना किया गया था

1. और हर एक पर एक सरदार निगरानी के लिए मुक़र्रर कर दिया जिनका ज़िक्र सूरः मा-इदः के रुकूअ़ नम्बर तीन में है, 'व बअ़स्ना मिन्हुमुस्नै अ़-श-र नक़ीबन्'।
2. ये वाक़िआ़त वादी-ए-तीह के हैं। इनकी तफ़सील सूरः ब-क़रः में गुज़र चुकी।
3. उस बस्ती का नाम अक्सर ने ईला लिखा है। समुद्र के क़रीब होने की वजह से ये लोग मछली पकड़ने के शौक़ीन थे।
4. जब नसीहत के असरदार होने की बिलकुल उम्मीद न हो तो नसीहत करना वाजिब नहीं रहता। अगर फिर भी नसीहत करे तो यह बुलन्द हिम्मती है। पस जिस जमाअ़त ने यूँ कहा कि 'तुम क्यों नसीहत किए जाते हो' नाउम्मीद होने की वजह से वाजिब न होने पर अ़मल किया। और जिस जमाअ़त ने यह कहा कि 'तुम्हारे और अपने रब के सामने उज़्र करने के लिए' तो या तो उनको नाउम्मीदी नहीं हुई या बुलन्द हिम्मती वाले पहलू को इख़्तियार किया। ग़रज़ दोनों सही थे और दोनों के नजात पाने को हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने निकाला और साबित किया, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पसन्द करके उनको इनाम भी दिया।

जब वे उसमें हद से निकल गए तो हमने उनको (ग़ज़ब और गुस्से से) कह दिया कि तुम ज़लील बन्दर बन जाओ। **(166)** और (वह वक़्त याद करना चाहिए) जब आपके रब ने (यह बात) बतला दी कि वह उन (यहूद) पर क़ियामत (के क़रीब) तक ऐसे (किसी-न-किसी) शख़्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सख़्त सज़ाओं की तकलीफ़ पहुँचाता रहेगा,[1] बेशक आपका रब वाक़ई (जब चाहे) जल्द ही सज़ा दे देता है, और बेशक वह (अगर कोई बाज़ आ जाए तो) बड़ी ही मग़्फ़िरत (और) बड़ी ही रहमत वाला (भी) है **(167)** और हमने दुनिया में उनकी अलग-अलग जमाअ़तें कर दीं, बाज़े उनमें नेक थे और बाज़े उनमें और तरह के थे (यानी बुरे), और हम उनको ख़ुशहालियों (सेहत और मालदारी) और बदहालियों (बीमारी और तंगी) से आज़माते रहे, शायद कि बाज़ आ जाएँ।[2] **(168)** फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए कि किताब (तौरात) को उनसे हासिल किया, इस ज़लील दुनिया का माल व सामान ले लेते हैं, और (इस गुनाह को मामूली समझकर) कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़्फ़िरत हो जाएगी, हालाँकि अगर उनके पास (फिर) वैसा ही माल व सामान (दीन बेचने के बदले) आने लगे तो उसको ले लेते हैं। क्या उनसे (इस) किताब (के इस मज़मून) का अ़हद नहीं लिया गया कि ख़ुदा की तरफ़ सिवाय हक़ बात के और किसी बात की निस्बत न करें? और उन्होंने उस (किताब) में जो कुछ था उसको पढ़ (भी) लिया, और आख़िरत वाला घर उन लोगों के लिए (इस दुनिया से) बेहतर है जो (इन बुरे अ़क़ीदों और आमाल से) परहेज़ रखते हैं, क्या फिर (ऐ यहूद) तुम नहीं समझते? **(169)** और (उनमें से) जो लोग किताब के पाबन्द हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपना सुधार और दुरुस्ती करें सवाब ज़ाया न करेंगे। **(170)** और (वह वक़्त भी ज़िक्र के क़ाबिल है) जब हमने पहाड़ को उठाकर छत की तरह उनके ऊपर (लटका हुआ) कर दिया और उनको यक़ीन हुआ कि अब उनपर गिरा,[3] (और कहा कि जल्दी) क़बूल करो जो किताब हमने तुमको दी है, (यानी तौरात और) मज़बूती के साथ (क़बूल करो) और याद रखो जो अहकाम उसमें हैं, जिससे उम्मीद है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। **(171)** ❖

और जबकि आपके रब ने आदम की औलाद की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला, और उनसे उन्हीं के मुताल्लिक़ इक़रार लिया[4] कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने जवाब दिया कि क्यों नहीं, हम सब (इस हक़ीक़त के) गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़ियामत के दिन (यूँ न) कहने लगो कि हम तो इस (तौहीद) से (बिलकुल) बेख़बर थे। **(172)** या (यूँ) कहने लगो कि (असल) शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया था और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, सो क्या उन ग़लत राह (निकालने) वालों के फ़ेल पर आप हमको तबाही में

1. यानी ज़िल्लत व रुस्वाई और मातहती। चुनाँचे मुद्दत से यहूदी किसी न किसी हुकूमत के मातहत और नाराज़गी का शिकार ही चले आते हैं।

2. क्योंकि कभी नेकियों से तरग़ीब (यानी शौक़) हो जाती है और कभी बुराइयों से डराना और ख़ौफ़ दिलाना हो जाता है।

3. छत के साथ तश्बीह (उपमा) सर के ऊपर होने में है, लटका हुआ होने में नहीं।

4. यह रूहों के आ़लम में हुए अ़हद का बयान है।

डाले देते हैं। **(173)** और हम इसी तरह आयतों को साफ़-साफ़ बयान किया करते हैं, और ताकि वे बाज़ आ जाएँ।[1] **(174)** और उन लोगों को उस शख़्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि उसको हमने अपनी आयतें दीं,[2] फिर वह उनसे बिलकुल ही निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग लिया, सो वह गुमराह लोगों में (दाख़िल) हो गया। **(175)** और अगर हम चाहते तो उसको उन (आयतों) की बदौलत बुलन्द (रुतबे वाला) कर देते,[3] लेकिन वह तो दुनिया की तरफ़ माइल हो गया और अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उसपर हमला करे तब भी हाँपे या उसको छोड़ दे तब भी हाँपे। यही हालत (आम तौर पर) उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, सो आप उस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वे लोग कुछ सोचें। **(176)** (हक़ीक़त में) उन लोगों की (हालत भी) बुरी हालत है, जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, और (इस झुठलाने से) वे अपना (ही) नुक़सान करते हैं।[4] **(177)** जिसको अल्लाह हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला वही होता है, और जिसको वह गुमराह कर दे, सो ऐसे ही लोग (हमेशा के) घाटे में पड़ जाते हैं। **(178)** और हमने ऐसे बहुत-से जिन्न और इनसान दोज़ख़ के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आँखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते, ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि ये लोग ज़्यादा बेराह हैं, ये लोग ग़ाफ़िल हैं। **(179)** और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह तआ़ला ही के लिए हैं, सो उन (नामों) से अल्लाह तआ़ला ही को पुकारा करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी न रखो जो उसके नामों में ग़लत रास्ता इख़्तियार करते हैं। उन लोगों को उनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। **(180)** और हमारी मख़्लूक़ (जिन्न और इनसान) में एक जमाअ़त ऐसी भी है जो हक़ (यानी दीन इस्लाम) के मुवाफ़िक़ हिदायत करते हैं और उसी के मुवाफ़िक़ इन्साफ़ भी करते हैं।[5] **(181)** ❖

---

1. ऊपर बनी इसराईल के हालात के दरमियान में उनका अल्लाह के अहकाम का मामूर होना और रूहों के आ़लमे अ़हद में तमाम आदमियों का तौहीद के लिए मामूर होने का ज़िक्र मक़सूद बनाकर और इन ज़िक्रशुदा का तौहीद व रिसालत के इनकार से उन किए हुए अ़हदों के ख़िलाफ़ करना ज़िम्नन मज़कूर हुआ था। आगे अहकाम को जानने के बाद उनके ख़िलाफ़ करने वाले की मिसाल बयान फ़रमाते हैं।
2. यानी अहकाम का इल्म दिया।
3. यानी अगर वह उन आयतों पर अ़मल करता जिसका तक़दीर से वाबस्ता होना एक मालूम चीज़ है तो उसकी क़बूलियत का रुतबा बढ़ता।
4. ऊपर गुमराह लोगों की हालत बयान फ़रमाई कि इसके बावजूद कि हिदायत का रास्ता उनपर वाज़ेह हो गया फिर भी मुख़ालफ़त और बैर को नहीं छोड़ते। चूँकि उनके इस बैर और मुख़ालफ़त से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सख़्त ग़म होता था इसलिए आगे आपकी तसल्ली का मज़मून है।
5. ऊपर मुश्रिकों के हक़ में 'उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी' फ़रमाया था। चूँकि वह जज़ा उस वक़्त तक ज़ाहिर न हुई थी, इससे ज़ाहिर न होने का उनको शुब्हा हो सकता था। आगे उसके ज़ाहिर न होने की वजह बयान करके उस शुब्हा को ख़त्म फ़रमाते हैं।

और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं, हम उनको धीरे-धीरे लिए जा रहे हैं,[1] इस तरह पर कि उनको ख़बर भी नहीं।[2] (182) और उनको मैं मोहलत देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है।[3] (183) क्या उन लोगों ने इस बात पर ग़ौर न किया कि उनका जिनसे वास्ता है उनको ज़रा भी जुनून नहीं, वे तो सिर्फ़ एक (अज़ाब से) साफ़-साफ़ डराने वाले हैं।[4] (184) और क्या उन लोगों ने ग़ौर नहीं किया आसमानों और ज़मीन के आलम में, और साथ ही दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह तआला ने पैदा की हैं, और इस बात में (भी ग़ौर नहीं किया) कि हो सकता है कि उनकी मुद्दत क़रीब ही आ पहुँची हो? फिर इस (कुरआन) के बाद कौन-सी बात पर ये लोग ईमान लाएँगे।[5] (185) जिसको अल्लाह तआला गुमराह करे उसको कोई राह पर नहीं ला सकता (फिर ग़म करना बेकार है) और अल्लाह तआला उनको उनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। (186) ये लोग आपसे क़ियामत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि वह कब आएगी, आप फ़रमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ़ मेरे रब ही के पास है,[6] उसके वक़्त पर उसको सिवाय उसके (यानी अल्लाह के) कोई और ज़ाहिर न करेगा,[7] वह आसमान और ज़मीन में बड़ा भारी (हादसा) होगा, इसलिए कि वह तुमपर बिलकुल अचानक आ पड़ेगी। वे आपसे (इस तरह) पूछते हैं (जैसे) गोया आप उसकी तहक़ीक़ात कर चुके हैं। आप फ़रमा दीजिए कि उसका ख़ास इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।[8] (187) आप कह दीजिए कि मैं ख़ुद अपनी ख़ास ज़ात के लिए किसी नफ़े का इख़्तियार नहीं रखता और न किसी नुक़सान का, मगर इतना ही जितना ख़ुदा तआला ने चाहा हो, और अगर मैं ग़ैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत-से मुनाफ़े हासिल कर लिया करता और कोई नुक़सान मुझको हरगिज़ न होता, मैं तो सिर्फ़ (शरई अहकाम बतला कर सवाब की) ख़ुशख़बरी देने वाला और (अज़ाब से) डराने वाला हूँ, उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। (188) ❖

वह (अल्लाह तआला) ऐसा क़ादिर व नेमतें देने वाला) है जिसने तुमको एकमात्र बदन (आदम) से पैदा किया, और उसी से उसका जोड़ा (हव्वा अलैहस्सलाम को) बनाया, ताकि वह उस (अपने जोड़े) से उन्स हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से क़ुरबत "निकटता" की तो उसको हल्का सा हमल "गर्भ" रह गया, सो वह उसको लिए हुए चलती फिरती रही, फिर जब वह बोझल हो गई तो दोनों (मियाँ-बीवी) अल्लाह से जो कि उनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर आपने हमको सही (सालिम औलाद) दे दी तो हम ख़ूब शुक्रगुज़ारी करेंगे। (189) सो जब अल्लाह तआला ने उन दोनों को सही (सालिम औलाद) दे दी तो अल्लाह

1. यानी जहन्नम की तरफ़।
2. और 'ला यअ्लमू-न' के मायने यह हैं कि वे इस मोहलत को अपने तरीक़े के दुरुस्त होने पर गुमान करते हैं, और अल्लाह के यहाँ अपने महबूब व मक़्बूल होने पर, हालाँकि वे जहन्नम तक की दूरी को तय कर रहे हैं।
3. हासिल यह कि उनकी शरारतों पर सख़्त सज़ा देना मन्ज़ूर है, इसलिए उसकी यह तदबीर की गई कि यहाँ कामिल पकड़ नहीं फ़रमाई।
4. हासिल यह कि अगर आपकी मजमूई हालत में ग़ौर करें तो आपकी पैग़म्बरी समझ में आ जाए।
5. हासिल यह कि न दीने हक़ तक पहुँचाने वाले यानी दलील की फ़िक्र है। और न इस पहुँचाने वाले के सहायक यानी मौत के ध्यान व ख़्याल का ज़िक्र है।
6. यानी दूसरे किसी को उसकी ख़बर नहीं।
7. और वह ज़ाहिर करना यह होगा कि उसको क़ायम कर देगा। उस वक़्त सबको पूरी ख़बर हो जाएगी।
8. बाज़ उलूम हक़ तआला ने अपने इल्म के ख़ज़ाने में महफ़ूज़ रखे हैं। अम्बिया को भी तफ़सील के साथ उनकी इत्तिला नहीं दी। इस आयत और मुस्लिम व बुख़ारी में मौजूद उस हदीस जिसमें यह कहा गया है कि उसके बारे में जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, से साफ़ मालूम होता है कि यक़ीन व तफ़सील के साथ क़ियामत की इत्तिला आपसे भी पोशीदा थी।

तआ़ला की दी हुई चीज़ में वे दोनों अल्लाह तआ़ला के शरीक क़रार देने लगे, सो अल्लाह तआ़ला पाक है उनके शिर्क से।[1] (190) क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को बना न सकें और वे ख़ुद ही बनाए जाते हों। (191) और वे उनको किसी क़िस्म की मदद (भी) नहीं दे सकते, और वे ख़ुद अपनी भी मदद नहीं कर सकते। (192) और अगर तुम उनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें।[2] तुम्हारे एतिबार से (दोनों बातें) बराबर हैं, चाहे तुम उनको पुकारो या तुम चुप रहो।[3] (193) वाक़ई तुम ख़ुदा को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वे भी तुम जैसे ही बन्दे हैं, सो तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो। (194) क्या उनके पाँव हैं जिनसे वे चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे वे किसी चीज़ को थाम सकें, या उनकी आँखें हैं जिनसे वे देखते हों, या उनके कान हैं जिनसे वे सुनते हों? आप (यह भी) कह दीजिए कि तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मुझे नुक़सान पहुँचाने की तदबीर करो, फिर मुझको बिलकुल भी मोहलत मत दो। (195) यक़ीनन मेरा मददगार अल्लाह तआ़ला है जिसने यह किताब नाज़िल फ़रमाई, और वह (आ़म तौर पर) नेक बन्दों की मदद किया करता है। (196) और तुम जिन लोगों की ख़ुदा को छोड़कर इबादत करते हो वे तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, और न वे अपनी मदद कर सकते हैं। (197) और अगर उनको कोई बात बताने को पुकारो तो (उसको) न सुनें, और उनको आप देखते हैं कि (जैसे) वे आपको देख रहे हैं, और वे कुछ भी नहीं देखते।[4] (198) सरसरी बर्ताव को क़बूल कर लिया कीजिए और नेक काम की तालीम कर दिया कीजिए, और जाहिलों से एक किनारे हो जाया कीजिए।[5] (199) और अगर आपको शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा आने लगे तो अल्लाह तआ़ला की पनाह माँग लिया कीजिए,[6] बेशक वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। (200) यक़ीनन जो लोग ख़ुदा से डरने वाले हैं, जब उनको शैतान की तरफ़ से कोई ख़तरा आ जाता है तो वे याद में लग जाते हैं, सो एक दम उनकी आँखे खुल जाती हैं। (201) और जो (शैतानों के ताबे या अधीन) हैं वे उनको गुमराही में खींचे

1. यहाँ तक तो हक़ तआ़ला की सिफ़तें ज़िक्र की गई थीं, जिनका तक़ाज़ा यह है कि माबूद होने का हक़दार सिर्फ़ वही है। आगे बातिल और झूठे माबूदों की कमियों और ख़ामियों का ज़िक्र है, जिनसे अच्छी तरह वाज़ेह हो जाता है कि वे माबूद बनने और बनाने के लायक़ नहीं हैं।

2. इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक यह कि तुम उनको पुकारो कि वे तुमको कोई बात बतला दें, तो तुम्हारा कहना न करें यानी न बतलाएँ। और दूसरे इससे ज़्यादा यह कि तुम उनको पुकारो कि आओ हम तुमको कुछ बतला दें तो वे तुम्हारे कहने पर न चलें, यानी तुम्हारी बतलाई हुई बात पर अ़मल न कर सकें।

3. ख़ुलासा यह है कि जो काम सबसे ज़्यादा आसान है कि कोई बात बतलाने के लिए पुकारे तो सुन लेना, वे इसं से आ़जिज़ हैं, तो जो इससे मुश्किल है कि अपनी हिफ़ाज़त करें। और फिर जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि दूसरों की इम्दाद करना, और फिर जो इन सबसे ज़्यादा दुश्वार है कि किसी चीज़ को पैदा करना, इससे तो और भी ज़्यादा आ़जिज़ होंगे। फिर ऐसे आ़जिज़ और मोहताज माबूद बनने के लायक़ कैसे हो सकते हैं?

4. ऊपर जाहिल मुश्रिकीन से एक बहस थी। चूँकि बावजूद इस बहस और दलील देने के भी वे लोग अपनी हद दर्जा दुश्मनी से अपनी जहालत पर अड़े रहते थे जिससे गुस्सा आ जाना स्वभाविक था, इसलिए आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नर्मी का हुक्म है। और गुस्सा आ जाने पर अल्लाह तआ़ला से पनाह माँगने की तालीम है, और उनके गुमराही में फँसे रहने का बयान है। जिससे उनकी तरफ़ से मुकम्मल तौर पर मायूसी हो जाए, ताकि फिर गुस्सा न आए।

5. यानी लोगों के आमाल व अख़्लाक़ की तह और हक़ीक़त तलाश न कीजिए, बल्कि ज़ाहिरी नज़र में सरसरी तौर पर जो काम किसी से अच्छा हो उसको भलाई पर महमूल कीजिए, बातिन का हाल अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। हासिल यह कि समाजी ज़िन्दगी में आसानी रखिए, सख़्ती न कीजिए।

6. 'और अगर आपको शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा आने लगे' का मज़मून अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के गुनाहों से महफ़ूज़ रहने के मनाफ़ी और ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि महफ़ूज़ रहने का हासिल यह है कि शैतान गुनाह नहीं करा सकता, यह नहीं कि गुनाह की राय नहीं दे सकता।

चले जाते हैं, पस वे बाज़ नहीं आते। **(202)** और जब आप कोई मोजिज़ा उनके सामने ज़ाहिर नहीं करते तो वे लोग कहते हैं कि आप यह मोजिज़ा क्यों न लाए? आप फ़रमा दीजिए कि मैं उसकी पैरवी करता हूँ जो मुझपर मेरे रब की तरफ़ से हुक्म भेजा गया है, ये (गोया) तुम्हारे रब की तरफ़ से बहुत-सी दलीलें हैं और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।[1] **(203)** और जब कुरआन पढ़ा जाया करे तो उसकी तरफ़ कान लगा दिया करो और ख़ामोश रहा करो,[2] उम्मीद है कि तुमपर (नई या और ज़्यादा) रहमत हो। **(204)** और (आप हर-हर शख़्स से यह भी कह दीजिए कि ऐ शख़्स!) अपने रब की याद किया कर, अपने दिल में आजिज़ी के साथ, और ख़ौफ़ के साथ, और ज़ोर की आवाज़ के मुक़ाबले में कम-आवाज़ के साथ, सुबह और शाम, (यानी हमेशा) और ग़ाफ़िलों में शुमार मत होना।[3] **(205)** यक़ीनन जो (फ़रिश्ते) तेरे रब के नज़दीक (ख़ास और क़रीबी) हैं वे उसकी इबादत से (जिसमें असल अक़ायद हैं) तकब्बुर नहीं करते और उसकी पाकी बयान करते हैं, (जो कि ज़बान की नेकी है) और उसको सज्दा करते हैं, (जो कि हाथ-पाँव और जिस्म के अन्य अंगों के आमाल से है)। ❑ ▲ **(206)** ❖

8 सूरः अन्फ़ाल 88

सूरः अन्फ़ाल मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 75 आयतें और 10 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

ये लोग[4] आपसे (ख़ास) ग़नीमतों का हुक्म मालूम करते हैं। आप फ़रमा दीजिए कि ये ग़नीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने आपसी ताल्लुक़ात की इस्लाह (भी) करो, और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअ़त करो, अगर तुम ईमान वाले हो। **(1)** (क्योंकि) बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब (उनके सामने) अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वे (आयतें) उनके ईमान को और ज़्यादा (मज़बूत) कर देती हैं, और वे लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं। **(2)** (और) जो कि नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। **(3)** (बस) सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं। उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास और (उनके लिए) मग़्फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी। **(4)** जैसा कि आपके रब ने आपके घर (और बस्ती) से मस्लहत के साथ आपको (बद्र की तरफ़) रवाना किया, और मुसलमानों की एक

---

1. जवाब का हासिल यह है कि नुबुव्वत की असली ग़रज़ इस्लाह व सुधार है।
2. ताकि उसका मोजिज़ (यानी इनसानी ताक़त से बाहर) होना और उसकी तालीम की ख़ूबी समझ में आ जाए।
3. अदब का हासिल यह है कि दिल और हैयत में आजिज़ी व इन्किसारी और ख़ौफ़ हो, और आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊँची न हो। या तो बिलकुल आहिस्ता हो यानी ज़बान की हरकत के साथ और या दरमियानी दर्जे की हो।
4. ऊपर की सूरः में ज़्यादातर मुश्रिकीन की मूर्खता और दुश्मनी और किसी क़द्र अहले किताब के कुफ़्र व फ़साद का ज़िक्र था। इस सूरः में उस जहालत, दुश्मनी और कुफ़्र व फ़साद का उनपर जो दुनिया में वबाल और निकाल (बद्र में मुश्रिकीन पर और अन्य बाज़ वाक़िआत में अहले किताब यहूद पर) नाज़िल हुआ उसका बयान है। बद्र का बयान ज्यादा है और अहले किताब के वाक़िए का कम।

जमाअ़त उसको नागवार समझती थी।[1] **(5)** (और) वे उस मस्लहत (के काम) में इसके बाद कि वह ज़ाहिर हो गया था, (अपने बचाव के लिए) आपसे (मश्विरे के तौर पर) इस तरह झगड़ रहे थे कि जैसे कोई उनको मौत की तरफ़ हाँके लिए जाता है और वे देख रहे हैं। **(6)** और (तुम लोग उस वक़्त को याद करो) जबकि अल्लाह तआ़ला तुमसे उन दो जमाअ़तों में से एक का वायदा करते थे कि वह तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि हथियारों से ख़ाली जमाअ़त (यानी क़ाफ़िला) तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर था कि अपने अहकाम से हक़ का हक़ होना (अ़मली तौर पर) साबित कर दे, और उन काफ़िरों की बुनियाद (और ताक़त) को काट दे।[2] **(7)** ताकि हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना (अ़मली तौर पर) साबित कर दे, अगरचे ये मुज्रिम लोग ना-पसन्द ही करें। **(8)** (उस वक़्त को याद करो) जबकि तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे। फिर उसने (यानी अल्लाह तआ़ला ने) तुम्हारी सुन ली, कि मैं तुमको एक हज़ार फ़रिश्तों से मदद दूँगा जो सिलसिलेवार चले आएँगे। **(9)** और अल्लाह तआ़ला ने यह (इम्दाद) सिर्फ़ इस (हिक्मत के) लिए की कि (ग़ल्बे की) ख़ुशख़बरी हो, और ताकि तुम्हारे दिलों को (बेचैनी से) क़रार हो जाए, और (हक़ीक़त में तो) मदद (और ग़ल्बा) सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है, बेशक अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। **(10)** ❖

(उस वक़्त को याद करो) जबकि अल्लाह तआ़ला तुमपर ऊँघ को तारी कर रहा था अपनी तरफ़ से चैन सुकून देने के लिए, और (उससे पहले) तुमपर आसमान से पानी बरसा रहा था, ताकि उस (पानी) के ज़रिये से तुमको (छोटी-बड़ी नापाकी से) पाक कर दे, और तुमसे शैतानी वस्वसे को दूर कर दे, और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे, और तुम्हारे पाँव जमा दे।[3] **(11)** (और उस वक़्त को याद करो) जबकि आपका रब (उन) फ़रिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी (और मददगार) हूँ, सो (मुझको मददगार समझकर) तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी काफ़िरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, सो तुम (काफ़िरों की) गर्दनों पर मारो और उनके पोर-पोर को मारो। **(12)** यह (सज़ा) इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुख़ालफ़त की, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करता है सो अल्लाह तआ़ला (उसको) सख़्त सज़ा देते हैं। **(13)** (सो) यह (सज़ा) चखो, और (जान लो कि) काफ़िरों के लिए जहन्नम का अ़ज़ाब

1. मक्का के ताजिरों का एक छोटा-सा क़ाफ़िला मुल्क शाम से मक्का को चला, जिसके साथ माल व असबाब बहुत था। आपको वह्य से मालूम हुआ, आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को ख़बर दी। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को आदमियों के कम होने और माल के ज़्यादा होने का हाल मालूम होने से ग़नीमत का ख़्याल हुआ और इसी इरादे से मदीना से चले। यह ख़बर जो मक्का पहुँची तो अबू जहल वहाँ के सरदारों और लश्कर के साथ उस क़ाफ़िले की हिफ़ाज़त के लिए निकला, और क़ाफ़िला समुद्र के किनारे-किनारे हो लिया, और अबू जहल लश्कर के साथ बद्र में आकर ठहरा। उस वक़्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वादी-ए-दजरान में तशरीफ़ रखते थे। और आपको यह सारा क़िस्सा वह्य के ज़रिये मालूम हुआ और आपसे अल्लाह पाक का वायदा हुआ कि उन दो गिरोह यानी क़ाफ़िला और लश्कर में से आपको एक गिरोह पर ग़ल्बा होगा। आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से मश्विरा किया। चूँकि लश्कर के मुक़ाबले के इरादे से न आए थे इसलिए पूरे तौर पर लड़ाई का सामान भी साथ न था, और साथ ही तादाद भी तीन सौ से कुछ ज़्यादा थी, और कुफ़्फ़ार के लश्कर में एक हज़ार आदमी थे। इसलिए बाज़ हज़रात दुविधा में पड़ गए और अ़र्ज़ किया कि इस लश्कर का मुक़ाबला न कीजिए बल्कि क़ाफ़िले का पीछा करना मुनासिब है। आप रंजीदा हुए तो उस वक़्त हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत मिक़्दाद, हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इताअ़त की तक़रीरें कीं। तब आप बद्र की तरफ़ रवाना हुए।

2. इस ग़ल्बे को बावजूद इसके कि क़ुरैश के तमाम काफ़िर हलाक न हुए थे 'बुनियाद काटना' इसलिए कहा गया कि इस वाक़िए से उनकी क़ुव्वत बिलकुल फ़ना हो गई थी क्योंकि उनके सत्तर बड़े-बड़े सरदार क़त्ल और सत्तर क़ैद हुए थे इस तरह गोया वे सब ही ख़त्म हो गए थे।

3. इसमें एक क़िस्से की तरफ़ इशारा है। जिसका मुख़्तसर बयान यह है कि बद्र में मुश्रिकीन पहले जा पहुँचे थे और पानी पर क़ब्ज़ा कर लिया था। मुसलमान बाद में पहुँचे और एक सूखे रेगिस्तान में उतरे, जहाँ पानी न होने से **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 322 पर)**

(मुक़र्रर ही) है। **(14)** ऐ ईमान वालो! जब तुम (जिहाद में) काफ़िरों से आमने-सामने हो जाओ तो उनसे पुश्त मत फेरना। **(15)** और जो शख़्स उनसे उस मौक़े पर (यानी मुक़ाबले के वक़्त) पुश्त फेरेगा, मगर हाँ जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या जो अपनी जमाअ़त की तरफ़ पनाह लेने आता हो (वह इससे अलग है, बाक़ी और जो ऐसा करेगा) तो वह अल्लाह तआ़ला के ग़ज़ब में आ जाएगा और उसका ठिकाना दोज़ख़ होगा और वह बहुत ही बुरी जगह है।[1] **(16)** सो तुमने उनको क़त्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह तआ़ला ने (बेशक) उनको क़त्ल किया, और आपने (ख़ाक की मुट्ठी) नहीं फेंकी, जिस वक़्त आपने फेंकी थी, लेकिन अल्लाह ने फेंकी,[2] और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ़ से उनकी मेहनत का ख़ूब बदला दे, बेशक अल्लाह तआ़ला (उन मोमिनों की बातों के) ख़ूब सुनने वाले (और उनके कामों व हालात के) ख़ूब जानने वाले हैं। **(17)** (एक बात तो) यह हुई और (दूसरी बात) यह (है) कि अल्लाह तआ़ला को काफ़िरों की तदबीर को कमज़ोर करना था। **(18)** अगर तुम लोग फ़ैसला चाहते हो तो वह फ़ैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज़ आ जाओ तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर तुम फिर (वही काम) करोगे तो हम भी फिर (वही काम) करेंगे और तुम्हारी जमअ़ीयत "यानी जमाअ़त व संगठन" तुम्हारे ज़रा भी काम न आएगी, अगरचे कितनी ही ज़्यादा हो, और वाक़ई बात यह है कि अल्लाह (असल में) ईमान वालों के साथ है। **(19)** ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह का कहना मानो और उसके रसूल का, और उस (का कहना मानने) से मुँह मत फेरना, और तुम (एतिक़ाद से) सुन तो लेते ही हो। **(20)** और तुम उन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालाँकि वे सुनते-सुनाते कुछ नहीं।[3] **(21)** बेशक मख़्लूक़ में सबसे बद्तर अल्लाह के नज़दीक वे लोग हैं जो बहरे हैं, गूँगे हैं, जो कि ज़रा नहीं समझते। **(22)** और अगर अल्लाह तआ़ला उनमें कोई ख़ूबी देखते तो उनको सुनने की तौफ़ीक़ देते, और अगर उनको अब सुना दें तो ज़रूर मुँह फेर लेंगे, बेरुख़ी करते हुए। **(23)** ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और रसूल के कहने पर अ़मल किया करो,

(पृष्ठ 320 का शेष) प्यास की भी शिद्दत थी और नमाज़ के वक़्त वुज़ू और गुस्ल से भी आ़जिज़ थे। और तयम्मुम का हुक्म उस वक़्त तक नाज़िल न हुआ था। उधर रेगिस्तान में चलना-फिरना मुसीबत कि उसमें पाँव धँसे जाते थे। इन हालात से दिल सख़्त परेशान हुआ, ऊपर से शैतान ने वस्वसा डालना शुरू किया कि अगर तुम अल्लाह के यहाँ मक़बूल व मदद-याफ़्ता होते तो इस परेशानी में क्यों मुब्तला होते। हक़ तआ़ला ने अव्वल रहमत की बारिश नाज़िल फ़रमाई, जिससे पानी की बहुतात हो गई, पिया भी, वुज़ू व गुस्ल भी किया और उससे रेत जम गया और धसन जाती रही। उसके उलट काफ़िर नर्म ज़मीन में थे, वहाँ कीचड़ हो गई, जिससे चलने-फिरने में दिक़्क़त होने लगी। ग़रज़ सब वस्वसे और परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। उसके बाद उनपर ऊँघ का ग़ल्बा हुआ जिससे पूरी राहत हो गई और सब बेचैनी जाती रही। इस आयत में इन्ही वाक़िआ़त की तरफ़ इशारा है।

1. जिहाद से भागना हराम है। हाँ अगर काफ़िर दोगुने से ज़्यादा हों तो जायज़ है। और जब वे दोगुने से ज़्यादा न हों तब भी दो सूरतें जायज़ होने की हैं जिनको आयत में अलग कर दिया है, एक यह कि धोखा देने को सामने से भागा हो, ताकि सामने वाला ग़ा हो जाए, फिर अचानक उसपर लौटकर हमला करे। दूसरे यह कि असली मक़सद भागना न हो बल्कि ख़ाली हाथ होने या किसी और सबब से अपनी जमाअ़त में इस ग़रज़ से आ मिला कि उनसे ताक़त और मदद हासिल करे, फिर जाकर मुक़ाबला करे।
2. इसमें भी एक क़िस्से की तरफ़ इशारा है। वह यह कि आपने बद्र के दिन एक मुट्ठी कंकरियों की उठाकर काफ़िरों की तरफ़ फेंकी, जिसके रेज़े सबकी आँखों में जा गिरे और उनको शिकस्त हुई। मुट्ठी ख़ाक फेंकने का क़िस्सा कई बार हुआ, बद्र में, उहुद में, हुनैन में, लेकिन यहाँ मज़मून के रब्त से बद्र का मुराद लेना ज़्यादा मुनासिब है।
3. मतलब यह कि एतिक़ाद से सुनने का फ़ायदा अ़मल है। जब अ़मल न हुआ तो यह ऐसा ही है कि जैसे एतिक़ाद के साथ सुना ही नहीं।

जबकि रसूल तुमको तुम्हारी ज़िन्दगी देने वाली चीज़ की तरफ़ बुलाते हों,[1] और जान लो कि अल्लाह तआ़ला आड़ बन जाया करता है आदमी के और उसके दिल के दरमियान में,[2] और बेशक तुम सबको ख़ुदा ही के पास जमा होना है। **(24)** और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो ख़ास उन्हीं लोगों पर न पड़ेगा जो तुममें से उन गुनाहों के करने वाले हुए हैं,[3] और यह जान लो कि अल्लाह तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाले हैं। **(25)** और उस हालत को याद करो जबकि तुम थोड़े से थे,[4] सरज़मीन में कमज़ोर शुमार किए जाते थे,[5] और इस अन्देशे में रहते थे कि तुमको (मुख़ालिफ़) लोग नोच-खसोट न लें। सो (ऐसी हालत में) अल्लाह ने तुमको (मदीना में) रहने को जगह दी, और तुमको अपनी मदद से कुव्वत दी, और तुमको अच्छी-अच्छी चीज़ें (खाने को) अ़ता फ़रमाईं, ताकि तुम शुक्र करो। **(26)** ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और रसूल के हुक़ूक़ में ख़लल मत डालो, और अपनी हिफ़ाज़त के क़ाबिल चीज़ों में ख़लल मत डालो, और तुम तो (उसका नुक़सानदेह होना) जानते हो। **(27)** और तुम (इस बात को) जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है, और (इस बात को भी जान रखो कि) अल्लाह तआ़ला के पास बड़ा भारी अज्र (मौजूद) है। **(28)** ❖

ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे, वह (यानी अल्लाह तआ़ला) तुमको एक फ़ैसले की चीज़ देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा, और तुमको बख़्श देगा, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाला है। **(29)** और (उस वाक़िए का भी ज़िक्र कीजिए) जबकि काफ़िर लोग आपके बारे में (बड़ी-बड़ी) तदबीरें सोच रहे थे कि (आया) क़ैद कर लें या आपको क़त्ल कर डालें या आपको वतन से निकाल दें, और वे तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह (पाक) अपनी तदबीरें कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा मज़बूत तदबीर वाला अल्लाह है। **(30)** और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम इरादा करें तो इसके बराबर हम भी कहकर ले आएँ, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ़ बे-सनद बातें हैं, जो पहलों से (नक़ल होती हुई) चली आ रही हैं। **(31)** और जबकि उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह! अगर यह (क़ुरआन) वाक़ई आपकी तरफ़ से है, तो हमपर आसमान से पत्थर बरसाइए, या हमपर (और) कोई दर्दनाक अ़ज़ाब भेज दीजिए। **(32)** और अल्लाह तआ़ला ऐसा न करेंगे कि उनमें आपके होते हुए उनको (ऐसा) अ़ज़ाब दें, और (यह कि) अल्लाह तआ़ला उनको (ऐसा) अ़ज़ाब न देंगे, जिस हालत में कि वे

---

1. तिर्मिज़ी शरीफ़ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उब्बी बिन कअ़ब को पुकारा और वह नमाज़ में थे, तो उनके उज़्र पर आपने उनको यह आयत याद दिलाई। मालूम होता है कि 'इस्तजीबू' अपने आ़म होने की वजह से इस सूरत को भी शामिल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी को पुकारें तो जवाब देना वाजिब है। और अपने मुतलक़ और आ़म होने से इस सूरत को भी शामिल है कि यह शख़्स नमाज़ में मश्गूल तो नमाज़ में ही जवाब देना वाजिब है।

2. दो रास्तों में से एक रास्ता यह कि मोमिन के दिल में नेकी की बरकत से कुफ़्र व नाफ़रमानी को नहीं आने देता। दूसरा रास्ता यह कि काफ़िर के दिल में मुख़ालफ़त की नहूसत से ईमान व नेकी को नहीं आने देता। इससे मालूम हुआ कि इताअ़त व फ़रमाँबरदारी पर हमेशा जमे रहना बड़ी फ़ायदे की चीज़ है और मुख़ालफ़त पर अड़े रहना बड़ी नुक़सान देनी वाली चीज़ है।

3. बल्कि उन गुनाहों को देखकर जिन्होंने मुदाहनत (यानी निगाह बचाई और रोक-टोक नहीं) की है वे भी उसमें शरीक होंगे।

4. यानी हिजरत से पहले।

5. यानी मक्का में।

इस्तिग़फ़ार भी करते रहते हैं।[1] **(33)** और (फिर) उनका क्या हक़ बनता है कि उनको अल्लाह तआ़ला (बिलकुल ही मामूली) सज़ा भी न दे, हालाँकि वे लोग मस्जिदे-हराम से रोकते हैं,[2] हालाँकि वे लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली (बनने के भी लायक़) नहीं। उसके मुतवल्ली (बनने के लायक़) तो सिवाय मुत्तक़ी लोगों के और कोई भी नहीं, लेकिन उनमें अक्सर लोग (अपनी नालायक़ी) का इल्म भी नहीं रखते।[3] **(34)** और उनकी नमाज़ ख़ाना काबा के पास सिर्फ़ यह थी, सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना,[4] सो इस अ़ज़ाब का मज़ा चखो,[5] अपने कुफ़्र के सबब।[6] **(35)** बेशक ये काफ़िर लोग अपने मालों को इसलिए ख़र्च कर रहे हैं कि अल्लाह तआ़ला की राह से रोकें,[7] सो ये लोग अपने माल ख़र्च करते ही रहेंगे (मगर) फिर वे माल उनके हक़ में हसरत का सबब हो जाएँगे, फिर (आख़िर) मग़लूब हो जाएँगे, और काफ़िर लोगों को दोज़ख़ की तरफ़ जमा किया जाएगा। **(36)** ताकि अल्लाह तआ़ला नापाक (लोगों) को पाक (लोगों) से अलग कर दे और (उनसे अलग करके) नापाकों को एक-दूसरे से मिला दे यानी उन सबको एक जगह कर दे, फिर उन सबको जहन्नम में डाल दे, ऐसे ही लोग पूरे ख़सारे "यानी घाटे" में हैं। **(37)** ❖

आप उन काफ़िरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग (अपने कुफ़्र से) बाज़ आ जाएँगे तो उनके सारे गुनाह जो (इस्लाम से) पहले हो चुके हैं सब माफ़ कर दिए जाएँगे। और अगर अपनी वही (कुफ़्र की) आ़दत जारी रखेंगे तो (सुना दीजिए कि) पहले गुज़रे (काफ़िरों के हक़) में (हमारा) क़ानून नाफ़िज़ हो चुका है।[8] **(38)** और तुम उन (अ़रब के काफ़िरों) से इस हद तक लड़ो कि उनमें अ़क़ीदे की ख़राबी (यानी शिर्क) न रहे, और दीन (ख़ालिस) अल्लाह ही का हो जाए।[9] फिर अगर ये (कुफ़्र से) बाज़ आ जाएँ तो अल्लाह तआ़ला उनके आमाल को ख़ूब देखते हैं।[10] **(39)** और अगर मुँह मोड़ें तो यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारा रफ़ीक़ है, वह बहुत अच्छा रफ़ीक़ है और बहुत अच्छा मददगार है।[11] **(40)**

---

1. मतलब यह कि ज़बरदस्त सज़ाओं से दो चीज़ें रुकावट हैं, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मक्का में या दुनिया में तशरीफ़ रखना, और दूसरा लोगों का अपने तवाफ़ वग़ैरह में यह कहना 'ग़ुफ़रान-क ग़ुफ़रान-क' जो कि हिजरत के बाद और वफ़ात के बाद भी बाक़ी था।
2. यानी मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह शरीफ़) में जाने, उसमें नमाज़ पढ़ने और उसमें तवाफ़ करने से रोकते हैं।
3. चाहे इल्म ही न हो या यह कि जब उस इल्म पर अ़मल न किया तो वह भी इल्म न होने की तरह है।
4. यानी बजाय नमाज़ के उनकी ये नामाक़ूल हरकतें होती थीं।
5. चुनाँचे अनेक लड़ाइयों में यह सज़ा सामने आई।
6. यहाँ तक तो उन लोगों की बातों और जिस्मानी आमाल का ज़िक्र था, आगे उनके माली आमाल का बयान है।
7. चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुक़ाबले और मुख़ालफ़त के सामान जमा करने में ज़ाहिर है कि जो ख़र्च होता था उसमें यही ग़रज़ थी।
8. यानी दुनिया में हलाकत और आख़िरत में अ़ज़ाब।
9. किसी के दीन का ख़ालिस तौर पर अल्लाह ही के लिए हो जाना मौक़ूफ़ है इस्लाम के क़बूल करने पर। तो हासिल यह हुआ कि शिर्क छोड़कर इस्लाम इख़्तियार करें। खुलासा यह कि अगर इस्लाम न लाएँ तो उनसे लड़ो जब तक कि इस्लाम न लाएँ। क्योंकि अ़रब के काफ़िरों से जिज़्या (टैक्स) नहीं लिया जाता।
10. यानी अगर कुफ़्र से बाज़ आ जाएँ तो उनके ज़ाहिरी इस्लाम को क़बूल करो, दिल का हाल मत टटोलो। अगर ये दिल से ईमान न लाएँगे तो अल्लाह तआ़ला उनके आमाल को ख़ूब देखते हैं, वह खुद समझ लेंगे, तुमको क्या?
11. ऊपर आयत 'व क़ातिलूहुम्......' में लड़ने और जंग करने का हुक्म था। चूँकि कभी लड़ाई और जंग में ग़नीमत भी हासिल होती है इसलिए आगे उसका हुक्म बयान फ़रमाते हैं।

दसवाँ पारः वअ़्लमू

सूरः अनूफ़ाल (आयत 41 से 75)

और (इस बात को) जान लो कि जो चीज़ (काफ़िरों) से ग़नीमत के तौर पर तुमको हासिल हो तो (उसका हुक्म यह है कि) कुल का पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का है, और (एक हिस्सा) आपके रिश्तेदारों का है, और (एक हिस्सा) यतीमों का है, और (एक हिस्सा) ग़रीबों का है, और (एक हिस्सा) मुसाफ़िरों का है, अगर तुम अल्लाह पर यक़ीन रखते हो और उस चीज़ पर जिसको हमने अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर फ़ैसले के दिन,[1] जिस दिन कि (मोमिनों व काफ़िरों की) दोनों जमाअ़तें आपस में आमने-सामने हुई थीं, नाज़िल फ़रमाया था।[2] और अल्लाह तआ़ला (ही) हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं। **(41)** (यह वह वक़्त था कि) जब तुम (उस मैदान के) इधर वाले किनारे पर थे और वे लोग (यानी काफ़िर उस मैदान के) उधर वाले किनारे पर थे,[3] और वह (क़ुरैश का) क़ाफ़िला तुमसे नीचे की तरफ़ (बचा हुआ) था,[4] और अगर तुम (और वे) कोई बात ठहराते तो ज़रूर उस ठहराने के बारे में तुममें इख़्तिलाफ़ होता, लेकिन ताकि जो बात अल्लाह को करना मन्ज़ूर थी उसको पूरा कर दे, यानी ताकि जिसको बर्बाद (गुमराह) होना है वह निशान आने के बाद बर्बाद हो, और जिसको ज़िन्दा (हिदायत-याफ़्ता) होना है वह (भी) निशान आने के बाद ज़िन्दा हो,[5] और बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनने वाले, ख़ूब जानने वाले हैं। **(42)** (वह वक़्त भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जब अल्लाह ने आपके ख़्वाब में आपको वे लोग कम दिखलाए और अगर अल्लाह आपको वे लोग ज़्यादा दिखा देते तो तुम्हारी हिम्मतें हार जातीं, और इस मामले में तुममें आपस में झगड़ा (व इख़्तिलाफ़) हो जाता, लेकिन (तय करने और ठहराने के बारे में) अल्लाह ने (उस कम-हिम्मती और इख़्तिलाफ़ से) बचा लिया, बेशक वह दिलों की बात को ख़ूब जानता है। **(43)** और (उस वक़्त को याद करो) जबकि अल्लाह तुमको जबकि तुम आमने-सामने हुए, वे लोग तुम्हारी नज़र में कम करके दिखला रहे थे और (इसी तरह) उनकी निगाह में तुमको कम करके दिखला रहे थे, ताकि जो बात अल्लाह को करनी मन्ज़ूर थी उसको पूरा कर दे,[6] और सब मुक़द्दमे ख़ुदा ही की तरफ़ लौटाए जाएँगे। **(44)** ❖

ऐ ईमान वालो! जब तुमको (जिहाद में) किसी जमाअ़त से मुक़ाबले का इत्तिफ़ाक़ हुआ करे तो (इन आदाब का लिहाज़ रखो) (१) साबित क़दम रहो (२) और अल्लाह तआ़ला का ख़ूब कसरत से ज़िक्र करो उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। **(45)** (३) और अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त (का लिहाज़) किया

---

1. फ़ैसले के दिन से मुराद बद्र का दिन है। क्योंकि उसमें अ़मली तौर पर हक़ व बातिल का फ़ैसला वाज़ेह हो गया।

2. मुराद इससे फ़रिश्तों के वास्ते से ग़ैबी इम्दाद है। यानी अगर हम पर और हमारी ग़ैबी इनायतों पर यक़ीन रखते हो तो इस हुक्म को जान लो और अ़मल करो। यह इसलिए बढ़ा दिया कि पाँचवाँ हिस्सा निकालना भारी न हो, और समझ लें कि यह सारी ग़नीमत अल्लाह ही की इम्दाद से तो हाथ आई, फिर अगर हमको एक पाँचवाँ हिस्सा न मिला तो क्या हुआ, वे चार पाँचवे हिस्से भी तो हमारी क़ुदरत से ख़ारिज थे, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की क़ुदरत से हासिल हुए।

3. इधर वाले से मुराद मदीना से नज़दीक की जगह और उधर वाले से मुराद मदीना से दूर की जगह है।

4. यानी समुद्र के किनारे-किनारे जा रहा था।

5. मतलब यह कि अल्लाह को लड़ाई होना मन्ज़ूर था, ताकि एक ख़ास तरीक़े से इस्लाम का हक़ होना ज़ाहिर हो जाए, कि तादाद और सामान की इस कमी पर भी मुसलमान ग़ालिब आए जो कि आ़म आदत के ख़िलाफ़ है। जिससे मालूम हुआ कि इस्लाम हक़ है। पस इससे अल्लाह की हुज्जत मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो गुमराह होगा वह हक़ के वाज़ेह होने के बाद होगा, जिसमें अ़ज़ाब का पूरा हक़दार होना हो गया और उज़्र की गुन्जाइश ही न रही। इसी तरह जिसको हिदायत होना होगा **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 330 पर)**

करो। (४) और झगड़ा मत करो, (न अपने इमाम से और न आपस में) वरना कम-हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। (५) सब्र करो बेशक अल्लाह तआ़ला सब्र करने वालों के साथ हैं। **(46)** (६) और उन (काफ़िर) लोगों के जैसे मत होना कि जो (इसी बद्र के वाक़िए में) अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को (अपनी शान) दिखलाते हुए निकले और लोगों को अल्लाह के रास्ते (दीन) से रोकते थे, और अल्लाह तआ़ला उनके आमाल को (अपने इल्म के) घेरे में लिए हुए है। **(47)** और (उस वक़्त का ज़िक्र कीजिए) जबकि शैतान ने उन (कुफ़्फ़ार) को उनके आमाल अच्छे करके दिखलाए और कहा कि लोगों में से आज कोई तुमपर ग़ालिब आने वाला नहीं और मैं तुम्हारा हामी हूँ। फिर जब (काफ़िरों और मुसलमानों की) दोनों जमाअ़तें एक-दूसरे के आमने-सामने हुईं तो वह उल्टे पाँव भागा और (यह) कहा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जो तुमको नज़र नहीं आतीं (यानी फ़रिश्ते), मैं तो ख़ुदा से डरता हूँ और अल्लाह तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाले हैं।[1] **(48)** ❖

(और वह वक़्त भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है कि) जब मुनाफ़िक़ लोग[2] और जिनके दिलों में (शक की) बीमारी थी[3] (यूँ) कहते थे कि इन (मुसलमान) लोगों को उनके दीन ने भूल में डाल रखा है। और जो शख़्स अल्लाह पर भरोसा करता है तो बेशक अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं (और) हिक्मत वाले (भी) हैं।[4] **(49)** और अगर आप (उस वक़्त का वाक़िआ़) देखें जबकि फ़रिश्ते इन (मौजूदा) काफ़िरों की जान क़ब्ज़ करते जाते हैं (और) उनके मुँह पर और उनकी पीठ पर मारते जाते हैं, और (यह कहते जाते हैं कि अभी क्या है आगे चलकर) आग की सज़ा झेलना। **(50)** यह (अ़ज़ाब) उन (कुफ़्रिया आमाल) की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं और यह (बात साबित ही है) कि अल्लाह तआ़ला बन्दों पर ज़ुल्म करने वाले नहीं।[5] **(51)** (उनकी हालत ऐसी है) जैसी फ़िरऔ़न वालों की, और उनसे पहले के (काफ़िर) लोगों की हालत (थी) कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, सो ख़ुदा तआ़ला ने उनके (उन) गुनाहों पर उनको पकड़ लिया, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ी क़ुव्वत वाले, सख़्त सज़ा देने वाले हैं।[6] **(52)** यह बात[7] इस सबब से है कि अल्लाह तआ़ला किसी ऐसी नेमत को जो किसी क़ौम को अ़ता फ़रमाई हो, नहीं बदलते जब तक कि वही लोग अपने ज़ाती आमाल को नहीं बदल डालते,[8] और यह (बात साबित ही है) कि अल्लाह तआ़ला बड़े सुनने वाले, बड़े जानने वाले हैं। **(53)** (उनकी हालत) फ़िरऔ़न वालों और उनसे पहले वालों की-सी हालत (है) कि उन्होंने अपने रब की आयतों को झुठलाया, उसपर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और फ़िरऔ़न

(पृष्ठ 328 का शेष) वह हक़ को क़बूल कर लेगा। हिक्मत का ख़ुलासा यह हुआ कि हक़ वाज़ेह हो जाए।

6. रिवायतों में है कि उस दिन मुसलमान तीन सौ तेरह (313) और कुफ़्फ़ार एक हज़ार थे। मगर फिर भी मुसलमान ही ग़ालिब रहे। इससे हर इन्साफ़-पसन्द समझदार नतीजा निकाल सकता है कि जब अल्लाह तआ़ला अपने दीन को ग़ालिब करना चाहता है तो कुफ़्फ़ार की कसरत और माल व दौलत उसको रोक नहीं सकती। हक़ तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़्वाब में कुफ़्फ़ार की तादाद कम करके दिखलाई थी ताकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से ख़्वाब बयान करें तो उनमें मुक़ाबले की जुर्रत बढ़े। फिर जब दोनों गिरोह आमने-सामने हुए तो भी मुसलमानों को काफ़िर कम तादाद में ही दिखाई दिए। अगर ऐसा न होता तो मुसलमानों में अपने ख़ाली हाथ और बेसामान होने की वजह से लड़ाई करने या न करने के बारे में राय का इख़्तिलाफ़ होता और शायद जंग की नौबत न आती, लेकिन लड़ाई हुई और ख़ुदा-ए-क़दीर ने बद्र में फ़त्ह की बदौलत इस्लाम की तरक़्क़ी की राहें खोल दीं।

1. चूँकि बिना ईमान के ख़ाली ख़ौफ़ मक़बूल नहीं इसलिए शैतान का ख़ुदा से डरना अगर हक़ीक़त भी हो तो इसपर कुछ शुब्हा और इश्काल नहीं किया जा सकता।

2. मदीना वालों में से।

3. बाज़ मक्का वाले (यानी क़ुरैश) मुसलमानों का ख़ाली हाथ और बेसामानी के साथ काफ़िरों के मुक़ाबले में आ जाना देखकर कहने लगे।

4. ग़रज़ ज़ाहिरी सामान होने या न होने पर दारोमदार नहीं, क़ुदरत रखने वाला कोई और ही है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 332 पर)**

वालों को ग़र्क़ कर दिया, और वे सब ज़ालिम थे। **(54)** बिला शुब्हा मख़्लूक़ में सबसे बुरे अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ये काफ़िर लोग हैं, तो ये ईमान न लाएँगे।[1] **(55)** जिनकी यह कैफ़ियत है कि आप उनसे (कई बार) अ़हद ले चुके हैं (मगर) फ़िर (भी) वे हर बार अपना अ़हद तोड़ डालते हैं, और वे (अ़हद तोड़ने से) डरते नहीं।[2] **(56)** सो अगर आप लड़ाई में उन लोगों पर क़ाबू पाएँ तो उन (पर हमला करके उस) के ज़रिये से और लोगों को जो कि उनके अ़लावा हैं मुन्तशिर "यानी तित्तर-बित्तर" कर दीजिए, ताकि वे लोग समझ जाएँ। **(57)** और अगर आपको किसी क़ौम से ख़ियानत (यानी अ़हद तोड़ने) का अन्देशा हो तो आप (वह अ़हद) उनको इस तरह वापस कर दीजिए कि (आप और वे उस इत्तिला में) बराबर हो जाएँ,[3] बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ियानत करने वालों को पसन्द नहीं करते। **(58)** ❖

और काफ़िर लोग अपने को यह ख़्याल न करें कि वे बच गए, यक़ीनन वे लोग (ख़ुदा तआ़ला को) आजिज़ नहीं कर सकते। **(59)** और उन (काफ़िरों) के लिए जिस क़द्र हो सके तुमसे क़ुव्वत (यानी हथियार) से और पले हुए घोड़ों से, सामान दुरुस्त रखो, कि उसके ज़रिये से तुम उनपर (अपना) रोब जमाए रखो जो कि (कुफ़्र की वजह से) अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके अ़लावा दूसरों पर भी जिनको तुम (ख़ास और मुतैयन तौर पर) नहीं जानते, उनको अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह की राह में जो कुछ भी ख़र्च करोगे वह तुमको पूरा-पूरा दे दिया जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ कमी न होगी।[4] **(60)** और अगर वे (काफ़िर) सुलह की तरफ़ झुकें तो आप भी उस तरफ़ झुक जाइए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, बिला शुब्हा वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। **(61)** और अगर वे लोग आपको धोखा देना चाहें तो अल्लाह तआ़ला आपके लिए काफ़ी हैं, वह वही है जिसने आपको अपनी (ग़ैबी) इम्दाद (फ़रिश्तों) से और (ज़ाहिरी इम्दाद) मुसलमानों से क़ुव्वत दी **(62)** और उनके दिलों में इत्तिफ़ाक़ पैदा कर दिया,[5] अगर आप दुनिया भर का माल ख़र्च करते तब भी उनके दिलों में इत्तिफ़ाक़ पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उनमें आपस में इत्तिफ़ाक़ पैदा कर दिया, बेशक वह ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले हैं। **(63)** ऐ नबी! आपके लिए अल्लाह तआ़ला काफ़ी है, और जिन मोमिनों ने आपकी पैरवी की है (वे काफ़ी हैं)। **(64)** ❖

(पृष्ठ 330 का शेष) **5.** सो अल्लाह तआ़ला ने बेजुर्म सज़ा नहीं दी।

6. उनके मुक़ाबले में कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं रखता कि उनके अ़ज़ाब को हटा सके।

7. यानी यह कि बिना जुर्म के हम सज़ा नहीं देते।

8. इन मौजूदा काफ़िरों ने अपनी यह हालत बदली कि उनमें बावजूद कुफ़्र के, पहले ईमान लाने की इस्तेदाद (क़ाबलियत) क़रीब थी। इनकार व मुख़ालफ़त करके उसको दूर कर डाला। पस हमने अपनी ढील देने की नेमत को जो पहले से उनको हासिल थी पकड़-धकड़ से बदल दिया। उसकी वजह यह हुई कि उन्होंने ज़िक्र किए गए तरीक़े से क़ाबलियत के क़रीब होने की नेमत को बदल डाला।

1. 'ये ईमान न लाएँगे' फ़रमाना उन्हीं के एतिबार से है जो अल्लाह के इल्म में आख़िर तक काफ़िर रहने वाले थे।

2. इस आयत के नाज़िल होने का सबब यहूद बनी क़ुरैज़ा का अ़हद तोड़ना है कि उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़हद किया था कि हम आपके मुख़ालिफ़ों को मदद न देंगे, और फिर ग़ज़वा-ए-अह्ज़ाब में मुश्रिकीन को मदद दी। और भी कई बार ऐसा हो चुका था। हर बार कह देते थे कि हम भूल गए, फिर ताज़ा अ़हद करते थे, फिर ऐसा ही करते थे। इसपर इन आयतों में आपको उनसे जंग और लड़ाई करने का हुक्म हुआ।

3. यानी इस तरह उस अ़हद के बाक़ी न रहने की इत्तिला कर दीजिए। बिना ऐसी इत्तिला के लड़ना ख़ियानत है।

4. हदीस में तीर चलाने की मश्क़ और घोड़ों के रखने और घुड़-सवारी सीखने की बड़ी फ़ज़ीलत आई है। अब बन्दूक़ और तोप तीर के क़ायम मक़ाम है। और अ़मूमन क़ुव्वत में यह सब और वर्ज़िश यानी कसरत भी दाख़िल है।

5. ज़ाहिर है कि अगर आपस में इत्तिफ़ाक़ न हो तो कोई काम ख़ास कर दीन की मदद मिलकर नहीं कर सकते।

ऐ पैग़म्बर! आप मोमिनों को जिहाद की तरग़ीब दीजिए, अगर तुममें के बीस आदमी साबित क़दम रहने वाले होंगे तो दो सौ पर ग़ालिब आ जाएँगे, और (इसी तरह) तुममें के सौ आदमी हों तो एक हज़ार काफ़िरों पर ग़ालिब आ जाएँगे।[1] इस वजह से कि वे ऐसे लोग हैं जो (दीन को) कुछ नहीं समझते। **(65)** अब अल्लाह ने तुमपर तख़्फ़ीफ़ "यानी कमी और नरमी" कर दी और मालूम कर लिया कि तुममें हिम्मत की कमी है, सो अगर तुममें के सौ आदमी साबित क़दम रहने वाले होंगे तो दो सौ पर ग़ालिब आ जाएँगे, और अगर तुममें के हज़ार होंगे तो दो हज़ार पर अल्लाह के हुक्म से ग़ालिब आ जाएँगे, और अल्लाह तआ़ला सब्र करने वालों के साथ हैं। **(66)** नबी (की शान) के लायक़ नहीं कि उनके क़ैदी (बाक़ी) रहें (बल्कि क़त्ल कर दिए जाएँ) जब तक कि वह ज़मीन में अच्छी तरह (काफ़िरों का) ख़ून न बहा लें।[2] तुम तो दुनिया का माल व असबाब चाहते हो और अल्लाह तआ़ला आख़िरत (की मस्लहत) को चाहते हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(67)** अगर ख़ुदा तआ़ला का एक लिखा हुआ (मुक़द्दर) न हो चुकता तो जो मामला तुमने इख़्तियार किया है उसके बारे में तुमपर कोई बड़ी सज़ा आ पड़ती। **(68)** सो जो कुछ तुमने लिया है उसको हलाल पाक (समझकर) खाओ और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े बख़्शने वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। **(69)** ❖

ऐ पैग़म्बर! आपके क़ब्ज़े में जो क़ैदी हैं, आप उनसे फ़रमा दीजिए कि अगर अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे दिल में ईमान मालूम होगा तो जो कुछ (फ़िदये में) तुमसे लिया गया है (दुनिया में) उससे बेहतर तुमको दे देगा, और (आख़िरत में) तुमको बख़्श देगा, और अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। **(70)** और अगर (फ़र्ज़ कर लो) ये लोग आपके साथ ख़ियानत करने (यानी अ़हद तोड़ने) का इरादा रखते हों तो (कुछ फ़िक्र न कीजिए) इससे पहले उन्होंने अल्लाह के साथ ख़ियानत की थी, फिर अल्लाह तआ़ला ने उनको गिरफ़्तार करा दिया, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(71)** बेशक जो लोग

---

1. अगरचे यहाँ ख़बर देने का सीग़ा इस्तेमाल किया है कि इतने आदमी इतनों पर ग़ालिब आ जाएँगे लेकिन मक़सूद ख़बर नहीं बल्कि उम्मीद और हुक्म है। यानी जमे रहना वाजिब है और भागना हराम है, और ख़बर के उनवान से ताबीर करने में बतौर किनाए के मुबालग़ा व ताकीद है, जिसका हासिल यह है कि जैसे ग़ल्बे की ख़बर यक़ीनी होने पर जमे रहना वाजिब होना चाहिए उसी तरह अब भी वाजिब है।

2. इन आयतों के नाज़िल होने का सबब यह है कि बद्र में सत्तर काफ़िर पकड़े हुए आए तो आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से उनके बारे में मश्विरा किया। बाज़ ने मश्विरा दिया कि उनको क़त्ल कर देना चाहिए, बाज़ ने कहा कि उनसे कुछ माल लेकर छोड़ देना चाहिए। आप पर वह्य नाज़िल हुई कि इन सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से फ़रमा दीजिए कि तुमको इख़्तियार दिया जाता है, चाहे उनको क़त्ल कर दो चाहे उनसे फ़िदया लेकर छोड़ दो, मगर इस सूरत में अगले साल सत्तर आदमी शहीद होंगे। ग़रज़ अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की यही राय हुई कि ख़ैर हम शहीद हो जाएँगे, इस वक़्त उनको फ़िदया लेकर छोड़ दिया जाए, शायद ये मुसलमान हो जाएँ और इस वक़्त मुसलमानों को माली मदद मिले। आपने भी अपनी रहम-दिली की वजह से इस राय को पसन्द फ़रमाया। चुनाँचे चन्द लोगों को छोड़कर कि वे तो क़त्ल किए गए, जैसे उक़बा, नज़र और तअ़मा, बाक़ी सब क़ैदियों से फ़िदया लेकर छोड़ दिया गया। सिर्फ़ हज़रत अबुलआ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु को कि वह भी उस वक़्त उनमें थे, सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की मरज़ी से बिना कुछ लिए हुए छोड़ दिया। इसको शरीअ़त की इस्तिलाह में 'मन्न' कहते हैं। इसपर ये आयतें 'मा का-न लि नबिय्यिन्' से 'अ़ज़ाबुन अ़ज़ीम' तक नाज़िल हुईं। इन आयतों से सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को इस फ़िदए के हलाल व हराम होने में शुब्हा हो गया तो आयत 'फ़कुलू......आख़िर तक' नाज़िल हुई। चूँकि बाज़े क़ैदी फ़िदया देने के बाद मुसलमान हो गए थे, जैसे हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु वग़ैरह और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से फ़िदया देने की वजह से अपने मुफ़लिस हो जाने की शिकायत की, इसपर आयत 'या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिमन् फ़ी ऐदीकुम्..... नाज़िल हुई। इस क़िस्से का बाक़ी और आख़िरी हिस्सा यह है कि उसके बाद बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने आपको रोते हुए देखा। पूछा तो आपने फ़रमाया कि अ़ज़ाब के आसार बहुत क़रीब आ गए थे मगर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल हुआ कि नाज़िल नहीं हुआ।

ईमान लाए उन्होंने हिजरत भी की और अपने माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया, और जिन लोगों ने रहने को जगह दी और मदद की ये लोग आपस में एक-दूसरे के वारिस होंगे, और जो लोग ईमान तो लाए और हिजरत नहीं की, तुम्हारा उनसे मीरास का कोई ताल्लुक़ नहीं,[1] जब तक कि वे हिजरत न करें, और अगर वे तुमसे दीन के काम में मदद चाहें तो तुम्हारे ज़िम्मे मदद करना (वाजिब) है, मगर उस क़ौम के मुक़ाबले में (नहीं) कि तुममें और उनमें आपस में (सुलह का) अ़हद हो, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब कामों को देखते हैं। **(72)** और जो लोग काफ़िर हैं वे आपस में एक-दूसरे के वारिस हैं, अगर इस (ऊपर ज़िक्र हुए हुक्म) पर अ़मल न करोगे तो दुनिया में बड़ा फ़ितना और बड़ा फ़साद फैलेगा। **(73)** और जो लोग (अव्वल) मुसलमान हुए और उन्होंने (नबी की हिजरत के ज़माने में) हिजरत की, और अल्लाह की राह में जिहाद (भी) करते रहे, और जिन लोगों ने (उन हिजरत करने वालों को) अपने यहाँ ठहराया और (उनकी) मदद की, ये लोग ईमान का पूरा हक़ अदा करने वाले हैं, उनके लिए (आख़िरत में बड़ी) मग़्फ़िरत और (जन्नत में बड़ी) इज़्ज़त वाली रोज़ी है। **(74)** और जो लोग (नबी के हिजरत के ज़माने के) बाद के ज़माने में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया,[2] सो ये लोग (अगरचे फ़ज़ीलत में तुम्हारे बराबर नहीं लेकिन फिर भी) तुम्हारी ही गिन्ती में हैं, और जो लोग रिश्तेदार हैं किताबुल्लाह में एक-दूसरे (की मीरास) के ज़्यादा हक़दार हैं, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं।[3] ◆ **(75)** ❖

9 सूरः तौबा 113

सूरः तौबा[4] मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 129 आयतें और 16 रुकूअ़ हैं।

अल्लाह की तरफ़ से और उसके रसूल की तरफ़ से, उन मुश्रिकीन (के अ़हद) से अलग होना है जिनसे तुमने (बिना मुद्दत तय किए हुए) अ़हद कर रखा था। **(1)** सो तुम लोग इस सरज़मीन में चार महीने चल फिर लो, और (यह भी) जान रखो कि तुम ख़ुदा तआ़ला को आ़जिज़ नहीं कर सकते, और यह (भी जान रखो) कि बेशक अल्लाह तआ़ला (आख़िरत में) काफ़िरों को रुस्वा करेंगे। **(2)** और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से बड़े हज की तारीख़ों में आ़म लोगों के सामने ऐलान (किया जाता) है कि अल्लाह तआ़ला और उसका रसूल दोनों अलग होते हैं उन मुश्रिकीन (को अमन देने) से। फिर अगर तुम (कुफ़्र से) तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुमने (इस्लाम से) मुँह मोड़ा तो यह समझ रखो कि तुम ख़ुदा तआ़ला को

1. यानी न तुम उनके वारिस न वे तुम्हारे वारिस।
2. यानी काम तो सब किए मगर बाद में।
3. इसलिए हर वक़्त की मस्लहत के मुनासिब हुक्म मुक़र्रर फ़रमाते हैं।
4. इस सूरः में चन्द ग़ज़वात (यानी लड़ाइयाँ और जंगें) और चन्द वाक़िआ़त जो कि ग़ज़वात ही के हुक्म में हैं, वे ज़िक्र किए गए हैं, जैसे अ़रब के क़बीलों से अ़हद ख़त्म करने का ऐलान, मक्का की फ़त्ह, ग़ज़वा-ए-हुनैन, हरम शरीफ़ से काफ़िरों का निकालना, ग़ज़वा-ए-तबूक और उन्हीं आयतों के ज़िम्न में ताबे बनाकर हिजरत का वाक़िआ़।

आ़जिज़ नहीं कर सकोगे, और उन काफ़िरों को एक दर्दनाक सज़ा की ख़बर सुना दीजिए। **(3)** (हाँ) मगर वे मुश्रिकीन (इससे अलग हैं) जिनसे तुमने अ़हद लिया, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ ज़रा कमी नहीं की और न तुम्हारे मुक़ाबले में किसी की मदद की, सो उनके मुआ़हदे को उनकी (मुक़र्ररा) मुद्दत तक पूरा करो, वाक़ई अल्लाह तआ़ला (अ़हद के ख़िलाफ़ करने से) एहतियात रखने वालों को पसन्द करते हैं। **(4)** सो जब हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएँ तो (उस वक़्त) उन मुश्रिकों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, और पकड़ो और बाँधो, और दाव-घात के मौक़ों में उनकी ताक में बैठो,[1] फिर अगर वे (कुफ़्र से) तौबा कर लें और नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो, वाक़ई अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत करने वाले, बड़ी रहमत करने वाले हैं। **(5)** और अगर मुश्रिकों में से कोई शख़्स आपसे पनाह का तालिब हो तो आप उसको पनाह दीजिए, ताकि वह अल्लाह का कलाम सुन ले,[2] फिर उसको उसकी अमन की जगह पहुँचा दीजिए,[3] यह (हुक्म) इस सबब से है कि वे ऐसे लोग हैं कि पूरी ख़बर नहीं रखते।[4] **(6)** ❖

उन (क़ुरैश के) मुश्रिकों का अ़हद अल्लाह तआ़ला के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक कैसे (रियायत के क़ाबिल) रहेगा[5] मगर जिन लोगों से तुमने मस्जिदे-हराम के नज़दीक अ़हद लिया है,[6] सो जब तक ये लोग तुमसे सीधी तरह रहें, तुम भी उनसे सीधी तरह रहो,[7] बेशक अल्लाह तआ़ला (अ़हद के ख़िलाफ़ करने से) एहतियात रखने वालों को पसन्द करते हैं।[8] **(7)** कैसे (उनका अ़हद रियायत के क़ाबिल रहेगा) हालाँकि (उनकी हालत यह है कि) अगर वे तुमपर कहीं ग़ल्बा पा जायें तो तुम्हारे बारे में न रिश्तेदारी का ख़्याल करें और न क़ौल व क़रार का। ये लोग तुमको अपनी ज़बानी बातों से राज़ी कर रहे हैं, और उनके दिल (उन बातों को) नहीं मानते, और उनमें ज़्यादा आदमी शरीर हैं। **(8)** उन्होंने अल्लाह के अहकाम के बदले (दुनिया की) बाक़ी न रहने वाली मताअ़ ''यानी सामान और फ़ायदे'' को इख़्तियार कर रखा है, सो ये लोग उसके

---

1. यानी लड़ाई में जो-जो होता है सबकी इजाज़त है।

2. मुराद दीने हक़ के मुतलक़ दलाइल हैं।

3. यानी पहुँचने दीजिए ताकि वे सोच-समझकर अपनी राय क़ायम करे।

4. इसलिए किसी क़द्र मोहलत देना ज़रूरी है।

5. क्योंकि रियायत तो उस अ़हद की होती है जिसको दूसरा शख़्स ख़ुद न तोड़े, वरना रियायत बाक़ी नहीं रहती। मतलब यह कि जब ये लोग ख़ुद अ़हद को तोड़ेंगे तो उस वक़्त इस तरफ़ से भी रियायत न होगी।

6. यानी उनसे उम्मीद है कि ये अ़हद को क़ायम रखेंगे।

7. यानी जब तक ये लोग अ़हद न तोड़ें तुम भी उनसे किए हुए अ़हद की मुद्दत पूरी करो। चुनाँचे बराअत यानी उनसे अलग हो जाने के हुक्म के नाज़िल होने के वक़्त इस मुद्दत में नौ महीने बाक़ी रहे थे, और उनके अ़हद न तोड़ने की वजह से उनकी यह मुद्दत पूरी की गई।

8. पस तुम भी एहतियात रखने से अल्लाह तआ़ला के महबूब हो जाओगे।

(यानी अल्लाह तआ़ला के) रास्ते से हटे हुए हैं, (और) यक़ीनन उनका यह अ़मल बहुत ही बुरा है। **(9)** ये लोग किसी मुसलमान के बारे में (भी) न रिश्तेदारी का पास करें और न क़ौल व क़रार का, और ये लोग बहुत ही ज़्यादती कर रहे हैं। **(10)** सो अगर ये लोग (कुफ़्र से) तौबा कर लें और नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात देने लगें तो वे तुम्हारे दीनी भाई हो जाएँगे,[1] और हम समझदार लोगों के लिए अहकाम को ख़ूब तफ़सील से बयान करते हैं। **(11)** और अगर वे लोग अ़हद करने के बाद अपनी क़स्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन (इस्लाम) पर ताना मारें तो तुम लोग इस इरादे से कि ये बाज़ आ जाएँ, उन कुफ़्र के पेशवाओं से (ख़ूब) लड़ो, क्योंकि (इस सूरत की) क़स्में बाक़ी नहीं रहीं। **(12)** तुम ऐसे लोगों से क्यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी क़स्मों को तोड़ डाला, और रसूल को वतन से निकालने की तजवीज़ की, और उन्होंने तुमसे पहले ख़ुद छेड़ निकाली,[2] क्या उनसे (लड़ने से) तुम डरते हो? सो अल्लाह तआ़ला इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि तुम उनसे डरो, अगर तुम ईमान रखते हो। **(13)** उनसे लड़ो, अल्लाह तआ़ला (का वायदा है कि) उनको तुम्हारे हाथों सज़ा देगा और उनको ज़लील (व रुस्वा) करेगा, और तुमको उनपर ग़ालिब करेगा, और बहुत-से मुसलमानों के दिलों को शिफ़ा देगा। **(14)** और उनके दिलों के ग़ैज़ (व ग़ज़ब) को दूर करेगा, और जिसपर मन्ज़ूर होगा अल्लाह तआ़ला तवज्जोह (भी) फ़रमाएगा,[3] और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(15)** क्या तुम यह ख़्याल करते हो कि तुम यूँ ही छोड़ दिए जाओगे, हालाँकि अभी अल्लाह तआ़ला ने (ज़ाहिरी तौर पर) उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुममें से (ऐसे मौक़े पर) जिहाद किया हो, और अल्लाह और रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को ख़ुसूसी दोस्त न बनाया हो,[4] और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है।[5] **(16)** ❖

मुश्रिकों में यह क़ाबलियत ही नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जिस हालत में कि वे ख़ुद अपने ऊपर कुफ़्र (की बातों) का इक़रार कर रहे हैं। उन लोगों के सब आमाल बेकार हैं[6] और दोज़ख़ में वे लोग हमेशा रहेंगे। **(17)** हाँ अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना उन लोगों का काम है जो अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान लाएँ और नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दें और सिवाय अल्लाह के किसी से

---

1. यानी उनके अ़हद तोड़ने वग़ैरह पर बिलकुल नज़र न होगी, चाहे उन्होंने कुछ ही किया हो।

2. यानी तुम्हारी तरफ़ से अ़हद को पूरा करने में कोई कमी नहीं हुई, उन्होंने बैठे-बिठाए ख़ुद एक शोशा छोड़ा। पस ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो।

3. यानी मुसलमान होने की तौफ़ीक़ देगा। चुनाँचे मक्का फ़त्ह होने के दिन बाज़े लड़े और ज़लील व मक़्तूल हुए और बाज़े मुसलमान हो गए।

4. जिसके ज़ाहिर होने का अच्छा ज़रिया ऐसे मौक़े का जिहाद है जहाँ मुक़ाबला अपने रिश्तेदारों और क़रीबी लोगों से हो कि इसमें पूरा इम्तिहान हो जाता है कि कौन अल्लाह को चाहता है और कौन बिरादरी को।

5. ऊपर मुश्रिकीन की बुराइयाँ ज़िक्र की गई थीं। चूँकि उनको अपने बाज़ आमाल जैसे मस्जिदे-हराम की ख़िदमत और हाजियों को पानी पिलाने वग़ैरह पर गर्व था, इसलिए आगे पिछले मज़मून को मुकम्मल करने के लिए उनके इस फ़ख़्र और गर्व का इन चन्द आयतों में जवाब देते हैं। और इसी के ज़िम्न में मुसलमानों के एक इख़्तिलाफ़ी मसले का जिसमें उस वक़्त कलाम हुआ था कि ईमान के बाद सबसे अफ़ज़ल अ़मल आया मस्जिदे-हराम की तामीर और हाजियों को पानी पिलाना है या जिहाद, आयत 'अ-जअ़ल्तुम्……' में जवाब देते हैं।

6. इस वजह से कि उनकी क़बूलियत की शर्त नहीं पाई जाती।

न डरें, सो ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ उम्मीद (यानी वायदा) है कि अपने मक़सूद तक पहुँच जाएँगे। **(18)** क्या तुम लोगों ने हाजियों के पानी पिलाने को और मस्जिदे-हराम के आबाद रखने को उस शख़्स (के अ़मल) के बराबर क़रार दे लिया जो कि अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान लाया हो, और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया हो, ये लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं, और जो लोग बेइन्साफ़ है[1] अल्लाह तआ़ला उनको समझ नहीं देता। **(19)** जो लोग ईमान लाए और (अल्लाह के वास्ते) उन्होंने वतन छोड़ा और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया, वे दर्जे में अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े हैं, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। **(20)** उनका रब उनको ख़ुशख़बरी देता है अपनी तरफ़ से बड़ी रहमत और बड़ी रज़ामन्दी और (जन्नत के) ऐसे बाग़ों की, कि उनके लिए उन (बाग़ों) में हमेशा रहने वाली नेमत होगी। **(21)** (और) उनमें ये हमेशा-हमेशा को रहेंगे। बेशक अल्लाह तआ़ला के पास बड़ा अज्र है।[2] **(22)** ऐ ईमान वालो! अपने बापों को, अपने भाइयों को (अपना) रफ़ीक़ "यानी साथी और दोस्त" मत बनाओ, अगर वे लोग कुफ़्र को ईमान के मुक़ाबले में (ऐसा) अ़ज़ीज़ रखें (कि उनके ईमान लाने की उम्मीद न रहे), और जो शख़्स तुममें से उनके साथ दोस्ती और दिली ताल्लुक़ रखेगा सो ऐसे लोग बड़े नाफ़रमान हैं।[3] **(23)** आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारा कुन्बा और वे माल जो तुमने कमाए हैं, और वह तिजारत जिसमें निकासी न होने का तुमको अन्देशा हो, और वे घर जिनको तुम पसन्द करते हो, तुमको अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारे हों[4] तो तुम इन्तिज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला (हिजरत न करने की सज़ा का) अपना हुक्म भेज दें, और अल्लाह तआ़ला बेहुक्मी करने वालों को उनके मक़सूद तक नहीं पहुँचाता।[5] **(24)** ❖

1. मुराद मुश्रिक हैं।

2. ऊपर हिजरत का ज़िक्र था जिसमें वतन और रिश्तेदारों व कुन्बे वालों और अपने माल व जायदाद से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ता है, जो कि तबई तौर पर नागवार मालूम होता है, जो कभी हिजरत न करने का सबब हो सकता है। इसलिए आगे उन ताल्लुक़ात के ग़ालिब होने की मज़म्मत (निंदा) फ़रमाते हैं।

3. मतलब यह कि हिजरत से बड़ी रुकावट उन लोगों का ताल्लुक़ है और खुद वही जायज़ नहीं, फिर हिजरत में क्या दुश्वारी है।

4. इन चीज़ों का ज़्यादा प्यारा होना जो बुरा है। मुराद इससे वह मोहब्बत है जो अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अ़मल करने से रोक दे। तबीयत का जो मैलान होता है वह मुराद नहीं।

5. यानी उनका मक़सूद उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना था, वह बहुत जल्द उनकी उम्मीद के ख़िलाफ़ मौत से ख़त्म हो जाता है।

तुमको ख़ुदा तआ़ला ने (लड़ाई के) बहुत-से मौक़ों में (काफ़िरों पर) ग़ल्बा दिया, और हुनैन के दिन भी,[1] जबकि तुमको अपने मजमे के ज़्यादा होने से ग़र्रा "यानी एक तरह का उस मजमे पर फ़ख़्र" हो गया था, फिर वह ज़्यादती तुम्हारे लिए कुछ कारामद न हुई, और तुमपर ज़मीन बावजूद अपनी फ़राख़ी के तंगी करने लगी, फिर (आख़िर) तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। **(25)** फिर (उसके बाद) अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल (के दिल) पर और दूसरे मोमिनों (के दिलों) पर अपनी (तरफ़ से) तसल्ली नाज़िल फ़रमाई,[2] और (मदद के लिए) ऐसे लश्कर नाज़िल फ़रमाए जिनको तुमने नहीं देखा और काफ़िरों को सज़ा दी, और यह काफ़िरों की (दुनिया में) सज़ा है। **(26)** फिर (उसके बाद) ख़ुदा तआ़ला जिसको चाहें तौबा नसीब कर दें, और अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत करने वाले, बड़ी रहमत करने वाले हैं। **(27)** ऐ ईमान वालो! मुश्रिक लोग (अपने गन्दे और नापाक अ़क़ीदों की वजह से) बिलकुल नापाक हैं, सो ये लोग इस साल के बाद मस्जिदे-हराम के पास न आने पाएँ, और अगर तुमको तंगदस्ती का अन्देशा हो तो (ख़ुदा पर भरोसा रखो) ख़ुदा तुमको अपने फ़ज़्ल से अगर चाहेगा (उनका) मोहताज न रखेगा, बेशक अल्लाह ख़ूब जानने वाला है, बड़ा हिक्मत वाला है। **(28)** अहले किताब जो कि न ख़ुदा पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं और न क़ियामत के दिन पर, और न उन चीज़ों को हराम समझते हैं जिनको ख़ुदा तआ़ला ने और उसके रसूल ने हराम बतलाया है, और न सच्चे दीन (इस्लाम) को क़बूल करते हैं, उनसे यहाँ तक लड़ो कि वे मातहत होकर और रअ़िय्यत बनकर जिज़या "यानी इस्लामी हुकूमत में रहने का टैक्स" देना मन्ज़ूर करें। **(29)** ❖

और यहूद (में से बाज़) ने कहा कि उज़ैर ख़ुदा के बेटे हैं, और ईसाइयों (में से अक्सर) ने कहा कि मसीह ख़ुदा के बेटे हैं, यह उनका क़ौल है, उनके मुँह से कहने का,[3] यह भी उन लोगों जैसी बातें करने लगे जो इनसे पहले काफ़िर हो चुके हैं,[4] ख़ुदा इनको ग़ारत करे, ये किधर उल्टे जा रहे हैं। **(30)** उन्होंने ख़ुदा को

---

1. हुनैन मक्का और ताइफ़ के दरमियान एक मक़ाम है, यहाँ क़बीला 'हवाज़न' और 'सक़ीफ़' से मक्का फ़त्ह होने के दो हफ़्ते बाद लड़ाई हुई थी। मुसलमान बारह हज़ार थे और मुश्रिकीन चार हज़ार। बाज़ मुसलमान अपना मजमा देखकर ऐसे तौर पर कि उससे नाज़ और ग़ुरूर टपकता था, कहने लगे कि हम आज किसी तरह मग़लूब नहीं हो सकते। चुनाँचे शुरू के मुक़ाबले में काफ़िरों को शिकस्त हुई। बाज़े मुसलमान ग़नीमत के माल व सामान को जमा करने लगे, उस वक़्त कुफ़्फ़ार टूट पड़े और वे तीर चलाने में बड़े माहिर थे। मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू किए। इस घबराहट में मुसलमानों के पाँव उखड़ गए। सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चन्द सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के साथ मैदान में रह गए। आपने हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मुसलमानों को आवाज़ दिलवाई। फिर सब लौटकर दोबारा काफ़िरों से मुक़ाबला करने लगे और आसमान से फ़रिश्तों की मदद आई। आख़िर काफ़िर भागे और बहुत-से क़त्ल हुए। फिर उन क़बीलों के बहुत-से आदमी आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर इस्लाम ले आए और आपने उनके अहल व अ़याल (घर वाले और बाल-बच्चे) जो पकड़े गए थे सब उनको वापस कर दिए।

2. यह जो फ़रमाया कि रसूल पर तसल्ली नाज़िल फ़रमाई, मुराद इससे मुतलक़ तसल्ली नहीं, वह तो आपको बल्कि उन सहाबा को भी जो आपके साथ रह गए थे हासिल थी, और वे इसी वजह से साबित क़दम रहे, बल्कि मुराद इससे ख़ास तसल्ली है जिससे ग़ल्बे की उम्मीद क़रीब हो गई।

3. जिसका हक़ीक़त में कहीं नाम व निशान नहीं।

4. मुराद अ़रब के मुश्रिक हैं जो फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ कहते थे।

छोड़कर अपने आ़लिमों और बुज़ुर्ग हस्तियों को (इताअ़त के एतिबार से) रब बना रखा है,[1] और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालाँकि उनको सिर्फ़ यह हुक्म किया गया है कि फ़क़त एक (बरहक़) माबूद की इबादत करें जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह उनके शिर्क से पाक है। **(31)** वे लोग (यूँ) चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीने इस्लाम) को अपने मुँह से बुझा दें,[2] हालाँकि अल्लाह तआ़ला अपने नूर को कमाल तक पहुँचाए बग़ैर नहीं मानेगा, चाहे काफ़िर लोग कैसे ही नाख़ुश हों। **(32)** (चुनाँचे) वह (अल्लाह) ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत (का सामान यानी क़ुरआन) और सच्चा दीन[3] देकर भेजा है, ताकि उसको (बक़िया) तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे, चाहे मुश्रिक कैसे ही नाख़ुश हों।[4] ● **(33)** ऐ ईमान वालो! अक्सर अह्बार और रुह्बान[5] लोगों के माल नाजायज़ तरीक़े से खाते हैं,[6] और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और (हद दर्जा हिर्स से) जो लोग सोना-चाँदी जमा करके रखते हैं और उनको अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, सो आप उनको एक बड़ी दर्दनाक सज़ा की ख़बर सुना दीजिए। **(34)** जो कि उस दिन ज़ाहिर होगी कि उनको (पहले) दोज़ख़ की आग में तपाया जाएगा, फिर उनसे उनकी पेशानियों "यानी माथों" और उनकी करवटों और उनकी पुश्तों को दाग़ दिया जायेगा। यह है वह जिसको तुमने अपने वास्ते जमा करके रखा, सो अब अपने जमा करने का मज़ा चखो। **(35)** यक़ीनन महीनों की गिनती (जो कि) अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक (मोतबर हैं,) बारह महीने (चाँद के) हैं, जिस दिन उसने (यानी अल्लाह तआ़ला ने) आसमान और ज़मीन पैदा किए थे (उसी दिन से, और) उनमें चार ख़ास महीने अदब के हैं,[7] यही (जो ज़िक्र किया गया) दीने मुस्तक़ीम है[8] सो तुम सब उन (महीनों) के बारे में (दीन के ख़िलाफ़ करके) अपना नुक़सान मत करना, और उन मुश्रिकों से सबसे लड़ना जैसा कि वे तुम सबसे लड़ते हैं, और (यह) जान रखो कि अल्लाह तआ़ला मुत्तक़ियों का साथी है।[9] **(36)** यह हटा देना कुफ़्र में और तरक़्क़ी है जिससे कुफ़्फ़ार गुमराह किए जाते हैं कि

---

1. यानी हलाल व हराम में उनकी इताअ़त अल्लाह की इताअ़त की तरह करते हैं कि शरीअ़त के हुक्म पर उनके क़ौल को तरजीह देते हैं, और ऐसी फ़रमाँबरदारी एक तरह से इबादत ही है। पस इस हिसाब से वे उनकी इबादत करते हैं।

2. यानी मुँह से रद्द व एतिराज़ की बातें इस ग़रज़ से करते हैं कि दीने हक़ को फ़रोग़ और तरक़्क़ी न हो।

3. यानी इस्लाम।

4. मुकम्मल करना दलीलों से साबित करने और क़ुव्वत देने के मायने में तो इस्लाम के लिए हर ज़माने में आ़म है, और यही मुक़ाबिल है 'इतफ़ा' का जो कि रद्द के मायने में है, और तफ़सीर के सही होने के लिए काफ़ी है। और हुकूमत का मिलना मश्रूत है अहले दीन के तक़्वे व सुधार के साथ। और बक़िया तमाम दीनों का मिटना हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में होगा।

5. यानी यहूद और ईसाइयों के आ़लिम और बुज़ुर्ग हज़रात।

6. यानी हक़ अहकाम को छुपाकर अ़वाम की मरज़ी के मुवाफ़िक़ फ़तवे देकर उनसे नज़राने लेते है।

7. यानी ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब।

8. यानी इन महीनों का बारह होना और चार का तख़्सीस के साथ हराम महीने होना।

9. आयत में मक़सूद उस हिसाब को बातिल करना है जिससे शरई अहकाम में ख़लल पड़ने या ग़लती होने लगे। अलबत्ता चूँकि शरई अहकाम का मदार चाँद के हिसाब पर है इसलिए उसकी हिफ़ाज़त फ़र्ज़े किफ़ाया है। पस अगर सारी उम्मत दूसरी इस्तिलाह को अपना मामूल बना ले जिससे चाँद का हिसाब ज़ाया हो जाए तो सब गुनाहगार होंगे। और अगर वह महफ़ूज़ रहे तो दूसरे हिसाब का इस्तेमाल भी मुबाह और जायज़ है, लेकिन बुज़ुर्गों के तरीक़े और मामूल के ख़िलाफ़ ज़रूर है। और चाँद के हिसाब का बरतना उसके फ़र्ज़े किफ़ाया होने की वजह से ज़रूरी, अफ़ज़ल और बेहतर है।

● निस्फ़ 1/2

वे इस (हराम महीने) को किसी साल (नफ़्सानी ग़रज़ से) हलाल कर लेते हैं, और किसी साल (जब कोई ग़रज़ न हो) हराम समझते हैं, ताकि अल्लाह तआ़ला ने जो (महीने) हराम किए हैं (सिर्फ़) उनकी गिनती पूरी कर लें, फिर अल्लाह के हराम किए हुए (महीने) को हलाल कर लेते हैं। उनके बुरे आमाल उनको अच्छे मालूम होते हैं, और अल्लाह तआ़ला ऐसे काफ़िरों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं देता।[1] **(37)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुम लोगों को क्या हुआ कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में (जिहाद के लिए) निकलो तो तुम ज़मीन को लगे जाते हो? क्या तुमने आख़िरत के बदले दुनियावी ज़िन्दगी पर क़नाअ़त कर ली? सो दुनियावी ज़िन्दगी से फ़ायदा हासिल करना तो आख़िरत के मुक़ाबले में (कुछ भी नहीं) बहुत कम है। **(38)** अगर तुम न निकलोगे तो वह (यानी अल्लाह तआ़ला) तुमको सख़्त सज़ा देगा (यानी तुमको हलाक कर देगा) और तुम्हारे बदले दूसरी क़ौम को पैदा कर देगा (और उनसे अपना काम लेगा) और तुम अल्लाह (के दीन) को कुछ नुक़सान नहीं पहुँचा सकोगे, और अल्लाह को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है। **(39)** अगर तुम लोग उनकी (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की) मदद न करोगे तो अल्लाह तआ़ला आपकी मदद उस वक़्त कर चुका है जबकि आपको काफ़िरों ने वतन से निकाल दिया था, जबकि दो आदमियों में से एक आप थे जिस वक़्त कि दोनों ग़ार में थे, जबकि आप अपने हमराही से फ़रमा रहे थे कि तुम (कुछ) ग़म न करो यक़ीनन अल्लाह तआ़ला हमारे साथ है। सो अल्लाह तआ़ला ने आप (के दिल) पर अपनी तसल्ली नाज़िल फ़रमाई और आपको ऐसे लश्करों से कुव्वत दी जिनको तुमने नहीं देखा, और अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों की बात (और तदबीर) नीची कर दी, (कि वे नाकाम रहे) और अल्लाह ही का बोल-बाला रहा, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिक्मत वाला है। **(40)** निकल पड़ो (चाहे) थोड़े सामान से (हो) और (चाहे) ज़्यादा सामान से (हो) और अल्लाह तआ़ला की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम यक़ीन रखते हो (तो देर मत करो)। **(41)** अगर कुछ हाथ के हाथ मिलने वाला होता और सफ़र भी मामूली-सा होता तो ये (मुनाफ़िक़) लोग आपके साथ हो लेते, लेकिन उनको तो सफ़र की दूरी ही दूर-दराज़ मालूम होने लगी। और अभी ख़ुदा की क़स्में खा जाएँगे कि अगर हमारे बस की बात होती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते, ये लोग (झूठ बोल-बोलकर) अपने आपको तबाह कर रहे हैं, और अल्लाह तआ़ला जानता है कि ये लोग यक़ीनन झूठे हैं। **(42)** ❖

---

1. यहाँ से तबूक की लड़ाई का बयान है। तबूक मुल्क शाम में एक मक़ाम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का के फ़त्ह और हुनैन की लड़ाई वग़ैरह से फ़ारिग़ हुए तो आपको ख़बर हुई कि रूम का बादशाह मदीना पर फ़ौज भेजना चाहता है, और वह फ़ौज तबूक में जमा की जाएगी। आपने ख़ुद ही मुक़ाबले के लिए सफ़र का इरादा फ़रमाया और मुसलमानों में इसका आ़म ऐलान कर दिया। चूँकि वह ज़माना गर्मी की शिद्दत का था और मुसलमानों के पास सामान बहुत कम था, और सफ़र भी बहुत लम्बा था, इसलिए इस लड़ाई में जाना बड़ी हिम्मत का काम था। इसलिए इन आयतें में उसकी बहुत तरग़ीब दी गई है। और चूँकि मुनाफ़िक़ लोग ईमान व इख़्लास न होने की वजह से उसमें तरह-तरह के बहाने सामने लाए और उनकी तरह-तरह की ख़बासतें ज़ाहिर हुईं, इसलिये इन आयतों में उनपर भी बहुत लानत मलामत हुई है। ग़रज़ आप उस मक़ाम तबूक तक तशरीफ़ लेजाकर ईसाइयों के लश्कर के मुन्तज़िर रहे, मगर वे ऐसे मरऊब हुए कि उनका हौसला जाता रहा, और आप वहाँ एक मुद्दत तक ठहरकर ख़ैर व आ़फ़ियत के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। यह वाक़िआ़ रजब सन् नौ हिजरी में हुआ।

अल्लाह तआ़ला ने आपको माफ़ (तो) कर दिया (लेकिन) आपने उनको (ऐसी जल्दी) इजाज़त क्यों देदी थी? जब तक कि आपके सामने सच्चे लोग ज़ाहिर न हो जाते, और आप झूठों को मालूम न कर लेते। **(43)** जो लोग अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हैं वे अपने माल और जान से जिहाद करने के बारे में आपसे रुख़्सत न माँगेंगे, (बल्कि वे हुक्म के साथ दौड़ पड़ेंगे), और अल्लाह तआ़ला (उन) मुत्तक़ियों को ख़ूब जानता है। **(44)** अलबत्ता वे लोग (जिहाद में न जाने की) आपसे रुख़्सत माँगते हैं जो अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और उनके दिल शक में पड़े हैं, सो वे अपने शकों में पड़े हुए हैरान हैं। **(45)** और अगर वे लोग (लड़ाई में) चलने का इरादा करते तो उसका कुछ सामान तो दुरुस्त करते, लेकिन (ख़ैर हुई) अल्लाह तआ़ला ने उनके जाने को पसन्द नहीं किया, इसलिए उनको तौफ़ीक़ नहीं दी और (तक्वीनी हुक्म की वजह से यूँ) कह दिया गया कि अपाहिज लोगों के साथ तुम भी यहाँ ही धरे रहो। **(46)** अगर ये लोग तुम्हारे साथ शामिल होकर जाते तो सिवाय इसके कि और दोगुना फ़साद करते और क्या होता, और तुम्हारे बीच फ़ितना डालने की फ़िक्र में दौड़े-दौड़े फिरते,[1] और (अब भी) तुममें उनके कुछ जासूस (मौजूद) हैं, और (उन) ज़ालिमों को अल्लाह तआ़ला ख़ूब समझेगा। **(47)** उन्होंने तो पहले भी फ़ितना खड़ा करने की फ़िक्र की थी,[2] और आपके लिए कार्रवाइयों की उलट-फेर करते ही रहे, यहाँ तक कि हक़ (का वायदा) आ गया, और (उसका आना यह कि) अल्लाह का हुक्म ग़ालिब रहा, और उनको नागवार ही गुज़रता रहा।[3] **(48)** और उन (ख़िलाफ़ करने वाले मुनाफ़िक़ों) में बाज़ा शख़्स वह है जो कहता है कि मुझको इजाज़त दीजिए और मुझको ख़राबी में न डालिए। ख़ूब समझ लो कि ये लोग ख़राबी में तो पड़ ही चुके, और यक़ीनन (आख़िरत में) दोज़ख़ उन काफ़िरों को घेरेगी।[4] **(49)** अगर आपको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो वह उनके लिए ग़म का सबब होती है, और अगर आप पर कोई हादसा आ पड़ता है तो (ख़ुश होकर) कहते हैं कि हमने तो (इसी लिए) पहले से अपना एहतियात (का पहलू) इख़्तियार कर लिया था, और वे ख़ुश होते हुए वापस चले जाते हैं। **(50)** आप फ़रमा दीजिए कि हमपर कोई हादसा नहीं पड़ सकता मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए मुक़द्दर फ़रमाया है, वह हमारा मालिक है, और सब मुसलमानों को अपने सब काम अल्लाह ही के सुपुर्द रखने चाहिएँ।[5] **(51)** आप फ़रमा दीजिए कि तुम तो हमारे हक़ में दो बेहतरियों में से एक बेहतरी ही

---

1. यानी लगाई-बुझाई करके आपस में फूट डलवाते और झूठी ख़बरें उड़ाकर परेशान करते, दुश्मन का रोब तुम्हारे दिलों में डालने की कोशिश करते, इसलिए उनका न जाना ही अच्छा हुआ।

2. यानी जंगे उहुद वग़ैरह में।

3. ऊपर मुनाफ़िक़ों के मुश्तरका हालात का बयान था। आगे कई आयतों में जो लफ़्ज़ 'मिन्हुम्' से शुरू हुई हैं, बाज़ के मख़्सूस हालात और अक़्वाल (बातें) और दरमियान में मुश्तरका हालात भी ज़िक्र किए गए हैं।

4. उस शख़्स का नाम 'जद बिन क़ैस' था। उसने यह बहाना बनाया था कि मैं औरतों पर फ़िदा हो जाता हूँ और रूमियों की औरतें हसीन ज़्यादा हैं। जाने में मेरा दीनी नुक़सान है, इसलिए रुख़्सत का इच्छुक हूँ।

5. हासिल यह है कि अल्लाह मालिक और हाकिम हैं। हाकिम होने की हैसियत से उनको हर तसर्रुफ़ का इख़्तियार है, इसलिए हम राज़ी हैं।

के मुन्तज़िर रहते हो, और हम तुम्हारे हक़ में इसके मुन्तज़िर रहा करते हैं कि अल्लाह तआ़ला तुमपर कोई अ़ज़ाब भेजेगा, (चाहे) अपनी तरफ़ से (दुनिया या आख़िरत में) या हमारे हाथों से। सो तुम (अपने तौर पर) इन्तिज़ार करो (और) हम तुम्हारे साथ (अपने तौर पर) इन्तिज़ार में हैं।[1] **(52)** आप फ़रमा दीजिए कि तुम (चाहे) ख़ुशी से ख़र्च करो या नाख़ुशी से, तुम किसी तरह (ख़ुदा के नज़दीक) मक़बूल नहीं, (क्योंकि) बेशक तुम हुक्म के ख़िलाफ़ करने वाले लोग हो। **(53)** और उनकी (ख़ैर) ख़ैरात क़बूल होने से और कोई चीज़ इसके अ़लावा रुकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया, और वे लोग नमाज़ नहीं पढ़ते मगर हारे जी से, और ख़र्च नहीं करते मगर नागवारी के साथ। **(54)** सो उनके माल और औलाद आपको ताज्जुब में न डालें, अल्लाह तआ़ला को सिर्फ़ यह मन्ज़ूर है कि इन (ज़िक्र की हुई) चीज़ों की वजह से दुनियावी ज़िन्दगी में (भी) उनको अ़ज़ाब में गिरफ़्तार रखे और उनकी जान कुफ़्र ही की हालत में निकल जाए। **(55)** और ये (मुनाफ़िक़) लोग अल्लाह तआ़ला की क़स्में खाते हैं कि वे तुममें के हैं।[2] हालाँकि (हक़ीक़त में) वे तुममें के नहीं, लेकिन (बात यह है कि) वे डरपोक लोग हैं। **(56)** उन लोगों को अगर कोई पनाह मिल जाती, या ग़ार या कोई घुस-बैठने की ज़रा जगह (मिल जाती) तो ये ज़रूर मुँह उठाकर उधर चल देते (और ईमान का इज़्हार न करते)। **(57)** और उनमें बाज़ वे लोग हैं जो सदक़ों (को तक़सीम करने) के बारे में आप पर ताना मारते हैं। सो अगर उन (सदक़ों) में से (उनकी ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़) उनको मिल जाता है तो वे राज़ी हो जाते हैं, और अगर उन (सदक़ों) में से उनको (उनकी ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़) नहीं मिलता तो वे नाराज़ हो जाते हैं।[3] **(58)** और (उनके लिए बेहतर होता) अगर वे लोग उसपर राज़ी रहते जो कुछ उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया था, और (यूँ) कहते कि हमको अल्लाह काफ़ी है, आइन्दा अल्लाह अपने फ़ज़्ल से हमको (और) देगा, और उसके रसूल देंगे, हम (शुरू से) अल्लाह ही की तरफ़ राग़िब हैं। **(59)** ❖

---

1. हासिल यह कि अल्लाह तआ़ला हिक्मत वाले हैं, इस मुसीबत में भी हमारे फ़ायदे का ख़्याल करते हैं, इसलिए हम हर हाल में फ़ायदे में हैं, बख़िलाफ़ तुम्हारे कि तुम्हारी ख़ुशहाली का अन्जाम भी वबाल और निकाल है, अगर दुनिया में नहीं तो आख़िरत में ज़रूर है।

2. यानी मुसलमान हैं।

3. इससे मालूम होता है कि उनके एतिराज़ और हर्फ़गीरी का असल मन्शा महज़ दुनियावी लालच और ख़ुद-ग़रज़ी है। पस ऐसे एतिराज़ का बातिल होना ज़ाहिर है।

सदक़ात तो सिर्फ़ ग़रीबों का हक़ है और मोहताजों का,[1] और जो कार्यकरता उन सदक़ात पर मुतैयन हैं,[2] और जिनकी दिलजोई करना (मन्ज़ूर) है,[3] और गुलामों की गर्दन छुड़ाने में,[4] और क़र्ज़दारों के क़र्ज़े में, और जिहाद में, और मुसाफ़िरों में, यह हुक्म अल्लाह की तरफ़ से (मुक़र्रर) है,[5] और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले (और) बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(60)** और उन (मुनाफ़िक़ों) में से बाज़े ऐसे हैं कि नबी को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं और कहते हैं कि आप हर बात कान देकर "यानी तवज्जोह से" सुन लेते हैं। आप फ़रमा दीजिए कि (वह नवी) कान देकर "यानी तवज्जोह से" तो वही बात सुनते हैं जो तुम्हारे हक़ में ख़ैर (ही ख़ैर) है कि वे अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मोमिनों का यक़ीन करते हैं, और आप उन लोगों के हाल पर मेहरबानी फ़रमाते हैं जो तुममें ईमान का इज़्हार करते हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा होगी। **(61)** ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह तआ़ला की (झूठी) क़स्में खाते हैं ताकि तुमको राज़ी कर लें, (जिसमें माल व जान महफ़ूज़ रहे) हालाँकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक़ रखतें हैं, कि अगर ये लोग सच्चे मुसलमान हैं तो उसको राज़ी करें। ▲ **(62)** क्या उनको ख़बर नहीं कि जो शख़्स अल्लाह की और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करेगा (जैसा कि ये लोग कर रहे हैं) तो (यह बात तय हो चुकी है कि) ऐसे शख़्स को दोज़ख़ की आग (इस तौर पर) नसीब होगी (कि) वह उसमें हमेशा रहेगा, यह बड़ी रुस्वाई है। **(63)** मुनाफ़िक़ लोग (तबई तौर पर) इससे अन्देशा करते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरः (मिसाल के तौर पर, या आयत) नाज़िल (न) हो जाए जो उनको उन (मुनाफ़िक़ों) के दिल के हाल की इत्तिला दे दे। आप फ़रमा दीजिए कि अच्छा तुम मज़ाक़ उड़ाते रहो, बेशक अल्लाह तआ़ला उस चीज़ को ज़ाहिर करके रहेगा जिस (के इज़्हार) से तुम अन्देशा करते थे। **(64)** और अगर आप उनसे पूछिए तो कह देंगे कि हम तो बस मज़ाक़ और दिल्लगी कर रहे थे। आप (उनसे) कह दीजिएगा कि क्या अल्लाह के साथ और उसकी आयतों के साथ और उसके रसूल के साथ तुम हँसी करते थे? **(65)** तुम अब (यह बेहुदा) उज़्र मत करो, तुम तो अपने को मोमिन कहकर कुफ़्र करने लगे, अगर हम तुममें से बाज़ को छोड़ भी दें फिर भी बाज़ को तो (ज़रूर ही) सज़ा देंगे, इस वजह से कि वे (इल्मे-अज़ली में) मुज्रिम थे।[6] **(66)** ❖

---

1. फ़क़ीर के मायने हैं जिसके पास कुछ न हो। मिस्कीन के मायने हैं जिसके पास निसाब (यानी माल की इतनी मात्रा जिसपर ज़कात वाजिब हो जाती है) से कम हो।

2. मुसलमान होना और अपनी बुनियादी असली ज़रूरतों से ज़ायद निसाब के बक़द्र का मालिक व क़ाबिज़ न होना सबमें शर्त है, सिवाय ज़कात को वसूल करने और कार्यकरताओं के जो मुसलमान बादशाह की तरफ़ से मुक़र्रर हों कि उनको बावजूद ग़नी (यानी मालदार) होने के भी इस ज़कात में से उजरत के तौर पर देना जायज़ है। बाक़ी तमाम क़िस्मों में उक्त क़ैद (यानी मुसलमान होना और शरई तौर पर मालदार न होना) शर्त है।

3. दिलजोई के लिए जनाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में ज़कात दी जाती थी, चाहे वे मुसलमान न हों मगर उनके मुसलमान होने की उम्मीद हो या सिर्फ़ उनके शर व फ़ितने से बचने के लिए। और या मुसलमान हों मगर ग़रीब न हों सिर्फ़ उनको इस्लाम से मुहब्बत पैदा करने के लिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के वक़्त में उनके इसका हक़दार न होने पर सबकी राय एक हो गई, जो पहले हुक्म के मन्सूख़ यानी ख़त्म हो जाने की निशानी है।

4. गर्दन छुड़ाने का मतलब यह है कि किसी गुलाम को उसके आक़ा ने कह दिया हो कि इतना रुपया दे दे तो तू आज़ाद है। उस गुलाम को ज़कात दी जाए ताकि वह अपने आक़ा को रुपया देकर आज़ाद हो जाए।

5. ज़कात के ख़र्च होने की सब जगहों में यह शर्त है कि जिनको ज़कात दी जाए उनको मालिक बना दिया जाए, बिना मालिक बनाए ज़कात अदा न होगी।

6. दीन के साथ जान-बूझकर हँसी-ठट्ठा करना चाहे बद-एतिक़ादी से हो या बिना बद-एतिक़ादी के हो, कुफ़्र है। और अल्लाह, उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ हँसी-ठट्ठा करना, तीनों का एक ही हुक्म है। (कि वह आदमी काफ़िर हो जाता है)।

मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औ़रतें सब एक तरह के हैं, कि बुरी बात (यानी कुफ़्र और इस्लाम की मुख़ालफ़त) की तालीम देते हैं और अच्छी बात (यानी ईमान व नबी-ए-करीम की पैरवी) से मना करते हैं, और अपने हाथों को बन्द रखते हैं, उन्होंने ख़ुदा का ख़्याल न किया, तो ख़ुदा ने उनका ख़्याल न किया,[1] बेशक ये मुनाफ़िक़ बड़े ही सरकश हैं। **(67)** अल्लाह तआ़ला ने मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औ़रतों और (खुलेआ़म) कुफ़्र करने वालों से दोज़ख़ की आग का अ़हद कर रखा है, जिसमें वे हमेशा रहेंगे। वह उनके लिए काफ़ी (सज़ा) है, और अल्लाह तआ़ला उनको अपनी रहमत से दूर कर देगा, और उनको हमेशा का अ़ज़ाब होगा। **(68)** (ऐ मुनाफ़िक़ो!) तुम्हारी हालत उन लोगों की-सी है जो तुमसे पहले हो चुके हैं, जो कुव्वत में तुमसे ज़बरदस्त और माल व औलाद की कसरत में तुमसे भी ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपने (दुनियावी) हिस्से से ख़ूब फ़ायदा हासिल किया, सो तुमने भी अपने (दुनियावी) हिस्से से ख़ूब फ़ायदा हासिल किया, जैसा कि तुमसे पहले लोगों ने अपने हिस्से से ख़ूब फ़ायदा हासिल किया था। और तुम भी (बुरी बातों में) ऐसे ही घुसे जैसे वे घुसे थे, और उन लोगों के (अच्छे) आमाल दुनिया व आख़िरत में बेकार गए,[2] और वे लोग बड़े नुक़सान में हैं। **(69)** क्या उन लोगों को उन (के अ़ज़ाब व हलाक होने) की ख़बर नहीं पहुँची जो उनसे पहले हुए हैं, जैसे क़ौमे नूह और आ़द और समूद और इब्राहीम की क़ौम और मद्यन वाले और उल्टी हुई बस्तियाँ, कि उनके पास उनके पैग़म्बर (हक़ की) साफ़ निशानियाँ लेकर आए (लेकिन न मानने से बर्बाद हुए)। सो (इस बर्बादी में) अल्लाह ने उनपर ज़ुल्म नहीं किया, लेकिन वे ख़ुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे।[3] **(70)** और मुसलमान मर्द और मुसलमान औ़रतें आपस में एक-दूसरे के (दीनी) साथी हैं, नेक बातों की तालीम देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हैं। उन लोगों पर ज़रूर अल्लाह तआ़ला रहमत करेगा, बेशक अल्लाह तआ़ला (पूरी तरह) क़ादिर है, हिक्मत वाला है। **(71)** और अल्लाह तआ़ला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औ़रतों से ऐसे बाग़ों का वायदा कर रखा है जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे, और नफ़ीस मकानों का जो कि उन हमेशा रहने वाले बाग़ों में होंगे, और (इन नेमतों के साथ) अल्लाह तआ़ला की

1. यानी उन्होंने इताअ़त न की। अल्लाह तआ़ला ने उनपर अपनी ख़ास रहमत न की।
2. क्योंकि दुनिया में उन आमाल पर सवाब की खुशख़बरी नहीं और आख़िरत में सवाब नहीं।
3. ऊपर मुनाफ़िक़ों की ख़वासतें, बुराइयाँ और नालायक़ियाँ ज़िक्र की गई थीं, आगे मज़मून की और ज़्यादा वज़ाहत के लिए इस कहावत पर नज़र रखते हुए कि चीज़ें अपनी ज़िद और मुख़ालिफ़ चीज़ों से पहचानी जाती हैं, मोमिनों की बाज़ ख़ूबियों और अच्छाइयों का बयान है।

रज़ामन्दी सब (नेमतों) से बड़ी चीज़ है, यह (ज़िक्र हुई जज़ा) बड़ी कामयाबी है। **(72)** ❖

ऐ नबी! कुफ़्फ़ार (से तलवार के साथ) और मुनाफ़िक़ों से (ज़बानी) जिहाद कीजिए, और उनपर सख़्ती कीजिए। (ये दुनिया में तो इसके हक़दार हैं) और (आख़िरत में) इनका ठिकाना दोज़ख़ है, और वह बुरी जगह है।[1] **(73)** वे लोग अल्लाह की क़स्में खा जाते हैं कि हमने (फ़लानी बात) नहीं कही, हालाँकि यक़ीनन उन्होंने कुफ़्र की बात कही थी, और (वह बात कहकर) अपने (ज़ाहिरी) इस्लाम के बाद (ज़ाहिर में भी) काफ़िर हो गए, और उन्होंने ऐसी बात का इरादा किया था जो उनके हाथ न लगी, और यह उन्होंने सिर्फ़ इस बात का बदला दिया है कि उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने अल्लाह के रिज़्क़ से मालदार कर दिया, सो अगर (इसके बाद भी) तौबा करें तो उनके लिए (दोनों जहान में) बेहतर होगा। और अगर मुँह मोड़ा तो अल्लाह तआ़ला उनको दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक सज़ा देगा, और उनका दुनिया में न कोई यार है और न मददगार।[2] **(74)** और उन (मुनाफ़िक़ों) में बाज़ आदमी ऐसे हैं कि ख़ुदा तआ़ला से अ़हद करते हैं कि अगर अल्लाह तआ़ला हमको अपने फ़ज़्ल से (बहुत-सा माल) अ़ता फ़रमा दे तो हम ख़ूब ख़ैरात करें, और हम (उसके ज़रिए से) ख़ूब नेक-नेक काम किया करें। **(75)** सो जब अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फ़ज़्ल से (बहुत-सा माल) दे दिया तो वे उसमें बुख़्ल करने लगे (कि ज़कात न दी) और (इताअ़त से) मुँह मोड़ने लगे, और वे मुँह फेरने के आ़दी हैं। **(76)** सो अल्लाह तआ़ला ने उसकी सज़ा में उनके दिलों में निफ़ाक़ (क़ायम) कर दिया (जो) ख़ुदा के पास जाने के दिन तक (रहेगा) इस सबब से कि उन्होंने ख़ुदा तआ़ला से अपने वायदे में ख़िलाफ़ किया और इस सबब से कि वे (उस वायदे में शुरू ही से) झूठ बोलते थे। **(77)** क्या उनको ख़बर नहीं? कि अल्लाह तआ़ला को उनके दिल का राज़ और उनकी सरगोशी "यानी कानाफूसी" सब मालूम है, और यह कि अल्लाह तआ़ला तमाम ग़ैब की बातों को ख़ूब जानते हैं।[3] **(78)** ये (मुनाफ़िक़ लोग) ऐसे हैं कि नफ़्ली सदक़ा देने वाले मुसलमानों पर सदक़ात के बारे में ताना मारते हैं, और (ख़ासकर) उन लोगों पर (और

---

1. अगली आयत के मुताल्लिक़ क़िस्सा यह है कि तबूक से वापसी में चन्द मुनाफ़िक़ों ने जिनकी तादाद बारह तक नक़ल की गई है, एक रात सलाह की कि फ़लाँ घाटी में से आपकी सवारी गुज़रेगी तो सब मिलकर आपको ढकेल दें, फिर क़त्ल कर दें। ग़रज़ सब अपना मुँह लपेटकर जमा होकर उस जगह आ पहुँचे, मगर आपने देखकर डाँटा और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु व हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अ़न्हु साथ थे, उन्होंने हटाया, मगर पहचाने नहीं गए। आपको वह्य से मालूम हुआ, आपने मन्ज़िल पर पहुँचकर उन लोगों को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा-ऐसा इरादा किया था। वे सब क़स्में खा गए कि न मश्विरा हुआ न इरादा हुआ। उनमें से बाज़ के साथ आपने ख़ास तौर पर माली इम्दाद भी फ़रमाई थी जैसे जिलास। इस क़िस्से में यह आयत नाज़िल हुई और इसके नाज़िल होने के बाद जिलास ने इख़्लास और सच्चे दिल से इस्लाम क़बूल किया।

2. सालबा बिन हातिब नाम के एक शख़्स ने आपसे माल के ज़्यादा होने की दुआ़ कराई। आपने समझाया कि मस्लहत नहीं। उसने कहा कि मैं नेक कामों में ख़र्च किया करूँगा। ग़रज़ आपकी दुआ़ से वह मालदार हो गया। जब ज़कात का वक़्त आया तो कहने लगा कि इसमें (यानी ज़कात में) और जिज़्ये (यानी टैक्स में) क्या फ़र्क़ है, और ज़कात न दी। इसपर अगली आयत नाज़िल हुई।

3. इन आयतों के नाज़िल होने की ख़बर सुनकर सालबा ज़कात लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे तेरी ज़कात लेने से मना फ़रमा दिया है। उसने बहुत हाय-तौबा की। फिर हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िलाफ़त में ज़कात लाया, आपने भी क़बूल न की। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने भी क़बूल न की, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में वह मर गया।

ज़्यादा) जिनको सिवाय मेहनत (व मज़दूरी की आमदनी) के और कुछ मयस्सर नहीं होता, यानी उनसे मज़ाक़-ठट्ठा करते हैं, अल्लाह उनको इस मज़ाक़ उड़ाने का तो ख़ास बदला देगा,[1] और (मुतलक़ ताना मारने का यह बदला मिलेगा ही कि) उनके लिए (आख़िरत में) दर्दनाक सज़ा होगी। **(79)** आप चाहे उन (मुनाफ़िक़ों) के लिए इस्तिग़फ़ार करें या उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करें, अगर आप उनके लिए सत्तर बार भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तब भी अल्लाह तआ़ला उनको न बख़्शेगा, यह इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया, और अल्लाह तआ़ला ऐसे सरकश लोगों को हिदायत नहीं किया करता। **(80)** ❖

ये पीछे रह जाने वाले ख़ुश हो गए, अल्लाह के रसूल के (जाने के) बाद अपने बैठे रहने पर, और उनको अल्लाह तआ़ला की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करना नागवार हुआ, और (दूसरों को भी) कहने लगे कि तुम गर्मी में मत निकलो। आप कह दीजिए कि जहन्नम की आग (इससे भी) ज़्यादा गर्म है, क्या ख़ूब होता अगर वे समझते। **(81)** सो थोड़े (दिनों दुनिया में) हँस लें, और बहुत (दिनों आख़िरत में) रोते रहें,[2] उन कामों के बदले में जो कुछ (कुफ़्र, निफ़ाक़ और ख़िलाफ़त) किया करते थे। **(82)** तो अगर ख़ुदा तआ़ला आपको (इस सफ़र से मदीना को सही-सालिम) उनके किसी गिरोह की तरफ़ वापस लाए, फिर ये लोग (किसी जिहाद में) चलने की इजाज़त माँगें तो आप (यूँ) कह दीजिए कि तुम कभी भी मेरे साथ न चलोगे, और न मेरे साथ होकर किसी (दीन के) दुश्मन से लड़ोगे। तुमने पहले भी बैठे रहने को पसन्द किया था, तो उन लोगों के साथ बैठे रहो जो (वाक़ई) पीछे रह जाने के लायक़ ही हैं। **(83)** और उनमें कोई मर जाए तो उस (के जनाज़े) पर कभी नमाज़ न पढ़िए और न (दफ़न के लिए) उसकी क़ब्र पर खड़े होइए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया है और वे कुफ़्र ही की हालत में मरे हैं।[3] **(84)** और उनके माल और औलाद आपको ताज्जुब में न डालें, अल्लाह तआ़ला को सिर्फ़ यह मन्ज़ूर है कि इन (ज़िक्र हुई चीज़ों) की वजह से उनको दुनिया में (भी) अ़ज़ाब में गिरफ़्तार रखे और उनका दम कुफ़्र ही की हालत में निकल जाए।[4] **(85)** और जब कभी क़ुरआन का कोई टुकड़ा (इस मज़मून में) नाज़िल किया जाता है कि तुम

---

1. मज़ाक़ उड़ाने से चूँकि ज़्यादा दिल दुखता है इसलिए इसकी जगहों और सज़ा को ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया।

2. यानी हँसना थोड़े दिनों का है फिर रोना हमेशा-हमेशा का। अगरचे यहाँ इस तरह का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है जैसे हुक्म दिया जा रहा हो, मगर मक़सद इससे ख़बर देना है।

3. बुख़ारी व मुस्लिम में इस आयत का शाने नुज़ूल इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह नक़ल किया है कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ मर गया तो उसके बेटे ने जो कि सहाबी (रज़ियल्लाहु अ़न्हु) थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरख़्वासत की कि अपना मुबारक कुर्ता दे दीजिए कि उसमें उसको कफ़नाया जाए। आपने दे दिया। फिर दरख़्वास्त की कि उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ दीजिए। आप पढ़ने खड़े हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आपका दामन पकड़ लिया और अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप इसकी नमाज़ पढ़ते हैं, हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने आपको मुनाफ़िक़ों की नमाज़ पढ़ने को मना फ़रमाया है। यानी 'आप उन मुनाफ़िक़ों के लिए इस्तिग़फ़ार करें या न करें......इस आयत में' आपने फ़रमाया कि मुझे अल्लाह तआ़ला ने इख़्तियार दिया है (मना नहीं किया) ग़रज़ आपने नमाज़ पढ़ी। उसपर यह आयत नाज़िल हुई। फिर कभी आपने मुनाफ़िक़ों के जनाज़े पर नमाज़ नहीं पढ़ी।

मसलाः काफ़िर के जनाज़े पर नमाज़ और उसके लिए इस्तिग़फ़ार या उसके कफ़न-दफ़न में शिर्कत जायज़ नहीं।

4. ऊपर तबूक की लड़ाई के मुताल्लिक़ मुनाफ़िक़ों के पीछे रह जाने और झूठे बहाने बनाकर इजाज़त माँगने का बयान था। आगे उनकी यह मुस्तक़िल आदत होना कि हर लड़ाई में उनकी यह हालत है। और उनके मुक़ाबले में ईमान वालों की जाँबाज़ी और उसकी फ़ज़ीलत बयान फ़रमाते हैं।

(दिल के ख़ुलूस से) अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो, तो उनमें के ताक़त वाले आपसे रुख़्सत "यानी न जाने के लिए छुट्टी" माँगते हैं,[1] और कहते हैं, हमको इजाज़त दीजिए कि हम भी यहाँ ठहरने वालों के साथ रह जाएँ। **(86)** वे लोग (निहायत बेग़ैरती के साथ) घर में बैठी औ़रतों के साथ रहने पर राज़ी हो गए और उनके दिलों पर मोहर लग गई, जिससे वे (ग़ैरत या बेग़ैरती को) समझते ही नहीं। **(87)** (हाँ) लेकिन रसूल और आपके साथ में जो मुसलमान हैं उन्होंने (इस हुक्म को माना और) अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद किया, और उन्हीं के लिए सारी ख़ूबिया हैं, और यही लोग कामयाब हैं। **(88)** अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, वे उनमें हमेशा को रहेंगे, यह बड़ी कामयाबी है। **(89)** ❖

और कुछ बहाना बनाने वाले लोग देहातियों में से आए ताकि उनको (घर रहने की) इजाज़त मिल जाए, और (उन देहातियों में से) जिन्होंने ख़ुदा से और उसके रसूल से (ईमान के दावे में) बिलकुल ही झूठ बोला था, वे बिलकुल ही बैठ रहे, उनमें से जो (आख़िर तक) काफ़िर रहेंगे उनको दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।[2] **(90)** कम ताक़त लोगों पर कोई गुनाह नहीं, और न बीमारों पर, और न उन लोगों पर जिनको ख़र्च करने को मयस्सर नहीं, जबकि ये लोग अल्लाह और रसूल के साथ (दूसरे अहकाम में) ख़ुलूस रखें, (उन) नेक काम करने वालों पर किसी क़िस्म का इल्ज़ाम (आ़यद) नहीं, और अल्लाह पाक बड़ी मग़्फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं।[3] **(91)** और न उन लोगों पर (कोई गुनाह और इल्ज़ाम है) कि जिस वक़्त वे आपके पास इस वास्ते आते हैं कि आप उनको कोई सवारी दे दें और आप (उनसे) कह देते हैं कि मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं जिसपर मैं तुमको सवार कर दूँ, तो वे (नाकाम) इस हालत से वापस चले जाते हैं कि उनकी आँखों से आँसू बहते होते हैं, इस ग़म में कि (अफ़सोस) उनको ख़र्च करने को कुछ भी मयस्सर नहीं। **(92)** पस इल्ज़ाम (और पकड़) तो सिर्फ़ उन लोगों पर है जो बावजूद सामान (और ताक़त) वाले होने के (घर रहने की) इजाज़त चाहते हैं, वे लोग (निहायत बेशर्मी से) घर में बैठी औ़रतों के साथ रहने पर राज़ी हो गए, और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, जिससे वे (गुनाह व सवाब को) जानते ही नहीं।[4] **(93)**

---

1. 'ताक़त वालों' के ज़िक्र से ख़ास करना मक़सूद नहीं, बल्कि जो ताक़त वाले नहीं यानी इसकी ताक़त व हिम्मत नहीं रखते उनका हाल इससे और भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि जब ताक़त वालों का यह हाल है तो बेताक़तों और कमज़ोरों का तो ज़रूर ही होगा।
2. यूँ तो ईमान के दावे में सब ही मुनाफ़िक़ीन झूठे थे, मगर जो उ़ज़्र करने आए थे उन्होंने अपने दावे को दिखावे में तो निभाया और बाज़े ऐसे घमण्डी और बेबाक थे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर भी न निभाया। वे जैसे दिल में झूठे थे ज़ाहिर में भी उनका झूठ खुल गया।
3. अगर ये लोग अपनी जानकारी में माज़ूर हों और अपनी तरफ़ से ख़ुलूस व इताअ़त में कोशिशें करें और हक़ीक़त में कुछ कमी रह जाए तो माफ़ कर देंगे।
4. ऊपर उन मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र था जिन्होंने रवानगी के वक़्त उ़ज़्र घड़े थे। आगे उनका ज़िक्र है जिन्होंने वापसी के वक़्त बहाने बनाए थे। ये अगली आयतें वापसी से पहले नाज़िल हुईं, जिनमें फ़ानी ग़रज़ों और मख़्लूक़ की रज़ामन्दी हासिल करने के लिए उनकी बहानेबाज़ी के मुताल्लिक़ 'यअ़्तज़िरू-न' (यानी ये लोग तुम सबके सामने उ़ज़्र पेश करेंगे) में पेशीनगोई है। और 'क़ुल् ला तअ़्तज़िरू' और 'फ़-अअ़्रिज़ू' (यानी 'आप सबकी तरफ़ से साफ़ कह दीजिए कि ये उ़ज़्र मत पेश करो', और 'तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो') में इस उ़ज़्र के वक़्त उनके साथ क़ौल व अ़मल के एतिबार से बर्ताव की तालीम है, और साथ-साथ अ़ज़ाब की वईदें यानी धमकियाँ उनको सुनाई गई हैं।

ग्यारहवाँ पारः यअ़्तज़िरू-न

सूरः तौबा (आयत 94 से 129)

ये लोग तुम्हारे (सबके) सामने उ़ज़्र पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे। (सो ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप (सबकी तरफ़ से साफ़) कह दीजिए कि (यह) उ़ज़्र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा न समझेंगे, अल्लाह तआ़ला हमको तुम्हारी (असली हालत की) ख़बर दे चुके हैं। और आगे भी अल्लाह तआ़ला और उसका रसूल तुम्हारी कारगुज़ारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो छुपे और ज़ाहिर सबका जानने वाला है। फिर वह तुमको बतला देगा जो-जो कुछ तुम करते थे। **(94)** (हाँ) वे अब तुम्हारे सामने अल्लाह की क़स्में खा जाएँगे (कि हम माज़ूर थे) जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, वे लोग बिलकुल गन्दे हैं, और (अख़ीर में) उनका ठिकाना दोज़ख़ है, उन कामों के बदले में जो कुछ वे (निफ़ाक़ व मुख़ालिफ़त वग़ैरह) किया करते थे। **(95)** ये इसलिए क़स्में खाएँगे कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम उनसे राज़ी भी हो जाओ तो (उनको क्या नफ़ा, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला तो ऐसे शरीर लोगों से राज़ी नहीं होता।[1] **(96)** (उन मुनाफ़िक़ों में जो) देहाती लोग (हैं वे) कुफ़्र और निफ़ाक़ में बहुत ही सख़्त लोग हैं, और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको उन अहकाम का इल्म न हो जो अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल पर नाज़िल फ़रमाए हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं। **(97)** और उन देहातियों में से बाज़-बाज़ ऐसा है कि जो कुछ वह ख़र्च करता है उसको जुर्माना समझता है, और तुम मुसलमानों के वास्ते (ज़माने की) गर्दिशों का मुन्तज़िर रहता है, बुरा वक़्त उन ही (मुनाफ़िक़ों) पर (पड़ने वाला) है,[2] और अल्लाह तआ़ला सुनते हैं, जानते हैं। **(98)** और बाज़े देहात वाले ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं, और जो कुछ ख़र्च करते हैं उसको अल्लाह के पास क़ुर्ब "यानी निकटता" हासिल होने का ज़रिया और रसूल की दुआ़ का ज़रिया बनाते हैं,[3] याद रखो कि (उनका) यह (ख़र्च करना) बेशक उनके लिए निकटता का सबब है, ज़रूर उनको अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत में दाख़िल कर लेंगे, अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। **(99)** ❖

और जो मुहाजिरीन और अन्सार (ईमान लाने में सबसे) पहले और मुक़द्दम हैं, और (बक़िया उम्मत में) जितने इख़्लास के साथ उनके पैरोकार हैं, अल्लाह उन सबसे राज़ी हुआ और वे सब उससे (यानी अल्लाह से) राज़ी हुए,[4] और उसने (यानी अल्लाह ने) उनके लिए ऐसे बाग़ मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी है। **(100)** और कुछ तुम्हारे आस-पास वाले

---

1. उ़ज़्र करने और हलफ़ उठाने में उनकी दो ग़रज़ें बयान फ़रमाईं, मुँह मोड़ना और रिज़ा। और उसके मुताल्लिक़ तीन हुक्म फ़रमाए, एक 'उ़ज़्र पेश मत करो' दूसरा 'उनको उनकी हालत पर छोड़ दो' तीसरा 'रिज़ा हासिल न होना' जो 'फ़-इन तरज़ौ……' से समझ में आता है।
2. चुनाँचे फ़ुतूहात की वुस्अ़त हुई, कुफ़्फ़ार ज़लील हुए, उनकी सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं और तमाम उम्र रंज व ख़ौफ़ में कटी।
3. क्योंकि आपकी आ़दते शरीफ़ा थी कि ऐसे मौक़ों पर ख़र्च करने वाले को दुआ़ देते थे, जैसा कि हदीसों में है।
4. 'वस्साबिक़ूनल् अव्वलून' में सब मुहाजिरीन व अन्सार आ गए। और 'अल्लज़ीनत्त-बऊहुम्' में बक़िया मोमिनीन, जिनमें पहला दर्जा तो उनका है जो सहाबा हैं, चाहे मुहाजिर व अन्सार न हों, क्योंकि अख़ीर में हिजरत फ़र्ज़ न थी, मुसलमान होकर अपने-अपने घर रहने की इजाज़त थी। और दूसरा दर्जा इस्तिलाही मायने में ताबिईन का है, फिर सहाबा और ताबिईन के अ़लावा का, फिर ख़ुद इस आख़िरी दर्जे में भी अलग-अलग दर्जे हैं कि तब्-ए-ताबिईन फ़ज़ीलत में औरों से मुक़द्दम हैं, जिस तरह सहाबा में मुहाजिरीन व अन्सार दूसरे सहाबा से अफ़ज़ल हैं।

देहातियों में और कुछ मदीना वालों में ऐसे मुनाफ़िक़ हैं, कि निफ़ाक़ की आख़िरी हद को पहुँचे हुए हैं, कि आप (भी) उनको नहीं जानते (कि ये मुनाफ़िक़ हैं, बस) उनको हम ही जानते हैं। हम उनको (यानी मुनाफ़िक़ों को आख़िरत से पहले भी) दोहरी सज़ा देंगे, (एक निफ़ाक़ की दूसरे निफ़ाक़ में हद से बढ़ने की) फिर (आख़िरत में) वे बड़े भारी अ़ज़ाब की तरफ़ भेजे जाएँगे।[1] **(101)** और कुछ और लोग हैं जो अपनी ख़ता के इक़रारी हो गए। जिन्होंने मिले-जुले अ़मल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे, (सो) अल्लाह तआ़ला से उम्मीद है कि उन (के हाल) पर रहमत के साथ तवज्जोह फ़रमाएँ, (यानी तौबा क़बूल कर लें) बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। **(102)** आप उनके मालों में से सदक़ा (जिसको ये लाए हैं) ले लीजिए, जिसके (लेने के) ज़रिये से आप उनको (गुनाह के आसार से) पाक व साफ़ कर देंगे।[2] और उनके लिए दुआ़ कीजिए, बेशक आपकी दुआ़ उनके लिए (दिल के) इत्मीनान का सबब है, और अल्लाह तआ़ला (उनके मान लेने को) ख़ूब सुनते हैं (और उनकी शर्मिन्दगी को) ख़ूब जानते हैं। **(103)** क्या उनको यह ख़बर नहीं कि अल्लाह तआ़ला ही अपने बन्दों की तौबा क़बूल करता है और वही सदक़ों को क़बूल फ़रमाता है, (और क्या उनको ख़बर नहीं कि) अल्लाह तआ़ला ही तौबा क़बूल करने (की सिफ़त में, और) रहमत करने (की सिफ़त) में कामिल हैं। **(104)** और आप कह दीजिए कि (जो चाहो) अ़मल किए जाओ, सो अभी देखे लेता है अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे अ़मल को, और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीज़ों को जानने वाला है। सो वह तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। **(105)** और कुछ और लोग हैं जिनका मामला ख़ुदा का हुक्म आने तक मुल्तवी "यानी स्थगित" है कि उनको सज़ा देगा या उनकी तौबा क़बूल कर लेगा, और अल्लाह ख़ूब जानने वाला है, बड़ा हिक्मत वाला है। **(106)** और (बाज़े ऐसे हैं कि) जिन्होंने (इन ग़रज़ों के लिए) मस्जिद बनाई है कि (इस्लाम को) नुक़सान पहुँचाएँ और (उसमें बैठ-बैठकर) कुफ़्र की बातें करें, और ईमान वालों में फूट डालें,[3] और उस शख़्स के ठहरने का सामान करें जो पहले से ही ख़ुदा और रसूल का मुख़ालिफ़ है।[4] और क़स्में खा जाएँगे कि सिवाय भलाई के हमारी और कुछ

---

1. उनको और मुनाफ़िक़ों से बढ़ा हुआ इसलिए फ़रमाया कि निफ़ाक़ के निफ़ाक़ होने का मदार छुपाना है, और इसमें वे ऐसे बढ़े हुए हैं कि बावजूद यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़हानत, समझ और अ़क़्ल में तमाम जहान से ज़्यादा मुकम्मल हैं, मगर उन्होंने आपको भी पता न चलने दिया।

2. इसी लिए उनकी तौबा क़बूल की और अपनी रहमत से माल क़बूल करने और उनके लिए दुआ़ करने का हुक्म फ़रमाया। पस आइन्दा भी ख़ता या गुनाहों के हो जाने पर तौबा कर लिया करें और अगर तौफ़ीक़ हो तो ख़ैर-ख़ैरात भी किया करें। अगर कोई यह सवाल करे कि जब तौबा से गुनाह माफ़ हो गया तो सदक़े के पाक-साफ़ करने वाला होने के क्या मायने? जवाब इसका यह है कि तौबा से गुनाह तो माफ़ हो जाता है लेकिन कभी-कभी उसका अँधकार और मैल का असर बाक़ी रह जाता है, और अगरचे उसपर पकड़ नहीं लेकिन उससे आइन्दा और गुनाहों के पैदा होने का अन्देशा होता है। पस सदक़े से ख़ुसूसन और दूसरे नेक आमाल से अ़मूमन यह अँधकार और मैल ख़त्म हो जाता है।

3. इस क़िस्से का ख़ुलासा यह है कि शहर मदीना के क़रीब एक मौहल्ला है, क़ुबा उसका नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अव्वल इसी मौहल्ले में ठहरे, फिर शहर में तशरीफ़ ले आए थे। तो वहाँ ठहरने के ज़माने में जिस जगह आप नमाज़ पढ़ते थे वहाँ उस मौहल्ले के मोमिनीन मुख़लिसीन ने एक मस्जिद बनाई थी और उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। मुनाफ़िक़ों में आपस में यह सलाह ठहरी कि एक मकान मस्जिद के नाम से अलग बनाया जाए और उसमें सब जमा होकर इस्लाम को नुक़सान पहुँचाने के मश्विरे किया करें। ग़रज़ मस्जिद की शक्ल पर वह मकान तैयार हुआ तो आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर दरख़्वास्त की कि आप वहाँ चलकर नमाज़ पढ़ लीजिए तो फिर वहाँ जमाअ़त होने लगे। आपने वायदा कर लिया कि तबूक से वापस आकर उसमें नमाज़ पढ़ूँगा। अल्लाह तआ़ला ने इन आयतों में आपको असल हक़ीक़त की इत्तिला कर दी और वहाँ नमाज़ पढ़ने की ग़रज़ से जाने से मना फ़रमा दिया। चुनाँचे आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को भेजकर उसको आग लगवा दी और गिरवा दिया। उस मस्जिद का लक़ब मस्जिदे-ज़रार मश्हूर है, इस वजह से कि वह ज़रर यानी नुक़सान का सबब थी।

4. मुराद अबू आ़मिर राहिब है।

नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वे बिलकुल झूठे हैं। **(107)** आप उसमें कभी (नमाज़ के लिए) खड़े न हों, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तक़्वे पर रखी गई है। (मुराद मस्जिदे क़ुबा है) वह (वाक़ई) इस लायक़ है कि आप उसमें (नमाज़ के लिए) खड़े हों।[1] उसमें ऐसे आदमी हैं कि वे ख़ूब पाक होने को पसन्द करते हैं, और अल्लाह तआ़ला ख़ूब पाक होने वालों को पसन्द करता है। **(108)** फिर क्या ऐसा शख़्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत (यानी मस्जिद) की बुनियाद अल्लाह तआ़ला से डरने पर और उसकी की रिज़ा पर रखी हो, या वह शख़्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी (यानी गुफा) के किनारे पर रखी हो जो कि गिरने ही को हो, फिर वह (इमारत) उस (बनाने वाले) को लेकर दोज़ख़ की आग में गिर पड़े, और अल्लाह तआ़ला ऐसे ज़ालिमों को (दीन की) समझ नहीं देता। **(109)** उनकी (यह) इमारत जो उन्होंने बनाई है (हमेशा) उनके दिलों में (काँटा-सा) खटकती रहेगी, (हाँ) मगर उनके (वे) दिल ही (अगर) फ़ना हो जाएँ तो ख़ैर,[2] और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं।[3] **(110)** ❖

बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों से उनकी जानों और उनके मालों को इस बात के बदले ख़रीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वे लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, (जिसमें) क़त्ल करते हैं और क़त्ल किए जाते हैं,[4] इसपर सच्चा वायदा (किया गया) है तौरात में (भी) और इन्जील में (भी) और क़ुरआन में (भी) और (यह मुसल्लम है कि) अल्लाह से ज़्यादा अपने अ़हद को कौन पूरा करने वाला है। तो तुम लोग अपने इस बेचने पर जिसका तुमने उससे (यानी अल्लाह पाक से) मामला ठहराया है ख़ुशी मनाओ,[5] और यह बड़ी कामयाबी है। **(111)** वे ऐसे हैं जो (गुनाहों से) तौबा करने वाले हैं (और अल्लाह की) इबादत करने वाले (और) तारीफ़ करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकूअ़ करने वाले, (और) सज्दा करने वाले, नेक बातों की तालीम करने वाले, और बुरी बातों से रोकने वाले, और अल्लाह की हदों का (यानी उसके अहकाम का) ख़्याल रखने वाले (हैं), और ऐसे मोमिनीन कि (जिनमें जिहाद और ये सिफ़तें हैं) आप ख़ुशख़बरी सुना दीजिए।[6] **(112)** पैग़म्बर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुश्रिकों के लिए मग़्फ़िरत की दुआ़ माँगें, अगरचे वे रिश्तेदार ही (क्यों न) हों, इस (बात) के उनपर ज़ाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़ख़ी हैं।[7] **(113)** और इब्राहीम का अपने बाप के लिए मग़्फ़िरत की दुआ़ माँगना, वह (भी) सिर्फ़ वायदे के सबब था, जो उन्होंने उससे वायदा कर लिया था। फिर जब उनपर यह बात ज़ाहिर हो गई कि वह ख़ुदा का दुश्मन है (यानी काफ़िर

---

1. चुनाँचे कभी-कभी आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते और नमाज़ पढ़ते।
2. 'मगर यह कि उनके वे दिल ही फ़ना हो जाएँ' का यह मतलब नहीं कि मौत आने या फ़ना होने के बाद राहत हो जाएगी, बल्कि यह मुहावरों में किनाया है हमेशा की हसरत में रहने का।
3. ऊपर जिहाद में पीछे हट जाने वालों की मज़म्मत (निंदा) थी, आगे मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत, फिर उनमें से ख़ास कामिलीन की, जिनमें इसके साथ दूसरी ईमानी सिफ़तें भी हों, उनकी तारीफ़ ज़िक्र की गई है।
4. यानी वह बैअ़ (सौदा) जिहाद करना है, चाहे उसमें क़ातिल होने की नौबत आए या मक़्तूल होने की।
5. क्योंकि इस बैअ़ पर तुमको ज़िक्र हुए वायदे के मुताबिक़ जन्नत मिलेगी।
6. इन सिफ़तों की क़ैद लगाने का यह मतलब नहीं कि बिना इन सिफ़तों के जिहाद का सवाब नहीं मिलता। बल्कि मतलब यह है कि इन सबके इकट्ठा होने से सवाब और फ़ज़ीलत में और ज़्यादती और क़ुव्वत हो जाती है, ताकि ख़ाली जिहाद पर न बैठ जाएँ, बल्कि इन इबादतों को भी हमेशा बजा लाएँ।
7. वजह इस मना करने की यह हुई कि अबू तालिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तक मुझको मनाही न होगी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। इसपर और मुसलमानों ने भी अपने मुश्रिक होने की हालत में मौत पाए हुए रिश्तेदारों के लिए इस्तिग़फ़ार शुरू किया, तो इस आयत में इसकी मनाही आई। बाज़ को शुब्हा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी तो अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार फ़रमाया था, इसपर अगली आयत में जवाब नाज़िल हुआ।

होकर मरा) तो वह उससे बिलकुल बेताल्लुक़ हो गए, वाक़ई इब्राहीम बड़े रहम मिज़ाज वाले, तबीयत के हलीम थे। **(114)** और अल्लाह तआ़ला ऐसा नहीं करता कि किसी क़ौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि उन चीज़ों को साफ़-साफ़ न बतला दे जिनसे वे बचते रहें। बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानते हैं। **(115)** (और) बेशक अल्लाह ही की हुकूमत है, आसमानों और ज़मीन की, वही जिलाता है और मारता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई यार है और न मददगार। **(116)** अल्लाह ने पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाल) पर तवज्जोह फ़रमाई,[1] और मुहाजिरीन और अन्सार (के हाल) पर भी,[2] जिन्होंने (ऐसी) तंगी के वक़्त में पैग़म्बर का साथ दिया,[3] इसके बाद कि उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ हलचल हो चली थी, फिर उसने (यानी अल्लाह ने) उन (के हाल) पर तवज्जोह फ़रमाई। बेशक अल्लाह उन सबपर बहुत ही शफ़ीक़ (और) मेहरबान है। **(117)** और उन तीन शख़्सों (के हाल) पर भी (तवज्जोह फ़रमाई) जिनका मामला मुल्तवी "यानी स्थगित" छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब (उनकी परेशानी की यह नोबत पहुँची कि) ज़मीन बावजूद अपनी फ़राख़ी के उनपर तंगी करने लगी और वे ख़ुद अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि ख़ुदा (की गिरफ़्त) से कहीं पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इसके कि उसी की तरफ़ रुजू किया जाए। (उस वक़्त वे ख़ास तवज्जोह के क़ाबिल हुए), फिर उन (के हाल) पर (भी ख़ास) तवज्जोह फ़रमाई, ताकि वे (आइन्दा भी) रुजू (रहा) करें, बेशक अल्लाह तआ़ला बहुत तवज्जोह फ़रमाने वाले, बड़े रहम करने वाले हैं।[4] **(118)** ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और (अ़मल में) सच्चों के साथ रहो। **(119)** मदीना के रहने वालों को और जो देहाती उनके आस-पास में (रहते) हैं उनको यह मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का साथ न दें, और न यह (चाहिए था) कि अपनी जान को उनकी जान से ज़्यादा प्यारा समझें। (और) यह (साथ जाने का ज़रूरी होना) इस सबब से है कि उनको (यानी रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जाने वालों को) अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकान पहुँची और जो भूख लगी और जो चलना चले, जो काफ़िरों के लिए नाराज़गी और गुस्से का सबब हुआ हो, और दुश्मनों की जो कुछ ख़बर ली, उन सबपर उनके नाम एक-एक नेक काम लिखा गया (अगर ये साथ जाते तो इनके नाम भी लिखा जाता), यक़ीनन अल्लाह तआ़ला मुख़्लिसीन का अज्र ज़ाया नहीं करते। **(120)** और (यह भी कि) जो कुछ छोटा-बड़ा उन्होंने ख़र्च किया और जितने मैदान उनको तय करने पड़े, यह सब भी उनके नाम (नेकियों में)

---

1. कि आपको नुबुव्वत, जिहाद की इमामत और तमाम ख़ूबियाँ अ़ता फ़रमाईं।

2. कि उनको ऐसी मशक़्क़त के जिहाद में साबित क़दम रखा।

3. तबूक की लड़ाई के ज़माने को 'तंगी का वक़्त' इस वास्ते फ़रमाया कि सख़्त गर्मी का वक़्त था, सफ़र लम्बा था, मुक़ाबला तर्बियत-याफ़्ता लश्कर से था, सवारी की बहुत कमी थी। खाने-पीने के सामान की कमी इस क़द्र थी कि एक-एक छुआरा दो-दो शख़्सों में तक़सीम होता था। बाज़ दफ़ा एक छुआरे को एक के बाद एक कई-कई आदमी चूसते थे, सवारी के ऊँट ज़िब्ह करने पड़े, उनकी अंतड़ियों को निचोड़कर पीना पड़ा।

4. किसी शख़्स को उसके शरीअ़त के ख़िलाफ़ कोई काम करने पर यह सज़ा देना कि उससे सलाम व कलाम बँद कर दें, यह जायज़ है। और हदीसों में जो मनाही आई है कि तीन दिन से ज़्यादा बातचीत बन्द न करें मुराद उससे वह है जिसका सबब कोई दुनियावी रंज हो।

लिखा गया ताकि अल्लाह उनको उनके (उन सब) कामों का अच्छे-से-अच्छा बदला दे।[1] **(121)** और (हमेशा के लिये) मुसलमानों को यह (भी) न चाहिए कि (जिहाद के लिये) सब-के-सब (ही) निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों न किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमाअ़त में से एक छोटी जमाअ़त (जिहाद में) जाया करे ताकि बाक़ी रहने वाले लोग दीन की समझ-बूझ हासिल करते रहें, और ताकि ये लोग अपनी (उस) क़ौम को जबकि वे उनके पास वापस आएँ, डराएँ। ताकि वे (उनसे दीन की बातें सुनकर बुरे कामों से) एहतियात रखें।[2] **(122)** ❖

ऐ ईमान वालो! उन कुफ़्फ़ार से लड़ो जो तुम्हारे आस-पास (रहते) हैं,[3] और उनको तुम्हारे अन्दर सख़्ती पाना चाहिए,[4] और यह यक़ीन रखो कि अल्लाह की (इम्दाद) मुत्तक़ी लोगों के साथ है। ◆ **(123)** (पस उनसे डरो मत) और जब कोई (नई) सूरः नाज़िल की जाती है तो उन (मुनाफ़िक़ों) में से बाज़ ऐसे हैं जो (ग़रीब मुसलमानों से मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) कहते हैं कि (कहो) इस (सूरः) ने तुममें से किसके ईमान में तरक़्क़ी दी। सो (सुनो) जो लोग ईमान वाले हैं उस (सूरः) ने उनके (तो) ईमान में तरक़्क़ी दी है और वे (उस तरक़्क़ी के पाने से) ख़ुश हो रहे हैं। **(124)** और जिनके दिलों में (निफ़ाक़ की) बीमारी है, उस (सूरः) ने उनमें उनकी (पहली) गन्दगी के साथ और (नई) गन्दगी बढ़ा दी, और वे कुफ़्र ही की हालत में मर गए।[5] **(125)** और क्या उनको नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल में एक बार या दो बार किसी न किसी आफ़त में फँसे रहते हैं (मगर) फिर भी (अपनी बुरी हरकतों से) बाज़ नहीं आते, और न वे कुछ समझते हैं (जिससे आइन्दा बाज़ आने की उम्मीद हो)। **(126)** और जब कोई (नई) सूरः नाज़िल की जाती है तो एक-दूसरे को देखने लगते हैं (और इशारे से बातें करते हैं) कि तुमको कोई (मुसलमान) देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। (ये लोग हुज़ूरे पाक की मज्लिस से क्या फिरे) ख़ुदा तआ़ला ने उनका दिल (ही ईमान से) फेर दिया है, इस वजह से कि वे बिलकुल बे-समझ लोग हैं (कि अपने नफ़े से भागते हैं)। **(127)** (ऐ लोगो!) तुम्हारे पास एक ऐसे पैग़म्बर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स (बशर) से हैं, जिनको तुम्हारी नुक़सान की बात निहायत भारी गुज़रती है,[6] जो तुम्हारे फ़ायदे के बड़े इच्छुक रहते हैं, (यह हालत तो सबके साथ है, ख़ास तौर पर) ईमान वालों के साथ बड़े ही शफ़ीक़ (और) मेहरबान हैं। **(128)** फिर अगर ये मुँह मोड़ें तो आप कह दीजिए (मेरा क्या नुक़सान है) कि मेरे लिए (तो) अल्लाह (हिफ़ाज़त करने वाला और मदद करने वाला) काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद होने के लायक़ नहीं, मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और वह बड़े भारी अ़र्श का मालिक है। **(129)** ❖

---

1. ऊपर जो पीछे रह जाने वालों के बारे में मलामत के मज़ामीन नाज़िल हुए उससे आइन्दा के लिए शुब्हा हो सकता था कि हमेशा के लिए सबके ज़िम्मे जिहाद में जाना ज़रूरी होगा, इसलिए आगे हर शख़्स के जाने का फ़र्ज़ न होना बयान फ़रमाते हैं।
2. बाक़ी बचे लोगों के रह जाने में जो मस्लहतें हैं उनमें से एक बड़ी मस्लहत को जो कि दीनी मस्लहत है, ज़िक्र फ़रमा दिया। इसके अ़लावा दुनिया की भी मस्लहतें हैं जो ज़ाहिर होने की वजह से ज़िक्र की मोहताज नहीं। जैसे सबके चले जाने में ख़ुद दारुल-इस्लाम का क़ब्ज़े से निकल जाना भी मुम्किन है।
3. ऊपर चन्द आयतों में जिहाद की तरग़ीब थी, अब उसकी तरतीब मय उसके मुताल्लिक़ चन्द चीज़ों के ज़िक्र है। हासिल तरतीब का ज़ाहिर है कि अव्वल पास वालों से निबटना चाहिए, फिर बक़िया में जो सबसे पास के हों, और इसी पर आगे क़ियास कर लिया जाए। और इस तरतीब के ख़िलाफ़ में जो ख़राबियाँ हैं वे ज़ाहिर हैं, चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो अपने इख़्तियार से ग़ज़वात (लड़ाइयाँ) फ़रमाए और सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने भी, सबमें यही तरतीब अपनाई है।
4. यानी जिहाद के वक़्त भी मज़बूत रहना चाहिए। और वैसे भी सुलह के ज़माने को छोड़कर उनसे ढीलापन न बरतना चाहिए।
5. यानी जो उनमें मर चुके वे काफ़िर मरे और जो इसी ज़िद व हठ पर रहेंगे, वे काफ़िर मरेंगे। जवाब का हासिल यह है कि क़ुरआन में ईमान को तरक़्क़ी देने की बेशक ख़ासियत है लेकिन जगह और मक़ाम में क़ाबलियत भी तो हो। और अगर पहले से गन्दगी जड़ जमाए हुए है तो और भी उसकी जड़ मज़बूत हो जाएगी। जैसे बारिश कि हर जगह एक-सी होती है, लेकिन उसी बारिश से किसी जगह फूल-फल और ख़ूबसूरत पौधे पैदा होते हैं और उसी बारिश से दूसरी जगह काँटे और झाड़-झन्काड़ पैदा होते हैं। इसमें क़ुसूर बारिश का नहीं बल्कि क़ुसूर उस ज़मीन और जगह की क़ाबलियत का है।
6. यानी चाहते हैं कि तुमको कोई नुक़सान न पहुँचे।

10 सूरः यूनुस 51

सूरः यूनुस मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 109 आयतें और 11 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

ये हिक्मत से भरी किताब (यानी कुरआन) की आयतें हैं।[1] **(1)** क्या उन (मक्का के) लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख़्स के पास वह्य भेज दी कि (ख़ुदा तआ़ला के अहकाम के ख़िलाफ़ करने पर) सब आदमियों को डराइए, और जो ईमान ले आएँ उनको यह ख़ुशख़बरी सुनाइए कि उनके रब के पास (पहुँचकर) उनको पूरा मर्तबा मिलेगा। काफ़िर कहने लगे (हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं) कि यह शख़्स तो बिला शुब्हा खुला जादूगर है। **(2)** बेशक तुम्हारा (हक़ीक़ी) रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को छह दिन (की मात्रा) में पैदा कर दिया, फिर अ़र्श (यानी तख़्ते शाही) पर क़ायम हुआ,[2] वह हर काम की (मुनासिब) तदबीर करता है, (उसके सामने) कोई सिफ़ारिश करने वाला (सिफ़ारिश) नहीं (कर सकता) बिना उसकी इजाज़त के। ऐसा अल्लाह तुम्हारा (हक़ीक़ी) रब है, सो तुम उसकी इबादत करो (और शिर्क मत करो), क्या तुम (इन दलीलों के सुनने के बाद) फिर भी नहीं समझते। **(3)** तुम सबको उसी के (यानी अल्लाह ही के) पास जाना है, अल्लाह ने (इसका) सच्चा वायदा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर (क़ियामत में) वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इन्साफ़ के साथ (पूरा-पूरा) बदला दे। और जिन लोगों ने कुफ़्र किया उनके वास्ते (आख़िरत में) पीने को खौलता हुआ पानी मिलेगा और दर्दनाक अ़ज़ाब होगा, उनके कुफ़्र की वजह से। **(4)** वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चाँद को (भी) नूरानी बनाया, और उस (की चाल) के लिए मन्ज़िलें मुक़र्रर कीं, ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो।[3] अल्लाह तआ़ला ने ये चीज़ें बेफ़ायदा पैदा नहीं कीं। वह ये दलीलें उन लोगों को साफ़-साफ़ बतला रहे हैं जो समझ रखते हैं।[4] **(5)** बेशक रात और दिन के एक के बाद एक के आने में और अल्लाह ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में पैदा किया है उन सबमें उन लोगों के वास्ते (तौहीद की) दलीलें हैं जो डर मानते हैं। **(6)** जिन लोगों को हमारे

---

1. इस पूरी सूरः का हासिल चन्द मज़ामीन हैं। अव्वल तौहीद का साबित करना, दूसरे रिसालत का साबित करना, तीसरे क़ुरआन का साबित करना, चौथे आख़िरत का साबित करना, पाँचवे बाज़ वाक़िआ़त के ज़रिये तंबीह करना। और अव्वल के तहत में शिर्क को बातिल करना, और दूसरे के तहत में उसके मुताल्लिक़ बाज़ शुब्हात का जवाब, और तीसरे के तहत में उसके यानी आख़िरत के झुठलाने पर रद्द करना, और चौथे के तहत में बदले व सज़ा और दुनिया के फ़ना होने का बयान, और पाँचवे के तहत में बाज़ शुब्हात का जवाब और आपकी तसल्ली के मज़ामीन ज़िक्र हैं। और ये सब मज़ामीन कुफ़्फ़ार के साथ मुक़ाबला और मुनाज़रा हैं। और पहली सूरः में भी उनसे मुक़ाबला था, अगरचे वहाँ तलवार से था और यहाँ ज़बान से है, और वहाँ काफ़िरों के मुख़्तलिफ़ फ़िर्क़ों से था और यहाँ सिर्फ़ मुश्रिकीन से है। चुनाँचे आयतों में ग़ौर करने से ये सब बातें ज़ाहिर हो सकती हैं। इस तक़रीर से दोनों सूरः में भी और इस सूरः के हिस्सों में एक दूसरे के साथ भी मुनासबत व ताल्लुक़ ज़ाहिर हो गया।

2. यानी ज़मीन व आसमान में अहकाम जारी करने लगा।

3. मन्ज़िल से मुराद वह दूरी है जिसको कोई सितारा दिन-रात में तय कर ले, चाहे वह दूरी ख़ला (यानी ख़ाली जगह) हो या मला (यानी भरी हुई जगह) हो। और इस मायने के एतिबार से सूरज भी मन्ज़िलों वाला है, लेकिन चूँकि चाँद की चाल सूरज के मुक़ाबले में तेज़ है और उसका मन्ज़िलों को तय करना महसूस है। इसलिए उसके साथ मन्ज़िलों में चलने की तख़्सीस मुनासिब हुई, और इस एतिबार से चाँद की उन्तीस या तीस मन्ज़िलें हुई। मगर चूँकि अट्ठाईस रात से ज़्यादा नज़र नहीं आता **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 376 पर)**

पास आने का खटका नहीं है और वे दुनियावी ज़िन्दगी पर राज़ी हो गए हैं (आख़िरत की तलब बिलकुल नहीं करते) और उसमें जी लगा बैठे हैं (आइन्दा की कुछ ख़बर नहीं), और जो लोग हमारी आयतों से बिलकुल ग़ाफ़िल हैं, **(7)** ऐसे लोगों का ठिकाना उनके आमाल की वजह से दोज़ख़ है। **(8)** (और) यक़ीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनके मोमिन होने की वजह से उनके मक़सद (यानी जन्नत) तक पहुँचा देगा। उनके (ठिकाने के) नीचे नहरें जारी होंगी, चैन के बाग़ों में। **(9)** उनके मुँह से यह बात निकलेगी कि सुब्हानल्लाह! और उनका आपस में सलाम उसमें यह होगा, अस्सलामु अ़लैकुम! और उनकी (उस वक़्त की उन बातों में) आख़िरी बात यह होगी, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन।[1] **(10)** ❖

और अगर अल्लाह तआ़ला लोगों पर (उनके जल्दी मचाने के मुवाफ़िक़) जल्दी से नुक़सान डाल दिया करता, जिस तरह वे फ़ायदे के लिए जल्दी मचाते हैं तो उनका (अ़ज़ाब का) वायदा कभी का पूरा हो चुका होता। सो (इसलिए) हम उन लोगों को जिनको हमारे पास आने का खटका नहीं है, उनके हाल पर (बिना अ़ज़ाब चन्द दिन) छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहें।[2] **(11)** और जब इनसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमको पुकारने लगता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी,[3] फिर जब हम उसकी वह तकलीफ़ उससे हटा देते हैं तो फिर अपनी पहली हालत पर आ जाता है कि गोया जो तकलीफ़ उसको पहुँची थी उसके (हटाने) के लिए कभी हमको पुकारा ही न था। उन हद से निकलने वालों के (बुरे) आमाल उनको इसी तरह अच्छे मालूम होते हैं (जिस तरह हमने अभी बयान किया है)। **(12)** और हमने तुमसे पहले बहुत-से गिरोहों को (तरह-तरह के अ़ज़ाब से) हलाक कर दिया है, जबकि उन्होंने ज़ुल्म किया (यानी कुफ़्र व शिर्क) हालाँकि उनके पास उनके पैग़म्बर दलीलें लेकर आए, और वे (अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी के सबब) ऐसे कब थे कि ईमान ले आते, हम मुज्रिम लोगों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं (जैसा कि हमने अभी बयान किया है)। **(13)** फिर उनके बाद दुनिया में उनकी जगह हमने तुमको आबाद किया ताकि ज़ाहिरी तौर पर हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। **(14)** और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिलकुल साफ़-साफ़ हैं तो ये लोग जिनको हमारे पास आने का खटका नहीं है, (आपसे यूँ) कहते हैं कि इसके

(पृष्ठ 374 का शेष) इसलिए अट्ठाईस मन्ज़िलें उसकी मश्हूर हैं। और अगरचे सूरज व चाँद दोनों सालों की गिनती करने और हिसाब के आलात (यन्त्रों) में से हैं लेकिन सूरज का चक्कर एक साल में पूरा होने की वजह से ज़्यादा मुनासिब यह है कि सालों की गिनती को सूरज के मुताल्लिक़ किया जाए और उससे छोटे हिसाब को चाँद के मुताल्लिक़ किया जाए, और इसी वास्ते हिसाब का लफ़्ज़ बढ़ाया गया, ख़ास करने के बाद अ़मूमियत पैदा करने के लिए।

4. यूँ तो दलाइल उन लोगों के लिए भी बयान किए गए हैं जो इल्म और तक़्वे वाले नहीं, मगर यह ख़ास करना इसलिए है कि इन दलाइल से फ़ायदा अहले इल्म और मुत्तक़ी लोग ही उठाते हैं।

1. ऊपर 'उलाइ-क मअ्वाहुमुन्नारु' (यानी ऐसे लोगों का ठिकाना उनके आमाल की वजह से दोज़ख़ है) में कुफ़्फ़ार का आख़िरत में अ़ज़ाब में होना बयान फ़रमाया है। ऐसे मज़ामीन पर काफ़िर झुठलाने की ग़रज़ से कहा करते कि हम तो अ़ज़ाब को हक़ जब समझें कि हमपर यहाँ दुनिया ही में अ़ज़ाब नाज़िल हो जाए, और उसके बाद अ़ज़ाब नाज़िल न होने से आख़िरत में अ़ज़ाब न होने का जो शुब्हा हो सकता था, आगे उसका जवाब इर्शाद होता है।

2. जो शर और फ़साद ज़ाहिर होता है उसमें किसी ख़ास शख़्स या आ़म मस्लहत के एतिबार से कोई ख़ैर छुपी होती है। और जिस ख़ैर में देर और ताख़ीर होती है इसी तरह उसमें कोई शर और बुराई छुपी होती है, तो शर का ज़ाहिर होना हक़ीक़त में ख़ैर का आना है, और उस ख़ैर का ज़ाहिर न होना हक़ीक़त में शर और बुराई का ज़ाहिर न होना है।

3. ऊपर तौहीद का ज़िक्र हुआ है, यहाँ शिर्क का बातिल होना एक ख़ास अन्दाज़ पर बयान फ़रमाते हैं। वह यह कि मुसीबत में ख़ुद मुश्रिक लोग भी ख़ुदा के सिवा सबको छोड़ बैठते हैं। पस शिर्क हक़ीक़त में जिस तरह बातिल है उसी तरह उसके मानने वालों के तरीक़ा-ए-अ़मल से भी वह लचर साबित होता है।

सिवा कोई (पूरा) दूसरा कुरआन (ही) लाइए, या (कम-से-कम) इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप (यूँ) कह दीजिए कि मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ़ से इसमें तरमीम कर दूँ। बस मैं तो उसी का इत्तिबा करूँगा जो मेरे पास वह्य के ज़रिये से पहुँचा है, अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूँ तो मैं एक बड़े भारी दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा रखता हूँ। **(15)** आप (यूँ) कह दीजिए कि अगर ख़ुदा तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो न तो मैं तुमको यह (कलाम) पढ़कर सुनाता, और न वह (यानी अल्लाह तआ़ला) तुमको इसकी इत्तिला देता,[1] क्योंकि इससे पहले भी तो मैं उम्र के एक बड़े हिस्से तक तुममें रह चुका हूँ। फिर क्या तुम इतनी अ़क़्ल नहीं रखते?[2] **(16)** सो उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे या उसकी आयतों को झूठा बतला दे। यक़ीनन ऐसे मुज्रिमों को हरगिज़ फ़लाह न होगी, (बल्कि हमेशा के अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे)। **(17)** और ये लोग अल्लाह (की तौहीद) को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको नुक़सान पहुँचा सकें और न उनको नफ़ा पहुँचा सकें। और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफ़ारिश करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम ख़ुदा तआ़ला को ऐसी चीज़ों की ख़बर देते हो जो ख़ुदा तआ़ला को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, वह पाक और बरतर है उन लोगों के शिर्क से। **(18)** और तमाम आदमी एक ही तरीक़े के थे,[3] फिर (अपनी ग़लत राय से) उन्होंने इख़्तिलाफ़ पैदा कर लिया। और अगर एक बात न होती जो आपके रब की तरफ़ से पहले तय हो चुकी है तो जिस चीज़ में ये लोग इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं उनका क़तई फ़ैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता। **(19)** और ये लोग (यूँ) कहते हैं कि उनके रब की तरफ़ से उनपर कोई मोजिज़ा क्यों नाज़िल नहीं हुआ?[4] सो आप फ़रमा दीजिए कि ग़ैब की ख़बर सिर्फ़ ख़ुदा को है (मुझको नहीं), सो तुम भी मुन्तज़िर रहो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा हूँ।[5] **(20)** ❖

और जब हम लोगों को इसके बाद कि उनपर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो, किसी नेमत का मज़ा चखा देते हैं तो फ़ौरन ही हमारी आयतों के बारे में शरारत करने लगते हैं,[6] आप कह दीजिए कि अल्लाह तआ़ला (इस शरारत की) सज़ा बहुत जल्द देगा। यक़ीनन हमारे भेजे हुए (यानी फ़रिश्ते) तुम्हारी सब शरारतों को लिख रहे हैं। **(21)** वह (अल्लाह) ऐसा है कि तुमको ख़ुश्की और दरिया में लिए-लिए फिरता है,[7] यहाँ तक कि कई बार जब तुम कश्ती में सवार होते हो और वे (कश्तियाँ) लोगों को मुवाफ़िक़ हवा के ज़रिये से लेकर चलती हैं और वे लोग उन (की रफ़्तार) से ख़ुश होते हैं, (उस हालत में अचानक) उनपर (मुख़ालिफ़) हवा का एक झोंका आता है, और हर तरफ़ से उनपर लहरें (उठी चली) आती हैं, और वे समझते हैं कि (बुरे) आ घिरे, (उस

---

1. पस जब मैं तुमको सुना रहा हूँ और मेरे ज़रिये से तुमको इत्तिला हो रही है तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला को इस मोजिज़ (यानी आ़जिज़ कर देने वाले और इनसानी ताक़त से बाहर) कलाम का सुनवाना और इत्तिला करना मन्ज़ूर हुआ। और सुनाना और इत्तिला देना बिना वह्य के इस वजह मुम्किन नहीं कि यह कलाम इनसानी ताक़त से बाहर है। इससे मालूम हुआ कि वह वह्य अल्लाह की तरफ़ से है और अल्लाह का कलाम है।

2. यानी अगर यह मेरा कलाम है तो या तो इतनी मुद्दत तक एक जुम्ला भी इस तरह का न निकला, और या एक दम इतनी बड़ी बात बना ली, यह तो बिलकुल अ़क़्ल के ख़िलाफ़ है। इसके मोजिज़ा होने के सुबूत में 'फ़-क़द लबिस्तु फ़ीकुम......' से दलील पकड़ना नीचे के दर्जे पर उतरकर है, यानी इस्तिदलाल यह है कि 'इस जैसी कोई सूरः लाकर दिखाओ' और इसमें कोई दूर का एहतिमाल निकालना कि शायद आ़म लोग इसपर क़ादिर न हों, आप क़ादिर हों। इस एहतिमाल और शुब्हा पर यह जवाब दिया है कि अचानक ऐसे आला तर्ज़ का इतना बड़ा कलाम पेश कर देना ख़िलाफ़े आ़दत (यानी आ़म इनसानों के मामूल और ताक़त से बाहर) है, और मोजिज़ा होने में ख़िलाफ़े आ़दत (यानी आ़म इनसानों के मामूल और ताक़त से बाहर होने) पर ही मदार होता है।

3. यानी सब मुसलमान थे, क्योंकि आदम अ़लैहिस्सलाम मुसलमान और ख़ुदा को मानने वाले थे। बहुत मुद्दत तक उनकी औलाद उन ही के तरीक़े पर रही। पस सब मुसलमान (मुवह्हिद) रहे। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 380 पर)**

वक़्त) ख़ालिस एतिक़ाद करके सब अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, (कि ऐ अल्लाह) अगर आप हमको इस (मुसीबत) से बचा लें तो हम ज़रूर हक़ को पहचानने वाले (तौहीद के इक़रारी) बन जाएँ। **(22)** फिर जब अल्लाह तआ़ला उनको (उस तबाही से) बचा लेता है तो फ़ौरन ही वे (चारों तरफ़) ज़मीन में नाहक़ की सरकशी करने लगते हैं।[1] ऐ लोगो! (सुन लो) यह तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाले (जान) होने वाली है, (बस) दुनियावी ज़िन्दगी में (उससे थोड़ा-सा) फ़ायदा उठा रहे हो, फिर हमारे पास तुम सबको आना है, फिर हम तुम्हारा किया हुआ सब कुछ तुमको जतला देंगे (और उसकी सज़ा देंगे)।[2] **(23)** बस दुनियावी ज़िन्दगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उस (पानी) से ज़मीन के पेड़-पौधे जिनको आदमी और चौपाए खाते हैं ख़ूब घने होकर निकले, यहाँ तक कि जब वह ज़मीन अपनी रौनक़ का (पूरा हिस्सा) ले चुकी और उसकी ख़ूब ज़ेबाइश "यानी सँवरना" हो गई[3] और उसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इसपर बिलकुल क़ाबिज़ हो चुके, तो (ऐसी हालत में) दिन में या रात में हमारी तरफ़ से कोई हादसा आ पड़ा (जैसे पाला या सूखा या और कुछ) सो हमने उसको ऐसा साफ़ कर दिया गोया कल वह (यहाँ) मौजूद ही न थी। हम इसी तरह आयतों को साफ़-साफ़ बयान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं। **(24)** और अल्लाह तआ़ला दारुल-बक़ा "यानी आख़िरत" की तरफ़ तुमको बुलाता है, और जिसको चाहता है सही रास्ते (पर चलने) की तौफ़ीक़ दे देता है। **(25)** जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते ख़ूबी (जन्नत) है, और उसपर यह भी कि (ख़ुदा का दीदार) भी, और उनके चेहरों पर न (ग़म की) कदूरत छाएगी और न ज़िल्लत, ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। **(26)** और जिन लोगों ने बुरे काम किए[4] उनकी बदी की सज़ा उसके बराबर मिलेगी, और उनको ज़िल्लत घेर लेगी, उनको अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से कोई न बचा सकेगा। (उनके चेहरों की कदूरत की ऐसी हालत होगी कि) गोया उनके चेहरों पर अन्धेरी रात के परत-के-परत लपेट दिए गए हैं। ये लोग दोज़ख़ (में रहने) वाले हैं, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे।[5] **(27)** और (वह दिन भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जिस दिन हम उन सब (मख़्लूक़ात) को (क़ियामत के मैदान में) जमा

(पृष्ठ 378 का शेष) **4.** यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर।

5. ख़ुलासा यह कि इन चीज़ों को रिसालत के मन्सब या उसके मुताल्लिक़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं नहीं जानता न मुझको कोई दख़ल, असल मक़सूद के साबित करने के लिए अलबत्ता हर वक़्त तैयार हूँ और साबित भी कर चुका हूँ।

6. यानी उनसे किनारा करते हैं और उनके साथ झुठलाने और हँसी उड़ाने से पेश आते हैं, और एतिराज़ व बैर के तौर पर दूसरे मोजिज़ों की फ़रमाइश करते हैं, और गुज़री मुसीबत से सबक़ हासिल नहीं करते। पस एतिराज़ का सबब अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुई आयतों से मुँह मोड़ना है और इस मुँह मोड़ने की वजह ऐश व मस्ती में मश्ग़ूलियत है।

7. यानी जिन आलात (यन्त्रों) व असबाब से तुम चलते-फिरते हो, वे सब अल्लाह ही के दिए हुए हैं।

1. यानी वही शिर्क और नाफ़रमानी।

2. ऊपर 'या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़्युकुम.....' में फ़रमाया था कि दुनिया में कुफ़्र और नाफ़रमानी के साथ तुम्हारी यह कामयाबी चन्द दिन की है, फिर आख़िरत में इसकी सज़ा भुगतना है। आगे दुनिया का फ़ानी होना और आख़िरत की जज़ा व सज़ा का बाक़ी होना मय जज़ा व सज़ा की तफ़सील और उसके हक़दारों के ज़िक्र की गई है।

3. यानी हरियाली से अच्छी मालूम होने लगी।

4. यानी शिर्क व कुफ़्र किया।

5. ऊपर मुशिरकों के हक़ में फ़रमाया था 'उनको अल्लाह के अ़ज़ाब से कोई बचा न सकेगा' इसलिए कि वे लोग अपने माबूदों को अपना शफ़ाअ़त करने वाला कहते थे। आगे उन माबूदों का उन इबादत करने वालों से क़ियामत में बेताल्लुक़ी ज़ाहिर करना, जिसके लिए नफ़ा न होना लाज़िम है, बयान फ़रमाते हैं।

करेंगे, फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो। फिर हम उन (इबादत करने वालों और उनके माबूदों) के दरमियान में फूट डालेंगे, और उनके वे शुरका (उनसे ख़िताब करके) कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। **(28)** सो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी गवाह है[1] कि हमको तुम्हारी इबादत की ख़बर भी न थी।[2] **(29)** उस मक़ाम पर हर शख़्स अपने अगले किए हुए कामों का इम्तिहान कर लेगा, और ये लोग अल्लाह (के अ़ज़ाब) की तरफ़ जो उनका मालिके हक़ीक़ी है लौटाए जाएँगे[3] और जो कुछ (माबूद) उन्होंने घड़ रखे थे सब उनसे ग़ायब (और गुम) हो जाएँगे। (कोई भी तो काम न आएगा) ● **(30)** ❖

आप (उन मुश्रिकों से) कहिए कि (बतलाओ) वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ पहुँचाता है,[4] या (यह बतलाओ कि) वह कौन है जो (तुम्हारे) कानों और आँखों पर पूरा इख़्तियार रखता है। और वह कौन है जो जानदार (चीज़) को बेजान (चीज़ से) निकालता है, और बेजान (चीज़) को जानदार से निकालता है, और वह कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है? सो (इन सवालों के जवाब में) वे (ज़रूर यही) कहेंगे (कि इन सब क़ामों का करने वाला) अल्लाह (है), तो उनसे कहिए कि फिर (शिर्क से) क्यों परहेज़ नहीं करते। **(31)** सो यह है अल्लाह जो तुम्हारा हक़ीक़ी रब है, (और जब हक़ मामला साबित हो गया) फिर हक़ (मामले) के बाद और क्या रह गया, सिवाय गुमराही के,[5] फिर (हक़ को छोड़कर बातिल की तरफ़) कहाँ फिरे जाते हो।[6] **(32)** इसी तरह आपके रब की यह (तक़दीरी) बात कि ये ईमान न लाएँगे, तमाम नाफ़रमान (सरकश) लोगों के हक़ में साबित हो चुकी है। **(33)** आप (उनसे यूँ भी) कहिए कि क्या तुम्हारे (तजवीज़ किए हुए) शरीकों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी मख़्लूक़ को पैदा करे, फिर (क़ियामत में) दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए कि अल्लाह तआ़ला ही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, सो फिर तुम (हक़ से) कहाँ फिरे जाते हो। **(34)** (और) आप (उनसे यूँ भी) कहिए कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि (अम्रे) हक़ का रास्ता बतलाता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही (अम्रे) हक़ का रास्ता (भी) बतलाता है।[7] तो फिर आया जो शख़्स हक़ (मामले) का रास्ता बतलाता हो वह ज़्यादा इत्तिबा के लायक़ है या वह शख़्स जिसको बिना बतलाए ख़ुद ही रास्ता न सूझे। तो (ऐ मुश्रिको!) तुमको क्या हो गया, तुम कैसी तजवीज़ें करते हो। **(35)** और उनमें से अक्सर लोग सिर्फ़ बेअसल ख़्यालात पर चल रहे हैं, (और) यक़ीनन बेअसल ख़्यालात हक़ (मामले) से मुस्तग़नी करने (या उसके साबित करने) में ज़रा भी मुफ़ीद नहीं। (ख़ैर) ये जो कुछ कर रहे हैं यक़ीनन अल्लाह को सब ख़बर है, (वक़्त पर सज़ा देगा)। **(36)** और यह

---

1. अगर किसी को शुब्हा हो कि क्या बुत भी बोलेंगे तो जवाब यह है कि यह नामुम्किन नहीं।
2. उनका ग़ाफ़िल होना उनकी इबादत से ज़ाहिर है, इस वास्ते कि बुतों को ऐसा शऊर ज़ाहिर है कि यहाँ नहीं है। और अगर दूसरे माबूदों जैसे फ़रिश्ते वग़ैरह को भी आ़म मुराद लिया जाए तो भी ग़ाफ़िल होना सही है, क्योंकि फ़रिश्तों वग़ैरह का इल्म सब कुछ घेरने वाला नहीं है, और सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं।
3. यहाँ अल्लाह तआ़ला को काफ़िरों का मौला फ़रमा देना मालिक होने के मायने के एतिबार से है। और 'ला मौला लहुम' में नफ़ी करना मददगार और चाहने वाले के एतिबार से है।
4. यानी आसमान से बारिश बरसाता और ज़मीन से पेड़-पौधे पैदा करता है, जिससे तुम्हारा रिज़्क़ तैयार होता है।
5. यानी जो चीज़ हक़ की ज़िद और उलट होगी वह गुमराही है, और तौहीद का हक़ होना साबित हो गया। पस शिर्क यक़ीनन गुमराही है।
6. आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली है कि आप उन लोगों की बातिल-परस्ती पर ग़मज़दा हुआ करते थे।
7. चुनाँचे उसने अ़क़्ल दी, नबियों को भेजा, बख़िलाफ़ शैतानों के कि अव्वल तो वे उन अफ़आ़ल (यानी कामों) पर क़ादिर नहीं, और सिर्फ़ तालीम जिसकी क़ुदरत उनको दी गई है वे उसको गुमराह करने और बहकाने में ख़र्च करते हैं।

क़ुरआन अल्लाह के सिवा किसी और का घड़ा हुआ नहीं है, (कि उनसे सादिर हुआ हो) बल्कि यह तो उन (किताबों) की तस्दीक़ (करने वाला) है जो इससे पहले (नाज़िल) हो चुकी हैं। और किताब (यानी अल्लाह के ज़रूरी अहकाम) की तफ़सील (बयान करने वाला) है, (और) इसमें कोई (बात) शक (व शुब्हा की) नहीं कि (वह) रब्बुल आलमीन की तरफ़ से (नाज़िल हुआ) है। **(37)** क्या ये लोग (यूँ) कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया है, आप कह दीजिए कि फिर तुम इसके जैसी एक ही सूरः (बना) लाओ, और (अकेले नहीं बल्कि) जिन-जिनको अल्लाह के सिवा बुला सको (उनको मदद के लिए) बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।[1] **(38)** बल्कि ऐसी चीज़ को झुठलाने लगे जिसके (यानी उसके सही और ग़ैर-सही होने) को अपने इल्मी घेरे में नहीं लाए। ''यानी उन्हें ख़ुद उसके बारे में कुछ इल्म नहीं'' और अभी उनको इस (क़ुरआन के झुठलाने) का आख़िरी नतीजा नहीं मिला। जो लोग (उनसे पहले) हुए हैं इसी तरह उन्होंने भी (हक़ चीज़ों को) झुठलाया था,[2] सो देख लीजिए कि उन ज़ालिमों का अन्जाम कैसा हुआ, (इसी तरह उनका होगा)। **(39)** और उनमें से बाज़े ऐसे हैं जो इस (क़ुरआन) पर ईमान ले आएँगे और बाज़े ऐसे हैं कि इसपर ईमान न लाएँगे, और आपका रब (उन) मुफ़सिदों को ख़ूब जानता है। **(40)** ❖

और अगर इन दलीलों के बाद भी आपको झुठलाते रहे तो (बस आख़िरी बात यह) कह दीजिए कि (अच्छा साहिब) मेरा किया हुआ मुझको (मिलेगा) और तुम्हारा किया हुआ तुमको (मिलेगा)। तुम मेरे किए हुए के जवाबदेह नहीं हो, और मैं तुम्हारे किए हुए का जवाबदेह नहीं हूँ। **(41)** और (आप उनके ईमान की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि) उनमें (अगरचे) बाज़ ऐसे भी हैं जो (ज़ाहिर में) आपकी तरफ़ कान लगा-लगा बैठते हैं, क्या आप बहरों को सुना (कर उनके मानने का इन्तिज़ार कर) रहे हैं, चाहे उनको समझ भी न हो। **(42)** और (इसी तरह) उनमें बाज़ ऐसे हैं कि (ज़ाहिर में) आपको (मोजिज़ात व कमालात के साथ) देख रहे हैं, तो फिर क्या आप अन्धों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं चाहे उनको बसीरत ''यानी अ़क़्ल व समझ'' भी न हो। **(43)** (यह) यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला लोगों पर ज़ुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ख़ुद ही अपने आपको तबाह करते हैं।[3] **(44)** और (उनको) वह दिन (याद दिलाइए) जिसमें अल्लाह तआ़ला उनको (इस कैफ़ियत से) जमा करेगा[4] कि (वे ऐसा समझेंगे) जैसे वे (दुनिया या बरज़ख़ में) सारे दिन की एक आध-घड़ी रहे होंगे[5] और आपस में एक-दूसरे को पहचानेंगे (भी और) वाक़ई (उस वक़्त सख़्त) ख़सारे में पड़े वे लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया, और वे (दुनिया में भी) हिदायत पाने वाले न थे। **(45)** और जिस (अ़ज़ाब) का उनसे हम वायदा कर रहे हैं, उसमें से कुछ थोड़ा-सा (अ़ज़ाब) अगर हम आपको दिखला दें,[6] या (उसके नाज़िल होने से पहले ही) हम आपको वफ़ात दे दें। सो हमारे पास तो उनको आना

1. यानी अल्लाह की पनाह अगर मैंने तैयार कर लिया है तो तुम भी तैयार कर लाओ।

2. 'लम युहीतू' का मतलब यह है कि आदमी जिस मामले में कलाम करे पहले उसकी तहक़ीक़ तो कर ले, तहक़ीक़ के बाद जो कलाम करना हो करे।

3. यानी ख़ुद ही दी हुई क़ाबलियत को ज़ाया कर देते हैं और उससे काम नहीं लेते।

4. ऊपर आयत 'कज़ालि-क कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन क़ब्लिहिम......' और आयत 'रब्बु-क अअ्लमु......' में कुफ़्र व झुठलाने पर अ़ज़ाब की वईद फ़रमाई है। आगे उस अ़ज़ाब के दुनिया में वाक़े न होने से वे कुफ़्फ़ार जो शुब्हात करते थे, उनका जवाब आख़िरत की तहक़ीक़ के ज़िम्न में (अंतर्गत) बतलाते हैं। जिसका हासिल यह है कि दुनिया में चाहे कभी ज़ाहिर हो जाए लेकिन असली वक़्त उसका हश्र के दिन है, इसी लिए दुनिया में उसके सिर्फ़ बाज़ शोबे ज़ाहिर होते हैं, यानी मामूली हिस्से ही ज़ाहिर होते हैं, पूरे तौर पर नहीं, जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया 'बअ्ज़ल्लज़ी' और कामिल तौर पर उसी वक़्त होगा, जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया 'व लौ अन्-न लिकुल्लि नफ़्सिन्' पस दुनिया में ज़ाहिर न होना न नुक़सानदेह है और न मेरे इख़्तियार में है, जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 386 पर)**

(ही) है, फिर (सबको मालूम है कि) अल्लाह तआ़ला उनके सब कामों की इत्तिला रखता ही है। **(46)** और हर-हर उम्मत के लिए एक हुक्म पहुँचाने वाला (हुआ) है। सो जब वह उनका रसूल (उनके पास) आ चुकता है (और अहकाम पहुँचा देता है, तो उसके बाद) उनका फ़ैसला इन्साफ़ के साथ किया जाता है, और उनपर (ज़रा भी) ज़ुल्म नहीं किया जाता।[1] **(47)** और ये लोग कहते हैं कि (ऐ नबी और ऐ मुसलमानो!) यह (अज़ाब का) वायदा कब (ज़ाहिर) होगा, अगर तुम सच्चे हो (तो ज़ाहिर क्यों नहीं करा देते)। **(48)** आप फ़रमा दीजिए कि मैं (ख़ुद) अपनी ज़ाते ख़ास के लिए तो किसी नफ़े (के हासिल करने का) और किसी नुक़सान (के दूर करने) का इख़्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना (इख़्तियार) ख़ुदा को मन्ज़ूर हो।[2] हर उम्मत के (अ़ज़ाब के) लिए (अल्लाह के नज़दीक) एक तय वक़्त है, (सो) जब उनका वह तय किया हुआ वक़्त आ पहुँचता है तो (उस वक़्त) एक घड़ी न पीछे हट सकते हैं और न आगे सरक सकते हैं।[3] **(49)** आप (उसके मुताल्लिक़) फ़रमा दीजिए कि यह तो बतलाओ कि अगर तुमपर उसका (यानी ख़ुदा का) अ़ज़ाब रात को आ पड़े, या दिन को, तो (यह बतलाओ कि) उस (अ़ज़ाब) में कौन-सी चीज़ ऐसी है कि मुज्रिम लोग उसको जल्दी माँग रहे हैं।[4] **(50)** क्या फिर जब वो (मुक़र्ररा आर तयशुदा वायदा) आ ही पड़ेगा (उस वक़्त) उसकी तस्दीक़ करोगे? हाँ अब (माना) हालाँकि (पहले से) तुम (झुठलाने के इरादे से) उसकी जल्दी (मचाया) करते थे। **(51)** फिर ज़ालिमों (यानी मुश्रिकों) से कहा जाएगा कि हमेशा का अ़ज़ाब चखो, तुमको तो तुम्हारे ही किए का बदला मिला है। **(52)** और वे (इन्तिहाई ताज्जुब व इनकार से आपसे) पूछते हैं कि क्या वह (अ़ज़ाब) वाक़ई (कोई चीज़) है, आप फ़रमा दीजिए कि हाँ क़सम है मेरे रब की, वह वाक़ई (चीज़) है, और तुम किसी तरह उसे (यानी ख़ुदा को) आ़जिज़ नहीं कर सकते (कि वह अ़ज़ाब देना चाहे और तुम बच जाओ)। **(53)** ❖

और अगर हर-हर मुश्रिक शख़्स के पास इतना (माल) हो कि सारी ज़मीन में भर जाए तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे। और जब अ़ज़ाब देखेंगे तो (और फ़ज़ीहत के ख़ौफ़ से) शर्मिन्दगी को (अपने दिल ही में) छुपाकर रखेंगे और उनका फ़ैसला इन्साफ़ के साथ होगा, और उनपर (ज़रा भी) ज़ुल्म न होगा। **(54)** याद रखो कि जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं, सब अल्लाह ही की (मिल्क) हैं। याद रखो कि अल्लाह का वायदा सच्चा है, (पस क़ियामत ज़रूर आएगी) लेकिन बहुत-से आदमी यक़ीन ही नहीं करते। **(55)** वही जान डालता है, वही जान निकालता है,[5] और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे, (और हिसाब किताब होगा)। **(56)** ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से (एक ऐसी चीज़) आई है जो (बुरे कामों से रोकने के लिए) नसीहत (है) और दिलों में जो (बुरे कामों से) रोग (हो जाते हैं) उनके लिए शिफ़ा है, और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत (और सवाब का ज़रिया) है, (और ये सब बरकतें) ईमान वालों के लिए हैं। **(57)** आप (उनसे) कह दीजिए कि (जब क़ुरआन ऐसी चीज़ है) पस लोगों को ख़ुदा के इस इनाम और रहमत पर ख़ुश होना चाहिए। वह इस (दुनिया) से कहीं बेहतर है, जिसको वे जमा कर रहे हैं।[6] **(58)**

(पृष्ठ 384 का शेष) 'क़ुल ला अम्लिकु' और न तुम्हारे लिए मस्लहत है क्योंकि फ़ौरन आ जाने में ईमान की मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया 'मा ज़ा यस्तअ्जिलु……'।

5. चूँकि वह दिन लम्बा भी होगा और सख़्त भी होगा, इसलिए दुनिया और बरज़ख़ (यानी मौत और क़ियामत के दरमियान के ज़माने) की मुद्दत और तकलीफ़ सब भूलकर ऐसा समझेंगे कि वह ज़माना बहुत जल्द गुज़र गया।

6. यानी अगर आपकी ज़िन्दगी में उनपर वह नाज़िल हो जाए। ग़रज़ यह कि दुनिया में सज़ा हो या न हो मगर असली मौक़े पर ज़रूर होगी।

1. वह फ़ैसला यही है कि न मानने वालों को हमेशा के अ़ज़ाब में मुब्तला किया जाता है।

2. पस जब अपने नफ़े व नुक़सान का मालिक नहीं तो दूसरे के नफ़े व नुक़सान का तू क्योंकर मालिक होगा? पस अ़ज़ाब का लाना मेरे इख़्तियार में नहीं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 388 पर)**

आप (उनसे) कह दीजिए कि यह तो बतलाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे (फ़ायदा उठाने के) लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था, फिर तुमने (अपनी घड़त से) उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल क़रार दे लिया। आप (उनसे) पूछिए कि क्या तुमको ख़ुदा ने हुक्म दिया है या (सिर्फ़) अल्लाह पर (अपनी तरफ़ से) बोहतान ही बाँधते हो? **(59)** और जो लोग अल्लाह पर झूठ बोहतान बाँधते हैं, उनका क़ियामत के बारे में क्या गुमान है,[1] वाक़ई लोगों पर अल्लाह का बड़ा ही फ़ज़्ल है,[2] लेकिन अक्सर (आदमी) उनमें से बेक़द्र हैं (वरना तौबा कर लेते)। **(60)** ❖

और आप (चाहे) किसी हाल में हों, और उन्ही हालात में से यह कि आप कहीं से क़ुरआन पढ़ते हों और (इसी तरह और लोग भी जितने हों) तुम जो काम करते हो हमको सबकी ख़बर रहती है, जब तुम उस काम को करना शुरू करते हो, और आपके रब (के इल्म) से कोई चीज़ ज़र्रा बराबर भी ग़ायब नहीं, न ज़मीन में और न आसमान में, (बल्कि सब उसके इल्म में हाज़िर हैं) और न कोई चीज़ इस (ज़िक्र हुई मिक़दार) से छोटी है और न कोई चीज़ (उससे) बड़ी है, मगर यह सब (अल्लाह तआला के इल्म में होने की वजह से) किताबे मुबीन (यानी लौहे महफ़ूज़) में (लिखा हुआ) है। **(61)** याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अन्देशे (वाला वाक़िआ पड़ने वाला) है और न वे (किसी मतलूब के जाते रहने पर) ग़मज़दा होते हैं।[3] **(62)** वे (अल्लाह के दोस्त) हैं जो ईमान लाए और (गुनाहों से) परहेज़ रखते हैं।[4] **(63)** उनके लिए दुनियावी ज़िन्दगी में भी और आख़िरत में भी (अल्लाह तआला की तरफ़ से ख़ौफ़ व रंज से बचने की) ख़ुशख़बरी है, (और) अल्लाह की बातों में (यानी वायदों में) कुछ फ़र्क़ नहीं (हुआ करता), यह (ख़ुशख़बरी जो ज़िक्र हुई) बड़ी कामयाबी है। **(64)** और आपको उनकी बातें ग़म में न डालें, पूरी तरह ग़ल्बा (और क़ुदरत भी) ख़ुदा ही के लिए (साबित) है,[5] वह (उनकी बातें) सुनता है (और उनकी हालत) जानता है, (वह आपका बदला उनसे ख़ुद ले लेगा)। **(65)** याद रखो कि जितने कुछ आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं (यानी जिन्नात, इनसान और फ़रिश्ते) ये सब अल्लाह तआला ही की (मिल्क में) हैं।[6] और जो लोग अल्लाह तआला को छोड़कर दूसरे शरीकों की इबादत कर रहे हैं, (ख़ुदा जाने) किस चीज़ की इत्तिबा कर रहे हैं? महज़ बे-सनद ख़्याल की पैरवी कर रहे हैं, और महज़ ख़्याली बातें कर रहे हैं। **(66)** वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन भी (इस तौर पर बनाया कि रोशन होने की वजह से) देखने-भालने का ज़रिया है। इस (के बनाने) में उन लोगों के लिए (तौहीद) की दलीलें हैं जो (ग़ौर व फ़िक्र के साथ इन मज़ामीन को)

(पृष्ठ 386 का शेष) **3.** इसी तरह तुम्हारे अ़ज़ाब का वक़्त भी तय है, उस वक़्त वह ज़ाहिर हो जाएगा।

4. यानी अ़ज़ाब तो सख़्त चीज़ और पनाह माँगने की चीज़ है, न कि जल्दी माँगने की चीज़।

5. पस दोबारा पैदा करना उसको क्या मुश्किल है।

6. क्योंकि दुनिया का नफ़ा मामूली और फ़ानी, और क़ुरआन का नफ़ा बहुत ज़्यादा और बाक़ी है।

1. यानी जो बिलकुल डरते नहीं, क्या यह समझते हैं कि क़ियामत नहीं आएगी, या आएगी मगर हमसे पूछगछ न होगी।

2. कि साथ के साथ सज़ा नहीं देता, बल्कि तौबा के लिए मोहलत दे रखी है।

3. यानी अल्लाह तआला उनको ख़ौफ़नाक और ग़मनाक हादसों से बचाता है। ख़ौफ़ से हक़ का ख़ौफ़ और ग़म से आख़िरत का ग़म मुराद नहीं है, बल्कि दुनियावी ख़ौफ़ व ग़म की नफ़ी मुराद है जिसका एहतिमाल दुश्मनों की मुख़ालफ़त से हो सकता है, वह कामिल मोमिनों को नहीं होता। हर वक़्त उनका अल्लाह पर एतिमाद होता है। हर वाक़िए की हिक्मत का एतिक़ाद रखते हैं, उसमें मस्लहत समझते हैं।

4. यानी ईमान और तक़्वे से अल्लाह की निकटता नसीब होती है।

5. वह अपनी क़ुदरत से वायदे के मुताबिक़ आपकी हिफ़ाज़त करेगा।

6. उसकी हिफ़ाज़त या बदले को कोई नहीं रोक सकता, पस हर एतिबार से तसल्ली रखना चाहिए।

सुनते हैं। **(67)** वे कहते हैं (अल्लाह की पनाह) कि अल्लाह औलाद रखता है? सुब्हानल्लाह! (कैसी सख़्त बात कही) वह तो किसी का मोहताज नहीं (और सब उसके मोहताज हैं)। उसी की (मिल्क) है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तुम्हारे पास (सिवाय बेहूदा दावे के) इस (दावे) पर कोई दलील (भी) नहीं, (तो) क्या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम (किसी दलील से) इल्म नहीं रखते। **(68)** आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह तआ़ला पर झूठ घड़ते हैं, (जैसे मुश्रिक लोग) वे (कभी) कामयाब न होंगे। **(69)** (यह) दुनिया में (चन्द दिनों का) थोड़ा-सा ऐश है, (जो बहुत जल्द ख़त्म हुआ जाता है) फिर (मरकर) हमारे (ही) पास उनको आना है, फिर (आख़िरत में) हम उनको उनके कुफ़्र के बदले सख़्त सज़ा (का मज़ा) चखा देंगे। ▲ **(70)** ❖

और आप उनको नूह (अ़लैहिस्सलाम) का क़िस्सा पढ़कर सुनाइए, (जो कि उस वक़्त सामने आया था) जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! अगर तुमको (नसीहत व भलाई की बात कहने की हालत में) मेरा रहना और अहकामे ख़ुदावन्दी की नसीहत करना भारी (और नागवार) मालूम होता है तो मेरा तो ख़ुदा ही पर भरोसा है, सो तुम (मुझको नुक़सान पहुँचाने के मुताल्लिक़) अपनी तदबीर (जो कुछ कर सको) अपने शरीकों के साथ (यानी बुतों) के पुख़्ता कर लो,[1] फिर तुम्हारी (वह) तदबीर तुम्हारी घुटन (और दिल की तंगी) का सबब न (होनी चाहिए),[2] फिर मेरे साथ (जो कुछ करना है) कर गुज़रो, और मुझको (बिलकुल) मोहलत न दो।[3] **(71)** फिर भी अगर तुम मुँह ही मोड़े जाओ तो यह (समझो कि) मैंने तुमसे (इस तब्लीग़ पर) कोई मुआ़वज़ा तो नहीं माँगा, (और मैं तुमसे क्यों माँगता, क्योंकि) मेरा मुआ़वज़ा तो (करम के वायदे के मुताबिक़) सिर्फ़ अल्लाह ही के ज़िम्मे है।[4] और (चूँकि) मुझको हुक्म किया गया है कि मैं इताअ़त करने वालों में रहूँ **(72)** सो (बावजूद इस वाज़ेह नसीहत के भी) वे लोग उनको झुठलाते रहे, पस (उनपर तूफ़ान का अ़ज़ाब मुसल्लत हुआ और) हमने (उस अ़ज़ाब से) उनको और जो उनके साथ कश्ती में थे उनको नजात दी और उनको आबाद किया। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनको (उस तूफ़ान में) ग़र्क़ कर दिया। सो देखना चाहिए उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जो (अल्लाह के अ़ज़ाब) से डराए जा चुके थे।[5] **(73)** फिर उन (नूह अ़लैहिस्सलाम) के बाद हमने और रसूलों को उनकी क़ौमों की तरफ़ भेजा, सो वे उनके पास मोजिज़े लेकर आए (मगर) फिर (भी उनकी ज़िद और हट की यह कैफ़ियत थी कि) जिस चीज़ को उन्होंने अव्वल (बारी में एक बार) झूठा कह दिया, यह न हुआ कि फिर उसको मान लेते, (और जैसे ये दिल के सख़्त थे) हम (अल्लाह तआ़ला) इसी तरह काफ़िरों के दिल पर बन्द लगा देते हैं। **(74)** फिर इन (ज़िक्र हुए) पैग़म्बरों के बाद हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और हारून (अ़लैहिस्सलाम) को फ़िरऔ़न और उसके सरदारों के पास अपने मोजिज़े (लाठी और चमकता हुआ हाथ) देकर भेजा, सो उन्होंने (दावे के साथ ही उनकी तस्दीक़ करने से) तकब्बुर किया, और वे लोग अपराधों के आ़दी थे (इसलिए इताअ़त न की)। **(75)** फिर जब (दावे

1. यानी तुम और तुम्हारे माबूद सारे मिलकर मुझको नुक़सान पहुँचाने में अपना अरमान पूरा कर लो।

2. यानी अक्सर ख़ुफ़िया तदबीर से तबीयत घुटा करती है। सो ख़ुफ़िया तदबीर की ज़रूरत नहीं, जो कुछ तदबीर करो दिल खोलकर ऐलानिया करो। मेरा न लिहाज़-पास करो और न मेरे चले जाने और निकल जाने का अन्देशा करो, क्योंकि इतने आदमियों के पहरे में से एक आदमी का निकल जाना भी नामुम्किन है, फिर ख़ुफ़िया रखने की क्या ज़रूरत है।

3. हासिल यह कि मैं तुम्हारी इन बातों से न डरता हूँ और न तब्लीग़ से रुक सकता हूँ।

4. ग़रज़ न तुमसे डरता हूँ न कुछ इच्छा रखता हूँ।

5. यानी बेख़बरी में हलाक नहीं किए गए, पहले कह दिया, समझा दिया। न माना, सज़ा पाई।

के बाद) उनको हमारे पास से (मूसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत पर) सही दलील पहुँची[1] तो वे लोग कहने लगे कि यक़ीनन यह खुला जादू है। **(76)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमायाः क्या तुम इस सही दलील के बारे में जबकि वह तुम्हारे पास पहुँची, (ऐसी बात) कहते हो (कि यह जादू है)। क्या यह जादू है? और (हालाँकि) जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते।[2] **(77)** वे लोग कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको उस तरीक़े से हटा दो जिसपर हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है, और (इसलिए आए हो कि) तुम दोनों को दुनिया में रियासत (और सरदारी) मिल जाए, और (तुम अच्छी तरह समझ लो) हम तुम दोनों को कभी न मानेंगे। **(78)** और फ़िरऔ़न ने (अपने सरदारों से) कहा कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को (जो हमारे मुल्क में हैं) हाज़िर करो। **(79)** (चुनाँचे जमा किए गए) सो जब वे आए (और मूसा अ़लैहिस्सलाम से मुक़ाबला हुआ तो) मूसा ने उनसे फ़रमाया कि डालो जो कुछ तुमको (मैदान में) डालना है। **(80)** सो जब उन्होंने (अपना जादू का सामान) डाला तो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि जो कुछ तुम (बनाकर) लाए हो, जादू (यह) है,[3] यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला इस (जादू) को अभी दरहम-बरहम "यानी उलट-पलट" किए देता है, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ऐसे फ़सादियों का काम बनने नहीं देता।[4] **(81)** और अल्लाह तआ़ला हक़ (यानी सही दलील और मोजिज़े) को अपने वायदों के मुवाफ़िक़ साबित कर देता है, चाहे मुज्रिम (और काफ़िर) लोग (कैसा ही) नागवार समझें। **(82)** ❖

पस (जब लाठी का मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ तो) मूसा अ़लैहिस्सलाम पर (शुरू-शुरू में) उनकी क़ौम में से सिर्फ़ थोड़े-से आदमी ईमान लाए, वे भी फ़िरऔ़न से और अपने हाकिमों से डरते-डरते, कि कहीं (ज़ाहिर होने पर) उनको तकलीफ़ (न) पहुँचाये, और (हक़ीक़त में उनका डरना बेजा न था) क्योंकि फ़िरऔ़न उस मुल्क में ज़ोर (हुकूमत) रखता था, और यह (बात भी थी) कि वह (इन्साफ़) की हद से बाहर हो जाता था। **(83)** और मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! अगर तुम (सच्चे दिल से) अल्लाह पर ईमान रखते हो तो (सोच-विचार मत करो बल्कि) उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम (उसकी) इताअ़त करने वाले हो।[5] **(84)** उन्होंने (जवाब में) अ़र्ज़ किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको इन ज़ालिमों की मश्क़ का तख़्ता "यानी निशाना" न बना। **(85)** और हमको अपनी रहमत के सदक़े में इन काफ़िरों से नजात दे।[6] **(86)** और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और उनके भाई (हारून अ़लैहिस्सलाम) के पास वह्य भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिए (बदस्तूर) मिस्र में घर बरक़रार रखो, (और नमाज़ के वक़्त में) तुम सब अपने उन्हीं घरों को नमाज़ पढ़ने की जगह क़रार दे लो। और (यह ज़रूरी है कि) नमाज़ के पाबन्द रहो। और (ऐ मूसा!) आप मुसलमानों को ख़ुशख़बरी दे दें।[7] **(87)** और मूसा ने (दुआ़ में) अ़र्ज़ किया कि ऐ हमारे रब! (हमको यह बात मालूम हो गई कि) आपने फ़िरऔ़न को और उसके सरदारों को दुनियावी

---

1. मुराद इससे मोजिज़ा है।
2. यानी जादूगर जबकि नुबुव्वत का दावा करें तो ख़िलाफ़े आ़दत उमूर के इज़हार में कामयाब नहीं हुआ करते।
3. न वह जिसको फ़िरऔ़न वाले जादू कहते हैं।
4. यानी ऐसे फ़सादियों का काम बनने नहीं देता जो मोजिज़े के साथ मुक़ाबले से पेश आएँ।
5. तवक्कुल (यानी भरोसे) के लिए यह लाज़िम है कि मख़्लूक़ पर नज़र न रहे, न लालच के एतिबार से और न डरकर। पस यह दुआ़ के ख़िलाफ़ नहीं।
6. यानी जब तक हमपर उनकी हुकूमत मुक़द्दर है ज़ुल्म न करने पाएँ, और फिर उनकी हुकूमत ही के दायरे से निकाल दीजिए।
7. कि यह मुसीबत ख़त्म हो जाएगी।

ज़िन्दगी में ठाट-बाट के सामान और तरह-तरह के माल ऐ हमारे रब! इसी वास्ते दिए हैं कि वे (लोगों को) आपकी राह से गुमराह करें। ऐ हमारे रब! उनके मालों को तबाह व बर्बाद कर दीजिए और उनके दिलों को (ज़्यादा) सख़्त कर दीजिए (जिससे हलाकत के हक़दार हो जाएँ) सो ये ईमान न लाने पाएँ यहाँ तक कि दर्दनाक अ़ज़ाब (के हक़दार होकर उस) को देख लें। **(88)** (हक़ तआ़ला ने) फ़रमाया कि तुम दोनों की दुआ़ क़बूल कर ली गई, सो तुम अपने मन्सबी काम (यानी तब्लीग़ पर) साबित क़दम रहो, और उन लोगों की राह न चलना जिनको इल्म नहीं।[1] **(89)** और हमने बनी इसराईल को (उस) दरिया से पार कर दिया,[2] फिर उनके पीछे-पीछे फ़िरऔ़न अपने लश्कर के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती के इरादे से (दरिया में) चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा (और अ़ज़ाब के फ़रिश्ते नज़र आने लगे) तो (घबराकर) कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ कि सिवाय उसके कि जिसपर बनी इसराईल ईमान लाए हैं, कोई माबूद नहीं, और मैं मुसलमानों में दाख़िल होता हूँ। **(90)** (जवाब दिया गया कि) अब (ईमान लाता है) और (अ़ज़ाब के देखने से) पहले सरकशी करता रहा, और फ़सादियों में दाख़िल रहा। अब नजात चाहता है। **(91)** सो (जो तू नजात चाहता है उसके बजाय) आज हम तेरे बदन (यानी तेरी लाश को, पानी में नीचे बैठ जाने से) नजात देंगे, ताकि तू उनके लिए (इबरत का) निशान हो जो तेरे बाद (मौजूद) हैं।[3] और हक़ीक़त यह है कि (फिर भी) बहुत-से आदमी हमारी (ऐसी-ऐसी) निशानियों से (यानी इबरतों से) ग़ाफ़िल हैं, (और अल्लाह के अहकाम की मुख़ालफ़त से नहीं डरते)। **(92)** ❖

और हमने (फ़िरऔ़न को ग़र्क़ करने के बाद) बनी इसराईल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया,[4] और हमने उनको नफ़ीस और पाक चीज़ें (बाग़ात और चश्मों वग़ैरह से) खाने को दीं। सो उन्होंने (जहालत की वजह से) इख़्तिलाफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास (अहकाम का) इल्म पहुँच गया। यक़ीनी बात है कि आपका रब उन (इख़्तिलाफ़ करने वालों) के दरमियान क़ियामत के दिन उन मामलात में (अ़मली) फ़ैसला करेगा जिनमें वे इख़्तिलाफ़ किया करते थे। **(93)** फिर अगर मान लीजिए आप इस (किताब) की तरफ़ से शक (व शुब्हा) में हों जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहले (की) किताबों को पढ़ते हैं, (मुराद तौरात व इन्जील हैं, तो वे क़ुरआन को सच बतलाएँगे)। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ़ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज़ शक करने वालों में न हों। **(94)** और न (शक करने वालों से बढ़कर) उन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह तआ़ला की आयतों को झुठलाया, कहीं आप (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) तबाह न हो जाएँ।[5] **(95)** यक़ीनन जिन लोगों के हक़ में आपके रब की (यह

---

1. यानी जिनको हमारे वायदे के सच्चे होने का, या देरी में हिक्मत होने का, या तब्लीग़ के ज़रूरी होने का इल्म नहीं।

2. जब अल्लाह तआ़ला ने फ़िरऔ़न को हलाक करना चाहा तो मूसा अ़लैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराईल को मिस्र से बाहर निकाल ले जाइए। चुनाँचे वह सबको लेकर चले और रास्ते में दरिया-ए-शोर (यानी नमकीन पानी का दरिया) रुकावट बना और मूसा अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ से उसमें रास्ता पैदा हो गया।

3. उसकी लाश के बचा लेने को और पानी पर तैर आने को नजात फ़रमाना मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर उसको मायूस कर देने के लिए है कि ऐसी नजात होगी जो तेरे लिए ज़्यादा रुस्वाई का सबब है।

4. 'मुबव्व-अ सिद्क़िन्' की तफ़सीर 'मिस्र' व 'शाम' के साथ दुर्रे मन्सूर में मन्क़ूल है।

5. ज़ाहिर में ख़िताब आपको है मगर ख़िताब का मक़सद दूसरों को है। और आयत के नाज़िल होने के वक़्त आपने ख़िताब में अपने को मक़सूद न होने को इन लफ़्ज़ों से ज़ाहिर फ़रमा दिया कि 'न मैं किसी शक में हूँ और न सवाल करता हूँ।'

तक़दीरी) बात (कि ईमान न लाएँगे) साबित हो चुकी है वे (कभी) ईमान न लाएँगे। **(96)** चाहे उनके पास (हक़ के सुबूत की) तमाम दलीलें पहुँच जाएँ, जब तक कि दर्दनाक अ़ज़ाब को न देख लें, (मगर उस वक़्त ईमान फ़ायदेमन्द नहीं होता)। **(97)** चुनाँचे (अ़ज़ाब शुदा बस्तियों में से) कोई बस्ती ईमान न लाई, कि ईमान लाना उसको फ़ायदेमन्द होता, हाँ मगर यूनुस (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम। जब वे ईमान ले आए तो हमने रुस्वाई के अ़ज़ाब को दुनियावी ज़िन्दगी में उनपर से टाल दिया, और उनको एक ख़ास वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक (ख़ैर व ख़ूबी के साथ) ऐश "यानी चैन व सुकून" दिया।[1] **(98)** और उन क़ौमों और बस्तियों की क्या तख़्सीस है?) अगर आपका रब चाहता तो तमाम रू-ए-ज़मीन के लोग सबके सब ईमान ले आते,[2] सो (जब यह बात है तो) क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं जिससे वे ईमान ही ले आएँ। **(99)** हालाँकि किसी शख़्स का ईमान बिना ख़ुदा के हुक्म (यानी उसकी मरज़ी) के मुम्किन नहीं, और वह (यानी अल्लाह तआ़ला) बेअ़क़्ल लोगों पर (कुफ़्र की) गंदगी डाल देता है। आप कह दीजिए कि तुम ग़ौर करो। **(100)** (और देखो) कि क्या-क्या चीज़ें हैं आसमानों और ज़मीन में।[3] और जो लोग (दुश्मनी के तौर पर) ईमान नहीं लाते, उनको दलीलें और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचातीं, (यह बयान हुआ उनके बैर का), **(101)** सो वे लोग (जैसा कि उनके हाल से ज़ाहिर है) सिर्फ़ उन लोगों के जैसे वाक़िआ़त का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं।[4] आप फ़रमा दीजिए कि अच्छा तो तुम (तो उसके) इन्तिज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ (उसके) इन्तिज़ार करने वालों में हूँ। **(102)** फिर हम (उस अ़ज़ाब से) अपने पैग़म्बरों को और ईमान वालों को बचा लेते थे, (जिस तरह हमने उन मोमिनों को नजात दी थी) हम इसी तरह सब ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। यह (वायदे के मुताबिक़) हमारे ज़िम्मे है।[5] **(103)** ❖

आप कह दीजिए कि ऐ लोगो! अगर तुम मेरे दीन की तरफ़ से शक (और शुब्हा) में हो तो मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता ख़ुदा के अ़लावा जिनकी तुम इबादत करते हो, लेकिन हाँ उस माबूद की इबादत करता हूँ जो तुम (यानी तुम्हारी जान) को क़ब्ज़ करता है, और मुझको (अल्लाह की तरफ़ से) यह हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। **(104)** और यह कि अपने आपको इस (ज़िक्र हुए) दीन (और ख़ालिस तौहीद) की तरफ़ इस तरह मुतवज्जह रखना कि और सब तरीक़ों से अलग हो जाऊँ, और (मुझको यह हुक्म हुआ है कि) कभी मुश्रिक मत बनना। **(105)** और (यह हुक्म हुआ है कि) ख़ुदा (की तौहीद) को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझको न (इबादत करने की हालत में) कोई नफ़ा पहुँचा सके और न (इबादत छोड़ देने की हालत में) कोई नुक़सान पहुँचा सके। फिर अगर (मान लो) तुमने ऐसा किया (यानी अल्लाह के अ़लावा किसी और की इबादत की) तो तुम उस हालत में (अल्लाह का) हक़ ज़ाया करने वालों में

---

1. यूनुस अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के क़िस्से का ख़ुलासा यह है कि उनके ईमान न लाने पर अल्लाह की वह्य के मुताबिक़ यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने उनको अ़ज़ाब की ख़बर दी और ख़ुद चले गए। जब बताए हुए वक़्त पर अ़ज़ाब के आसार शुरू हुए तो तमाम क़ौम ने हक़ तआ़ला के सामने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू किया और ईमान ले आए और वह अ़ज़ाब टल गया।

2. मगर बाज़ हिक्मतों की वजह से यह न चाहा, इसलिए सब ईमान न लाए।

3. यानी उनमें ग़ौर करने से तौहीद की अ़क़्ली दलील हासिल होगी।

4. यानी बावजूद दलीलों और वईदों के जो ईमान नहीं लाते तो उनकी हालत उस शख़्स के जैसी है जो ऐसे अ़ज़ाब का मुन्तज़िर हो जो कि पहली क़ौमों पर आया था।

5. पस इसी तरह अगर इन काफ़िरों पर कोई मुसीबत पड़ी तो मुसलमान उससे महफ़ूज़ रहेंगे, चाहे दुनिया में चाहे आख़िरत में।

से हो जाओगे। **(106)** और (मुझसे यह कहा गया है कि) अगर तुमको अल्लाह तआ़ाला कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो सिवाय उसके और कोई उसका दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुमको कोई राहत पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़्ल का कोई हटाने वाला नहीं, (बल्कि) वह अपना फ़ज़्ल अपने बन्दों में से जिसपर चाहे मुतवज्जह फ़रमाए, और वह बड़ी मग़्फ़िरत वाले (और) रहमत वाले हैं।[1] **(107)** आप (यह भी) कह दीजिए[2] कि ऐ लोगो! तुम्हारे पास (दीने) हक़ तुम्हारे रब की तरफ़ से (दलील के साथ) पहुँच चुका है, सो (उसके पहुँच जाने के बाद) जो शख़्स सही रास्ते पर आ जाएगा सो वह अपने (नफ़े के) वास्ते सही रास्ते पर आएगा। और जो शख़्स (अब भी) बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना (यानी उसका वबाल भी) उसी पर पड़ेगा, और मैं तुमपर (कुछ बतौर ज़िम्मेदारी के) मुसल्लत नहीं किया गया। **(108)** और आप उसकी पैरवी करते रहिए जो कुछ आपके पास वह्य भेजी जाती है, और (उनके कुफ़्र व तकलीफ़ पहुँचाने पर) सब्र कीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह (उनका) फ़ैसला कर देंगे, और वह सब फ़ैसला करने वालों में अच्छे (फ़ैसला करने वाले) हैं। **(109)** ❖

11 सूरः हूद 52

सूरः हूद मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 123 आयतें और 10 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़-लाम-रा, (के मायने तो अल्लाह को मालूम हैं)। यह (कुरआन) एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें (दलीलों से) मज़बूत की गई हैं, (फिर उसी के साथ) साफ़-साफ़ (भी) बयान की गई हैं। (वह किताब ऐसी है कि) एक बाख़बर हकीम (यानी अल्लाह तआ़ाला) की तरफ़ से (है)। **(1)** यह कि अल्लाह तआ़ाला के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ़ से (ईमान न लाने पर अ़ज़ाब से) डराने वाला, और (ईमान लाने पर सवाब की) खुशख़बरी देने वाला हूँ। **(2)** और यह (भी है) कि तुम लोग अपने गुनाह (शिर्क व कुफ़्र वग़ैरह) अपने रब से माफ़ कराओ, फिर (ईमान लाकर) उसकी तरफ़ (इबादत से) मुतवज्जह रहो, वह तुमको मुक़र्ररा वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक (दुनिया में) खुशऐशी "यानी अच्छी पुरसुकून ज़िन्दगी" देगा,[3] और (आख़िरत में) हर ज़्यादा अ़मल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर (ईमान लाने से) तुम लोग मुँह (ही) मोड़ते रहे तो मुझको (उस सूरत में) तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा है। **(3)** तुम (सब) को अल्लाह ही के पास जाना है, और वह हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है। **(4)** याद रखो कि वे लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं, (और ऊपर से कपड़ा लपेट लेते हैं) ताकि (अपनी बातें) उससे (यानी खुदा से) छुपा सकें।[4] याद रखो कि वे लोग जिस वक़्त (दोहरे होकर) अपने कपड़े (अपने ऊपर) लपेटते हैं, वह (उस वक़्त भी) सब जानता है, जो कुछ चुपके-चुपके (बातें) करते हैं और जो कुछ (बातें) वे ज़ाहिर करते हैं, (क्योंकि) यक़ीनन वह (तो) दिलों के अन्दर की बातें जानता है। **(5)**

---

1. खुलासा यह कि मेरा दीन तो यह है जिसमें किसी को शक न होना चाहिए। और कुफ़्फ़ार इसके बावजूद कि इनकारी थे फिर शक क्यों फ़रमाया? इसमें इशारा इस तरफ़ है कि इस दीन में तो शक भी न होना चाहिए, कहाँ यह कि इनकार और झुठलाना।
2. मतलब यह कि आप अपने ज़ाती और सुपुर्द किए हुए काम में लगे रहिए, उनकी फ़िक्र न कीजिए।
3. 'खुश-ऐशी' से मुराद वह है जिस्को 'आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतन्' और 'लनुह्यियन्नहू हयातन् तय्यिब-तन्' में ज़िक्र फ़रमाया है।
4. यानी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं तो इस अन्दाज़ से करते हैं कि किसी को ख़बर न हो जाए। और जिसको एतिक़ाद होगा कि खुदा को ज़रूर ख़बर होती है और आपका साहिबे-वह्य (वह्य वाला) होना दलीलों से साबित है, तो वह छुपाने की यह तदबीर कभी न करेगा। पस यह तदबीर करना गोया कि इसपर दलालत करता है कि अल्लाह से पोशीदा रहने की कोशिश की जा रही है।

बारहवाँ पारः व मा मिन् दाब्बतिन्

सूरः हूद (आयत 6 से 123)

और कोई (रिज़्क़ खाने वाला) जानवर रू-ए-ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि उसकी रोज़ी अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे न हो, और वह हर एक की ज़्यादा रहने की जगह को और चन्द दिन रहने की जगह को जानता है। सब चीज़ें किताबे मुबीन (यानी लौहे महफ़ूज़) में (भी दर्ज और मुक़र्रर) हैं। **(6)** और वह (अल्लाह) ऐसा है कि सब आसमान और ज़मीन को छह दिन (की मिक़दार) में पैदा किया, और (उस वक़्त) उसका अ़र्श पानी पर था, ताकि तुमको आज़माए कि (देखें) तुममें अच्छा अ़मल करने वाला कौन है।[1] और अगर आप (लोगों से) कहते हैं कि यक़ीनन तुम लोग मरने के बाद (क़ियामत के दिन दोबारा) ज़िन्दा किए जाओगे तो (उनमें) जो लोग काफ़िर हैं वे (क़ुरआन के बारे में, जिसमें क़ियामत में ज़िन्दा होकर उठने की ख़बर है) कहते हैं कि यह तो बिलकुल खुला जादू है।[2] **(7)** और अगर थोड़े दिनों तक (मुराद दुनियावी ज़िन्दगी है) हम उनसे (वायदा किए गए) अ़ज़ाब को मुल्तवी "यानी स्थगित" रखते हैं, (कि इसमें हिक्मतें हैं) तो (बतौर इनकार व मज़ाक़ उड़ाने के) कहने लगते हैं कि उस (अ़ज़ाब) को कौन-सी चीज़ रोक रही है?[3] याद रखो जिस दिन (मुक़र्ररा वक़्त पर) वह (अ़ज़ाब) उनपर आ पड़ेगा तो फिर (किसी के) टाले न टलेगा, और जिस (अ़ज़ाब) के साथ यह हँसी-ठट्ठा कर रहे थे वह उनको आ घेरेगा।[4] **(8)** ❖

और अगर हम इनसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाकर उससे छीन लेते हैं तो वह नाउम्मीद और नाशुक्र हो जाता है। **(9)** और अगर उसको किसी तकलीफ़ के बाद जो कि उसपर आ पड़ी हो किसी नेमत का मज़ा चखा दें, तो कहने लगता है कि मेरा सब दुख-दर्द रुख़्सत हुआ, (अब कभी न होगा) पस वह इतराने लगता है, शैख़ी बघारने लगता है। **(10)** मगर जो लोग मुस्तक़िल मिज़ाज हैं और नेक काम करते हैं,[5] (वे ऐसे नहीं होते)[6] ऐसे लोगों के लिए बड़ी मग़्फ़िरत और बड़ा अज्र है।[7] **(11)** सो शायद आप (तंग होकर) उन (अहकाम) में से जो कि आपके पास वह्य के ज़रिये से भेजे जाते हैं, बाज़ को (कि वह तब्लीग़ है) छोड़ देना चाहते हैं,[8] और आपका दिल इस बात से तंग होता है कि वे कहते हैं कि (अगर यह नबी हैं तो) इनपर कोई ख़ज़ाना क्यों नाज़िल नहीं हुआ, या उनके साथ कोई फ़रिश्ता (जो हमसे भी बात-चीत करता) क्यों नहीं आया?[9] आप तो (उन कुफ़्फ़ार के एतिबार से) सिर्फ़ डराने वाले हैं,[10] और हर चीज़ पर पूरा इख़्तियार रखने वाला (तो) अल्लाह ही है।[11] **(12)** क्या (उसके मुताल्लिक़ यूँ) कहते हैं (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) कि आपने उसको (अपनी तरफ़ से) खुद बना लिया है? आप (जवाब में) फ़रमा दीजिए कि अगर (यह मेरा बनाया हुआ है) तो (अच्छा) तुम भी इस जैसी दस सूरतें (जो तुम्हारी) बनाई हुई (हों) ले आओ, और (अपनी मदद

---

1. मतलब यह कि ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तुम्हारी ज़रूरतें और फ़ायदे उसमें पैदा किए, ताकि तुम उनको देखकर तौहीद पर दलील पकड़ो, और उनसे फ़ायदा उठाकर नेमत देने वाले का शुक्र और ख़िदमत यानी नेक अ़मल बजा लाओ। सो बाज़ ने ऐसा किया, बाज़ ने न किया।

2. जादू इसलिए कहते हैं कि वह बातिल होता है मगर असर करने वाला, इसी तरह 'अल्लाह अपनी पनाह में रखे' क़ुरआन को बातिल समझते थे, लेकिन इसके मज़ामीन का असरदार होना भी ख़ूब देखते थे। इस मजमूए पर यह हुक्म किया। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे।

3. यानी अगर अ़ज़ाब कोई चीज़ होती तो अब तक हो चुकता, जब नहीं हुआ तो मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं।

4. मतलब यह कि बावजूद हक़दार होने के यह देरी इसलिए है कि बाज़ हिक्मतों से उसका वक़्त तय है, फिर उस वक़्त सारी कसर निकल जाएगी।

5. मुराद इससे मोमिन लोग हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 402 पर)**

के लिए) जिन-जिन को अल्लाह के अ़लावा बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। **(13)** फिर ये (काफ़िर लोग) अगर तुम लोगों का कहना (कि इसके जैसा बना लाओ) न कर सकें तो तुम (उनसे कह दो कि अब तो) यक़ीन कर लो कि (यह क़ुरआन) अल्लाह ही के इल्म (और क़ुदरत) से उतरा है, और यह भी (यक़ीन कर लो) कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं।[1] तो फिर अब भी मुसलमान होते हो (या नहीं)? **(14)** जो शख़्स (अपने अच्छे आमाल से) महज़ दुनियावी ज़िन्दगी (के फ़ायदों) और इसकी रौनक़ (को हासिल करना) चाहता है, तो हम उन लोगों के (उन) आमाल (का बदला) उनको इस (दुनिया) ही में पूरे तौर से भुगता देते हैं, और उनके लिए (दुनिया) में कुछ कमी नहीं होती।[2] **(15)** ये ऐसे लोग हैं कि उनके लिए आख़िरत में सिवाय दोज़ख़ के और कुछ (सवाब वग़ैरह) नहीं, और उन्होंने इस (दुनिया) में जो कुछ किया था वह (आख़िरत में सब-का-सब) नाकारा (साबित) होगा, और (हक़ीक़त में तो) जो कुछ कर रहे हैं वह अब भी बेअसर है।[3] **(16)** क्या (क़ुरआन का इनकार करने वाला ऐसे शख़्स की बराबरी कर सकता है) जो क़ुरआन पर (क़ायम हो?) जो कि उसके रब की तरफ़ से (आया) है, और इस (क़ुरआन) के साथ एक गवाह तो इसी में (मौजूद) है,[4] और एक इससे पहले (यानी) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की किताब है, जो (अहकाम बतलाने के एतिबार से) इमाम है और रहमत है।[5] ऐसे लोग इस (क़ुरआन) पर ईमान रखते हैं। और (दूसरे) फ़िर्क़ों में से जो शख़्स इस (क़ुरआन) का इनकार करेगा तो दोज़ख़ उसके वायदे की जगह है, (काफ़िर का यही हाल है) सो (ऐ मुख़ातब!) तुम क़ुरआन की तरफ़ से शक में मत पड़ना, इसमें कोई शक व शुब्हा नहीं कि वह सच्ची (किताब) है, तुम्हारे रब के पास से (आई है) लेकिन (बावजूद इन दलीलों के ग़ज़ब है कि) बहुत-से आदमी ईमान नहीं लाते। **(17)** और ऐसे शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम है जो अल्लाह तआ़ला पर झूठ बाँधे?[6] ऐसे लोग (क़ियामत के दिन) अपने रब के सामने पेश किए जाएँगे और (आमाल के) गवाह (फ़रिश्ते सबके सामने यूँ) कहेंगे कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के मुताल्लिक़ झूठी बातें लगाई थीं, (सब) सुन लो कि ऐसे ज़ालिमों पर ख़ुदा की (ज़्यादा) लानत है। **(18)** जो कि (अपने कुफ़्र व ज़ुल्म के साथ) दूसरों को भी ख़ुदा की राह (यानी दीन) से रोकते थे, और उस (राह) में टेढ़ (और शुब्हात) निकालने की तलाश (और फ़िक्र) में रहा करते थे, (ताकि दूसरों को गुमराह करें) और वे आख़िरत के भी इनकारी थे। **(19)** ये लोग (तमाम) ज़मीन (के तख़्ते) पर (भी) ख़ुदा तआ़ला को आ़जिज़ नहीं कर सकते थे, और न उनका ख़ुदा के सिवा कोई मददगार हुआ, (कि गिरफ़्तारी के बाद छुड़ा लेता), ऐसों को (औरों से) दोगुनी सज़ा होगी,[7] ये लोग न सुन सकते थे और न (हद से बढ़ी हुई दुश्मनी की वजह से राहे हक़ को) देखते थे। **(20)** ये वे लोग हैं जो अपने आपको

(पृष्ठ 400 का शेष) **6.** वे नेमत के ख़त्म हो जाने के वक़्त सब्र से काम लेते हैं और नेमत के देने के वक़्त शुक्र व फ़रमाँबर्दारी बजा लाते हैं जो कि नेक आमाल का हासिल है।

7. ख़ुलासा यह कि मोमिनों के अ़लावा अक्सर आदमी ऐसे ही हैं कि ज़रा-सी देर में निडर हो जाएँ, ज़रा-सी देर में नाउम्मीद हो जाएँ। इसलिए ये लोग अ़ज़ाब में देरी होने के सबब बेख़ौफ़ और इनकारी हो गए।

8. यानी क्या ऐसा मुम्किन है कि आप तब्लीग़ छोड़ दें, सो ज़ाहिर है कि ऐसा इरादा तो आप कर नहीं सकते, फिर तंगदिल होने से क्या फ़ायदा।

9. सो ऐसी बातों से आप तंग न हों।

10. यानी आप पैग़म्बर हैं जिसके लिए मुतलक़ मोजिज़े की ज़रूरत है, न कि फ़रमाइशी मोजिज़े की।

11. इन मोजिज़ों का ज़ाहिर करना आपके इख़्तियार से बाहर है, फिर उसकी फ़िक्र और इस फ़िक्र से तंगी क्यों हो, और चूंकि पैग़म्बर के लिए मुतलक़ मोजिज़े की ज़रूरत है और आपका बड़ा मोजिज़ा क़ुरआन है, तो इसको न मानने की क्या वजह?

1. क्योंकि माबूद, माबूद होने की सिफ़तों में कामिल होता है। फिर अगर कोई और होता तो उसको क़ुदरत भी पूरी होती और उस क़ुदरत से वह तुम लोगों की मदद करता कि तुम उसका बदल ले आते, लेकिन जब तुम इससे आ़जिज़ हो तो **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 404 पर)**

बर्बाद कर बैठे, और जो (माबूद) उन्होंने घड़ रखे थे (आज) उनसे सब ग़ायब (और गुम) हो गए, (कोई भी तो काम न आया)। **(21)** पस लाज़िमी बात है कि आख़िरत में ज़्यादा ख़सारा "यानी घाटा" पाने वाले यही लोग होंगे।[1] **(22)** बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे-अच्छे काम किए और दिल से अपने रब की तरफ़ झुके,[2] ऐसे लोग जन्नत वाले हैं, और वे उसमें हमेशा रहा करेंगे।[3] **(23)** दोनों फ़रीक़ (जिनका ज़िक्र हुआ यानी मोमिन व काफ़िर) की हालत ऐसी है जैसे एक शख़्स हो अन्धा भी और बहरा भी, और एक शख़्स हो कि देखता भी हो और सुनता भी हो, (जिसको समझना बहुत आसान है)। क्या ये दोनों शख़्स हालत में बराबर हैं?[4] क्या तुम (इस फ़र्क़ को) समझते नहीं?[5] **(24)** ❖

और हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम के पास रसूल बनाकर (यह पैग़ाम देकर) भेजा कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करना। **(25)** मैं तुमको (अल्लाह के अ़लावा किसी और की इबादत करने की सूरत में) साफ़-साफ़ डराता हूँ, मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े तकलीफ़ देने वाले दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा करता हूँ। **(26)** सो उनकी क़ौम में जो काफ़िर सरदार थे, वे (जवाब में) कहने लगे कि हम तो तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, और तुम्हारी पैरवी उन्हीं लोगों ने की है जो हममें बिलकुल कम दर्जे के और हक़ीर हैं, (जिनकी अ़क़्ल अक्सर कम होती है, फिर वह पैरवी भी महज़) सरसरी राय से (हुई है) और हम तुम लोगों में (यानी तुममें और मुसलमानों में) कोई बात अपने से ज़्यादा भी नहीं पाते, बल्कि हम तुमको (बिलकुल) झूठा समझते हैं। **(27)** (हज़रत नूह ने) फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! भला यह तो बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर (क़ायम) हूँ, (जिससे मेरी नुबुव्वत साबित होती है) और उसने मुझको अपने पास से रहमत (यानी नुबुव्वत) अ़ता फ़रमाई हो, फिर वह (नुबुव्वत या उसकी हुज्जत) तुमको न सूझती हो, तो (मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ) क्या हम इस (दावे या दलील) को तुम्हारे गले मढ़ दें, और तुम उससे नफ़रत किए चले जाओ।[6] **(28)** और (इतनी बात और भी फ़रमाई कि) ऐ मेरी क़ौम! मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कुछ माल नहीं माँगता, मेरा मुआ़वज़ा तो सिर्फ़ अल्लाह ही के ज़िम्मे है, और मैं तो इन ईमान वालों को निकालता नहीं (क्योंकि) ये लोग अपने रब के पास (इज़्ज़त व मक़बूलियत के साथ) जाने वाले हैं, लेकिन वाक़ई मैं तुम लोगों को देखता हूँ कि (ख़्वाह-मख़्वाह) की जहालत कर रहे हो, (और बेढंगी बातें कर रहे हो)। **(29)** और ऐ मेरी क़ौम! (मान लो) अगर मैं उनको निकाल भी दूँ तो (यह बतलाओ) मुझको ख़ुदा की पकड़ से कौन बचा लेगा। क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते?[7] **(30)** और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के (तमाम) ख़ज़ाने हैं, और न मैं (यह कहता हूँ कि मैं) तमाम ग़ैब की बातें जानता हूँ, और न यह कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। और जो लोग तुम्हारी निगाहों में हक़ीर हों, मैं उनके मुताल्लिक़ (तुम्हारी तरह) यह नहीं कह सकता कि अल्लाह हरगिज़ उनको सवाब न देगा, उनके दिल में जो कुछ हो उसको अल्लाह ही ख़ूब जानता है, मैं तो (अगर ऐसी बात कह दूँ तो) उस सूरत में सितम ही कर दूँ।[8] **(31)** वे लोग कहने लगे कि ऐ नूह! तुम

(पृष्ठ 402 का शेष) तौहीद और रिसालत दोनों साबित हो गईं।

2. यानी दुनिया ही में उन आमाल के बदले में उनको नेकनामी, सेहत, ज़िन्दगी की फ़राग़त, माल व औलाद की ज़्यादती वग़ैरह देदी जाती हैं।

3. इस आयत का यह मतलब नहीं कि कुफ़्फ़ार की नीयत दुनिया के अ़लावा कुछ नहीं होती, बल्कि उनमें जो ऐसे होते हैं कि उनकी नीयत सिवाय दुनिया के कुछ भी न हो, इस आयत में उनका बयान है।

4. यानी उसका आ़जिज़ कर देने वाला होना, जो कि अ़क़्ली दलील है।

5. यह दलील नक़ली है। ग़रज़ क़ुरआन के सच्चा व सही होने के लिए दोनों दलीलें मौजूद हैं।

6. यानी उसकी तौहीद का, उसके रसूल की रिसालत का और उसके कलाम यानी क़ुरआन का इनकार करे।

7. एक अपने काफ़िर होने की, एक दूसरों को काफ़िर बनाने की कोशिश करने की।

1. यह तो अन्जाम होगा काफ़िरों का, आगे मुसलमानों का अन्जाम ज़िक्र किया गया है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 406 पर)**

हमसे बहस कर चुके, फिर बहस भी बहुत कर चुके, सो (अब हम बहस-वहस नहीं करते) जिस चीज़ से तुम हमको धमकाया करते हो (कि अ़ज़ाब आ जाएगा) वह हमारे सामने ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। **(32)** उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उसको तुम्हारे सामने लाएगा, बशर्तेकि उसको मन्ज़ूर हो, और (उस वक़्त फिर) तुम उसको आ़जिज़ न कर सकोगे। **(33)** और मेरी ख़ैर-ख़्वाही तुम्हारे काम नहीं आ सकती, चाहे मैं तुम्हारी (कैसी ही) ख़ैर-ख़्वाही करना चाहूँ, जबकि अल्लाह ही को तुम्हारा गुमराह करना मन्ज़ूर हो,[1] वही तुम्हारा मालिक है और उसी के पास तुमको जाना है। **(34)** क्या ये लोग कहते हैं कि उन्होंने (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे) यह (क़ुरआन) घड़ लिया है। आप (जवाब में) फ़रमा दीजिए कि अगर (मान लो कि) मैंने घड़ा होगा तो मेरा (यह) जुर्म मुझपर आयद होगा और तुम मेरे जुर्म से बरी रहोगे, और मैं तुम्हारे इस जुर्म से बरी रहूँगा।[2] **(35)** ❖

और नूह (अ़लैहिस्सलाम) के पास वह्य भेजी गई कि सिवाय उनके जो (इस वक़्त तक) ईमान ला चुके हैं, और कोई (नया शख़्स) तुम्हारी क़ौम में से ईमान न लाएगा, सो जो कुछ ये लोग (कुफ़्र, तकलीफ़ देना और हँसी मज़ाक़) कर रहे हैं। **(36)** इसपर कुछ ग़म न करो। और तुम हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो,[3] और मुझसे काफ़िरों के बारे में कुछ गुफ़्तगू मत करना, वे सब ग़र्क़ किए जाएँगे।[4] **(37)** और वे कश्ती तैयार करने लगे, और जब कभी उनकी क़ौम के किसी गिरोह के सरदार का उनपर गुज़र होता तो उनसे हँसी करते। आप फ़रमाते कि अगर तुम हमपर हँसते हो तो हम तुमपर हँसते हैं, जैसा कि तुम (हमपर) हँसते हो।[5] **(38)** सो अभी तुमको मालूम हुआ जाता है कि वह कौन-सा शख़्स है जिसपर ऐसा अ़ज़ाब आया चाहता है जो उसको रुस्वा कर देगा, और उसपर हमेशा का अ़ज़ाब नाज़िल होगा। **(39)** यहाँ तक कि जब हमारा (अ़ज़ाब का) हुक्म (क़रीब) आ पहुँचा और तन्दूर (यानी ज़मीन से पानी) उबलना शुरू हुआ, हमने (नूह से) फ़रमाया कि हर एक (क़िस्म) में से (एक-एक नर और एक-एक मादा यानी) एक जोड़ा, यानी दो अ़दद उसपर चढ़ा लो,[6] और अपने घर वालों को भी, उसको छोड़कर जिसपर हुक्म नाफ़िज़ हो चुका है, और दूसरे ईमान वालों को भी (सवार कर लो) और सिवाय थोड़े से आदमियों के उनके साथ (यानी उनपर) कोई ईमान न लाया था। **(40)** और (नूह ने) फ़रमाया कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका

(पृष्ठ 404 का शेष) **2.** यानी फ़रमाँबरदारी और आ़जिज़ी दिल में पैदा की।

3. यह दोनों के अन्जाम का फ़र्क़ बयान हो गया। आगे मौजूदा फ़र्क़ की मिसाल है जिसपर अन्जाम का फ़र्क़ मुरत्तब होता है।

4. यही हालत काफ़िर और मुसलमान की है कि पहला हिदायत से बहुत दूर है और दूसरा हिदायत से मौसूफ़ है। यानी हिदायत पाए हुए है।

5. यानी इसमें तरद्दुद की गुन्जाइश ही नहीं, बिलकुल ज़ाहिर है।

6. मतलब यह कि तुम्हारा यह कहना कि जी को नहीं लगती, महज़ यह समझना है कि नुबुव्वत और बशरीयत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जबकि तुम्हारे इस तरह का अ़क़ीदा रखने की तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, और मेरे पास इन दोनों के जमा होने की दलील मौजूद है, यानी मोजिज़ा वग़ैरह, न कि किसी की पैरवी। इससे इसका जवाब भी हो गया कि उनकी इत्तिबा हुज्जत नहीं, लेकिन दलील से नतीजा निकालना ग़ौर व फ़िक्र पर मौक़ूफ़ है, तुम ग़ौर व फ़िक्र करते नहीं। और यह मेरे बस से बाहर है।

7. इस तक़रीर में उनके तमाम शुब्हात का जवाब हो गया, लेकिन आगे उन सब जवाबों का पूरा करने वाला हिस्सा है। यानी जब मेरी नुबुव्वत दलील से साबित है तो अव्वल तो दलील के सामने किसी चीज़ का बईद होना कोई चीज़ नहीं, फिर यह कि वह बईद भी नहीं, अलबत्ता अगर मैं किसी अ़जीब व ग़रीब मामले का दावा करता तो इनकार व मुहाल समझना भी कोई बईद न था, अगरचे दलील के बाद वह भी सुने जाने के क़ाबिल नहीं। अलबत्ता अगर दलील भी नामुम्किन मालूम होती हो तो फिर वाजिब है, लेकिन मैं तो किसी ऐसे अ़जीब मामले का दावा नहीं करता।

8. क्योंकि बेदलील दावा करना गुनाह की बात है।

1. मतलब यह कि जब तुम ही अपनी बदक़िस्मती से अपने लिए नफ़ा हासिल करना और नुक़सान से न बचना चाहो तो मेरे चाहने से क्या होता है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 408 पर)**

चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, यक़ीनन मेरा रब मग़्फ़िरत करने वाला (है), रहीम है। **(41)** और वह कश्ती उनको लेकर पहाड़ जैसी लहरों में चलने लगी, और नूह ने अपने (एक सगे या सौतेले) बेटे को पुकारा, और वह अलग मक़ाम पर था,[1] कि ऐ मेरे (प्यारे) बेटे! हमारे साथ सवार हो जा और काफ़िरों के साथ मत हो।[2] **(42)** वह कहने लगा कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझको पानी से बचा लेगा, (नूह ने) फ़रमाया कि आज अल्लाह के हुक्म (यानी क़हर से) कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन जिसपर वही रहम करे, और दोनों के बीच में एक मौज "यानी लहर" आड़ हो गई, पस वह भी दूसरे काफ़िरों की तरह ग़र्क़ हो गया। **(43)** और हुक्म हो गया कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल जा, और ऐ आसमान थम जा, और पानी घट गया और क़िस्सा ख़त्म हुआ, और वह (कश्ती) जूदी पर आ ठहरी, और कह दिया गया कि काफ़िर लोग रहमत से दूर।[3] ◆ **(44)** और नूह ने अपने रब को पुकारा और अ़र्ज़ किया कि मेरा यह बेटा मेरे घर वालों में से है, और आपका वायदा बिलकुल सच्चा है, और आप हाकिमों के हाकिम हैं।[4] **(45)** (अल्लाह तआ़ला ने) इरशाद फ़रमाया कि ऐ नूह! यह शख़्स तुम्हारे घर वालों में से नहीं, यह तबाहकार है। सो मुझसे ऐसी चीज़ की दरख़्वास्त मत करो जिसकी तुमको ख़बर नहीं, मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि तुम नादान न बन जाओ। **(46)** उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मैं इस (बात) से आपकी पनाह माँगता हूँ कि आपसे ऐसे मामले की दरख़्वास्त करूँ जिसकी मुझको ख़बर न हो, और अगर आप मेरी मग़्फ़िरत न फ़रमाएँगे और मुझपर रहम न फ़रमाएँगे तो मैं बिलकुल ही तबाह हो जाऊँगा। **(47)** कहा गया कि ऐ नूह! उतरो हमारी तरफ़ से सलाम और बरकतें लेकर जो तुमपर नाज़िल होंगी, और उन जमाअ़तों पर जो कि तुम्हारे साथ हैं, और बहुत-सी ऐसी जमाअ़तें भी होंगी कि उनको हम चन्द दिन की ऐश देंगे, फिर उनपर हमारी तरफ़ से सख़्त सज़ा वाक़ेअ़ होगी।[5] **(48)** यह क़िस्सा ग़ैब की ख़बरों में से है जिसको हम वह्य के ज़रिये से आपको पहुँचाते हैं, इसको इससे पहले न आप जानते थे और न आपकी क़ौम,[6] सो सब्र कीजिए, यक़ीनन नेक अन्जाम होना

(पृष्ठ 406 का शेष) **2.** यह आख़िरी दर्जे का जवाब है। और असल जवाब वह है कि इस झूठ का झूठ होना साबित कर दिया जाए, जैसा कि इसी सूरः के दूसरे रुकूअ़ में जवाब दिया है, कि आप कह दीजिए कि तुम इस जैसी दस सूरतें बना लाओ लेकिन जो शख़्स दलील में न बहस कर सके और न तसलीम करे, अख़ीर दर्जे में यही कहा जाता है कि ख़ैर भाई जैसा मैंने किया होगा, मैं भुगतूँगा, और जैसा तुम कर रहे हो तुम भुगतोगे।

3. यानी तुम उस तूफ़ान से बचने के लिए कश्ती तैयार कर लो, कि उसके ज़रिये से तुम और ईमान वाले महफ़ूज़ रहोगे।

4. यानी उनके लिए यह क़तई तौर पर तजवीज़ हो चुका है तो उनकी सिफ़ारिश बेकार होगी।

5. कि अ़ज़ाब ऐसा नज़दीक आ पहुँचा है और तुमको हँसी सूझ रही है। हम इसपर हँसते हैं।

6. हर क़िस्म के जानवरों में से जो कि इनसान के कारामद हैं, और पानी में ज़िन्दा नहीं रह सकते।

1. उसका नाम किनआ़न था, वह बावजूद तंबीह के ईमान न लाया और ईमान न लाने की वजह से कश्ती में सवार न किया गया था।

2. यानी कुफ़्र को छोड़ दे ताकि ग़र्क़ होने से बच जाए।

3. इससे मालूम हुआ कि तूफ़ान का पानी पहाड़ से ऊँचा था, और क़िस्सा ख़त्म होने में सब बातें आ गईं, नूह अ़लैहिस्सलाम की नजात, काफ़िरों का ग़र्क़ होना और तूफ़ान का ख़त्म हो जाना। और 'काफ़िर लोग रहमत से दूर' शायद इसलिए फ़रमाया गया हो कि इबरत ताज़ा हो जाए कि कुफ़्र का यह वबाल है, ताकि आइन्दा आने वाले इससे बचे रहें।

4. इस गुज़ारिश का खुलासा उसके मोमिन होने के लिए दुआ़ थी।

5. नूह अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से को ख़त्म करके क़िस्से के फ़ायदों में से दो फ़ायदे बयान फ़रमाते हैं, अव्वल मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत पर दलालत करना, दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देना।

6. इस एतिबार से ग़ैब था और सिवाय वह्य के इल्म के दूसरे सब असबाब यक़ीनन नापैद हैं, पस साबित हो गया कि आपको वह्य के ज़रिये से मालूम हुआ है, और यही नुबुव्वत है। लेकिन ये लोग नुबुव्वत के साबित होने के बाद भी आपसे मुख़ालफ़त करते हैं।

मुत्तक़ियों के लिए है। (49) ❖

और हमने आद की तरफ़ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के क़ाबिल) नहीं, तुम (इस बुत-परस्ती के एतिक़ाद में) बिलकुल झूठ घड़ने वाले हो। (50) ऐ मेरी क़ौम! मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कुछ मुआवज़ा नहीं माँगता, मेरा मुआवज़ा तो सिर्फ़ उस (अल्लाह) के ज़िम्मे है जिसने मुझको पैदा किया, फिर क्या तुम नहीं समझते।[1] (51) और ऐ मेरी क़ौम! तुम अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर उसकी तरफ़ मुतवज्जह रहो,[2] वह तुम पर ख़ूब बारिश बरसाएगा और तुमको और क़ुव्वत देकर तुम्हारी क़ुव्वत में तरक़्क़ी कर देगा, और मुज्रिम रहकर मुँह मत फेरो। (52) उन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ हूद! आपने हमारे सामने कोई दलील तो पेश नहीं की, और हम आपके कहने से तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, और हम किसी तरह आपका यक़ीन करने वाले नहीं। (53) हमारा क़ौल तो यह है कि हमारे माबूदों में से किसी ने आपको किसी ख़राबी में मुब्तला कर दिया है। (हज़रत हूद अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि मैं (ऐलानिया) अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी (सुन लो और) गवाह रहो कि मैं उन चीज़ों से बेज़ार हूँ जिनको तुम ख़ुदा के सिवा शरीक क़रार देते हो। (54) सो तुम सब मिलकर मेरे साथ दाव-घात कर लो, फिर मुझको ज़रा भी मोहलत न दो। (55) मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है, जितने (रू-ए-ज़मीन पर) चलने वाले हैं सबकी चोटी उसने पकड़ रखी है।[3] यक़ीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर है।[4] (56) फिर अगर तुम फिरे रहोगे तो मैं तो जो पैग़ाम देकर मुझको भेजा गया है, वह तुमको पहुँचा चुका हूँ और तुम्हारी जगह मेरा रब दूसरे लोगों को (ज़मीन में आबाद कर) देगा और उसका तुम कुछ नुक़सान नहीं कर रहे हो, यक़ीनन मेरा रब हर चीज़ की हिफ़ाज़त और देखभाल करता है। (57) और जब (अ़ज़ाब के लिए) हमारा हुक्म पहुँचा तो हमने हूद को और जो उनके साथ ईमान-वाले थे, उनको अपनी इनायत से बचा लिया, और उनको एक सख़्त अ़ज़ाब से बचा लिया। (58) और यह (क़ौम) आद थी जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया[5] और उसके रसूल का कहना न माना,[6] और मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों के कहने पर चलते रहे जो ज़ालिम (और) ज़िद्दी थे। (59) और इस दुनिया में भी लानत उनके साथ-साथ रही और क़ियामत के दिन भी।[7] ख़ूब सुन लो (क़ौमे) आद ने अपने रब के साथ कुफ़्र किया, ख़ूब सुन लो रहमत से दूरी हुई आद को जो कि हूद की क़ौम थी। (60) ❖

---

1. नुबुव्वत को सही ठहराने वाली दलील मौजूद है और नुबुव्वत के सही होने में रुकावट यानी ख़ुद-ग़रज़ी है ही नहीं, फिर नुबुव्वत में शुब्हा करने की क्या वजह?

2. यानी नेक अ़मल करो।

3. यानी सब उसके क़ब्ज़े में हैं, उसके हुक्म के बिना कोई कान नहीं हिला सकता।

4. पस तुम भी इस सही रास्ते को इख़्तियार करो, ताकि मक़बूल व क़रीबी हो जाओ।

5. यानी दलाइल और अहकाम का इनकार किया।

6. यह जो फ़रमाया कि आद ने रसूलों का कहना नहीं माना, हालाँकि उनके पास सिर्फ़ हूद अ़लैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना साबित है। वजह इसकी यह है कि पैग़म्बर तौहीद के मसले में सब मुत्तफ़िक़ हैं। जब हूद अ़लैहिस्सलाम का कहना न माना तो जितने पैग़म्बर उनसे पहले हो गुज़रे थे, बल्कि जो आइन्दा भी हुए उन सब ही की मुख़ालफ़त हुई।

7. चुनाँचे दुनिया में इसका असर हलाक करने का अ़ज़ाब था और आख़िरत में हमेशा का अ़ज़ाब होगा।

और हमने समूद के पास उनके भाई सालेह को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। उसने तुमको ज़मीन (के माद्दे) से पैदा किया और उसने तुमको इसमें आबाद किया, तो तुम अपने गुनाह उससे माफ़ कराओ (यानी ईमान लाओ) फिर उसकी तरफ़ मुतवज्जह रहो, बेशक मेरा रब क़रीब है, क़बूल करने वाला है। **(61)** वे लोग कहने लगे कि ऐ सालेह! तुम तो इससे पहले हममें होनहार थे, क्या तुम हमको उन चीज़ों की इबादत से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बड़े करते आए हैं, और जिस (दीन) की तरफ़ तुम हमको बुला रहे हो वाक़ई हम तो उसकी तरफ़ से बड़े शुब्हा में हैं। जिसने हमको फ़िक्र में डाल रखा है। **(62)** आपने फ़रमाया, ऐ मेरी क़ौम! (भला) यह तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर हूँ और उसने मुझको अपनी तरफ़ से रहमत (यानी नुबुव्वत) अ़ता फ़रमाई हो, सो अगर मैं उसका कहना न मानूँ तो फिर मुझको ख़ुदा से कौन बचा लेगा, तुम तो सरासर मेरा नुक़सान ही कर रहे हो।[1] **(63)** और ऐ मेरी क़ौम! (तुम जो मोजिज़ा चाहते थे, सो) यह ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है। सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा करे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको फ़ौरी अ़ज़ाब आ पकड़े। **(64)** सो उन्होंने उसको मार डाला, तो (सालेह अ़लैहि. ने) फ़रमाया कि तुम अपने घरों में तीन दिन और बसर कर लो। और यह ऐसा वायदा है जिसमें ज़रा झूठ नहीं। **(65)** सो जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, हमने सालेह को और जो उनके साथ ईमान वाले थे उनको अपनी इनायत से बचा लिया। और उस दिन की बड़ी रुस्वाई से (बचा लिया), बेशक आपका रब ही बड़ी कुव्वत वाला, ग़ल्बे वाला है।[2] **(66)** और उन ज़ालिमों को एक नारा ''यानी ज़ोर की चीख़'' ने आ दबाया,[3] जिससे वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे कभी उन घरों में बसे ही न थे। **(67)** ख़ूब सुन लो समूद ने अपने रब के साथ कुफ़्र किया, ख़ूब सुन लो रहमत से समूद को दूरी हुई। **(68)** ❖

और हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) इब्राहीम के पास ख़ुशख़बरी लेकर आए और उन्होंने सलाम किया। उन्होंने

---

1. यानी अगर ख़ुदा न करे क़बूल कर लूँ तो सिवाय नुक़सान के और क्या हाथ आए।
2. जिसको चाहे सज़ा दे, जिसको चाहे बचा ले।
3. वह जिबराईल अ़लैहिस्सलाम की आवाज़ थी।

(यानी इब्राहीम ने) भी सलाम किया, फिर देर नहीं लगाई कि एक तला हुआ बछड़ा लाए। **(69)** सो जब उन्होंने (यानी इब्राहीम ने) देखा कि उनके हाथ उस (खाने) तक नहीं बढ़ते तो उनसे घबराहट महसूस की, और उनसे दिल में डर गए। वे (फ़रिश्ते) कहने लगे डरो मत, हम क़ौमे लूत की तरफ़ भेजे गए हैं।[1] **(70)** और उनकी (यानी इब्राहीम की) बीवी खड़ी थीं, पस हँसीं। सो हमने उनको इसहाक़ की ख़ुशख़बरी दी, और इसहाक़ के बाद याक़ूब की। **(71)** कहने लगीं कि हाय ख़ाक पड़े, अब में बुढ़िया होकर बच्चा जनूँगी, और यह मेरे मियाँ हैं बिलकुल बूढ़े, वाक़ई यह भी अ़जीब बात है। **(72)** (फ़रिश्तों ने) कहा, क्या तुम ख़ुदा के कामों में ताज्जुब करती हो, और (ख़ास कर) इस ख़ानदान के लोगो! तुम पर तो अल्लाह तआ़ला की (ख़ास) रहमत और उसकी बरकतें हैं, बेशक वह तारीफ़ के लायक़, बड़ी शान वाला है।[2] **(73)** फिर जब इब्राहीम का वह ख़ौफ़ ख़त्म हो गया और उनको ख़ुशी की ख़बर मिली तो हमसे लूत की क़ौम के बारे में झगड़ा करना शुरू किया।[3] **(74)** वाक़ई इब्राहीम बड़े बर्दाश्त करने वाले और नर्म दिल वाले थे। **(75)** ऐ इब्राहीम! इस बात को जाने दो, तुम्हारे रब का हुक्म आ पहुँचा है, और उनपर ज़रूर ऐसा अ़ज़ाब आने वाला है जो किसी तरह हटने वाला नहीं। **(76)** और जब हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) लूत के पास आए तो वह (यानी लूत अ़लैहिस्सलाम) उनकी वजह से ग़मगीन हुए और उनके आने के सबब तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बहुत भारी है। **(77)** और उनकी क़ौम उनके पास दौड़ी हुई आई, और वे पहले से नामाक़ूल हरकतें किया ही करते थे। वह (यानी लूत) फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी क़ौम! ये मेरी (बहू) बेटियाँ (जो तुम्हारे घरों में मौजूद) हैं,[4] वे तुम्हारे लिए (अच्छी)-ख़ासी हैं, सो अल्लाह तआ़ला से डरो और मेरे मेहमानों में मुझको रुस्वा और फ़ज़ीहत मत करो। क्या तुममें कोई भी (माक़ूल आदमी और) भला मानस नहीं? **(78)** वे लोग कहने लगे कि आपको तो मालूम है कि हमको आपकी (बहू) बेटियों की ज़रूरत नहीं,[5] और आपको तो मालूम है जो हमारा मतलब है। **(79)** वह (यानी लूत) फ़रमाने लगे, क्या ख़ूब होता अगर मेरा तुमपर कुछ ज़ोर चलता, या मैं किसी मज़बूत सहारे की पनाह पकड़ता। **(80)** वे (फ़रिश्ते) कहने लगे कि ऐ लूत! हम तो आपके रब के

---

1. ताकि उनको कुफ़्र की सज़ा में हलाक करें।

2. वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। पस बजाय ताज्जुब के उसकी तारीफ़ और शुक्र में मश्ग़ूल हो।

3. सिफ़ारिश जो बहुत ज़्यादा इसरार और देखने में झगड़ा थी, और यह गुफ़्तगू फ़रिश्तों से हुई थी, मगर मक़सूद हक़ तआ़ला से अ़र्ज़ करना था। इसलिए 'युजादिलुना' 'यानी हमसे झगड़ा करना शुरू किया,' फ़रमाया।

4. "मेरी बेटियों" से मजाज़न उम्मत की औ़रतें मुराद हैं, क्योंकि नबी उम्मत के लिए बाप की जगह होता है, और हक़ीक़ी मायने इसलिए मुराद नहीं हो सकते कि आपकी दो या तीन बेटियाँ थीं, सो किस-किस से उनका निकाह कर देते, वे तो सारे इसी बीमारी में मुब्तला थे।

5. क्योंकि औ़रतों से हमें दिलचस्पी ही नहीं।

भेजे हुए (फ़रिश्ते) हैं, आप तक हरगिज़ उनकी रसाई न होगी, सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चलिए, और तुममें से कोई (पीछे) फिरकर भी न देखे, (हाँ) मगर आपकी बीवी (न जाएगी) उसपर भी वही (आफ़त) आने वाली है जो और लोगों पर आएगी। उनके वायदे का वक़्त सुबह (का वक़्त) है, क्या सुबह (का वक़्त) क़रीब नहीं। **(81)** सो जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने उस ज़मीन (को उलटकर उस) का ऊपर का तख़्ता तो नीचे कर दिया (और नीचे का ऊपर) और उस ज़मीन पर खंगर के पत्थर (झाँवे) "यानी जली हुई ईंटों के टुकड़े" बरसाना शुरू किए (जो) लगातार (गिर रहे थे), **(82)** जिनपर आपके रब के पास का ख़ास निशान भी था।[1] और ये (बस्तियाँ) उन ज़ालिमों से कुछ दूर नहीं हैं। ● **(83)** ❖

और हमने मद्यन की तरफ़ उनके भाई शुऐब को भेजा। उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप और तौल में कमी न किया करो। मैं तुमको फ़राग़त की हालत में देखता हूँ[2] और मुझको तुमपर ऐसे दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा है जो (क़िस्म-क़िस्म की मुसीबतों) का जामे होगा। **(84)** और ऐ मेरी क़ौम! तुम नाप और तौल पूरी-पूरी किया करो इन्साफ़ से, और लोगों का उनकी चीज़ों में नुक़सान मत किया करो, और ज़मीन में फ़साद करते हुए हद से नहीं निकलो। **(85)** अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ बच जाए वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है,[3] अगर तुमको यक़ीन आए, और मैं तुम्हारा पहरा देने वाला तो हूँ नहीं। **(86)** वे कहने लगे कि ऐ शुऐब! क्या तुम्हारी पाकबाज़ी तुमको तालीम कर रही है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश "यानी पूजा और इबादत" हमारे बड़े करते आए हैं या (इस बात को छोड़ दें कि) हम अपने माल में जो चाहें तसर्रुफ़ करें। वाक़ई आप हैं बड़े अ़क़्लमन्द, दीन पर चलने वाले।[4] **(87)** शुऐब ने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! भला यह बताओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर हूँ और उसने मुझको अपनी तरफ़ से एक उम्दा दौलत (यानी नुबुव्वत) दी हो, (तो फिर कैसे तब्लीग़ न करूँ) और मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे बरख़िलाफ़ उन कामों को करूँ जिनसे मैं तुमको मना करता हूँ,[5] मैं तो इस्लाह "यानी सुधार" चाहता हूँ जहाँ तक मेरे बस में है, और मुझको जो कुछ तौफ़ीक़ हो जाती है सिर्फ़ अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ़ रुजू करता हूँ।[6] **(88)** और ऐ मेरी क़ौम! मेरी ज़िद "और मुख़ालफ़त" तुम्हारे लिए इसका सबब न हो

---

1. कन्करियों को जो ख़ास कहा सो दुर्रे मन्सूर में रिवायतें हैं जिनसे मालूम होता है कि उनपर कुछ ख़ास रंग और शक्ल के नक़्श बने थे जो दुनिया के पत्थरों में नहीं देखे जाते।
2. फिर तुमको नाप-तौल में कमी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, अगरचे हक़ीक़त में तो किसी को भी ज़रूरत नहीं होती।
3. क्योंकि हराम में बरकत नहीं अगरचे वह ज्यादा हो, और उसका अन्जाम जहन्नम है। और हलाल में बरकत होती है अगरचे वह कम हो। और उसका अन्जाम अल्लाह की रिज़ा है।
4. यानी जिन बातों से हमको मना करते हो उनमें कोई बुराई नहीं। हलीम व रशीद यानी बड़े अ़क़्लमन्द और दीन पर चलने वाले मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर कहा, जैसे बद-दीनों की आ़दत होती है दीनदारों के साथ छेड़ख़ानी करने की।
5. 'बरख़िलाफ़' से यही मुराद है कि तुमको और राह बतलाऊँ और ख़ुद दूसरी राह पर चलूँ। मतलब यह है कि मेरी नसीहत महज़ ख़ैरख़्वाही व दिली दर्द के साथ है, जिसकी दलील यह है कि मैं तुमको वही बतलाता हूँ जो मैं अपनी ज़ात के लिये भी पसन्द करता हूँ।
6. ख़ुलासा यह कि तौहीद व अ़दल के वाजिब होने पर दलाइल भी क़ायम और अल्लाह के हुक्म से उसकी तब्लीग़, और नसीहत करने वाला भी ऐसा हमदर्द और सुधारक, फिर भी नहीं मानते बल्कि उल्टी मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं कहना छोड़ दूँ। और चूँकि इस तक़रीर में दिलसोज़ी और सुधार की अपनी तरफ़ निस्बत है इसलिए 'व मा तौफ़ीक़ी……' फ़रमा दिया।

जाए कि तुमपर भी उसी तरह की मुसीबतें आ पड़ें जैसी नूह की क़ौम, या हूद की क़ौम, या सालेह की क़ौम पर आ पड़ी थीं, और लूत की क़ौम तो (अभी) तुमसे (बहुत) दूर (ज़माने में) नहीं (हुई)। **(89)** और तुम अपने रब से अपने गुनाह माफ़ कराओ फिर उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो, बिला शुब्हा मेरा रब बड़ा मेहरबान (और) बड़ी मुहब्बत वाला है। **(90)** वे लोग कहने लगे कि ऐ शुऐब! बहुत-सी बातें तुम्हारी कही हुईं हमारी समझ में नहीं आतीं, और हम तुमको अपने में कमज़ोर देख रहे हैं। और अगर तुम्हारे ख़ानदान का पास न होता तो हम तुमको संगसार "यानी पत्थरों से मार-मारकर हलाक" कर चुके होते। और हमारी नज़र में तो तुम्हारी कुछ इज़्ज़त व क़द्र ही नहीं।[1] **(91)** (शुऐब अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से भी ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। और उसको तुमने पीठ पीछे डाल दिया, यक़ीनन मेरा रब तुम्हारे सब आमाल को घेरे में लिए हुए है। **(92)** और ऐ मेरी क़ौम! तुम अपनी हालत पर अ़मल करते रहो, मैं भी (अपने तौर पर) अ़मल कर रहा हूँ। अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि वह कौन शख़्स है जिसपर अ़ज़ाब आया चाहता है, जो उसको रुस्वा कर देगा। और वह कौन शख़्स है जो झूठा था, और तुम भी इन्तिज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा हूँ।[2] **(93)** और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, हमने शुऐब को और जो उनके साथ में ईमान वाले थे, उनको अपनी इनायत सेहत बचा लिया। और उन ज़ालिमों को एक सख़्त आवाज़ ने आ पकड़ा, सो अपने घरों के अन्दर औंधे गिरे रह गए (और मर गए)। **(94)** जैसे उन घरों में बसे ही न थे। ख़ूब सुन लो कि मद्‌यन को रहमत से दूरी हुई जैसा कि समूद रहमत से दूर हुए थे। **(95)** ❖

और हमने मूसा को अपने मोजिज़े और रोशन दलील देकर[3] **(96)** फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा। सो वे लोग फ़िरऔन की राय पर चलते रहे, और फ़िरऔन की राय कुछ सही न थी। **(97)** वह क़ियामत के दिन अपनी क़ौम के आगे-आगे होगा, फिर उनको दोज़ख़ में जा उतारेगा, और वह उतरने की बहुत ही बुरी जगह है, जिसमें ये लोग उतारे जाएँगे। **(98)** और इस (दुनिया) में भी लानत उनके साथ-साथ रही और क़ियामत के दिन भी,[4] बुरा इनाम है जो उनको दिया गया। **(99)** ये (तबाहशुदा) बस्तियों के बाज़ हालात थे, जिनको हम आपसे बयान करते हैं, (सो) बाज़ (बस्तियाँ) तो उनमें (अब भी) क़ायम हैं,[5] और बाज़ का बिलकुल ख़ात्मा हो गया। **(100)** और हमने उनपर ज़ुल्म नहीं किया लेकिन उन्होंने ख़ुद ही अपने ऊपर

---

1. मतलब उनका यह था कि तुम हमको ये मज़ामीन मत सुनाओ, वरना तुम्हारी जान का ख़तरा है।

2. यानी तुम नुबुव्वत की दावत में मुझको झूठा कहते हो और हक़ीर समझते हो, तो अब मालूम हो जाएगा कि झूठ के जुर्म का करने वाला और ज़िल्लत की सज़ा का हक़दार कौन था, तुम या मैं। देखें अ़ज़ाब पड़ता है जैसा कि मैं कहता हूँ या अ़ज़ाब नहीं होता जैसा कि तुम्हारा गुमान है।

3. 'रोशन दलील' से मुराद या तो लाठी और चमकता हुआ हाथ है, जो उन नौ निशानियों में से हैं जो नवें पारे के पहले चौथाई पर ज़िक्र हुई हैं कि ये बड़ी हैं और या मूसा अ़लैहिस्सलाम की असरदार तक़रीर है जो आपने तौहीद से मुताल्लिक़ फ़िरऔन के सामने फ़रमाई।

4. चुनाँचे यहाँ क़हर से ग़र्क़ हुए और वहाँ दोज़ख़ नसीब होगी।

5. जैसे मिस्र कि फ़िरऔनियों के हलाक करने के बाद आबाद रहा।

ज़ुल्म किया। सो उनके वे माबूद जिनको वे अल्लाह के अ़लावा पूजते थे उनको कुछ फ़ायदा न पहुँचा सके, जब आपके रब का हुक्म आ पहुँचा, और उल्टा उनको नुक़सान पहुँचाया।[1] **(101)** और आपके रब की पकड़ ऐसी ही है, जब वह किसी बस्ती पर पकड़ करता है जबकि वे ज़ुल्म किया करते हों। बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक (और) सख़्त है।[2] **(102)** इन (वाक़िआ़त) में उस शख़्स के लिए बड़ी इबरत है जो आख़िरत के अ़ज़ाब से डरता हो।[3] वह ऐसा दिन होगा कि उसमें तमाम आदमी जमा किए जाएँगे, और वह (सबकी) हाज़िरी का दिन है। **(103)** और हम उसको सिर्फ़ थोड़ी मुद्दत के लिए मुल्तवी किए हुए हैं। **(104)** जिस वक़्त वह दिन आएगा, कोई शख़्स बिना उसकी (यानी ख़ुदा की) इजाज़त के बात तक न कर सकेगा। फिर उनमें बाज़े तो शक़ी "बदबख़्त" होंगे और बाज़े सईद "यानी नेकबख़्त" होंगे। **(105)** सो जो लोग शक़ी हैं वे तो दोज़ख़ में (ऐसे हाल से) होंगे कि उसमें उनकी चीख़-पुकार पड़ी रहेगी। **(106)** और हमेशा-हमेशा को उसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन क़ायम हैं,[4] हाँ अगर उसके रब ही को (निकालना) मन्ज़ूर हो (तो दूसरी बात है) आपका रब जो कुछ चाहे उसको पूरा कर सकता है।[5] **(107)** और रह गए वे लोग जो सईद हैं, सो वे जन्नत में होंगे और वे उसमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन क़ायम हैं। हाँ अगर आपके रबको (निकालना) मन्ज़ूर हो (तो दूसरी बात है)[6] वह ख़त्म न होने वाला अ़तिया होगा। **(108)** सो जिस चीज़ की ये पूजा करते हैं उसके बारे में ज़रा शुब्हा न करना,[7] ये लोग भी उसी तरह इबादत कर रहे हैं जिस तरह उनसे पहले उनके बाप-दादा इबादत करते थे। और हम यक़ीनन उनका (अ़ज़ाब का) हिस्सा उनको (क़ियामत के दिन) पूरा-पूरा बिना किसी कमी के पहुँचा देंगे। **(109)** ❖

और हमने मूसा को किताब दी थी, सो उसमें इख़्तिलाफ़ किया गया,[8] और अगर एक बात न होती जो आपके रब की तरफ़ से पहले मुक़र्रर हो चुकी है तो उनका फ़ैसला हो चुका होता, और ये लोग उसकी तरफ़ से ऐसे शक में हैं जिसने उनको तरद्दुद "यानी असमंजस" में डाल रखा है। **(110)** और यक़ीनन

---

1. यानी नुक़सान के सबब हुए कि उनकी पूजा की बदौलत सज़ा पाई।

2. उससे सख़्त तकलीफ़ पहुँचती है और उससे बच नहीं सकता।

3. सबक़ लेने की वजह ज़ाहिर है कि जब दुनिया का अ़ज़ाब ऐसा सख़्त है, हालाँकि यह बदला मिलने की जगह नहीं, तो आख़िरत का कैसा सख़्त अ़ज़ाब होगा जो कि बदला मिलने की जगह है।

4. यह मुहावरा है हमेशा रहने के लिए।

5. मगर बावजूद क़ुदरत के यह यक़ीनी बात है कि ख़ुदा कभी यह बात न चाहेगा, पस निकलना भी नसीब न होगा।

6. मगर यह यक़ीनी है कि ख़ुदा यह बात कभी न चाहेगा, पस उनके निकलने का भी कोई एहतिमाल और गुन्जाइश नहीं।

7. बल्कि यक़ीन रखना कि उनका यह अ़मल सज़ा को वाजिब करने वाला है, उसके बातिल होने की वजह से।

8. किसी ने माना किसी ने न माना, यह कोई आपके लिए नई बात नहीं हुई। पस आप ग़मगीन न हों।

सब-के-सब ऐसे ही हैं कि आपका रब उनको उनके आमाल का पूरा-पूरा हिस्सा देगा, वह यक़ीनन उनके आमाल की पूरी-पूरी ख़बर रखता है। **(111)** तो आप जिस तरह कि आपको हुक्म हुआ है मुस्तक़ीम रहिए, "यानी सही रास्ते पर क़ायम रहिए" और वे लोग भी जो (कुफ़्र से) तौबा करके आपके साथ में हैं, और दायरे से ज़रा मत निकलो, यक़ीनी तौर पर वह तुम सब के आमाल को ख़ूब देखता है। **(112)** और उन ज़ालिमों की तरफ़ मत झुको, कभी तुमको दोज़ख़ की आग लग जाए और ख़ुदा के सिवा कोई तुम्हारा साथ देने वाला न हो, फिर हिमायत तो तुम्हारी ज़रा भी न हो। **(113)** और आप नमाज़ की पाबन्दी रखिए, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में।[1] बेशक नेक काम मिटा देते हैं बुरे कामों को, यह बात एक नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। **(114)** और सब्र किया कीजिए कि अल्लाह तआला नेक काम करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते। **(115)** जो उम्मतें तुमसे पहले हो गुज़री हैं उनमें ऐसे समझदार लोग न हुए जो कि (दूसरों को) मुल्क में फ़साद (यानी कुफ़्र व शिर्क) फैलाने से मना करते, सिवाय चन्द आदमियों के कि जिनको उनमें से हमने (अ़ज़ाब से) बचा लिया था।[2] और जो लोग नाफ़रमान थे वे नाज़ व नेमत में थे, उसी के पीछे पड़े रहे और अपराधों के आ़दी हो गए।[3] **(116)** और आपका रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को कुफ़्र के सबब हलाक कर दे और उनके रहने वाले सुधार में लगे हों। **(117)** और अगर आपके रब को मन्ज़ूर होता तो सब आदमियों को एक ही तरीक़े का (यानी सब को मोमिन) बना देते, और (आगे भी) हमेशा इख़्तिलाफ़ करते रहेंगे, **(118)** मगर जिसपर आपके रब की रहमत हो। और (इस इख़्तिलाफ़ का ग़म न कीजिए, क्योंकि) उसने (यानी अल्लाह तआ़ला ने) लोगों को इसी वास्ते पैदा किया है, और आपके रब की (यह) बात पूरी होगी कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इनसानों दोनों से भर दूँगा।[4] **(119)** और पैग़म्बरों के क़िस्सों में से हम ये सारे क़िस्से आपसे बयान करते हैं जिनके ज़रिये से हम आपके दिल को मज़बूती देते हैं, और उन (क़िस्सों) में आपके पास (ऐसा मज़मून) पहुँचा है, (जो ख़ुद भी) सही (है) और मुसलमानों के लिए नसीहत (है) और याद-दिहानी (है)।[5] **(120)** और जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी हालत पर अ़मल करते रहो, हम भी अ़मल कर रहे हैं। **(121)** और तुम मुन्तज़िर रहो हम भी मुन्तज़िर हैं। **(122)** और

1. दिन के दो सिरों से मुराद बाज़ के नज़दीक फ़ज्र और अ़स्र है और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद दिन के अव्वल व आख़िर के हिस्से हैं। अव्वल हिस्से में सुबह की नमाज़ है और आख़िर के हिस्से में ज़ोहर और अ़स्र। और रात के हिस्सों से मुराद मग़्रिब और इशा का वक़्त। पस एक क़ौल पर इस आयत मे पाँचों नमाज़ें मुराद हैं और एक क़ौल पर सिवाय ज़ोहर के चार नमाज़ें, और ज़ोहर दूसरी आयत में ज़िक्र की गई है जो सूरः रूम में हैः 'व ही-न तुज़्हिरून.....'।

2. वे जैसे ख़ूद कुफ़्र व शिर्क से तौबा कर चुके थे औरों को भी मना करते रहते थे। और इन्हीं दोनों अ़मल की बरकत से वे अ़ज़ाब से बच गए थे। बाक़ी और लोग चूँकि ख़ुद ही कुफ़्र में मुब्तला थे और उन्होंने औरों को भी मना न किया, इसलिए उनपर अ़ज़ाब आया।

3. मतलब का ख़ुलासा यह कि नाफ़रमानी तो उनमें आ़म तौर पर रही और मना करने वाला कोई हुआ नहीं, इसलिए सब एक ही अ़ज़ाब में मुब्तला हुए। वरना कुफ़्र का अ़ज़ाब आ़म होता और फ़साद यानी ख़राबी और बिगाड़ का ख़ास। अब मना न करने की वजह से जो फ़सादी नहीं थे वे भी उन्हें में शरीक क़रार दिए गए। इसलिए जो अ़ज़ाब कुफ़्र व फ़साद के मजमूए पर नाज़िल हुआ वह भी सबके लिए आ़म रहा।

4. ख़ुद उसकी हिक्मत यह है कि जिस तरह मरहूमीन में रहमत की सिफ़त का ज़ुहूर हुआ, जिनपर ग़ज़ब किया गया उनमें ग़ज़ब की सिफ़त ज़ाहिर हो। फिर उस ज़ाहिर होने की हिक्मत या उस हिक्मत की हिक्मत अल्लाह ही को मालूम है। ग़रज़ इस ज़ाहिर होने की हिक्मत से बाज़ों का जहन्नम में जाना ज़रूरी और जहन्नम में जाने के लिए काफ़िरों का वजूद तक्वीनी तौर पर ज़रूरी। और काफ़िरों के वजूद के लिए इख़्तिलाफ़ लाज़िम। यह वजह है सबके मुसलमान न होने की।

5. क़िस्सों के बयान करने का यह दूसरा फ़ायदा हुआ, एक फ़ायदा नबी के लिए, दूसरा उम्मत के लिए।

फ़ायदाः हक़ ज़ाती सिफ़त है क़ुरआन की उन आयतों की जो क़िस्सों पर मुश्तमिल हैं, और नसीहत व याद-दिहानी उनकी इज़ाफ़ी सिफ़तें हैं, जिनमें एक हाकिम और एक डाँट-डपट करने वाला है।

आसमानों और ज़मीन में जितनी ग़ैब की बातें हैं उनका इल्म ख़ुदा ही को है, और सब मामलात उसी की तरफ़ लौटाए जाएँगे। तो आप उसी की इबादत कीजिए और उसी पर भरोसा कीजिए, और आपका रब उन बातों से बेख़बर नहीं जो कुछ तुम (लोग) कर रहे हो। **(123)** ❖

12 सूरः यूसुफ़ 53

सूरः यूसुफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 111 आयतें और 12 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]अलिफ़-लाम-रा। ये आयतें हैं एक वाज़ेह किताब की। **(1)** हमने उसको उतारा है क़ुरआन अ़रबी (ज़बान का) ताकि तुम समझो। **(2)** हमने जो यह क़ुरआन आपके पास भेजा है, इसके ज़रिये से हम आपसे एक बड़ा उम्दा क़िस्सा बयान करते हैं, और इससे पहले आप बिलकुल बेख़बर थे।[2] **(3)** (वह वक़्त ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जब यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा! मैंने ग्यारह सितारे और सूरज और चाँद देखे हैं, उनको अपने सामने सज्दा करते हुए देखा है। **(4)** उन्होंने फ़रमाया कि बेटा! अपने इस ख़्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान मत करना, पस वे तुम्हारे लिए कोई ख़ास तदबीर करेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। **(5)** और इसी तरह तुम्हारा रब तुमको चुनेगा और तुमको ख़्वाबों की ताबीर का इल्म देगा, और तुमपर और याक़ूब के ख़ानदान पर अपना इनाम पूरा करेगा जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा-परदादा (यानी) इब्राहीम और इसहाक़ पर अपना इनाम पूरा कर चुका है, वाक़ई तुम्हारा रब बड़ा इल्म (व) हिक्मत वाला है।[3] **(6)** ❖

यूसुफ़ के और उनके भाइयों के क़िस्से में (ख़ुदा की क़ुदरत और आँ-हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत के) दलाइल मौजूद हैं, उन लोगों के लिए जो पूछते हैं।[4] **(7)** (वह वक़्त ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जबकि उनके भाइयों ने बातचीत की कि यूसुफ़ और उनका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालाँकि हम एक जमाअ़त (की जमाअ़त) हैं, वाक़ई हमारे बाप खुली ग़लती में हैं।[5] **(8)** या तो युसूफ़ को क़त्ल कर डालो, या उसको किसी सरज़मीन में डाल आओ तो तुम्हारे बाप का रुख़ ख़लिस तुम्हारी तरफ़ हो जाएगा[6] और तुम्हारे सब काम बन जाएँगे। **(9)** उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ़ को क़त्ल मत करो,

---

1. यह सूरत तक़रीबन पूरी की पूरी हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से पर मुश्तमिल है और उसके शुरू करने से पहले क़ुरआन पाक के हक़ होने का बयान है, जिसमें वह क़िस्सा बयान हुआ है। और उसके ख़त्म करने से पहले अव्वल तौहीद का मज़मून और उसमें कोताही पर वईद, फिर रिसालत की बहस और उसके इनकारियों का बुरा अन्जाम होने का मुख़्तसर तौर बयान, और ऐसी हिकायतों और क़िस्सों का इबरत का सबब होना और क़ुरआन का हक़ होना मज़कूर है जिसमें ये क़िस्से हैं और इसी पर सूरः ख़त्म है। पस सूरः का ज़्यादा हिस्सा क़िस्सों पर मुश्तमिल है और सूरः का कुछ हिस्सा दीन के उसूलों में है जिसमें कुफ़्फ़ार की मुख़ालफ़त की वजह से आपको जो ग़म था उसके ख़ात्मे और तसल्ली के लिए यह क़िस्सा बयान किया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को उनके भाइयों की मुख़ालफ़त से कोई नुक़सान नहीं पहुँचा, बल्कि अन्जामकार वही तरक़्क़ी का सबब हो गया। इसी तरह आपको आपकी क़ौम की मुख़ालफ़त नुक़सानदेह न होगी।
2. क्योंकि आपने न कोई किताब पढ़ी थी, न किसी किताब वाले से फ़ायदा हासिल किया था और अ़वाम में इस तरह सही तौर पर यह क़िस्सा मश्हूर न था। पस इससे साबित हुआ कि यह क़ुरआन वह्य यानी अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल-शुदा है।
3. ये ख़ुशख़बरियाँ जो याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने दीं या तो इस ख़्वाब से समझे या वह्य से।
4. यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को ऐसी बेकसी और बेबसी से उस बुलन्दी और हुकूमत पर पहुँचा देना **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 426 पर)**

और उनको किसी अन्धेरे कुएँ में डाल दो,[1] ताकि उनको कोई राह चलता निकाल ले जाए, अगर तुमको करना है। **(10)** सबने कहा कि अब्बा! इसकी क्या वजह है कि यूसुफ़ के बारे में आप हमारा एतिबार नहीं करते, हालाँकि हम उनके ख़ैर-ख़्वाह हैं। **(11)** आप उनको कल के दिन हमारे साथ भेजिए कि ज़रा वे खाएँ और खेलें,[2] और हम उनकी पूरी हिफ़ाज़त रखेंगे। **(12)** (हज़रत याक़ूब ने) फ़रमाया कि मुझको यह बात ग़म में डालती है कि उसको तुम ले जाओ और मैं यह अन्देशा करता हूँ कि उसको कोई भेड़िया खा जाए और तुम उससे बेख़बर रहो। **(13)** वे बोले अगर उनको कोई भेड़िया खा जाए और हम एक जमाअ़त (की जमाअ़त मौजूद) हों तो हम बिलकुल ही गए गुज़रे हुए। **(14)** सो जब उनको ले गए और सबने पुख़्ता इरादा कर लिया कि उनको किसी अन्धेरे कुँए में डाल दें, और हमने उनके पास वह्य भेजी कि तुम उन लोगों को यह बात जतलाओगे और वे पहचानेंगे भी नहीं।[3] **(15)** और वे लोग अपने बाप के पास इशा के वक़्त रोते हुए पहुँचे। **(16)** कहने लगे, अब्बा! हम सब तो आपस में दौड़ने में लग गए और यूसुफ़ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया, पस एक भेड़िया उनको खा गया, और आप तो हमारा काहे को यक़ीन करने लगे, चाहे हम (कैसे ही) सच्चे हों। ▲ **(17)** और यूसुफ़ के कुर्ते पर झूठ-मूठ का ख़ून भी लगा लाए थे, (याक़ूब अ़लैहि. ने) फ़रमाया, (ऐसा नहीं है) बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है,[4] सो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा। और जो बातें तुम बनाते हो उनमें अल्लाह तआ़ला ही मदद करे।[5] **(18)** और एक क़ाफ़िला आ निकला और उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के वास्ते भेजा, उसने अपना डोल डाला। कहने लगा कि (अरे भाई) बड़ी ख़ुशी की बात है, यह तो (अच्छा) लड़का (निकल आया) और उनको (तिजारत का) माल क़रार देकर छुपा लिया,[6] और अल्लाह को उन सबकी कारगुज़ारियाँ मालूम थीं।[7] **(19)** और उनको बहुत ही कम क़ीमत में बेच डाला, यानी गिनती के चन्द दिरहम के बदले, और वे लोग उनके कुछ क़द्रदान तो थे ही नहीं। **(20)** ❖

(पृष्ठ 424 का शेष) यह ख़ुदा ही का काम था, इससे मुसलमानों को जो किसी क़िस्से के इच्छुक थे इबरत और ईमान की क़ुव्वत हासिल होगी और यहूद को कि उन्होंने ख़ुसूसियत के साथ यह क़िस्सा पूछा था नुबुव्वत की दलील मिल सकती है, अगर ग़ौर करें।

5. हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के साथ सबसे ज़्यादा मुहब्बत होने की अनेक वजह बयान की गई हैं। जिनमें ज़्यादा सही यह है कि नुबुव्वत की समझ से याक़ूब अ़लैहिस्सलाम उनको होनहार देखते थे और ख़्वाब सुनने के बाद यह बात और ज़्यादा पुख़्ता हो गई थी जैसा कि उनके इर्शाद 'और इसी तरह तुम्हारा रब तुमको चुनेगा' से साफ़ मालूम होता है। लेकिन यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाई समझते थे कि यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) के बारे में ऐसा ख़्याल याक़ूब अ़लैहिस्सलाम की अपनी सोच है, और सोच में ग़लती होना नुबुव्वत के मनाफ़ी नहीं। पस 'ज़लाले मुबीन' यानी खुली ग़लती से ग़ौर व फ़िक्र की ख़ता मुराद है, वरना नबी के बारे में गुमराही का ख़्याल व एतिक़ाद कुफ़्र है।

6. क्योंकि वह दोनों सूरतों में बाप से जुदा हो जाएँगे।

1. जिसमें पानी भी ज़्यादा न हो कि डूबने का डर हो, वरना वह तो क़त्ल ही है और जल्दी से हर किसी को पता भी न चले, क्योंकि अन्धेरा कुआँ है, और आ़म रास्ते से भी दूर न हो।

2. ज़ाहिरन खेलने को याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने जायज़ रखा, इसके बावजूद कि बेफ़ायदा और बेकार काम की तजवीज़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ है। सो असल यह है कि यह खेलना बेफ़ायदा नहीं, क्योंकि मुराद इससे दौड़ और तीर चलाना वग़ैरह है, जो फ़ायदेमन्द चीज़ों में से हैं। इसके अ़लावा खेल के जायज़ होने की दूसरी वजह यह थी कि और फ़ायदों के साथ-साथ तबीयत की ताज़गी भी है जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी और लाज़िमी मश्ग़लों में जी लगने का ज़रिया है। और ज़रूरी का मुक़द्दिमा (यानी जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी हो वह) भी ज़रूरी होता है।

3. चुनाँचे यह वायदा ज़ाहिर और पूरा हुआ। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 428 पर)**

और जिस शख़्स ने मिस्र में उनको ख़रीदा था उसने अपनी बीवी से कहा की इसको ख़ातिर से रखना, क्या अ़जब है कि हमारे काम आए या हम इसको बेटा बना लें। और हमने इसी तरह यूसुफ़ को उस सरज़मीन में कुव्वत दी, और ताकि हम उनको ख़्वाबों की ताबीर देना बतला दें,[1] और अल्लाह तआ़ला अपने काम पर ग़ालिब है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते।[2] **(21)** और जब वह अपनी जवानी को पहुँचे, हमने उनको हिक्मत और इल्म अ़ता फ़रमाया, और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं।[3] **(22)** और जिस औ़रत के घर में यूसुफ़ रहते थे, वह (उनसे अपना मतलब हासिल करने को) उनको फुसलाने लगी और सारे दरवाज़े बन्द कर दिए और कहने लगी कि आ जाओ, तुम ही से कहती हूँ। (यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) कहा, (यह तो भारी गुनाह है) अल्लाह बचाए। (दूसरे) वह मेरा पालने-परवरिश करने वाला है। मुझको कैसी अच्छी तरह रखा, ऐसे हक़-फ़रामोश को फ़लाह नहीं हुआ करती। **(23)** और उस औ़रत के दिल में तो उनका ख़्याल जम ही रहा था, और उनको भी उस औ़रत का कुछ-कुछ ख़्याल हो चला था,[4] अगर अपने रब की दलील[5] को उन्होंने न देखा होता[6] तो ज़्यादा ख़्याल हो जाता अ़जब न था।[7] इसी तरह (हमने उनको इल्म दिया) ताकि हम उनसे छोटे और बड़े गुनाह को दूर रखें,[8] क्योंकि वह हमारे मुख़्लिस बन्दों में से थे। **(24)** और दोनों (आगे-पीछे) दरवाज़े की तरफ़ को दौड़े, और उस औ़रत ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला, और दोनों ने उस औ़रत के शौहर को दरवाज़े के पास पाया।[9] (औ़रत) बोली, जो शख़्स तेरी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सज़ा सिवाय इसके और क्या है कि वह जेलख़ाने भेजा जाए या और कोई दर्दनाक सज़ा हो। **(25)** (हज़रत यूसुफ़ ने) कहा, यही मुझसे अपना मतलब (निकालने) को फुसलाती थी, और उस औ़रत के ख़ानदान में से एक गवाह ने गवाही दी[10] कि इनका कुर्ता अगर आगे से फटा है तो औ़रत सच्ची है और ये झूठे। **(26)** और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो औ़रत झूठी और यह सच्चे।[11] **(27)** सो जब उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो कहने लगा कि यह तुम औ़रतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियाँ ग़ज़ब ही की हैं। **(28)** ऐ यूसुफ़! इस बात को जाने दो, और ऐ औ़रत! तू अपने कुसूर की माफ़ी माँग, बेशक पूरी की पूरी तू ही कुसूरवार है। **(29)** ❖

(पृष्ठ 426 का शेष) **4.** याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का 'बल सव्वलत्' 'यानी बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है,' फ़रमाना मशहूर क़ौल के मुताबिक़ उस कुर्ते के धब्बे देखने से था, लेकिन अगर वह रिवायत साबित न हो तो अपनी फ़िक्री सलाहियत और दिल की गवाही से होगा जो कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम में अक्सर तो हक़ीक़त के मुताबिक़ होता है और कभी हक़ीक़त के ख़िलाफ़ भी हो जाता है।

5. जब याक़ूब अ़लैहिस्सलाम को यक़ीनी तौर पर या अन्दाज़े से यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाइयों का बयान ग़लत होना मालूम था तो यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को तलाश क्यों न किया। ग़ालिब यह है कि याक़ूब अ़लैहिस्सलाम को वह्य से मुख़्तसर तौर पर मालूम हो गया होगा कि वह ज़ाया न होंगे लेकिन मेरी क़िस्मत में लम्बी जुदाई मुक़द्दर है, मेरी तलाश से न मिलेंगे।

6. ताकि कोई आकर दावेदार न हो, फिर उसको लेजाकर मिस्र में किसी बड़े आदमी के हाथ बेचकर ख़ूब नफ़ा कमाएँगे।

7. कि भाई उनको बेवतन और क़ाफ़िले वाले माल हासिल करने का ज़रिया बना रहे थे, और अल्लाह तआ़ला उनको ज़माने का बादशाह बना रहा था।

1. ख़ूब कुव्वत और ख़्वाब की ताबीरों का इल्म देने से मक़सूद यह था कि दौलते ज़ाहिरी व बातिनी से मालामाल करें।

2. यह जुम्ला क़िस्से के दरमियान में एक ज़ायद जुम्ले के तौर पर आ गया ताकि ख़रीद व बेच के साथ शुरू ही से सुनने वालों को मालूम हो जाए कि गोया इस वक़्त ज़ाहिरन ऐसी नागवार हालत में हैं, मगर हमने उनको असल में एक शानदार हुकूमत और अ़जीब व ग़रीब उलूम के लिए बचाया है। और ये हालतें आ़रज़ी और असली मक़ासिद का मुक़द्दिमा हैं। क्योंकि हुकूमत हासिल करके तरक़्क़ी पाने का ज़रिया अ़ज़ीज़ के घर आना ही हुआ। इसी तरह उलूम व दिल की कैफ़ियतों के लिए नागवारियाँ और मशक़्क़तें सबब हो जाते हैं। पस इस एतिबार से उलूम के फ़ैज़ान में भी उसको दख़ल हुआ। और मुश्तरक तौर पर रईसों और सरदारों के घर में परवरिश पाना सलीक़ा व तजुर्बा बढ़ाता है, जिसकी हुकूमत और उलूम दोनों में ज़रूरत है, ख़ासकर ताबीर के इल्म में। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 430 पर)**

और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थीं यह बात कही कि अ़ज़ीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम को (उससे अपना मतलब हासिल करने के वास्ते) फुसलाती है। उस ग़ुलाम का इश्क़ उसके दिल में जगह कर गया है, हम तो उसको खुली ग़लती में देखते हैं। **(30)** सो जब उस औरत ने उन औरतों की यह बदगोई सुनी तो किसी के हाथ उनको बुला भेजा (कि तुम्हारी दावत है)[1] और उनके वास्ते (मस्नद) तकिया लगाया, और हर एक को उनमें से एक-एक चाकू दे दिया। (यह तो सिर्फ़ बहाना था, असली ग़रज़ यह थी कि अपने आपे में न रहकर अपने हाथ ज़ख़्मी कर लें) और (यूसुफ़ से) कहा कि ज़रा इनके सामने तो आ जाओ। (वह यह समझकर कि कोई जायज़ और सही ज़रूरत होगी बाहर आ गए) सो औरतों ने जो उनको देखा तो (उनके हुस्न व ख़ूबसूरती से) हैरान रह गईं और (उनपर ऐसी बदहवासी तारी हुई कि) अपने हाथ काट लिए, और कहने लगीं, ख़ुदा की पनाह, यह शख़्स आदमी हरगिज़ नहीं, यह तो कोई बुज़ुर्ग फ़रिश्ता है।[2] **(31)** बोली, वह शख़्स यही है जिसके बारे में तुम मुझको बुरा-भला कहती थीं (कि अपने ग़ुलाम को चाहती है) और वाक़ई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की ख़्वाहिश की थी मगर यह पाक-साफ़ रहा, और अगर आइन्दा (भी) मेरा कहना नहीं करेगा तो बेशक जेलख़ाने भेजा जाएगा और बेइ़ज़्ज़त भी होगा। **(32)** (यूसुफ़ ने) दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! जिस काम की तरफ़ ये औरतें मुझको बुला रही हैं उससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसन्द है। और अगर आप उनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करेंगे तो मैं उनकी तरफ़ माइल हो जाऊँगा और नादानी का काम कर बैठूँगा।[3] **(33)** सो उनके रब ने उनकी दुआ़ क़बूल की और उन औरतों के दाव-पेच को उनसे दूर रखा, बेशक वह बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। **(34)** फिर बहुत-सी निशानियाँ देखने के बाद उन लोगों को यही मस्लहत मालूम हुआ कि उनको एक वक़्त तक क़ैद में रखें।[4] **(35)** ❖

और उनके (यानी यूसुफ़ के) साथ और भी दो ग़ुलाम क़ैदख़ाने में दाख़िल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैं अपने को (ख़्वाब में) देखता हूँ कि शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं अपने को इस तरह देखता हूँ कि मैं अपने सर पर रोटियाँ लिए जाता हूँ, उनमें से परिन्दे खाते हैं। हमको इस (ख़्वाब) की ताबीर बतलाइए, आप हमको नेक आदमी मालूम होते हैं। **(36)** (यूसुफ़ ने) फ़रमाया कि जो खाना तुम्हारे पास आता है जो कि तुमको खाने के लिए मिलता है, मैं उसके आने से पहले उसकी हक़ीक़त तुमको बतला दिया करता हूँ। यह (बतला देना) उस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फ़रमाया है, मैंने तो उन लोगों का मज़हब छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और वे लोग आख़िरत के भी इनकारी हैं।[5] **(37)** और

(पृष्ठ 428 का शेष) 3. इसमें पहले से यह बतलाना मक़सूद है कि जो कुछ आगे क़िस्से में बाज़े मामलात और बातों की तोहमत आपके मुताल्लिक़ आएगी वह सब ग़लत होगी, क्योंकि वह साहिबे हिक्मत थे जिसका हासिल है नफ़ा देने वाला इल्म, यानी इल्म अ़मल के साथ, और इन चीज़ों का सादिर होना हिक्मत के ख़िलाफ़ है। पस सादिर और ज़ाहिर होना ग़लत है।

4. तबई चीज़ होने के दर्जे में जो कि इख़्तियार से बाहर है जैसा कि गर्मी के रोज़े में पानी की तरफ़ तबई मैलान होता है अगरचे रोज़ा तोड़ने का वस्वसा भी नहीं आता।

5. यानी इस काम के गुनाह होने की दलील को कि शरई हुक्म है।

6. यानी उनको शरीअ़त का इल्म जो कि अ़मली क़ुव्वत के साथ मिला हुआ है, न होता।

7. क्योंकि असबाब और उसकी तरफ़ मुतवज्जह करने वाले हालात ऐसे ही ताक़तवर थे।

8. यानी इरादे से भी बचाया और फ़ेल से भी बचाया।

9. औरत शौहर को देखकर सटपटाई और फ़ौरन बात बनाकर बोली।

10. वह एक दूध पीता बच्चा था जो यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के मोजिज़े से बोल पड़ा। अगर यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम उस वक़्त नबी न हों तो इस आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ पेश आने वाले वाक़िए को इस्तिलाह में मोजिज़े के बजाय 'इरहास' (यानी उसकी बुनियाद और पहला दर्जा) कहेंगे।

11. इस गवाही देने वाले ने जो फ़ैसला बतलाया यह कोई शरई हुज्जत नहीं, काफ़ी हुज्जत तो सिर्फ़ उसका बोल पड़ना है, लेकिन हाज़िरीन के ज़ौक़ के मुवाफ़िक़ उसका बयान कर देना असली हुज्जत के लिए ज़्यादा ताईद करने वाला हो गया। **(पृष्ठ 430 की तफ़सीर पृष्ठ 432 पर)**

मैंने अपने बाप-दादों का मज़हब इख़्तियार कर रखा है। इब्राहीम का और इसहाक़ का और याकूब का, हमको किसी तरह मुनासिब नहीं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक क़रार दें।[1] यह (तौहीद का अक़ीदा) हमपर और दूसरे लोगों पर ख़ुदा तआ़ला का एक फ़ज़्ल है,[2] लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।[3] **(38)** ऐ क़ैदख़ाने के दोनों साथियो! मुतफ़र्रिक़ ''यानी अलग-अलग'' माबूद अच्छे या एक माबूद बरहक़, जो सबसे ज़बरदस्त है (वह अच्छा)। **(39)** तुम लोग तो ख़ुदा को छोड़कर सिर्फ़ चन्द बेहक़ीक़त नामों की इबादत करते हो, जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने मुक़र्रर कर लिया है। ख़ुदा तआ़ला ने तो उनकी कोई दलील भेजी नहीं। हुक्म ख़ुदा ही का है, उसने यह हुक्म दिया है कि सिवाय उसके और किसी की इबादत मत करो, यही सीधा तरीक़ा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।[4] **(40)** ऐ क़ैदख़ाने के दोनों साथियो! तुममें एक तो (बरी होकर) अपने आक़ा को शराब पिलाया करेगा और दूसरा सूली दिया जाएगा, और उसके सर को परिन्दे खाएँगे, जिस बारे में तुम पूछते थे वह इसी तरह मुक़द्दर हो चुका।[5] **(41)** और जिस शख़्स की रिहाई का गुमान था उससे (यूसुफ़ ने) फ़रमाया कि अपने आक़ा के सामने मेरा भी ज़िक्र करना, (कि एक शख़्स बेक़ुसूर क़ैद है। उसने वायदा कर लिया) फिर उसको अपने आक़ा के सामने ज़िक्र करना शैतान ने भुला दिया तो क़ैदख़ाने में और भी चन्द साल उनका रहना हुआ।[6] **(42)** ❖

और बादशाह ने कहा, मैं देखता हूँ कि सात गायें मोटी-ताज़ी हैं जिनको सात कमज़ोर और दुबली गायें खा गईं, और सात बालें हरी हैं और उनके अ़लावा (सात) और हैं जो कि सूखी हैं। ऐ दरबार वालो! अगर तुम ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख़्वाब के बारे में मुझको जवाब दो। **(43)** वे लोग कहने लगे कि यूँ ही परेशान ख़्यालात हैं, और हम लोग ख़्वाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं रखते।[7] **(44)** और उन (ज़िक्र हुए) दो

(तफ़सीर पृष्ठ 430) **1.** इस दावत में उनके सामने मुख़्तलिफ़ खाने और मेवे हाज़िर किए, जिनमें बाज़ चीज़ें चाकू से छीलकर खाने की थीं।

2. मतलब यह कि ऐसा हुस्न व जमाल आदमी में कहाँ होता है। फ़रिश्ते अलबत्ता ऐसे नूरानी होते हैं।

3. यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम का यह फ़रमाना 'कि अगर आप उनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करेंगे तो मैं उनकी तरफ़ माइल हो जाऊँगा' पारसाई के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि यह पारसाई भी तो अल्लाह की हिफ़ाज़त ही की बदौलत है। चूँकि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की नज़र हक़ीक़ी असर करने वाले की तरफ़ होती है इसलिए उनको अपनी पारसाई पर एतिमाद और नाज़ नहीं होता। और यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम का यह कहना 'कि अगर आप उनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करेंगे तो मैं उनकी तरफ़ माइल हो जाऊँगा' मक़सूद इससे यह है कि 'इसको मुझसे दूर फ़रमा दीजिए' इसलिए इसके बाद 'सो उनकी दुआ़ उनके रब ने क़बूल की' फ़रमाया। और इस क़बूल होने का बयान ख़ुद क़ुरआन में है: 'और उन औ़रतों के दाव-पेच को उनसे दूर रखा'। जेल में जाना क़बूलियत का हिस्सा नहीं, जैसा कि मश्हूर है कि क़ैद की दुआ़ की इसलिए क़ैद में गए, क्योंकि क़ैद की दरख़्वास्त तो नहीं की सिर्फ़ बुरे फ़ेल को जेलख़ाने से ज़्यादा बुरा होना बयान किया।

4. अ़वाम में चर्चा बन्द होने की ग़रज़ से।

5. हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने चाहा कि जब ये मेरे मोतक़िद हैं तो इनको पहले ईमान की दावत देनी चाहिए, इसलिए अव्वल अपना नबी होना एक मोजिज़े से साबित किया। आगे तौहीद को साबित किया है, यानी जब मेरा कमाल और नुबुव्वत दलील से साबित है तो जिस तरीक़े को मैं इख़्तियार करूँ और उसको सही बतलाऊँ वह हक़ होगा, सो वह तरीक़ा यह है।

(तफ़सीर पृष्ठ 432) **1.** यानी तौहीद इस मज़हब का सबसे बड़ा रुक्न है।

2. क्योंकि उसकी बदौलत दुनिया व आख़िरत की फ़लाह हासिल होती है।

3. यानी न तौहीद की क़द्र करते हैं और न उसको इख़्तियार करते हैं।

4. ईमान के अरकान की तब्लीग़ करके अब उनके ख़्वाब की ताबीर बतलाते हैं।

5. चुनाँचे मुक़द्दिमे में सफ़ाई के बाद एक बरी साबित हुआ, दूसरा मुज्रिम, दोनों जेलख़ाने से बुलाए गए। एक रिहाई के लिए दूसरा सज़ा के लिए।

6. 'बिज़्अ़ुन्' अ़रबी में तीन से दस तक के लिए आता है। इसके दरमियान जितने अ़दद (अंक) हैं हर अ़दद का आयत में एहतिमाल है। चूँकि आ़दतन जो असबाब इस्तेमाल किए जाते हों उनका इस्तेमाल जायज़ है इसलिए इस मामले में **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 434 पर)**

(क़ैदियों) में से जो रिहा हो गया था उसने कहा, और मुद्दत के बाद उसको (हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम की वसीयत का) ख़्याल आया कि मैं इसकी ताबीर की ख़बर लाए देता हूँ, आप लोग मुझको ज़रा जाने की इजाज़त दीजिए। **(45)** (वह क़ैद ख़ाने में पहुँचा और कहा) ऐ यूसुफ़! ऐ सच्चाई के पैकर, आप हम लोगों को इस (ख़्वाब) का जवाब (यानी ताबीर) दीजिए कि सात गायें मोटी हैं, उनको सात दुबली गायें खा गईं, और सात बाले हरी हैं और उसके अ़लावा (सात) सूखी हैं, ताकि मैं उन लोगों के पास लौटकर जाऊँ, ताकि उनको भी मालूम हो जाए। **(46)** आपने फ़रमाया कि[1] तुम सात साल लगातार ग़ल्ला बोना, फिर जो फल काटो उसको बालों ही में रहने देना, (ताकि घुन न लग जाए) हाँ मगर थोड़ा-सा जो तुम्हारे खाने में आए (निकाल लेना) **(47)** फिर उसके बाद सात साल ऐसे सख़्त आएँगे जो कि उस ज़ख़ीरे को खा जाएँगे जिसको तुमने (उन सालों के वास्ते) जमाकर रखा है, हाँ मगर थोड़ा-सा जो रख छोड़ोगे। **(48)** फिर उसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों के लिए ख़ूब बारिश होगी और उसमें शीरा भी निचोड़ेंगे। **(49)** ❖

और बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको मेरे पास लाओ। फिर जब उनके पास क़ासिद पहुँचा, आपने फ़रमाया तू अपनी सरकार के पास लौट जा, फिर उनसे दरियाफ़्त कर कि उन औ़रतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब उन औ़रतों के फ़रेब को ख़ूब जानता है।[2] **(50)** कहा कि तुम्हारा क्या वाक़िआ़ है, जब तुमने यूसुफ़ से अपने मतलब की ख़्वाहिश की। औ़रतों ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह, हमको उनमें ज़रा भी बुराई की बात मालूम नहीं हुई।[3] अ़ज़ीज़ की बीवी कहने लगी कि अब तो हक़ बात ज़ाहिर हो ही गई। मैंने ही उनसे अपने मतलब की ख़्वाहिश की थी, और बेशक वही सच्चे हैं। **(51)** (यूसुफ़ ने) फ़रमाया कि यह (एहतिमाम) सिर्फ़ इस वजह से है ताकि उसको (यानी अ़ज़ीज़ को) यक़ीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उनकी ग़ैर-मौजूदगी में उसकी आबरू पर हाथ नहीं डाला, और यह कि अल्लाह तआ़ला ख़ियानत करने वालों के फ़रेब को चलने नहीं देता। **(52)**

(पृष्ठ 432 का शेष) हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम पर कोई शुब्हा नहीं हो सकता। और यह जो फ़रमायाः 'तो क़ैदख़ाने में और भी चन्द साल उनका रहना हुआ' यह बतौर इताब के नहीं फ़रमाया बल्कि महज़ भूल जाने पर इसका मुरत्तब करना मक़सद है कि वह भूल गया इसलिए यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम की रिहाई का कोई सामान न हुआ।

7. दो जवाब इसलिए दिए कि पहले जवाब से बादशाह के दिल से परेशानी और वस्वसा दूर करना है, और दूसरे जवाब से अपना उज़्र ज़ाहिर करना है। खुलासा यह कि अव्वल तो ऐसे ख़्वाब क़ाबिले ताबीर नहीं, दूसरे हम इस फ़न से वाक़िफ़ नहीं।

1. यानी उन सात मोटी गायों और सात हरी बालों से पैदावार और बारिश के साल मुराद हैं।

2. मतलब यह था कि उनको बुलाकर मेरा हाल उस वाक़िए के मुताल्लिक़ जिसमें मुझको क़ैद किया गया था तफ़तीश किया जाए, और औ़रतों के हाल से मुराद उनका यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के हाल से वाक़िफ़ या नावाक़िफ़ होना है। उन औ़रतों की तख़्सीस शायद इसलिए की हो कि उनके सामने जुलेख़ा ने क़बूल किया था कि 'वाक़ई मैंने इससे अपना मक़सद हासिल करने की ख़्वाहिश की थी मगर यह पाक रहा'। यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के अपने पाकदामन होने के इस एहतिमाम से मालूम हुआ कि तोहमत को हटाने में कोशिश करना पसन्दीदा बात है। हदीसों में इसका पसन्दीदा होना आया है। अन्य फ़ायदों के साथ इसका एक फ़ायदा यह भी है कि लोग ग़ीबत से बचेंगे और अपना दिल भी तश्वीश से महफ़ूज़ रहेगा।

3. यानी वे बिलकुल पाक व साफ़ हैं।

तेरहवाँ पारः व मा उबर्रिउ

सूरः यूसुफ़ (आयत 53 से 111)

और (बाक़ी) मैं अपने नफ़्स को (ज़ात के एतिबार से) बरी (और पाक) नहीं बतलाता, (क्योंकि) नफ़्स तो (हर एक का) बुरी ही बात बतलाता है, सिवाय उस (नफ़्स) के जिसपर मेरा रब रहम करे,[1] बेशक मेरा रब बड़ी मग़्फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। **(53)** और (यह सुनकर) बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लाओ, मैं उनको ख़ास अपने (काम के) लिए रखूँगा। पस जब उसने (यानी बादशाह ने) उनसे बातें कीं तो (उनसे) कहा कि तुम हमारे नज़दीक आज (से) इज़्ज़त व इक्राम वाले और मोतबर हो। **(54)** (यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि मुल्की ख़ज़ानों पर मुझको मामूर कर दो, मैं (उनकी) हिफ़ाज़त भी रखूँगा (और) ख़ूब वाक़िफ़ (भी) हूँ।[2] **(55)** और हमने ऐसे (अ़जीब) अन्दाज़ पर यूसुफ़ को मुल्क में बाइख़्तियार बना दिया कि उसमें जहाँ चाहें रहें-सहें,[3] हम जिसपर चाहें अपनी इनायत मुतवज्जह कर दें और हम नेकी करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते।[4] **(56)** और आख़िरत का अज्र कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ईमान और तक़्वा वालों के लिए।[5] **(57)** ❖

और (किनआ़न में भी अकाल पड़ा तो) यूसुफ़ के भाई आए फिर उनके (यानी यूसुफ़ के) पास पहुँचे, सो उन्होंने (यानी हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) उनको पहचान लिया और उन्होंने उनको (यानी यूसुफ़ को) नहीं पहचाना। **(58)** और जब उन्होंने (यानी यूसुफ़ ने) उनके (ग़ल्ले का) सामान तैयार कर दिया तो (चलते वक़्त) फ़रमा दिया कि अपने अ़ल्लाती "माँ की तरफ़ से सौतेले" भाई को भी (साथ) लाना (ताकि उसका हिस्सा भी दिया जा सके), तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा नापकर देता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करता हूँ।[6] **(59)** और अगर तुम (दोबारा आए और) उसको मेरे पास न लाए[7] तो न मेरे पास तुम्हारे नाम का ग़ल्ला होगा और न तुम मेरे पास आना। **(60)** वे बोले (देखिए) हम (अपनी कोशिश भर तो) उसके बाप से उसको माँगेंगे और हम (इस काम को) ज़रूर करेंगे। **(61)** और उन्होंने (यानी यूसुफ़ ने) अपने नौकरों से कह दिया कि उनकी जमा-पूँजी उन (ही) के सामान में (छुपाकर) रख दो, ताकि जब घर जाएँ तो उसको पहचानें, शायद (यह एहसान व करम देखकर) फिर दोबारा आएँ।[8] **(62)** ग़रज़ जब वह लौटकर अपने बाप (याक़ूब) के पास पहुँचे, कहने लगे ऐ अब्बा![9] हमारे लिए (क़तई तौर पर) ग़ल्ले की बन्दिश कर दी गई, सो आप हमारे भाई (बिनयामीन) को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम (फिर) ग़ल्ला ला सकें, और हम उनकी पूरी हिफ़ाज़त रखेंगे। **(63)** उन्होंने (यानी याक़ूब अ़लैहि. ने) फ़रमाया कि बस (रहने दो) मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसा ही एतिबार करता हूँ जैसा इससे पहले इसके भाई (यूसुफ़) के बारे में तुम्हारा एतिबार कर चुका हूँ। सो अल्लाह (के सुपुर्द, वही) सबसे बढ़कर निगहबान है, और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। **(64)**

1. ख़ुलासा यह कि मेरी पाकीज़गी और पाकदामनी मेरे नफ़्स का ज़ाती कमाल नहीं कि इसके ख़िलाफ़ हो ही न सके, बल्कि अल्लाह की रहमत व इनायत का असर है, इसलिए वह बुराई का हुक्म नहीं करता वरना जैसे औरों के नुफ़ूस हैं वैसा ही मेरा होता।
2. चुनाँचे बजाय इसके कि उनको कोई ख़ास ओ़हदा देता जैसे अपने पूरे इख़्तियारात हर क़िस्म के दे दिए, गोया हक़ीक़त में बादशाह यही हो गए। अगरचे बराये नाम वह बादशाह रहा, और यह अ़ज़ीज़ के ओ़हदे से मशहूर हुए। इससे मालूम हुआ कि जब किसी काम की अपने अन्दर क़ाबलियत देखें तो ख़ुद उसकी दरख़्वास्त जायज़ है, मगर मक़सूद नफ़ा पहुँचाना हो, न कि नफ़्स-परवरी।
3. यानी या तो वह वक़्त था कि कुएँ में क़ैद थे, फिर अ़ज़ीज़ की मातहती में बन्दी रहे, फिर क़ैदख़ाने में बन्द रहे। और या आज यह ख़ुदमुख़्तारी और आज़ादी इनायत हुई।
4. यानी दुनिया में भी नेकी का अज्र है कि पाकीज़ा ज़िन्दगी अ़ता फ़रमाते हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 438 पर)**

और (इस गुफ़्तगू के बाद) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो (उसमें) उनको उनकी जमा-पूँजी (भी) मिली कि उन्हीं को वापस कर दी गई। कहने लगे कि ऐ अब्बा! (लीजिए) और हमको क्या चाहिए, यह हमारी जमा-पूँजी भी तो हम ही को लौटा दी गई है, और अपने घर वालों के वास्ते (और) रसद लाएँगे और अपने भाई की ख़ूब हिफ़ाज़त रखेंगे, और एक ऊँट का बोझ ग़ल्ला और ज़्यादा लाएँगे, यह थोड़ा-सा ग़ल्ला है। **(65)** उन्होंने (यानी याक़ूब अ़लैहि. ने) फ़रमाया कि उस वक़्त तक हरगिज़ इसको तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक कि अल्लाह की क़सम खाकर मुझको पक्का क़ौल न दोगे कि तुम इसको ज़रूर ले ही आओगे, हाँ अगर घिर ही जाओ (तो मजबूरी है)। (चुनाँचे सबने इसपर क़सम खाई) सो जब वे क़सम खाकर उन्हें (यानी अपने बाप को) क़ौल दे चुके तो उन्होंने फ़रमाया कि हम लोग जो कुछ बात-चीत कर रहे हैं यह सब अल्लाह ही के हवाले है।[1] **(66)** और (चलते वक़्त) उन्होंने (यानी याक़ूब ने उनसे) फ़रमाया कि ऐ मेरे बेटो! सब-के-सब एक ही दरवाज़े से मत जाना, बल्कि अलग-अलग दरवाज़ों से जाना,[2] और मैं ख़ुदा के हुक्म को तुमपर से टाल नहीं सकता। हुक्म तो बस अल्लाह ही का (चलता) है, (बावजूद इस ज़ाहिरी तदबीर के दिल से) उसी पर भरोसा रखता हूँ, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए।[3] **(67)** और जब (मिस्र पहुँचकर) जिस तरह उनके बाप ने कहा था (उसी तरह शहर के) अन्दर दाख़िल हुए (तो बाप का अरमान पूरा हो गया, बाक़ी) उनको (यानी उनके बाप को उन्हें यह तदबीर बतलाकर) उनसे ख़ुदा का हुक्म टालना मक़सूद न था लेकिन याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) के जी में (तदबीर के दर्जे में) एक अरमान (आया) था जिसको उन्होंने ज़ाहिर कर दिया, और वह बेशक बड़े आ़लिम थे, इस वजह से कि हमने उनको इल्म दिया था,[4] लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते।[5] **(68)** ❖

और जब ये लोग (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाई) यूसुफ़ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया (और तन्हाई में उनसे) कहा कि मैं तेरा भाई (यूसुफ़) हूँ, सो ये लोग जो कुछ (बद-सुलूकी) करते रहे हैं उसका रंज मत करना।[6] **(69)** फिर जब उन्होंने (यानी यूसुफ़ अ़लैहि. ने) उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का बरतन अपने भाई के सामान में रख दिया।[7] फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ क़ाफ़िले वालो! तुम ज़रूर चोर हो। **(70)** वे उन (तलाश करने वालों) की तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है। **(71)** उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं

(पृष्ठ 436 का शेष) **5.** ग़रज़ यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने बाइख़्तियार होकर ग़ल्ला पैदा कराना और जमा कराना शुरू किया और सात साल के बाद अकाल शुरू हुआ, यहाँ तक कि दूर-दूर से यह ख़बर सुनकर कि मिस्र में हुकूमत की तरफ़ से ग़ल्ला फ़रोख़्त होता है, गिरोह के गिरोह लोग आना शुरू हुए और किनआ़न में भी अकाल पड़ा तो यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाई बिनयामीन के अ़लावा ग़ल्ला लेने मिस्र आए। अगली आयतों में दूर तक इसी वाक़िए को बयान किया गया है।

6. पस अगर तुम्हारा वह भाई आएगा तो उसको भी पूरा हिस्सा दूँगा, और उसकी ख़ूब ख़ातिर-मुदारात करूँगा, जैसा कि तुमने अपने साथ देखा।

7. तो मैं समझूँगा कि तुम मुझको धोखा देकर ग़ल्ला ज़्यादा लेना चाहते थे।

8. चूँकि यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को उनका दोबारा आना और उनके भाई का लाना मन्ज़ूर था इसलिए कई तरह से इसकी तदबीर की, अव्वल वायदा किया कि अगर उसको लाओगे तो उसका हिस्सा भी मिलेगा। दूसरे यह डाँट-डपट भी दी कि अगर न लाओगे तो अपना हिस्सा भी न पाओगे। तीसरे दाम जो नक़द के अ़लावा कोई और चीज़ थी वापस कर दिए, दो ख़्याल से एक यह कि इस एहसान व करम को ज़ेहन में रखकर फिर आएँगे, दूसरे इसलिए कि शायद इनके पास और दाम न हों और ख़ाली हाथ होने की वजह से फिर न आ सकें। लेकिन जब यह दाम होंगे तो इन्हीं को लेकर फिर आ सकते हैं।

9. हमारी बड़ी ख़ातिर हुई और ग़ल्ला भी मिला, मगर बिनयामीन का हिस्सा नहीं मिला बल्कि बिना बिनयामीन को साथ लाए आइन्दा भी बन्दिश कर दी गई।

1. यानी वही हमारे क़ौल व क़रार का गवाह है कि सुन रहा है, और वही इस क़ौल को **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 440 पर)**

मिलता, (वह ग़ायब है) और जो शख़्स उसको (लाकर) हाज़िर करे उसको एक ऊँट के बोझ के बराबर ग़ल्ला मिलेगा, और मैं उस (के दिलवाने) का ज़िम्मेदार हूँ। **(72)** ये लोग कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम तुमको ख़ूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फ़साद फैलाने नहीं आए, और हम लोग चोरी करने वाले नहीं।[1] **(73)** उन (ढूँढने वाले) लोगों ने कहा (अच्छा) अगर तुम झूठे निकले तो उस चोर की क्या सज़ा? **(74)** उन्होंने जवाब दिया कि जिस शख़्स के सामान में मिले बस वही शख़्स अपनी सज़ा है,[2] हम लोग ज़ालिमों (यानी चोरों) को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं।[3] **(75)** फिर उन्होंने (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) अपने भाई के सामान के थेले से पहले तलाशी की शुरूआ़त दूसरे भाइयों के (सामान के) थेलों से की, फिर (आख़िर में) उस (बरतन को) अपने भाई के (सामान के) थेले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) की ख़ातिर से इस तरह तदबीर फ़रमाई।[4] वह (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम) अपने भाई को उस (मिस्र के) बादशाह के क़ानून की रू से नहीं ले सकते थे,[5] मगर यह कि अल्लाह ही को मन्ज़ूर था। हम जिसको चाहते हैं (इल्म में) ख़ास दर्जों तक बढ़ा देते हैं, और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। **(76)** कहने लगे, (साहिब) अगर उसने चोरी की तो (ताज्जुब नहीं, क्योंकि) इसका एक भाई (था वह) भी (इसी तरह) इससे पहले चोरी कर चुका है। पस यूसुफ़ ने इस बात को (जो आगे आती है) अपने दिल मे पोशीदा रखा और इसको उनके सामने (ज़बान से) ज़ाहिर नहीं किया, यानी (दिल में) यूँ कहा कि उस (चोरी) के दर्जे में तुम तो और भी ज़्यादा बुरे हो, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उस (की हक़ीक़त) का अल्लाह ही को ख़ूब इल्म है।[6] **(77)** कहने लगे कि ऐ अ़ज़ीज़! इस (बिनयामीन) का एक बहुत बूढ़ा बाप है, सो (आप ऐसा कीजिए कि) इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिए, (और अपना ग़ुलाम बना लीजिए) हम आपको नेक-मिज़ाज देखते हैं। **(78)** उन्होंने (यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) कहा कि ऐसी (बेइन्साफ़ी की) बात से ख़ुदा बचाए कि जिसके पास हमने अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा दूसरे शख़्स को पकड़ कर रख लें, इस हालत में तो हम बड़े बेइन्साफ़ समझे जाएँगे। **(79)** ❖

फिर जब उनको उनसे (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम से) बिलकुल उम्मीद न रही (कि बिनयामीन को देंगे) तो (उस जगह से) अलग होकर आपस में मश्विरा करने लगे। उन सबमें जो बड़ा था उसने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं तुम्हारे बाप तुमसे ख़ुदा की क़सम खिलाकर पक्का क़ौल ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ़ के बारे में तुम किस क़द्र कोताही कर ही चुके हो। सो मैं तो इस ज़मीन से टलता नहीं जब तक कि मेरे बाप मुझको (हाज़िरी की) इजाज़त न दें, या अल्लाह तआ़ला मेरे लिए इस मुश्किल को सुलझा दे, और वही ख़ूब सुलझाने वाला है। **(80)** तुम वापस अपने बाप के पास जाओ, और (जाकर उनसे) कहो कि अब्बा! आपके साहिबज़ादे

(पृष्ठ 438 का शेष) पूरा कर सकता है। इस इर्शाद से दो मक़सद हुए, अव्वल अपने क़ौल का पास व लिहाज़ रखने की तरग़ीब व तंबीह कि अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर समझने से यह बात होती है, और दूसरे इस तदबीर की हद का आख़िरी दर्जा तक़दीर को क़रार देना जो कि तवक्कुल का हासिल है। ग़रज़ मिस्र के सफ़र को मय बिनयामीन सब दोबारा तैयार हुए।

2. बाज़ बुरी चीज़ों जैसे बुरी नज़र वग़ैरह से बचने की यह सिर्फ़ एक ज़ाहिरी तदबीर है।

3. यानी तुम भी उसी पर भरोसा रखना, तदबीर पर नज़र मत करना।

4. पस वह इल्म के ख़िलाफ़ तदबीर को एतिक़ादी तौर पर हक़ीक़तन असर करने वाली कब समझ सकते थे।

5. बल्कि जहालत की वजह से तदबीर को असल असर करने वाली एतिक़ाद कर लेते हैं। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि पहली बार जो ये ग़ल्ला लेने गए थे उस वक़्त याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने उनसे यह क्यों न कहा कि एक ही दरवाज़े से दाख़िल न होना? इसका जवाब यह है कि पहली बार मिस्र वाले उनको पहचानते नहीं थे, इसलिए किसी ने उनकी तरफ़ ध्यान भी न किया था। इस बार जो यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने उनके साथ इनायत का ख़ास बर्ताव किया तो उनपर नज़रें पड़ने लगीं, और थे सब हसीन व ख़ूबसूरत, इसलिए बुरी नज़र और हसद वग़ैरह का अन्देशा हुआ।

6. क्योंकि अब तो अल्लाह ने हमको मिला दिया है, अब सब ग़म भुला देना चाहिए। यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के साथ बद-सुलूकी तो ज़ाहिर और मश्हूर है, रहा बिनयामीन के साथ या तो **(पृष्ठ 438 की बक़िया और पृष्ठ 440 की तफ़सीर पृष्ठ 442-446 पर)**

(बिनयामीन) ने चोरी की, (इसलिए गिरफ़्तार हुए) और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको (देखने से) मालूम हुआ है, और हम ग़ैब की बातों के तो हाफ़िज़ नहीं थे। **(81)** और उस बस्ती (यानी मिस्र) वालों से पूछ लीजिए जहाँ हम (उस वक़्त) मौजूद थे, और उस क़ाफ़िले वालों से पूछ लीजिए जिनमें हम शामिल होकर (यहाँ) आए हैं।[1] और यक़ीन जानिए कि हम बिलकुल सच कहते हैं। **(82)** वह (यानी याक़ूब अ़लैहिस्सलाम) फ़रमाने लगे कि बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली, सो सब्र ही करूँगा, (जिसमें शिकायत का नाम न होगा), (मुझको) अल्लाह से उम्मीद है कि उन सबको मुझ तक पहुँचा देगा, (क्योंकि) वह ख़ूब वाक़िफ़ है,[2] बड़ी हिक्मत वाला है।[3] **(83)** और उनसे दूसरी तरफ़ रुख़ कर लिया और कहने लगे कि हाय यूसुफ़, अफ़सोस! और ग़म से (रोते-रोते) उनकी आँखें सफ़ेद पड़ गईं, और वह (ग़म से जी ही जी में) घुटा करते थे।[4] **(84)** (बेटे) कहने लगे, ख़ुदा की क़सम (मालूम होता है) तुम हमेशा ही यूसुफ़ की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक कि घुल-घुलकर जान होंठों पर आ जाएगी या यह कि बिलकुल मर ही जाओगे।[5] **(85)** उन्होंने (यानी याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि मैं तो अपने रंज व ग़म की सिर्फ़ अल्लाह से शिकायत करता हूँ और अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। **(86)** ऐ मेरे बेटो! जाओ यूसुफ़ और उनके भाई की तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफ़िर हैं। **(87)** फिर जब वे उनके (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के) पास पहुँचे। कहने लगे ऐ अ़ज़ीज़! हमको और हमारे घर वालों को (अकाल की वजह से) बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है, और हम कुछ यह निकम्मी "यानी बेकार-सी और मामूली" चीज़ लाए हैं, सो आप पूरा ग़ल्ला दे दीजिए और हमको ख़ैरात (समझकर) दे दीजिए, बेशक अल्लाह तआ़ला ख़ैरात देने वालों को (बेहतरीन) बदला देता है।[6] **(88)** उन्होंने (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, (कहो) वह भी तुमको याद है जो कुछ तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ (बर्ताव) किया था, जबकि तुम्हारी जहालत का ज़माना था।[7] **(89)** कहने लगे, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ़ हो। उन्होंने फ़रमाया, (हाँ) मैं यूसुफ़ हूँ और यह (बिनयामीन) मेरा (हक़ीक़ी) भाई है। हमपर अल्लाह तआ़ला ने बड़ा एहसान किया,[8] वाक़ई जो शख़्स गुनाहों से बचता है और सब्र करता है तो अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं किया करता।[9] **(90)** वे कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम कुछ शक नहीं कि तुमको अल्लाह तआ़ला ने हमपर फ़ज़ीलत अ़ता फ़रमाई,[10] और बेशक हम (इसमें) ख़तावार थे। **(91)** उन्होंने

(पिछले पृष्ठ का शेष) उनको भी कुछ तकलीफ़ दी हो, वरना यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम की जुदाई क्या उनके हक़ में कुछ कम तकलीफ़ थी। फिर दोनों भाइयों ने मश्विरा किया कि कोई ऐसी सूरत हो कि बिनयामीन यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के पास रहें, क्योंकि वैसे रहने में तो और भाइयों के क़सम खाने और क़ौल व क़रार की वजह से इसरार होगा, नाहक़ का झगड़ा होगा। फिर अगर वजह भी ज़ाहिर हो गई तो राज़ खुला और अगर पोशीदा रही तो याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का रंज बढ़ेगा कि बिला सबब क्यों रखे गए या क्यों रहे। यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तदबीर तो है मगर ज़रा-सी तुम्हारी बदनामी है। बिनयामीन ने कहा, कुछ परवाह नहीं। ग़रज़ उनमें यह मामला क़रार पा गया जिसका बयान अगली आयत में है।

7. वही बरतन पैमाना ग़ल्ला देने का भी था।

(तफ़सीर पृष्ठ 440) **1.** यानी हमारा यह तरीक़ा और आ़दत नहीं।

2. यानी चोरी के बदले में ख़ुद उसकी ज़ात को माल वाला अपना ग़ुलाम बना ले।

3. यानी हमारी शरीअ़त में यही मसला और अ़मल है।

4. यानी अगरचे यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम बड़े आ़लिम व अ़क़्लमन्द थे, मगर फिर भी हमारी तरफ़ से तदबीर सुझाए जाने के मोहताज थे, इसलिए कि किसी का इल्म ज़ाती और ग़ैर-महदूद नहीं।

5. दुर्रे मन्सूर में मुजाहिद रहमतुल्लाहि अ़लैहि से नक़ल किया गया है कि मिस्र का बादशाह मुसलमान हो गया था, लेकिन 'मा का-न लियअ्ख़ु-ज़....से मालूम होता है कि यह रिवायत सही नहीं, **(पृष्ठ 440 की बक़िया और पृष्ठ 442 की तफ़सीर पृष्ठ 444-448 पर)**

(यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि तुमपर आज कोई इल्ज़ाम नहीं,[1] अल्लाह तआ़ला तुम्हारा क़ुसूर माफ़ करे, और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है।[2] **(92)** अब तुम मेरा यह कुर्ता (भी) लेते जाओ और इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, (इससे) उनकी आँखें रोशन हो जाएँगी,[3] और अपने (बाक़ी) घर वालों को (भी) सबको मेरे पास ले आओ। **(93)** ❖

और जब क़ाफ़िला चला तो उनके बाप ने कहना शुरू किया कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाला न समझो तो (एक बात कहूँ कि) मुझको तो यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) की ख़ुशबू आ रही है।[4] **(94)** वे (पास वाले) कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम आप तो अपने उसी पुराने ग़लत ख़्याल में मुब्तला हैं। ◆ **(95)** पस जब ख़ुशख़बरी लाने वाला आ पहुँचा तो (आते ही) उसने वह कुर्ता उनके मुँह पर (लाकर) डाल दिया। पस फ़ौरन ही उनकी आँखें खुल गईं, और (बेटों से) फ़रमाया, क्यों मैंने तुमसे कहा न था कि अल्लाह तआ़ला की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। **(96)** सब बेटों ने कहा कि ऐ हमारे बाप! हमारे लिए (ख़ुदा से) हमारे गुनाहों की मग़्फ़िरत की दुआ़ कीजिए, हम बेशक ख़तावार थे।[5] **(97)** उन्होंने (यानी याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया जल्द ही तुम्हारे लिए अपने रब से मग़्फ़िरत की दुआ़ करूँगा, बेशक वह बख़्शने वाला, रहम करने वाला है।[6] **(98)** फिर जब ये सब-के-सब यूसुफ़ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने माँ-बाप को (अदब के तौर पर) अपने पास जगह दी, और कहा कि सब मिस्र में चलिए (और) ख़ुदा को मन्ज़ूर है तो (वहाँ) अमन-चैन से रहिए। **(99)** और अपने माँ-बाप को (शाही) तख़्त पर ऊँचा बिठाया, और सब-के-सब उनके (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के) आगे सज्दे में गिर गए,[7] और उन्होंने (यानी यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने) कहा कि ऐ मेरे अब्बा! यह है मेरे ख़्वाब की ताबीर जो पहले ज़माने में देखा था, जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिया। और उसने (यानी ख़ुदा ने) मेरे साथ एहसान किया कि (एक तो) उसने मुझे क़ैद से निकाला और (दूसरा यह कि) तुम सबको बाहर से (यहाँ) लाया। (यह सब कुछ) इसके बाद (हुआ) कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच फ़साद डलवा दिया था,[8] बेशक मेरा रब जो चाहता है उसकी उम्दा तदबीर करता है, बेशक वह बड़ा इल्म वाला (और) हिक्मत वाला है।[9] **(100)** ऐ मेरे परवर्दिगार! तूने मुझको हुकूमत का बड़ा हिस्सा दिया और मुझको ख़्वाबों की ताबीर देना तालीम फ़रमाया (जो कि एक बड़ा इल्म है), ऐ आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले! तू मेरा कारसाज़ है दुनिया में भी और आख़िरत में भी, मुझको पूरी फ़रमाँबरदारी की हालत में दुनिया से उठा ले और मुझको ख़ास नेक बन्दों में शामिल कर ले।[10] **(101)** (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) यह क़िस्सा ग़ैब की ख़बरों में से है जो हम आपको वह्य के ज़रिये से बतलाते

(पिछले पृष्ठ का शेष) वरना इस्लाम के बाद अपना क़ानून ग़ैर-शरई क्यों रखता। अलबत्ता अगर यह कहा जाए कि आ़म रिआ़या से मग़लूब रहा हो इसलिए क़ानून जारी न कर सका हो तो मुम्किन है। दूसरे यह कि यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम अपना शरई क़ानून जारी करने के मुख़्तार न थे तो हुकूमत का ओ़हदा क्यों लिया। जवाब यह है कि शरई क़ानून जारी न करने से यह लाज़िम नहीं आता कि ग़ैर-शरई क़ानून जारी करते हों, और एतिराज़ का मक़ाम यह दूसरी चीज़ हो सकती है। दूसरे जहाँ शरई तौर पर हद 'यानी इस्लामी सज़ा का क़ानून' हो और क़ानूनन् सज़ा हो और हद का इख़्तियार न हो तो सज़ा के न होने से उसका वजूद ग़नीमत है, उसको ग़ैर-मुख़्तार के लिए बग़ैर शरई क़ानून का हाकिम न कहेंगे।

6. यानी हम दोनों भाइयों से तो चोरी का जुर्म नहीं हुआ और तुमने तो इतना बड़ा काम किया कि कोई माल ग़ायब करता है तुमने तो आदमी ग़ायब कर दिया कि मुझको बाप से बिछड़ा दिया। और ज़ाहिर है कि आदमी की चोरी माल की चोरी से ज़्यादा बुरी है। और यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाइयों ने यह जो कहा कि इसके भाई ने भी चोरी की थी, इसकी हक़ीक़त दुर्रे मन्सूर में यह लिखी है कि यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को उनकी फूफी परवरिश करती थीं, जब होशियार हुए तो याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने उन्हें वापस लेना चाहा, लेकिन वह अपने पास रखना चाहती थीं इसलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अन्दर बाँधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया, और जब तलाशी ली तो उनकी कमर में निकला **(पृष्ठ 440 की बक़िया और पृष्ठ 442, 444 की तफ़सीर पृष्ठ 446-450 पर)**

हैं, (और) आप उन (यूसुफ़ के भाइयों) के पास उस वक़्त मौजूद न थे जबकि उन्होंने अपना इरादा पुख़्ता कर लिया था और वे तदबीरें कर रहे थे।[1] **(102)** और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते गो आपका कैसा ही जी चाहता हो। **(103)** और आप उनसे इसपर कुछ मुआवज़ा तो चाहते नहीं। यह (क़ुरआन) तो तमाम जहान वालों के लिए सिर्फ़ नसीहत है। **(104)** ❖

और बहुत-सी निशानियाँ हैं आसमानों में और ज़मीन में, जिनपर उनका गुज़र होता रहता है,[2] और वे उनकी तरफ़ (बिलकुल) तवज्जोह नहीं करते। **(105)** और अक्सर लोग जो ख़ुदा को मानते भी हैं तो इस तरह कि शिर्क भी करते जाते हैं।[3] **(106)** सो क्या फिर भी इस बात से मुत्मइन हुए (बैठे) हैं कि उनपर ख़ुदा के अ़ज़ाब की कोई ऐसी आफ़त आ पड़े जो उनको घेर ले या उनपर अचानक क़ियामत आ जाए और उनको (पहले से) ख़बर भी न हो।[4] **(107)** आप फ़रमा दीजिए कि यह मेरा रास्ता है, मैं (लोगों को) ख़ुदा की (तौहीद की) तरफ़ इस तौर पर बुलाता हूँ कि मैं दलील पर क़ायम हूँ, मैं भी और मेरे साथ वाले भी,[5] और अल्लाह (शिर्क से) पाक है और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ।[6] **(108)** और हमने आपसे पहले मुख़्तलिफ़ बस्ती वालों में से जितने (रसूल) भेजे सब आदमी ही थे (कोई भी फ़रिश्ता न था), और (ये लोग जो बेफ़िक्र हैं, तो) क्या ये लोग मुल्क में (कहीं) चले-फिरे नहीं कि (अपनी आँखों से) देख लेते कि उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जो इनसे पहले (काफ़िर) हो गुज़रे हैं, और अलबत्ता आख़िरत की दुनिया उन लोगों के लिए निहायत ख़ैर व फ़लाह की चीज़ है जो एहतियात रखते हैं, सो क्या तुम इतना भी नहीं समझते।[7] **(109)** यहाँ तक कि जब पैग़म्बर (इस बात से) मायूस हो गए और उन पैग़म्बरों को गुमान ग़ालिब हो गया कि हमारी समझ ने ग़लती की, उनको हमारी मदद पहुँची,[8] फिर (उस अ़ज़ाब से) हमने जिसको चाहा वह बचा लिया गया,[9] और हमारा अ़ज़ाब मुज्रिम लोगों से नहीं हटता।[10] **(110)** उन (नबियों और पहली उम्मतों) के क़िस्से में समझदार लोगों के लिए (बड़ी) इबरत है। यह क़ुरआन (जिसमें क़िस्से हैं) कोई घड़ी हुई बात तो है नहीं (कि इससे इबरत न होती) बल्कि इससे पहले जो (आसमानी) किताबें हो चुकी हैं यह उनकी तस्दीक़ करने वाला है और हर ज़रूरी बात का खुलासा करने वाला है, और ईमान वालों के लिए हिदायत का ज़रिया और रहमत है। **(111)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) और उस शरीअ़त के कानून के मुवाफ़िक़ यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को फूफी के क़ब्ज़े में रहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी फूफी ने वफ़ात पाई और आप याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के पास आ गए।

(तफ़सीर पृष्ठ 442) **1.** मालूम होता है कि किनआन या आस-पास के और लोग भी ग़ल्ला लेने गए होंगे।

2. इसलिए उसको सबकी ख़बर है कि कहाँ-कहाँ और किस-किस हाल में हैं।

3. वह जब मिलाना चाहेगा तो हज़ारों असबाब व तदबीरें दुरुस्त कर देगा।

4. क्योंकि ज़्यादा रोने से आँखों की सियाही गुम हो जाती है और आँखें बेरौनक़ या बिलकुल बेनूर हो जाती हैं, और ग़म की शिद्दत के साथ जब बर्दाश्त भी शिद्दत की होगी जैसा कि साबिरीन की शान है तो कज़्म (यानी घुटन) की कैफ़ियत पैदा होगी।

5. याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का मख़्लूक़ की मुहब्बत में इस क़द्र रोना वस्वसे का सबब न हो, क्योंकि मुहब्बत एक बेइख़्तियारी चीज़ है और रोना भी दिल के नर्म होने और रहम की दलील है, और ख़ासकर उस वक़्त जबकि मुहब्बत का सबब कोई दीनी मामला हो। और किसी को शुब्हा न हो कि जब याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया थाः 'फ़-सब्रुन् जमील' तो फिर ज़बान पर शिकायत क्यों लाए। इसका जवाब ख़ुद क़ुरआन में है किः 'अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि' यानी मख़्लूक़ के पास शिकायत ले जाना सब्रे जमील के मनाफ़ी है न कि ख़ालिक़ की तरफ़ रुजू करना, इसलिए कि यह तो दुआ़ और अल्लाह से माँगना है जो कि मतलूब है।

6. यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने जो उनके ये आ़जिज़ी भरे अल्फ़ाज़ सुने तो न रहा गया और बेइख़्तियार चाहा कि अब उनसे खुल जाऊँ और अ़जब नहीं कि दिल के नूर से मालूम हो गया हो कि इस बार उनको तजस्सुस भी है, और यह मालूम हो गया हो कि अब जुदाई का ज़माना ख़त्म हो चुका। पस तआ़रुफ़ (परिचय) की तम्हीद के तौर पर यह बात फ़रमाई जो अगली आयत में ज़िक्र है।

7. यह सुनकर चकराए कि अ़ज़ीज़े मिस्र को **(पृष्ठ 442 की बक़िया और पृष्ठ 444, 446 की तफ़सीर पृष्ठ 448-454 पर)**

13 सूरः रअ़द 96

सूरः रअ़द मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 43 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम्-मीम्-रा।[1] यह (जो आप सुन रहे हैं) आयतें हैं (एक बड़ी) किताब (यानी क़ुरआन) की, और जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ़ से नाज़िल किया जाता है बिलकुल सच है, और लेकिन बहुत-से आदमी ईमान नहीं लाते। **(1)** अल्लाह ऐसा (क़ादिर है) कि उसने आसमानों को बिना सुतून के ऊँचा खड़ा कर दिया, चुनाँचे तुम इन (आसमानों) को (इसी तरह) देख रहे हो, फिर अ़र्श पर क़ायम हुआ,[2] और सूरज व चाँद को काम में लगा दिया, हर एक मुक़र्ररा वक़्त पर चलता रहता है।[3] वही (अल्लाह) हर काम की तदबीर करता है, (और) दलीलों को साफ़-साफ़ बयान करता है ताकि तुम अपने रब के पास जाने का यक़ीन कर लो।[4] **(2)** और वह ऐसा है कि उसने ज़मीन को फैलाया और उस (ज़मीन) में पहाड़ और नहरें पैदा कीं, और उसमें हर क़िस्म के फूलों से दो-दो क़िस्म के पैदा किए,[5] रात (की अँधेरी) से दिन (की रोशनी) को छुपा देता है। इन (ज़िक्र हुए) उमूर में सोचने वालों के (समझने के) वास्ते (तौहीद पर) दलीलें (मौजूद) हैं। **(3)** और ज़मीन में पास-पास (और फिर) मुख़्तलिफ़ टुकड़े हैं और अंगूरों के बाग़ हैं और खेतियाँ हैं और खजूरें हैं, जिनमें बाज़े तो ऐसे हैं कि एक तने से ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं और बाज़े में दो तने नहीं होते,[6] सबको एक ही तरह का पानी दिया जाता है, और हम एक को दूसरे पर फलों में फ़ौक़ियत "यानी बरतरी" देते हैं। इन (ज़िक्र हुए) उमूर में (भी) समझदारों के वास्ते (तौहीद की) दलीलें (मौजूद) हैं।[7] **(4)** और (ऐ मुहम्मद!) अगर आपको ताज्जुब हो तो (वाक़ई) उनका यह क़ौल ताज्जुब के लायक़ है कि जब हम ख़ाक हो गए तो क्या हम फिर (क़ियामत के दिन) नए सिरे से पैदा होंगे। ये वे लोग हैं कि उन्होंने अपने रब के साथ कुफ़्र किया और ऐसे लोगों की गर्दनों में (दोज़ख़ में) तौक़ डाले जाएँगे, और ऐसे लोग दोज़ख़ी हैं (और) वे उसमें हमेशा रहेंगे। **(5)** और ये लोग आ़फ़ियत से पहले आपसे मुसीबत (के नाज़िल होने) का तक़ाज़ा करते

(पिछले पृष्ठ का शेष) यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए से क्या सरोकार? उधर उस शुरू के ज़माने के ख़्वाब से एहतिमाल था ही कि शायद यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम किसी बड़े रुतबे को पहुँचें और हम सबको उनके सामने गर्दन झुकानी पड़े, इसलिए इस बात से शक हुआ और ग़ौर किया तो कुछ-कुछ पहचाना और वह बात कही जिसका आगे ज़िक्र है।

8. यानी हम दोनों को अव्वल सब्र व तक़्वे की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाई, फिर उसकी बरकत से हमारी तकलीफ़ को राहत से और फूट को इजतिमा (संगठन) से और माल व ओ़हदे की कमी को माल व ओ़हदे की ज़्यादती से तब्दील फ़रमा दिया।

9. यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के भाई पिछले तमाम वाक़िआ़त को याद करके शर्मिन्दा हुए और माज़िरत के तौर पर वह बात कहने लगे जो अगली आयत में है।

10. और वाक़ई आप इसी लायक़ थे।

(तफ़सीर पृष्ठ 444) **1.** यानी बेफ़िक्र रहो मेरा दिल साफ़ हो गया।

2. इसी दुआ़ से यह भी समझ में आ गया कि मैंने भी माफ़ कर दिया।

3. यह इसलिए फ़रमाया कि उनको बीनाई में ख़राबी आने का इल्म हो गया होगा, और याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का उस कुर्ते के डालने से बीना (यानी देखने वाला) हो जाना मोजिज़े के तौर पर था, और सही रिवायतों की बुनियाद पर कुर्ता कोई ख़ास न था, यही मामूली पहनने का था।

4. यह याक़ूब अ़लैहिस्सलाम का मोजिज़ा था कि उस कुर्ते में यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के बदन का जो असर था वह महसूस हो गया, और चूँकि मोजिज़ा इख़्तियारी नहीं होता इसलिए उससे पहले यह एहसास न हुआ।

5. मतलब यह कि आप भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आ़दतन किसी के लिए इस्तिग़फ़ार वही करता है जो ख़ुद भी कोई दारोगीर और पकड़ करना नहीं चाहता। **(पृष्ठ 444 की बक़िया और पृष्ठ 446, 448 की तफ़सीर पृष्ठ 450-456 पर)**

हैं, हालाँकि इनसे पहले (और काफ़िरों पर सज़ाओं के) वाक़िआत गुज़र चुके हैं। और यह बात भी यक़ीनी है कि आपका रब लोगों की ख़ताएँ बावजूद उनकी बेजा हरकतों के माफ़ कर देता है, और यह बात भी यक़ीनी है कि आपका रब सख़्त सज़ा देता है।[1] (6) और (ये) काफ़िर लोग (यूँ भी) कहते हैं कि उनपर (वह ख़ास) मोजिज़ा (जो हम चाहते हैं) क्यों नाज़िल नहीं किया गया, (हालाँकि) आप सिर्फ़ डराने वाले (नबी) हैं, और हर क़ौम के लिए हादी होते चले आए हैं।[2] (7) ❖

अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर रहती है जो कुछ किसी औ़रत को हमल ''यानी गर्भ'' रहता है,[3] और जो कुछ रहम ''यानी बच्चेदानी'' में कमी व बेशी होती है। और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास अन्दाज़ से (मुक़र्रर) है। (8) वह (तमाम) छुपी और ज़ाहिर (चीज़ों) का जानने वाला (है), सबसे बड़ा (और) आ़लीशान है। (9) तुममें से जो शख़्स कोई बात चुपके से कहे और जो पुकारकर कहे, और जो शख़्स रात में कहे और जो दिन में चले-फिरे, ये सब (ख़ुदा के इल्म में) बराबर हैं।[4] (10) हर शख़्स (की हिफ़ाज़त) के लिए कुछ फ़रिश्ते (मुक़र्रर) हैं जिनकी बदली होती रहती है, कुछ उसके आगे और कुछ उसके पीछे कि वे अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफ़ाज़त करते हैं।[5] वाक़ई अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम की (अच्छी) हालत में बदलाव नहीं करता जब तक कि वे लोग ख़ुद अपनी (सलाहियत की) हालत को नहीं बदल देते।[6] और जब अल्लाह किसी क़ौम पर मुसीबत डालना तजवीज़ कर लेता है तो फिर उसके हटने की कोई सूरत ही नहीं, और कोई उसके (यानी ख़ुदा के) सिवा उनका मददगार नहीं रहता।[7] (11) वह ऐसा है कि तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी होता है और उम्मीद भी होती है, और वह बादलों को (भी) बुलन्द करता है जो (पानी से) भरे होते हैं। (12) और रअ़द (फ़रिश्ता) उसकी तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान करता है और (दूसरे) फ़रिश्ते (भी) उसके ख़ौफ़ से, और वह बिजलियाँ भेजता है, फिर जिसपर चाहे उन्हें गिरा देता है। और वे लोग अल्लाह के

(पिछले पृष्ठ का शेष) **6.** इससे उनका माफ़ कर देना भी मालूम हो गया। ग़रज़ सब तैयार होकर मिस्र को चल दिए और यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ख़बर सुनकर स्वागत के लिए मिस्र से बाहर तशरीफ़ ले गए और बाहर ही मुलाक़ात का बन्दोबस्त किया गया, जिसका बयान अगली आयत में है।

7. इसकी वजह कि पहली मुलाक़ात में सज्दा न किया और मिस्र पहुँचकर किया, यह थी कि पहली मुलाक़ात में मुहब्बत का ग़ल्बा था और मिस्र में यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम अपने शाही तख़्त पर थे। और यह सज्दा बतौर सलाम के था, जो पहली उम्मतों में जायज़ था। यहाँ यह शुब्हा होता है कि यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने अपने माँ-बाप से इतनी बड़ी ताज़ीम और अदब को क्योंकर गवारा किया? इसका जवाब यह है कि याकूब और यूसुफ़ अ़लैहिमस्सलाम दोनों को ख़्वाब से मालूम हुआ था कि ऐसा मामला होने वाला है, इसलिए ख़ुदाई मामलात में कुछ कहना मुम्किन न था। इसके बाद सब हँसी-ख़ुशी रहते रहे, यहाँ तक कि याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के इन्तिक़ाल का वक़्त आ पहुँचा और वह वसीयत के मुताबिक़ वफ़ात के बाद मुल्क शाम में लेजाकर अपने बुज़ुर्गों के पास दफ़न किए गए।

8. जिसका तक़ाज़ा यह था कि उम्र भर मेल-जोल और इत्तिफ़ाक़ न होता, लेकिन अल्लाह तआ़ला की इनायत से मिलाप हो गया।

9. वह अपने इल्म व हिक्मत से सब उमूर की तदबीर दुरुस्त कर देता है।

10. यानी जिस तरह दुनिया में मेरे सब काम बना दिए कि हुकूमत दी, इल्म दिया, इसी तरह आख़िरत के काम भी बना दीजिए और जो मेरे बुज़ुर्गों में बड़े-बड़े नबी हुए हैं उनमें मुझको पहुँचा दीजिए। अगर मौत का शौक़ अल्लाह तआ़ला की मुलाक़ात की तमन्ना के लिए हो तो जायज़ है।

(तफ़सीर पृष्ठ 446) **1.** यह यक़ीनी बात है कि आपने किसी से यह क़िस्सा सुना-सुनाया भी नहीं। पस यह साफ़ दलील है आपकी नुबुव्वत की और इस बात की कि आपके पास अल्लाह की तरफ़ से वह्य आती है।

2. यानी उनको देखते रहते हैं।

3. बिना तौहीद के ख़ुदा को मानना **(पृष्ठ 446 की बक़िया और पृष्ठ 448, 450 की तफ़सीर पृष्ठ 452-458 पर)**

बारे में झगड़ते हैं, हालाँकि वह बड़ा ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है। **(13)** सच्चा पुकारना उसी के लिए ख़ास है,[1] और उसके (यानी ख़ुदा के) सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं वे इनकी दरख़्वास्त को इससे ज़्यादा मन्ज़ूर नहीं कर सकते जितना पानी उस शख़्स की दरख़्वास्त को मन्ज़ूर करता है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ़ फैलाए हुए हो ताकि वह उसके मुँह तक (उड़कर) आ जाए, और वह उस (के मुँह) तक (अपने आप) आने वाला नहीं,[2] और काफ़िरों का (उनसे) दरख़्वास्त करना बिलकुल बेअसर है। **(14)** और अल्लाह ही के सामने सब सर झुकाए हुए हैं जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं, ख़ुशी से और मजबूरी से,[3] और उनके साये भी सुबह और शाम के वक़्तों में।[4] ❑ **(15)** आप कहिए कि आसमानों और ज़मीन का परवर्दिगार कौन है? आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह है। (फिर) आप (यह) कहिए कि क्या फिर भी तुमने उसके (यानी ख़ुदा के) सिवा (दूसरे) मददगार क़रार दे रखे हैं जो ख़ुद अपनी ज़ात के नफ़े-नुक़सान का भी इख़्तियार नहीं रखते। आप (यह भी) कहिए कि क्या अन्धा और आँखों वाला बराबर हो सकता है?[5] या कहीं अँधेरा और रोशनी बराबर हो सकती है,[6] या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक क़रार दे रखे हैं कि उन्होंने भी (किसी चीज़ को) पैदा किया हो जैसे कि ख़ुदा पैदा करता है, फिर उनको पैदा करना एक-सा मालूम हुआ हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही वाहिद है, ग़ालिब है। **(16)** उसी (अल्लाह तआ़ला) ने आसमानों से पानी नाज़िल फ़रमाया, फिर नाले (भरकर) अपनी मिक़्दार "यानी मात्रा" के मुवाफ़िक़ चलने लगे, फिर (वह) सैलाब कूड़े-कबाड़ को बहा लाया जो उस (पानी) के ऊपर (आ रहा) है। और जिन चीज़ों को आग के अन्दर ज़ेवर और असबाब बनाने की ग़रज़ से तपाते हैं उसमें भी ऐसा मैल-कुचैल (ऊपर आ जाता) है।[7] अल्लाह तआ़ला हक़ (यानी ईमान वग़ैरह) और बातिल (कुफ़्र वग़ैरह) की इसी तरह की मिसाल बयान कर रहा है, सो जो मैल-कुचैल था वह तो फेंक दिया जाता है और जो चीज़ लोगों के लिए कारामद है ज़मीन (यानी दुनिया) में (नफ़ा पहुँचाने के साथ) रहती है। अल्लाह तआ़ला इसी तरह (हर ज़रूरी मज़मून में) मिसालें बयान किया करते हैं।[8] **(17)** जिन लोगों ने अपने रब का कहना मान लिया उनके वास्ते अच्छा बदला है,[9] और जिन लोगों ने उसका कहना न माना उनके पास अगर तमाम ज़मीन (यानी दुनिया) भर की चीज़ें (मौजूद) हों और (बल्कि) उसके साथ उसी के बराबर और भी हो, तो वह सब अपनी रिहाई के लिए दे डालें। उन लोगों का सख़्त हिसाब होगा और उनका ठिकाना दोज़ख़ है, और वह बुरा ठिकाना है। ● **(18)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) न मानने की तरह है। पस ये लोग अल्लाह के साथ भी कुफ़्र करते हैं और नबी के साथ भी।

4. मतलब यह कि कुफ़्र का तक़ाज़ा है कि सज़ा हो, चाहे दुनिया में नाज़िल हो या क़ियामत के दिन वाक़े हो। उनको उससे डरना और कुफ़्र छोड़ देना चाहिए।

5. यानी मेरे पास भी तौहीद व रिसालत की दलील है, और मेरे साथ वाले भी दलील से इत्मीनान हासिल करने के साथ मुझपर ईमान लाए हैं। मैं बेदलील बात की तरफ़ किसी को नहीं बुलाता, इसलिए दलील सुनो और समझो। रास्ते का हासिल यह हुआ कि ख़ुदा एक है और मैं उसकी तरफ़ बन्दों को बुलाने वाला हूँ।

6. ख़ुलासा यह हुआ कि नुबुव्वत के दावे से मेरा मक़सद अपना बन्दा बनाना नहीं बल्कि अल्लाह का बन्दा बनाना है, लेकिन उसका तरीक़ा अल्लाह तआ़ला के दाई यानी रसूल की तरफ़ से बतलाया जाता है, इसलिए मुझे दाई मानना वाजिब है जबकि मेरे पास इसकी दलील भी है।

7. कि फ़ानी का इख़्तियार करना बेहतर है या बाक़ी का। और अगर तुमको अ़ज़ाब में देरी से यह शक हो कि वह आएगा ही नहीं तो यह तुम्हारी ग़लती है, इसलिए कि पहली उम्मतों के काफ़िरों को भी बड़ी-बड़ी मोहलतें दी गईं।

8. मोहलत की मुद्दत के लम्बा होने की वजह से पैग़म्बरों ने समझ लिया कि अल्लाह के वायदे का जो मुख़्तसर वक़्त अपने अन्दाज़े और ख़्याल से तय करके हमने अपने **(पृष्ठ 446 की बक़िया और पृष्ठ 448, 450, 452 की तफ़सीर पृष्ठ 454-459 पर)**

जो शख़्स (यह) यक़ीन रखता हो कि जो कुछ आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के रब की तरफ़ से आप पर नाज़िल हुआ है वह सब हक़ है, क्या ऐसा शख़्स उसकी तरह हो सकता है जो कि अन्धा है,[1] पस नसीहत तो समझदार लोग ही क़बूल करते हैं। **(19)** (और) ये (समझदार) लोग ऐसे हैं कि अल्लाह से जो कुछ उन्होंने अ़हद किया है उसको पूरा करते हैं और उस (अ़हद) को तोड़ते नहीं। **(20)** और (ये) ऐसे हैं कि अल्लाह तआ़ला ने जिन ताल्लुक़ात के क़ायम रखने का हुक्म किया है उनको क़ायम रखते हैं, और अपने रब से डरते रहते हैं, और सख़्त अ़ज़ाब का अन्देशा रखते हैं।[2] **(21)** और ये लोग ऐसे हैं कि अपने रब की रज़ामन्दी को ढूँढते हुए मज़बूत रहते हैं, और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको रोज़ी दी है उसमें से चुपके भी और ज़ाहिर करके भी ख़र्च करते हैं।[3] और बदसुलूकी को अच्छे सुलूक से टाल देते हैं,[4] उस जहान "यानी आख़िरत" में नेक अन्जाम उन्हीं लोगों के वास्ते है। **(22)** (यानी) हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वे लोग भी दाख़िल होंगे और उनके माँ-बाप और बीवियाँ और औलाद में से[5] जो (जन्नत के) लायक़ होंगे (वे भी दाख़िल होंगे) और फ़रिश्ते उनके पास हर (तरफ़ के) दरवाज़े से आते होंगे **(23)** (और यह कहते होंगे कि) तुम सही-सलामत रहोगे इसकी बदौलत कि तुम (दीने हक़ पर) मज़बूत रहे थे, सो इस जहान में तुम्हारा अन्जाम बहुत अच्छा है। **(24)** और जो लोग ख़ुदा तआ़ला के मुआ़हदों को उनकी पुख़्तगी के बाद तोड़ते हैं, और ख़ुदा तआ़ला ने जिन ताल्लुक़ात "और रिश्तों" के क़ायम रखने का हुक्म फ़रमाया है उनको तोड़ते हैं, और ज़मीन (यानी दुनिया) में फ़साद करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत होगी, और उनके लिए उस जहान में ख़राबी होगी। **(25)** अल्लाह जिसको चाहे रिज़्क़ ज़्यादा देता है और तंगी कर देता है। और ये (काफ़िर) लोग दुनियावी ज़िन्दगी पर इतराते हैं, और यह दुनियावी ज़िन्दगी आख़िरत के मुक़ाबले में सिवाय एक मामूली फ़ायदे के और कुछ भी नहीं। **(26)** ❖

और ये काफ़िर लोग कहते हैं कि उनपर (हमारे फ़रमाइशी मोजिज़ों में से) कोई मोजिज़ा उनके रब की तरफ़ से क्यों नाज़िल नहीं किया गया। आप कह दीजिए कि वाक़ई अल्लाह तआ़ला जिसको चाहें गुमराह कर देते हैं, और जो शख़्स उनकी तरफ़ मुतवज्जह होता है उसको अपनी तरफ़ से हिदायत कर देते हैं। **(27)** (मुराद इससे वे लोग हैं) जो ईमान लाए और अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान होता है।[6] ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हो जाता है।[7] **(28)** जो लोग ईमान लाए और नेक काम

(पिछले पृष्ठ का शेष) ज़ेहन में क़रार दे रखा था कि उस वक़्त हम कामयाब व ग़ालिब और कुफ़्फ़ार मग़लूब और अल्लाह के क़हर का शिकार होंगे, और गुमान ग़ालिब हो गया कि अल्लाह के वायदे की हद-बन्दी करने में हमसे ग़लती हुई कि बिला वाज़ेह वायदे के महज़ अन्दाज़ों या मदद के जल्द आने की ख़ुशी में हमने क़रीब का वक़्त तय कर लिया हालाँकि वायदा मुतलक़ था, ऐसी हालत में कुफ़्फ़ार पर अ़ज़ाब आ पहुँचा।

9. इससे मोमिन लोग मुराद हैं।

10. बल्कि उनपर ज़रूर आ पड़ता है चाहे देर से ही सही। पस यह मक्का के काफ़िर भी इसी धोखे में न रहें।

(तफ़सीर पृष्ठ 448) **1.** इस सूरः का हासिल ये मज़ामीन हैं: तौहीद, रिसालत, रिसालत पर शुब्हात का जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली, क़ुरआन का हक़ होना और वायदा-वईद वग़ैरह।

2. यानी ज़मीन व आसमान में अहकाम जारी करने लगा।

3. चुनाँचे सूरज अपने मदार (यानी दायरे और गर्दिश करने की जगह) को साल भर में तय कर लेता है और चाँद महीने भर में।

4. यानी मरने के बाद ज़िन्दा होने और क़ियामत के आने का यक़ीन कर लो, उसके मुम्किन होने को तो इस तरह कि जब अल्लाह तआ़ला ऐसी अ़ज़ीम चीज़ों के पैदा करने पर क़ादिर है तो मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क्यों क़ादिर नहीं होगा, और उसके आने और मौजूद हो जाने का यक़ीन इस तरह कि (पृष्ठ 448 की बक़िया और पृष्ठ 450, 452, 454 की तफ़सीर पृष्ठ 456-459 पर)

किए उनके लिए ख़ुशहाली और नेक अन्जामी है।[1] **(29)** (और) इसी तरह हमने आपको एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है कि उस (उम्मत) से पहले और बहुत-सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं, ताकि आप उनको वह (किताब) पढ़कर सुना दें जो हमने आपके पास वह्य के ज़रिये भेजी है,[2] और वे लोग बड़े रहमत वाले की नाशुक्री करते हैं।[3] आप फ़रमा दीजिए कि वह मेरा पालने वाला (और निगहबान) है, उसके सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं, मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझको जाना है।[4] **(30)** और अगर कोई ऐसा क़ुरआन होता जिसके ज़रिये से पहाड़ (अपनी जगह से) हटा दिए जाते या उसके ज़रिये से ज़मीन जल्दी-जल्दी तय हो जाती, या उसके ज़रिये से मुर्दों के साथ किसी को बातें करा दी जातीं[5] (तब भी ये लोग ईमान न लाते), बल्कि सारा इख़्तियार ख़ास अल्लाह ही को है।[6] क्या (यह सुनकर) फिर भी ईमान वालों को इस बात में तसल्ली नहीं हुई कि अगर ख़ुदा तआ़ला चाहता तो तमाम (दुनिया भर के) आदमियों को हिदायत कर देता,[7] और (ये मक्का के) काफ़िर तो हमेशा (आए दिन) इस हालत में रहते हैं कि उनके (बुरे) किरदारों के सबब उनपर कोई न कोई हादसा पड़ता रहता है,[8] या उनकी बस्ती के क़रीब नाज़िल होता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह का वायदा आ जाएगा।[9] यक़ीनन अल्लाह तआ़ला वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते। **(31)** ❖

और बहुत-से पैग़म्बरों के साथ जो आपसे पहले हो चुके हैं हँसी-ठट्ठा हो चुका है,[10] फिर मैं उन काफ़िरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उनपर दारोगीर "यानी पकड़" की, सो मेरी सज़ा किस तरह की थी। **(32)** फिर (भी) क्या जो (ख़ुदा) हर शख़्स के आमाल पर बाख़बर हो (और उन लोगों के शरीक क़रार दिए हुए बराबर हो सकते हैं) और उन लोगों ने ख़ुदा के लिए शरीक तजवीज़ किए हैं। आप कहिए कि (ज़रा) उन (शरीकों) का नाम तो लो, क्या तुम उसको (यानी ख़ुदा तआ़ला को) ऐसी बात की ख़बर देते हो कि दुनिया (भर) में उस (के वजूद) की ख़बर उसको (यानी अल्लाह को) न हो,[11] या ख़ाली ज़ाहिरी लफ़्ज़ के एतिबार से उनको शरीक कहते हो, बल्कि काफ़िरों को अपने मुग़ालते की बातें पसन्दीदा मालूम होती हैं, और (इसी वजह से) ये लोग (हक़) रास्ते से महरूम रह गए। और जिसको ख़ुदा तआ़ला गुमराही में रखे उसको कोई राह पर लाने वाला नहीं।[12] **(33)** उनके लिए दुनियावी ज़िन्दगी में (भी) अ़ज़ाब है,[13] और आख़िरत का अ़ज़ाब इससे कई दर्जे ज़्यादा सख़्त है, और अल्लाह (के अ़ज़ाब) से उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। **(34)** (और) जिस जन्नत का मुत्तक़ियों से वायदा किया गया है उसकी कैफ़ियत यह है कि उस (क़ी इमारतों व पेड़ों) के नीचे से

(पिछले पृष्ठ का शेष) ऐसे शख़्स ने उसकी ख़बर दी है जो बिलकुल सच्चा है (यानी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तो ज़रूर ऐसा ही होगा।

5. जैसे खट्टे और मीठे या छोटे और बड़े। कोई किसी रंग का और कोई किसी रंग का।

6. बल्कि जड़ से शाख़ों तक एक ही तना चला जाता है, 'सिन्वान' के तर्जुमे में दो तने की तख़्सीस मिसाल देने के लिए है वरना बाज़ में तीन चार तक देखे गए हैं। और फिर हर एक में पठ्ठे अलग-अलग निकलते हैं और फल अलग-अलग लगते हैं।

7. ऊपर तौहीद को साबित किया था, आगे काफ़िरों के उन शुब्हात का जवाब है जो नुबुव्वत के मुताल्लिक़ थे सज़ा की धमकी के साथ, और वे तीन शुब्हे थे। पहला शुब्हा यह था कि मरने के बाद ज़िन्दा होने को वे लोग मुहाल समझते थे और इससे नुबुव्वत की नफ़ी पर दलील पकड़ते थे। दूसरा शुब्हा यह था कि अगर आप नबी हैं तो नुबुव्वत के इनकार पर जिस अ़ज़ाब की वईद सुनाते हैं वह क्यों नहीं आता। तीसरा शुब्हा यह था कि जिन मोजिज़ों की हम फ़रमाइश करते हैं वे क्यों ज़ाहिर नहीं किये जाते। आयत 'व इन तअ्जब्...' में पहले शुब्हे का रद्द है और आयत 'व यस्तअ्जिलून-क..' में दूसरे शुब्हे का जवाब है, और आयत 'व यक़ूलुल्लज़ी-न क-फ़रू..' में तीसरे शुब्हे का जवाब है।

(तफ़सीर पृष्ठ 450) **1.** यानी इसमें दोनों सिफ़तें हैं और हर एक के ज़ाहिर होने की शर्तें और असबाब हैं। पस उन्होंने बिला सबब अपने को रहमत व मग़फ़िरत के लिए हक़दार समझ लिया, बल्कि कुफ़्र की वजह से उनके लिए तो अल्लाह तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाला है।

(पृष्ठ 450 की बक़िया और पृष्ठ 452, 454, 456 की तफ़सीर पृष्ठ 458-460 पर)

नहरें जारी होंगी, उसका फल और उसका साया हमेशा रहने वाला रहेगा।[1] यह तो अन्जाम होगा मुत्तक़ियों का, और काफ़िरों का अन्जाम दोज़ख़ होगा। **(35)** और जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उस (किताब) से ख़ुश होते हैं[2] जो आप पर नाज़िल की गई है, और उन्हीं के गिरोह में बाज़े ऐसे हैं कि उसके कुछ हिस्से का इनकार करते हैं।[3] आप फ़रमाइए कि[4] मुझको यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह तआ़ला की इबादत करूँ और किसी को उसका शरीक न ठहराऊँ। मैं उसी (अल्लाह ही) की तरफ़ बुलाता हूँ और उसी की तरफ़ मुझको जाना है। **(36)** और इसी तरह हमने उसको इस तौर पर नाज़िल किया कि वह एक ख़ास़ हुक्म है, अ़रबी (ज़बान में)।[5] और अगर आप (मान लो, अगरचे ऐसा होना नामुम्किन है) उनके नफ़सानी ख़्यालात की पैरवी करने लगें इसके बाद कि आपके पास (सही) इल्म पहुँच चुका है, तो अल्लाह के मुक़ाबले में न कोई आपका मददगार होगा और न कोई बचाने वाला।[6] **(37)** ❖

और हमने यक़ीनन आपसे पहले बहुत-से रसूल भेजे, और हमने उनको बीवियाँ और बच्चे भी दिए,[7] और किसी पैग़म्बर के इख़्तियार में यह बात नहीं कि एक आयत भी बिना ख़ुदा तआ़ला के हुक्म के ला सके, हर ज़माने के (मुनासिब ख़ास-ख़ास) अहकाम (होते) हैं। **(38)** ख़ुदा तआ़ला (ही) जिस (हुक्म) को चाहे मौक़ूफ़ कर देते हैं और जिस (हुक्म) को चाहें क़ायम रखते हैं, और असल किताब उन्हीं के पास है।[8] **(39)** और जिस (बात) का हम उनसे वायदा कर रहे हैं उसमें का बाज़ (वाक़िआ़) अगर हम आपको दिखला दें या हम आपको वफ़ात दे दें, पस आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ (अहकाम का) पहुँचा देना है और दारोगीर "यानी पूछताछ और पकड़" करना हमारा काम है।[9] **(40)** क्या वे इस (बात) को नहीं देख रहे हैं कि हम ज़मीन को हर (चारों) तरफ़ से लगातार कम करते चले आते हैं।[10] और अल्लाह (जो चाहता है) हुक्म करता है, उसके हुक्म को कोई हटाने वाला नहीं, और वह बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है। **(41)** और उनसे पहले जो (काफ़िर) लोग हो चुके हैं उन्होंने तदबीरें कीं, सो असल तदबीर तो ख़ुदा ही की है,[11] उसको सब ख़बर रहती है जो शख़्स जो कुछ भी करता है, और उन काफ़िरों को अभी मालूम हुआ जाता है कि उस आ़लम "यानी आख़िरत" में नेक अन्जामी किसके हिस्से में है।[12] **(42)** और (ये) काफ़िर लोग (यूँ) कह रहे हैं कि (हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं) आप पैग़म्बर नहीं, आप फ़रमा दीजिए कि (मेरी नुबुव्वत पर) मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वह शख़्स जिसके पास (आसमानी) किताब का इल्म है, काफ़ी गवाह हैं।[13] **(43)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) **2.** आयत में लफ़्ज़ 'हादी' नबी और नबी के नायब दोनों को आ़म है, पस हिन्दुस्तान में मुतलक़ 'हादी' के आने से उसका नबी होना लाज़िम नहीं, हाँ इसका एहतिमाल और गुन्जाइश ज़रूर है।

3. बच्चों की तादाद की या मुद्दत की कि कभी एक बच्चा होता है कभी ज़्यादा, कभी जल्दी होता है कभी देर में।

4. यानी सबको यक्साँ जानता है। और जैसा कि तुममें से हर एक को जानता है इसी तरह हर एक ही हिफ़ाज़त करता है।

5. बहुत-सी बलाओं से इनसान की हिफ़ाज़त करते हैं। लेकिन इससे कोई यह न समझ जाए कि जब फ़रिश्ते हमारे मुहाफ़िज़ हैं फिर जो चाहो नाफ़रमानी करो, अगरचे कुफ़्र ही क्यों न हो किसी तरह अ़ज़ाब नाज़िल न होगा। यह गुमान ग़लत है।

6. जब वे अपनी सलाहियत में ख़लल डालने लगते हैं तो फिर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से भी उनपर मुसीबत व सज़ा तजवीज़ की जाती है। आयत से जिस बात पर दलालत हो रही है उसका हासिल यह है कि बिना नाफ़रमानी के हम नाराज़ नहीं होते। पस गुनाहों से बचने में नाराज़ी की नफ़ी यक़ीनी है नेमत और आ़फ़ियत के न होने का वायदा नहीं। गुनाहों और नाफ़रमानी से अगरचे ज़ाहिरी नेमत व आ़फ़ियत ख़त्म भी न हो लेकिन हक़ तआ़ला की नाराज़ी तो ज़रूर मुरत्तब हो जाती है।

7. ऐसे वक़्त में ख़ुदा के सिवा कोई भी उनका मददगार नहीं रहता, यहाँ तक कि वे भी जिनकी हिफ़ाज़त का उनको गुमान व नाज़ है। ग़रज़ यह कि फ़रिश्ते भी उनकी हिफ़ाज़त नहीं करते और अगर करते तो भी हिफ़ाज़त काम न आ सकती।

(पृष्ठ 452, 454, 456 और 458 की तफ़सीर पृष्ठ 459, 460 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) ईमान वालों को तसल्ली नहीं हुई? अगर ख़ुदा चाहता तो दुनिया भर के आदमियों को हिदायत कर देता मगर बाज़ हिक्मतों से उसकी मरज़ी नहीं हुई, और सब ईमान नहीं लाएँगे। इसका क़रीबी सबब उनकी दुश्मनी और मुख़ालफ़त है, फिर उन मुख़ालिफ़ों के ईमान की फ़िक्र में क्यों लगे हैं।

8. कहीं क़त्ल, कहीं क़ैद, कहीं शिकस्त और हार।

9. या बाज़े हादसे ख़ुद उनपर नहीं पड़ते मगर उनकी बस्ती के क़रीब नाज़िल होते रहते हैं, जैसे किसी और क़ौम पर आफ़त आई और इनको ख़ौफ़ पैदा हुआ कि कहीं हमपर भी बला न आ जाए, यहाँ तक कि इसी हालत में आख़िरत के अ़ज़ाब का सामना हो जाएगा, जो मरने के बाद शुरू हो जाएगा।

10. उन लोगों का यह मामला झुठलाना और हँसी उड़ाना कुछ आपके साथ ख़ास नहीं। और इसी तरह उनके लिए अ़ज़ाब में देरी होना कुछ उनके साथ ख़ास नहीं, बल्कि पहले रसूलों और पहली उम्मतों के साथ भी ऐसा होता रहा है।

11. क्योंकि हक़ तआ़ला तो उसी को मौजूद जानता है जो हक़ीक़त में मौजूद हो, और जो मौजूद न हो उसको मौजूद नहीं जानता, क्योंकि इससे इल्म का ग़लत होना लाज़िम आता है, अगरचे ज़ाहिर होने में दोनों बराबर हैं।

12. अलबत्ता वह उसी को गुमराह रखता है जो बावजूद हक़ वाज़ेह होने के मुख़ालफ़त करता रहे।

13. वह अ़ज़ाब क़त्ल, क़ैद और ज़िल्लत या बीमारियाँ व मुसीबतें हैं।

(तफ़सीर पृष्ठ 458) **1.** मेवों के हमेशा रहने से यह मुराद है कि अगर एक बार मेवा खा लिया तो दूसरा उसके बदले दरख़्त पर और लग जाएगा। और साये के हमेशा रहने की वजह यह है कि वहाँ सूरज न होगा। मगर याद रहे कि रोशनी का वजूद सूरज पर मुन्हसिर नहीं, इसलिए यह वस्वसा न होना चाहिए कि रोशनी कहाँ से आएगी।

2. जैसे यहूद में अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु और उनके साथी, और ईसाइयों में नज्जाशी और उनके भेजे हुए।

3. इससे मुराद वह हिस्सा है जिसमें उनकी किताब के ख़िलाफ़ अहकाम हैं।

4. अहकाम दो क़िस्म के हैं, उसूल यानी बुनियादी और फ़ुरूअ़ यानी उसूल से निकले हुए अहकाम। अगर तुम उसूल में मुख़ालिफ़ हो तो वे सब शरीअ़तों में मुश्तरक हैं।

5. अहकाम का इख़्तिलाफ़ उम्मतों के इख़्तिलाफ़ के सबब हुआ, क्योंकि उम्मतों की मस्लहतें हर ज़माने में अलग-अलग रहीं। पस शरीअ़तों का यह इख़्तिलाफ़ मुख़ालफ़त को नहीं चाहता। चुनाँचे ख़ुद तुम्हारी मानी हुई शरीअ़तों में भी अहकाम का ऐसा इख़्तिलाफ़ मौजूद था, फिर तुम्हारे लिए मुख़ालफ़त और इनकार की क्या गुन्जाइश है।

6. जब नबी को ऐसा ख़िताब किया जा रहा है तो और लोग इनकार करके कहाँ रहेंगे।

7. अहले किताब में से बाज़ों का जो नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर यह ताना है कि यह कैसे नबी? इनको तो बीवियों और बच्चों का शग़ल रहता है, सो यह चीज़ रसूल होने के ख़िलाफ़ नहीं, बहुत-से पैग़म्बरों के इनसे भी ज़्यादा बीवियाँ और बच्चे थे।

8. यानी लौहे महफ़ूज़। ये सब अहकाम निरस्त करने वाले और निरस्त होने वाले और जो अपनी जगह क़ायम हैं सब उसमें दर्ज हैं। वह सब को जमा करने वाली और गोया तमाम चीज़ों का मजमूआ़ है। यानी जहाँ से ये अहकाम आते हैं वह अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है। पस पहले अहकाम के मुवाफ़िक़ या उनसे अलग अहकाम लाने की किसी को गुन्जाइश और ताक़त ही नहीं हो सकती।

9. यानी ये लोग जो इस बिना पर नुबुव्वत का इनकार करते हैं कि अगर आप नबी हैं तो नुबुव्वत का इनकार करने पर जिस अ़ज़ाब का वायदा किया जाता है वह क्यों नहीं नाज़िल होता, चाहे आपकी ज़िन्दगी में उनपर कोई अ़ज़ाब नाज़िल हो जाए चाहे उस अ़ज़ाब के नाज़िल होने से पहले हम आपको वफ़ात दे दें, फिर बाद में वह अ़ज़ाब ज़ाहिर हो, चाहे दुनिया में या आख़िरत में, तो दोनों हालतों में आप इस फ़िक्र में न पड़ें कि अगर अ़ज़ाब आ जाए तो बेहतर है कि शायद ये ईमान ले आएँ, क्योंकि आपके ज़िम्मे सिर्फ़ तब्लीग़ है और दारोगीर और पकड़ करना तो हमारा काम है।

10. यानी इस्लामी फ़ुतूहात की कसरत की वजह से उनकी हुकूमत और राज दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। सो यह भी तो एक क़िस्म का अ़ज़ाब है, जो असली अ़ज़ाब का दीबाचा यानी शुरूआ़त है।

11. उसके सामने किसी की नहीं चलती। सो अल्लाह ने उनकी वे तदबीरें नहीं चलने दीं।

12. यानी जल्द ही उनको अपना बुरा अन्जाम और आमाल की सज़ा मालूम हो जाएगी।

13. इससे अहले किताब के वे उलमा मुराद हैं जो इनसाफ़ वाले थे और नुबुव्वत की पेशीनगोई (यानी भविष्यवाणी) देखकर ईमान ले आए थे। मतलब यह हुआ कि मेरी नुबुव्वत की दो दलीले हैं अ़क़्ली और नक़ली। अ़क़्ली तो यह कि हक़ तआ़ला ने मुझको मोजिज़े अ़ता फ़रमाए जो नुबुव्वत की दलील हैं, और अल्लाह के गवाह होने के यही मायने हैं। और नक़ली यह कि पहली आसमानी किताबों में इसकी ख़बर मौजूद है। अगर यक़ीन न आए तो इन्साफ़-पसन्द उलमा से पूछ लो, वे ज़ाहिर कर देंगे। पस अ़क़्ली और नक़ली दलीलों के होते हुए नुबुव्वत का इनकार करना सिवाय बद-बख़्ती के और क्या है।

14 सूरः इब्राहीम 72

सूरः इब्राहीम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 52 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़-लाम-रा। यह (क़ुरआन) एक किताब है जिसको हमने आप पर नाज़िल फ़रमाया है ताकि आप तमाम लोगों को उनके परवर्दिगार के हुक्म से अन्धकार से निकालकर रोशनी की तरफ़ यानी ख़ुदा-ए-ग़ालिब तारीफ़ वाले की राह की तरफ़ लाएँ।[1] **(1)** (वह ऐसा ख़ुदा है) कि उसी की मिल्क है जो कुछ कि आसमानों में है और जो कुछ कि ज़मीन में है, और बड़ी ख़राबी यानी बड़ा सख़्त अ़ज़ाब है **(2)** उन (काफ़िरों) को जो कि दुनियावी ज़िन्दगानी को आख़िरत पर तरजीह देते हैं, और (बल्कि) अल्लाह की (ज़िक्र हुई) राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़ (यानी शुब्हात) को ढूँढते रहते हैं।[2] ऐसे लोग बड़ी दूर की गुमराही में हैं।[3] **(3)** और हमने (पहले) तमाम पैग़म्बरों को (भी) उन्हीं की क़ौम की ज़बान में पैग़म्बर बनाकर भेजा है[4] ताकि उनसे (अल्लाह के अहकाम को) बयान करें। फिर जिसको अल्लाह तआ़ला चाहें गुमराह करते हैं[5] और जिसको चाहें हिदायत करते हैं,[6] और वही (सब उमूर पर) ग़ालिब है (और) हिक्मत वाला है।[7] **(4)** और हमने मूसा को अपनी निशानियाँ देकर भेजा कि अपनी क़ौम को (कुफ़्र) की अँधेरियों से (ईमान की) रोशनी की तरफ़ लाओ, और उनको अल्लाह तआ़ला की (नेमत और सज़ा के) मामलात याद दिलाओ,[8] बेशक उन (मामलात) में इबरतें हैं हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। **(5)** और (उस वक़्त को याद कीजिये कि) जब मूसा ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम अल्लाह तआ़ला का इनाम अपने ऊपर याद करो, जबकि तुमको फ़िरऔ़न वालों से नजात दी, जो तुमको सख़्त तकलीफ़ें पहुँचाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िब्ह करते थे और तुम्हारी औ़रतों को ज़िन्दा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से बड़ा इम्तिहान था।[9] **(6)** ❖

और (वह वक़्त याद करो) जबकि तुम्हारे रब ने तुमको इत्तिला फ़रमा दी कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको ज़्यादा (नेमत) दूँगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो (यह अच्छी तरह समझ लो कि) मेरा अ़ज़ाब बड़ा सख़्त है।[10] **(7)** और मूसा ने (यह भी) फ़रमाया कि अगर तुम और दुनिया भर के आदमी सब-के-सब

---

1. रोशनी में लाने का मतलब यह है कि वह राह बतलाएँ।
2. यानी ऐसे शुब्हात पैदा करते हैं जिनके ज़रिये से दूसरों को गुमराह कर सकें।
3. यानी वह गुमराही हक़ से बड़ी दूर है।
4. यह उस शुब्हे का जवाब है कि क़ुरआन अ़रबी ज़बान में क्यों नाज़िल हुआ, इससे तो यह शुब्हा होता है कि ख़ुद पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तैयार कर लिया होगा। अ़रबी के अ़लावा किसी दूसरी ज़बान में क्यों नाज़िल नहीं हुआ ताकि यह शुब्हा ही न होता, और क़ुरआन दूसरी आसमानी किताबों से ग़ैर-अ़रबी होने में उनके मुवाफ़िक़ भी होता। जवाब का ख़ुलासा यह है कि तमाम पैग़म्बरों पर उन्हीं की क़ौमी ज़बान में अहकाम नाज़िल होते रहे, क्योंकि असल मक़सूद अहकाम का बयान करना और तब्लीग़ है, न कि ज़बानों में मुत्तफ़िक़ होना।
5. यानी उन अहकाम को क़बूल न करके गुमराह होता है।
6. कि वह उन अहकाम को क़बूल कर लेता है।
7. पस ग़ालिब होने की बिना पर सबको हिदायत कर सकता था मगर बहुत-सी हिक्मतें की वजह से ऐसा न हुआ।
8. क्योंकि नेमत को याद करके शुक्र करेगा। सज़ा और उसके ख़त्म होने को याद करके आइन्दा हादसों में सब्र करेगा कि याद दिलाने का एक फ़ायदा यह भी है।
9. यानी मुसीबत में बला थी और बला और नेमत दोनों बन्दे के लिए इम्तिहान हैं। पस इसमें मूसा अ़लैहिस्सलाम ने नेमत व सज़ा दोनों का ज़िक्र फ़रमाया।
11. शुक्र में ईमान और नाशुक्री में कुफ़्र भी दाख़िल है।

मिलकर भी नाशुक्री करने लगो तो अल्लाह तआ़ला (का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि वह) बिलकुल ग़नी (और) तारीफ़ वाले हैं। **(8)** (ऐ मक्का के काफ़िरो!) क्या तुमको उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, यानी नूह की क़ौम, और (हूद की क़ौम) आ़द, और (सालेह की क़ौम) समूद, और जो लोग उनके बाद हुए हैं जिनको सिवाय अल्लाह तआ़ला के कोई नहीं जानता। उनके पैग़म्बर उनके पास दलीलें लेकर आए, सो उन क़ौमों ने अपने हाथ उन (पैग़म्बरों) के मुँह में दे दिए,[1] और कहने लगे कि जो (हुक्म) तुमको देकर भेजा गया है हम उसके इनकारी हैं, और जिस चीज़ की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो हम उसकी तरफ़ से बहुत बड़े शुब्हे में हैं जो (हमको) तरद्दुद में डाले हुए है।[2] ▲ **(9)** उनके पैग़म्बरों ने कहा, क्या (तुमको) अल्लाह तआ़ला के बारे में शक है जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है,[3] वह तुमको बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे,[4] और मुक़र्ररा मुद्दत तक तुमको (ख़ैर व ख़ूबी के साथ) ज़िन्दगी दे।[5] उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ़ एक आदमी हो जैसे हम हैं,[6] तुम (यूँ) चाहते हो कि हमारे बाप (और दादा) जिस चीज़ की इबादत करते थे (यानी बुत) उससे हमको रोक दो,[7] सो कोई साफ़ मोजिज़ा दिखलाओ। **(10)** उनके रसूलों ने (इसके जवाब में) कहा कि हम भी तुम्हारे जैसे आदमी ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बन्दों में से जिसपर चाहे एहसान फ़रमा दे,[8] और यह बात हमारे क़ब्ज़े की नहीं कि हम तुमको बिना खुदा के हुक्म के कोई मोजिज़ा दिखला सकें, और अल्लाह ही पर सब ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए।[9] **(11)** और हमको अल्लाह पर भरोसा न करने का कौन-सी चीज़ सबब हो सकती है, हालाँकि उसने हमको हमारे (दोनों जहान के फ़ायदों के) रास्ते बतला दिए,[10] और तुमने जो कुछ हमको तकलीफ़ पहुँचाई है हम उसपर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। **(12)** ❖

और (उन) काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुमको अपनी सरज़मीन से निकाल देंगे, या (यह हो कि) तुम हमारे मज़हब में लौट आओ। पस उन (रसूलों) पर उनके रब ने (तसल्ली के लिए) वह्य नाज़िल फ़रमाई कि हम (ही) इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। **(13)** और उनके (हलाक करने के) बाद तुमको इस सरज़मीन में आबाद रखेंगे। (और) यह हर उस शख़्स के लिए (आम) है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे

---

1. यानी मानते तो क्या? बल्कि यह कोशिश करते थे कि उनको बात तक न करने दें।

2. मक़सूद इससे तौहीद व रिसालत दोनों का इनकार है।

3. यानी उसका इन चीज़ों को पैदा करना खुद उसके वजूद और एक होने की दलील है, फिर इस दलील के होते हुए उसके वजूद और उसकी तौहीद में शक है।

4. इस्लाम से तमाम गुनाह तो माफ़ होते हैं लेकिन हुक़ूक़ व सज़ाएँ माफ़ नहीं होते। चुनाँचे इस्लाम के सबब ज़िम्मी (यानी वह ग़ैर-मुस्लिम जो मुआ़हदे के तहत इस्लामी हुकूमत में रहता हो) से सज़ा का ख़त्म न होना फ़िक़्ह यानी मसाइल के अन्दर ज़िक्र हुआ है।

5. मतलब यह कि तौहीद इसके अ़लावा कि अपने आप में हक़ है, तुम्हारे लिए दोनों जहान में फ़ायदेमन्द भी है।

6. और बशर (यानीं इनसान) होना रसूल होने के ख़िलाफ़ है, जब पैग़म्बर नहीं हो तो तुम जो कुछ तौहीद के बारे में कहते हो वह अल्लाह की तरफ़ से नहीं है।

7. हालाँकि शिर्क के हक़ होने की वाज़ेह दलील यह है कि हमारे बुज़ुर्ग इसको करते आए हैं।

8. हम अपने बशर (यानी इनसान) होने को तसलीम करते हैं कि वाक़ई हम भी तुम्हारे जैसे आदमी ही हैं, लेकिन बशर होने और नुबुव्वत में कोई ऐसी बात नहीं कि दोनों जमा न हों, क्योंकि नुबुव्वत अल्लाह तआ़ला का एक आला दर्जे का इनाम व एहसान है।

9. मोजिज़ा दिखाना हमारे बस की बात नहीं, फिर अगर इसपर भी तुम न मानो और मुख़ालफ़त किए जाओ तो हम तुम्हारी मुख़ालफ़त से नहीं डरते बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हैं।

10. जिसका इतना बड़ा फ़ज़्ल हो उसपर तो ज़रूर भरोसा करना चाहिए।

और मेरी वईद "यानी सज़ा की धमकी" से डरे।[1] (14) और (काफ़िर लोग) फ़ैसला चाहने लगे और जितने नाफ़रमान (और) ज़िद्दी (लोग) थे वे सब नाकाम हुए।[2] (15) उसके आगे दोज़ख़ है और उसको (दोज़ख़ में) ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप-लहू (के जैसा) होगा। (16) जिसको घूँट-घूँट करके पिएगा और (गले से) आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत न होगी, और हर (चारों) तरफ़ से उसपर मौत (के सामान) की आमद होगी और वह किसी तरह से मरेगा नहीं,[3] और उसको और सख़्त अ़ज़ाब का सामना होगा।[4] (17) जो लोग अपने परवर्दिगार के साथ कुफ़्र करते हैं उनकी हालत अ़मल के एतिबार से यह है कि जैसे कुछ राख हो, जिसको तेज़ आँधी के दिन में तेज़ी के साथ हवा उड़ा ले जाए। (इसी तरह) उन लोगों ने जो कुछ अ़मल किए थे उनका कोई हिस्सा उनको हासिल न होगा (राख की तरह बर्बाद हो जाएगा), यह भी बड़ी दूर दराज़ की गुमराही है।[5] (18) क्या (ऐ मुख़ातब!) तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने आसमानों को और ज़मीन को बिलकुल ठीक-ठीक[6] पैदा किया है, (इससे उसका क़ादिर होना भी मालूम हो गया, पस) अगर वह चाहे तो तुम सबको फ़ना कर दे और एक दूसरी नई मख़्लूक़ को पैदा कर दे। (19) और यह ख़ुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं।[7] (20) और ख़ुदा के सामने सब पेश होंगे, फिर छोटे दर्जे के लोग (यानी अ़वाम और पैरवी करने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम ख़ुदा के अ़ज़ाब का कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते हो।[8] वे (जवाब में) कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको कोई राह बतलाता तो हम तुमको वह राह बतला देते, (और अब तो) हम सबके हक़ में (दोनों सूरतें) बराबर हैं, चाहे हम परेशान हों चाहे संयम से काम लें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं।[9] (21) ❖

1. मुराद यह कि जो मुसलमान हो, जिसकी निशानी अल्लाह के सामने खड़ा होने और उसकी सज़ा की धमकी से ख़ौफ़ है, सबके लिए यह अ़ज़ाब से नजात देने का वायदा आ़म है।
2. यानी हलाक हो गए और जो उनकी मुराद थी कि अपने को हक़ पर समझकर फ़त्ह व कामयाबी चाहते थे वह हासिल न हुई।
3. रिसालत के बाज़ इनकारी अपने ख़्याल व गुमान में अल्लाह से नज़दीकी और सवाब के भी कुछ आमाल करते थे जिनमें से कुछ तो अपनी ज़ात के एतिबार से भी नज़दीकी का सबब न थे जैसे बुतों को पूजना, और बाज़ अपनी ज़ात के एतिबार से तो क़ुर्ब व नज़दीकी का ज़रिया थे मगर ईमान के न होने के सबब उनके हक़ में क़ुर्बत नहीं रहे थे जैसे गुलामों और बाँदियों को आज़ाद करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक, मेहमानों की ख़ातिर-मुदारात वग़ैरह-वग़ैरह। पस इन आमाल का लिहाज़ करके उनको शुब्हा हो सकता था कि ये आमाल हमारे काम आएँगे और अ़ज़ाब से बचा लेंगे। इसी तरह यह ख़्याल हो सकता था कि क़ियामत ही क़ायम न होगी इसलिए अ़ज़ाब भी न होगा। इसी तरह यह वस्वसा भी मुम्किन था कि हम जिनके हुक्म से इस बुत-परस्ती को इख़्तियार किए हुए हैं, वे और अल्लाह के अ़लावा हमारे माबूद हमको बचा लेंगे, इसलिए हक़ तआ़ला ने उनके लिए नजात के तमाम रास्तों का बन्द हो जाना गुज़िश्ता आयतों में ज़ाहिर फ़रमा दिया।
4. अगर उन काफ़िरों को अपनी नजात के मुताल्लिक़ यह गुमान हो कि हमारे आमाल हमारे लिए फ़ायदेमन्द (लाभदायक) होंगे तो इसका क़ायदा कुल्लिया यह सुन लो कि काफ़िरों के आमाल की तो यह मिसाल है जैसे तेज़ आँधी राख को उड़ा ले जाए। इस सूरत में उस राख का नाम व निशान भी न रहेगा जो उड़ने में बहुत हल्की होती है, जिसका बयान अगली आयत में है।
5. गुमान तो यह हो कि हमारे अ़मल नेक और नफ़ा देने वाले हैं और फिर ज़ाहिर हों बुरे और नुक़सान देने वाले।
6. यानी फ़ायदों और मस्लहतों पर मुश्तमिल।
7. पस जब नई मख़्लूक़ पैदा करना आसान है तो तुमको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। पस इसमें आसमान व ज़मीन के पैदा करने से तो नई मख़्लूक़ के पैदा करने की क़ुदरत होने पर इस्तिदलाल किया और उससे पुरानी मख़्लूक़ के दोबारा पैदा करने पर क़ादिर होने पर दलील पकड़ी। ग़रज़ नजात के रास्ते का यह ख़्याल व गुमान भी बातिल हुआ।
8. यानी अगर यह गुमान हो कि हमारे बड़े हमको बचा लेंगे तो इसकी हक़ीक़त भी सुन लो कि अ़वाम और ताबिईन ख़ास लोगों और जिनकी वे पैरवी करते थे उनसे बतौर मलामत व नाराज़गी के कहेंगे कि दीन का जो रास्ता तुमने हमको बतलाया हम उसी पर हो लिए और आज हमपर मुसीबत है, अगर बिलकुल न बचा सको तो कुछ तो बचा सकते हो?
9. इस सवाल व जवाब से मालूम हो गया कि कुफ़्र के रास्ते के बड़े भी अपने पैरोकारों के कुछ काम न आएँगे। नजात के इस तरीक़े में भी कोई गुन्जाइश न रही।

और जब (क़ियामत में) तमाम मुक़द्दमों का फ़ैसला हो चुकेगा तो (जवाब में) शैतान कहेगा कि अल्लाह तआला ने तुमसे सच्चे वायदे किए थे और मैंने भी तुमसे कुछ वायदे किए थे, सो मैंने वे वायदे तुमसे ख़िलाफ़ किए थे, और मेरा तुमपर और तो कुछ ज़ोर चलता न था, सिवाय इसके कि मैंने तुमको बुलाया था। सो तुमने (अपने इख़्तियार से) मेरा कहना मान लिया, तो तुम (सारी) मलामत मुझपर मत करो, और (ज़्यादा) मलामत अपने आपको करो।[1] न मैं तुम्हारा मददगार (हो सकता) हूँ और न तुम मेरे मददगार (हो सकते) हो, मैं ख़ुद (तुम्हारे) इस (फ़ेल) से बेज़ार हूँ कि तुम इसके पहले (दुनिया में) मुझको (ख़ुदा का) शरीक क़रार देते थे। यक़ीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (मुक़र्रर) है।[2] **(22)** और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए वे ऐसे बाग़ों में दाख़िल किए जाएँगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, (और) वे उनमें अपने परवर्दिगार के हुक्म से हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) वहाँ उनको सलाम इस लफ़्ज़ से किया जाएगा। अस्सलामु अ़लैकुम।[3] **(23)** क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने कैसी मिसाल बयान फ़रमाई है, कलिमा-ए-तय्यिबा (यानी कलिमा-ए-तौहीद) की कि वह एक पाकीज़ा दरख़्त के जैसा है,[4] जिसकी जड़ ख़ूब गड़ी हुई हो और उसकी शाख़ें "यानी टहनियाँ" ऊँचाई में जा रही हों। **(24)** वह अपने परवर्दिगार के हुक्म से हर फ़स्ल में अपना फल देता हो,[5] और अल्लाह तआला (ऐसी) मिसालें लोगों के वास्ते इसलिए बयान फ़रमाते हैं ताकि वे ख़ूब समझ लें। **(25)** और गन्दे कलिमे (या कुफ़्र व शिर्क के कलिमे) की मिसाल ऐसी है जैसे एक ख़राब दरख़्त हो कि ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए, उसको कुछ जमाव "और मज़बूती" न हो।[6] **(26)** अल्लाह तआला ईमान वालों को इस पक्की बात (यानी कलिमा-ए-तय्यिबा की बरकत) से दुनिया और आख़िरत में मज़बूत रखता है,[7] और अल्लाह तआला ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) को (दीन में और इम्तिहान में) बिचला देता है,[8] और अल्लाह तआला जो चाहता है करता है। **(27)** ❖

क्या आपने उन लोगों (मक्का वालों) को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत पर बजाय (शुक्र करने के) कुफ़्र किया और जिन्होंने अपनी क़ौम को हलाकत के घर **(28)** (यानी) जहन्नम में पहुँचा दिया।[9] वे उसमें दाख़िल होंगे, और वह रहने की बुरी जगह है। **(29)** और उन लोगों ने अल्लाह के साझी क़रार दिए ताकि दूसरों को भी उसके दीन से गुमराह करें। आप कह दीजिए कि थोड़ी और ऐश कर लो, क्योंकि तुम्हारा अख़ीर अन्जाम दोज़ख़ में जाना है।[10] **(30)** जो मेरे (ख़ास) ईमान वाले बन्दे हैं उनसे कह दीजिए कि वे नमाज़ की पाबन्दी रखें और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से छुपे और खुले तौर पर ख़र्च किया करें, ऐसे दिन के आने से पहले (पहले) कि जिसमें न ख़रीद व बेच होगी और न दोस्ती।[11] **(31)** अल्लाह ऐसा है कि जिसने

---

1. जब क़ियामत में ईमान वाले जन्नत में और कुफ़्फ़ार दोज़ख़ में भेज दिये जायेंगे तो उस वक़्त शैतान भी उनका शरीके हाल होगा। दोज़ख़ वाले उसको मलामत करेंगे कि कमबख़्त! तू तो डूबा ही था हमको भी अपने साथ डुबो दिया। शैतान जवाब देगा कि मुझपर तुम्हारी मलामत बेजा है क्योंकि अल्लाह ने तुमसे जितने वायदे किये थे सब सच्चे वादे थे, कि ईमान से नजात और कुफ़्र से हलाकत होगी, और क़ियामत ज़रूर क़ायम होगी। इसके बरख़िलाफ़ मैंने कहा था कि क़ियामत क़ायम नहीं होगी और तुम्हारा कुफ़्र का तरीक़ा ही नजात का सबब है। हक़ तआला का इर्शाद सही और मेरा बयान ग़लत था। अल्लाह तआला के वायदों के हक़ होने और मेरे बयानात के ग़लत होने पर क़तई दलीलें क़ायम थीं। सो बावजूद इसके तुमने मेरे वायदों को सही और ख़ुदा के वायदों को ग़लत समझा। तो तुम अपने हाथों ख़ुद डूबे।

2. पस इससे अल्लाह के अ़लावा दूसरे माबूदों का भरोसा भी ख़त्म हुआ। क्योंकि जो उन माबूदों की इबादत का असल जज़्बा और सबब है। जब उसने साफ़ जवाब दे दिया तो औरों से क्या उम्मीद हो सकती है। पस काफ़िरों की नजात तमाम रास्ते बन्द हो गये।

3. यानी आपस में भी और फ़रिश्तों की तरफ़ से भी। अल्लाह तआला के क़ौलः 'इल्ला क़ीलन् सलामन् सलामा' और अल्लाह तआला के क़ौलः 'वल्-मलाइ-कतु यदख़ुलू-न अ़लैहिम मिन् कुल्लि बाबिन्, सलामुन् अ़लैकुम बिमा स-बर्तुम......' की वजह से।

4. मुराद खजूर का दरख़्त है।

5. यानी ख़ूब फल देता हो कोई फ़स्ल मारी न जाती हो। इसी तरह कलिमा-ए-तौहीद यानीः **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 470 पर)**

आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी (यानी बारिश को) बरसाया, फिर उस (पानी) से फलों की क़िस्म से तुम्हारे लिए रिज़्क़ पैदा किया और तुम्हारे नफ़े के वास्ते कश्ती (और जहाज़) को तुम्हारे ताबे बनाया ताकि वह उसके (यानी ख़ुदा के) हुक्म (व क़ुदरत) से दरिया में चले, और तुम्हारे नफ़े के वास्ते नहरों को (अपनी क़ुदरत का) ताबे बनाया। **(32)** और तुम्हारे नफ़े के वास्ते सूरज और चाँद को (अपनी क़ुदरत का) ताबे बनाया जो हमेशा चलने ही में रहते हैं, और तुम्हारे नफ़े के वास्ते रात और दिन को (अपनी क़ुदरत का) ताबे बनाया। **(33)** और जो-जो चीज़ तुमने माँगी तुमको (हर चीज़) दी,[1] और अल्लाह तआला की नेमतें अगर शुमार करने लगो तो शुमार में नहीं ला सकते, (मगर) सच यह है कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ़ और बड़ा ही नाशुक्र है।[2] **(34)** ❖

और जबकि इब्राहीम ने कहा,[3] ऐ मेरे रब! इस शहर (यानी मक्का) को अमन वाला बना दीजिए[4] और मुझको और मेरे ख़ास फ़रज़न्दों को बुतों की हिफ़ाज़त से बचाए रखिए।[5] **(35)** ऐ मेरे परवर्दिगार! उन बुतों ने बहुत-से आदमियों को गुमराह कर दिया,[6] फिर जो शख़्स मेरी राह पर चलेगा वह तो मेरा है ही, और जो शख़्स (इस बारे में) मेरा कहना न माने, सो आप तो बहुत ज़्यादा मग़्फ़िरत करने वाले (और) बहुत ज़्यादा रहमत फ़रमाने वाले हैं।[7] **(36)** ऐ हमारे रब! मैं अपनी औलाद को[8] आपके अ़ज़मत वाले "यानी प्रतिष्ठि" घर के क़रीब[9] एक (चटियल और सुनसान) मैदान में जो काश्तकारी के क़ाबिल नहीं,[10] आबाद करता हूँ, ऐ हमारे रब ताकि वे लोग नमाज़ का एहतिमाम "यानी पाबन्दी" रखें, तो आप कुछ लोगों के दिल उनकी तरफ़ माइल कर दीजिए,[11] और उनको (महज़ अपनी क़ुदरत से) फल खाने को दीजिए[12] ताकि ये लोग (इन नेमतों का) शुक्र करें।[13] **(37)** ऐ हमारे रब! आपको तो सब कुछ मालूम है जो हम अपने दिल में रखें और जो ज़ाहिर कर दें। और अल्लाह तआला से (तो) कोई चीज़ भी छुपी नहीं, (न) ज़मीन में और न आसमान में। **(38)** तमाम तारीफ़ (और प्रशंसा) ख़ुदा के लिए (लायक़) है जिसने मुझको बुढ़ापे में इसमाईल और इसहाक़ (दो बेटे) अ़ता फ़रमाए। हक़ीक़त में मेरा रब दुआ़ का बड़ा सुनने वाला है।[14] **(39)** ऐ मेरे रब! मुझको भी नमाज़ का (ख़ास) एहतिमाम करने वाला रखिए और मेरी औलाद में भी[15] (बाज़ों को)। ऐ हमारे रब! और मेरी (यह) दुआ़ क़बूल कीजिये। **(40)** (और) ऐ हमारे रब! मेरी मग़्फ़िरत कर दीजिए और मेरे माँ-बाप की भी और तमाम मोमिनों की भी हिसाब के क़ायम होने के दिन।[16] **(41)** ❖

(पृष्ठ 468 का शेष) 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' की एक जड़ है यानी एतिक़ाद जो मोमिन के दिल में मज़बूती के साथ जगह पकड़े हुए है। और उसकी कुछ शाख़ें हैं यानी नेक आमाल जो ईमान पर मुरत्तब होते हैं जो बारगाहे क़बूलियत में आसमान की तरफ़ ले जाये जाते हैं। फिर उनपर हमेशा की रिज़ा का फल और नतीजा मुरत्तब होता है।

6. मुराद हन्ज़ल यानी इन्दराइन का पेड़ है। वह तनेदार नहीं होता उसको मजाज़न पेड़ फ़रमा दिया गया। और ख़राब उसकी बू, रंग और मज़े की वजह से फ़रमाया। और ऊपर से उखाड़ने का मतलब यह है कि उसकी जड़ दूर तक नहीं होती ऊपर ही रखी होती है।

7. दुनियावी ज़िन्दगी में साबित क़दम रहने से यह मुराद है कि उसपर शैतानों के बहकाने और गुमराह करने का असर नहीं होता और मरते दम तक ईमान पर क़ायम रहता है। और आख़िरत की मज़बूती से मुराद क़ब्र में मुन्कर नकीर के जवाब का सही-सही और इत्मीनान से जवाब दे देना है। यह तफ़सीर बहुत-सी हदीसों में आई है।

8. दुनिया में तो काफ़िरों की गुमराही ज़ाहिर है और क़ब्र में हदीसों की वज़ाहत के मुताबिक़ उनसे जवाब न बन पड़ेगा बल्कि हैरानी व परेशानी भरा जवाब देंगे। हाँ हाँ मैं नहीं जानता।

9. यानी उनको भी कुफ़्र की तालीम दी।

10. ऐश से मुराद कुफ़्र की हालत में रहना है। क्योंकि हर शख़्स को अपने मज़हब में लज़्ज़त होती है। यानी और थोड़े दिन कुफ़्र कर लो यह धमकी और डाँट है।

11. यानी जिस्मानी और माली इबादतों को **(पृष्ठ 468 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 470 की तफ़सीर पृष्ठ 472-476 पर)**

और (ऐ मुख़ातब!) जो कुछ ये ज़ालिम (काफ़िर) लोग कर रहे हैं इससे अल्लाह को बेख़बर मत समझ (क्योंकि) उनको सिर्फ़ उस दिन तक मोहलत दे रखी है जिसमें (उन लोगों की) निगाहें फटी रह जाएँगी। **(42)** दौड़ते होंगे, अपने सर ऊपर उठा रखे होंगे, (और) उनकी नज़र उनकी तरफ़ हटकर न आएगी,[1] और उनके दिल बिलकुल बदहवास होंगे। **(43)** और आप उन लोगों को उस दिन से डराइए जिस दिन उनपर अ़ज़ाब आ पड़ेगा। फिर ये ज़ालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे रब! एक थोड़ी-सी मुद्दत तक हमको (और) मोहलत दे दीजिए, हम आपका सब कहना मान लेंगे और पैग़म्बरों की इत्तिबा ''यानी पैरवी'' करेंगे। (जवाब में इर्शाद होगा) क्या तुमने इससे पहले क़स्में न खाई थीं कि तुमको कहीं जाना ही नहीं है।[2] **(44)** हालाँकि तुम उन (पहले) लोगों के रहने की जगहों में रहते थे जिन्होंने अपनी ज़ात का नुक़सान किया था, और तुमको (यह भी) मालूम हो गया था कि हमने उनके साथ क्योंकर मामला किया था, और हमने तुमसे मिसालें बयान कीं।[3] **(45)** और उन लोगों ने अपनी-सी बहुत ही बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं, और उनकी तदबीरें अल्लाह के सामने थीं। और वाक़ई उनकी तदबीरें ऐसी थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएँ, (मगर सब बेकार हो गईं)।[4] **(46)** पस अल्लाह तआ़ला को अपने रसूलों से वायदा-ख़िलाफ़ी करने वाला न समझना, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा ज़बरदस्त (और) पूरा बदला लेने वाला है। **(47)** जिस दिन दूसरी ज़मीन बदल दी जाएगी इस ज़मीन के अ़लावा और आसमान भी,[5] और सब-के-सब एक ज़बरदस्त अल्लाह के सामने पेश होंगे। **(48)** और तू मुज्रिमों (यानी काफ़िरों) को ज़न्जीरों में जकड़े हुए देखेगा। **(49)** (और) उनके कुर्ते क़तरान के होंगे,[6] और आग उनके चेहरों पर लिपटी होगी। **(50)** ताकि अल्लाह तआ़ला हर (मुज्रिम) शख़्स को उसके किए की सज़ा दे, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है। **(51)** यह (क़ुरआन) लोगों के लिए (अहकाम का) पहुँचाना है, और ताकि इसके ज़रिये से (अ़ज़ाब से) डराए जाएँ, और ताकि इस बात का यक़ीन कर लें कि वही एक माबूद (बरहक़) है, और ताकि समझदार लोग नसीहत हासिल करें। **(52)** ❖

15 सूरः हिज्र 54

सूरः हिज्र मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 99 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़-लाम-रा।[7] ये आयतें हैं एक (कामिल) किताब और वाज़ेह क़ुरआन की।[8] **(1)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) अदा करते हैं कि यही नेमत का शुक्र है। इस आयत में मोमिनों की कई तरह तारीफ़ हो गई। एक तो 'अल्लज़ी-न आमनू' से उनको ताबीर फ़रमाया, फिर उनको अ़िबादी (यानी मेरे बन्दे) सम्मान बढ़ाने के तौर पर फ़रमाया, फिर इनायत फ़रमाते हुए शुक्र करने की तरग़ीब देकर नाशुक्री की बड़ी आफ़त से बचा लिया।

(तफ़सीर पृष्ठ 470) 1. जो-जो चीज़ में शर्त यह है कि वह बन्दे के हाल के भी मुनासिब हो। इससे यह शुब्हा जाता रहा कि बाज़ चीज़ें हम माँगते हैं मगर वे नहीं मिलतीं। सो वे अल्लाह की मस्लहत में माँगने वाले के हाल के मुनासिब न होंगी।

2. क्योंकि वह अल्लाह की नेमतों की क़द्र और उनका शुक्र अदा नहीं करता बल्कि और इसके उल्टा कुफ़्र व नाफ़रमानी करने लगता है।

3. हज़रत इसमाईल अ़लैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अ़लैहस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का के मैदान में लाकर रखने के वक़्त दुआ़ के तौर पर कहा।

4. यानी इसके रहने वाले अमन के हक़दार रहें, यानी इसको हरम कर दीजिए।

5. बुत-परस्ती से महफ़ूज़ रखिए जो जाहिलों में राइज है, जैसा कि अब तक महफ़ूज़ रखा।

6. यानी उनकी गुमराही के सबब हो गए, इसलिए डरकर आपकी पनाह चाहता हूँ। और मैं जिस तरह औलाद के बचने की दुआ़ करता हूँ इसी तरह उनको भी कहता-सुनता रहूँगा। **(पृष्ठ 470 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 472 की तफ़सीर पृष्ठ 474-478 पर)**

चौदहवाँ पारः रु-बमा

सूरः हिज्र (आयत 2 से 99)

काफ़िर लोग बार-बार तमन्ना करेंगे कि क्या ख़ूब होता अगर वे मुसलमान होते।[1] **(2)** आप उनको (उनके हाल पर) रहने दीजिए कि वे खा लें और चैन उड़ा लें और ख़्याली मन्सूबे उनको ग़फ़लत में डाले रखें, उनको अभी हक़ीक़त मालूम हुई जाती है। **(3)** और हमने जितनी बस्तियाँ हलाक की हैं उन सबके लिए एक मुक़र्रर (वक़्त) लिखा हुआ (होता रहा) है। **(4)** कोई उम्मत अपनी मुक़र्ररा मीयाद से न पहले (हलाक) हुई है और न पीछे रही है।[2] **(5)** और (उन काफ़िरों ने यूँ) कहा कि ऐ वह शख़्स जिसपर क़ुरआन नाज़िल किया गया है, तहक़ीक़ कि तुम मजनूँ हो। **(6)** अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास फ़रिश्तों को क्यों नहीं लाते। **(7)** हम फ़रिश्तों को साफ़ फ़ैसले ही के लिए नाज़िल किया करते हैं, और उस वक़्त उनको मोहलत भी न दी जाती। **(8)** हमने क़ुरआन को नाज़िल किया है और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं।[3] **(9)** और हमने आपसे पहले भी (पैग़म्बरों को) अगले लोगों के गिरोहों में भेजा था। **(10)** और कोई रसूल उनके पास ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने हँसी-ठट्ठा न किया हो। **(11)** इसी तरह हम यह (हँसी और मज़ाक़ उड़ाना) उन मुज्रिमों के दिलों में डाल देते हैं। **(12)** (जिसकी वजह से) ये लोग इस (क़ुरआन) पर ईमान नहीं लाते, और (यह) दस्तूर पहलों ही से होता आया है। **(13)** और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें फिर ये दिन के वक़्त उसमें चढ़ जाएँ। **(14)** (तब भी यूँ) कह दें कि हमारी नज़रबन्दी कर दी गई थी, बल्कि हम लोगों पर तो बिलकुल जादू कर रखा है। **(15)** ❖

और बेशक हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे पैदा किए, और देखने वालों के लिए उसको सजाया।[4] (16) और उसको हर शैतान मरदूद से महफ़ूज़ फ़रमाया।[5] **(17)** हाँ मगर कोई बात चोरी-छुपे सुन भागे तो उसके पीछे एक चमकदार शोला हो लेता है।[6] **(18)** और हमने ज़मीन को फैलाया और उसमें भारी-भारी पहाड़ डाल दिए और उसमें हर क़िस्म की चीज़ एक मुतैयन मिक़दार "मात्रा" से उगाई है। **(19)** और हमने तुम्हारे

(पिछले पृष्ठ का शेष) 7. उनकी मग़्फ़िरत और रहमत का सामान भी कर सकते हैं कि उनको हिदायत कर दें। इस दुआ से मक़सूद मोमिनों के लिए हिदायत तलब करना है।

8. यानी इसमाईल अ़लैहिस्सलाम को और उनके वास्ते से उनकी नस्ल को।

9. यानी ख़ाना काबा के क़रीब जो कि पहले से यहाँ बना हुआ था और हमेशा से लोग उसका अदब करते आते थे।

10. चटियल और सुनसान मैदान में जो पथरीला होने के सबब खेती-बाड़ी के क़ाबिल नहीं।

11. कि यहाँ आकर रहें-सहें ताकि आबादी पुर-रौनक़ हो जाए।

12. चूँकि यहाँ खेती-बाड़ी वग़ैरह नहीं हो सकती, इसलिए उनको महज़ अपनी क़ुदरत से फल खाने को दीजिए।

13. ये दुआएँ महज़ बन्दगी और आ़जिज़ी के इज़हार के लिए हैं, इनसे यह ग़रज़ नहीं कि दरख़्वास्त करके आपको अपनी हाजतों की इत्तिला दूँ।

14. कि औलाद के देने के मुताल्लिक़ मेरी दुआ़ क़बूल की।

15. चूँकि मुझको वह्य से मालूम हो गया है कि मेरी औलाद में ग़ैर-मोमिन भी होंगे इसलिए सारी औलाद के लिए दुआ़ नहीं कर सकता।

16. इस मक़ाम पर इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की कई दुआ़एँ सिवाय माँ-बाप की मग़्फ़िरत के सब क़बूल हुईं। अव्वल मक्का को अमन वाला बनाना। चुनाँचे वह इस तरह क़बूल हुई कि वह हरम हो गया जिसमें क़त्ल व ग़ारत यहाँ तक कि जंगली जानवरों और बाज़े घास और पौधों का काटना व हटाना भी हराम हो गया। दूसरी दुआ़ अपने और अपनी औलाद के शिर्क से महफ़ूज़ रहने की थी। वह इस तरह क़बूल हुई कि उनके ख़ास फ़रज़न्द **(पृष्ठ 470 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 472, 474 की तफ़सीर पृष्ठ 476-480 पर)**

वास्ते उसमें रोज़ी के सामान बनाए और उनको भी (रोज़ी दी) कि जिनको तुम रोज़ी नहीं देते। **(20)** और जितनी चीज़ें हैं हमारे पास सब ख़ज़ाने (के ख़ज़ाने) हैं। और हम उस (चीज़) को एक मुतैयन मिक़दार "यानी मात्रा" से उतारते रहते हैं। **(21)** और हम ही हवाओं को भेजते रहते हैं जो कि बादलों को पानी से भर देती हैं, फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर वह (पानी) तुमको पीने को देते हैं, और तुम (इतना पानी) जमा करके न रख सकते थे। **(22)** और हम ही ज़िन्दा करते हैं और मारते हैं, और हम ही (बाक़ी) रह जाएँगे। **(23)** और हम तुम्हारे अगलों को भी जानते हैं और हम तुम्हारे पिछलों को भी जानते हैं। **(24)** और बेशक आपका रब ही उन सबको जमा फ़रमाएगा, बेशक वह हिक्मत वाला, इल्म वाला है। **(25)** ❖

और हमने इनसान को[1] बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी हुई थी, पैदा किया। **(26)** और जिन्न को इससे पहले[2] आग से कि वह एक गर्म हवा थी, पैदा कर चुके थे। **(27)** और (वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है) जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं एक बशर को बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे से बनी होगी, पैदा करने वाला हूँ। **(28)** सो जब मैं उसको पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी तरफ़ से जान डाल दूँ तो तुम सब उसके सामने सज्दे में गिर पड़ना। **(29)** सो सारे के सारे फ़रिश्तों ने सज्दा किया। **(30)** मगर इब्लीस ने (नहीं किया), उसने इस बात को क़बूल नहीं किया कि सज्दा करने वालों में शामिल हो।[3] **(31)** (अल्लाह तआ़ला ने) फ़रमाया कि ऐ इब्लीस! तुझको कौन-सी बात इसकी सबब हुई कि तू सज्दा करने वालों में शामिल न हुआ। **(32)** कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कि बशर "आदमी" को सज्दा करूँ जिसको आपने बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी है, पैदा किया है।[4] **(33)** इर्शाद हुआ कि तू इस (आसमान) से निकल, क्योंकि बेशक तू मरदूद हो गया। **(34)** और बेशक तुझपर लानत रहेगी क़ियामत के दिन तक।[5] **(35)** कहने लगा, तो फिर मुझको मोहलत दीजिए क़ियामत के दिन तक। **(36)** इर्शाद हुआ कि तुझको मोहलत दी गई। **(37)** तय वक़्त की तारीख़ तक। **(38)** कहने लगा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! इस सबब

(पिछले पृष्ठ का शेष) जो आपकी पुश्त से थे इससे महफ़ूज़ रहे, पस औलाद दर औलाद के शिर्क से कोई इश्काल लाज़िम नहीं आता। खुद इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम शिर्क से शुरू से बरी और पाक चले आते थे। अपने लिए जो शिर्क से महफ़ूज़ रहने की दुआ़ की तो उससे हमेशा महफ़ूज़ रहना मक़सूद था, फिर यह कि हमेशा की हिफ़ाज़त भी नुबुव्वत व मासूम होने की वजह से यक़ीनी थी फिर उसकी तलब के क्या मायने? जवाब यह है कि गुनाहों से महफ़ूज़ रहने का लाज़िम रहना अल्लाह की तौफ़ीक़ से है, कोई तबई चीज़ नहीं, इसलिए हिफ़ाज़त की तलब ज़रूरी है। तीसरी दुआ़ नमाज़ की पाबन्दी के लिए थी, यह भी क़बूल हुई। आपकी औलाद में बहुत-से आ़बिद बल्कि आ़बिदों के सरदार हुए। चौथी दुआ़ भी क़बूल हुई, चुनाँचे पहले क़बीला जुर्हुम ने वहाँ आकर रिहाइश इख़्तियार की फिर मुख़्तलिफ़ ज़मानों में लोग मुख़्तलिफ़ मक़ामात से आकर वहाँ बसते रहे। पाँचवीं दुआ़ फलों के लिए थी। यह दो तरह से क़बूल हुई एक ताइफ़ में पैदावार की ज़्यादती, दूसरे दुनिया के दूसरे शहरों और मुल्कों से उनका आना।

(तफ़सीर पृष्ठ 472) **1.** यानी ऐसी टिकटिकी बंधेगी कि आँख न झपकेंगे।

2. यानी क़ियामत के इनकारी थे और इसपर क़सम खाते थे।

3. यानी आसमानी किताबों में हमने इन वाक़िआ़त को मिसाल के तौर पर बयान किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी ऐसे ही ग़ज़ब और अ़ज़ाब के हक़दार होगे। पस वाक़िआ़त का पहले तो ख़बरों से सुनना फिर हमारा उनको बयान करना, फिर उन जैसा बनने पर तंबीह कर देना, इन सब असबाब का तक़ाज़ा यह था कि क़ियामत का इनकार न करते।

4. यह जो फ़रमाया कि उन तदबीरों से पहाड़ों का टल जाना भी हैरतनाक न था, तो यह किसी चीज़ की क़ुव्वत बयान करने के लिए एक मुहावरा है, और अपने आप में यह चीज़ कुछ मुहाल भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों के तोड़ने और उड़ाने की तदबीरें आजकल ख़ूब कसरत से इस्तेमाल में आ रही हैं। और अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं।

5. यानी इन आसमानों के अ़लावा आसमान भी **(पृष्ठ 472 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 474, 476 की तफ़सीर पृष्ठ 478-482 पर)**

से कि आपने मुझको गुमराह किया है मैं क़सम खाता हूँ कि मैं उनको दुनिया में (गुनाहों को) पसन्दीदा करके दिखाऊँगा, और उन सबको गुमराह करूँगा। **(39)** सिवाय आपके उन बन्दों के जो उनमें से चुन लिए गए हैं।[1] **(40)** इर्शाद हुआ कि यह एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है। **(41)** वाक़ई मेरे उन बन्दों पर तेरा ज़रा भी बस न चलेगा, हाँ मगर जो गुमराह लोगों में से तेरी राह पर चलने लगे। **(42)** और उन सबसे जहन्नम का वायदा है। **(43)** जिसके सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए उन लोगों के अलग-अलग हिस्से हैं। **(44)** ❖

बेशक ख़ुदा से डरने वाले बाग़ों और चश्मों में होंगे। **(45)** तुम उनमें सलामती और अमन से दाख़िल हो।[2] **(46)** और उनके दिलों में जो कीना था हम वह सब दूर कर देंगे कि सब भाई-भाई की तरह रहेंगे, तख़्तों पर आमने-सामने (बैठा करेंगे)। **(47)** वहाँ उनको ज़रा भी तकलीफ़ न पहुँचेगी और न वे वहाँ से निकाले जाएँगे। **(48)** आप मेरे बन्दों को इत्तिला दे दीजिए कि मैं बड़ा मग्फ़िरत वाला, बड़ा रहमत वाला (भी) हूँ। **(49)** और यह कि मेरी सज़ा दर्दनाक सज़ा है।[3] **(50)** और आप उनको इब्राहीम के मेहमानों की भी इत्तिला दीजिए। **(51)** जबकि वे उनके पास आए, फिर उन्होंने अस्सलामु अ़लैकुम कहा, (इब्राहीम) कहने लगे कि हम तो तुमसे डर रहे हैं।[4] **(52)** उन्होंने कहा कि आप डरें नहीं, हम आपको एक फ़रज़न्द "यानी लड़के" की ख़ुशख़बरी देते हैं जो बड़ा आ़लिम होगा।[5] **(53)** (इब्राहीम) कहने लगे कि क्या तुम मुझको इस हालत पर ख़ुशख़बरी देते हो कि मुझपर बुढ़ापा आ गया, सो किस चीज़ की ख़ुशख़बरी देते हो।[6] **(54)** वे बोले कि हम आपको हक़ चीज़ की ख़ुशख़बरी देते हैं,[7] सो आप नाउम्मीद न हों।[8] **(55)** (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि भला अपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद होता है सिवाय गुमराह लोगों के।[9] **(56)** फ़रमाने लगे कि अब तुमको क्या मुहिम पेश आई है ऐ भेजे हुए (फ़रिश्तो)! **(57)** (फ़रिश्तों ने) कहा कि हम एक मुज्रिम क़ौम की तरफ़ भेजे गए हैं। **(58)** मगर लूत का ख़ानदान, कि हम उन सबको बचा लेंगे।[10] **(59)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) दूसरे बदल दिए जाएँगे। क्योंकि पहली बार के सूर फूँकने से सब ज़मीन व आसमान टूट-फूट जाएँगे, फिर दूसरी बार नये सिरे से ज़मीन व आसमान बनेंगे। हदीसों से साबित होता है कि इस दोबारा पैदा करने के अ़लावा आसमानों और ज़मीन में कोई और तब्दीली भी होगी, जिसमें अहले मह्शर किसी तब्दीली के वक़्त ज़मीन पर नहीं होंगे बल्कि पुलसिरात पर होंगे, जैसा कि मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में वज़ाहत है। बाक़ी उस तब्दीली की हिक्मत ख़ुदा-ए-अ़लीम ही को मालूम है।

6. क़तरान चीड़ के पेड़ का रोग़न होता है। यानी सारे बदन को चीड़ का तेल लिपटा होगा कि उसमें आग जल्दी और तेज़ी के साथ लगे।

7. ख़ुलासा इस सूरः का ये मज़ामीन हैं: क़ुरआन का हक़ होना, काफ़िरों को अ़ज़ाब देना, रिसालत की तहक़ीक़, तौहीद का साबित करना, बाज़ इनामात का ज़िक्र, फ़रमाँबर्दारों को बदला और जज़ा, मुख़ालिफ़ों को सज़ा, बतौर नमूना जज़ा और सज़ा के बाज़ क़िस्से, क़ियामत की हक़ीक़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली।

8. यानी इसकी दोनों सिफ़तें हैं, कामिल किताब होना भी और वाज़ेह क़ुरआन होना भी।

(तफ़सीर पृष्ठ 474) **1.** बार-बार इसलिए कि जब कोई नई शिद्दत वाक़ेअ़ होगी और मालूम होगा कि इसका सबब कुफ़्र है तब ही इस्लाम न लाने पर ताज़ा हसरत करेंगे।

2. पस इसी तरह जब उनका वक़्त आ जाएगा उनको भी सज़ा दे दी जाएगी।

3. इसलिए इसमें कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, जैसा कि और किताबों में होता आ रहा है कि बावजूद किसी मुख़ालिफ़ के न होने के उसके नुस्ख़ों में कमी-ज़्यादती का इख़्तिलाफ़ होता है, और इसमें मुख़ालिफ़ों की कोशिश के बावजूद यह बात नहीं हुई।

4. 'बुरूज' की तफ़सीर सितारों के साथ **(पृष्ठ 474 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 476, 478 की तफ़सीर पृष्ठ 480-484 पर)**

सिवाय उनकी बीवी के कि हमने उसके बारे में तय कर रखा है कि वह ज़रूर उसी मुज्रिम क़ौम में रह जाएगी।[1] (60) ❖

फिर जब भेजे हुए (फ़रिश्ते) लूत के ख़ानदान के पास आए (61) (तो) वे कहने लगे, तुम तो अजनबी आदमी हो। (62) उन्होंने कहा, नहीं! बल्कि हम आपके पास वह चीज़ लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक किया करते थे।[2] (63) और हम आपके पास यक़ीनी (होने वाली) चीज़ लेकर आए हैं और हम बिलकुल सच्चे हैं। (64) सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चले जाइए, और आप सबके पीछे हो लीजिए,[3] और तुममें से कोई पीछे फिरकर भी न देखे, और जिस जगह का तुमको हुक्म हुआ है उस तरफ़ सब चले जाना।[4] (65) और हमने उनके (यानी लूत अ़लैहिस्सलाम के) पास यह हुक्म भेजा कि सुबह होते ही उनकी बिलकुल जड़ ही कट जाएगी।[5] (66) और शहर के लोग ख़ूब ख़ुशियाँ करते हुए पहुँचे।[6] (67) (लूत अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, सो मुझको फ़ज़ीहत मत करो। (68) और अल्लाह तआ़ला से डरो और मुझको रुस्वा मत करो। (69) वे कहने लगे कि क्या हम आपको दुनिया भर के लोगों से मना नहीं कर चुके। (70) (हज़रत लूत ने) फ़रमाया कि ये मेरी (बहू) बेटियाँ मौजूद हैं,[7] अगर तुम (मेरा कहना) करो। (71) आपकी जान की क़सम वे अपनी मस्ती में मदहोश थे। (72) पस सूरज निकलते-निकलते उनको सख़्त आवाज़ ने आ दबाया। (73) फिर हमने उन बस्तियों का ऊपर का तख़्ता तो नीचे कर दिया और उन लोगों पर कँगर के पत्थर बरसाना शुरू किए। (74) इस (वाक़िए) में कई निशानियाँ हैं अ़क़्ल रखने वालों के लिए।[8] (75) और ये (बस्तियाँ) एक आबाद सड़क पर (मिलती) हैं।[9] (76) उन (बस्तियों) में ईमान वालों के लिए बड़ी इबरत है। (77) और बन वाले (शुऐब की उम्मत भी) बड़े ज़ालिम थे। (78) सो हमने उनसे बदला लिया,[10] और दोनों (बस्तियाँ) साफ़ सड़क पर हैं।[11] (79) ❖

और हिज्र वालों ने पैग़म्बरों को झूठा बतलाया।[12] (80) और हमने उनको अपनी निशानियाँ दीं, सो वे लोग उनसे मुँह मोड़ते रहे। (81) और वे लोग पहाड़ों को तराश-तराशकर उनमें घर बनाते थे कि अमन में रहें। (82) सो उनको सुबह के वक़्त सख़्त आवाज़ ने आन पकड़ा। (83) सो उनके हुनर उनके कुछ भी काम

(पिछले पृष्ठ का शेष) मुजाहिद और क़तादा से, और बड़े सितारों के साथ अबू सालेह से दुर्रे मन्सूर में नक़ल की गई है। तश्बीह देते हुए मजाज़न उनको बुरूज कह दिया गया।

5. कि वहाँ तक उनकी रसाई नहीं होने पाती।

6. जानना चाहिए कि क़ुरआन व हदीस में यह दावा नहीं कि बिना इस सबब के शिहाब (टूटने वाला चमकदार सितारा) पैदा नहीं होता बल्कि दावा यह है कि चोरी-छुपे आसमानी ख़बरें सुनने के वक़्त शिहाब (टूटने वाले चमकदार सितारे) से शैतानों को मारा जाता है। पस मुम्किन है कि शिहाब कभी महज़ तबई तौर पर होता हो और कभी इस ग़रज़ के लिए होता हो। और शिहाबे साक़िब (टूटने वाला चमकदार सितारा) दिन को भी होता है लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से नज़र नहीं आता। तो यह वस्वसा न रहा कि शैतान रात ही को चोरी-छुपे बात सुनने की कोशिश करते हैं।

(तफ़सीर पृष्ठ 476) **1.** यानी इस जिन्स की पहली असल यानी आदम अ़लैहिस्सलाम को।

2. यानी आदम अ़लैहिस्सलाम से पहले।

3. यानी सज्दा न किया।

4. यानी ऐसे हक़ीर व ज़लील माद्दे से बनाया गया है और मैं नूरानी माद्दे आग से पैदा हुआ हूँ, तो नूरानी होकर अंधेरी वाले को कैसे सज्दा करूँ।

5. यानी क़ियामत तक तू मेरी रहमत से **(पृष्ठ 476 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 478, 480 की तफ़सीर पृष्ठ 482-486 पर)**

न आए।[1] **(84)** और हमने आसमानों को और ज़मीन को और उनकी दरमियानी चीज़ों को बग़ैर मस्लहत के पैदा नहीं किया,[2] और ज़रूर क़ियामत आने वाली है। सो आप ख़ूबी के साथ दरगुज़र कीजिए।[3] **(85)** बेशक आपका रब बड़ा ख़ालिक़, बड़ा अ़ालिम है। **(86)** और हमने आपको सात आयतें दीं जो (नमाज़ में) बार-बार (पढ़ी जाती) हैं[4] और क़ुरआने अ़ज़ीम (दिया)। **(87)** आप अपनी आँख उठाकर उस चीज़ को न देखिए जो कि हमने उन मुख़्तलिफ़ क़िस्म के (काफ़िर) लोगों को बरतने के लिए दे रखी है, और उनपर ग़म न कीजिए और मुसलमानों पर शफ़्क़त रखिए। **(88)** और कह दीजिए कि मैं खुल्लम-खुल्ला डराने वाला हूँ **(89)** जैसा कि हमने उन लोगों पर (अ़ज़ाब) नाज़िल किया है जिन्होंने हिस्से कर रखे थे। **(90)** यानी आसमानी किताब के मुख़्तलिफ़ हिस्से क़रार दिए थे। (तुमपर भी नाज़िल करेंगे)[5] **(91)** सो आपके रब की क़सम हम उन सबसे पूछताछ करेंगे **(92)** उनके आमाल की। ◆ **(93)** ग़रज़ आपको जिस बात का हुक्म किया गया है उसको साफ़-साफ़ सुना दीजिए, और (उन) मुश्रिकों की परवाह न कीजिए। **(94)** हँसी उड़ाने वालों के लिए हम काफ़ी हैं। **(95)** ये लोग जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद क़रार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं, सो उनको अभी मालूम हुआ जाता है। **(96)** और वाक़ई हमको मालूम है कि ये लोग जो बातें करते हैं उनसे आप तंगदिल होते हैं। **(97)** सो आप अपने परवर्दिगार की तस्बीह व तारीफ़ करते रहिए, और नमाज़ें पढ़ने वालों में रहिए। **(98)** और अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए।[6] **(99)** ❖

16 सूरः नह्ल 70

सूरः नह्ल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 128 आयतें और 16 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा,[7] सो तुम उसमें जल्दी मत मचाओ। वह लोगों के शिर्क से पाक और बरतर है।[8] **(1)** वह फ़रिश्तों को वह्य यानी अपना हुक्म देकर अपने बन्दों में से जिसपर चाहें नाज़िल फ़रमाते हैं, कि ख़बरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो मुझसे डरते रहो।[9] **(2)** आसमानों को और

(पिछले पृष्ठ का शेष) दूर रहेगा, न मक़बूल होगा और न तुझपर रहमत की जाएगी और न तौबा की तौफ़ीक़ होगी। और ज़ाहिर है कि क़ियामत तक जो रहमत नाज़िल होने का मक़ाम न होगा उसके क़ियामत में रहमत का महल होने का एहतिमाल ही नहीं। पस जिस वक़्त तक एहतिमाल था उसकी नफ़ी कर दी।

(तफ़सीर पृष्ठ 478) **1.** यानी जिनको आपने मेरे असर से महफ़ूज़ रखा है।

2. यानी इस वक़्त भी हर बुराई से सलामती है और आगे भी किसी बुराई का अन्देशा नहीं।

3. ताकि इससे ख़बरदार होकर ईमान और तक़्वे की तरफ़ दिलचस्पी और कुफ़्र व नाफ़रमानी से नफ़रत हो।

4. इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उनको मेहमान समझकर फ़ौरन उनके लिए खाना तैयार करके लाए मगर चूँकि वे फ़रिश्ते थे, उन्होंने खाना नहीं खाया, तब इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम दिल में डरे कि ये लोग खाना क्यों नहीं खाते। चूँकि वे फ़रिश्ते इनसानी सूरत में थे इसलिए उनको इनसान ही समझा और उनके खाना न खाने से शुब्हा हुआ कि ये लोग कहीं मुख़ालिफ़ न हों।

5. मतलब यह कि नबी होगा। क्योंकि आदमियों में सबसे ज़्यादा इल्म अम्बिया को होता है। मुराद इस लड़के से हज़रत इसहाक़ हैं।

6. मतलब यह कि यह बात अपने आप में अ़जीब है, न यह कि क़ुदरत से बईद है।

7. यानी लड़के की पैदाइश यक़ीनन होने वाली है।

8. यानी अपने बुढ़ापे पर नज़र न कीजिए कि **(पृष्ठ 478 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 480, 482 की तफ़सीर पृष्ठ 484-486 पर)**

ज़मीन को हिक्मत से बनाया, वह उनके शिर्क से पाक है। **(3)** इनसान को नुत्फ़े से बनाया फिर वह यकायक खुल्लम-खुल्ला झगड़ने लगा।[1] **(4)** और उसी ने चौपायों को बनाया, उनमें तुम्हारे जाड़े का (भी) सामान है, और (भी) बहुत-से फ़ायदे हैं और उनमें से खाते भी हो। **(5)** और उनकी वजह से तुम्हारी रौनक़ भी है, जबकि शाम के वक़्त लाते हो और जबकि सुबह के वक़्त छोड़ देते हो। **(6)** और वे तुम्हारे बोझ भी ऐसे शहर को ले जाते हैं जहाँ तुम जान को मेहनत में डाले बिना नहीं पहुँच सकते थे, वाक़ई तुम्हारा रब बड़ी शफ़्क़त वाला, बड़ी रहमत वाला है।[2] **(7)** और घोड़े और ख़च्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उनपर सवार हो और यह कि ज़ीनत के लिए भी, और वह ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाता है जिनकी तुमको ख़बर भी नहीं।[3] **(8)** और सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुँचता है, और बाज़े रास्ते टेढ़े भी हैं। और अगर वह (यानी खुदा) चाहता तो सबको मक़सूद तक पहुँचा देता।[4] **(9)** ❖

वह ऐसा है जिसने तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया, जिससे तुमको पीने को मिलता है और उस (के सबब) से दरख़्त (पैदा होते) हैं जिनमें तुम (अपने मवेशियों को) चरने छोड़ देते हो। **(10)** (और) उस (पानी) से तुम्हारे लिए खेती और ज़ैतून और खजूर और अंगूर और हर क़िस्म के फल उगाता है, बेशक इसमें सोचने वालों के लिए दलील है। **(11)** और उसने रात और दिन और सूरज और चाँद को तुम्हारे ताबे "यानी अधीन" किया, और सितारे उसके हुक्म से ताबे हैं। बेशक इसमें अ़क़्ल रखने वाले लोगों के लिए चन्द दलीलें हैं। **(12)** और उन चीज़ों को भी जिनको तुम्हारे लिए ज़मीन में इस तौर पर पैदा किया कि उनकी क़िस्में मुख़्तलिफ़ "यानी अलग-अलग और विभिन्न" हैं,[5] बेशक इसमें समझदार लोगों के लिए दलील है। **(13)** और वह ऐसा है कि उसने दरिया को ताबे किया ताकि उसमें से ताज़ा-ताज़ा गोश्त खाओ, और उसमें से गहना निकालो जिसको तुम पहनते हो, और तू कश्तियों को देखता है कि वे पानी चीरती हुई चली जा रही हैं। और ताकि तुम उसकी (यानी खुदा की) रोज़ी तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। **(14)** और उसने ज़मीन में

(पिछले पृष्ठ का शेष) ऐसे असबाब पर नज़र करने से जो आ़दतन पाए जाते हों नाउम्मीदी के वस्वसे ग़ालिब होते हैं।

9. यानी नबी होकर गुमराहों की सिफ़त अपने अन्दर कैसे पैदा कर सकता हूँ। मक़सद सिर्फ़ इस बात का अ़जीब होना है, बाक़ी अल्लाह का वायदा सच्चा है और मुझको उम्मीद से बढ़कर उसका कामिल यक़ीन है।

10. यानी उनको बचने का तरीक़ा बतला देंगे कि उन मुज्रिमों से अलग हो जाएँ।

(तफ़सीर पृष्ठ 480) **1.** और उनके साथ अ़ज़ाब में मुब्तला होगी।

2. यानी अ़ज़ाब।

3. ताकि कोई रह न जाए, लौट न जाए और आपके रोब और डर से कोई पीछे फिरकर भी न देखे।

4. यानी मुल्क शाम।

5. यह फ़रिश्तों की गुफ़्तगू जो ऊपर ज़िक्र हुई ज़ाहिर होने में मुअख़्ख़र है। मक़सद की अहमियत के लिए ज़िक्र में मुक़द्दम फ़रमा दिया, और वह नजात देने और हलाक करने की ख़बर देना है। और आगे जो हिस्सा आता है वह ज़ाहिर होने में मुक़द्दम है।

6. यह ख़बर सुनकर कि लूत अ़लैहिस्सलाम के यहाँ हसीन-हसीन लड़के आए हैं।

7. यानी जो तुम्हारे घरों में हैं।

8. मिसाल के तौर पर एक यह कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। एक यह कि ईमान व इताअ़त से नजात होती है। एक यह कि अल्लाह को बड़ी क़ुदरत है कि तबई असबाब के ख़िलाफ़ जो चाहे कर दे, और इसी तरह दूसरे।

9. यानी अ़रब से मुल्क शाम को जाते हुए उनके आसार और निशानियाँ मालूम होते हैं।

10. और उनको अ़ज़ाब से हलाक कर दिया। **(पृष्ठ 480 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 482, 484 की तफ़सीर पृष्ठ 486-488 पर)**

पहाड़ रख दिए ताकि वह तुमको लेकर डगमगाने न लगे, और उसने नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम मन्ज़िले-मक़सूद तक पहुँच सको। (15) और बहुत-सी निशानियाँ (बनाईं) और तारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। (16) सो क्या जो शख़्स पैदा करता हो वह उस जैसा हो जाएगा जो पैदा नहीं कर सकता, फिर क्या तुम नहीं समझते। (17) और अगर तुम अल्लाह तआ़ला की नेमतों को गिनने लगो तो न गिन सको। वाक़ई अल्लाह तआ़ला बड़ी मग़्फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं।[1] (18) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे छुपे और ज़ाहिरी हालात सब जानते हैं। (19) और ख़ुदा के अ़लावा जिनकी ये लोग इबादत करते हैं, वे किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वे ख़ुद ही मख़्लूक़ "यानी पैदा किए हुए" हैं। (20) मुर्दे हैं,[2] ज़िन्दा नहीं, और उनको ख़बर नहीं कि (मुर्दे) कब उठाए जाएँगे।[3] (21) ❖

तुम्हारा माबूद (बरहक़) एक ही माबूद है, तो जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल मुन्किर हो रहे हैं और वे तकब्बुर करते हैं। (22) ज़रूरी बात है कि अल्लाह तआ़ला उनके छुपे व ज़ाहिरी सब हालात जानते हैं, यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला तकब्बुर करने वालों क़ो पसन्द नहीं करते। (23) और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल फ़रमाई है,[4] तो कहते हैं कि वे तो महज़ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं।[5] (24) (नतीजा इसका यह होगा) कि उन लोगों को क़ियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिनको ये लोग बेइल्मी से गुमराह कर रहे थे उन (के गुनाहों) का भी कुछ बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। ख़ूब याद रखो जिस (गुनाह) को ये अपने ऊपर लाद रहे हैं वह बुरा (बोझ) है।[6] (25) ❖

जो लोग उनसे पहले हो गुज़रे हैं उन्होंने (बड़ी-बड़ी) तदबीरें कीं, सो अल्लाह तआ़ला ने उनका (बना-बनाया) घर जड़-बुनियाद से ढा दिया, फिर ऊपर से उनपर छत आ पड़ी और उनपर अ़ज़ाब ऐसी तरह आया कि उनको ख़्याल भी न था। (26) फिर क़ियामत के दिन वह (यानी अल्लाह तआ़ला) उनको रुस्वा

(पिछले पृष्ठ का शेष) 11. और मुल्क शाम को जाते हुए राह में नज़र आती है।

12. क्योंकि जब सालेह अ़लैहिस्सलाम को झूठा कहा और सब पैग़म्बरों का असल दीन एक ही है तो सब ही को झूठा बताया।

(तफ़सीर पृष्ठ 482) 1. उन्हीं मज़बूत घरों में अ़ज़ाब से काम तमाम हो गया। इस आफ़त से उनके घरों ने न बचा लिया। इस आफ़त का उनको एहतिमाल भी न था और अगर होता भी तो क्या करते।

2. बल्कि इस मस्लहत से पैदा किया कि उनको देखकर दुनिया को बनाने वाले के वजूद और उसके तन्हा व यक्ता होने और उसकी बड़ाई पर इस्तिदलाल करके उसके अहकाम की इताअ़त करें। और इस हुज्जत के क़ायम करने के बाद जो ऐसा न करे वह अ़ज़ाब का शिकार हो।

3. दरगुज़र का मतलब यह है कि इस ग़म में न पड़िए। इसका ख़्याल न कीजिए। और ख़ूबी यह कि शिक्वा-शिकायत भी न कीजिए।

4. मुराद इससे सूरः फ़ातिहा है।

5. उनमें जो मरज़ी के मुवाफ़िक़ हुआ मान लिया, जो मरज़ी के ख़िलाफ़ हुआ उससे इनकार कर दिया। इससे मुराद यहूदी व ईसाई हैं।

6. यानी मरते दम तक ज़िक्र व इबादत में मश्गूल रहिए। इसमें जिन उमूर का हुक्म किया गया और जो अज्र व सवाब का सबब हैं उनके अ़लावा यह भी ख़ासियत है कि इस तरफ़ ध्यान सीमित रखने से दूसरा मश्ग़ला जो कि दिल की तंगी का सबब था, ख़त्म या मग़लूब हो जाता है।

7. यानी कुफ़्र व शिर्क की सज़ा का वक़्त क़रीब आ पहुँचा और उसका आना यक़ीनी है।

8. यानी उसका कोई शरीक नहीं।

9. इसमें यह बात ज़ाहिर फ़रमा दी कि तौहीद तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की शरीअ़त में मुश्तरका है।

(पृष्ठ 484, 486 की तफ़सीर पृष्ठ 488-490 पर).

करेगा और यह कहेगा कि मेरे शरीक जिनके बारे में तुम लड़ा-झगड़ा करते थे, कहाँ हैं, जानने वाले कहेंगे कि आज काफ़िरों पर पूरी रुस्वाई और अ़ज़ाब है। **(27)** जिनकी जान फ़रिश्तों ने कुफ़्र की हालत में निकाली थी, फिर वे (काफ़िर) लोग सुलह का (पैग़ाम) डालेंगे कि हम तो कोई बुरा काम न करते थे। क्यों नहीं? बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है। **(28)** सो जहन्नम के दरवाज़ों में (से) दाख़िल हो जाओ, उसमें हमेशा-हमेशा को रहो। ग़रज़ तकब्बुर करने वालों का (वह) बुरा ठिकाना है।[1] **(29)** और जो लोग (शिर्क से) बचते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल फ़रमाई है, वे कहते हैं कि बड़ी ख़ैर नाज़िल फ़रमाई है। जिन लोगों ने नेक काम किए हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आख़िरत की दुनिया तो (और ज़्यादा) बेहतर है, और वाक़ई (वह शिर्क से) बचने वालों का अच्छा घर है। **(30)** (वह घर) हमेशा रहने के बाग़ हैं जिनमें ये दाख़िल होंगे, उन (बाग़ों) के नीचे से नहरें जारी होंगी। जिस चीज़ को उनका जी जाहेगा वहाँ उनको मिलेगी। इसी तरह का बदला अल्लाह (सब शिर्क से) बचने वालों को देगा। **(31)** जिनकी रूह फ़रिश्ते इस हालत में निकालते हैं कि वे पाक होते हैं और कहते जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुम जन्नत में चले जाना अपने आमाल के सबब।[2] **(32)** क्या ये लोग[3] इसी बात के मुन्तज़िर हैं कि उनके पास फ़रिश्ते आ जाएँ या आपके परवर्दिगार का हुक्म आ जाए।[4] ऐसा ही उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी किया था, और उनपर अल्लाह ने ज़रा भी ज़ुल्म न किया लेकिन वे आप ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। **(33)** आख़िर उनको उनके बुरे आमाल की सज़ाएँ मिलीं और जिस (अ़ज़ाब) पर वे हँसते थे उनको उसी ने आन घेरा। **(34)** ❖

और मुशरिक लोग (यूँ) कहते हैं कि अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो उसके सिवा किसी चीज़ की न हम इबादत करते और न हमारे बाप-दादा, और न हम उसके (हुक्म के) बग़ैर किसी चीज़ को हराम कह सकते। जो लोग उनसे पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी, सो पैग़म्बरों के ज़िम्मे तो सिर्फ़ साफ़-साफ़ पहुँचा देना है। **(35)** और हम हर उम्मत में कोई न कोई पैग़म्बर भेजते रहे हैं कि तुम अल्लाह

(तफ़सीर पृष्ठ 484) **1.** मतलब यह कि हमारी तो ये नेमतें और इनसान की तरफ़ से यह नाशुक्री कि ख़ुदा ही की ज़ात व सिफ़ात में झगड़ता है।

2. कि तुम्हारे आराम के लिए क्या-क्या सामान पैदा किए।

3. इन आयतों में ख़ूबसूरती और बनने-सँवरने का जायज़ होना मालूम होता है, और उसमें और तकब्बुर व बड़ाई जतलाने में फ़र्क़ यह है कि ख़ूबसूरती और सँवरना तो अपना दिल ख़ुश करने के लिए या नेमत के इज़्हार के लिए होता है। और दिल में अपने को न उस नेमत का मुस्तहिक़ समझता है और न दूसरों को हक़ीर व ज़लील समझता है बल्कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ उसका मन्सूब होना उसकी नज़रों के सामने रहता है, और जिसमें हक़दार होने का दावा और दूसरों को हक़ीर व ज़लील समझना और अपने ऊपर नज़र और दूसरों की नज़र में बड़ाई और शान ज़ाहिर करना हो वह तकब्बुर और हराम है।

4. मगर वह उसी को पहुँचाते हैं जो इस सीधे रास्ते का तालिब हो, इसलिए तुमको चाहिए कि इन दलीलों में ग़ौर करो और उनसे हक़ तलब करो कि तुमको मक़सूद तक पहुँचना नसीब हो।

5. इसमें तमाम जानदार, पेड़-पौधे और घास-फूँस, बेजान चीज़ें, मुरक्कब और अलग-अलग चीज़ें सब दाख़िल हो गए।

(तफ़सीर पृष्ठ 486) **1.** कोई शिर्क से तौबा कर ले तो मग़्फ़िरत हो जाती है और न करे तो जब भी ये तमाम नेमतें ज़िन्दगी तक उससे दूर नहीं होती।

2. चाहे हमेशा के लिए जैसे बुत, **(पृष्ठ 486 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 488 की तफ़सीर पृष्ठ 490, 490 पर)**

तआला की इबादत करो और शैतान से बचते रहो।[1] सो उनमें बाज़े वे हुए हैं कि जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत दी, और बाज़े उनमें वे हुए जिनपर गुमराही साबित हो गई।[2] तो (अच्छा) ज़मीन में चलो-फिरो, देखो कि झुठलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ।[3] **(36)** उनके सही रास्ते पर आने की अगर आपको तमन्ना हो तो अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को हिदायत नहीं करता जिसको गुमराह करता है, और उनका कोई हिमायती न होगा। **(37)** और ये लोग बड़े ज़ोर लगा-लगाकर अल्लाह की क़स्में खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा ज़िन्दा न करेगा। क्यों नहीं? (ज़िन्दा करेगा) इस वायदे को तो उसने (यानी अल्लाह तआला ने) अपने ज़िम्मे लाज़िम कर रखा है, लेकिन अक्सर लोग यक़ीन नहीं लाते। **(38)** ताकि जिस चीज़ में ये लोग इख़्तिलाफ़ किया करते थे उनके सामने उसको ज़ाहिर कर दे, और ताकि काफ़िर लोग यक़ीन कर लें कि वाक़ई वही झूठे थे।[4] **(39)** हम जिस चीज़ को चाहते हैं, तो हमारा उससे इतना ही कहना होता है कि तू हो जा, पस वह हो जाती है।[5] **(40)** ❖

और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपना वतन छोड़ दिया[6] उसके बाद कि उनपर ज़ुल्म किया गया, हम उनको दुनिया में ज़रूर अच्छा ठिकाना देंगे,[7] और आख़िरत का सवाब तो कई दर्जे बड़ा है, काश उनको ख़बर होती।[8] **(41)** वे ऐसे हैं जो सब्र करते हैं और अपने रबपर भरोसा रखते हैं।[9] **(42)** और हमने आपसे पहले सिर्फ़ आदमी ही (रसूल बनाकर और मोजिज़ात और किताबें देकर) भेजे हैं, कि हम उनपर वह्य भेजा करते थे, सो अगर तुमको इल्म नहीं तो जानने वालों से पूछ देखो।[10] **(43)** और आप पर भी यह क़ुरआन उतारा है, ताकि जो मज़ामीन लोगों के पास भेजे गए उनको आप उनसे ज़ाहिर कर दें, और ताकि वे "ग़ौर व" फ़िक्र किया करें।[11] ● **(44)** जो लोग बुरी (बुरी) तदबीरें करते हैं क्या (ऐसे लोग) फिर भी इस बात से

(पिछले पृष्ठ का शेष) या फ़िलहाल जैसे जो मर चुके, या अन्जाम के एतिबार से जैसे जो मरेंगे, मिसाल के तौर पर फ़रिश्ते और जिन्न और ईसा अलैहिस्सलाम।

3. यानी बाज़ को तो इल्म ही नहीं और बाज़ को उसका तयशुदा वक़्त मालूम नहीं। और माबूद को तो पूरा इल्म चाहिए खुसूसन मरने के बाद ज़िन्दा होने का कि उसपर इबादत करने या न करने की जज़ा होगी, तो उसका इल्म तो माबूद के लिए बहुत ही ज़रूरी है।

4. यानी कोई नावाक़िफ़ शख़्स तहक़ीक़ के लिए या कोई वाक़िफ़ शख़्स इम्तिहान के लिए उनसे पूछता है कि क़ुरआन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला का नाज़िल किया हुआ फ़रमाते हैं, क्या यह सही है।

5. यानी मज़हब वाले पहले से तौहीद, नुबुव्वत और आख़िरत के दावेदार होते आए हैं, उन्हीं से यह भी नक़ल करने लगे।

6. ज़ो शख़्स किसी को गुमराह किया करता है उस गुमराह को तो गुमराही का गुनाह होता है और उस गुमराह करने वाले को गुमराही का सबब बन जाने का। इसी सबब बनने के हिस्से को कुछ बोझ फ़रमाया गया। और अपने गुनाह के बोझ का पूरे तौर पर उठाना ज़ाहिर है।

(तफ़सीर पृष्ठ 488) **1.** आयत का हासिल यह हुआ कि तुमने अपने से पहले काफ़िरों का हाल घाटे में रहने और दुनिया व आख़िरत के अज़ाब का सुन लिया। इसी तरह जो तदबीर व फ़रेब और बहानेबाज़ी दीने हक़ के मुक़ाबले में तुम कर रहे हो और मख़्लूक़ को गुमराह करना चाहते हो तो यही अन्जाम तुम्हारा होगा।

2. रूह निकलने के बाद जन्नत में जाना रूहानी जाना है, और जिस्मानी जाना मख़्सूस है क़ियामत के साथ। और यह मायने भी हो सकते हैं कि क़ियामत में तुम जन्नत में जाना और मक़सद हर हाल में खुशख़बरी सुनाना है। और आमाल को जो जन्नत में दाख़िल होने का सबब फ़रमाया तो यह सबब आदतन है, और हक़ीक़ी सबब अल्लाह की रहमत है जैसा कि एक हदीस में आया है।

3. ऊपर मोमिनों के ज़िक्र से पहले काफ़िरों के गुमराह होने और गुमराह करने का ज़िक्र था। मोमिनों का ज़िक्र मुक़ाबले की मुनासबत से मज़मून के मुकम्मल करने के लिए दरमियान में आ गया, अब काफ़िरों की हठ-धर्मी और मुख़ालफ़त व दुश्मनी पर वईद है।

4. यानी क्या मौत के वक़्त या क़ियामत में ईमान लाएँगे जबकि ईमान मक़बूल न होगा, अगरचे उस वक़्त सब कुछ सामने आ जाने की वजह से तमाम कुफ़्फ़ार तौबा करेंगे। **(पृष्ठ 490 की तफ़सीर पृष्ठ 492, 494 पर)**

बेफ़िक्र हैं कि अल्लाह तआला उनको ज़मीन में धँसा दे या उनपर ऐसी जगह से अ़ज़ाब आ पड़े जहाँ से उनको गुमान भी न हो।[1] (45) या उनको चलते-फिरते पकड़े, सो ये लोग (अल्लाह तआला) को हरगिज़ हरा नहीं सकते। (46) या उनको घटाते-घटाते पकड़ ले, सो तुम्हारा रब बड़ा शफ़ीक़, मेहरबान है। (47) क्या उन लोगों ने अल्लाह की उन पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखा जिनके साये कभी एक तरफ़ को कभी दूसरी तरफ़ को इस तौर पर झुक जाते हैं कि ख़ुदा के ताबे "अधीन" हैं,[2] और वे चीज़ें भी आ़जिज़ हैं। (48) और अल्लाह तआला ही की ताबेदार हैं जितनी चीज़ें चलने वाली आसमानों में और ज़मीन में मौजूद हैं, और (ख़ास तौर पर) फ़रिश्ते, और वे तकब्बुर नहीं करते। (49) वे अपने रब से डरते हैं जो कि उनपर हाकिम है, और उनको जो कुछ हुक्म किया जाता है वे उसको करते हैं। ❑ (50) ❖

और अल्लाह ने फ़रमाया है कि दो माबूद मत बनाओ, बस एक माबूद वही है, तो तुम लोग ख़ास मुझ ही से डरा करो।[3] (51) और सब चीज़ें उसी की हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं, और लाज़िमी तौर पर इताअ़त बजा लाना उसी का हक़ है,[4] तो क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? (52) और तुम्हारे पास जो कुछ भी नेमत है वह सब अल्लाह ही की तरफ़ से है, फिर जब तुमको तकलीफ़ पहुँचती है तो उसी से फ़रियाद करते हो।[5] (53) फिर जब तुमसे उस तकलीफ़ को हटा देता है तो तुममें की एक जमाअ़त अपने रब के साथ शिर्क करने लगती है।[6] (54) (जिसका हासिल यह है) कि वे हमारी दी हुई नेमत की नाशुक्री करते हैं। ख़ैर कुछ दिन ऐश उड़ा लो अब जल्दी ही तुमको ख़बर हुई जाती है। (55) और ये लोग हमारी दी हुई चीज़ों में से उनका हिस्सा लगाते हैं जिनके मुताल्लिक़ उनको कुछ इल्म नहीं, क़सम है ख़ुदा की! तुमसे तुम्हारी इन बोहतान-बाज़ियों की ज़रूर बाज़पुर्स "यानी पूछताछ" होगी। (56) और अल्लाह तआला के लिए बेटियाँ तजवीज़ करते हैं, सुब्हानल्लाह! और अपने लिए पसन्दीदा चीज़ (यानी बेटे)। (57) और जब

(तफ़सीर पृष्ठ 490) 1. 'और हम हर उम्मत में कोई न कोई पैग़म्बर भेजते रहे' से ज़ाहिरन यह मालूम होता है कि हिन्दुस्तान वालों के लिए भी पुराने ज़माने में कुछ रसूल भेजे गए हैं, चाहे वे हिन्दुस्तान ही में पैदा हुए और रहे हों या किसी और मुल्क में रहते हों और यहाँ उनके नायब तब्लीग़ के लिए आए हों।

2. मतलब यह कि कुफ़्फ़ार और अम्बिया में यह मामला इसी तरह चला आ रहा है। और हिदायत व गुमराही के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला का मामला भी यूँ ही जारी है कि काफ़िरों का झगड़ना और बहस करना भी पुराना और नबियों की तालीम भी पुरानी, और सबका हिदायत न पाना भी पुराना, फिर आपको ग़म क्यों हो।

3. पस अगर वे गुमराह न थे तो उनपर अ़ज़ाब क्यों नाज़िल हुआ। और इन वाक़िआ़त को इत्तिफ़ाक़िया इसलिए नहीं कह सकते कि ख़िलाफ़े आ़दत हुए और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की पेशीनगोई के बाद हुए, और मोमिनीन उससे बचे रहे, फिर उसके अ़ज़ाब होने में क्या शक है।

4. पस क़ियामत का आना यक़ीनी और अ़ज़ाब व सवाब का फ़ैसला होना ज़रूरी है।

5. तो इतनी बड़ी क़ुदरते कामिला के सामने बेजान चीज़ों में देबारा जान का पड़ जाना कौन-सी दुश्वार है, जैसा कि पहली बार जान डाल चुके हैं।

6. और हब्शा को चले गए।

7. यानी उनको मदीना पहुँचकर ख़ूब अमन व राहत देंगे। चुनाँचे थोड़े ही दिनों के बाद अल्लाह तआला ने पहुँचा दिया और उसको अस्ली वतन क़रार दिया, और उसको ठिकाना कहा और हर तरह की वहाँ तरक़्क़ी हुई। इसलिए 'ह-स-नः' कहा गया, और हब्शा का ठहरना आ़रज़ी (अस्थाई) था इसलिए उसको ठिकाना नहीं फ़रमाया।

8. और उसके हासिल करने की रग़बत से मुसलमान हो जाते।

(पृष्ठ 490 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 492 की तफ़सीर पृष्ठ 494 पर)

उनमें से किसी को औरत (यानी बेटी) की ख़बर दी जाए तो सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक़ रहे, और वह दिल ही दिल में घुटता रहे। **(58)** जिस चीज़ की उसको ख़बर दी गई है उसकी शर्म से लोगों से छुपा-छुपा फिरे कि आया उसको ज़िल्लत पर लिए रहे या उसको मिट्टी में गाड़ दे। ख़ूब सुन लो उनकी यह तजवीज़ बहुत ही बुरी है। **(59)** जो लोग आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते उनकी बुरी हालत है,[1] और अल्लाह तआला के लिए तो बड़ी आला दर्जे की सिफ़तें (साबित) हैं, और वह बड़े ज़बरदस्त हैं (और) हिक्मत वाले हैं। **(60)** ❖

और अगर अल्लाह तआला लोगों पर उनके ज़ुल्म के सबब दारोगीर "यानी पकड़" फ़रमाते तो ज़मीन के ऊपर कोई हरकत करने वाला न छोड़ते, लेकिन एक मुक़र्ररा वक़्त तक मोहलत दे रहे हैं। फिर जब उनका मुक़र्ररा वक़्त आ पहुँचेगा उस वक़्त एक घड़ी "पल" न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। **(61)** और अल्लाह तआला के लिए वे उमूर तजवीज़ करते हैं जिनको ख़ुद नापसन्द करते हैं और अपनी ज़बान से झूठे दावे करते जाते हैं कि उनके लिए हर तरह की भलाई है, लाज़िमी बात है कि उनके लिए दोज़ख़ है, और बेशक वे लोग सबसे पहले भेजे जाएँगे। **(62)** ख़ुदा तआला की क़सम! आपसे पहले जो उम्मतें हो गुज़री हैं उनके पास भी हमने (रसूलों को) भेजा था, सो उनको भी शैतान ने उनके आमाल अच्छे बना करके दिखलाए, पस वह आज उनका रफ़ीक़ "यानी साथी" था, और उनके वास्ते दर्दनाक सज़ा है।[2] **(63)** और हमने आप पर यह किताब सिर्फ़ इसलिए नाज़िल की है कि जिन उमूर में लोग इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं आप (आम) लोगों पर उसको ज़ाहिर फ़रमा दें, और ईमान वालों की हिदायत और रहमत की ग़रज़ से (नाज़िल फ़रमाया), **(64)** और अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद ज़िन्दा किया,[3] इसमें ऐसे लोगों के लिए बड़ी दलील है जो सुनते हैं। **(65)** ❖

और (साथा ही) तुम्हारे लिए मवेशियों में भी ग़ौर करने का मक़ाम है। उनके पेट में जो गोबर और ख़ून है उसके दरमियान में से साफ़ और (गले में) आसानी से उतरनेवाला दूध हम तुमको पीने को देते हैं।[4] **(66)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) 9. वतन छोड़ने के वक़्त यह ख़्याल नहीं करते कि खाएँगे-पिएँगे कहाँ से।

10. ज़िक्र वालों से मुराद अहले किताब हैं।

11. ग़रज़ यह कि जब आपकी रिसालत भी पुराने तरीक़े के मुवाफ़िक़ है तो फिर इनकार की क्या वजह और ख़िलाफ़ होने के दावे की क्या दलील?

(तफ़सीर पृष्ठ 492) 1. जैसे बद्र की लड़ाई में ऐसे बेसरो-सामान मुसलमानों के हाथ से उनको सज़ा मिली कि कभी उनको इसका अक़्ली एहतिमाल भी न होता कि ये हमपर ग़ालिब आ सकेंगे।

2. यानी साये के असबाब कि सूरज का नूरानी होना और सायेदार जिस्म का भारी और गाढ़ा होना है, और साये की हरकत का सबब सूरज की हरकत है, फिर साये की ख़ासियतें, ये सब अल्लाह के हुक्म से हैं।

3. क्योंकि जब माबूद होना मेरे साथ ख़ास है तो जो उसके लवाज़िम हैं मुकम्मल क़ुदरत होना वग़ैरह वे भी मेरे ही साथ ख़ास होंगे, तो इन्तिक़ाम वग़ैरह का ख़ौफ़ मुझ ही से होना चाहिए। और शिर्क इन्तिक़ाम को दावत देता है, पस शिर्क न करना चाहिए।

4. यानी वही इस बात का हक़दार है कि सब उसकी इताअत करें।

5. यानी जिस तरह डरने के क़ाबिल अल्लाह के सिवा कोई नहीं उसी तरह नेमत देने वाला और उम्मीद के क़ाबिल भी सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं।

6. एक जमाअत इसलिए कहा गया कि बाज़े इस हालत को याद रखकर तौहीद व ईमान पर क़ायम हो जाते हैं।

(पृष्ठ 494 की तफ़सीर पृष्ठ 496 पर)

और खजूर और अंगूरों के फलों से तुम लोग नशे की चीज़[1] और उम्दा खाने की चीज़ें बनाते हो। बेशक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी दलील है जो अ़क्ल रखते हैं। **(67)** और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह बात डाली की तू पहाड़ों में घर बना ले और दरख़्तों में और जो लोग इमारतें बनाते हैं, उनमें। **(68)** फिर हर क़िस्म के फूलों से चूसती फिर, फिर अपने रब के रास्तों में चल जो आसान हैं, उसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है जिसकी रंगतें मुख़्तलिफ़ होती हैं, कि उसमें लोगों के लिए शिफ़ा है, इसमें उन लोगों के लिए बड़ी दलील है जो सोचते हैं। **(69)** और अल्लाह तआ़ला ने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हारी जान निकालता है। और बाज़े तुममें वे हैं जो नाकारा उम्र तक पहुँचाए जाते हैं, (जिसका यह असर होता है) कि एक चीज़ से बाख़बर होकर फिर बेख़बर हो जाता है, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले, बड़ी क़ुदरत वाले हैं। **(70)** ❖

और अल्लाह तआ़ला ने तुममें बाज़ों को बाज़ों पर रिज़्क़ में फ़ज़ीलत दी है। सो जिन लोगों को फ़ज़ीलत दी गई है वे अपने हिस्से का माल अपने गुलामों को इस तरह कभी देने वाले नहीं कि वे सब उसमें बराबर हो जाएँ, क्या फिर भी ख़ुदा तआ़ला की नेमत का इनकार करते हैं।[2] **(71)** और अल्लाह तआ़ला ने तुम ही में से तुम्हारे लिए बीवियाँ बनाईं, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए, और तुमको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने (पीने) को दीं,[3] क्या फिर भी बेबुनियाद चीज़ पर ईमान रखेंगे और अल्लाह तआ़ला की नेमत की नाशुक्री करते रहेंगे। **(72)** और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते रहेंगे जो उनको न आसमान में से रिज़्क़ पहुँचाने का इख़्तियार रखती हैं और न ज़मीन में से, और न क़ुदरत रखती हैं। **(73)** सो तुम अल्लाह तआ़ला के लिए मिसालें मत घड़ो, (और) अल्लाह तआ़ला जानते हैं और तुम नहीं जानते। **(74)**

(तफ़सीर पृष्ठ 494) 1. दुनिया में भी कि ऐसी जहालत में मुब्तला हैं और आख़िरत में भी कि ज़िल्लत व सज़ा में मुब्तला होंगे।

2. ग़रज़ यह बाद में आने वाले भी पहले वालों की तरह कुफ़्र कर रहे हैं और उन्हीं की तरह इनको भी सज़ा होगी। फिर आप क्यों ग़म में पड़ें।

3. यानी उसकी बढ़ोत्तरी की क़ुव्वत को इसके बाद कि ख़ुश्क हो जाने से कमज़ोर हो गई थी, ताक़त दे दी।

4. आयत से यह मुराद नहीं कि पेट में एक तरफ़ गोबर होता है और एक तरफ़ ख़ून, और दोनों के दरमियान में दूध रहता है। बल्कि पेट में जो ग़िज़ा होती है उसमें वे हिस्से जो आगे चलकर दूध बनेंगे और वे हिस्से जो गोबर बन जाएँगे सब मिलेजुले होते हैं। अल्लाह तआ़ला उनको अलग-अलग करते हैं। कुछ गोबर बनकर निकल जाता है और कुछ जिगर के ज़रिये हाज़िमे के बाद अख़्लात (यानी ख़ून, बलग़म, सौदावी माद्दा और सफ़रावी माद्दा) बनते हैं, जिनमें ख़ून भी है। फिर उस ख़ून में वह हिस्सा जो आगे चलकर दूध बनेगा ये दोनों मिलेजुले होते हैं। अल्लाह एक हिस्सा अलग करके छाती या थनों तक पहुँचाता है और वह वहाँ पहुँचकर दूध बन जाता है।

(तफ़सीर पृष्ठ 496) 1. नशे की चीज़। इसमें दो क़ौल हैं, एक यह कि आयत नाज़िल होने के वक़्त नशा लाने वाली चीज़ें हराम न थीं। क्योंकि यह आयत मक्की है, इसलिए इसको एहसान करना फ़रमाया, लेकिन चूँकि हराम होने वाली थीं इसलिए इसको अच्छा और पसन्दीदा वग़ैरह न फ़रमाया, जैसे रिज़्क़ को फ़रमाया है। दूसरा क़ौल यह है कि अगरचे आयत के नाज़िल होने के वक़्त नशा लाने वाली चीज़ें हराम भी हो गई हों, इस एहतिमाल पर कि शायद यह आयत मदनी हो, लेकिन यहाँ महसूस तौर पर एहसान करना मक़सूद नहीं ताकि हलाल होने पर मौक़ूफ़ हो बल्कि मअ़नवी एहसान करना यानी तौहीद पर इस्तिदलाल है।

2. इसमें शिर्क की हद दर्जा बुराई है कि जब तुम्हारे गुलाम तुम्हारे रिज़्क़ में शरीक नहीं हो सकते तो अल्लाह तआ़ला के गुलाम उसकी ख़ुदाई में कैसे शरीक हो सकते हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 498 पर)**

अल्लाह तआ़ला एक मिसाल बयान फ़रमाते हैं, कि एक ग़ुलाम है जो दूसरे की मिल्क में है कि किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। और एक शख़्स है जिसको हमने अपने पास से ख़ूब रोज़ी दी है, तो वह उसमें से छुपे और खुले तौर पर ख़र्च करता है, क्या (इस क़िस्म के शख़्स) आपस में बराबर हो सकते हैं। सारी तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला ही के लिए लायक़ हैं, बल्कि उनमें से अक्सर तो जानते नहीं।[1] **(75)** और अल्लाह तआ़ला एक और मिसाल बयान फ़रमाते हैं, कि दो शख़्स हैं जिनमें एक तो गूँगा है, कोई काम नहीं कर सकता और वह अपने मालिक पर एक वबाले जान है, वह उसको जहाँ भेजता है कोई काम दुरुस्त करके नहीं लाता, क्या यह शख़्स और ऐसा शख़्स आपस में बराबर हो सकते हैं जो अच्छी बातों की तालीम करता हो और ख़ुद भी एक सही रास्ते पर हो।[2] **(76)** ❖

और आसमानों और ज़मीन की (तमाम) छुपी बातें अल्लाह ही के साथ ख़ास हैं, और क़ियामत का मामला बस ऐसा (झटपट) होगा जैसे आँख झपकना, बल्कि इससे भी जल्दी,[3] यक़ीनन अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं।[4] **(77)** और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी न जानते थे,[5] और उसने तुमको कान दिए और आँख और दिल ताकि तुम शुक्र करो। **(78)** क्या लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा कि आसमान के (नीचे) मैदान में ताबे हो रहे हैं, उनको सिवाय अल्लाह के कोई नहीं थामता। इसमें ईमान वाले लोगों के लिए कई दलीले हैं।[6] **(79)** और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे वास्ते तुम्हारे घरों में रहने की जगह बनाई और तुम्हारे लिए जानवरों की खाल के घर बनाए जिनको तुम अपने कूच के दिन और ठहरने के दिन हल्का (फुल्का) पाते हो, और उनकी ऊन और उनके रूओं और उनके बालों से घर का सामान और फ़ायदे की चीज़ें एक मुद्दत तक के लिए बनाईं।[7] **(80)** और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे

(पृष्ठ 496 का शेष) **3.** यानी क़ुदरत व नेमत की दूसरी दलीलों में से अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत की एक बड़ी दलील और नेमत ख़ुद तुम्हारा एक जिन्स होने की हैसियत से और शख़्सी (व्यक्तिगत) वजूद है।

(तफ़सीर पृष्ठ 498) **1.** पस जब मजाज़ी मालिक व मजाज़ी मम्लूक बराबर नहीं हो सकते तो मालिके हक़ीक़ी और मम्लूके हक़ीक़ी कब बराबर हो सकते हैं। और इबादत का हक़दार होना मौक़ूफ़ है बराबरी पर, और वह है नहीं।

2. जब मख़्लूक़ मख़्लूक़ में बावजूद इसके बहुत-सी सिफ़तों और हक़ीक़त में एक हैं इतना फ़र्क़ है तो ख़ालिक़ व मख़्लूक़ के फ़र्क़ का ख़ुद अन्दाज़ा कीजिए।

3. क़ियामत के मामले से मुराद है मुर्दों में जान पड़ना, और इसका जल्दी होना ज़ाहिर है। क्योंकि आँख झपकाना हरकत है और हरकत ज़मानी होती है, और जान पड़ना एक लम्हे में होना है और ज़ाहिर है कि एक लम्हे में होना ज़मानी हरकत से ज़्यादा जल्दी होना है।

4. क़ुदरत के साबित करने के लिए क़ियामत की तख़्सीस शायद इस वजह से की हो कि वह मख़्सूस ग़ैबी चीज़ों में से भी है। पस वह इल्म और क़ुदरत दोनों की दलील है। ज़ाहिर होने से पहले तो इल्म की और ज़ाहिर होने के बाद क़ुदरत की।

5. इस मरतबे का नाम इस्तिलाह में 'अक़्ले हयूलानी' है।

6. कुछ निशानियाँ इसलिए फ़रमाया कि परिन्दों को एक ख़ास अन्दाज़ पर पैदा करना जिससे उड़ना मुम्किन हो एक दलील है, फिर फ़िज़ा को ऐसे तौर पर पैदा करना जिसमें उड़ना मुम्किन हो, एक दलील है। फिर इस उड़ने का सामने ज़ाहिर होना एक दलील है। और जितने असबाब को उड़ने में दख़ल है जिसकी वजह से जिस्म का भारी या हल्कापन वग़ैरह चीज़ों का तबई असर ज़ाहिर नहीं होता, दलील हैं। क्योंकि वे सब अल्लाह ही के पैदा किए हुए हैं, फिर उन असबाब पर मुसब्बब यानी उड़ने का मुरत्तब हो जाना यह भी अल्लाह ही के हुक्म से है।

7. एक मुद्दत तक इसलिए फ़रमाया कि आ़दतन यह सामान रूई के कपड़ों के मुक़ाबले में ज़्यादा देर तक टिकने वाला होता है।

लिए अपनी बाज़ मख़्लूक़ात के साये बनाए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में पनाह की जगह बनाई,[1] और तुम्हारे लिए ऐसे कुर्ते बनाए जो गर्मी से तुम्हारी हिफ़ाज़त करें, और ऐसे कुर्ते बनाए जो तुम्हारी लड़ाई से तुम्हारी हिफ़ाज़त करें।[2] अल्लाह तुमपर इसी तरह अपनी नेमतें पूरी करता है ताकि तुम फ़रमाँबरदार रहो। **(81)** फिर अगर ये लोग मुँह मोड़ें तो आपके ज़िम्मे तो साफ़-साफ़ पहुँचा देना है। **(82)** वे लोग ख़ुदा की नेमत को पहचानते हैं, फिर उसके इनकारी होते हैं,[3] और ज़्यादा उनमें नाशुक्रे हैं। **(83)** ❖

और जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर उन काफ़िरों को इजाज़त न दी जाएगी और न उनको हक़ तआ़ला के राज़ी करने की फ़रमाइश की जाएगी।[4] **(84)** और जब ज़ालिम लोग अ़ज़ाब को देखेंगे तो वह अ़ज़ाब न उनसे कुछ हल्का किया जाएगा और न वे कुछ मोहलत दिए जाएँगे। **(85)** और जब वे मुश्रिक लोग अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! वे हमारे शरीक यही हैं कि आपको छोड़कर हम इनको पूजा करते थे। सो वे उनकी तरफ़ बात को मुतवज्जह करेंगे कि तुम झूठे हो। ▲ **(86)** और ये लोग उस दिन अल्लाह के सामने इताअ़त की बातें करने लगेंगे और जो कुछ बोहतान बाज़ियाँ करते थे वे सब गुम हो जाएँगी। **(87)** जो लोग कुफ़्र करते थे और अल्लाह की राह से रोकते थे उनके लिए हम एक सज़ा पर दूसरी सज़ा उनके फ़साद की वजह से बढ़ा देंगे। **(88)** और जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह जो उन्हीं में का होगा, उनके मुक़ाबले में खड़ा करेंगे,[5] और उन लोगों के मुक़ाबले में आपको गवाह बनाकर लाएँगे। और हमने आप पर क़ुरआन उतारा है कि (दीन की) तमाम बातों का बयान करने वाला है, और मुसलमानों के वास्ते बड़ी हिदायत और बड़ी रहमत और ख़ुशख़बरी सुनाने वाला है। **(89)** ❖

1. यानी गुफा वग़ैरह जिसमें गर्मी, सर्दी, बारिश और तकलीफ़ देने वाले दुश्मन चाहे वह आदमी हो या जानवर, उन सबसे महफ़ूज़ रह सकते हैं।

2. मुराद इससे ज़िरहें (यानी लोहे का कुर्ता जो लड़ाई में पहनते हैं) हैं।

3. कि जो बर्ताव एहसान करने वाले और नेमत देने वाले के साथ चाहिए था यानी इबादत, वह दूसरे के साथ करते हैं।

4. यानी उनसे यूँ न कहा जाएगा कि तुम तौबा या कोई अ़मल करके अल्लाह को ख़ुश कर लो, वजह इसकी ज़ाहिर है कि आख़िरत दारुल जज़ा (यानी बदला मिलने की जगह) है, दारुल अ़मल (यानी अ़मल करने की जगह) नहीं।

5. मुराद उस उम्मत का नबी है और उन्हीं में का होना आ़म है चाहे नसब के एतिबार से उन्हीं में से हो या उनके साथ रहने में शरीक हो।

बेशक़ अल्लाह तआ़ला एतिदाल और एहसान और अहले क़राबत "यानी रिश्तेदारों और क़रीबी ताल्लुक़ वालों" को देने का हुक्म फ़रमाते हैं, और खुली बुराई और मुतलक़ बुराई और ज़ुल्म करने से मना फ़रमाते हैं। अल्लाह तआ़ला तुमको इसलिए नसीहत फ़रमाते हैं कि तुम नसीहत क़बूल करो।[1] **(90)** और तुम अल्लाह के अ़हद को पूरा करो[2] जबकि तुम उसको अपने ज़िम्मे कर लो, और क़स्मों को उनके मज़बूत करने के बाद मत तोड़ो, और तुम अल्लाह तआ़ला को गवाह भी बना चुके हो। बेशक अल्लाह तआ़ला को मालूम है जो कुछ तुम करते हो। **(91)** और तुम उस औ़रत के जैसे मत बनो जिसने अपना सूत कातने के बाद बोटी-बोटी करके नोच डाला, कि तुम अपनी क़स्मों को आपस में फ़साद डालने का ज़रिया बनाने लगो,[3] महज़ इस वजह से कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाए, बस इससे अल्लाह तआ़ला तुम्हारी आज़माइश करता है।[4] और जिन चीज़ों में तुम इख़्तिलाफ़ करते रहे क़ियामत के दिन उन सबको तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर देगा। **(92)** और अगर अल्लाह को मन्ज़ूर होता तो तुम सबको एक ही तरीक़े का बना देते, लेकिन जिसको चाहते हैं बेराह कर देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं।[5] और तुमसे तुम्हारे आमाल की ज़रूर पूछताछ और सवाल होगा। **(93)** और तुम अपनी क़स्मों को आपस में फ़साद डालने का ज़रिया मत बनाओ[6] कि (कभी किसी और का) क़दम जमने के बाद न फिसल जाए। फिर तुमको इस सबब से कि तुम राहे ख़ुदा से रुकावट हुए, तकलीफ़ भुगतना पड़े, और तुमको बड़ा अ़ज़ाब होगा। **(94)** और तुम लोग अल्लाह के अ़हद के बदले में थोड़ा-सा फ़ायदा मत हासिल करो, बस अल्लाह के पास की जो चीज़ है वह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझना चाहो। **(95)** और जो कुछ तुम्हारे पास है वह ख़त्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह हमेशा रहेगा। और जो लोग साबित क़दम हैं हम उनके अच्छे कामों के बदले उनका अज्र उनको ज़रूर देंगे। **(96)** जो शख़्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औ़रत हो, शर्त यह है कि ईमान वाला हो,[7] तो हम उस शख़्स को मज़ेदार ज़िन्दगी देंगे,[8] और उनके अच्छे कामों के बदले में उनका अज्र देंगे। **(97)**

---

1. जिन चीज़ों का हुक्म है उनमें एतिदाल कुव्वते इल्मिया व अ़मलिया को आ़म है। इसमें सारे अक़ायद व ज़ाहिरी व बातिनी आमाल ग़रज़ तमाम शरई अहकाम दाख़िल हो गए। फिर उनमें से एहसान इस वजह से ज़िक्र के साथ ख़ास किया गया कि उसका नफ़ा दूसरे तक पहुँचता है। फिर एहसान में से रिश्तेदारों और क़रीबी ताल्लुक़ वालों के साथ एहसान और ज़्यादा फ़ज़ीलत व अहमियत रखता है, इसलिए उसके बाद इसको लाए। इसी तरह मना की हुई चीज़ों में बुराई आ़म है, शरीअ़त के ख़िलाफ़ तमाम उमूर को। फिर उसमें खुली बुराई को उसके ज़्यादा बुरा और ख़राब होने की वजह से मख़्सूस तौर पर ज़िक्र फ़रमाया, और उसके ज़्यादा शदीद होने की वजह से मुक़द्दम फ़रमाया। इसी तरह उन मना किए गए उमूर में से जुल्म करने को उसका नुक़सान दूसरे तक पहुँचने की वजह से मख़्सूस तौर पर ज़िक्र किया गया। पस इस तरह से इसमें तमाम अच्छे और बुरे उमूर दाख़िल हो गए।

2. ऊपर 'यअ्मुरु बिल्अ़द्लि' में तमाम जायज़ उमूर का हुक्म था अब उनमें से एक ख़ास अम्र यानी वायदे के पूरा करने का निहायत पाबन्दी से हुक्म है। और इसके ख़ास करने की वजह अपने आप में इसके अहम होने के साथ-साथ शायद यह भी हो कि शुरू इस्लाम में अ़हद के पूरा करने और उसके तोड़ने का इस्लाम पर एक ख़ास असर था कि इस्लाम पर बाक़ी रहना यह भी अ़हद पूरा करने की एक क़िस्म थी। और सुलह व जंग में एतिबार का मदार इसी पर था, साथ ही इससे इस्लाम लाने वालों को अपने निजी और अ़वामी हुक़ूक़ के बारे में पूरा इत्मीनान होता था जो इस्लाम की तरक़्क़ी और कुव्वत का सबब था। इसी तरह अ़हद तोड़ने में इसके उलट ख़राबियाँ सामने आती थीं जिसका नुक़सान इस्लाम को पहुँचता था, इस वजह से यह मज़मून अहम **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 504 पर)**

तो जब आप क़ुरआन पढ़ना चाहें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह माँग लिया करें।[1] (98) यक़ीनन उसका क़ाबू उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं[2] और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। (99) बस उसका क़ाबू तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों पर जो उसके (यानी अल्लाह के) साथ शिर्क करते हैं। (100) ❖

और जब हम किसी आयत को दूसरी आयत की जगह बदलते हैं,[3] और हालाँकि अल्लाह तआ़ला जो हुक्म भेजता है उसको वही ख़ूब जानता है, तो ये लोग कहते हैं कि आप घड़ने वाले हैं, बल्कि उन्हीं में अक्सर लोग जाहिल हैं। (101) आप फ़रमा दीजिए कि उसको रूहुल-क़ुदुस[4] आपके रब की तरफ़ से हिक्मत के मुवाफ़िक़ लाए हैं,[5] ताकि ईमान वालों को साबित क़दम रखे और मुसलमानों के लिए हिदायत और ख़ुशख़बरी हो जाए।[6] (102) और हमको मालूम है कि ये लोग यह भी कहते हैं कि उनको तो आदमी सिखला जाता है, जिस शख़्स की तरफ़ उसकी निस्बत करते हैं उसकी ज़बान तो अ़जमी ''यानी ग़ैर-अ़रबी'' है, और यह क़ुरआन तो साफ़ अ़रबी है।[7] (103) जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह तआ़ला कभी राह पर न लाएँगे, और उनके लिए दर्दनाक सज़ा होगी। (104) पस झूठ घड़ने वाले तो यही लोग हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और ये लोग हैं पूरे झूठे। (105) जो शख़्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ़्र करे, मगर जिस शख़्स पर ज़बरदस्ती की जाए, शर्त यह है कि उसका दिल ईमान पर मुत्मइन हो, लेकिन हाँ जो जी खोलकर कुफ़्र करे तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब होगा और उनको बड़ी सज़ा होगी। (106) यह इस सबब से होगा कि उन्होंने दुनियावी ज़िन्दगी को आख़िरत के मुक़ाबले में अ़ज़ीज़ रखा, और इस सबब से होगा कि अल्लाह ऐसे काफ़िरों को हिदायत नहीं किया करता। (107) ये

(पृष्ठ 502 का शेष) और पाबन्दी के क़ाबिल हुआ।

3. क्योंकि क़सम और अ़हद तोड़ने से जो लोग मुवाफ़िक़ होते हैं उनको बेएतिबारी और मुख़ालिफ़ों को उठ खड़े होने का मौक़ा मिलता है, और यह फ़साद की जड़ है।

4. कि देखें अ़हद पूरा करते हो या झुकता पल्ला देखकर उधर ढुल जाते हो।

5. चुनाँचे हिदायत में से अ़हद का पूरा करना और गुमराही में से अ़हद को तोड़ना भी है।

6. यानी क़स्मों और अ़हदों को मत तोड़ो।

7. क्योंकि काफ़िर के नेक आमाल मक़बूल नहीं।

8. 'हयाते तय्यिबा' यानी मज़ेदार ज़िन्दगी से यह मुराद नहीं कि उसको फ़िक्र या बीमारी कभी न होगी, बल्कि मतलब यह है कि इताअ़त की बरकत से उसके दिल में ऐसा नूर होगा जिससे वह हर हाल में शाकिर व साबिर और राज़ी रहेगा। और असल राहत व आराम और सुकून यही रिज़ा है।

1. यानी दिल से ख़ुदा तआ़ला पर नज़र रखना वाजिब है कि पनाह माँगने की असली हक़ीक़त यही है। और पढ़ने में ज़बान से भी कह लेना मसनून है।

2. यानी उसका वस्वसा उनपर असरदार नहीं होता।

3. यानी एक आयत को लफ़्ज़ या मायनों के एतिबार से मन्सूख़ 'निरस्त' करके उसकी जगह दूसरा हुक्म भेज देते हैं।

4. यानी जिबराईल अ़लैहिस्सलाम।

5. पस यह अल्लाह का कलाम है और अहकाम में तब्दीली हिक्मत की वजह से है।

6. इस सबब के बढ़ाने से किनाया हो गया कि ऐसी फ़ायदेमन्द चीज़ से यह मुख़ालिफ़ीन फ़ायदा नहीं उठाते।

7. मुराद इससे एक ग़ैर-अ़रबं व रूमी ईसाई गुलाम या लुहार है, जिसका नाम बलआ़म या मक़ीस था। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बातें जी लगाकर सुनता तो हुज़ूर कभी उसके पास जा बैठते, (शेष तफ़सीर पृष्ठ 506 पर)

वे लोग हैं कि अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों पर और कानों पर और आँखों पर मोहर लगा दी है, और ये लोग बिलकुल ग़ाफ़िल हैं। **(108)** लाज़िमी बात है कि आख़िरत में ये लोग बिलकुल घाटे में रहेंगे। **(109)** फिर बेशक आपका रब ऐसे लोगों के लिए कि जिन्होंने (कुफ़्र में) मुब्तला होने के बाद (ईमान लाकर) हिजरत की, फिर जिहाद किया और क़ायम रहे, तो आपका रब इन (आमाल) के बाद बड़ी मग़्फ़िरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है।[1] **(110)** ❖

जिस दिन हर शख़्स अपनी ही तरफ़दारी में गुफ़्तगू करेगा,[2] और हर शख़्स को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा, और उनपर ज़ुल्म न किया जाएगा।[3] **(111)** और अल्लाह तआ़ला एक बस्ती वालों की (अ़जीब) हालत बयान फ़रमाते हैं कि वे अमन व इत्मीनान में थे। उनके खाने-पीने की चीज़ें बड़ी फ़राग़त से हर (चार) तरफ़ से उनके पास पहुँचा करती थीं। सो उन्होंने ख़ुदा की नेमतों की बेक़द्री की।[4] उसपर अल्लाह ने उनको इन हरकतों के सबब (एक घेरने वाले) क़हत और ख़ौफ़ का मज़ा चखा दिया।[5] **(112)** और उनके पास उन्हीं में का एक रसूल भी आया। सो उसको उन्होंने झूठा बतलाया। तब उनको अ़ज़ाब ने आन पकड़ा, जबकि वे बिलकुल ही ज़ुल्म पर कमर बाँधने लगे। **(113)** सो जो चीज़ें अल्लाह तआ़ला ने तुमको हलाल और पाक दी हैं उनको खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। **(114)** तुमपर तो सिर्फ़ मुर्दार को हराम किया है, और ख़ून को, और सुअर के गोश्त को, और जिस चीज़ को अल्लाह के अ़लावा किसी और के लिए नामज़द कर दिया गया हो। फिर जो शख़्स बिलकुल बेक़रार हो जाए, शर्त यह कि लज़्ज़त का तालिब न हो और न हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो अल्लाह बख़्श देने वाला, मेहरबानी करने वाला है।[6] **(115)** और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हारा महज़ झूठा ज़बानी दावा है, उनके बारे में यूँ मत कह दिया करो कि (फ़लानी चीज़) हलाल है और यह (फ़लानी चीज़) हराम है, (जिसका हासिल यह होगा) कि अल्लाह पर झूठी तोहमत लगा दो (गे), बिला शुब्हा जो लोग अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाते हैं वे फ़लाह न पाएँगे। **(116)** (यह) कुछ दिन का ऐश है, और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। **(117)** और यहूदियों

(पृष्ठ 504 का शेष) और वह इन्जील वग़ैरह कुछ जानता था तो काफ़िरों ने यह एक बात निकाली कि हुज़ूर को यह सिखला देता है। अल्लाह तआ़ला जवाब देते हैं कि क़ुरआन मजीद तो लफ़्ज़ व मायने के मजमूए का नाम है। सो अगर इसके ऊँचे मायनों की तुमको तमीज़ नहीं तो अल्फ़ाज़ की ग़ैर-मामूली बलाग़त को तो समझ सकते हो। पस अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मज़ामीन वह शख़्स सिखला देता है तो यह तो सोचो कि ये अल्फ़ाज़ कहाँ से आ गए।

1. यानी ईमान और नेक आमाल की बरकत से उनके सब पिछले गुनाह कुफ़्र वग़ैरह माफ़ हो जाएँगे और अल्लाह की रहमत से उनको जन्नत और उसके बड़े-बड़े दर्जे मिलेंगे।

2. और इससे शफ़ाअ़त के न होने का शुब्हा न हो, क्योंकि वह अपनी राय से न होगी बल्कि इजाज़त से होगी। पस कहना चाहिए कि वह शफ़ाअ़त करने वाले की तरफ़ मन्सूब ही नहीं, और यहाँ उस गुफ़्तगू का ज़िक्र है जो अपनी राय से हो।

3. यानी नेकी के बदले में कमी न होगी अगरचे ज़्यादती हो जाए। और बुराई के बदले में ज़्यादती न होगी अगरचे कमी हो जाए।

4. यानी ख़ुदा के साथ कुफ़्र किया।

5. मक्का शहर शान्तीपूर्ण था हालाँकि उसके आस-पास के लोग मारे और लूट लिए जाते थे। मक्के में अनाज भी सहूलत से पहुँचता रहता था, लेकिन जब मक्का वाले अपने रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान न लाए तो हक़ तआ़ला ने उनकी ये दोनों अच्छी हालतें बदल दीं और उनपर सात साल तक क़हत (अकाल) का अ़ज़ाब मुसल्लत रखा जिससे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, और इसपर ज़्यादती यह कि वे सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के ख़ौफ़ से अमन को भी भूल गए।

6. चूँकि अ़रब वाले इसमाईल अ़लैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करने वाले थे इसलिए **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 508 पर)**

पर हमने वे चीज़ें हराम कर दी थीं जिनका बयान हम इससे पहले आपसे कर चुके हैं और हमने उनपर कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन वे ख़ुद ही अपने ऊपर ज़्यादती किया करते थे। **(118)** फिर आपका रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुरा काम कर लिया, फिर उसके बाद तौबा कर ली और अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, तो आपका रब उसके बाद बड़ी मग़्फ़िरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है।[1] **(119)** ❖

बेशक इब्राहीम बड़े मुक़्तदा "यानी पेशवा और रहनुमा" थे,[2] अल्लाह तआला के फ़रमाँबर्दार थे, बिलकुल एक तरफ़ के हो रहे थे, और वह शिर्क करने वालों में से न थे। **(120)** यानी अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुज़ार थे, अल्लाह तआला ने उनको चुन लिया था और उनको सीधे रास्ते पर डाल दिया था। **(121)**. और हमने उनको दुनिया में भी ख़ूबियाँ दी थीं और वे आख़िरत में भी अच्छे लोगों में होंगे।[3] **(122)** फिर हमने आपके पास वह्य भेजी कि आप इब्राहीम के तरीक़े पर जो कि बिलकुल एक तरफ़ के हो रहे थे चलिए, और वह शिर्क करने वालों में से न थे। **(123)** बस हफ़्ते की ताज़ीम तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर लाज़िम की गई थी जिन्होंने उसमें इख़्तिलाफ़ किया था,[4] बेशक आपका रब क़ियामत के दिन उनमें आपस में फ़ैसला कर देगा जिस बात में ये इख़्तिलाफ़ किया करते थे।[5] **(124)** आप अपने रब की राह की तरफ़[6] इल्म की बातों और अच्छी नसीहतों के ज़रिये से बुलाइए, और उनके साथ अच्छे तरीक़े से बहस कीजिए।[7] आपका रब ख़ूब जानता है उस शख़्स को भी जो उसके रास्ते से गुम हुआ और वही राह पर चलने वालों को भी ख़ूब जानता है। **(125)** और अगर बदला लेने लगो तो इतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया, और अगर सब्र करो तो वह सब्र करने वालों के हक़ में बहुत ही अच्छी बात है। **(126)** और आप सब्र कीजिए और आपका सब्र करना ख़ुदा ही की तौफ़ीक़ से है,[8] और उनपर ग़म न कीजिए। और जो कुछ ये तदबीरें किया करते हैं उससे तंगदिल न होइए। **(127)** अल्लाह तआला ऐसे लोगों के साथ (होता) है जो परहेज़गार (होते) हैं और जो नेक काम करने वाले (होते) हैं। **(128)** ❖

(पृष्ठ 506 का शेष) उनमें बहुत-से इस्लामी तौर-तरीक़े हुज़ूरे पाक को नबी बनाकर भेजे जाने तक मौजूद थे। वे उन तमाम हलाल जानवरों को जिनको हम खाते हैं हलाल समझते और खाते थे और जिनको हम हराम समझते हैं उनको वे भी हराम समझते थे। लेकिन ज़माना गुज़र जाने की वजह से उनमें यह बुरी रस्म भी जारी हो गई थी कि वे उस ख़ून को जो कि जानवर के ज़िब्ह के वक़्त बहता है, खाते थे और अपने बुतों के नाम पर ज़िब्ह किए हुए जानवरों को भी खाते थे, लेकिन इस्लाम ने इन चीज़ों की मनाही फ़रमा दी और बाक़ी हालत को बहाल रखा।

1. ऊपर शिर्क व कुफ़्र के उसूल व उससे निकलने वाली चीज़ों यानी तौहीद व रिसालत का इनकार और हराम को हलाल व हलाल को हराम समझने को बातिल और रद्द किया गया है। चूँकि मक्का के मुश्रिक जिनसे इन मज़ामीन में अव्वल ख़िताब है हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की औलाद में थे और अपने को उनके तरीक़े पर बतलाते थे, इसलिए आगे ज़िक्र हुए मज़ामीन को मज़बूत बनाने के लिए 'का-न उम्म-तन्' में इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का मख़्लूक़ के लिए रहनुमा और पेशवा होना, जिसका हासिल नुबुव्वत व रिसालत है और 'लम यकु मिनल मुश्रिकीन' में उनका मुश्रिक न होना बयान किया जो कि तौहीद है। और 'इन्नमा जुअ़िलस्सब्तु' में इशारे के तौर पर पाक चीज़ों का उनके यहाँ हराम न होना और 'क़ानितन्' के आ़म होने से ख़्वाहिश-परस्ती से हराम का हलाल और हलाल का हराम करना दोनों का न होना, और 'इज्तबाहु व हदाहु व आतैनाहु' में इस तरीक़े की और तरीक़े वाले की फ़ज़ीलत और दरमियान में 'सुम्-म औहैना इलै-क' में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का उस तरीक़े पर होना, मय रिसालत को साबित करने के बयान फ़रमाते हैं, ताकि उनको इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तरीक़े की मुख़ालफ़त को छोड़ने की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े की मुवाफ़क़त की तरग़ीब हो जो कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तरीक़े के मुवाफ़िक़ है, जिसके लवाज़िम से ख़ास तौर पर हुज़ूरे पाक के रसूल होने के इनकार से बाज़ आना भी है।

2. यानी एक बड़ी शान वाले नबी और एक बड़ी उम्मत के मुक़्तदा (यानी जिनकी पैरवी की जाए)।

3. पस ऐसे मक़बूल का जो तरीक़ा होगा वह बिलकुल मक़बूल होगा, उसको इख़्तियार करना चाहिए, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 510 पर)**

पन्द्रहवाँ पारः सुब्हानल्लज़ी

17 सूरः बनी इसराईल 50

सूरः बनी इसराईल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 111 आयतें और 12 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]वह पाक (ज़ात) है जो अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को रात के वक़्त मस्जिदे हराम (यानी काबा की मस्जिद) से मस्जिदे अक़्सा (यानी बैतुल-मक़्दिस) तक, जिसके चारों तरफ़ (यानी मुल्क शाम में) हमने बरकतें[2] कर रखी हैं, ले गया ताकि हम उनको अपनी (कुदरत के) कुछ अ़जायबात दिखलाएँ,[3] बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं।[4] **(1)** और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरात) दी, और हमने उसको बनी इसराईल के लिए हिदायत (का ज़रिया) बनाया कि तुम मेरे सिवा (अपना) कोई कारसाज़ मत क़रार दो। **(2)** ऐ उन लोगों की नस्ल! जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था, वह (नूह अ़लैहिस्सलाम) बड़े शुक्रगुज़ार बन्दे थे। **(3)** और हमने बनी इसराईल को किताब में (पेशीनगोई के तौर पर यह बात) बतला दी थी कि तुम (मुल्क शाम की) सरज़मीन में दो बार ख़राबी करोगे,[5] और बड़ा ज़ोर चलाने लगोगे।[6] **(4)** फिर जब उन दो (बार) में से पहली (बार की शरारत की सज़ा) की मीयाद आएगी हम तुमपर अपने ऐसे बन्दों को मुसल्लत करेंगे जो बड़े जंगजू होंगे, फिर वे तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे (और तुमको क़त्ल करेंगे) और यह एक वायदा है जो ज़रूर होकर रहेगा। **(5)** फिर (जब तुम तौबा करोगे तो) उनपर तुम्हारा ग़ल्बा कर देंगे, और माल और बेटों से हम तुम्हारी मदद करेंगे,[7] और हम तुम्हारी जमाअ़त को बढ़ा देंगे।[8] **(6)** अगर अच्छे काम करते रहोगे तो अपने ही नफ़े के लिए अच्छे काम करोगे, और अगर (फिर) तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए, फिर जब पिछली (बार) की मीयाद आएगी (हम फिर दूसरों को मुसल्लत करेंगे) ताकि (मार-मारकर) तुम्हारे मुँह बिगाड़ दें, और जिस तरह वे लोग पहली बार मस्जिद (बैतुल मक़्दिस) में घुसे थे ये (पिछले) लोग भी उसमें घुस पड़ें और जिस-जिसपर उनका ज़ोर चले सबको बर्बाद कर डालें। **(7)** (और अगर आइन्दा इस्लाम का इत्तिबा करोगे तो) अ़जब नहीं कि तुम्हारा रब तुमपर रहम फ़रमाए, और अगर फिर वही (शरारत) करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे,[9] और हमने जहन्नम को (ऐसे) काफ़िरों का जेलख़ाना बना (ही) रखा है। **(8)** बेशक यह क़ुरआन ऐसे (तरीक़े) की हिदायत करता है जो बिलकुल सीधा है (यानी इस्लाम) और उन ईमान वालों को जो कि नेक काम करते हैं (यह) ख़ुशख़बरी देता है

(पृष्ठ 508 का शेष) और वह अब मुन्हसिर है मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े में।

4. मुराद इससे यहूद हैं। यानी पाक चीज़ों को हराम करने की यह सूरत अन्य सूरतों की तरह सिर्फ़ यहूद के साथ मख़्सूस थी, मिल्लते इब्राहीमी में न थी।

5. ऊपर 'सुम्-म औहैना.....' में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करने से यह मक़सूद था कि जिनपर आपको भेजा गया है वे इस रिसालत के हुक़ूक़ अदा करें। आगे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रिसालत के हुक़ूक़ व आदाब के अदा करने की तालीम है, जिनमें से इन्तिक़ाम में ख़ास तौर पर अ़दल की रियायत बरतने में आपके पैरोकारों को भी उमूमन ख़िताब है, क्योंकि बदला लेने में आ़दतन पैरोकारों का शरीक रहना ज़रूरी है, बख़िलाफ़ तब्लीग़ व दावत और आयत में ज़िक्र हुए बक़िया अहकाम के, कि नबी से इन्फ़िरादी तौर पर भी इसका सुदूर हो सकता है, इसलिए इसमें ख़ास ख़िताब है।

6. यानी दीन। **(पृष्ठ 508 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 510 की तफ़सीर पृष्ठ 512, 514 पर)**

कि उनको बड़ा भारी सवाब मिलेगा। **(9)** और (यह भी बतलाता है कि) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके लिए एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। **(10)** ❖

और (बाज़ा) इनसान बुराई (यानी अज़ाब) की ऐसी दरख़्वास्त करता है जिस तरह भलाई की दरख़्वास्त, और इनसान (कुछ तबई तौर पर ही) जल्दबाज़ (होता) है। **(11)** और हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया, सो रात की निशानी को तो हमने धुंधला बनाया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया ताकि (दिन को) तुम अपने रब की रोज़ी तलाश करो और ताकि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर लो। और हमने हर चीज़ को ख़ूब तफ़सील के साथ बयान किया है।[1] **(12)** और हमने हर इनसान का अ़मल उसके गले का हार करके रखा है,[2] और (फिर) क़ियामत के दिन हम उसका आमालनामा उसके वास्ते निकाल (कर सामने कर) देंगे, जिसको वह खुला हुआ देख लेगा। **(13)** अपना आमालनामा (ख़ुद) पढ़ ले, आज तू ख़ुद अपना आप ही हिसाब लेने वाला काफ़ी है। **(14)** जो शख़्स (दुनिया में) राह पर चलता है वह अपने नफ़े के लिए राह पर चलता है, और जो शख़्स बेराही करता है सो वह भी अपने ही नुक़सान के लिए बेराह होता है। और कोई शख़्स किसी (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा। और हम (कभी) सज़ा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेज लेते। **(15)** और जब हम किसी बस्ती को[3] हलाक करना चाहते हैं[4] तो उसके ख़ुशहाल लोगों को[5] हुक्म देते हैं, फिर (जब) वे लोग वहाँ शरारत मचाते हैं तो उनपर हुज्जत पूरी हो जाती है। फिर हम उस बस्ती को तबाह और ग़ारत कर डालते हैं। **(16)** और नूह के बाद हमने बहुत-सी उम्मतों को (कुफ़्र व नाफ़रमानी के सबब) हलाक किया है।[6] और आपका रब अपने बन्दों के गुनाहों को जानने वाला, देखने वाला काफ़ी है। **(17)** जो शख़्स दुनिया (के नफ़े) की नीयत रखेगा, हम ऐसे शख़्स को दुनिया में जितना चाहेंगे (और) जिसके वास्ते चाहेंगे फ़िलहाल ही दे देंगे, फिर हम उसके लिए जहन्नम तजवीज़ करेंगे, वह उसमें बदहाल (बारगाह से) निकाला हुआ होकर दाख़िल होगा। **(18)** और जो शख़्स आख़िरत (के सवाब) की नीयत रखेगा

(पिछले पृष्ठ का शेष) 7. बस इतना काम आपका है फिर आप इस तहक़ीक़ में न पड़िए कि किसने माना, किसने नहीं माना, क्योंकि यह काम ख़ुदा का है।

8. इसलिए आप तसल्ली रखें कि सब्र में आपको दुश्वारी न होगी।

(तफ़सीर पृष्ठ 510) 1. इस सूरः में ज़्यादा मज़ामीन इनामात पर मुश्तमिल हैं। चुनाँचे इसकी शुरूआत मेराज के क़िस्से से की गई कि वह एक बड़ा मोजिज़ा है, जिससे बारी तआ़ला की पाकी के साथ रिसालत पर दलालत करती है, और रिसालत को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए मूसा और नूह अ़लैहिमस्सलाम का ज़िक्र लाया गया है और उसकी तस्दीक़ की तरग़ीब के लिए तूफ़ाने नूह (अ़लैहिस्सलाम) से नजात और झुठलाने से डराने के लिए बनी इसराईल की ख़राबी और उनके सज़ा पाने का क़िस्सा सुनाया गया। फिर क़ुरआन को जो कि रिसालत की दलील है हादी बताया गया। यह ख़ुलासा है पहले रुकूअ़ का।

2. दीनी बरकत यह कि वहाँ कसरत से अम्बिया हज़रात दफ़न हैं। दुनियावी बरकत यह कि वहाँ पेड़ और नहरें और पैदावार की कसरत है।

3. जिनमें बाज़ तो ख़ुद वहाँ के मुताल्लिक़ हैं, जैसे इतनी लम्बी दूरी थोड़े से वक़्त में तय करना, सब अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को देखना, उनकी बातें सुनना वग़ैरह। और बाज़ आगे के मुताल्लिक़ हैं जैसे आसमानों पर जाना और बहुत-सी अ़जीब चीज़ें देखना।

4. मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अक़्सा तक ले जाने को 'इसरा' कहते हैं और आगे आसमानों पर जाने को 'मेराज' कहते हैं। और कभी दोनों लफ़्ज़ मजमूए पर बोल दिए जाते हैं।

5. एक बार मूसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त की मुख़ालफ़त, दूसरी बार ईसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त की मुख़ालफ़त।

6. यानी ज़्यादतियाँ करोगे 'लतुफ़्सिदुन्‌-न' में अल्लाह तआ़ला के हुक़ूक़ और 'ल-तअ़्लुन्‌-न' में बन्दों के हुक़ूक़ के ज़ाया करने की तरफ़ इशारा है।

7. यानी ये चीज़ें तुमको वापस मिलेंगी और उनसे तुमको क़ुव्वत पहुँचेगी।

(पृष्ठ 510 की बक़िया और पृष्ठ 512 की तफ़सीर पृष्ठ 514 पर)

और उसके लिए जैसी कोशिश करना चाहिए वैसी ही कोशिश भी करेगा, शर्त यह है कि वह शख़्स मोमिन भी हो,[1] सो ऐसे लोगों की यह कोशिश मक़बूल होगी।[2] **(19)** आपके परवरदिगार की (इस दुनियावी) अ़ता में से तो हम इनकी भी इम्दाद करते हैं[3] और उनकी भी,[4] और आपके रब की (यह दुनियावी) अ़ता (किसी पर) बन्द नहीं। **(20)** आप देख लीजिए हमने एक को दूसरे पर किस तरह बरतरी दी है, और अलबत्ता आख़िरत दर्जों के एतिबार से भी बहुत बड़ी है और फ़ज़ीलत के एतिबार से भी बहुत बड़ी है। **(21)** अल्लाह (बरहक़) के साथ कोई और माबूद मत तजवीज़ कर (यानी शिर्क मत कर) वरना तू बदहाल बेमददगार होकर बैठ रहेगा। **(22)** ❖

और तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि सिवाय उसके किसी और की इबादत मत करो, और तुम (अपने) माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो, अगर तेरे पास उनमें से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उनको कभी (हाँ से) हूँ भी मत करना और न उनको झिड़कना, और उनसे ख़ूब अदब से बात करना। **(23)** और उनके सामने नर्मी से इन्किसारी के साथ झुके रहना, और (यूँ) दुआ़ करते रहना कि मेरे परवर्दिगार! इन दोनों पर रहमत फ़रमाइए जैसा कि इन्होंने मुझको बचपन में पाला, परवरिश किया है।[5] **(24)** तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की बात को ख़ूब जानता है, अगर तुम नेक-बख़्त हो तो वह तौबा करने वालों की ख़ता माफ़ कर देता है। **(25)** और क़राबतदार ''यानी रिश्तेदार'' को उसका (माली व ग़ैर-माली) हक़ देते रहना, और मोहताज और मुसाफ़िर को भी देते रहना, और (माल को) बेमौक़ा मत उड़ाना। **(26)** (क्योंकि) बेशक बेमौक़ा उड़ाने वाले शैतानों के भाई (बन्द यानी उनके जैसे) हैं,[6] और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। **(27)** और अगर अपने परवर्दिगार की तरफ़ से जिस रिज़्क़ के आने की उम्मीद हो, उसके इन्तिज़ार में तुझको उनसे अलग होना पड़े तो उनसे नर्मी की बात कह देना।[7] **(28)** और न तो अपना हाथ गर्दन ही से बाँध लेना चाहिए[8] और न बिलकुल ही खोल देना चाहिए,[9] वरना इल्ज़ाम लिए हुए ख़ाली हाथ होकर बैठ रहोगे। **(29)** बेशक तेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रिज़्क़ देता है, और वही तंगी कर देता है।[10] बेशक वह अपने बन्दों को ख़ूब जानता है, देखता है। **(30)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) 8. यानी माल, ओ़हदे, औलाद और मानने वालों व पैरोकारों सबमें तरक़्क़ी होगी।

9. चुनाँचे हुज़ूर सल्ल. के ज़माने में उन्होंने आपकी मुख़ालफ़त की, फिर क़त्ल और क़ैद किए गए और ज़लील हुए।

(तफ़सीर पृष्ठ 512) 1. चाहे 'लौहे महफ़ूज़' में। पस कुल्लु शैइन् ''यानी हर चीज़'' आ़म है। और या क़ुरआन में इस वक़्त 'कुल्लु शैइन्' से मुराद ज़रूरी उमूर हैं। पहली सूरत में मतलब यह है कि 'लौहे महफ़ूज़' में हर चीज़ का अलग-अलग मुक़र्ररा वक़्त लिखा है और दूसरी सूरत में यह मतलब कि देखो क़ुरआन में कैसे मुफ़ीद और हिदायत-भरे मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं जो शुब्हात में तस्कीन व तसल्ली का सबब हैं।

2. यानी हर शख़्स का अ़मल उसके साथ लगा हुआ है।

3. जो कुफ़्र व नाफ़रमानी के सबब हिक्मत के तक़ाज़े से हलाक करने के क़ाबिल हो।

4. तो उसको रसूलों को भेजने से पहले हलाक नहीं करते, बल्कि किसी रसूल को भेजते हैं और इनकार व ज़िद के नतीजे में हलाक करते हैं

5. यानी अमीर और सरदार लोगों को ख़ाकर और अ़वाम को उमूमन ईमान व भलाई का हुक्म भेजते हैं।

6. जैसे आ़द व समूद और उनके अ़लावा दूसरे। और नूह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम का हलाक होना तो मशहूर व मारूफ़ ही है।

(तफ़सीर पृष्ठ 514) 1. मतलब यह है कि वह अ़मल शरई क़ायदों के मुवाफ़िक़ किया हो, क्योंकि आख़िरत के लिए वही कोशिश करनी चाहिए जिसका हुक्म हुआ हो, उन आमाल के उलट जो नफ़्सानी ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़ हों क्योंकि वे मक़बूल नहीं। ग़रज़ शरीअ़त के मुवाफ़िक़ अ़मल किया हो।

2. ग़रज़ कोशिश के क़बूल होने यानी अ़मल के क़बूल की तीन शर्तें हुईं, (१) नीयत का सही होना **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 516 पर)**

और अपनी औलाद को नादारी के अन्देशे से क़त्ल मत करो, (क्योंकि) हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं और तुमको भी, बेशक उनका क़त्ल करना बड़ा भारी गुनाह है।[1] **(31)** और ज़िना के पास भी मत फटको,[2] बिला शुब्हा वह बड़ी बेहयाई (की बात) है, और बुरी राह है। **(32)** और जिस शख़्स (के क़त्ल) को अल्लाह तआ़ला ने हराम फ़रमाया है उसको क़त्ल मत करो, हाँ मगर हक़ पर।[3] और जो शख़्स नाहक़ क़त्ल किया जाए तो हमने उसके वारिस को इख़्तियार दिया है।[4] सो उसको क़त्ल के बारे में (शरीअ़त की) हद से आगे न बढ़ना चाहिए। वह शख़्स तरफ़दारी के क़ाबिल है। **(33)** और यतीम के माल के पास न जाओ[5] मगर ऐसे तरीक़े से जो कि पसन्दीदा है, यहाँ तक कि वह अपने बालिग़ होने की उम्र को पहुँच जाए, और (जायज़) अ़हद को पूरा किया करो,[6] बेशक (ऐसे) अ़हद की (क़ियामत में) पूछताछ और बाज़पुर्स होने वाली है। **(34)** और जब नाप-तौलकर दो तो पूरा नापो और सही तराज़ू से तौलकर दो। यह (अपने आप में भी) अच्छी बात है और इसका अन्जाम भी अच्छा है। **(35)** और जिस बात की तुझको तहक़ीक़ न हो उसपर अ़मल दरामद मत किया कर, क्योंकि कान, आँख और दिल हर शख़्स से इन सबकी (क़ियामत के दिन) पूछ होगी।[7] **(36)** और ज़मीन पर इतराता हुआ मत चल, (क्योंकि) तू न ज़मीन को फाड़ सकता है और न (बदन को तानकर) पहाड़ों की लम्बाई को पहुँच सकता है। **(37)** ये सारे बुरे काम तेरे रब के नज़दीक बिलकुल नापसन्द हैं। **(38)** ये बातें उस हिक्मत में की हैं जो ख़ुदा तआ़ला ने आप पर वह्य के ज़रिये से भेजी हैं, और अल्लाह बरहक़ के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत करना, वरना तू इल्ज़ाम खाया हुआ और मरदूद होकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। **(39)** तो क्या तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ ख़ास किया है और ख़ुद फ़रिश्तों को (अपनी) बेटियाँ बनाई हैं, बेशक तुम बड़ी (सख़्त) बात कहते हो।[8] **(40)** ❖

और हमने इस क़ुरआन में तरह-तरह से बयान किया है ताकि (उसको) अच्छी तरह से समझ लें, और उनको (इस तौहीद से) नफ़रत ही बढ़ती जाती है। **(41)** आप फ़रमाइए कि अगर उसके साथ और माबूद भी

(पृष्ठ 514 का शेष) जिसपर 'अरादल् आख़ि-र-त' दलालत कर रहा है। (२) अ़मल का शरीअ़त के मुताबिक़ सही होना जिसपर 'सअ़्युहा' दलालत कर रहा है। (३) अ़क़ीदे का सही होना, जिसपर 'मुअ़्मिनुन' दलालत कर रहा है। क़बूल होने की शर्तें ये हैं, और इनके बग़ैर मक़बूल नहीं।

3. यानी मक़बूल लोगों की।

4. यानी ग़ैर-मक़बूल लोगों की।

5. 'इर्हम्हुमा' में जो दुआ़ के लिए फ़रमाया है, ज़ाहिर में यह हुक्म पसन्दीदा और मुस्तहब होने के लिए है। और बाज़ ने कहा है कि इससे वाजिब होना साबित होता है। इस सूरत में उम्र भर में एक बार दुआ़ करने से भी वाजिब अदा हो जाएगा और शरई दलीलों से यह दुआ़ करना ईमान के साथ ख़ास है, यानी माँ-बाप मोमिन हों, अलबत्ता अगर कुफ़्र की हालत में ज़िन्दा हों और रहमत की दुआ़ हिदायत की दुआ़ के मायने में की जाए तो जायज़ है।

6. बेजा ख़र्च करने का हासिल यह है कि गुनाह की जगह में ख़र्च करना, चाहे वह गुनाह अपनी ज़ात के एतिबार से हो जैसे शराब व जुआ और ज़िना, चाहे ग़ैर के साथ हो जैसे मुबाह काम में शोहरत व बड़ाई की नीयत से ख़र्च करना।

7. यानी दिलजोई के साथ उनसे वायदा कर लेना कि इन्शा-अल्लाह कहीं से आएगा तो देंगे, और दिल दुखाने वाला जवाब मत देना।

8. कि बुख़्ल की वजह से बिलकुल ही हाथ रोक लिया जाए।

9. कि फ़ुज़ूल-ख़र्ची की जाए।

10. इससे यह मक़सूद नहीं कि कोई किसी का ग़म न करे। बल्कि मतलब यह है कि दूसरे के नफ़े के लिए अपने को दीनी नुक़सान पहुँचाना, या ऐसा दुनियावी नुक़सान बर्दाश्त करना जिसका अन्जाम दीनी नुक़सान हो, इससे मना किया गया है।

1. चूँकि जाहिलियत के ज़माने में बाज़ आदमी बेटियों को तंगदस्ती के ख़ौफ़ से मार डालते थे, इसलिए औलाद से मुराद लड़कियाँ होंगी। और औलाद के उन्वान से ताबीर करना ताल्लुक़ व ख़ुसूसियत ज़ाहिर करने के लिए है कि रहम व शफ़क़त जोश में आए।

2. यानी ऐसी चीज़ों से भी बचो जो उसकी तरफ़ ले जाएँ। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 518 पर)**

होते जैसे कि ये लोग कहते हैं तो उस हालत में अ़र्श वाले तक[1] उन्होंने रास्ता ढूँढ लिया होता।[2] **(42)** ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह तआ़ला उससे पाक और बहुत ज़्यादा बरतर है। **(43)** (तमाम) सातों आसमान और ज़मीन और उनमें जितने हैं उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि तारीफ़ के साथ उसकी पाकी (अपनी ज़बान से या अपने हाल से) बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उनके पाकी बयान करने को समझते नहीं हो,[3] वह बड़ा हलीम है, बड़ा ग़फ़ूर है। **(44)** और जब आप क़ुरआन पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते उनके दरमियान एक पर्दा आड़ कर देते हैं। **(45)** और (वह पर्दा यह है कि) हम उनके दिलों पर इससे पर्दा डाल देते हैं कि वे इस (क़ुरआन के मक़सद) को समझें, और उनके कानों में डाट दे देते हैं,[4] और जब आप क़ुरआन में सिर्फ़ अपने रब का ज़िक्र करते हैं तो वे लोग नफ़रत करते हुए पीठ फेरकर चल देते हैं। **(46)** जिस वक़्त ये लोग आपकी तरफ़ कान लगाते हैं तो हम ख़ूब जानते हैं जिस ग़रज़ से ये सुनते हैं,[5] और जिस वक़्त ये लोग आपस में सरगोशियाँ "यानी चुपके-चुपके बातें" करते हैं, जबकि ये ज़ालिम यूँ कहते हैं कि तुम लोग महज़ ऐसे शख़्स का साथ दे रहे हो जिसपर जादू का असर हो गया है। **(47)** आप देखिए तो ये लोग आपके लिए कैसे-कैसे लक़ब तजवीज़ करते हैं। सो ये लोग गुमराह हो गए, रास्ता नहीं पा सकते।[6] ◆ **(48)** और ये लोग कहते हैं कि क्या जब हम (मरने के बाद) हड्डियाँ और चूरा हो जाएँगे, तो क्या हम नए सिरे से पैदा और ज़िन्दा किए जाएँगे। **(49)** आप (जवाब में) फ़रमा दीजिए कि तुम पत्थर या लोहा **(50)** या और कोई ऐसी मख़्लूक़ होकर देख लो जो तुम्हारे ज़ेहन में बहुत ही दूर की चीज़ हो।[7] इसपर पूछेंगे कि वह कौन है जो हमको दोबारा ज़िन्दा करेगा? आप फ़रमा दीजिए कि वह वह है जिसने तुमको अव्वल बार पैदा किया था। इसपर आपके आगे सर हिला-हिलाकर कहेंगे कि (अच्छा बतलाओ) यह कब होगा? आप फ़रमा दीजिए कि अ़जब नहीं यह क़रीब ही

(पृष्ठ 516 का शेष) 3. यानी जब क़त्ल के वाजिब या जायज़ होने का कोई शरई सबब पाया जाए तो क़त्ल करना दुरुस्त है, और उस वक़्त वह इस हुक्म में दाख़िल नहीं।

4. वारिस से मुराद वह शख़्स है जिसको बदला लेने का हक़ हो, अगर कोई वारिस मौजूद हो तो वह, वरना बादशाह।

5. यानी [illegible]में तसर्रुफ़ मत करो।

6. अ़हद में अल्लाह के तमाम अहकाम और बन्दों के दरमियान हुए तमाम मुआ़हदे भी दाख़िल हो गए।

7. इसलिए बेतहक़ीक़ बात पर यक़ीन करके उसपर अ़मल-दरामद मत करो।

8. बड़ी सख़्त बात इसलिए कि एक तो अल्लाह तआ़ला के लिए औलाद क़रार देना, फिर औलाद भी वह जो कि अपने लिए नाकारा समझी जाए, जिससे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ दो कमियों की निस्बत करना लाज़िम आया।

1. यानी हक़ीक़ी ख़ुदा तक।

2. यानी मुख़ालफ़त और मुक़ाबला सामने आता, फिर दुनिया का मौजूदा निज़ाम कैसे बाक़ी रहता, हालाँकि दुनिया का निज़ाम क़ायम है। तो मालूम हुआ कि फ़साद व बिगाड़ का सबब यानी कई ख़ुदाओं का होना, मौजूद नहीं।

3. तस्बीहे-हाली को इसलिए नहीं समझते कि उसकी हक़ीक़त इस्तिदलाल है, और वह मौक़ूफ़ है सोच-विचार पर, और तुम सोच-विचार नहीं करते। और ज़बान की तस्बीह को बाज़ चीज़ों में तो इसलिए कि वह कशफ़ी उमूर से मुताल्लिक़ है और मोमिनों की ज़बानी तस्बीह को इसलिए कि बावजूद सुनने के उसके मायने और उसकी हक़ीक़त में ग़ौर व फ़िक्र नहीं करते।

4. यानी वह पर्दा न समझना और समझने का इरादा न करना है, जिससे वे आपकी शाने नुबुव्वत नहीं समझ सकते।

5. यानी उनकी ग़रज़ यही एतिराज़ करना और ताना देना है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 520 पर)**

आ पहुँचा हो। **(51)** यह उस दिन होगा कि अल्लाह तुमको पुकारेगा और तुम (बिला इख़्तियार) उसकी तारीफ़ करते हुए हुक्म का पालन कर लोगे, और तुम यह ख़्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम रहे थे।[1] **(52)** ❖

और आप मेरे (मुसलमान) बन्दों से कह दीजिए कि ऐसी बात कहा करें जो बेहतर हो,[2] शैतान (सख़्त-कलामी कराके) लोगों में फ़साद डलवा देता है, वाक़ई शैतान इनसान का खुला दुश्मन है। **(53)** तुम सबका हाल तुम्हारा परवर्दिगार ख़ूब जानता है, अगर वह चाहे तुमपर रहमत फ़रमाए या अगर वह चाहे तुमको अ़ज़ाब देने लगे। और हमने आप (तक) को उन (की हिदायत) का ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजा।[3] **(54)** और आपका परवर्दिगार ख़ूब जानता है उनको जो कि आसमानों में हैं और ज़मीन में हैं,[4] और हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है, और हम दाऊद को ज़बूर दे चुके हैं।[5] **(55)** आप फ़रमा दीजिए कि जिनको तुम अल्लाह तआ़ला के सिवा (माबूद) क़रार दे रहे हो, ज़रा उनको पुकारो तो सही। सो (यक़ीनन) वे न तुमसे तकलीफ़ को दूर करने का इख़्तियार रखते हैं और न (उसके) बदल डालने का। **(56)** ये लोग जिनको ये (मुश्रिक लोग) पुकार रहे हैं, वे ख़ुद ही अपने रब की तरफ़ ज़रिया ढूँढ रहे हैं,[6] कि उनमें कौन ज़्यादा मुक़र्रब "यानी क़रीबी" (बनता) है। और वे उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अ़ज़ाब से डरते हैं। (और) वाक़ई आपके रब का अ़ज़ाब है भी डरने के क़ाबिल।[7] **(57)** और (काफ़िरों की) ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको हम क़ियामत से पहले हलाक न करेंगे, या (क़ियामत के दिन) उसको सख़्त अ़ज़ाब न देंगे।[8] यह (बात) किताब (यानी लौहे महफ़ूज़) में लिखी हुई है। **(58)** और हमको ख़ास (फ़रमाइशी) मोजिज़ों के भेजने से यही बात रोक हुई कि पहले लोग उनको झुठला चुके हैं,[9] और हमने क़ौमे समूद को ऊँटनी दी थी जो कि बसीरत "यानी समझ और दानाई" का ज़रिया थी, सो उन लोगों ने उसके साथ ज़ुल्म किया, और हम ऐसे मोजिज़ों को साफ़ डराने के लिए भेजा करते हैं। **(59)** और (आप वह वक़्त याद कर लीजिए) जबकि हमने आपसे कहा था कि आपका रब अपने इल्म से तमाम लोगों को घेरे हुए है, और हमने जो तमाशा आपको (जागने की हालत में मेराज के अन्दर) दिखलाया था, और जिस दरख़्त की क़ुरआन में मज़म्मत "यानी निंदा" की गई है, हमने तो उन (दोनों चीज़ों) को उन लोगों के लिए गुमराही का सबब कर दिया, और हम उनको डराते रहते हैं

(पृष्ठ 518 का शेष) 6. क्योंकि ऐसे उमूर से सलाहियत ज़ाया हो जाती है।

7. जब उस चीज़ का ज़िन्दा करना मुम्किन है जो बहुत मुश्किल और दूर की बात है तो जो चीज़ आसान और क़रीब है उसका ज़िन्दा करना तो ज़्यादा आसानी से मुम्किन है। और 'कूनू' से मक़सूद हुक्म नहीं है बल्कि यह बताना है कि अगर पत्थर और लोहा भी हो जाओ तब भी उसकी क़ुदरत से ख़ारिज नहीं हो सकते।

1. क्योंकि क़ब्र और दुनिया में उस दिन के मुक़ाबले में फिर भी राहत थी, और राहत व आराम का ज़माना सख़्ती और परेशानी के ज़माने के सामने कम मालूम होता है।

2. यानी उसमें बुरा-भला कहना और सख़्ती और उत्तेजना न हो।

3. इसलिए सख़्ती करने की ज़रूरत नहीं। मगर मुराद इससे बेज़रूरत सख़्ती करना है जैसा कि अक्सर लड़ाई-झगड़ों में हो जाती है, वरना ज़रूरत और मस्लहत के मौक़े पर तो क़िताल तक की भी इजाज़त है।

4. ऊपर 'व इज़ा क़रअ्तल् क़ुरआ-न' और 'क़ालू अ-इज़ा कुन्ना' में कुफ़्फ़ार के रिसालत और मरने के बाद ज़िन्दा होने के इनकार पर दलालत थी, रिसालत के इनकार के अन्य कारणों में से उनका एक ख़्याल यह भी था कि रसूल फ़रिश्ता होना चाहिए, या अगर आदमी हो तो कोई सरदार और दुनियावी एतिबार से बड़ा आदमी हो। अब इस शुब्हे का जवाब और दाऊद अ़लैहिस्सलाम के ज़िक्र से आपकी रिसालत की ताईद और सब रसूलों में आपके अफ़ज़ल होने की तरफ़ मुख़्तसर इशारा फ़रमाते हैं।

5. ज़बूर की ख़ास करने में यह नुक्ता है कि उसमें हुज़ूर सल्ल. के हुकूमत व बादशाही वाला होने की ख़बर दी गई है।

6. यानी इताअ़त व इबादत में मश्ग़ूल हैं, ताकि अल्लाह तआ़ला का क़ुर्ब (यानी नज़दीकी) मयस्सर हो जाए। और चाहते हैं कि और ज़्यादा निकटता हो जाए। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 522 पर)**

लेकिन उनकी बड़ी सरकशी बढ़ती ही चली जाती है। **(60)** ❖

और जबकि हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो, सो उन सबने सज्दा किया मगर इब्लीस "यानी शैतान" ने (न किया और) कहा कि क्या मैं ऐसे शख़्स को सज्दा करूँ जिसको आपने मिट्टी से बनाया है।[1] **(61)** कहने लगा कि इस शख़्स को जो आपने मुझपर फ़ौकियत "यानी बरतरी" दी है तो भला बताइए (तो, ख़ैर) अगर आपने मुझको कियामत के ज़माने तक मोहलत दे दी तो मैं (भी) सिवाय थोड़े-से लोगों के इसकी तमाम औलाद को अपने बस में करूँगा।[2] **(62)** इर्शाद हुआ, जा जो शख़्स उनमें से तेरे साथ हो लेगा, सो तुम सबकी सज़ा जहन्नम है, सज़ा पूरी। **(63)** और उनमें से जिस-जिसपर तेरा क़ाबू चले, अपनी चीख़-पुकार से[3] उसका क़दम उखाड़ देना, और उनपर अपने सवार और प्यादे चढ़ा लाना,[4] और उनके माल और औलाद में अपना साझा कर लेना,[5] और उनसे वायदा करना (कि गुनाहों पर पकड़ न होगी) और शैतान उन लोगों से बिलकुल झूठे वायदे करता है। **(64)** मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा ज़रा क़ाबू न चलेगा और आपका रब काफ़ी कारसाज़ है। **(65)** तुम्हारा रब ऐसा (नेमत देने वाला) है कि तुम्हारे लिए कश्ती को दरिया में ले चलता है ताकि तुम उसके रिज़्क़ की तलाश करो, बेशक वह तुम्हारे हाल पर बहुत मेहरबान है। **(66)** और जब तुमको दरिया में कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सिवाय उस (ख़ुदा) के और जितनों की तुम इबादत करते थे, सब ग़ायब हो जाते हैं,[6] फिर जब तुमको ख़ुश्की की तरफ़ बचा लाता है तो तुम फिर (पहली आदत के मुताबिक़) फिर जाते हो, और (वाक़ई) इनसान है बड़ा नाशुक्रा। **(67)** तो क्या तुम इस बात से बेफ़िक्र हो (बैठे हो) कि तुमको ख़ुश्की की तरफ़ लाकर ज़मीन में धँसा दे, या तुमपर कोई ऐसी तेज़ हवा भेज दे जो कंकर पत्थर बरसाने लगे, फिर तुम किसी को अपना कारसाज़ न पाओ। **(68)** या तुम इससे बेफ़िक्र हो गए कि वह (अल्लाह) फिर तुमको दरिया ही में दोबारा ले जाए, फिर तुमपर हवा का सख़्त तूफ़ान भेज दे, फिर तुमको तुम्हारे कुफ़्र के सबब डुबो दे, फिर इस बात पर कोई हमारा पीछा करने वाला तुमको न मिले। **(69)** और हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी,[7] और हमने उनको ख़ुश्की और दरिया में सवार किया और उम्दा-उम्दा चीज़ें उनको अता फ़रमाईं। और हमने उनको अपनी बहुत-सी मख़्लूक़ पर बरतरी दी।[8] **(70)** ❖

(पृष्ठ 520 का शेष) **7.** मतलब यह है कि जब वे ख़ुद इबादत करने वाले हैं तो माबूद क्योंकर होंगे, और जब वे ख़ुद ही रहमत के हासिल करने में अल्लाह तआला के मोहताज हैं तो औरों को क्या नफ़ा पहुँचा सकते हैं। इसी तरह जब वे ख़ुद नुक़सान यानी अ़ज़ाब से बचने में अल्लाह तआला के मोहताज हैं तो औरों से नुक़सान को क्या दूर कर सकते हैं, लिहाज़ा उनका माबूद व मददगार बनाना महज़ बातिल होगा।

8. पस अगर कोई काफ़िर यहाँ किसी आफ़त में हलाक होने से बच गया तो कियामत के दिन बड़ी आफ़त से न बचेगा। आफ़त की क़ैद इसलिए है कि तबई मौत से तो सब ही हलाक होते हैं इसमें कुफ़्र की कोई ख़ुसूसियत नहीं।

9. और तबीयतें इनकी और उनकी एक जैसी हैं, पस ये भी झुठलाएँगे।

1. इसपर मरदूद हुआ और धुतकारा गया।

2. अगर कोई यह सवाल करे कि शैतान को शुरू में यह कैसे मालूम हुआ कि मैं इनसानों को गुमराह करने और बहकाने पर क़ादिर हूँ, इसका जवाब यह है कि ग़ालिबन इनसान के मुख़्तलिफ़ क़ुव्वतों से मुरक्कब होने से उसको यह ख़्याल आया।

3. यानी बहकाने और वस्वसे से।

4. ताकि सब मिलकर गुमराह करने में ख़ूब ज़ोर लगाएँ।

5. यानी माल और औलाद को गुमराही का ज़रिया बना देना। चुनाँचे आँखों के सामने है कि यही दो चीज़ें ज़्यादातर गुमराही का अहम और ताक़तवर सबब हुआ करती हैं।

6. न सिर्फ़ ज़बान पर से बल्कि दिल से भी कि उनका ख़्याल ही नहीं आता, और फ़रियाद को पहुँचने से भी कि वे इम्दाद नहीं कर सकते, जिससे तुम्हारे हाल और ज़बान से एतिराफ़ करने से शिर्क का बातिल होना लाज़िम आता है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 524 पर)**

जिस दिन हम तमाम आदमियों को उनके आमालनामे समेत बुलाएँगे। फिर जिसका आमाल-नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, ऐसे लोग अपना आमाल-नामा पढ़ेंगे, और उनका ज़रा भी नुक़सान न किया जाएगा। **(71)** और जो शख़्स दुनिया में (नजात का रास्ता देखने से) अन्धा रहेगा, सो वह आख़िरत में भी (नजात की मन्ज़िल तक पहुँचने से) अन्धा रहेगा, और ज़्यादा भटका हुआ होगा। **(72)** और ये (काफ़िर) आपको उस चीज़ से बिचलाने ही लगे थे जो हमने आपपर वह्य के ज़रिये से भेजी है,[1] ताकि आप उसके सिवा हमारी तरफ़ ग़लत बात की निस्बत करें, और ऐसी हालत में आपको गहरा दोस्त बना लेते। **(73)** और अगर हमने आपको साबित क़दम न बनाया होता तो आप उनकी तरफ़ कुछ-कुछ झुकने के क़रीब जा पहुँचते। **(74)** (अगर ऐसा होता) तो हम आपको ज़िन्दगी की हालत में और मौत के बाद दोहरा (अ़ज़ाब) चखाते, फिर आप हमारे मुक़ाबले में कोई मददगार भी न पाते।[2] **(75)** और ये लोग इस सरज़मीन से आपके क़दम ही उखाड़ने लगे थे,[3] ताकि आपको इससे निकाल दें, और (अगर ऐसा हो जाता तो) आपके बाद ये भी बहुत कम ठहरने पाते। **(76)** जैसा कि उन (हज़रात) के बारे में (हमारा) क़ायदा रहा है जिनको आपसे पहले हमने रसूल बनाकर भेजा था, और आप हमारे (इस) क़ायदे में बदलाव न पाएँगे।[4] **(77)** ❖

सूरज ढलने के बाद से रात के अंधेरे (होने) तक नमाज़ें अदा किया कीजिए,[5] और सुबह की नमाज़ भी, बेशक सुबह की नमाज़ (फ़रिश्तों के) हाज़िर होने का वक़्त है।[6] **(78)** और किसी क़द्र रात के हिस्से में, सो उसमें तहज्जुद पढ़ा कीजिए, जो कि आपके लिए (फ़र्ज़ नमाज़ों के अ़लावा) ज़ायद चीज़ है, उम्मीद है कि आपका रब आपको मक़ामे-महमूद[7] में जगह देगा। **(79)** और आप (यूँ) दुआ़ कीजिए कि ऐ परवर्दिगार! मुझको ख़ूबी के साथ पहुँचाइयो, और मुझको ख़ूबी के साथ ले जाइयो,[8] और मुझको अपने पास से ऐसा ग़ल्बा दीजियो जिसके साथ मदद हो।[9] **(80)** और कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल गया गुज़रा हुआ। (और) वाक़ई बातिल चीज़ तो (यूँ ही) आती-जाती (रहती) है।[10] **(81)** और हम क़ुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि वे ईमान वालों के हक़ में तो शिफ़ा और रहमत है,[11] और नाइन्साफ़ों को उससे और उल्टा नुक़सान बढ़ता है। **(82)** और आदमी को जब हम नेमत अ़ता करते हैं तो मुँह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है,

---

(पृष्ठ 522 का शेष) 7. इनसान में बाज़ मख़्सूस सिफ़तें ऐसी हैं जो और जानदारों में नहीं, जैसे सूरत की ख़ूबसूरती जिसमें जिस्म का सीधा व क़ायम होना भी आ गया, और अ़क़्ल, और चीज़ों की ईजाद (यानी आविष्कार करना) वग़ैरह। और ये नेमतें पूरी इनसानियत के लिए हैं। पस बनी आदम (यानी आदम की औलाद) से मुराद तमाम इनसान हैं।

8. चूँकि ऊपर "कर्रम्ना" मुख़्तसर था इसलिए इससे यह शुब्हा हो सकता था कि उन सिफ़तों में जो ऊपर ज़िक्र हुई हैं, यह सबसे अफ़ज़ल है, हालाँकि यह बात हक़ीक़त के ख़िलाफ़ थी। क्योंकि ये सिफ़तें फ़रिश्तों पर फ़ज़ीलत का मदार नहीं हो सकतीं, और जो सिफ़तें फ़रिश्तों पर फ़ज़ीलत का मदार हैं वे तमाम औलादे-आदम (यानी इनसानों) में नहीं पाई जातीं, इसलिए 'फ़ज़्ज़ल्ना' में इस बात को वाज़ेह कर दिया कि मुराद इक्राम करने से बाज़ मख़्लूक़ पर फ़ज़ीलत देना है, यानी हैवानात और हैवानात से जो कम रुतबा हैं उनपर इनसानों को फ़ज़ीलत दी। पस यह आयत मुतकल्लिमीन के दरमियान ज़ेरे बहस मसले यानी फ़रिश्तों और इनसानों के एक-दूसरे से फ़ज़ीलत-याफ़्ता होने के बारे में ख़ामोश है।

1. यानी इस कोशिश में लगे थे कि आप हमारे हुक्म के ख़िलाफ़ करें, यानी ग़रीब मुसलमानों को अपने पास से हटा दें, या मुसलमान होने के लिए एक साल की मोहलत दे दें, जबकि ये दोनों मामले शरीअ़त के ख़िलाफ़ हैं।

2. मगर चूँकि आपको मासूम (यानी गुनाहों से महफ़ूज़) और सबित क़दम बनाया, इसलिए मामूली क़रीब होना और रुझान व मैलान भी नहीं हुआ, और 'ज़िअ़्फ़ल् हयाति व ज़िअ़्फ़ल ममाति' से भी बच गए।

3. यानी मक्का से या मदीना से।

4. कि जब उनकी क़ौम ने उनको वतन से निकाला तो ख़ुद उनको भी रहना नसीब न हुआ।

5. इसमें ज़ोहर, अ़स्र, मग़रिब, इशा चार नमाज़ें आ गईं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 526 पर)**

और जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो नाउम्मीद हो जाता है।[1] (83) आप फ़रमा दीजिए कि हर शख़्स अपने तरीक़े पर काम कर रहा है, सो तुम्हारा रब ख़ूब जानता है उसको जो ठीक रास्ते पर हो। (84) ❖

और ये लोग आपसे (इम्तिहान के तौर पर) रूह के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है,[2] और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है।[3] (85) और अगर हम चाहें तो जिस क़द्र वह्य आप पर भेजी है सब छीन लें, फिर उसके (वापस लाने के) लिए आपको हमारे मुक़ाबले में कोई हिमायती न मिले। (86) मगर (यह) आपके रब ही की रहमत है (कि ऐसा नहीं किया) बेशक आप पर उसका बड़ा फ़ज़्ल है। (87) आप फ़रमा दीजिए कि अगर तमाम इनसान और जिन्नात (इस बात के लिए) जमा हो जाएँ कि ऐसा क़ुरआन बना लाएँ तब भी ऐसा न ला सकेंगे, अगरचे एक दूसरे का मददगार भी बन जाए। (88) और हमने लोगों के (समझाने के) लिए हर क़िस्म का उम्दा मज़मून तरह-तरह से बयान किया है, फिर भी अक्सर लोग इनकार किए बग़ैर न रहे। (89) और ये लोग कहते हैं कि हम आप पर हरगिज़ ईमान न लाएँगे जब तक आप हमारे लिए (मक्का की) ज़मीन से कोई चश्मा जारी न कर दें। (90) या ख़ास आपके लिए खजूर और अंगूरों का कोई बाग़ न हो, फिर उस बाग़ के बीच-बीच में जगह-जगह बहुत-सी नहरें आप जारी कर दें। (91) या जैसा कि आप कहा करते हैं, आप आसमान के टुकड़े हमपर न गिरा दें, या आप अल्लाह को और फ़रिश्तों को (हमारे) सामने न (ला खड़ा) करें। (92) या आपके पास कोई सोने का बना हुआ घर न हो, या आप (हमारे सामने) आसमान पर न चढ़ जाएँ, और हम तो आपके (आसमान पर) चढ़ने को भी कभी यक़ीन न करें, जब तक कि (वहाँ से) आप हमारे पास एक तहरीर न लाएँ, जिसको हम पढ़ भी लें।[4] आप फ़रमा दीजिए कि सुब्हानल्लाह! मैं सिवाय इसके कि आदमी हूँ (मगर) पैग़म्बर हूँ और क्या हूँ। (कि इन फ़रमाइशों को पूरा करना मेरी क़ुदरत में हो)। (93) ❖

(पृष्ठ 524 का शेष) **6.** चूँकि सुबह का वक़्त नींद से उठने का था इसलिए इसका हुक्म भी अलग किया, और इसकी एक ख़ास बुज़ुर्गी भी बयान की।

7. जो शफ़ाअ़ते क़ुबरा का मक़ाम है। और शफ़ाअ़ते क़ुबरा वह है जिसमें तमाम मख़्लूक़ात के हिसाब-किताब शुरू होने की शफ़ाअ़त होगी।

8. यानी मक्का से जाने के बाद।

9. जिससे वह ग़ल्बा बढ़ता ही जाए, वरना आ़रज़ी (यानी अस्थाई) ग़ल्बा तो काफ़िरों को भी हो जाता है मगर वे अल्लाह की तरफ़ से मदद-याफ़्ता नहीं होते इसलिए जल्द ख़त्म हो जाता है। इसमें सुपुर्द करने का हुक्म हो गया।

10. चुनाँचे हिजरत के बाद मक्का फ़त्ह हुआ और सब वायदे पूरे हो गए।

11. क्योंकि वे उसे मानते हैं जिससे हक़ तआ़ला की रहमत उनपर होती है, और बुरे अ़क़ीदों व आमाल के मर्ज़ से शिफ़ा होती है।

1. ये दोनों बातें अल्लाह से बेताल्लुक़ी की दलील हैं, और यही बेताल्लुक़ी असली सबब है हिदायत की तरफ़ मुतवज्जह न होने का, और हक़ में ग़ौर न करने का, और इसी से कुफ़्र वग़ैरह पैदा होता है।

2. ज़ाहिर में मालूम होता है कि इसी रूह के मुताल्लिक़ सवाल था जिससे इनसान ज़िन्दा है। क्योंकि जब रूह मुतलक़ बोलते हैं यही समझी जाती है, और जवाब से ज़ाहिर में यह मालूम होता है कि नुसूस (यानी क़ुरआन व हदीस) में इसकी हक़ीक़त ज़ाहिर न करने की वजह बतलाई है, और उसके हादिस (यानी फ़ानी) होने का ज़रूरी अ़क़ीदा ज़ाहिर कर दिया गया है। अब यह बात कि किसी दूसरे तरीक़े से इसका इज़हार हो सकता है या होता है, आयत इसके साबित होने और न होने दोनों से ख़ामोश है, पस दोनों बातों की गुन्जाइश है, और कोई सी सूरत भी क़ुरआन व हदीस के ख़िलाफ़ नहीं।

3. यहाँ जो इल्म को क़लील यानी थोड़ा-सा फ़रमाया तो अल्लाह तआ़ला के इल्म के मुक़ाबले में, और दूसरी आयत में जो इल्म को 'ख़ैरे कसीर' (यानी बड़ी भलाई) फ़रमाया तो दुनिया के फ़ायदे और दौलत की निस्बत से, पस दोनों में कोई टकराव नहीं।

4. और उसमें आपके आसमान पर पहुँचने की तस्दीक़ रसीद के तौर पर लिखी हुई हो।

और जिस वक़्त उन लोगों के पास हिदायत पहुँच चुकी, उस वक़्त उनको ईमान लाने से सिवाय इसके और कोई (क़ाबिले तवज्जोह) बात रोक नहीं हुई कि उन्होंने कहा, क्या अल्लाह तआला ने आदमी को रसूल बनाकर भेजा है। **(94)** आप फ़रमा दीजिए कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते (रहते) होते कि इसमें चलते-बसते तो ज़रूर हम उनपर आसमान से फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेजते।[1] **(95)** आप (आख़िरी बात) कह दीजिए कि अल्लाह तआला मेरे और तुम्हारे दरमियान काफ़ी गवाह है, (क्योंकि) वह अपने बन्दों को ख़ूब जानता, ख़ूब देखता है। **(96)** और अल्लाह तआला जिसको राह पर लाए वही राह पर आता है, और जिसको वह बेराह कर दे तो ख़ुदा के सिवा आप किसी को भी ऐसों का मददगार न पाएँगे।[2] और हम क़ियामत के दिन उनको अंधा गूँगा बहरा करके मुँह के बल चलाएँगे, (फिर) उनका ठिकाना दोज़ख़ है। वह जब ज़रा धीमी होने लगेगी तब ही उनके लिए और ज़्यादा भड़काएँगे। ● **(97)** यह है उनकी सज़ा, इस सबब से कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था, और (यूँ) कहा था कि जब हम हड्डियाँ और बिलकुल चूरा-चूरा हो जाएँगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके (क़ब्रों से) उठाए जाएँगे। **(98)** क्या उन लोगों को (इतना) मालूम नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा किए वह इस बात पर (और भी ज़्यादा) क़ादिर है कि वह उन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे, और उनके लिए एक मीयाद मुतैयन कर रखी है, इसमें ज़रा भी शक नहीं, इसपर भी बेइन्साफ़ लोग इनकार किए बग़ैर न रहे।[3] **(99)** आप फ़रमा दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत (यानी नुबुव्वत) के ख़ज़ानों (यानी कमालात) के मुख़्तार होते तो उस सूरत में तुम (उसके) ख़र्च करने के अन्देशे से ज़रूर हाथ रोक लेते, और आदमी है ही बड़ा तँगदिल।[4] **(100)** ❖

और हमने मूसा को खुले हुए नौ मोजिज़े दिए,[5] जबकि वह उन (बनी इसराईल) के पास आए थे। सो आप बनी इसराईल से पूछ लीजिए। तो फ़िरऔन ने उनसे कहा कि ऐ मूसा मेरे ख़्याल में तो ज़रूर तुमपर किसी ने जादू कर दिया है। **(101)** (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया तू (दिल में) ख़ूब जानता है कि ये (अ़जीब चीज़ें) ख़ास आसमान और ज़मीन के रब ने ही भेजी हैं, जो कि बसीरत "यानी समझ व अ़क़्ल" के लिए (काफ़ी) ज़रिये हैं, और मेरे ख़्याल में ज़रूर तेरी कम-बख़्ती के दिन आ गए हैं। **(102)** फिर उसने चाहा

---

1. यह रिसालत के मुताल्लिक़ एक शुब्हे का जवाब है। वह शुब्हा यह कि रसूल आदमी न होना चाहिये, फ़रिश्ता होना चाहिए। जवाब का हासिल यह है कि रसूल और जिनके पास रसूल को भेजा जा रहा है उनमें मुनासबत ज़रूरी है। जिनके पास रसूल भेजा जा रहा है अगर वे फ़रिश्ते होते तो रसूल भी फ़रिश्ता होता। जब वे आदमी हैं तो रसूल भी आदमी होना चाहिए। अगर वस्वसा हो कि जब मुनासबत की ज़रूरत से हम-जिन्स होने की रियायत हुई तो फिर रसूल के पास जबकि वह इनसान होता है फ़रिश्ता कैसे आता है और क्योंकर फ़ैज़ होता है? जवाब यह है कि रसूल में चूँकि फ़रिश्ते की शान भी होती है इसलिए उसको फ़रिश्ते और इनसान दोनों से मुनासबत होती है, कि फ़रिश्ते से वह्य लेकर इनसानों को पहुँचा दे।

2. यानी जब तक ख़ुदा की तरफ़ से दस्तगीरी (यानी मदद) न हो, न हिदायत हो सकती है न अ़ज़ाब से बच सकते हैं। चुनाँचे ये लोग बावजूद हिदायत के असबाब के जमा होने के तौफ़ीक़ न होने की वजह से हिदायत तक न पहुँच सके।

3. ऊपर काफ़िरों का आपकी नुबुव्वत पर इनकार करना और आपसे बैर रखना ज़िक्र हुआ है, आगे फ़रमाते हैं कि अगर नुबुव्वत तुम्हारे इख़्तियार में होती तो तुम रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कभी न देते, मगर वह तो फ़ज़्ले ख़ुदा के हाथ में है, इसलिए तुम्हारा बैर, दुश्मनी और नागवारी रोक नहीं हो सकती।

4. यानी कभी भी किसी को न देते, इसके बावजूद कि वह चीज़ ऐसी होती कि देने से भी न घटती, मगर ख़ुद उसके देने ही को ख़र्च करने जैसा समझकर किसी को भी न देते। जैसे बाज़ लोग इल्म की बात बुख़्ल की इन्तिहा की वजह से नहीं बतलाया करते।

5. जिनका ज़िक्र पारा नम्बर नौ के रुकूअ़ नम्बर छह की पहली और चौथी आयत में है।

कि उन (बनी इसराईल) का उस सरज़मीन से क़दम उखाड़ दे,[1] सो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया। **(103)** और उसके बाद हमने बनी इसराईल को कह दिया कि (अब) तुम इस सरज़मीन में रहो (सहो) फिर जब आख़िरत का वायदा आ जाएगा तो हम सबको जमा करके ला हाज़िर करेंगे। **(104)** और हमने इस (क़ुरआन) को रास्ती ही के साथ नाज़िल किया और वह रास्ती ही के साथ नाज़िल हो गया,[2] और हमने आपको सिर्फ़ ख़ुशी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है।[3] **(105)** और क़ुरआन में हमने जगह-जगह फ़ासला रखा, ताकि आप इसको लोगों के सामने ठहर-ठहर कर पढ़ें, और हमने इसको उतारने में भी दर्जा-बदर्जा और सिलसिलेवार उतारा।[4] **(106)** आप कह दीजिए कि तुम इस (क़ुरआन) पर चाहे ईमान लाओ चाहे ईमान न लाओ, जिन लोगों को इस (क़ुरआन) से पहले (दीन का) इल्म दिया गया था[5] यह (क़ुरआन) जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं **(107)** और कहते हैं कि हमारा रब (वायदा-ख़िलाफ़ी से) पाक है, बेशक हमारे परवर्दिगार का वायदा ज़रूर पूरा ही होता है।[6] **(108)** और ठोड़ियों के बल गिरते हैं रोते हुए।[7] और यह (क़ुरआन मजीद) उनका ख़ुशू "यानी आ़जिज़ी" बढ़ा देता है। ❑ **(109)** आप फ़रमा दीजिए कि चाहे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। जिस (नाम) से भी पुकारोगे, सो उसके बहुत अच्छे (अच्छे) नाम हैं।[8] और अपनी नमाज़ में न तो बहुत पुकारकर पढ़िए और न बिलकुल चुपके-चुपके ही पढ़िए, और दोनों के दरमियान एक तरीक़ा इख़्तियार कर लीजिए। **(110)** और कह दीजिए कि तमाम ख़ूबियाँ उसी अल्लाह (तआ़ला) के लिए (ख़ास) हैं, जो न औलाद रखता है और न बादशाहत में कोई उसका शरीक है, और न कमज़ोरी की वजह से उसका कोई मददगार है। और उसकी बड़ाइयाँ ख़ूब बयान किया कीजिए।[9] **(111)** ❖

18 सूरः कह्फ़ 69

सूरः कह्फ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 110 आयतें और 12 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[10]तमाम ख़ूबियाँ उस अल्लाह के लिए (साबित) हैं जिसने अपने (ख़ास) बन्दे पर (यह) किताब नाज़िल फ़रमाई, और इसमें ज़रा भी टेढ़ नहीं रखी। **(1)** बिलकुल इस्तिक़ामत "यानी मज़बूती" के साथ मौसूफ़ बनाया ताकि वह एक सख़्त अ़ज़ाब से जो कि अल्लाह की तरफ़ से होगा, डराए। और उन ईमान वालों को जो नेक

---

1. यानी उनको शहर-निकाला दे दे।
2. यानी जिस तरह कातिब (लिखने वाले) के पास से चला था उसी तरह मक्तूब इलैहि (जिसके लिए लिखा था, उस) तक पहुँच गया, और दरमियान में कोई अदलाव-बदलाव और तसर्रुफ़ नहीं हुआ। पस वह पूरी तरह रास्ती ही रास्ती (यानी सच्चाई और दुरुस्ती) है।
3. इसलिए अगर कोई ईमान न लाए तो कुछ ग़म न कीजिए।
4. ताकि वे अच्छी तरह समझ सकें और ताकि मायने ख़ूब ज़ाहिर हो जाएँ।
5. यानी अहले किताब के इन्साफ़-पसन्द उलमा।
6. सो जिस किताब का जिस नबी पर नाज़िल करने का वायदा पहली किताबों में किया था उसको पूरा फ़रमा दिया।
7. यह सज्दे में गिरना या तो शुक्र के तौर पर है कि पहली किताबों में दर्ज वायदा पूरा हुआ, या ताज़ीम व बुज़ुर्गी के लिए है कि क़ुरआन सुनकर हैबत तारी होती है, या किनाया है इन्तिहाई यक़ीन और आ़जिज़ी व इन्किसारी से। और सज्दा चेहरे के बल होता है मगर ठोड़ी के बल कहना मुबालग़े के लिए है, कि अपने चेहरे को ज़मीन और मिट्टी से इस क़द्र लगा देते हैं कि ठोड़ी लगने के क़रीब हो जाती है।
8. इसमें शिर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं क्योंकि मुसम्मा (यानी जिसके ये नाम हैं, वह) तो एक ही है, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 532 पर)**

काम करते हैं (यह) ख़ुशख़बरी दे कि उनको अच्छा अज्र मिलेगा। **(2)** जिसमें वे हमेशा रहेंगे। **(3)** और ताकि उन लोगों को डराए जो (यूँ) कहते हैं (हम अल्लाह तआ़ला की पनाह चाहते हैं) कि अल्लाह तआ़ला औलाद रखता है। **(4)** न तो इसकी कोई दलील उनके पास है और न उनके बाप-दादों के पास थी। बड़ी भारी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। (और) वे लोग बिलकुल ही झूठ बकते हैं। **(5)** सो शायद आप उनके पीछे ग़म से अपनी जान दे देंगे, अगर ये लोग इस (क़ुरआनी) मज़मून पर ईमान न लाए। (यानी इतना ग़म न करें कि हलाकत के क़रीब कर दे)। **(6)** हमने ज़मीन पर की चीज़ों को उस (ज़मीन) के लिए रौनक़ का सबब बनाया, ताकि हम लोगों की आज़माइश करें कि उनमें ज़्यादा अच्छा अ़मल कौन करता है।[1] **(7)** और हम इस (ज़मीन) पर की तमाम चीज़ों को एक साफ़ मैदान (यानी फ़ना) कर देंगे।[2] **(8)** क्या आप (यह) ख़्याल करते हैं कि ग़ार वाले और पहाड़ वाले हमारी (क़ुदरत की) अ़जीब चीज़ों में से कुछ ताज्जुब की चीज़ थे?[3] **(9)** (वह वक़्त ज़िक्र के क़ाबिल है) जबकि उन नौजवानों ने (उस) ग़ार में जाकर पनाह ली, फिर कहा कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको अपने पास से रहमत (का सामान) अ़ता फ़रमाइए, और हमारे लिए हमारे (इस) काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दीजिए। **(10)** सो हमने (उस) ग़ार में उनके कानों पर सालों तक (नींद का) पर्दा डाल दिया।[4] **(11)** फिर हमने उनको उठाया ताकि हम मालूम कर लें कि उन दोनों गिरोह में से कौनसा (गिरोह) उनके रहने की मुद्दत का ज़्यादा जानकार था। **(12)** ❖

हम उनका वाक़िआ़ आपसे ठीक-ठीक बयान करते हैं,[5] वे लोग कुछ नौजवान थे, जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में और तरक़्क़ी कर दी थी। **(13)** और हमने उनके दिल मज़बूत कर दिए, जबकि वे (दीन में) पक्के होकर कहने लगे कि हमारा रब (तो वह है जो) आसमानों और ज़मीन का रब है। हम तो उसको छोड़कर किसी माबूद की इबादत न करेंगे, (क्योंकि) उस सूरत में हमने यक़ीनन बड़ी ही बेजा बात कही। **(14)** यह जो हमारी क़ौम है, उन्होंने ख़ुदा को छोड़कर और माबूद क़रार दे रखे हैं, ये लोग उन (माबूदों) पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते। तो उस शख़्स से ज़्यादा कौन ग़ज़ब ढाने वाला होगा? जो अल्लाह तआ़ला पर झूठी तोहमत लगा दे। **(15)** और जब तुम उन लोगों से अलग हो गए हो और उनके माबूदों से भी, मगर अल्लाह तआ़ला से (अलग नहीं हुए) तो तुम (फ़लाँ) ग़ार में चलकर पनाह लो, तुमपर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस काम में कामयाबी का सामान दुरुस्त कर

(पृष्ठ 530 का शेष) नाम अनेक हैं। शिर्क जब वाजिब होता जब मुसम्मा दूसरा होता।

9. सूरः को तस्बीह (यानी अल्लाह की पाकी के बयान) से शुरू किया, तम्हीद व तकबीर (यानी अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई के बयान) पर ख़त्म किया। पस 'सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वल्लाहु अकबर' के मायनों पर शुरूआत और ख़ात्मा हुआ।

10. इस सूरः में ये मज़ामीन हैं, तौहीद व रिसालत की बहसें, दुनिया का फ़ानी व ज़लील होना, आख़िरत की जज़ा व सज़ा, तकब्बुर व झगड़े की बुराई, शिर्क का बातिल होना, रिसालत व तौहीद और मरने के बाद ज़िन्दा होने पर दलालत करने के लिए कुछ क़िस्से, और इन सबके अन्दर ताल्लुक़ व मुनासबत ज़ाहिर है कि इन सब मज़ामीन को ईमान के हासिल होने में दख़ल है।

1. यानी कौन तो इसके ज़ीनत के असबाब में मश्ग़ूल होकर हक़ तआ़ला से ग़ाफ़िल हो जाता है, और कौन इसपर फ़रेफ़्ता न होकर हक़ तआ़ला की तरफ़ मश्ग़ूल होता है। ग़रज़ यह आज़माइश का घर ठहरा, पस ज़रूरी हुआ कि कोई कुफ़्र में मुब्तला हो और कोई ईमान से शर्फ़ (इज़्ज़त व सम्मान) पाए, फिर ग़म बेकार है, आप अपना काम किए जाइए और उनके कुफ़्र के नतीजे की फ़िक्र में न पड़िए कि उसका मुरत्तब करना हमारा काम है।

2. क़ुरैश के काफ़िरों ने यहूद के सिखलाने से नुबुव्वत के इम्तिहान के लिए आपसे तीन सवाल किए थे, एक रूह के मुताल्लिक़ जिसका जवाब पिछली सूरः में गुज़र चुका है। एक 'अस्हाबे कहफ़' का क़िस्सा जिसका अभी ज़िक्र होता है। एक ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा जो इस सूरः के आख़िर में आएगा। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 534 पर)**

देगा। **(16)** और (ऐ मुख़ातब!) जब धूप निकलती है तो तू उसको देखेगा कि वह उनके ग़ार के दाहिनी तरफ़ को बची रहती है,[1] और जब छुपती है तो (ग़ार के) बाईं तरफ़ हटी रहती है।[2] और वे लोग उस ग़ार की एक कुशादा जगह में थे। यह अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसको वह बेराह कर दे तो आप उसके लिए कोई मददगार, राह बताने वाला न पाएँगे। **(17)** ❖

और (ऐ मुख़ातब!) तू उनको जागता हुआ ख़्याल करता, हालाँकि वे सोते थे, और हम उनको (कभी) दाहिनी तरफ़ और (कभी) बाईं तरफ़ करवट दे देते थे, और उनका कुत्ता दहलीज़ पर अपनें दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर (ऐ मुख़ातब!) तू उनको झाँककर देखता तो उनसे पीठ फेरकर भाग खड़ा होता, और तेरे अन्दर उनकी दहशत समा जाती।[3] **(18)** और इसी तरह हमने उनको जगा दिया, ताकि वे आपस में पूछताछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम (नींद की हालत में) कितनी देर रहे होगे? (उनमें से बाज़ों ने) कहा कि (ग़ालिबन) एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम रहे होंगे। (दूसरे कुछ ने) कहा कि यह तो तुम्हारे खुदा ही को ख़बर है कि तुम कितनी देर रहे, अब अपने में से किसी को यह रुपया देकर शहर की तरफ़ भेजो, फिर वह खोज करे कि कौन-सा खाना (हलाल) है,[4] सो उसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना ले आए। और (सब काम) बड़ी होशियारी (से) करे, और किसी को तुम्हारी ख़बर न होने दे। **(19)** (क्योंकि) अगर वे लोग तुम्हारी ख़बर पा जाएँगे तो तुमको या तो पत्थरों से मार डालेंगे या तुमको अपने तरीक़े में फिर कर लेंगे, "यानी वापस उसी में लौट लेंगे" और (ऐसा हुआ तो) तुमको कभी कामयाबी न होगी। **(20)** और इसी तरह हमने (लोगों को) उनपर मुत्तला कर दिया, ताकि वे लोग इस बात का यक़ीन कर लें कि अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा है, और यह कि क़ियामत में कोई शक नहीं। (वह वक़्त भी ज़िक्र के क़ाबिल है) जबकि (उस ज़माने के लोग) उनके मामले में आपस में झगड़ रहे थे,[5] सो उन लोगों ने कहा कि उनके पास कोई इमारत बनवा दो, उनका रब उनको ख़ूब जानता था। जो लोग अपने काम पर ग़ालिब थे उन्होंने कहा[6] कि हम तो उनके पास एक मस्जिद बना देंगे।[7] **(21)** (कुछ लोग तो) कहेंगे कि वे तीन हैं चौथा उनका कुत्ता है, और (कुछ) कहेंगे कि वे

(पृष्ठ 532 का शेष) 3. ग़ार वाले और पहाड़ वाले दोनों एक ही जमाअ़त के लक़ब हैं।

4. यानी ऐसे बेख़ुद होकर सोए कि कोई आवाज़ उनके कान में न पहुँचती थी, और इसमें ज़्यादा मुबालग़ा है इसके मुक़ाबले में कि कहा जाए कि आँख पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि आँख तो बिना गहरी नींद के भी चीज़ों के देखने से सुस्त और बेकार हो जाती है।

5. चूँकि लोगों ने इसको मुख़्तलिफ़ तौर पर मशहूर किया था इसलिए फ़रमाया कि ठीक वह है जो क़ुरआन में है।

1. यानी ग़ार के दरवाज़े से अलग रहती है।

2. यानी उस वक़्त भी दरवाज़े पर नहीं पड़ती ताकि धूप से तकलीफ़ न हो। ग़ार की दाहिनी और बाईं जानिब या तो उसमें दाख़िल होने वाले के एतिबार से है, या उससे निकलने वाले के एतिबार से। पस पहली सूरत में वह ग़ार उत्तर मुँहाना होगा और दूसरी सूरत में दक्षिण मुँहाना। और पूरब मुँहाना होने में सूरज निकलने के वक़्त उनपर धूप पड़ती और पश्चिम मुँहाना होने में सूरज छुपने के वक़्त, और मक़सूद इससे उस जगह का महफ़ूज़ होना है।

3. ग़ालिबन ये सब चीज़ें उनकी हिफ़ाज़त के असबाब हैं। इस आयत में आ़म लोगों को ख़िताब है, पस इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मरऊब होना लाज़िम नहीं आता।

4. क्योंकि उनके ग़ार में छुपने के ज़माने में बुतों के नाम पर ज़िब्ह किया हुआ गोश्त कस्रत से बिकता था।

5. वह मामला उनकी लाशों की हिफ़ाज़त की ग़रज़ से या निशान के लिए यादगार क़ायम करने की ग़रज़ से उस ग़ार का मुँह बन्द करना था।

6. यानी अहले हुकूमत जो उस वक़्त दीने हक़ पर क़ायम थे।

7. ताकि मस्जिद इस बात की भी निशानी रहे कि ये लोग आ़बिद थे, उनको कोई माबूद न बना ले, जैसा कि दूसरी इमारतों में पूजा का अन्देशा है।

पाँच हैं छठा उनका कुत्ता है, (और) ये लोग बिना छाने-फटके बात को हाँक रहे हैं, और (कुछ) कहेंगे कि वे सात हैं आठवाँ उनका कुत्ता है, आप कह दीजिए कि मेरा रब उनकी गिनती ख़ूब (सही-सही) जानता है, उन (की गिनती) को बहुत कम लोग जानते हैं[1] सो आप उनके बारे में सरसरी बहस के अलावा ज़्यादा बहस न कीजिए,[2] और आप उनके बारे में उन लोगों में से किसी से भी न पूछिए। **(22)** ❖

और आप किसी काम के बारे में यूँ न कहा कीजिए कि मैं इसको कल कर दूँगा। **(23)** मगर ख़ुदा तआला के चाहने को मिला दिया कीजिए, और जब आप भूल जाएँ तो अपने रब का ज़िक्र कीजिए और कह दीजिए कि मुझको उम्मीद है कि मेरा रब मुझको (नुबुव्वत की) दलील बनने के एतिबार से इससे भी नज़दीकी बात बतला दे।[3] **(24)** और वे लोग अपने ग़ार में (नींद की हालत में) तीन सौ वर्ष तक रहे, और नौ वर्ष ऊपर और रहे। **(25)** आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उनके रहने (की मुद्दत) को ज़्यादा जानता है, तमाम आसमानों और ज़मीन का ग़ैब (का इल्म) उसी को है, वह कैसा कुछ देखने वाला और कैसा-कुछ सुनने वाला है। उनका अल्लाह तआला के सिवा कोई भी मददगार नहीं और न अल्लाह किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। **(26)** और आपके पास जो आपके रब की किताब वह्य के ज़रिये से आई है, (लोगों के सामने) पढ़ दिया कीजिए, उसकी बातों को (यानी वायदों को) कोई बदल नहीं सकता, और आप अल्लाह तआला के सिवा और कोई पनाह की जगह न पाएँगे। **(27)** और आप अपने को उन लोगों के साथ रोके रखा कीजिए जो सुबह व शाम (यानी हमेशा) अपने रब की इबादत सिर्फ़ उसकी ख़ुशी हासिल करने के लिए करते हैं,[4] और दुनिया की ज़िन्दगी की रौनक़ के ख़्याल से आपकी आँखें (यानी तवज्जोह) उनसे हटने न पाएँ।[5] और ऐसे शख़्स का कहना न मानिए जिसके दिल को हमने अपनी याद से ग़ाफ़िल कर रखा है, और वह अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश पर चलता है, और उसका (यह) हाल हद से गुज़र गया है। ▲ **(28)** और आप कह दीजिए कि (यह दीने) हक़ तुम्हारे रब की तरफ़ से (आया) है, सो जिसका जी चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफ़िर रहे,[6] बेशक हमने ऐसे ज़ालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, कि उस (आग) की क़नातें उनको घेरे होंगी।[7] और अगर (प्यास से) फ़रियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फ़रियाद-रसी की

---

1. चूँकि उसके निशानदेही से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल न होता था लिहाज़ा इस इख़्तिलाफ़ का कोई वाज़ेह फ़ैसला आयत में नहीं फ़रमाया, लेकिन रिवायतों में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु व अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल आया है कि मैं उन्हीं क़लील (थोड़े लोगों) में से हूँ और वे सात थे, और आयत में भी इशारे के तौर पर इसका सही होना मालूम होता है, क्योंकि इस आख़िरी क़ौल को नक़ल करके इसको रद्द नहीं फ़रमाया।
2. सरसरी बहस से यह मुराद है कि आप वह्य के मुताबिक़ उनके सामने क़िस्सा बयान कर दीजिए और ज़्यादा सवाल व जवाब न कीजिए।
3. आपसे रूह, अस्हाबे कहफ़ और ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा पूछा गया तो आपने वह्य के भरोसे पर ज़बान से इन्शा-अल्लाह कहे बग़ैर वायदा फ़रमाया कि कल जवाब दूँगा। चुनाँचे पन्द्रह दिन तक वह्य नाज़िल न हुई और आपको बड़ा ग़म हुआ, उसके बाद जवाब के साथ यह हुक्म भी नाज़िल हुआ कि ये लोग आपसे कोई बात जवाब के क़ाबिल दरियाफ़्त करें और आप जवाब का वायदा करें तो उसके साथ इन्शा-अल्लाह तआला या इसके मायने जैसी कोई बात ज़रूर मिला लिया करें।
4. 'वस्बिर नफ़्स-क....' का यह मतलब नहीं है कि जब तक ये लोग न उठेंगे आप बैठे रहा कीजिए, बल्कि मतलब यह है कि पहले ही की तरह उनको अपनी लम्बी बैठक से सम्मान दीजिए।
5. रौनक़ के ख़्याल से यह मुराद है कि सरदार मुसलमान हो जाएँ तो इस्लाम में ज़्यादा जमाल व कमाल होगा। पस इसमें बतला दिया कि इस ज़ाहिरी सामान से इस्लाम का जमाल व कमाल नहीं है बल्कि इसका मदार इख़्लास और कामिल इताअ़त पर है, चाहे ग़रीबों ही से हो।
6. हमारा कोई नफ़ा व नुक़सान नहीं बल्कि ईमान न लाने से अपना ही नुक़सान और ईमान लाने से अपना ही नफ़ा है।
7. यानी वे क़नातें भी आग ही हैं जैसा कि हदीस में है, और उसमें से निकल न सकेंगे।

जाएगी जो तेल की तलछट की तरह होगा, मुँहों को भून डालेगा, क्या ही बुरा पानी होगा और (दोज़ख़ भी) क्या ही बुरी जगह होगी। **(29)** बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो हम ऐसों का बदला बर्बाद न करेंगे जो अच्छी तरह काम को करे। **(30)** (पस) ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग़ हैं, उनके (ठिकानों के) नीचे नहरें बहती होंगी, उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएँगे और हरे रंग के कपड़े[1] बारीक और मोटे रेशम के पहनेंगे, वहाँ मसहरियों पर तकिए लगाए (बैठे) होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और (जन्नत) क्या ही अच्छी जगह है। **(31)** ❖

और आप उन लोगों से दो शख़्सों का हाल बयान कीजिए। उन दो शख़्सों में से एक को हमने दो बाग़ अँगूर के दे रखे थे, और उन दोनों (बाग़ों) का खजूर के पेड़ों से घेरा बना रखा था, और उन दोनों के दरमियान में खेती भी लगा रखी थी। **(32)** (और) दोनों बाग़ अपना पूरा फल देते थे, और किसी के फल में ज़रा भी कमी न रहती थी, और उन दोनों के दरमियान में नहर चला रखी थी। **(33)** और उस शख़्स के पास (और भी) मालदारी का सामान था, सो वह (एक बार) अपने उस (दूसरे) मुलाक़ाती से इधर-उधर की बातें करते-करते कहने लगा कि मैं तुझसे माल में भी ज़्यादा हूँ और मजमा भी मेरा ज़बरदस्त है। **(34)** और वह अपने ऊपर (कुफ़्र का) जुर्म क़ायम करता हुआ अपने बाग़ में पहुँचा, (और) कहने लगा कि मेरा तो ख़्याल नहीं है कि यह (बाग़ मेरी ज़िन्दगी में) कभी भी बर्बाद हो।[2] **(35)** और मैं क़ियामत को नहीं ख़्याल करता कि आएगी, और अगर मैं अपने रब के पास पहुँचाया गया तो ज़रूर इस (बाग़) से बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मुझको मिलेगी। **(36)** उससे उसके मुलाक़ाती ने (जो कि दीनदार और ग़रीब था) जवाब के तौर पर कहा, क्या तू उस (पाक) ज़ात के साथ कुफ़्र करता है जिसने (पहले) तुझको मिट्टी से पैदा किया,[3] फिर नुत्फ़े से,[4] फिर तुझको (सही व सालिम) आदमी बनाया। **(37)** लेकिन (मैं तो यह अ़क़ीदा रखता हूँ कि) वह (यानी) अल्लाह तआ़ला मेरा (हक़ीक़ी) रब है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। **(38)** और तू जिस वक़्त अपने बाग़ में पहुँचा था तो तूने यूँ क्यों न कहा कि जो अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर (होता) है (वही होता है, और) अल्लाह तआ़ला की मदद के बग़ैर (किसी में) कोई ताक़त नहीं, अगर तू मुझको माल और औलाद में कमतर देखता है **(39)** तो (मुझको वह वक़्त) नज़दीक (मालूम होता) है कि मेरा रब मुझको तेरे बाग़ से अच्छा (बाग़) दे दे, और इस (तेरे बाग़) पर कोई (तक़्दीरी) आफ़त आसमान से भेज दे, जिससे वह (बाग़) यकायक एक साफ़ मैदान (होकर) रह जाए। **(40)** या (उससे) इसका पानी बिलकुल अन्दर (ज़मीन में) उतर

---

1. यह जो फ़रमाया कि हरा लिबास होगा, इससे इसी का ख़ास करना मक़सूद नहीं क्योंकि आयतों में वाज़ेह है कि जिस चीज़ को जी चाहेगा वह मिलेगी।
2. यह उसने तौहीद के मसले में कलाम किया कि तू जो दुनिया को बनाने वाले का और उसकी क़ुदरत वग़ैरह का क़ायल है, सो मैं नहीं समझता कि तबई असबाब को कोई नाकारा कर सकता है, और इस बाग़ वग़ैरह का कारख़ाना, जिसके आबाद रहने के सारे असबाब जमा हैं, किस तरह इसके वीरान हो जाने का गुमान व ख़्याल किया जा सकता है।
3. जो कि तेरा दूर का माद्दा है आदम अ़लैहिस्सलाम के वास्ते से।
4. जो कि तेरा क़रीबी माद्दा है माँ के रहम (यानी पेट या बच्चेदानी) में।

(कर सूख) जाए, फिर तू उस (के लाने और निकालने) की कोशिश भी न कर सके।[1] (41) और उस शख़्स के माल व दौलत के सामान को (आफ़त ने) आ घेरा[2] फिर उसने जो कुछ उस (बाग़) पर ख़र्च किया था, उसपर हाथ मलता रह गया, और वह (बाग़) अपनी टट्टियों पर गिरा हुआ (पड़ा) था। और कहने लगा, क्या ख़ूब होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता।[3] (42) और उसके पास कोई (ऐसा) मजमा न हुआ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा उसकी मदद करता, और न वह ख़ुद (हमसे) बदला ले सका। (43) ऐसे मौक़े पर मदद करना अल्लाह बरहक़ ही का काम है, उसी का सवाब सबसे अच्छा है और उसी का नतीजा सबसे अच्छा है।[4] (44) ❖

और आप उन लोगों से दुनिया की ज़िन्दगी की हालत बयान फ़रमाइए (कि वह ऐसी है) जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया हो, फिर उसके ज़रिये से ज़मीन की नबातात "यानी घास और पेड़-पौधे" ख़ूब घनी हो गई हो, फिर वह चूरा-चूरा हो जाए कि उसको हवा उड़ाए लिए फिरती हो,[5] और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं। (45) माल और औलाद दुनिया की ज़िन्दगी की एक रौनक़ हैं और (जो) नेक अ़माल बाक़ी रहने वाले हैं वे आपके रब के नज़दीक सवाब के एतिबार से भी (हज़ार दर्जा) बेहतर हैं, और उम्मीद के एतिबार से भी (हज़ार दर्जा) बेहतर हैं।[6] (46) और (उस दिन को याद करना चाहिए) जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे, और आप ज़मीन को देखेंगे (कि खुला मैदान पड़ा है) और हम उन सबको जमा कर देंगे, और उनमें से किसी को भी न छोड़ेंगे। (47) और (सबके-सब) आपके रब के सामने बराबर-बराबर खड़े करके पेश किए जाएँगे। (देखो, आख़िर) तुम हमारे पास आए (भी) जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुम (यही) समझते रहे कि हम तुम्हारे लिए कोई वायदा किया गया वक़्त न लाएँगे। (48) और नामा-ए-आमाल रख दिया जाएगा, तो आप मुज्रिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ (लिखा) होगा उससे डरते होंगे, और कहते होंगे कि हाय हमारी कम-बख़्ती इस नामा-ए-आमाल का अ़जीब हाल है कि बेलिखे हुए न कोई छोटा गुनाह छोड़ा न बड़ा गुनाह (छोड़ा) और जो कुछ उन्होंने किया था वह सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएँगे। और आपका रब किसी पर ज़ुल्म न करेगा।[7] (49) ❖

और जबकि हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सज्दा करो, सो सबने सज्दा किया, अ़लावा इब्लीस के, वह जिन्नों में से था। सो उसने अपने रबके हुक्म को न माना। सो क्या फिर भी तुम उसको और उसके पैरोकारों को दोस्त बनाते हो मुझको छोड़कर, हालाँकि वे तुम्हारे दुश्मन हैं।[8] ये ज़ालिमों के

---

1. हासिल यह हुआ कि तेरा शक व शुब्हा करने का मन्शा यह दौलत व जायदाद है जो तेरे पास है और मेरे पास नहीं, यह समझना ही ग़लत है। क्योंकि अव्वल तो यहाँ ही मुम्किन है कि उल्टा हो जाए, फिर कभी न कभी तो यह फ़ना होने वाली ही है और आख़िरत की नेमतें कभी फ़ना न होंगी, इसलिए एतिबार वहाँ का है यहाँ का नहीं।
2. मालूम नहीं क्या आफ़त थी मगर ज़ाहिरन उसके ग़ैर-वाज़ेह (अस्पष्ट) होने से मालूम होता है कि कोई बड़ी आफ़त थी।
3. मुराद यह कि कुफ़्र न करता। मतलब यह मालूम होता है कि वह समझ गया कि यह आफ़त कुफ़्र के इन्तिक़ाम में आई है इसलिए उसपर शर्मिन्दा होता है कि अगर कुफ़्र न करता तो या तो आफ़त न आती या आती तो उसका बदल आख़िरत में मिलता, अब दुनिया व आख़िरत दोनों जगह घाटे वाली बात हो गई। ये बातें मोमिन से उसके कान में पड़ी होंगी। और इससे यह लाज़िम नहीं आता कि वह मोमिन हो गया हो, क्योंकि यह शर्मिन्दगी नुक़सान की वजह से है कुफ़्र के बुरा होने की वजह से नहीं।
4. यानी अगर उसके मक़बूल बन्दों का कोई नुक़सान हो जाता है तो दोनों जहान में नेक बदला मिलता है, बख़िलाफ़ काफ़िर के कि बिलकुल घाटे में रह गया।
5. यही हाल दुनिया का है कि आज हरी-भरी नज़र आती है फिर इसका नाम व निशान भी न रहेगा।
6. यानी नेक आमाल पर जो-जो उम्मीदें बाँधी होती हैं वे आख़िरत में पूरी होंगी और उससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, बख़िलाफ़ दुनिया के फ़ायदे और सामान के कि उससे ख़ुद दुनिया में उम्मीदें पूरी नहीं होतीं और आख़िरत में तो गुन्जाइश ही नहीं, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 542 पर)**

लिए बहुत बुरा बदल है। **(50)** मैंने उनको न तो आसमान और ज़मीन के पैदा करने के वक़्त बुलाया और न खुद उनके पैदा करने के वक़्त (बुलाया) और मैं ऐसा (आजिज़) न था कि गुमराह करने वालों को अपना (हाथ व) बाज़ू बनाता।[1] **(51)** और उस दिन (को याद करो कि) हक़ तआला फ़रमाएगा कि जिनको तुम हमारा शरीक समझा करते थे, उनको पुकारो। पस वे उनको पुकारेंगे, सो वे उनको जवाब ही न देंगे, और हम उनके दरमियान में एक आड़ कर देंगे। **(52)** और (उस वक़्त) मुज्रिम लोग दोज़ख़ को देखेंगे, फिर यक़ीन करेंगे कि वे उसमें गिरने वाले हैं, और उससे बचने की कोई राह न पाएँगे। **(53)** ❖

और हमने इस क़ुरआन में लोगों के वास्ते हर क़िस्म के (ज़रूरी) उम्दा मज़मून तरह-तरह से बयान फ़रमाए हैं और (इसपर भी इनकार करने वाला) आदमी झगड़े में सबसे बढ़कर है। **(54)** और लोगों को, इसके बाद कि उनको हिदायत पहुँच चुकी, ईमान लाने से और अपने परवर्दिगार से (कुफ़्र वग़ैरह की) मग़्फ़िरत माँगने से और कोई चीज़ रोक नहीं रही, इसके अलावा कि (उनको इसका इन्तिज़ार हो) कि अगले लोगों के जैसा मामला उनको भी पेश आए, या यह कि (अल्लाह का) अज़ाब उनके सामने आकर खड़ा हो।[2] **(55)** और रसूलों को तो हम सिर्फ़ ख़ुशख़बरी देने वाले और डराने वाले (बनाकर) भेजा करते हैं, और काफ़िर लोग नाहक़ की बातें पकड़-पकड़कर झगड़े निकालते हैं ताकि उसके ज़रिये से हक़ बात को बिचला दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और जिस (अज़ाब) से उनको डराया गया था उसको दिल्लगी बना रखा है। **(56)** और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए, फिर वह उससे मुँह फेर ले और जो कुछ अपने हाथों (गुनाह) समेट रहा है, उस (के नतीजे) को भूल जाए। हमने उस (हक़ बात) के समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, और (उसके सुनने से) उनके कानों में डाट (दे रखी) है, और (इसी वजह से) अगर आप उसको सही रास्ते की तरफ़ बुलाएँ तो ऐसी हालत में हरगिज़ भी रास्ते पर न आएँ। **(57)** और आपका रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला (और बड़ा) रहमत वाला है। अगर उनसे उनके आमाल पर पकड़ करने लगता तो उनपर फ़ौरन ही अज़ाब ला देता, (मगर ऐसा नहीं हुआ) बल्कि उनके वास्ते एक तय वक़्त है, (यानी क़ियामत का दिन) कि उससे इस तरफ़ (यानी पहले) कोई पनाह की जगह नहीं पा सकते।[3] **(58)** और ये बस्तियाँ, (जिनके क़िस्से मशहूर व मज़कूर हैं) जब उन्होंने (यानी उनके रहने वालों ने) शरारत की तो हमने उनको हलाक कर दिया,[4] और हमने उनके हलाक होने के लिए वक़्त तय किया था।[5] **(59)** ❖

(पृष्ठ 540 का शेष) इसलिए दुनिया से दिलचस्पी या इसपर फ़ख़्र न करना चाहिए बल्कि आख़िरत का एहतिमाम करना चाहिए।

7. कि बिना किया हुआ गुनाह लिख ले, या की हुई नेकी जबकि शर्तों के साथ की जाए, न लिखे। ख़ुलासा यह कि मुश्रिकों के सरदार जिस चीज़ पर फ़ख़्र करते हैं उन्होंने उसका हाल और अन्जाम सुन लिया, और जिन ग़रीबों को हक़ीर समझते हैं उनके नेक आमाल का कभी ख़त्म न होना मालूम कर लिया, अब भी अक़्ल न आए तो गोली मारिए।

8. यानी मेरी पैरवी को छोड़कर अक़ीदे में उनकी पैरवी करते हो, जो कि बिलकुल शिर्क है।

1. यानी मददगार तो वह ढूँढे जो क़ादिर न हो।

2. मतलब यह है कि क्या इसलिए ईमान नहीं लाते कि ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हों तब ईमान लाएँगे जैसा कि उनके हाल से ज़ाहिर होता है, और कह भी डालते थे कि ऐसी चीज़ें ज़ाहिर क्यों नहीं होतीं।

3. पस मोहलत इसलिए दी है कि अगर मुसलमान हो जाएँ तो उनकी मग़्फ़िरत कर दूँगा, दूसरे खुद रहमत भी इसका तक़ाज़ा करती है कि ईमान न लाने पर भी दुनिया में सख़्त अज़ाब से मोहलत दी जाए।

4. पस कुफ़्र का हलाकत का सबब होना साबित हुआ।

5. ऊपर काफ़िरों के सरदारों की इस दरख़्वास्त की बुराई थी कि हमारी तालीम की मज्लिस में ग़रीब मुसलमान न रहने पाएँ। आगे हज़रत मूसा के एक क़िस्से से इसके बुरा होने को और ज़्यादा वाज़ेह किया है, कि उन्होंने तो अपने से छोटे को बाज़ ख़ास उलूम में उस्ताद बनाने से भी शर्म नहीं फ़रमाई और तुमको इन ग़रीबों के तालीम में शरीक होने से शर्म आती है। और साथ ही इस मक़सूद के साथ इस क़िस्से में आपकी नुबुव्वत पर भी दलालत हो गई जिसकी वजह ज़ाहिर है।

और (वह वक़्त याद करो) जबकि मूसा ने अपने ख़ादिम से फ़रमाया कि मैं (इस सफ़र में) बराबर चला जाऊँगा, यहाँ तक कि उस मौक़े पर पहुंच जाऊँ जहाँ दो दरिया आपस में मिले हैं, या (यूँ ही) लम्बे अ़र्से तक चलता रहूँगा।[1] **(60)** पस जब (चलते-चलते) दोनों दरियाओं के जमा होने के मौक़े पर पहुँचे, अपनी मछली को दोनों भूल गए और उस (मछली) ने दरिया में अपनी राह ली और चल दी। **(61)** फिर जब दोनों (वहाँ से) आगे बढ़ गए (तो मूसा ने) अपने ख़ादिम से फ़रमाया कि हमारा नाश्ता तो लाओ, हमको तो इस सफ़र में (यानी आजकी मन्ज़िल में) बड़ी तकलीफ़ पहुँची। **(62)** (ख़ादिम ने) कहा, कि (लीजिए) देखिए (अ़जीब बात हुई) जब हम उस पत्थर के क़रीब ठहरे थे, सो मैं (उस) मछली (के ज़िक्र करने) को भूल गया और मुझको शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका ज़िक्र करता, और (वह क़िस्सा यह हुआ कि) उस (मछली) ने (ज़िन्दा होकर) दरिया में अ़जीब तौर पर अपनी राह ली। **(63)** (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने यह क़िस्सा सुनकर) फ़रमाया, यही वह मौक़ा है जिसकी हमको तलाश थी, सो दोनों अपने क़दमों के निशान देखते हुए उल्टे लौटे। **(64)** सो (वहाँ पहुँचकर) उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे (यानी ख़िज़्र अ़लैहिस्सलाम) को पाया, जिनको हमने अपनी (ख़ास) रहमत (यानी मक़बूलियत) दी थी, और हमने उनको अपने पास से (एक ख़ास तरीक़े का) इल्म सिखाया था। **(65)** मूसा ने (उनको सलाम किया और) उनसे फ़रमाया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त से कि जो मुफ़ीद इल्म आपको (अल्लाह की तरफ़ से) सिखाया गया है, उसमें से आप मुझको भी सिखला दें। **(66)** (उन बुज़ुर्ग ने) जवाब दिया, आप से मेरे साथ (रहकर मेरे कामों पर) सब्र न हो सकेगा। **(67)** और (भला) ऐसे मामलों पर आप कैसे सब्र करेंगे जो आपकी जानकारी से बाहर हैं। **(68)** (मूसा ने) फ़रमाया कि इन्शा-अल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला (यानी ज़ब्त करने वाला) पाएँगे, और मैं किसी बात में आपके ख़िलाफ़े हुक्म न करूँगा। **(69)** (उन बुज़ुर्ग ने) फ़रमाया कि (अच्छा) अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो (इतना ख़्याल रहे कि) मुझसे किसी बात के बारे में कुछ पूछना नहीं, जब तक कि उसके बारे में मैं ख़ुद ज़िक्र (शुरू) न कर दूँ। **(70)** ❖

फिर दोनों (किसी तरफ़) चले, यहाँ तक कि जब दोनों नाव में सवार हुए तो (उन बुज़ुर्ग ने) उस नाव में छेद कर दिया। (मूसा ने) फ़रमाया कि क्या आपने इस नाव में इसलिए छेद किया (होगा) कि इसमें बैठने वालों को डुबो दें। आपने बड़ी भारी (यानी ख़तरे की) बात की। **(71)** (उन बुज़ुर्ग ने) कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा। **(72)** (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, (कि मुझको याद न रहा था, सो) आप मेरी भूल (चूक) पर पकड़ न कीजिए और मेरे इस मामले में मुझपर ज़्यादा तंगी न डालिए। **(73)** फिर दोनों (कश्ती से उतरकर आगे) चले, यहाँ तक कि जब एक (छोटी उम्र के) लड़के से मिले तो (उन बुज़ुर्ग ने) उसको मार डाला, (मूसा अ़लैहिस्सलाम घबराकर) कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह जान को मार डाला (और वह भी) किसी जान के बदले के बग़ैर, बेशक आपने (यह तो) बड़ी बेजा हरकत की। **(74)**

---

1. इस सफ़र की वजह यह हुई थी कि एक बार मूसा अ़लैहिस्सलाम ने बनी इसराईल में वअ़ज़ (तक़रीर) फ़रमाया तो किसी ने पूछा कि इस वक़्त आदमियों में सबसे बड़ा आ़लिम कौन शख़्स है? आपने फ़रमाया, मैं। मतलब यह था कि उन उलूम में जिनको अल्लाह की निकटता हासिल करने में दख़ल है, मेरे बराबर कोई नहीं। और यह फ़रमाना सही था क्योंकि आप बड़े मर्तबे के रसूल थे। चूँकि ज़ाहिरन लफ़्ज़ आ़म था इसलिए अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर हुआ कि आपको कलाम करने और बोलने में एहतियात की तालीम दी जाए। इर्शाद हुआ कि दो दरियाओं के संगम में हमारा एक बन्दा तुमसे भी ज़्यादा इल्म रखता है। मतलब यह था कि बाज़ उलूम में वह तुमसे भी ज़्यादा है, अगरचे उन उलूम को अल्लाह से क़रीब होने में दख़ल न हो, लेकिन इस बिना पर जवाब में बिला क़ैद तो अपने को सबसे ज़्यादा जानने वाला न कहना चाहिए था। ग़रज़ मूसा अ़लैहिस्सलाम उनसे मिलने के इच्छुक हुए और पूछा कि उन तक पहुँचने की क्या सूरत है? इर्शाद हुआ कि एक बेजान मछली अपने साथ लेकर सफ़र करो, जहाँ वह मछली गुम हो जाए वह शख़्स वहाँ है। उस वक़्त मूसा अ़लैहिस्सलाम ने यूशा अ़लैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और यह बात फ़रमाई।

सोलहवाँ पारः क़ा-ल अलम्

सूरः कह्फ़ (आयत 75 से 110)

(उन बुज़ुर्ग ने) फ़रमाया कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपसे मेरे साथ सब्र न हो सकेगा? **(75)** (मूसा ने) फ़रमाया कि (ख़ैर अब की बार और जाने दीजिए) अगर इस (बार) के बाद आप से किसी मामले के बारे में कुछ पूछूँ तो आप मुझको अपने साथ न रखिए। बेशक आप मेरी तरफ़ से उज़्र (की इन्तिहा) को पहुँच चुके हैं।[1] **(76)** फिर दोनों (आगे) चले, यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों पर गुज़र हुआ तो वहाँ वालों से खाने को माँगा, (कि हम मेहमान हैं) सो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया, इतने में उनको वहाँ एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी, तो (उन बुज़ुर्ग ने) उसको (हाथ के इशारे से) सीधा कर दिया। (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि अगर आप चाहते तो (इस काम) पर कुछ मुआ़वज़ा ही ले लेते। **(77)** (उन बुज़ुर्ग ने) कहा कि यह वक़्त हमारे और आपके अलग होने का है। (जैसा कि ख़ुद आपने शर्त रखी थी) मैं उन चीज़ों की हक़ीक़त आपको बतलाए देता हूँ जिनपर आपसे सब्र न हो सका।[2] **(78)** वह जो नाव थी, सो कुछ ग़रीब आदमियों की थी, जो (उसके ज़रिये से) दरिया में मेहनत (मज़दूरी) करते थे, सो मैंने चाहा कि उसमें ऐब डाल दूँ और (वजह उसकी यह थी कि) उन लोगों से आगे की तरफ़ एक (ज़ालिम) बादशाह था, जो हर (अच्छी) नाव को ज़बरदस्ती पकड़ रहा था। **(79)** और रहा वह लड़का, सो उसके माँ-बाप ईमान वाले थे, सो हमको अन्देशा (यानी तहक़ीक़) हुआ कि यह उन दोनों पर सरकशी और कुफ़्र का असर न डाल दे। **(80)** पस हमको यह मन्ज़ूर हुआ कि बजाय उसके उनका परवर्दिगार उनको ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी (यानी दीन) में उससे बेहतर हो, और (माँ-बाप के साथ) मुहब्बत करने में उससे बढ़कर हो। **(81)** और रही दीवार, सो वह दो यतीम लड़कों की थी जो इस शहर में (रहते) हैं, और उस (दीवार) के नीचे उनका कुछ माल दफ़न था, (जो उनके बाप से मीरास में पहुँचा है) और उनका बाप (जो मर गया है वह) एक नेक आदमी था, सो आपके रब ने अपनी मेहरबानी से चाहा कि वे दोनों अपनी जवानी (की उम्र) को पहुँच जाएँ और अपना ख़ज़ाना निकाल लें, आपके रब की रहमत से। और (ये सारे काम मैंने अल्लाह की तरफ़ से हुक्म होने की वजह से किए हैं, इनमें से) कोई काम मैंने अपनी राय से नहीं किया। (लीजिए) यह है हक़ीक़त उन (बातों) की, जिनपर आप से सब्र न हो सका। **(82)** ❖

और ये लोग आप से ज़ुलक़रनैन का हाल पूछते हैं। आप फ़रमा दीजिए कि मैं उनका ज़िक्र अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। **(83)** हमने उनको धरती पर हुकूमत दी थी,[3] और हमने उनको हर क़िस्म का (काफ़ी)

---

1. यानी आपने बहुत दरगुज़र की, अगर अब साथ न रखेंगे तो माज़ूर हैं। अबकी बार भूल का उज़्र न करने से मालूम हुआ कि भूल न हुई थी।

2. अ़जब नहीं कि इन राज़ों का बतलाना उस दरख़्वास्त का पूरा करना भी हो जो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इन अल्फ़ाज़ में की थी कि "क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त से कि जो मुफ़ीद इल्म आपको अल्लाह की तरफ़ से सिखलाया गया है उसमें से आप मुझको भी सिखला दें" चाहे नमूने ही के तौर पर सही। और ज़्यादा साथ रहने में ग़ालिबन वह मुनासिब मौक़े पर ख़ुद ही बतलाते, और हर वाक़िए पर बतलाते तो यह इल्म ज़्यादा होता, अगरचे यह मूसा अ़लैहिस्सलाम के इल्म के बराबर मुफ़ीदे आ़म न हो, क्योंकि पैरवी के क़ाबिल नहीं। लेकिन इस मायने में ख़ास मुफ़ीद ज़रूर है कि बाज़ हिक्मतें तफ़सीली तौर पर ज़ाहिर होती हैं अगरचे इजमाली अ़क़ीदा कि हर वाक़िआ़ हिक्मतों पर मुश्तमिल होता है, क़ुर्ब (यानी निकटता) के लिए काफ़ी है।

3. बज़ाहिर मालूम होता है कि ज़ुल्क़रनैन कोई मक़बूल बुज़ुर्ग बादशाह हैं, चाहे नबी हों या वली हों, या किसी दूसरे नबी के पैरोकार। फिर वली होने की सूरत में यह गुफ़्तगू जिसका ज़िक्र आगे आएगा बतौर इल्हाम **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 548 पर)**

सामान दिया था। **(84)** चुनाँचे वह (पश्चिमी मुल्कों को फ़त्ह करने के इरादे से) एक राह पर हो लिए। **(85)** यहाँ तक कि जब सूरज डूबने के मौक़े पर पहुँचे,[1] तो (वह सूरज) उनको एक काले रंग के पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया,[2] और उसी जगह पर उन्होंने एक क़ौम देखी। हमने (उनके दिल में बात डाली और) यह कहा कि ऐ ज़ुलक़रनैन! चाहे सज़ा दो और चाहे इनके बारे में नरमी का मामला अपनाओ। **(86)** (ज़ुलक़रनैन ने) अ़र्ज़ किया कि (बहुत अच्छा, पहले ईमान ही की दावत दूँगा) लेकिन जो ज़ालिम रहेगा उसको तो हम लोग सज़ा देंगे, फिर वह अपने (हक़ीक़ी) मालिक के पास पहुँचाया जाएगा, फिर वह उसको (दोज़ख़ की) सख़्त सज़ा देगा। **(87)** और जो शख़्स ईमान ले आएगा और नेक अ़मल करेगा, तो उसके लिए (आख़िरत में भी) बदले में भलाई मिलेगी, और हम (दुनिया में भी) अपने बर्ताव में उसको आसान (और नरम) बात कहेंगे। **(88)** फिर एक (दूसरी) राह पर हो लिए। **(89)** यहाँ तक कि (जब दूरी तय करके) सूरज निकलने के मौक़े "यानी जगह" पर पहुँचे[3] तो सूरज को एक ऐसी क़ौम पर निकलते देखा,[4] जिनके लिए हमने सूरज के ऊपर कोई आड़ नहीं रखी।[5] **(90)** (यह क़िस्सा) इसी तरह (है) और ज़ुलक़रनैन के पास जो कुछ (सामान वग़ैरह) था, हमको उस की पूरी ख़बर है। **(91)** फिर (पूरब व पश्चिम फ़त्ह करके) एक और राह पर हो लिए। **(92)** यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन (पहाड़ों) से उस तरफ़ एक क़ौम को देखा, जो कोई बात समझने के क़रीब भी नहीं पहुँचते।[6] **(93)** उन्होंने (ज़ुलक़रनैन से) अ़र्ज़ किया, ऐ ज़ुलक़रनैन! याजूज व माजूज (की क़ौम जो इस घाटी के उस तरफ़ रहते हैं, हमारी) इस धरती "यानी इस इलाक़े" पर (कभी-कभी) बड़ा फ़साद मचाते हैं, सो क्या हम लोग आपके लिए कुछ चन्दा जमा कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई रोक बना दें। (कि वे फिर आने न पाएँ)। **(94)** (ज़ुलक़रनैन ने) जवाब दिया, कि जिस (माल) में मेरे रब ने मुझको इख़्तियार दिया है, वह बहुत कुछ है, सो (माल की मुझको ज़रूरत नहीं, हाँ) क़ुव्वत (यानी हाथ-पाँव) से मेरी मदद करो (तो) मैं तुम्हारे और उनके दरमियान में ख़ूब मज़बूत दीवार बना दूँ। **(95)** (अच्छा तो) तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ, यहाँ तक कि जब (रद्दे मिलाते-मिलाते) उनके "यानी पहाड़ों के" दोनों सिरों के बीच (के ख़ाली हिस्से) को बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि धौंको, (धौंकना शुरू हो गया) यहाँ तक कि जब उसको (लाल) अंगारा कर दिया तो उस वक़्त हुक्म दिया कि अब मेरे पास पिघला हुआ ताँबा लाओ (जो पहले से तैयार करा लिया होगा) कि इसपर डाल दूँ। **(96)** सो न तो वे लोग (यानी याजूज-माजूज) उसपर चढ़ सकते थे और (बहुत ज़्यादा मज़बूत होने की वजह से) न उसमें नक़ब दे सकते थे। **(97)** (ज़ुलक़रनैन ने) कहा कि यह (दीवार की तैयारी) मेरे रब की एक रहमत है। फिर

(पृष्ठ 546 का शेष) (यानी अल्लाह की तरफ़ से बात दिल में डालने से) हुई हो या किसी नबी के ज़रिये से, और शायद ज़ुल्क़रनैन उनका लक़ब इसलिए हुआ हो कि उन्होंने ज़मीन की दोनों जानिब (यानी पूरब व पश्चिम) पर क़ब्ज़ा हासिल कर लिया था इसलिए ज़ुल्क़रनैन लक़ब हो गया।

1. यानी पश्चिम की दिशा में आबादी की इन्तिहा पर।
2. मुराद इससे ग़ालिबन समुद्र है, कि उसका रंग अक्सर जगह काला है। और समुद्र में अगरचे हक़ीक़त में ग़ुरूब नहीं होता लेकिन जहाँ समुद्र से आगे निगाह न जाती हो तो देखने में समुद्र ही में ग़ुरूब होता हुआ मालूम होता है।
3. यानी पूरब की दिशा में आबादी की इन्तिहा पर।
4. यानी वहाँ एक ऐसी क़ौम आबाद थी।
5. बज़ाहिर यह मतलब मालूम होता है कि वे लोग मकान वग़ैरह बनाना न जानते थे कि सूरज की गर्मी और धूप से पनाह ले सकें।
6. यानी बोली अलग होने की वजह से तो बात नहीं समझते और जंगली और कम-समझ होने की वजह से समझने के लगभग भी नहीं पहुँचते, वरना समझदार आदमी इशारों और हालात से कुछ क़रीब-क़रीब समझ लेता है।

जिस वक़्त मेरे रब का वायदा आएगा, (यानी इसके फ़ना करने का वक़्त आएगा) तो इसको ढाकर (ज़मीन के) बराबर कर देगा। और मेरे परवर्दिगार का (हर) वायदा सच्चा है। **(98)** और हम उस दिन उनकी यह हालत करेंगे कि एक में एक गड्-मड् हो जाएँगे,[1] और सूर फुँका जाएगा, फिर हम सबको (एक-एक करके) जमा कर लेंगे। **(99)** और दोज़ख़ को उस दिन काफ़िरों के सामने पेश कर देंगे। **(100)** जिनकी आँखों पर (दुनिया में) हमारी याद से पर्दा पड़ा हुआ था और वे सुन भी न सकते थे।[2] **(101)** ❖

सो क्या फिर भी इन काफ़िरों का ख़्याल है कि मुझको छोड़कर मेरे बन्दों को अपना करता-धरता (यानी माबूद और हाजत पूरी करने वाला) क़रार दें। हमने (तो) काफ़िरों की दावत के लिए दोज़ख़ को तैयार कर रखा है।[3] **(102)** आप (उनसे) कहिए कि क्या हम तुमको ऐसे लोग बताएँ जो आमाल के एतिबार से बिलकुल घाटे में हैं। **(103)** ये वे लोग हैं जिनकी दुनिया में की-कराई मेहनत सब गई गुज़री हुई और वे (जहालत की वजह से) इस ख़्याल में हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। **(104)** ये वे लोग हैं जो अपने रब की आयतों (यानी अल्लाह तआ़ला की किताबों) का और उससे (क़ियामत में) मिलने का इनकार कर रहे हैं। सो (इसलिए) उनके सारे काम ग़ारत हो गए, तो क़ियामत के दिन हम उन (के नेक आमाल) का ज़रा भी वज़न क़ायम न करेंगे। **(105)** (बल्कि) उनकी सज़ा वही होगी यानी दोज़ख़, इस वजह से कि उन्होंने कुफ़्र किया था, और (यह कि) मेरी आयतों और पैग़म्बरों का मज़ाक़ बनाया था। **(106)** बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनकी मेहमानी के लिए फ़िरदौस (यानी जन्नत) के बाग़ होंगे। **(107)** जिनमें वे हमेशा रहेंगे (न उनको कोई निकालेगा और) न वे वहाँ से कहीं और जाना चाहेंगे। **(108)** आप (उनसे) कह दीजिए कि अगर मेरे रबकी बातें[4] लिखने के लिए समुद्र (का पानी) रोशनाई (की जगह) हो तो मेरे रबकी बातें ख़त्म होने से पहले समुद्र ख़त्म हो जाए, (और बातें घेरे में न आएँ) अगरचे उस (समुद्र) जैसा (एक दूसरा समुद्र उसकी) मदद के लिए हम ले आएँ। **(109)** (और) आप (यूँ भी) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा बशर हूँ, मेरे पास बस यह वह्य आती है कि तुम्हारा माबूद (बरहक़) एक ही माबूद है, सो जो शख़्स अपने रब से मिलने की आरज़ू रखे तो नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शामिल न करे। **(110)** ❖

---

1. यानी जब उस दीवार के गिराने का मुक़र्ररा वक़्त आएगा और याजूज-माजूज का वहाँ से निकलना होगा तो उस दिन हम उनकी यह हालत करेंगे कि एक में एक गड्-मड् हो जाएँगे। इस वजह से कि बहुत ज़्यादा होंगे और एकदम से निकल पड़ेंगे।

2. यानी हक़ बात को ज़रा भी समझना न चाहते थे।

3. 'दावत' मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर फ़रमाया।

4. यानी वे कलिमात और इबारतें जो अल्लाह तआ़ला की सिफ़तों और कमालात पर दलालत करती हों और उनसे उनकी ताबीर की जाए।

19 सूरः मरियम 44

सूरः मरियम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 98 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]काफ़-हा-या-अ़ैन-सॉद। **(1)** यह तज़्किरा है आपके परवर्दिगार के मेहरबानी फ़रमाने का अपने बन्दे ज़करिया पर। **(2)** जबकि उन्होंने अपने परवर्दिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा। **(3)** (जिसमें यह) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी हड्डियाँ (बुढ़ापे की वजह से) कमज़ोर हो गईं और सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई, और (इससे पहले कभी मैं) आपसे माँगने में ऐ मेरे रब मैं नाकाम नहीं रहा हूँ। **(4)** और मैं अपने बाद (अपने) रिश्तेदारों (की तरफ़) से अन्देशा रखता हूँ और मेरी बीवी बाँझ है, (इस सूरत में) आप मुझको ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस (यानी बेटा) दे दीजिए। **(5)** कि वह (मेरे ख़ास उलूम में) मेरा वारिस बने, और (मेरे दादा) याक़ूब के ख़ानदान का वारिस बने,[2] और उसको ऐ मेरे रब! (अपना) पसन्दीदा बनाइए।[3] **(6)** ऐ ज़करिया! हम तुमको एक फ़रज़न्द की खुशख़बरी देते हैं, जिसका नाम यह्या होगा कि इससे पहले हमने किसी को उस जैसी सिफ़त वाला न बनाया होगा।[4] **(7)** (ज़करिया अ़लैहिस्सलाम ने) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरे औलाद किस तौर पर होगी, हालाँकि मेरी बीवी बाँझ है और (इधर) मैं बुढ़ापे के इन्तिहाई दर्जे को पहुँच चुका हूँ। **(8)** इरशाद हुआ कि (मौजूदा हालत) यूँ ही (रहेगी, और फिर औलाद होगी। ऐ ज़करिया!) तुम्हारे रब का क़ौल है कि यह (बात) मुझको आसान है और मैंने तुमको पैदा किया हालाँकि तुम (पैदाइश से पहले) कुछ भी न थे।[5] **(9)** (जब ज़करिया अ़लैहिस्सलाम ने) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरे लिए कोई निशानी मुक़र्रर फ़रमा दीजिए, इरशाद हुआ कि तुम्हारी (वह) निशानी यह है कि तुम तीन रात (और तीन दिन तक) आदमियों से बात न कर सकोगे, (हालाँकि तन्दुरुस्त होगे)। **(10)** पस हुजरे में से अपनी क़ौम के पास निकले और उनको इशारे से फ़रमाया कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान किया करो। **(11)** ऐ यह्या! किताब को मज़बूत होकर लो,[6] और हमने उनको (उनके) लड़कपन ही में (दीन की) समझ **(12)** और ख़ास अपने पास से दिल की नरमी और (अख़्लाक़ की) पाकीज़गी अ़ता फ़रमाई थी,[7] और वह बड़े परहेज़गार थे। **(13)** और अपने माँ-बाप के ख़िदमत-गुज़ार थे, और वह (मख़्लूक़ के साथ) सरकशी करने वाले (या हक़ तआ़ला की) नाफ़रमानी करने वाले न थे।[8] **(14)** और उनको (अल्लाह तआ़ला का) सलाम पहुँचे जिस दिन कि वह पैदा हुए, और जिस दिन कि वह इन्तिक़ाल करेंगे, और जिस दिन (क़ियामत में) ज़िन्दा होकर उठाए जाएँगे।[9] **(15)** ❖

और (ऐ मुहम्मद!) इस किताब में मरियम का भी ज़िक्र कीजिए, जबकि वह अपने घर वालों से अलग

1. इस सूरः का खुलासा तीन मज़मून हैं- अव्वल तौहीद का साबित करना, दूसरे नुबुव्वत का साबित करना, तीसरे आख़िरत के मुताल्लिक़ बयान।
2. यानी पिछले और मौजूदा उलूम उसको हासिल हों।
3. यानी आ़लिम भी हो और आ़मिल भी।
4. यानी जिस इल्म व अ़मल की तुम दुआ़ करते हो वह तो उस फ़रज़न्द को ज़रूर ही अ़ता करेंगे। और ज़्यादा यह कि कुछ ख़ास सिफ़तें भी इनायत की जाएँगी।
5. जब मअ़दूम (यानी जो चीज़ मौजूद न हो, नापैद हो) को मौजूद करना आसान है तो एक मौजूद से दूसरा मौजूद पैदा कर देना क्या मुश्किल है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 554 पर)**

(होकर) एक ऐसे मकान में जो पूरब की जानिब था (नहाने के लिए) गईं। **(16)** फिर उन (घर वाले) लोगों के सामने उन्होंने पर्दा डाल लिया, पस (इस हालत में) हमने उनके पास अपने फ़रिश्ते (जिबराईल अ़लैहिस्सलाम) को भेजा, और वह उनके सामने एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। **(17)** कहने लगीं कि मैं तुझसे (अपने खुदा-ए-) रहमान की पनाह माँगती हूँ अगर तू (कुछ) खुदा से डरने वाला है (तो यहाँ से हट जाएगा)। **(18)** फ़रिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ (फ़रिश्ता) हूँ ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ।[1] **(19)** वह (ताज्जुब से) कहने लगीं कि (भला) मेरे लड़का किस तरह हो जाएगा हालाँकि मुझको किसी इनसान ने हाथ तक नहीं लगाया, और न मैं बदकार हूँ। ◆ **(20)** फ़रिश्ते ने कहा कि यूँ ही (औलाद हो जाएगी) तुम्हारे रब ने इरशाद फ़रमाया है कि यह (बात) मुझको आसान है। और (इस तौर पर) इसलिए पैदा करेंगे ताकि हम उस (लड़के) को लोगों के लिए (कुदरत की) एक निशानी बनाएँ, और रहमत (का सबब) बनाएँ, और यह एक तयशुदा बात है (जो ज़रूर होगी)। **(21)** फिर उनके पेट में वह (लड़का) रह गया, फिर उस (हमल) को लिए हुए (अपने घर से) किसी दूर जगह में अलग चली गईं। **(22)** फिर पैदाइश के दर्द के मारे खजूर के पेड़ की तरफ़ आईं,[2] (घबरा कर) कहने लगीं काश! मैं इस (हालत) से पहले ही मर गई होती, और ऐसी नेस्तनाबूद हो जाती कि किसी को याद भी न रहती। **(23)** फिर जिबराईल ने उनके (उस मकान के) नीचे से उनको पुकारा कि तुम ग़मज़दा मत हो,[3] तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे के हिस्से में एक नहर पैदा कर दी है। **(24)** और इस खजूर के तने को (पकड़कर) अपनी तरफ़ को हिलाओ इससे तुमपर तरोताज़ा खजूरें झड़ेंगी। **(25)** फिर (उस फल को) खाओ और (वह पानी) पियो, और आँखें ठन्डी करो।[4] फिर अगर तुम आदमियों में से किसी को भी (एतिराज़ करता) देखो तो कह देना कि मैंने तो अल्लाह के वास्ते रोज़े की मन्नत माँग रखी है, सो आज मैं किसी आदमी से नहीं बोलूँगी।[5] **(26)** फिर वह उनको गोद में लिए हुए अपनी क़ौम के पास आईं, लोगों ने कहा कि ऐ मरियम! तुमने बड़े ग़ज़ब का काम किया।[6] **(27)** ऐ हारून की बहन! तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी न थे और न तुम्हारी माँ बदकार थीं। **(28)** पस मरियम ने उस (बच्चे) की तरफ़ इशारा कर दिया। वे लोग कहने लगे कि भला हम ऐसे शख़्स से क्योंकर बातें करें जो अभी गोद में बच्चा ही है। **(29)** वह (बच्चा खुद ही) बोल उठा कि मैं अल्लाह का (ख़ास) बन्दा हूँ, उसने मुझको किताब (यानी इन्जील) दी,[7] और उसने मुझको नबी बनाया। (यानी बना देगा)। **(30)** और मुझको बरकत वाला बनाया,[8] मैं जहाँ कहीं भी हूँ। और उसने मुझको नमाज़ और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं (दुनिया में) ज़िन्दा रहूँ। **(31)** और मुझको मेरी माँ का

(पृष्ठ 552 का शेष) यह सब इरशाद उम्मीद को कुव्वत देने और मज़बूत करने के लिए था न कि शुब्हे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ज़करिया अ़लैहिस्सलाम को कोई शुब्हा न था।

6. यानी तौरात कि उस वक़्त वही शरीअ़त की किताब थी, और इन्जील बाद में नाज़िल हुई।

7. 'हुक्म' में इल्म की तरफ़ और 'हन्नान' और 'ज़कात' में अख़्लाक़ की तरफ़ इशारा हो गया।

8. इसमें अल्लाह और बन्दों दोनों के हुक़ूक़ की तरफ़ इशारा हो गया।

9. वह अल्लाह के नज़दीक ऐसे ख़ूबसूरत और सम्मानित थे कि उनके हक़ में अल्लाह की तरफ़ से यह इरशाद होता है कि उनको अल्लाह तआ़ला का सलाम पहुँचे जिस दिन कि वह पैदा हुए, और जिस दिन वह इन्तिक़ाल करेंगे, और जिस दिन क़ियामत में ज़िन्दा होकर उठाए जाएँगे।

1. यानी तुम्हारे मुँह में या गिरेबान में फूँक मार दूँ कि उसके असर से अल्लाह के हुक्म से हमल (गर्भ) रह जाएगा और लड़का पैदा होगा। हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम ने पहली बार में अगरचे फ़रिश्ते को नहीं पहचाना मगर उनकी तक़रीर सुनकर अल्लाह वाली होने की वजह से हासिल ख़ास समझ से यक़ीन आ गया, पस यह शुब्हा नहीं हो सकता कि हज़रत मरियम ने ख़ाली दावा कैसे क़बूल कर लिया।

2. ताकि उसके सहारे बैठें उठें। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 556 पर)**

ख़िदमत करने वाला बनाया और उसने मुझको सरकश बदबख़्त नहीं बनाया। **(32)** और मुझपर (अल्लाह की जानिब से) सलाम है, जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन इन्तिक़ाल करूँगा, और जिस दिन (क़ियामत में) ज़िन्दा करके उठाया जाऊँगा। **(33)** यह हैं ईसा मरियम के बेटे,[1] (मैं बिलकुल) सच्ची बात (कह रहा हूँ) जिसमें यह (कमी-बेशी करने वाले) लोग झगड़ रहे हैं। **(34)** अल्लाह तआ़ला की यह शान नहीं है कि वह (किसी को) औलाद बनाए, वह (बिलकुल) पाक है। वह जब कोई काम करना चाहता है तो बस उसको इरशाद फ़रमा देता है कि हो जा, सो वह हो जाता है। **(35)** और बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो (सिर्फ़) उसकी इबादत करो, यही (दीन का) सीधा रास्ता है।[2] **(36)** सो (फिर भी) मुख़्तलिफ़ गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में इख़्तिलाफ़ डाल लिया,[3] सो उन काफ़िरों के लिए एक बड़े दिन के आने से एक बड़ी ख़राबी (होने वाली) है।[4] **(37)** जिस दिन ये लोग (हिसाब व बदले के लिए) हमारे पास आएँगे, कैसे कुछ सुनने और देखने वाले हो जाएँगे, लेकिन ये ज़ालिम आज (दुनिया में कैसी) खुली ग़लती में हैं। **(38)** और आप उन लोगों को हसरत के दिन से डराइए जबकि (जन्नत व दोज़ख़ का आख़िरी) फ़ैसला कर दिया जाएगा, और वे लोग (आज दुनिया में) ग़फ़लत में हैं, और वे लोग ईमान नहीं लाते। **(39)** (लेकिन आख़िर एक दिन मरेंगे और) तमाम ज़मीन और ज़मीन के रहने वालों के हम ही वारिस (यानी आख़िर मालिक) रह जाएँगे, और ये सब हमारे पास ही लौटाए जाएँगे। **(40)** ❖

और इस किताब में इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का (क़िस्सा) ज़िक्र कीजिए। वह बड़े रास्ती वाले (और) पैग़म्बर थे। **(41)** जबकि उन्होंने अपने बाप से (जो कि मुश्रिक था) कहा कि ऐ मेरे बाप! तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे और न तुम्हारे कुछ काम आ सके।[5] **(42)** ऐ मेरे बाप! मेरे पास ऐसा इल्म पहुँचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया,[6] तो तुम मेरे कहने पर चलो मैं तुमको सीधा रास्ता बताऊँगा।[7] **(43)** ऐ मेरे बाप! तुम शैतान की परस्तिश मत करो, बेशक शैतान रहमान का नाफ़रमानी करने वाला है। **(44)** ऐ मेरे बाप! मैं अन्देशा करता हूँ कि तुमपर रहमान की तरफ़ से कोई अ़ज़ाब (न) आ पड़े, फिर तुम (अ़ज़ाब में) शैतान के साथी हो जाओ।[8] **(45)** (बाप ने) जवाब दिया कि क्या तुम मेरे माबूदों

(पृष्ठ 554 का शेष) 3. हज़रत जिबराईल उनके अदब व एहतिराम की वजह से सामने नहीं गए बल्कि जिस मक़ाम पर हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम थीं, उससे नीचे के मक़ाम में आड़ में आए।

4. यानी बच्चे के देखने से और खाने-पीने से, और अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने की निशानी से ख़ुश रहो।

5. बस तुम इतना जवाब देकर बेफ़िक्र हो जाना, अल्लाह तआ़ला इस मुबारक बच्चे को मोजिज़े के तौर पर बोलता कर देगा, जिससे तुम्हारे पाकदामन होने की दलील सामने आ जाएगी। ग़रज़ हर ग़म का इलाज हो गया।

6. यानी 'अल्लाह अपनी पनाह में रखे' बदकारी की।

7. यानी अगरचे आगे चलकर देगा मगर यक़ीनी होने की वजह से ऐसा ही है कि जैसे दे दी।

8. यानी मुझसे मख़्लूक़ को दीन का नफ़ा पहुँचेगा।

1. ईसा अ़लैहिस्सलाम के आयत में ज़िक्र हुए हालात व औसाफ़ के मजमूए से मरियम अ़लैहस्सलाम की पाकदामनी और बुज़ुर्गी साबित हो गई जो मक़सूद था इस ख़िलाफ़े आ़दत बोलने से। जिसमें सबसे बढ़कर नुबुव्वत की सिफ़त पर दलालत है, क्योंकि नुबुव्वत के साथ नसब की ख़राबी जो कि आला दर्जे का शर्म का सबब है, जमा नहीं हो सकती, और नुबुव्वत का मिलना इस ख़िलाफ़े आ़दत बोलने से साबित होता है, क्योंकि बेगुनाह से मोजिज़ों यानी ख़िलाफ़े आ़दत चीज़ों का ज़ाहिर होना मक़बूलियत की दलील है, और मक़बूल होना झूठा होने के मनाफ़ी है।

2. यानी ख़ालिस ख़ुदा की इबादत करना, या तौहीद इख़्तियार करना दीन का सीधा रास्ता है।

3. यानी तौहीद का इनकार करके तरह-तरह के मज़ाहिब ईजाद कर लिए।

4. मुराद इससे क़ियामत का दिन है कि सख़्ती और लम्बा होने के एतिबार से बड़ा होगा।

5. मुराद बुत हैं। हालाँकि अगर कोई देखता-सुनता कुछ काम आता भी हो मगर उसका वजूद अपनी ज़ात में मुस्तक़िल न हो तब भी इबादत के लायक़ नहीं, कहाँ यह कि इन सिफ़तों से भी ख़ाली हो, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 558 पर)**

से फिरे हुए हो ऐ इब्राहीम! अगर तुम बाज़ न आए तो मैं ज़रूर तुमको (पत्थरों से मारकर) संगसार कर दूँगा, और हमेशा-हमेशा के लिए मुझसे अलग रहो। **(46)** (इब्राहीम ने) कहा मेरा सलाम लो, अब में अपने रब से तुम्हारे लिए मग्फ़िरत की दरख़्वास्त करूँगा, बेशक वह मुझपर बहुत मेहरबान है। **(47)** और मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम ख़ुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे किनारा करता हूँ, और (अलग होकर इत्मीनान से) अपने रबकी इबादत करूँगा, उम्मीद है कि अपने रब की इबादत करके महरूम न रहूँगा।[1] **(48)** पस जब उन लोगों से और जिनकी वे ख़ुदा को छोड़कर इबादत करते थे उनसे अलग हो गए (तो) हमने उनको इसहाक़ (बेटा) और याकूब (पोता) अ़ता फ़रमाया, और हमने (उन दोनों में से) हर एक को नबी बनाया।[2] **(49)** और उन सबको हमने अपनी रहमत का हिस्सा दिया और (आगे नस्लों में) हमने उनका नाम नेक और बुलन्द किया। **(50)** ❖

और इस किताब में मूसा का भी ज़िक्र कीजिए,[3] बेशक वह (अल्लाह तआ़ला के) ख़ास किए हुए (बन्दे) थे, और वह रसूल भी थे, नबी भी थे। **(51)** और हमने उनको तूर (पहाड़) की दाहिनी जानिब से आवाज़ दी, और हमने उनको राज़ की बातें करने के लिए मुक़र्रब बनाया। **(52)** और हमने उनको अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाकर अ़ता किया।[4] **(53)** और इस किताब में इसमाईल का भी ज़िक्र कीजिए, बेशक वह वायदे के (बड़े) सच्चे थे, और वह रसूल भी थे, नबी भी थे।[5] **(54)** और अपने मुताल्लिक़ीन को नमाज़ और ज़कात का हुक्म करते रहते थे, और वह अपने रब के नज़दीक पसन्दीदा थे। **(55)** और इस किताब में इदरीस (अ़लैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र कीजिए, बेशक वह बड़े रास्ती वाले नबी थे। **(56)** और हमने उनको (कमालात में) बुलन्द रुतबे तक पहुँचाया। **(57)** ये वे लोग हैं[6] जिनपर अल्लाह तआ़ला ने (ख़ास) इनाम फ़रमाया है (दूसरे) अम्बिया में से कि आदम की नस्ल से और उन लोगों (की नस्ल) से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था, और इब्राहीम और याकूब की नस्ल से और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत फ़रमाई और उनको मक़बूल बनाया, जब उनके सामने (अल्लाह) रहमान की आयतें पढ़ी जाती थीं तो सज्दा करते हुए और रोते हुए (ज़मीन पर) गिर जाते थे।[7] ❑ **(58)** फिर उनके बाद (बाज़े) ऐसे ना-ख़लफ़ ''यानी नालायक़ और नाफ़रमान'' पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को बरबाद किया और (नफ़्सानी नाजायज़) ख़्वाहिशों की पैरवी की,[8] सो ये लोग जल्द ही (आख़िरत में) ख़राबी देखेंगे। **(59)** हाँ मगर जिसने तौबा कर ली और

(पृष्ठ 556 का शेष) वह तो और ज़्यादा इबादत के लायक़ न होगा।

6. मुराद इससे वह्य है जिसमें ग़लती का शुब्हा हो ही नहीं सकता।

7. और वह तौहीद है।

8. यानी जब इताअ़त में उसका साथ दोगे तो सज़ा और अन्जाम में भी उसी का साथ होगा।

1. इस गुफ़्तगू के बाद उनसे इस तरह अलग हुए कि मुल्क शाम की तरफ़ हिजरत करके चले गए।

2. इसमाईल अ़लैहिस्सलाम का इस जगह ज़िक्र न फ़रमाना इस वजह से है कि अव्वल तो वह औरों से पहले अ़ता हो चुके थे, बाद वालों के ज़िक्र से पहले वाले का ज़िक्र ख़ुद ही समझ में आ जाता है। दूसरे उनका ज़िक्र मुस्तक़िल तौर पर आगे क़रीब ही आने वाला है। तीसरे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ज़िक्र से जैसा कि अ़रब वालों की दिलजोई हुई इसी तरह इसहाक़ व याकूब अ़लैहिमस्सलाम के ज़िक्र से अहले किताब की दिलजोई मुनासिब है, और इसी नुक्ते की वजह से इसके साथ ही मूसा अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। फिर उसके बाद इसमाईल अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र आएगा।

3. यानी लोगों को सुनाइए वरना किताब में ज़िक्र करने वाला तो हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला है।

4. यानी उनकी दरख़्वास्त के मुताबिक़ उनको नबी बनाया कि उनकी मदद करें।

5. रसूल वह है कि जिनके पास वह भेजा गया है उनको नई शरीअ़त पहुँचाए। और नबी वह है जिसपर वह्य आती हो, चाहे नई शरीअ़त की तब्लीग़ करे या पहली और पुरानी शरीअ़त की। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 560 पर)**

ईमान ले आया और नेक काम करने लगा, सो ये लोग जन्नत में जाएँगे और उनका ज़रा नुक़सान न किया जाएगा।[1] (60) वे हमेशा रहने के बाग़ जिनका रहमान ने अपने बन्दों से ग़ायबाना वायदा फ़रमाया है, (और) उसकी वायदा की हुई चीज़ को ये लोग ज़रूर पहुँचेंगे। (61) उस (जन्नत) में वे लोग कोई फ़ुज़ूल बात सुनने न पाएँगे सिवाय सलाम के, और उनको उनका खाना सुबह व शाम मिला करेगा। (62) यह जन्नत (जिसका ज़िक्र हुआ) ऐसी है कि हम अपने बन्दों में से उसका मालिक ऐसों को बना देंगे जो कि ख़ुदा से डरने वाले हों। (63) और हम (यानी फ़रिश्ते) बिना आपके रब के हुक्म के वक़्त-वक़्त पर नहीं आ सकते, उसी की (मिल्क) हैं हमारे आगे की सब चीज़ें और हमारे पीछे की सब चीज़ें, और जो चीज़ें उनके दरमियान में हैं, और आपका रब भूलने वाला नहीं।[2] (64) वह रब है आसमानों और ज़मीन का, और उन सब चीज़ों का जो उन दोनों के दरमियान में हैं, सो (ऐ मुख़ातब!) तू उसकी इबादत किया कर और उसकी इबादत पर क़ायम रह, भला तू किसी को उसकी सिफ़तों जैसा जानता है?[3] (65) और (मरने के बाद ज़िन्दा होने का इनकारी) इनसान (यूँ) कहता है कि मैं जब मर जाऊँगा तो क्या फिर ज़िन्दा करके (क़ब्र से) निकाला जाऊँगा। (66) ❖

क्या (यह) इनसान इस बात को नहीं समझता कि हम उसको इससे पहले (नापैदी की हालत से) वजूद में ला चुके हैं, और यह (उस वक़्त) कुछ भी न था।[4] (67) सो क़सम है आपके रब की हम उनको (उस वक़्त) जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर उनको दोज़ख़ के गिरदा-गिर्द इस हालत से हाज़िर करेंगे कि घुटनों के बल गिरे होंगे। (68) फिर (उन कुफ़्फ़ार के) हर गिरोह में से उन लोगों को अलग करेंगे जो उनमें से सबसे ज़्यादा अल्लाह से सरकशी किया करते थे। (69) फिर हम (ख़ुद) ऐसे लोगों को ख़ूब जानते हैं जो दोज़ख़ में जाने के ज़्यादा (यानी प्रथम) हक़दार हैं। (70) और तुममें से कोई भी नहीं जिसका उसपर गुज़र न हो,[5] यह आपके रब के एतिबार से (ताकीद के तौर पर) लाज़िम है जो (ज़रूर) पूरा होकर रहेगा। (71) फिर हम उन लोगों को नजात दे देंगे जो ख़ुदा से डरते (यानी उससे डरकर ईमान लाते) थे, और ज़ालिमों को उसमें ऐसी हालत में रहने देंगे कि (रंज व ग़म के मारे) घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। (72) और जब उन (इनकार करने वाले) लोगों के सामने हमारी खुली-खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि दोनों फ़रीक़ों में से मकान "यानी ठिकाना" किसका ज़्यादा अच्छा है, और महफ़िल किसकी अच्छी है। (73) और हमने उनसे पहले बहुत-से (ऐसे-ऐसे) गिरोह हलाक किए हैं जो सामान और देखने में उनसे भी (कहीं) अच्छे थे। (74) आप फ़रमा दीजिए कि जो लोग गुमराही में हैं (यानी तुम) रहमान उनको ढील देता चला जा

(पृष्ठ 558 का शेष) 6. यानी जिनका ज़िक्र सूरः के शुरू से यहाँ तक हुआ, यानी हज़रत ज़करिया से इदरीस अ़लैहिस्सलाम तक।

7. यानी बावजूद इस मक़बूलियत व मख़्सूस होने के उन सब मज़कूरा हज़रात की बन्दगी की यह कैफ़ियत थी।

8. नमाज़ को बरबाद किया। चाहे एतिक़ाद के तौर पर कि इनकार किया, या अ़मल के तौर पर कि उसके अदा करने में या ज़रूरी हुक़ूक़ व आदाब में कोताही की।

1. यानी हर नेक अ़मल का बदला मिलेगा।

2. मतलब यह है कि हम पैदाइशी तौर पर या अहकाम की वजह से हुक्म के ताबे हैं। अपनी राय से एक जगह से दूसरी जगह में या जिस वक़्त हम कहीं जाना चाहें आ-जा नहीं सकते, लेकिन जब हमारा भेजना मस्लहत होता है तो हक़ तआ़ला भेज देते हैं। यह एहतिमाल नहीं कि शायद किसी मस्लहत के वक़्त में भूल जाते हैं।

3. यानी कोई उसका हम-सिफ़त (उस जैसी सिफ़तों का मालिक) नहीं, तो इबादत के लायक़ भी कोई नहीं। पस उसी की इबादत करना ज़रूरी हुआ।

4. जब ऐसी हालत से ज़िन्दगी तक लाना आसान है तो दोबारा ज़िन्दगी देना तो और भी ज़्यादा आसान है।

5. उसपर से गुज़रना किसी का दाख़िल होने के लिए और किसी का उसको पार करने के लिए होगा। जहन्नम का वजूद ऐसा यक़ीनी है कि उसका मुआयना हर मोमिन व हर काफ़िर को कराया जाएगा, अगरचे मुआयने की सूरत **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 562 पर)**

रहा है,[1] यहाँ तक कि जिस चीज़ का उनसे वायदा किया गया है उसको देख लेंगे, चाहे (दुनिया में) अ़ज़ाब को चाहे (दूसरी दुनिया में) क़ियामत को, सो (उस वक़्त) उनको मालूम हो जाएगा कि बुरा ठिकाना किसका है, और कमज़ोर मददगार किसके हैं।[2] **(75)** और अल्लाह तआ़ला हिदायत वालों को (दुनिया में तो) हिदायत बढ़ाता है और (आख़िरत में ज़ाहिर होगा कि) जो नेक काम हमेशा के लिए बाक़ी रहने वाले हैं, वे तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब में भी बेहतर हैं और अन्जाम में भी बेहतर हैं।[3] **(76)** भला आपने उस शख़्स (की हालत) को भी देखा जो हमारी आयतों के साथ कुफ़्र करता है और कहता है कि मुझको (आख़िरत में) माल और औलाद मिलेंगे।[4] **(77)** क्या यह शख़्स ग़ैब पर बा-ख़बर हो गया है, या क्या उसने अल्लाह तआ़ला से (इस बात का) कोई अ़हद ले लिया है। **(78)** हरगिज़ नहीं, (बिलकुल ग़लत कहता है, और) हम उसका कहा हुआ भी लिखे लेते हैं, और उसके लिए अ़ज़ाब बढ़ाते चले जाएँगे। **(79)** और उसकी कही हुई चीज़ों के हम वारिस रह जाएँगे और वह हमारे पास (माल व औलाद से) तन्हा (होकर) आएगा। **(80)** और उन लोगों ने अल्लाह के अ़लावा और माबूद तजवीज़ कर रखे हैं ताकि उनके लिए वे (अल्लाह के यहाँ) इ़ज़्ज़त का सबब हों। **(81)** (ऐसा) हरगिज़ नहीं (होगा, बल्कि) वे तो उनकी इबादत का ही इनकार कर बैठेंगे, और उनके मुख़ालिफ़ हो जाएँगे। **(82)** ❖

क्या आपको मालूम नहीं कि हमने शैतानों को (आज़माइश के तौर पर) काफ़िरों पर छोड़ रखा है, कि वे उनको (कुफ़्र व गुमराही पर) ख़ूब उभारते रहते हैं। **(83)** सो आप उनके लिए जल्दी न कीजिए, हम उनकी बातें ख़ुद शुमार कर रहे हैं। **(84)** (और) जिस दिन मुत्तक़ियों को रहमान (के नेमतों के घर) की तरफ़ मेहमान बनाकर जमा करेंगे। **(85)** और मुजरिमों को दोज़ख़ की तरफ़ (प्यासा) हाँकेंगे। **(86)** (वहाँ) कोई सिफ़ारिश का इख़्तियार न रखेगा, मगर हाँ जिसने रहमान के पास से इजाज़त ली है।[5] **(87)** और ये (काफ़िर) लोग कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद (भी) इख़्तियार कर रखी है। **(88)** (अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि) तुमने (जो) यह (बात कही तो) ऐसी सख़्त हरकत की है **(89)** कि उसके सबब कुछ बईद नहीं कि आसमान फट पड़ें और ज़मीन के टुकड़े उड़ जाएँ और पहाड़ टूटकर गिर पड़ें। **(90)** इस बात से कि ये लोग (ख़ुदा-ए-) रहमान की तरफ़ औलाद की निस्बत करते हैं **(91)** हालाँकि (ख़ुदा-ए-) रहमान की शान नहीं कि वह औलाद इख़्तियार करे। **(92)** (क्योंकि) जितने भी कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं सब (ख़ुदा-ए-) रहमान के सामने ग़ुलाम होकर हाज़िर होते हैं। **(93)** (और) उसने सबको (अपनी क़ुदरत में) घेर रखा है, और सबको शुमार

(पृष्ठ 560 का शेष) और ग़रज़ अलग-अलग होंगी। काफ़िरों को दाख़िल होने और हमेशा का अ़ज़ाब देने के वास्ते, और मोमिनों को पुलसिरात को पार करने के तौर पर और शुक्र व ख़ुशी की ज़्यादती के वास्ते। और बाज़े गुनाहगारों को सीमित सज़ा के लिए जो कि उनको पाक-साफ़ करना है।

1. यानी इस दुनियावी नेमत में यह हिक्मत है कि मोहलत देकर हुज्जत को पूरा कर दे, और यह मोहलत चन्द दिन की है।

2. यानी दुनिया में जो अपने मज्लिस वालों को अपना मददगार समझते हैं और फ़ख़्र करते हैं वहाँ मालूम होगा कि उनमें कितना ज़ोर है, क्योंकि वहाँ तो ज़ोर में इतनी कमी होगी कि बिलकुल ज़ोर न होगा, इसी को 'अज़्अफु' फ़रमाया।

3. पस उनको सवाब में बड़ी-बड़ी नेमतें मिलेंगी, जिनमें मकानात और बाग़ात सब कुछ होंगे। और इन आमाल का अन्जाम उन नेमतों का हमेशा रहना है। पस हर एतिबार से मुसलमानों ही की आख़िरी हालत बेहतर होगी, और अन्जाम ही का एतिबार है।

4. ख़ब्बाब बिन अरत सहाबी रज़ियल्लाहु अ़न्हु लुहार का काम करते थे। उनका कुछ क़र्ज़ आ़स बिन वाइल के ज़िम्मे रह गया था। उन्होंने एक बार तक़ाज़ा किया तो आ़स ने जवाब दिया कि जब तक तू मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के साथ कुफ़्र न करेगा तेरे दाम न दूँगा। उन्होंने कहा कि अगर तू मरकर भी ज़िन्दा होगा जब भी कुफ़्र न करूँगा। उसने कहा, तो जब यह बात है कि मैं मरकर फिर ज़िन्दा होने वाला हूँ तो मेरे पास जब ही आना, मेरे पास उस वक़्त भी माल-औलाद सब कुछ होगा, तेरे दाम चुकता कर दूँगा। इसपर यह आयत नाज़िल हुई। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 564 पर)**

कर रखा है। **(94)** और क़ियामत के दिन सब-के-सब उसके पास तन्हा-तन्हा हाज़िर होंगे।[1] **(95)** बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए (ख़ुदा-ए-) रहमान उनके लिए मुहब्बत पैदा कर देगा।[2] **(96)** सो हमने इस (कुरआन) को आपकी ज़बान (यानी अ़रबी) में इसलिए आसान किया है कि आप इससे मुत्तक़ियों को ख़ुशख़बरी सुनाएँ और (साथ ही) इससे झगड़ालू आदमियों को ख़ौफ़ दिलाएँ। **(97)** और हमने उनसे पहले बहुत-से गिरोहों को (अ़ज़ाब व क़ह्र से) हलाक कर दिया है, (सो) क्या आप उनमें से किसी को देखते हैं, या उनकी कोई आहिस्ता आवाज़ सुनते हैं।[3] ● **(98)** ❖

20 सूरः तॉ-हा 45

सूरः तॉ-हा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 135 आयतें और 8 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

ता-हा (के मायने तो अल्लाह को मालूम हैं) **(1)** हमने आप पर कुरआन (मजीद) इसलिए नहीं उतारा कि आप तकलीफ़ उठाएँ। **(2)** बल्कि ऐसे शख़्स की नसीहत के लिए (उतारा है) जो (अल्लाह तआ़ला से) डरता हो। **(3)** यह उस (ज़ात) की तरफ़ से नाज़िल किया गया है जिसने ज़मीन को और बुलन्द आसमानों को पैदा किया है। **(4)** (और वह) बड़ी रहमत वाला (है) अ़र्श पर[4] क़ायम है। **(5)** उसी की (मिल्क) हैं जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं, और जो चीज़ें इन दोनों के दरमियान में हैं, और जो चीज़ें तहतुस्सरा में हैं।[5] **(6)** और (उसके इल्म की यह शान है कि) अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वह चुपके से कही हुई बात को और उससे भी ज़्यादा छुपी बात को जानता है।[6] **(7)** (वह) अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं।[7] **(8)** और क्या आपको मूसा (के क़िस्से) की ख़बर (भी) पहुँची है। **(9)** जबकि उन्होंने (मद्यन से आते हुए रात को) एक आग देखी, सो अपने घर वालों से फ़रमाया कि तुम रुके रहो मैंने आग देखी है, शायद उसमें से तुम्हारे पास कोई शोला लाऊँ या (वहाँ) आग के पास रास्ते का पता मुझको मिल जाए। **(10)** सो वह जब उस (आग) के पास पहुँचे तो (उनको अल्लाह की तरफ़ से) आवाज़ दी गई, कि ऐ मूसा! **(11)** मैं ही तुम्हारा रब हूँ, पस तुम अपनी जूतियाँ उतार डालो, (क्योंकि) तुम एक पाक मैदान यानी 'तुवा' में हो। (यह उसका नाम है)। **(12)** और मैंने तुमको (नबी बनाने के लिए) चुन लिया है, सो (इस वक़्त) जो कुछ वह्य की जा रही है उसको सुन लो। **(13)** (वह यह है कि) मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी ही इंबादत किया करो और मेरी ही याद की नमाज़ पढ़ा

(पृष्ठ 562 का शेष) **5.** वे अम्बिया और नेक लोग हैं। और इजाज़त ख़ास है मोमिनों के साथ। पस काफ़िर लोग शफ़ाअ़त का महल (यानी उसके जारी होने की जगह) न हुए।

1. यानी हर शख़्स ख़ुदा ही का मोहताज और उसके हुक्म के ताबे होगा।

2. इसका यह मतलब नहीं कि उससे किसी को बुग़्ज़ न होगा, बल्कि मक़सूद यह है कि आ़म मख़्लूक़ जिनका न कोई नफ़ा उस मोमिन से वाबस्ता है न कोई नुक़सान वे उससे मुहब्बत करेंगे।

3. यह इशारा है कि बिलकुल नाम व निशान मिट जाने और नेस्तनाबूद होने से।

4. यानी बादशाही के तख़्त पर। अ़र्श रिवायतों और आयतों के मुताबिक़ एक बड़ा जिस्म है। आसमानों और कुर्सी के अ़लावा उन सबके ऊपर एक गुंबद की तरह से है और उन सबसे बड़ा है। उसके पाए भी हैं और फ़रिश्ते उसको उठाए हुए हैं, और वह अपनी जगह ठहरा हुआ है, कभी उसको हरकत भी हो जाती है।

5. यानी ज़मीन के अन्दर जो तर मिट्टी है उसको 'सरा' कहते हैं। 'जो चीज़ उसके नीचे है' से मुराद **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 566 पर)**

करो। **(14)** (दूसरी बात यह सुनो कि) बेशक क़ियामत आने वाली है, मैं उसको (तमाम मख़्लूक़ से) छुपाकर रखना चाहता हूँ ताकि हर शख़्स को उसके किए का बदला मिल जाए। **(15)** सो तुमको उस (क़ियामत) से ऐसा शख़्स बाज़ न रखने पाए जो उसपर ईमान नहीं रखता, और अपनी (नफ़्सानी) ख़्वाहिशों पर चलता है, कहीं तुम (इस बेफ़िक्री की वजह से) तबाह न हो जाओ।[1] **(16)** और यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है ऐ मूसा! **(17)** उन्होंने कहा कि यह मेरी लाठी है, मैं (कभी) इस पर सहारा लगाता हूँ और (कभी) अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इस में मेरे और भी काम (निकलते) हैं। **(18)** इरशाद हुआ कि इसको (ज़मीन पर) डाल दो ऐ मूसा! **(19)** सो उन्होंने उसको डाल दिया, यकायक वह (ख़ुदा की क़ुदरत से) एक दौड़ता हुआ साँप (बन गया)। **(20)** इरशाद हुआ कि उसको पकड़ लो और डरो नहीं,[2] हम अभी उसको उसकी पहली हालत पर कर देंगे।[3] **(21)** और तुम अपना (दाहिना) हाथ अपनी (बाईं) बग़ल में दे लो, (फिर निकालो) वह बिना किसी ऐब (यानी बिना किसी सफ़ेद कोढ़ की बीमारी वग़ैरह) के बहुत ही रोशन होकर निकलेगा, (कि यह) दूसरी निशानी होगी। **(22)** ताकि हम तुमको अपनी (क़ुदरत की) बड़ी निशानियों में से बाज़ (निशानियाँ) दिखलाएँ। **(23)** (अब ये निशानियाँ लेकर) तुम फ़िरऔन के पास जाओ, वह बहुत हद से निकल गया है।[4] **(24)** ❖

अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरा सीना (यानी हौसला) खोल दीजिए। **(25)** और मेरा (यह तबलीग़ का) काम आसान फ़रमा दीजिए। **(26)** और मेरी ज़बान पर से बन्दिश (यानी रुक-रुककर बोलने की हालत) को हटा दीजिए। **(27)** ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। **(28)** और मेरे वास्ते मेरे कुन्बे में से एक मददगार मुक़र्रर कर दीजिए। **(29)** यानी हारून को कि मेरे भाई हैं। **(30)** उनके ज़रिये से मेरी कुव्वत को मज़बूत कर दीजिए। **(31)** और उनको मेरे (इस तब्लीग़ के) काम में शरीक कर दीजिए **(32)** ताकि हम दोनों (शिर्क और नुक़्सों से) कसरत से आपकी पाकी बयान करें **(33)** और आपका (ख़ूब) कसरत से ज़िक्र करें। **(34)** बेशक आप हमको ख़ूब देख रहे हैं। **(35)** इरशाद हुआ कि तुम्हारी (हर) दरख़्वास्त मन्ज़ूर की गई ऐ मूसा![5] **(36)** और हम तो एक दफ़ा और भी (इससे पहले बिना दरख़्वास्त ही) तुमपर एहसान कर चुके हैं। **(37)** जबकि हमने तुम्हारी माँ को वह बात इल्हाम "यानी दिल में डालने" से बतलाई जो बात इल्हाम से बतलाने की

(पृष्ठ 564 का शेष) यह है कि ज़मीन की तह में है।

6. यानी जो अभी दिल में है।

7. जो कमालात और ख़ूबियों पर दलालत करते हैं, और यह क़ुरआन उसी अच्छे-अच्छे नाम वाली और कमालात व ख़ूबियों वाली ज़ात का नाज़िल किया हुआ है, और यक़ीनी हक़ है।

1. बुनियादी बड़े मसले तीन थे- तौहीद, नुबुव्वत, आख़िरत। तीनों की तालीम दी गई। 'तुम मेरी ही इबादत किया करो' में तमाम फ़ुरूअ (यानी इनसे निकलने वाले अहकाम) आ गए। और नमाज़ को शर्फ़ की वजह से अलग भी ज़िक्र फ़रमाया।

2. मूसा अ़लैहिस्सलाम का डर जाना, बाज़ ने कहा कि तबई है जो किसी तरह से शान के अ़ज़ीम होने के मनाफ़ी नहीं, और बाज़ ने कहा है कि जो हादसा मख़्लूक़ की जानिब से हो उसमें तो न डरना कमाल है, जैसे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम नमरूद की आग से नहीं डरे, और जो मामला ख़ालिक़ (यानी अल्लाह पाक) की तरफ़ से हो उसमें डरना ही कमाल है, कि वह हक़ीक़त में हक़ तआ़ला से डरना है। जैसे हवा के तेज़ होने के वक़्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का घबरा जाना हदीसों में आया है। चूँकि इस बदलाव में मख़्लूक़ का वास्ता न था इसलिए उससे डर गए कि यह कोई अल्लाह का क़हर न हो। और दूसरी आयत में 'इन्न-क मिनल् आमिनीन' यानी आप महफ़ूज़ रहने वालों में हैं, फ़रमाकर तसल्ली देना इसी तरफ़ इशारा करता है।

3. यानी यह फिर लाठी बन जाएगा और तुमको कोई नुक़सान न पहुँचेगा।

4. कि ख़ुदाई का दावा करता है। तुम जाकर उसे तौहीद की दावत दो, अगर तुम्हारी नुबुव्वत में शक करे तो यही मोजिज़े दिखला दो।

5. जो 'रब्बिश्रह ली सदरी' से 'व अश्रिक्हु फ़ी अमूरी' तक ज़िक्र किया गया है।

थी। **(38)** (वह यह) कि उनको (यानी मूसा को जल्लादों के हाथों से बचाने के लिए) एक सन्दूक़ में रखो, फिर उनको दरिया में डाल दो, फिर उनको (सन्दूक़ के साथ) दरिया किनारे तक ले आएगा, (आख़िरकार) उनको एक शख़्स पकड़ लेगा जो (काफ़िर होने की वजह से) मेरा भी दुश्मन है और उनका भी दुश्मन है।[1] और (ऐ मूसा) मैंने तुम्हारे ऊपर एक मुहब्बत का असर डाल दिया (ताकि जो तुमको देखे प्यार करे) और ताकि तुम मेरी (ख़ास) निगरानी में परवरिश पाओ। **(39)** (यह क़िस्सा उस वक़्त का है) जबकि तुम्हारी बहन चलती हुई आईं फिर कहने लगीं, क्या तुम लोगों को ऐसे शख़्स का पता दूँ जो इसको (अच्छी तरह) पाले, (यानी रखे) फिर (इस तदबीर से) हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास फिर पहुँचा दिया, ताकि उनकी आँखें ठन्डी हों और उनको ग़म न रहे। और तुमने (ग़लती से) एक (क़िबती) शख़्स को जान से मार डाला,[2] फिर हमने तुमको इस ग़म से नजात दी, और हमने तुमको ख़ूब-ख़ूब मेहनतों में डाला, फिर (मद्यन पहुँचे और) मद्यन वालों में कई साल रहे, फिर एक ख़ास वक़्त पर तुम (यहाँ) आए ऐ मूसा! **(40)** और (यहाँ आने पर) मैंने तुमको अपने लिए चुन लिया। **(41)** (सो अब) तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियाँ (यानी मोजिज़े) लेकर जाओ और मेरी याद (गारी) में सुस्ती मत करना।[3] **(42)** दोनों फ़िरऔन के पास जाओ, वह बहुत हद निकल चुका है। **(43)** फिर उससे नरमी के साथ बात करना, शायद वह (दिलचस्पी से) नसीहत क़बूल कर ले, या (अल्लाह के अ़ज़ाब से) डर जाए। **(44)** दोनों ने अ़र्ज़ किया कि ऐ हमारे रब! हमको यह अन्देशा है कि (कहीं) वह हमपर ज़्यादती (न) कर बैठे, या यह कि ज़्यादा शरारत (न) करने लगे। **(45)** इरशाद हुआ कि तुम अन्देशा न करो (क्योंकि) मैं तुम दोनों के साथ हूँ सब सुनता और देखता हूँ। **(46)** सो तुम उसके पास जाओ और (उससे) कहो कि हम दोनों तेरे परवर्दिगार के भेजे हुए हैं, (कि हमको नबी बनाकर भेजा है) सो बनी इस्राईल को हमारे साथ जाने दे और उनको तकलीफ़ मत पहुँचा, हम तेरे पास तेरे रब की तरफ़ से (अपनी नुबुव्वत का) निशान (यानी मोजिज़ा भी) लाए हैं, और ऐसे शख़्स के लिए सलामती है जो (सीधी) राह पर चले। **(47)** हमारे पास यह हुक्म पहुँचा है कि (अल्लाह तआ़ला का) अ़ज़ाब उस शख़्स पर होगा जो (हक़ को) झुठलाए और (उससे) मुँह मोड़े। **(48)** वह कहने लगा कि फिर (यह बतलाओ कि) तुम दोनों का रब कौन है? ऐ मूसा! **(49)** (मूसा ने) कहा कि हमारा (सबका) रब वह है जिसने हर चीज़ को उसके मुनासिब बनावट अ़ता फ़रमाई, फिर रहनुमाई फ़रमाई। **(50)** (फ़िरऔन ने कहा) अच्छा तो पहले लोगों का क्या हाल हुआ। **(51)** (मूसा ने) फ़रमाया कि उन (लोगों) का इल्म मेरे रब के पास (आमाल के) दफ़्तर में (महफ़ूज़) है, मेरा रब न ग़लती करता है और न भूलता है।[4] **(52)** वह (रब) ऐसा है जिसने तुम लोगों के लिए ज़मीन को फ़रश (की तरह) बनाया,[5] और इस (ज़मीन) में तुम्हारे (चलने के) वास्ते रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उस (पानी) के ज़रिए से (मुख़्तलिफ़) क़िस्मों के नबातात "यानी पेड़-पौधे, हरियाली और सब्ज़ियाँ" पैदा किए। **(53)** (और तुमको इजाज़त दी कि) ख़ुद (भी) खाओ और अपने मवेशियों को (भी) चराओ। इन सब चीज़ों में अ़क़्ल वालों के वास्ते (अल्लाह की क़ुदरत की) निशानियाँ हैं। **(54)** ❖

हमने तुमको इसी ज़मीन से पैदा किया,[6] और इसी में हम तुमको (मौत के बाद) ले जाएँगे,[7] और

---

1. चाहे फ़िलहाल इस वजह से कि सब बच्चों को क़त्ल करता था, चाहे आइन्दा कि उनका ख़ास तौर पर दुश्मन होगा।
2. और मारकर सज़ा के डर से भी और इन्तिक़ाम के ख़ौफ़ से भी ग़म हुआ।
3. उनमें असल दो मोजिज़े हैं- लाठी और चमकता हुआ हाथ। और हर एक में मोजिज़ा होने की अनेक वुजूहात हैं।
4. पस उनके आमाल का सही-सही इल्म उसको हासिल है, मगर अ़ज़ाब के लिए वक़्त मुक़र्रर कर रखा है। जब वह वक़्त आएगा वह अ़ज़ाब उनपर जारी कर दिया जाएगा, इसलिए दुनिया में अ़ज़ाब न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि कुफ़्र व झुठलाना अ़ज़ाब का सबब न हो।
5. कि उसपर आराम करते हो। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 570 पर)**

(क़ियामत के दिन) फिर दोबारा इसी से हम तुमको निकालेंगे। (55) और हमने उस (फ़िरऔन) को अपनी (वे) सब ही निशानियाँ दिखलाईं[1] सो (जब भी) वह झुठलाता ही रहा और इनकार ही करता रहा। (56) (और) कहने लगा (ऐ मूसा!) तुम हमारे पास इस वास्ते आए हो-(गे) कि हमको हमारे मुल्क से अपने जादू (के ज़ोर) से निकाल बाहर करो।[2] (57) सो अब हम भी तुम्हारे मुक़ाबले में ऐसा ही जादू लाते हैं, तुम हमारे और अपने दरमियान एक वायदा मुक़र्रर कर लो जिसको न हम ख़िलाफ़ करें और न तुम (ख़िलाफ़ करो) किसी हमवार मैदान में। (ताकि सब देख लें) (58) (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, तुम्हारे (मुक़ाबले के) वायदे का वक़्त तो वह दिन है जिसमें (तुम्हारा) मेला होता है, और (जिसमें) दिन चढ़े लोग जमा हो जाते हैं। (59) ग़रज़ (यह सुनकर) फ़िरऔन (दरबार से अपनी जगह) लौट गया, फिर अपने मक्र (यानी जादू) का सामान जमा करना शुरू किया, फिर आया।[3] (60) (उस वक़्त) मूसा ने उन (जादूगर) लोगों से फ़रमाया कि ऐ कमबख़्ती मारो! अल्लाह तआ़ला पर झूठ मत बाँधो,[4] कभी वह (यानी ख़ुदा तआ़ला) तुमको (किसी क़िस्म की) सज़ा से बिलकुल नेस्तनाबूद ही कर दे, और जो झूठ बाँधता है वह (आख़िरकार) नाकाम रहता है। (61) पस वे (जादूगर) यह बात सुनकर आपस में अपनी राय में इख़्तिलाफ़ करने लगे,[5] और ख़ुफ़िया गुफ़्तगू करते रहे। (62) (आख़िरकार सब मुत्तफ़िक़ होकर) कहने लगे कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं, इनका मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से तुमको तुम्हारी सरज़मीन से निकाल बाहर करें, और तुम्हारे उम्दा (मज़हबी) तरीक़े का दफ़्तर ही उठा दें। (63) सो अब तुम मिलकर अपनी तदबीर का इन्तिज़ाम करो और सफ़ें बना करके (मुक़ाबले में) आओ, और आज वही कामयाब है जो ग़ालिब हो। (64) फिर उन्होंने कहा कि ऐ मूसा (अ़लैहिस्सलाम)! तुम अपनी (लाठी) पहले डालोगे या हम पहले डालने वाले बनें। (65) आपने फ़रमाया, नहीं तुम ही पहले डालो,[6] पस यकायक उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनकी नज़रबन्दी से उनके (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम के) ख़्याल में ऐसी मालूम होने लगीं जैसे (साँप की तरह चलती) दौड़ती हों। (66) सो मूसा के दिल में थोड़ा-सा ख़ौफ़ हुआ।[7] (67) हमने कहा कि तुम डरो नहीं तुम ही ग़ालिब रहोगे। (68) और (इसकी सूरत यह है कि) तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (लाठी) है उसको डाल दो, इन लोगों ने जो कुछ (साँग) बनाया है यह (लाठी) सबको निगल जाएगी, यह जो कुछ उन्होंने बनाया है जादूगरों का साँग है, और जादूगर कहीं जाए (मोजिज़े के मुक़ाबले में कभी) कामयाब नहीं होता।[8] (69) सो जादूगर सज्दे में गिर गए[9] (और बुलन्द आवाज़ से) कहा कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा के परवर्दिगार पर। (70) (फ़िरऔन ने) कहा कि इसके बिना

(पृष्ठ 568 का शेष) 6. चुनाँचे आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए। सो उनके वास्ते से सबका दूर का माद्दा मिट्टी हुई।

7. चुनाँचे कोई मुर्दा किसी हालत में हो लेकिन आख़िर को चाहे मुद्दतों के बाद ही सही मगर मिट्टी में ज़रूर मिलेगा।

1. जो मूसा अ़लैहिस्सलाम को अ़ता हुई थीं।

2. और ख़ुद अ़वाम को फ़रेफ़्ता और ताबे बनाकर सरदार बन जाओ।

3. यानी उस मैदान में जहाँ वायदा ठहरा था, आया।

4. कि उसके वजूद या तौहीद का इनकार करने लगो, या उसके ज़ाहिर किए हुए मोजिज़ों को जादू बतलाने लगो।

5. उन दोनों हज़रात के बारे में।

6. चुनाँचे उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डालीं और नज़रबन्दी कर दी।

7. यानी डर हुआ कि जब देखने में ये रस्सियाँ और लाठियाँ साँप मालूम होती हैं और मेरी लाठी भी साँप बन जाएगी तो देखने वाले दोनों चीज़ों को एक-सा ही समझेंगे। फिर हक़ और बातिल में फ़र्क़ किस तरह करेंगे।

8. इससे हज़रत मूसा की तसल्ली हो गई कि अब ख़ूब फ़र्क़ हो सकता है। चुनाँचे उन्होंने लाठी डाली और वह सबको निगल गई।

9. जबकि उन्होंने जादू से ऊपर का काम देखा और समझ गए कि बेशक यह मोजिज़ा है।

ही कि मैं तुमको इजाज़त दूँ (यानी मेरी मरज़ी के ख़िलाफ़) तुम इसपर (यानी मूसा पर) ईमान ले आए, वाक़ई (मालूम होता है कि) वह (जादू में) तुम्हारे भी बड़े हैं, कि उन्होंने तुमको जादू सिखलाया है,[1] सो मैं तुम सबके हाथ-पाँव कटवाता हूँ, एक तरफ़ का हाथ और एक तरफ़ का पाँव, और तुम सबको खजूरों के पेड़ पर टँगवाता हूँ, और यह भी तुमको मालूम हुआ जाता है कि हम दोनों में (यानी मुझमें और मूसा के रब में) किसका अ़ज़ाब ज़्यादा सख़्त और देरपा है। **(71)** उन लोगों ने (साफ़) जवाब (दे) दिया कि हम तुझको कभी तरजीह न देंगे उन दलीलों के मुक़ाबले में जो हमको मिली हैं, और उस ज़ात के मुक़ाबले में जिसने हमको पैदा किया है, तुझको जो कुछ करना हो (दिल खोलकर) कर डाल। तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी ज़िन्दगी में कुछ कर ले और कर ही क्या सकता है। **(72)** अब तो हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि हमारे (पिछले) गुनाह (कुफ़्र वग़ैरह) माफ़ कर दें, और तूने जो जादू (के पेश करने) में हमपर ज़ोर डाला (उसको भी माफ़ कर दें) और अल्लाह तआ़ला (तुझसे) लाख दर्जे अच्छे हैं, और ज़्यादा बक़ा वाले हैं। ▲ **(73)** जो शख़्स (बग़ावत का) मुजरिम होकर अपने रब के पास हाज़िर होगा सो उसके लिए दोज़ख़ (मुक़र्रर) है, उसमें न मरेगा ही और न ज़िन्दा ही रहेगा।[2] **(74)** और जो शख़्स रब के पास मोमिन होकर हाज़िर होगा, जिसने नेक काम भी किए हों, सो ऐसों के लिए बड़े ऊँचे दर्जे हैं। **(75)** (यानी) हमेशा-हमेशा रहने के बाग़ात जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे, और जो शख़्स (कुफ़्र व गुनाहों से) पाक हो उसका यही इनाम है। **(76)** ◆

और हमने मूसा के पास वह्य भेजी कि हमारे (उन) बन्दों (यानी बनी इस्राईल को मिस्र से) रातों-रात (बाहर) ले जाओ[3] फिर उनके लिए दरिया में (लाठी) मारकर सूखा रास्ता बना देना, न तुमको किसी के पीछा करने का अन्देशा होगा और न और किसी क़िस्म का ख़ौफ़ होगा।[4] **(77)** पस फ़िरऔ़न अपने लश्करों को लेकर उनके पीछे चला,[5] (जब सब अन्दर आ गए) तो (उस वक़्त चारों तरफ़) दरिया (का पानी सिमट कर) उनपर जैसा मिलने को था, आ मिला।[6] **(78)** और फ़िरऔ़न ने अपनी क़ौम को बुरी राह पर डाला और नेक राह उनको न बतलाई।[7] **(79)** ऐ बनी इस्राईल! देखो हमने तुमको तुम्हारे (ऐसे बड़े) दुश्मन से नजात दी, और हमने तुमसे (यानी तुम्हारे पैग़म्बर से) तूर पहाड़ की दाहिनी जानिब (आने) का वायदा किया,[8] और (वादी-ए-तीह में) हमने तुमपर 'मन्न' व 'सलवा' नाज़िल फ़रमाया। **(80)** (और इजाज़त दी कि) हमने जो अच्छी चीज़ें[9] तुमको दी हैं, उनको खाओ और उस (खाने) में (शरई) हद से मत गुज़रो,[10] कहीं मेरा ग़ज़ब

---

1. फ़िरऔ़न का यह कहना कि 'उन्होंने तुमको जादू सिखलाया है' अ़वाम को धोखा देने के लिए था, वरना मूसा अ़लैहिस्सलाम से उनकी बेताल्लुक़ी तो वह भी जानता था।
2. न मरना तो ज़ाहिर है, और न जीना यह कि जीने का आराम न होगा।
3. और दूर चले जाओ ताकि फ़िरऔ़न के ज़ुल्म और सख़्तियों से उनको नजात हो।
4. क्योंकि पीछा करने वाले कामयाब नहीं होंगे, अगरचे पीछा करेंगे।
5. बनी इस्राईल अल्लाह के वायदे के मुताबिक़ दरिया से पार हो गए, और अभी तक वे रास्ते इसी तरह अपनी हालत पर थे, तो फ़िरऔ़नियों ने कुछ आगा-पीछा सोचा नहीं उनके रास्ते पर हो लिए।
6. और सब ग़र्क़ होकर रह गए।
7. बुरी राह होना ज़ाहिर है कि दुनिया का भी नुक़सान हुआ और आख़िरत का भी।
8. तूर पहाड़ की तरफ़ को 'ऐमन' इसलिए फ़रमाया कि वह दिशा उस तरफ़ जाने वाले के दाहिने हाथ पड़ती है। और बाज़ ने यमन से लिया है, बरकत के मायनों में, यानी मुबारक दिशा। इसकी वजह ज़ाहिर है कि वह वह्य की जगह थी और वह्य की जगह के मुबारक होने में क्या शुब्हा है, चुनाँचे उसको मुक़द्दस (और पाकीज़ा) भी कहा है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 574 पर)**

तुमपर न आ जाए। और जिस शख़्स पर मेरा ग़ज़ब आ पड़ता है वह बिलकुल गया गुज़रा हुआ। **(81)** और (तथा इसके साथ यह भी कि) मैं ऐसे लोगों के लिए बड़ा बख़्शने वाला भी हूँ जो तौबा कर लें और ईमान ले आएँ और नेक अ़मल करें, फिर (इसी) राह पर क़ायम (भी) रहें।[1] **(82)** और ऐ मूसा! आपको अपनी क़ौम से आगे जल्दी आने का क्या सबब हुआ? **(83)** उन्होंने (अपने गुमान के मुवाफ़िक़) अ़र्ज़ किया कि वे लोग यही तो हैं मेरे पीछे (पीछे आ रहे हैं) और मैं आपके पास जल्दी से (इसलिए) चला आया कि आप (ज़्यादा) ख़ुश होंगे। **(84)** इरशाद हुआ कि तुम्हारी क़ौम को तो हमने तुम्हारे (चले आने के) बाद (एक बला में) मुब्तला कर दिया, और उनको सामरी ने गुमराह कर दिया। **(85)** ग़रज़ मूसा (अ़लैहिस्सलाम मीयाद पूरी करने के बाद) गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी क़ौम की तरफ़ वापस आए, (और) फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी क़ौम! क्या तुमसे तुम्हारे रब ने एक अच्छा वायदा नहीं किया था, क्या तुमपर मुक़र्ररा मीयाद से (कुछ) ज़्यादा ज़माना गुज़र गया था, या तुमको यह मन्ज़ूर हुआ कि तुमपर तुम्हारे रब का ग़ज़ब आ पड़े, इसलिए तुमने मुझसे जो वायदा किया था उसको ख़िलाफ़ किया। **(86)** वे कहने लगे कि हमने जो आपसे वायदा किया था उसको अपने इख़्तियार से ख़िलाफ़ नहीं किया,[2] और लेकिन (क़िबती) क़ौम के ज़ेवर में से हमपर बोझ लद रहा था, सो हमने उसको (सामरी के कहने से आग में) डाल दिया, फिर उसी तरह सामरी ने (भी) डाल दिया। **(87)** फिर उस (सामरी) ने उन लोगों के लिए एक बछड़ा (बनाकर) ज़ाहिर किया कि वह एक क़ालिब ''यानी जिस्म और साँचा'' था, जिसमें एक (बेमानी) आवाज़ थी, सो वे (अहमक़) लोग (एक-दूसरे से) कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का भी माबूद तो यह है, पस वह (यानी मूसा) तो भूल गए। **(88)** क्या वे लोग इतना भी नहीं देखते थे कि वह न तो उनकी किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनके किसी नुक़सान या नफ़े पर क़ुदरत रखता है। **(89)** ❖

और उन लोगों से हारून ने (मूसा अ़लैहिस्सलाम के लौटने से) पहले भी कहा था कि ऐ मेरी क़ौम! तुम इस (गौसाला) के सबब (गुमराही में) फँस गए (हो)[3] और तुम्हारा (हक़ीक़ी) रब रहमान है,[4] सो तुम मेरी राह पर चलो और मेरा कहना मानो।[5] **(90)** उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जब तक मूसा हमारे पास वापस (होकर) आएँ इसी (की इबादत) पर (बराबर) जमे (बैठे) रहेंगे। **(91)** (मूसा ने) कहा कि ऐ हारून! जब तुमने उनको देखा था कि ये (बिलकुल) गुमराह हो गए तो (उस वक़्त) तुमको मेरे पास चले आने से कौन-सी चीज़ रोक हुई थी। **(92)** सो क्या तुमने मेरे कहने के ख़िलाफ़ किया। **(93)** (हारून ने) कहा कि ऐ मेरे माँ-जाय तुम मेरी दाढ़ी मत पकड़ो और न सर (के बाल पकड़ो) मुझे यह अन्देशा हुआ कि तुम यह कहने लगो कि तुमने बनी इस्राईल के बीच फूट डाल दी, और तुमने मेरी बात का पास न किया।[6] **(94)** (फिर सामरी की तरफ़ मुतवज्जह हुए) कहा ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है?[7] **(95)** उसने कहा कि मुझको ऐसी चीज़ नज़र आई

(पृष्ठ 572 का शेष) **9.** कि वे शरई तौर पर भी हलाल हैं और तबई तौर पर भी मज़ेदार।

10. जैसे यह कि हराम से हासिल किया जाए, या खाकर गुनाह और नाफ़रमानी की जाए।

1. यानी ईमान और नेक अ़मल पर हमेशा पाबन्द रहें।

2. यह मायने नहीं कि बिलकुल मजबूर हो गए थे। बल्कि मतलब यह है कि जिस राय को हम शुरू में तबीयत से आज़ाद होकर इख़्तियार करते उसमें सामरी का फ़ेल (काम) हमारे लिए शुब्हे में पड़ने का सबब बन गया, जिससे हमने वह पहली राय इख़्तियार न की बल्कि राय बदल गई, अगरचे उसपर भी अ़मल इख़्तियार ही से हुआ।

3. यानी इस तरीक़े के सही होने का एहतिमाल ही नहीं, यक़ीनन गुमराही है।

4. न कि यह गौसाला।

5. यानी मेरे क़ौल व फ़ेल की पैरवी करो। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 576 पर)**

थी जो औरों को नज़र न आई थी।[1] फिर मैंने उस (खुदा की तरफ़ से) भेजी हुई (सवारी) के नक़्शे क़दम "पैरों के निशान" से एक मुट्ठी (भर मिट्टी) उठा ली थी, सो मैंने वह मिट्टी (इस जिस्म-साँचे के अन्दर) डाल दी, और मेरे जी को यही बात पसन्द आई।[2] **(96)** आपने फ़रमाया तो बस तेरे लिए इस (दुनियावी) ज़िन्दगी में यह (सज़ा) है कि तू यह कहता फिरा करेगा कि मुझको कोई हाथ न लगाना, और (इसके अ़लावा) तेरे लिए एक और वायदा है जो तुझसे टलने वाला नहीं। (यानी आख़िरत में अ़ज़ाब अलग होगा) और तू अपने इस (बातिल) माबूद को जिसपर तू जमा हुआ बैठा था (देख) हम इसको जला देंगे फिर उस (की राख) को दरिया में बिखेर कर बहा देंगे।[3] **(97)** बस तुम्हारा (हक़ीक़ी) माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह अपने इल्म से तमाम चीज़ों को घेरे हुए है। **(98)** (जिस तरह हमने मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान किया) इसी तरह हम आपसे और गुज़रे हुए वाक़िआत की ख़बरें भी बयान करते रहते हैं, और हमने आपको अपने पास से एक नसीहत-नामा भी दिया है, (यानी कुरआन)। **(99)** जो लोग इससे मुँह मोड़ेंगे सो वे क़ियामत के दिन बड़ा भारी (अ़ज़ाब का) बोझ लादे होंगे। **(100)** (और) वे उस अ़ज़ाब में हमेशा-हमेशा रहेंगे, और यह बोझ क़ियामत के दिन उनके लिए बुरा (बोझ) होगा। **(101)** जिस दिन सूर में फूँक मारी जाएगी (जिससे मुर्दे ज़िन्दा हो जाएँगे) और हम उस दिन मुजरिम (यानी काफ़िर) लोगों को (क़ियामत के मैदान में) इस हालत से जमा करेंगे कि (आँखों से) नीले होंगे। **(102)** चुपके-चुपके आपस में बातें करते होंगे कि तुम लोग (क़ब्रों में) सिर्फ़ दस दिन रहे होंगे।[4] **(103)** जिस (मुद्दत) के बारे में वे बातचीत करेंगे उसको हम ख़ूब जानते हैं (कि वह किस क़द्र है) जबकि उन सबमें का ज़्यादा सही राय वाला यूँ कहता होगा कि नहीं तुम तो (क़ब्र में) एक ही दिन रहे हो। **(104)** ❖

और लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं (कि क़ियामत में उनका क्या हाल होगा) सो आप फ़रमा दीजिए कि मेरा रब उनको बिलकुल उड़ा देगा। **(105)** फिर इस (ज़मीन) को एक हमवार मैदान कर देगा। **(106)** जिसमें तू (ऐ मुख़ातब!) न तो नाहमवारी देखेगा और न कोई बुलन्दी देखेगा। **(107)** उस दिन सब-के-सब (यानी मख़्लूक़) बुलाने वाले (यानी सूर फूँकने वाले फ़रिश्ते) के कहने पर हो लेंगे, उसके सामने (किसी का) टेढ़ापन न रहेगा,[5] और तमाम आवाज़ें (खुदा-ए-) रहमान के सामने (हैबत की वजह से) दब जाएँगी, सो तू (ऐ मुख़ातब!) सिवाय पाँव की आहट के और कुछ न सुनेगा। **(108)** उस दिन (किसी को किसी की) सिफ़ारिश नफ़ा न देगी, मगर ऐसे शख़्स को कि जिसके वास्ते (खुदा-ए-) रहमान ने इजाज़त दे दी हो, और उस शख़्स के वास्ते बोलना पसन्द कर लिया हो।[6] **(109)** वह (अल्लाह तआ़ला) उन सबके

(पृष्ठ 574 का शेष) **6.** मक़ाम का हासिल यह है कि यहाँ दो चीज़ें हैं- एक यह कि उनका साथ छोड़ देना ज़्यादा फ़ायदेमन्द था, दूसरा यह कि उनके साथ न रहना ज़्यादा नुक़सानदेह था। मूसा अ़लैहिस्सलाम का ज़ेहन अव्वल चीज़ की तरफ़ गया और हारून अ़लैहिस्सलाम का ज़ेहन दूसरी बात की तरफ़ गया।

7. यानी तूने यह हरकत क्यों की।

1. यानी हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम नज़र आए जो घोड़े पर चढ़े हुए थे। जिस दिन दरिया से पार उतरे हैं मोमिनों की मदद और काफ़िरों को हलाक करने की मस्लहत से आए होंगे।

2. यानी मेरे दिल में खुद-बखुद यह बात पैदा हुई कि इसमें ज़िन्दगी हासिल हो जाने का असर होगा।

3. ताकि उसका नाम व निशान भी न रहे।

4. मतलब यह है कि हम तो यूँ समझे थे कि मरने के बाद फिर ज़िन्दा होना नहीं, यह गुमान तो बिलकुल ग़लत निकला। ज़िन्दा न होना तो दरकिनार यह भी तो न हुआ कि देर ही में ज़िन्दा होते, बल्कि बहुत ही जल्दी हम ज़िन्दा हो गए, कि यह मुद्दत दस दिन के बराबर मालूम होती है। इस मात्रा के बराबर मालूम होने की वजह उस दिन का लम्बा और घबराहट व परेशानी है, कि क़ब्र में ठहरने की मुद्दत इतनी कम मालूम होगी। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 578 पर)**

अगले-पिछले हालात को जानता है और उसको उनका इल्म इहाता नहीं कर सकता। **(110)** और (उस दिन) तमाम चेहरे उसी हय्यु व क़य्यूम "यानी अल्लाह" के सामने झुके होंगे।[1] और ऐसा शख़्स तो (हर तरह) नाकाम रहेगा जो ज़ुल्म (यानी शिर्क) लेकर आया होगा। **(111)** और जिसने नेक काम किए होंगे और वह ईमान भी रखता होगा, सो उसको (पूरा सवाब मिलेगा) न किसी ज़्यादती का अन्देशा होगा और न किसी कमी का। **(112)** और हमने इसी तरह इसको अ़रबी क़ुरआन (करके) नाज़िल किया है, और हमने इसमें तरह-तरह से वईद "यानी सज़ा की धमकी और तंबीह" बयान की है, ताकि वे (सुनने वाले) लोग डर जाएँ,[2] यह (क़ुरआन) उनके लिए किसी क़द्र (तो) समझ पैदा कर दे।[3] **(113)** सो अल्लाह तआ़ला जो हक़ीक़ी बादशाह है, बड़ा आ़लीशान है, और क़ुरआन (पढ़ने) में इससे पहले कि आप पर उसकी वह्य नाज़िल हो चुके जल्दी न किया कीजिए, और आप यह दुआ़ कीजिए कि ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा दीजिए।[4] **(114)** और इससे (बहुत ज़माने) पहले हम आदम को एक हुक्म दे चुके थे, सो उनसे ग़फ़लत (और बेएहतियाती) हो गई, हमने (उस हुक्म के एहतिमाम में) उनमें पुख़्तगी (और साबित-क़दमी) न पाई। **(115)** ❖

और (वह वक़्त याद करो) जबकि हमने फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमाया कि आदम के सामने (सलाम व ताज़ीम का) सज्दा करो, सो सबने सज्दा किया सिवाय शैतान के, (कि) उसने इनकार किया। **(116)** फिर हमने (आदम से) कहा कि ऐ आदम! (याद रखो) यह बिला शुब्हा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का (इस वजह से) दुश्मन है (कि तुम्हारे मामले में यह मरदूद हुआ), सो कहीं तुम दोनों को जन्नत से न निकलवा दे,[5] फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। **(117)** यहाँ (जन्नत में) तो तुम्हारे लिए यह (आराम) है कि तुम न भूखे रहोगे और न नंगे होगे। **(118)** और न यहाँ प्यासे होगे और न धूप में तपोगे। **(119)** फिर उनको शैतान ने बहकाया, कहने लगा कि ऐ आदम! क्या मैं तुमको हमेशगी (की ख़ासियत) का पेड़ बतलाऊँ,[6] और ऐसी बादशाही कि जिसमें कभी कमज़ोरी न आए। **(120)** सो (उसके बहकाने से) दोनों ने उस पेड़ से खा लिया, तो उन दोनों के सतर "यानी जिस्म की छुपाने की जगहें" एक-दूसरे के सामने खुल गए, और (अपना बदन ढाँकने को) दोनों अपने ऊपर जन्नत के (पेड़ों के) पत्ते चिपकाने लगे, और आदम से अपने रब का क़ुसूर हो गया, सो ग़लती में पड़ गए। **(121)** फिर (जब उन्होंने माज़िरत की तो) उनको उनके रब ने (ज़्यादा) मक़बूल बना लिया, सो उनपर ज़्यादा तवज्जोह फ़रमाई और (हमेशा सीधे) रास्ते पर क़ायम रखा। **(122)** अल्लाह ने फ़रमाया कि दोनों के दोनों इस (जन्नत) से उतरो (और दुनिया में) ऐसी हालत से (जाओ) कि एक का दुश्मन एक होगा। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हिदायत (का ज़रिया यानी रसूल या किताब) पहुँचे तो (तुममें) जो शख़्स मेरी (उस) हिदायत की इत्तिबा करेगा तो वह न (दुनिया में) गुमराह होगा और न (आख़िरत

(पृष्ठ 576 का शेष) **5.** यानी क़ब्र से ज़िन्दा होकर ऐसे न रहेंगे जैसे दुनिया में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के सामने टेढ़े रहते थे, कि तस्दीक़ न करते थे।

6. मुराद इससे मोमिन है कि सिफ़ारिश करने वालों को उसकी सिफ़ारिश के लिए इजाज़त होगी। और इस बारे में सिफ़ारिश करने वाले का बोलना अल्लाह तआ़ला को पसन्दीदा होगा, और काफ़िरों के लिए किसी को सिफ़ारिश की इजाज़त ही न होगी। पस नफ़ा न होना सिफ़ारिश न होने की वजह से है, इसमें मुँह मोड़ने वाले काफ़िरों को डराना है कि तुम तो शफ़ाअ़त से भी महरूम रहोगे।

1. यानी सब घमण्ड करने वालों और इनकारियों का घमण्ड व इनकार ख़त्म हो जाएगा।

2. मतलब यह है कि सारे क़ुरआन के मज़ामीन हमने साफ़-साफ़ बतलाए हैं।

3. यानी अगर पूरा असर न हो तो थोड़ा ही हो, और इसी तरह चन्द बार थोड़ा-थोड़ा जमा होकर काफ़ी मिक़दार (मात्रा) हो जाए, और किसी वक़्त मुसलमान हो जाएँ।

4. इसमें जो इल्म हासिल है उसके याद रहने की, और जो इल्म हासिल नहीं उसके हासिल होने की, और जो हासिल होने वाला नहीं है उसके हासिल न होने को ख़ैर समझने की और सब उलूम में अच्छी समझ की, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 580 पर)**

में) शक़ी ''यानी बदबख़्त और महरूम'' होगा। **(123)** और जो शख़्स मेरी (इस) नसीहत से मुँह मोड़ेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा,[1] और क़ियामत के दिन हम उसको अन्धा (करके क़ब्र से) उठाएँगे। **(124)** वह (ताज्जुब से) कहेगा कि ऐ मेरे रब! आपने मुझको अन्धा (करके) क्यों उठाया, मैं तो (दुनिया में) आँखो वाला था। **(125)** इरशाद होगा कि ऐसा ही (तुझसे अ़मल हुआ था, और यह कि) तेरे पास हमारे अहकाम पहुँचे थे फिर तूने उनका कुछ ख़्याल न किया और ऐसा ही आज तेरा कुछ ख़्याल न किया जाएगा। **(126)** और इसी तरह (हर) उस शख़्स को हम (अ़मल के मुनासिब) सज़ा देंगे जो (इताअ़त की) हद से गुज़र जाए और अपने परवर्दिगार की आयतों पर ईमान न लाए, और वाक़ई आख़िरत का अ़ज़ाब है बड़ा सख़्त और बड़ा देर तक रहने वाला। **(127)** क्या उन लोगों को (अब तक) इससे भी हिदायत नहीं हुई कि हम उनसे पहले बहुत-से गिरोहों को हलाक कर चुके हैं, कि उन (में से बाज़) के रहने के मक़ामात में ये लोग भी चलते (फिरते) हैं, इसमें तो समझ वालों के लिए (काफ़ी) दलीलें मौजूद हैं।[2] **(128)** ❖

और अगर आपके रब की तरफ़ से एक बात पहले से फ़रमाई हुई न होती और (अ़ज़ाब के लिए) एक मीयाद मुतैयन न होती। (कि वह क़ियामत का दिन है) तो (अ़ज़ाब) लाज़िमी तौर पर होता।[3] **(129)** सो (जब अ़ज़ाब का आना यक़ीनी है तो) आप उनकी (कुफ़्र भरी) बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब की तारीफ़ के साथ (उसकी) तसबीह कीजिए, (इसमें नमाज़ भी आ गई) सूरज निकलने से पहले (जैसे फ़ज्र की नमाज़) और उसके छुपने से पहले (जैसे ज़ोहर व अ़स्र की नमाज़ें) और रात के वक़्तों में (भी) तसबीह किया कीजिए (जैसे मग़्रिब व इशा की नमाज़ें) और दिन के शुरू व आख़िर में, ताकि (आपको जो सवाब मिले) आप (उससे) ख़ुश हों।[4] **(130)** और हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ़ आप आँख उठाकर न देखिए जिनसे हमने उन (काफ़िरों) के मुख़्तलिफ़ गिरोहों को आज़माइश के लिए फ़ायदा उठाने वाला बना रखा है कि वह (सिर्फ़) दुनियावी ज़िन्दगी की रौनक़ है,[5] और आपके रब का अ़तिया (जो आख़िरत में मिलेगा) इससे कहीं बेहतर और देरपा है।[6] **(131)** और अपने मुताल्लिक़ीन को (यानी ख़ानदान वालों को या मोमिनों को) भी नमाज़ का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी इसके पाबन्द रहिए,[7] हम आपसे (और दूसरों से) रोज़ी (कमवाना) नहीं चाहते, रोज़ी तो आपको हम देंगे,[8] और बेहतर अन्जाम तो परहेज़गारी ही का है। **(132)** और वे लोग (दुश्मनी और बैर के तौर पर) यूँ कहते हैं कि यह (रसूल) हमारे पास अपने रब के पास से (अपनी नुबुव्वत की) कोई निशानी क्यों नहीं लाते। (जवाब यह है कि) क्या उनके पास पहली किताबों के मज़ामीन का ज़ाहिर होना नहीं पहुँचा।[9] **(133)** और अगर हम उनको इस (कुरआन आने) से पहले (कुफ़्र की सज़ा में) किसी अ़ज़ाब से हलाक कर देते तो ये लोग (उज़्र के तौर पर यूँ) कहते कि ऐ हमारे रब! आपने हमारे पास (दुनिया में) कोई रसूल क्यों नहीं भेजा था, कि हम आपके अहकाम पर चलते इससे पहले कि हम (यहाँ ख़ुद) बेक़द्र हों और दूसरों की निगाह में रुस्वा हों। **(134)** आप कह दीजिए कि (हम) सब इन्तिज़ार कर रहे हैं, सो (थोड़ा) और इन्तिज़ार कर लो। अब जल्द ही तुमको (भी) मालूम हो जाएगा कि सही रास्ते वाले कौन हैं, और वह कौन है जो (मन्ज़िले) मक़सूद तक पहुँचा। **(135)** ❖

(पृष्ठ 578 का शेष) ये सब दुआ़एँ दाख़िल हैं। हासिल यह कि याद करने की तदबीरों में से जल्दी करने की तदबीर को छोड़ दीजिए और दुआ़ की तदबीर को इख़्तियार कीजिए।

5. यानी उसके कहने से कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि जन्नत से बाहर किए जाओ।

6. कि उसके खाने से हमेशा ख़ुश और आबाद रहो।

1. यानी क़ियामत से पहले दुनिया और क़ब्र में। 'तंगी का जीना' क़ब्र में तो ज़ाहिर है कि क़ब्र काफ़िर पर तंग होगी और उसमें उसपर तरह-तरह से अ़ज़ाब होगा, और दुनिया में तंगी दिल के एतिबार से है, कि हर वक़्त दुनिया की हिर्स में तरक़्क़ी की फ़िक्र में, कमी के अन्देशे में बे-आराम रहता है, अगरचे कोई काफ़िर बेफ़िक्र भी हो लेकिन अक्सर की हालत यही है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 582 पर)**

सत्रहवाँ पारः इक़्त-र-ब लिन्नासि

21 सूरः अम्बिया 73

सूरः अम्बिया मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 112 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]उन (इनकार करने वाले) लोगों से उनका हिसाब (का वक़्त) नज़दीक आ पहुँचा,[2] और ये (अभी) ग़फ़लत (ही) में (पड़े हैं और) मुँह मोड़े हुए हैं। **(1)** उनके पास उनके रब की तरफ़ से जो ताज़ा नसीहत (उनके हाल के मुताबिक़) आती है, ये उसको ऐसे तरीक़े से सुनते हैं कि (उसके साथ) हँसी करते हैं। **(2)** (और) उनके दिल मुतवज्जह नहीं होते, और ये लोग यानी ज़ालिम (और काफ़िर) लोग (आपस में) चुपके-चुपके सरगोशी करते हैं कि यह (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) महज़ तुम जैसे एक (मामूली) आदमी हैं, तो क्या तुम फिर भी जादू (की बात सुनने को उन) के पास जाओगे, हालाँकि तुम जानते हो। **(3)** (पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने) फ़रमाया कि मेरा रब हर बात को (चाहे) आसमान में (हो) और (चाहे) ज़मीन में (हो) जानता है,[3] और वह ख़ूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है। **(4)** बल्कि (यूँ भी) कहा कि (यह कुरआन) परेशान ख़्यालात हैं, बल्कि उन्होंने (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने) इसको घड़ लिया है, बल्कि यह तो एक शायर (शख़्स) है,[4] (अगर वाक़ई यह रसूल हैं) तो इनको चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसी (बड़ी) निशानी लाएँ जैसा कि पहले लोग रसूल बनाए गए। (और बड़े-बड़े मोजिज़े ज़ाहिर किए) **(5)** उनसे पहले कई बस्ती वाले जिनको हमने हलाक किया है, ईमान नहीं लाए, सो क्या ये लोग ईमान ले आएँगे। **(6)** और हमने आपसे पहले सिर्फ़ आदमियों ही को पैग़म्बर बनाया जिनके पास हम वह्य भेजा करते थे, सो (ऐ इनकारियो!) अगर तुमको (यह बात) मालूम न हो तो अहले किताब से मालूम कर लो। **(7)** और हमने उन (रसूलों) के लिए ऐसे जुस्से "यानी जिस्म" नहीं बनाए थे जो खाना न खाते हों (यानी फ़रिश्ता न बनाया था) और वे (हज़रात भी दुनिया में) हमेशा रहने वाले नहीं हुए।[5] **(8)** फिर हमने जो उनसे वायदा किया था उसको सच्चा किया, यानी उनको और जिन-जिनको (नजात देना) मन्ज़ूर हुआ हमने नजात दी और (इताअ़त) की हद से गुज़रने वालों को हलाक किया। **(9)** हम तुम्हारे पास ऐसी किताब भेज चुके हैं कि उसमें

(पृष्ठ 580 का शेष) 2. मुल्क शाम को जाते हुए मक्का वालों के रास्ते में उन क़ौमों में से बाज़ के ठिकाने आते थे।

3. ख़ुलासा यह कि कुफ़्र तो अ़ज़ाब को चाहता है लेकिन एक रुकावट से देरी हो रही है। पस उनका वह शुब्हा और अ़ज़ाब के न आने से दलील पकड़ना ग़लत है।

4. मतलब यह है कि आप अपनी तवज्जोह माबूदे हक़ीक़ी की तरफ़ रखिए, उनकी फ़िक्र न कीजिए।

5. इस मना करने से मक़सूद औरों को सुनाना है, कि जब गुनाहों से पाक और महफ़ूज़ के लिए यह मनाही है जिनमें एहतिमाल भी नहीं तो जो गुनाहों से महफ़ूज़ नहीं उनको तो इसका एहतिमाम क्योंकर ज़रूरी न होगा। और आज़माइश यह कि कौन एहसान मानता है और कौन नाफ़रमानी करता है।

6. कलाम का ख़ुलासा यह हुआ कि न उनके मुँह मोड़ने की तरफ़ ध्यान किया जाए न उनके साज़ो-सामान की तरफ़, सबका अन्जाम अ़ज़ाब है।

7. यानी ज़्यादा तवज्जोह के क़ाबिल ये चीज़ें हैं।

8. यानी असली मक़सूद कमाना नहीं, बल्कि दीन और बन्दगी हैं। कमाने की उसी हालत में इजाज़त या हुक्म है कि ज़रूरी बन्दगी में वह ख़लल डालने वाला न हो।

9. मतलब यह है कि क्या उनके पास कुरआन नहीं पहुँचा जिसकी पहले से शोहरत थी कि वह नुबुव्वत पर काफ़ी दलील है।

1. इस सूरः में ये मज़ामीन मिले-जुले हैं- आख़िरत की तहक़ीक़, नुबुव्वत की तहक़ीक़ और तौहीद की **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 584 पर)**

तुम्हारी नसीहत (काफ़ी मौजूद) है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते (और नहीं मानते)। **(10)** ❖

और हमने बहुत-सी बस्तियाँ जहाँ के रहने वाले ज़ालिम (यानी काफ़िर) थे, ग़ारत कर दीं, और उनके बाद दूसरी क़ौम पैदा कर दी। **(11)** सो जब उन्होंने हमारा अ़ज़ाब आता देखा तो उस (बस्ती) से भागना शुरू कर किया।[1] **(12)** भागो मत और अपने ऐश के सामान की तरफ़ और अपने मकानों की तरफ़ वापस चलो, शायद तुमसे कोई पूछे-पाछे।[2] **(13)** वे लोग (अ़ज़ाब नाज़िल होने के वक़्त) कहने लगे कि हाय हमारी कमबख़्ती! इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग ज़ालिम थे।[3] **(14)** सो उनकी यही (चीख़) पुकार रही यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा (नेस्तनाबूद) कर दिया, जिस तरह खेती कट गई हो और आग ठन्डी हो गई हो। **(15)** हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है उसको इस तौर पर नहीं बनाया कि हम बेफ़ायदा काम करने वाले हों।[4] **(16)** (और) अगर हमको मश्ग़ला ही बनाना मन्ज़ूर होता तो हम ख़ास अपने पास की चीज़ को मश्ग़ला बनाते,[5] अगर हमको यह करना होता। **(17)** बल्कि हम हक़ बात को बातिल पर फेंक मारते हैं, सो वह (हक़) उस (बातिल) का भेजा निकाल देता है, (यानी उसको मग़लूब कर देता है) सो वह (मग़लूब होकर) यकायक जाता रहता है,[6] और तुम्हारे लिए उस बात से बड़ी ख़राबी होगी जो तुम घड़ते हो। **(18)** और (हक़ तआ़ला की वह शान है कि) जितने कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं सब उसी के हैं, और (उनमें से) जो उसके (यानी अल्लाह तआ़ला के) नज़दीक (बड़े मक़बूल व मुक़र्रब) हैं, वे उसकी इबादत से शर्म नहीं करते और न ही थकते हैं। **(19)** (बल्कि) रात और दिन (अल्लाह की) तस्बीह करते हैं (किसी वक़्त) बन्द नहीं करते।[7] **(20)** क्या (बावजूद इन दलीलों के) उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं, (ख़ासकर) ज़मीन (की चीज़ों में) से (जैसे पत्थर या खनिज पदार्थ के बुत) जो किसी को ज़िन्दा करते हों। **(21)** ज़मीन (में या) आसमान में अल्लाह तआ़ला के सिवा और माबूद (जिसका वजूद अपना ज़ाती हो) होता तो दोनों दरहम-बरहम "यानी उलट-पलट" हो जाते,[8] सो (इन तक़रीरों से साबित हुआ कि) अल्लाह मालिके अ़र्श उन चीज़ों से पाक है जो ये लोग बयान कर रहे हैं। **(22)** वह जो कुछ करता है उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, और औरों से पूछताछ की जा सकती है। **(23)** क्या उस (ख़ुदा) को छोड़कर उन्होंने और माबूद बना रखे हैं, (उनसे) कहिए कि तुम (इस दावे पर) अपनी दलील पेश करो, यह मेरे साथ वालों की

(पृष्ठ 582 का शेष) तहक़ीक़। तौहीद और रिसालत की ताईद के लिए बाज़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के क़िस्से भी ज़िक्र हुए हैं।

2. यानी क़ियामत धीरे-धीरे नज़दीक होती जाती है।

3. सो तुम्हारी इन कुफ़्रिया बातों को भी जानता है और तुमको ख़ूब सज़ा देगा।

4. ख़ुलासा यह कि रसूल नहीं हैं।

5. पस अगर आपकी भी वफ़ात हो जाए तो नुबुव्वत में क्या ख़राबी लाज़िम आई। ग़रज़ यह कि जैसे पहले रसूल थे वैसे ही आप भी हैं। और ये लोग जिस तरह आपको झुठलाते हैं इसी तरह उन हज़रात को भी उस ज़माने के काफ़िरों ने झुठलाया।

1. ताकि अ़ज़ाब से बच जाएँ।

2. कि क्या गुज़री। मक़सद इससे छेड़ना और छींटा देना है कि न वह सामान रहा न वह मकान रहा न किसी हमदर्द का निशान रहा।

3. 'बेशक हम लोग ज़ालिम थे' का इक़रार इसलिए उनको नफ़ा देने वाला न हुआ कि अ़ज़ाब के फ़रिश्तों को देखने के बाद होगा, जैसा कि फ़िरऔन का 'आमन्तु' यानी मैं ईमान लाया कहना डूबने का एहसास होने के वक़्त उसको फ़ायदेमन्द न हुआ।

4. बल्कि इनमें बहुत-सी हिक्मतें हैं, जिनमें सबसे बड़ी यह कि तौहीद पर दलालत है।

5. जैसे अपनी सिफ़ाते कमाल के देखने को।

6. यानी तौहीद की दलीलें जो उन बनाई हुई चीज़ों से हासिल होती हैं, शिर्क की पूरी तरह नफ़ी कर देती हैं, जिसकी मुख़ालिफ़ जानिब (विपरीत दिशा) का एहतिमाल ही नहीं रहता। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 586 पर)**

किताब (यानी क़ुरआन) और मुझसे पहले लोगों की किताबें (यानी तौरात व इन्जील व ज़बूर) मौजूद हैं, बल्कि उनमें ज़्यादा वही हैं जो हक़ बात का यक़ीन नहीं करते, सो (इस वजह से) वे मुँह मोड़ रहे हैं। **(24)** और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैग़म्बर नहीं भेजा जिसके पास हमने यह वह्य न भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लायक़) नहीं, पस मेरी (ही) इबादत किया करो। **(25)** और ये (मुशरिक) लोग (यूँ) कहते हैं कि (ख़ुदा-ए-) रहमान ने (फ़रिश्तों को) औलाद बना रखा है, वह (अल्लाह तआ़ला इससे) पाक है बल्कि (वे फ़रिश्ते उसके) सम्मानित बन्दे हैं। **(26)** वे उससे आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते, और वे उसी के हुक्म के मुवाफ़िक़ अ़मल करते हैं। **(27)** (वे जानते हैं कि) अल्लाह तआ़ला उनके अगले-पिछले हालात को जानता है, और सिवाय उसके जिसके लिए (शफ़ाअ़त करने की) ख़ुदा तआ़ला की मरज़ी हो और किसी की सिफ़ारिश नहीं कर सकते, और वे सब अल्लाह तआ़ला की हैबत से डरते (रहते) हैं। **(28)** और उनमें से जो शख़्स (मान लो यूँ) कहे कि मैं अ़लावा ख़ुदा के माबूद हूँ, सो हम उसको जहन्नम की सज़ा देंगे, (और) हम ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं।[1] **(29)** ❖

क्या उन काफ़िरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और ज़मीन (पहले) बन्द थे,[2] फिर हमने दोनों को (अपनी क़ुदरत से) खोल दिया,[3] और हमने (बारिश के) पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया है,[4] क्या (इन बातों को सुनकर) फिर भी ईमान नहीं लाते। **(30)** और हमने ज़मीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि ज़मीन उन लोगों को लेकर हिलने (न) लगे, और हमने इस (ज़मीन) में खुले-खुले रास्ते बनाए ताकि वे लोग (उनके ज़रिये से) मन्ज़िले (मक़सूद) को पहुँच जाएँ। **(31)** और हमने (अपनी क़ुदरत से) आसमान को एक छत (की तरह) बनाया जो महफ़ूज़ है,[5] और ये लोग इस (आसमान के अन्दर) की (मौजूदा) निशानियों से मुँह मोड़े हुए हैं।[6] **(32)** और वह ऐसा है कि उसने रात और दिन और सूरज और चाँद बनाए (वे निशानियाँ यही हैं) हर एक एक- (एक) दायरे में तैर रहे हैं।[7] **(33)** और हमने आपसे पहले भी किसी बशर के लिए हमेशा रहना तजवीज़ नहीं किया, फिर अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाए तो क्या ये लोग (दुनिया में) हमेशा-हमेशा को रहेंगे। **(34)** हर जानदार मौत का मज़ा चखेगा, और हम तुमको बुरी-भली (हालतों) से अच्छी तरह आज़माते हैं,[8] और (फिर इस ज़िन्दगी के ख़त्म पर) तुम सब हमारे पास चले आओगे। **(35)** और ये काफ़िर लोग जब

(पृष्ठ 584 का शेष) 7. जब उनकी यह हालत है तो आ़म मख़्लूक़ तो किस गिनती में है। पस इबादत के लायक़ वही है। और जब कोई दूसरा ऐसा नहीं है तो फिर उसका शरीक समझना कितनी बेअ़क़्ली है।

8. क्योंकि आ़दतन दोनों के इरादों और कामों में टकराव होता जिससे फ़साद लाज़िम है, लेकिन चूँकि फ़साद ज़ाहिर नहीं है इसलिए अनेक ख़ुदाओं का वजूद भी नहीं है।

1. यानी ख़ुदा का उनपर पूरा क़ाबू है जैसे और मख़्लूक़ात पर, फिर वे ख़ुदा की औलाद जिसके लिए ख़ुदा होना ज़रूरी है कैसे हो सकते हैं।

2. यानी न आसमान से बारिश होती थी न ज़मीन से कुछ पैदावार, इसी को बन्द होना फ़रमा दिया। चुनाँचे जिस ज़माने में बारिश नहीं होती और ज़मीन से कुछ पैदा नहीं होता, अब भी बन्द होते हैं।

3. कि आसमान से बारिश होने लगी और ज़मीन से नबातात (पेड़-पौधे और घास व सब्ज़ा वग़ैरह) उगने लगे।

4. चाहे ख़त्म होने के लिए हो, चाहे बाक़ी रहने के लिए। वास्ते से हो या बिला वास्ता।

5. यानी गिरने से भी महफ़ूज़ बनाया, टूटने से भी, शैतानों के ख़बरें चुराने से भी और यह महफ़ूज़ रहना लम्बे ज़माने तक रहेगा, हमेशा के लिए ऐसा नहीं है।

6. यानी उनमें ग़ौर व फ़िक्र नहीं करते।

7. फ़लक (यानी आसमान) गोल चीज़ को कहते हैं। चूँकि सूरज चाँद की हरकत दायरों के अन्दर है, इसलिए इनके हरकत करने की जगह को फ़लक फ़रमा दिया, चाहे वह आसमान हो, आसमानों के दरमियान की फ़िज़ा हो या आसमान व ज़मीन के बीच की फ़िज़ा हो, या आसमान की मोटाई हो, इसके बारे में कोई क़तई वज़ाहत नहीं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 588 पर)**

आपको देखते हैं तो बस आपसे हँसी करने लगते हैं, (और आपस में कहते हैं) कि क्या यही हैं जो तुम्हारे माबूदों का (बुराई से) ज़िक्र किया करते हैं, और (ख़ुद) ये लोग (ख़ुदा-ए-) रहमान के ज़िक्र पर इनकार (किया) करते हैं। **(36)** इनसान जल्दी ही (के ख़मीर) का बना हुआ है,[1] हम जल्द ही (वक़्त आने पर) तुमको अपनी (क़हर की) निशानियाँ (यानी सज़ायें) दिखाए देते हैं, पस तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ। **(37)** और ये लोग कहते हैं कि यह वायदा किस वक़्त आएगा अगर तुम (अ़ज़ाब के आने की ख़बर में) सच्चे हो। **(38)** काश! इन काफ़िरों को उस वक़्त की ख़बर होती, जबकि ये लोग (उस) आग को न अपने सामने से रोक सकेंगे और न अपने पीछे से, और न उनकी कोई हिमायत करेगा।[2] **(39)** बल्कि वह (आग तो) उनको एकदम से आ लेगी, सो उनको बदहवास कर देगी, फिर न उसके हटाने की उनको क़ुदरत होगी और न उनको मोहलत दी जाएगी। **(40)** और आपसे पहले जो पैग़म्बर हो गुज़रे हैं उनके साथ भी (काफ़िरों की तरफ़ से) मज़ाक़ और हँसी उड़ाना किया गया था, सो जिन लोगों ने हँसी-मज़ाक़ किया था, उनपर वह (अ़ज़ाब) आ ही पड़ा जिसके साथ वे मज़ाक़-ठट्ठा किया करते थे।[3] **(41)** ❖

(और यह भी उनसे) कह दीजिए कि वह कौन है जो रात और दिन में रहमान (के अ़ज़ाब) से तुम्हारी हिफ़ाज़त करता हो, बल्कि वे लोग अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेरने वाले (ही) हैं। **(42)** क्या उनके पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद हैं कि (ज़िक्र हुए अ़ज़ाब से) उनकी हिफ़ाज़त कर लेते हों, वे ख़ुद अपनी हिफ़ाज़त की ताक़त नहीं रखते,[4] और न हमारे मुक़ाबले में कोई उनका साथ दे सकता है। **(43)** बल्कि हमने उनको और उनके बाप-दादाओं को (दुनिया का) ख़ूब सामान दिया, यहाँ तक कि उनपर (उसी हालत में) एक लम्बी मुद्दत गुज़र गई, क्या उनको यह नज़र नहीं आता कि हम (उनकी) ज़मीन को (इस्लामी फ़ुतूहात के ज़रिये) हर (चार) तरफ़ से (बराबर) घटाते (चले जाते) हैं, सो क्या ये लोग (उम्मीद रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और ईमान वालों पर) ग़ालिब आएँगे। **(44)** आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ वह्य के ज़रिये से तुमको डराता हूँ और (यह) बहरे जिस वक़्त डराए जाते हैं पुकार सुनते ही नहीं। **(45)** और (उनकी बुलन्द हिम्मती की कैफ़ियत यह है कि) अगर उनको आपके रब के अ़ज़ाब का एक झोंका भी (ज़रा) लग जाए तो (यूँ) कहने लगें कि हाय हमारी कमबख़्ती वाक़ई हम ख़तावार थे। **(46)** और (वहाँ) क़ियामत के दिन हम इन्साफ़ की

(पृष्ठ 586 का शेष) **8.** मतलब यह है कि ज़िन्दगी इसलिए दे रखी है कि देखें कैसे-कैसे अ़मल करते हैं।

1. यानी जैसे इसके बुनियादी ख़मीर और फ़ितरत में जल्दी है, इसी वास्ते ये लोग अ़ज़ाब जल्दी माँगते हैं और उसमें देर होने को अ़ज़ाब के न आने की दलील समझते हैं। लेकिन ऐ काफ़िरो! यह तुम्हारी ग़लती है, क्योंकि उसका वक़्त मुतैयन है, सो ज़रा सब्र करो।

2. यानी अगर उस मुसीबत का इल्म होता तो ऐसी बातें न बनाते।

3. पस इससे मालूम हुआ कि कुफ़्र अ़ज़ाब को वाजिब करने वाला है, अगर दुनिया में न आया तो आख़िरत में ज़रूर होगा।

4. जैसे उनको कोई तोड़ने-फोड़ने लगे तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते।

तराज़ू खड़ी करेंगे (और सबके आमाल का वज़न करेंगे)[1] सो किसी पर बिलकुल भी ज़ुल्म न होगा, और अगर (किसी का अ़मल) राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसको (वहाँ) हाज़िर कर देंगे, और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं।[2] **(47)** और हमने (आपसे पहले) मूसा और हारून को एक फ़ैसले की और रोशनी की और मुत्तक़ियों के लिए नसीहत की चीज़ (यानी तौरात) अ़ता फ़रमाई थी। **(48)** जो (मुत्तक़ी) अपने परवर्दिगार से बिन देखे डरते हैं, और वे लोग क़ियामत से (भी) डरते हैं। **(49)** और यह (क़ुरआन भी) बहुत ज़्यादा फ़ायदों वाली नसीहत (की किताब) है, जिसको हमने नाज़िल किया, तो क्या फिर भी तुम इसके इनकारी हो। ◆ **(50)** ❖

और हमने (उस मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने से) पहले इब्राहीम को उनकी (शान के मुनासिब) अ़क़्ल व दानिश अ़ता फ़रमाई थी, और हम उनको[3] ख़ूब जानते थे।[4] **(51)** (उनका वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी बिरादरी से फ़रमाया कि ये क्या (वाहियात) मूर्तियाँ हैं जिन (की इबादत) पर तुम जमे बैठे हो।[5] **(52)** वे लोग (जवाब में) कहने लगे कि हमने अपने बड़ों को उनकी इबादत करते हुए देखा है। **(53)** (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने) कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे बाप-दादे (उनको इबादत के लायक़ समझने में) खुली ग़लती में हो। **(54)** वे कहने लगे कि क्या तुम (अपने नज़दीक) सच्ची बात (समझकर) हमारे सामने पेश कर रहे हो, या दिल्लगी कर रहे हो। **(55)** (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि नहीं, (दिल्लगी नहीं) बल्कि तुम्हारा रब्बे (हक़ीक़ी जो इबादत के लायक़ है) वह है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है, जिसने उन सबको पैदा (भी) किया और मैं इस (दावे) पर दलील भी रखता हूँ। **(56)** और ख़ुदा की क़सम! मैं तुम्हारे उन बुतों की गत ऐसी बनाऊँगा जब तुम (उनके पास से) पीठ फेर कर चले जाओगे।[6] **(57)** तो (उनके चले जाने के बाद) उन्होंने उन (बुतों) को (कुल्हाड़ी वग़ैरह से) टुकड़े-टुकड़े कर दिया सिवाय उनके एक बड़े (बुत) के, कि शायद वे लोग इब्राहीम की तरफ़ (दरियाफ़्त करने के लिए) रुजू करें।[7] **(58)** कहने लगे कि यह हमारे बुतों के साथ किसने किया है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा ही ग़ज़ब किया। **(59)** (बाज़ों ने) कहा कि हमने एक नौजवान आदमी को जिसको इब्राहीम करके पुकारा जाता है

---

1. 'मवाज़ीन' का बहुसंख्या में लाना या तो इस वजह से है कि हर शख़्स के लिए अलग मीज़ाने अ़मल (अ़मल की तराज़ू) हो, या चूँकि एक ही तराज़ू में बहुत-से लोगों के आमाल का वज़न होगा इसलिए वह एक ही अनेक के क़ायम-मक़ाम होगी।
2. शुरू सूरः से यहाँ तक तौहीद और रिसालत का ज़्यादा और उसके ज़िम्न में उसके ताल्लुक़ से रसूलों के मुख़ालिफ़ों का आख़िरत में उमूमन अ़ज़ाब पाना और बाज़ का दुनिया में भी हलाक होना ज़िक्र हुआ था, आगे बाज़ हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के क़िस्से बयान फ़रमाकर इन्हीं मज़ामीन की ताईद फ़रमाते हैं। रिसालत की ताईद तो उनके रसूल होने से ज़ाहिर है और तौहीद की ताईद उनके तौहीद की तरफ़ बुलाने वाले होने से, और अ़ज़ाब दिए जाने की ताईद उनकी बाज़ उम्मतों की हलाकत से।
3. यानी उनके इल्मी और अ़मली कमालात को।
4. यानी वह बड़े कामिल थे, सलाहियत व इस्तेदाद के एतिबार से अ़क़्ल व दानिश दिए जाने से पहले और ज़ाहिर व मौजूदा हालत में अ़क़्ल व दानिश दिए जाने के बाद।
5. यानी ये हरगिज़ इबादत के क़ाबिल नहीं।
6. ताकि उनका आ़जिज़ और मजबूर होना सामने आ जाए।
7. बड़ा बुत जो जुस्से में या उन लोगों की नज़रों में इज़्ज़त वाला होने में बड़ा था, उसको छोड़ दिया, जिससे एक क़िस्म का मज़ाक़ उड़ाना मक़सूद था, कि एक के सही सालिम रहने और दूसरों के टूट जाने से दूसरों को **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 592 पर)**

इन (बुतों) का (बुराई से) तज़किरा करते सुना है। **(60)** (फिर) वे लोग बोले, (जब यह बात है) तो अच्छा उसको सब आदमियों के सामने हाज़िर करो ताकि वे लोग (इस इक़रार के) गवाह हो जाएँ। **(61)** (ग़रज़ वह सबके सामने आए) उन लोगों ने कहा, क्या हमारे बुतों के साथ तुमने यह हरकत की है ऐ इब्राहीम! **(62)** उन्होंने (जवाब में) कहा नहीं! बल्कि उनके इस बड़े (गुरू) ने की, सो उन (ही) से पूछ लो (ना) अगर ये बोलते हों।[1] **(63)** इसपर वे लोग अपने जी में सोचे फिर (आपस में) कहने लगे कि हक़ीक़त में तुम लोग ही नाहक़ पर हो, (कि जो ऐसा आजिज़ हो वह क्या माबूद होगा)। **(64)** फिर (शर्मिन्दगी के मारे) अपने सरों को झुका लिया (और बोले कि) ऐ इब्राहीम! तुमको तो मालूम ही है कि ये (बुत कुछ) बोलते नहीं। **(65)** (इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, तो क्या तुम खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो तुमको न कुछ नफ़ा पहुँचा सके और न कुछ नुक़सान पहुँचा सके। **(66)** तुफ़ "यानी लानत व अफ़सोस" है तुमपर (कि बावजूद हक़ सामने आ जाने के बातिल पर जमे हुए हो) और उनपर (भी) जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो, क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते। **(67)** (आपस में) वे लोग कहने लगे कि इनको (आग में) जला दो, और अपने माबूदों का (इनसे) बदला लो, अगर तुमको (कुछ) करना है। **(68)** (ग़रज़ उन्होंने मुत्तफ़िक़ होकर आग में डाल दिया, उस वक़्त) हमने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग! तू इब्राहीम के हक़ में ठन्डी और तकलीफ़ न पहुँचाने वाली बन जा।[2] **(69)** और उन लोगों ने उनके साथ बुराई करना चाहा था, सो हमने उन्हीं लोगों को नाकाम कर दिया।[3] **(70)** और हमने उनको (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को) और (उनके भतीजे) लूत (अलैहिस्सलाम) को ऐसे मुल्क (यानी मुल्क शाम) की तरफ़ भेजकर बचा लिया जिसमें हमने दुनिया जहान वालों के लिए (ख़ैर व) बरकत रखी है।[4] **(71)** और (हिजरत के बाद) हमने उनको इसहाक़ (बेटा) और याक़ूब (पोता) अता किया, और हमने उन सबको (आला दर्जे का) नेक बनाया।[5] **(72)** और हमने उनको मुक़्तदा "यानी पेश्वा और रहनुमा" बनाया, कि हमारे हुक्म से (मख़्लूक़ को) हिदायत किया करते थे, और हमने उनके पास नेक कामों के करने का और (ख़ासकर) नमाज़ की पाबन्दी का और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा, और वे (हज़रात) हमारी इबादत (ख़ूब) किया करते थे। **(73)** और लूत को हमने हिक्मत और इल्म (जो अम्बिया की शान के मुनासिब होता है) अता फ़रमाया, और हमने उनको उस बस्ती से नजात दी जिसके रहने वाले गन्दे (गन्दे) काम किया करते थे, बेशक वे लोग बड़े बदज़ात बदकार थे। **(74)** और हमने उसको (यानी लूत को) अपनी रहमत में दाख़िल किया, (क्योंकि) बेशक वह बड़े नेकों में थे। **(75)** ❖

(पृष्ठ 590 का शेष) वहम व गुमान होता है कि कहीं उसने तो सबकी ख़बर नहीं ली। पस शुरू में तो शक व गुमान है फिर जब वे लोग काँट-छाँट करने वाले की तहक़ीक़ करेंगे और इस बड़े बुत पर अन्देशा भी न करेंगे तो उनकी तरफ़ से इसके आजिज़ होने का भी एतिराफ़ हो जाएगा, और हुज्जत भी पूरी हो जाएगी। पस इन्तिहा के तौर पर यह इल्ज़ाम देना और लाजवाब करना है और मक़सूद मुश्तरक उनमें से बाज़ के इक़रार और बाज़ के इनकार से आजिज़ होना साबित करना है। ग़रज़ इस मस्लहत से एक को छोड़कर बाक़ी सबको तोड़ दिया।

1. अगर यह काम करने और बोलने की सूरत बातिल है तो उनका आजिज़ होना तुम्हारे नज़दीक भी मुसल्लम हो गया फिर उनके मुताल्लिक़ खुदा होने का एतिक़ाद रखने की क्या वजह।

2. यानी न जलाने वाली रह कि गर्मी की तकलीफ़ पहुँचे और न बहुत ठंडी हो जा कि ठंडक की तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि दरमियानी हवा की तरह बन जा, चुनाँचे ऐसा ही हो गया।

3. कि उनका मक़सद हासिल न हुआ बल्कि और उसके उलट यह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हक़ पर होना और ज़्यादा साबित हो गया। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 594 पर)**

और नूह (अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से का तज़किरा कीजिए) जबकि उस (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ज़माने) से (भी) पहले उन्होंने दुआ़ की, सो हमने उनकी दुआ़ क़बूल की और उनको और उनके पैरोकारों को बड़े भारी ग़म से नजात दी।[1] **(76)** और (नजात इस तरह दी कि) हमने ऐसे लोगों से उनका बदला लिया जिन्होंने हमारे हुक्मों को (जो कि नूह अ़लैहिस्सलाम लाए थे) झूठा बताया था, बेशक वे लोग बहुत बुरे थे, इसलिए उन सबको हमने ग़र्क़ कर दिया। **(77)** और दाऊद और सुलैमान (के क़िस्से का तज़किरा कीजिए) जबकि दोनों किसी खेत के बारे में फ़ैसला करने लगे, जबकि (उस खेत में) कुछ लोगों की बकरियाँ रात के वक़्त (जा घुसीं और) उसको चर गईं, और हम उस फ़ैसले को जो लोगों के मुताल्लिक़ हुआ था, देख रहे थे। **(78)** सो हमने उस (फ़ैसले) की समझ सुलैमान को दे दी, और (यूँ) हमने दोनों को हिक्मत और इल्म अ़ता फ़रमाया था,[2] और हमने दाऊद के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को, कि (उनकी तस्बीह के साथ) वे तस्बीह किया करते थे, और परिन्दों को भी और (दरअसल उन कामों के) करने वाले हम थे। **(79)** और हमने उनको ज़िरह (बनाने) का हुनर तुम लोगों के (नफ़े के) वास्ते सिखलाया, ताकि वह (ज़िरह) तुमको (लड़ाई में) एक-दूसरे की मार से बचाए, सो तुम (इस नेमत का) शुक्र करोगे भी (या नहीं)? **(80)** और हमने सुलैमान का ज़ोर की हवा को ताबे बना दिया था कि वह उनके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ़ को चलती जिसमें हमने बरकत रखी है, (मुराद मुल्क शाम है)[3] और हम हर चीज़ को जानते हैं। **(81)** और बाज़े शैतान (यानी जिन्न) ऐसे थे कि उनके (यानी सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के) लिए (दरियाओं में) डुबकी लगाते थे (ताकि मोती निकाल कर दें) और वे और (और) काम भी इसके अ़लावा किया करते थे, और उनके सँभालने वाले हम थे। **(82)** और अय्यूब (का तज़किरा कीजिए) जबकि उन्होंने (सख़्त बीमारी में मुब्तला होने के बाद) अपने रब को पुकारा कि मुझको यह तकलीफ़ पहुँच रही है, और आप सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान हैं। **(83)** हमने उनकी दुआ़ क़बूल की और उनको जो तकलीफ़ थी उसको दूर कर दिया, और (बिला दरख़्वास्त) हमने उनको उनका कुन्बा अ़ता फ़रमा दिया, और उनके साथ (गिनती में) उनके बराबर और भी अपनी ख़ास रहमत से, और इबादत करने वालों के लिए यादगार रहने के लिए (अ़ता फ़रमाए)[4] **(84)** और इसमाईल और इदरीस और ज़ुलकिफ़्ल (का तज़किरा कीजिए)[5] ये सब (अल्लाह के अहकाम पर) साबित-क़दम रहने वाले लोगों में से थे। **(85)** और हमने उनको अपनी (ख़ास) रहमत में दाख़िल कर लिया था, बेशक ये पूरी सलाहियत वालों में से थे। **(86)** और

(पृष्ठ 592 का शेष) 4. दुनियावी भी कि अनाज और मेवे व फल वग़ैरह कसरत से पैदा होते हैं और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। और दीनी भी कि कसरत से वहाँ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम हुए जिनकी शरीअ़तों की बरकत दुनिया में दूर-दूर तक फैली। यानी उन्होंने मुल्क शाम की तरफ़ अल्लाह के हुक्म से हिजरत फ़रमाई।

5. आला दर्जे की नेकी से मुराद गुनाहों से महफ़ूज़ होना है जो इनसान में नुबुव्वत की ख़ुसूसियात में से है। पस मुराद यह है कि उन सबको नबी बनाया।

1. उस भारी ग़म से जो झुठलाने और काफ़िरों के तकलीफ़ देने की वजह से उनको पेश आया था।

2. मुक़द्दमे की सूरत यह थी कि जिस क़द्र खेत का नुक़सान हुआ था उसकी लागत बकरियों की क़ीमत के बराबर थी। दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने ज़िमान में खेत वाले को वे बकरियाँ दिलवा दीं, और असल शरई क़ानून का यही तक़ाज़ा था, जिसमें मुद्दई या जिसपर दावा किया गया, उसकी रज़ामन्दी भी शर्त नहीं, मगर चूँकि इसमें बकरी वालों का बिलकुल ही नुक़सान होता था इसलिए सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने बतौर सुलह के जो मौक़ूफ़ थी दोनों फ़रीक़ों के राज़ी होने पर, यह सूरत जिसमें दोनों की सहूलत और रियायत थी तजवीज़ फ़रमाई कि चन्द दिन के लिए तो बकरियाँ खेत वाले को दे दी जाएँ कि उनके दूध वग़ैरह से अपना गुज़र करे और बकरी वाले को वह खेत सुपुर्द किया जाए कि उसकी ख़िदमत पानी देने वग़ैरह से करें। जब खेत पहली हालत पर आ जाए तो खेत व बकरियाँ अपने-अपने मालिकों को दे दी जाएँ। पस इससे मालूम हो गया कि दोनों फ़ैसलों में कोई टकराव नहीं, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 596 पर)**

मछली वाले (पैग़म्बर यानी यूनुस अ़लैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए) जबकि वह अपनी क़ौम से (जबकि वे ईमान न लाए) ख़फ़ा होकर चल दिए,[1] और उन्होंने यह समझा कि हम उनपर (इस चले जाने में) कोई पकड़ न करेंगे,[2] पस उन्होंने अन्धेरों में पुकारा कि (इलाही) आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप (सब कमियों से) पाक हैं, मैं बेशक क़ुसूरवार हूँ।[3] (87) सो हमने उनकी दुआ़ क़बूल की और हमने उनको उस घुटन से नजात दी,[4] और हम इसी तरह (और) ईमान वालों को (भी मुसीबत और परेशानी से) नजात दिया करते हैं। (88) और ज़करिया (का तज़किरा कीजिए) जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब! मुझको लावारिस मत रखियो, (यानी मुझको बेटा दे दीजिए कि मेरा वारिस हो) और सब वारिसों से बेहतर आप ही हैं। (89) सो हमने उनकी दुआ़ क़बूल कर ली और हमने उनको यह्या (बेटा) अ़ता फ़रमाया और उनकी ख़ातिर उनकी बीवी को (जो कि बाँझ थीं औलाद के) क़ाबिल कर दिया, ये सब नेक कामों में दौड़ते थे, और उम्मीद व ख़ौफ़ के साथ हमारी इबादत किया करते थे, और हमारे सामने दबकर रहते थे।[5] (90) और उनका (यानी बीबी मरियम अ़लैहस्सलाम का भी तज़किरा कीजिए) जिन्होंने अपनी आबरू को (मर्दों से) बचाया (निकाह से भी और नाजायज़ से भी) फिर हमने उनमें (जिबराईल अ़लैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूँक दी और हमने उनको और उनके बेटे (ईसा अ़लैहि.) को दुनिया जहान वालों के लिए (अपनी क़ुदरते कामिला की) निशानी बना दी। (91) यह है तुम्हारा तरीक़ा कि (जिसपर तुमको रहना वाजिब है, और) वह एक ही तरीक़ा है, और मैं तुम्हारा (हक़ीक़ी) रब हूँ, सो तुम मेरी इबादत किया करो। (92) और उन लोगों ने अपने (दीन के) मामले में इख़्तिलाफ़ पैदा कर लिया, (सो उसकी सज़ा देखेंगे, क्योंकि) सब हमारे पास आने वाले हैं। (93) ❖

सो जो शख़्स नेक काम करता होगा और वह ईमान वाला भी होगा तो उसकी मेहनत बेकार (जाने वाली) नहीं, और हम उसको लिख लेते हैं। (94) और हम जिन बस्तियों को (अ़ज़ाब से या मौत से) फ़ना कर चुके हैं उनके (रहने वालों के) लिए यह बात नामुम्किन है कि वे (दुनिया में) फिर लौटकर आएँ। (95) यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएँगे और वे (अपनी तादाद के ज़्यादा होने की वजह से) हर बुलन्दी (जैसे पहाड़ और टीले) से निकलते (मालूम) होंगे। (96) और (वह अल्लाह की तरफ़ लौटकर जाने और मरने के बाद ज़िन्दा होने का) सच्चा वायदा नज़दीक आ पहुँचा होगा, तो बस फिर एकदम से यह (क़िस्सा) होगा कि इनकार करने वालों की निगाहें फटी-की-फटी रह जाएँगी, (और यूँ कहते नज़र आएँगे) कि हाय हमारी कमबख़्ती हम इस (चीज़) से ग़फ़लत में थे, बल्कि वाक़िआ़ यह है कि हम ही क़ुसूरवार थे।[6] (97) बेशक (ऐ मुश्रिको!) तुम और जिनको तुम ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर पूज रहे हो सब जहन्नम में झोंके जाओगे, (और) तुम सब उसमें दाख़िल होगे। (98) (और यह बात समझने की है कि) अगर ये (तुम्हारे माबूद वाक़ई) माबूद

(पृष्ठ 594 का शेष) कि एक का सही होना दूसरे के सही न होने का मुक़्तज़ी हो, इसलिए 'और यूँ हमने दोनों को इल्म और हिक्मत अ़ता फ़रमाया था' फ़रमाया।

3. यानी जब मुल्क शाम से किसी तरफ़ जाते और फिर आते तो यह आना और इसी तरह जाना भी हवा के ज़रिये से होता था।

4. यानी इबादत करने वाले याद रखें कि अल्लाह तआ़ला सब्र करने वालों को कैसा बदला देते हैं।

5. हज़रत ज़ुलकिफ़्ल के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि आया यह नबी थे या एक नेक शख़्स थे। क़ुरआन के बयान करने के अन्दाज़ से उनका नबी होना महसूस होता है।

1. और अपनी क़ौम पर से अ़ज़ाब टलने के बाद भी ख़ुद वापस न आए और उस सफ़र के लिए हमारे हुक्म का इन्तिज़ार न किया।

2. पस चूँकि वहाँ से चले जाने को उन्होंने अपने ख़्याल से जायज़ समझा इसलिए वह्य और वाज़ेह हुक्म का इन्तिज़ार न किया, लेकिन चूँकि वह्य की उम्मीद तक वह्य का इन्तिज़ार अम्बिया के लिए मुनासिब था। इस मुनासिब को छोड़ने पर उनको यह आज़माइश पेश आई कि राह में उनको कोई दरिया मिला और वहाँ कश्ती में सवार हुए। कश्ती चलते-चलते रुक गई। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 598 पर)**

होते तो उस (जहन्नम) में क्यों जाते, और सब (इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जा रही है) उसमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे। **(99)** (और) उनका उसमें शोर होगा, और वहाँ (अपने शोरो-गुल में किसी की) कोई बात सुनेंगे भी नहीं। **(100)** (यह तो दोज़ख़ियों का हाल हुआ, और) जिनके लिए हमारी तरफ़ से भलाई मुक़द्दर हो चुकी है वे उस (दोज़ख़) से (इस क़द्र) दूर किए जाएँगे **(101)** (कि) उसकी आहट भी न सुनेंगे,[1] और वे लोग अपनी दिल चाही चीज़ों में हमेशा रहेंगे। **(102)** (और) उनको बड़ी घबराहट (यानी दूसरी बार सूर फूँकने से ज़िन्दा होने की हालत) ग़म में न डालेगी, और (क़ब्र से निकलते ही) फ़रिश्ते उनका स्वागत करेंगे (और कहेंगे कि) यह है तुम्हारा वह दिन जिसका तुमसे वायदा किया जाता था।[2] **(103)** (वह दिन भी याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन हम (पहली बार सूर फूँकने के वक़्त) आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह लिखे हुए मज़मून का काग़ज़ लपेट लिया जाता है, (और) हमने जिस तरह पहली बार पैदा करने के वक़्त (हर चीज़ की) शुरूआत की थी उसी तरह (आसानी से) उसको दोबारा (पैदा) कर देंगे, यह हमारे ज़िम्मे वायदा है, (और) हम ज़रूर (इसको पूरा) करेंगे। **(104)** और हम ज़बूर (और सब आसमानी किताबों) में ज़िक्र (यानी लौहे-महफ़ूज़ में लिखने) के बाद लिख चुके हैं कि इस ज़मीन (यानी जन्नत) के मालिक मेरे नेक बन्दे होंगे।[3] **(105)** बिला शुब्हा इस (क़ुरआन) में (हिदायत का) काफ़ी मज़मून है, उन लोगों के लिए जो बन्दगी करने वाले हैं। **(106)** और हमने (ऐसे नफ़ा देने वाले मज़ामीन देकर) आपको और किसी बात के वास्ते नहीं भेजा मगर दुनिया जहान के लोगों (यानी शरीअ़त के अहकाम के जो मुकल्लफ़ हैं, उन) पर मेहरबानी करने के लिए।[4] **(107)** आप (ख़ुलासे के तौर पर एक बार फिर) फ़रमा दीजिए कि मेरे पास तो सिर्फ़ यह वह्य आती है कि तुम्हारा (हक़ीक़ी) माबूद एक ही माबूद है, सो अब भी तुम मानते हो (या नहीं?, यानी अब तो मान लो) **(108)** फिर (भी) अगर ये लोग नाफ़रमानी करें तो (हुज्जत पूरी करने के तौर पर) आप फ़रमा दीजिए कि मैं तुमको बहुत ही साफ़ इत्तिला कर चुका हूँ, और मैं यह नहीं जानता कि जिस सज़ा का तुमसे वायदा हुआ है, क्या वह क़रीब है या (बहुत ज़्यादा) दूर (है, अलबत्ता वह आएगा ज़रूर, क्योंकि) **(109)** अल्लाह को तुम्हारी पुकार कर कही हुई बात की ख़बर है, और जो (बात) तुम दिल में रखते हो उसकी भी ख़बर है। **(110)** और मैं (मुतैयन तौर पर) नहीं जानता (कि क्या मस्लहत है) शायद वह (अ़ज़ाब में देरी) तुम्हारे लिए (सूरत के एतिबार से) एक इम्तिहान हो, और एक वक़्त (यानी मौत) तक (ज़िन्दगी से) फ़ायदा पहुँचाना हो। **(111)** (पैग़म्बर ने अल्लाह के हुक्म से) कहा कि ऐ मेरे रब! फ़ैसला कर दीजिए,[5] हक़ के मुवाफ़िक़, और (पैग़म्बर सल्ल. ने काफ़िरों से यह भी फ़रमाया कि) हमारा रब हमपर बड़ा मेहरबान है, जिससे उन बातों के मुक़ाबले में मदद चाही जाती है जो तुम बनाया करते हो। ● **(112)** ❖

(पृष्ठ 596 का शेष) यूनुस अ़लैहिस्सलाम समझ गए कि मेरा यह वहाँ से बिना इजाज़त चले आना नापसन्द हुआ, उसकी वजह से कश्ती रुकी। कश्ती वालों से फ़रमाया कि मुझको दरिया में डाल दो, वे राज़ी न हुए। ग़रज़ क़ुर्आ डालने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ, तब भी उन्हीं का नाम निकला, आख़िर उनको दरिया में डाल दिया और ख़ुदा के हुक्म से उनको एक मछली निगल गई।

3. कई अन्धेरे इस तरह कि एक अन्धेरा मछली के पेट का, दूसरा दरिया की गहराई का, फिर दोनों गहरे अन्धेरे बहुत-से अन्धेरों की तरह हुए, और तीसरा अन्धेरा रात का। ग़रज़ उन अन्धेरों में दुआ़ की।

4. हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम से इस वाक़िए में किसी बात की मुख़ालफ़त नहीं हुई सिर्फ़ राय क़ायम करने में ग़लती हुई जो उम्मत के लिए माफ़ है, मगर अम्बिया की तरबियत तथा और ज़्यादा सँवारना और इस्लाह मक़सूद होती थी, इसलिए यह आज़माइश हुई।

5. जिससे उन हज़रात का बन्दगी में कामिल होना और हमारा माबूद होने में कामिल होना साबित होता है।

6. हासिल यह हुआ कि उस वक़्त जो लोग अल्लाह की तरफ़ लौटने के इनकारी थे वे भी इसके इक़रारी हो जाएँगे।

1. क्योंकि वे जन्नत में होंगे और जन्नत और दोज़ख़ में बहुत ज़्यादा दूरी होगी।

2. कि क़ियामत आएगी और नेक लोगों को नेक बदला मिलेगा। पस यह सम्मान और ख़ुशख़बरी **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 600 पर)**

22 सूरः हज 103

सूरः हज मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 78 आयतें और 10 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[1]ऐ लोगो! अपने रब से डरो, (क्योंकि) यक़ीनन क़ियामत (के दिन) का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी।[2] **(1)** जिस दिन तुम लोग उस (ज़लज़ले) को देखोगे (उस दिन) तमाम दूध पिलाने वालियाँ (डर के मारे) अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएँगी, और तमाम हमल ''यानी गर्भ'' वालियाँ अपने हमल को (पूरे दिन होने से पहले) डाल देंगी। और (ऐ मुख़ातब!) तुझको लोग नशे जैसी हालत में दिखाई देंगे, हालाँकि वे (हक़ीक़त में) नशे में न होंगे, और लेकिन अल्लाह का अ़ज़ाब है (ही) सख़्त चीज़।[3] **(2)** और बाज़े आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में (यानी उसकी ज़ात या सिफ़ात में) बेजाने-बूझे झगड़ा करते हैं और हर शैतान सरकश के पीछे हो लेते हैं। **(3)** जिसके मुताल्लिक़ (ख़ुदा के यहाँ से) यह बात लिखी जा चुकी है कि जो शख़्स उससे ताल्लुक़ रखेगा (यानी उसका कहना मानेगा) तो (उसका काम ही यह है कि) वह उसको (हक़ रास्ते से) बेराह कर देगा, और उसको दोज़ख़ के अ़ज़ाब का रास्ता दिखला देगा। **(4)** ऐ लोगो! अगर तुम (क़ियामत के दिन) दोबारा ज़िन्दा होने से शक (व इनकार) में हो तो हमने (पहले) तुमको मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फ़े से (जो कि ग़िज़ा से पैदा होता है) फिर ख़ून के लोथड़े से, फिर बोटी से कि (बाज़ी) पूरी होती है और (बाज़ी) अधूरी भी, ताकि हम तुम्हारे सामने (अपनी क़ुदरत) ज़ाहिर कर दें,[4] और हम (माँ के) रहम में जिस (नुत्फ़े) को चाहते हैं एक मुक़र्ररा मुद्दत (यानी पैदाइश) तक ठहराए रखते हैं फिर हम तुमको बच्चा बनाकर बाहर लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी भरी जवानी (की उम्र) तक पहुँच जाओ, और बाज़े तुममें वे भी हैं जो (जवानी से पहले ही) मर जाते हैं, और बाज़े तुममें वे हैं जो निकम्मी उम्र (यानी ज़्यादा बुढ़ापे) तक पहुँचा दिए जाते हैं, (जिसका असर यह है) कि एक चीज़ से जानकार होकर फिर बेख़बर हो जाते हैं,[5] और (आगे दूसरा इस्तिदलाल है कि ऐ मुख़ातब!) तू ज़मीन को देखता है कि सूखी (पड़ी) है, फिर जब हम उसपर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती है और फूलती है, और हर क़िस्म के ख़ुशनुमा नबातात ''यानी पेड़-पौधे और सब्ज़ियाँ व घास वग़ैरह'' उगाती है।[6] **(5)** यह (सब) इस सबब से हुआ कि (वजूद में) अल्लाह तआ़ला ही कामिल है,[7] और वही बेजानों में जान डालता है,[8] और वही हर चीज़ पर क़ादिर है।[9] **(6)** और (तथा इस सबब से हुआ कि) क़ियामत आने

(पृष्ठ 598 का शेष) उनके लिए ज़्यादा ख़ुशी का सबब हो जाएगी।

3. यहाँ तक सूरः के बड़े हिस्से में तौहीद व नुबुव्वत की तहक़ीक़ और इनकार करने वालों के लिए वईद (डाँट और सज़ा की धमकी) ज़िक्र हुई। क़ुरआने करीम के इन मुफ़ीद मज़ामीन पर मुश्तमिल होने की वजह से आयत 'इन्-न फ़ी हाज़ा' और 'व मा अरसल्ना-क'..... में इन मज़ामीन की खुले तौर पर तारीफ़ व ख़ूबी और दूसरी आयत में इशारे के तौर पर इन मज़ामीन के लाने वाले की भी तारीफ़ और आयत 'क़ुल इन्नमा यू-हा....' में पहले मज़मून के खुलासे के तौर पर तौहीद और इस्लाम की तरफ़ जिसके लवाज़िम में से नुबुव्वत की तस्दीक़ भी है, दोबारा दावत, और आयत 'फ़इन् तवल्लौ.....' से आख़िर तक खुलासे ही के तौर पर इनकार पर दोबारा वईद और धमकी और सज़ा के मुताल्लिक़ और मुनासिब मज़ामीन इरशाद हैं।

4. वह मेहरबानी यही है कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इन मज़ामीन को क़बूल करें, हिदायत और हिदायत के फल हासिल करें। और जो क़बूल न करे यह उसका क़ुसूर है, इससे मज़मून के सही होने में कोई ख़लल नहीं पड़ता।

5. मतलब यह है कि अ़मली फ़ैसला कर दीजिए। यानी मुसलमानों के जिस ग़ल्बे की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) है उसको ज़ाहिर कर दीजिए ताकि हुज्जत और ज़्यादा मुकम्मल हो जाए।

1. इस सूरः का खुलासा ये मज़ामीन हैं- १. मरने के बाद ज़िन्दा होना और हिसाब, जिससे सूरः शुरू भी हुई है और बीच में क़ियामत के दिन और दोज़ख़ व जन्नत का ज़िक्र जगह-जगह आया है। २. नुबुव्वत और उसके मुताल्लिक़ **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 602 पर)**

वाली है इसमें ज़रा भी शुब्हा नहीं, और अल्लाह क़ियामत में क़ब्र वालों को दोबारा पैदा कर देगा।[1] (7) और बाज़े आदमी ऐसे होते हैं कि अल्लाह के बारे में बिना जानकारी (यानी ज़रूरी इल्म) के और बिना दलील (यानी अक़्ली तौर पर दलील लाने) और बिना किसी रोशन किताब (यानी नक़ली दलील लाने) के तकब्बुर करते हुए झगड़ा करते हैं (8) ताकि अल्लाह की राह से (यानी दीने हक़ से) बेराह कर दें, ऐसे शख़्स के लिए दुनिया में रुस्वाई है और क़ियामत के दिन हम उसको जलती आग का अज़ाब चखाएँगे। (9) (और उससे कहा जाएगा) कि यह तेरे हाथ के किए हुए कामों का बदला है, और यह (बात साबित ही है) कि अल्लाह तआ़ला (अपने) बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं, (पस तुझको बिला जुर्म सज़ा नहीं दी गई)। (10) ❖

और बाज़ आदमी अल्लाह की इबादत (ऐसे तौर पर) करता है (जैसे किसी चीज़ के) किनारे पर (खड़ा हो) फिर अगर उसको कोई (दुनियावी) नफ़ा पहुँच गया तो उसकी वजह से (ज़ाहिरी) क़रार पा लिया, और अगर उसकी कुछ आज़माइश हो गई तो मुँह उठाकर (कुफ़्र की तरफ़) चल दिया, (जिससे) दुनिया और आख़िरत दोनों को खो बैठा, यही खुला नुक़सान (कहलाता) है। (11) ख़ुदा (की इबादत) को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत करने लगा जो न उसको नुक़सान पहुँचा सकती है और न उसको नफ़ा पहुँचा सकती है, यह इन्तिहाई दर्जे की गुमराही है।[2] (12) वह ऐसे की इबादत कर रहा है कि उस (की इबादत) का नुक़सान उसके नफ़े के मुक़ाबले में ज़्यादा जल्द (सामने आने वाला) है, (और) ऐसा कारसाज़ भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा।[3] (13) बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल फ़रमाएँगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, अल्लाह तआ़ला जो इरादा करता है कर गुज़रता है।[4] (14) जो शख़्स (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मुख़ालफ़त करके) इस बात का ख़्याल रखता है कि अल्लाह तआ़ला उनकी (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की) दुनिया और आख़िरत में मदद न करेगा तो उसको चाहिए कि एक रस्सी आसमान तक तान ले, फिर (उसके ज़रिये से आसमान तक पहुँचकर अगर हो सके इस वह्य को) रुकवा दे,[5] तो फिर (अब) ग़ौर करना चाहिए कि क्या उसकी (यह) तदबीर उसकी नागवारी की चीज़ को (यानी वह्य को) बन्द कर सकती है।[6] (15) और हमने इस क़ुरआन को इसी तरह उतारा है (जिसमें) खुली-खुली दलीलें (हक़ को मुतैयन करने की हैं) और (बात) यह (ही है) कि अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है (हक़ की) हिदायत करता है।[7] (16) इसमें कोई शुब्हा नहीं कि मुसलमान और यहूद

(पृष्ठ 600 का शेष) शुब्हात का जगह-जगह जवाब और नुबुव्वत ही के मुताल्लिक़ मदद का वायदा और जिहाद की इजाज़त और उसके बारे में झगड़ने और बहस करने वालों की निन्दा, चाहे वह झगड़ना ज़बान से हो या फ़ेल से। जैसे हज या उमरः से रोकना, जिसके ज़िम्न में हज के अहकाम ज़िक्र हुए। ३. तौहीद।

2. जब ज़लज़ला जो कि उसके वाक़िआ़त में से एक वाक़िआ़ है, ऐसा होगा तो वाक़िआ़त के मजमूए की क्या शिद्दत और सख़्ती होगी, तो उन सख़्तियों के ख़ैरियत से गुज़रने के लिए सामान करो, और वह तक़्वा है।

3. रिवायतों से ऐन क़ियामत ही के दिन और क़ियामत से पहले भी ज़लज़ले का आना साबित है, लेकिन जिस ज़लज़ले का आयत में ज़िक्र है हदीस से उसका क़ियामत के दिन आना मालूम होता है।

4. और इसी से ज़ाहिर है कि हम दोबारा पैदा करने पर क़ादिर हैं।

5. ये सब हालात भी हमारे क़ादिर होने पर दलालत करते हैं।

6. सो यह भी दलील है क़ुदरते कामिला की।

7. यह उसका ज़ाती कमाल है।

8. यह उसका फ़ेली कमाल है।

9. यह उसका कमाले वस्फ़ी है, और ये तीनों कमालात मिलकर ज़िक्र हुए उमूर की इल्लत हैं, क्योंकि अगर तीनों कमालात में से एक भी मौजूद न पाया जाता तो ईजाद करना न पाया जाता। **(पृष्ठ 602 की तफ़सीर पृष्ठ 604 पर)**

और साबिईन और ईसाई और मजूस[1] और मुश्रिकीन अल्लाह तआला इन सबके दरमियान क़ियामत के दिन (अ़मली) फ़ैसला कर देगा, (मुसलमानों को जन्नत में दाख़िल कर देगा और काफ़िरों को दोज़ख़ में), बेशक ख़ुदा तआला हर चीज़ से वाक़िफ़ है।[2] (17) (ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको (अ़क्ल से या देखने से) यह (बात) मालूम नहीं कि अल्लाह तआला के सामने (अपनी-अपनी हालत के मुनासिब) सब आ़जिज़ी करते हैं, जो कि आसमानों में हैं और जो कि ज़मीन में हैं, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख़्त और चौपाये और बहुत सारे (तो) आदमी भी,[3] और बहुत-से ऐसे हैं जिनपर (फ़रमाँबरदार न होने की वजह से) अ़ज़ाब साबित हो गया है। और (सच यह है कि) जिसको ख़ुदा ज़लील करे (और उसको हिदायत की तौफ़ीक़ न हो) उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं, (और) अल्लाह तआला (को इख़्तियार है) जो चाहे करे। ❑ (18) ये (जिनका ऊपर की आयत में ज़िक्र हुआ है) दो फ़रीक़ हैं, जिन्होंने अपने रब के (दीन के) बारे में (आपस में) इख़्तिलाफ़ किया, सो जो लोग काफ़िर थे उनके (पहनने के) लिए (क़ियामत में) आग के कपड़े काटे जाएँगे,[4] (और) उनके सर के ऊपर से तेज़ गर्म पानी छोड़ा जाएगा। (19) (और) उससे उनके पेट में की चीज़ें (यानी अंतड़ियाँ) और (उनकी) खालें सब गल जाएँगी। (20) और उनके (मारने के) लिए लोहे के गुर्ज़ होंगे। (21) वे लोग जब (दोज़ख़ में) घुटे-घुटे (घबरा जाएँगे और) उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसमें धकेल दिए जाएँगे, और (उनको कहा जाएगा कि) जलने का अ़ज़ाब (हमेशा के लिए है) चखते रहो। (22) ❖

(और) अल्लाह तआला उन लोगों को जो कि ईमान लाए और नेक काम किए (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, (और) उनको वहाँ सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएँगे, और उनका लिबास वहाँ रेशम का होगा। (23) और (यह सब इनाम उनके लिए इसलिए है कि दुनिया में) उनको कलिमा-ए-तय्यिबा (के एतिक़ाद) की हिदायत हो गई थी, और उनको उस (ख़ुदा) के रास्ते की हिदायत हो गई थी जो तारीफ़ के लायक़ है। (वह रास्ता इस्लाम है)। (24) बेशक जो लोग काफ़िर हुए और (मुसलमानों को) अल्लाह के (रास्ते से और मस्जिदे हराम यानी हरम) से (भी) रोकते हैं जिसको हमने तमाम आदमियों के वास्ते मुक़र्रर किया है, कि उसमें सब बराबर हैं, उसमें रहने वाला भी और बाहर से आने वाला भी, (ये रोकने वाले लोग अ़ज़ाब पाएँगे) और जो शख़्स उसमें (यानी हरम शरीफ़ में) कोई दीन के ख़िलाफ़ काम जान-बूझकर

(तफ़सीर पृष्ठ 602) 1. यह ज़िक्र हुए उमूर की हिक्मत है। यानी हमने वे ज़िक्र हुए तसर्रुफ़ात इसलिए ज़ाहिर किए कि इसमें और हिक्मतों में से एक हिक्मत और वजह यह भी थी कि हमको क़ियामत का लाना और मुर्दों को ज़िन्दा करना मन्ज़ूर था। तो उन तसर्रुफ़ात से इनका मुम्किन होना लोगों पर ज़ाहिर हो जाएगा।

2. सिर्फ़ यही नहीं कि उसकी इबादत से नफ़ा न होता हो बल्कि इबादत में नुक़सान होता है।

3. न 'मौला' यानी बड़ा होकर काम आए और न 'अ़शीर' यानी बराबर होकर काम आए।

4. उसके साथ कोई रोक-टोक नहीं कर सकता, और वह इस जज़ा व सज़ा का इरादा कर चुका है, पस ज़रूर ऐसा ही ज़ाहिर होगा।

5. और ज़ाहिर है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता।

6. यानी हरगिज़ नहीं कर सकती।

7. अलबत्ता इनसान की कोशिश और तलब के बाद अल्लाह तआला इरादा कर ही लेता है।

(तफ़सीर पृष्ठ 604) 1. 'मजूस' आग की पूजा करने वाले हैं।

2. पस उसको हर एक के कुफ़्र व ईमान की भी इत्तिला है, हर एक को मुनासिब बदला और सिला देगा।

3. बावजूद तमाम मख़्लूक़ात के ताबे-ए-फ़रमान होने के आदमियों में जो ख़ास दर्जे की अ़क्ल रखता है, उनमें सब फ़रमाँबर्दार नहीं।

4. यानी आग चारों तरफ़ से सर से पाँव तक कपड़ों की तरह घेरे हुए होगी।

(ख़ासकर जबकि वह) ज़ुल्म (यानी शिर्क व कुफ़्र) के साथ करेगा तो हम उसको दर्दनाक अ़ज़ाब (का मज़ा) चखाएँगे।[1] (25) ❖

और जबकि हमने इब्राहीम को ख़ाना काबा की जगह बतला दी[2] (और हुक्म दिया) कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक मत करना,[3] और मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों और (नमाज़ में) कियाम व रुकूअ़ व सज्दा करने वालों के वास्ते (महसूस और ग़ैर-महसूस गन्दगी और नापाकियों से) पाक रखना। (26) और (इब्राहीम से यह भी कहा गया कि) लोगों में हज (के फ़र्ज़ होने) का ऐलान कर दो, (जिससे कि) लोग तुम्हारे पास (हज को) चले आएँगे, पैदल भी और (जो ऊँटनियाँ सफ़र के मारे) दुबली (हो गईं होंगी उन) ऊँटनियों पर भी, जो कि दूर-दराज़ रास्तों से पहुँची होंगी। (27) ताकि अपने (दीनी और दुनियावी) फ़ायदों के लिए आ मौजूद हों[4] और (इसलिए आएँगे) ताकि मुक़र्ररा दिनों (यानी क़ुरबानी के दिनों) में उन (मख़्सूस) चौपायों पर (ज़िब्ह के वक़्त) अल्लाह का नाम लें, (यानी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर कहें जो अल्लाह तआ़ला ने) उनको अ़ता किए हैं, सो उन (क़ुरबानी के जानवरों) में से तुम (को) भी (मुस्तहब होने के साथ इजाज़त है कि) खाया करो और (मुस्तहब यह है कि) मुसीबतज़दा मोहताजों को भी खिलाया करो। (28) फिर (लोगों को) चाहिए कि अपना मैल-कुचैल दूर कर दें और अपने वाजिबात को पूरा करें, और (उन्हीं मुक़र्ररा दिनों में) इस मामून घर (यानी ख़ाना-ए-काबा) का तवाफ़ करें।[5] (29) यह बात तो हो चुकी, और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के मोहतरम अहकाम[6] की वक़अ़त करेगा,[7] सो यह (वक़अ़त करना) उसके हक़ में उसके रब के नज़दीक बेहतर है,[8] और उन (मख़्सूस) चौपायों को उन (बाज़) को छोड़कर जो तुमको पढ़कर सुना दिए गए हैं तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, तो तुम लोग गन्दगी से यानी बुतों से (बिलकुल) किनारा करने वाले रहो और झूठी बात से अलग रहो। (30) इस तौर से कि अल्लाह ही की तरफ़ झुके रहो (और) उसके साथ शरीक मत ठहराओ, और जो शख़्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो गोया वह आसमान से गिर पड़ा, फिर परिन्दों ने उसकी बोटियाँ नोच लीं या उसको हवा ने किसी दूर-दराज़ जगह में लेजा पटका।[9] (31) यह बात भी हो चुकी, और जो शख़्स अल्लाह (के दीन) की (इन ज़िक्र हुई) यादगारों का पूरा लिहाज़ रखेगा तो (उनका) यह (लिहाज़ रखना ख़ुदा तआ़ला से) दिल के साथ डरने से होता है। (32) तुमको उनसे एक मुतैयन वक़्त तक फ़ायदे हासिल करना (जायज़) है, फिर (यानी क़ुरबानी का जानवर बनने के बाद) उसके (ज़िब्ह) हलाल होने का मौक़ा बैते अ़तीक़ "यानी बैतुल्लाह" के क़रीब है।[10] (33) ❖

---

1. अगरचे दीन के ख़िलाफ़ काम करना हर जगह ही अ़ज़ाब का सबब है लेकिन हरम के अन्दर और ज्यादा अ़ज़ाब का सबब है।
2. क्योंकि उस वक़्त ख़ाना-ए-काबा बना हुआ न था।
3. यह उनके बाद वालों को सुनाना है, और घर के ज़िक्र के साथ इसका ज़िक्र इसलिए निहायत ही मुनासिब हुआ कि किसी हक़ीक़त न पहचानने वाले को इस घर की क़द्र व अ़ज़मत से और इसके इबादत की जगह होने के बारे में कोई शक व वहम न हो जाए।
4. जैसे आख़िरत के फ़ायदे ये हैं- हज का सवाब और अल्लाह तआ़ला की रिज़ा। और दुनियावी फ़ायदे ये हैं- क़ुरबानी का गोश्त खाना और तिजारत वग़ैरह। इसको हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इब्ने अबी हातिम ने नक़ल किया है। अलबत्ता दुनियावी फ़ायदों का असल मक़सद होना नापसन्दीदा है।
5. यह तवाफ़े ज़ियारत कहलाता है जो कि फ़र्ज़ है।
6. आ़म इससे कि हज के अहकाम ज़िक्र हुए हों या हज के अहकाम ज़िक्र न हुए हों, या हज से मुताल्लिक़ न हों।
7. इल्म के एतिबार से भी कि उनको मालूम करे और अ़मल के एतिबार से भी कि उनके ख़िलाफ़ न करे।
8. क्योंकि सवाब को वाजिब करने वाला और अ़ज़ाब से नजात देने वाला है।
9. इसी तरह जिसने शिर्क किया या तो किसी के हाथ से मारा गया या किसी वक़्त तबई मौत से (शेष तफ़सीर पृष्ठ 608 पर)

और (जितने शरीअ़तों वाले गुज़रे हैं उनमें से) हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी करना इस ग़रज़ से मुक़र्रर किया था कि वे उन (मख़्सूस) चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको अ़ता फ़रमाए थे, सो (इससे यह बात निकल आई कि) तुम्हारा (हक़ीक़ी) माबूद एक ही ख़ुदा है तो तुम पूरी तरह उसी के होकर रहो।[1] आप (अल्लाह के अहकाम के सामने ऐसे) गरदन झुका देने वालों को (जन्नत वग़ैरह की) ख़ुशख़बरी सुना दीजिए। **(34)** जो ऐसे हैं कि जब (उनके सामने) अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जो उन मुसीबतों पर जो कि उनपर पड़ती हैं सब्र करते हैं, और जो नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से (हुक्म और तौफ़ीक़ के मुताबिक़) ख़र्च करते हैं।[2] **(35)** और क़ुरबानी के ऊँट (और गाय और इसी तरह भेड़ और बकरी को भी) हमने अल्लाह (के दीन) की यादगार बनाया है, इन (जानवरों) में तुम्हारे (और भी) फ़ायदे हैं, सो तुम उनपर खड़े करके[3] (ज़िब्ह करने के वक़्त) अल्लाह का नाम लिया करो। पस जब वे (किसी) करवट के बल गिर पड़ें (और ठन्डे हो जाएँ) तो तुम ख़ुद भी खाओ और बेसवाल और सवाली (मोहताज) को भी खाने को दो, (और) हमने इन (जानवरों) को इस तरह तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया, ताकि तुम (इस ताबे कर देने पर अल्लाह तआ़ला का) शुक्र करो।[4] **(36)** अल्लाह के पास न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका ख़ून, और लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़्वा पहुँचता है, इसी तरह अल्लाह तआ़ला ने उन (जानवरों) को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया ताकि तुम (अल्लाह की राह में उनकी क़ुरबानी करके) इस बात पर अल्लाह की बड़ाई (बयान) करो कि उसने तुमको तौफ़ीक़ दी, और (ऐ मुहम्मद!) इख़्लास वालों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए। **(37)** बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला (उन मुश्रिकीन के ग़ल्बे और तकलीफ़ पहुँचाने की क़ुदरत को) ईमान वालों से (जल्द ही) हटा देगा,[5] बेशक अल्लाह तआ़ला किसी दग़ाबाज़-कुफ़्र करने वाले को नहीं चाहता।[6] ▲ **(38)** ❖

(अब) लड़ने की उन लोगों को इजाज़त दे दी गई जिनसे (काफ़िरों की तरफ़ से) लड़ाई की जाती है, इस वजह से कि उनपर (बहुत) ज़ुल्म किया गया है,[7] और बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला उनके ग़ालिब कर देने पर पूरी क़ुदरत रखता है। **(39)** (आगे उनकी मज़लूमियत का बयान है) जो अपने घरों से बेवजह निकाले गए, सिर्फ़ इतनी (बात) पर कि वे (यूँ) कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है,[8] और अगर (यह बात न होती कि) अल्लाह तआ़ला (हमेशा से) लोगों का एक-दूसरे (के हाथ) से ज़ोर न घटवाता रहता[9] तो (अपने-अपने ज़मानों में) ईसाइयों के ख़िल्वतख़ाने और इबादतख़ाने और यहूद के इबादतख़ाने और (मुसलमानों की) वे मस्जिदें जिनमें अल्लाह तआ़ला का नाम कसरत से लिया जाता है, सब ढा दिए गए होते। और बेशक अल्लाह उसकी मदद करेगा जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा,[10] बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला (और) ग़ल्बे वाला है। (वह जिसको चाहे ग़ल्बा और क़ुव्वत दे सकता है)। **(40)** ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम उनको दुनिया में हुकूमत दे

(पृष्ठ 606 का शेष) मर गया, हर हालत में हलाकत के घर यानी दोज़ख़ में पहुँचेगा। और यूँ हवा के झोंकों के बग़ैर भी ज़रूर ही गिरता, लेकिन उस सूरत में और ज़्यादा कुल्फ़त होगी। चुनाँचे तबई मौत के साथ फ़रिश्तों के धक्के-मुक्के उसी के जैसे हैं।

10. मुराद पूरा हरम है। यानी हरम से बाहर ज़िब्ह न करें।

1. यानी ख़ालिस मोमिन रहो, किसी मकान वग़ैरह को उसकी ज़ात के एतिबार से अ़ज़मत वाला समझने से ज़र्रा बराबर शिर्क का शक व शुब्हा भी अपने अ़मल में न पैदा होने दो।

2. यानी तौहीदे ख़ालिस ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि उसकी बदौलत नफ़्सानी, जिस्मानी और माली कमालात पैदा हो जाते हैं।

3. यह सिर्फ़ ऊँटों के एतिबार से फ़रमाया कि उनका इस तरह ज़िब्ह करना इसलिए बेहतर है कि इससे ज़िब्ह करने और रूह के निकलने में आसानी होती है।

4. यह हिक्मत मुतलक़ ज़िब्ह में है क़ुरबानी होने से अलग। और आगे ज़िब्ह की तख़्सीसात के अपनी ज़ात में मक़सूद न होने को एक अ़क़्ली क़ायदे से बयान फ़रमाते हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 610 पर)**

दें तो ये लोग (ख़ुद भी) नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दें और (दूसरों को भी) नेक कामों के करने को कहें और बुरे कामों से मना करें,[1] और सब कामों का अन्जाम तो अल्लाह के ही इख़्तियार में है।[2] (41) और ये (झगड़ालू) लोग अगर आपको झुठलाते हैं तो (आप ग़मगीन न होइए, क्योंकि) इन लोगों से पहले क़ौमे नूह, आद और समूद (42) और क़ौमे इब्राहीम और क़ौमे लूत (43) और मद्यन वाले (भी अपने-अपने अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम को) झुठला चुके हैं, और मूसा को भी (क़िब्त की तरफ़ से) झूठा क़रार दिया गया, सो (झुठलाए जाने के बाद) मैंने (उन) काफ़िरों को (थोड़ी-सी) मोहलत दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो मेरा अ़ज़ाब कैसा हुआ। (44) (ग़रज़) कितनी बस्तियाँ हैं जिनको हमने (अ़ज़ाब से) हलाक किया, जिनकी यह हालत थी कि वे नाफ़रमानी करती थीं, सो (अब उनकी कैफ़ियत यह है कि) वे अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं,[3] और (इसी तरह उन बस्तियों में) बहुत-से बेकार कुएँ (जो पहले आबाद थे) और बहुत-से क़लई-चूने के महल[4] (भी उन बस्तियों के साथ तबाह हुए)। (45) सो क्या ये (इनकारी) लोग मुल्क में चले-फिरे नहीं, जिससे कि उनके दिल ऐसे हो जाएँ कि उनसे समझने लगें, या उनके कान ऐसे हो जाएँ जिससे सुनने लगें। बात यह है कि (न समझने वालों की कुछ) आँखें अन्धी नहीं हो जाया करतीं, बल्कि दिल जो सीनों में हैं वे अन्धे हो जाया करते हैं।[5] (46) और ये लोग (नुबुव्वत में शुब्हा निकालने के लिए ऐसे) अ़ज़ाब का तक़ाज़ा करते हैं, हालाँकि अल्लाह कभी अपना वायदा ख़िलाफ़ न करेगा, और आपके रब के पास का एक दिन (यानी क़ियामत का दिन लम्बा होने में या सख़्त होने में) एक हज़ार साल के बराबर है, तुम लोगों की गिनती के मुवाफ़िक़। (47) और बहुत-सी बस्तियाँ हैं जिनको मैंने (उनकी तरह) मोहलत दी थी, और वे (उन्हीं की तरह) नाफ़रमानी करती थीं,[6] फिर मैंने उनको पकड़ लिया और (सबको) मेरी ही तरफ़ लौटना होगा।[7] (48) ◆

(और) आप (यह भी) फ़रमा दीजिए कि ऐ लोगो! मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे लिए एक खुला डराने वाला हूँ। (49) सो जो लोग (इस डर को सुनकर) ईमान ले आए और अच्छे काम करने लगे, उनके लिए मग़्फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी (यानी जन्नत) है। (50) और जो लोग हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनको झुठलाने की) कोशिश करते रहते हैं (नबी को और ईमान वालों को) हराने के लिए, ऐसे लोग दोज़ख़ (में रहने) वाले हैं।[8] (51) और ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! हमने आपसे पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको यह क़िस्सा पेश न आया हो कि जब उसने अल्लाह तआ़ला के अहकाम में से कुछ पढ़ा

(पृष्ठ 608 का शेष) 5. कि फिर हज वग़ैरह से रोक ही न सकेंगे।

6. इसलिए अन्जामकार उनको मग़लूब और मुख़्लिस मोमिनों को ग़ालिब कर देगा।

7. यह इल्लत है जिहाद के जायज़ व मश्रू होने की। मगर मज़लूमियत के सबब और वजह होने से कोई यह शुब्हा न करे कि जो काफ़िर ज़ालिम न हों और इस्लाम के ज़ेरे फ़रमान भी न हों उनके साथ जंग व क़िताल नहीं है।

8. यानी उनके तौहीद के इक़रार पर काफ़िरों का यह तमाम नाराज़गी और ग़ुस्सा था जिसकी वजह से उनको इस क़द्र परेशान किया कि वतन छोड़ना पड़ा।

9. 'व लौ ला दफ़्अुल्लाहि......'' के हिक्मत होने से कोई यह शुब्हा न करे कि कभी-कभी अहले हक़ भी मग़लूब हो जाते हैं, असल यह है कि इतना ग़ल्बा जिसमें हक़ न मिटे यही हिक्मत का मक़सद है, सो यह हासिल रहा है।

10. यानी उसके लड़ने में ख़ालिस नीयत अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करने की हो। इस आयत से यह शुब्हा न पैदा होना चाहिए कि ग़ैर-मुस्लिमों की यह इबादतगाहें अब भी अल्लाह के यहाँ मक़बूल हैं। असल यह है कि मश्रू होने के अपने-अपने ज़माने में और अपनी-अपनी मिल्लत में उनके मक़सूद होने में उनका मतलूब होना मक़सूद है। और ईसाइयों की दो इबादतगाहों का इसलिए ज़िक्र किया कि उनमें दुरवेशी की भी रस्म जारी थी, और 'ल-यन्सुरन्नल्लाहु......' से कोई शुब्हा न करे कि कभी-कभी हक़ के मददगार भी मग़लूब हो जाते हैं, असल यह है कि उलट-पलट होने के बाद अन्जामकार ग़ल्बा हक़ के मददगारों ही को होता है, शर्त यह है कि वे साबित-क़दम रहें।

1. इस आयत से सहाबा की फ़ज़ीलत और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का हक़ पर होना साबित होता है।

2. पस मुसलमानों की मौजूदा हालत को देखकर कोई क्योंकर यह कह सकता है कि (शेष तफ़सीर पृष्ठ 612 पर)

(तब ही) शैतान ने उसके पढ़ने में (काफ़िरों के दिलों में) शुब्हा डाला, फिर अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए (शुब्हात) को नेस्तनाबूद कर देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को ज़्यादा मज़बूत कर देता है,[1] और अल्लाह तआला ख़ूब इल्म वाला, ख़ूब कुदरत वाला है। **(52)** (और यह सारा क़िस्सा इसलिए किया है) ताकि अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए (शुब्हात) को ऐसे लोगों के लिए आज़माइश (का ज़रिया) बना दे, जिनके दिल में (शक की) बीमारी है, और जिनके दिल (बिलकुल) सख़्त हैं,[2] और वाक़ई (ये) ज़ालिम लोग बड़ी मुख़ालफ़त में हैं। **(53)** और ताकि जिन लोगों को (सही) समझ अ़ता हुई है वे (इन जवाबों और हिदायत के नूर से इस बात का ज़्यादा) यक़ीन कर लें कि यह आपके रब की तरफ़ से हक़ है, ईमान पर ज़्यादा क़ायम हो जाएँ, फिर उसकी तरफ़ उनके दिल (और भी) झुक जाएँ। और वाक़ई (उन) ईमान वालों को अल्लाह तआला (ही) सीधा रास्ता दिखलाता है। **(54)** और (रह गए) काफ़िर लोग (सो वे) हमेशा इस (पढ़े हुए हुक्म) की तरफ़ से शक ही में रहेंगे, यहाँ तक कि उनपर अचानक क़ियामत आ जाए, या उनपर किसी बेबरकत दिन का (जो कि क़ियामत का दिन है) अ़ज़ाब आ पहुँचे।[3] **(55)** बादशाही उस दिन अल्लाह ही की होगी, वह इन सब (ज़िक्र-शुदा) के दरमियान (अ़मली) फ़ैसला फ़रमाएगा, सो जो लोग ईमान लाए होंगे और अच्छे काम किए होंगे वे चैन के बाग़ों में होंगे। **(56)** और जिन्होंने कुफ़्र किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा तो उनके लिए ज़िल्लत का अ़ज़ाब होगा। (वह फ़ैसला यह होगा)। **(57)** ◆

और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में (यानी दीन के लिए) अपना वतन छोड़ा, फिर वे लोग (कुफ़्र के मुक़ाबले में) क़त्ल किए गए या मर गए, अल्लाह तआला ज़रूर उनको (एक) उम्दा रिज़्क़ देगा,[4] और यक़ीनन अल्लाह तआला सब देने वालों से अच्छा (देने वाला) है। **(58)** (और उम्दा रिज़्क़ के साथ अल्लाह तआला उनको ऐसी जगह लेजाकर) दाख़िल करेगा जिसको वे (बहुत ही) पसन्द करेंगे, और बिला शुब्हा अल्लाह तआला (हर बात की मस्लहत को) ख़ूब जानने वाला है, बहुत हिल्म वाला (भी) है। **(59)** यह (मज़मून तो) हो चुका और जो शख़्स (दुश्मन को) उसी क़द्र तकलीफ़ पहुँचाए जिस क़द्र (उस दुश्मन की तरफ़ से) उसको तकलीफ़ पहुँचाई गई थी, (और) फिर उस शख़्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह तआला उस शख़्स की ज़रूर मदद करेगा,[5] बेशक अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा मग़्फ़िरत करने वाला है।[6] (ऐसी बारीकियों पर पकड़ नहीं करता)। **(60)** यह (मोमिनों का ग़ालिब कर देना) इस सबब से है कि अल्लाह तआला रात (के हिस्सों) को दिन में दाख़िल कर देता है और दिन के (हिस्सों) को रात में दाख़िल कर देता है, और (साथ ही) इस सबब से है कि अल्लाह तआला (इन सब हालात और बातों को) ख़ूब सुनने

(पृष्ठ 610 का शेष) अन्जाम भी उनका यही रहेगा, बल्कि मुम्किन है कि इसका उल्टा हो जाए, चुनाँचे हुआ।

3. मुराद यह है कि वीरान हैं। क्योंकि आ़दतन पहले छत गिरती है फिर उसपर दीवारें आ पड़ती हैं।

4. इसी तरह वायदा किए गए वक़्त पर ये लोग भी अ़ज़ाब दिए जाएँगे।

5. सो उनके भी वही दिल जो सीनों में हैं अन्धे हो रहे हैं, वरना ज़िक्र की गई उम्मतों की हालत से समझ लेते कि सच-मुच कुफ़्र अल्लाह का नापसन्दीदा है, जब ही तो इसपर अ़ज़ाब आया।

6. यानी वह भी जल्दी मचाते और हँसी उड़ाते थे।

7. उस वक़्त कुफ़्र की पूरी सज़ा दी जाएगी।

8. पस यह मेरा दावा है और मैं इसपर दलील रखता हूँ। और अ़ज़ाब से डराना मेरा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है, जो अपने वक़्त पर अल्लाह के इख़्तियार से वाक़ेअ़ और ज़ाहिर होगा।

1. अगरचे वे अपने आपमें भी मज़बूत थीं लेकिन एतिराज़ों के जवाब से उस मज़बूती का और ज़्यादा ज़ुहूर हो गया।

2. कि वह शक से आगे बढ़कर बातिल का यक़ीन किए हुए हैं। सो उनकी आज़माइश होती है कि देखें जवाब के बाद अब भी शुब्हात की पैरवी करते हैं या जवाब को समझकर हक़ को क़बूल करते हैं।

3. मतलब यह है कि ये अ़ज़ाब को देखे बग़ैर कुफ़्र से बाज़ न आएँगे, मगर उस वक़्त बाज़ आना **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 614 पर)**

वाला, ख़ूब देखने वाला है। **(61)** यह (मदद) इस सबब से (यक़ीनी) है कि अल्लाह तआ़ला ही (वजूद में) कामिल है, और जिन चीज़ों की ये लोग अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे हैं, वे बिलकुल लचर हैं, और अल्लाह ही आ़लीशान और (सबसे) बड़ा है। **(62)** (और ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको यह ख़बर नहीं कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, जिससे ज़मीन हरी-भरी हो गई, बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान (और) सब बातों की ख़बर रखने वाला है। **(63)** (सब) उसी का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, (यानी वह सबका मालिक है) और बेशक अल्लाह ही ऐसा है जो किसी का मोहताज नहीं (और) हर तरह की तारीफ़ के लायक़ है। **(64)** ◆

(और ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको यह ख़बर नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों के काम में लगा रखा है ज़मीन की चीज़ों को और कश्ती को (भी) कि वह दरिया में उस (ख़ुदा) के हुक्म से चलती है, और वही आसमानों को ज़मीन पर गिरने से थामे हुए है, हाँ! मगर उसी का हुक्म हो जाए (तो ख़ैर), यक़ीनन अल्लाह तआ़ला लोगों (के हाल) पर बड़ी शफ़्क़त और रहमत फ़रमाने वाला है। **(65)** और वही है जिसने तुमको ज़िन्दगी दी, फिर (मुक़र्ररा वक़्त पर) तुमको मौत देगा, फिर (क़ियामत में दोबारा) तुमको ज़िन्दा करेगा, वाक़ई इनसान है बड़ा बेक़द्र।[1] **(66)** (जितनी उम्मतें शरीअ़त वालों की गुज़री हैं) हमने (उनमें) हर उम्मत के वास्ते ज़िब्ह करने का तरीक़ा मुक़र्रर किया है, कि वे उसी (तरीक़े) पर ज़िब्ह किया करते थे, सो इन (एतिराज़ करने वाले) लोगों को चाहिए कि आपसे इस (ज़िब्ह के) मामले में झगड़ा न करें, और आप (उनको) अपने रब (यानी उसके दीन) की तरफ़ बुलाते रहिए, क्योंकि आप यक़ीनन सही रास्ते पर हैं।[2] **(67)** और अगर (इसपर भी) ये लोग आपसे झगड़ा निकालते रहें, तो आप (आख़िरी बात यह) फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों को ख़ूब जानता है। **(68)** अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दरमियान क़ियामत के दिन (अ़मली) फ़ैसला फ़रमा देगा, जिन चीज़ों में तुम इख़्तिलाफ़ करते थे। **(69)** (आगे इसकी ताईद है कि ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला सब चीज़ों को जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। यक़ीनी बात है कि यह (सब उनका क़ौल व फ़ेल) आमालनामे में (भी महफ़ूज़) है, (पस) यक़ीनन (साबित हो गया कि) यह (फ़ैसला करना) अल्लाह तआ़ला के नज़दीक (बहुत) आसान है।[3] **(70)** और ये (मुश्रिक) लोग अल्लाह तआ़ला के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जिन (की इबादत के जायज़ होने पर) अल्लाह तआ़ला ने (अपनी किताब में) कोई हुज्जत नहीं भेजी और न उनके पास उसकी कोई (अ़क़्ली) दलील है, और उन ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा।[4] **(71)** और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें जो कि (अपने मज़ामीन में) ख़ूब

(पृष्ठ 612 का शेष) कुछ नफ़ा न देगा।

4. यानी जन्नत के मेवे और अल्लाह रब्बुल आ़लमीन का दीदार।

5. अगर यह शख़्स बदला लेना चाहे तो दुनिया में शरीअ़त की मदद यक़ीनी है, यानी बदला लेने की इजाज़त। और अगर बदला न ले तो आख़िरत में महसूस और ज़ाहिरी मदद ज़रूरी है, यानी ज़ालिम को अ़ज़ाब दिया जाना।

फ़ायदाः बराबरी की इस रियायत का वाजिब होना मामलों और समाजी ज़िन्दगी में हैं न कि जिहाद में। तथा जो काम हर हाल में गुनाह हैं वे भी इस उमूम से अलग हैं, जैसे कोई किसी के माँ-बाप को बुरा कहे तो बदले में उसके माँ-बाप को बुरा कहना जायज़ न होगा।

6. ऊपर मोमिनों के ग़ालिब और काफ़िरों के मग़लूब होने का बयान था। चूँकि मुसलमानों की मौजूदा बेसरो-सामानी और काफ़िरों का तादाद और सामान व तैयारी में बहुत ज़्यादा होने पर नज़र करते हुए इसमें एक तरह की दूर की बात मालूम होती थी, इसलिए आगे अपनी क़ुदरते कामिला का बयान फ़रमाते हैं। और चूँकि जाहिल काफ़िरों को इस मक़ाम पर अपने माबूदों के मददगार होने का वहम भी हो सकता था, इसलिए 'ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल् हक़्क़ु......" में उनका नाकारा होना इरशाद फ़रमाते हैं। यह मज़मून तौहीदे ज़ाती व सिफ़ाती व अफ़आ़ली को शामिल था और मुश्रिकीन की तरफ़ ख़िताब था जो कि शिर्क में मुब्तला होने से अल्लाह की नेमतों का इनकार करते थे, इसलिए 'अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल' से 'ल-कफ़ूर' तक इस मज़मून की किसी क़द्र तफ़सील फ़रमाते हैं।

1. कि अब भी कुफ़्र व शिर्क से बाज़ नहीं आता। इनसान से मुराद ऐसे ही लोग हैं। इस सूरः के **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 616 पर)**

वाज़ेह हैं, पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम उन काफ़िरों के चेहरों में (अन्दुरूनी नागवारी की वजह से) बुरे आसार देखते हो,[1] क़रीब है कि ये उन लोगों पर (अब) हमला कर बैठें-(गे) जो हमारी आयतें उनके सामने पढ़ रहे हैं। आप (उन मुश्रिकों से) कहिए कि क्या मैं तुमको इस (क़ुरआन) से भी ज़्यादा नागवार चीज़ बतला दूँ, वह दोज़ख़ है (कि) उसका अल्लाह ने काफ़िरों से वायदा किया है, और वह बुरा ठिकाना है।[2] **(72)** ❖

ऐ लोगो! एक अ़जीब बात बयान की जाती है, उसको कान लगाकर सुनो। (वह यह है कि) इसमें कोई शुब्हा नहीं कि जिनकी तुम ख़ुदा को छोड़कर इबादत करते हो, वे एक (मामूली) मक्खी को तो पैदा ही नहीं कर सकते चाहे सबके सब भी (क्यों न) जमा हो जाएँ। और (पैदा करना तो बड़ी बात है, वे तो ऐसे आ़जिज़ हैं कि) अगर उनसे मक्खी कुछ छीन ले जाए तो उसको (तो) उससे छुड़ा (ही) नहीं सकते, ऐसा इबादत करने वाला भी लचर और ऐसा माबूद भी लचर। **(73)** (अफ़सोस है) उन लोगों ने अल्लाह की जैसी ताज़ीम करनी चाहिए थी (कि उसके सिवा किसी की इबादत न करते) वह न की, अल्लाह तआ़ला बड़ी क़ुव्वत वाला है सबपर ग़ालिब है।[3] **(74)** अल्लाह तआ़ला (को इख़्तियार है) रसूल बनाने के लिए (जिसको चाहता है) चुन लेता है, फ़रिश्तों में से (जिन फ़रिश्तों को चाहे) अहकाम पहुँचाने वाले मुक़र्रर फ़रमा देता है, और (इसी तरह) आदमियों में से। यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है।[4] **(75)** (यानी) वह उन (सब फ़रिश्तों और आदमियों) की आने वाली और गुज़री हुई हालतों को (ख़ूब) जानता है,[5] और तमाम कामों का मदार अल्लाह ही पर है। (यानी वह अपनी ज़ात से मुस्तक़िल मालिक है)। **(76)** ऐ ईमान वालो! तुम रुकूअ़ किया करो और सज्दा किया करो, और अपने रब की इबादत किया करो, और (तुम) ऐसे नेक काम (भी) किया करो, उम्मीद (यानी वायदा) है कि तुम फ़लाह पाओगे। ❑ **(77)** और अल्लाह (के काम) में ख़ूब कोशिश किया करो जैसा कि उसमें कोशिश करने का हक़ है, उसने तुमको (और उम्मतों से) मुमताज़ फ़रमाया, और (उसने) तुमपर दीन (के अहकाम) में किसी क़िस्म की तंगी नहीं की, तुम अपने बाप इब्राहीम की (इस) मिल्लत पर (हमेशा) क़ायम रहो। उस (अल्लाह) ने तुम्हारा लक़ब मुसलमान रखा है,[6] (क़ुरआन नाज़िल होने से) पहले भी और इस (क़ुरआन) में भी, ताकि तुम्हारे (गवाही के क़ाबिल और मोतबर होने के) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) गवाह हों, और (इस रसूलुल्लाह की गवाही से पहले) तुम लोगों के मुक़ाबले में गवाह (तजवीज़) हो।[7] सो तुम लोग (ख़ुसूसियत के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह ही को मज़बूत पकड़े रहो,[8] वह तुम्हारा कारसाज़ है, (किसी की मुख़ालफ़त तुमको हक़ीक़त में नुक़सानदेह न होगी) सो क्या ही अच्छा कारसाज़ है और क्या अच्छा मददगार है। **(78)** ❖

(पृष्ठ 614 का शेष) अक्सर हिस्सों में काफ़िरों के हुज्जत व बहस और उसके बातिल होने की वुजूहात का बयान है, उन बहसों और हुज्जत व तकरार में से एक बहस ज़िब्ह के मुताल्लिक़ थी, जिसका हासिल वही है जो अब भी बाज़ काफ़िरों की ज़बान पर मश्हूर है कि ख़ुदा का मारा हुआ मुर्दार और अपना मारा हुआ हलाल, आगे इसपर मुश्रिकों को तंबीह है।

2. सही रास्ते वाले को हक़ होता है कि ग़लत रास्ते वाले को अपनी तरफ़ बुलाए। और ग़लत रास्ते वाले को यह हक़ नहीं होता।

3. क्योंकि फ़ैसले का सबसे बड़ा मदार हाकिम के एतिबार से इल्म ही है, और ग़ैर-हाकिम के एतिबार से इल्म के साथ हुकूमत के हासिल होने की भी ज़रूरत है, और हक़ तआ़ला का हाकिम होना मुसल्लम ही था।

4. न क़ौल के एतिबार से कि उनके फ़ेल के अच्छा होने पर कोई हुज्जत पेश कर सके, न अ़मल के एतिबार से कि उनको अ़ज़ाब से बचा सके।

1. जैसे चेहरे पर बल पड़ जाना, नाक चढ़ जाना, तैवर बदल जाना।

2. यानी क़ुरआन से नागवारी का नागवार नतीजा दोज़ख़ है।

3. तो इबादत ख़ालिस उसी का हक़ था न कि उसका जो न क़ुव्वत वाला हो और न ग़ालिब।

4. यानी रसूल होने का मदार अल्लाह के चुन लेने पर है, इसमें फ़रिश्ता होने की कुछ ख़ुसूसियत नहीं। बल्कि जिस तरह फ़रिश्ता होने के साथ रिसालत जमा हो सकती है, जिसको मुश्रिक भी मानते हैं, इसी तरह इनसान होने के साथ **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 618 पर)**

अट्ठारहवाँ पारः क़द् अफ़्ल-हल् मुअ्मिनून

23 सूरः मुअ्मिनून 74

सूरः मुअ्मिनून मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 118 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

[1]यक़ीनन उन मुसलमानों ने (आख़िरत में) फ़लाह पाई[2] **(1)** जो अपनी नमाज़ में ख़ुशूअ़ करने वाले हैं।[3] **(2)** और जो लग्व बातों से (चाहे क़ौली हों या फ़ेली) अलग रहने वाले हैं।[4] **(3)** और जो (आमाल व अख़्लाक़ में) अपनी सफ़ाई करने वाले हैं। **(4)** और जो अपनी शरमगाहों की (हराम शहवत पूरी करने से) हिफ़ाज़त करने वाले हैं। **(5)** लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बाँदियों से (हिफ़ाज़त नहीं करते), क्योंकि उनपर (उसमें) कोई इल्ज़ाम नहीं। **(6)** हाँ, जो इसके अ़लावा (और जगह शहवत पूरी करने का) तलबगार हो,[5] ऐसे लोग (शरई) हद से निकलने वाले हैं। **(7)** और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हुई) अमानतों और अपने अ़हदों का ख़्याल रखने वाले हैं। **(8)** और जो अपनी नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं। **(9)** (पस) ऐसे ही लोग वारिस होने वाले हैं। **(10)** जो जन्नत के वारिस होंगे (और) वे उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। **(11)** और हमने इनसान को मिट्टी के ख़ुलासे (यानी ग़िज़ा) से बनाया। **(12)** फिर हमने उसको नुत्फ़े से बनाया जो कि (एक मुक़र्ररा मुद्दत तक) एक महफ़ूज़ मक़ाम (यानी गर्भ) में रहा। **(13)** फिर हमने उस नुत्फ़े को ख़ून का लोथड़ा बना दिया, फिर हमने उस ख़ून के लोथड़े को (गोश्त की) बोटी बना दिया, फिर हमने उस बोटी (के बाज़ हिस्सों) को हड्डियाँ बना दिया, फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर हमने (उसमें रूह डालकर) उसको एक दूसरी ही (तरह की) मख़्लूक़ बना दिया। सो कैसी बड़ी शान है अल्लाह की जो ताम बनाने वालों से बढ़कर है।[6] **(14)** फिर तुम इस (तमाम अ़जीब क़िस्से) के बाद ज़रूर ही मरने वाले हो। **(15)** फिर तुम क़ियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा किए जाओगे। **(16)** और हमने तुम्हारे ऊपर सात आसमान बनाए और हम मख़्लूक़ (की मस्लहतों) से बेख़बर न थे। **(17)** और हमने आसमान से (मुनासिब) मिक़दार के साथ

(पृष्ठ 616 का शेष) भी वह जमा हो सकती है।

5. ग़रज़ सबके सुने हुए और देखे हुए हालात उसको मालूम हैं, उनमें से बाज़ का हाल चूँकि उनके चुन लेने को चाहता था इसलिए उन्हें रिसालत के लिए चुन लिया गया।

6. चुनाँचे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ज़बान से कहलवाया- 'उम्मतम्-मुस्लि-मतल् ल-क' और शायद क़ुरआन से पहले नाज़िल होने वाली किताबों में भी हो। और क़ुरआन में तो जगह-जगह आया है, और अल्लाह तआ़ला ने यह उन्वान मुक़र्रर किया है तो ज़रूर ही उम्मते मुहम्मदिया में इताअ़त व फ़रमाँदारी का माद्दा ज़्यादा होगा।

7. तुम एक बड़े मुक़द्दमे में जिसमें एक फ़रीक़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम होंगे और दूसरा फ़रीक़ उनकी मुख़ालिफ़ क़ौमें होंगी। उन मुख़ालिफ़ क़ौमों के मुक़ाबले में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के हक़ में गवाही दो, और तुम्हारी गवाही से उस मुक़द्दमे का फ़ैसला अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के हक़ में हो और मुख़ालिफ़ मुजरिम क़रार पाकर सज़ा पाने वाले हों।

8. यानी हिम्मत व इरादे के साथ दीन के कामों में लगे रहो। अल्लाह के ग़ैर के ख़ुश होने या ख़ुश न होने, या अपने नफ़्स की मस्लहत या नुक़सान की तरफ़ तवज्जोह मत करो।

1. इस सूरः का ख़ुलासा ये मज़ामीन हैं- अव्वल इबादत की फ़ज़ीलत जो शुरू ही में ज़िक्र की गई है। दूसरे अल्लाह की क़ुदरत के आसार का बयान जो इनाम व तौहीद दोनों पर दलालत करता है। तीसरे नुबुव्वत की तहक़ीक़ मय उसके मुताल्लिक़ जो शुब्हात हैं उनका दूर करना। चौथे मरने के बाद ज़िन्दा होना और आमाल का बदला दिया जाना। पाँचवे काफ़िरों के हाल की बुराई। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 620 पर)**

पानी बरसाया, फिर हमने उसको (मुद्दत तक) ज़मीन में ठहराया, और हम उस (पानी) के ख़त्म कर देने पर (भी) क़ादिर हैं। **(18)** फिर हमने उस (पानी) के ज़रिये से बाग़ पैदा किए खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे वास्ते उनमें कसरत से मेवे भी हैं, और उनमें से खाते भी हो। **(19)** और (उसी पानी से) एक (ज़ैतून का) पेड़ भी (हमने पैदा किया) जो कि तूरे- सीना में (कसरत से) पैदा होता है,[1] जो कि उगता है तेल लिए हुए और खाने वालों के लिए सालन लिए हुए।[2] **(20)** और तुम्हारे लिए मवेशियों में (भी) ग़ौर करने का मौक़ा है कि हम तुमको उनके पेट में की चीज़ (यानी दूध) पीने को देते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत-से फ़ायदे हैं,[3] और (साथ ही) उनमें से बाज़ को खाते भी हो। **(21)** और उनपर और कश्ती पर लदे-लदे फिरते (भी) हो। **(22)** ❖

और हमने नूह को उनकी क़ौम की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा, सो उन्होंने (अपनी क़ौम से) फ़रमाया ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की इबादत किया करो, उसके सिवा कोई तुम्हारे लिए माबूद बनाने के लायक़ नहीं, फिर क्या तुम (दूसरों को माबूद बनाने से) डरते नहीं हो। **(23)** पस (नूह अ़लैहिस्सलाम की यह बात सुनकर) उनकी क़ौम में जो काफ़िर सरदार थे, (अ़वाम से) कहने लगे कि यह शख़्स सिवाय इसके कि तुम्हारी तरह का एक (मामूली) आदमी है और कुछ नहीं, (इस दावे से) उसका मतलब यह है कि तुमसे बरतर होकर रहे,[4] और अल्लाह तआ़ला को (रसूल भेजना) मन्ज़ूर होता तो फ़रिश्तों को भेजता, हमने यह बात अपने पहले बड़ों में नहीं सुनी। **(24)** बस यह एक आदमी है जिसको जुनून हो गया है। सो एक ख़ास वक़्त (यानी उसके मरने के वक़्त) तक उस (की हालत) का और इन्तिज़ार कर लो। **(25)** नूह ने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरा बदला ले इस वजह से कि उन्होंने मुझको झुठलाया है। **(26)** पस हमने (उनकी दुआ़ क़बूल की और) उनके पास हुक्म भेजा कि तुम हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो, फिर जिस वक़्त हमारा (अ़ज़ाब का) हुक्म (क़रीब) आ पहुँचे और (निशानी उसकी यह है कि) ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो तो (उस वक़्त) हर क़िस्म (के जानवरों) में से एक-एक नर और एक-एक मादा यानी दो-दो अ़दद उस (कश्ती) में दाख़िल कर लो, और अपने घर वालों को भी (सवार कर लो) उसको छोड़कर जिसपर उनमें से (ग़र्क़ होने का) हुक्म नाफ़िज़ हो चुका है। और (यह सुन लो कि) मुझसे काफ़िरों (की नजात) के बारे में कुछ गुफ़्तगू मत करना (क्योंकि) वे सब ग़र्क़ किए जाएँगे। **(27)** फिर जिस वक़्त तुम और तुम्हारे (मुसलमान) साथी कश्ती में बैठ चुको तो यूँ कहना, शुक्र है ख़ुदा का जिसने हमको काफ़िर लोगों से (यानी उनके फ़ेलों और तकलीफ़ों से) नजात दी। **(28)** और यूँ कहना कि ऐ मेरे रब! मुझको (ज़मीन पर) बरकत का उतारना उतारियो,[5] और आप

(पृष्ठ 618 का शेष) छठे उनमें से अक्सर की तक़्वियत (यानी मज़बूती व ताक़त देने) के लिए बाज़ हिकायतें और क़िस्से। सातवें बाज़ आला आमाल व उम्दा अख़्लाक़ की तालीम जो पहले मज़मून के मुनासिब है।

2. यानी उन मुसलमानों ने फ़लाह पाई जो अक़ायद को सही रखने के साथ निम्न सिफ़तों के साथ भी मौसूफ़ हैं।

3. ख़ुशूअ़ की हक़ीक़त है सुकून, यानी दिल का भी कि दूसरे ख़्यालात को दिल में इरादा करके हाज़िर न करे, और जिस्म के अंगों का भी कि बेफ़ायदा हरकतें न करे। और उसकी फ़र्ज़ियत में कलाम है, मगर हक़ यह है कि नमाज़ के सही होने के लिए तो लाज़िमी नहीं और इस दर्जे में फ़र्ज़ नहीं, लेकिन नमाज़ के क़बूल होने के लिए ख़ुशूअ़ ज़रूरी है और इस दर्जे में फ़र्ज़ है।

4. 'लग़्व' का अदना दर्जा अगरचे मुबाह हो मगर उसका छोड़ना अच्छा और क़ाबिले तारीफ़ है, और नाफ़रमानी लग़्व का आला दर्जा है, उसका छोड़ना वाजिब है। पस लग़्व के मायने हैं ग़ैर-मुफ़ीद, फिर उसकी दो क़िस्में हैं- नुक़सानदेह व ग़ैर-नुक़सानदेह।

5. इसके अ़लावा वह तलबगार हो, इसमें ज़िना व बदफ़ेली व चौपायों के साथ संभोग वग़ैरह इज्माई तौर पर और बाज़ के नज़दीक हाथ से मनी (यानी वीर्य) निकालना भी दाख़िल है। और अगर यह आयत मदनी हो तो मुताअ़ के हराम होने पर भी इससे दलील पकड़ना सही है।

6. क्योंकि दूसरे बनाने वाले सिर्फ़ चीज़ों को अलग-अलग कर सकते या कई चीज़ों को मिला-जुला सकते हैं, ज़िन्दगी का देना हक़ीक़त में यह अल्लाह ही का काम है।

1. जिस पहाड़ का नाम तूर है तूरे-सीना भी उसी का नाम है। क्योंकि वह जिस जगह है **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 622 पर)**

सब उतारने वालों से अच्छे हैं। **(29)** इस (ज़िक्र हुए वाक़िए) में बहुत-सी निशानियाँ हैं, और हम (ये निशानियाँ मालूम कराकर अपने बन्दों को) आज़माते हैं।[1] **(30)** फिर हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम के बाद दूसरा गिरोह पैदा किया।[2] **(31)** फिर हमने उनमें एक पैग़म्बर को भेजा जो उनमें ही के थे,[3] (उन पैग़म्बर ने कहा) कि तुम लोग अल्लाह तआ़ला ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा और कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं, क्या तुम (शिर्क से) डरते नहीं हो। **(32)** ❖

और (उन पैग़म्बर की यह बात सुनकर) उनकी क़ौम में जो सरदार थे, जिन्होंने (खुदा और रसूल के साथ) कुफ़्र किया था, और आख़िरत के आने को झुठलाया था, और हमने उनको दुनियावी ज़िन्दगी में ऐश व आराम भी दिया था, कहने लगे कि बस यह तो तुम्हारी तरह एक (मामूली) आदमी हैं, (चुनाँचे) ये वही खाते हैं जो तुम खाते हो और वही पीते हैं जो तुम पीते हो। **(33)** और अगर तुम अपने जैसे एक (मामूली) आदमी के कहने पर चलने लगो तो बेशक तुम (अ़क्ल के) घाटे में हो।[4] **(34)** क्या यह शख़्स तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और (मरकर) मिट्टी और हड्डियाँ हो जाओगे तो (दोबारा ज़िन्दा करके ज़मीन से) निकाले जाओगे। **(35)** बहुत ही दूर और बहुत ही दूर "की बात" है, जो बात तुमसे कही जाती है। **(36)** बस ज़िन्दगी तो यही हमारी दुनियावी ज़िन्दगी है कि हममें कोई मरता है और कोई पैदा होता है, और हम दोबारा ज़िन्दा न किए जाएँगे।[5] **(37)** बस यह एक ऐसा शख़्स है जो अल्लाह पर झूठ बाँधता है, और हम तो हरगिज़ इसको सच्चा न समझेंगे। **(38)** पैग़म्बर ने दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! मेरा बदला ले, इस वजह से कि उन्होंने मुझको झुठलाया। **(39)** इरशाद हुआ कि ये लोग जल्द ही शर्मिन्दा होंगे। **(40)** चुनाँचे उनको एक सख़्त आवाज़ (यानी अ़ज़ाब) ने सच्चे वायदे के मुवाफ़िक़ आ पकड़ा, (जिससे वे सब हलाक हो गए) फिर हमने उनको कूड़े-करकट (की तरह बरबाद) कर दिया, सो खुदा की मार काफ़िर लोगों पर।[6] **(41)** फिर उन (आ़द व समूद) के हलाक होने के बाद हमने और उम्मतों को पैदा किया। **(42)** (उन उम्मतों में से) कोई उम्मत अपनी मुक़र्ररा मुद्दत से (हलाक होने में) न आगे आ सकती थी और न (उस मुद्दत से) वे लोग पीछे हट सकते थे। **(43)** फिर (उनके पास) हमने अपने पैग़म्बरों को एक के बाद एक भेजा, जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का (ख़ास) रसूल आया, उन्होंने उसको झुठलाया, सो हमने (भी हलाक करने में) एक के बाद एक का नम्बर लगा दिया। और हमने उनकी कहानियाँ बना दीं,[7] सो खुदा की मार उन लोगों पर जो (अम्बिया के समझाने पर भी) ईमान न लाते थे। **(44)** फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपने अहकाम और खुली दलील[8] देकर फ़िरऔ़न और उसके दरबारियों के पास (भी पैग़म्बर बनाकर) भेजा। **(45)** सो उन लोगों

(पृष्ठ 620 का शेष) उसका नाम सीना है और सीनीन भी। अगरचे अब कुछ और नाम हो गया हो, और ज़ैतून की तख़्सीस तूर के साथ उसके कसरत से पैदा होने की वजह से है। और तूर की तख़्सीस ज़ैतून के साथ फ़ायदों के ज़्यादा होने की वजह से है।

2. यानी उसके फल से दोनों काम की चीज़ हासिल होती है। चाहे रोशन करने और मालिश करने के काम में लाओ चाहे उसमें रोटी डुबोकर खाओ।

3. जैसे उनके बाल और ऊन काम आते हैं।

4. यानी ओ़हदा व हुकूमत मक़सूद है।

5. यानी ज़ाहिरी व बातिनी इत्मीनान के साथ रखियो।

1. कि देखें कौन-सा फ़ायदा उठाता है और कौन-सा नहीं उठाता।

2. मुराद क़ौमे आ़द है या समूद।

3. मुराद हूद अ़लैहिस्सलाम या सालेह अ़लैहिस्सलाम हैं।

4. यानी बड़ी बेवक़ूफ़ी है।

5. तो भला ऐसा शख़्स कहीं इताअ़त व इत्तिबा के लायक़ हो सकता है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 624 पर)**

ने (उनकी तस्दीक़ व इताअ़त से) तकब्बुर किया, और वे लोग थे ही घमण्डी।[1] (46) चुनाँचे वे (आपस में) कहने लगे कि क्या हम ऐसे दो शख़्सों पर जो हमारी तरह के आदमी हैं ईमान ले आएँ, हालाँकि उनकी क़ौम (तो खुद) हमारे हुक्म के ताबे हैं।[2] (47) ग़रज़ वे लोग उन दोनों को झुठलाते ही रहे, पस हलाक किए गए। (48) और (उनके हलाक होने के बाद) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरात) अ़ता फ़रमाई, ताकि (उसके ज़रिये से) वे लोग हिदायत पाएँ। (49) और हमने मरियम (अ़लैहस्सलाम) के बेटे (ईसा अ़लैहिस्सलाम) को और उनकी माँ (हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम) को बड़ी निशानी बनाया, और हमने उन दोनों को एक ऐसी बुलन्द ज़मीन पर लेजाकर पनाह दी[3] जो (ग़ल्लों और मेवों के पैदा होने की वजह से) ठहरने के क़ाबिल और हरी-भरी जगह थी। (50) ❖

ऐ पैग़म्बरो! तुम (और तुम्हारी उम्मतें) नफ़ीस चीज़ें खाओ और नेक काम (यानी इबादत) करो, (और) मैं तुम सबके किए हुए कामों को ख़ूब जानता हूँ।[4] (51) और (हमने उन सबसे यह भी कहा कि) यह है तुम्हारा तरीक़ा कि वह एक ही तरीक़ा है,[5] और (हासिल उस तरीक़े का यह है) कि मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मुझसे डरते रहो।[6] (52) सो उन लोगों ने अपने दीन में अपना तरीक़ा अलग-अलग करके इख़्तिलाफ़ पैदा कर लिया। हर गिरोह के पास जो दीन है वह उसी से खुश है।[7] (53) सो आप उनको उनकी (उसी) जहालत में एक ख़ास वक़्त (यानी मौत तक) रहने दीजिए। (54) क्या ये लोग यूँ गुमान कर रहे हैं कि हम उनको जो कुछ माल व औलाद देते चले जाते हैं (55) तो हम उनको जल्दी-जल्दी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, (यह बात हरगिज़ नहीं) बल्कि ये लोग (उसकी वजह) नहीं जानते। (56) इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं (57) और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। (58) और जो लोग (उस ईमान में) अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं। (59) और जो लोग (अल्लाह की राह में) देते हैं जो कुछ देते हैं, और (बावजूद देने के) उनके दिल इससे ख़ौफ़ज़दा होते हैं कि वे अपने रब के पास जाने वाले हैं।[8] (60) ये लोग (अलबत्ता) अपने फ़ायदे जल्दी-जल्दी हासिल कर रहे हैं, और वे उनकी तरफ़ दौड़ते हैं, (न कि ये काफ़िर लोग जिनका ज़िक्र हुआ)। (61) और हम (तो) किसी को उसकी वुस्अ़त से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते, (पस जो काम बतला रखे हैं, सब आसान ही हैं) और हमारे पास एक दफ़्तर (नामा-ए-आमाल का महफ़ूज़) है, जो ठीक-ठीक (सबका हाल) बता देगा और लोगों पर ज़रा भी ज़ुल्म न होगा। (62) बल्कि उन काफ़िरों के दिल इस दीन की तरफ़ से जहालत (और शक) में हैं, और इसके अ़लावा उन लोगों के और भी (बुरे-बुरे)

(पृष्ठ 622 का शेष) 6. चूँकि "सैहा" (यानी सख़्त आवाज़) से समूद का अ़ज़ाब दिया जाना दूसरी आयतों में भी आया है। इस वजह से बाज़ ने तो इसको समूद का क़िस्सा समझा है, और चूँकि अक्सर जगह नूह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के बाद क़ौमे आ़द का क़िस्सा आया है इस बात से बाज़ ने इसको आ़द का क़िस्सा समझा है, और मुराद "सैहा" से एक हौलनाक सज़ा ली है, या मुम्किन है कि आ़द पर भी "सैहा" आया हो।

7. यानी वे ऐसे नेस्तनाबूद हुए कि सिवाय कहानियों के उनका कुछ नामो-निशान न रहा।

8. यानी साफ़ मोजिज़ा जो कि नुबुव्वत की दलील है।

1. यानी पहले ही से उनका दिमाग़ सड़ा हुआ था।

2. यानी हमको तो खुद उनकी क़ौम पर सरदारी हासिल है। फिर उन दोनों को हमपर कैसे सरदारी हासिल हो सकती है।

3. "हेरो देस" नाम का एक ज़ालिम बादशाह नुजूमियों से यह सुनकर कि ईसा अ़लैहिस्सलाम को सरदारी हासिल होगी बचपन ही में उनका दुश्मन हो गया था। अल्लाह के ख़बर देने से मरियम अ़लैहस्सलाम उनको लेकर मुल्क मिस्र चली गईं और उस ज़ालिम के मरने के बाद फिर 'शाम' चली आईं।

4. पस इबादतों पर फल अ़ता करूँगा। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 626 पर)**

अ़मल हैं जिनको ये करते रहते हैं। (63) यहाँ तक कि हम जब उनके ख़ुशहाल लोगों को (मौत के बाद) अ़ज़ाब में धर पकड़ेंगे तो फ़ौरन चिल्ला उठेंगे।[1] (64) (उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि) अब मत चिल्लाओ, हमारी तरफ़ से तुम्हारी बिलकुल मदद न होगी।[2] (65) मेरी आयतें तुमको (रसूल की ज़बानी) पढ़-पढ़कर सुनाई जाया करती थीं तो तुम उल्टे पाँव भागते थे (66) तकब्बुर करते हुए, क़ुरआन का मश्ग़ला बनाते हुए, (इस क़ुरआन की शान में) बेहूदा बकते हुए।[3] (67) तो क्या उन लोगों ने इस (अल्लाह के) कलाम में ग़ौर नहीं किया, या उनके पास ऐसी चीज़ आई है जो उनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी।[4] (68) या ये लोग अपने रसूल (की दियानत, अमानत और सच्चाई) से वाक़िफ़ न थे इस वजह से उनके इनकारी हुए।[5] (69) या ये लोग आपके बारे में जुनून के क़ायल हैं, (हालाँकि आपका आला दरजे का सही राय वाला होना मुसल्लम है) बल्कि (उनके झुठलाने की असल वजह यह है कि) यह रसूल उनके पास हक़ बात लेकर आए हैं, और उनमें अक्सर लोग हक़ से नफ़रत रखते हैं।[6] (70) और (अगरचे यह मुहाल है लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लो कि) अगर दीने हक़ उनके ख़्यालात के ताबे हो जाता तो तमाम आसमान और ज़मीन और जो उनमें (आबाद) हैं सब तबाह हो जाते, बल्कि हमने उनके पास उनकी नसीहत की बात भेजी, सो ये लोग अपनी (नफ़े वाली) नसीहत से भी मुँह मोड़ते हैं। (71) या आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं, तो आमदनी तो आपके रब की सबसे बेहतर है, और वह सब देने वालों से अच्छा है। (72) और (उनकी हालत का ख़ुलासा यह है कि) आप तो उनको सीधे रास्ते की तरफ़ (जिसको ऊपर हक़ कहा है) बुला रहे हैं (73) और उन लोगों की जो आख़िरत पर ईमान नहीं रखते यह हालत है कि उस (सीधे) रास्ते से हटते जाते हैं। (74) और अगर हम उनपर मेहरबानी फ़रमा दें और उनपर जो तकलीफ़ है उसको हम दूर भी कर दें तो वे लोग (फिर) अपनी गुमराही में भटकते हुए इसरार करते हैं।[7] ◆ (75) और हमने उनको अ़ज़ाब में गिरफ़्तार भी किया है, सो उन लोगों ने अपने रब के सामने (पूरे तौर से) इन्किसारी की और न आ़जिज़ी इख़्तियार की। (76) यहाँ तक कि हम जब उनपर सख़्त अ़ज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे तो उस वक़्त बिलकुल हैरान रह जाएँगे। (77) ◆

और वह (अल्लाह तआ़ला) ऐसा (क़ादिर व नेमत देने वाला) है, जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए,[8] (लेकिन) तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो।[9] (78) और वह ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में फैला रखा है, और तुम सब (क़ियामत में) उसी के पास लाए जाओगे।[10] (79) और वह ऐसा है जो

(पृष्ठ 624 का शेष) 5. यानी किसी शरीअ़त में अलग नहीं हुआ।

6. और मेरे अहकाम की मुख़ालफ़त मत करो।

7. और उसके बातिल होने के सुबूत के बावजूद हक़ समझता है, तो आप उन क़ुरैश के मुश्रिकों के ऐसे ही बिना दलील के दावे और कुफ़्र पर हठधर्मी पर ग़म न कीजिए।

8. यानी बावजूद देने के उनके दिल ख़ौफ़ज़दा रहते हैं कि देखिए वहाँ जाकर इन सदक़ात का क्या फल और नतीजा ज़ाहिर हो, ऐसा न हो कि हुक्म के मुवाफ़िक़ न दिया गया हो, जैसे हलाल माल न हो, या नीयत ख़ालिस न हो, तो उल्टी पकड़ होने लगे।

1. और सारा घमण्ड करना जिसके ये आ़दी हैं, सब हवा हो जाएगा।

2. क्योंकि यह बदला मिलने की जगह है अ़मल करने की जगह नहीं है कि चिल्लाना और आ़जिज़ी करना मुफ़ीद हो।

3. कोई उसको जादू कहता था, कोई शे'र कहता था और मश्ग़ले का यही मतलब है।

4. मुराद इससे रसूलों के ज़रिये अल्लाह के अहकाम का आना है। मतलब यह कि यह बात भी नहीं हुई कि इन रसूल पर यह नई वह्य आई हो, बल्कि शरीअ़तें तो रसूलों के ज़रिये से हमेशा से नाज़िल होती आई हैं। पस झुठलाने की यह वजह भी बातिल ठहरी।

5. यानी यह वजह भी बातिल है, क्योंकि आपके सच्चा होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ था।

6. पस यही असल वजह है झुठलाने और इत्तिबा न करने की।

7. और वे क़ौल व क़रार जो मुसीबत के वक़्त किए थे सब ख़त्म हो जाएँगे। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 628 पर)

जिलाता है और मारता है, और उसी के इख़्तियार में है रात और दिन का घटना-बढ़ना, सो क्या तुम (इतनी बात) नहीं समझते।[1] (80) बल्कि यह भी वैसी ही बात कहते हैं जो अगले (काफ़िर) लोग कहते चले आए हैं। (81) (यानी) यूँ कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएँगे और हम मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे। (82) इसका तो हमसे और (हमसे) पहले हमारे बड़ों से वायदा होता चला आया है, ये कुछ नहीं महज़ बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़्ल होती चली आती हैं। (83) आप (जवाब में) कह दीजिए कि (अच्छा यह बतलाओ कि) यह ज़मीन और जो इसपर रहते हैं, यह किसके हैं, अगर तुमको कुछ ख़बर है। (84) वे ज़रूर यही कहेंगे कि अल्लाह के हैं। (तो) उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं ग़ौर "व फ़िक्र" करते।[2] (85) (और) आप यह भी कहिए कि (अच्छा यह बतलाओ कि) इन सात आसमानों का मालिक और आलीशान अ़र्श का मालिक कौन है? (86) (उसका भी) वे ज़रूर यही जवाब देंगे कि यह भी (सब) अल्लाह का है, (उस वक़्त) आप कहिए कि फिर तुम (उससे) क्यों नहीं डरते।[3] (87) आप (उनसे) यह भी कहिए कि (अच्छा) वह कौन है जिसके हाथ में तमाम चीज़ों का इख़्तियार है और वह पनाह देता है और उसके मुक़ाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता, अगर तुमको कुछ ख़बर है। (88) (तब भी जवाब में) वे ज़रूर यही कहेंगे कि ये सब सिफ़तें भी अल्लाह ही की हैं, आप (उस वक़्त) कहिए कि फिर तुमको कैसा ख़ब्त हो रहा है।[4] (89) बल्कि हमने उनको सच्ची बात पहुँचाई है, और यक़ीनन ये झूठे हैं। (90) अल्लाह ने किसी को औलाद क़रार नहीं दिया और न उसके साथ कोई और ख़ुदा है, अगर ऐसा होता तो हर ख़ुदा अपनी मख़्लूक़ को (तक़सीम करके) अलग कर लेता और एक-दूसरे पर चढ़ाई करता। अल्लाह उन (बुरी और बेहूदा) बातों से पाक है, जो ये लोग उसके (मुताल्लिक़) बयान करते हैं। (91) जानने वाला है सब छुपे हुए और ज़ाहिर का, ग़रज़ उन लोगों के शिर्क से वह बुलन्द और पाक है। (92) ◆

आप (अल्लाह तआ़ला से) दुआ़ कीजिए कि ऐ मेरे परवर्दिगार! जिस अ़ज़ाब का उन काफ़िरों से वायदा किया जा रहा है, अगर आप मुझको दिखा दें (93) तो ऐ मेरे रब! मुझको उन ज़ालिम लोगों में शामिल न कीजिए। (94) और हम इस बात पर क़ादिर हैं कि जो उनसे वायदा कर रहे हैं आपको भी दिखला दें (95) (लेकिन जब तक उनपर अ़ज़ाब न आए) आप उनकी बदी का दफ़ीया ऐसे बर्ताव से कर दिया कीजिए जो बहुत ही अच्छा (और नरम) हो,[5] हम ख़ूब जानते हैं जो-जो कुछ ये (आपके बारे में) कहा करते हैं। (96)

(पृष्ठ 626 का शेष) 8. कि आराम भी बरतो और दीन का भी ख़्याल व एहसास रखो।

9. क्योंकि असली शुक्र यह था कि उस नेमत देने वाले के पसन्दीदा दीन को क़बूल करते और दोबारा ज़िन्दा करके उठाने पर उसकी क़ुदरत का इनकार न करते।

10. उस वक़्त नेमतों की इस नाशुक्री की हक़ीक़त मालूम होगी।

1. कि क़ुदरत होने की ये दलीलें तौहीद और मरने के बाद ज़िन्दा करने दोनों पर दलालत करती हैं, मगर फिर भी हम नहीं मानते।

2. कि मरने के बाद ज़िन्दा करने और तौहीद दोनों का तुमको सुबूत हो जाए।

3. कि उसकी क़ुदरत और दोबारा ज़िन्दा करने की निशानियों का इनकार करते हो।

4. कि इन सब मुक़द्दमात को मानते हो और नतीजे को जो कि तौहीद और मरने के बाद फिर ज़िन्दा होने का एतिक़ाद है, नहीं मानते।

5. यानी अपनी ज़ात के लिए बदला न लीजिए, बल्कि हमारे हवाले कर दिया कीजिए।

और आप यूँ दुआ किया कीजिए कि ऐ मेरे रब! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ, शैतानों के वस्वसों से। **(97)** और ऐ मेरे रब! आपकी पनाह माँगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास भी आएँ।[1] **(98)** यहाँ तक कि जब उनमें से किसी (के सर) पर मौत आ (खड़ी हो-) ती है, उस वक़्त कहता है कि ऐ मेरे रब! मुझको (दुनिया में) फिर वापस भेज दीजिए। **(99)** ताकि जिस (दुनिया) को मैं छोड़कर आया हूँ, उसमें फिर जाकर नेक काम करूँ, हरगिज़ (ऐसा) नहीं (होगा)। यह (उसकी) एक बात ही बात है, जिसको यह कहे जा रहा है,[2] और उन लोगों के आगे एक (चीज़) आड़ (की आने वाली) है, (मुराद इससे मौत है) क़ियामत के दिन तक। **(100)** फिर जब (क़ियामत में) सूर फूँका जाएगा तो उनमें (जो) आपसी रिश्ते-नाते (थे) उस दिन न रहेंगे,[3] और न कोई किसी को पूछेगा।[4] **(101)** सो जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला भारी होगा,[5] तो ऐसे लोग कामयाब (यानी नजात पाने वाले) होंगे। **(102)** और जिस शख़्स का पल्ला हल्का होगा, (यानी वह काफ़िर होगा) सो ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक़सान कर लिया और जहन्नम में हमेशा के लिए रहेंगे। **(103)** उनके चेहरों को (उस जहन्नम की) आग झुलस्ती होगी, और उस (जहन्नम) में उनके मुँह बिगड़े हुए होंगे। **(104)** क्यों क्या तुमको (दुनिया में) मेरी आयतें पढ़कर सुनाई नहीं जाया करती थीं और तुम उनको झुठलाया करते थे। (यह उसकी सज़ा मिल रही है)। **(105)** वे कहेंगे कि ऐ हमारे रब! (वाक़ई) हमारी बदबख़्ती ने हमको घेर लिया था और (बेशक) हम गुमराह लोग थे।[6] **(106)** ऐ हमारे रब! हमको इस (जहन्नम) से (अब) निकाल दीजिए, फिर अगर हम दोबारा (ऐसा) करें तो हम बेशक क़ुसूरवार हैं। **(107)** इरशाद होगा कि इसी (जहन्नम) में धुतकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। **(108)** मेरे बन्दों में एक गिरोह था जो (हमसे) अ़र्ज़ किया करते थे कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ले आए सो हमको बख़्श दीजिए और हमपर रहमत फ़रमाइए और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। **(109)** सो तुमने उनका मज़ाक़ बनाया था (और) यहाँ तक (उसका मश्ग़ला किया) कि मश्ग़ले ने तुमको हमारी याद भी भुला दी, और तुम उनसे हँसी-मज़ाक़ किया करते थे। **(110)** मैंने उनको आज उनके सब्र का यह बदला दिया है कि वही कामयाब हुए।[7] **(111)** इरशाद होगा (कि अच्छा यह बतलाओ) तुम बरसों की गिनती से किस क़द्र मुद्दत ज़मीन पर रहे होगे। **(112)** वे जवाब देंगे कि हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे, (और सच यह है कि हमको याद नहीं) सो गिनने वालों से पूछ लीजिए।[8] **(113)** इरशाद होगा कि तुम (दुनिया में) थोड़ी ही मुद्दत रहे (लेकिन) क्या अच्छा होता कि तुम

1. यह दुआ इस वजह से नहीं है "अल्लाह अपनी पनाह" कि ऐसा होने का कोई शक व गुमान भी है, बल्कि इज़हार है अ़ज़ाब के उतरने का कि जहाँ इसकी कोई गुन्जाइश और वहम भी नहीं जब वहाँ पनाह माँगने का हुक्म है तो जो मुस्तहिक़ हैं उनको तो बहुत ही डरना चाहिए।
2. और वह बात पूरी होने वाली नहीं।
3. यानी कोई किसी की हमदर्दी नहीं करेगा।
4. ग़रज़ न रिश्ता-नाता काम आएगा न दोस्ती और परिचय, बस वहाँ काम की चीज़ एक ईमान होगा जिसकी आ़म पहचान के लिए कि सबपर ज़ाहिर हो जाए एक तराज़ू खड़ी की जाएगी और उससे आमाल व अ़क़ीदों का वज़न होगा।
5. यानी वह मोमिन होगा।
6. यानी हम जुर्म का इक़रार और उसपर शर्मिन्दगी व माज़िरत का इज़हार करके दरख़्वास्त करते हैं कि अब हमारे जुर्म बख़्श दिए जाएँ।
7. जवाब का मतलब यह हुआ कि तुम्हारा क़ुसूर इस क़ाबिल नहीं कि सज़ा के वक़्त इक़रार करने से माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि तुमने ऐसा मामला किया जिससे हमारे हुक़ूक़ भी ज़ाया हुए और बन्दों के हुक़ूक़ भी, और बन्दे भी कैसे? हमारे मक़बूल और महबूब! जो हमसे बहुत ही ख़ुसूसियत रखते थे। पस इसकी सज़ा के लिए हमेशा के लिए और पूरी सज़ा होना मुनासिब है। और मोमिनों को फ़लाह व कामयाबी की जज़ा देना यह भी काफ़िरों की सज़ाओं में से एक सज़ा है, क्योंकि दुश्मनों की कामयाबी से रूहानी तकलीफ़ होती है।
8. यानी फ़रिश्तों से।

(यह बात दुनिया में) समझते होते। **(114)** हाँ! तो क्या तुमने यह ख़्याल किया था कि हमने तुमको यूँ ही (हिक्मत से ख़ाली) बेकार पैदा कर दिया है, और यह (ख़्याल किया था) कि तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे।[1] **(115)** सो अल्लाह तआला बहुत ही आलीशान है जो कि हक़ीक़ी बादशाह है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक़ नहीं, (और वह) अर्शे अज़ीम का मालिक है। **(116)** और जो शख़्स (इस बात पर दलील क़ायम होने के बाद) अल्लाह के साथ किसी और माबूद की भी इबादत करे कि जिस (के माबूद होने) पर उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसी के रब के यहाँ होगा, (जिसका लाज़िमी नतीजा यह है कि) यक़ीनन काफ़िरों को फ़लाह न होगी। **(117)** और आप यूँ कहा करें कि ऐ मेरे रब! (मेरी ख़ताएँ) माफ़ कर और रहम कर, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है।[2] **(118)** ❖

24 सूरः नूर 102

सूरः नूर मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 64 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

यह एक सूरः है जिस (के अल्फ़ाज़) को (भी) हम (ही) ने नाज़िल किया है और इस (के मायने यानी अहकाम) को (भी) हम (ही) ने मुक़र्रर किया है और हमने इस सूरः में साफ़-साफ़ आयतें नाज़िल की हैं, ताकि तुम समझो और अ़मल करो।[3] **(1)** ज़िना कराने वाली औ़रत और ज़िना करने वाला मर्द, सो उनमें से हर एक को सौ दुर्रे मारो,[4] और तुम लोगों को उन दोनों पर अल्लाह के मामले में ज़रा रहम न आना चाहिए अगर अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो, और दोनों की सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमाअ़त को हाज़िर रहना चाहिए।[5] **(2)** ज़ानी निकाह भी किसी के साथ नहीं करता सिवाय ज़ानिया या मुश्रिका के, और (इसी तरह) ज़ानिया के साथ भी और कोई निकाह नहीं करता सिवाय ज़ानी या मुश्रिक के, और यह (यानी ऐसा निकाह) मुसलमानों पर हराम (और गुनाह को वाजिब करने वाला) किया गया है।[6] **(3)** और जो लोग (ज़िना की) तोहमत लगाएँ पाकदामन औ़रतों को, और फिर (अपने दावे पर) चार गवाह न ला सकें तो ऐसे लोगों को अस्सी दुर्रे लगाओ, और उनकी कोई गवाही कभी क़बूल मत करो, (यह तो दुनिया में उनकी सज़ा हुई) और ये लोग (आख़िरत में भी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि) फ़ासिक़ हैं।[7] **(4)** लेकिन जो लोग इस (तोहमत लगाने) के बाद (ख़ुदा के सामने) तौबा कर लें और अपनी (हालत की) इस्लाह कर लें सो (इस हालत में) अल्लाह तआ़ला ज़रूर मग़्फ़िरत करने वाला, रहमत करने वाला है।[8] **(5)** और जो लोग अपनी

---

1. मतलब यह कि जब हमने आयतों में जिनका सच्चा होना सही दलीलों से साबित है, मरने के बाद ज़िन्दा होने और आमाल का बदला दिए जाने की ख़बर दी थी, तो मालूम हो गया था कि जो मुकल्लफ़ हैं उनके पैदा करने की हिक्मतों में से एक हिक्मत यह भी है। इसका इनकार करना कितनी ख़तरनाक और सख़्त बात थी।

2. आपका मग़्फ़िरत व रहमत माँगना अपने दर्जे के मुवाफ़िक़ है, पस इससे नाफ़रमानी और गुनाह का शुब्हा नहीं हो सकता।

3. इस तम्हीद में अपनी तरफ़ मन्सूब फ़रमाकर सूरः के अलफ़ाज़ और मायनों का अ़ज़ीमुश्शान और आला दर्जे का होना ख़ुद-बख़ुद ज़ाहिर हो गया। फिर अलफ़ाज़ का मायनों पर वाज़ेह तौर पर दलालत करना और फिर इस मजमूए की ग़रज़ बयान फ़रमाने से इन अहकाम पर अ़मल करने का बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम व तवज्जोह करने की ज़रूरत व अहमियत ज़ाहिर हो गई।

4. यह सज़ा उस ज़ानी और ज़ानिया की है जो आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ हों और निकाह किए हुए न हों, या निकाह के बाद हमबिस्तरी न कर चुके हों। और जो आज़ाद न हो उसके पचास दुर्रे लगते हैं, और जो आ़क़िल या बालिग़ न हो वह मुकल्लफ़ ही नहीं, और जिस मुसलमान में तमाम सिफ़तें हों, यानी आज़ाद हो, बालिग़ हो, अ़क़्ल वाला हो, निकाह और हमबिस्तरी कर चुका हो ऐसे शख़्स को "मुह्सिन" कहते हैं, उसकी सज़ा 'रज्म' (यानी पत्थर मार-मारकर उसको हलाक कर देना) है। और जो बीमारी **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 634 पर)**

(निकाह की हुई) बीवियों को (ज़िना की) तोहमत लगाएँ और उनके पास सिवाय अपने ही (दावे के) और कोई गवाह न हों (जिनको संख्या में चार होना चाहिए) तो उनकी गवाही (जो कि रोकने को ख़त्म करने वाली या तोहमत की सज़ा हो) यही है कि चार बार अल्लाह की क़सम खाकर यह कह दे कि बेशक मैं सच्चा हूँ (6) और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझपर ख़ुदा की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। (7) और (उसके बाद उस औरत से (रोकने की या ज़िना की) सज़ा इस तरह टल सकती है कि वह चार बार क़सम खाकर कहे कि बेशक यह मर्द झूठा है (8) और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझपर ख़ुदा का ग़ज़ब हो अगर यह सच्चा हो।[1] (9) और (ऐ मर्दो और औरतो!) अगर यह बात न होती कि तुमपर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसका करम है और यह कि अल्लाह तआला तौबा क़बूल करने वाला (और) हिक्मत वाला है तो तुम बड़ी दिक़्क़तों और परेशानियों में पड़ जाते। (10) ◆

जिन लोगों ने यह तूफ़ान (हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में) बर्पा किया है, (ऐ मुसलमानो!) वह तुम्हारे में का एक (छोटा-सा) गिरोह है,[2] तुम इस (तूफ़ान बन्दी) को अपने हक़ में बुरा न समझो बल्कि यह (अन्जाम के एतिबार से) तुम्हारे हक़ में बेहतर है, उनमें से हर शख़्स को जितना किसी ने कुछ किया था गुनाह हुआ। और उनमें जिसने उस (तूफ़ान) में सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसको सख़्त सज़ा होगी।[3] (11) (आगे उन तोहमत लगाने वाले मोमिनों को नसीहत के अन्दाज़ में मलामत है कि) जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों न किया,[4] और (ज़बान से) यूँ क्यों न कहा कि यह खुला झूठ है। (12) (आगे इस अच्छे गुमान के वाजिब होने की वजह इरशाद है कि) ये (तोहमत लगाने वाले) लोग (अपने) उस (क़ौल) पर चार गवाह क्यों न लाए,[5] सो जिस सूरत में ये लोग (क़ायदे के मुवाफ़िक़) गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं। (13) और अगर तुमपर अल्लाह तआला का करम व फ़ज़्ल न होता दुनिया में और आख़िरत में तो जिस शग़ल में तुम पड़े थे उसमें तुमपर सख़्त अज़ाब आ पड़ता।[6] (14) जबकि तुम इस (झूठ) को अपनी ज़बानों से नक़ल दर नक़ल कर रहे थे और अपने मुँह से ऐसी बात कह रहे थे जिसकी तुमको (किसी दलील से) बिलकुल ख़बर नहीं, और तुम उसको हल्की बात (यानी गुनाह का सबब न होने वाली) समझ रहे थे, हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है।[7] (15) और तुमने जब इस (बात) को (पहले) सुना था तो यूँ क्यों न

(पृष्ठ 632 का शेष) की वजह से दुर्रों के बरदाश्त करने के क़ाबिल न हो उसकी सेहत का इन्तिज़ार करेंगे।

5. ताकि उनके ज़रिये से इसका चर्चा हो, और सुनने वालों को इबरत हो, और दूसरे लोग इससे रुकें।

6. मतलब इसका यह है कि जो लोग ज़िना के आदी हो जाते हैं और अभी उन्होंने तौबा न की हो, उनकी असल रग़बत ज़िना की तरफ़ होती है और उसी में उनको ज़्यादा लज़्ज़त आती है। यहाँ तक कि उनको जो औरत पसन्द आती है, अव्वल उनका मक़सूद यही होता है कि उससे ज़िना मयस्सर हो जाए और यह हमारे साथ ज़ानिया होना गवारा कर ले।

7. हर तोहमत का यह हुक्म नहीं बल्कि ख़ास ज़िना की तोहमत का, अगरचे यह क़ैद साफ़ तौर पर मज़कूर नहीं मगर "चार गवाहों" का होना इसपर दलालत करता है।

8. इसलिए फ़ासिक़ होने की वजह से आख़िरत के अज़ाब का जो इस्तेहक़ाक़ हुआ था वह ख़त्म हो जाएगा, अगरचे गवाही का रद्द किया जाना जो कि सज़ा का एक हिस्सा था वह फिर भी बाक़ी रहेगा क्योंकि तौबा से सज़ा साक़ित नहीं होती।

1. इस तरीक़े से दोनों सज़ा से बच सकते हैं। लेकिन वह औरत उस मर्द पर हराम हो जाएगी। इस तरह कहलवाने को 'लिआन' कहते हैं और लिआन ख़ास उस सूरत में होता है जब शौहर अपनी औरत को ज़िना की तोहमत लगा दे, या अपने बच्चे को कहे कि यह मेरे नुत्फ़े से नहीं है।

2. तोहमत लगाने वाले कुल चार थे- एक ज़ाती तौर पर और इस ख़बर को घड़कर जारी करने वाला यानी अब्दुल्लाह मुनाफ़िक़, और तीन प्रत्यक्ष रूप से ताबे होकर यानी 'हस्सान' 'मिस्तह' और 'हम्ना'। यह हज़रात मुख़्लिस मोमिन थे।

3. मुराद इससे अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ है। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 636 पर)

कहा कि हमारे लिए यह मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बात मुँह से भी निकालें, अल्लाह की पनाह यह तो बड़ा बोहतान है।[1] (16) अल्लाह तआ़ला तुमको नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। (17) और अल्लाह तआ़ला तुमसे साफ़-साफ़ अहकाम बयान करता है। और अल्लाह तआ़ला बड़ा जानने वाला, बड़ा हिक्मत वाला है। (18) जो लोग (इन आयतों के नाज़िल होने के बाद भी) चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो,[2] उनके लिए दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक सज़ा (मुक़र्रर) है। और (उस मामले पर इस सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जानता है और तुम नहीं जानते। (19) और (ऐ तौबा करने वालो!) अगर यह बात न होती कि तुमपर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है और यह कि अल्लाह तआ़ला बड़ा शफ़ीक़ बड़ा रहीम है तो तुम भी (इस वईद से) न बचते।[3] ● (20) ❖

ऐ ईमान वालो! तुम शैतान के क़दम-से-क़दम मिलाकर मत चलो (यानी उसके बहकाने पर अ़मल मत करो) और जो शख़्स शैतान के क़दम-से-क़दम मिलाकर चलता है तो वह तो (हमेशा हर शख़्स को) बेहयाई और नामाक़ूल काम करने को ही कहेगा, और अगर तुमपर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम न होता तो तुममें से कोई कभी भी (तौबा करके) पाक व साफ़ न होता।[4] और लेकिन अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है (तौबा की तौफ़ीक़ देकर) पाक-साफ़ कर देता है। और अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है।[5] (21) और जो लोग तुममें (दीनी) बुज़ुर्गी और दुनियावी वुस्अ़त वाले हैं, वे रिश्तेदारों को और मसाकीन को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से क़सम न खा बैठें। और चाहिए कि वे माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम यह बात नहीं चाहते कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे क़ुसूर माफ़ कर दे, बेशक अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।[6] (22) (आगे मुनाफ़िक़ों की वईद की तफ़सील है) जो लोग तोहमत लगाते हैं उन औ़रतों को जो पाकदामन हैं (और) ऐसी बातों (के करने) से (बिलकुल) बेख़बर हैं (और) ईमान वालियाँ हैं, उनपर दुनिया और आख़िरत में लानत की जाती है और उनको (आख़िरत में) बड़ा अ़ज़ाब होगा। (23) जिस दिन उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़बानें गवाही देंगी और उनके हाथ और उनके पाँव भी (गवाही देंगे), उन कामों की जो कि ये लोग करते थे। (24) उस दिन अल्लाह तआ़ला उनको वाजिबी बदला पूरा-पूरा देगा। और उनको (उस दिन ठीक-ठीक) मालूम होगा कि अल्लाह ही ठीक फ़ैसला करने वाला (और) बात (की हक़ीक़त) को खोल देने वाला है।[7] (25) गन्दी औ़रतें (हमेशा) गन्दे मर्दों के लायक़ होती हैं, और गन्दे मर्द गन्दी

(पृष्ठ 634 का शेष) **4.** यानी हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उन सहाबी के साथ दिल से नेक गुमान क्यों न किया।

5. जो कि ज़िना के साबित करने के लिए शर्त है।

6. इससे मालूम हो गया कि सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की तौबा क़बूल हो चुकी और वे पाक होकर आख़िरत में रहमत में हैं।

7. यानी बहुत बड़े गुनाह का सबब है।

1. जैसा कि बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इसी तरह कहा था।

2. यानी यह ख़बर फैले कि उन मुसलमानों में यह बेहयाई की बात है। हासिले मतलब यह कि जो लोग उन मुक़द्दस और पाक हज़रात की तरफ़ ज़िना की निस्बत करते हैं।

3. आगे मुसलमानों को अपनी रहमत से बिना तख़्सीस इस ज़िक्र हुए गुनाह और तमाम गुनाहों से बचने का हुक्म और तौबा के ज़रिये उनका पाक-साफ़ होना और उनपर अपना एहसान फ़रमाने को मुख़्तलिफ़ उन्वानों से दोबारा इरशाद फ़रमाते हैं।

4. या तो तौबा की तौफ़ीक़ ही न होती जैसा कि मुनाफ़िक़ों को न हुई, और या तौबा क़बूल न की जाती, क्योंकि हमपर कोई चीज़ वाजिब तो है नहीं।

5. आगे इसका बयान है कि बरी होने की आयतों के नाज़िल होने के बाद बाज़ सहाबा ने जिनमें हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी हैं और दूसरे सहाबा भी, सख़्त नाराज़गी और ग़म व गुस्से में क़सम खा ली कि जिस-जिसने यह चर्चा किया है कि बाज़ उनमें से ज़रूरतमन्द भी थे उनको अब से किसी क़िस्म की माली इम्दाद न देंगे। अल्लाह तआ़ला क़ुसूर के माफ़ कर देने और इम्दाद जारी कर देने के लिए इरशाद फ़रमाते हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 638 पर)**

औरतों के लायक़ होते हैं, और पाक-साफ़ औरतें पाक-साफ़ मर्दों के लायक़ होती हैं, और पाक-साफ़ मर्द पाक-साफ़ औरतों के लायक़ होते हैं। ये उस बात से पाक हैं जो ये (मुनाफ़िक़) बकते फिरते हैं। उन (हज़रात) के लिए (आख़िरत में) मग्फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी (यानी जन्नत) है। **(26)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुम अपने (ख़ास रहने के) घरों के सिवा दूसरे घरों में दाख़िल मत हो, जब तक कि (उनसे) इजाज़त हासिल न कर लो, और (इजाज़त लेने से पहले) उनके रहने वालों को सलाम न कर लो,[1] यही तुम्हारे लिए बेहतर है। (यह बात तुमको इसलिए बतलाई है) ताकि तुम ख़्याल रखो, (और इसपर अ़मल करो)। **(27)** फिर अगर उन घरों में तुमको कोई (आदमी) मालूम न हो तो (भी) उन घरों में न जाओ, जब तक कि तुमको (इजाज़त देने वाले की जानिब से) इजाज़त न दी जाए। और अगर तुमसे (इजाज़त लेने के वक़्त) यह कह दिया जाए कि (इस वक़्त) लौट जाओ, तो तुम लौट आया करो,[2] यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे आमाल की सब ख़बर है। (अगर ख़िलाफ़ करोगे तो सज़ा के मुस्तहिक़ होगे) **(28)** तुमको ऐसे मकानों में चले जाने का गुनाह न होगा जिनमें (घर के तौर पर) कोई न रहता हो, उनमें तुम्हारी कुछ इस्तेमाली ज़रूरत हो। और तुम जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर करते हो और जो पोशीदा तौर पर करते हो अल्लाह तआ़ला सब जानता है। **(29)** आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें,[3] और अपनी शरमगाहों की हिफ़ाज़त करें,[4] यह उनके लिए ज़्यादा सफ़ाई की बात है। बेशक अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर है जो कुछ लोग किया करते हैं। **(30)** और (इसी तरह) मुसलमान औरतों से (भी) कह दीजिए कि (वे भी) अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शरमगाहों की हिफ़ाज़त करें, और अपनी ज़ीनत "यानी बनाव-सिंघार" (की जगहों) को ज़ाहिर न करें[5] मगर जो उस (ज़ीनत की जगह) में से (आ़म तौर पर) खुला रहता है, (जिसके हर वक़्त छुपाने में हर्ज है)[6] और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें और अपनी ज़ीनत (की ज़िक्र हुई जगहों) को (किसी पर) ज़ाहिर न होने दें मगर अपने शौहरों पर या अपने (मेहरम रिश्तेदारों पर, यानी) बाप पर या अपने शौहर के बाप पर या अपने बेटों पर या अपने शौहर के बेटों पर या अपने (सगे, माँ-शरीक और बाप-शरीक) भाइयों पर[7] या अपने भाइयों के बेटों पर या अपनी (सगी, माँ-शरीक और बाप-शरीक) बहनों के बेटों पर या अपनी औरतों पर[8] या अपनी बाँदियों पर, या उन मर्दों पर जो तुफ़ैली (के तौर पर रहते) हों और उनको ज़रा भी तवज्जोह न हो, या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दे की बातों से अभी नावाक़िफ़ हैं। (मुराद वे लड़के हैं जो अभी बालिग़ होने के क़रीब न हुए हों) और अपने पाँव को ज़ोर से न रखें कि उनका छुपा हुआ ज़ेवर मालूम हो जाए। और मुसलमानो! (तुमसे जो इन अहकाम

(पृष्ठ 636 का शेष) **6.** सो तुमको भी अल्लाह के अख़्लाक़ व सिफ़ात को अपनाना चाहिए। तुम भी अपने क़ुसूरवारों को माफ़ कर दो।

7. ये आयतें उनके बारे में हैं जिन्होंने तौबा नहीं की और अल्लाह की तरफ़ से बराअत का हुक्म नाज़िल होने के बाद भी अपने उस ग़लत ख़्याल से बाज़ नहीं आए। तौबा करने वालों को दोनों जहाँ में रहमत का हक़दार फ़रमाया और तौबा न करने वालों को मलऊन क़रार देकर उनके लिए हमेशा के अ़ज़ाब की सज़ा मुक़र्रर फ़रमाई।

1. यानी पहले सलाम करके उनसे पूछो कि हम आएँ? और वैसे ही बेइजाज़त लिए हुए मत घुस जाओ।

2. इजाज़त लेने का यह मसला मर्दाना और ज़नाना सब घरों के लिए है। और इजाज़त लेना वाजिब है और पहले सलाम करना सुन्नत है। और अगरचे यहाँ ख़िताब मर्दों को है मगर औरतों का हुक्म भी यही है, मर्दाना में भी और ज़नाना में भी।

3. यानी जिस्म के जिस अंग की तरफ़ मुतलक़न देखना नाजायज़ है उसको बिलकुल न देखें, और जिसको अपने आप में देखना जायज़ है, मगर शहवत से देखना जायज़ नहीं उसको शहवत से न देखें।

4. यानी नाजायज़ जगह में शहवत पूरी न करें, जिसमें ज़िना और बदफ़ेली सब दाख़िल है।

5. ज़ीनत से मुराद ज़ेवर और उनके मौक़ों से मुराद हाथ, पिंडली, बाज़ू, गर्दन, सर, सीना, कान यानी इन सब जगहों को छुपाए रखें, उन दो को छोड़कर जो आगे आते हैं। और जब इन मौक़ों को अजनबियों से छुपाना वाजिब है, जिनका मेहरमों के **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 640 पर)**

में कोताही हो गई हो तो) तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फ़लाह पाओ। **(31)** और तुममें (यानी आज़ाद लोगों में) जो बेनिकाह हों तुम उनका निकाह कर दिया करो, और (इसी तरह) तुम्हारे ग़ुलामों और बाँदियों में से जो इस (निकाह के) लायक़ हो उसका भी। अगर वे लोग मुफ़्लिस होंगे तो ख़ुदा तआ़ला (अगर चाहेगा) उनको अपने फ़ज़्ल से ग़नी "मालदार व ख़ुशहाल" कर देगा,[1] और अल्लाह तआ़ला वुसूअ़त वाला है, ख़ूब जानने वाला है। **(32)** और ऐसे लोगों को कि जिनको निकाह की ताक़त व क़ुदरत नहीं उनको चाहिए कि (अपने नफ़्स को) क़ाबू करें, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला (अगर चाहे) उनको अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दे, (फिर निकाह कर लें) और तुम्हारे मम्लूकों "यानी ग़ुलाम बाँदियों" में से जो मुकातब होने के इच्छुक हों तो (बेहतर है कि) उनको मुकातब बना दिया करो,[2] अगर उनमें बेहतरी (के आसार) पाओ। और अल्लाह के (दिए हुए) उस माल में से उनको भी दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है, (ताकि जल्दी आज़ाद हो सकें) और अपनी (मिल्क में मौजूद) बाँदियों को ज़िना कराने पर मजबूर मत करो, (और ख़ास तौर पर) जबकि वे पाकदामन रहना चाहें, महज़ इसलिए कि दुनियावी ज़िन्दगी का कुछ फ़ायदा (यानी माल) तुमको हासिल हो जाए, और जो शख़्स उनको मजबूर करेगा तो अल्लाह उनके मजबूर किए जाने के बाद (उनके लिए) बख़्शने वाला, मेहरबान है। **(33)** और हमने तुम्हारे पास खुले-खुले अहकाम भेजे हैं, और जो लोग तुमसे पहले हो गुज़रे हैं उनकी बाज़ हिकायतें भी, और (ख़ुदा से) डरने वालों के लिए नसीहत की बातें (भेजी हैं)। **(34)** ❖

अल्लाह तआ़ला नूर (हिदायत) देने वाला है आसमानों का और ज़मीन का,[3] उसके नूर (हिदायत) की अ़जीब हालत ऐसी है जैसे (फ़र्ज़ करो) एक ताक़ है (और) उसमें एक चिराग़ है (और) वह चिराग़ एक क़िन्दील में है (और वह क़िन्दील ताक़ में रखा है, और) वह क़िन्दील ऐसा (साफ़-सुथरा) है जैसे एक चमकदार सितारा हो, (और) वह चिराग़ एक निहायत मुफ़ीद दरख़्त (के तेल) से रोशन किया जाता है कि वह ज़ैतून (का दरख़्त) है, जो (किसी आड़ के) न पूरब रुख़ है और न पश्चिम रुख़ है। उसका तेल (इस क़द्र साफ़ और सुलगने वाला है) अगर उसको आग भी न छुए लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ख़ुद-बख़ुद जल उठेगा। (और जब आग भी लग गई तब तो) नूर पर नूर है, और अल्लाह तआ़ला अपने (इस हिदायत के नूर) तक जिसको चाहता है राह दे देता है,[4] और अल्लाह तआ़ला लोगों (की हिदायत) के लिए (ये) मिसालें बयान फ़रमाता है, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है। **(35)**[5] वे ऐसे घरों में (इबादत करते) हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनका अदब किया जाए,[6] और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, उनमें ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह तआ़ला की पाकी (नमाज़ों में) बयान करते हैं।[7] **(36)** जिनको अल्लाह

(पृष्ठ 638 का शेष) सामने ज़ाहिर करना जायज़ है तो और मौक़ों व अंगों जैसे पीठ व पेट वग़ैरह जिनका खोलना मेहरम के सामने भी जायज़ नहीं, उनका पोशीदा रखना शरई तौर पर वाजिब हो गया। हासिल यह हुआ कि सर से पाँव तक अपना तमाम बदन पोशीदा रखें।

6. मुराद इस ज़ीनत की जगह से सही क़ौल के मुताबिक़ चेहरा, दोनों हाथ और दोनों पैर हैं। कि चेहरा तो क़ुदरती तौर पर मुकम्मल ज़ीनत की जगह है और बाज़ी ज़ीनतें इरादतन भी उसमें की जाती हैं जैसे सुर्मा, पॉवडर वग़ैरह। और हाथ और उँगली, अँगूठी छल्ले मेहंदी की जगह है, और पैर भी छल्लों और मेहंदी का मक़ाम हैं। पस इन जगहों को इज़हार की ज़रूरत की वजह से अलग रखा है।

7. न कि चचाज़ाद मामूँज़ाद वग़ैरह पर।

8. मतलब यह कि मुसलमान औ़रतों पर, क्योंकि काफ़िर औ़रत का हुक्म अजनबी मर्द के जैसा है।

1. पस न मालदारी के न होने को निकाह के लिए रोक समझें और न निकाह को मालदारी के लिए रोक, इसका दारोमदार अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी पर है।

2. 'मुकातबत' शरीअ़त में एक मुआ़हदा है ग़ुलाम और आक़ा के दरमियान। आक़ा उससे यह कहे कि तू मुझको इस क़द्र माल कमाकर दे तो तू आज़ाद है, और ग़ुलाम क़बूल कर ले।

3. यानी आसमान व ज़मीन वालों में जिनको हिदायत हुई है उन सबको अल्लाह ही ने हिदायत दी है। और आसमान व ज़मीन से मुराद कुल आ़लम है, पस जो मख़्लूक़ात आसमान व ज़मीन से बाहर हैं वे भी दाख़िल हो गईं जैसे अ़र्श को उठाने वाले। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 642 पर)**

की याद से और (ख़ास तौर पर) नमाज़ पढ़ने से और ज़कात देने से न ख़रीद ग़फ़लत में डालने पाती है और न बेंच, (और) वे ऐसे दिन (की पकड़) से डरते रहते हैं जिसमें बहुत-से दिल और बहुत-सी आँखें उलट जाएँगी। **(37)** अन्जाम (उन लोगों का) यह होगा कि अल्लाह उनको उनके आमाल का बहुत ही अच्छा बदला देगा (यानी जन्नत), और (अ़लावा जज़ा के) उनको अपने फ़ज़्ल से और भी ज़्यादा देगा,[1] और अल्लाह तआ़ला जिसको चाहे बेशुमार देता है। **(38)** और जो लोग काफ़िर हैं उनके आमाल ऐसे हैं कि एक चटियल मैदान में चमकता हुआ रेत, कि प्यासा आदमी उसको (दूर से) पानी ख़्याल करता है, यहाँ तक कि जब उसके पास आया तो उसको (जो समझ रखा था) कुछ भी न पाया और क़ज़ा-ए-इलाही को पाया, सो अल्लाह तआ़ला ने उस (की उम्र) का हिसाब उसको बराबर-सराबर चुका दिया, (यानी उम्र का ख़ात्मा कर दिया) और अल्लाह तआ़ला दम भर में हिसाब (यानी फ़ैसला) कर देता है। **(39)** या वे ऐसे हैं जैसे बड़े गहरे समुद्र में अन्दुरूनी अन्धेरे, कि उसको एक बड़ी लहर ने ढाँक लिया हो, उस (लहर) के ऊपर दूसरी लहर उसके ऊपर बादल है (ग़रज़) ऊपर नीचे बहुत-से अन्धेरे (ही अन्धेरे) हैं, कि अगर (कोई ऐसी हालत में) अपना हाथ निकाले (और देखना चाहे) तो देखने का एहतिमाल भी नहीं, और जिसको अल्लाह तआ़ला ही नूर (हिदायत) न दे उसको (कहीं से भी) नूर मयस्सर नहीं हो सकता।[2] **(40)** ❖

(ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ कि आसमानों में और ज़मीन में (मख़्लूक़ात) हैं,[3] और (ख़ासकर) परिन्दे जो पर फैलाए हुए (उड़ते फिरते) हैं सबको अपनी-अपनी दुआ़ और अपनी तस्बीह मालूम है, और अल्लाह तआ़ला को उन लोगों के सब कामों का पूरा इल्म है। **(41)** और अल्लाह तआ़ला ही की हुकूमत है आसमानों और ज़मीन में, और अल्लाह तआ़ला ही की तरफ़ (सबको) लौटकर जाना है। **(42)** क्या तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला (एक) बादल को (दूसरे बादल की तरफ़) चलता करता है (और) फिर उस बादल (के मजमूए) को आपस में मिला देता है, फिर उसको तह-ब-तह करता है, फिर तू बारिश को देखता है कि उस (बादल) के बीच में से निकलती है, और उसी बादल से यानी उसके बड़े-बड़े हिस्सों में से ओले बरसाता है, फिर उनको जिस (की जान पर या माल) पर चाहता है गिराता है और जिससे चाहता है उसको हटा देता है, (और) उस बादल की बिजली की चमक की यह हालत है कि ऐसा मालूम होता है कि गोया उसने अब बीनाई "यानी आँखों की

(पृष्ठ 640 का शेष) **4.** पस इसी तरह मोमिन के दिल में अल्लाह तआ़ला जब हिदायत का नूर डालता है तो दिन-बदिन उसका हक़ के क़बूल करने के लिए दिली इत्मीनान बढ़ता चला जाता है और वह हर वक़्त अहकाम पर अ़मल करने के लिए तैयार रहता है।

5. मतलब यह कि अल्लाह तआ़ला मिसालें बयान करता है और वह मिसाल निहायत मुनासिब होती है, ताकि ख़ूब हिदायत हो।

6. मुराद उन घरों से मस्जिदें हैं और उनका अदब यह कि उनमें नापाक मर्द और नापाक औ़रत दाख़िल न हो, और उनमें कोई गन्दी और नापाक चीज़ दाख़िल न की जाए। वहाँ शोर न मचाया जाए, दुनिया के काम और बातें करने के लिए वहाँ न बैठें। बदबू की चीज़ खाकर उनमें न जाएँ, वग़ैरह-वग़ैरह।

7. यानी पाँचों नमाज़ें अदा करते हैं। सुबह की नमाज़ "गुदुव्वि" में आ गई और चार नमाज़ें "आसाल" में आ गईं। क्योंकि आसाल कहते हैं सूरज ढलने से लेकर तमाम रात तक।

1. 'जज़ा' वह जिसका वायदा मुफ़स्सल है और 'ज़्यादा' वह जिसका मुफ़स्सल वायदा नहीं।

2. पस उन लोगों को चाहिए था कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी का इरादा करते तो अल्लाह तआ़ला अपनी आ़दत के मुताबिक़ कि इरादे के बाद फ़ेल पैदा कर देता है उनको हिदायत का नूर देता, मगर उन्होंने मुँह मोड़ा तो अन्धेरियों में रह गए, कहीं से भी सहारा न लगा।

3. चाहे ज़बान से हो जो बाज़ मख़्लूक़ात में देखा भी जाता है, चाहे हाल के एतिबार से हो जो तमाम मख़्लूक़ात में अ़क़्ल की दलालत करने से मालूम है।

रोशनी" ली। **(43)** (और तथा) अल्लाह तआ़ला रात और दिन को (भी) बदलता रहता है, इस (सब मजमूए) में समझ रखने वालों के लिए दलील हासिल करने (का मौक़ा) है। **(44)** और अल्लाह तआ़ला ही ने हर चलने वाले जानदार को (पानी का हो या ख़ुश्की का) पानी से पैदा किया है। फिर उनमें बाज़े तो वे (जानवर) हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं,[1] और बाज़े उनमें वे हैं जो दो पैरों पर चलते हैं,[2] और बाज़े उनमें वे हैं जो चार (पैरों) पर चलते हैं।[3] अल्लाह जो चाहता है बनाता है। बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है। **(45)** हमने (हक़ के) समझाने वाली दलीलें नाज़िल फ़रमाई हैं, और (उन आ़म में से) जिसको अल्लाह चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत फ़रमाता है। **(46)** और (ये मुनाफ़िक़) लोग (ज़बान से) दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आए और हुक्म माना, फिर उसके बाद (दावे की सच्चाई ज़ाहिर होने के मौक़े पर) उनमें का एक गिरोह नाफ़रमानी करता है। और ये लोग (दिल में) बिलकुल भी ईमान नहीं रखते।[4] **(47)** और ये लोग जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ इस ग़रज़ से बुलाए जाते हैं कि रसूल उनके (और उनके मुख़ालिफ़ के) दरमियान फ़ैसला कर दें तो उनमें का एक गिरोह किनारा करता है।[5] **(48)** और अगर उनका हक़ (किसी की तरफ़ वाजिब) हो तो सर झुकाए हुए आपके पास चले आते हैं।[6] **(49)** क्या उनके दिलों में (जड़ पकड़े हुए कुफ़्र का) मरज़ है या ये (नुबुव्वत की तरफ़ से) शक में पड़े हैं, या उनको यह अन्देशा है कि अल्लाह और उसका रसूल उनपर ज़ुल्म (न) करने लगें, (सो इनमें से कोई सबब) नहीं (है) बल्कि (असली सबब यह है) कि ये लोग ज़ुल्म पर उतरे हुए (होते) हैं।[7] ▲ **(50)** ❖

मुसलमानों का क़ौल तो जबकि उनको (किसी मुक़द्दमे में) अल्लाह की और उसके रसूल की तरफ़ बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान में फ़ैसला कर दें, यह है कि वे (दिली ख़ुशी से) कहते हैं कि हमने सुन लिया और मान लिया, और ऐसे लोग (आख़िरत में) फ़लाह पाएँगे। **(51)** और जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल का कहा माने और अल्लाह से डरे और उसकी मुख़ालफ़त से बचे, बस ऐसे लोग कामयाब होंगे। **(52)** और वे लोग बड़ा ज़ोर लगाकर क़स्में खाया करते हैं कि अल्लाह की क़सम! (हम ऐसे फ़रमाँबर्दार हैं कि) अगर आप उनको (यानी हमको) हुक्म दें तो वे अभी निकल खड़े हों, (आप उनसे) कह दीजिए कि बस क़स्में न खाओ, (तुम्हारी) फ़रमाँबर्दारी (की हक़ीक़त) मालूम है, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखता है। **(53)** आप कहिए कि अल्लाह की इताअ़त करो और रसूल की इताअ़त करो, फिर अगर तुम लोग (इताअ़त से) मुँह मोड़ोगे तो समझ लो कि रसूल के ज़िम्मे वही (तब्लीग़) है जिसका उनपर बार रखा गया है, और तुम्हारे ज़िम्मे वह है जिसका तुमपर बार रखा गया है। और अगर तुमने उनकी इताअ़त कर ली तो

---

1. जैसे साँप और मछली।
2. जैसे इनसान और परिन्दे जबकि हवा में न हों।
3. जैसे मवेशी।
4. इस मौक़े से वह सूरत मुराद है कि जब उनके ज़िम्मे किसी का हक़ चाहता हो और हक़ वाला उस मुनाफ़िक़ से दरख़्वास्त करे कि चलो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास मुक़द्दमा ले चलते हैं, उस मौक़े पर ये नाफ़रमानी और हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं, क्योंकि आपके इज्लास में जब हक़ ज़ाहिर हो जाएगा तो उसी के मुवाफ़िक़ आप फ़ैसला करेंगे।
5. यह बुलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही की तरफ़ है, मगर चूँकि आपका फ़ैसला अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक़ होता है इसलिए "इलल्लाहि" यानी 'अल्लाह की तरफ़' बढ़ा दिया।
6. क्योंकि इत्मीनान होता है कि वहाँ इन्साफ़ होगा।
7. इसी वास्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में मुक़द्दमा लाना पसन्द नहीं करते।

राह पर जा लगोगे, और (बहरहाल) रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ साफ़ तौर पर पहुँचा देना है। **(54)** (ऐ पूरी उम्मत!) तुममें जो लोग ईमान लाएँ और नेक अ़मल करें,[1] उनसे अल्लाह तआ़ला वायदा फ़रमाता है कि उनको (इस इत्तिबा की बरकत से) ज़मीन में हुकूमत अ़ता फ़रमाएगा, जैसा कि उनसे पहले (हिदायत वाले) लोगों को हुकूमत दी थी।[2] और जिस दीन को (अल्लाह तआ़ला ने) उनके लिए पसन्द फ़रमाया है (यानी इस्लाम) उसको उनके (आख़िरत के नफ़े के) लिए कुव्वत देगा, और उनके इस ख़ौफ़ के बाद उसको अमन से बदल देगा, बशर्ते कि मेरी इबादत करते रहें (और) मेरे साथ किसी क़िस्म का शिर्क न करें। और जो शख़्स इस (वायदे के ज़ाहिर होने) के बाद नाशुक्री करेगा[3] तो ये लोग बेहुक्म हैं।[4] **(55)** और (मुसलमानो!) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात दिया करो और (बाक़ी अहकाम में भी) रसूल की इताअ़त किया करो, ताकि तुमपर (कामिल) रहम किया जाए। **(56)** (ऐ मुख़ातब!) काफ़िरों के बारे में यह ख़्याल मत करना (कि हमारे क़हर से बचने के लिए) ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भागकर हमको) हरा देंगे, और (आख़िरत में) उनका ठिकाना दोज़ख़ है, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। **(57)** ❖

ऐ ईमान वालो! (तुम्हारे पास आने के लिए) तुम्हारे मम्लूकों ''यानी ग़ुलाम बाँदियों वग़ैरह'' को और तुममें से जो अभी बालिग़ होने की हद को नहीं पहुँचे, उनको तीन वक़्तों में इजाज़त लेना चाहिए- (एक तो) सुबह की नमाज़ से पहले, और (दूसरे) जब (सोने के लिए) दोपहर को अपने (बाज़) कपड़े उतार दिया करते हो, और (तीसरे) इशा की नमाज़ के बाद।[5] ये तीन वक़्त तुम्हारे पर्दों के (वक़्त) हैं, (और) इन वक़्तों के अ़लावा न तुमपर कोई इल्ज़ाम है और न (बिना इजाज़त चले आने में) उनपर कुछ इल्ज़ाम है, (क्योंकि) वे कसरत से तुम्हारे पास आते-जाते रहते हैं, कोई किसी के पास और कोई किसी के पास। इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम से (अपने) अहकाम साफ़-साफ़ बयान करता है, और अल्लाह तआ़ला जानने वाला, हिक्मत वाला है।[6] **(58)** और जिस वक़्त तुममें के वे लड़के (जिनका हुक्म ऊपर आया है) बालिग़ होने की हद को पहुँचें तो उनको भी उसी तरह इजाज़त लेना चाहिए जैसा कि उनसे अगले (यानी उनसे बड़ी उम्र के) लोग इजाज़त लेते हैं, इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुमसे अपने अहकाम साफ़-साफ़ बयान करता है, और अल्लाह तआ़ला जानने वाला, हिक्मत वाला है।[7] **(59)** और बड़ी-बूढ़ी औ़रतें जिनको (किसी के) निकाह (में आने) की कुछ उम्मीद न रही

---

1. यानी हिदायत की मुकम्मल तौर पर पैरवी करें।

2. जैसे बनी इस्राईल को क़िब्तियों पर ग़ालिब किया फिर अ़मालक़ा पर ग़ल्बा दिया और मिस्र पर ग़ल्बा दिया और मिस्र व शाम मुल्कों की हुकूमत दी।

3. यानी दीन के ख़िलाफ़ तरीक़ा इख़्तियार करेगा।

4. इस आयत में उम्मत के मजमूए से ईमान और नेक अ़मल पर हुकूमत देने का वायदा है। जिसका ज़ुहूर ख़ुद हुज़ूरे पाक के ज़माने से शुरू होकर ख़िलाफ़ते राशिदा तक बराबर चलता रहा। चुनाँचे जज़ीरा-ए-अ़रब आपके ज़माने में और दूसरे मुमालिक ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माने में फ़त्ह हो गए। और बाद में भी वक़्त-वक़्त पर अगरचे लगातार और बराबर न हो, दूसरे नेक बादशाहों और ख़ुलफ़ा के हक़ में इस वायदे का ज़ुहूर होता रहा और आगे भी होता रहेगा।

5. यानी ये तीनों वक़्त चूँकि आ़दतन और ग़ालिबन तन्हाई और आराम करने के हैं, इनमें ज़्यादातर आदमी बेतकल्लुफ़ी से रहते हैं। इसलिए अपने ग़ुलाम, बाँदियों, नौकरों और नाबालिग़ बच्चों को समझा दो कि बेइत्तिला और इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे पास न आया करें।

फ़ायदाः इन तीन वक़्तों की ही कुछ तख़्सीस नहीं, उस वक़्त आ़दत इसी के मुवाफ़िक़ थी। बाक़ी जहाँ जैसी ज़रूरत हो, यह हुक्म इस सबब पर लागू है कि जहाँ जिसका जो वक़्त तन्हाई और आराम करने का हो वहाँ उस वक़्त इजाज़त लेना ज़रूरी है।

6. पस सब मस्लहतों और हिक्मतों पर उसकी नज़र है, और अहकाम में उनकी रियायत फ़रमाता है।

7. उसको दोबारा इसलिए लाया गया कि इजाज़त लेने के क़ानून की मस्लहतें निहायत वाज़ेह और उसके अहकाम निहायत रियायत के क़ाबिल हैं, दोबारा लाने से इसका अहम होना ज़ाहिर हो गया।

हो,[1] उनको (अलबत्ता) इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वे अपने (फ़ालतू)[2] कपड़े उतार दें, बशर्ते कि बनने-सँवरने (की जगहों) का इज़हार न करें।[3] और (अगरचे बड़ी-बूढ़ियों को मुँह खोलने की इजाज़त है लेकिन अगर) इससे भी एहतियात रखें तो उनके लिए और ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह तआ़ला (सब कुछ) सुनता है, (सब कुछ) जानता है। **(60)** न तो अन्धे आदमी के लिए कुछ हर्ज है और न लंगड़े आदमी के लिए कुछ हर्ज है और न बीमार आदमी के लिए कुछ हर्ज है और न खुद तुम्हारे लिए इस बात में (कुछ हर्ज है) कि तुम अपने घरों से (जिनमें बीवी और औलाद के घर भी आ गए) खाना खा लो, या अपने बाप के घर से या अपनी माँओं के घर से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुन्जियाँ तुम्हारे इख़्तियार में हैं या अपने दोस्तों के घरों से, (फिर इसमें भी) तुमपर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग (खाओ), फिर (यह भी जान लो कि) जब तुम अपने घरों में जाने लगा करो तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो, (जो कि) दुआ़ के तौर पर (है, और) जो खुदा की तरफ़ से मुक़र्रर है, (और) बरकत वाली उम्दा चीज़ है। (अल्लाह ने जिस तरह ये अहकाम बतलाए) इसी तरह अल्लाह तुमसे (अपने) अहकाम बयान फ़रमाता है ताकि तुम समझो (और अ़मल करो)।[4] **(61)** ❖

बस मुसलमान तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, और जब रसूल के पास किसी ऐसे काम पर होते हैं जिसके लिए लोगों को जमा किया गया है (और इत्तिफ़ाक़न वहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ती है) तो जब तक आपसे इजाज़त न ले लें, नहीं जाते।[5] (ऐ पैग़म्बर!) जो लोग आपसे (ऐसे मौक़ों पर) इजाज़त लेते हैं, बस वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं,[6] तो जब ये (ईमान वाले लोग) ऐसे मौक़ों पर अपने किसी (ज़रूरी) काम के लिए आपसे (जाने की) इजाज़त तलब करें तो उनमें से जिसके लिए आप चाहें इजाज़त दे दिया करें,[7] और (इजाज़त देकर भी) आप उनके लिए अल्लाह तआ़ला से मग़्फ़िरत की दुआ़ कीजिए,[8] बेशक अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला, मेहरबान है। **(62)** तुम लोग रसूल के बुलाने को ऐसा (मामूली बुलाना) मत समझो जैसा तुममें एक-दूसरे को बुलाता है,[9] अल्लाह तआ़ला उन लोगों को ख़ूब जानता है जो (दूसरे की) आड़ में होकर तुममें से (हुज़ूरे पाक की मज्लिस से) खिसक जाते हैं। सो जो लोग अल्लाह के हुक्म की (जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वास्ते से पहुँचा है) मुख़ालफ़त करते हैं उनको इससे डरना चाहिए कि उनपर (दुनिया में) कोई आफ़त (न) आ पड़े, या उनपर (आख़िरत में) कोई दर्दनाक अ़ज़ाब नाज़िल (न) हो जाए।[10] **(63)** (और यह भी) याद रखो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में

---

1. यानी जो बिलकुल भी रग़बत का स्थान नहीं रहीं।

2. फ़ालतू कपड़े जिनसे चेहरा वग़ैरह छुपा रहता है, नामेहरम के सामने उतारना जायज़ है।

3. ज़ीनत के मौक़ों का ज़ाहिर करना नामेहरम के सामने बिलकुल ही नाजायज़ है।

4. ऊपर बहुत-से अहकाम का हुक्म और बहुत-सी चीज़ों से मनाही इरशाद फ़रमाई। आगे उस वक़्त के मुनासिब एक ख़ास हुक्म इरशाद फ़रमाते हैं। जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इन्तिहाई दर्जे की इताअ़त का वाजिब होना साबित होता है, जो कि ज़िक्र हुए तमाम अहकाम और मना की हुई चीज़ों, बल्कि दुनिया व आख़िरत की तमाम ज़ाहिरी व बातिनी सआ़दतों की ताकीद करने वाली है।

5. यानी जब तक आपसे इजाज़त न ले लें और आप उसपर इजाज़त न दे दें।

6. हासिल यह है कि इजाज़त लेना बिना ईमान के नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई मुनाफ़िक़ इजाज़त न लेता था।

7. यानी इसका फ़ैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की राय मुबारक पर छोड़ दिया गया है।

8. क्योंकि इजाज़त माँगना अगरचे किसी क़वी उज़्र की वजह से हो, लेकिन फिर भी उसमें दुनिया को दीन पर मुक़द्दम करना तो लाज़िम आया। और उसमें एक नुक़्स का शुब्हा है, उसकी तलाफ़ी के लिए इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुआ।

9. कि चाहे आया या न आया, फिर आकर भी जब तक चाहा बैठा, जब चाहा उठकर बिना इजाज़त लिए **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 650 पर)**

(मौजूद) है सब ख़ुदा ही का है। अल्लाह तआ़ला उस हालत को भी जानता है जिसपर तुम (अब) हो, और उस दिन को जिसमें सब उसके पास (ज़िन्दा करके) लाए जाएँगे। फिर वह उनको सब जतलाएगा जो कुछ उन्होंने किया था, और अल्लाह तआ़ला (तो) सब कुछ जानता है। **(64)** ❖

25 सूरः फ़ुरक़ान 42

सूरः फ़ुरक़ान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 77 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

बड़ी[1] आ़लीशान ज़ात है जिसने यह फ़ैसले की किताब (यानी क़ुरआन) अपने ख़ास बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर नाज़िल फ़रमाई ताकि वह (बन्दा) तमाम दुनिया जहान वालों के लिए डराने वाला हो। **(1)** ऐसी ज़ात जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की हुकूमत हासिल है, और उसने किसी को (अपनी) औलाद क़रार नहीं दिया, और न कोई हुकूमत में उसका साझी है, और उसने (तमाम मुमकिन चीज़ों में से) हर (मौजूद) चीज़ को पैदा किया, फिर सबका अलग-अलग अन्दाज़ रखा।[2] **(2)** और (बावजूद हक़ तआ़ला के ऐसे बेमिस्ल होने के) उन मुश्रिकों ने ख़ुदा (की तौहीद) को छोड़कर और ऐसे माबूद क़रार दिए हैं जो किसी चीज़ के पैदा करने वाले नहीं, और (बल्कि) वे ख़ुद मख़्लूक़ "यानी पैदा किए हुए" हैं, और ख़ुद अपने लिए न किसी नुक़सान (के हटाने) का इख़्तियार रखते हैं और न किसी नफ़े (के हासिल करने) का, और न किसी के मरने का इख़्तियार रखते हैं और न किसी के जीने का, और न किसी को (क़ियामत में) दोबारा जिलाने का। **(3)** और काफ़िर (यानी मुश्रिक) लोग (क़ुरआन के बारे में) यूँ कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं निरा झूठ है, जिसको एक शख़्स (यानी पैग़म्बर) ने घड़ लिया है, और दूसरे लोगों ने उस (घड़ने) में उसकी मदद की है।[3] सो ये लोग बड़े ज़ुल्म और झूठ के मुरतकिब हुए। **(4)** और ये (काफ़िर) लोग यूँ कहते हैं कि यह (क़ुरआन) बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आती हैं, जिनको उस शख़्स (यानी पैग़म्बर) ने लिखवा लिया है, फिर वही (मज़ामीन) उसको सुबह व शाम पढ़कर सुनाए जाते हैं। **(5)** आप (उसके जवाब में) कह दीजिए कि इस (क़ुरआन) को तो उस ज़ात ने उतारा है जिसको सब छुपी बातों की, चाहे वे आसमान में हों या ज़मीन में, ख़बर है।[4] वाक़ई अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत करने वाला, रहमत करने वाला है। **(6)** और ये (काफ़िर) लोग (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में) यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हुआ कि वह (हमारी तरह) खाना खाता है और बाज़ारों में चलता-फिरता है,[5] उसके पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वह उसके साथ रहकर डराता। **(7)** या उसके पास (ग़ैब से) कोई ख़ज़ाना आ पड़ता या उसके पास कोई (ग़ैबी) बाग़ होता जिससे यह खाया करता, और (ईमान वालों से) ये ज़ालिम यूँ (भी) कहते हैं कि तुम लोग एक बेअ़क़्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। **(8)** (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि

(पृष्ठ 648 का शेष) चल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बुलाना ऐसा नहीं है, बल्कि उसका मानना और बजा लाना वाजिब है। और बेइजाज़त जाना हराम है।

10. यह इजाज़त माँगने का वाजिब होना उस वक़्त है जब बुलाए हुए आएँ, या किसी मश्विरा वग़ैरह के लिए ख़ास ऐलान या आ़म ऐलान के ज़रिये बुलाया गया हो, वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस में कितनी ही बार लोग ख़ुद हाज़िर हुए और ख़ुद चले गए उनपर मलामत नहीं की गई। और अब भी मुसलमानों का इमाम (यानी मुसलमान बादशाह और हाकिम) अगर लोगों को जमा करे तो बेइजाज़त जाना जायज़ नहीं।

1. इस सूरः में ये मज़ामीन हैं। तौहीद का साबित करना, शिर्क और मुश्रिकीन की बुराई, रिसालत का साबित करना, रिसालत से मुताल्लिक़ शुब्हात का जवाब, आख़िरत का बयान और उसकी तफ़सील में तस्दीक़ करने वालों और झुठलाने वालों की सज़ा व जज़ा, मज़मून की मुनासबत से बाज़ क़िस्से, तौहीद व रिसालत के इनकार करने की बुराई, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 652 पर)**

व सल्लम!) देखिए तो ये लोग आपके लिए कैसी अ़जीब-अ़जीब बातें बयान कर रहे हैं, सो (उन ख़ुराफ़ात से) वे (बिलकुल) गुमराह हो गए, फिर वे राह नहीं पा सकते। **(9)** ❖

वह ज़ात बड़ी आ़लीशान है कि अगर वह चाहे तो आपको (काफ़िरों की) उस (फ़रमाइश) से (भी) अच्छी चीज़ दे दे, यानी बहुत-से (ग़ैबी) बाग़ात जिनके नीचे से नहरें बहती हों, और आपको बहुत-से महल दे दे।[1] **(10)** बल्कि ये लोग क़ियामत को झूठ समझ रहे हैं[2] और (अन्जाम इसका यह होगा कि) हमने ऐसे शख़्स के लिए जो कि क़ियामत को झूठ समझे, दोज़ख़ तैयार कर रखी है।[3] **(11)** वह उनको दूर से देखेगी तो वे लोग (दूर ही से) उसका जोश व ख़रोश सुनेंगे। **(12)** और (फिर) जब वे उस (दोज़ख़) की किसी तंग जगह में हाथ-पाँव जकड़ कर डाल दिए जाएँगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे। **(13)** (उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि) एक मौत को न पुकारो बल्कि बहुत-सी मौतों को पुकारो।[4] **(14)** आप (उनको यह मुसीबत सुनाकर) कहिए कि (यह बतलाओ कि) क्या यह (मुसीबत की हालत) अच्छी है या वह हमेशा रहने की जन्नत (अच्छी है) जिसका ख़ुदा से डरने वालों से वायदा किया गया है, कि वह उनके लिए (उनकी इताअ़त का) सिला है, और उनका (आख़िरी) ठिकाना। **(15)** (और) उनको वहाँ वे सब चीज़ें मिलेंगी जो कुछ वे चाहेंगे (और) वे (उसमें) हमेशा रहेंगे। (ऐ पैग़म्बर!) यह एक वायदा है जो आपके रब के ज़िम्मे है और माँगने के क़ाबिल है। **(16)** और जिस दिन अल्लाह उन (काफ़िर) लोगों को और जिनको वे लोग ख़ुदा के सिवा पूजते थे उन (सब) को जमा करेगा, फिर (उन माबूदों से) फ़रमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बन्दों को गुमराह किया था या ये (ख़ुद ही हक़ के) रास्ते से गुमराह हो गए थे।[5] **(17)** वे (माबूदीन) अ़र्ज़ करेंगे कि अल्लाह की पनाह! हमारी क्या मजाल थी कि हम आपके सिवा और कारसाज़ों को तजवीज़ करते, और लेकिन आपने (तो) उनको और उनके बड़ों को (ख़ूब) ऐश व आराम दिया,[6] यहाँ तक कि वे (आपकी) याद को भुला बैठे, और ये लोग ख़ुद ही बरबाद हुए।[7] **(18)** (उस वक़्त अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा कि) लो तुम्हारे इन माबूदों ने तो तुमको तुम्हारी बातों में झूठा ठहरा दिया, सो (अब) तुम न तो ख़ुद (अ़ज़ाब को) टाल सकते हो और न (किसी दूसरे की तरफ़ से) मदद दिए जा सकते हो। और जो (जो) तुममें ज़ालिम (यानी मुश्रिक) होगा हम उसको बड़ा अ़ज़ाब चखाएँगे। **(19)** और हमने आपसे पहले जितने पैग़म्बर भेजे सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी चलते-फिरते थे,[8] और हमने तुम (तमाम ही मुकल्लफ़ लोगों) में एक को दूसरे के लिए आज़माइश बनाया है, क्या तुम सब्र करोगे? (यानी सब्र करना चाहिए) और आपका रब ख़ूब देख रहा है। **(20)** ❖

(पृष्ठ 650 का शेष) तौहीद व रिसालत की तस्दीक़ करने वाले बाज़ ख़ास बन्दों के कुछ अच्छे-बुलन्द आमाल, और इसी आख़िरी मज़मून पर सूरः ख़त्म है।

2. किसी चीज़ के आसार व ख़ुसूसियतें कुछ हैं किसी के कुछ हैं।

3. इम्दाद करने वालों से वे अहले किताब मुराद हैं जो मुसलमान हो गए थे या आपकी ख़िदमत में वैसे ही हाज़िर हुआ करते थे।

4. जवाब का हासिल यह हुआ कि इस कलाम का इनसानी ताक़त से बाहर होना इसकी दलील है कि काफ़िरों का कहना कि "यह क़ुरआन बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आती हैं" ग़लत है। और इसी से यह साबित हो गया कि वे लोग जुल्म और झूठ के मुजरिम हैं। अगर यह ख़ुद पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का घड़ा हुआ या किसी का लिखवाया हुआ कलाम होता या किसी दूसरी क़ौम की मदद से तैयार किया हुआ होता तो दूसरे लोग ऐसा कलाम लाने से आ़जिज़ क्यों होते।

5. यानी इनसान है जो कि मोहताज होता है खाने व रोज़ी का एहतिमाम करने का। मतलब यह कि रसूल को फ़रिश्ता होना चाहिए।

1. मतलब यह कि जो जन्नत में मिलेगा अगर अल्लाह तआ़ला चाहे तो आपको दुनिया ही में दे दे लेकिन बाज़ हिक्मतों से नहीं चाहा, और इसकी कोई ज़रूरत भी न थी, पस यह शुब्हा बिलकुल बेहूदा है।

2. इसलिए अन्जाम की फ़िक्र नहीं है और जो जी में आता है कर लेते हैं, बक देते हैं।

3. क्योंकि क़ियामत को झुठलाने से अल्लाह व रसूल का झुठलाना लाज़िम आता है जो दोज़ख़ में जाने का असल सबब है।

4. क्योंकि मौत के पुकारने की इल्लत मुसीबत है और मुसीबत ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हर मुसीबत का मुक़्तज़ा मौत को पुकारना है तो पुकारना भी बहुत ज़्यादा और असीमित हुआ। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 654 पर)**

उन्नीसवाँ पारः व क़ालल्लज़ी-न

सूरः फ़ुरक़ान (आयत 21 से 77)

और जो लोग हमारे सामने पेश होने से अन्देशा नहीं करते (इस वजह से कि उसके मुन्किर हैं) वे यूँ कहते हैं कि हमारे पास फ़रिश्ते क्यों नहीं आते, या हम अपने रब को देख लें,[1] ये लोग दिलों में अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, और ये लोग (इनसानियत की) हद से बहुत दूर निकल गए हैं। **(21)** जिस दिन ये लोग फ़रिश्तों को देखेंगे, उस दिन (क़ियामत में) मुजरिमों (यानी काफ़िरों) के लिए कोई ख़ुशी की बात न होगी, और (अ़ज़ाब के फ़रिश्तों को देखकर) कहेंगे कि पनाह है, पनाह है। **(22)** और हम (उस दिन) उनके (यानी काफ़िरों के) उन (नेक) कामों की तरफ़ जो कि वे (दुनिया में) कर चुके थे मुतवज्जह होंगे, सो उनको ऐसा (बेकार) कर देंगे जैसे परेशान गुबार।[2] **(23)** (अलबत्ता) जन्नत वाले उस दिन ठिकाने में भी अच्छे रहेंगे और आरामगाह में भी ख़ूब अच्छे होंगे।[3] **(24)** और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट जाएगा, और (उस बदली के साथ) फ़रिश्ते (ज़मीन पर) कसरत से उतारे जाएँगे। **(25)** (और) उस दिन हक़ीक़ी हुकूमत (ख़ुदा-ए-) रहमान (ही) की होगी,[4] और वह (दिन) काफ़िरों पर बड़ा सख़्त दिन होगा।[5] **(26)** और जिस दिन ज़ालिम (यानी काफ़िर आदमी इन्तिहाई हसरत से) अपने हाथ काट खाएगा, (और) कहेगा क्या अच्छा होता मैं रसूल के साथ (दीन की) राह पर लग लेता। **(27)** हाय मेरी शामत (कि ऐसा न किया, और) क्या अच्छा होता कि मैं फ़लाँ शख़्स को दोस्त न बनाता। **(28)** उस (कमबख़्त) ने मुझको नसीहत आने के बाद उससे बहका दिया (और हटा दिया) और शैतान तो इनसान को (ऐन वक़्त पर) मदद करने से जवाब दे ही देता है। **(29)** और (उस दिन) रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे रब! मेरी (इस) क़ौम ने इस क़ुरआन को (जिसपर अ़मल करना वाजिब था) बिलकुल नज़र अन्दाज़ कर रखा था।[6] **(30)** और हम इसी तरह (यानी जिस तरह ये लोग आपसे दुश्मनी और बैर रखते हैं) मुजरिम लोगों में से हर नबी के दुश्मन बनाते रहे हैं,[7] और हिदायत करने और मदद करने को आपका रब काफ़ी है। **(31)** और काफ़िर लोग यूँ कहते हैं कि उन (पैग़म्बर) पर यह क़ुरआन एक ही बार में क्यों नाज़िल नहीं किया गया, इस तरह (धीरे-धीरे हमने) इसलिए (नाज़िल किया) है ताकि हम उसके ज़रिये आपके दिल को क़वी रखें, और (इसी लिए) हमने इसको बहुत ठहरा-ठहराकर उतारा है।[8] **(32)** और ये लोग कैसा ही अ़जीब सवाल आपके सामने पेश करें मगर हम (उसका) ठीक जवाब और वज़ाहत में (भी) बढ़ा हुआ आपको इनायत कर देते हैं। **(33)** ये लोग वे हैं जो अपने मुहों के बल जहन्नम की तरफ़ ले जाए जाएँगे, ये लोग जगह में भी बदतर हैं और तरीक़े में भी बहुत गुमराह हैं।[9] **(34)** ❖

(पृष्ठ 652 का शेष) **5.** मतलब यह कि उन्होंने तुम्हारी इबादत जो कि हक़ीक़त में गुमराही है, तुम्हारे हुक्म और तुम्हारी रिज़ा से की थी, जैसा कि उन लोगों का ख़्याल था कि ये माबूद ख़ुश होते हैं और ख़ुश होकर अल्लाह तआ़ला से शफ़ाअ़त करेंगे, या अपनी फ़ासिद राय से घड़ ली थी।

6. जिसका मुक़्तज़ा यह था कि नेमत देने वाले की पहचान और उसका शुक्र व इताअ़त करते।

7. जवाब का मतलब ज़ाहिर है कि दोनों सूरतों में "राह से गुमराह होने" की सूरत को इख़्तियार किया और गुमराही की बुराई और नापसन्दीदा को राहत व आराम में पड़ने के ज़िक्र से मुअक्कद किया जिससे ख़ूब नाराज़ी उन इबादत करने वालों से ज़ाहिर हो जाए।

8. मतलब यह कि नुबुव्वत और खाना खाने वग़ैरह में कोई ज़िद और मुख़ालफ़त नहीं, कि दोनों एक साथ जमा न हो सकें।

1. यानी फ़रिश्ते आकर हमसे कहें कि यह अल्लाह के रसूल हैं, या हमारा रब ख़ुद फ़रमा दे कि हमने उनको रसूल बनाकर भेजा है।

2. यानी जिस तरह गुबार किसी काम नहीं आता, उसी तरह उन काफ़िरों के आमाल पर कुछ सवाब न होगा।

3. मुराद ठिकाने और आरामगाह से जन्नत है। यानी जन्नत उनके लिए रहने की जगह **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 656 पर)**

और तहक़ीक़ कि हमने मूसा को किताब (यानी तौरात) दी थी,[1] और हमने उनके साथ उनके भाई हारून को (उनका) मददगार बनाया था। **(35)** फिर हमने (दोनों को) हुक्म दिया कि दोनों आदमी उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी (तौहीद की) दलीलों को झुठलाया है,[2] सो हमने उनको (अपने क़हर से) बिलकुल ही ग़ारत कर दिया। **(36)** और नूह की क़ौम को भी हम हलाक कर चुके हैं, जब उन्होंने पैग़म्बरों को झुठलाया तो हमने उनको (तूफ़ान से) ग़र्क़ कर दिया, और हमने उन (के वाक़िए) को लोगों (की इबरत) के लिए एक निशान बना दिया, और (आख़िरत में) हमने उन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। **(37)** और हमने आ़द और समूद और रस्स वालों[3] और उनके बीच-बीच में बहुत-सी उम्मतों को हलाक कर दिया। **(38)** और हमने हर एक के वास्ते अ़जीब-अ़जीब (यानी असरदार) मज़ामीन बयान किए, और (जब न माना तो) हमने सबको बिलकुल बरबाद ही कर दिया। **(39)** और ये (मक्का के काफ़िर) उस बस्ती पर होकर गुज़रे हैं जिसपर बुरी तरह पत्थर बरसाए गए। (मुराद लूत अ़लैहिस्सलाम की क़ौम की बस्ती है) सो क्या ये लोग उसको देखते नहीं रहते, बल्कि ये लोग मर कर जी उठने का अन्देशा ही नहीं रखते। (यानी आख़िरत के इनकारी हैं)। **(40)** और जब ये लोग आपको देखते हैं तो बस आपसे हँसी करने लगते हैं, (और कहते हैं) कि क्या यही हैं जिनको ख़ुदा तआ़ला ने रसूल बनाकर भेजा है।[4] **(41)** इस शख़्स ने तो हमको हमारे माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उनपर (मज़बूती से) क़ायम न रहते,[5] और (मरने के बाद) जल्दी ही उनको मालूम हो जाएगा जब अ़ज़ाब का मुआ़यना करेंगे कि कौन शख़्स गुमराह था। **(42)** ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! आपने उस शख़्स की हालत भी देखी जिसने अपना ख़ुदा अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश को बना रखा है, सो क्या आप उसकी निगरानी कर सकते हैं। **(43)** या आप ख़्याल करते हैं कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं,[6] ये तो महज़ चौपायों की तरह हैं (कि वे बात को न सुनते हैं, न समझते हैं,) बल्कि ये उनसे भी ज़्यादा बेराह हैं।[7] **(44)** ❖

(ऐ मुख़ातब!) क्या तुमने अपने रब (की क़ुदरत) पर नज़र नहीं की, उसने साये को किस तरह (दूर तक) फैलाया है। और अगर वह चाहता तो उसको एक हालत पर ठहराया हुआ रखता। फिर हमने सूरज को उस (साये के लम्बा और कम होने) पर निशानी मुक़र्रर किया। **(45)** फिर हमने उसको अपनी तरफ़ आहिस्ता-आहिस्ता समेट लिया। **(46)** और वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दे की चीज़ और नींद को राहत की चीज़ बनाया, और दिन को ज़िन्दा होने का वक़्त बनाया।[8] **(47)** और वह ऐसा है कि अपनी

(पृष्ठ 654 का शेष) और आराम की जगह होगी, और उसका अच्छा होना ज़ाहिर है।

4. यानी हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा में किसी को दख़ल न होगा।

5. क्योंकि उनके हिसाब का अन्जाम जहन्नम ही है।

6. मतलब यह कि ख़ुद काफ़िर लोग भी अपनी गुमराही का इक़रार करेंगे और रसूल भी गवाही देंगे, और जुर्म के साबित होने की यही दो सूरतें प्रचलित हैं- इक़रार और गवाही, और दोनों के जमा होने से यह सुबूत और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा, और सज़ा पाने वाले होंगे।

7. यानी यह पुराना तरीक़ा चला आता है कि काफ़िर लोग अम्बिया के साथ दुश्मनी और बैर रखते रहे हैं, सो यह कोई नई बात नहीं जिसका ग़म किया जाए।

8. चुनाँचे 23 साल में पूरा हुआ ताकि धीरे-धीरे उतारने का मुकम्मल फ़ायदा हो।

9. जगह से मुराद दोज़ख़ और तरीक़े से मुराद मस्लक और मज़हब है।

1. यानी वह बहुत बड़े रुतबे वाले और किताब वाले नबी थे।

2. इस क़ौम से मुराद फ़िरऔन और उसकी क़ौम है।

3. "रस्स" लुग़त में कहते हैं कुएँ को, और कुछ लोग क़ौमे समूद के रह गए थे और किसी कुएँ पर आबाद थे। वे 'रस्स वाले' हैं।

4. यानी ऐसा आदमी रसूल न होना चाहिए। अगर रिसालत कोई चीज़ है **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 658 पर)**

रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वे (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिल को) ख़ुश कर देती हैं, और हम आसमान से पानी बरसाते हैं जो पाक-साफ़ करने की चीज़ है। **(48)** ताकि उसके ज़रिये से मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें, और अपनी मख़्लूक़ात में से बहुत-से चार पैरों वाले और बहुत-से आदमियों को सैराब कर दें। **(49)** और हम उस (पानी) को (मस्लहत के मुताबिक़) उन लोगों के दरमियान तक़सीम कर देते हैं, ताकि लोग ग़ौर करें। सो (चाहिए था कि ग़ौर करके उसका हक़ अदा करते, लेकिन) अक्सर लोग बग़ैर नाशुक्री किए न रहे। **(50)** और अगर हम चाहते तो (आपके अ़लावा इसी ज़माने में) हर बस्ती में एक पैग़म्बर भेज देते।[1] **(51)** सो (इस नेमत के शुक्रिये में) आप काफ़िरों की ख़ुशी का काम न कीजिए और क़ुरआन से उनका ज़ोर से मुक़ाबला कीजिए।[2] **(52)** (आगे फिर तौहीद का बयान है) और वह ऐसा है जिसने दो दरियाओं को सूरत के एतिबार से मिला दिया जिनमें एक (का पानी) तो मीठा सुकून बख़्श है और एक (का पानी) खारा कड़वा है। और उनके दरमियान में (अपनी क़ुदरत से) एक पर्दा और एक मज़बूत रोक रख दी।[3] **(53)** और वह ऐसा है जिसने पानी से (यानी नुत्फ़े से) आदमी को पैदा किया, फिर उसको ख़ानदान वाला और ससुराल वाला बनाया। और (ऐ मुख़ातब!) तेरा रब बड़ी क़ुदरत वाला है। **(54)** और (बावजूद इसके) ये (मुश्रिक) लोग (ऐसे) ख़ुदा को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको कुछ नफ़ा पहुँचा सकती हैं और न उनको कुछ नुक़सान पहुँचा सकती हैं, और काफ़िर तो अपने रब का मुख़ालिफ़ है। **(55)** और हमने आपको सिर्फ़ इसलिए भेजा है कि (मोमिनों को जन्नत की) ख़ुशख़बरी सुनाएँ, और (काफ़िरों को दोज़ख़ से) डराएँ।[4] **(56)** आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कोई मुआवज़ा नहीं माँगता, हाँ जो शख़्स यूँ चाहे कि अपने रब तक (पहुँचने का) रास्ता इख़्तियार कर ले।[5] **(57)** और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए (और इत्मीनान के साथ) उसकी तस्बीह व तारीफ़ बयान करने में लगे रहिए,[6] और वह (ख़ुदा) अपने बन्दों के गुनाहों से काफ़ी (तौर पर) ख़बरदार है।[7] **(58)** वह ऐसा है जिसने आसमान व ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान में है सब छह दिन (की मिक़दार) में पैदा किया, फिर (शाही) तख़्त पर क़ायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछना चाहिए। (काफ़िर क्या जानें)। **(59)** और जब उन (काफ़िरों) से कहा जाता है कि रहमान को सज्दा करो तो (जहालत व बैर की वजह से) कहते हैं कि रहमान क्या चीज़ है? क्या हम उसको सज्दा करने लगेंगे जिसको तुम सज्दा करने के लिए हमको कहोगे, और उससे उनको और ज़्यादा नफ़रत होती है।[8] ☐ **(60)** ❖

(पृष्ठ 656 का शेष) तो कोई सरदार और बड़ा आदमी होना चाहिए था, पस यह रसूल नहीं।

5: यानी हम तो हिदायत पर हैं और यह हमको गुमराह करने की कोशिश में थे।

6. मतलब यह कि आप उनको हिदायत न होने से ग़मज़दा न होइए। क्योंकि आप उनपर मुसल्लत नहीं कि वे चाहें या न चाहें उनको राह पर लाएँ ही, और न हिदायत की उनसे उम्मीद कीजिए, क्योंकि उनको न सुनना मयस्सर है न उनके पास अ़क़्ल है।

7. क्योंकि वे इस दीन के रास्ते के मुकल्लफ़ नहीं, तो उनका न समझना निन्दनीय नहीं और ये मुकल्लफ़ हैं, फिर नहीं समझते।

8. इस एतिबार से कि सोना मौत के ही जैसा है, और दिन का वक़्त जागने का है।

1. और तन्हा आप पर तमाम काम न डालते, लेकिन चूँकि आपका अज्र बढ़ाना मक़सूद है इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तौर पर इतना काम आपके सुपुर्द करना ख़ुदा तआ़ला की नेमत है।

2. यानी आ़म और मुकम्मल तब्लीग़ कीजिए। यानी सबसे कहिए और बार-बार कहिए और हिम्मत मज़बूत रखिए जैसा कि अब तक आप करते रहे हैं।

3. मुराद इन दो दरियाओं से वे जगहें हैं जहाँ मीठी नदियाँ और नहरें बहते-बहते समुद्र में आकर गिरती हैं। वहाँ बावजूद इसके कि ऊपर से दोनों की सतह एक मालूम होती है, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत से उनमें एक ऐसी फ़ासले की हद है कि संगम की एक जानिब से पानी लिया जाए तो मीठा और दूसरी जानिब से जो कि पहली जानिब से बिलकुल क़रीब है, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 660 पर)**

वह ज़ात बहुत आलीशान है। जिसने आसमान में बड़े-बड़े सितारे बनाए और इस (आसमान) में एक चिराग़ (यानी सूरज) और नूरानी चाँद बनाया। **(61)** और वह ऐसा है जिसने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने-जाने वाले बनाए, (और ये तमाम दलीलें) उस शख़्स के लिए हैं जो समझना चाहे या शुक्र करना चाहे। **(62)** और (हज़रते) रहमान के (ख़ास) बन्दे वे हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं,[1] और जब जाहिल लोग उनसे (जहालत की बात करते हैं) तो वे बुराई को दफ़ा करने की बात कहते हैं।[2] **(63)** और जो रातों को अपने रब के आगे सज्दे और क़ियाम (यानी नमाज़) में लगे रहते हैं।[3] **(64)** और जो दुआएँ माँगते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमसे जहन्नम को दूर रखिए क्योंकि उसका अ़ज़ाब पूरी तबाही है। **(65)** बेशक वह जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरा मक़ाम है। **(66)** (यह तो उनकी जिस्मानी इबादतों की हालत है) और (माली इबादतों में उनका यह तरीक़ा है कि) वे जब ख़र्च करने लगते हैं तो न फ़ुज़ूलख़र्ची करते हैं और न तंगी करते हैं, और उनका ख़र्च करना इस (कमी-बेशी) के दरमियान ऐतिदाल पर होता है। **(67)** और जो कि अल्लाह तआ़ला के साथ किसी और माबूद की पूजा नहीं करते, और जिस शख़्स (के क़त्ल करने) को अल्लाह तआ़ला ने हराम फ़रमाया है उसको क़त्ल नहीं करते, हाँ मगर हक़ पर, और वे ज़िना नहीं करते, और जो शख़्स ऐसे काम करेगा तो सज़ा से उसको साबक़ा पड़ेगा। **(68)** कि क़ियामत के दिन उसका अ़ज़ाब बढ़ता चला जाएगा और वह उस (अ़ज़ाब) में हमेशा-हमेशा ज़लील (व रुस्वा) होकर रहेगा। **(69)** मगर जो (शिर्क व गुनाहों से) तौबा कर ले और ईमान (भी) ले आए और नेक काम करता रहे तो अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों के (पिछले) गुनाहों की जगह नेकियाँ इनायत फ़रमाएगा। और अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। **(70)** और जो शख़्स (गुनाहों से) तौबा करता है और नेक काम करता है तो वह (भी अ़ज़ाब से बचा रहेगा, क्योंकि वह) अल्लाह तआ़ला की तरफ़ ख़ास तौर पर रुजू कर रहा है। **(71)** और वे बेहूदा बातों में शामिल नहीं होते, और अगर (इत्तिफ़ाक़ से) बेहूदा मश्ग़लों के पास को होकर गुज़रें तो सन्जीदगी के साथ गुज़र जाते हैं।[4] **(72)** और वे ऐसे हैं कि जिस वक़्त उनको अल्लाह के अहकाम के ज़रिये से नसीहत की जाती है तो उन (अहकाम) पर बहरे अन्धे होकर नहीं गिरते।[5] **(73)** और वे ऐसे हैं कि दुआ करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ़ से आँखों की ठंडक (यानी राहत) अ़ता फ़रमा,[6] और हमको मुत्तक़ियों का अफ़सर बना दे।[7] **(74)** ऐसे लोगों को (जन्नत में रहने को) बालाख़ाने

(पृष्ठ 658 का शेष) पानी लिया जाए तो कड़वा। चुनाँचे बंगाल में भी ऐसा स्थान मौजूद है।

4. उनके ईमान न लाने से आपका क्या नुक़सान है? फिर आप क्यों ग़म करें। और न आप उस विरोध को मालूम करके फ़िक्र में पड़ें।

5. तो यह अलबत्ता चाहता हूँ चाहे उसको बदला कहो या न कहो।

6. यानी तब्लीग़ जो कि ऐसी इबादत है जिसका नफ़ा दूसरों तक पहुँचता है और तस्बीह व तारीफ़ बयान करने की इबादत ऐसी है जिसका फ़ायदा अपनी ज़ात तक सीमित है। उनको बेफ़िक्री से अदा कीजिए।

7. जब मुनासिब समझेगा सज़ा देगा। इन जुम्लों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ग़म व फ़िक्र और ख़ौफ़ को ख़त्म फ़रमाया है।

8. लफ़्ज़ 'रहमान' उनमें कम मश्हूर था, मगर यह नहीं कि जानते न हों। मगर इस्लामी तालीम से जो मुख़ालफ़त बढ़ी हुई थी तो अल्फ़ाज़ के बोलने में भी मुख़ालफ़त को निभाते थे। क़ुरआन में जो यह लफ़्ज़ कसरत से आया वे इसमें भी मुख़ालफ़त कर बैठे और इस हैसियत से कि क़ुरआनी मुहावरा है जानकर भी अन्जान बनने के तौर पर उसमें कलाम और उसका इनकार करने लगे। चाहे ख़ुदा ही का इनकार और बे-अदबी लाज़िम आ जाए।

1. मतलब यह कि उनके मिज़ाज में तमाम मामलात में तवाज़ो है और उसी का असर चलने में भी ज़ाहिर होता है।

2. मतलब यह कि अपने नफ़्स के लिए ज़बानी या फ़ेल से बदला नहीं लेते और जो सख़्ती तरबियत, इस्लाह और शरई ज़रूरत या दीन की बात को बुलन्द करने के लिए हो यहाँ उसकी नफ़ी मक़सूद नहीं।

3. अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ अदा करने के बावजूद अल्लाह से इस क़द्र डरते हैं। (आगे देखो तर्जुमा) **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 662 पर)**

मिलेंगे इस वजह से कि वे (दीन और बन्दगी पर) साबित क़दम रहे, और उनको उस (जन्नत) में (फ़रिश्तों की ओर से) बाक़ी रहने की दुआ़ और सलाम मिलेगा। **(75)** (और) उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे, वह कैसा अच्छा ठिकाना और मक़ाम है। **(76)** आप (आ़म तौर पर लोगों से) कह दीजिए कि मेरा रब तुम्हारी ज़रा भी परवाह न करेगा अगर तुम इबादत न करोगे। सो तुम जो (अल्लाह के अहकाम को) झूठा समझते हो तो जल्द ही यह (झूठा समझना तुम्हारे लिए) वबाले (जान) होगा।[1] ◆ **(77)** ❖

26 सूरः शु-अ़रा 47

सूरः शु-अ़रा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 227 आयतें और 11 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, और बड़े रहम वाले हैं।[2]

ता-सीम्-मीम्। **(1)** ये (मज़ामीन जो आप पर नाज़िल होते हैं) वाज़ेह किताब (यानी क़ुरआन) की आयतें हैं। **(2)** शायद आप उनके ईमान न लाने पर (रंज करते-करते) अपनी जान दे देंगे। **(3)** अगर हम (उनको मोमिन करना) चाहें तो उनपर आसमान से एक बड़ी निशानी नाज़िल कर दें, फिर उनकी गर्दनें उस निशानी से झुक जाएँ। **(4)** और (उनकी हालत यह है कि) उनके पास कोई ताज़ा तंबीह (हज़रते) रहमान की तरफ़ से ऐसी नहीं आती जिससे ये बेरुख़ी न करते हों। **(5)** सो उन्होंने (दीने हक़ को) झूठा बतला दिया, सो अब जल्द ही उनको उस बात की हक़ीक़त मालूम हो जाएगी जिसके साथ यह हँसी-मज़ाक़ किया करते थे। **(6)** क्या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा कि हमने उसमें किस क़द्र उम्दा-उम्दा क़िस्म की बूटियाँ उगाई हैं। **(7)** इसमें (तौहीद की) एक बड़ी निशानी है, और उनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाते।[3] **(8)** और बेशक आपका रब ग़ालिब है, रहीम है।[4] **(9)** ❖

और (उन लोगों से कहिए कि) जब आपके रब ने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को पुकारा (और हुक्म दिया) कि तुम उन ज़ालिम लोगों के पास जाओ **(10)** यानी फ़िरऔ़न की क़ौम के, (और ऐ मूसा! देखो) क्या ये लोग (हमारे ग़ज़ब से) नहीं डरते। **(11)** उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मुझको यह अन्देशा है कि वे मुझको झुठलाने लगें। **(12)** और (तबई तौर पर ऐसे वक़्त में) मेरा दिल तंग होने लगता है और मेरी ज़बान (अच्छी तरह) नहीं चलती, इसलिए हारून के पास भी वह्य भेज दीजिए। **(13)** और मेरे ज़िम्मे उन लोगों का एक जुर्म भी है,[4] सो मुझको यह अन्देशा है कि वे लोग मुझको (रिसालत की तब्लीग़ से पहले) क़त्ल कर डालें। **(14)** इरशाद हुआ क्या मजाल है, सो (अब) तुम दोनों हमारे अहकाम लेकर जाओ, हम (हिमायत और इम्दाद से) तुम्हारे साथ हैं, सुनते हैं। **(15)** सो तुम दोनों फ़िरऔ़न के पास जाओ और (उससे) कहो कि हम रब्बुल

(पृष्ठ 660 का शेष) **4.** यानी न उसकी तरफ़ मश़्गूल होते हैं और न उनके अन्दाज़ से गुनाहगारों को हक़ीर समझना और अपनी बड़ाई व तकब्बुर ज़ाहिर होता है।

5. जिस तरह काफ़िर क़ुरआन पर एक नई बात समझकर तमाशे के तौर पर और साथ ही उसमें एतिराज़ात पैदा करने के लिए उसकी सच्चाइयों से अन्धे-बहरे होकर अंधाधुंध बेतरतीब हुजूम कर लेते थे। जैसे कि अल्लाह ने इरशाद फ़रमायाः "कादू यकूनू-न अ़लैहि लि-बदा" सो ये इबादत करने वाले जिनका ज़िक्र हुआ ऐसा नहीं करते, बल्कि अ़क़्ल व समझ के साथ क़ुरआन पर मुतवज्जह होते हैं।

6. ख़ुद जैसे दीन के आ़शिक़ हैं उसी तरह अपने घर वालों और बाल-बच्चों के लिए भी उसके कोशिश करने वाले और दावत देने वाले हैं। चुनाँचे अ़मली कोशिश के साथ हक़ तआ़ला से दुआ़ भी करते हैं कि उनको दीनदार बना दे, और हमको हमारी इस दीनी कोशिश में कामयाब फ़रमा कि उनको दीनदारी की हालत में देखकर राहत और ख़ुशी हासिल हो।

7. असल मक़सूद अफ़सरी माँगना नहीं अगरचे उसमें भी बुराई नहीं, मगर मक़ाम दलालत नहीं करता। बल्कि असल मक़सूद अपने ख़ानदान के मुत्तक़ी होने की दरख़्वास्त है।

1. जिस तरह काफ़िर क़ुरआन पर एक नई बात समझकर तमाशे के तौर पर और साथ ही उसमें और साथ ही उसमें एतिराज़ात पैदा करने के लिए उसकी सच्चाइयों से अन्धे-बहरे होकर अंधाधुंध बेतरतीब हुजूम कर लेते थे। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 664 पर)**

आ़लमीन के भेजे हुए हैं। **(16)** (और तौहीद की तरफ़ दावत के साथ यह हुक्म भी लाए हैं) कि तू बनी इस्राईल को हमारे साथ जाने दे।[1] **(17)** (दोनों हज़रात गए और फ़िरऔ़न से सब मज़ामीन कह दिए) फ़िरऔ़न कहने लगा कि (आहा, तुम हो) क्या हमने तुमको बचपन में परवरिश नहीं किया, और तुम अपनी (उस) उम्र में बरसों रहा-सहा किए। **(18)** और तुमने अपनी वह हरकत भी की थी जो की थी, (यानी क़िबती को क़त्ल किया था) और तुम बड़े नाशुक्रे हो। **(19)** (हज़रत) मूसा ने जवाब दिया कि (वाक़ई) उस वक़्त वह हरकत मैं कर बैठा था और मुझसे ग़लती हो गई थी। **(20)** फिर जब मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से फ़रार हो गया, फिर मुझको मेरे रब ने दानिशमन्दी "यानी ख़ुसूसी समझ व शुऊर" अ़ता फ़रमाई और मुझको पैग़म्बरों में शामिल कर दिया।[2] **(21)** और (रहा परवरिश करने का एहसान जतलाना सो) वह यह नेमत है जिसका तू मुझपर एहसान रखता है कि तूने बनी इस्राईल को सख़्त ज़िल्लत में डाल रखा था।[3] **(22)** फ़िरऔ़न (इस बात में लाजवाब हुआ तो उस) ने कहा कि रब्बुल आ़लमीन की माहियत (और हक़ीक़त) क्या है? **(23)** मूसा ने जवाब दिया कि वह रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ (मख़्लूक़ात) उनके दरमियान में है उसका, अगर तुमको यक़ीन करना हो (तो यह पता बहुत काफ़ी है)।[4] **(24)** फ़िरऔ़न ने अपने इर्द-गिर्द वालों से कहा कि तुम लोग सुनते हो, (कि सवाल कुछ और जवाब कुछ)। **(25)** मूसा ने फ़रमाया कि वह परवर्दिगार है तुम्हारा और तुम्हारे पहले बुज़ुर्गों का। **(26)** फ़िरऔ़न (न समझा और) कहने लगा कि यह तुम्हारा रसूल जो (अपने ख़्याल के मुताबिक़) तुम्हारी तरफ़ रसूल होकर आया है, मजनूँ (मालूम होता) है। **(27)** मूसा ने फ़रमाया कि वह परवर्दिगार है पूरब और पश्चिम का, और जो कुछ उनके दरमियान में है उसका भी, अगर तुमको अ़क़्ल हो (तो इसी से मान लो)। **(28)** फ़िरऔ़न (आख़िर झुल्लाकर) कहने लगा कि अगर तुम मेरे सिवा कोई और माबूद तजवीज़ करोगे तो मैं तुमको जेलख़ाने भेज दूँगा। **(29)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया अगर मैं कोई साफ़ और खुली दलील पेश करूँ तब भी (न मानेगा?) **(30)** फ़िरऔ़न ने कहा कि अच्छा तो वह दलील पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। **(31)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी लाठी डाल दी तो वह एकदम एक नुमायाँ अज़्दहा बन गया। **(32)** और दूसरा (मोजिज़ा) अपना हाथ (गिरेबान में देकर) बाहर निकाला तो वह यकायक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया। **(33)** ❖

फ़िरऔ़न ने दरबार वालों से जो उसके आस-पास (बैठे) थे, कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह शख़्स बड़ा माहिर जादूगर है। **(34)** इसका (असल) मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से तुमको तुम्हारी सरज़मीन से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मश्विरा देते हो। **(35)** दरबारियों ने कहा कि आप उनको और

(पृष्ठ 662 का शेष) जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमायाः "कादू यकूनू-न अ़लैहि लि-बदा" सो ये इबादत करने वाले जिनका ज़िक्र हुआ ऐसा नहीं करते, बल्कि अ़क़्ल व समझ के साथ क़ुरआन पर मुतवज्जह होते हैं।

2. चाहे वह दुनिया में जैसे वाक़िआ-ए-बद्र में काफ़िरों पर मुसीबत आई या आख़िरत में, और वह ज़ाहिर है।

3. इस सूरः के सबसे पहले और सबसे पिछले रुकूअ़ में क़ुरआन और रिसालत की हक़्क़ानियत व सच्चाई और उसके मुताल्लिक़ चीज़ों का ज़िक्र है, और इनके इनकारियों को मलामत और झिड़की और इबरत के लिए पहले रुकूअ़ के ख़त्म पर तौहीद को साबित करने वाली बाज़ दलीलें जो कि क़ुरआन का एक हिस्सा है, और सूरः के दरमियान में अल्लाह के अहकाम और रसूलों को झुठलाने वालों के बाज़ क़िस्से ज़िक्र किए गए हैं। चुनाँचे हर क़िस्से में आयत "इन्-न फ़ी ज़ालि-क......" को बार-बार लाया जाना उस इबरत के मक़सूद होने पर साफ़ तौर पर दलालत करता है।

4. मालूम हुआ कि उनके बैर व दुश्मनी ने उनकी फ़ितरत को बिलकुल तबाह व ज़ाया कर दिया, फिर ऐसों के पीछे क्यों जान खोई जाए।

5. उसकी आ़म फैली हुई रहमत दुनिया में काफ़िरों से भी मुताल्लिक़ है। इसका असर यह है कि उनको मोहलत दे रखी है वरना कुफ़्र यक़ीनन बुरा और अ़ज़ाब का सबब है।

6. जुर्म एक क़िबती के क़त्ल का, जिसका क़िस्सा सूरः क़सस् में आएगा।

1. कुल मिलाकर दावत का हासिल अल्लाह तआ़ला और बन्दों के हुक़ूक़ में ज़ुल्म व ज़्यादती का छोड़ना है।

2. जवाब का ख़ुलासा यह है कि मैं पैग़म्बर की हैसियत से आया हूँ। जिसमें दबने की कोई वजह नहीं, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 666 पर)**

उनके भाई को (थोड़ी) मोहलत दीजिए और शहरों में चपरासियों को (हुक्मनामे देकर) भेज दीजिए **(36)** कि वे (सब शहरों से) सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाज़िर कर दें। **(37)** ग़रज़ वे जादूगर एक मुक़र्ररा दिन के ख़ास वक़्त पर[1] जमा किए गए। **(38)** और फिर (फ़िरऔन की तरफ़ से) लोगों को यह इश्तिहार दिया गया कि क्या तुम लोग जमा होगे? (यानी जमा हो जाओ) **(39)** ताकि अगर जादूगर ग़ालिब आ जाएँ तो हम उन्हीं की राह पर रहें। **(40)** फिर जब वे जादूगर (फ़िरऔन की पेशी में) आए तो फ़िरऔन से कहने लगे कि अगर हम (मूसा पर) ग़ालिब आ गए तो क्या हमको कोई बड़ा सिला (और इनाम) मिलेगा? **(41)** फ़िरऔन ने कहा, हाँ! और (उसपर ज़ायद यह कि) तुम उस सूरत में (हमारे) क़रीबी लोगों में दाख़िल हो जाओगे।[2] **(42)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उनसे फ़रमाया कि तुमको जो कुछ डालना हो (मैदान में) डालो। **(43)** सो उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ[3] डालीं और कहने लगे कि फ़िरऔन के इक़्बाल "यानी बुलन्दी और इ़ज़्ज़त" की क़सम बेशक हम ही ग़ालिब आएँगे। **(44)** फिर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी लाठी डाली, सो डालने के साथ ही (अज़्दहा बनकर) उनके तमाम-के-तमाम बनाए हुए धन्धे को निगलना शुरू कर दिया। **(45)** सो (यह देखकर) जादूगर (ऐसे मुतास्सिर हुए कि) सब सज्दे में गिर पड़े। **(46)** (और पुकार-पुकारकर) कहने लगे कि हम ईमान ले आए रब्बुल आ़लमीन पर। **(47)** जो मूसा और हारून का भी रब है।[4] **(48)** फ़िरऔन कहने लगा कि हाँ, तुम मूसा पर ईमान ले आए बिना इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, ज़रूर (मालूम होता है कि) यह (जादू में) तुम सबका उस्ताद है, जिसने तुमको जादू सिखाया है।[5] सो अब तुमको हक़ीक़त मालूम हुई जाती है। (और वह यह है कि) मैं तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव काटूँगा, और तुम सबको सूली पर लटकाऊँगा (ताकि औरों को सबक़ मिले)। **(49)** उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हर्ज नहीं, हम अपने मालिक के पास जा पहुँचेंगे। **(50)** (और) हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवर्दिगार हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, इस वजह से कि हम (इस मौक़े पर हाज़िरीन में से) सबसे पहले ईमान लाए हैं। **(51)** ❖

और हमने मूसा को हुक्म भेजा कि मेरे (उन) बन्दों को रातों-रात (मिस्र से बाहर) निकाल ले जाओ, (और फ़िरऔन की जानिब से) तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। **(52)** फ़िरऔन ने (पीछा करने की तदबीर के लिए आस-पास के) शहरों में चपरासी दौड़ा दिए। **(53)** (और यह कहला भेजा) कि ये लोग (यानी बनी इस्राईल हमारे मुक़ाबले में) थोड़ी-सी जमाअ़त है। **(54)** और उन्होंने हमको बहुत ग़ुस्सा दिलाया है। **(55)** और हम सब एक हथियारों से लेस जमाअ़त (और बाक़ायदा फ़ौज) हैं। **(56)** ग़रज़ हमने उनको बाग़ों से

(पृष्ठ 664 का शेष) और पैग़म्बरी उस ग़लती से क़त्ल हो जाने के मनाफ़ी नहीं। क्योंकि वह क़त्ल ग़लती से था, जो नुबुव्वत की मलाहियत में फ़तूर डालने वाला नहीं और इस्तेदाद व सलाहियत के बाद उसका हो जाना कुछ बईद नहीं।

3. कि उनके लड़कों को क़त्ल करता था, जिसके ख़ौफ़ से मैं सन्दूक़ में रखकर दरिया में डाला गया और तेरे हाथ लग गया, और तेरी परवरिश में रहा। तो उस परवरिश की असल वजह तो तेरा ज़ुल्म ही है। तो ऐसी परवरिश का क्या एहसान जतलाया जाता है, बल्कि उससे तो तुझे अपनी नामाक़ूल हरकतों को याद करके शरमाना चाहिए। मगर याद रहे कि परवरिश का एहसान जतलाने का जवाब देने से एहसान मानने की नफ़ी मक़सूद नहीं, बल्कि एहसान जतलाने की नफ़ी मक़सूद है, जो उमूमन बुरी और नापसन्दीदा है और ख़ुसूसन जबकि उस एहसान का सबब उस एहसान के दावेदार का ज़ुल्म व ज़्यादती हो।

4. मतलब यह कि हक़ीक़त से उसकी मअ़रिफ़त और पहचान नहीं हो सकती। जब सवाल होगा, सिफ़तों ही से जवाब मिलेगा।

1. मुक़र्ररा दिन से "यौमुज़्ज़ीनत" और ख़ास वक़्त से सूरज चढ़े का वक़्त मुराद है, जैसा कि सूरः ता-हा के शुरू रुकूअ़ में इसका मुक़ाबले के लिए मुतैयन होना ज़िक्र किया गया है। यानी उस वक़्त के क़रीब तक सब जमा कर लिए गए और फ़िरऔन को जमा होने की इत्तिला की गई।

2. ग़रज़ इस गुफ़्तगू के बाद मुक़ाबले की जगह पर आए और दूसरी तरफ़ मूसा अ़लैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुक़ाबला शुरू हुआ। जादूगरों ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी लाठी पहले डालिएगा या हम डालें? आपने फ़रमाया कि तुम ही पहले डालो। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 668 पर)**

और चश्मों से "निकाला" **(57)** और ख़ज़ानों से और उम्दा मकानात से निकाल बाहर किया। **(58)** (हमने उनके साथ तो) यूँ किया, और उनके बाद बनी इस्राईल को उनका मालिक बनाया। **(59)** ग़रज़ सूरज निकलने के वक़्त उनको पीछे से जा लिया। **(60)**[1] फिर दोनों जमाअ़तें (आपस में ऐसी क़रीब हुईं कि) एक-दूसरे को देखने लगीं, तो मूसा के साथ वाले (घंबराकर) कहने लगे कि (ऐ मूसा!) बस हम तो हाथ आ गए। **(61)** (मूसा अ़लैहि. ने) फ़रमाया हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझको (दरिया से निकलने का) अभी रास्ता बतला देगा। **(62)**[2] फिर हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो, चुनाँचे (उन्होंने उसपर लाठी मारी, जिससे) वह (दरिया) फट गया,[3] और हर हिस्सा इतना (बड़ा) था जैसा बड़ा पहाड़।[4] **(63)** और हमने दूसरे फ़रीक़ को भी उस जगह के क़रीब पहुँचा दिया।[5] **(64)** और (क़िस्से का अन्जाम यह हुआ कि) हमने मूसा को और उनके साथ वालों को सबको बचा लिया। **(65)** फिर दूसरों को ग़र्क़ कर दिया। **(66)** (और) इस वाक़िए में (भी) बड़ी इबरत है, और (बावजूद इसके) उन (काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। **(67)** और आपका रब बड़ा ज़बरदस्त है, (और) बड़ा मेहरबान है। **(68)** ❖

और आप उन लोगों के सामने इब्राहीम (अ़लैहि.) का क़िस्सा बयान कीजिए। **(69)** जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो। **(70)** उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत किया करते हैं, (और) हम उन्ही की (इबादत) पर जमे बैठे रहते हैं। **(71)** (इब्राहीम अ़लैहि. ने) फ़रमाया कि क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इनको पुकारा करते हो? **(72)** या ये तुमको कुछ नफ़ा पहुँचाते हैं, या ये तुमको कुछ नुक़सान पहुँचा सकते हैं? **(73)** उन लोगों ने कहा कि (इनकी इबादत करने की यह वजह तो) नहीं, बल्कि हमने अपने बड़ों को इसी तरह करते देखा है। **(74)** (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि भला तुमने उनको (ग़ौर से) देखा भी जिनकी तुम इबादत किया करते हो। **(75)** तुम भी और तुम्हारे पुराने बड़े भी **(76)** कि ये (जिनकी इबादत की जा रही है) मेरे (यानी तुम्हारे) लिए नुक़सान का सबब हैं, मगर हाँ रब्बुल आ़लमीन (की इबादत पूरी तरह नफ़ा देने वाली है) **(77)** जिसने मुझको (और इसी तरह सबको) पैदा किया, फिर वही मुझको (मेरी मस्लहतों की तरफ़) रहनुमाई करता है। **(78)** और जो कि मुझको खिलाता-पिलाता है। **(79)** और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझको शिफ़ा देता है। **(80)** और जो मुझको (वक़्त पर) मौत देगा। फिर (क़ियामत के दिन) मुझको ज़िन्दा करेगा। **(81)** और जिससे मुझको यह उम्मीद है कि मेरे ग़लतियों को[6] क़ियामत के दिन माफ़ कर देगा। **(82)** ऐ मेरे रब! मुझको हिक्मत अ़ता फ़रमा

(पृष्ठ 666 का शेष) **3.** जो जादू के असर से साँप मालूम होती थीं।

4. उम्मीद के ख़िलाफ़ यह अन्जाम देखकर फ़िरऔ़न बहुत घबराया कि कहीं ऐसा न हो कि सारी रिआ़या और पब्लिक ही मुसलमान हो जाए। तो एक बात बनाकर नाराज़गी के तौर पर जादूगरों से कहने लगा।

5. और तुम इसके शागिर्द हो, इसलिए आपस में खुफ़िया साज़िश कर ली है कि तुम यूँ करना हम यूँ करेंगे, फिर इस तरह हार-जीत ज़ाहिर करेंगे, ताकि क़िब्तियों से हुकूमत छीनकर ख़ूब मज़े के साथ ख़ुद हुकूमत करो।

1. यानी क़रीब पहुँच गए। उस वक़्त बनी इस्राईल दरिया-ए-क़ुल्ज़ुम से उतरने की फ़िक्र में थे कि क्या सामान करें।

2. क्योंकि मूसा अ़लैहिस्सलाम से हक़ तआ़ला ने फ़रमा दिया था कि उनके लिए दरिया में (लाठी मारकर) ख़ुश्क रास्ता बना देना। फिर तुमको न तो फ़िरऔ़न के आ पकड़ने का ख़ौफ़ होगा और न (डूब जाने का) डर। पस मूसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के इस वायदे पर मुत्मइन थे। लेकिन उनकी क़ौम इस वायदे का इल्म न रखने के सबब परेशान थी।

3. यानी पानी कई जगह से इधर-उधर हटकर बीच में अनेक सड़कें खुल गईं।

4. बनी इस्राईल अमन व इत्मीनान के साथ दरिया से पार हो गए।

5. फ़िरऔ़न और फ़िरऔ़नी भी दरिया के नज़दीक पहुँचे। दरिया उस वक़्त उसी हाल पर ठहरा हुआ था, इसलिए फ़िरऔ़न ने खुले हुए रास्तों को ग़नीमत समझा। आगा-पीछा कुछ न सोचा, सारे लश्कर को लेकर अन्दर घुस गया। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 670 पर)**

और (अपनी निकटता के दर्जों में) मुझको (आला दर्जे के) नेक लोगों में शामिल फ़रमा।[1] **(83)** और मेरा ज़िक्र आगे आने वालों में जारी रख। **(84)** और मुझको जन्नतुन्-नअ़ीम के हक़दारों में से कर। **(85)** और मेरे बाप (को ईमान की तौफ़ीक़ देकर उस) की मग़्फ़िरत फ़रमा, कि वह गुमराह लोगों में है। **(86)** और जिस दिन सब ज़िन्दा होकर उठेंगे उस दिन मुझको रुस्वा न करना। **(87)** उस दिन में कि (नजात के लिए) न माल काम आएगा और न औलाद।[2] **(88)** मगर हाँ, (उसकी नजात होगी) जो अल्लाह तआ़ला के पास (कुफ़्र व शिर्क से) पाक दिल लेकर आएगा। **(89)** और (उस दिन) ख़ुदा से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के लिए जन्नत नज़दीक कर दी जाएगी। **(90)** और गुमराहों (यानी काफ़िरों) के लिए दोज़ख़ सामने ज़ाहिर की जाएगी। **(91)** और (उस दिन) उनसे कहा जाएगा कि वे माबूद कहाँ गए जिनकी तुम इबादत करते थे **(92)** अल्लाह के अ़लावा। क्या (इस वक़्त) वे तुम्हारा साथ दे सकते हैं या अपना ही बचाव कर सकते हैं। **(93)** फिर (यह कहकर) वे (माबूद) और गुमराह लोग **(94)** और शैतान का लश्कर सब के सब दोज़ख़ में औंधे मुँह डाल दिए जाएँगे। **(95)** वे काफ़िर दोज़ख़ में गुफ़्तगू करते हुए (उन माबूदों से) कहेंगे **(96)** कि अल्लाह की क़सम! बेशक हम खुली गुमराही में थे। **(97)** जबकि तुमको (इबादत में) रब्बुल आ़लमीन के बराबर करते थे। **(98)** और हमको तो बस इन बड़े मुजरिमों ने (जो कि गुमराही की बुनियाद रखने वाले थे) गुमराह किया। **(99)** सो (अब) न कोई हमारा सिफ़ारशी है (कि छुड़ा ले) **(100)** और न कोई मुख़्लिस दोस्त है (कि ख़ाली दिल को तसल्ली ही दे) **(101)** सो क्या अच्छा होता कि हमको (दुनिया में) फिर वापस जाना मिलता ताकि हम मुसलमान हो जाते।[3] **(102)** बेशक इस वाक़िए में (भी हक़ के तालिबों के लिए) एक बड़ी इबरत है, और (बावजूद इसके) उन (मक्का के मुश्रिकों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। **(103)** बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त, रहमत वाला है। **(104)** ❖

नूह की क़ौम ने पैग़म्बरों को झुठलाया।[4] **(105)** जबकि उनसे उनकी बिरादरी के भाई नूह ने फ़रमाया कि क्या तुम (अल्लाह तआ़ला से) नहीं डरते। **(106)** मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। **(107)** सो (इसका तक़ाज़ा यह है कि) तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। **(108)** और (साथ ही यह कि) मैं तुमसे कोई (दुनियावी) सिला नहीं माँगता, मेरा सिला तो बस रब्बुल आ़लमीन के ज़िम्मे है। **(109)** सो (मेरी इस बेग़रज़ी का मुक़्तज़ा भी यह है कि) तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। **(110)** वे लोग कहने लगे कि क्या हम तुमको मानेंगे हालाँकि रज़ील "यानी समाजी तौर पर कमज़ोर व कम दर्जे के" लोग तुम्हारे साथ हो लिए हैं।[5] **(111)** नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि उनके (पेशे और) काम से मुझको क्या बहस **(112)**

(पृष्ठ 668 का शेष) अब दरिया का पानी चारों तरफ़ से सिमटना शुरू हुआ और फ़िरऔ़न का सारा लश्कर ग़र्क़ हो गया।

6. इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह की ये सिफ़तें इसलिए सुनाईं कि ख़ुदा तआ़ला की इबादत की रग़बत हो, और "ख़ती-अती" से मुराद ख़िलाफ़े औला (यानी ना-मुनासिब) है वरना अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम गुनाहों से क़तई तौर पर पाक थे।

1. शामिल फ़रमाने से मरतबे की ज़्यादती और नेक लोगों के साथ खुसूसी निकटता मुराद है।

2. इससे कोई शख़्स यह शुब्हा न करे कि मोमिनों को तो वह माल जिसको सदक़ा किया हो, और वह औलाद जो नेक हो या नाबालिग़ मर गई हो, नफ़ा देती है। बात यह है कि नफ़े का इनकार उनकी ज़ात के एतिबार से है, और मोमिन के लिए नफ़ा देने वाला होना नेक अ़मल के मिल जाने यानी सब्र और सदक़े की वजह से है, पस इस जवाब की हाजत नहीं कि यह नफ़ा न पहुँचना काफ़िरों के लिए मख़्सूस है।

3. यहाँ तक इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की तक़रीर है। उसके बाद ख़ुदा तआ़ला फ़रमाता है।

4. क्योंकि एक पैग़म्बर को झुठलाने से तमाम नबियों का झुठलाना लाज़िम आता है।

5. जिनकी मुवाफ़क़त से शरीफ़ और बड़े लोगों को शर्म आती है, और यह भी कि अक्सर ऐसे कम-हौसला लोगों की ग़रज़ भी माल का हासिल करना या बुलन्दी व तरक़्क़ी पाना हुआ करता है, ये लोग भी दिल से ईमान नहीं लाए।

उनसे हिसाब क़िताब लेना बस ख़ुदा का काम है। क्या ख़ूब हो कि तुम इसको समझो। **(113)** और मैं ईमान वालों को दूर करने वाला नहीं हूँ। **(114)** मैं तो साफ़ तौर पर एक डराने वाला हूँ।[1] **(115)** वे लोग कहने लगे कि अगर तुम (इस कहने-सुनने से) ऐ नूह! बाज़ न आओगे तो ज़रूर संगसार कर दिए जाओगे। **(116)** नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने[2] दुआ़ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! (मेरी क़ौम) मुझको (बराबर) झुठला रही है। **(117)** सो आप मेरे और उनके दरमियान में एक (अ़मली) फ़ैसला कर दीजिए,[3] और मुझको और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उनको (उस हलाकत से) नजात दीजिए। ● **(118)** तो हमने (उनकी दुआ़ क़बूल की और) उनको और जो उनके साथ भरी कश्ती में (सवार) थे उनको नजात दी। **(119)** फिर उसके बाद हमने बाक़ी लोगों को डुबू दिया। **(120)** इस (वाक़िए) में (भी) बड़ी इबरत है, और (बावजूद इसके) उन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। **(121)** और बेशक आपका रब ज़बरदस्त (और) मेहरबान है। **(122)** ❖

क़ौमे आ़द ने पैग़म्बरों को झुठलाया। **(123)** जबकि उनसे उन (की बिरादरी) के भाई हूद ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो? **(124)** मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। **(125)** सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। **(126)** और मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कोई सिला नहीं माँगता, बस मेरा सिला तो रब्बुल आ़लमीन के ज़िम्मे है। **(127)** क्या तुम हर ऊँचे मक़ाम पर एक यादगार (के तौर पर इमारत) बनाते हो, जिसको महज़ फ़ुज़ूल (बिला ज़रूरत) बनाते हो। **(128)** और बड़े-बड़े महल बनाते हो, जैसे दुनिया में तुमको हमेशा रहना है।[4] **(129)** और जब किसी की पकड़-धकड़ करने लगते हो तो बिलकुल जाबिर (और ज़ालिम) बनकर पकड़ करते हो।[5] **(130)** सो तुम (को चाहिए कि) अल्लाह तआ़ला से डरो, और (चूँकि मैं रसूल हूँ इसलिए) मेरी इताअ़त करो। **(131)** और उस (अल्लाह) से डरो जिसने तुम्हारी उन चीज़ों से इम्दाद की जिनको तुम जानते हो **(132)** (यानी) मवेशी और बेटों **(133)** और बाग़ों और चश्मों से तुम्हारी इम्दाद की।[6] **(134)** (अगर तुम इन हरकतों से बाज़ न आए तो) मुझको तुम्हारे हक़ में एक बड़े सख़्त दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा है। **(135)** वे लोग बोले कि हमारे नज़दीक तो दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम नसीहत करो और चाहे नसीहत करने वाले मत बनो। **(136)** यह तो बस अगले लोगों की एक (मामूली) आ़दत (और रस्म) है। **(137)** और (तुम जो हमको अ़ज़ाब से डराते हो तो) हमको हरगिज़ अ़ज़ाब न होगा। **(138)** ग़रज़ उन लोगों ने हूद (अ़लैहिस्सलाम) को झुठलाया तो हमने उनको (आँधी के अ़ज़ाब से) हलाक कर दिया, बेशक

1. और तब्लीग़ से मेरा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। आगे अपना नफ़ा व नुक़सान तुम देख लो।
2. ग़रज़ लम्बी मुद्दत इसी तरह से गुज़र गई तो नूह अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ की।
3. यानी उनको हलाक कर दीजिए।
4. यानी ऐसे लम्बे-चौड़े और बुलन्द व मज़बूत मकानात और महल यादगार और निशानियाँ बनाना उस वक़्त मुनासिब थे कि दुनिया में हमेशा रहना होता, तो यह ख़्याल होता कि लम्बे-चौड़े मकान बनाओ ताकि आने वाली नस्ल में तंगी न हो, क्योंकि हम भी रहेंगे और वे भी होंगे। और ऊँचे और बुलन्द भी बनाओ ताकि नीचे जगह न रहे तो ऊपर रहने लगें।
5. इन बुरे अख़्लाक़ का इसलिए बयान किया गया कि ये बुरे अख़्लाक़ अक्सर ईमान व इताअ़त के लिए रुकावट हो जाते हैं, और चूँकि शिर्क और बुरे अख़्लाक़ अल्लाह की नाराज़ी और अ़ज़ाब दिए जाने का सबब हैं, इसलिए तुमको चाहिए कि अल्लाह से डरो।
6. तो नेमतें देने वाला होने का तक़ाज़ा यह है कि उसके अहकाम की बिलकुल भी मुख़ालफ़त न की जाए।

इस (वाक़िए) में भी बड़ी इबरत है, और (बावजूद इसके) उनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। **(139)** और बेशक आपका रब ज़बरदस्त (और) मेहरबान है।[1] **(140)** ❖

क़ौमे समूद ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया। **(141)** जबकि उनसे उनके भाई सालेह (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया, क्या तुम (अल्लाह तआ़ला से) नहीं डरते। **(142)** मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। **(143)** सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअ़त करो। **(144)** और मैं तुमसे इसपर कुछ सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल आ़लमीन के ज़िम्मे है।[2] **(145)** क्या तुमको इन्ही चीज़ों में बेफ़िक्री से रहने दिया जाएगा जो यहाँ (दुनिया में) मौजूद हैं। **(146)** यानी बाग़ों में और चश्मों में **(147)** और खेतों और उन खजूरों में जिनके गुफ्फे ख़ूब गूँधे हुए हैं।[3] **(148)** और क्या (इसी ग़फ़लत की वजह से) तुम पहाड़ों को तराश-तराशकर इतराते हो (और फ़ख़्र करते हुए) मकान बनाते हो। **(149)** सो अल्लाह तआ़ला से डरो और मेरा कहना मानो। **(150)** और इन (बन्दगी) की हदों से निकल जाने वालों का कहना मत मानो **(151)** जो सरज़मीन में फ़साद किया करते हैं और (कभी) सुधार (की बात) नहीं करते।[4] **(152)** उन लोगों ने कहा कि तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है।[5] **(153)** तुम बस हमारी ही तरह के एक (मामूली) आदमी हो, (और आदमी नबी होता नहीं) सो कोई मोजिज़ा पेश करो अगर तुम सच्चे हो। **(154)** सालेह ने फ़रमाया कि यह एक ऊँटनी है[6] पानी पीने के लिए एक बारी इसकी है और एक मुक़र्ररा दिन में एक बारी तुम्हारी। (यानी तुम्हारे मवेशियों की)[7] **(155)** और इसको बुराई (तकलीफ़ देने की नीयत) के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको एक भारी दिन का अ़ज़ाब आ पकड़े। **(156)** सो उन्होंने[8] उस ऊँटनी को मार डाला, फिर (अपनी हरकत पर) शर्मिन्दा हुए।[9] **(157)** फिर (आख़िर) अ़ज़ाब ने उनको आ लिया, बेशक इस (वाक़िए) में बड़ी इबरत है। और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। **(158)** और बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त, बहुत मेहरबान है (कि बावजूद कुदरत के मोहलत देता है)। **(159)** ❖

लूत की क़ौम ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया। **(160)** जबकि उनसे उनके भाई[10] लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो। **(161)** मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। **(162)** सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअ़त करो। **(163)** और मैं तुमसे इसपर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला

---

1. कि अ़ज़ाब देने पर भी क़ादिर है और अपनी रहमत से मोहलत भी दे रखी है।
2. और तुम जो ऐश व आराम की बदौलत अल्लाह से इस दर्जा ग़ाफ़िल हो तो (आगे देखो तर्जुमा)
3. जिनमें ख़ूब कसरत से फल आता है।
4. मुराद काफ़िरों के सरदार हैं जो लोगों को गुमराही पर तैयार करते थे। फ़साद फैलाने और सुधार न करने से यही मुराद है।
5. जिससे तुम्हारी अ़क़्ल में फ़तूर आ गया है कि वह्य और नुबुव्वत का दावा करते हो।
6. जो ख़िलाफ़े आ़दत पैदा होने की वजह से मोजिज़ा है। जैसे आठवे पारः के ख़त्म के क़रीब गुज़रा। और इसके अ़लावा कि यह मेरी रिसालत पर एक दलील है खुद इसके भी कुछ हुक़ूक़ हैं। चुनाँचे उनमें से एक यह है कि (आगे देखो तर्जुमा)
7. पानी की बारी इस तरह थी कि एक दिन ऊँटनी का और एक दिन दूसरे जानवरों का। जब ऊँटनी की बारी का दिन होता तो वह तमाम पानी पी जाती, और उस दिन न दूसरे जानवरों को पानी मिलता न आदमियों को, और यह बात उन लोगों को नागवार हुई और उस ऊँटनी के दुश्मन हो गए। हदीसों से मालूम होता है कि वहाँ एक कुआँ था जिसमें यह बारी थी।
8. न रिसालत की तस्दीक़ की न ऊँटनी के हुक़ूक़ अदा किए। बल्कि (आगे देखो तर्जुमा)
9. मगर अव्वल तो अ़ज़ाब के देखने के वक़्त शर्मिन्दगी बेकार है, दूसरे ख़ाली तबई शर्मिन्दगी से क्या होता है जब तक इख़्तियारी तलाफ़ी यानी तौबा और ईमान न हो।
10. रूहुल-मअ़ानी में सूरः क़ाफ़ की तफ़सीर में लिखा है कि ये लोग नसबी भाई न थे, मजाज़न भाई कह दिया, ससुराली रिश्तेदार थे। क्योंकि लूत अ़लैहिस्सलाम हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए थे, आपकी बिरादरी के लोग (यानी हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम के ख़ानदान वाले) यहाँ आपके साथ मौजूद न थे।

तो रब्बुल आ़लमीन के ज़िम्मे है। **(164)** क्या तमाम दुनिया जहान वालों में से तुम (यह हरकत करते हो कि) मर्दों से बदफ़ेली करते हो। **(165)** और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की हैं उनको नज़र अन्दाज़ किए रहते हो।[1] बल्कि (असल बात यह है कि) तुम (इनसानियत की) हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। **(166)** वे कहने लगे कि ऐ लूत! अगर तुम (हमको कहने-सुनने से) बाज़ नहीं आओगे तो ज़रूर (बस्ती से) निकाल दिए जाओगे। **(167)** लूत (अ़लैहि.) ने फ़रमाया[2] कि मैं तुम्हारे इस काम से सख़्त नफ़रत रखता हूँ।[3] **(168)** (हज़रत) लूत ने दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! मुझको और मेरे (ख़ास) मुताल्लिक़ीन को उनके इस काम (के वबाल) से नजात दे। **(169)** सो हमने उनको और उनके मुताल्लिक़ीन को सबको नजात दी **(170)** सिवाय एक बुढ़िया के,[4] वह (अ़ज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई।[5] **(171)** फिर हमने और सबको हलाक कर दिया। **(172)** और हमने उनपर एक ख़ास क़िस्म की (यानी पत्थरों की) बारिश बरसाई, सो क्या बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी जिनको (अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब से) डराया गया था। **(173)** बेशक इस (वाक़िए) में (भी) इबरत है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। **(174)** और बेशक आपका परवर्दिगार बड़ी क़ुदरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। **(175)** ❖

ऐका वालों ने (भी जिनका ज़िक्र सूरः हिज्र के आख़िर में गुज़रा है) पैग़म्बरों को झुठलाया। **(176)** जबकि उनसे शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो। **(177)** मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। **(178)** सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। **(179)** और मैं तुमसे इसपर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल आ़लमीन के ज़िम्मे है। **(180)** तुम लोग पूरा नापा करो, और (हक़ वाले का) नुक़सान मत किया करो। **(181)** और (इसी तरह तौलने की चीज़ों में) सीधी तराज़ू से तौला करो।[6] **(182)** और लोगों का उनकी चीज़ों में नुक़सान मत किया करो, और सरज़मीन में फ़साद मत मचाया करो। **(183)** और उस (ख़ुदा-ए-क़ादिर) से डरो जिसने तुमको और तमाम अगली मख़्लूक़ात को पैदा किया। **(184)** वे लोग कहने लगे कि बस तुमपर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है। **(185)** और तुम तो महज़ हमारी तरह (के) एक (मामूली) आदमी हो, और हम तो तुमको झूठे लोगों में से ख़्याल करते हैं। **(186)** सो अगर तुम सच्चों में से हो तो हमपर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो।[7] **(187)** शुऐब ने कहा कि[8] तुम्हारे आमाल को मेरा रब (ही) ख़ूब जानता है। **(188)** सो वे लोग (बराबर) उनको झुठलाया किए, फिर उनको सायबान[9] के वाक़िए ने आ पकड़ा, बेशक वह बड़े सख़्त दिन का अ़ज़ाब था। **(189)** (और) इस (वाक़िए) में (भी) बड़ी इबरत है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग

1. यानी और कोई आदमी तुम्हारे सिवा यह हरकत नहीं करता, और यह नहीं है कि उसके बुरा होने में कुछ छुपी हुई बात है।
2. तुम्हारी यह धमकी मुझको हक़ कहने से बाज़ नहीं रख सकती। क्योंकि (आगे देखो तर्जुमा)
3. तो कहना कैसे छोड़ दूँगा। जब उन लोगों ने किसी तरह न माना और अ़ज़ाब आता मालूम हुआ तो (आगे देखो तर्जुमा)
4. इससे लूत अ़लैहिस्सलाम की बीवी मुराद है।
5. अ़ज़ाब में रह जाना इसलिए था कि वह काफ़िरा थी, इसलिए रात को लूत अ़लैहिस्सलाम के साथ शहर से न निकली।
6. यानी डन्डी न मारा करो, न बाटों में फ़र्क़ किया करो।
7. ताकि हमको मालूम हो जाए कि वाक़ई तुम नबी थे। तुम्हारे झुठलाने से हमको यह सज़ा हुई।
8. मैं अ़ज़ाब का लाने वाला या उसकी कैफ़ियत को मुतैयन करने वाला कौन होता हूँ।
9. 'सायबान का अ़ज़ाब' जैसा कि तफ़सीर दूर्रे मन्सूर में रिवायत किया गया है, यह था कि पहले उन लोगों पर गर्मी मुसल्लत हुई। फिर एक बादल ज़ाहिर हुआ जिससे ठन्डी हवा आती थी। सब लोग उसके नीचे जमा हो गए। उसमें से आग बरसना शुरू हुई और सब जल गए।

ईमान नहीं लाते। **(190)** और बेशक आपका रब बड़ी क़ुव्वत वाला और बड़ी रहमत वाला है। **(191)** ❖

और यह क़ुरआन रब्बुल आ़लमीन का भेजा हुआ है। **(192)** इसको अमानत दार फ़रिश्ता लेकर आया है **(193)** आपके दिलपर ताकि आप (भी) अन्य डराने वालों में से हों **(194)** साफ़ अ़रबी ज़बान में "नाज़िल किया" **(195)** और इस (क़ुरआन) का ज़िक्र पहली उम्मतों की (आसमानी) किताबों में (भी) है।[1] **(196)** क्या उन लोगों के लिए यह बात दलील नहीं है कि इस (पैशीनगोई) को बनी इस्राईल के उलमा जानते हैं।[2] **(197)** और अगर (फ़र्ज़ करो) हम इस (क़ुरआन) को किसी अ़ज्मी (ग़ैर-अ़रबी) पर नाज़िल कर देते **(198)** फिर वह (ग़ैर-अ़रबी) उनके सामने इसको पढ़ भी देता, ये लोग (अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी और बैर की वजह से) तब भी इसको न मानते। **(199)** हमने इसी तरह (सख़्ती और इसरार के साथ) इस ईमान न लाने को उन नाफ़रमानों के दिलों में डाल रखा है।[3] **(200)** ये लोग इस (क़ुरआन) पर ईमान न लाएँगे जब तक कि सख़्त अ़ज़ाब को (मरने के वक़्त या बरज़ख़ में या आख़िरत में) न देख लेंगे। **(201)** जो अचानक उनके सामने आ खड़ा होगा, और उनको (पहले से) ख़बर भी न होगी। **(202)** फिर (उस वक़्त जान को बनेगी) कहेंगे कि क्या (किसी तौर पर) हमको (कुछ) मोहलत मिल सकती है।[4] **(203)** क्या (हमारी डाँट और धमकियों को सुनकर) ये लोग हमारे अ़ज़ाब का जल्द आना चाहते हैं।[5] **(204)** ऐ मुख़ातब! ज़रा बतलाओ तो अगर हम उनको चन्द साल तक ऐश में रहने दें, **(205)** फिर जिस (अ़ज़ाब) का उनसे वायदा है वह उनके सर पर आ पड़े, **(206)** तो उनका वह ऐश किस काम आ सकता है।[6] **(207)** और जितनी बस्तियाँ (इनकार करने वालों की) हमने (अ़ज़ाब से) ग़ारत की हैं सबमें डराने वाले (पैग़म्बर) आए। **(208)** (जब न माना तो अ़ज़ाब नाज़िल हुआ) नसीहत के वास्ते, "यानी पैग़म्बर नसीहत के वास्ते आए" और हम (बज़ाहिर देखने में भी) ज़ालिम नहीं हैं। **(209)** और इस (क़ुरआन) को शैतान (जो काहिनों के पास आया करते थे) लेकर नहीं आए। **(210)** और यह उन (की हालत) के मुनासिब ही नहीं, और वे इसपर क़ादिर भी नहीं। **(211)** क्योंकि वे शयातीन (आसमानी वह्य) सुनने से रोक दिए गए हैं। **(212)** सो (ऐ पैग़म्बर!) तुम अल्लाह के साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना, कभी तुमको सज़ा होने लगे।[7] **(213)** और (इस मज़मून से) आप (सबसे पहले) अपने नज़दीक के कुन्बे को डराइए।[8] **(214)** और उन लोगों के साथ (तो शफ़्क़त भरी) इन्किसारी से पेश आइए जो मुसलमानों में दाख़िल होकर आपकी राह पर चलें। **(215)** और अगर ये लोग (जिनको आपने डराया है) आपका कहा न मानें तो आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे फ़ेलों से बेज़ार हूँ। **(216)** और आप

---

1. कि एक ऐसी-ऐसी शान का पैग़म्बर होगा और उसपर ऐसा कलाम नाज़िल होगा, चुनाँचे तफ़सीरे हक़्क़ानी के इस मक़ाम के हाशियों में चन्द ख़ुशख़बरियाँ नक़्ल की हैं। आगे इस मज़मून "व इन्नहू लफ़ी ज़ुबुरिल् अव्वली-न" की वज़ाहत है।

2. चुनाँचे उनमें जो लोग इस्लाम ले आए हैं तो वे ऐलानिया इसका एतिराफ़ करते हैं, और जो इस्लाम नहीं लाए वे भी ख़ास-ख़ास लोगों के सामने इसका इक़रार करते हैं।

3. यानी कुफ़्र में सख़्त हैं और उसपर अड़े हुए हैं।

4. लेकिन वह वक़्त न मोहलत का है न ईमान के क़बूल करने का।

5. यानी सच्ची ख़बर देने वाले के दलीलें क़ायम करने के बावजूद फिर भी इनकार करते हैं।

6. यानी यह ऐश जो मोहलत देने के तौर पर है, अ़ज़ाब में कमीं करने तक में तो मुअस्सिर है नहीं, फिर अ़ज़ाब के न होने में इसको क्या दख़्ल होता। पस उनका यह दलील पकड़ना बिलकुल बेकार है।

7. हालाँकि आप में 'अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे' न शिर्क का एहतिमाल न अ़ज़ाब दिए जाने का। पस जब आपके एतिबार से भी इन दोनों में लाज़िमियत का हुक्म किया जाता है तो और बेचारे तो किस गिनती में हैं, शिर्क से उनको कैसे मना न किया जाएगा, और शिर्क करके अ़ज़ाब से क्योंकर बचेंगे।

8. चुनाँचे आपने सबको पुकारकर जमा किया और शिर्क पर अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया, जैसा कि हदीसों में है।

ख़ुदा-ए-क़ादिर रहीम पर भरोसा रखिए। **(217)** जो आपको जिस वक़्त कि आप (नमाज़ के लिए) खड़े होते हैं **(218)** और (तथा नमाज़ शुरू करने के बाद) नमाज़ियों के साथ आपके उठने-बैठने को देखता है। **(219)** वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है।[1] **(220)** (ऐ पैग़म्बर! लोगों से कह दीजिए कि) क्या मैं तुमको बतला दूँ शैतान किसपर उतरा करते हैं। **(221)** (सुनो!) ऐसे शख़्सों पर उतरा करते हैं जो (पहले से) झूठ बोलने वाले, बड़े बद-किरदार हों। **(222)** और जो (शैतानों की ख़बरें सुनने के लिए) कान लगा देते हैं, और वे कसरत से झूठ बोलते हैं। **(223)** और शायरों की राह तो बेराह लोग चला करते हैं।[2] **(224)** (ऐ मुख़ातब!) क्या तुमको मालूम नहीं कि वे (शायर) लोग (ख़्याली मज़ामीन के) हर मैदान में हैरान फिरा करते हैं **(225)** और ज़बान से वे बातें कहते हैं जो करते नहीं। **(226)** हाँ, मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए,[3] और उन्होंने (अपने शे'रों में) कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया, और उन्होंने उसके बाद कि उनपर ज़ुल्म हो चुका है, (उसका) बदला लिया, और जल्द ही उन लोगों को मालूम हो जाएगा जिन्होंने (अल्लाह के हुक़ूक़ वग़ैरह में) ज़ुल्म कर रखा है कि कैसी जगह उनको लौटकर जाना है।[4] **(227)** ❖

27 सूरः नम्ल 48

सूरः नम्ल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 93 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

[5]तॉ-सीन। ये (आयतें जो आपपर नाज़िल की जाती हैं) आयतें हैं क़ुरआन की, और एक वाज़ेह किताब की।[6] **(1)** ये (आयतें) ईमान वालों के लिए हिदायत (का ज़रिया) और ख़ुशख़बरी सुनाने वाली हैं। **(2)** जो (मुसलमान) ऐसे हैं कि नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और ज़कात देते हैं, और वे आख़िरत पर (पूरा) यक़ीन रखते हैं। **(3)** (यह तो ईमान वालों की सिफ़त है, और) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके (बुरे) आमाल उनकी नज़र में पसन्दीदा कर रखे हैं। सो वे (अपनी इस दोहरी जहालत में हक़ से दूर) भटकते-फिरते हैं। **(4)** ये वे लोग हैं जिनके लिए (मरने के वक़्त भी) सख़्त अ़ज़ाब (होने वाला) है, और वे लोग आख़िरत में (भी) सख़्त घाटे में हैं। (कि कभी नजात न होगी) **(5)** और आपको यक़ीनन एक बड़ी हिक्मत वाले, इल्म वाले की जानिब से क़ुरआने हकीम दिया जा रहा है। ▲ **(6)** (इसलिए आप उनके इनकार से ग़मगीन न होइए, उस वक़्त का क़िस्सा याद कीजिए) जबकि मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं अभी (जाकर) वहाँ से (या तो रास्ते की) कोई ख़बर लाता हूँ या तुम्हारे पास (वहाँ से) आग का शोला (किसी लकड़ी वग़ैरह में लगा हुआ) लाता हूँ ताकि तुम सेंको। **(7)** सो जब उस (आग) के पास पहुँचे तो उनको (अल्लाह की जानिब से) आवाज़ दी गई कि जो इस आग के अन्दर हैं (यानी फ़रिश्ते) उनपर भी बरकत हो और जो इसके पास है (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम) उसपर भी (बरकत हो)[7] और रब्बुल आ़लमीन पाक है।[8] **(8)** ऐ मूसा! बात यह है कि मैं (जो बेकैफ़ियत के कलाम कर रहा हूँ) अल्लाह हूँ,

---

1. पस जब उसको इल्म भी कामिल है, और आप पर मेहरबान भी है, और उसको सब कुछ क़ुदरत भी है तो ज़रूर वह भरोसे के लायक़ है। वह आपको हक़ीक़ी नुक़सान से बचाएगा। और जो भरोसा करने वाले को नुक़सान पहुँचता है, वह देखने में नुक़सान होता है जिसके तहत में हज़ारों फ़ायदे होते हैं, जिनका कभी दुनिया में और कभी आख़िरत में इज़हार होता हैं।

2. मुराद 'राह' से शे'र कहना है। यानी ख़्याली शायराना मज़ामीन को नस्र (गिद्य) या नज़्म (पद्य) के तौर पर कहना उन लोगों का शेवा है, जो तहक़ीक़ के रास्ते से दूर हों। चुनाँचे ख़्याली मज़मून उसको कहते हैं जो तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ हो।

3. यानी शरीअ़त के ख़िलाफ़ न उनका क़ौल है न फ़ेल, यानी उनके शे'रों में बेहूदा मज़ामीन नहीं हैं। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 682 पर)**

ज़बरदस्त, हिक्मत वाला। **(9)** और (ऐ मूसा!) तुम अपनी लाठी (ज़मीन पर) डाल दो, सो जब उन्होंने उसको इस तरह हरकत करते देखा जैसे साँप हो तो पीठ फेर कर भागे, और पीछे मुड़कर भी न देखा। (इरशाद हुआ कि) ऐ मूसा! डरो नहीं, हमारे हुज़ूर में (यानी नुबुव्वत का सम्मान दिए जाने के वक़्त) पैग़म्बर नहीं डरा करते।[1] **(10)** हाँ, मगर जिससे कोई क़ुसूर हो जाए[2] फिर बुराई (हो जाने) के बाद उसकी जगह नेक काम कर ले, (यानी तौबा कर ले) तो मैं मग़्फ़िरत वाला, रहमत वाला हूँ।[3] **(11)** और तुम अपना हाथ अपने गिरेबान के अन्दर ले जाओ (और फिर निकालो), वह बिना किसी ऐब (यानी बिना किसी कोढ़ वग़ैरह की बीमारी) के रोशन होकर निकलेगा, नौ मोजिज़ों में से हैं, (जिनके साथ तुमको) फ़िरऔन और उसकी क़ौम की तरफ़ (भेजा जाता है क्योंकि) वे बड़े हद से निकल जाने वाले लोग हैं **(12)** ग़रज़ उन लोगों के पास जब हमारे (दिए हुए) मोजिज़े पहुँचे (जो) निहायत वाज़ेह (थे) तो वे लोग (उन सबको देखकर भी) बोले, यह खुला जादू है। **(13)** (और) ग़ज़ब तो यह था कि ज़ुल्म और तकब्बुर की राह से उन (मोजिज़ों) के (बिलकुल) मुन्किर हो गए, हालाँकि उनके दिलों ने उनका यक़ीन कर लिया था, सो देखिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन फ़साद फैलाने वालों का।[4] **(14)** ❖

और हमने दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) और सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) को (शरीअ़त और बादशाहत चलाने का) इल्म अ़ता फ़रमाया, और उन दोनों ने (शुक्र अदा करने के लिए) कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए लायक़ हैं, जिसने हमको अपने बहुत-से ईमान वाले बन्दों पर फ़ज़ीलत दी। **(15)** और दाऊद (अ़लैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन) के क़ायम मुक़ाम सुलैमान हुए, और उन्होंने (शुक्र ज़ाहिर करने के लिए) कहा कि ऐ लोगो! हमको परिन्दों की बोली (समझने) की तालीम दी गई है, और हमको (हुकूमत के सामान के मुताल्लिक़) हर क़िस्म की (ज़रूरी) चीज़ें दी गई हैं। वाक़ई यह (अल्लाह तआ़ला का) साफ़ फ़ज़्ल है। **(16)** और सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) के लिए (जो) उनका लश्कर जमा किया गया, उनमें जिन्न भी थे और इनसान भी और परिन्दे भी, (जो किसी बादशाह के ताबे नहीं होते) और (इस कसरत से थे कि) उनको (चलने के वक़्त) रोका जाता था।[5] **(17)** यहाँ तक कि जब चींवटियों के एक मैदान में आए तो एक चींवटी ने (दूसरी चींवटियों से) कहा कि ऐ चींवटियो! अपने-अपने सूराख़ों में जा घुसो, कहीं तुमको सुलैमान और उनका लश्कर बेख़बरी में न कुचल डालें।[6] **(18)** सो सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) उसकी बात से मुस्कुराते हुए हँस पड़े[7] और कहने लगे कि ऐ मेरे रब! मुझको इसपर हमेशगी दीजिए कि मैं नेक काम किया करूँ जिससे आप ख़ुश हों, और मुझको अपनी

(पृष्ठ 680 का शेष) **4.** मुराद इससे जहन्नम है।

5. इस सूरः का असल ख़ुलासा तीन मज़मून हैं- अव्वल वह्य व रिसालत का साबित करना, दूसरे तौहीद, तीसरे आख़िरत का सुबूत और क़ियामत का क़ायम होना और बदला व सज़ा का मिलना।

6. यानी इसमें दो सिफ़तें हैं- क़ुरआन होना और स्पष्ट किताब होना।

7. यह दुआ़ सलाम और बरकत के तौर पर है। जैसे आने के वक़्त आने वाला या जिसके पास आया जाए वह सलाम किया करता है। मगर चूँकि मूसा अ़लैहिस्सलाम जानते न थे कि यह नूर अल्लाह के नूरों में से है, इसलिए ख़ुद सलाम न कर सके तो अल्लाह की तरफ़ से उनको मानूस करने के लिए सलाम इरशाद हुआ।

8. और इस चीज़ के बतलाने के लिए कि यह नूर जो आग की शक्ल में है ख़ुद ज़ाते बारी तआ़ला नहीं, यह इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल आ़लमीन दिशाओं, हदों, मिक़दार और रंगों वग़ैरह से पाक है।

1. इस जुमले से जो कि ऐसा मालूम होता है कि ख़बर दी जा रही है, लेकिन इससे मुराद यह है कि डरना न चाहिए।

2. यानी जिससे कोई ग़लती हो जाए और उस ग़लती व गुनाह को याद करके डरे तो कोई हर्ज नहीं।

3. यह इसलिए फ़रमा दिया कि इस लाठी की शक्ल बदल जाने के मामले से मुत्मइन हो जाने के बाद कहीं क़िबती को क़त्ल कर देने वाले वाक़िए को याद करके परेशान हों। इसलिए इससे भी मुत्मइन फ़रमा दिया ताकि घबराहट जाती रहे।

4. कि दुनिया में डूबने और आख़िरत में आग में जलने की सज़ा पाई। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 684 पर)**

(ख़ास) रहमत से अपने (आला दर्जे के) नेक बन्दों में दाख़िल रखिए। **(19)** और (एक बार यह क़िस्सा हुआ कि) सुलैमान ने परिन्दों की हाज़िरी ली,[1] तो हुदहुद को न देखा, फ़रमाने लगे कि यह क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या कहीं ग़ायब हो गया है? **(20)** मैं उसको (ग़ैर-हाज़िरी पर) सख़्त सज़ा दूँगा,[2] या उसको ज़िब्ह कर डालूँगा या वह कोई साफ़ हुज्जत (और ग़ैर-हाज़िरी का उज़्र) मेरे सामने पेश करे। **(21)** सो थोड़ी ही देर में वह आ गया और (सुलैमान अ़लैहिस्सलाम से) कहने लगा कि मैं ऐसी बात मालूम करके आया हूँ[3] जो आपको मालूम नहीं हुई। (और मुख़्तसर बयान उसका यह है कि) मैं आपके पास क़बीला सबा की एक तहक़ीक़ी ख़बर लाया हूँ। **(22)** मैंने एक औरत को देखा कि वह उन लोगों पर बादशाही कर रही है, और उसको (बादशाही के लिए ज़रूरी चीज़ों में से) हर क़िस्म का सामान मयस्सर है, और उसके पास एक बड़ा (और क़ीमती) तख़्त है। **(23)** मैंने उसको और उस (औरत) की क़ौम को देखा कि वे ख़ुदा (की इबादत) को छोड़कर सूरज को सज्दा करते हैं, और शैतान ने उनके (उन) (कुफ़्रिया) आमाल को उनकी नज़र में पसन्दीदा कर रखा है, और उनको हक़ रास्ते से रोक रखा है, सो वे (हक़ के) रास्ते पर नहीं चलते **(24)** कि उस ख़ुदा को सज्दा नहीं करते जो (ऐसा क़ादिर है कि) आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को (जिनमें बारिश और पेड़-पौधे वग़ैरह भी हैं) बाहर लाता है, और (ऐसा आ़लिम है कि) तुम जो कुछ (दिल में) पोशीदा रखते हो और जो (कुछ ज़बान वग़ैरह से) ज़ाहिर करते हो वह सबको जानता है। **(25)** (पस) अल्लाह ही ऐसा है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, और वह अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है। ❑ **(26)** सुलैमान (अ़लैहि. ने यह सुनकर) फ़रमाया कि हम अभी देखते हैं कि तू सच कहता है या झूठों में से है। **(27)** (अच्छा) मेरा यह ख़त ले जा और इसको उसके पास डाल देना, फिर (ज़रा वहाँ से) हट जाना, फिर देखना कि आपस में क्या सवाल व जवाब करते हैं।[4] **(28)** बिलक़ीस ने (ख़त पढ़कर अपने सरदारों से मश्विरे के लिए) कहा कि ऐ दरबार वालो! मेरे पास एक ख़त (जिसका मज़मून) निहायत बा-वक़अ़त (है)[5] डाला गया है। **(29)** वह सुलैमान की तरफ़ से है, और उसमें यह (मज़मून) है, (पहले) बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम **(30)** (और उसके बाद यह कि) तुम मेरे मुक़ाबले में तकब्बुर मत करो और मेरे पास ताबेदार होकर चले आओ। **(31)** ❖

बिलक़ीस ने कहा कि ऐ दरबार वालो! तुम मुझको मेरे इस मामले में राय दो (कि मुझको सुलैमान के साथ क्या मामला करना चाहिए और) मैं किसी बात का क़तई फ़ैसला नहीं करती जब तक कि तुम लोग मेरे पास मौजूद न हो। **(32)** वे लोग कहने लगे कि हम बड़े ताक़तवर और बड़े लड़ने वाले हैं, और (आगे) इख़्तियार तुमको है, सो तुम ही (मस्लहत देख लो, जो कुछ (तजवीज़ करके) हुक्म देना हो। **(33)** बिलक़ीस कहने लगी कि बादशाहों (का क़ायदा है कि) जब किसी बस्ती में (मुख़ालफ़त के तौर पर) दाख़िल होते हैं तो

(पृष्ठ 682 का शेष) **5.** ताकि बिखर न जाएँ। पीछे वाले भी पहुँच जाएँ। यह बात आ़दतन बहुत ज़्यादा तादाद होने में होती है, क्योंकि थोड़े मजमे में तो अगला आदमी ख़ुद ही ऐसे वक़्त रुक जाता है, और बड़े मजमे में अगलों को पिछलों की ख़बर भी नहीं होती, इसलिए इसका इन्तिज़ाम करना पड़ता है। एक बार अपने लाव-लश्कर के साथ तशरीफ़ लिए जाते थे, (आगे देखो तर्जुमा)

6. चींवटी के इस कलाम के वक़्त या तो आपका लश्कर ज़मीन पर चल रहा होगा और अगर हवा पर सफ़र था तो वहाँ उतरने का इरादा होगा और चींवटी को अल्लाह के ख़बर देने से सुलैमान अ़लैहिस्सलाम और उनके लश्कर और इस इरादे की जानकारी हो गई होगी, और क़ुदरत के सामने सब आसान है।

7. और ''हँस पड़ने'' से अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के हँसने का सुबूत मिलता है और हदीस में जो आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसकी नफ़ी आई है तो मुराद उससे आ़दत की नफ़ी है न कि कुल्ली तौर पर नफ़ी। और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम अगर दुनिया भर के बादशाह मान लिए जाएँ तो उनका धीरे-धीरे पूरी दुनिया का बादशाह बनने का क़ायल होना चाहिए ताकि उस वक़्त तक बिलक़ीस का मुल्क आपके क़ब्ज़े में न आना शक व शुब्हे का सबब न हो।

1. या तो परिन्दों को कुछ ख़िदमतें सुपुर्द कर रखी होंगी इसलिए हाज़िरी ली, या यह कि महज़ इन्तिज़ामी **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 686 पर)**

उसको तबाह व बरबाद कर देते हैं, और उसके रहने वालों में जो इज़्ज़तदार हैं, उनको ज़लील किया करते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। **(34)** और मैं उन लागों के पास कुछ हदिया भेजती हूँ फिर देखूँगी कि वे ऐलची (वहाँ से) क्या (जवाब) लेकर आते हैं। **(35)** सो जब वह ऐलची सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) के पास पहुँचा (और तोहफ़े पेश किए तो सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, क्या तुम लोग (यानी बिलक़ीस वग़ैरह) माल से मेरी इम्दाद करते हो, सो (समझ लो कि) अल्लाह ने जो कुछ मुझको दे रखा है वह उससे कहीं बेहतर हैं जो तुमको दे रखा है।[1] हाँ तुम ही अपने इस हदिए पर इतराते होगे। (सो ये तोहफ़े हम न लेंगे) **(36)** तुम (इनको लेकर) उन लोगों के पास लौट जाओ, सो हम उनपर ऐसी फ़ौजें भेजते हैं कि उन लोगों से उनका ज़रा मुक़ाबला न हो सकेगा और हम उनको वहाँ से ज़लील करके निकाल देंगे, और वे (हमेशा के लिए) मातहत हो जाएँगे। **(37)** सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम को वह्य से या किसी परिन्दे वग़ैरह के ज़रिये से उसका चलना मालूम हुआ तो उन्होंने) फ़रमाया कि ऐ दरबारियो! तुममें कोई ऐसा है जो उस (बिलक़ीस) का तख़्त इससे पहले कि वे लोग मेरे पास ताबेदार होकर आएँ, हाज़िर कर दे। **(38)** एक ताक़तवर हैकल जिन्न ने जवाब में अ़र्ज़ किया कि मैं उसको आपकी ख़िदमत में हाज़िर कर दूँगा, इससे पहले कि आप अपने इजलास से उठें, और (अगरचे वह बहुत भारी है मगर) मैं उस (के लाने) पर ताक़त रखता हूँ (और अगरचे वह बड़ा क़ीमती जवाहरात से जड़ा हुआ है, मगर) मैं अमानतदार (भी) हूँ। **(39)** जिसके पास किताब का इल्म था[2] उस (इल्म वाले) ने (उस जिन्न से) कहा कि मैं उसको तेरे सामने आँख झपकने से पहले लाकर खड़ा कर सकता हूँ।[3] पस जब सुलैमान (अ़लैहि.) ने उसको सामने रखा देखा तो (ख़ुश होकर शुक्र के तौर पर) कहने लगे कि यह भी मेरे रब का एक फ़ज़्ल है, ताकि वह मेरी आज़माइश करे कि मैं शुक्र करता हूँ या (ख़ुदा न करे) नाशुक्री करता हूँ। और (ज़ाहिर है कि) जो शख़्स शुक्र करता है वह अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है, (अल्लाह तआ़ला का कोई नफ़ा नहीं) और (इसी तरह) जो नाशुक्री करता है, मेरा रब ग़नी है और करीम है। **(40)** (उसके बाद सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने बिलक़ीस की अ़क़्ल आज़माने के लिए) हुक्म दिया कि उसके लिए उसके तख़्त की सूरत बदल दो, हम देखें कि उसको इसका पता लगता है या उसकी गिनती उन्ही में है जिनको (ऐसी बातों का) पता नहीं लगता। **(41)** सो जब (बिलक़ीस) आई तो उससे (तख़्त दिखाकर) कहा गया कि क्या तुम्हारा तख़्त ऐसा ही है, वह कहने लगी कि हाँ है तो ऐसा ही, और (यह भी कहा कि) हम लोगों को तो इस वाक़िए से पहले ही (आपकी नुबुव्वत की) तहक़ीक़ हो चुकी है, और हम (उसी वक़्त से दिल से) मानने वाले हो चुके हैं। **(42)** और उसको (ईमान लाने से) अल्लाह के अ़लावा दूसरों की इबादत ने (जिसकी उसको आ़दत थी) रोक रखा था, (और वह आ़दत इसलिए पड़ गई थी कि) वह काफ़िर क़ौम में की थी।[4] **(43)** (बिलक़ीस से) कहा गया कि इस महल में दाख़िल हो। (वह चलीं, रास्ते में हौज़ आया) तो जब उसका आँगन देखा तो उसको पानी (से भरा हुआ) समझा, और (उसके अन्दर घुसने के लिए) अपनी दोनों पिंडलियाँ खोल दीं। (उस वक़्त) सुलैमान ने फ़रमाया कि यह तो एक महल है जो शीशों से बनाया गया है,[5] (उस वक़्त बिलक़ीस)[6] कहने लगीं कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने (अब तक) अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया था, (कि शिर्क में मुब्तला थी) और मैं अब सुलैमान के साथ (यानी उनके तरीक़े पर) होकर रब्बुल आ़लमीन पर ईमान लाई। **(44)** ❖

(पृष्ठ 684 का शेष) ज़रूरतों के लिए जैसे लश्करों के सरदार ऐसा किया करते हैं, इस तौर पर ऐसा किया हो।

2. ''मैं उसको ग़ैर-हाज़िरी पर सख़्त सज़ा दूँगा'' से मालूम हुआ कि जानवरों को तालीम के लिए सधाना और तरबियत देना जायज़ है, और तकलीफ़ दूर करने के लिए क़त्ल करना भी जायज़ है। जहाँ अदब सिखाना और तकलीफ़ दूर करना मक़सद हो वरना नहीं।

3. हुदहुद के इस क़ौल का मतलब यह है कि मेरी ग़ैर-हाज़िरी नाफ़रमानी के तौर पर न थी, बल्कि एक तरीक़े से हुक्म का पालन करने ही में दाख़िल थी कि आप ही की ख़िदमत में लगा हुआ था। 'सबा' एक शख़्स का नाम था, फिर उसकी औलाद को कहने लगे। ये लोग यमन में आबाद थे, फिर उनके शहर को भी सबा कहने लगे **(पृष्ठ 684 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 686 की तफ़सीर पृष्ठ 688, 690 पर)**

और हमने (क़ौमे) समूद के पास उनके (बिरादरी के) भाई सालेह (अ़लैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, यह (पैग़ाम देकर) कि तुम अल्लाह की इबादत करो, सो अचानक उनमें दो फ़रीक़ हो गए जो (दीन के बारे में) आपस में झगड़ने लगे।[1] **(45)** सालेह (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि ऐ भाइयो! तुम नेक काम (यानी तौबा व ईमान) से पहले अ़ज़ाब को क्यों जल्दी माँगते हो, तुम लोग अल्लाह के सामने (कुफ़्र से) माफ़ी क्यों नहीं चाहते, जिससे उम्मीद हो कि तुमपर रहम किया जाए (यानी अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहो)। **(46)** वे लोग कहने लगे कि हम तो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को मन्हूस समझते हैं। सालेह (अ़लैहिस्सलाम) ने (जवाब में) फ़रमाया कि तुम्हारी (इस) नहूसत का सबब अल्लाह के इल्म में है,[2] बल्कि तुम लोग वे हो कि (कुफ़्र की बदौलत) अ़ज़ाब में मुब्तला होगे। **(47)** और (कुफ़्र के सरग़ना) उस बस्ती में नौ शख़्स थे जो सरज़मीन में (यानी बस्ती से बाहर तक भी) फ़साद किया करते थे, और (ज़रा भी) सुधार न करते थे। **(48)** उन्होंने कहा कि सब आपस में (इसपर) अल्लाह की क़सम खाओ कि हम रात के वक़्त सालेह और उनके मुताल्लिक़ीन (ईमान वालों को) जा मारेंगे, फिर (तहक़ीक़ के वक़्त) हम उनके वारिस से कह देंगे कि हम उनके मुताल्लिक़ीन और ख़ुद उनके मारे जाने में मौजूद (भी) न थे, और हम बिलकुल सच्चे हैं। **(49)** और (यह मश्विरा करके) उन्होंने एक ख़ुफ़िया तदबीर की, और एक ख़ुफ़िया तदबीर हमने की, और (उस तदबीर की) उनको ख़बर भी न हुई।[3] **(50)** सो देखिए उनकी शरारत का क्या अन्जाम हुआ कि हमने उनको (ज़िक्र हुए तरीक़े पर) और (फिर) उनकी क़ौम को सबको (आसमानी अ़ज़ाब से) ग़ारत कर दिया। **(51)** सो ये उनके घर हैं जो वीरान पड़े हैं,[4] उनके कुफ़्र के सबब से बिला शुब्हा इस (वाक़िए) में बड़ी इबरत है समझदारों के लिए। **(52)** और हमने ईमान और तक़्वे वालों को नजात दी। **(53)** और हमने लूत (अ़लैहिस्सलाम) को भेजा था जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि क्या तुम बेहयाई का काम करते हो, हालाँकि समझदार हो। **(54)** क्या तुम मर्दों के साथ शहवत पूरी करते हो औरतों को छोड़कर, (और इसके बुरा होने में कोई शुब्हा नहीं) बल्कि (इस बारे में) तुम (बिलकुल) जहालत कर रहे हो। **(55)** सो (इस तक़रीर का) उनकी क़ौम से कोई उचित जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे कि लूत के लोगों को तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक व साफ़ बनते हैं। **(56)** सो हमने (उस क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल किया और) लूत (अ़लैहिस्सलाम) को और उनके मुताल्लिक़ीन को बचा लिया, सिवाय उनकी बीवी के, उसको हमने उन्हीं लोगों में तजवीज़ कर रखा था जो अ़ज़ाब में रह गए थे। **(57)** और हमने उनपर एक नई तरह की बारिश बरसाई, सो उन लोगों की क्या बुरी बारिश थी जो डराए गए थे।[5] **(58)** ❖

आप (तौहीद का बयान करने के लिए ख़ुतबे के तौर पर) कहिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए लायक़ हैं और उसके उन बन्दों पर सलाम (नाज़िल) हो जिनको उसने मुन्तख़ब फ़रमाया "यानी चुन लिया" है। क्या अल्लाह बेहतर है या वे चीज़ें जिनको वे शरीक ठहराते हैं। **(59)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) जो 'सुनआ' से तीन दिन के फ़ासले पर है। बिलक़ीस उसी ख़ानदान में से है और 'यअ़रब बिन क़हतान' की औलाद में होने की वजह से उनकी ज़बान अ़रबी थी।

4. मालूम होता है कि हुदहुद सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के अ़लावा दूसरों का कलाम भी समझता था, सो यह भी हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का मोजिज़ा होगा।

5. "बा वक़्अ़त" इसलिए कहा कि हाकिमाना मज़मून है, जिसमें बावजूद बहुत ज़्यादा मुख़्तसर होने के आला दर्जे की बलाग़त है।

(तफ़सीर पृष्ठ 686) **1.** क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ़ दुनिया है और मेरे पास दीन भी है और दुनिया भी तुमसे ज़्यादा, सो मैं तो इन चीज़ों का लालची नहीं हूँ।

2. ज़्यादा सही यह है कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम मुराद हैं।

3. क्योंकि मैं मोजिज़े की कुव्वत से लाऊँगा। चुनाँचे आपने हक़ तआ़ला से दुआ़ की वैसे ही या किसी अल्लाह के नाम के ज़रिये से और तख़्त सामने आ मौजूद हुआ। **(पृष्ठ 686 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 688 की तफ़सीर पृष्ठ 690, 692 पर)**

बीसवाँ पारः अम्मन् ख़-ल-क़्

सूरः नम्ल (आयत 60 से 93)

या वह ज़ात (बेहतर है) जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया। फिर उस (पानी) के ज़रिये हमने रौनक़दार बाग़ उगाए (वरना) तुमसे तो मुम्किन न था कि तुम उन (बाग़ों) के दरख़्तों को उगा सको। (यह सुनकर बतलाओ कि) क्या अल्लाह तआ़ला के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक़) कोई और माबूद है? (मगर मुश्रिक लोग फिर भी नहीं मानते) बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि (दूसरों को) ख़ुदा के बराबर ठहराते हैं।[1] **(60)** या वह ज़ात जिसने ज़मीन को (मख़्लूक़ के) ठहरने की जगह बनाया और उसके दरमियान नहरें बनाईं और उस (ज़मीन) के ठहराने के लिए पहाड़ बनाए, और दो दरियाओं के दरमियान एक हद्दे-फ़ासिल "यानी एक आड़" बनाई। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? (मगर मुश्रिक लोग नहीं मानते) बल्कि उनमें ज़्यादा तो (अच्छी तरह) समझते भी नहीं। **(61)** या वह ज़ात जो बेक़रार आदमी की सुनता है, जब वह उसको पुकारता है, और (उसकी) मुसीबत को दूर कर देता है, और तुमको ज़मीन में इख़्तियार वाला बनाता है। (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? (मगर) तुम लोग बहुत ही कम याद रखते हो। **(62)** (अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह ज़ात जो तुमको ख़ुश्की और दरिया की अंधेरियों में रास्ता सुझाता है, और जो कि हवाओं को बारिश से पहले भेजता है जो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिलों को) ख़ुश कर देती हैं। (यह सुनकर बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? (हरगिज़ नहीं, बल्कि) अल्लाह पाक,[2] उन लोगों के शिर्क से बरतर है। **(63)** या वह ज़ात जो मख़्लूक़ात को अव्वल बार पैदा करता है, (यह तो मानी हुई बात है) फिर उसको दोबारा ज़िन्दा करेगा और जो कि आसमान (से पानी बरसाकर) और ज़मीन से (पैड़-पौधे वग़ैरह निकालकर) तुमको रिज़्क़ देता है। (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? आप कहिए कि (अच्छा) तुम (उनके इबादत के मुस्तहिक़ होने पर) अपनी दलील पेश करो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो। **(64)** आप कह दीजिए कि जितनी मख़्लूक़ात आसमानों और ज़मीन (यानी दुनिया में) मौजूद हैं, (उनमें से) कोई भी ग़ैब की बात नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के, और (इसी वजह से) उन (मख़्लूक़ात) को यह ख़बर नहीं कि वे कब दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे।[3] **(65)** बल्कि आख़िरत के बारे में (ख़ुद) उनका इल्म (उसके ज़ाहिर होने के बारे में) नहीं है, बल्कि ये लोग उससे शक में हैं, बल्कि यह उससे अन्धे बने हुए हैं।[4] **(66)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) 4. उसके बाद सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने यह चाहा कि मोजिज़े और नुबुव्वत की शान दिखलाने के अ़लावा उसको बादशाहत की ज़ाहिरी शान भी दिखला दी जाए, ताकि अपने को दुनिया के एतिबार से भी बड़ा न समझे। इसलिए एक शीश-महल बनवाकर उसके आँगन में हौज़ बनवाया, और उसमें पानी और मछलियाँ भरकर उसको शीशे से पाट दिया। वह शीशा ऐसा साफ़ और चमकदार था कि सरसरी निगाह में नज़र न आता था। और वह हौज़ ऐसी जगह पर था कि उस महल में जाने वाले को हर हाल में उसपर से पार उतरना पड़े।

5. और यह हौज़ भी शीशे से पटा हुआ है, दामन उठाने की ज़रूरत नहीं।

6. बिलक़ीस को मालूम हो गया कि यहाँ दुनियावी चीज़ें और अ़जायबात भी ऐसे हैं जो आज तक मैंने आँख से नहीं देखे, तो उनके दिल में हर तरह सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का सम्मान पैदा हुआ और एकदम कहने लगीं, (आगे देखो तर्जुमा)

(तफ़सीर पृष्ठ 688) 1. यानी एक फ़िर्क़ा तो ईमान ले आया और एक न लाया। और उनमें जो झगड़ा और कलाम हुआ, उसमें से बाज़ बातों का सूरः आराफ़ में ज़िक्र हुआ है, **(पृष्ठ 688 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 690 की तफ़सीर पृष्ठ 692, 694 पर)**

और ये काफ़िर यूँ कहते हैं कि क्या हम लोग जब (मरकर) मिट्टी हो गए और (इसी तरह) हमारे बड़े भी, तो क्या (फिर) हम (ज़िन्दा करके क़ब्रों से) निकाले जाएँगे। (67) इसका तो हमसे और हमारे बड़ों से (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से) पहले से वायदा होता चला आया है, ये बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आई हैं। (68) आप कह दीजिए कि तुम ज़मीन में चल-फिरकर देखो कि मुजरिम लोगों का अन्जाम क्या हुआ। (69) और (अगर वाज़ेह नसीहतों के बावजूद फिर भी मुख़ालफ़त पर कमर कसे हुए हैं तो) आप उनपर ग़म न कीजिए और जो कुछ ये शरारतें कर रहे हैं उनसे तंग न होइए।[1] (70) और ये लोग (निडर होकर) यूँ कहते हैं कि यह (अ़ज़ाब व क़हर का) वायदा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो (तो बतलाओ)। (71) आप कह दीजिए कि अ़जब नहीं कि जिस अ़ज़ाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसमें से कुछ तुम्हारे पास ही आ लगा हो। (72) और (अब तक जो देर हो रही है उसकी वजह यह है कि) आपका रब लोगों पर (अपना) बड़ा फ़ज़्ल रखता है,[2] और लेकिन अक्सर आदमी (इस बात पर) शुक्र नहीं करते। (73) और आपके रब को सब ख़बर है जो कुछ उनके दिलों में छुपा है और जिसको वे ऐलानिया करते हैं। (74) और आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं जो लौहे महफ़ूज़ में न हो।[3] (75) बेशक यह क़ुरआन बनी इस्राईल पर अक्सर उन बातों (की हक़ीक़त) को ज़ाहिर करता है जिसमें वे इख़्तिलाफ़ करते हैं। (76) और यक़ीनन वह ईमान वालों के लिए (ख़ास) हिदायत और (ख़ास) रहमत है। (77) यक़ीनन आपका परवर्दिगार उनके दरमियान अपने हुक्म से (वह अ़मली) फ़ैसला क़ियामत के दिन करेगा। और वह ज़बरदस्त (और) इल्म वाला है। (78) सो (जब वह ऐसा है तो) आप अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखिए। यक़ीनन आप बिलकुल हक़ (तरीक़े) पर हैं। (79) आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, (ख़ासकर) जब वे पीठ फेरकर चल दें। (80) और न आप अन्धों को उनकी गुमराही से (बचाकर) रास्ता दिखलाने वाले हैं, आप तो सिर्फ़ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यक़ीन रखते हैं (और) फिर वे मानते (भी) हैं।[4] (81) और जब (क़ियामत का) वायदा उनपर पूरा होने को होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक (अ़जीब) जानवर निकालेंगे कि वह उनसे बातें करेगा, कि (काफ़िर) लोग हमारी

(पिछले पृष्ठ का शेष) और उनमें से बाज़ आगे ज़िक्र हो रही हैं।

2. यानी तुम्हारे कुफ़िया आमाल अल्लाह को मालूम हैं। ये बदियाँ उन्हीं आमाल पर मुरत्तब हैं।

3. वह यह कि एक पहाड़ से एक पत्थर उनपर लुढ़क आया और वे सब वहीं पर हलाक हो गए।

4. जो कि मक्का वालों को मुल्क शाम के सफ़र में मिलते हैं।

5. सूरः के शुरू से यहाँ तक रिसालत की बहस थी, आगे तौहीद की बहस है जिसको एक बहुत ही आ़लीशान और मुख़्तसर ख़ुतबे से शुरू किया है।

(तफ़सीर पृष्ठ 690) 1. आसमान में सूरज चाँद सितारे, ज़मीन में नदियाँ नाले और बड़े-बड़े दरिया, इनसान और तरह-तरह के जानवर, चरिन्द-परिन्द, बाग़ खेती और उसके लिए पानी, यह सब कुछ जो अल्लाह तआ़ला ने पैदा किया है वह सब की आँखों के सामने है। और यह भी सब की आँखों के सामने है कि अल्लाह तआ़ला के अ़लावा किसी को भी न आसमान पैदा करने की क़ुदरत है न ज़मीन। बारिश अगर मुक़र्ररा वक़्त पर न बरसे तो सारी दुनिया के बादशाह अमीर व ग़रीब सब जमा हों तो भी एक क़तरा बरसाने की किसी में क़ुदरत नहीं। इसी तरह मुर्दा इनसान व हैवानात में से किसी को अल्लाह के अ़लावा न कोई जिला सकता है और न बीमार को तन्दुरुस्त कर सकता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर न दुआ़ में असर है, न दवा में। क्या इन सब बातों के होते हुए कोई कह सकता है कि ख़ुदा के अ़लावा कोई और माबूद है? और क्या अपने आपको और सब चीज़ों को अपनी आँखों के सामने पैदा होता हुआ देखकर कोई शक कर सकता है कि क़ियामत के दिन ख़ुदा मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क़ादिर नहीं है, बल्कि वह ज़रूर क़ादिर है। (फ़तहुल बारी, इब्ने जरीर, ख़ाज़िन)

2. दोबारा ज़िन्दगी का सुबूतः बिना दलील शिर्क करना किस क़द्र वबाल की बात है, और यह कि आसमान व ज़मीन से जिस क़द्र चीज़ें पैदा होती हैं अगरचे बार-बार पैदा होने की वजह से लोगों के आगे यह एक मामूली बात हो गई है, मगर हक़ीक़त में हर एक बात अ़क़्ल के ख़िलाफ़ है। ख़ुद इनसान की पैदाइश 'मनी' (यानी वीर्य) के एक क़तरे से है, यह भला कौन-सी अ़क़्ल की बात है। फिर क़ियामत के दिन एक-एक ज़र्रा जमा करके जिस्म तैयार करे, (पृष्ठ 690 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 692 की तफ़सीर पृष्ठ 694, 696 पर)

(यानी अल्लाह तआ़ला की) आयतों पर यक़ीन न लाते थे। **(82)** ❖

और जिस दिन (क़ब्रों से ज़िन्दा करने के बाद) हम हर उम्मत से एक गिरोह उन लोगों का (हिसाब के लिए) जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे, फिर उनको रोका जाएगा। **(83)** यहाँ तक कि जब (ठहरने की जगह में) हाज़िर हो जाएँगे तो अल्लाह इरशाद फ़रमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया था, हालाँकि तुम उनको अपने इल्मी घेरे में भी नहीं लाए, बल्कि और भी क्या-क्या काम करते रहे।[1] **(84)** और (अब वह वक़्त है कि) उनपर (अ़ज़ाब का) वायदा पूरा हो गया, इस वजह से कि (दुनिया में) उन्होंने (बड़ी-बड़ी) ज़्यादतियाँ की थीं, सो वे लोग बात भी न कर सकेंगे। **(85)** क्या उन्होंने इसपर नज़र नहीं की कि हमने रात बनाई, ताकि लोग उसमें आराम करें, (और यह आराम मौत की तरह है) और दिन बनाया जिसमें देखें, (और यह मौत के बाद ज़िन्दा होने जैसा है, पस) बिला शुब्हा इसमें बड़ी-बड़ी दलीलें हैं, उन (ही) लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।[2] **(86)** और जिस दिन सूर में फूँक मारी जाएगी, सो जितने आसमान और ज़मीन में हैं सब घबरा जाएँगे मगर जिसको ख़ुदा चाहे, (वह उस घबराहट से और मौत से महफ़ूज़ रहेगा) और सबके सब उसी के सामने दबे-झुके रहेंगे। **(87)** और तू (जिन) पहाड़ों को देख रहा है और उनको ख़्याल कर रहा है कि ये (अपनी जगह से) हरकत न करेंगे, हालाँकि वे बादलों की तरह उड़े-उड़े फिरेंगे। यह ख़ुदा का काम होगा। जिसने हर चीज़ को (मुनासिब अन्दाज़ पर) मज़बूत बना रखा है। यह यक़ीनी बात है कि अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है। **(88)** जो शख़्स नेकी (यानी ईमान) लाएगा सो उस शख़्स को उस (नेकी के अज्र) से बेहतर (अज्र) मिलेगा, और वे लोग बड़ी घबराहट से उस दिन अमन में रहेंगे। **(89)** और जो शख़्स बुराई (यानी कुफ़्र व शिर्क) लाएगा तो वे लोग औंधे मुँह आग में डाल दिए जाएँगे, (और उनसे कहा जाएगा कि) तुमको उन्हीं आ़माल की सज़ा दी जा रही है जो तुम (दुनिया में) किया करते थे।[3] **(90)** मुझको तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर (यानी मक्का) के (हक़ीक़ी) मालिक की इबादत किया करूँ जिसने इस (शहर) को एहतिराम वाला बनाया है।[4] और (उसकी इबादत क्यों न की जाए जबकि वह ऐसा है कि) सब चीज़ें उसी की (मिल्क) हैं। और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि मैं फ़रमाँबर्दार रहूँ। **(91)** और (मुझको) यह (भी हुक्म मिला है) कि मैं क़ुरआने करीम पढ़-पढ़कर सुनाऊँ, सो (मेरी तब्लीग़ के बाद) जो शख़्स राह पर आएगा, सो वह अपने ही फ़ायदे के लिए राह पर आएगा।[5] और जो शख़्स गुमराह रहेगा तो आप कह दीजिए (कि मेरा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मैं तो सिर्फ़ डराने वाले पैग़म्बरों में से हूँ।[6] **(92)** और आप (यह भी) कह दीजिए कि सब ख़ूबियाँ ख़ालिस अल्लाह ही के लिए साबित हैं, वह तुमको जल्द ही अपनी निशानियाँ (यानी क़ियामत के वाक़िआत) दिखला देगा। सो तुम (उनके ज़ाहिर होने के वक़्त) उनको पहचानोगे, और आपका रब उन कामों से बेख़बर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हो। **(93)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) फिर उसमें वही रूह डाल दे जो जिस्म से निकली थी तो यह क्या ताज्जुब की बात है? (इब्ने जरीर, फ़त्हुल बारी)।

3. यानी अल्लाह तआ़ला को तो बिना बतलाए ही सब कुछ मालूम है और किसी को बिना बतलाए कुछ भी मालूम नहीं। मगर देखा जाता है कि बहुत-सी बातें जिनका पहले से इल्म नहीं होता, ज़ाहिर होती हैं। इससे मालूम हुआ कि इल्म का न होना ज़ाहिर न होने को लाज़िम नहीं। बल्कि बात यह है कि अल्लाह तआ़ला को बाज़ उलूम का ग़ैब में रखना मन्ज़ूर है। सो क़ियामत के आने का मुतैयन करना भी उन्हीं बातों में से है। इसलिए मख़्लूक़ को इसका इल्म नहीं दिया गया। मगर इससे उसका न आना कैसे लाज़िम आ गया।

4. यानी जैसे अन्धे को रास्ता नज़र नहीं आता, इसलिए मक़सूद तक पहुँचना मुहाल है। इसी तरह आख़िरत की तस्दीक़ करने का जो रास्ता है यानी सही दलीलें ये लोग अपनी दुश्मनी और बैर की वजह से उनमें ग़ौर व फ़िक्र नहीं करते, इसलिए वे दलीलें उनको नज़र नहीं आतीं जिससे मतलूब तक पहुँच जाने की उम्मीद होती। पस यह शक से भी बढ़कर है, क्योंकि शक वाला कभी-कभी दलीलों में ग़ौर-फ़िक्र करके शक को दूर कर लेता है और ये ग़ौर व फ़िक्र भी नहीं करते।

(तफ़सीर पृष्ठ 692) **1.** कि और नबियों के साथ भी यही मामला हुआ है।

2. इस रहमते आ़म्मा की वजह से किसी क़द्र मोहलत दे रखी है।

3. जब छुपी हुई चीज़ें जिनको कोई नहीं जानता, **(पृष्ठ 692 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 694 की तफ़सीर पृष्ठ 696, 698 पर)**

28 सूरः क़सस् 49

सूरः क़सस् मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 88 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

तॉ-सीम्-मीम् **(1)** ये (मज़ामीन जो आप पर वह्य किए जाते हैं) वाज़ेह (मायनों वाली) किताब (यानी क़ुरआन) की आयतें हैं। **(2)** हम आपको मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और फ़िरऔ़न का कुछ क़िस्सा ठीक-ठीक पढ़कर (यानी नाज़िल करके) सुनाते हैं। उन लोगों के (नफ़े के) लिए जो ईमान रखते हैं।[1] **(3)** फ़िरऔ़न (मिस्र की) सरज़मीन में बहुत बढ़-चढ़ गया था, और उसने वहाँ के रहने वालों को मुख़्तलिफ़ क़िस्में कर रखा था,[2] कि उन (निवासियों में) से एक जमाअ़त (यानी बनी इस्राईल) का ज़ोर घटा रखा था, (इस तरह से कि) उनके बेटों को ज़िब्ह कराता था और उनकी औ़रतों (यानी लड़कियों) को ज़िन्दा रहने देता था, वाक़ई वह बड़ा फ़सादी था। **(4)** (ग़रज़ फ़िरऔ़न तो इस ख़्याल में था) और हमको यह मन्ज़ूर था कि जिन लोगों का ज़ोर (मिस्र की) ज़मीन में घटाया जा रहा था, हम उनपर (दुनियावी व दीनी) एहसान करें, और (वह एहसान यह कि) उनको (दीन में) पेशवा बना दें, और (दुनिया में) उनको (मुल्क का) मालिक बनाएँ। **(5)** और (मालिक होने के साथ) उनको ज़मीन में हुकूमत दें, और फ़िरऔ़न और हामान और उनके पैरोकारों को उन (बनी इस्राईल) की जानिब से वे (नागवार) वाक़िआ़त दिखलाएँ जिनसे वे बचाव कर रहे थे।[3] **(6)** और (जब मूसा पैदा हुए तो) हमने मूसा की वालिदा को इल्हाम किया कि तुम उनको दूध पिलाओ। फिर जब तुम उनके बारे में (जासूसों के ख़बर पाने का) अन्देशा हो तो (बिना किसी डर और ख़तरे के) उनको (नील) दरिया में डाल देना। और न तो (डूब जाने का) अन्देशा करना और न (जुदाई पर) ग़म करना, (क्योंकि) हम ज़रूर उनको फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुँचा देंगे और (फिर अपने वक़्त पर) उनको पैग़म्बर बना देंगे।[4] **(7)** तो फ़िरऔ़न के लोगों ने मूसा को (यानी मय सन्दूक़ के) उठा लिया, ताकि वह उन लोगों के लिए दुश्मन और ग़म का सबब बनें। बिला शुब्हा फ़िरऔ़न और हामान और उनके पैरोकार (इस बारे में) बहुत चूके।[5] **(8)** और फ़िरऔ़न की बीवी (हज़रत आसिया) ने (फ़िरऔ़न से) कहा कि यह (बच्चा) मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है,[6] इसको क़त्ल मत करो, अ़जब नहीं कि (बड़ा होकर) हमको कुछ फ़ायदा पहुँचाए या हम इसको अपना बेटा ही बना लें, और उन लोगों को (अन्जाम की) ख़बर न थी।[7] **(9)** और (उधर यह क़िस्सा हुआ कि) मूसा

(पिछले पृष्ठ का शेष) उसमें मौजूद हैं तो ज़ाहिर चीज़ें तो ज़रूर ही मौजूद हैं। ग़रज़ उनके आमाल की ख़ुदा को भी ख़बर, दफ़्तर में भी महफ़ूज़, और वे आमाल ख़ुद सज़ा का तक़ाज़ा करने वाले, और सज़ा के होने पर सच्ची ख़बरें भी मुत्तफ़िक़, फिर यह समझने की क्या गुन्जाइश है कि सज़ा न होगी, हाँ देर मुम्किन है। चुनाँचे बाज़ सज़ाएँ उन इनकार करने वालों को दुनिया में हुईं जैसे अकाल का शिकार होना और क़त्ल किया जाना, और बाज़ मरने के बाद बरज़ख़ में होंगी, कि ये सब क़रीब हैं। और कुछ आख़िरत में होंगी।

4. मतलब यह कि ये लोग तो मुर्दों, बहरों और अन्धों के जैसे हैं। फिर उनसे समझने और सही रास्ते पर आने की उम्मीद बेकार है, जब उम्मीद न होगी, ग़म भी न होगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 694) **1.** मतलब यह कि सुनते ही बिना सोचे-समझे उनको झुठला दिया। और झुठलाने ही पर बस नहीं किया बल्कि याद करो कि उसके अ़लावा और भी क्या-क्या करते रहे, जैसे नबियों और ईमान वालों को तकलीफ़ दी, इसी तरह अन्य कुफ़्रिया आमाल और अ़क़ीदों और नाफ़रमानियों में मुब्तला रहे।

2. क्योंकि वे ग़ौर-फ़िक्र करते हैं और दूसरे ग़ौर-फ़िक्र नहीं करते, और नतीजे पर पहुँचने के लिए ग़ौर-फ़िक्र ज़रूरी है। इसलिए दूसरे इससे फ़ायदा उठाने वाले नहीं होते।

3. ऊपर सूरः में जो तीन मज़ामीन- नुबुव्वत, तौहीद और आख़िरत मुफ़स्सल ज़िक्र हुए हैं, आगे ख़त्मे में उनका मुख़्तसर और ख़ुलासे के तौर पर बयान है। **(पृष्ठ 694 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 696 की तफ़सीर पृष्ठ 698 पर)**

(अ़लैहिस्सलाम) की वालिदा का दिल (अनेक ख़्यालों के आने से) बेक़रार हो गया, क़रीब था कि वह मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का हाल सबपर ज़ाहिर कर देतीं, अगर हम उनके दिल को इस ग़रज़ से मज़बूत न किए रहें कि यह (हमारे वायदे पर) यक़ीन किए (बैठी) रहें। **(10)** उन्होंने मूसा की बहन (यानी अपनी बेटी) से कहा कि ज़रा मूसा का सुराग़ तो लगा, सो उन्होंने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को दूर से देखा और उन लोगों को (यह) ख़बर न थी (कि यह उनकी बहन हैं और इस फ़िक्र में आई हैं)। **(11)** और हमने पहले ही से मूसा (अ़लैहिस्सलाम) पर दूध पिलाने वालियों की बन्दिश कर रखी थी, सो वह (इस मौक़े को देखकर) कहने लगीं, क्या मैं तुम लोगों को किसी ऐसे घराने का पता बता दूँ जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करें, और वे दिल से इसकी ख़ैरख़्वाही करें। **(12)** ग़रज़ हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी वालिदा के पास (अपने वायदे के मुवाफ़िक़) वापस पहुँचा दिया, ताकि उनकी आँखें ठंडी हों और ताकि (जुदाई के) ग़म में न रहें, और ताकि इस बात को जान लें कि अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा (होता) है, लेकिन (अफ़सोस की बात है कि) अक्सर लोग (इसका) यक़ीन नहीं रखते। ◆ **(13)** ❖

और जब (परवरिश पाकर) अपनी भरी जवानी (की उम्र) को पहुँचे और (जिस्मानी और अ़क़्ली ताक़त से) दुरुस्त हो गए हमने उनको हिक्मत और इल्म अ़ता फ़रमाया,[1] और हम नेक काम करने वालों को इसी तरह सिला दिया करते हैं। (यानी नेक अ़मल से इल्मी फ़ैज़ में तरक़्क़ी होती है)[2] **(14)** और मूसा शहर में (यानी मिस्र में कहीं बाहर से) ऐसे वक़्त पहुँचे कि वहाँ के (अक्सर) निवासी बेख़बर (पड़े सो रहे) थे, तो उन्होंने वहाँ दो आदमियों को लड़ते देखा, एक तो उनकी बिरादरी में का था और दूसरा उनके मुख़ालिफ़ीन में से था। सो वह जो उनकी बिरादरी का था उसने मूसा से उसके मुक़ाबले में जो उनके मुख़ालिफ़ीन में से था मदद चाही, तो मूसा ने उसको (एक) घूँसा मारा, सो उसका काम ही तमाम कर दिया।[3] मूसा कहने लगे कि यह तो शैतानी हरकत हो गई। बेशक शैतान (भी आदमी का) खुला दुश्मन है। (ग़लती में डाल देता है)। **(15)** अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझसे कुसूर हो गया है, आप माफ़ फ़रमा दीजिए, सो अल्लाह तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया। बिला शुब्हा वह बड़ा माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। **(16)** मूसा ने (यह भी) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! चूँकि आपने मुझपर बड़े-बड़े इनामात फ़रमाए हैं, सो कभी मैं मुजरिमों की मदद न करूँगा।[4] **(17)** फिर मूसा को शहर में सुबह हुई ख़ौफ़ और घबराहट की हालत में कि अचानक (देखते क्या हैं

(पिछले पृष्ठ का शेष) **4.** मतलब यह कि इबादत में शिर्क से दूर रहूँ जैसा कि अब तक दूर हूँ।

5. यानी उसको अज्र व सवाब और नजात होगी। मैं उससे किसी माली फ़ायदे या ओ़हदे व शान का इच्छुक नहीं हूँ।

6. यानी मेरा काम सिर्फ़ हुक्म पहुँचाना है, सो पहुँचाकर भार-मुक्त हो जाऊँगा। आगे न मानने का वबाल तुमको भुगतना पड़ेगा। मतलब यह कि मैं पैग़म्बर हूँ और तुमसे कोई ग़रज़ या लालच नहीं रखता।

(तफ़सीर पृष्ठ 696) **1.** क्योंकि क़िस्सों के मक़ासिद में इनसे इबरत हासिल करना और नुबुव्वत वग़ैरह पर इस्तिदलाल है, जो मोमिनों ही को नफ़ा देने वाले हैं, चाहे हक़ीक़त के एतिबार से मोमिन हों या हुक्म के एतिबार से।

2. इस तरह कि क़िब्तियों को सम्मान वाला बना रखा था और सिब्तियों यानी बनी इस्राईल को ज़लील व पस्त कर रखा था।

3. इससे हुकूमत का पतन और हलाक होना मुराद है, कि इसी पतन व हलाकत से बचाव के लिए बनी इस्राईल के लड़कों को क़त्ल करता था, जिसकी बिना एक ख़्वाब थी जो फ़िरऔ़न ने देखा था और नुजूमियों ने उसकी यही ताबीर दी थी। पस हमारे तक़दीरी हुक्म के सामने उन लोगों की तदबीर कुछ काम न आई।

4. ग़रज़ वह इसी तरह उनको दूध पिलाती रहीं, फिर जब राज़ खुलने का ख़ौफ़ हुआ तो सन्दूक़ में बन्द करके अल्लाह के नाम पर नील दरिया में छोड़ दिया। ग़रज़ वह सन्दूक़ किनारे पर लगा।

5. कि अपने दुश्मन को अपनी बग़ल में पाला।

6. यानी इसको देखकर जी ख़ुश हुआ करेगा।

7. कि यह वही बच्चा है जिसके हाथों फ़िरऔ़न की बादशाहत ग़ारत होगी। **(पृष्ठ 698 की फसीर पृष्ठ 700 पर)**

कि) वही शख़्स जिसने गुज़री कल इम्दाद चाही थी वह फिर उनको मदद के लिए पुकार रहा है। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) उससे फ़रमाने लगे बेशक तू खुला बुरे रास्ते वाला (आदमी) है। **(18)** सो जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उसपर हाथ बढ़ाया जो उन दोनों का मुख़ालिफ़ था, वह इस्राईली कहने लगा, ऐ मूसा! क्या (आज) मुझको क़त्ल करना चाहते हो, जैसा कि कल एक आदमी को क़त्ल कर चुके हो। (मालूम होता है कि) बस तुम दुनिया में अपना ज़ोर बिठलाना चाहते हो और सुलह (और मिलाप) करवाना नहीं चाहते। **(19)** और (उस मजमे में) एक शख़्स शहर के (उस) किनारे से (जहाँ यह मश्विरा हो रहा था) दौड़े हुए आए (और) कहने लगे कि ऐ मूसा! दरबार वाले आपके मुताल्लिक़ मश्विरा कर रहे हैं कि आपको क़त्ल कर दें। सो आप (यहाँ से) चल दीजिए। मैं आपकी ख़ैरख़्वाही कर रहा हूँ। **(20)** पस (यह सुनकर) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) वहाँ से (किसी तरफ़ को) निकल गए ख़ौफ़ और घबराहट की हालत में, (और चूँकि रास्ता मालूम न था, दुआ़ के तौर पर) कहने लगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको इन ज़ालिम लोगों से बचा लीजिए[1] **(21)** ❖

और जब मूसा (अ़लैहि.) मद्‌यन की तरफ़ हो लिए, कहने लगे कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको (किसी अमन की जगह का) सीधा रास्ता चलाएगा। (चुनाँचे ऐसा ही हुआ और मद्‌यन जा पहुँचे)। **(22)** और जब मद्‌यन के पानी (यानी कुँए) पर पहुँचे तो उसपर (विभिन्न) आदमियों का एक मजमा देखा जो पानी पिला रहे थे। और उन लोगों से एक तरफ़ (अलग) को दो औ़रतें देखीं कि वे (अपनी बकरियाँ) रोके खड़ी हैं। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने (उनसे) पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? वे दोनों बोलीं कि (हमारा मामूल यह है कि) हम (अपने जानवरों को) उस वक़्त तक पानी नहीं पिलाते जब तक ये चरवाहे पानी पिलाकर (जानवरों को) हटाकर न ले जाएँ, और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। **(23)** पस (यह सुनकर) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उनके लिए पानी (खींचकर उनके जानवरों को) पिलाया फिर (वहाँ से) हटकर साये में जा बैठे, फिर (अल्लाह से) दुआ़ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! (इस वक़्त) जो नेमत भी आप मुझको भेज दें मैं उसका (सख़्त) ज़रूरतमन्द हूँ। **(24)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के पास एक लड़की आई कि शरमाती हुई चलती थी, (और आकर) कहने लगी कि मेरे वालिद तुमको बुलाते हैं,[2] ताकि तुमको उसका सिला दें जो तुमने हमारी ख़ातिर (हमारे जानवरों को) पानी पिला दिया था।[3] सो जब उनके पास पहुँचे और उनसे तमाम हाल बयान किया तो उन्होंने (तसल्ली दी और) कहा कि

(तफ़सीर पृष्ठ 698) **1.** यानी नुबुव्वत से पहले ही सही समझ और मज़बूत अ़क़्ल इनायत फ़रमाई जिससे अच्छे-बुरे में फ़र्क़ कर सकें।

2. इसमें इशारा है कि फ़िरऔ़न के तरीक़े को मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कभी इख़्तियार न किया था, बल्कि उससे नफ़रत ही करते रहे।

3. यानी इत्तिफ़ाक़ से वह मर ही गया।

4. यहाँ मुजरिमों से मुराद वे हैं जो दूसरों से गुनाह का काम कराना चाहें। क्योंकि किसी से गुनाह कराना यह भी जुर्म है। पस इसमें शैतान भी दाख़िल हो गया कि वह गुनाह कराता है, और गुनाह करने वाला उसकी मदद करता है, चाहे जान-बूझकर या ग़लती से। मतलब यह हुआ कि मैं शैतान का कहना कभी न मानूँगा। यानी जहाँ ग़लती का इम्कान होगा वहाँ एहतियात और समझदारी से काम लूँगा। और असल मक़सूद इतना ही है, मगर हुक्म को शामिल करने के लिए 'मुजरिमीन' बहुवचन का सीग़ा लाया गया है कि औरों को भी आ़म हो जाए।

(तफ़सीर पृष्ठ 700) **1.** और अमन की जगह पहुँचा दीजिए।

2. यह बुज़ुर्ग हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम थे।

3. मूसा अ़लैहिस्सलाम साथ हो लिए, अगरचे मूसा अ़लैहिस्सलाम का मक़सद यक़ीनन सिला लेना न था, लेकिन वक़्त के तक़ाज़े के मुताबिक़ अमन की जगह और किसी मेहरबान साथी के मुतलाशी थे। और अगर भूख की शिद्दत भी इस जाने का एक सबब हो तो मुज़ायक़ा नहीं, और इसको उजरत से कुछ ताल्लुक़ नहीं। और मेहमान नवाज़ी का अनुरोध भी ख़ासकर ज़रूरत के वक़्त और किसी ख़ास करीम से कुछ ज़िल्लत नहीं। कहाँ यह कि दूसरे के अनुरोध पर मेहमान नवाज़ी का क़बूल कर लेना।

(अब) अन्देशा न करो तुम ज़ालिम लोगों से बच आए। **(25)** (फिर) एक लड़की ने कहा कि अब्बा जान! आप इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि अच्छा नौकर वह शख़्स है जो मज़बूत (हो और) अमानतदार (भी) हो।[1] **(26)** वह (बुज़ुर्ग मूसा अ़लैहिस्सलाम से) कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कियों में से एक को तुम्हारे साथ ब्याह दूँ, इस शर्त पर कि तुम आठ साल मेरी नौकरी करो,[2] फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ़ से (एहसान) है। और मैं (इस मामले में) तुमपर कोई मशक़्क़त डालना नहीं चाहता, (और) तुम मुझको इन्शा-अल्लाह तआ़ला अच्छे मामले वाला पाओगे।[3] **(27)** मूसा (अ़लैहिस्सलाम रज़ामन्द हो गए और) कहने लगे कि (बस तो) यह बात मेरे और आपके दरमियान (पक्की) हो चुकी, मैं इन दो मुद्दतों में से जिस (मुद्दत) को पूरा कर दूँ, मुझपर कोई जब्र न होगा, और हम जो (मामले की) बातचीत कर रहे हैं अल्लाह तआ़ला इसका गवाह (काफ़ी) है।[4] **(28)** ❖

ग़रज़ जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) उस मुद्दत को पूरा कर चुके और (शुऐब अ़लैहिस्सलाम की इजाज़त से) अपनी बीवी को लेकर (मिस्र को या मुल्क शाम को) रवाना हुए तो उनको तूर पहाड़ की तरफ़ से एक (रोशनी) आग (की शक्ल में) दिखलाई दी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहीं) ठहरे रहो, मैंने एक आग देखी है (मैं वहाँ जाता हूँ) शायद मैं तुम्हारे पास वहाँ से (रास्ते की कुछ) ख़बर लाऊँ या कोई आग का (दहकता हुआ) अंगारा ले आऊँ, ताकि तुम सेंको। **(29)** सो जब वह उस आग के पास पहुँचे तो उनको उस मैदान की दाहिनी ओर से (जो कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की दाहिनी जानिब था) उस मुबारक मक़ाम में एक दरख़्त में से आवाज़ आई कि ऐ मूसा! मैं अल्लाह रब्बुल आ़लमीन हूँ। **(30)** और यह (भी आवाज़ आई) कि तुम अपनी लाठी डाल दो,[5] सो उन्होंने जब उसको लहराता हुआ देखा जैसा पतला साँप (तेज़) होता है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। (हुक्म हुआ कि) ऐ मूसा! आगे आओ और डरो मत, तुम (हर तरह) अमन में हो।[6] **(31)** तुम अपना हाथ गिरेबान के अन्दर डालो (और फिर निकालो) वह बिना किसी मर्ज़ के निहायत रोशन होकर निकलेगा। और ख़ौफ़ (दूर करने) के वास्ते अपना (वह) हाथ (फिर) अपने गिरेबान और (बग़ल) से (पहले की तरह) बदस्तूर मिला लेना, सो ये (तुम्हारी नुबुव्वत की) दो सनदें हैं तुम्हारे रब की तरफ़ से, फ़िरऔ़न और उसके सरदारों के पास जाने के वास्ते, (जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है) क्योंकि वे बड़े नाफ़रमान लोग हैं। **(32)** उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मैंने उनमें से एक आदमी का ख़ून

---

1. और इनमें दोनों सिफ़तें हैं।

2. हासिल यह कि आठ साल की ख़िदमत इस निकाह का महर है।

3. यानी काम लेने और वक़्त की पाबन्दी वग़ैरह-वग़ैरह तमाम बातों में आसानी बरतूँगा।

4. उसको हाज़िर-नाज़िर समझकर अ़हद को पूरा करना चाहिए।

5. चुनाँचे उन्होंने डाल दिया और वह साँप बनकर चलने लगा।

6. यह कोई डर की बात नहीं बल्कि तुम्हारा मोजिज़ा है।

कर दिया था, सो मुझको अन्देशा है कि (कहीं पहली ही बार में) वे लोग मुझको क़त्ल कर दें।[1] **(33)** और मेरे भाई हारून की ज़बान मुझसे ज़्यादा रवाँ है, तो उनको भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ रिसालत दे दीजिए कि वह मेरी तक़रीर की ताईद और तस्दीक़ करेंगे। क्योंकि मुझको अन्देशा है कि वे लोग (यानी फ़िरऔन और उसके दरबारी) मुझको झुठलाएँ।[2] **(34)** इरशाद हुआ कि (बेहतर है) हम अभी तुम्हारे भाई को तुम्हारे हाथ की कुव्वत बनाए देते हैं। (एक दरख़्वास्त तो यह मन्ज़ूर हुई) और हम तुम दोनों को एक ख़ास रोब व दबदबा (और हैबत) अ़ता करते हैं जिससे उन लोगों को तुमपर पहुँच और ताक़त न होगी। (पस) हमारे मोजिज़े लेकर जाओ। तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करने वाला होगा (उन लोगों पर) ग़ालिब रहोगे। **(35)** ग़रज़ जब उन लोगों के पास मूसा हमारी खुली दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने (मोजिज़ों को देखकर) कहा कि यह तो (महज़) एक जादू है कि (ख़्वाह-मख़्वाह खुदा तआ़ला पर) झूठ घड़ा जाता है। और हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप-दादों के वक़्त में भी हुई हो। **(36)** और मूसा (अ़लैहि.) ने उसके जवाब में फ़रमाया कि मेरा परवर्दिगार उस शख़्स को ख़ूब जानता है जो सही दीन उसके पास से लेकर आया है, और जिसका उस आ़लम "यानी आख़िरत" का अन्जाम अच्छा होने वाला है। (और) यक़ीनन ज़ालिम लोग कभी फ़लाह न पाएँगे।[3] **(37)** और (मूसा अ़लैहिस्सलाम की दलीलें देखकर सुनकर) फ़िरऔन कहने लगा कि ऐ दरबार वालो! मुझको तो तुम्हारा अपने सिवा कोई खुदा मालूम नहीं होता, तो ऐ हामान! तुम हमारे लिए मिट्टी (की ईंटें बनवाकर उन) को आग में (पज़ावा लगाकर) पकवाओ फिर (उन पक्की ईंटों से) मेरे वास्ते एक बुलन्द इमारत बनवाओ ताकि मैं (उसपर चढ़कर) मूसा के खुदा को देखूँ-भालूँ, और मैं तो (इस दावे में कि मेरे सिवा और कोई खुदा है) मूसा को झूठा ही समझता हूँ। **(38)** और फ़िरऔन और उसके ताबेदारों ने नाहक़ दुनिया में सर उठा रखा था और यूँ समझ रहे थे कि उनको हमारे पास लौटकर आना नहीं है। **(39)** तो हमने (तकब्बुर की सज़ा में) उसको और उसके ताबेदारों को पकड़कर दरिया में फेंक दिया (यानी डुबू दिया) सो देखिए ज़ालिमों का क्या अन्जाम हुआ। **(40)** (और मूसा अ़लैहि. का क़ौल ज़ाहिर हो गया) और हमने उन लोगों को ऐसा सरदार बनाया था जो (लोगों को) दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते रहे और (इसी वास्ते) क़ियामत के दिन (ऐसे बेसहारा रह जाएँगे कि) कोई उनका साथ न देगा। **(41)** और (ये लोग दोनों जहाँ में घाटे में रहे, चुनाँचे) दुनिया में भी हमने उनके पीछे लानत लगा दी[4] और क़ियामत के दिन भी वे बदहाल लोगों में से होंगे।[5] **(42)** ❖

1. और तब्लीग़ भी न होने पाए।
2. तो उस वक़्त मुनाज़रा करने की ज़रूरत होगी और ज़बानी मुनाज़रे के लिए रवाँ ज़बान आ़दतन ज़्यादा मुफ़ीद है।
3. मतलब यह कि खुदा को ख़ूब मालूम है कि हममें और तुममें कौन सही रास्ते पर है, और कौन ज़ालिम। और कौन अच्छे अन्जाम वाला है और कौन कामयाबी से महरूम है। पस हर एक की हालत और नतीजे का जल्दी ही मरने के साथ ही ज़ुहूर हो जाएगा।
4. लानत पीछे लगा देने का मतलब यह है कि दुनिया में जो ज़ालिमों-काफ़िरों वग़ैरह पर लानत करता है, चूँकि वे लोग भी ऐसे ही थे उनपर भी लानत पड़ती है।
5. मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा फ़िरऔन के साथ ख़त्म हुआ। आगे इस क़िस्से के सबसे बड़े मक़सद यानी हुज़ूरे पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करने का मज़मून मज़कूर है, साथ ही काफ़िरों के बाज़ शुब्हात का जवाब और तम्हीद के लिए मूसा अ़लैहिस्सलाम की रिसालत का खुलासा इरशाद है।

और हमने मूसा को अगली उम्मतों (यानी नूह की क़ौम और आ़द व समूद) के हलाक करने के बाद किताब (यानी तौरात) दी थी, जो लोगों (यानी बनी इस्राईल) के लिए दानिशमन्दियों "यानी बुद्धिमत्ता" का सबब और हिदायत और रहमत थी,[1] ताकि वे (उससे) नसीहत हासिल करें।[2] **(43)** और आप (तूर पहाड़ की) पश्चिमी ओर मौजूद न थे, जबकि हमने मूसा को अहकाम दिए थे और (ख़ास वहाँ तो क्या मौजूद होते) आप (तो) उन लोगों में से (भी) न थे जो (उस ज़माने में) मौजूद थे। **(44)** और लेकिन (बात यह है कि हमने मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद) बहुत-सी नस्लें पैदा कीं। फिर उनपर लम्बा ज़माना गुज़र गया,[3] और आप मद्यन वालों में भी न रहते थे कि आप (वहाँ के हालात देखकर उन हालात के मुताल्लिक़) हमारी आयतें उन लोगों को पढ़-पढ़कर सुना रहे हों, और लेकिन हम ही (आपको) रसूल बनाने वाले हैं। **(45)** और (इसी तरह) आप तूर की (पश्चिमी) ओर (जिसका ज़िक्र हुआ) में उस वक़्त (भी) मौजूद न थे, जब हमने (मूसा को) पुकारा था, और लेकिन (इसका इल्म भी इसी तरह हासिल हुआ कि) आप अपने रब की रहमत से नबी बनाए गए, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएँ जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला (नबी) नहीं आया, क्या अ़जब है कि नसीहत क़बूल करें।[4] **(46)** और हम रसूल न भी भेजते अगर यह बात न होती कि उनपर उनके किरदारों के सबब (जो कि अ़क़्ल के एतिबार से बुरे हैं) कोई मुसीबत (दुनिया या आख़िरत में) नाज़िल होती, तो यह कहने लगते कि ऐ हमारे रब! आपने हमारे पास कोई पैग़म्बर क्यों न भेजा, ताकि हम आपके अहकाम की पैरवी करते, और (उन अहकाम और रसूल पर) ईमान लाने वालों में होते।[5] **(47)** सो जब हमारी तरफ़ से उन लोगों के पास हक़ बात पहुँची तो (उसमें शुब्हा निकालने के लिए यूँ) कहने लगे कि उनको ऐसी किताब क्यों न मिली जैसी मूसा को मिली थी,[6] क्या जो किताब मूसा को मिली थी इससे पहले ये लोग उसके इनकार करने वाले नहीं हुए। ये लोग तो यूँ कहते हैं कि दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे के मुवाफ़िक़ "यानी अनुकूल" हैं। और यूँ भी कहते हैं कि हम तो दोनों में से किसी को भी नहीं मानते। **(48)** आप कह दीजिए कि अच्छा तो (तौरात और क़ुरआन के अ़लावा) तुम कोई और किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो हिदायत करने में उन दोनों से बेहतर हो, मैं उसी की पैरवी करने लगूँगा, अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो।[7] **(49)** फिर (इस एहतिजाज के बाद) अगर ये लोग आपका (यह) कहना न कर सकें तो आप समझ लीजिए कि ये लोग महज़

---

1. हक़ के तालिब की अव्वल समझ दुरुस्त होती है, यह 'बसीरत' है। फिर अहकाम क़बूल करता है, यह 'हिदायत' है। फिर हिदायत का फल यानी अल्लाह तआ़ला की निकटता और उसके यहाँ क़बूलियत इनायत होती है, यह 'रहमत' है।
2. इसी तरह जब यह दौर भी ख़त्म हो चुका और लोग फिर नई हिदायत के नए सिरे से मोहताज हुए तो अपनी मुस्तक़िल आ़दत के मुताबिक़ हमने आपको रसूल बनाया जिसकी दलीलों में से एक यही मूसा अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए की यक़ीनी ख़बर देना है।
3. जिससे फिर सही उलूम नायाब (यानी अप्राप्य) हो गए। और लोग फिर हिदायत के मोहताज हुए। और अगरचे बीच-बीच में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम आया किए मगर उनके उलूम भी इसी तरह नायाब हुए। इसलिए हमारी रहमत ने यह चाहा कि हमने आपको वह्य और रिसालत से सम्मानित फ़रमाया।
4. हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने वालों, बल्कि उनके क़रीबी बाप-दादाओं ने भी किसी नबी को नहीं देखा।
5. अगर ये लोग ज़रा ग़ौर-फ़िक्र करें तो समझ सकते हैं कि पैग़म्बर भेजने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का फ़ायदा है कि ये लोग अच्छाई और बुराई पर बाख़बर होकर सज़ा से बच सकते हैं। वरना जिन बातों का बुरा होना अ़क़्ल से मालूम हो सकता है उनपर बिना रसूल भेजे भी अ़ज़ाब होना मुम्किन था। लेकिन उस वक़्त उनको एक तरह की हसरत होती कि हाय! अगर रसूल आ जाता तो हमको ज़्यादा ताकीद हो जाती और इस मुसीबत में न पड़ते। इसलिए रसूल भी भेज दिया ताकि उनको उस हसरत से बचना आसान हो।
6. यानी क़ुरआन एक ही बार में तौरात की तरह क्यों नाज़िल न हुआ।
7. ग़रज़ यह कि मैं हक़ साबित कर दूँ तो तुम उसकी इत्तिबा करो, और अगर तुम हक़ साबित कर दो तो मैं भी इत्तिबा करने के लिए तैयार हूँ।

अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों पर चलते हैं। और ऐसे शख़्स से ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश पर चलता हो बग़ैर इसके कि अल्लाह की जानिब से कोई दलील (उसके पास) हो, (और) अल्लाह तआ़ला ऐसे ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं किया करता। **(50)** ❖

और हमने इस कलाम (यानी क़ुरआन) को उन लोगों के लिए वक़्त-वक़्त पर एक के बाद एक भेजा, ताकि ये लोग (बार-बार ताज़ा-बताज़ा सुनने से) नसीहत मानें।[1] **(51)** (और) जिन लोगों को हमने क़ुरआन से पहले (आसमानी) किताबें दी हैं (उनमें जो इन्साफ़ पसन्द हैं) वे इस (क़ुरआन) पर ईमान लाते हैं। ● **(52)** और जब क़ुरआन उनके सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि हम इसपर ईमान लाए, बेशक यह हक़ है (जो) हमारे रब की तरफ़ से (नाज़िल हुआ है, और) हम तो इस (के आने) से पहले भी मानते थे। **(53)** उन लोगों को उनकी पुख़्तगी की वजह से दोहरा सवाब मिलेगा, और वे लोग नेकी (और बरदाश्त) से बुराई (और तकलीफ़) को दफ़ा कर देते हैं, और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से (अल्लाह तआ़ला की राह में) ख़र्च करते हैं। **(54)** और जब (किसी से अपने बारे में) कोई बेहूदा बात सुनते हैं तो उसको (भी) टाल जाते हैं, और (सही चलन के तौर पर) कह देते हैं कि (हम कुछ जवाब नहीं देते) हमारा किया हमारे सामने आएगा और तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आएगा। (भाई) हम तुमको सलाम करते हैं, हम बे-समझ लोगों से उलझना नहीं चाहते। **(55)** आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत कर देता है, और हिदायत पाने वालों का इल्म (भी) उसी को है।[2] **(56)** और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपके साथ होकर (इस दीन की) हिदायत पर चलने लगें तो फ़ौरन अपने मक़ाम से मारकर निकाल दिए जाएँ। क्या हमने उनको अमन व शान्ति वाले हरम में जगह न दी, जहाँ हर क़िस्म के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास से (यानी हमारी क़ुदरत और हमारे देने से) खाने को मिलते हैं, और लेकिन उनमें अक्सर लोग (इसको) नहीं जानते।[3] **(57)** और हम बहुत-सी ऐसी बस्तियाँ हलाक कर चुके हैं जो अपने ऐश के सामान पर इतराते थे। सो (देख लो) ये उनके घर (तुम्हारी आँखों के सामने पड़े) हैं कि उनके बाद आबाद ही न हुए मगर थोड़ी देर के लिए,[4] और आख़िरकार (उनके उन सब सामानों के) हम ही मालिक रहे। **(58)** और आपका रब बस्तियों को (अव्वल ही बार में) हलाक नहीं किया करता जब तक कि उन (बस्तियों) के मुख्य स्थान में किसी पैग़म्बर को न भेज ले, कि वह उन लोगों को हमारी आयतें पढ़-पढ़कर सुनाए। और हम उन बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर उसी हालत में कि वहाँ के रहने वाले बहुत ही शरारत करने लगें।[5] **(59)** और जो कुछ

---

1. यानी हम तो एक ही बार में भेजने पर भी क़ादिर हैं, मगर उन्हीं की मस्लहत से थोड़ा-थोड़ा नाज़िल करते हैं।

2. यानी हिदायत करने की क़ुदरत तो सिवाय ख़ुदा तआ़ला के किसी को क्या होती, किसी को इसका इल्म भी नहीं कि कौन-कौन हिदायत पाने वाला है।

3. यानी हरम होने की वजह से जिसका सब एहतिराम करते हैं, नुक़सान पहुँचने का भी अन्देशा नहीं और इस नुक़सान के न होने की वजह से रिज़्क़ के फ़ायदे के ख़त्म होने का अन्देशा भी नहीं। पस उनको चाहिए था कि इस हालत को ग़नीमत समझते और इसको नेमत समझकर क़द्र करते और ईमान ले आते, लेकिन वे इसका ख़्याल नहीं करते।

4. यानी किसी मुसाफ़िर का इत्तिफ़ाक़ से उधर को गुज़र हो जाए और वह थोड़ी देर वहाँ सुस्ताने को या तमाशा देखने को बैठ जाए।

5. यानी एक अच्छी-ख़ासी मुद्दत तक बार-बार के नसीहत करने से नसीहत हासिल न करें, उस वक़्त हलाक कर देते हैं। इसी क़ानून के मुवाफ़िक़ तुम्हारे साथ अ़मल दरामद हो रहा है।

तुमको दिया दिलाया गया है वह महज़ (चन्द दिन का) दुनियावी ज़िन्दगी के बरतने के लिए है, और यहीं की (ज़ेब व ज़ीनत है)[1] और जो (अज्र व सवाब) अल्लाह के यहाँ है वह इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा (यानी हमेशा) बाक़ी रहने वाला है। क्या तुम लोग (इस फ़र्क़ को) नहीं समझते। **(60)** ❖

भला वह शख़्स जिससे हमने एक पसन्दीदा वायदा कर रखा है। फिर वह शख़्स उस (वायदे की चीज़) को पाने वाला है, क्या उस शख़्स के जैसा हो सकता है जिसको हमने दुनियावी ज़िन्दगी का चन्द दिन का फ़ायदा दे रखा है।[2] फिर वह क़ियामत के दिन उन लोगों में से होगा जो गिरफ़्तार करके लाए जाएँगे। **(61)** और (वह दिन याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन अल्लाह उन काफ़िरों को (झिड़की के तौर पर) पुकार कर कहेगा कि वे मेरे शरीक कहाँ हैं, जिनको तुम (हमारा शरीक) समझ रहे थे।[3] **(62)** जिनपर (गुमराह करने की वजह से) खुदा का फ़रमाया हुआ (यानी अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ होना) साबित हो चुका होगा। वे बोल उठेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! बेशक ये वही लोग हैं जिनको हमने बहकाया, हमने उनको वैसा ही (बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती) बहकाया जैसा कि हम खुद बहके थे, और हम आपकी मौजूदगी में उन (के ताल्लुक़ात) से अ़लाहिदगी इख़्तियार करते हैं (और) ये लोग (हक़ीक़त में) हमको न पूजते थे।[4] **(63)** और (उस वक़्त उन मुश्रिकों से मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) कहा जाएगा कि (अब) अपने उन शरीकों को बुलाओ, चुनाँचे वे (इन्तिहाई हैरत से बेक़रारी के साथ) उनको पुकारेंगे, सो वे जवाब भी न देंगे। और (उस वक़्त) ये लोग (अपनी आँखों से) अ़ज़ाब देख लेंगे। ऐ काश! ये लोग (दुनिया में) सही रास्ते पर होते, (तो यह मुसीबत न आती)। **(64)** और जिस दिन उन काफ़िरों से पुकार कर पूछेगा कि तुमने पैग़म्बरों को क्या जवाब दिया था? **(65)** सो उस दिन उन (के ज़ेहन) से सारे मज़ामीन गुम हो जाएँगे, तो वे (अपने आप भी न समझ सकेंगे और) आपस में पूछताछ भी न कर सकेंगे।[5] **(66)** लेकिन जो शख़्स (कुफ़्र व शिर्क से दुनिया में) तौबा करे और ईमान ले आए और नेक काम किया करे तो ऐसे लोग उम्मीद है कि (आख़िरत में) कामयाबी पाने वालों में से होंगे। **(67)** और आपका रब जिस चीज़ को चाहता है पैदा करता है और (जिस हुक्म को चाहता है) पसन्द करता है। उन लोगों को (अहकाम) तजवीज़ करने का कोई हक़ हासिल नहीं। अल्लाह तआ़ला उनके शिर्क से पाक और बरतर है। **(68)** और आपका रब सब चीज़ों की ख़बर रखता है, जो उनके दिलों में पोशीदा रहता है और जिसको ये ज़ाहिर करते हैं। **(69)** और अल्लाह तआ़ला वही (कामिल सिफ़ात वाला) है, उसके सिवा कोई माबूद (होने को क़ाबिल) नहीं, तारीफ़ (और प्रशंसा) के लायक़ दुनिया और आख़िरत में वही है,[6] और हुकूमत भी (क़ियामत में) उसी की होगी, तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे। **(70)** आप (उन लोगों से) कहिए कि भला यह तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तआ़ला तुमपर हमेशा के लिए क़ियामत तक रात ही रहने दे तो खुदा के सिवा वह कौन-सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी को ले आए, तो क्या तुम (तौहीद

1. यानी उम्र के ख़ात्मे के साथ उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा।
2. मुराद पहले शख़्स से मोमिन है जिससे जन्नत का वायदा है, और दूसरे से मुराद काफ़िर है जो मुजरिम होकर आएगा।
3. मुराद उससे शयातीन हैं कि उन्हीं की मुतलक़ ताबेदारी से शिर्क करते थे, इसलिए उनको "शु-रका" कहा।
4. यानी जब ये अपने इख़्तियार से बहके हैं न कि ख़ालिस हमारे बहकाने से तो इस एतिबार से ये ख़्वाहिश-परस्त थे, न कि सिर्फ़ शैतान-परस्त। मतलब यह कि ये खुद अपनी ख़्वाहिश से ख़राब हुए इस दर्जे में हमारा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जिस क़द्र हमारी ख़ता है कि हमने उनको बहकाया उसका हम इक़रार करते हैं। मक़सूद इस सब हिकायत से यह है कि जिनके भरोसे पर बैठे हैं वे उनसे कानों पर हाथ रखेंगे।
5. ऊपर शिर्क पर धमकी और झिड़की की हिकायत में शिर्क की निन्दा ज़िक्र हुई है, आगे तौहीद को और उसके तहत में इनामात व एहसानात को साबित किया गया है।
6. क्योंकि उसके इख़्तियारात और दख़ल दोनों आ़लम में ऐसे हैं **(पृष्ठ 710 की बक़िया तफ़सीर पृष्ठ 712 पर)**

की ऐसी साफ़ दलीलों को) सुनते नहीं। **(71)** आप कहिए कि भला यह तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तआ़ला तुम पर हमेशा के लिए क़ियामत तक दिन ही रहने दे,[1] तो ख़ुदा तआ़ला के सिवा वह कौन-सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात को ले आए, जिसमें तुम आराम पाओ। क्या तुम (इस क़ुदरत के गवाह को) देखते नहीं। **(72)** और (वह नेमत देने वाला ऐसा है कि) उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया, ताकि रात में आराम करो और ताकि (दिन में) उसकी रोज़ी तलाश करो, और ताकि (इन दोनों नेमतों पर) तुम (अल्लाह का) शुक्र करो।[2] **(73)** और जिस दिन अल्लाह तआ़ला उनको पुकार कर फ़रमाएगा कि जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे वे कहाँ गए। **(74)** और हम हर उम्मत में से एक-एक गवाह निकाल लाएँगे,[3] फिर हम (उन मुश्रिकों से) कहेंगे कि (अब) अपनी (कोई) दलील (शिर्क के सही होने के दावे पर) पेश करो, सो (उस वक़्त) उनको मालूम हो जाएगा कि सच्ची बात ख़ुदा ही की थी, और (दुनिया में) जो कुछ बातें घड़ा करते थे (आज) किसी का पता न रहेगा।[4] **(75)** ❖

क़ारून मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की बिरादरी में से था, सो वह (माल की ज़्यादती की वजह से) उन लोगों के मुक़ाबले में तकब्बुर करने लगा और (उस माल की ज़्यादती यह थी कि) हमने उसको इस क़द्र ख़ज़ाने दिए थे कि उनकी कुन्जियाँ कई-कई ताक़तवर शख़्सों को बोझल कर देती थीं।[5] जबकि उसको उसकी बिरादरी ने (समझाने के तौर पर) कहा कि तू (इस माल व शान पर) इतरा मत, वाक़ई अल्लाह तआ़ला इतराने वालों को पसन्द नहीं करता। **(76)** और (यह भी कहा कि) तुझको जितना दे रखा है उसमें आ़लमे आख़िरत की भी जुस्तजू किया कर, और दुनिया से अपना हिस्सा (आख़िरत में ले जाना) मत भूल, और जिस तरह ख़ुदा तआ़ला ने तेरे साथ एहसान किया तू भी (बन्दों के साथ) एहसान किया कर। दुनिया में फ़साद का इच्छुक मत हो,[6] बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसन्द नहीं करता। **(77)** क़ारून (यह सुनकर कहने लगा कि) मुझको तो यह सब कुछ मेरी ज़ाती हुनर मन्दी "यानी कमाल और योग्यता" से मिला है,[7] क्या उस (क़ारून) ने (निरन्तर ख़बरों से) यह न जाना कि अल्लाह तआ़ला उससे पहले पिछली उम्मतों में ऐसे-ऐसों को हलाक कर चुका है जो (माली) ताक़त में (भी) उससे कहीं बढ़े हुए थे और मजमा (भी) उनका (उससे) ज़्यादा था। और मुजरिमों से (तहक़ीक़ करने के लिए) उनके गुनाहों का सवाल न करना पड़ेगा।[8] **(78)** फिर (एक बार ऐसा इत्तिफ़ाक़

(पिछले पृष्ठ का शेष) कि जो सिफ़ाते कमाल पर दलालत करते हैं जिससे यह वाज़ेह है कि तारीफ़ के लायक़ वही है।

1. रात हमेशा होना इस तौर पर कि सूरज को उफ़ुक़ (आसमान के किनारे) से न निकलने दे या उसका नूर छीन ले। और दिन का हमेशा होना इस तरह पर कि सूरज को छुपने न दे। या बिना सूरज ही के नूर फैला दे।

2. कमाल की समस्त सिफ़तें जो इस मक़ाम पर दलील पकड़ने के लिए ज़िक्र हुई हैं, ये हैं- **1-** ख़ालिक़ होना **2-** शरीअ़त व क़ानून का मुख़्तार होना **3-** इल्म **4-** हुकूमत **5-** हुकूमत की क़ुव्वत व वुस्अ़त **6-** क़ुदरत **7-** नेमत अ़ता करना।

3. मुराद इससे अम्बिया हैं कि वे उनके कुफ़्र की गवाही देंगे।

4. क्योंकि हक़ के ज़ाहिर होने के लिए बातिल का ग़ायब हो जाना लाज़िम है।

5. यानी उनसे मुश्किल से उठती थीं, तो जब कुन्जियाँ इतनी ज़्यादा थीं तो ज़ाहिर है कि ख़ज़ाने बहुत होंगे।

6. यानी गुनाह करने से दुनिया में फ़साद व बिगाड़ होता है।

7. यानी मैं कमाने और माल हासिल करने के तरीक़े और तदबीरें ख़ूब जानता हूँ उससे मैंने यह सब जमा किया है। फिर मेरा फ़ख़्र करना बेजा नहीं और न इसको ग़ैबी एहसान कहा जा सकता है। और न इसमें किसी का हक़ हो सकता है।

8. क्योंकि अल्लाह तआ़ला को सब मालूम है अगरचे सख़्ती करने और झिड़कने के लिए सवाल हो। मतलब यह कि अगर क़ारून इस मज़मून पर ग़ौर करता तो ऐसी जहालत की बात न कहता। क्योंकि दुनियावी हलाकत से हक़ीक़ी क़ुदरत के तहत में और आख़िरत की पकड़ से हक़ीक़ी हुकूमत के तहत में दाख़िल होना ज़ाहिर है। फिर ऐसे शख़्स की क्या क़ुदरत कि अपने कमाने और ज़ाती मेहनत से हासिल करने को हक़ीक़ी इल्लत समझे, और ऐसे शख़्स की क्या राय कि वाजिब हुक़ूक़ का इनकार करे।

हुआ कि) वह अपने ठाठ (और शान) से अपनी बिरादरी के सामने निकला। जो लोग (उसकी बिरादरी में) दुनिया के तालिब थे (अगरचे मोमिन हों) कहने लगे, क्या ख़ूब होता कि हमको भी वह साज़ो-सामान मिला होता जैसा कि क़ारून को मिला है। वाक़ई वह बड़ा नसीब वाला है। **(79)** और जिन लोगों को (दीन की) समझ अ़ता हुई थी वे (उन लालचियों से) कहने लगे, अरे तुम्हारा नास हो, (तुम इस दुनिया पर क्या ललचाते हो) अल्लाह के घर का सवाब (इस दुनियावी शान-शौकत से) हज़ार दर्जे बेहतर है, जो ऐसे शख़्स को मिलता है कि ईमान लाए और नेक अ़मल करे, और (फिर) वह (सवाब पूरे तौर पर) उन्हीं को दिया जाता है जो (दुनिया की हिर्स व लालच से) सब्र करने वाले हैं।[1] **(80)** फिर हमने उस (क़ारून) को और उसके महल-सराय को (उसकी शरारत बढ़ जाने से) ज़मीन में धँसा दिया। सो कोई ऐसी जमाअ़त न हुई जो उसको अल्लाह (के अ़ज़ाब) से बचा लेती, और न वह ख़ुद ही अपने को बचा सका। **(81)** और कल (यानी पिछले क़रीबी ज़माने में) जो लोग उस जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे, वे (उसको ज़मीन में धँसता देखकर) कहने लगे, बस जी यूँ मालूम होता है कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और (जिसको चाहे) तंगी से देने लगता है। अगर हमपर अल्लाह तआ़ला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धँसा देता, बस जी मालूम हुआ कि काफ़िरों को कामयाबी नहीं होती।[2] **(82)** ❖

यह आ़लमे-आख़िरत हम उन्हीं लोगों के लिए ख़ास करते हैं जो दुनिया में न बड़ा बनना चाहते हैं और न फ़साद करना, और अच्छा अन्जाम परहेज़गार लोगों को मिलता है।[3] **(83)** जो शख़्स (क़ियामत के दिन) नेकी लेकर आएगा उसको उस (नेकी की वजह) से बेहतर (बदला) मिलेगा,[4] और जो शख़्स बुराई लेकर आएगा सो ऐसे लोगों को जो कि बुराई के काम करते हैं उतना ही बदला मिलेगा जितना वे करते थे।[5] **(84)** जिस ख़ुदा ने आप पर क़ुरआन (के अहकाम पर अ़मल और उसकी तब्लीग़) को फ़र्ज़ किया है वह आपको (आपके) असली वतन (यानी मक्का शरीफ़) में फिर पहुँचाएगा।[6] आप (उनसे) फ़रमा दीजिए कि मेरा रब ख़ूब जानता है कि (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से) कौन सच्चा दीन लेकर आया है और कौन खुली गुमराही में (मुब्तला) है। **(85)** और आपको (अपने नबी होने से पहले) यह उम्मीद न थी कि आप पर यह किताब नाज़िल की जाएगी, मगर महज़ आपके रब की मेहरबानी से इसका उतरना हुआ, सो आप उन काफ़िरों की

---

1. पस तुम लोग ईमान को मुकम्मल करने और नेक आमाल के हासिल करने में लगो, और शरई हद के अन्दर दुनिया हासिल करके उसकी हिर्स व लालच से सब्र करो और बचो।

2. अगरचे चन्द दिन मज़े लूट लें मगर अन्जाम फिर नाकामी और घाटा है। पस असल और हक़ीक़ी कामयाबी ईमान वालों ही के साथ मख़्सूस है।

3. यानी न तकब्बुर करते हैं और न कोई ज़ाहिरी गुनाह करते हैं। ख़ासकर ऐसा गुनाह जिसका असर दूसरे की ज़ात तक पहुँचे, जैसा कि फ़िरऔन व क़ारून तकब्बुर व घमण्ड और बिगाड़ व फ़साद के मुजरिम हुए। और वे सिर्फ़ मना की हुई चीज़ों से रुकने पर बस नहीं करते, बल्कि जो गुनाहों और मनाशुदा बातों के साथ-साथ हुक्म की हुई बातों और अहकाम को भी बजा लाते हों।

4. क्योंकि तक़ाज़ा तो यह था कि सिर्फ़ अ़मल की हैसियत के मुवाफ़िक़ बदला मिले मगर वहाँ ज़्यादा मिलेगा। जिसका कम-से-कम दर्जा दस हिस्से है।

5. यानी उसके तक़ाज़े से ज़्यादा न मिलेगा।

6. हासिले कलाम यह कि जिसने आपको नबी व वह्य वाला बनाया है और नबी से जो वायदा किया जाता है वह वह्य के क़तई होने की वजह से यक़ीनन सच्चा होता है, वह आपसे यह वायदा करता है, पस यक़ीनन ऐसा होगा।

ज़रा भी ताईद न कीजिए। **(86)** और जब अल्लाह के अहकाम आप पर नाज़िल हो चुके तो ऐसा न होने पाए (जैसा अब तक भी नहीं होने पाया) कि ये लोग आपको उन अहकाम से रोक दें और आप (बदस्तूर) अपने रब (के दीन) की तरफ़ (लोगों को) बुलाते रहिए, और उन मुश्रिकों में शामिल न होइए। **(87)** और (जिस तरह अब तक आप शिर्क से पाक और महफ़ूज़ हैं उसी तरह आगे भी) अल्लाह तआ़ला के साथ किसी माबूद को न पुकारना, उसके सिवा कोई माबूद (होने के क़ाबिल) नहीं,[1] (इसलिए कि) सब चीज़ें फ़ना होने वाली हैं सिवाय उसकी ज़ात के, उसी की हुकूमत है (जिसका पूरे तौर पर ज़ुहूर क़ियामत में है) और उसी के पास तुम सबको जाना है। (पस सबको उनके किए का बदला देगा)। ▲ **(88)** ❖

29 सूरः अ़न्कबूत 85

सूरः अ़न्कबूत मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 69 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम्-मीम्[2] **(1)** (बाज़े मुसलमान जो काफ़िरों के तकलीफ़ पहुँचाने से घबरा जाते हैं, तो) क्या उन लोगों ने यह ख़्याल कर रखा है कि वे इतना कहने पर छूट जाएँगे कि हम ईमान ले आए और उनको (क़िस्म-क़िस्म की मुसीबतों से) आज़माया न जाएगा। **(2)** और हम तो (ऐसे ही वाक़िआ़त से) उन लोगों को भी आज़मा चुके हैं जो उनसे पहले (मुसलमान) हो गुज़रे हैं। सो अल्लाह तआ़ला उन लोगों को (ज़ाहिरी इल्म से) जानकर रहेगा जो (ईमान के दावे में) सच्चे थे, और झूठों को भी जानकर रहेगा।[3] **(3)** हाँ, क्या जो लोग बुरे-बुरे काम कर रहे हैं वे यह ख़्याल करते हैं कि हमसे कहीं निकल भागेंगे, उनकी यह तजवीज़ निहायत ही बेहूदा है।[4] **(4)** जो शख़्स अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, सो (उसको तो ऐसे-ऐसे हादसों से परेशान न होना चाहिए, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (से मिलने) का वह मुक़र्ररा वक़्त ज़रूर आने वाला है, (जिससे सारे ग़म दूर हो जाएँगे) और वह सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है। **(5)** और जो शख़्स मेहनत करता है, वह अपने ही (नफ़े के) लिए मेहनत करता है, (वरना) ख़ुदा तआ़ला को (तो) तमाम जहान वालों में किसी की हाजत नहीं। **(6)** और (वह नफ़ा जो नेकी करने से पहुँचता है उसका बयान यह है कि) जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं। हम उनके गुनाह उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके (उन) आमाल (ईमान और नेक कामों) का (हक़ से) ज़्यादा अच्छा बदला देंगे।[5] **(7)** और हमने इनसान को अपने माँ-बाप के साथ अच्छा

1. इन आयतों में काफ़िरों और मुश्रिकों को उनकी दरख़्वास्तों से मायूस करना है, और बात का रुख़ उन्हीं की तरफ़ है कि तुम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दीन में मुवाफ़िक़ होने यानी की दरख़्वास्त करते हो उसमें कामयाबी का कभी का सवाल ही नहीं। मगर आ़दत है कि जिसपर ज़्यादा गुस्सा होता है उससे बात नहीं किया करते। अपने महबूब से बातें करके उस शख़्स को सुनाया करते हैं।

2. इस सूरः में ज़्यादातर दीन पर साबित क़दम रहने में जो चीज़ें रुकावट होती हैं उनके मुताल्लिक़ अहकाम हैं।

3. चुनाँचे जो सच्चे दिल और एतिक़ाद से मुसलमान होते हैं वे इन इम्तिहानों में अटल रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा पुख़्ता हो जाते हैं। और जो वक़्ती तौर पर यूँही मुसलमान होते हैं वे ऐसे वक़्त में इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। यानी यह एक हिक्मत है इम्तिहान की।

4. जारी मज़मून से अलग यह एक दूसरी बात बयान की है। जिसमें काफ़िरों के बुरे अन्जाम को सुनाकर मुसलमानों की एक तरह से तसल्ली कर दी कि इन तकलीफ़ों का उनसे बदला लिया जाएगा।

5. काफ़िर लोग तरह-तरह से मुसलामनों को इस्लाम से हटाने की फ़िक्रें करते थे। बाज़े जिस्मानी तकलीफ़ें पहुँचाया करते थे और बाज़े दूसरे तरीक़ों से मजबूर करते। चुनाँचे सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की वालिदा (माँ) ने उनसे कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि माँ-बाप की इताअ़त करो, सो मैं क़सम खाती हूँ कि खाना-पानी न चखूँगी जब तक कि तू इस्लाम न छोड़ देगा चाहे मेरी जान निकल जाए, इसपर अगली आयत नाज़िल हुई।

सुलूक करने का हुक्म दिया है। और (उसके साथ यह भी कह दिया है कि) अगर वे दोनों तुझपर इस बात का दबाव डालें कि तू ऐसी चीज़ को मेरा शरीक ठहराए जिस (के माबूद होने) की कोई (सही) दलील तेरे पास नहीं है, तो तू उनका कहना न मानना, तुम सबको मेरे ही पास लौटकर आना है। सो मैं तुमको तुम्हारे सब काम (नेक हों या बुरे) जतला दूँगा।[1] **(8)** और (तुममें) जो लोग ईमान लाए होंगे और नेक अ़मल किए होंगे, हम उनको नेक बन्दों (के दर्जे) में (जो कि जन्नत है) दाख़िल कर देंगे। **(9)** और बाज़े आदमी ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कुछ तकलीफ़ पहुँचाई जाती है[2] तो लोगों के तकलीफ़ पहुँचाने को ऐसा (बड़ा) समझ जाते हैं जैसे ख़ुदा का अ़ज़ाब। और अगर (कभी) कोई (मुसलमानों की) मदद आपके रब की तरफ़ से आ पहुँचती है तो (उस वक़्त) कहते हैं कि हम तो (दीन व अ़क़ीदे में) तुम्हारे साथ थे। क्या अल्लाह को दुनिया-जहान वालों के दिलों की बातें मालूम नहीं? (यानी उनके दिल ही में ईमान न था)। **(10)** और (ये वाक़िआ़त इसलिए होते रहते हैं कि) अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को मालूम करके रहेगा और मुनाफ़िक़ों को भी मालूम करके रहेगा। **(11)** और काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि तुम (दीन में) हमारी राह चलो और (क़ियामत में) तुम्हारे गुनाह हमारे ज़िम्मे, हालाँकि ये लोग उनके गुनाहों में से ज़रा भी नहीं ले सकते, ये बिलकुल झूठ बक रहे हैं। **(12)** और (अलबत्ता यह होगा कि) ये लोग अपने गुनाह अपने ऊपर लादे होंगे और अपने (उन) गुनाहों के साथ (ही) कुछ गुनाह और (भी लादे हुए होंगे) और ये लोग जैसी-जैसी झूठी बातें बनाते थे, क़ियामत में उनसे पूछताछ (और फिर सज़ा) ज़रूर होगी।[3] **(13)** ❖

और हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम की तरफ़ (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, सो वह उनमें पचास साल कम एक हज़ार बरस रहे (और क़ौम को समझाते रहे)।[4] फिर (जब उसपर भी वे बाज़ न आए तो) उनको तूफ़ान ने आ दबाया, और वे बड़े ज़ालिम लोग थे।[5] **(14)** फिर (उस तूफ़ान के आने के बाद) हमने उनको और कश्ती वालों को (उस तूफ़ान से) बचा लिया, और हमने इस वाक़िए को तमाम जहान वालों के लिए इबरत का सबब बनाया। **(15)** और हमने इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से (जो कि बुतपरस्त थे) फ़रमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो,[6] यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। **(16)** तुम लोग अल्लाह को छोड़कर महज़ बुतों को पूज रहे हो, और (उसके मुताल्लिक़) झूठी बातें घड़ते हो। तुम ख़ुदा को छोड़कर जिनको पूज रहे हो वे तुमको

1. हासिल यह हुआ कि ऊपर वाले वाक़िए में माँ की नाफ़रमानी से गुनाह का वस्वसा न किया जाए।
2. रद्द करने से मक़सूद यह नहीं है कि उनका इस्लाम अब मक़बूल नहीं। बल्कि गुज़रे हुए ज़माने में इस्लाम पर बराबर क़ायम रहने के दावे को झुठलाना है।
3. ऊपर काफ़िरों के तकलीफ़ देने और मुख़ालफ़तों का बयान था जिससे मुसलमान नुक़सान व परेशानी उठाते हैं, आगे तसल्ली के लिए पहली उम्मतों के बाज़ क़िस्से ज़िक्र हुए हैं।
4. रुहुल-मआ़नी में इब्ने अबी शैबा, अ़ब्द बिन हमीद, इब्नुल मुन्ज़िर, इब्ने अबी हातिम, इब्ने मरदूविया और हाकिम की रिवायत से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि नूह अ़लैहिस्सलाम को चालीस साल की उम्र में नुबुव्वत मिली और साढ़े नौ सौ साल वअ़ज़ फ़रमाया। और फिर तूफ़ान के बाद साठ साल ज़िन्दा रहे, सो इस हिसाब से उनकी उम्र एक हज़ार पचास साल की हुई, और अल्लाह ही ख़ूब जानते हैं।
5. कि इतनी लम्बी मुद्दत की तंबीह और समझाने से भी मुतास्सिर न हुए।
6. और डरकर शिर्क छोड़ दो।

कुछ भी रिज़्क़ देने का इख़्तियार नहीं रखते। सो तुम रिज़्क़ ख़ुदा के पास से तलाश करो[1] और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा करो, और तुमको उसी के पास लौटकर जाना है।[2] **(17)** और अगर तुम लोग मुझको झूठा समझो तो (मेरा कुछ नुक़सान नहीं, क्योंकि) तुमसे पहले भी बहुत-सी उम्मतें (अपने पैग़म्बरों को) झूठा समझ चुकी हैं, और (उनका भी कुछ नुक़सान नहीं हुआ। वजह उसकी यह है कि) पैग़म्बर के ज़िम्मे तो सिर्फ़ (बात का) साफ़ तौर पर पहुँचा देना है। **(18)** क्या उन लोगों को यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआला किस तरह मख़्लूक़ को अव्वल बार पैदा करता है, (कि नापैदी की हालत से वजूद में लाता है) फिर वही दोबारा उसको पैदा करेगा, यह अल्लाह के नज़दीक बहुत ही आसान बात है। **(19)** आप (उन लोगों से) कहिए कि तुम लोग मुल्क में चलो-फिरो और देखो कि ख़ुदा तआला ने मख़्लूक़ को किस तौर पर अव्वल बार पैदा किया है। फिर अल्लाह तआला पिछली बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।[3] **(20)** जिसको चाहेगा अ़ज़ाब देगा (यानी जो उसका हक़दार होगा) और जिसपर चाहे रहमत फ़रमा देगा (यानी जो उसका अहल होगा) और तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे। **(21)** और न तुम ज़मीन में (छुपकर ख़ुदा को) हरा सकते हो और न आसमान में (उड़कर), और ख़ुदा के सिवा न तुम्हारा कोई कारसाज़ है और न कोई मददगार।[4] **(22)** ❖

और जो लोग ख़ुदा की आयतों के और (ख़ास तौर पर) उसके सामने जाने के इनकारी हैं, वे लोग (क़ियामत में) मेरी रहमत से नाउम्मीद होंगे, और यही हैं जिनको दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। **(23)** सो (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की इस दिल को छू लेने वाली तक़रीर के बाद) उनकी क़ौम का (आख़िरी) जवाब बस यह था कि (आपस में) कहने लगे कि उनको या तो क़त्ल कर डालो या उनको जला दो। (चुनाँचे जलाने का सामान किया) सो अल्लाह ने उनको उस आग से बचा लिया। बेशक इस वाक़िए में उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते हैं, कई निशानियाँ हैं।[5] **(24)** और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने (वअ़ज़ यानी तक़रीर में यह भी) फ़रमाया कि तुमने जो ख़ुदा को छोड़कर बुतों को (माबूद) तजवीज़ कर रखा है, बस यह तुम्हारे दुनिया के आपसी ताल्लुक़ात की वजह से है।[6] फिर क़ियामत में (तुम्हारा यह हाल होगा कि) तुममें से एक दूसरे का मुख़ालिफ़ हो जाएगा और एक दूसरे पर लानत करेगा। और (अगर तुम इस बुतपरस्ती से बाज़ न आए तो) तुम्हारा ठिकाना दोज़ख़ होगा, और तुम्हारा कोई हिमायती न होगा। **(25)** सो (इतने वअ़ज़ और नसीहत पर भी उनकी क़ौम ने न माना) सिर्फ़ लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने उनकी तस्दीक़ फ़रमाई और (इब्राहीम ने) फ़रमाया कि मैं अपने परवर्दिगार की (बतलाई हुई जगह की) तरफ़ वतन छोड़ करके चला जाऊँगा,[7] बेशक वह ज़बरदस्त, हिक्मत

---

1. यानी उससे माँगो कि रिज़्क़ का मालिक वही है।

2. एक तो इबादत के वाजिब होने का सबब यह है कि वह नफ़े का मालिक है, और दूसरा यह कि वह नुक़सान का भी मालिक है।

3. मख़्लूक़ की पहली पैदाइश के इल्मे अ़क़्ली से उसके दोबारा पैदा करने पर इस्तिदलाल किया है जैसा कि इसपर ''अ-व लम् यरौ'' दलालत कर रहा है। और फिर मख़्लूक़ के पहली बार पैदाइश के महसूस किए जाने वाले इल्म से दोबारा पैदाइश पर इस्तिदलाल है जैसा कि ''उन्ज़ुरू'' इसपर दलालत कर रहा है, जिसमें पहली दलील से और आगे बढ़कर इरशाद है, कि जिस चीज़ से दलील पकड़ी जा रही है वह सिर्फ़ अ़क़्ली चीज़ नहीं बल्कि महसूस की जाने वाली बात है।

4. पस न अपनी तदबीर से बच सके न दूसरे की हिमायत से।

5. यानी यह वाक़िआ कई चीज़ों पर दलालत करता है- अल्लाह का क़ादिर होना, इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का नबी होना, कुफ़्र व शिर्क का बातिल होना। पस एक दलील इस एतिबार से कई दलीलों के क़ायम-मक़ाम हो गई कि उससे कई चीज़ों पर दलालत हो रही है।

6. चुनाँचे आँखों के सामने है कि अक्सर आदमी अपने ताल्लुक़ वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के तरीक़े पर रहता है, या तो इस वजह से हक़ के बारे में ग़ौर ही नहीं करता, और या समझकर भी डरता है कि ये सब छूट जाएँगे। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 722 पर)**

वाला है। **(26)** और हमने (हिजरत के बाद) उनको इसहाक़ (बेटा) और याकूब (पोता) इनायत फ़रमाया, और हमने उनकी नस्ल में नुबुव्वत और किताब (के सिलसिले) को क़ायम रखा, और हमने उनका सिला उनको दुनिया में भी दिया और आख़िरत में भी (बड़े दर्जे के) नेक बन्दों में होंगे।[1] **(27)** और हमने लूत (अ़लैहिस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा, ज़बकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में नहीं किया। **(28)** क्या तुम मर्दों से फ़ेल "यानी बुरा काम" करते हो, (वह बेहयाई का काम यही है) और तुम डाका डालते हो, और (ग़ज़ब यह है कि) अपनी भरी मज्लिस में नामाकूल हरकत करते हो।[2] सो उनकी क़ौम का (आख़िरी) जवाब बस यह था कि तुम हमपर अल्लाह का अ़ज़ाब ले आओ अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो (कि ये काम अ़ज़ाब को लाने वाले हैं)। **(29)** लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने दुआ़ की, ऐ मेरे रब! मुझको इन फ़साद "यानी बिगाड़" पैदा करने वाले लोगों पर ग़ालिब (और इनको अ़ज़ाब से हलाक) कर दे।[3] **(30)** ❖

और हमारे (वे) भेजे हुए फ़रिश्ते जब इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के पास ख़ुशख़बरी लेकर आए तो (बातचीत के दौरान में) उन फ़रिश्तों ने (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से) कहा कि हम इस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं, (क्योंकि) वहाँ के रहने वाले बड़े शरीर हैं। **(31)** इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि वहाँ तो लूत (अ़लैहिस्सलाम भी मौजूद) हैं। फ़रिश्तों ने कहा कि जो-जो वहाँ (रहते) हैं हमको सब मालूम हैं। हम उनको और उनके ख़ास मुताल्लिक़ीन को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के, कि वह अ़ज़ाब में रह जाने वालों में होगी। **(32)** (यह बातचीत तो इब्राहीम अ़लैहि. से हुई) और (फिर वहाँ से फ़ारिग़ होकर) जब हमारे वे भेजे हुए लूत के पास पहुँचे तो लूत (अ़लैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से रन्जीदा हुए[4] और उनके सबब तंगदिल हुए। और (फ़रिश्तों ने जब यह हाल देखा तो) वे फ़रिश्ते कहने लगे कि आप (किसी बात का) अन्देशा न करें और न रन्जीदा हों, हम आप और आपके ख़ास मुताल्लिक़ीन को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के, कि वह अ़ज़ाब में रह जाने वालों में होगी। **(33)** (और आपको मय मुताल्लिक़ीन उससे बचाकर) हम इस बस्ती के (बक़िया) रहने वालों पर एक आसमानी अ़ज़ाब उनकी बदकारियों की सज़ा में नाज़िल करने वाले हैं।[5] **(34)** और हमने उस बस्ती के कुछ ज़ाहिरी निशान (अब तक) रहने दिए हैं उन लोगों (की इबरत) के लिए जो अ़क़्ल रखते हैं।[6] **(35)** और मद्यन वालों के पास हमने उन (की बिरादरी) के भाई शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा। सो उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की इबादत करो (और शिर्क छोड़ दो) और क़ियामत के दिन से डरो, और सरज़मीन में फ़साद मत फैलाओ।[7] **(36)** सो उन

(पृष्ठ 720 का शेष) 7. वह मेरी हिफ़ाज़त करेगा और मुझको इसका फल देगा।

1. इस सिला से मुराद अल्लाह की निकटता और उसके यहाँ मक़बूल होना है।

2. और गुनाह का ऐलान और ज़ाहिर करना यह खुद एक गुनाह और अ़क़्ली तौर पर बुरी चीज़ है।

3. और उनकी दुआ़ क़बूल होने के बाद अल्लाह तआ़ला ने अ़ज़ाब की ख़बर देने के लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमा दिए। और दूसरा काम उन फ़रिश्तों को यह बतलाया गया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को इसहाक़ के पैदा होने की ख़ुशख़बरी दें।

4. क्योंकि वे हसीन नौजवानों की शक्ल में आए थे और लूत अ़लैहिस्सलाम ने उनको आदमी समझा, और अपनी क़ौम की नामाक़ूल हरकत का ख़्याल आया।

5. चुनाँचे वह बस्ती उलट दी गई और ग़ैब से पत्थर बरसाए गए।

6. चुनाँचे मक्का वाले मुल्क शाम के सफ़र में उन वीरान स्थानों को देखते थे, और जो अ़क़्लमन्द थे वे फ़ायदा भी उठाते थे कि डरकर ईमान ले आते थे। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 724 पर)**

लोगों ने शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) को झुठलाया, पस ज़लज़ले ने उनको आ पकड़ा, फिर वे अपने घरों में औंधे गिरकर रह गए। **(37)**) और हमने आ़द और समूद को भी (उनके बैर और मुख़ालफ़त की वजह से) हलाक किया, और यह हलाक होना तुमको उनके रहने के स्थानों से नज़र आ रहा है।[1] और (उनकी यह हालत थी कि) शैतान ने उनके (बुरे) आमाल को उनकी नज़र में अच्छा कर रखा था, और (इस तरह से) उनको (हक़) रास्ते से रोक रखा था, और वे लोग (वैसे) होशियार थे। **(38)** और हमने क़ारून और फ़िरऔ़न और हामान को भी (उनके कुफ़्र के सबब) हलाक किया। और उन (तीनों) के पास मूसा (अ़लैहिस्सलाम हक़ की) खुली दलीलें लेकर आए थे, फिर उन लोगों ने ज़मीन में सरकशी की और (हमारे अ़ज़ाब से) भाग न सके। **(39)** तो हमने हर एक को उसके गुनाह की सज़ा में पकड़ लिया। सो उनमें बाज़ों पर तो हमने तेज़ हवा भेजी[2] और उनमें बाज़ों को हौलनाक आवाज़ ने आ दबाया।[3] और उनमें बाज़ को हमने ज़मीन में धँसा दिया।[4] और उनमें बाज़ को हमने (पानी में) डुबो दिया।[5] और अल्लाह ऐसा न था कि उनपर ज़ुल्म करता, लेकिन यही लोग (शरारतें करके) अपने ऊपर ज़ुल्म किया करते थे।[6] **(40)** जिन लोगों ने ख़ुदा के सिवा और कारसाज़ तजवीज़ कर रखे हैं, उन लोगों की मिसाल मकड़ी जैसी मिसाल है, जिसने एक घर बनाया, और कुछ शक नहीं कि सब घरों में ज़्यादा बोदा मकड़ी का घर होता है। अगर वे (हक़ीक़ते हाल को) जानते तो ऐसा न करते।[7] **(41)** अल्लाह तआ़ला (तो) उन सब चीज़ों (की हक़ीक़त और कमज़ोरी) को जानता है जिस-जिसको वे लोग ख़ुदा के सिवा पूज रहे हैं। (पस वे चीज़ें तो बहुत ही कमज़ोर हैं) और वह (अल्लाह तआ़ला) ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है। **(42)** और हम इन (क़ुरआनी) मिसालों को लोगों के (समझाने के) लिए बयान करते हैं, और मिसालों को बस इल्म वाले लोग ही समझते हैं। **(43)** अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीन को मुनासिब तौर पर बनाया है। ईमान वालों के लिए इसमें (अल्लाह के इबादत का हक़दार होने की) बड़ी दलील है।[8] **(44)** ❖

(पृष्ठ 722 का शेष) **7.** यानी अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ को ज़ाया मत करो, जैसा कि कुफ़्र व शिर्क के साथ कम नापने-तौलने के भी आ़दी थे। और इन्साफ़ के अगर क़ायम न रखा जाए तो उससे जो फ़साद व बिगाड़ फैलेगा वह ज़ाहिर है।

1. कि वीरानी और बरबादी के आसार उनसे ज़ाहिर हैं। और ये मक़ामात (यानी स्थान) मुल्क शाम को जाते हुए मिलते थे।

2. इससे क़ौमे आ़द मुराद है।

3. इससे क़ौमे समूद मुराद है।

4. इससे क़ारून मुराद है।

5. इससे फ़िरऔ़न और हामान मुराद है।

6. सूरः के शुरू से यहाँ तक काफ़िरों के मुसलमानों को तकलीफ़ देने के मज़मून बयान होता चला आया है। आगे तौहीद व नुबुव्वत की तहक़ीक़ है जो असल बिना थी इस तकलीफ़ पहुँचाने की, और इससे उस तकलीफ़ पहुँचाने का नाहक़ होना भी वाज़ेह हो जाएगा।

7. पस जैसे उस मकड़ी ने अपने ख़्याल में अपनी एक पनाह लेने की जगह बनाई है, मगर हक़ीक़त में वह पनाह की जगह बहुत ही कमज़ोर होने की वजह से न होने के बराबर है, इसी तरह ये मुश्रिक लोग बातिल माबूदों को अपने गुमान में अपनी पनाह समझते हैं, मगर हक़ीक़त में वह पनाह कुछ नहीं है।

8. ऊपर तौहीद का ज़िक्र था आगे नुबुव्वत का ज़िक्र है। इस तरतीब से कि पहले हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को "उत्लु मा ऊहि-य इलै-क" से ज़बानी तब्लीग़ और "अक़िमिस्सला-त" से अ़मली तब्लीग़ का हुक्म, और उसके बाद के जुमलों (यानी वाक्यों) में अल्लाह के इल्म का बयान किया और आमाल की फ़ज़ीलत बयान की, जिससे तरग़ीब देना और डराना और शरीअ़त के मुक़र्ररा मक़सूद की तब्लीग़ है। और "ला तुजादिलू······आख़िर तक" से "कुल कफ़ा बिल्लाहि······" तक रिसालत का इनकार करने वालों से कलाम किया, पहले अहले किताब से फिर ग़ैर-अहले किताब से। फिर आगे "यस्तअ्जिलून-क" से बाज़ रिसालत का इनकार करने वालों के एक शुब्हे का जवाब ज़िक्र किया गया है।

इक्कीसवाँ पारः उत्लु मा ऊहि-य

सूरः अ़न्कबूत (आयत 45 से 69)

जो किताब आप पर वह्य की गई है आप उसको पढ़ा कीजिए। और नमाज़ की पाबन्दी रखिए। बेशक नमाज़ (अपनी शक्ल और ज़ाहिरी हालात के एतिबार से) बेहयाई और नामाकूल कामों से रोक-टोक करती रहती है,[1] और अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को जानता है। **(45)** और तुम अहले किताब के साथ सिवाय मुहज़्ज़ब तरीक़े के बहस मत करो। हाँ, जो उनमें ज़्यादती करें,[2] और यूँ कहो कि हम उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हमपर नाज़िल हुई और उन किताबों पर भी जो तुमपर नाज़िल हुईं। और (यह तुम भी मानते हो) कि हमारा और तुम्हारा माबूद एक है, और हम तो उसकी इताअ़त करते हैं। **(46)** और इसी तरह हमने आप पर किताब नाज़िल फ़रमाई। सो जिन लोगों को हमने किताब (की नफ़ा देने वाली समझ) दी है, वे इस (आप वाली) किताब पर ईमान ले आते हैं, और इन (अ़रब के मुश्रिक) लोगों में भी बाज़े ऐसे (इन्साफ़ पसन्द) हैं कि इस किताब पर ईमान ले आते हैं। और हमारी आयतों से सिवाय (ज़िद्दी) काफ़िरों के और कोई मुन्किर नहीं होता। **(47)** और आप इस किताब से पहले न कोई किताब पढ़े हुए थे और न कोई किताब अपने हाथ से लिख सकते थे, कि ऐसी हालत में यह हक़ न पहचानने वाले लोग कुछ शुब्हा निकालते। **(48)** बल्कि यह किताब ख़ुद बहुत-सी वाज़ेह दलीलें हैं उन लोगों के ज़ेहन में जिनको इल्म अ़ता हुआ है, और हमारी आयतों से बस ज़िद्दी लोग इनकार किए जाते हैं। **(49)** और ये लोग यूँ कहते हैं कि उनपर उनके रब के पास से निशानियाँ क्यों नहीं नाज़िल हुईं। आप कह दीजिए कि वे निशानियाँ तो ख़ुदा के क़ब्ज़े में हैं और मैं तो सिर्फ़ एक साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ। **(50)** क्या उन लोगों को यह बात काफ़ी नहीं हुई कि हमने आप पर यह किताब नाज़िल फ़रमाई जो उनको सुनाई जाती रहती है, बेशक इस किताब में ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है। **(51)** ❖

आप यह कह दीजिए कि अल्लाह तआ़ला मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है। उसको सब चीज़ की ख़बर है जो आसमानों में है और ज़मीन में है, और जो लोग झूठी बातों पर यक़ीन रखते हैं और अल्लाह तआ़ला के मुन्किर हैं तो वे लोग बड़े घाटा उठाने वाले हैं।[3] **(52)** और ये लोग आपसे अ़ज़ाब का तक़ाज़ा करते हैं। और अगर (अल्लाह तआ़ला के इल्म में अ़ज़ाब आने की) मीयाद मुक़र्रर न होती तो उनपर अ़ज़ाब

1. यानी नमाज़ ज़बाने हाल से कहती है कि जिस माबूद की तू इतनी ताज़ीम करता है 'बेहयाई' और 'बुरे कामों' करके उसकी बेअदबी करना बहुत ही नामुनासिब है।

2. यानी उनको तुर्की-ब-तुर्की जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, अगरचे अफ़ज़ल जब भी वही तरीक़ा है। यानी अच्छे अन्दाज़ से उनसे बहस-मुबाहसा किया जाए।

3. यानी जब अल्लाह तआ़ला के इरशाद से मेरी रिसालत साबित है तो उसका इनकार करना अल्लाह का इनकार करना है, और अल्लाह तआ़ला का इल्म घेरने वाला है, तो उसको इस इनकार करने और कुफ़्र की भी ख़बर है और अल्लाह तआ़ला कुफ़्र पर घाटे में रहने की सज़ा देते हैं। पस ज़रूर ऐसे लोग घाटा उठाने वाले होंगे।

आ चुका होता, और वह अ़ज़ाब उनपर एकदम से आ पहुँचेगा, और उनको ख़बर भी न होगी। **(53)** ये लोग आपसे अ़ज़ाब का तक़ाज़ा करते हैं और इसमें कुछ शक नहीं कि जहन्नम उन काफ़िरों को घेर लेगी। **(54)** जिस दिन कि उनपर अ़ज़ाब उनके ऊपर से और उनके नीचे से घेर लेगा और हक़ तआ़ला फ़रमाएगा कि जो कुछ करते रहे हो (अब उसका मज़ा) चखो।[1] **(55)** ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो! मेरी ज़मीन फ़राख़ "यानी खुली हुई और बहुत बड़ी" है सो ख़ालिस मेरी ही इबादत करो।[2] **(56)** हर शख़्स को मौत का मज़ा चखना है,[3] फिर तुम सबको हमारे पास आना है। **(57)** और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अ़मल किए हम उनको जन्नत के बालाख़ानों में जगह देंगे, जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (नेक) काम करने वालों का क्या अच्छा अज्र है। **(58)** जिन्होंने सब्र किया,[4] और वे अपने रब पर भरोसा किया करते थे।[5] **(59)** और बहुत-से जानवर ऐसे हैं कि जो अपनी ग़िज़ा उठाकर नहीं रखते, अल्लाह ही उनको (उनके लिए लिखी गई) रोज़ी पहुँचाता है और तुमको भी, और वह सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है।[6] **(60)** और अगर आप उनसे पूछें कि वह कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? और जिसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है, तो वे लोग यही कहेंगे कि वह अल्लाह तआ़ला है, फिर किधर उल्टे चले जा रहे हैं।[7] **(61)** अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी फ़राख़ "खोल देता और ज़्यादा" कर देता है, और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ के हाल से वाक़िफ़ है। **(62)** और अगर आप उनसे पूछें कि वह कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को इसके बाद कि वह ख़ुश्क पड़ी थी तरोताज़ा कर दिया। तो वे लोग यही कहेंगे कि वह भी अल्लाह है, आप कहिए कि अल्हम्दु लिल्लाहि, बल्कि उनमें अक्सर समझते नहीं।[8] **(63)** ❖

1. पस वह अ़ज़ाब जहन्नम का अ़ज़ाब है और वह मीयाद क़ियामत का दिन है।
2. यानी जब ये लोग अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी और बैर की वजह से शरीअ़त की चीज़ों को क़ायम करने और दीन को इख़्तियार करने पर तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, मेरी ज़मीन बहुत बड़ी है। अगर यहाँ रहकर इबादत नहीं कर सकते तो कहीं और चले जाओ और वहाँ जाकर ख़ालिस मेरी ही इबादत करो।
3. यानी अगर हिजरत करने में तुमको यार-दोस्त और अपने वतनों को छोड़ना भारी मालूम हो तो यह समझ लो कि एक-न-एक दिन तो यह होना ही है, क्योंकि हर शख़्स को ज़रूर मौत का मज़ा चखना है, आख़िर उस वक़्त सब छूटेंगे।
4. यानी पेश आने वाली सख़्तियों पर जिनमें हिजरत की सख़्ती भी दाख़िल है, सब्र किया।
5. यानी जो तकलीफ़ें आ सकती हों उनके आने के अन्देशे के वक़्त वह अपने रब पर भरोसा करते थे, जिनमें दूसरी संभावित सख़्तियों के साथ रोज़ी का अन्देशा भी आ गया।
6. यानी दिल मज़बूत करके अल्लाह पर भरोसा रखो, और वह भरोसे के लायक़ है, क्योंकि वह सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है। इसी तरह दूसरी सिफ़तों में कामिल है। और जो ऐसा कामिल सिफ़तों वाला हो वह ज़रूर भरोसे के क़ाबिल है।
7. यानी माबूद होने में तौहीद का जो आधार है, यानी पैदा करने और बनाने में वह तो उन लोगों के नज़दीक भी मुसल्लम है, फिर जब पैदा करने और बनाने की तौहीद को मानते हैं तो फिर माबूद होने में तौहीद के बारे में किधर उल्टे चले जा रहे हैं।
8. इस वजह से नहीं कि अ़क्ल नहीं, बल्कि अ़क्ल से काम नहीं लेते और ग़ौर नहीं करते। इसलिए बिलकुल आ़म-सी औरी ज़ाहिर चीज़ भी आँखों से ओझल रहती है।

और यह दुनियावी ज़िन्दगी (अपने आपमें) सिवाय खेल-तमाशे के और कुछ भी नहीं, और असल ज़िन्दगी आ़लमे आख़िरत है। अगर उनको इसका इल्म होता तो ऐसा न करते।[1] **(64)** फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो ख़ालिस एतिक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं। फिर जब उनको नजात देकर खुश्की की तरफ़ ले आता है, तो वे फ़ौरन ही शिर्क करने लगते हैं। **(65)** जिसका हासिल यह है कि हमने जो नेमत उनको दी है उसकी नाक़द्री करते हैं, और ये लोग थोड़ा और फ़ायदा हासिल कर लें, फिर जल्द ही उनको सब ख़बर हुई जाती है। **(66)** क्या उन लोगों ने इस बात पर नज़र नहीं की कि हमने अमन वाला हरम बनाया है,[2] और उनके आस-पास में लोगों को निकाला जा रहा है, फिर क्या ये लोग झूठे माबूदों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं।[3] **(67)** और उस शख़्स से ज़्यादा कौन नाइन्साफ़ होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े और जब सच्ची बात उसके पास पहुँचे वह उसको झुठलाए,[4] क्या ऐसे काफ़िरों का जहन्नम में ठिकाना न होगा।[5] **(68)** और जो लोग हमारी राह में मशक़्क़तें बरदाश्त करते हैं, हम उनको अपनी (निकटता और सवाब यानी जन्नत के) रास्ते ज़रूर दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह (की रिज़ा व रहमत) ऐसे खुलूस वालों के साथ है। **(69)** ❖

30 सूरः रूम 84

सूरः रूम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 60 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम्-मीम् **(1)** रूम वाले एक क़रीब के मौक़े में मग़्लूब हो गए।[6] **(2)** और वे अपने मग़्लूब होने के बाद जल्द ही तीन साल से लेकर नौ साल के अन्दर-अन्दर ग़ालिब आ जाएँगे। **(3)** पहले भी इख़्तियार अल्लाह तआ़ला ही को था और बाद में भी, और उस दिन मुसलमान अल्लाह तआ़ला की उस इम्दाद पर खुश होंगे। **(4)** वह जिसको चाहे ग़ालिब कर देता है और वह ज़बरदस्त है, (और) रहीम है। **(5)** अल्लाह

1. कि फ़ानी में मश्ग़ूल होकर बाक़ी को भुला देते और उसके लिए सामान न करते, बल्कि ये लोग दलीलों में ग़ौर करते और ईमान ले आते जैसा कि पैदा करने और वजूद में लाने तथा बाक़ी रखने में वे तौहीद के इक़रारी हैं।
2. यानी मक्का शहर को।
3. क्योंकि शिर्क से बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं कि पैदा करने, रिज़्क़ देने और बाक़ी रखने और तदबीर वग़ैरह की नेमत वह अ़ता फ़रमाए और इबादात जो कि इन नेमतों का शुक्र है दूसरे के लिए तजवीज़ की जाए।
4. बेइन्साफ़ी ज़ाहिर है कि बिना दलील वाली बात की तो तस्दीक़ करे और दलील वाली बात को झुठलाए।
5. यानी ज़रूर होगा।
6. एक बार रूम और फ़ारस (यानी प्राचीन ईरान) में मक़ाम 'अज़रआ़त' और 'बसरा' के दरमियान लड़ाई हुई और रूमी मग़्लूब हो गए। मक्का के मुश्रिक लोग मुसलमानों से कहने लगे कि तुम और रूमी अहले किताब हो और हम और फ़ारसी ग़ैर-अहले किताब हैं, पस रूम पर फ़ारस का ग़ालिब आना इसका शगून है कि हम भी तुमपर ग़ालिब रहेंगे, इसपर ये आयतें नाज़िल हुईं। जिनमें पेशीनगोई है कि नौ साल के अन्दर रूमी फ़ारसियों पर ग़ालिब आ जाएँगे। चुनाँचे उससे सातवें साल फिर दोनों का मुक़ाबला हुआ और रूमी ग़ालिब आ गए जिससे वह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) पूरी हुई।

तआला ने इसका वायदा फ़रमाया है, अल्लाह तआला अपने वायदे के ख़िलाफ़ नहीं फ़रमाता,[1] और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (6) ये लोग सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिर को जानते हैं और ये लोग आख़िरत से बेख़बर हैं।[2] (7) क्या उन्होंने अपने दिलों में यह ग़ौर नहीं किया कि अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान में हैं, किसी हिक्मत ही से और एक मुक़र्ररा मीयाद के लिए पैदा किया है,[3] और बहुत-से आदमी अपने रब के मिलने के मुन्किर हैं,[4] (8) क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं जिसमें देखते-भालते कि जो लोग उनसे पहले गुज़र चुके हैं उनका अन्जाम क्या हुआ, वे इनसे कुव्वत में भी बढ़े हुए थे, और उन्होंने ज़मीन को बोया-जोता था। और जितना इन्होंने उसको आबाद कर रखा है उससे ज़्यादा उन्होंने उसको आबाद किया था, और उनके पास भी उनके पैग़म्बर मोजिज़े लेकर आए थे, सो अल्लाह ऐसा न था कि उनपर ज़ुल्म करता और लेकिन वे तो खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे थे।[5] (9) फिर ऐसे लोगों का अन्जाम जिन्होंने बुरा काम किया था बुरा ही हुआ,[6] इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह तआला की आयतों को झुठलाया था और उनकी हँसी उड़ाते थे। (10) ❖

अल्लाह तआला मख़्लूक़ को पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी उसको पैदा करेगा, फिर उसके पास लाए जाओगे। (11) और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी उस दिन मुजरिम लोग हैरान रह जाएँगे।[7] (12) और उनके शरीकों में से उनका कोई सिफ़ारिशी न होगा, और ये लोग अपने शरीकों से मुन्किर हो जाएँगे। (13) और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी उस दिन सब आदमी अलग-अलग हो जाएँगे। (14) यानी जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे, वे तो बाग़ में खुश "और प्रसन्न" होंगे। (15) और जिन लोगों ने कुफ़्र किया था और हमारी आयतों को और आख़िरत के पेश आने को झुठलाया था वे लोग अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे।[8] (16) सो तुम अल्लाह की तस्बीह किया करो शाम के वक़्त और सुबह के

1. इसलिए यह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) ज़रूर पूरी होगी।

2. इसलिए उनको न सज़ा के असबाब का अन्देशा है जो कि कुफ़्र व इनकार है, न नजात के असबाब की फ़िक्र है जो कि तस्दीक़ व ईमान है।

3. उन हिक्मतों में से एक आमाल का बदला देना है, और मुक़र्ररा मीयाद क़ियामत है।

4. अगर अपने दिलों में ग़ौर करते तो इन वाक़िआत की संभावना अक़्ल से और उनका आना और ज़ाहिर होना नक़्ल से, और उस नक़्ल का सच्चा होना मोजिज़े से ज़ाहिर हो जाता और आख़िरत के इनकारी न होते। मगर ग़ौर न करने से इनकारी हो रहे हैं।

5. कि रसूलों का इनकार करके हलाकत के हक़दार बने।

6. वह अन्जाम दोज़ख़ की सज़ा है।

7. यानी कोई उचित बात उनसे बन न पड़ेगी।

8. ये मायने हैं अलग-अलग होने के।

वक़्त। (17) और तमाम आसमान व ज़मीन में उसी की तारीफ़ होती है,[1] और सूरज ढलने के बाद ज़ोहर के वक़्त।[2] (18) वह जानदार को बेजान से बाहर लाता है और बेजान को जानदार से बाहर लाता है,[3] और ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद ज़िन्दा करता है, और इसी तरह तुम लोग निकाले जाओगे। (19) ❖

और उसी की निशानियों में से एक यह है कि तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर थोड़े ही दिनों बाद तुम आदमी बनकर फैले हुए फिरते हो। (20) और उसी की निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी जिन्स की "यानी तुम्हारी ज़ात से और तुम्हारी ही शक्ल व सूरत वाली" बीवियाँ बनाईं ताकि तुमको उनके पास आराम मिले और तुम मियाँ-बीवी में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा की। इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो फ़िक्र से काम लेते हैं। (21) और उसी की निशानियों में से आसमान और ज़मीन का बनाना है। और तुम्हारे बातचीत करने के अन्दाज़ और रंगतों का अलग-अलग होना है।[4] इसमें समझदारों के लिए निशानियाँ हैं।[5] (22) और उसी की निशानियों में से तुम्हारा सोना-लेटना है रात में और दिन में,[6] और उसकी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना है। इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। (23) और उसी की निशानियों में से यह है कि वह तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी होता है और उम्मीद भी होती है, और वही आसमान से पानी बरसाता है फिर उसी से ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िन्दा कर देता है। इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो अक़्ल रखते हैं। (24) और उसी की निशानियों में से यह है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से क़ायम हैं।[7] फिर जब तुमको पुकारकर ज़मीन में से बुलाएगा तो तुम एकदम से निकल पड़ोगे।[8] (25) और जितने आसमान और ज़मीन में मौजूद हैं, सब उसी के ताबे हैं। (26) और वही है जो पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा और यह उसके नज़दीक ज़्यादा आसान है, और आसमान व ज़मीन में उसी की शान आला है, और वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है। ◆ (27) ❖

---

1. यानी आसमान में फ़रिश्ते और ज़मीन में बाज़ इख़्तियारी तौर पर और बाज़ ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर उसकी तारीफ़ व प्रशंसा करते हैं, पस जब वह ऐसा बेहतरीन सिफ़ात वाला और अपनी ज़ात में कामिल है तो तुमको भी ज़रूर उसकी तस्बीह करना चाहिए।
2. इसलिए कि ये वक़्त नई नेमत देने और क़ुदरत के आसार के ज़्यादा ज़ाहिर होने के हैं, इनमें फिर नए सिरे से अल्लाह की पाकी बयान करना मुनासिब है।
3. जैसे नुत्फ़े और अन्डे से इनसान और बच्चे, और इनसान और परिन्दे से नुत्फ़ा और अन्डा।
4. बातचीत करने के अन्दाज़ से मुराद या तो बोलियाँ हों या आवाज़ व गुफ़्तगू करने का तरीक़ा और ढंग।
5. निशानियाँ बहुवचन इसलिए फ़रमाया कि ज़िक्र हुई बात कई चीज़ों पर मुश्तमिल है।
6. अगरचे रात को ज़्यादा और दिन में कम हो।
7. इसमें बयान है उनके बाक़ी रखने का, और ऊपर "आसमान व ज़मीन के बनाने" में ज़िक्र था उनके वजूद में आने का, और यह दुनिया का पूरा निज़ाम जो ज़िक्र हुआ यानी तुम्हारी नस्ल चलने और पैदाइश का सिलसिला जारी होना, और आपस में शादी-विवाह होना, और आसमान व ज़मीन का मौजूदा शक्ल और हालत पर मौजूद और क़ायम होना, और बोलियों व रंगतों का विभिन्न होना, और रात व दिन के आने-जाने में ख़ास मस्लहतों का होना, और बारिश का उतरना, और उसके आने से पहले उसके आसार व निशानियों का ज़ाहिर होना, ये सब उसकी पहली ज़िन्दगी के सिलसिले के बाक़ी रहने तक है, और एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा।
8. और दूसरा निज़ाम शुरू हो जाएगा, जिसका इस जगह बयान करना मक़सद है।

अल्लाह तआला तुमसे एक अजीब मज़मून तुम्हारे ही हालात में से बयान फ़रमाते हैं। क्या तुम्हारे गुलामों में कोई शख़्स तुम्हारा उस माल में जो हमने तुमको दिया है शरीक है? कि तुम और वह उसमें बराबर हों जिनका तुम ऐसा ख़्याल करते हो जैसा अपने आपस का ख़्याल किया करते हो।[1] हम इसी तरह समझदारों के लिए साफ़-साफ़ दलीलें बयान करते रहते हैं। **(28)** बल्कि उन ज़ालिमों ने बिना दलील अपने ख़्यालात का इत्तिबा कर रखा है, सो जिसको खुदा गुमराह करे उसको कौन राह पर लाए, और उनका कोई हिमायती न होगा। **(29)** सो तुम यक्सू होकर अपना रुख़ उस दीन की तरफ़ रखो। अल्लाह की दी हुई क़ाबलियत का इत्तिबा करो जिसपर अल्लाह तआला ने लोगों को पैदा किया है,[2] अल्लाह तआला की उस पैदा की हुई चीज़ को न बदलना चाहिए जिसपर उसने तमाम आदमियों को पैदा किया है। पस सीधा दीन यही है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। **(30)** तुम खुदा की तरफ़ रुजू होकर अल्लाह तआला के क़ानून का इत्तिबा करो, और उससे डरो और नमाज़ की पाबन्दी करो और शिर्क करने वालों में से मत रहो। **(31)** जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया और बहुत-से गिरोह हो गए।[3] हर गिरोह अपने उस तरीक़े पर खुश है जो उनके पास है। **(32)** और जब लोगों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, अपने रब को उसी की तरफ़ रुजू होकर पुकारने लगते हैं,[4] फिर जब अल्लाह तआला उनको अपनी तरफ़ से कुछ इनायतों का मज़ा चखा देता है तो बस उनमें से बाज़े लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। **(33)** जिसका हासिल यह है कि हमने जो उनको दिया है उसकी नाशुक्री करते हैं, सो चन्द रोज़ और फ़ायदा उठा लो फिर जल्दी ही तुम मालूम कर लोगे। **(34)** क्या हमने उनपर कोई सनद नाज़िल की है कि वह उनको अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने को कह रही है। **(35)** और हम जब लोगों को कुछ इनायत का मज़ा चखा देते हैं तो वे उससे खुश होते हैं। और अगर उनके आमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं, उनपर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो बस वे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। **(36)** क्या उनको यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआला जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे कम देता है, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। **(37)** फिर रिश्तेदार को उसका हक़ दिया करो और मिस्कीन और मुसाफ़िर को भी। यह उन लोगों के लिए बेहतर है

1. ज़ाहिर है कि गुलाम इस तरह शरीक नहीं होता।

2. मतलब फ़ितरत का यह है कि अल्लाह तआला ने हर शख़्स में पैदाइशी तौर पर यह सलाहियत रखी है कि अगर हक़ को सुनना और समझना चाहे तो वह समझ में आ जाता है। और उसके इत्तिबा का मतलब यह है कि उस सलाहियत और क़ाबलियत से काम ले और उसके तक़ाज़े पर अमल करे जो कि हक़ को पाना है। ग़रज़ उस फ़ितरत का इत्तिबा करना चाहिए।

3. यानी हक़ तो एक था और बातिल बहुत हैं, उन्होंने हक़ को छोड़ दिया और बातिल की मुख़्तलिफ़ राहें इख़्तियार कर लीं, ये टुकड़े-टुकड़े करना है कि एक ने एक ले लिया दूसरे ने दूसरा।

4. यानी जिस तौहीद की तरफ़ हम बुलाते हैं परेशानी और मुसीबत के वक़्त आम तौर पर अपनी ज़बान और अपने हाल से बावजूद इस मुख़ालफ़त व इनकार के उसका इज़हार व इक़रार भी होने लगता है, जिससे उसके फ़ितरी होने की भी ताईद होती है।

जो अल्लाह तआला की रिज़ा के तालिब हैं। और ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। **(38)** और जो चीज़ तुम इस ग़रज़ से दोगे कि वह लोगों के माल में पहुँचकर ज़्यादा हो जाए तो यह ख़ुदा के नज़दीक नहीं बढ़ता, और जो ज़कात दोगे जिससे अल्लाह तआला की रिज़ा तलब करते होगे, तो ऐसे लोग ख़ुदा तआला के पास बढ़ाते रहेंगे।[1] **(39)** अल्लाह ही वह है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिज़्क़ दिया, फिर तुमको मौत देता है, फिर तुमको ज़िन्दा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर सके।[2] वह उनके शिर्क से पाक और बरतर है। **(40)** ❖

खुश्की और तरी में लोगों के आमाल के सबब बलाएँ फैल रही हैं, ताकि अल्लाह तआला उनके बाज़ आमाल का मज़ा उनको चखा दे, ताकि वे बाज़ आ जाएँ।[3] **(41)** आप फ़रमा दीजिए कि मुल्क में चलो-फिरो, फिर देखो कि जो लोग पहले गुज़र चुके हैं उनका अन्जाम कैसा हुआ, उनमें अक्सर मुश्रिक ही थे। **(42)** सो तुम अपना रुख़ इस सच्चे दीन की तरफ़ रखो,[4] इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए जिसके वास्ते फिर ख़ुदा तआला की तरफ़ से हटना न होगा।[5] उस दिन सब लोग अलग-अलग हो जाएँगे। **(43)** जो शख़्स कुफ़्र कर रहा है उसपर तो उसका कुफ़्र पड़ेगा, और जो नेक अ़मल कर रहा है सो ये लोग अपने लिए सामान कर रहे हैं। **(44)** जिसका हासिल यह होगा कि अल्लाह तआला उन लोगों को अपने फ़ज़्ल से जज़ा देगा जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अ़मल किए। वाक़ई अल्लाह तआला काफ़िरों को पसन्द नहीं करता है। **(45)** और अल्लाह तआला की निशानियों में से एक यह है कि वह हवाओं को भेजता है कि वे ख़ुशख़बरी देती हैं, और ताकि तुमको अपनी रहमत का मज़ा चखा दे, और ताकि कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम उसकी रोज़ी तलाश करो,[6] और ताकि तुम शुक्र करो। **(46)** और हमने आपसे पहले बहुत-से पैग़म्बर उनकी क़ौमों के

---

1. जब तौहीद की दलीलों में मालूम हुआ कि रिज़्क़ की कमी-ज़्यादती अल्लाह ही के तरफ़ से है, तो इससे एक बात और साबित हुई कि कन्जूसी करना बुरा है क्योंकि उससे तक़दीर से ज़्यादा नहीं मिल सकता फिर इम्साक (यानी रोक के रखना) बेफ़ायदा है, और ख़ैर होने के लिए जो "युरीदू-न वज्हल्लाहि" की क़ैद लगाई है, वजह इसकी यह है कि मुतलक़ ख़र्च करना ख़ैर और कामयाबी का वाजिब करने वाला नहीं। ख़ुदा के नज़दीक पहुँचना और बढ़ना उस माल के साथ ख़ास है जो अल्लाह की रिज़ा के लिए ख़र्च किया जाए।
2. ज़ाहिर है कि ऐसा कोई भी नहीं।
3. बाज़ का मतलब यह है कि अगर सब पर सज़ाएँ लागू हों तो एक साँस भी ज़िन्दा न रहें।
4. यानी तौहीदे इस्लामी की तरफ़।
5. यानी जैसे दुनिया में ख़ास अ़ज़ाब के वक़्त को अल्लाह तआला क़ियामत के वायदे पर हटाता जाता है। जब वह वायदा किया हुआ दिन आ जाएगा फिर उसको न हटाएगा, और ढील व मोहलत न होगी।
6. यानी आसमान की गर्दिश और रोज़ी पहुँचाना दोनों हवा के भेजने का सबब और ज़रिया हैं। पहला क़रीब बिला-वास्ता और दूसरा दूर का पहले के वास्ते से।

पास भेजे, और वे उनके पास दलीलें लेकर आए। सो हमने उन लोगों से इन्तिक़ाम लिया जिन्होंने जुर्म किए थे,[1] और ईमान वालों को ग़ालिब करना हमारे ज़िम्मे था।[2] **(47)** अल्लाह तआ़ला ऐसा है कि वह हवाएँ भेजता है, फिर वे बादलों को उठाती हैं, फिर अल्लाह तआ़ला उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है, और उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है।[3] फिर तुम बारिश को देखते हो कि उसके अन्दर से निकलती है। फिर जब वह अपने बन्दों में से जिसको चाहे पहुँचा देता है तो बस वे ख़ुशियाँ मनाने लगते हैं। **(48)** और वे लोग इससे पहले कि उनके ख़ुश होने से पहले उनपर बरसे, नाउम्मीद थे।[4] **(49)** सो अल्लाह की रहमत के आसार देखो कि अल्लाह तआ़ला ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद किस तरह ज़िन्दा करता है। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला है, और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। **(50)** और अगर हम उनपर और हवा चलाएँ, फिर ये लोग खेती को पीली हुई देखें तो ये उसके बाद नाशुक्री करने लगें।[5] **(51)** सो आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और बहरों को आवाज़ नहीं सुना सकते जबकि वे पीठ फेरकर चल दें।[6] **(52)** और आप अन्धों को उनकी बेराही से राह पर नहीं ला सकते। आप तो बस उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यक़ीन रखते हैं, फिर वे मानते हैं। **(53)** ❖

अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको कमज़ोरी की हालत में बनाया,[7] फिर कमज़ोरी के बाद ताक़त अ़ता की,[8] फिर ताक़त के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा किया। वह जो चाहता है पैदा करता है, और वह जानने वाला, क़ुव्वत रखने वाला है।[9] **(54)** और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी मुजरिम लोग क़सम खा बैठेंगे कि वे लोग (यानी हम बरज़ख़ के मक़ाम में) एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे, इसी तरह ये लोग उल्टे चला करते थे। **(55)** और जिन लोगों को इल्म और ईमान अ़ता हुआ है,[10] वे कहेंगे कि तुम तो अल्लाह के लिखे हुए के मुवाफ़िक़ क़ियामत के दिन तक रहे हो, सो क़ियामत का दिन यही है, और लेकिन तुम यक़ीन न करते थे।[11] **(56)**

---

1. और वे जुर्म हक़ का झुठलाना और अहले हक़ की मुख़ालफ़त है, और उस इन्तिक़ाम में हमने उनको मग़लूब और ईमान वालों को ग़ालिब किया।

2. वह इन्तिक़ाम अल्लाह का अ़ज़ाब था, और उसमें काफ़िरों का हलाक होना उनका मग़लूब होना है और मुसलमानों का बच जाना उनका ग़ालिब आना है। ग़रज़ इसी तरह उन काफ़िरों से इन्तिक़ाम लिया जाएगा। चाहे दुनिया में हो चाहे मौत के बाद हो।

3. 'बस्त' का मतलब यह है कि इकट्ठा करके दूर तक फैला देता है, और 'कै-फ़' का मतलब यह है कि कभी थोड़ी दूर तक कभी बहुत दूर तक। और 'कि-सफ़न्' का मतलब यह है कि इकट्ठा नहीं होता अलग-अलग और बिखरा हुआ रहता है।

4. यानी अभी-अभी नाउम्मीद थे और अभी ख़ुश हो गए। और ऐसा ही देखने में भी आता है कि ऐसी हालत में इनसान की कैफ़ियत बहुत ही जल्दी बदल जाती है।

5. और पिछली सब नेमतें भुला दीं।

6. सो जब उनकी ग़फ़लत और नाशुक्री का यह हाल है तो उससे यह भी साबित हुआ कि बिलकुल ही बेहिस हैं। तो उनके ईमान न लाने और आयतों में ग़ौर-फ़िक्र न करने पर ग़म करना भी बेकार है।

7. मुराद उससे बचपन की शुरू की हालत है।

8. यानी जवानी अ़ता की।

9. पस जो ऐसा क़ादिर हो उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है?

10. मुराद ईमान वाले हैं कि शरीअ़त के ज़रिए दी हुई ख़बरों का उन्हें इल्म हासिल है।

11. उस इनकार के वबाल में आज परेशानी का सामना हुआ। इस वजह से घबराकर ख़्याल हुआ कि अभी तो मीयाद पूरी नहीं हुई और अगर तस्दीक़ करते और ईमान ले आते तो उसके आने को जल्दी न समझते, बल्कि यूँ चाहते कि उससे भी जल्दी आ जाए।

ग़रज़ उस दिन ज़ालिमों को उनका उज़्र करना नफ़ा न देगा, और न उनसे ख़ुदा की नाराज़गी की तलाफ़ी चाही जाएगी।[1] (57) और हमने लोगों के वास्ते इस क़ुरआन में हर तरह के उम्दा मज़ामीन बयान किए हैं। और अगर आप उनके पास कोई निशानी ले आएँ तब भी ये लोग जो काफ़िर हैं यही कहेंगे कि तुम सब ख़ालिस झूठे और अहले बातिल हो। (58) जो लोग यक़ीन नहीं करते अल्लाह तआ़ला उनके दिलों पर यूँ ही मुहर कर दिया करता है।[2] (59) सो आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वायदा सच्चा है,[3] और ये बद्-यक़ीन लोग आपको बे-बरदाश्त न करने पाएँ।[4] (60) ❖

31 सूरः लुक़मान 57

सूरः लुक़मान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 34 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम्-मीम्। (1) ये आयतें एक हिक्मत से भरी किताब की हैं।[5] (2) जो कि हिदायत और रहमत है नेक काम करने वालों के लिए। (3) जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वे लोग आख़िरत का पूरा यक़ीन रखते हैं। (4) ये लोग अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं, और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।[6] (5) और बाज़ा आदमी ऐसा (भी) है जो उन बातों का ख़रीदार बनता है[7] जो (अल्लाह से) ग़ाफ़िल करने वाली हैं, ताकि अल्लाह की राह से बेसमझे-बूझे गुमराह कर ले और उसकी हँसी उड़ाए, ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत का अ़ज़ाब है। (6) और जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वह शख़्स तकब्बुर करता हुआ मुँह मोड़ लेता है, जैसे उसने सुना ही नहीं। जैसे उसके कानों में भारीपन "यानी डाट" है,[8] सो उसको एक दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर सुना दीजिए। (7) लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनके लिए ऐश की जन्नतें हैं। (8) जिनमें वे हमेशा रहेंगे, यह अल्लाह ने सच्चा वायदा फ़रमाया है

---

1. यानी इसका मौक़ा न दिया जाएगा कि तौबा करके ख़ुदा को राज़ी कर लें।
2. यानी रोज़ाना हक़ को क़बूल करने की सलाहियत कमज़ोर और निढाल होती जाती है, इसलिए इताअ़त में कमज़ोरी और दुश्मनी में क़ुव्वत बढ़ती जाती है।
3. वह वायदा ज़रूर ज़ाहिर होगा। पस सब्र व बरदाश्त थोड़े ही दिन करना पड़ता है।
4. यानी उनकी तरफ़ से चाहे कैसी ही बात पेश आए मगर ऐसा न हो कि आप बरदाश्त न करें।

फ़ायदाः नफ़्सानी इन्तिक़ाम अगरचे अपने आपमें जायज़ है, मगर तब्लीग़ करने वाले के लिए और ख़ासकर बातचीत और संबोधन के वक़्त मस्लहत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम की इब्तिदाई हालत थी।

5. यानी क़ुरआन की।
6. पस क़ुरआन इस तरह उनके लिए हिदायत व रहमत का सबब हो गया कि इसका असर फ़लाह है।
7. यानी ऐसी बातें इख़्तियार करता है।
8. यानी जैसे बहरा है।

और वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है।[1] (9) अल्लाह तआला ने आसमानों को बिना सुतून के बनाया, तुम उनको देख रहे हो। और ज़मीन में पहाड़ डाल रखे हैं कि वह तुमको लेकर डावाँ-डोल न होने लगे, और उसमें हर क़िस्म के जानवर फैला रखे हैं। और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उस ज़मीन में हर तरह की उम्दा क़िस्में उगाईं। (10) ये तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, अब तुम मुझको दिखाओ कि उसके सिवा जो हैं उन्होंने क्या-क्या चीज़ें पैदा कीं, बल्कि ये ज़ालिम लोग खुली गुमराही में हैं। (11) ❖

और हमने लुक़मान को दानिशमन्दी "यानी ख़ुसूसी अ़क्ल व समझ" अ़ता फ़रमाई,[2] कि अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करते रहो और जो शख़्स शुक्र करेगा वह अपने ज़ाती नफ़े के लिए शुक्र करता है,[3] और जो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह बेनियाज़, ख़ूबियों वाला है। (12) और जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा ख़ुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क करना बड़ा भारी ज़ुल्म है।[4] (13) और हमने इनसान को उसके माँ-बाप के मुताल्लिक़ ताकीद की है।[5] उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर उसको पेट में रखा और दो साल में उसका दूध छूटता है, कि तू मेरी और अपने माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी किया कर,[6] मेरी ही तरफ़ लौटकर आना है। ● (14) और अगर तुझपर वे दोनों इस बात का ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराए जिसकी तेरे पास कोई दलील न हो,[7] तू उनका कहना न मानना, और दुनिया में उनके साथ अच्छाई से बसर करना, और उसी की राह पर चलना जो मेरी तरफ़ रुजू हो।[8] फिर तुम सबको मेरे पास आना है, फिर मैं तुमको जतला दूँगा जो कुछ तुम करते थे। (15) बेटा! अगर कोई अ़मल राई के दाने के बराबर हो, फिर वह किसी पत्थर के अन्दर हो या वह आसमान के अन्दर हो या वह ज़मीन के अन्दर हो, तब भी उसको अल्लाह हाज़िर कर देगा,[9] बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा बारीकबीन, बाख़बर है। (16) बेटा! नमाज़ पढ़ा कर और अच्छे कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों से मना किया कर, और तुझपर जो मुसीबत आए उसपर सब्र किया कर, यह हिम्मत के कामों में से है। (17)

---

1. पस क़ुदरत के कामिल होने से वायदे और वईद को ज़ाहिर कर सकता है, और हिक्मत से उसको वायदे के मुताबिक़ सामने लाएगा।
2. लुक़मान अ़लैहिस्सलाम नबी न थे, उनका ज़माना दाऊद अ़लैहिस्सलाम के क़रीब का था। पस उनके नबी न होने की बिना पर उनको यह हुक्म होना "कि अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते रहो" या तो बतौर इल्हाम के होगा या उस ज़माने के किसी नबी की तालीम के ज़रिए से। और जिस बेटे को उन्होंने नसीहत की है, सही और वाज़ेह तौर पर कहीं नहीं देखा कि उनके बेटे का क्या तरीक़ा था, पहले से मोमिन थे या इस नसीहत के बाद मोमिन हुए, या क्या हुआ।
3. यानी ख़ुद उसी का नफ़ा है कि इससे नेमत में तरक़्क़ी होती है। दुनियावी नेमत में तो कभी नेमत की ज़ात के एतिबार से, और सवाब के एतिबार से हमेशा। और दीनी नेमत में जैसे इल्म वग़ैरह के दोनों तरह पर। यानी इल्म भी बढ़ता है और सवाब भी मिलता है।
4. ज़ुल्म की हक़ीक़त है किसी चीज़ का उसके मौक़े-महल से हटाकर दूसरे मक़ाम और जगह पर रखना, और ज़ाहिर है कि यह बात शिर्क में सख़्त दर्जे में पाई जाती है।
5. कि उनकी इताअ़त और ख़िदमत करे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बड़ी मशक़्क़तें झेली हैं, ख़ासकर माँ ने।
6. हक़ तआ़ला की शुक्रगुज़ारी तो इबादत और हक़ीक़ी इताअ़त के साथ, और माँ-बाप की ख़िदमत व शरई हुक़ूक़ अदा करने के साथ।
7. और ज़ाहिर है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जिसके शरीक होने के हक़दार होने पर कोई दलील क़ायम हो, बल्कि हक़दार न होने पर दलीलें क़ायम हैं।
8. यानी मेरे अहकाम का एतिक़ाद रखने वाला और उनपर अ़मल करने वाला हो।
9. मख़्लूक़ के इल्म से चीज़ के पोशीदा रह जाने के यही असबाब हैं। क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से एक चीज़ आँखों से ओझल हो जाती है, कभी पर्दे के सख़्त और गहरा होने की वजह से, कभी जगह के दूर होने से, कभी अन्धेरा होने से।

और लोगों से अपना रुख़ मत फेर, और ज़मीन पर इतराकर मत चल, बेशक अल्लाह तआला किसी तकब्बुर करने वाले, फ़ख़्र करने वाले को पसन्द नहीं करते। (18) और अपनी रफ़्तार में दरमियानापन इख़्तियार कर,[1] और अपनी आवाज़ को पस्त कर,[2] बेशक आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है। (19) ❖

क्या तुम लोगों को यह बात मालूम नहीं हुई कि अल्लाह तआला ने तमाम चीज़ों को तुम्हारे काम में लगा रखा है, जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं। और उसने तुमपर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर रखी हैं।[3] और बाज़े आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तआला के बारे में बिना जानकारी और बिना दलील और बिना किसी रोशन किताब के झगड़ा करते हैं। (20) और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ का इत्तिबा करो जो अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़रमाई है, तो कहते हैं कि नहीं! हम उसी का इत्तिबा करेंगे जिसपर हमने अपने बड़ों को पाया है। क्या अगर शैतान उनके बड़ों को दोज़ख़ के अ़ज़ाब की तरफ़ बुलाता रहा हो तब भी?[4] (21) और जो शख़्स अपना रुख़ अल्लाह की तरफ़ झुका दे[5] और वह मुख़्लिस भी हो,[6] तो उसने बड़ा मज़बूत हल्क़ा थाम लिया,[7] और अख़ीर सब कामों का अल्लाह ही की तरफ़ पहुँचेगा। (22) और जो शख़्स कुफ़्र करे सो आपके लिए उसका कुफ़्र ग़म का सबब न होना चाहिए, उन सबको हमारे ही पास लौटना है, सो हम उन सबको जतला देंगे, जो-जो कुछ वे किया करते थे। अल्लाह तआला को दिलों की बातें ख़ूब मालूम हैं। (23) हम उनको चन्द दिन की ऐश दिए हुए हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती खींचते-खींचते एक सख़्त अ़ज़ाब की तरफ़ ले आएँगे। (24) और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो ज़रूर यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ने, आप कहिए कि अल्हम्दु लिल्लाहि! बल्कि उनमें अक्सर नहीं जानते। (25) जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है सब अल्लाह ही का है, और बेशक अल्लाह तआला बेनियाज़, सब ख़ूबियों वाला है। (26) और जितने पेड़ ज़मीन भर में हैं, अगर वे सब क़लम बन जाएँ और यह जो समुद्र है उसके अ़लावा सात समुद्र इसमें और शामिल हो जाएँ तो अल्लाह की बातें ख़त्म न हों;[8] बेशक ख़ुदा तआला ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है। (27) तुम सबका पैदा करना और ज़िन्दा करना

---

1. न बहुत दौड़कर चल कि वक़ार के ख़िलाफ़ है और न बहुत गिन-गिनकर क़दम रख, बल्कि बेतकल्लुफ़ और दरमियानी चाल तवाज़ो व सादगी के साथ इख़्तियार कर, जिसको दूसरी आयत में इस उन्वान से ज़िक्र किया हैः 'यम्शू-न अ़लल् अर्ज़ि हौनन्'।

2. यानी बहुत शोर न मचा। यह मतलब नहीं कि इतनी पस्त कर कि दूसरा सुने भी नहीं।

3. ज़ाहिरी वह कि हवास (यानी सुनने, देखने, छूने, सूँघने और चखने) से पता चलें, और बातिनी वह जो अ़क़्ल से मालूम और महसूस हों। और नेमतों से वे नेमतें मुराद हैं जो आसमानों और ज़मीन को ताबे करने पर मुरत्तब होती हैं।

4. मतलब यह कि ऐसे दुश्मन और मुख़ालिफ़ हैं कि बावजूद इसके कि उनको दलील की तरफ़ बुलाया जाता है, मगर फिर भी बिना दलील, बल्कि ख़िलाफ़े दलील महज़ अपने गुमराह बाप-दादाओं की राह पर चलते हैं।

5. यानी फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करे, अ़क़ीदों में भी और आमाल में भी। मुराद इस्लाम व तौहीद है।

6. यानी महज़ ज़ाहिरी इस्लाम न हो।

7. यानी वह उस शख़्स के जैसा हो गया जो किसी मज़बूत रस्सी का हल्क़ा थामकर गिरने से महफ़ूज़ रहता है, इसी तरह यह शख़्स हलाक होने और नुक़सान से महफ़ूज़ है।

8. अल्लाह की बातें यानी वे कलिमात जिनसे अल्लाह तआला के कमालात को बयान किया गया हो।

बस ऐसा ही है जैसा कि एक शख़्स का। बेशक अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनता, सब कुछ देखता है।[1] (28) (ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला रात को दिन में और दिन को रात में दाख़िल कर देता है, और उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है, कि हर एक मुक़र्ररा वक़्त तक[2] चलता रहेगा, और यह कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखता है। (29) यह इस सबब से है कि अल्लाह ही हस्ती में कामिल है और जिन चीज़ों की अल्लाह के सिवा ये लोग इबादत कर रहे हैं, बिलकुल ही लचर हैं। और अल्लाह ही आ़लीशान (और) बड़ा है।[3] (30) ❖

(ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको (तौहीद की) यह (दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फ़ज़्ल से दरिया में कश्ती चलती है, ताकि तुमको अपनी निशानियाँ दिखलाए, उसमें हर ऐसे शख़्स के लिए निशानियाँ हैं जो साबिर व शाकिर हो।[4] (31) और जब उन लोगों को मौजें सायबानों "यानी साया करने वाले जैसे छप्पर वग़ैरह" की तरह घेर लेती हैं तो वे ख़ालिस एतिक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, फिर जब उनको नजात देकर खुश्की की तरफ़ ले आता है सो बाज़े तो उनमें एतिदाल पर रहते हैं,[5] और हमारी आयतों के बस वही लोग मुन्किर होते हैं जो बद्-अ़हद और नाशुक्र हैं।[6] (32) ऐ लोगो! अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जिसमें न कोई बाप अपने बेटे की तरफ़ से कुछ मुतालबा अदा कर सकेगा, और न कोई बेटा ही है कि वह अपने बाप की तरफ़ से ज़रा भी मुतालबा अदा कर दे। यक़ीनन अल्लाह का वायदा सच्चा है।[7] सो तुमको दुनियावी ज़िन्दगानी धोखे में न डाले,[8] और न वह धोखेबाज़ (शैतान) अल्लाह से धोखे में डाले। (33) बेशक अल्लाह तआ़ला ही को क़ियामत की ख़बर है, और वही बारिश बरसाता है, और वही जानता है जो कुछ रहम "यानी माँ के पेट" में है, और कोई शख़्स नहीं जानता कि वह कल क्या अ़मल करेगा, और कोई शख़्स नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह तआ़ला सब बातों का जानने वाला, ख़बर रखने वाला है।[9] (34) ❖

32 सूरः सज्दः 75

सूरः सज्दः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 30 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

अलिफ़्-लाम्-मीम्[10] (1) यह नाज़िल की हुई किताब है इसमें कुछ शुब्हा नहीं, यह रब्बुल आ़लमीन की

1. पस जो लोग बावजूद इन दलीलों के मौत के बाद ज़िन्दा होने का इनकार कर रहे हैं और इस जुर्रत पर गुनाह और बुराइयाँ करते हैं, उन सबको सुन रहा है, देख रहा है।
2. यानी क़ियामत तक।
3. इसलिए ये सब इख़्तियारात और ताक़त उसके साथ ख़ास हैं।
4. इससे मोमिन मुराद है कि सब्र व शुक्र में कामिल होना उसकी सिफ़त है।
5. यानी शिर्क के टेढ़ को छोड़कर तौहीद इख़्तियार कर लेते हैं जो कि तमाम रास्तों में बेहतर रास्ता है।
6. कि कश्ती में जो तौहीद का अ़हद किया था उसको तोड़ दिया, और खुश्की में आने का मुक़्तज़ा था शुक्र करना उसको छोड़ दिया।
7. यानी वह दिन ज़रूर आने वाला है, क्योंकि उसके मुताल्लिक़ अल्लाह का वायदा है।
8. कि उसमें मश्ग़ूल होकर उस दिन से ग़ाफ़िल रहो।
9. ऊपर धमकी और डाँट थी क़ियामत के दिन की, और इनकार करने वाले इनकार के मक़सद से उसका वक़्त पूछा करते थे, इसलिए इस आयत में (कि इसके नाज़िल होने का मौक़ा भी बाज़ लोगों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उसके मुताल्लिक़ सवाल करना दुर्रे मन्सूर में मज़कूर है) जवाब के तौर पर ग़ैब के इल्म को अपने साथ ख़ास फ़रमाया। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 750 पर)**

तरफ़ से है। (2) क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि पैग़म्बर ने यह अपने दिल से बना लिया है, बल्कि यह सच्ची किताब है आपके रब की तरफ़ से, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएँ जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वे लोग राह पर आ जाएँ। (3) अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उस मख़्लूक़ को जो उन दोनों के दरमियान है, छह दिन में पैदा किया, फिर अ़र्श पर क़ायम हुआ।[1] उसके अ़लावा न तुम्हारा कोई मददगार है और न कोई सिफ़ारिश करने वाला। सो क्या तुम समझते नहीं हो?[2] (4) वह आसमान से लेकर ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है, फिर हर मामला उसी के हुज़ूर में पहुँच जाएगा, एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़्दार "यानी मात्रा" तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हज़ार साल की होगी।[3] (5) वही पोशादा "छुपी" और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है। ज़बरदस्त, रहमत वाला है। (6) जिसने जो चीज़ बनाई ख़ूब बनाई,[4] और इनसान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की। (7) फिर उसकी नस्ल को ख़ुलासा-ए-अख़्लात यानी एक बेक़द्र पानी से बनाया। (8) फिर उसके आज़ा "यानी अंग और हिस्से" दुरुस्त किए और उसमें अपनी रूह फूँकी, और तुमको कान और आँखें और दिल दिए,[5] तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो, (यानी नहीं करते)। (9) और ये लोग कहते हैं कि जब हम ज़मीन में नेस्तनाबूद हो गए तो क्या हम फिर नए जन्म में आएँगे, बल्कि वे लोग अपने रब से मिलने के इनकारी ही हैं।[6] (10) आप फ़रमा दीजिए कि तुम्हारी जान मौत का फ़रिश्ता क़ब्ज़ करता है जो तुमपर मुतैयन है। फिर तुम अपने रब की तरफ़ लौटाकर लाए जाओगे। (11) ❖

और अगर आप देखें तो अ़जीब हाल देखें, जबकि ये मुजरिम अपने रब के पास सर झुकाए होंगे, कि ऐ हमारे परवर्दिगार! बस हमारी आँखें और कान खुल गए।[7] सो हमको फिर भेज दीजिए, हम नेक काम करेंगे हमको पूरा यक़ीन आ गया। (12) और अगर हमको मन्ज़ूर होता तो हम हर शख़्स को उसका रास्ता अ़ता फ़रमाते और लेकिन मेरी यह बात तय हो चुकी है कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इनसान दोनों से ज़रूर

(पृष्ठ 748 का शेष) जवाब का हासिल यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़ियामत के वक़्त को न जानने से यह लाज़िम नहीं आता कि वह आएगी ही नहीं।

10. पिछली सूरः में तौहीद और आख़िरत के मज़ामीन थे। इस सूरः के शुरू में क़ुरआन के हक़ होने को साबित करने से रिसालत को साबित करना है, फिर तौहीद और आख़िरत का ज़िक्र है। फिर "व ल-क़द् आतैना मूसा" से रिसालत के मसले की ताईद और झुठलाने वालों के मामले में रसूल की तसल्ली का मज़मून है। और "अ-व लम् यह्दि" से आख़िर तक झुठलाने वालों को डाँट-डपट और सज़ा की धमकी और उनके बाज़ क़ौलों का जवाब है।

1. यानी इख़्तियारात और ताक़त व क़ुदरत नाफ़िज़ करने लगा।
2. कि ऐसी ज़ात का कोई शरीक नहीं हो सकता।
3. यानी क़ियामत में उनसे मुताल्लिक़ चीज़ों के सब मामले और सब ही कुछ उसी के सामने पेश होंगे।
4. यानी जिस मस्लहत के लिए उसको बनाया उसके मुनासिब बनाया।
5. यानी ज़ाहिरी व बातिनी हवास दिए।
6. यह सवाल के अन्दाज़ में इनकार है।
7. और मालूम हो गया कि पैग़म्बरों ने जो कुछ कहा सब हक़ था।

भरूँगा। (13) तो अब इसका मज़ा चखो कि तुम इस दिन के आने को भूले रहे। हमने तुमको भुला दिया,[1] और अपने आमाल की बदौलत हमेशा के अ़ज़ाब का मज़ा चखो। (14) बस हमारी आयतों पर तो वे लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वे आयतें याद दिलाई जाती हैं तो वे सज्दे में गिर पड़ते हैं, और अपने रब की पाकी और तारीफ़ बयान करने लगते हैं, और वे लोग तकब्बुर नहीं करते। ❑ (15) उनके पहलू सोने की जगहों "यानी बिस्तर व पलंग वग़ैरह" से अलग होते हैं, इस तौर पर कि वे लोग अपने रब को उम्मीद से और ख़ौफ़ से पुकारते हैं, और हमारी दी हुई चीज़ों में से ख़र्च करते हैं।[2] (16) सो किसी शख़्स को ख़बर नहीं, जो-जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए ग़ैब के ख़ज़ाने में मौजूद है। यह उनको उनके आमाल का सिला मिला है। (17) तो जो शख़्स मोमिन हो क्या वह उस शख़्स जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म "यानी नाफ़रमान" हो, वे आपस में बराबर नहीं हो सकते। (18) जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए सो उनके लिए हमेशा का ठिकाना जन्नतें हैं जो उनके आमाल के बदले में बतौर उनकी मेहमानी के हैं। (19) और जो लोग बेहुक्म थे सो उनका ठिकाना दोज़ख़ है, वे लोग जब उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसी में धकेल दिए जाएँगे, और उनको कहा जाएगा कि दोज़ख़ का वह अ़ज़ाब चखो जिसको तुम झुठलाया करते थे। (20) और हम उनको क़रीब का (यानी दुनिया में आने वाला) अ़ज़ाब भी उस बड़े अ़ज़ाब से पहले चखा देंगे,[3] ताकि ये लोग बाज़ आएँ।[4] (21) और उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जिसको उसके रब की आयतें याद दिलाई जाएँ, फिर वह उनसे मुँह मोड़े,[5] हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे। (22) ❖

और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को किताब दी थी, सो आप उसके मिलने में कुछ शक न कीजिए।[6] और हमने उसको बनी इस्राईल के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया था।[7] (23) और हमने उनमें बहुत-से पेशवा "यानी रहनुमा" बना दिए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, जबकि वे लोग सब्र किए रहे और वे लोग हमारी आयतों का यक़ीन रखते थे।[8] (24) आपका रब क़ियामत के दिन उन सबके दरमियान उन मामलों में फ़ैसला कर देगा जिनमें ये आपस में इख़्तिलाफ़ करते थे।[9] (25) क्या उनको इस बात से रहनुमाई नहीं हुई कि

1. यानी रहमत से महरूम कर दिया।
2. मतलब यह कि ईमान लाने वालों की ये सिफ़तें हैं, जिनमें से बाज़ पर तो ईमान का वजूद मौक़ूफ़ है और बाज़ पर ईमान का मुकम्मल होना।
3. जैसे बीमारियाँ और मुसीबतें।
4. फिर जो बाज़ न आए उसके लिए बड़ा अ़ज़ाब है ही।
5. उसके अ़ज़ाब का हक़दार होने में क्या शुब्हा है।
6. मतलब यह कि आप किताब वाले और साहिबे-ख़िताब हैं। पस जब आप अल्लाह के नज़दीक ऐसे मक़बूल हैं तो अगर चन्द मुट्ठी भर बेवक़ूफ़ आपको क़बूल न करें तो कोई ग़म की बात नहीं।
7. इसी तरह आपकी किताब से बहुतों को हिदायत होगी।
8. यह मोमिनों को तसल्ली है कि तुम लोग सब्र करो। और जब तुम यक़ीन वाले हो और यक़ीन का तक़ाज़ा सब्र करना है तो तुमको सब्र ज़रूरी है। उस वक़्त हम तुमको भी दीन के पेशवा बना देंगे।
9. यानी मोमिनों को जन्नत में और काफ़िरों को दोज़ख़ में डाल देगा।

हम उनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में ये लोग आते-जाते हैं, इसमें साफ़ निशानियाँ हैं,[1] क्या ये लोग सुनते नहीं हैं। (26) क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि हम सूखी पड़ी ज़मीन की तरफ़ पानी पहुँचाते हैं। फिर उसके ज़रिये से खेती पैदा करते हैं, जिससे उनके मवेशी और वे ख़ुद भी खाते हैं, तो क्या वे देखते नहीं। ▲ (27) और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो यह फ़ैसला कब होगा? (28) आप फ़रमा दीजिए कि उस फ़ैसले के दिन काफ़िरों को उनका ईमान लाना नफ़ा न देगा, और उनको मोहलत भी न मिलेगी। (29) सो उनकी बातों का ख़्याल न कीजिए और आप इन्तिज़ार कीजिए, ये भी इन्तिज़ार कर रहे हैं।[2] (30) ❖

33 सूरः अहज़ाब 90

सूरः अहज़ाब मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 73 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! अल्लाह से डरते रहिए[3] और काफ़िरों का और मुनाफ़िक़ों का कहना न मानिए, बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिक्मत वाला है। (1) और आपके परवर्दिगार की तरफ़ से जो हुक्म आप पर वह्य किया जाता है उसपर चलिए, बेशक तुम लोगों के सब आमाल की अल्लाह तआ़ला पूरी ख़बर रखता है।[4] (2) और आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और अल्लाह काफ़ी कारसाज़ है।[5] (3) अल्लाह तआ़ला ने किसी शख़्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए, और तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो तुम्हारी माँ नहीं बना दिया। और तुम्हारे मुँह-बोले बेटों को तुम्हारा (सचमुच का) बेटा नहीं बना दिया, यह सिर्फ़ तुम्हारे मुँह से कहने की बात है। और अल्लाह हक़ बात फ़रमाता है और वही सीधा रास्ता बतलाता है।[6] (4) तुम उनको उनके बापों की तरफ़ मन्सूब किया करो, यह अल्लाह के नज़दीक रास्ती की बात है। और अगर तुम उनके बापों को न जानते हो तो वे तुम्हारे दीन के भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। और तुमको इसमें जो भूल-चूक हो जाए तो उससे तो तुमपर कुछ गुनाह न होगा। लेकिन हाँ जो दिल से इरादा करके करो, और अल्लाह मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। (5) नबी मोमिनों के साथ ख़ुद

---

1. यानी कुफ़्र के बुरा और गुमराही होने की निशानियाँ मौजूद हैं।
2. मालूम हो जाएगा कि किसका इन्तिज़ार हक़ीक़त के मुताबिक़ है और किसका नहीं।
3. इस सूरः में मजमूई तौर पर जो मज़ामीन बयान किए गए हैं उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अल्लाह के यहाँ महबूब और वहाँ से मदद याफ़्ता होना और आपका अल्लाह के यहाँ ख़ुसूसी मक़ाम वाला और मुकर्रम होना, और आपका अदब व एहतिराम वाजिब होना, और आपको तकलीफ़ देना हराम होना वग़ैरह हैं। इसके अ़लावा जो मज़ामीन हैं वे सब इन्हीं के मुक़द्दिमात या इनको पूरा करने के लिए हैं।
4. "इत्तक़ि" और "ला तुतिअ़्" और "इत्तबिअ़्" और "तवक्कल्" इन सब फ़रमानों और मुमानअ़तों पर आप पहले ही से अ़मल करने वाले हैं। यहाँ ज़्यादा मक़सूद मुख़ालिफ़ों को सुनाना है कि हमारे नबी तो इस हालत पर रहेंगे, तुम नाकाम और घाटा उठाने वाले होकर बैठ रहो।
5. उसके मुक़ाबले में उन लोगों की कोई तदबीर नहीं चल सकती, इसलिए कुछ अन्देशा न कीजिए।
6. जाहिलियत के ज़माने में ये तीनों ग़लत बातें मशहूर थीं कि ज़हीन और अ़क़्लमन्द आदमी के दो दिल समझा करते, और ज़िहार से हमेशा के लिए बीवी के हराम होने का हुक्म करते, और मुँह-बोले बेटे को तमाम अहकाम में हक़ीक़ी बेटे जैसा क़रार देते। यहाँ अगरचे असल मक़सद तीसरी ग़लती का दूर करना है, मगर बात को मज़बूत बनाने के लिए दो ग़लतियाँ और भी दूर कर दीं।

उनके नफ़्स से भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं,[1] और आपकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं।[2] और रिश्तेदार अल्लाह की किताब में एक-दूसरे से दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के मुक़ाबले में ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों से कुछ सुलूक करना चाहो तो वह जायज़ है, यह बात लौहे-महफ़ूज़ में लिखी जा चुकी थी।[3] (6) और जबकि हमने तमाम पैग़म्बरों से उनका इक़रार लिया और आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से भी, और नूह (अ़लैहिस्सलाम) और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और ईसा बिन मरियम (अ़लैहिस्सलाम) से भी, और हमने उन सबसे ख़ूब पक्का अ़हद लिया (7) ताकि उन सच्चों से उनके सच की तहक़ीक़ात करे, और काफ़िरों के लिए अल्लाह तआ़ला ने दर्दनाक अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।[4] (8) ◆

ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर अल्लाह का इनाम याद करो जब तुमपर बहुत-से लश्कर चढ़ आए, फिर हमने उनपर एक आँधी भेजी और ऐसी फ़ौज भेजी जो तुमको दिखाई न देती थी, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल को देखते थे।[5] (9) जबकि वे लोग तुमपर आ चढ़े थे ऊपर की तरफ़ से भी और नीचे की तरफ़ से भी, और जबकि आँखें खुली की खुली रह गई थीं और कलेजे मुँह को आने लगे थे। और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह-तरह के गुमान कर रहे थे। (10) उस मौक़े पर मुसलमानों का इम्तिहान किया गया और सख़्त ज़लज़ले में डाले गए। (11) और जबकि मुनाफ़िक़ और वे लोग जिनके दिलों में रोग है, यूँ कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह और उसके रसूल ने धोखे ही का वायदा कर रखा है। (12) और जबकि उनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि ऐ यसरिब[6] के लोगो! तुम्हारे लिए ठहरने का मौक़ा नहीं, सो लौट चलो। और बाज़ लोग उनमें नबी से इजाज़त माँगते थे, कहते थे कि हमारे घर ग़ैर-महफ़ूज़ "यानी असुरक्षित" हैं, हालाँकि वे ग़ैर-महफ़ूज़ नहीं हैं, ये सिर्फ़ भागना ही चाहते हैं। (13) और अगर (मदीना में) उसकी सम्तों और किनारों से

---

1. इसलिए मुसलमान पर अपनी जान से भी ज़्यादा आपका हक़ है। और आपकी इताअ़त पूरी तरह और ताज़ीम पूरे दर्जे में वाजिब है। और इसमें तमाम अहकाम और मामलात आ गए।

2. हुज़ूरे पाक की बीवियों का मुसलमानों की माँए होना अदब व ताज़ीम के एतिबार से है, और अदब व ताज़ीम की एक क़िस्म हराम होना भी है, इसलिए हराम होना भी ज़ाहिर हुआ।

3. यानी शरीअ़त का आख़िरी हुक्म रिश्तेदारों में मीरास की तक़सीम का हो जाएगा।

4. इस अ़हद और ग़रज़ से दोनों बातों का वाजिब होना साबित हो गया। जिसपर वह्य आए उसपर वह्य की इत्तिबा करने का और जिसपर वह्य न आए उसपर उसकी इत्तिबा का जिसपर वह्य आए।

5. इस वाक़िए का ख़ुलासा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यहूद बनी नज़ीर को मदीने से निकाल दिया था। उन्होंने सन् चार या पाँच हिजरी में अ़रब के क़बीलों को बहकाया और सब दस या बारह हज़ार आदमी मदीना पर चढ़ आए। आपने मदीना के चारों तरफ़ ख़न्दक़ खुदवाई और तीन हज़ार आदमियों से सामना और मुक़ाबला किया, क़रीब एक महीना यह घेराव रहा आख़िर अल्लाह तआ़ला ने ज़ाहिरी तौर पर एक आँधी और बातिनी तौर पर फ़रिश्तों के लश्कर से सब काफ़िरों को तित्तर-बित्तर कर दिया और शिकस्त उनका मुक़द्दर बनी। चूँकि यहूद बनी क़ुरैज़ा ने अपने मुआ़हदे के विपरीत इन घेराव करने वालों की मदद की थी इसलिए आप अहज़ाब की लड़ाई से फ़ारिग़ होने के बाद उनके मुक़ाबले के लिए चले। वे पहले तो क़िले के अन्दर बन्द हो गए और बीस-पच्चीस दिन तक घेरे में रहे, फिर आख़िर तंग होकर निकले और बाज़े क़त्ल और बाज़े क़ैद किए गए। और इस वाक़िए में मुनाफ़िक़ों से भी बहुत-सी बेमुरव्वती की बातें सामने आईं। और चूँकि इसमें बहुत-से गिरोह चढ़ आए थे और ख़न्दक़ भी खुदी थी इसलिए इसका नाम ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब (यानी गिरोहों वाली लड़ाई) भी है और ग़ज़्वा-ए-ख़न्दक़ (यानी ख़न्दक़ वाली लड़ाई) भी।

6. यानी मदीना।

उनपर कोई आ घुसे फिर उनसे फ़साद की दरख़्वास्त की जाए तो ये उसको मन्ज़ूर कर लें और उन घरों में बहुत ही कम ठहरें। (14) हालाँकि यही लोग पहले ख़ुदा से अ़हद कर चुके थे कि पीठ न फेरेंगे,[1] और अल्लाह से जो अ़हद किया जाता है उसकी पूछ "और सवाल" होगा। (15) आप फ़रमा दीजिए कि तुमको भागना कुछ फ़ायदेमन्द नहीं हो सकता। अगर तुम मौत से या क़त्ल से भागते हो, और इस हालत में सिवाय थोड़े दिनों के और ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले नहीं हो सकते।[2] (16) यह भी फ़रमा दीजिए कि वह कौन है जो तुमको ख़ुदा से बचा सके, अगर वह तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे।[3] या वह कौन है जो ख़ुदा के फ़ज़्ल से तुमको रोक सके अगर वह तुमपर फ़ज़्ल करना चाहे,[4] और ख़ुदा के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएँगे और न कोई मददगार। (17) अल्लाह तआ़ला तुममें से उन लोगों को जानता है जो रुकावट बनते हैं और जो अपने (नसबी या वतनी) भाइयों से यूँ कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, और लड़ाई में बहुत ही कम आते हैं। (18) तुम्हारे हक़ में कन्जूसी लिए हुए,[5] सो जब ख़ौफ़ पेश आता है तो उनको देखते हो कि वे आपकी तरफ़ इस तरह देखने लगते हैं कि उनकी आँखें चकराई जाती हैं, जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो। फिर जब वह ख़ौफ़ दूर हो जाता है तो तुमको तेज़-तेज़ ज़बानों से ताने देते हैं, माल पर हिर्स लिए हुए।[6] ये लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तआ़ला ने उनके तमाम आमाल बेकार कर रखे हैं, और यह बात अल्लाह के नज़दीक बिलकुल आसान है। (19) उन लोगों का यह ख़्याल है कि (अभी तक) ये लश्कर गए नहीं, और अगर (फ़र्ज़ कर लें कि) ये (गए हुए) लश्कर (फिर लौटकर) आ जाएँ तो (फिर तो) ये लोग (अपने लिए) यही पसन्द करेंगे कि काश! हम देहातियों में बाहर जाकर रहें कि तुम्हारी ख़बरें पूछते रहें, और अगर तुम ही में रहें तब भी कुछ यूँ ही-सा लड़ें।[7] (20) ◆

तुम लोगों के लिए यानी ऐसे शख़्स के लिए जो अल्लाह से और आख़िरत के दिन से डरता हो, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता हो,[8] रसूलुल्लाह का एक उम्दा नमूना मौजूद था।[9] (21) और जब ईमान

1. यह अ़हद उस वक़्त किया था जबकि बद्र की लड़ाई में बाज़ लोग शरीक होने से रह गए थे। तो बाज़ मुनाफ़िक़ भी मुफ़्त की भलाई लेने के लिए कहने लगे कि अफ़सोस! हम शरीक न हुए, ऐसा करते वैसा करते। जब वक़्त आया तो सारी क़लई खुल गई।

2. यानी भागकर उम्र नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसका वक़्त तो पहले से तय है। और जब तय है तो अगर न भागते तो भी वक़्त से पहले मर नहीं सकते, पस न तो डटे रहने से कोई नुक़सान और न फ़रार होने से कोई नफ़ा, फिर भागना सिर्फ़ बेअ़क़्ली है।

3. जैसे वह तुमको हलाक करना चाहे तो क्या तुमको कोई बचा सकता है? जैसा कि तुम फ़रार होने को फ़ायदेमन्द ख़्याल करते हो।

4. जैसे वह ज़िन्दा रखना चाहे जो कि दुनिया के एतिबार से रहमत है, तो कोई उसके लिए रुकावट हो सकता है? जैसा कि तुम्हारा ख़्याल है कि लड़ाई में जमे रहने को ज़िन्दगी के ख़त्म होने का सबब समझते हो।

5. यानी आने में बड़ी नीयत यह होती है कि ग़नीमत का सारा माल मुसलमानों को न मिल जाए। नाम के लिए शरीक होने से ग़नीमत के माल के हक़दार होने का दावा तो किसी दर्जे में कर सकेंगे।

6. यानी ग़नीमत के माल के लिए दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, कि हम शरीक क्यों न थे? हमारे ही पीछा संभालने से तुमको यह जीत नसीब हुई है।

7. आगे जंग में डटे रहने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी को ईमान का मुक़्तज़ा होना बयान फ़रमाते हैं, ताकि मुनाफ़िक़ों को शर्म दिलाई जा सके कि ईमान का दावा करने के बावजूद उसके तक़ाज़े के ख़िलाफ़ किया और मुख़्लिस हज़रात को ख़ुशख़बरी हो कि ये लोग अल्लाह से डरने के सही मिस्दाक़ हैं।

8. "यरजू" में आग़ाज़ व अन्जाम का एतिक़ाद आ गया। और "ज़-करल्ला-ह" में सब इबादतें और नेकियाँ आ गईं।

9. आगे मुनाफ़िक़ों के मुक़ाबले में मुख़्लिस मोमिनों का ज़िक्र है।

वालों ने उन लश्करों को देखा तो कहने लगे कि यह वही है जिसकी हमको अल्लाह और उसके रसूल ने ख़बर दी थी, और अल्लाह व रसूल ने सच फ़रमाया था और उससे उनके ईमान और फ़रमाँबरदारी में तरक़्क़ी हो गई।[1] (22) उन मोमिनों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जिस बात का अल्लाह से अ़हद किया था उसमें सच्चे उतरे,[2] फिर बाज़े आदमी तो उनमें वे हैं जो अपनी मन्नत पूरी कर चुके हैं और बाज़े उनमें आरज़ू करने वाले हैं और उन्होंने ज़रा भी बदलाव नहीं किया। (23) यह वाक़िआ़ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह तआ़ला सच्चे मुसलमानों को उनके सच का सिला दे, और मुनाफ़िक़ों को चाहे सज़ा दे या चाहे उनको तौबा की तौफ़ीक़ दे। बेशक अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। (24) और अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों को उनके गुस्से में भरा हुआ हटा दिया कि उनकी कुछ भी मुराद पूरी न हुई। और जंग में अल्लाह तआ़ला मुसलमानों के लिए आप ही काफ़ी हो गया,[3] और अल्लाह तआ़ला बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़ा ज़बरदस्त है। (25) और जिन अहले किताब ने उनकी मदद की थी उनको उनके क़िलों से नीचे उतार दिया और उनके दिलों में तुम्हारा रौब बिठा दिया, बाज़ को तुम क़त्ल करने लगे और बाज़ को क़ैद कर लिया। (26) और उनकी ज़मीन और उनके घरों और उनके मालों का तुमको मालिक बना दिया, और ऐसी ज़मीन का भी जिसपर तुमने क़दम नहीं रखा,[4] और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है।[5] (27) ◆

ऐ नबी! आप अपनी बीवियों से फ़रमा दीजिए कि तुम अगर दुनियावी ज़िन्दगी (का ऐश) और उसकी बहार चाहती हो तो आओ मैं तुमको कुछ माल और (दुनियावी) सामान दे दूँ और तुमको ख़ूबी के साथ रुख़्सत करूँ।[6] (28) और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो और उसके रसूल को और आख़िरत के घर को तो तुममें नेक किरदारों के लिए अल्लाह तआ़ला ने बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है। (29) ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की बीवियो! जो कोई तुममें से खुली हुई बेहूदगी करेगी,[7] उसको दोहरी सज़ा दी जाएगी। और यह बात अल्लाह को आसान है। (30)

---

1. यह सिफ़त तो सब मोमिनों में मुश्तरक रूप से है और बाज़ सिफ़तें बाज़ मोमिनों में ख़ास भी हैं जिसका बयान आगे है।
2. यह तक़सीम इस बिना पर है कि बाज़ ने अ़हद ही नहीं किया था और बिना अ़हद ही साबित-क़दम रहे। और मुराद उन अ़हद करने वालों से हज़रत अनस बिन नज़र और उनके साथी हैं। जो हज़रात इत्तिफ़ाक़ से बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं हो पाए थे, तो उनको अफ़सोस हुआ और अ़हद किया कि अगर अब की बार कोई जिहाद हो तो उसमें हमारी जान तोड़ कोशिश देख ली जाएगी। मतलब यह था कि मुँह न मोड़ेंगे चाहे मारे जाएँ।
3. यानी काफ़िरों को लड़ने की बाक़ायदा नौबत भी न आई कि पहले ही दफ़ा हो गए।
4. इसमें ख़ुशख़बरी है आने वाली जीत और फ़ुतूहात की उमूमन, या ख़ैबर की जीत की ख़ुसूसन, जो इसके कुछ बाद हासिल हुई।
5. इसलिए यह चीज़ें कुछ मुश्किल नहीं हैं।
6. हुज़ूरे पाक की बीवियों (रज़ियल्लाहु अ़न्हुन्-न) के तक़ाज़े के साथ कुछ ज़ायद दुनियावी सामान माँगने से जिसको वे ग़लती से ज़ायद न समझी थीं, आपके दिल मुबारक को तकलीफ़ पहुँची, यहाँ तक कि आप नाराज़ होकर एक महीने के लिए सबसे अलग हो गए। ये आयतें उसके मुताल्लिक़ नबी-ए-करीम की पाक बीवियों (जो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं) की तंबीह के लिए इरशाद हुईं। और ग़ालिबन उस माँगने की वजह यह हुई कि ख़ैबर वग़ैरह के फ़त्ह होने से किसी क़द्र माली वुसअ़त हासिल हो गई थी, तो अपने ख़्याल में वे इसको तकलीफ़ का सबब नहीं समझीं। और यह क़िस्सा ख़ैबर के फ़त्ह होने के बाद हुआ, चुनाँचे उस वक़्त हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा भी आपके निकाह में थीं जो ख़ैबर से हासिल हुई थीं।
7. इससे वह मामला मुराद है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तंग और परेशान हों।

बाईसवाँ पारः व मंय्यक्नुत्

सूरः अहज़ाब (आयत 31 से 73)

और जो कोई तुममें अल्लाह की और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करेगी और नेक काम करेगी तो हम उसको उसका सवाब दोहरा देंगे, और हमने उसके लिए एक उम्दा रोज़ी तैयार कर रखी है। **(31)** ऐ नबी की बीवियो! तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम तक़्वा इख़्तियार करो,[1] तो तुम (नामेहरम मर्द से) बोलने में (जबकि ज़रूरत से बोलना पड़े) नरमी और लचक मत करो, (इससे) ऐसे शख़्स को (तबई तौर पर बुरा) ख़्याल पैदा होने लगता है जिसके दिल में ख़राबी है, और (पाकदामनी के) क़ायदे के मुवाफ़िक़ बात कहो।[2] **(32)** और तुम अपने घरों में क़रार से रहो और पुराने जहालत के ज़माने के दस्तूर के मुवाफ़िक़ मत फिरो, और तुम नमाज़ों की पाबन्दी रखो और ज़कात दिया करो और अल्लाह का और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का कहना मानो, अल्लाह को यह मन्ज़ूर है कि ऐ घर वालो! तुमसे आलूदगी को दूर रखे और तुमको (हर तरह ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी) पाक-साफ़ रखे। **(33)** और तुम उन आयतों को और उस इल्म (अहकाम) को याद रखो जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है।[3] बेशक अल्लाह तआ़ला राज़ का जानने वाला है, पूरा ख़बर रखने वाला है। **(34)** ◆

बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें, और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें,[4] और फ़रमाँबरदारी करने वाले मर्द और फ़रमाँबरदारी करने वाली औरतें, और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और ख़ुशूअ़ करने वाले मर्द और ख़ुशूअ़ करने वाली औरतें, और ख़ैरात करने वाले मर्द और ख़ैरात करने वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपनी शरमगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें, और कसरत से ख़ुदा को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, इन सबके लिए अल्लाह तआ़ला ने मग़्फ़िरत और बड़ा अज्र तैयार कर रखा है।[5] **(35)** और किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत को गुन्जाइश नहीं है जबकि अल्लाह और उसका रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) किसी काम का हुक्म दे दें कि (फिर) उन (मोमिनों) को उनके उस काम में कोई इख़्तियार (बाक़ी) रहे। और जो शख़्स अल्लाह का और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का कहना न मानेगा वह खुली गुमराही में जा पड़ा।[6] **(36)** और जब आप उस शख़्स से फ़रमा रहे थे जिसपर अल्लाह ने भी इनाम किया

---

1. यानी तक़्वे के बग़ैर ख़ाली निस्बत बेकार है!
2. मतलब यह है कि जैसे औरतों के बात करने का एक फ़ितरी अन्दाज़ होता है कि बोलने में नरमी होती है, मिज़ाज की सादगी से उस अन्दाज़ को मत बरतो, बल्कि ऐसे मौक़े पर तकल्लुफ़ और एहतिमाम से उस फ़ितरी अन्दाज़ को बदल कर बातचीत करो, यानी ऐसे अन्दाज़ से बातचीत करो जिसमें रूखापन हो कि यह पाकदामनी और आबरू की हिफ़ाज़त करने वाला है।
3. अल्लाह की आयतें यानी क़ुरआन।
4. इस्लाम से मुराद नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज वग़ैरह आमाल हुए, और ईमान से मुराद अ़क़ायद हुए।
5. अगली आयत के नाज़िल होने का सबब यह है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का निकाह अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से करना चाहा। चूँकि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु गुलाम मश्हूर हो चुके थे इसलिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उनके भाई अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस निकाह की मन्ज़ूरी से उज़्र किया, उसपर यह आयत नाज़िल हुई।
6. अगली आयत के नाज़िल होने का सबब यह है कि जब गुज़री हुई आयत के नाज़िल होने पर **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 764 पर)**

और आपने भी इनाम किया,[1] कि अपनी बीवी (ज़ैनब) को अपने निकाह में रहने दे और ख़ुदा से डर, और आप अपने दिल में वह (बात भी) छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह तआ़ला (आख़िर में) ज़ाहिर करने वाला था, और आप लोगों (के ताना देने) से अन्देशा करते थे, और डरना तो आपको ख़ुदा ही से ज़्यादा मुनासिब है।[2] फिर जब ज़ैद (रज़ियल्लाहु अ़न्हु) का उससे जी भर गया,[3] हमने आपसे उसका निकाह कर दिया, ताकि मुसलमानों पर अपने मुँह-बोले बेटों की बीवियों के (निकाह के) बारे में कुछ तंगी न रहे, जब वे (मुँह बोले बेटे) उनसे अपना जी भर चुकें,[4] और ख़ुदा का यह हुक्म तो होने वाला ही था। **(37)** और उन पैग़म्बर के लिए जो बात (तक़दीरी तौर पर या शरीअ़त के हुक्म के तौर पर) ख़ुदा तआ़ला ने मुक़र्रर कर दी थी उसमें नबी पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तआ़ला ने उन (पैग़म्बरों) के हक़ में (भी) यही मामूल कर रखा है जो पहले हो गुज़रे हैं, और अल्लाह का हुक्म (पहले से) तजवीज़ किया हुआ होता है। **(38)** ये सब (पहले गुज़रे हुए पैग़म्बर) ऐसे थे कि अहकाम पहुँचाया करते थे और इस बारे में अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से न डरते थे, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। **(39)** मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, सब नबियों के ख़त्म पर हैं, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानता है। **(40)** ◆

(और) ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह को ख़ूब कसरत से याद करो **(41)** और सुबह व शाम (यानी हमेशा) उसकी तस्बीह (व पाकी बयान) करते रहो। **(42)** वह ऐसा (रहीम) है कि वह (ख़ुद भी) और उसके फ़रिश्ते (भी) तुमपर रहमत भेजते रहते हैं,[5] ताकि हक़ तआ़ला तुमको अन्धेरियों से नूर की तरफ़ ले आए। और अल्लाह तआ़ला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। **(43)** वे जिस दिन अल्लाह से मिलेंगे तो उनको जो सलाम होगा वह यह होगा कि अस्सलामु अ़लैकुम, और अल्लाह ने उनके लिए उम्दा सिला (जन्नत) तैयार कर रखा है। **(44)** ऐ नबी! हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप गवाह होंगे और आप (मोमिनों को) ख़ुशख़बरी देने वाले हैं, और (काफ़िरों को) डराने वाले हैं। **(45)** और (सबको) अल्लाह की तरफ़ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं और आप एक रोशन चिराग़ हैं।[6] **(46)** और मोमिनों को ख़ुशख़बरी दे

(पृष्ठ 762 का शेष) निकाह मन्ज़ूर कर लिया गया तो इत्तिफ़ाक़ से आपस में मिज़ाजों में मुवाफ़क़त और मिलाप न हुआ। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने तलाक़ देना चाहा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मश्विरा किया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने समझाया कि तलाक़ मत दो। मगर जब किसी तरह निबाह न हुआ, आख़िर फिर तलाक़ का इरादा ज़ाहिर किया। उस वक़्त आपको वह्य से मालूम हुआ कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ज़रूर तलाक़ देंगे और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का आपसे निकाह होगा। और उस वक़्त मस्लहत भी यही थी, क्योंकि अव्वल तो यह निकाह मरज़ी के ख़िलाफ़ होने से तबई तकलीफ़ का सबब हुआ था, फिर उसपर तलाक़ देना और ज़्यादा परेशानी, तकलीफ़ और दिल टूटने का सबब था। उस दिल टूटने की तलाफ़ी जिससे हज़रत ज़ैनब रज़ि. के आँसू पोंछे जा सकते थे, इससे बेहतर और कोई न थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनसे निकाह करके उनका दिल रखें और सम्मानित फ़रमाएँ, मगर साथ ही अ़वाम के ताने देने और बुरा-भला कहने का ख़्याल था, मगर अल्लाह के हुक्म से निकाह हुआ, जिसमें ज़िक्र हुई ख़ास मस्लहत के अ़लावा शरीअ़त की यह आ़म मस्लहत भी थी कि मुँह-बोले बेटे की बीवी से निकाह का हलाल होना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़मल से साबित हो जाए।

1. इससे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु मुराद हैं।
2. इससे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु के तलाक़ देने की सूरत में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से निकाह मुराद है।

फ़ायदाः दीनी मस्लहत के मालूम होने के बाद फिर आपने अन्देशा नहीं किया।

3. यानी तलाक़ दे दी और इद्दत भी गुज़र गई।
4. यानी तलाक़ दे दें। मतलब यह कि शरीअ़त के इस हुक्म का इज़हार करना हमको मक़सूद था। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 766 पर)**

दीजिए कि उनपर अल्लाह की तरफ़ से बड़ा फ़ज़्ल होने वाला है। **(47)** और काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों का कहना न मानिए, और उनकी तरफ़ से जो तकलीफ़ पहुँचे उसका ख़्याल न कीजिए,[1] और अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह तआ़ला काफ़ी कारसाज़ है। **(48)** ऐ ईमान वालो! तुम जब मुसलमान औ़रतों से निकाह करो (और) फिर तुम उनको हाथ लगाने से पहले (किसी इत्तिफ़ाक़ से) तलाक़ दे दो,[2] तो तुम्हारी उनपर कोई इद्दत (वाजिब) नहीं, जिसको तुम गिनने लगो, तो उनको कुछ (माल) सामान दे दो,[3] और ख़ूबी के साथ उनको रुख़्सत करो।[4] **(49)** ऐ नबी! हमने आपके लिए आपकी ये बीवियाँ जिनको आप उनके महर दे चुके हैं, हलाल की हैं, और वे औ़रतें भी जो तुम्हारी मम्लूका हैं, जो अल्लाह तआ़ला ने ग़नीमत में आपको दिलवा दी हैं, और आपके चचा की बेटियाँ और आपकी फूफियों की बेटियाँ और आपके मामूँ की बेटियाँ और आपकी ख़ालाओं की बेटियाँ भी जिन्होंने आपके साथ हिजरत की हो, और उस मुसलमान औ़रत को भी जो बिना बदले के अपने को पैग़म्बर को दे दे,[5] बशर्ते कि पैग़म्बर उसको निकाह में लाना चाहें। ये सब आपके लिए मख़्सूस किए गए हैं न कि और मोमिनों के लिए। हमको वे अहकाम मालूम हैं जो हमने उनपर उनकी बीवियों और बाँदियों के बारे में मुक़र्रर किए हैं। ताकि आप पर किसी क़िस्म की तंगी न हो। और अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। **(50)** उनमें से आप जिसको चाहें (और जब तक चाहें) अपने से दूर रखें, और जिसको चाहें (और जब तक चाहें) अपने नज़दीक रखें,[6] और जिनको दूर कर रखा था उनमें से फिर किसी को तलब करें तब भी आप पर कोई गुनाह नहीं।[7] इसमें ज़्यादा उम्मीद है कि उनकी आँखें ठन्डी रहेंगी[8] और ग़मगीन न होंगी। और जो कुछ भी आप उनको दे देंगे उसपर सबकी सब राज़ी रहेंगी। और ख़ुदा तआ़ला को तुम लोगों के दिलों की सब बातें मालूम हैं, और अल्लाह तआ़ला (यही क्या) सब कुछ जानने वाला, बुर्दबार

(पृष्ठ 764 का शेष) **5.** उसका रहमत भेजना तो रहमत करना है, और फ़रिश्तों का रहमत भेजना रहमत की दुआ़ करना है।
6. इसलिए कि आपकी हर हालत नूर के तालिबों के लिए हिदायत का सरमाया है। पस क़ियामत में उन मोमिनों पर जो कुछ रहमत होगी वह आप ही की इन सिफ़तों यानी ख़ुशख़बरी देने वाले, डराने वाले, अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले और रोशन चिराग़ होने की के वास्ते से है।

1. यानी उनका ताना देना और एतिराज़ करना उनको तब्लीग़ करने से रोकने का सबब न हो जाए।

2. हाथ लगाना, इससे सोहबत करने की तरफ़ इशारा है, चाहे वह हक़ीक़त में हो या हुक्मन, जैसे इतनी तन्हाई कि जिसमें सोहबत की जा सके।

3. माल व सामान में यह तफ़सील है कि अगर उसका महर मुक़र्रर नहीं हुआ तो यह सामान एक जोड़ा है, और अगर महर मुक़र्रर हुआ है तो यह सामान आधा महर है।

4. 'ख़ूबी के साथ रुख़्सत करना' यह कि बिना हक़ न रोके, उसका वाजिब माल-सामान न रखे और दिया हुआ माल-सामान वापस न ले, कोई सख़्त बात न कहे।

5. यानी निकाह में आना चाहे।

6. यानी जिसको चाहें और जब तक चाहें उसको बारी यानी नम्बर न दें, और जिसको चाहें और जब तक चाहें उसको बारी दें।

7. मतलब यह हुआ कि उनकी बारी वग़ैरह की रियायत आप पर वाजिब नहीं।

8. यानी ख़ुश रहेंगी।

है। **(51)** इनके अ़लावा और औ़रतें आपके लिए हलाल नहीं हैं,[1] और न यह दुरुस्त है कि आप उन (मौजूदा) बीवियों की जगह दूसरी बीवियाँ कर लें, अगरचे आपको उन (दूसरियों) का हुस्न अच्छा मालूम हो, हाँ मगर जो आपकी मिल्क में हो। और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ (की हक़ीक़त और आसार और मस्लहतों) का पूरा निगराँ है। **(52)** ❖

ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में (बिना बुलाए) मत जाया करो, मगर जिस वक़्त तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए, ऐसे तौर पर कि उसकी तैयारी के मुन्तज़िर न रहो।[2] लेकिन जब तुमको बुलाया जाए (कि खाना तैयार है) तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुको तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत बैठे रहा करो, इस बात से नबी को नागवारी होती है, सो वह तुम्हारा लिहाज़ करते हैं,[3] और अल्लाह तआ़ला साफ़-साफ़ बात कहने से (किसी का) लिहाज़ नहीं करता। और जब तुम उनसे कोई चीज़ माँगो तो पर्दे के बाहर से माँगा करो।[4] यह बात (हमेशा के लिए) तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का उम्दा ज़रिया है। और तुमको जायज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को तकलीफ़ पहुँचाओ, और न यह जायज़ है कि तुम आपके बाद आपकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, यह ख़ुदा के नज़दीक बड़ी भारी (गुनाह और नाफ़रमानी की) बात है। **(53)** अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करोगे या उसको छुपाओगे तो अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। **(54)** पैग़म्बर की बीवियों पर अपने बापों के बारे में कोई गुनाह नहीं, और न अपने बेटों के, और न अपने भाइयों के, और न अपने भतीजों के, और न अपने भान्जों के, और न अपनी औ़रतों के, और न अपनी बाँदियों के, और ख़ुदा से डरती रहो, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर हाज़िर (नाज़िर) है।[5] **(55)** बेशक अल्लाह तआ़ला और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं इन पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर।[6] ऐ ईमान वालो! तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो। **(56)** बेशक जो लोग अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं अल्लाह तआ़ला उनपर दुनिया और आख़िरत में लानत करता है, और उनके लिए ज़लील करने वाला अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।[7] **(57)** और जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औ़रतों को बग़ैर इसके कि

---

1. यानी रिश्तेदारों में से वे औ़रतें हलाल नहीं जिन्होंने हिजरत नहीं की। और दूसरी औ़रतों में से ग़ैर-मोमिन औ़रतें हलाल नहीं।

2. यानी बिना दावत किए तो जाओ मत, और दावत हो तब भी बहुत पहले से मत जा बैठो।

3. और ज़बान से नहीं फ़रमाते कि उठकर चले जाओ।

4. यानी बेज़रूरत तो पर्दे के पास जाना और बात करना भी न चाहिए, लेकिन ज़रूरत में गुफ़्तगू करने में कोई हर्ज नहीं, मगर सामने न आना चाहिए।

5. यानी उससे कोई बात छुपी नहीं। पस इसके ख़िलाफ़ करने में सज़ा का अन्देशा है।

6. अल्लाह तआ़ला का रहमत भेजना तो रहमत फ़रमाना है, और मुराद इससे ख़ास रहमत है जो आपकी बुलन्द शान के मुनासिब है। और फ़रिश्तों का रहमत भेजना और इसी तरह जिस रहमत के भेजने का हमको हुक्म है उससे मुराद उस ख़ास रहमत की दुआ़ करना है, और इसी को हमारे मुहावरे में दुरूद कहते हैं। और इस दुआ़ करने से हुज़ूरे पाक के बुलन्द मर्तबों में भी तरक़्क़ी हो सकती है और ख़ुद दुआ़ करने वाले को भी नफ़ा होता है।

7. अल्लाह के नाराज़ करने को तकलीफ़ देना कहा गया है।

उन्होंने कुछ किया हो तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो वे लोग बोहतान और खुले गुनाह का बोझ लेते हैं।[1] (58) ❖

ऐ पैग़म्बर! अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और दूसरे मुसलमानों की बीवियों से भी कह दीजिए कि (सर से) नीचे कर लिया करें अपने ऊपर थोड़ी-सी अपनी चादरें,[2] इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी, तो तकलीफ़ न दी जाया करेंगी। और अल्लाह बख़्शने वाला, मेहरबान है।[3] (59) ये मुनाफ़िक़ लोग और वे लोग जिनके दिलों में ख़राबी है, और वे लोग जो मदीने में (झूठी-झूठी) अफ़वाहें उड़ाया करते हैं, अगर बाज़ न आए तो ज़रूर हम आपको उनपर मुसल्लत करेंगे,[4] फिर ये लोग आपके पास मदीने में बहुत ही कम रहने पाएँगे। (60) वे भी (हर तरफ़ से) फटकारे हुए जहाँ मिलेंगे पकड़-धकड़ और मार-धाड़ की जाएगी। (61) अल्लाह तआ़ला ने उन (फ़साद करने वाले) लोगों में भी अपना यही दस्तूर रखा है जो पहले हो गुज़रे हैं, और आप खुदा के दस्तूर में किसी शख़्स की तरफ़ से रद्दोबदल न पाएँगे।[5] ◆ (62) ये (इनकार करने वाले) लोग आपसे क़ियामत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि उसकी ख़बर तो बस अल्लाह तआ़ला ही के पास है। और आपको उसकी क्या ख़बर, अ़जब नहीं कि क़ियामत क़रीब ही ज़ाहिर हो जाए। (63) बेशक अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों को रहमत से दूर रखा है, और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। (64) जिसमें वे हमेशा-हमेशा रहेंगे, न कोई यार पाएँगे और न कोई मददगार। (65) जिस दिन उनके चेहरे दोज़ख़ में उलट-पलट किए जाएँगे,[6] यूँ कहते होंगे कि ऐ काश! हमने अल्लाह की इताअ़त की होती और हमने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की इताअ़त की होती। (66) और यूँ कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहना माना था। सो उन्होंने हमको (सीधे) रास्ते से गुमराह किया था। (67) ऐ हमारे रब! उनको दोहरी सज़ा दीजिए, और उनपर बड़ी लानत कीजिए। (68) ❖

---

1. यानी अगर वह तकलीफ़ ज़बान से है तो बोहतान है, और अगर फ़ेल से है तो मुतलक़ गुनाह ही है।

2. यानी किसी ज़रूरत से बाहर निकलना पड़े तो चादर से सर और चेहरा भी छुपा लिया जाए।

3. यानी इस सर और चेहरे के ढाँकने में जो बिला इरादा कोताही या बेएहतियाती हो जाए तो अल्लाह तआ़ला उसको माफ़ कर देगा।

4. यानी उनके निकाल बाहर करने का हुक्म कर देंगे।

5. कि खुदा तो कोई बात जारी करना चाहे और कोई उसको रोक सके। पस 'सुन्नतुल्लाहि' में किसी बात के वक़्त से पहले हो जाने का रद्द फ़रमा दिया, और 'लन तजि-द' में किसी बात का वक़्त के बाद ज़ाहिर होने का रद्द फ़रमा दिया। कि जब वह ज़ाहिर करने और सामने लाने लगे तो कोई हटा नहीं सकता।

6. यानी चेहरों के बल घसीटे जाएँगे, कभी चेहरे की इस करवट कभी उस करवट।

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की तरह मत होना जिन्होंने (कुछ तोहमत घड़कर) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को तकलीफ़ दी थी, सो उनको ख़ुदा तआ़ला ने बरी साबित कर दिया,[1] और वह अल्लाह के नज़दीक बड़े इज़्ज़त वाले "यानी सम्मानित" थे।[2] **(69)** ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो[3] और सच्ची बात कहो।[4] **(70)** अल्लाह तआ़ला (इसके सिले में) तुम्हारे आमाल को क़बूल करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। और जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त करेगा, सो वह बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा। **(71)** हमने यह अमानत (यानी अहकाम जो अमानत के दर्जे में हैं) आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश की थी, सो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया और इससे डर गए, और इनसान ने इसको अपने ज़िम्मे ले लिया,[5] वह ज़ालिम है, जाहिल है। **(72)** अन्जाम यह हुआ कि अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औ़रतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औ़रतों को सज़ा देगा, और मोमिन मर्दों और मोमिन औ़रतों पर तवज्जोह (और रहमत) फ़रमाएगा, और अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। **(73)** ◆

34 सूरः सबा 58

सूरः सबा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 54 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

पूरी की पूरी तारीफ़ें (और प्रशंसा) उसी अल्लाह के लिए हैं जिसकी मिल्क में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और उसी को तारीफ़ (और प्रशंसा) आख़िरत में भी (लायक़) है। और वह हिक्मत वाला,[6] ख़बर रखने वाला है।[7] **(1)** वह सब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर दाख़िल होती है (जैसे बारिश), और जो चीज़ उसमें से निकलती है (जैसे पेड़-पौधे, घास, सब्ज़ियाँ और हरियाली वग़ैरह) और जो चीज़ आसमान से उतरती है, और जो चीज़ उसमें चढ़ती है,[8] और वह (अल्लाह तआ़ला) रहीम (और) ग़फ़ूर (भी) है। **(2)** और ये काफ़िर कहते हैं कि हमपर क़ियामत न आएगी। आप फ़रमा दीजिए कि क्यों नहीं, क़सम है अपने परवर्दिगार ग़ैब के जानने वाले की, वह ज़रूर तुमपर आएगी। उस (के इल्म) से कोई ज़र्रा

---

1. यानी उनका तो कुछ नुक़सान न हुआ, तोहमत लगाने वाले ही झूठे और सज़ा के मुस्तहिक़ ठहरे।

2. मतलब यह कि तुम रसूल को उनकी मुख़ालफ़त करके तकलीफ़ मत देना कि वह अल्लाह की मुख़ालफ़त भी है।

3. यानी हर मामले में उसकी इताअ़त करो।

4. जिसमें इन्साफ़ हो, हद से गुज़रना न हो।

5. यह किसी ख़ास इनसान से जैसे आदम अ़लैहिस्सलाम से नहीं पूछा गया बल्कि जैसे 'अ़हद लेने' (यानी वह अ़हद जो तमाम रूहों से अल्लाह पाक ने लिया था) की तरह यह पेशकश भी आ़म होगी। और लाज़िम कर लेना और ज़रूरी क़रार दे लेना भी आ़म था। पस आसमान, ज़मीन और पहाड़ मुकल्लफ़ न हुए और यह मुकल्लफ़ बना दिया गया। आयत में इसका याद दिलाना ग़ालिबन इसी हिक्मत से है, जैसा कि 'अ़हद' याद दिलाया। यानी इन अहकाम को तुमने ख़ुद ही अपने ऊपर लाज़िम किया है, फिर निभाना चाहिए।

6. कि ज़मीन व आसमान में मौजूद चीज़ों को फ़ायदों और मस्लहतों पर मुश्तमिल बनाया है।

7. कि उन मस्लहतों और फ़ायदों को पैदा करने से पहले ही जानता था, फिर उनको पैदा करके ज़मीन और आसमानों में रख दिया।

8. जैसे फ़रिश्ते कि उतरते-चढ़ते हैं, और जैसे अहकाम जो नाज़िल होते हैं, और आमाल जो चढ़ते हैं।

बराबर भी ग़ायब नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, और न कोई चीज़ इस (ज़िक्र हुई मात्रा) से छोटी है और न कोई चीज़ (इससे) बड़ी है, मगर ये सब किताबे मुबीन में (लिखी हुई) है।[1] **(3)** ताकि उन लोगों को (नेक) सिला दे जो ईमान लाए थे और उन्होंने नेक काम किए थे, (सो) ऐसे लोगों के लिए मग्फ़िरत और (जन्नत में) इज़्ज़त की रोज़ी है। **(4)** और जिन लोगों ने हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनके बातिल करने की) कोशिश की थी हराने के लिए, ऐसे लोगों के वास्ते सख़्ती का दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।[2] **(5)** और जिन लोगों को (आसमानी किताबों का) इल्म दिया गया है, वे इस क़ुरआन को जो कि आपके रब की तरफ़ से आपके पास भेजा गया है, ऐसा समझते हैं कि वह हक़ है और वह ख़ुदा-ए-ग़ालिब तारीफ़ वाले (की रिज़ा) का रास्ता बतलाता है। **(6)** और काफ़िर (आपस में) कहते हैं कि क्या हम तुमको एक ऐसा आदमी बताएँ जो तुमको यह अ़जीब ख़बर देता है कि जब तुम बिलकुल रेज़ा-रेज़ा हो जाओगे तो (उसके बाद क़ियामत में) ज़रूर एक नए जन्म में आओगे। **(7)** मालूम नहीं उस शख़्स ने ख़ुदा तआ़ला पर (जान-बूझकर) झूठ बोहतान बाँधा है या उसको किसी तरह का जुनून है, बल्कि जो लोग आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते (वही) अ़ज़ाब और दूर-दराज़ गुमराही में (मुब्तला) हैं।[3] **(8)** तो क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की तरफ़ नज़र नहीं की, जो उनके आगे भी और उनके पीछे (भी) मौजूद हैं। अगर हम चाहें तो उनको ज़मीन में धंसा दें या उनपर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इस (ज़िक्र हुई दलील) में (अल्लाह की क़ुदरत की) पूरी दलील है, (मगर) उस बन्दे के लिए जो (ख़ुदा की तरफ़) मुतवज्जह (भी) हो[4] **(9)** ❖

और हमने दाऊद को अपनी तरफ़ से बड़ी नेमत दी थी। ऐ पहाड़ो! दाऊद के साथ बार-बार तस्बीह करो, और (इसी तरह) परिन्दों को भी हुक्म दिया,[5] और हमने उनके वास्ते लोहे को (मोम की तरह) नरम कर दिया। **(10)** (और यह हुक्म दिया) कि तुम पूरी ज़िरहें बनाओ (और कड़ियों के) जोड़ने में अन्दाज़ा रखो, और तुम सब नेक काम किया करो,[6] मैं तुम्हारे सब आमाल देख रहा हूँ। **(11)** और सुलैमान के लिए हवा को ताबे कर दिया कि उस (हवा) की सुबह की मन्ज़िल एक महीने भर की (राह) होती और उसकी शाम की मन्ज़िल एक महीने भर की (राह) होती,[7] और हमने उनके लिए ताँबे का चश्मा बहा दिया, और जिन्नात में बाज़े वे थे जो उनके आगे काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और उनमें से जो शख़्स हमारे इस हुक्म से सरकशी करेगा, हम उसको (आख़िरत में) अ़ज़ाब चखा देंगे।[8] **(12)** वे जिन्नात उनके लिए वे-वे चीज़ें बनाते

1. यानी लौहे-महफ़ूज़ में।
2. क़ुरआनी आयतों के झुठलाने पर यह सज़ा होना ही चाहिए। क्योंकि अव्वल तो क़ुरआन अपनी ज़ात के एतिबार से एक हक़ चीज़ है जो अल्लाह की तरफ़ से उतरा है, और ऐसी हक़ चीज़ का झुठलाना ख़ुद हक़ तआ़ला को झुठलाना है। इसपर जितनी भी सज़ा हो बजा है। दूसरे क़ुरआन सही रास्ते की तालीम व हिदायत करता है जो अल्लाह के यहाँ पसन्दीदा है। जो शख़्स उसको न मानेगा वह सही रास्ते से जान-बूझकर दूर रहेगा। न उसको हक़ अ़क़ीदों का पता लगेगा, न नेक आमाल का, और यही तरीक़ा है नजात का। पस नजात के रास्ते से जान-बूझकर दूर रहने पर सज़ा होना बेजा नहीं है।
3. इस गुमराही का मौजूदा असर यह है कि सच्चे भी झूठ घड़ने वाले और मजनूँ नज़र आते हैं, और अन्जाम का असर यह है कि अ़ज़ाब भुगतना पड़ेगा।
4. यानी दलील तो काफ़ी है मगर उनकी तरफ़ से तलब नहीं, इसलिए महरूम हैं।
5. यानी जब यह ज़िक्र में मशग़ूल हों तो तुम भी इनका साथ दो। ग़ालिबन यह तस्बीह ऐसी होगी कि जो सुनने वाले को समझ में आए, वरना समझ में न आने वाली तस्बीह तो आ़म है उसमें दाऊद अ़लैहिस्सलाम का साथ देने की क्या तख़्सीस है?
6. यानी दाऊद अ़लैहिस्सलाम और उनके ताल्लुक़ वाले।
7. यानीं वह हवा सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को इतनी-इतनी दूर पहुँचाती। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 776 पर)**

जो उनको (बनवाना) मन्ज़ूर होता। बड़ी-बड़ी इमारतें और मूरतें और लगन (ऐसे बड़े) जैसे हौज़ और (बड़ी-बड़ी) देगें जो एक ही जगह जमी रहें। ऐ दाऊद के ख़ानदान वालो! तुम सब शुक्रिए में नेक काम किया करो, और मेरे बन्दों में शुक्रगुज़ार कम ही होते हैं। **(13)** फिर जब हमने उनपर मौत का हुक्म जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने उनके मरने का पता न बतलाया मगर घुन के कीड़े ने, कि वह सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) की लाठी को खाता था।[1] सो जब वह गिर पड़े तब जिन्नात को हक़ीक़त मालूम हुई कि अगर वे ग़ैब जानते होते तो इस ज़िल्लत की मुसीबत में न रहते।[2] **(14)** सबा (के लोगों) के लिए उनके वतन (की मजमूई हालत) में निशानियाँ मौजूद थीं। दो क़तारें थीं बाग़ की दाएँ और बाएँ,[3] अपने रब का (दिया हुआ) रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो (कि रहने को) उम्दा शहर (दिया) और बख़्शने वाला, परवर्दिगार है। **(15)** सो उन्होंने नाफ़रमानी की तो हमने उनपर बन्द का सैलाब छोड़ दिया।[4] और हमने उनके उन दो तरफ़ा बाग़ों के बदले और दो बाग़ दिए जिनमें ये चीज़ें रह गईं- बद्‌मज़ा फल और झाव और थोड़ी-सी बेरी। **(16)** उनको यह सज़ा हमने उनकी नाशुक्री के सबब दी। और हम ऐसी सज़ा बड़े नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। **(17)** और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान में जहाँ हमने बरकत कर रखी है, बहुत-से गाँव आबाद कर रखे थे जो नज़र आते थे, और हमने उन देहात के दरमियान उनके चलने का एक ख़ास अन्दाज़ रखा था कि बिना किसी डर और ख़ौफ़ के उनमें रातों को और दिनों को चलो। **(18)** सो वे कहने लगे कि ऐ हमारे रब! हमारे सफ़रों में लम्बाई कर दे, और (इस नाशुक्री के अ़लावा) उन्होंने (और भी नाफ़रमानियाँ करके) अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, सो हमने उनको अफ़साना बना दिया और उनको बिलकुल तित्तर-बित्तर कर दिया। बेशक इस (क़िस्से) में हर साबिर व शाकिर (मोमिन) के लिए बड़ी इब्रतें हैं। **(19)** और वाक़ई शैतान ने उन लोगों के बारे में[5] अपना गुमान सही पाया कि ये सब उसी की राह पर हो लिए, मगर ईमान वालों का गिरोह। **(20)** और शैतान का उन लोगों पर (बहकाने और गुमराह करने के तौर पर जो) क़ब्ज़ा है, इसके

(पृष्ठ 774 का शेष) 8. हासिल यह कि जो जिन्न ईमान और फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करेगा वह दोज़ख़ के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहेगा, जैसा कि ईमान का तक़ाज़ा है।

1. सुलैमान अ़लैहिस्सलाम मौत के क़रीब लाठी को दोनों हाथ से पकड़कर उसको ठोड़ी के नीचे लगाकर तख़्त पर बैठ गए और उसी हालत में रूह क़ब्ज़ हो गई, और उसी तरह साल भर तक बैठे रहे। जिन्नात आपको बैठा देखकर ज़िन्दा समझते रहे और ज़िन्दा समझकर बदस्तूर काम करते रहे।
2. मुराद मशक़्क़त भरे आमाल हैं, जिनमें मातहत होने की वजह से ज़िल्लत भी है और मशक़्क़त की वजह से मुसीबत भी है।
3. यानी उनके तमाम इलाक़े में दोनों तरफ़ मिले हुए बाग़ात चले गए थे।
4. यानी जो सैलाब बन्द से रुका रहता था, बन्द टूटकर उस सैलाब का पानी चढ़ आया जिससे उनके दोनों तरफ़ लगे हुए ये बाग़ात सब ग़ारत हो गए।
5. यानी आदम की औलाद (इनसानों) के बारे में।

सिवा और किसी वजह से नहीं कि हमको (ज़ाहिरी तौर पर) उन लोगों को जो कि आख़िरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से (अलग करके) मालूम करना है जो उसकी तरफ़ से शक में हैं,[1] और आपका रब हर चीज़ का निगराँ है। **(21)** ❖

आप फ़रमा दीजिए कि जिनको तुम ख़ुदा के सिवा (ख़ुदाई में दख़ील) समझ रहे हो उनको पुकारो, वे ज़र्रा बराबर इख़्तियार नहीं रखते, न आसमानों में और न ज़मीन में, और न उनकी उन दोनों (के पैदा करने) में कोई शिरकत है, और न उनमें से कोई अल्लाह का (किसी काम में) मददगार है।[2] **(22)** और ख़ुदा के सामने (किसी की) सिफ़ारिश किसी के लिए काम नहीं आती मगर उसके लिए जिसके मुताल्लिक़ (सिफ़ारिश करने वाले को) वह इजाज़त दे दे।[3] यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक-दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे परवर्दिगार ने क्या हुक्म फ़रमाया? वे कहते हैं कि (फ़लानी) हक़ बात का हुक्म फ़रमाया, और वह आलीशान, सबसे बड़ा है।[4] **(23)** आप (तौहीद की तहक़ीक़ के लिए यह भी) पूछिए कि (अच्छा बतलाओ) तुमको आसमान और ज़मीन से कौन रोज़ी देता है? आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह (रोज़ी देता है)। और (यह भी कहिए कि इस तौहीद के मसले में) बेशक हम या तुम ज़रूर सही रास्ते पर हैं या खुली गुमराही में हैं। **(24)** आप (यह भी) फ़रमा दीजिए कि अगर हम मुजरिम हैं (तो) तुमसे हमारे जुर्मों की पूछताछ न होगी, और हमसे तुम्हारे आमाल की पूछताछ न होगी। **(25)** (और यह भी) कह दीजिए कि हमारा रब हम सबको (एक जगह) जमा करेगा। फिर हमारे दरमियान ठीक-ठीक (अमली) फ़ैसला कर देगा, और वह बड़ा फ़ैसला करने वाला, जानने वाला है।[5] **(26)** आप (यह भी) कहिए कि मुझको ज़रा वे तो दिखलाओ जिनको तुमने शरीक बनाकर ख़ुदा के साथ मिला रखा है, हरगिज़ (उसका कोई शरीक) नहीं, बल्कि (हक़ीक़त में) वही है अल्लाह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला।[6] **(27)** और हमने तो आपको तमाम लोगों के वास्ते पैग़म्बर बनाकर भेजा है,[7] (ईमान लाने पर उनको हमारी रिज़ा और सवाब की) ख़ुशख़बरी सुनाने वाले, और (ईमान न लाने पर उनको हमारे अज़ाब व ग़ज़ब से) डराने वाले, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। **(28)** और ये लोग (ऐसे मज़ामीन सुनकर) कहते हैं कि यह वायदा कब होगा, अगर तुम (यानी नबी और आपके मानने वाले) सच्चे हो (तो बतलाओ)। **(29)** आप कह दीजिए कि तुम्हारे वास्ते एक ख़ास दिन का वायदा (मुक़र्रर) है, कि उससे न एक घड़ी पीछे हट सकते हो और न आगे बढ़ सकते हो।[8] ● **(30)** ❖

---

1. यानी आज़माइश और इम्तिहान मक़सूद है, ताकि मोमिन व काफ़िर मुतैयन हो जाएँ, कि बाज़ को सवाब देना और बाज़ को अज़ाब देना हिक्मत का तक़ाज़ा है।
2. यानी न दुनिया के बनाने में उनका कोई दख़ल है और न मौजूद हो जाने के बाद उनका मुस्तक़िल तौर पर कोई इख़्तियार है, और न नायब होने की हैसियत से इख़्तियार है।
3. और दलीलों से साबित है कि यह इजाज़त सिर्फ़ मोमिनों के हक़ में होगी।
4. पस जब मुक़र्रब फ़रिश्तों की यह हालत हो तो बुत और शयातीन तो किस गिनती में हैं। कि एक में क़ाबलियत नहीं दूसरे में मक़बूलियत नहीं।
5. उससे किसी का हाल छुपा नहीं जिससे ग़लत फ़ैसले का शुब्हा हो सके।
6. ऊपर तौहीद का ज़िक्र था। आगे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत और उसके आम (यानी सबके लिए) होने का मज़मून है, कि वे लोग इसके भी इनकारी थे। फिर तौहीद का हक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी के बग़ैर हासिल भी नहीं होता।
7. यानी चाहे जिन्नात हों या इनसान, अरब वाले हों या अरब से बाहर के, मौजूद हों या आइन्दा होने वाले हों।
8. यानी अगरचे हम वक़्त न बतलाएँगे मगर आएगी ज़रूर।

और ये काफ़िर लोग (दुनिया में तो ख़ूब बातें बनाते हैं और) कहते हैं कि हम हरगिज़ इस क़ुरआन पर ईमान न लाएँगे और न इससे पहली किताबों पर, और अगर आप (उनकी) उस वक़्त की हालत देखें (तो एक हौलनाक मन्ज़र नज़र आए), जब ये ज़ालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे, एक-दूसरे पर बात डालता होगा। (चुनाँचे) अदना दर्जे के लोग[1] बड़े लोगों से[2] कहेंगे कि (हम तो तुम्हारे सबब से बरबाद हुए) अगर तुम न होते तो हम ज़रूर ईमान ले आए होते। **(31)** (उसपर) ये बड़े लोग उन अदना दर्जे के लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत (पर अमल करने) से (ज़बरदस्ती) रोका था, इसके बाद कि वह (हिदायत) तुमको पहुँच चुकी थी। नहीं! बल्कि तुम ही क़ुसूरवार हो। **(32)** और (उसके जवाब में) ये कम दर्जे के लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे कि (हम ज़बरदस्ती को रुकावट) नहीं (कहते) बल्कि तुम्हारी रात-दिन की तदबीरों ने रोका था, जब तुम हमको फ़रमाइश करते रहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ़्र करें,[3] और उसके लिए शरीक क़रार दें। और वे लोग (अपनी उस) शर्मिन्दगी को (एक-दूसरे से) छुपाकर रखेंगे जबकि अ़ज़ाब देखेंगे। और हम काफ़िरों की गर्दनों में तौक़ डालेंगे, जैसा करते थे वैसा ही तो भरा।[4] **(33)** और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला (पैग़म्बर) नहीं भेजा, मगर वहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने यही कहा कि हम तो उन अहकाम के इनकार करने वाले हैं जो तुमको देकर भेजा गया है। **(34)** और उन्होंने यह भी कहा कि हम माल और औलाद में तुमसे ज़्यादा हैं, और हमको कभी अ़ज़ाब न होगा। **(35)** आप कह दीजिए कि मेरा परवर्दिगार जिसको चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है कम देता है, और लेकिन अक्सर लोग (इससे) वाक़िफ़ नहीं।[5] **(36)** ◆

और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा मुक़र्रब बना दे, (यानी अल्लाह की निकटता की भी सबब व इल्लत नहीं) मगर हाँ जो ईमान लाए और अच्छे काम करे (ये दोनों चीज़ें अलबत्ता निकटता का सबब हैं) सो ऐसे लोगों के लिए उनके (नेक) अ़मल का सिला है और वे (जन्नत के) बालाख़ानों में चैन से (बैठे) होंगे। **(37)** और जो लोग हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनको बातिल करने की) कोशिश कर रहे हैं (नबी को) हराने के लिए, ऐसे लोग अ़ज़ाब में लाए जाएँगे।[6] **(38)** आप (मोमिनों से)

---

1. यानी पैरवी करने वाले।

2. यानी जिनकी पैरवी की गई उनसे।

3. तदबीरों से मुराद शौक़ दिलाना और डराना है।

4. अगर शुब्हा हो कि बाज़ काफ़िरों ने तो अपने मानने वालों पर ज़बरदस्ती भी की है, फिर इसके क्या मायने "अ-नहनु सदद्नाकुम् (आख़िर तक)" तो जवाब यह है कि असल ईमान एतिक़ाद है, और उसका स्थान दिल है, वहाँ ज़बरदस्ती करना मुम्किन नहीं।

5. यानी इस हक़ीक़त के वाक़िफ़ नहीं कि रिज़्क़ के ज़्यादा होने का मदार अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने पर नहीं है, बल्कि इसका मदार दूसरी मस्लहतों पर है।

6. ऊपर रिज़्क़ के कम-ज़्यादा होने का इरादे और चाहने से ताल्लुक़ होने को बातिल फ़रमाया था जैसा कि काफ़िरों का ख़्याला था, आगे इसी पर मोमिनों की इस्लाह का एक मज़मून बयान फ़रमाते हैं। जिसका हासिल यह है कि माल का कम-ज़्यादा होना महज़ इरादे और चाहने पर है, तो मोमिन को चाहिए कि दिल को उसके साथ ज़्यादा न लगाए और काफ़िरों की तरह उसको मक़सूद न समझे, बल्कि उसको अल्लाह की रिज़ा और निकटता के हासिल होने का ज़रिया बनाए जो कि असल मक़सूद है।

फ़रमा दीजिए कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे तंगी से देता है,[1] और जो चीज़ तुम (अल्लाह के हुक्म के मौक़ों में) ख़र्च करोगे, सो वह (यानी अल्लाह तआला) उसका बदला देगा, और वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।[2] **(39)** और (वह दिन ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जिस दिन अल्लाह तआला उन सबको (क़ियामत के मैदान में) जमा फ़रमाएगा। फिर फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमाएगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? **(40)** वे अ़र्ज़ करेंगे कि आप पाक हैं, हमारा तो आपसे ताल्लुक़ है न कि इनसे, बल्कि ये लोग शैतानों को पूजा करते थे, उनमें अक्सर लोग उन्हीं के मोतक़िद थे। **(41)** सो (काफ़िरों से कहा जाएगा) आज तुम (इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जाती थी सबके सब) में से न कोई किसी को नफ़ा पहुँचाने का इख़्तियार रखता है और न नुक़सान पहुँचाने का, और (उस वक़्त) हम ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) से कहेंगे कि जिस दोज़ख़ के अ़ज़ाब को तुम झुठलाया करते थे (अब) उसका मज़ा चखो। **(42)** और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें जो (हक़ और हिदायत वाली होने की सिफ़त में) साफ़-साफ़ पढ़ी जाती हैं, तो ये लोग (पढ़ने वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में) कहते हैं (अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे) कि यह महज़ एक ऐसा शख़्स है जो यूँ चाहता है कि तुमको उन चीज़ों (की इबादत) से रोक दे जिनको (पहले से) तुम्हारे बड़े पूजते थे,[3] और (कुरआन के बारे में) कहते हैं (अल्लाह की पनाह) कि यह महज़ एक घड़ा हुआ झूठ है। और ये काफ़िर इस हक़ चीज़ (यानी कुरआन) के मुताल्लिक़ जबकि वह उनके पास पहुँचा यूँ कहते हैं कि यह महज़ एक खुला जादू है। **(43)** और हमने उनको किताबें नहीं दी थीं कि उनको पढ़ते-पढ़ाते हों, और (इसी तरह) हमने आपसे पहले उनके पास कोई डराने वाला (यानी पैग़म्बर) नहीं भेजा था। **(44)** और उनसे पहले जो (काफ़िर) लोग थे उन्होंने झुठलाया था और ये (अ़रब के मुश्रिक लोग) तो उस सामान के जो हमने उनको दे रखा था, दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचे।[4] ग़रज़ उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, सो (देखो) मेरा (उनपर) कैसा अ़ज़ाब हुआ। **(45)** ❖

आप कहिए कि मैं तो सिर्फ़ एक बात समझाता हूँ।[5] वह यह कि तुम (सिर्फ़) ख़ुदा के वास्ते खड़े हो ज़ाओ, दो-दो[6] और एक-एक, फिर सोचो कि तुम्हारे उस साथी को जुनून (तो) नहीं है। वह तो तुमको एक सख़्त अ़ज़ाब आने से पहले डराने वाला है। **(46)** आप कह दीजिए कि मैंने तुमसे (इस तब्लीग़ पर) कुछ मुआ़वज़ा माँगा हो तो वह तुम्हारा ही रहा,[7] मेरा मुआ़वज़ा तो बस अल्लाह तआ़ला ही के ज़िम्मे है, और वही हर चीज़ पर इत्तिला रखने वाला है।[8] **(47)** आप कह दीजिए कि मेरा रब हक़ बात (यानी ईमान) को (कुफ़्र

1. इस सूरत में रोक लेने से रिज़्क़ बढ़ नहीं सकता, और शरीअ़त के हुक्म के मुताबिक़ ख़र्च करने से घट नहीं सकता। पस माल से ज़्यादा ताल्लुक़ मत रखो बल्कि जहाँ-जहाँ अल्लाह के, घर वालों और बाल-बच्चों के और फ़क़ीरों व ज़रूरतमन्दों के हुक़ूक़ और दूसरी जगहों में ख़र्च करने का हुक्म है बेधड़क ख़र्च करते रहो कि उससे जितना रिज़्क़ तय हो चुका है उसमें तो कमी का नुक़सान न होगा, और आख़िरत का नफ़ा होगा।
2. "राज़िक़ी-न" बहुवचन लाना इस एतिबार से है कि जो लोग ज़ाहिर में अपने हाथ से देते-दिलाते हैं उनको मजाज़न राज़िक़ क़रार दे दिया गया। और चूँकि अल्लाह तआ़ला हक़ीक़ी राज़िक़ है इसलिए उसका "सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला" होना ज़ाहिर है।
3. उन कमबख़्तों का मतलब यह था कि यह नबी नहीं, और इनका बुलाना और दावत देना अल्लाह की जानिब से नहीं बल्कि इसमें खुद इनकी ज़ाती ग़रज़ ओ़हदा व सरदारी हासिल करने की है।
4. यानी उनके जैसी क़ुव्वत, उनके जैसी उम्रें, उनके जैसी मालदारी इनको नहीं मिली जो कि ग़ुरूर और घमण्ड का ज़रिया होता है।
5. इससे हक़ वाज़िह हो जाएगा, बस इसको कर लो।
6. यानी तैयार हो जाओ।
7. यानी तुम अपने ही पास रखो। यह मुहावरे में अज्र माँगने का ज़्यादा ज़ोरदार अन्दाज़ में इनकार करना है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 784 पर)**

पर) ग़ालिब कर रहा है, (और) वह तमाम ग़ैब की बातों और चीज़ों को जानता है। **(48)** आप कह दीजिए कि (दीने) हक़ आ गया और (दीने) बातिल न करने का रहा न धरने का।[1] **(49)** आप कह दीजिए कि अगर (मसलन् मान लें और फ़र्ज़ कर लें) मैं गुमराह हो जाऊँ तो मेरी गुमराही मुझ ही पर वबाल होगी, और अगर मैं (सही) रास्ते पर हूँ तो यह इस क़ुरआन की बदौलत है जिसको मेरा रब मेरे पास भेज रहा है। वह सब कुछ सुनता (और) बहुत नज़दीक है। **(50)** और अगर आप वह वक़्त देखें (तो आपको हैरत हो) जबकि काफ़िर लोग घबराए फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत न होगी और पास के पास ही (यानी फ़ौरन) पकड़ लिए जाएँगे। **(51)** और कहेंगे कि हम हक़ दीन पर ईमान ले आए, और इतनी दूर जगह से (ईमान का) उनके हाथ आना कहाँ मुम्किन है।[2] **(52)** हालाँकि पहले से (दुनिया में) ये लोग उसका इनकार करते रहे, और बेतहक़ीक़ बातें दूर-ही-दूर से हाँका करते थे।[3] **(53)** और उनमें और उनकी (ईमान क़बूल करने की) आरज़ू में एक आड़ कर दी जाएगी,[4] जैसा कि उनके हम-ख़्यालों के साथ (भी) यही (बर्ताव) किया जाएगा जो उनसे पहले थे, क्योंकि ये सब बड़े शक में थे जिसने इनको दुविधा में डाल रखा था। **(54)** ❖

35 सूरः फ़ातिर 43

सूरः फ़ातिर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 45 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

पूरी की पूरी[5] तारीफ़ (उसी) अल्लाह को लायक़ है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जो फ़रिश्तों को पैग़ाम पहुँचाने वाला बनाने वाला है,[6] जिनके दो-दो और तीन-तीन और चार-चार पर वाले बाज़ू हैं। वह पैदाइश में जो चाहे ज़्यादा कर देता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। **(1)** अल्लाह जो रहमत (बारिश वग़ैरह) लोगों के लिए खोल दे, सो उसका कोई बन्द करने वाला नहीं। और जिसको बन्द कर दे, सो उसके (बन्द करने के) बाद उसका कोई जारी करने वाला नहीं, और वही ग़ालिब, हिक्मत वाला है। **(2)** ऐ लोगो! तुमपर जो अल्लाह के एहसान हैं उनको याद करो, (शुक्र करो और ग़ौर करो कि) क्या अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई पैदा करने वाला है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता हो?[7] उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो तुम (शिर्क करके) कहाँ उल्टे जा रहे हो। **(3)** और अगर ये लोग आपको झुठलाएँ

(पृष्ठ 782 का शेष) **8.** बदले में माल और ओ़हदा यानी सरदारी सब आ गया, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में अज्र बनने की सलाहियत है। मतलब यह कि मैं तुमसे किसी ग़रज़ का तालिब नहीं हूँ।

1. असल मक़सूद मुख़ातबीन को सुनाना है कि बावजूद हक़ सामने आ जाने और वाज़ेह हो जाने के अगर तुमने हक़ का इत्तिबा न किया तो तुम भुगतोगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। और अगर राह पर आ गए तो यह राह पर आना भी उस दीने हक़ की पैरवी के सबब होगा जिसका हक़ होना वह्य के ज़रिए साबित है। पस तुमको चाहिए कि सही रास्ते पर आने के लिए इस दीन को इख़्तियार करो।

2. यानी दारुल-अ़मल (अ़मल करने की जगह) की वजह से ईमान लाने की जगह दुनिया थी जो बड़ी दूर हो गई। अब आख़िरत में जो कि दारुल-जज़ा (बदला मिलने की जगह) है, ईमान मक़बूल नहीं।

3. दूर का मतलब यह है कि उसकी तहक़ीक़ से दूर थे। यानी दुनिया में तो कुफ़्र करते रहे अब ईमान सूझा है, और उसके मक़बूल होने की आरज़ू है।

4. यानी उनकी आरज़ू पूरी न होगी।

5. इस सूरः का ज़्यादा हिस्सा तौहीद को साबित करने और शिर्क को बातिल करने में है। और बाज़ आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली दी गयी है। और बाज़ आयतों में आमाल के फ़ायदों और नुक़सानों और बाज़ आयतों में कुफ़्र के बुराई और उसपर सज़ा की धमकी व डाँट है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 786 पर)**

तो (आप ग़मं न करें, क्योंकि) आपसे पहले भी बहुत-से पैग़म्बर झुठलाए जा चुके हैं, और सब मामलात अल्लाह ही के सामने पेश किए जाएँगे। **(4)** ऐ लोगो! अल्लाह तआला का (यह) वायदा ज़रूर सच्चा है। सो ऐसा न हो कि यह दुनियावी ज़िन्दगी तुमको धोखे में डाले रखे,[1] और ऐसा न हो कि तुमको धोखेबाज़ शैतान अल्लाह से धोखे में डाल दे। **(5)** यह शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम उसको (अपना) दुश्मन (ही) समझते रहो। वह तो अपने गिरोह को महज़ इसलिए (बातिल की तरफ़) बुलाता है ताकि वे लोग दोज़ख़ियों में से हो जाएँ। **(6)** (पस) जो लोग काफ़िर हो गए उनके लिए सख़्त अ़ज़ाब है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए (गुनाहों की) बख़्शिश और ईमान पर बड़ा अज्र है। **(7)** ❖

तो क्या ऐसा शख़्स जिसको उसका बुरा अ़मल अच्छा करके दिखाया गया, फिर वह उसको अच्छा समझने लगा (यानी काफ़िर), और ऐसा शख़्स जो बुरे को बुरा समझता है (यानी मोमिन), कहीं बराबर हो सकते हैं?[2] सो अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। सो उनपर अफ़सोस करके कहीं आपकी जान न जाती रहे, अल्लाह को उनके सब कामों की ख़बर है। **(8)** और अल्लाह ऐसा (क़ुदरत वाला) है जो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है, फिर वे (हवाएँ) बादलों को उठाती हैं, फिर हम उस बादल को ज़मीन के सूखे टुकड़े की तरफ़ हाँक ले जाते हैं, फिर हम उसके (पानी के) ज़रिए से ज़मीन को ज़िन्दा करते हैं, इसी तरह (क़ियामत में आदमियों का) जी उठना है।[3] **(9)** जो शख़्स इज़्ज़त हासिल करना चाहे तो पूरी की पूरी इज़्ज़त ख़ुदा ही के लिए है।[4] अच्छा कलाम उसी तक पहुँचता है और अच्छा काम उसको पहुँचाता है।[5] और जो लोग (उसके ख़िलाफ़) बुरी-बुरी तदबीरें कर रहे हैं उनको सख़्त अ़ज़ाब होगा,[6] और उन लोगों का यह मक्र नेस्तनाबूद हो जाएगा।[7] **(10)** और अल्लाह ने तुमको (ज़िम्नी तौर पर) मिट्टी से पैदा किया है, फिर (मुस्तक़िल तौर पर) नुत्फ़े से पैदा किया, फिर तुमको जोड़े-जोड़े बनाया।[8] और किसी औ़रत को न गर्भ रहता है और न वह जन्म देती है मगर सब उसकी इत्तिला से होता है।[9] और (इसी तरह) न किसी की उम्र ज़्यादा (मुक़र्रर) की जाती है और न किसी की उम्र कम (मुक़र्रर) की जाती है मगर ये सब लौहे-महफ़ूज़ में होता है। यह सब अल्लाह को आसान है। **(11)** और दोनों दरिया बराबर नहीं हैं (बल्कि) एक

(पृष्ठ 784 का शेष) 6. पैग़ाम से मुराद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तरफ़ वह्य लाना है, चाहे वह अहकाम से मुताल्लिक़ हो या ख़ुशख़बरी वग़ैरह हों।

7. यानी न कोई पैदा करने वाला है जो कि ईजाद करने की नेमत है, और न कोई रिज़्क़ देने वाला है जो कि बाक़ी रखने की नेमत है। पस जब वह हर तरह कामिल है तो यक़ीनन उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ भी नहीं।

1. कि उसमें मश्ग़ूल होकर उस वायदा किए गए दिन से ग़ाफ़िल रहो।

2. पहले शख़्स से मुराद काफ़िर है जो शैतान के बहकाने और गुमराह करने से बातिल को हक़ और नुक़सान पहुँचाने वाली चीज़ को नफ़ा देनी वाली समझता है। और दूसरे शख़्स से मुराद मोमिन है जो नबियों की इत्तिबा और शैतानों की मुख़ालफ़त करने से बातिल को बातिल, हक़ को हक़, नुक़सान देने वाली चीज़ को नुक़सान देनी वाली और नफ़ा देनी वाली को नफ़ा देनी वाली जानता है। यानी ये दोनों बराबर कहाँ हुए? बल्कि एक जहन्नमी और एक जन्नती है।

3. समान बताने (एक जैसा होने) की वजह ज़ाहिर है कि दोनों में एक ख़त्म हो जाने वाली सिफ़त का दोबारा पैदा करना है।

4. इसलिए उसको चाहिए कि अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करे।

5. अच्छे कलाम में कलिमा-ए-तौहीद और अल्लाह तआ़ला के तमाम ज़िक्र और अच्छे काम में दिल से तस्दीक़ और ज़ाहिर व बातिन के तमाम नेक आमाल दाख़िल हैं। और पहुँचना (यानी अल्लाह की तरफ़ जाना) आ़म है, सिर्फ़ क़बूल होने को भी, और मुकम्मल तौर पर क़बूल होने को। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 788 पर)**

तो मीठा प्यास बुझाने वाला है, जिसका पीना आसान है, और एक खारा कड़वा है, और तुम हर एक (दरिया) से (मछलियाँ निकालकर उनका) ताज़ा गोश्त खाते हो, (तथा) ज़ेवर (मोती) निकालते हो जिसको तुम पहनते हो। और तू कश्तियों को उसमें देखता है पानी को फाड़ती हुई चली जाती हैं, ताकि तुम (उनके ज़रिए से) उसकी रोज़ी ढूँढो और ताकि तुम शुक्र अदा करो। **(12)** वह रात को दिन में दाख़िल कर देता है और दिन को रात में दाख़िल कर देता है।[1] और (जैसे यह कि) उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है, हर एक मुक़र्ररा वक़्त तक[2] चलते रहेंगे। यही अल्लाह (जिसकी यह शान है) तुम्हारा परवर्दिगार है, उसी की हुकूमत है और उसके सिवा जिनको तुम पुकारते हो वे तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख़्तियार नहीं रखते। **(13)** अगर तुम उनको पुकारो भी तो वे तुम्हारी पुकार (पहले तो) सुनेंगे नहीं, और अगर (फ़र्ज़ कर लो कि) सुन भी लें तो तुम्हारा कहना न करेंगे। और क़ियामत के दिन वे (खुद) तुम्हारे शिर्क करने की मुख़ालफ़त करेंगे, और तुझको ख़बर रखने वाले की बराबर कोई नहीं बतलाएगा।[3] ▲ **(14)** ❖

ऐ लोगो! तुम (ही) खुदा तआला के मोहताज हो और अल्लाह (तो) बेपरवाह (और खुद तमाम) ख़ूबियों वाला है। **(15)** अगर वह चाहे तुमको फ़ना कर दे और एक नई मख़्लूक़ पैदा कर दे। **(16)** और यह बात अल्लाह तआला को कुछ मुश्किल नहीं। **(17)** और कोई दूसरे का (गुनाह का) बोझ न उठाएगा। और अगर कोई बोझ का लदा हुआ (यानी कोई गुनाहगार) किसी को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा (भी) तब भी उसमें से कुछ भी बोझ न बटाया जाएगा अगरचे वह शख़्स क़रीबी रिश्तेदार ही (क्यों न) हो। आप तो सिर्फ़ ऐसे लोगों को डरा सकते हैं जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते हैं।[4] और जो शख़्स पाक होता है वह अपने लिए पाक होता है, और खुदा की तरफ़ लौटकर जाना है। **(18)** और अन्धा और आँखों वाला बराबर नहीं हो सकते **(19)** और न अंधेरा और रोशनी **(20)** और न छाँव और धूप।[5] **(21)** और ज़िन्दे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते।[6] अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों

(पृष्ठ 786 का शेष) **6.** यह उनकी ज़िल्लत का सबब होगा, और उनके ख़्याली खुदा उनको ख़ाक इज़्ज़त न दे सकेंगे। बल्कि उल्टे वे खुद उनके ख़िलाफ़ हो जाएँगे।

7. यानी उन तदबीरों में उनको कामयाबी न होगी। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि वे इस्लाम को मिटाना चाहते थे खुद ही मिट गए।

8. यानी कुछ नर और कुछ मादा बनाए।

9. यानी उसको पहले से सबकी ख़बर होती है।

1. जिससे दिन और रात के घटने-बढ़ने के मुताल्लिक़ फ़ायदे हासिल होते हैं।

2. यानी क़ियामत के दिन तक।

3. ऊपर तौहीद का ज़िक्र था। चूँकि काफ़िर लोग उसका इनकार करते थे और उस इनकार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ग़म भी होता था, इसलिए आगे इनकार से हक़ तआ़ला का नुक़सान न होना बल्कि खुद उन काफ़िरों ही का नुक़सान होना, और मान लेने से हक़ तआ़ला का कुछ नफ़ा न होना बल्कि खुद उन्हीं का नफ़ा होना, और दुनिया में उस नुक़सान का अन्देशा और आख़िरत में उसके सामने आने और ज़ाहिर होने को बयान करके काफ़िरों को ख़बरदार करने और उससे डराने और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ग़म करने पर आपकी तसल्ली का मज़मून है।

4. मतलब यह है कि हक़ के तालिब को नफ़ा हुआ करता है। ये लोग हक़ के तालिब ही नहीं, इनसे उम्मीद न रखिए।

5. यानी उन लोगों से क्या उम्मीद रखी जाए कि उनका समझना मोमिनों जैसा समझना हो, और उस समझने से मोमिनों की तरह ये भी हक़ को क़बूल कर लें, और हक़ को क़बूल करने के दीनी फ़ायदों में भी ये लोग शरीक हो जाएँ। क्योंकि मोमिनों की मिसाल हक़ को समझने में देखने वाले के जैसी है, और उनकी मिसाल हक़ के न समझने में अन्धों जैसी है। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 790 पर)**

को नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में (दफ़न) हैं। **(22)** आप तो सिर्फ़ डराने वाले हैं। **(23)** हम ही ने आपको (दीने) हक़ देकर ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला न गुज़रा हो। **(24)** और अगर ये लोग आपको झुठलाएँ तो जो लोग उनसे पहले गुज़र चुके हैं उन्होंने भी झुठलाया था, (और) उनके पास भी उनके पैग़म्बर मोजिज़े और सहीफ़े और रोशन किताबें लेकर आए थे। **(25)** फिर मैंने उन काफ़िरों को पकड़ लिया। सो (देखो) मेरा कैसा अज़ाब हुआ। **(26)** ❖

(ऐ मुख़ातब!) क्या तूने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके ज़रिए से मुख़्तलिफ़ रंगतों के फल निकाले। और (इसी तरह) पहाड़ों के भी मुख़्तलिफ़ हिस्से हैं- (बाज़े) सफ़ेद, (बाज़े) सुर्ख़ कि उनकी भी रंगतें अलग-अलग हैं। (और बाज़े न सफ़ेद न सुर्ख़ बल्कि) बहुत गहरे काले। **(27)** और इसी तरह आदमियों और जानवरों और चौपायों में भी बाज़ ऐसे हैं कि उनकी रंगतें अलग-अलग हैं। ख़ुदा से उसके वही बन्दे डरते हैं जो (उसकी बड़ाई का) इल्म रखते हैं, वाक़ई अल्लाह तआला ज़बरदस्त, बड़ा बख़्शने वाला है।[1] **(28)** जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत (और साथ ही उस पर अमल भी) करते रहते हैं और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको अता फ़रमाया है उसमें से छुपे और खुले तौर पर ख़र्च करते हैं, वे ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी मद्धम और फीकी न होगी। **(29)** ताकि उनको उनकी उजरतें (भी) पूरी-पूरी दें और उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा (भी) दें। बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला, बड़ा क़द्र करने वाला है। **(30)** और यह किताब जो हमने आपके पास वह्य के तौर पर भेजी है, यह बिलकुल ठीक है जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक़ करती है। अल्लाह तआला अपने बन्दों की (हालत की) पूरी खबर रखने वाला, ख़ूब देखने वाला है। **(31)** फिर यह किताब हमने उन लोगों के हाथों में पहुँचाई जिनको हमने अपने (तमाम दुनिया के) बन्दों में से पसन्द फ़रमाया,[2] फिर बाज़े तो उनमें अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले हैं और बाज़े उनमें दरमियानी दर्जे के हैं, और बाज़े उनमें ख़ुदा की तौफ़ीक़ से नेकियों में तरक़्क़ी किए चले जाते हैं। यह बड़ा फ़ज़्ल है।[3] **(32)** वे बाग़ात हैं हमेशा रहने के जिनमें

(पृष्ठ 788 का शेष) और इसी तरह मोमिनों ने हक़ को समझने और पाने के ज़रिए से जिस हिदायत के रास्ते को इख़्तियार किया है उस हक़ रास्ते की मिसाल नूर के जैसी है, और काफ़िर ने हक़ को न समझने और उसको कबूल न करने से जिस रास्ते को इख़्तियार किया है उसकी मिसाल अन्धेरे के जैसी है। और इसी तरह जो फल जन्नत वग़ैरह इस हक़ तरीक़े पर मुरत्तब होगा उसकी मिसाल ठन्डे साये के जैसी है, और जो नतीजा और फल जहन्नम वग़ैरह बातिल तरीक़े पर मुरत्तब होगा उसकी मिसाल जलती धूप के जैसी है। पस न उनका और मोमिनों का समझना बराबर हुआ और न उनका तरीक़ा और न उस तरीक़े का फल और नतीजा।

6. जब ये मुर्दे हैं तो मुर्दों को ज़िन्दा करना ख़ुदा की क़ुदरत में है, बन्दे की क़ुदरत में नहीं।

1. पस अल्लाह से डरना और ख़ौफ़ इज़्ज़त का सबब भी है और बख़्शिश का भी।

2. इससे मुसलमान मुराद हैं जो इस ईमान की हैसियत से तमाम दुनिया वालों में अल्लाह के नज़दीक मक़बूल हैं। अगरचे उनमें कोई किसी दूसरी वजह से जैसे आमाल का ख़राब होना वग़ैरह, मलामत (डाँट-डपट और बुरा-भला कहने) का सबब भी हो। मतलब यह है कि मुसलमानों के हाथों में वह किताब पहुँचाई।

3. क्योंकि उसपर अमल करने की बदौलत कैसे अज्र व फ़ज़्ल के हक़दार हो गए।

ये लोग दाख़िल होंगे (और) उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएँगे, और वहाँ उनका लिबास रेशम का होगा। **(33)** और कहेंगे अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जिसने हमसे (रंज और) ग़म दूर किया, बेशक हमारा परवर्दिगार बड़ा बख़्शने वाला, क़द्रदान है। **(34)** जिसने हमको अपने फ़ज़्ल से हमेशा रहने के ठिकाने में ला उतारा, जहाँ हमको न कोई परेशानी पहुँचेगी और न हमको कोई ख़स्तगी पहुँचेगी। **(35)** और (उनके विपरीत) जो लोग काफ़िर हैं उनके लिए दोज़ख़ की आग है, न तो उनकी मौत आएगी कि मर ही जाएँ और न उनसे दोज़ख़ का अ़ज़ाब ही हल्का किया जाएगा। हम हर काफ़िर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। **(36)** और वे लोग उस (दोज़ख़) में चिल्लाएँगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको (यहाँ से) निकाल लीजिए, हम (अब ख़ूब) अच्छे (-अच्छे) काम करेंगे, उन कामों के उलट जो किया करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी कि जिसको समझना होता वह समझ सकता?[1] और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुँचा था। सो (उसे न मानने का) मज़ा चखो, कि ऐसे ज़ालिमों का (यहाँ) कोई मददगार नहीं। **(37)** ❖

बेशक अल्लाह तआ़ला (ही) जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ों का। बेशक वही जानने वाला है दिल की बातों का। **(38)** वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया।[2] सो जो शख़्स कुफ़्र करेगा उसके कुफ़्र का वबाल उसी पर पड़ेगा,[3] और काफ़िरों के लिए उनका कुफ़्र उनके परवर्दिगार के नज़दीक नाराज़ी ही बढ़ने का सबब हो जाता है, और (साथ ही) काफ़िरों के लिए उनका कुफ़्र घाटा ही बढ़ने का सबब होता है। **(39)** आप कहिए कि तुम अपने बनाए हुए शरीकों का हाल तो बताओ जिनको तुम ख़ुदा के सिवा पूजा करते हो। यानी मुझको यह बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन-सा हिस्सा बनाया है, या उनका आसमान (बनाने) में कुछ साझा है,[4] या हमने उनको कोई किताब दी है कि ये उसकी किसी दलील पर क़ायम हों,[5] बल्कि ये ज़ालिम एक-दूसरे से ख़ालिस धोखे की बातों का वायदा करते आए हैं।[6] **(40)** यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वे मौजूदा हालत को छोड़ न दें। और अगर (मान लो) वे मौजूदा हालत को छोड़ दें तो फिर ख़ुदा के सिवा और कोई उनको थाम भी नहीं सकता, वह हलीम है, मग़फ़िरत करने वाला है। **(41)** और उन (क़ुरैश के) काफ़िरों ने बड़ी ज़ोरदार क़सम खाई थी कि

---

1. इससे बालिग़ होने की उम्र मुराद है कि उसमें ज़रूरत के मुताबिक़ पूरी समझ हासिल हो जाती है, इसी लिए उसमें मुकल्लफ़ हो जाता है।
2. इन दलीलों और नेमतों का तक़ाज़ा यह था कि दलील पकड़ते और शुक्र अदा करते हुए तौहीद और फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करते, मगर बाज़े इसके ख़िलाफ़ कुफ़्र व मुख़ालफ़त पर अड़े हुए हैं।
3. किसी दूसरे का क्या बिगड़ता है।
4. ताकि अ़क़्ली दलील से उनका इबादत का हक़दार होना साबित हो।
5. असल यह है कि न अ़क़्ली दलील है न नक़्ली दलील है।
6. उनके बड़ों ने उनको बे-सनद ग़लत बात बतला दी कि "ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी हैं" हालाँकि हक़ीक़त में वे बिलकुल बेइख़्तियार हैं। पस वे इबादत के हक़दार भी नहीं। तो जब कुल मुख़्तार हक़ तआ़ला है तो वही इबादत के क़ाबिल भी है।

अगर उनके पास कोई डराने वाला आए तो वे हर-हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत क़बूल करने वाले हों। फिर जब उनके पास एक पैग़म्बर आ पहुँचे[1] तो बस उनकी नफ़रत ही को तरक़्क़ी हुई। **(42)** दुनिया में अपने को बड़ा समझने की वजह से और उनकी बुरी तदबीरों को,[2] और बुरी तदबीरों का (असली) वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता है। सो क्या ये उसी दस्तूर का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो अगले (काफ़िर) लोगों के साथ होता रहा है।[3] सो आप ख़ुदा के (इस) दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएँगे, और आप ख़ुदा के दस्तूर को मुन्तक़िल होता हुआ "यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला" न पाएँगे।[4] **(43)** और क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं, जिसमें देखते-भालते कि जो (इनकार करने वाले) लोग उनसे पहले गुज़र चुके उनका अन्जाम क्या हुआ? हालाँकि वे क़ुव्वत में इनसे भी बढ़े हुए थे। और ख़ुदा तआ़ला ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ (ताक़त वाली) उसको हरा दे, न आसमान में और न ज़मीन में, (क्योंकि) वह बड़े इल्म वाला (और) बड़ी क़ुदरत वाला है।[5] **(44)** और अगर अल्लाह तआ़ला (उन) लोगों पर उनके आमाल के सबब (फ़ौरन) पकड़ फ़रमाने लगता तो रू-ए-ज़मीन पर एक जानदार को न छोड़ता, लेकिन अल्लाह तआ़ला उनको एक मुक़र्ररा मीयाद (यानी क़ियामत) तक मोहलत दे रहा है। सो जब उनकी वह मीयाद आ पहुँचेगी (उस वक़्त) अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को आप देख लेगा। **(45)** ❖

36 सूरः यासीन 41

सूरः यासीन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 83 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

या-सीन् **(1)** क़सम है क़ुरआन की जो हिक्मत से भरा हुआ है। **(2)** कि बेशक आप पैग़म्बरों में से हैं। **(3)** (और) सीधे रास्ते पर हैं। **(4)** यह क़ुरआन ज़बरदस्त, मेहरबान ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल किया गया है। **(5)** कि आप (पहले) ऐसे लोगों को डराएँ जिनके बाप-दादा नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये बेख़बर हैं। **(6)** उनमें से अक्सर लोगों पर (तक़दीरी) बात साबित हो चुकी है। सो ये लोग (हरगिज़) ईमान न लाएँगे। **(7)** हमने उनकी गर्दनों में तौक़ डाल दिए हैं, फिर वे ठोड़ियों तक (अड़ गए) हैं, जिससे

---

1. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम।
2. यानी तकब्बुर की वजह से आपकी पैरवी से शर्म तो हुई थी मगर यह भी न किया कि न पैरवी होती और न तकलीफ़ पहुँचाने के पीछे पड़ते, बल्कि आपको तकलीफ़ पहुँचाने की फ़िक्र में लग गए। चुनाँचे हर वक़्त उनका इसी में लगे रहना मालूम और मशहूर है।
3. यानी सज़ा देना और हलाक करना।
4. मतलब यह है कि हक़ तआ़ला का वायदा है कि काफ़िरों को अ़ज़ाब होगा चाहे दुनिया में भी, चाहे सिर्फ़ आख़िरत में। और हक़ तआ़ला का वायदा हमेशा सच्चा होता है। पस न यह शक व शुब्हा है कि उनको अ़ज़ाब न हो, और न यह शक व शुब्हा कि दूसरों को होने लगे। इस तक़रीर से मक़सद अ़ज़ाब के वाक़ेअ़ होने की ताकीद है। (यानी अ़ज़ाब ज़रूर होगा यह कोई ख़्याली बात नहीं)।
5. पस इल्म से अपने हर इरादे को नाफ़िज़ और लागू करने का तरीक़ा जानता है, और क़ुदरत से उसको नाफ़िज़ और लागू कर सकता है।

उनके सर ऊपर को उठ रहे हैं।[1] **(8)** और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने (हर तरफ़ से) उनको (पर्दों में) घेर दिया, सो वे नहीं देख सकते। **(9)** और उनके हक़ में आपका डराना या न डराना दोनों बराबर हैं ये ईमान न लाएँगे। **(10)** पस आप तो सिर्फ़ ऐसे शख़्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और ख़ुदा से बेदेखे डरे।[2] सो आप उसको मग़्फ़िरत और उम्दा बदले की ख़ुशख़बरी सुना दीजिए।[3] **(11)** बेशक हम मुर्दों को ज़िन्दा करेंगे, और हम लिखते जाते हैं वे आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते जाते हैं, और उनके वे आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं।[4] और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में लिख दिया था।[5] **(12)** ❖

और आप उनके सामने एक क़िस्सा यानी एक बस्ती वालों का क़िस्सा उस वक़्त का बयान कीजिए[6] जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। **(13)** यानी जबकि हमने उनके पास (पहले) दो को भेजा, सो उन लोगों ने (पहले) दोनों को झूठा बतलाया, फिर तीसरे (रसूल) से ताईद की, सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। **(14)** उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह (महज़) मामूली आदमी हो, और ख़ुदा-ए-रहमान ने (तो) कोई चीज़ नाज़िल (ही) नहीं की, तुम ख़ालिस झूठ बोलते हो। **(15)** उन रसूलों ने कहा कि हमारा परवर्दिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। **(16)** और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ़ स्पष्ट तौर पर (हुक्म का) पहुँचा देना था।[7] **(17)** वे लोग कहने लगे कि हम तो तुमको मन्हूस समझते हैं,[8] अगर तुम बाज़ न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और तुमको हमारी तरफ़ से सख़्त तकलीफ़ पहुँचेगी। **(18)** उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए? बल्कि तुम (ख़ुद अक़्ल और शरीअ़त की) हद से निकल जाने वाले लोग हो।[9] **(19)** और एक (मुसलमान) शख़्स उस शहर के किसी दूर मक़ाम से दौड़ता हुआ आया (और) कहने लगा कि ऐ मेरी क़ौम! इन रसूलों की राह पर (ज़रूर) चलो। **(20)** ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवज़ा और सिला नहीं माँगते और वे ख़ुद सही रास्ते पर हैं।[10] **(21)**

---

1. यानी उठे रह गए, नीचे को नहीं हो सकते।

2. इसलिए कि डर ही से हक़ की तलब होती है, और तलब से पाना, और ये डरते ही नहीं।

3. इसी से इसपर भी दलालत हो गई कि जो गुमराही और हक़ से मुँह मोड़ने का जुर्म करेगा, वह मग़्फ़िरत और अज्र से महरूम और अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ है।

4. "मा क़द्दमू" से मुराद जो काम अपने हाथ से किया और "आसा-रहुम" से मुराद वह असर जो उसके काम के सबब पैदा हुआ और मरने के बाद भी बाक़ी रहा। ग़रज़ ये सब लिखे जा रहे हैं और वहाँ इन सबपर जज़ा और सज़ा मुरत्तब हो जाएगी।

5. यानी लौहे-महफ़ूज़ में।

6. ऊपर रिसालत का मसला मय तसल्ली देने के ज़िक्र किया गया था। आगे रिसालत की ताईद और झुठलाने वालों को डराने और धमकाने के लिए एक क़िस्सा ज़िक्र किया गया है, जो रिसालत के झुठलाने वालों की मलामत और निन्दा वग़ैरह पर ख़त्म किया गया है। जिससे उस मज़मून की भी ताईद हो गई जो सज़ा के बारे में ऊपर ज़िक्र किया गया था।

7. ग़रज़ यह कि हम अपना काम कर चुके, तुम न मानो तो हम मजबूर हैं।

8. मतलब यह होगा कि तमाम लोगों में एक फ़ितना डाल दिया जिससे नुक़सानात पहुँच रहे हैं, यह नहूसत है, और इस नहूसत के सबब तुम हो।

9. पस शरीअ़त की मुख़ालफ़त से तुमपर यह नहूसत आई, और अ़क़्ल की मुख़ालफ़त से तुमने इसका सबब ग़लत समझा।

10. यानी ख़ुद-ग़रज़ी जो पैरवी के लिए रुकावट है वह हट गई और हिदायत याफ़्ता होना जो कि पैरवी को चाहता है वह मौजूद है, फिर पैरवी क्यों न की जाए।

तेईसवाँ पारः व मा लि-य

सूरः यासीन (आयत 22 से 83)

और मेरे पास कौन-सा उज़्र है कि मैं उस माबूद की इबादत न करूँ जिसने मुझको पैदा किया और तुम सबको उसी के पास लौटकर जाना है।[1] (22) क्या मैं अल्लाह तआ़ला को छोड़कर और ऐसे-ऐसे माबूद क़रार दे लूँ कि अगर ख़ुदा-ए-रहमान मुझको कुछ तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो न उन माबूदों की सिफ़ारिश मेरे कुछ काम आए और न वे मुझको छुड़ा सकें। (23) अगर मैं ऐसा करूँ तो खुली गुमराही में जा पड़ा। (24) मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका, सो तुम (भी) मेरी बात सुन लो। (25) इरशाद हुआ कि जा जन्नत में दाख़िल हो, कहने लगा कि काश! मेरी क़ौम को यह बात मालूम हो जाती (26) कि मेरे परवर्दिगार ने मुझको बख़्श दिया और मुझको इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया। (27) और हमने उस (शहीद) की क़ौम पर उसके बाद कोई (फ़रिश्तों का) लश्कर आसमान से नहीं उतारा और न हमको उतारने की ज़रूरत थी। (28) वह सज़ा बस एक सख़्त आवाज़ थी और वे सब उसी दम (उससे) बुझकर (यानी मरकर) रह गए। (29) अफ़सोस ऐसे बन्दों के हाल पर, उनके पास कभी कोई रसूल नहीं आया जिसकी उन्होंने हँसी न उड़ाई हो। (30) क्या उन लोगों ने इसपर नज़र नहीं की कि हम उनसे पहले बहुत-सी उम्मतें ग़ारत कर चुके कि वे (फिर) उनकी तरफ़ (दुनिया में) लौटकर नहीं आते। (31) और उनमें कोई ऐसा नहीं जो मुज्तमा तौर पर "यानी इकट्ठा होकर और जमा होकर" हमारे सामने हाज़िर न किया जाए। (32) ◆

और उन लोगों के लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है। हमने उसको (बारिश से) ज़िन्दा किया और हमने उससे ग़ल्ले निकाले, सो उनमें से लोग खाते हैं। (33) और (तथा) हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग़ लगाए और (साथ ही) उसमें चश्मे जारी किए। (34) ताकि लोग बाग़ के फलों में से खाएँ, और उस (फल और ग़ल्ले) को उनके हाथों ने नहीं बनाया,[2] सो क्या शुक्र नहीं करते। (35) वह पाक ज़ात है जिसने तमाम मुक़ाबिल क़िस्मों को पैदा किया, ज़मीन में से उगने वाली चीज़ों में से भी,[3] और (ख़ुद) उन आदमियों में से भी, और उन चीज़ों में से भी जिनको (आ़म लोग) नहीं जानते।[4] (36) और एक निशानी उनके लिए रात है,[5] कि हम उस (रात) पर से दिन को उतार लेते हैं, सो यकायक वे लोग अन्धेरे में रह जाते हैं। (37) और (एक

---

1. असल मतलब यही है कि तुमको कौन-सा उज़्र है।

2. अगरचे बीज डालने का काम बज़ाहिर उन्हीं के हाथों होता हो, मगर फल और ग़ल्ले का पैदा करना ख़ास ख़ुदा ही का काम है।

3. चाहे मुक़ाबला एक जैसे होने का हो, जैसे एक-से ग़ल्ले एक-से फल, चाहे मुक़ाबला अलग और एक-दूसरे की ज़िद होने का हो, जैसे गेहूँ और जौ और खट्टे फल, या इससे भी ज़्यादा इख़्तिलाफ़ (यानी विभिन्नता) हो।

4. यानी लोग नहीं जानते कि आ़म मुक़ाबले के मफ़हूम के एतिबार से पोशीदा चीज़ों में भी कोई चीज़ मुक़ाबिल से ख़ाली नहीं, और इसी से हक़ तआ़ला का बेमुक़ाबिल होना मालूम हो गया। ग़रज़ सब जोड़े मख़्लूक़ और वह उन सबका ख़ालिक़।

5. अन्धेरे के असल होने की वजह से, गोया असल वक़्त वही था। और सूरज की रोशनी के सबब गोया उसको दिन ने छुपा लिया था।

निशानी) सूरज (है कि वह) अपने ठिकाने की तरफ़ चलता रहता है।[1] यह अन्दाज़ा बाँधा हुआ है उस (ख़ुदा तआ़ला) का जो ज़बरदस्त, इल्म वाला है। **(38)** और चाँद के लिए मन्ज़िलें मुक़र्रर कीं, यहाँ तक कि ऐसा रह जाता है जैसे खजूर की पुरानी टहनी। **(39)** न सूरज की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और न रात दिन से पहले आ सकती है, और दोनों एक-एक दायरे में तैर रहे हैं। **(40)** और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया। **(41)** और हमने उनके लिए कश्ती ही जैसी ऐसी चीज़ें पैदा कीं जिनपर ये लोग सवार होते हैं। **(42)** और अगर हम चाहें तो उनको ग़र्क़ कर दें, फिर न तो कोई उनकी फ़रियाद को पहुँचने वाला हो और न ये ख़लासी "यानी छुटकारा और नजात" दिए जाएँ **(43)** मगर यह हमारी ही मेहरबानी है, और उनको एक मुक़र्ररा वक़्त तक फ़ायदा देना (मन्ज़ूर) है। **(44)** और जब उन लोगों से कहा जाता है कि तुम लोग उस अ़ज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने है और तुम्हारे (मरने के) पीछे "बाद" है, ताकि तुमपर रहमत की जाए **(45)** तो वे बिलकुल परवाह नहीं करते, और उनके रब की आयतों में से कोई आयत भी उनके पास ऐसी नहीं आती, जिससे वे मुँह न मोड़ते हों। **(46)** और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से ख़र्च करो, तो ये कुफ़्फ़ार (उन) मुसलमानों से यूँ कहते हैं कि क्या हम ऐसे लोगों को खाने को दें जिनको अगर ख़ुदा चाहे तो (बहुत कुछ) खाने को दे दे। तुम बिलकुल खुली ग़लती में (पड़े) हो।[2] **(47)** और ये लोग (बतौर इनकार) कहते हैं कि यह वायदा कब होगा? अगर तुम सच्चे हो।[3] **(48)** ये लोग बस एक सख़्त आवाज़ के मुन्तज़िर हैं जो उनको आ पकड़ेगी और वे सब आपस में लड़-झगड़ रहे होंगे। **(49)** सो न तो वसीयत करने की फ़ुरसत होगी और न अपने घर वालों के पास लौटकर जा सकेंगे।[4] **(50)** ❖

और (फिर दोबारा) सूर फूँका जाएगा, सो वे सब एकदम से क़ब्रों से (निकल-निकल कर) अपने रब की तरफ़ जल्दी से चलने लगेंगे। **(51)** कहेंगे कि हाय! हमारी कमबख़्ती हमको हमारी क़ब्रों से किसने उठाया?[5] यह वही (क़ियामत) है जिसका रहमान ने वायदा किया था, और पैग़म्बर सच कहते थे। **(52)** बस वह एक ज़ोर की आवाज़ होगी जिससे एक बार ही में सब जमा होकर हमारे पास हाज़िर कर दिए जाएँगे। **(53)** फिर उस दिन किसी शख़्स पर ज़रा ज़ुल्म न होगा, और तुमको बस उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते

---

1. यह आ़म है उस नुक़्ते (बिन्दू) और जगह को भी जहाँ से चलकर सालाना दौरा करके फिर उसी नुक़्ते पर जा पहुँचता है, और उस नुक़्ते को भी जहाँ से निकल कर अपनी रोज़ाना की हरकत में वहाँ पहुँचकर गुरूब हो जाता है।

2. ग़रज़ न डराने से वे ईमान लाएँ न शौक़ दिलाने से।

3. ऊपर तौहीद का मज़मून और उसके साथ आख़िरत के अ़ज़ाब से डराने का मुख़्तसर ज़िक्र था। अब आख़िरत के हालात किसी क़द्र तफ़सील के साथ ज़िक्र किए गए हैं। और उसके अख़ीर में "व लौ नशाउ ल-तमस्ना......आख़िर तक" से दुनिया में भी अ़ज़ाब के आ जाने के अन्देशे से डरावा है, जिससे "मा बै-न ऐदीकुम" की किसी क़द्र शरह और खुलासा हो गया।

4. यानी जो जिस हाल में होगा उसी हाल में मर जाएगा।

5. इसलिए कि यहाँ के मुक़ाबले में तो वहाँ ही राहत में थे।

थे। **(54)** जन्नत वाले बेशक उस दिन अपने मश्ग़लों में खुशदिल होंगे। **(55)** वे और उनकी बीवियाँ,[1] सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। **(56)** उनके लिए वहाँ (हर तरह के) मेवे होंगे, और जो कुछ माँगेंगे उनको मिलेगा। **(57)** उनको मेहरबान रब की तरफ़ से सलाम फ़रमाया जाएगा।[2] **(58)** और ऐ मुजरिमो! आज (ईमान वालों से) अलग हो जाओ।[3] **(59)** ऐ आदम (अ़लैहिस्सलाम) की औलाद! क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। **(60)** और यह कि मेरी (ही) इबादत करना,[4] यही सीधा रास्ता है। **(61)** और वह (शैतान) तुममें एक बड़ी मख़्लूक़ को गुमराह कर चुका (है), सो क्या तुम नहीं समझते थे? **(62)** यह जहन्नम है जिसका तुमसे वायदा किया जाया करता था। **(63)** आज अपने कुफ़्र के बदले में उसमें दाख़िल हो। **(64)** आज हम उनके मुहों पर मुहर लगा देंगे,[5] और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे, जो कुछ ये लोग किया करते थे। **(65)** और अगर हम चाहते तो (दुनिया ही में) उनकी आँखों को मलियामेट कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ़ दौड़ते-फिरते, सो उनको कहाँ नज़र आता। **(66)** और अगर हम चाहते तो उनकी सूरतें बदल डालते, इस हालत से कि ये जहाँ हैं वहीं रह जाते, जिससे ये लोग न आगे को चल सकते और न पीछे को लौट सकते। **(67)** ❖

और हम जिसकी उम्र ज़्यादा कर देते हैं तो उसको तबई हालत में उल्टा कर देते हैं,[6] सो क्या वे लोग नहीं समझते? **(68)** और हमने आपको शायरी का इल्म नहीं दिया, और वह आपके लिए मुनासिब भी नहीं, वह तो महज़ नसीहत (का मज़मून) और एक आसमानी किताब है जो अहकाम को ज़ाहिर करने वाली है। **(69)** ताकि ऐसे शख़्स को डराए जो ज़िन्दा हो और ताकि काफ़िरों पर (अ़ज़ाब की) हुज्जत साबित हो जाए। **(70)** क्या उन लोगों ने इसपर नज़र नहीं की कि हमने उनके (फ़ायदे के) लिए अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से मवेशी पैदा किए, फिर ये लोग उनके मालिक बन रहे हैं। **(71)** और हमने उन मवेशियों को उनका ताबे बना

---

1. "अज़्वाजुहुम" में हूरें और ईमान वाली बीवियाँ दोनों मुराद हो सकती हैं।

2. यानी हक़ तआ़ला खुद फ़रमाएँगे "अस्सलामु अ़लैकुम या अह्लल् जन्नति" (ऐ जन्नतियो! तुमपर सलाम हो)।

फ़ायदाः जन्नत में सलाम से मक़सद या तो महज़ इक्राम है या हमेशा की सलामती की खुशख़बरी और ख़बर देना है। पस यह शुब्हा न रहा कि जन्नतियों को तो सलामती पहले ही से हासिल है इस सलामती की दुआ़ में क्या नई बात हुई?

3. क्योंकि उनको जन्नत में भेजना है और तुमको दोज़ख़ में।

4. इबादत से मुराद मुतलक़ इताअ़त व फ़रमाँबरदारी है।

5. जिससे यह झूठा उज़्र न कर सकें।

6. तबई हालत से मुराद सुनने वाली, देखने वाली, महसूस करने वाली, काम करने वाली, हज़्म करने वाली, बढ़ोतरी करने वाली वग़ैरह कुव्वतें हैं, और रंग व रोग़न व हुस्न व ख़ूबसूरती हैं। और उल्टा करने से उनकी हालत का घटिया और पस्त दर्जे की तरफ़ बदल जाना मुराद है। पस 'आँखों को मलियामेट करना' और 'सूरतें बदल डालना' भी कामिल से नाक़िस की तरफ़ एक क़िस्म की तब्दीली है।

दिया, सो उनमें बाज़े तो उनकी सवारियाँ हैं और बाज़ों को वे खाते हैं। **(72)** और उनमें उन लोगों के और भी नफ़े हैं, और पीने की चीज़ें भी हैं (यानी दूध), सो क्या ये लोग शुक्र नहीं करते। **(73)** और उन्होंने ख़ुदा के सिवा और माबूद क़रार दे रखे हैं, इस उम्मीद पर कि उनको मदद मिले। **(74)** (लेकिन) वे उनकी कुछ मदद कर ही नहीं सकते, और वे उन लोगों के हक़ में एक (मुख़ालिफ़) फ़रीक़ हो जाएँगे जो हाज़िर किए जाएँगे। **(75)** तो उन लोगों की बातें आपके लिए रंजीदगी का सबब न होना चाहिए, बेशक हम सब जानते हैं जो कुछ ये दिल में रखते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं।[1] **(76)** क्या आदमी को यह मालूम नहीं कि हमने उसको नुत्फ़े से पैदा किया, सो वह खुलेआम एतिराज़ करने लगा। **(77)** और उसने हमारी शान में एक अ़जीब मज़मून बयान किया और अपनी असल को भूल गया। कहता है कि हड्डियों को (ख़ास तौर पर) जबकि वे बोसीदा हो गई हों, कौन ज़िन्दा कर देगा? **(78)** आप जवाब दे दीजिए कि उनको वह ज़िन्दा करेगा जिसने पहली बार में उनको पैदा किया है, और वह सब तरह का पैदा करना जानता है। **(79)** वह ऐसा (क़ादिर) है कि (बाज़) हरे पेड़ से तुम्हारे लिए आग पैदा कर देता है, फिर तुम उससे और आग सुलगा लेते हो।[2] **(80)** और जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं, क्या वह इसपर क़ादिर नहीं कि उन जैसे आदमियों को (दोबारा) पैदा कर दे? ज़रूर क़ादिर है, और वह बड़ा पैदा करने वाला, ख़ूब जानने वाला है। **(81)** जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस उसका मामूल तो यह है कि उस चीज़ को कह देता है कि हो जा, तो वह हो जाती है। **(82)** तो उसकी ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा इख़्तियार है, और तुम सबको उसी के पास लौटकर जाना है। **(83)** ❖

37 सूरः साफ़्फ़ात 56

सूरः साफ़्फ़ात मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 182 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है उन फ़रिश्तों की जो सफ़ बाँधकर खड़े होते हैं।[3] **(1)** फिर उन फ़रिश्तों की जो बन्दिश करने वाले हैं।[4] **(2)** फिर उन फ़रिश्तों की जो ज़िक्र की तिलावत करने वाले हैं। **(3)** कि तुम्हारा माबूद (बरहक़) एक है। **(4)** वह परवर्दिगार है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान में है। **(5)** और परवर्दिगार है तुलूअ़ करने के मौक़ों का "यानी पूरब के उन स्थानों का जहाँ से सूरज निकलता है"। हम ही ने रौनक़ दी है इस तरफ़ वाले आसमान को एक अ़जीब सजावट यानी सितारों के साथ। **(6)** और हिफ़ाज़त भी

---

1. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आ़स बिन वाइल एक बोसीदा हड्डी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसको चुटकी से मलकर कहने लगा कि क्या यह ऐसी हालत के बाद ज़िन्दा होगी? आपने फ़रमाया "हाँ! और तू दोज़ख़ में जाएगा"। इसपर "अ-व लम् यरल् इन्सानु" से सूरः के आख़िर तक की आयतें नाज़िल हुईं।
2. चुनाँचे अ़रब में एक पेड़ मर्ख़ था, और एक अ़फ़ार, उनसे चक़माक़ (यानी माचिस) का काम लेते थे। पस जब पानी में कि हरा होना उसी का असर है, आग पैदा कर देते हैं तो बेजान चीज़ में ज़िन्दगी पैदा करना क्या मुश्किल है।
3. इबादत में या हक़ तआ़ला का हुक्म सुनने के वक़्त।
4. यानी शिहाबि-साक़िब (चमकदार सितारा जो रात में टूटकर गिरता है) के ज़रिए से आसमानी ख़बरें लाने से शैतानों की बन्दिश करने वाले।

की है हर शरीर शैतान से। (7) वे शयातीन ऊपर के आ़लम की तरफ़ कान भी नहीं लगा सकते, और वे हर तरफ़ से मार कर धक्के दिए जाते हैं।[1] (8) और उनके लिए हमेशा का अ़ज़ाब होगा। (9) मगर जो शैतान कुछ ख़बर ले ही भागे, तो एक दहकता हुआ शोला उसके पीछे लग लेता है।[2] (10) तो आप उनसे पूछिए कि ये लोग बनावट में ज़्यादा सख़्त हैं या हमारी पैदा की हुई ये चीज़ें?[3] (क्योंकि) हमने उन लोगों को चिपकती मिट्टी से पैदा किया है।[4] (11) बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं और ये लोग मज़ाक़ उड़ाते हैं। (12) और जब उनको समझाया जाता है तो ये समझते नहीं। (13) और जब कोई मोजिज़ा देखते हैं तो (ख़ुद) उसकी हँसी उड़ाते हैं। (14) और कहते हैं कि यह तो खुला जादू है। (15) (क्योंकि) भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियाँ हो गए तो क्या हम (फिर) ज़िन्दा किए जाएँग? (16) और क्या हमारे अगले बाप-दादा भी? (17) आप कह दीजिए कि हाँ! (ज़रूर ज़िन्दा होगे) और तुम ज़लील भी होगे।[5] (18) पस क़ियामत तो बस एक ललकार होगी (यानी दूसरी बार का सूर फूँका जाना), सो सब यकायक देखने-भालने लगेंगे। (19) और कहेंगे कि हाय! हमारी कमबख़्ती यह तो वही बदले का दिन मालूम होता है। (20) (इरशाद होगा कि हाँ) यह वही फ़ैसले का दिन है जिसको तुम झुठलाया करते थे। (21) ❖

जमा कर लो ज़ालिमों को,[6] और उनके हम मशरबों "यानी उन जैसे काम करने वालों और उनको साथियों" को और उन माबूदों को जिनकी वे लोग इबादत किया करते थे[7] (22) अल्लाह के अ़लावा। फिर उन सबको दोज़ख़ का रास्ता बतलाओ। ◆ (23) और (अच्छा) उनको (ज़रा) ठहराओ, उनसे कुछ पूछा जाएगा। (24) कि अब तुमको क्या हुआ एक-दूसरे की मदद नहीं करते। (25) बल्कि वे सब-के-सब उस दिन सर झुकाए (खड़े) होंगे। (26) और वे एक-दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह होकर जवाब-सवाल (यानी झगड़ा) करने लगेंगे। (27) (चुनाँचे) पैरोकार कहेंगे कि हमपर तुम्हारी आमद बड़े ज़ोर की हुआ करती थी।[8] (28) जिनकी पैरवी की जाती थी वे कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम ख़ुद ही ईमान नहीं लाए थे। (29) और हमारा तुम पर कोई ज़ोर तो था ही नहीं, बल्कि तुम ख़ुद ही सरकशी किया करते थे। (30) सो हम सब पर ही हमारे रब की यह (हमेशा की "यानी शुरू में तय हो चुकी है वह") बात साबित हो चुकी थी कि हम सबको मज़ा चखना है। (31) तो हमने तुमको बहकाया, हम ख़ुद भी गुमराह थे। (32) तो वे सब-के-सब उस दिन

1. ग़रज़ ख़बर सुनने से पहले ही शोले बरसा दिये जाते हैं। और सुनने का इरादा करके भी वह ख़बर के सुनने में नाकाम रहता है।

2. पस ख़बर सुनने के बाद भी वह ख़बर दूसरों को सुनाने और पहुँचाने में नाकाम रहता है।

3. हक़ीक़त में यही चीज़ें ज़्यादा सख़्त हैं।

4. ग़रज़ जब ताक़तवर और सख़्त मख़्लूक़ात के इब्तिदा में पैदा करने पर हम क़ादिर हैं तो कमज़ोर मख़्लूक़ के दोबारा पैदा करने पर क़ुदरत क्यों न होगी?

5. जो शख़्स दलील के बाद भी दुश्मनी और बैर की वजह से इनकार करे उसके लिए ऐसा ही जवाब मुनासिब है।

6. यानी जो कुफ़्र व शिर्क की बुनियाद डालने वाले और मुक़्तदा थे।

7. यानी शयातीन व बुत।

8. यानी हमपर ख़ूब ज़ोर डालकर हमारे गुमराह करने का एहतिमाम और उसमें कोशिश किया करते थे।

अ़ज़ाब में (भी) शरीक रहेंगे। (33) (और) हम ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। (34) वे लोग ऐसे थे कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, तो तकब्बुर किया करते थे। (35) और कहा करते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की वजह से छोड़ देंगे?[1] (36) बल्कि एक सच्चा दीन लेकर आए हैं, और दूसरे पैग़म्बरों की तस्दीक़ करते हैं।[2] (37) तुम सबको दर्दनाक अ़ज़ाब चखना पड़ेगा। (38) और तुमको उसी का बदला मिलेगा जो कुछ तुम किया करते थे। (39) हाँ, मगर जो अल्लाह के ख़ास किए हुए बन्दे हैं[3] (40) उनके वास्ते ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका हाल (क़ुरआन की दूसरी सूरतों में) मालूम (हो चुका) है। (41) यानी मेवे, और वे लोग बड़ी इ़ज़्ज़त से (42) आराम के बाग़ों में (43) तख़्तों पर आमने-सामने बैठे होंगे। (44) उनके पास शराब का ऐसा जाम लाया जाएगा जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा। (45) सफ़ेद होगी, पीने वालों को मज़ेदार मालूम होगी। (46) न उसमें सरदर्द होगा और न उससे अ़क़्ल में फ़तूर आएगा। (47) और उनके पास नीची निगाह वाली बड़ी-बड़ी आँखों वाली (हूरें) होंगी। (48) गोया कि वे बैज़े हैं जो छुपे हुए रखे हैं।[4] (49) फिर एक-दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह होकर बातचीत करेंगे। (50) उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि (दुनिया में) मेरा एक मिलने वाला था। (51) वह कहा करता था कि क्या तू मरने के बाद ज़िन्दा होने का यक़ीन रखने वालों में से है? (52) क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम जज़ा और सज़ा दिए जाएँगे?[5] (53) इरशाद होगा कि क्या तुम झाँककर (उसको) देखना चाहते हो? (54) सो वह शख़्स झाँकेगा तो उसको जहन्नम के बीच में देखेगा। (55) कहेगा कि ख़ुदा की क़सम! तू तो मुझे तबाह ही करने को था। (56) और अगर मेरे रब का (मुझपर) फ़ज़्ल न होता तो मैं भी पकड़े गए लोगों में होता। (57) क्या हम अब नहीं मरेंगे (58) पहली बार के मर चुकने के अ़लावा। और न हमको अ़ज़ाब होगा। (59) यह बेशक बड़ी कामयाबी है। (60) ऐसी ही कामयाबी के लिए अ़मल करने वालों को अ़मल करना चाहिए।[6] (61) भला यह दावत बेहतर है या ज़क़्क़ूम

---

1. इसमें तौहीद और रिसालत दोनों का इनकार हो गया।
2. यानी ऐसे उसूल बतलाते हैं जिनमें सब रसूल मुत्तफ़िक़ हैं।
3. इससे ईमान वाले मुराद हैं, कि उन्होंने हक़ की पैरवी की और अल्लाह तआ़ला ने उनको मक़बूल और मख़्सूस फ़रमा लिया।
4. तश्बीह (यानी मिसाल देना) सिर्फ़ सफ़ाई में है रंगत में नहीं।
5. यानी वह मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का इनकारी था।
6. यानी ईमान लाना और इताअ़त करना चाहिए।

का दरख़्त। (62) हमने उस दरख़्त को ज़ालिमों के लिए इम्तिहान का ज़रिया बनाया है। (63) वह एक दरख़्त है जो दोज़ख़ की गहराई में से निकलता है। (64) उसके फल ऐसे हैं जैसे साँप के फन। (65) तो वे लोग उसमें से खाएँगे और उसी से पेट भरेंगे। (66) फिर उनको खौलता हुआ पानी (पीप में) मिलाकर दिया जाएगा। (67) फिर उनका आख़िरी ठिकाना दोज़ख़ ही की तरफ़ होगा।[1] (68) (क्योंकि) उन्होंने बड़ों को गुमराही की हालत में पाया था। (69) फिर ये भी उन्हीं के क़दम-ब-क़दम "यानी उन्हीं के पीछे-पीछे" तेज़ी के साथ चलते थे।[2] (70) और उनसे पहले भी अगले लोगों में अक्सर गुमराह हो चुके हैं। (71) और हमने उनमें भी डराने वाले (पैग़म्बर) भेजे थे। (72) सो देख लीजिए उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ, जिनको डराया गया था। (73) हाँ, मगर जो अल्लाह के ख़ास किए हुए बन्दे थे।[3] (74) ❖

और हमको नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने पुकारा, सो हम ख़ूब फ़रियाद सुनने वाले हैं। (75) और हमने उनको और उनके मानने वालों को बड़े भारी ग़म से नजात दी।[4] (76) और हमने उन्हीं की औलाद को बाक़ी रहने दिया।[5] (77) और हमने उनके लिए बाद आने वाले लोगों में यह बात रहने दी (78) कि नूह पर सलाम हो आ़लम वालों में। (79) हम मुख़्लिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। (80) बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। (81) फिर हमने दूसरे लोगों को (यानी काफ़िरों को) डूबो दिया। (82) और नूह (अ़लैहिस्सलाम) के तरीक़े वालों में से इब्राहीम भी थे। (83) जबकि वह अपने रब की तरफ़ साफ़ दिल से मुतवज्जह हुए।[6] (84) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम किस (वाहियात) चीज़ की इबादत किया करते हो। (85) क्या झूठ-मूठ के माबूदों को अल्लाह के सिवा चाहते हो? (86) तो तुम्हारा रब्बुल आ़लमीन के साथ क्या ख़्याल है? (87) सो इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने सितारों को एक निगाह भर कर देखा (88) और कह दिया कि मैं बीमार होने को हूँ।[7] (89) ग़रज़ वे लोग उनको छोड़कर चले गए। (90) तो यह उनके बुतों में जा घुसे और कहने लगे कि क्या तुम खाते नहीं हो? (91) तुमको क्या हुआ तुम बोलते भी नहीं हो? (92) फिर उनपर ताक़त के साथ जा पड़े और मारने लगे। (93) सो वे लोग

---

1. यानी उसके बाद भी वहीं पर हमेशा रहना होगा।
2. यानी शौक़ और रग़बत से उनके बेराही के रास्ते पर चलते थे।
3. यानी ईमान वाले बन्दे।
4. कि तूफ़ान से कुफ़्फ़ार को ग़र्क़ कर दिया और उनको और उनके मानने वालों को बचा लिया।
5. यानी और किसी की नस्ल नहीं चली।
6. साफ़ दिल का मतलब यह है कि बुरे अ़क़ीदों और रियाकारी वग़ैरह से पाक था। जिसका हासिल ख़ालिस तौहीद और कामिल इख़्लास है।
7. यह सितारों को देखना धोखे में डालने और हालत छुपाने के लिए था। कि वे तो इस वजह से कि सितारों को हवादिस में तसर्रुफ़ करने वाला समझते थे, यूँ समझे कि उनको सितारों का क़ायदा अता होगा, जिससे सितारों की रफ़्तार को देखकर उनको मालूम हो गया कि मैं थोड़ी देर में बीमार हो जाऊँगा, और चूँकि वे सितारों के मोतक़िद थे इसलिए इसरार नहीं किया।

उनके पास दौड़ते हुए आए। (94) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया, क्या तुम उन चीज़ों को पूजते हो जिनको खुद तराशते हो। (95) हालाँकि तुमको और तुम्हारी उन बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। (96) वे लोग कहने लगे कि इब्राहीम के लिए एक आतिशख़ाना "यानी आग का घर" तामीर करो और उसको दहकती आग में डाल दो। (97) ग़रज़ उन लोगों ने इब्राहीम के साथ बुराई करना चाहा था, सो हमने उन्हीं को नीचा दिखाया। (98) और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) कहने लगे कि मैं तो अपने रब की तरफ़ चला जाता हूँ वह मुझको (अच्छी जगह) पहुँचा ही देगा।[1] (99) ऐ मेरे रब! मुझको एक नेक फ़रज़न्द दे। (100) सो हमने उनको एक हलीमुल-मीज़ाज "यानी बुर्दबार और नरम मिज़ाज वाले" फ़रज़न्द की ख़ुशख़बरी दी। (101) सो जब वह लड़का ऐसी उम्र को पहुँचा कि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के साथ चलने-फिरने लगा, तो इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि बेटा! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको (अल्लाह के हुक्म से) ज़िब्ह कर रहा हूँ, सो तुम भी सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है? वह बोले कि अब्बा जान! आपको जो हुक्म हुआ है आप (बिला झिझक) कीजिए, इन्शा-अल्लाह आप मुझको सहार करने वालों में से पाएँगे।[2] (102) ग़रज़ जब दोनों ने (ख़ुदा के हुक्म को) तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को (ज़िब्ह करने के लिए) करवट पर लिटा दिया (103) और (चाहते थे कि गला काट डालें, उस वक़्त) हमने उनको आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम! (शाबाश!) (104) तुमने ख़्वाब को सच कर दिखाया। (वह वक़्त भी अ़जीब था), हम मुख़्लिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। (105) हक़ीक़त में यह था भी बड़ा इम्तिहान।[3] (106) और हमने एक बड़ा ज़बीहा "यानी क़ुरबानी का जानवर" उसके बदले में दे दिया।[4] (107) और हमने पीछे आने वालों में यह बात उनके लिए रहने दी (108) कि इब्राहीम पर सलाम हो। (109) हम मुख़्लिसीन को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।[5] (110) बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। (111) और हमने (एक इनाम उनपर यह किया कि) उनको इसहाक़ (अ़लैहिस्सलाम) की ख़ुशख़बरी दी कि नबी और नेक-बख़्तों में से होंगे। (112) और हमने इब्राहीम पर और इसहाक़ पर बरकतें नाज़िल कीं और (फिर आगे) उन दोनों की नस्ल में बाज़े अच्छे भी हैं और बाज़े ऐसे भी जो (बुराइयाँ करके) खुले तौर पर अपना नुक़सान कर रहे हैं।[6] (113) ❖

और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और हारून पर भी एहसान किया। (114) और हमने उन दोनों को और उनकी क़ौम को बड़े ग़म से[7] नजात दी। (115) और हमने उन सबकी (फ़िरऔन के मुक़ाबले में) मदद की, सो यही लोग ग़ालिब आए।[8] (116) और हमने उन दोनों को वाज़ेह किताब दी। (117) और हमने उन

1. चुनाँचे मुल्क शाम में जा पहुँचे।
2. इसमें इख़्तिलाफ़ हुआ है कि ज़िब्ह होने वाले इसमाईल अ़लैहिस्सलाम थे या इसहाक़ अ़लैहिस्सलाम, दोनों तरफ़ की रिवायतों पर कलाम किया गया है। आयत के मज़मून से ज़ाहिरी तौर पर इसमाईल अ़लैहिस्सलाम मालूम होते हैं।
3. जिसको सिवाय कामिल मुख़्लिस के दूसरा बरदाश्त नहीं कर सकता।
4. "एक बड़ा क़ुरबानी का जानवर" के मुतैयन करने में भी कलाम है। बाज़ ने कहा है कि मामूली दुंबा था, और अ़ज़ीम 'मोटा-ताज़ा' होने के मायने में है, और बाज़ ने कहा है कि जन्नत से भेजा गया था और अ़ज़ीम 'बड़े रुतबे वाले' के मायने में है। और जब हज्रे अस्वद वग़ैरह का जन्नत से आना साबित है तो एक हैवान का आना क्या बईद है।
5. कि उनको दुआ़ व सलामती की ख़ुशख़बरी का महल (स्थान) बनाते हैं।
6. इसमें इस बात का इज़्हार हो गया कि उसूल (यानी बड़ों और बाप-दादा) का नेक होना उनकी नस्ल के काम नहीं आ सकता जबकि वे खुद ईमान से महरूम हों। इसमें यहूद के आ़लिमों के फ़ख़्र करने का ख़ात्मा कर दिया।
7. वह ग़म उनको फ़िरऔन की तरफ़ से तकलीफ़ पहुँचना था।
8. फ़िरऔन ग़र्क़ कर दिया गया और ये हुकूमत वाले हो गए।

दोनों को सीधे रास्ते पर क़ायम रखा। **(118)** और हमने उन दोनों के लिए पीछे "यानी बाद में" आने वाले लोगों में यह बात रहने दी **(119)** कि मूसा और हारून (अ़लैहिमस्सलाम) पर सलाम हो। **(120)** हम मुख़्लिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। **(121)** बेशक वे दोनों हमारे (कामिल) ईमान वाले बन्दों में से थे। **(122)** और इलियास (अ़लैहिस्सलाम) भी (बनी इसराईल के) पैग़म्बरों में से थे। **(123)** जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि क्या तुम ख़ुदा से डरते नहीं? **(124)** क्या तुम बअ़्ल को पूजते हो, और उसको छोड़े बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है **(125)** (और वह) माबूद बरहक़ है। तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप-दादाओं का भी रब है। **(126)** सो उन लोगों ने उनको झुठलाया, सो वे लोग पकड़े जाएँगे। **(127)** मगर जो अल्लाह के ख़ालिस बन्दे थे। **(128)** और हमने इलियास के लिए पीछे आने वाले लोगों में यह बात रहने दी **(129)** कि इलियासीन पर सलाम हो। **(130)** हम मुख़्लिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। **(131)** बेशक वह हमारे (कामिल) ईमान वाले बन्दों में से थे। **(132)** और बेशक लूत (अ़लैहिस्सलाम) भी पैग़म्बरों में से थे। **(133)** जबकि हमने उनको और उनके मुताल्लिक़ीन को सबको नजात दी **(134)** सिवाय उस बुढ़िया (यानी उनकी बीवी) के, कि वह रह जाने वालों में रह गई। **(135)** फिर हमने और सबको हलाक कर दिया।[1] **(136)** और तुम तो उन (के घरों और ठिकानों) पर सुबह होते और रात में गुज़रा करते हो[2] **(137)** तो क्या फिर भी नहीं समझते हो? **(138)** ❖

और बेशक यूनुस (अ़लैहिस्सलाम) भी पैग़म्बरों में से थे। **(139)** जबकि भाग कर भरी हुई कश्ती के पास पहुँचे। **(140)** सो यूनुस क़ुरआ़ में शरीक हुए तो यही मुल्ज़िम ठहरे। **(141)** फिर उनको मछली ने (पूरा-का-पूरा) निगल लिया और यह अपने को मलामत कर रहे थे। **(142)** सो अगर वह (उस वक़्त) तस्बीह करने वालों में से न होते **(143)** तो क़ियामत तक उसी "यानी मछली" के पेट में रहते।[3] ● **(144)** सो हमने उनको एक मैदान में डाल दिया, और वह उस वक़्त कमज़ोर थे। **(145)** और हमने उनपर एक बेलदार पेड़ भी उगा दिया था। **(146)** और हमने उनको एक लाख या उससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा था **(147)** फिर वे लोग ईमान ले आए थे, तो हमने उनको एक ज़माने तक ऐश दिया।[4] **(148)**

---

1. यानी जो लूत अ़लैहिस्सलाम और उनके मुताल्लिक़ीन के अ़लावा थे।
2. सुबह और रात का ज़िक्र इसलिए किया कि अ़रब में अक्सर आ़दत रात को सुबह तक चलने की है।
3. मतलब यह कि पेट से निकलना मयस्सर न होता।
4. ऊपर के क़िस्सों से उन सब अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का जिनकी नुबुव्वत अ़क़्लन साबित है, मोमिन, ख़ुदा को एक मानने वाला, आ़बिद, मुख़्लिस और तौहीद व ईमान की तरफ़ दावत देने वाला होना साबित होता है। इससे पहली सूरः के शुरू में तौहीद की अ़क़्ली दलीलें ज़िक्र हो चुकी हैं। आगे उन अ़क़्ली और नक़्ली दलीलों से शिर्क व कुफ़्र को बातिल होना बयान फ़रमाते हैं। यहाँ दलीले अ़क़्ली के ज़रिए साबित करना तो ज़ाहिर है, और दलीले नक़्ली से इस तरह कि नुबुव्वत के लिए सच्चा होना लाज़िम है, पस तौहीद का हक़ होना ज़रूरी और शिर्क का बातिल होना उसके लवाज़िम में से होना ज़ाहिर है।

सो उन लोगों से पूछिए कि क्या अल्लाह तआ़ला के लिए तो बेटियाँ और तुम्हारे लिए बेटे?[1] **(149)** हाँ, क्या हमने फ़रिश्तों को औ़रत बनाया है? और वे (उनके बनाए जाने के वक़्त) देख रहे थे?[2] **(150)** ख़ूब सुन लो कि वे लोग अपनी तरफ़ से बात बनाकर ऐसा कहते हैं **(151)** कि (नऊ़ज़ु बिल्लाह) अल्लाह औलाद वाला है, और वे यक़ीनन (बिलकुल) झूठे हैं। **(152)** क्या अल्लाह तआ़ला ने बेटों के मुक़ाबले में बेटियाँ ज़्यादा पसन्द कीं? **(153)** तुमको क्या हो गया, तुम कैसा (बेहूदा) हुक्म लगाते हो? **(154)** फिर क्या तुम (अ़क़्ल और) सोच से काम नहीं लेते हो। **(155)** हाँ, क्या तुम्हारे पास (इसपर) कोई वाज़ेह दलील मौजूद है? **(156)** सो तुम अगर (इसमें) सच्चे हो तो अपनी वह किताब पेश करो।[3] **(157)** और उन लोगों ने अल्लाह में और जिन्नात में (भी) रिश्तेदारी क़रार दी है, और (जिस-जिसको ये लोग ख़ुदा का शरीक ठहरा रहे हैं उनकी तो यह कैफ़ियत है कि उनमें जो) जिन्नात हैं, ख़ुद उनका यह अ़क़ीदा है कि (उनमें जो काफ़िर हैं) वे (अ़ज़ाब में) गिरफ़्तार होंगे। **(158)** अल्लाह उन बातों से पाक है जो-जो ये बयान करते हैं, **(159)** मगर जो अल्लाह तआ़ला के ख़ास (ईमान वाले) बन्दे हैं। **(160)** सो तुम और तुम्हारे सारे माबूद, **(161)** अल्लाह से किसी को नहीं फेर सकते, **(162)** मगर उसी को जो कि (ख़ुदा तआ़ला के इल्म में) जहन्नम में जाने वाला है। **(163)** और हममें से हर एक का एक तयशुदा दर्जा है।[4] **(164)** और (ख़ुदा के हुज़ूर में हुक्म सुनने के वक़्त या इबादत के वक़्त) हम सफ़ बाँधे खड़े होते हैं। **(165)** और हम ख़ुदा की पाकी बयान करने में भी लगे रहते हैं। **(166)** और ये लोग कहा करते थे[5] **(167)** कि अगर हमारे पास कोई नसीहत (की किताब) पहले लोगों की (किताबों के) तौर पर आती **(168)** तो हम अल्लाह तआ़ला के ख़ास बन्दे होते। **(169)** फिर ये लोग उसका इनकार करने लगे, सो (ख़ैर) अब उनको (उसका अन्जाम) मालूम हुआ जाता है। **(170)** और हमारे ख़ास बन्दों यानी पैग़म्बरों के लिए हमारा यह क़ौल पहले ही से मुक़र्रर हो चुका है **(171)** कि बेशक वही ग़ालिब किए जाएँगे। **(172)** और (हमारा तो क़ायदा आ़म है कि) हमारा ही लश्कर ग़ालिब रहता है।[6] **(173)** तो आप (तसल्ली रखिए और) थोड़े ज़माने तक (सब्र कीजिए और उनकी मुख़ालफ़त और तकलीफ़ देने का) का ख़्याल न कीजिए। **(174)** और (ज़रा) उनको देखते रहिए, सो जल्द ही ये भी देख लेंगे। **(175)** क्या हमारे अ़ज़ाब का तक़ाज़ा कर रहे हैं? **(176)** सो वह (अ़ज़ाब) जब उनके सामने आ नाज़िल होगा, सो वह दिन उन लोगों का जिनको डराया जा चुका था बहुत ही बुरा होगा (टल न सकेगा)। **(177)** और आप थोड़े ज़माने तक उनका ख़्याल न कीजिए। **(178)** और देखते रहिए। सो जल्दी ही ये लोग भी देख लेंगे। **(179)** आपका परवर्दिगार जो बड़ी अ़ज़्मत वाला है, उन बातों से पाक है जो ये (काफ़िर) बयान करते हैं। **(180)**

---

1. यानी जब अपने लिए बेटे पसन्द करते हो तो ज़िक्र हुए अ़क़ीदे में ख़ुदा के लिए बेटियाँ कैसे तजवीज़ करते हो?
2. यानी बिना दलील के फ़रिश्तों पर मुअन्नस **(Female)** होने की तोहमत रखते हैं।
3. हासिल मक़ाम का यह हुआ कि जिसके तुम मुद्दई हो उसमें तीन तो ख़ामियाँ हैं और दलील एक भी नहीं, न मुशाहदा और न अ़क़्ल और न नक़्ल।
4. यानी उनमें जो फ़रिश्ते हैं उनका यह कहना है कि हम तो सिर्फ़ बन्दे हैं। चुनाँचे जो ख़िदमत हमको सुपुर्द है उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, अपनी राय से कुछ नहीं कर सकते।
5. यानी अ़रब के काफ़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी होने की हैसियत से ज़ाहिर होने से पहले कहा करते थे।
6. अहले हक़ के ग़ालिब होने का मतलब यह है कि उसका असली तक़ाज़ा यही है। पस आरज़ी तौर पर मग़लूब होना आज़माइश की हिक्मत से उसके ख़िलाफ़ नहीं।

और सलाम हो पैग़म्बरों पर। (181) और तमाम की तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम आ़लम का परवर्दिगार है। (182) ❖

38 सूरः सॉद 38

सूरः सॉद मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 88 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

सॉद। क़सम है कुरआन की जो नसीहत से पुर है।[1] (1) बल्कि (खुद) ये कुफ़्फ़ार (ही) तअ़स्सुब और (हक़ की) मुख़ालफ़त करते हैं। (2) उनसे पहले बहुत-सी उम्मतों को हम (अ़ज़ाब से) हलाक कर चुके हैं, सो उन्होंने (हलाकत के वक़्त) बड़ी हाय-पुकार की, और वह वक़्त छुटकारे और नजात का न था। (3) और उन (कुरैश के) काफ़िरों ने इस बात पर ताज्जुब किया कि उनके पास उन (ही) में से एक (पैग़म्बर) डराने वाला आ गया, और कहने लगे कि यह (मोजिज़ों में) जादू और (नुबुव्वत के दावे में) झूठा है। (4) (और) क्या (यह शख़्स सच्चा हो सकता है कि) उसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद रहने दिया, वाक़ई यह बहुत अ़जीब बात है। (5) और (तौहीद का मज़मून सुनकर) उन कुफ़्फ़ार में के सरदार यह कहते हुए चले कि (यहाँ से) चलो और अपने माबूदों (की इबादत पर) क़ायम रहो, यह कोई मतलब की बात है। (6) हमने तो यह बात (अपने) पिछले मज़हब में नहीं सुनी,[2] हो न हो यह (इस शख़्स की) घड़त है। (7) क्या हम सबमें से उसी शख़्स पर अल्लाह का कलाम नाज़िल किया गया? बल्कि ये लोग (खुद) मेरी वह्य की तरफ़ से शक (यानी इनकार) में हैं।[3] बल्कि (असल वजह यह है कि) उन्होंने अभी तक मेरे अ़ज़ाब का मज़ा नहीं चखा। (8) क्या उन लोगों के पास आपके परवर्दिगार ज़बरदस्त, फ़य्याज़ की रहमत के ख़ज़ाने हैं? (जिसमें नुबुव्वत भी दाख़िल है)।[4] (9) या क्या उनको आसमान व ज़मीन और जो चीज़ें उनके दरमियान हैं उनका इख़्तियार हासिल है? (अगर इख़्तियार है) तो उनको चाहिए कि सीढ़ियाँ लगाकर (आसमान पर) चढ़ जाएँ। (10) इस मक़ाम पर[5] उन लोगों की यूँ ही एक भीड़ है, ये सब (रसूलों के मुख़ालिफ़ीन) गिरोहों में से हैं जो शिकस्त दिए जाएँगे। (11) उनसे पहले भी नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम और आ़द और फ़िरऔ़न ने जिस (की हुकूमत) के खूँटे गड़ गए थे[6] (12) और समूद ने और क़ौमे लूत और ऐका वालों ने झुठलाया था (और) वह गिरोह यही लोग हैं। (13) उन सबने सिर्फ़ रसूलों को झुठलाया था, सो मेरा अ़ज़ाब (उनपर) आ पड़ा। (14) ❖

और ये लोग बस एक ज़ोर की चीख़ के मुन्तज़िर हैं, जिसमें दम लेने की गुन्जाइश न होगी (इससे क़ियामत मुराद है)। (15) और ये लोग कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हमारा हिस्सा हमको हिसाब के दिन से पहले दे दे।[7] (16) आप उन लोगों की बातों पर सब्र कीजिए। और हमारे बन्दे दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को याद

---

1. इब्तिदाई आयतों के नाज़िल होने का सबब यह है कि अबू तालिब की बीमारी में कुरैश उनके पास आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी तशरीफ़ लाए। कुरैश ने उनसे आपकी शिकायत की, उन्होंने आपसे पूछा कि आप अपनी क़ौम से क्या बात चाहते हैं? आपने फ़रमाया सिर्फ़ एक कलिमा चाहता हूँ जिससे तमाम अ़रब उनका फ़रमाँबरदार हो जाए, और ग़ैर-अ़रब उनको जिज़्या यानी टैक्स देने लगे। उन्होंने पूछा वह एक कलिमा कौन-सा है? आपने फ़रमाया "ला इला-ह इल्लल्लाहु"। कहने लगे कि लो सब माबूदों का इनकार करके एक ही माबूद क़रार दे दिया, यह अ़जीब बात है। उसपर 'सॉद' से 'बल लम्मा यज़ूक़ू अ़ज़ाब' तक नाज़िल हुआ।

2. पिछले मज़हब का मतलब यह कि दुनिया में बहुत-से तरीक़े के लोग हुए। सबसे पीछे हम मौजूद हैं और हक़ पर हैं, सो हमने इस तरीक़े के बुज़ुर्गों से कभी यह बात नहीं सुनी। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 820 पर)**

कीजिए जो बड़ी क़ुव्वत (और हिम्मत) वाले थे। वह (ख़ुदा की तरफ़) बहुत रुजू होने वाले थे। **(17)** हमने पहाड़ों को हुक्म कर रखा था कि उनके साथ शाम और सुबह तस्बीह किया करें। **(18)** और (इसी तरह) परिन्दों को भी जो (तस्बीह के वक़्त उनके पास) जमा हो जाते थे, सब उनकी (तस्बीह की) वजह से ज़िक्र में मश्ग़ूल रहते। **(19)** और हमने उनकी हुकूमत को बड़ी क़ुव्वत दी थी, और हमने उनको हिक्मत और फ़ैसला करने वाली तक़रीर अ़ता फ़रमाई थी। **(20)** और भला आपको उन मुक़द्दमे वालों की ख़बर भी पहुँची है, जबकि वे लोग (दाऊद के) इबादतख़ाने की दीवार फाँदकर दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) के पास आए। **(21)** तो वह (उनके इस तरह आने से) घबरा गए। वे लोग कहने लगे कि आप डरें नहीं, हम दो अहले मामला हैं, कि एक ने दूसरे पर (कुछ) ज़्यादती की है, सो आप हममें इन्साफ़ से फ़ैसला कर दीजिए और बेइन्साफ़ी न कीजिए, और हमको (मामले की) सीधी राह बता दीजिए। **(22)** (फिर एक शख़्स बोला, मुक़द्दमे की शक्ल यह है कि) यह शख़्स मेरा भाई है, इसके पास निन्नानवे दुंबियाँ हैं और मेरे पास (सिर्फ़) एक दुंबी है, सो यह कहता है कि वह भी मुझको दे डाल, और बातचीत में मुझको दबा देता है। **(23)** दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, यह जो तेरी दुंबी अपनी दुंबियों में मिलाने की दरख़्वास्त करता है तो वाक़ई तुझपर ज़ुल्म करता है, और अक्सर शरीकों (की आ़दत है कि) एक-दूसरे पर (यूँ ही) ज़्यादती किया करते हैं, मगर हाँ! जो लोग ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को ख़्याल आया कि हमने उनका इम्तिहान किया है, सो उन्होंने अपने रब के सामने तौबा की और सज्दे में गिर पड़े और रुजू हुए।[1] ❑ **(24)** सो हमने उनको वह (मामला) माफ़ कर दिया और हमारे यहाँ उनके लिए (ख़ास) निकटता और (आला दर्जे की) नेक अन्जामी है। **(25)** ऐ दाऊद (अ़लैहिस्सलाम)! हमने तुमको ज़मीन पर हाकिम बनाया है, सो लोगों में इन्साफ़ के साथ फ़ैसला करते रहना, और आइन्दा भी नफ़्सानी ख़्वाहिश की पैरवी मत करना। (अगर ऐसा करोगे तो) वह ख़ुदा के रास्ते से तुमको भटका देगी। (और) जो लोग ख़ुदा के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख़्त अ़ज़ाब होगा, इस वजह से कि वे हिसाब के दिन को भूले रहे।[2] **(26)** ❖

और हमने आसमान व ज़मीन को और जो चीज़ें उनके दरमियान मौजूद हैं उनको हिक्मत से ख़ाली पैदा नहीं किया। यह (यानी उनका हिक्मत से ख़ाली होना) उन लोगों का ख़्याल है जो काफ़िर हैं, सो काफ़िरों के लिए (आख़िरत में) बड़ी ख़राबी है, यानी दोज़ख़। **(27)** हाँ, तो क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और

(पृष्ठ 818 का शेष) 3. यानी असल नुबुव्वत के मसले ही के इनकारी हैं, ख़ास तौर पर इनसान के लिए। (यानी इनके ख़्याल के मुताबिक़ कोई इनसान नबी नहीं हो सकता)।

4. यानी नुबुव्वत एक अ़ज़ीम चीज़ है उसके दिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा दबदबे वाला, सख़्त ग़ल्बे वाला और ख़ज़ानों का मालिक होना लाज़िम है। सो इस तरह अगर यह उनके इख़्तियार में होता तो उनको इस कहने की गुन्जाइश थी कि हमने बशर को नुबुव्वत नहीं दी, फिर वह नबी कैसे हो गया? या हमने फ़लाँ बशर को दी और फ़लाँ को नहीं दी। उस सूरत में यह कहना उनके लिए मुनासिब था।

5. यानी मक्का में।

6. यानी उसकी हुकूमत बहुत बड़ी और ज़बरदस्त थी।

7. मतलब यह कि क़ियामत नहीं है। और अगर है तो हमको अभी अ़ज़ाब चाहिए। जब अ़ज़ाब नहीं होता तो मालूम हुआ कि क़ियामत न आएगी। ख़ुदा की पनाह ये कैसे जाहिल थे।

1. उनकी हरकतों और अक़्वाल का मजमूआ़ निहायत दर्जे की गुस्ताख़ी और बेअदबी है। पस इसमें दाऊद अ़लैहिस्सलाम के संयम और सब्र का इम्तिहान हो गया, कि आया हुकूमत के ज़ोर में इन लगातार गुस्ताख़ियों पर पकड़ करते हैं या नुबुव्वत के नूर के ग़ल्बे की वजह से माफ़ फ़रमाते हैं। चुनाँचे इम्तिहान में साबिर साबित हुए और मुक़द्दमे को निहायत ठन्डे दिल से सुना और फ़ैसला फ़रमाया। लेकिन अम्बिया का अ़ज़ीम रुतबा और इन्साफ़ की ऊँची शान जिस बुलन्द दर्जे को चाहती है उससे बज़ाहिर एक बात यह मामूली-सी बईद पेश आ गई कि **शरई** दलील के क़ायम हो जाने के बाद बजाय इसके कि सिर्फ़ ज़ालिम से यह ख़िताब फ़रमाते **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 822 पर)**

अच्छे काम किए उनके बराबर उन्हें कर देंगे जो (कुफ़्र वग़ैरह करके) दुनिया में फ़साद करते फिरते हैं, या हम परहेज़गारों को बदकारों के बराबर कर देंगे? **(28)** यह एक बरकत वाली किताब है जिसको हमने आप पर इस वास्ते नाज़िल किया है ताकि लोग इसकी आयतों में ग़ौर करें और ताकि समझदार लोग नसीहत हासिल करें।[1] **(29)** और हमने दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को सुलैमान अ़ता किया, बहुत अच्छे बन्दे थे कि (ख़ुदा तआ़ला की तरफ़) बहुत रुजू होने वाले थे। **(30)** (चुनाँचे वह क़िस्सा उनका याद करने के क़ाबिल है) जबकि शाम के वक़्त उनके रू-ब-रू असील (और) उम्दा घोड़े पेश किए गए। **(31)** तो कहने लगे कि (अफ़सोस) मैं इस माल की मुहब्बत में (लगकर) अपने रब की याद से ग़ाफ़िल हो गया, यहाँ तक कि सूरज (मग़रिब के) पर्दे में छुप गया। **(32)** (फिर ख़ादिमों और नौकरों को हुक्म दिया कि) उन घोड़ों को ज़रा फिर मेरे सामने लाओ, सो उन्होंने उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर (तलवार से) हाथ साफ़ करना शुरू किया। **(33)** और हमने सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) को (एक और तरह से भी) इम्तिहान में डाला, और हमने उनके तख़्त पर (एक अधूरा) धड़ डाला, फ़िर उन्होंने (अल्लाह तआ़ला की तरफ़) रुजू किया। **(34)** दुआ़ माँगी कि ऐ मेरे रब! मेरा (पिछला) क़ुसूर माफ़ फ़रमा और (आइन्दा के लिए) मुझको ऐसी हुकूमत दे कि (मेरे ज़माने में) मेरे सिवा किसी को मयस्सर न हो, आप बड़े देने वाले हैं।[2] **(35)** सो (हमने उनकी दुआ़ क़बूल की और साथ ही) हमने हवा को उनके ताबे कर दिया कि वह उनके हुक्म से जहाँ वह (जाना) चाहते नरमी से चलती। **(36)** और जिन्नात को भी उनका ताबे कर दिया, यानी तामीर बनाने वालों को भी और ग़ोता लगाने वालों को भी। **(37)** और दूसरे जिन्नात को भी जो ज़न्जीरों में जकड़े रहते थे। **(38)** (और हमने यह सामान देकर इरशाद फ़रमाया कि) यह हमारी देन है, सो चाहे (किसी को) दो या न दो, तुमसे कुछ पूछ-गछ नहीं। **(39)** और (इसके अ़लावा) उनके लिए हमारे यहाँ (ख़ास) नज़दीकी और नेक अन्जामी है।[3] **(40)** ❖

और हमारे बन्दे अय्यूब (अ़लैहि.) को याद कीजिए, जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझको रंज और दुख पहुँचाया है। **(41)** अपना पाँव मारो, यह नहाने का ठन्डा पानी है और पीने का।[4] **(42)** और हमने उनको उनका कुंबा अ़ता फ़रमाया और उनके साथ (गिनती में) उनके बराबर और भी (दिए) अपनी ख़ास रहमत के सबब से, और अ़क़्ल वालों के लिए यादगार रहने के सबब से। **(43)** और तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो और उससे मारो और क़सम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबिर पाया, अच्छे बन्दे थे कि बहुत रुजू होते थे। **(44)** और हमारे बन्दों इब्राहीम और इसहाक़ और याक़ूब (अ़लैहिमुस्सलाम) को याद

(पृष्ठ 820 का शेष) कि तूने ज़ुल्म किया, उस मज़्लूम से यह ख़िताब फ़रमाया कि तुझपर ज़ुल्म किया, जिससे एक तरफ़दारी की सूरत वहम में आती है, और इस तरफ़दारी का वहम भी पैदा न होना ज़्यादा इन्साफ़ वाले और कामिल होने की बात थी। सो इन्तिहाई दर्जे का तक़्वा होने की वजह से इतनी बात को भी सब्र के आला दर्जे और इम्तिहान में मुकम्मल साबित-क़दम रहने में ख़लल डालने वाला समझे।

2. यह बात औरों को सुना दी, जो भटक रहे हैं।

1. यानी उसपर अ़मल करें।

2. बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार सुलैमान अ़लैहिस्सलाम अपने लश्कर के सरदारों पर उनकी किसी जिहाद की कोताही पर ख़फ़ा हुए और फ़रमाने लगे कि मैं आज रात अपनी सत्तर बीवियों से हमबिस्तर हूँगा, और उनसे सत्तर मुजाहिद पैदा होंगे। फ़रिश्ते ने दिल में डाला कि इन्शा-अल्लाह कह लीजिए। आपको कुछ ख़्याल न रहा, चुनाँचे सिर्फ़ एक औ़रत हामिला (गर्भवती) हुई और उससे भी एक नाक़िस जिस्म का बच्चा पैदा हुआ जिसके एक तरफ़ का धड़ न था।

3. जिहाद के क़िस्से में सब्र यह हुआ कि इतने ज़्यादा माल की कुछ परवाह न की, यह दीन पर हद दर्जे का जमाव था कि सब्र की हक़ीक़त की यही दलील है। और जसद के क़िस्से में तौबा करना इसके बावजूद कि नाफ़रमानी न थी, यह भी दलील है हद दर्जा दीन पर साबित-क़दम रहने की।

4. चुनाँचे नहाये और पिया, और बिलकुल अच्छे हो गए।

कीजिए जो हाथों वाले और आँखों वाले थे।[1] (45) हमने उनको एक ख़ास बात के साथ मख़्सूस किया था कि वह आख़िरत की याद है।[2] (46) और वे (हज़रात) हमारे यहाँ चुनिन्दा और सब से अच्छे लोगों में से हैं।[3] (47) और इसमाईल और य-स-अ़ और ज़ुलकिफ़्ल (अ़लैहिमुस्सलाम) को भी याद कीजिए, और ये सब भी सबसे अच्छे लोगों में से हैं। (48) एक नसीहत का मज़मून तो यह हो चुका,[4] और परहेज़गारों के लिए (आख़िरत में) अच्छा ठिकाना है। (49) यानी हमेशा रहने के बाग़ात जिनके दरवाज़े उनके वास्ते खुले होंगे। (50) वे उन बाग़ों में तकिया लगाए बैठे होंगे, (और) वह वहाँ (जन्नत के ख़ादिमों से) बहुत-से मेवे और पीने की चीज़ें मँगवाएँगे। (51) और उनके पास नीची निगाह वालियाँ उन्हीं की उम्र वाली होंगी। (52) (ऐ मुसलमानो!) यह वह (नेमत) है जिसका तुमसे हिसाब का दिन आने पर वायदा किया जाता है। ▲ (53) बेशक यह हमारी अ़ता है, इसका कहीं अंत ही नहीं।[5] (54) यह बात तो हो चुकी, और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है (55) यानी दोज़ख़, उसमें वे दाख़िल होंगे, सो वह बहुत ही बुरी जगह है। (56) यह खौलता हुआ पानी और पीप है, सो ये लोग उसको चखेंगे। (57) और (इसके अ़लावा) और भी इसी क़िस्म की (नागवार) तरह-तरह की चीज़ें हैं। (58) यह एक जमाअ़त और आई जो तुम्हारे साथ (अ़ज़ाब में शरीक होने के लिए दोज़ख़ में) घुस रहे हैं, उनपर ख़ुदा की मार, यह भी दोज़ख़ ही में आ रहे हैं। (59) वे (पैरवी करने वाले उन मुक़्तदाओं से) कहेंगे, बल्कि तुम्हारे ही ऊपर ख़ुदा की मार, (क्योंकि) तुम ही तो यह (मुसीबत) हमारे आगे लाए, सो (जहन्नम) बहुत ही बुरा ठिकाना है। (60) दुआ़ करेंगे कि ऐ हमारे रब! जो शख़्स इस (मुसीबत) को हमारे आगे लाया हो उसको दोज़ख़ में दोगुना अ़ज़ाब दीजिए। (61) और वे लोग कहेंगे कि क्या बात है हम उन लोगों को (दोज़ख़ में) नहीं देखते जिनको हम बुरे लोगों में शुमार करते थे।[6] (62) क्या हमने उन लोगों की हँसी कर रखी थी, या उन (के देखने) से निगाहें चकरा रही हैं? (63) यह बात यानी दोज़ख़ियों का लड़ना-झगड़ना बिलकुल सच्ची बात है। (64) ❖

आप कह दीजिए कि मैं तो (तुमको अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराने वाला हूँ और सिवाय एक अल्लाह ग़ालिब के कोई इबादत के लायक़ नहीं है। (65) वह परवर्दिगार है आसमानों और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो उनके दरमियान में हैं। (और वह) ज़बरदस्त, बड़ा बख़्शने वाला है। (66) आप कह दीजिए कि यह एक अ़ज़ीमुश्शान मज़मून है (67) जिससे तुम (बिलकुल ही) बेपरवाह हो रहे हो। (68) मुझको ऊपर की दुनिया (की बहस व गुफ़्तगू) की कुछ भी ख़बर न थी जबकि वे (आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में) झगड़ रहे थे।[7] (69) मेरे पास (जो) वह्य (आती है तो) महज़ इस सबब से आती है कि मैं (अल्लाह तआ़ला की जानिब से) साफ़-साफ़ डराने वाला (भेजा गया) हूँ। (70) जबकि आपके परवर्दिगार ने फ़रिश्तों से इरशाद

1. यानी उनमें अ़मली क़ुव्वत भी थी और इल्मी क़ुव्वत भी।
2. शायद यह इसलिए बढ़ा दिया हो कि ग़ाफ़िलों के कान हों कि जब अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम इस फ़िक्र से ख़ाली न थे तो हम किस गिनती में हैं।
3. यानी चुनिन्दा लोगों में से भी सबसे बढ़कर।
4. नबियों के क़िस्से मुराद हैं कि झुठलाने वालों के लिए इसमें नुबुव्वत के मसले का सुबूत, और तस्दीक़ करने वालों के लिए इसमें अच्छे अख़्लाक़ और उम्दा आमाल की तालीम है।
5. यानी हमेशा-हमेशा रहने वाली नेमत है।
6. यानी मुसलमानों को बुरी राह वाला और हक़ीर समझा करते थे, वे क्यों नज़र नहीं आते।
7. अल्लाह तआ़ला से फ़रिश्तों की गुफ़्तगू को मजाज़न झगड़ना कहा गया कि ज़ाहिरन झगड़ने की तरह थी।

फ़रमाया कि मैं गारे से एक इनसान को (यानी उसके पुतले को) बनाने वाला हूँ। **(71)** सो मैं जब उसको पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी (तरफ़ से) जान डाल दूँ तो तुम सब उसके रू-ब-रू सज्दे में गिर पड़ना। **(72)** सो (जब अल्लाह तआ़ला ने उसको बना लिया तो) सारे-के-सारे फ़रिश्तों ने (आदम को) सज्दा किया **(73)** मगर शैतान ने, कि वह गुरूर में आ गया और काफ़िरों में से हो गया। **(74)** अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि ऐ इब्लीस! जिस चीज़ को मैंने अपने हाथों से बनाया,[1] उसको सज्दा करने से तुझको कौन-सी चीज़ रुकावट हुई, क्या तू गुरूर में आ गया (और हक़ीक़त में बड़ा नहीं है), या यह कि तू (वाक़ई ऐसे) बड़े दर्जे वालों में है। **(75)** कहने लगा कि (दूसरी वाली बात ही है, यानी) मैं आदम से बेहतर हूँ। (क्योंकि) आपने मुझको आग से पैदा किया है और उस (आदम अ़लैहि.) को ख़ाक से पैदा किया है।[2] **(76)** इरशाद हुआ कि (अच्छा फिर) तू आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया। **(77)** और बेशक तुझपर मेरी लानत रहेगी क़ियामत के दिन तक। **(78)** कहने लगा, तो फिर मुझको मोहलत दीजिए क़ियामत के दिन तक। **(79)** इरशाद हुआ (कि जब तू मोहलत माँगता है) तो (जा) तुझको मोहलत दी गई **(80)** मुक़र्ररा वक़्त की तारीख़ तक। **(81)** कहने लगा, (जब मुझको मोहलत मिल गई) तो (मुझको भी) तेरी इज़्ज़त की क़सम कि मैं उन सबको गुमराह करूँगा **(82)** सिवाय आपके उन बन्दों के जो उनमें चुन लिए गए हैं। **(83)** इरशाद हुआ कि मैं सच कहता हूँ और मैं तो (हमेशा) सच ही कहा करता हूँ **(84)** कि मैं तुझसे और जो उनमें तेरा साथ दे उन सबसे दोज़ख़ को भर दूँगा। **(85)** आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस क़ुरआन (की तब्लीग़) पर न कुछ बदला चाहता हूँ और न मैं बनावट करने वालों मे से हूँ।[3] **(86)** यह क़ुरआन तो (अल्लाह का कलाम और) दुनिया जहान वालों के लिए बस एक नसीहत है। **(87)** और थोड़े दिनों के बाद तुमको इसका हाल मालूम हो जाएगा। (यानी मरने के साथ ही हक़ीक़त खुल जाएगी कि यह हक़ और सच्चा था)।[4] **(88)** ❖

39 सूरः ज़ुमर 59

सूरः ज़ुमर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 75 आयतें और 8 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

यह नाज़िल की हुई किताब है अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाले की तरफ़ से।[5] **(1)** हमने ठीक तौर पर इस किताब को आपकी तरफ़ नाज़िल किया है, सो आप (क़ुरआन की तालीम के मुवाफ़िक़) ख़ालिस एतिक़ाद करके

---

1. यानी जिसके बनाने की तरफ़ अल्लाह तआ़ला की ख़ास इनायत मुतवज्जह हुई, यह तो उसका शर्फ़ उसकी ज़ात के एतिबार से है और फिर उसके सामने सज्दा करने का हुक्म भी दिया गया।
2. आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाइश का माद्दा कहीं "ख़ाक" आया है, कहीं "मिट्टी" और कहीं "सड़े हुए गारे की बनी हुई मिट्टी"। इनमें कुछ टकराव और तआ़रुज़ नहीं, कहीं क़रीबी माद्दा बतला दिया, कहीं दूर का माद्दा।
3. यानी अगर झूठ बोलता तो उसका मन्शा या तो कोई अ़क़्ली नफ़ा होता जिसको अज्र कहा जाता है, और या तबई आ़दत होती जिसको तकल्लुफ़ कहा जाता है, सो ये दोनों बातें नहीं।
4. इस सूरः में क़ुरआन की तीन जगह तरीफ़ है, और तीनों जगह इसको "ज़िक्र" फ़रमाया गया है। अव्वल में- "ज़िज़्ज़िक्रि" दूसरी में "लि-य-तज़क्क-र" और तीसरी में "ज़िक्रुल् लिल्आ़लमी-न"।
5. ग़ालिब होना इसको चाहता था कि जो इसको झुठलाए उसको सज़ा दे दी जाए, मगर चूँकि हकीम भी है और मोहलत में मस्लहत थी, इसलिए सज़ा में मोहलत दे रखी है।

अल्लाह की इबादत करते रहिए। **(2)** याद रखो, इबादत जो कि (शिर्क से) ख़ालिस हो, अल्लाह ही के लायक़ है। और जिन लोगों ने ख़ुदा के सिवा और शरीक तजवीज़ कर रखे हैं (और कहते हैं) कि हम तो उनकी पूजा सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमको ख़ुदा का मुक़र्रब बना दें, तो उनके (और उनके मुक़ाबिल ईमान वालों के) आपसी इख़्तिलाफ़ों का (क़ियामत के दिन) अल्लाह तआ़ला फ़ैसला कर देगा।[1] अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स को राह पर नहीं लाता जो (ज़बान का) झूठा और (एतिक़ाद के एतिबार से) काफ़िर हो।[2] **(3)** अगर (मान लो) अल्लाह तआ़ला किसी को औलाद बनाने का इरादा करता तो ज़रूर अपनी मख़्लूक़ में से जिसको चाहता चुन लेता। वह पाक है, वह ऐसा अल्लाह है जो अकेला है ज़बरदस्त है। **(4)** उसने आसामन व ज़मीन को हिक्मत से पैदा किया। वह रात (की अंधेरी) को दिन (की रोशनी के महल यानी हवा) पर लपेटता है, और दिन (की रोशनी) को रात पर लपेटता है। और उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है कि (उनमें से) हर एक मुक़र्ररा वक़्त तक चलता रहेगा। याद रखो कि वह ज़बरदस्त है, बड़ा बख़्शने वाला (भी) है। **(5)** उसने तुम लोगों को वाहिद तन (यानी आदम अ़लैहिस्सलाम) से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया,[3] और (उस पैदाइश और वजूद में आने के बाद) तुम्हारे (नफ़े के बाक़ी रहने के) लिए आठ नर व मादा चौपायों के पैदा किए, वह तुमको माओं के पेट में एक कैफ़ियत के बाद दूसरी कैफ़ियत पर बनाता है, तीन अंधेरियों में। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, उसी की सल्तनत है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो (इन दलीलों के बाद) तुम (हक़ से) कहाँ फिरे चले जा रहे हो? **(6)** अगर तुम कुफ़्र करोगे तो ख़ुदा तआ़ला को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और वह अपने बन्दों के लिए कुफ़्र को पसन्द नहीं करता।[4] और अगर तुम शुक्र करोगे तो इसको तुम्हारे लिए पसन्द करता है।[5] और कोई किसी (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाता,[6] फिर अपने परवर्दिगार के पास तुमको लौटकर जाना होगा, सो वह तुमको तुम्हारे सब आमाल जतला देगा,[7] वह दिलों तक की बातों का जानने वाला है।[8] **(7)** और (मुश्रिक) आदमी को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने परवर्दिगार को उसी की तरफ़ रुजू होकर पुकारने लगता है, फिर जब अल्लाह तआ़ला उसको अपने पास से (अमन व सुकून की) नेमत अ़ता फ़रमा देता है तो जिसके लिए पहले से (ख़ुदा को) पुकार रहा था उसको भूल जाता है, और ख़ुदा के शरीक बनाने लगता है। जिसका असर यह होता है कि अल्लाह की राह से (दूसरों को) गुमराह करता है। आप (ऐसे शख़्स से) कह दीजिए कि अपने कुफ़्र की बहार थोड़े दिनों और लूट ले, (फिर आख़िरकार) तू दोज़ख़ियों में से होने वाला है। **(8)** भला जो शख़्स रात के समय में सज्दा व क़ियाम (यानी नमाज़) की हालत में इबादत कर रहा हो, आख़िरत से डर रहा हो और अपने परवर्दिगार की रहमत की उम्मीद कर रहा हो,

---

1. यानी उन लोगों के न मानने पर आप ग़म न करें, उनका फ़ैसला वहाँ होगा।

2. यानी मुँह से कुफ़्रिया बातों और दिल से कुफ़्रिया अ़क़ीदों पर इसरार करता हो। और उससे बाज़ न आने का और हक़ की तलब का इरादा ही न करता हो तो उसके इस बैर और दुश्मनी से अल्लाह तआ़ला भी उसको हिदायत की तौफ़ीक़ नहीं देता।

3. इससे हव्वा अ़लैहस्सलाम मुराद हैं।

4. क्योंकि कुफ़्र से बन्दों को नुक़सान पहुँचता है।

5. क्योंकि उसमें तुम्हारा नफ़ा है।

6. इसलिए कुफ़्र करके यूँ न समझना कि हमारा कुफ़्र दूसरे के नामा-ए-आमाल में किसी वजह से दर्ज हो जाएगा और हम बरी हो जाएँगे। ग़रज़ तुम्हारा कुफ़्र तुम्हारे जुर्मों में लिखा जाएगा।

7. पस यह गुमान भी ग़लत है कि इन आमाल की पेशी का वक़्त न आएगा।

8. पस यह गुमान भी मत करना कि हमारे कुफ़्र की शायद उसको इत्तिला न हो।

आप कहिए क्या इल्म वाले और जहल वाले (कहीं) बराबर होते हैं? वही लोग नसीहत पकड़ते हैं जो (सही) अक़्ल वाले हैं। (9) ❖

आप (मोमिनों को मेरी तरफ़ से) कहिए कि ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो! तुम अपने परवर्दिगार से डरते रहो।[1] जो लोग इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेक सिला है और अल्लाह की ज़मीन फ़राख़ "लम्बी-चौड़ी" है,[2] साबित-क़दम रहने वालों को उनका सिला बेशुमार ही मिलेगा। (10) आप कह दीजिए कि मुझको (अल्लाह तआला की तरफ़ से) हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह तआला की इस तरह इबादत करूँ कि इबादत को उसी के लिए ख़ास रखूँ।[3] (11) और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि सब मुसलमानों में अव्वल मैं हूँ। (12) आप (यह भी) कह दीजिए कि अगर (मान लो, जबकि ऐसा होना नामुम्किन है कि) मैं अपने रब का कहना न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा रखता हूँ।[4] (13) आप कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह ही की इबादत इस तरह करता हूँ कि अपनी इबादत को उसी के लिए ख़ालिस रखता हूँ। (14) सो ख़ुदा को छोड़कर तुम्हारा दिल जिस चीज़ को चाहे उसकी इबादत करो। आप (यह भी) कह दीजिए कि पूरे घाटे वाले वही लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने मुताल्लिक़ीन से क़ियामत के दिन ख़सारे में पड़े। याद रखो कि यह खुला घाटा है। (15) उनके लिए उनके ऊपर से भी आग के घेरने वाले शोले होंगे और उनके नीचे से भी आग के घेरने वाले शोले होंगे, यह वही (अ़ज़ाब) है जिससे ख़ुदा तआला अपने बन्दों को डराता है। ऐ मेरे बन्दो! मुझसे (यानी मेरे अ़ज़ाब से) डरो। (16) और जो लोग शैतान की इबादत से बचते हैं (मुराद ग़ैरुल्लाह की इबादत है) और (पूरी तरह) ख़ुदा तआला की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं, वे ख़ुशख़बरी सुनाने के हक़दार हैं, सो आप मेरे उन बन्दों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए (17) जो इस (अल्लाह के) कलाम को कान लगाकर सुनते हैं, फिर उसकी अच्छी-अच्छी बातों पर चलते हैं। यही हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की, और यही हैं जो अ़क़्ल रखते हैं। (18) भला जिस शख़्स पर अ़ज़ाब की (अज़ली तक़दीरी) बात साबित हो चुकी, तो क्या आप ऐसे शख़्स को जो कि (अल्लाह के इल्म में) दोज़ख़ में है, छुड़ा सकते हैं?[5] (19) लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए (जन्नत के) बालाख़ाने हैं जिनके ऊपर और बालाख़ाने हैं, जो बने बनाए तैयार हैं। उनके नीचे नहरें चल रही हैं। यह अल्लाह तआला ने वायदा किया है (और) अल्लाह वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता। (20) (ऐ मुख़ातब) क्या तूने इस (बात) पर नज़र नहीं की कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया फिर उसको ज़मीन के सोतों में दाख़िल कर देता है। फिर (जब वह उबलता है तो)

1. यानी बन्दगी व ताअ़त पर हमेशा क़ायम रहने वाले और गुनाहों से परहेज़ करने वाले रहो, कि ये सब परहेज़गारी की क़िस्में हैं।

2. इसलिए अगर वतन में कोई नेकी करने से रुकावट हो तो हिजरत करके दूसरी जगह चले जाओ।

3. यानी उसमें शिर्क का मामूली-सा शुब्हा भी न हो।

4. मतलब यह कि ख़ालिस तौहीद का वाजिब होना और उसके छोड़ने पर अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ होना ऐसा आ़म है कि मासूम (गुनाहों से महफ़ूज़) जिनमें नाफ़रमानी का एहतिमाल है ही नहीं, वह भी इस क़ायदे से बाहर नहीं, तो ग़ैर-मासूम तो किस गिनती में है।

5. यानी जो दोज़ख़ में जाने वाले हैं वे कोशिश से भी गुमराही से न निकलेंगे, तो अफ़सोस व ग़म करना बेफ़ायदा है।

उसके ज़रिये से खेतियाँ पैदा करता है जिसकी मुख़्तलिफ़ क़िस्में हैं, फिर वह खेती बिलकुल सूख जाती है, सो उसको तू ज़र्द देखता है। फिर (अल्लाह तआला) उसको चूरा-चूरा कर देता है। इस (नमूने) में अक़्ल वालों के लिए बड़ी इब्रत है। **(21)** ◆

सो जिस शख़्स का सीना अल्लाह तआला ने इस्लाम (के क़बूल करने) के लिए खोल दिया[1] और वह अपने परवर्दिगार के (अ़ता किए हुए) नूर पर है,[2] (क्या वह शख़्स और संगदिल बराबर हैं?) सो जिन लोगों के दिल ख़ुदा के ज़िक्र से मुतास्सिर नहीं होते उनके लिए बड़ी ख़राबी है, ये लोग खुली गुमराही में हैं। **(22)** अल्लाह ने बड़ा उम्दा कलाम[3] नाज़िल फ़रमाया है, जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती है। बार-बार दोहराई गई है, जिससे उन लोगों के जो कि अपने रब से डरते हैं, बदन काँप उठते हैं।[4] फिर उनके बदन और दिल नरम (और ताबेदार) होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ मुतवज्जह हो जाते हैं।[5] यह (क़ुरआन) अल्लाह की हिदायत है, जिसको वह चाहता है इसके ज़रिए से हिदायत करता है, और ख़ुदा जिसको गुमराह करता है उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं। **(23)** भला जो शख़्स अपने मुँह को क़ियामत के दिन अ़ज़ाब की ढाल बना देगा,[6] और ऐसे ज़ालिमों को हुक्म होगा कि जो कुछ तुम किया करते थे (अब) उसका मज़ा चखो। **(24)** तो क्या यह (अ़ज़ाब पाने वाले) और जो ऐसा न हो बराबर हो सकते हैं? जो लोग उनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (हक़ को) झुठलाया था, सो उनपर (ख़ुदा का) अ़ज़ाब ऐसे तौर पर आया कि उनको ख़्याल भी न था। **(25)** सो अल्लाह ने उनको इसी दुनियावी ज़िन्दगी में भी रुस्वाई का मज़ा चखाया और आख़िरत का अ़ज़ाब और भी बड़ा (और सख़्त) है, काश! ये लोग समझ जाते। **(26)** और हमने लोगों की (हिदायत) के लिए इस क़ुरआन में हर क़िस्म के (ज़रूरी) उम्दा मज़ामीन बयान किए हैं, ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें। **(27)** जिसकी कैफ़ियत यह है कि वह अ़रबी क़ुरआन है जिसमें ज़रा भी टेढ़ नहीं (और) ताकि ये लोग डरें।[7] **(28)** अल्लाह ने (मोमिन व मुश्रिक के बारे में) एक मिसाल बयान फ़रमाई कि एक शख़्स (ग़ुलाम) है, जिसमें कई साझी हैं, जिनमें आपस में ज़िद्दा-ज़िद्दी (भी) है, और एक और शख़्स है कि पूरा एक ही शख़्स का (ग़ुलाम) है, (तो) क्या उन दोनों की हालत बराबर (हो सकती) है?[8] अल्हम्दु लिल्लाह (क़बूल तो किया) बल्कि उनमें अक्सर समझते भी नहीं। **(29)** आपको भी मरना है और उनको भी मरना है। **(30)** फिर क़ियामत के दिन तुम मुक़द्दमात अपने रब के सामने पेश करोगे। (उस वक़्त अ़मली फ़ैसला हो जाएगा)।[9] **(31)** ◆

1. यानी इस्लाम के हक़ होने का उसको यक़ीन आ गया।
2. यानी वह हिदायत के तक़ाज़े पर चल रहा है। यानी यक़ीन लाकर उसी के मुताबिक़ अ़मल करने लगा।
3. यानी क़ुरआन पाक।
4. इससे डर और ख़ौफ़ मुराद है, अगरचे दिल ही में रहे बदन पर उसका असर ज़ाहिर न हो।
5. यानी डरकर हाथ-पैर वग़ैरह के आमाल और दिल के आमाल को फ़रमाँबरदारी और तवज्जोह से बजा लाते हैं।
6. ढाल बनाने का मतलब यह है कि आदमी की आ़दत यह है कि जो कोई उसपर वार और हमला करता है तो वह उसको हाथ पर रोकता है, मगर वहाँ हाथ-पाँव जकड़े होंगे इसलिए सब मुँह पर ही लेगा। हम अल्लाह के ग़ज़ब से उसकी पनाह चाहते हैं।
7. पस हिदायत की किताब होने के लिए जिन कमाल की सिफ़तों की ज़रूरत थी, क़ुरआन उनपर हावी है। लेकिन अगर उन्हीं की इस्तेदाद और सलाहियत ख़राब और फ़ासिद हो तो क्या किया जाए।
8. पहली मिसाल मुश्रिक की है कि हमेशा डावाँ-डोल रहता है, कभी ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अ़लावा) की तरफ़ दौड़ता है, कभी अल्लाह की तरफ़। फिर कभी ग़ैरुल्लाह में भी एक पर इत्मीनान नहीं होता। कभी किसी की तरफ़ रुजू करता है, कभी किसी की तरफ़।
9. इस झगड़े के वक़्त फ़ैसला यह होगा कि जो हक़-परस्त नहीं उनको दोज़ख़ का अ़ज़ाब नसीब होगा और हक़-परस्तों को बड़ा अज्र मिलेगा।

चौबीसवाँ पारः फ़-मन् अज़्लमु

सूरः ज़ुमर (आयत 32 से 75)

सो उस शख़्स से ज़्यादा बेइन्साफ़ कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे और सच्ची बात (यानी कुरआन) को जबकि वह उसके पास (रसूल के ज़रिए से) पहुँची झुठलाए। क्या (कियामत के दिन) ऐसे काफ़िरों का ठिकाना जहन्नम में न होगा?[1] **(32)** और जो लोग सच्ची बात लेकर आए और (ख़ुद भी) उसको सच जाना तो ये लोग परहेज़गार हैं। **(33)** (उनका फ़ैसला यह होगा कि) वे जो कुछ चाहेंगे उनके लिए उनके परवर्दिगार के पास सब कुछ है, यह सिला है नेक काम करने वालों का। **(34)** ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे आमाल को दूर कर दे और उनके नेक कामों के बदले उनको उनका सवाब दे।[2] **(35)** क्या अल्लाह तआ़ला अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिफ़ाज़त) के लिए काफ़ी नहीं, और ये लोग आपको उन (झूठे माबूदों) से डराते हैं जो ख़ुदा के सिवा (तजवीज़ कर रखे) हैं, और जिसको ख़ुदा गुमराह करे उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं। **(36)** और जिसको वह हिदायत दे उसका कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या ख़ुदा तआ़ला ज़बरदस्त, इन्तिक़ाम लेने वाला नहीं।[3] **(37)** और अगर (आप) उनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है? तो यही कहेंगे कि अल्लाह तआ़ला ने, आप (उनसे) कहिए कि भला फिर यह तो बतलाओ कि ख़ुदा के सिवा तुम जिन माबूदों को पूजते हो अगर अल्लाह तआ़ला मुझको कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे, क्या ये माबूद उसकी दी हुई तकलीफ़ दूर कर सकते हैं? या अल्लाह तआ़ला मुझपर अपनी इनायत करना चाहे, क्या ये माबूद उसकी इनायत को रोक सकते हैं? आप कह दीजिए कि (इससे साबित हो गया कि) मेरे लिए ख़ुदा काफ़ी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं।[4] **(38)** आप कह दीजिए कि तुम अपनी हालत पर अ़मल किए जाओ, मैं भी अ़मल कर रहा हूँ,[5] सो अब जल्दी ही तुमको मालूम हुआ जाता है **(39)** कि वह कौन शख़्स है जिसपर (दुनिया में) ऐसा अ़ज़ाब आया चाहता है जो उसको रुस्वा कर देगा, और (मौत के बाद) उसपर हमेशा रहने वाला अ़ज़ाब नाज़िल होगा। **(40)** हमने आप पर यह किताब लोगों के (नफ़े के) लिए उतारी जो हक़ को लिए हुए है। सो जो शख़्स सच्ची राह पर आएगा तो अपने

1. ऐसे शख़्स का बहुत बड़ा ज़ालिम होना भी ज़ाहिर है और बड़े ज़ालिम का बड़ी सज़ा का मुस्तहिक़ होना भी ज़ाहिर है, और बड़ी सज़ा जहन्नम है।
2. ऊपर की कई आयतों में तौहीद के हक़ होने और शिर्क के बातिल होने को बयान किया है। ऐसे मज़मूनों को सुनकर कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन आपसे कहते कि हमारे माबूदों से गुस्ताख़ी न कीजिए वरना हम उनसे दरख़्वास्त करके आपको मजनूँ करवा देंगे। चुनाँचे इसपर आयत "व युख़व्विफ़ून-क......आख़िर तक" नाज़िल हुई। इसी तरह और भी मुख़ालफ़त और दुश्मनी की बातें करते थे। आप रन्जीदा और ग़मगीन होते। आगे आपके लिए तसल्ली के मज़ामीन हैं, जिनमें से बाज़ में आपको ख़िताब (संबोधन) करने वाला और बाज़ में जवाब देने वाला बनाना मक़सूद है।
3. यानी अल्लाह तआ़ला मददगार होने की सिफ़त में कामिल और ख़ास बन्दा मदद किए जाने के क़ाबिल, और बातिल माबूद क़ुदरत और मदद से बेबस व बेकार। फिर यह डराना ख़ालिस जहालत और गुमराही नहीं तो और क्या है।
4. पस मैं भी उसी पर भरोसा रखता हूँ और तुम्हारी मुख़ालफ़त और दुश्मनी की कुछ परवाह नहीं करता।
5. यानी जैसे तुम अपना तरीक़ा नहीं छोड़ते मैं अपना तरीक़ा नहीं छोड़ता।

नफ़े के वास्ते, और जो शख़्स बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना (यानी उसका वबाल) उसी पर पड़ेगा, और आप उनपर (कुछ बतौर ज़िम्मेदारी के) मुसल्लत नहीं किए गए। **(41)** ❖

अल्लाह ही क़ब्ज़ (यानी मुअ़त्तल व बेकार) करता है (उन) जानों को उनकी मौत के वक़्त, और उन जानों को भी जिनकी मौत नहीं आई उनके सोने के वक़्त, फिर उन जानों को तो रोक लेता है जिनपर मौत का हुक्म फ़रमा चुका है और बाक़ी जानों को एक मुक़र्ररा मीयाद तक के लिए रिहा कर देता है, इसमें उन लोगों के लिए जो कि सोचने के आ़दी हैं दलीलें हैं। **(42)** हाँ, क्या उन (मुश्रिक) लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरों को (माबूद) क़रार दे रखा है, जो (उनकी) सिफ़ारिश करेंगे। आप कह दीजिए कि अगरचे ये कुछ भी क़ुदरत न रखते हों और कुछ भी इल्म न रखते हों।[1] **(43)** आप कह दीजिए कि सिफ़ारिश तो मुकम्मल तौर पर ख़ुदा ही के इख़्तियार में है,[2] तमाम आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, फिर उसी की तरफ़ लौटकर जाओगे। **(44)** और जब फ़क़त अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिलों को नागवार होता है जो कि आख़िरत का यक़ीन नहीं रखते, और जब उसके सिवा औरों का ज़िक्र आता है तो उसी वक़्त वे लोग ख़ुश हो जाते हैं।[3] **(45)** आप कहिए कि ऐ अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले! बातिन और ज़ाहिर के जानने वाले! आप ही (क़ियामत के दिन) अपने बन्दों के दरमियान उन मामलों में फ़ैसला फ़रमा देंगे जिनमें वे आपस में इख़्तिलाफ़ करते थे।[4] **(46)** और अगर ज़ुल्म (यानी शिर्क व कुफ़्र) करने वालों के पास दुनिया भर की तमाम चीज़ें हों और उन चीज़ों के साथ उतनी ही चीज़ें और भी हों, तो वे लोग क़ियामत के दिन सख़्त अ़ज़ाब से छूट जाने के लिए (बिना सोचे) उनको देने लगें। और ख़ुदा की तरफ़ से उनको वह मामला पेश आएगा जिसका उनको गुमान भी न था। **(47)** और (उस वक़्त) उनको तमाम बुरे आमाल ज़ाहिर हो जाएँगे और जिस (अ़ज़ाब) के साथ वे हँसी-मज़ाक़ किया करते थे, वह उनको आ घेरेगा। **(48)** फिर जिस वक़्त (उस मुश्रिक) आदमी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमको पुकारता है। फिर जब हम उसको अपनी

---

1. यानी शफ़ाअ़त के लिए कम-से-कम इल्म व क़ुदरत तो ज़रूरी है।

2. यानी उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी की मजाल नहीं कि सिफ़ारिश कर सके। और इजाज़त के लिए दो शर्तें हैं- शफ़ाअ़त करने वाले का मक़बूल होना और जिसके लिए शफ़ाअ़त की जाए उसका मग़्फ़िरत के क़ाबिल होना। पस जिन रूहों को ये माबूद क़रार देते हैं अगर वे शयातीन हैं तो दोनों शर्तें नहीं पाई गईं, और अगर वे फ़रिश्ते वग़ैरह हैं तो दूसरी शर्त नहीं पाई गई। बहरहाल इजाज़त नहीं पाई गई, पस उनकी शफ़ाअ़त भी नहीं होगी। और यही बुनियाद थी उनके माबूद क़रार देने की, पस उनका माबूद होना बातिल ठहरा और हक़ तआ़ला का यक्ता होना साबित हो गया।

3. ऊपर तौहीद के ज़िम्न में मुश्रिकीन के तकब्बुर और दुश्मनी का बयान है। चूँकि घमण्ड और तकब्बुर और दुश्मनी तब्लीग़ करने वाले को रंज पहुँचाने का सबब होता है इसलिए आगे आपकी तसल्ली के लिए एक दुआ़ की तालीम है। और जज़ा के बयान से तसल्ली देते और दुआ़ के मज़मून को मुकम्मल फ़रमाते हैं।

4. यानी आप उन घमण्ड और तकब्बुर करने वालों की फ़िक्र में न पड़िए, बल्कि उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए, वह अ़मली फ़ैसला कर देंगे।

तरफ़ से कोई नेमत अता फ़रमा देते हैं तो कहता है कि यह तो मुझको (मेरी) तदबीर से मिली है, बल्कि वह एक आज़माइश है,[1] लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं।[2] (49) यह बात (बाज़) उन लोगों ने भी कही थी जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं (जैसे क़ारून ने कहा था), सो उनकी कार्रवाई उनके कुछ काम न आई, (50) फिर उनके तमाम बुरे आमाल उनपर आ पड़े (और सज़ा पाने वाले हुए)। और उनमें भी जो ज़ालिम हैं उनपर भी उनके बुरे आमाल अभी पड़ने वाले हैं, और ये (ख़ुदा तआला को) हरा नहीं सकते।[3] (51) क्या उन लोगों को (हालात में ग़ौर करने से) यह मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ही जिसको चाहता है ज़्यादा रिज़्क़ देता है, और वही (जिसके लिए चाहता है) तंगी भी कर देता है, इस (ज़्यादती और तंगी करने) में ईमान वालों के वास्ते निशानियाँ हैं।[4] (52) ❖

आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने (कुफ़्र व शिर्क करके) अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं, कि तुम ख़ुदा की रहमत से नाउम्मीद मत हो, यक़ीनन ख़ुदा तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा देगा।[5] वाक़ई वह बड़ा बख़्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। (53) और तुम अपने रब की तरफ़ रुजू करो और (इस्लाम क़बूल करने में) उसकी फ़रमाँबरदारी करो,[6] इससे पहले कि तुमपर (अल्लाह का) अज़ाब आ जाए (और) उस वक़्त किसी की तरफ़ से तुम्हारी कोई मदद न की जाए[7] (54) और तुम (को चाहिए कि) अपने रब के पास से आए हुए अच्छे-अच्छे हुक्मों पर चलो, इससे पहले कि तुमपर अचानक अज़ाब आ पड़े और तुमको (उसका) ख़्याल भी न हो।[8] (55) कभी (कल क़ियामत को) कोई शख़्स कहने लगे कि अफ़सोस मेरी उस कोताही पर जो मैंने ख़ुदा तआला की जनाब में की, और मैं तो (ख़ुदा के अहकाम पर) हँसता ही रहा। (56) या कोई यह कहने लगे कि अगर अल्लाह तआला (दुनिया में) मुझको हिदायत करता तो मैं भी परहेज़गारों में से होता। (57) या कोई अज़ाब को देखकर यूँ कहने लगे कि काश! मेरा (दुनिया में) फिर जाना हो जाए, फिर मैं नेक बन्दों में हो जाऊँ। (58) हाँ, बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँची थीं, सो तूने उनको झुठलाया और

---

1. आज़माइश इसलिए कि देखें उसके मिलने पर हमको भूल जाता है और कुफ़्र करता है, या याद रखता है और शुक्र करता है। और इसी आज़माइश के लिए बाज़ नेमतों में असबाब और कमाने का वास्ता भी रख दिया है, इससे और ज़्यादा आज़माइश हो गई, कि देखें इस ज़ाहिरी सबब पर नज़र करता है या हक़ीक़ी सबब पर।
2. इसलिए उसको अपनी तदबीर का नतीजा बतलाते हैं, और शिर्क में मुब्तला रहते हैं।
3. चुनाँचे बद्र में ख़ूब सज़ा हुई।
4. यानी दलीलें क़ायम हैं कि कम-ज़्यादा करने वाला वही है, तदबीर और तदबीर का बुरा होना हक़ीक़ी इल्लत नहीं। पस इन दलीलों को जो शख़्स समझ लेगा वह अपनी तदबीर की तरफ़ निस्बत नहीं करेगा, बल्कि ख़ुदा के मुनइम (नेमत देने वाला) होना ज़हन से न उतरेगा, जो शिर्क में मुब्तला हो जाने का सबब हो गया था, बल्कि वह ईमान वाला रहेगा। और तंगदस्ती और बीमारी में उसके हाल और क़ौल में इख़्तिलाफ़ और टकराव न होगा।
5. यानी यह ख़्याल न करो कि पहले जो कुफ़्र व शिर्क किया है ईमान लाने के बाद उसपर पकड़ होगी, सो यह बात नहीं।
6. यानी माफ़ी की शर्त कुफ़्र से तौबा करना और ईमान लाना है।
7. यानी जैसे ईमान लाने की सूरत में सब कुफ़्र व शिर्क माफ़ हो जाएगा, इसी तरह इस्लाम न लाने की सूरत में उस कुफ़्र व शिर्क पर अज़ाब होगा जिसको कोई दूर करने वाला नहीं।
8. इससे आख़िरत का अज़ाब मुराद है।

(झुठलाना किसी शुब्हे से न था, बल्कि) तूने तकब्बुर किया और काफ़िरों में (हमेशा) शामिल रहा। **(59)** और आप क़ियामत के दिन उन लोगों के चेहरे स्याह देखेंगे जिन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोला था,[1] क्या उन तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? **(60)** और जो लोग (शिर्क और कुफ़्र से) बचते थे, अल्लाह तआला उन लोगों को कामयाबी के साथ (जहन्नम से) नजात देगा। उनको (ज़रा भी) तकलीफ़ न पहुँचेगी और न वे ग़मगीन होंगे। (क्योंकि जन्नत में ग़म नहीं)। **(61)** अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का, और वही हर चीज़ का निगहबान है। **(62)** (और) उसी के इख़्तियार में हैं आसमानों और ज़मीन की कुन्जियाँ।[2] और जो लोग (इसपर भी) अल्लाह की आयतों को नहीं मानते वे बड़े घाटे में रहेंगे। **(63)** ◆

आप (उनके जवाब में) कह दीजिए कि ऐ जाहिलो! क्या फिर भी तुम मुझसे अल्लाह के ग़ैर की इबादत करने की फ़रमाइश करते हो? **(64)** और आपकी तरफ़ भी और जो पैग़म्बर आपसे पहले हो गुज़रे हैं उनकी तरफ़ भी यह (बात) वह्य में भेजी जा चुकी है कि ऐ आम मुख़ातब! अगर तू शिर्क करेगा तो तेरा किया कराया काम (सब) बरबाद हो जाएगा और तू घाटे में पड़ेगा। (तो ऐ मुख़ातब! कभी शिर्क मत करना) **(65)** बल्कि (हमेशा) अल्लाह ही की इबादत करना और (अल्लाह तआला का) शुक्रगुज़ार रहना।[3] **(66)** और (अफ़सोस है कि) उन लोगों ने ख़ुदा तआला की कुछ अज़्मत न की जैसी अज़्मत करना चाहिए थी,[4] हालाँकि (उसकी वह शान है कि) सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी क़ियामत के दिन, और तमाम आसमान लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में, वह पाक और बरतर है उनके शिर्क से। **(67)** और (क़ियामत के दिन) सूर में फूँक मारी जाएगी, सो तमाम आसमान और ज़मीन वालों के होश उड़ जाएँगे मगर जिसको ख़ुदा चाहे, फिर उस (सूर) में दोबारा फूँक मारी जाएगी तो एक ही बार में सब-के-सब खड़े हो जाएँगे (और चारों तरफ़) देखने लगेंगे। **(68)** और ज़मीन अपने रब के नूर (जिसकी कैफ़ियत नाक़ाबिले बयान है) से रोशन हो जाएगी और (सबका) नामा-ए-आमाल (हर एक के सामने) रख दिया जाएगा, और पैग़म्बर और गवाह हाज़िर किए जाएँगे, और सब में ठीक-ठीक फ़ैसला किया जाएगा, और उनपर ज़रा ज़ुल्म न होगा। **(69)** और हर शख़्स को उसके

---

1. इसमें दो चीज़ें आ गईं। जो बात ख़ुदा ने नहीं कही, जैसे शिर्क वग़ैरह उसको कहना कि ख़ुदा ने कहा है। और जो बात ख़ुदा ने कही जैसे क़ुरआन, उसको कहना कि ख़ुदा ने नहीं कही।

2. यानी पहली बार पैदा करने वाला भी वही और हिफ़ाज़त करने वाला भी वही और तसर्रुफ़ करने वाला भी वही। पस ऐसी सिफ़ाते कमाल का रखने वाला शरीक से भी पाक होगा और जज़ा व सज़ा का भी मालिक होगा।

3. यह शिर्क के बुरा होने की दलील है कि वह सख़्त दर्जे की नाशुक्री है। पस जब नबियों को शिर्क का बुरा होना वह्य से मालूम है और दूसरों तक उसके पहुँचाने का हुक्म है, तो उनसे शिर्क का होना कैसे मुम्किन है? और आप भी उन्हीं यानी अम्बिया में से हैं। तो ऐसी हवस रखना उनके दिमाग़ का ख़लल है।

4. अज़्मत के हक़ से मुराद तौहीद है, और उसके इनकार करने से मुराद शिर्क है।

आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा,[1] और वह सबके कामों को ख़ूब जानता है। (70) ❖

और जो काफ़िर हैं वे जहन्नम की तरफ़ गिरोह-गिरोह बनाकर हाँके जाएँगे,[2] यहाँ तक कि जब दोज़ख़ के पास पहुँचेंगे तो (उस वक़्त) उसके दरवाज़े खोल दिए जाएँगे और उनसे दोज़ख़ के मुहाफ़िज़ (फ़रिश्ते, मलामत के तौर पर) कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैग़म्बर नहीं आए थे? जो तुमको तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे और तुमको तुम्हारे इस दिन के पेश आने से डराया करते थे। काफ़िर कहेंगे कि हाँ! लेकिन अ़ज़ाब का वायदा काफ़िरों पर पूरा होकर रहा।[3] (71) (फिर उनसे) कहा जाएगा (यानी फ़रिश्ते कहेंगे) कि जहन्नम के दरवाज़ों में दाख़िल हो (और) हमेशा उसमें रहा करो। ग़रज़ (ख़ुदा के अहकाम से) तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है।[4] (72) और जो लोग अपने रब से डरते थे, वे गिरोह-गिरोह होकर जन्नत की तरफ़ रवाना किए जाएँगे।[5] यहाँ तक कि जब उस (जन्नत) के पास पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े (पहले से) खुले हुए होंगे (ताकि ज़रा भी देर न लगे) और वहाँ के मुहाफ़िज़ (फ़रिश्ते) उनसे कहेंगे कि अस्सलामु अ़लैकुम! तुम मज़े में रहो, सो इस (जन्नत) में हमेशा रहने के लिए दाख़िल हो जाओ। (73) और (दाख़िल होकर) कहेंगे कि अल्लाह तआ़ला का (लाख-लाख) शुक्र है जिसने हमसे अपना वायदा सच्चा किया और हमको इस सरज़मीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें ठहरें।[6] ग़रज़ (नेक) अ़मल करने का अच्छा बदला है।[7] (74) और आप फ़रिश्तों को दखेंगे कि (हिसाब के इज्लास के वक़्त) अ़र्श के इर्द-गिर्द घेरा बनाए होंगे (और) अपने रब की पाकी और तारीफ़ बयान करते होंगे, और तमाम बन्दों में ठीक-ठीक फ़ैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सारी ख़ूबियाँ ख़ुदा ही को लायक़ हैं जो तमाम जहानों का परवर्दिगार है। ◆ (75) ❖

40 सूरः मुअ्मिन 60

सूरः मुअ्मिन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 85 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम्।[8] (इसके मायने अल्लाह ही को मालूम हैं) (1) यह किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ़ से जो ज़बरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है। (2) गुनाह का बख़्शने वाला है और तौबा का क़बूल करने वाला है। सख़्त सज़ा देने वाला है, क़ुदरत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, उसी के पास (सबको) जाना है। (3) अल्लाह तआ़ला की इन आयतों में (यानी क़ुरआन में) वही लोग (नाहक़ के) झगड़े

---

1. नेक आमाल में बदले के पूरा होने से मक़सूद कमी का इनकार करना है, और बुरे आमाल में बदले के पूरा होने से ज़्यादती का इनकार करना मक़सूद है।
2. गिरोह-गिरोह इसलिए कि कुफ़्र के दर्जे और क़िस्में अलग-अलग हैं। पस एक तरह के काफ़िरों का एक-एक गिरोह होगा।
3. यह माज़िरत नहीं इक़रार है, कि पहुँचाने के बावजूद हमने कुफ़्र किया, और काफ़िरों के लिए जिस अ़ज़ाब का वायदा किया गया था वह हमारे सामने आया। वाक़ई हमारी नालायक़ी है।
4. फिर उस हुक्म के बाद वे जहन्नम में दाख़िल किए जाएँगे और दरवाज़े बन्द कर दिए जाएँगे।
5. यानी जिस दर्जे का तक़्वा होगा उस दर्जे के मुत्तक़ी एक जगह कर दिए जाएँगे।
6. यानी हर शख़्स को ख़ूब फ़राग़त की जगह मिली है।
7. यह या तो उन्हीं का कलाम हो, या अल्लाह तआ़ला का हो।
8. यहाँ से सूरः अहक़ाफ़ तक लगातार सात सूरतें 'हा-मीम्' से शुरू हुई हैं। और अ़जीब लतीफ़ा है कि सातों क़ुरआन मजीद के अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल शुदा होने और वह्य किए जाने के मज़मून से शुरू हुई हैं।

निकालते हैं जो (इसके) इनकारी हैं, सो उन लोगों का शहरों में (अमन व अमान से) चलना-फिरना आपको शुब्हे में न डाले।[1] (4) उनसे पहले नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम ने और दूसरे गिरोहों ने भी जो उनके बाद हुए (जैसे आ़द व समूद वग़ैरह ने सच्चे दीन को) झुठलाया था, और हर उम्मत (में से जो लोग ईमान न लाए थे उन्होंने) अपने पैग़म्बर के गिरफ़्तार करने का इरादा किया और नाहक़ के झगड़े निकाले, ताकि उस नाहक़ से हक़ को बातिल कर दें, सो मैंने (आख़िर) उनपर पकड़ की, सो (देखो) मेरी तरफ़ से (उनको) कैसी सज़ा हुई। (5) और इसी तरह तमाम काफ़िरों पर आपके रब का यह क़ौल साबित हो चुका है कि वे लोग (आख़िरत में) दोज़ख़ी होंगे।[2] (6) जो फ़रिश्ते कि (अल्लाह के) अ़र्श को उठाए हुए हैं और जो फ़रिश्ते उसके इर्द-गिर्द हैं वे अपने रब की तस्बीह व तारीफ़ करते रहते हैं और उसपर ईमान रखते हैं, और ईमान वालों के लिए (इस तरह) इस्तिग़फ़ार किया करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपकी रहमत (जो कि आ़म है) और इल्म हर चीज़ को शामिल है,[3] सो उन लोगों को बख़्श दीजिए (जिन्होंने शिर्क और कुफ़्र से) तौबा कर ली और आपके रास्ते पर चलते हैं, और उनको जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा लीजिए।[4] (7) ऐ हमारे परवर्दिगार! उनको हमेशा रहने की जन्नतों में जिनका आपने उनसे वायदा किया है, दाख़िल कर दीजिए, और उनके माँ-बाप और बीवियों और औलाद में जो (जन्नत के) लायक़ (यानी मोमिन) हों उनको भी दाख़िल कर दीजिए, बेशक आप ज़बरदस्त, हिक्मत वाले हैं।[5] (8) और उनको (क़ियामत के दिन हर तरह की) तकलीफ़ों से बचाइए,[6] और आप जिसको उस दिन की तकलीफ़ों से बचा लें तो उसपर आपने (बहुत) मेहरबानी फ़रमाई और यह बड़ी कामयाबी है।[7] (9) ◆

जो लोग काफ़िर हुए (उस वक़्त) उनको पुकारा जाएगा कि जैसी तुमको (इस वक़्त) अपने आप से नफ़रत है, इससे बढ़कर ख़ुदा को (तुमसे) नफ़रत थी, जबकि तुम (दुनिया में) ईमान की तरफ़ बुलाए जाते थे फिर तुम नहीं मानते थे।[8] (10) वे लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने हमको दो बार मुर्दा रखा और दो बार ज़िन्दगी दी,[9] सो हम अपनी ख़ताओं का इक़रार करते हैं, तो क्या (यहाँ से) निकलने की कोई सूरत है? (11) वजह इसकी यह है कि जब सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे, सो (उसपर) यह फ़ैसला अल्लाह का है जो आ़लीशान (और) बड़े रुतबे वाला है।[10] (12) वही है जो तुमको अपनी निशानियाँ दिखलाता है, और (वही है

1. आपके इस ख़िताब (संबोधित किए जाने) से दूसरों को सुनाना मक़सूद है।
2. यानी यहाँ भी सज़ा हुई और वहाँ भी होगी। इसी तरह कुफ़्र के सबब इन मौजूदा काफ़िरों की भी पकड़ और सज़ा होने वाली है, चाहे दोनों आ़लम में हो या आख़िरत में।
3. पस ईमान वालों पर और ज़्यादा रहमत होगी।
4. जो कि मग़्फ़िरत का सबब है, क्योंकि अ़ज़ाब का सबब गुनाह हैं। गुनाहों के दूर होने से वह भी दूर हो जाएगा।
5. यानी आप मग़्फ़िरत पर क़ादिर हैं और हर एक के मुनासिब उसको दर्जा अ़ता फ़रमाते हैं।
6. अगरचे वे जहन्नम से हल्के हों जैसे क़ियामत के मैदान की परेशानियाँ।
7. यानी छोटे और बड़े अ़ज़ाब से मग़्फ़िरत और हिफ़ाज़त और जन्नत में दाख़िल होना बड़ी चीज़ है।
8. इस कहने से मक़सूद हसरत बढ़ाना और शर्मिन्दगी दिलाना है।
9. दो बार मुर्दा रखा। यानी एक बार पैदा होने से पहले जबकि बेजान चीज़ की हालत में थे, जिसमें प्ररिचित जान नहीं होती। और दूसरी बार जिसको सब मौत कहते हैं। और दो बार ज़िन्दगी दी- यानी एक दुनिया की ज़िन्दगी और दूसरी आख़िरत की।

(शेष तफ़सीर पृष्ठ 846 पर)

जो) आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क़ भेजता है। और सिर्फ़ वही शख़्स नसीहत क़बूल करता है जो (ख़ुदा की तरफ़) रुजू (करने का इरादा) करता है। **(13)** सो तुम लोग ख़ुदा को ख़ालिस एतिक़ाद करके पुकारो, अगरचे काफ़िरों को नागवार (ही) क्यों न हो। **(14)** वह बुलन्द और आला दर्जों वाला है, वह अर्श का मालिक है, वह अपने बन्दों में से जिसपर चाहता है वह्य यानी अपना हुक्म भेजता है, ताकि (वह वह्य वाला लोगों को) जमा होने के दिन (यानी क़ियामत के दिन) से डराए। **(15)** जिस दिन सब लोग (ख़ुदा के) सामने आ मौजूद होंगे, (कि) उनकी बात ख़ुदा से छुपी न रहेगी। आज के दिन किसकी हुकूमत होगी? बस अल्लाह ही की होगी जो यकता (और) ग़ालिब है। **(16)** आज हर शख़्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा, आज (किसी पर) ज़ुल्म न होगा, अल्लाह तआ़ला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। **(17)** और आप उन लोगों को एक क़रीब आने वाले मुसीबत के दिन से (जो कि क़ियामत का दिन है) डराइए, जिस वक़्त कलेजे मुँह को आ जाएँगे (और ग़म से) घुट-घुट जाएँगे। (उस दिन) ज़ालिमों का न कोई दिली दोस्त होगा और न कोई सिफ़ारिशी होगा जिसका कहा माना जाए। **(18)** (वह ऐसा है कि) आँखों की चोरी को जानता है, और उन (बातों) को भी जो सीनों में छुपी हैं।[1] **(19)** और अल्लाह तआ़ला ठीक-ठीक फ़ैसला कर देगा। और ख़ुदा के सिवा जिनको ये लोग पुकारा करते हैं, वे किसी तरह का भी फ़ैसला नहीं कर सकते, (क्योंकि) अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है।[2] **(20)** ❖

क्या उन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा कि जो (काफ़िर) लोग उनसे पहले गुज़र चुके हैं उनका क्या अन्जाम हुआ, वे लोग ताक़त और उन निशानों में जो कि ज़मीन पर छोड़ गए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा थे। सो उनके गुनाहों की वजह से ख़ुदा ने उनपर पकड़ फ़रमाई,[3] और उनका कोई ख़ुदा (के अ़ज़ाब) से बचाने वाला न हुआ। **(21)** यह (पकड़) इस वजह से हुई कि उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें[4] लेकर आते रहे, फिर उन्होंने न माना, तो अल्लाह ने उनपर पकड़ फ़रमाई, बेशक वह बड़ी कुव्वत वाला, सख़्त सज़ा देने वाला है।[5] **(22)** और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को अपने अहकाम और खुली दलील के साथ **(23)** फ़िरऔन

(पृष्ठ 844 का शेष) फ़ायदाः ये सब चार हालतें हुईं। अगरचे इनमें इनकार एक ही का था और उसी का इक़रार इस वक़्त मक़सूद है, लेकिन बक़िया तीन हालतें इसलिए ज़िक्र कर दीं कि वे यक़ीनी थीं। पस मक़सूद यह होगा कि यह चौथी भी उन तीनों के जैसे यक़ीनी और साबित है।

10. यानी चूँकि हक़ तआ़ला की बुलन्द शान और बड़ाई के एतिबार से यह बड़ा जुर्म था, इसलिए फ़ैसले में सज़ा भी बड़ी तजवीज़ हुई, यानी हमेशा उसमें गिरफ़्तार रहना।

1. मतलब यह कि उसको बन्दों के तमाम आमाल की जानकारी है जिसपर बदले का दिया जाना मौक़ूफ़ है।

2. इससे दो बातें साबित हुईं- एक ग़ैरे-ख़ुदा का मदद करने से आजिज़ होना और दूसरे ख़ुदाई में किसी का शरीक न होना।

3. यानी अ़ज़ाब नाज़िल किया।

4. यानी मोजिज़े (चमत्कार), जो कि नुबुव्वत की दलीलें हैं।

5. पस जब पकड़ की वजह कुफ़्र और शिर्क है, जो उनमें भी मुश्तरक है, फिर ये पकड़ से कैसे महफ़ूज़ हैं? चाहे दोनों जहाँ में, चाहे आख़िरत में।

और हामान और क़ारून के पास भेजा, तो उन लोगों ने कहा कि यह जादूगर (और) झूठा है।[1] (24) फिर (उसके बाद) जब वह (आम) लोगों के पास हक़ दीन जो कि हमारी तरफ़ से था, लेकर आए तो उन (ज़िक्र शुदा) लोगों ने (मश्विरे के तौर पर) कहा कि जो लोग उनके साथ ईमान ले आए हैं उनके बेटों को क़त्ल कर डालो और उनकी लड़कियों को ज़िन्दा रहने दो, और उन काफ़िरों की तदबीर बिलकुल बेअसर रही।[2] (25) और फ़िरऔन ने (दरबारियों से) कहा कि मुझको छोड़ दो मैं मूसा को क़त्ल कर डालूँ, और उसको चाहिए कि अपने परवर्दिगार को (मदद के लिए) पुकारे, मुझको अन्देशा है कि वह (कहीं) तुम्हारा दीन (न) बदल डाले, या मुल्क में कोई ख़राबी (न) फैला दे। (26) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जब यह बात सुनी तो) कहा कि मैं अपने और तुम्हारे (यानी सबके) परवर्दिगार की पनाह लेता हूँ हर तकब्बुर करने वाले शख़्स (की बुराई) से, जो हिसाब के दिन पर यक़ीन नहीं रखता। (27) ❖

और (उस मश्विरे की मज्लिस में) एक मोमिन शख़्स ने जो कि फ़िरऔन के ख़ानदान से थे, (और अब तक) अपना ईमान छुपाकर रखे हुए थे, कहा क्या तुम एक शख़्स को (सिर्फ़) इस बात पर क़त्ल करते हो कि वह कहता है कि मेरा परवर्दिगार अल्लाह है, हालाँकि वह तुम्हारे रब की तरफ़ से (इस दावे पर) दलीलें (भी) लेकर आया है।[3] और अगर (मान लो) वह झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और अगर वह सच्चा हुआ तो वह जो कुछ पेशीनगोई "यानी भविष्यवाणी" कर रहा है उसमें से कुछ तो तुमपर (ज़रूर ही) पड़ेगा।[4] अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को मक़सूद तक नहीं पहुँचाता जो (अपनी) हद से गुज़र जाने वाला, बहुत झूठ बोलने वाला हो। (28) ऐ मेरे भाईयो! आज तो तुम्हारी हुकूमत है कि इस सरज़मीन में तुम हाकिम हो, सो खुदा के अज़ाब में हमारी कौन मदद करेगा अगर (उनके क़त्ल करने से) वह हमपर आ पड़ा? फ़िरऔन ने (यह तक़रीर सुनकर जवाब में) कहा कि मैं तुमको वही राय दूँगा जो खुद समझ रहा हूँ (कि उनका क़त्ल ही मुनासिब है) और मैं तुमको बिलकुल मस्लहत का तरीक़ा बतलाता हूँ। (29) और उस मोमिन ने कहा[5] साथियो! मुझको तुम्हारे बारे में और उम्मतों के जैसे बुरे दिन का अन्देशा है। (30) जैसा कि क़ौमे नूह और आद और समूद और उनके बाद वालों (यानी क़ौमे लूत वग़ैरह) का हाल हुआ था, और अल्लाह तो बन्दों पर किसी तरह का ज़ुल्म करना नहीं चाहता।[6] (31) और साहिबो! मुझको तुम्हारे बारे में उस दिन का अन्देशा है

1. जादूगर मोजिज़ा दिखलाने में कहा, और झूठा नुबुव्वत व अहकाम के दावे में कहा।
2. चुनाँचे आख़िर में मूसा अलैहिस्सलाम ग़ालिब आए।
3. यानी मोजिज़े भी दिखलाता है जो नुबुव्वत के दावे में सच्चा होने और अल्लाह की तरफ़ से तौहीद की तब्लीग़ के लिए मुक़र्रर किए जाने की दलील है। और दलील मौजूद होते हुए दलील रखने वाले की मुख़ालफ़त करना, और मुख़ालफ़त भी इस दर्जे की कि क़त्ल का इरादा किया जाए, यह निहायत नामुनासिब है।
4. ग़रज़ उसके झूठे होने की सूरत में क़त्ल बेकार और उसके सच्चा होने की सूरत में नुक़सानदेह। फिर ऐसा काम क्यों किया जाए?
5. उस मोमिन ने जब देखा कि नसीहत में मुख़ातब के ख़्याल की रियायत यानी नरमी इख़्तियार करने से काम नहीं चलता, तो अब धमकाने और डराने से काम लिया।
6. यह दुनिया के अज़ाब से डराना था। आगे आख़िरत के अज़ाब से डराना है।

जिसमें कसरत से आवाज़ें दी जाएँगी।[1] (32) जिस दिन (हिसाब की जगह से) पीठ फेर कर (दोज़ख़ की तरफ़) लौटोगे (और उस वक़्त) तुमको ख़ुदा तआ़ला से कोई बचाने वाला न होगा, और जिसको ख़ुदा ही गुमराह करे उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं। (33) और इससे पहले तुम लोगों के पास यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम नुबुव्वत और तौहीद की) दलीलें लेकर आ चुके हैं। सो तुम उन उमूर में भी बराबर शक ही में रहे जो वह तुम्हारे पास लेकर आए थे, यहाँ तक कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो तुम लोग कहने लगे कि बस अब अल्लाह किसी रसूल को न भेजेगा। इसी तरह अल्लाह तआ़ला आपे से बाहर हो जाने वालों (और) शुब्हात में गिरफ़्तार रहने वालों को ग़लती में डाले रखता है। (34) जो अपने पास मौजूद बिना किसी सनद के ख़ुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं, उस (उल्टी बहस) से ख़ुदा तआ़ला को भी बड़ी नफ़रत है और मोमिनों को भी। (और) इसी तरह अल्लाह तआ़ला हर ग़ुरूर करने वाले ज़ालिम के पूरे दिल पर मुहर कर देता है।[2] (35) और फ़िरऔ़न ने कहा, ऐ हामान! मेरे वास्ते एक ऊँची इमारत बनवाओ, शायद मैं आसमान पर जाने की राहों तक पहुँच जाऊँ। (36) फिर (वहाँ जाकर) मूसा के ख़ुदा को देखूँ-भालूँ और मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूँ। और इसी तरह फ़िरऔ़न के (और) बुरे काम भी उसको अच्छे मालूम हुए थे और (सीधे) रास्ते से रुक गया, और फ़िरऔ़न की (हर) तदबीर बेकार ही गई। (37) ❖

और उस मोमिन ने कहा कि ऐ भाइयो! तुम मेरी राह पर चलो, मैं तुमको ठीक-ठीक रास्ता बतलाता हूँ।[3] (38) ऐ भाइयो! यह दुनियावी ज़िन्दगानी सिर्फ़ चन्द दिन का नफ़ा है और (असल) ठहरने का मक़ाम तो आख़िरत है। (39) (जहाँ बदले का यह क़ानून है कि) जो शख़्स गुनाह करता है उसको तो बराबर-सराबर ही बदला मिलता है, और जो नेक काम करता है, चाहे मर्द हो या औ़रत बशर्ते कि मोमिन हो, ऐसे लोग जन्नत में जाएँगे (और वहाँ) बेहिसाब उनको रिज़्क़ मिलेगा। (40) और ऐ मेरे भाइयो! यह क्या बात है कि मैं तो तुमको नजात (के रास्ते) की तरफ़ बुलाता हूँ और तुम मुझको दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते हो? ● (41) (यानी) तुम मुझको इस बात की तरफ़ बुलाते हो कि मैं ख़ुदा के साथ कुफ़्र करूँ और ऐसी चीज़ों को उसका साझी बनाऊँ जिस (के साझी होने) की मेरे पास कोई भी दलील नहीं, और मैं तुमको गुनाहों को माफ़ करने वाले,

1. यानी वह दिन बड़े-बड़े वाक़िआ़त पर मुश्तमिल है, क्योंकि आवाज़ों का ज़्यादा होना वाक़िआ़त के अहम और बड़ा होने में होता है।

2. इसलिए इसमें हक़ के समझने की गुन्जाइश बिलकुल नहीं रहती।

फ़ायदाः यह तक़रीर उन मोमिन बुज़ुर्ग की थी। और इस तक़रीर से उन बुज़ुर्ग का ईमान का छुपाना जाता रहा।

3. यानी सही रास्ता मेरा बतलाया हुआ रास्ता है न कि फ़िरऔ़न का रास्ता।

ज़बरदस्त ख़ुदा की तरफ़ बुलाता हूँ। **(42)** यक़ीनी बात है कि तुम जिस चीज़ (की इबादत) की तरफ़ मुझको बुलाते हो वह न तो दुनिया ही में पुकारे जाने के लायक़ है और न आख़िरत ही में, और (यक़ीनी बात है कि) हम सबको ख़ुदा तआ़ला के पास जाना है। और जो लोग (बन्दगी के) दायरे से निकल रहे हैं वे सब दोज़ख़ी होंगे। **(43)** सो आगे चलकर तुम मेरी बात को याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ख़ुदा तआ़ला सब बन्दों का निगराँ है। **(44)** फिर ख़ुदा तआ़ला ने उस (मोमिन) को उन लोगों की बुरी तदबीरों से महफ़ूज़ रखा, और फ़िरऔ़न वालों पर (मय फ़िरऔ़न के) तकलीफ़ वाला अ़ज़ाब नाज़िल हुआ (जिसका आगे बयान है कि) **(45)** वे लोग (बरज़ख़ में) सुबह व शाम आग के सामने लाए जाते हैं, और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी (हुक्म होगा कि) फ़िरऔ़न वालों को (मय फ़िरऔ़न के) निहायत सख़्त अ़ज़ाब में दाख़िल करो।[1] **(46)** और जबकि कुफ़्फ़ार दोज़ख़ में एक-दूसरे से झगड़ेंगे तो कम दर्जे के लोग (यानी पैरवी करने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे ताबे थे, सो क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो?[2] **(47)** वे बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही दोज़ख़ में हैं,[3] अल्लाह तआ़ला बन्दों के दरमियान फ़ैसला कर चुका।[4] **(48)** और (उसके बाद) जितने लोग दोज़ख़ में होंगे, जहन्नम के ज़िम्मेदार फ़रिश्तों से (दरख़्वास्त के तौर पर) कहेंगे कि तुम ही अपने परवर्दिगार से दुआ़ व कि किसी दिन तो हमसे अ़ज़ाब हल्का कर दे।[5] **(49)** फ़रिश्ते कहेंगे कि (यह बतलाओ) क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैग़म्बर मोजिज़े लेकर नहीं आते रहे थे? दोज़ख़ी कहेंगे कि हाँ, आते तो रहे थे। फ़रिश्ते कहेंगे कि फिर तुम ही दुआ़ करो और काफ़िरों की दुआ़ बिलकुल बेअसर है। **(50)** ❖

हम अपने पैग़म्बरों की और ईमान वालों की दुनियावी ज़िन्दगानी में भी मदद करते हैं और उस दिन भी जिसमें गवाही देने वाले (यानी फ़रिश्ते जो कि आमाल नामे लिखते थे) "मदद करेंगे"।[6] **(51)** जिस दिन कि

---

1. इन आयतों से बरज़ख़ (यानी मरने के बाद और क़ियामत के आने से पहले के ज़माने) का अ़ज़ाब साबित होता है।

2. यानी जब तुम हमसे अपनी पैरवी कराते थे तो अब तुमको हमारी मदद करनी चाहिए।

3. यानी जैसे तुम दोज़ख़ में हो हम भी दोज़ख़ में हैं। सो हमको अगर मदद करने की कुछ कुदरत होती तो पहले अपनी ही फ़िक्र करते। जब अपने ही से अ़ज़ाब दूर नहीं कर सकते तो तुमसे क्या दूर करेंगे।

4. अब उसके ख़िलाफ़ गुमान नहीं, इस फ़ैसले में हम सब दोज़ख़ी ठहरे, अब क्या होता है।

5. यानी इसकी तो क्या उम्मीद करें कि अ़ज़ाब बिलकुल हट जाए या हमेशा के लिए हल्का हो जाए, मगर ख़ैर एक ही दिन के लिए हल्का हो जाए।

6. इससे क़ियामत का दिन मुराद है।

ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) को उनकी माज़िरत कुछ नफ़ा न देगी,[1] और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए उस जहान में ख़राबी होगी।[2] (52) और (आपसे पहले) हम मूसा को हिदायतनामा (यानी तौरात) दे चुके हैं, और (फिर) हमने वह किताब बनी इस्राईल को पहुँचाई थी। (53) कि वह हिदायत और नसीहत (की किताब) थी (सही) अ़क्ल रखने वालों के लिए। (54) सो आप सब्र कीजिए। बेशक अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा है। और अपने (उस) गुनाह की (जिसको मजाज़न गुनाह कह दिया गया) माफ़ी माँगिए।[3] और शाम और सुबह अपने रब की पाकी और तारीफ़ बयान करते रहिए।[4] (55) (और) जो लोग अपने पास मौजूद बिना किसी सनद के ख़ुदाई आयतों में झगड़े निकाला करते हैं, उनके दिलों में निरी बड़ाई (ही बड़ाई) है, कि वे उस तक कभी पहुँचने वाले नहीं। सो आप अल्लाह की पनाह माँगते रहिए, बेशक वही है सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला।[5] (56) यक़ीनन आसमानों और ज़मीन को (शुरू में) पैदा करना आदमियों के (दोबारा) पैदा करने के मुक़ाबले में बड़ा काम है, और लेकिन अक्सर आदमी (इतनी बात) नहीं समझते। (57) और देखने वाला और अन्धा, और (एक) वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और (दूसरे) बदकार, आपस में बराबर नहीं होते, तुम लोग बहुत ही कम समझते हो।[6] (58) क़ियामत तो ज़रूर ही आकर रहेगी, उस (के आने) में किसी तरह का शक है ही नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। (59) और तुम्हारे रब ने फ़रमा दिया है कि मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दरख़्वास्त क़बूल करूँगा। जो लोग (सिर्फ़) मेरी इबादत से सरकशी करते हैं,[7] वे जल्द ही (यानी मरते ही) ज़लील होकर जहन्नम में दाख़िल होंगे। (60) ❖

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (नफ़े के) लिए रात बनाई, ताकि तुम उसमें आराम करो, और उसी ने दिन को (देखने के लिए) रोशन बनाया।[8] बेशक अल्लाह तआ़ला का लोगों पर बड़ा ही फ़ज़्ल है, और लेकिन अक्सर आदमी (इन नेमतों का) शुक्र अदा नहीं करते। (61) यह अल्लाह है तुम्हारा रब,[9] वह हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो (तौहीद के साबित होने के बाद) तुम लोग शिर्क करके कहाँ उल्टे जा रहे हो? (62) इसी तरह वे (पहले) लोग भी उल्टे चला करते थे जो अल्लाह की

---

1. यानी पहले तो कोई ख़ास और क़ाबिले तवज्जोह माज़िरत न होगी, अगर कुछ हरकत भी हुई तो वह नफ़ा देने वाली न होगी।
2. पस इसी तरह आप और आपके मानने वाले भी मदद किए जाएँगे और मुख़ालिफ़ीन नाकाम और क़हर के अन्दर होंगे, तो आप तसल्ली रखिए।
3. यानी अगर कभी कामिल दर्जे का सब्र होने में कुछ कमी हो गई हो जो शरीअ़त के क़ायदों की रू से हक़ीक़त में तो गुनाह नहीं, मगर आपके बुलन्द रुतबे के एतिबार से उसकी तलाफ़ी करने के वाजिब होने में गुनाह के जैसे ही है, उसकी तलाफ़ी कीजिए।
4. यानी ऐसे शुग़ल में रहिए कि जिन चीज़ों से रंज व ग़म होता हो उनकी तरफ़ ख़्याल ही न हो।
5. वह अपनी कामिल सिफ़ात से अपनी पनाह में आए हुए को महफ़ूज़ रखेगा।
6. वरना अन्धे और बदकार न रहते।
7. हासिल यह हुआ कि जो लोग तौहीद से मुँह मोड़ करके शिर्क करते हैं।
8. ताकि बेतकल्लुफ़ रोज़ी-रोटी हासिल करो।
9. यानी जिसका ज़िक्र हुआ, न कि वह जिनको तुमने घड़ रखा है।

निशानियों का इनकार किया करते थे।[1] (63) अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को (मख़्लूक़ के) रहने का ठिकाना बनाया, और आसमान को छत (की तरह) बनाया, और तुम्हारा नक़्शा बनाया, सो उम्दा नक़्शा बनाया,[2] और तुमको उम्दा-उम्दा चीज़ें खाने को दीं। (पस) यह अल्लाह है तुम्हारा रब, सो बड़ा आ़लीशान है अल्लाह, जो सारे जहान का परवर्दिगार है। (64) वही (हमेशा से और हमेशा तक) ज़िन्दा रहने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो तुम (सब) ख़ालिस एतिक़ाद करके उसको पुकारा करो,[3] तमाम ख़ूबियाँ उसी अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान का परवर्दिगार है। (65) आप (उन मुश्रिकों को सुनाने के लिए) कह दीजिए कि मुझको इससे मनाही कर दी गई है कि मैं उन (शरीकों) की इबादत करूँ जिनको ख़ुदा के सिवा तुम पुकारते हो। जबकि मेरे पास मेरे रब की निशानियाँ आ चुकी हैं।[4] और मुझको यह हुक्म हुआ है कि मैं (सिर्फ़) रब्बुल आ़लमीन के सामने गर्दन झुका लूँ।[5] (66) वही है जिसने तुमको[6] मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से,[7] फिर ख़ून के लोथड़े से, फिर तुमको बच्चा करके (माँ के पेट से) निकालता है, फिर (तुमको ज़िन्दा रखता है) ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। और कोई-कोई तुममें से पहले ही मर जाता है[8] और ताकि तुम सब (अपने-अपने) वक़्ते मुक़र्ररा (जो तक़दीर में तय है) तक पहुँच जाओ, और (यह सब कुछ इसलिए किया गया) ताकि तुम लोग समझो। (67) वही है जो ज़िन्दा करता है और मारता है, फिर वह जब किसी काम को (फ़ौरन) पूरा करना चाहता है, सो बस उसके मुताल्लिक़ (इतना) फ़रमा देता है कि हो जा, सो वह हो जाता है। (68) ❖

क्या आपने उन लोगों (की हालत) को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालते हैं, (हक़ से) कहाँ फिरे चले जा रहे हैं? (69) जिन लोगों ने इस किताब (यानी क़ुरआन) को झुठलाया और उस चीज़ को जो हमने अपने पैग़म्बरों को देकर भेजा था, सो उनको अभी (यानी क़ियामत में जो क़रीब है) मालूम हुआ जाता है। (70) जबकि तौक़ उनकी गर्दनों में होंगे और ज़न्जीरें उनको घसीटते हुए (71) खौलते पानी में ले जाए जाएँगे, फिर ये आग में झोंक दिए जाएँगे। (72) फिर उनसे पूछा जाएगा कि अ़ल्लाह के अ़लावा (वे माबूद) कहाँ गए जिनको तुम (ख़ुदाई में) शरीक ठहराते थे।[9] (73) वे कहेंगे कि वे सब तो हमसे ग़ायब हो

1. इसमें एक तरह से आपकी तसल्ली भी है।
2. चुनाँचे इनसान के जिस्मानी अंगों के बराबर किसी हैवान के जिस्मानी अंगों में तनासुब नहीं।
3. और शिर्क न किया करो।
4. अ़क़्ली और नक़्ली दलीलें मुराद हैं। मतलब यह है कि शिर्क से मुझको मनाही हुई है।
5. मतलब यह कि मुझको तौहीद का हुक्म हुआ है।
6. यानी तुम्हारे बाप को।
7. यानी आगे उनकी नस्ल को।
8. यानी जवानी और बुढ़ापे से पहले।
9. यानी तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते।

गए, बल्कि हम इससे पहले किसी को भी नहीं पूजते थे।[1] अल्लाह तआला इसी तरह काफ़िरों को ग़लती में फँसाए रखता है। **(74)** यह (सज़ा) उसके बदले में है कि तुम दुनिया में नाहक़ ख़ुशियाँ मनाते थे, और उसके बदले में कि तुम इतराते थे।[2] **(75)** जहन्नम के दरवाज़ों में घुसो (और) हमेशा-हमेशा उसमें रहो, सो तकब्बुर करने वालों का वह बुरा ठिकाना है। **(76)** (और जब उनसे इस तरह बदला लिया जाएगा) तो आप (थोड़ा-सा) सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह तआला का वायदा सच्चा है। फिर जिस (अ़ज़ाब) का हम उनसे वायदा कर रहे हैं, उसमें से कुछ थोड़ा-सा (अ़ज़ाब) अगर हम आपको दिखला दें,[3] या (उसके आने से पहले ही) हम आपको वफ़ात दे दें, सो हमारे ही पास उनको आना होगा। **(77)** और हमने आपसे पहले बहुत-से पैग़म्बर भेजे, जिनमें से बाज़े तो वे हैं कि उनका क़िस्सा हमने आपसे बयान किया है, और बाज़े वे हैं जिनका हमने आपसे क़िस्सा बयान नहीं किया, और (इतनी बात सबमें मुश्तरक है कि) किसी रसूल से यह न हो सकेगा कि कोई मोजिज़ा अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ज़ाहिर कर सके, फिर जिस वक़्त (अ़ज़ाब के आने के लिए) अल्लाह का हुक्म आएगा, ठीक-ठीक फ़ैसला हो जाएगा, और उस वक़्त बातिल वाले घाटे में रह जाएँगे। **(78)** ❖

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए मवेशी बनाए ताकि उनमें बाज़ से सवारी लो, और उनमें बाज़ (ऐसे हैं कि उन) को खाते भी हो। **(79)** और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत फ़ायदे हैं।[4] और (इसलिए बनाए) ताकि तुम उनपर अपने मतलब तक पहुँचो जो तुम्हारे दिलों में है, और उनपर (भी) और कश्ती पर (भी) लदे-लदे फिरते हो। **(80)** और (उनके अ़लावा) तुमको अपनी और भी निशानियाँ दिखलाता रहता है,[5] सो तुम अल्लाह तआ़ला की कौन-कौन-सी निशानियों का इनकार करोगे? **(81)** क्या उन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा कि जो (मुश्रिक) लोग उनसे पहले गुज़र चुके हैं उनका क्या अन्जाम हुआ?[6] (हालाँकि) वे लोग उनसे ज़्यादा थे, और क़ुव्वत में और निशानियों में (भी) जो कि ज़मीन पर छोड़ गए हैं बढ़े हुए थे, सो उनकी (यह पूरी की पूरी) कमाई उनके कुछ भी काम न आई।[7] **(82)** ग़रज़ जब उनके पैग़म्बर उनके पास ख़ुली दलीलें लेकर आए तो वे लोग अपने (उस रोज़गार और कमाने के) इल्म पर बड़े इतराए, जो उनको हासिल था,[8] और उनपर वह अ़ज़ाब आ पड़ा जिसके साथ मज़ाक़ करते थे। **(83)** फिर जब उन्होंने हमारा

1. यानी मालूम हुआ कि वे कुछ भी न थे। ऐसी बात ग़लत ज़ाहिर होने के वक़्त कही जाती है। जैसे कोई शख़्स तिजारत में नुक़सान उठाए और उससे पूछा जाए कि तुम फ़लाँ माल की तिजारत किया करते हो, और वह कहे कि मैं तो कहीं की भी तिजारत नहीं करता। यानी जब उसका फ़ायदा हासिल न हुआ तो यूँ समझना चाहिए कि गोया वह अ़मल ही नहीं हुआ।
2. "फ़रह" (ख़ुशियाँ मनाना) दिल के मुताल्लिक़ है, और "मरह" (इतराना) बदन के। चाहे लुग़त के एतिबार से या मुक़ाबले के, यानी दुनिया के फ़ायदे को असल मक़सूद समझकर उसके हासिल करने पर दिल में ऐसे ख़ुश होते थे कि उसके आसार बदन पर ज़ाहिर होते थे, जैसे चाल वग़ैरह में, जिसकी मनाही आई है- "व ला तम्शि फ़िल्अर्ज़ि म-रहन्" यानी ज़मीन पर इतराकर मत चल।
3. यानी आपकी ज़िन्दगी में उनपर वह नाज़िल हो जाए।
4. जैसे उनके बाल और ऊन काम आते हैं।
5. चुनाँचे हर तैयार होने वाली चीज़ उसके बनाए जाने पर एक निशान है।
6. यानी क्या उनको शिर्क के वबाल की ख़बर नहीं?
7. क्योंकि वे अल्लाह के अ़ज़ाब से न बच सके।
8. यानी मआ़श (कमाने और रोज़गार) को मक़सूद समझकर और उसमें जो उनको क़ाबलियत हासिल थी उसपर ख़ुश हुए और आख़िरत का इनकार करके उसकी तलब को दीवानगी, और उसके इनकार पर सज़ा की धमकी को हँसी मज़ाक़ का सबब बनाया।

अ़ज़ाब देखा तो कहने लगे (अब) हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और उन सब चीज़ों से हम इनकारी हुए जिनको हम उसके साथ शरीक ठहराते थे। (84) सो उनका यह ईमान लाना फ़ायदेमन्द न हुआ जब उन्होंने हमारा अ़ज़ाब देख लिया।[1] अल्लाह तआ़ला ने अपना यही मामूल "यानी आ़दत और तरीक़ा" मुक़र्रर किया है जो उसके बन्दों में पहले से होता चला आया है, और उस वक़्त काफ़िर घाटे में रह गए।[2] (85) ❖

41 सूरः हा-मीम् अस्-सज्दः 61

सूरः हा-मीम् अस्-सज्दः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 54 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम् (1) यह कलाम रहमान रहीम की तरफ़ से नाज़िल किया जाता है। (2) यह एक किताब है जिसकी आयतें साफ़-साफ़ बयान की गई हैं। यानी ऐसा क़ुरआन है जो अ़रबी (ज़बान में) है,[3] ऐसे लोगों के लिए (नफ़ा देने वाला है) जो अ़क़्लमन्द हैं।[4] (3) ख़ुशख़बरी देने वाला है (और न मानने वालों के लिए) डराने वाला है, सो अक्सर लोगों ने (इससे) मुँह फेरा, फिर वे (मुँह फेरने की वजह से) सुनते ही नहीं। (4) और वे लोग कहते हैं कि जिस बात की तरफ़ आप हमको बुलाते हैं हमारे दिल उससे पर्दों में हैं,[5] और हमारे कानों में डाट (लग रही) है, और हमारे और आपके दरमियान एक पर्दा है, सो आप अपना काम किए जाइए हम अपना काम कर रहे हैं।[6] ▲ (5) आप फ़रमा दीजिए कि मैं भी तुम ही जैसा बशर हूँ। मुझपर यह वह्य नाज़िल होती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है,[7] सो उस (माबूदे बरहक़) की तरफ सीध बाँध लो और उससे माफ़ी माँगो, और ऐसे मुश्रिकों के लिए बड़ी ख़राबी है (6) जो ज़कात नहीं देते, और वे आख़िरत के इनकारी ही रहते हैं। (7) (और उनके उलट) जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक काम किए उनके लिए (आख़िरत में) ऐसा अज्र है जो (कभी) मौक़ूफ़ होने जाने वाला नहीं। (8) ❖

आप फ़रमाइए कि क्या तुम लोग ऐसे ख़ुदा (की तौहीद) का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को (इतनी बड़ा होने के बावजूद) दो दिन में पैदा कर दिया, और तुम उसके शरीक ठहराते हो। यही सारे जहान का रब है। (9) और उसी ने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बना दिए, और इस (ज़मीन) में फ़ायदे की चीज़ें रख दीं, और इसमें इस (के रहने वालों) की ग़िज़ाएँ तजवीज़ कर दीं,[8] चार दिन में (हुआ। जो गिनती में) पूरे हैं पूछने वालों के लिए। (10) फिर आसमान (के बनाने) की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई और वह (उस वक़्त) धुआँ-सा

1. क्योंकि वह ईमान बेइख़्तियारी था और बन्दा इख़्तियारी ईमान का मुकल्लफ़ है।
2. पस उन मुश्रिकीन को भी ये सब मज़ामीन समझकर डरना चाहिए। उनके लिए भी यही होगा। फिर कुछ तलाफ़ी न हो सकेगी।
मसलाः जब आख़िरत का अ़ज़ाब और फ़रिश्ते नज़र आ जाएँ उस वक़्त ईमान लाना मक़बूल नहीं, और उसको 'ईमाने-बाइस' कहते हैं।
3. यानी अ़रबी में इसलिए है ताकि जिन लोगों में यह नाज़िल हुआ है वे आसानी से समझ लें।
4. यानी अगरचे मुकल्लफ़ सब ही हैं, मगर फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ़ अ़क़्ल वाले ही होते हैं।
5. यानी हमारी समझ में नहीं आती।
6. यानी हमसे क़बूल करने की कुछ उम्मीद न रखिए, और फिर भी कहने को जी चाहे तो कहे जाइए। आप जानें और आपका काम हम अपने तरीक़े को न छोड़ेंगे।
7. यानी मुझपर वह्य आती है जिसकी तस्दीक़ मोजिज़ों से हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ा मोजिज़ा क़ुरआन है, जिसका ऊपर बयान है।
8. चुनाँचे आँखों के सामने है कि ज़मीन के हर हिस्से के रहने वालों के मुनासिब अलग-अलग ग़िज़ाएँ हैं। यानी ज़मीन में हर क़िस्म के ग़ल्ले, अनाज और मेवे पैदा कर दिए हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ, जिनका सिलसिला अब तक चला आता है।

था,[1] सो उससे और ज़मीन से फ़रमाया कि तुम दोनों ख़ुशी से आओ या ज़बरदस्ती से।[2] दोनों ने अर्ज़ किया कि हम ख़ुशी से हाज़िर हैं। **(11)** सो दो दिन में उसके सात आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके मुनासिब (फ़रिश्तों को) अपना हुक्म भेज दिया। और हमने इस क़रीब वाले आसमान को सितारों से सजाया और (शैतानों के वहाँ जाकर चोरी-छुपे ख़बर सुनने से) उसकी हिफ़ाज़त की, यह तजवीज़ है (ख़ुदा-ए-) ज़बरदस्त, हर चीज़ के जानने वाले की।[3] **(12)** फिर अगर (तौहीद की दलीलें सुनकर भी) ये लोग (तौहीद से) मुँह मोड़ें तो आप कह दीजिए कि मैं तुमको ऐसी आफ़त से डराता हूँ जैसी आ़द व समूद पर (शिर्क व कुफ़्र की बदौलत) आफ़त आई थी।[4] **(13)** जबकि उनके पास उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी पैग़म्बर आए, कि अल्लाह के सिवा और किसी को मत पूजो। उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारे रब को (यह) मन्ज़ूर होता (कि किसी को पैग़म्बर बनाकर भेजे) तो फ़रिश्तों को भेजता, सो हम इस (तौहीद) से भी इनकारी हैं, जिसको देकर (तुम अपने गुमान के मुताबिक़) भेजे गए हो। **(14)** फिर वे जो आ़द के लोग थे, वे दुनिया में नाहक़ का तकब्बुर करने लगे और कहने लगे, वह कौन है जो कुव्वत में हमसे ज़्यादा है? (आगे जवाब है कि) क्या उनको यह नज़र न आया कि जिस ख़ुदा ने उनको पैदा किया वह उनसे कुव्वत में बहुत ज़्यादा है, और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। **(15)** तो हमने उनपर एक तेज़ हवा ऐसे दिनों में भेजी जो मन्हूस थे, ताकि हम उनको इस दुनियावी ज़िन्दगी में रुस्वाई के अ़ज़ाब का मज़ा चखाएँ, और आख़िरत का अ़ज़ाब और ज़्यादा रुस्वाई का सबब है, और उनको मदद न पहुँचेगी। **(16)** और वे जो समूद थे, तो हमने उनको (पैग़म्बर के ज़रिए से) रास्ता बतलाया था, सो उन्होंने हिदायत के मुक़ाबले में गुमराही को पसन्द किया, पस उनको उनके बुरे आमाल की वजह से ज़िल्लत भरे अ़ज़ाब की आफ़त ने पकड़ लिया। **(17)** और हमने (उस अ़ज़ाब से) उन लोगों को नजात दी जो ईमान लाए और (हमसे) डरते थे।[5] **(18)** ❖

और (उनको वह दिन भी याद दिलाइए) जिस दिन अल्लाह तआ़ला के दुश्मन (यानी कुफ़्फ़ार) दोज़ख़ की तरफ़ जमा कर- (ने) के (लिए एक जगह) लाए जाएँगे, फिर वे रोके जाएँगे (ताकि बक़िया भी आ जाएँ)। **(19)** यहाँ तक कि जब वे उसके क़रीब आ जाएँगे तो उनके कान और आँखें और उनकी खालें उनपर

1. यानी उसका माद्दा जो कि ज़मीन के माद्दे के बाद और ज़मीन की मौजूदा सूरत से पहले बन चुका था, इस शक्ल में था।

2. मतलब यह कि हमारे तक्वीनी अहकाम जो तुम दोनों में जारी हुआ करेंगे, तो उनका जारी होना तुम्हारे इख़्तियार से ख़ारिज है, लेकिन जो इदराक और शुऊर तुमको अ़ता हुआ है, उससे तुम्हारी हालत के मुनासिब रज़ामन्दी और नापसन्दीदगी दोनों का सुबूत हो सकता है। सो तुम देख लो कि हमारे उन अहकाम पर राज़ी रहा करोगे या नापसन्दीदगी इख़्तियार करोगे।

3. पस इबादत के लायक़ यह ज़ात है जो कामिल सिफ़ात वाली है, या दूसरी चीज़ें जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में नाक़िस हैं?

4. मुराद हलाक करने वाला अ़ज़ाब है। चुनाँचे मक्का वाले भी बद्र में हलाक किए गए।

5. यहाँ तक दुनियावी अ़ज़ाब का ज़िक्र था और आगे आख़िरत के अ़ज़ाब का ज़िक्र है।

उनके आमाल की गवाही देंगे। (20) और (उस वक़्त) वे लोग (ताज्जुब से) अपने जिस्म के अंगों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी? वे (जिस्म के अंग) जवाब देंगे कि हमको उस अल्लाह ने बोलने की ताक़त दी जिसने हर (बोलने वाली) चीज़ को बोलने की ताक़त दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी के पास फिर लाए गए हो।[1] (21) और तुम (दुनिया में) इस बात से तो अपने आपको छुपा ही न सकते थे[2] कि तुम्हारे कान और आँखें और खालें तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही दें, और लेकिन तुम इस गुमान में रहे कि अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे बहुत-से आमाल की ख़बर भी नहीं। (22) और तुम्हारे इसी गुमान ने जो कि तुमने अपने रब के साथ किया था तुमको बरबाद किया,[3] फिर तुम (हमेशा के) घाटे में पड़ गए। (23) सो (उस हालत में) अगर ये लोग सब्र करें तब भी दोज़ख़ ही उनका ठिकाना है,[4] और अगर वे उज़्र करना चाहेंगे तो भी मक़बूल न होगा। (24) और हमने (दुनिया में) उनके लिए कुछ साथ रहने वाले शैतान मुक़र्रर कर रखे थे। सो उन्होंने उनके अगले-पिछले आमाल उनकी नज़र में अच्छे बना रखे थे, और उनके हक़ में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का क़ौल (यानी अ़ज़ाब का वायदा) पूरा होकर रहा, जो उनसे पहले (कुफ़्फ़ार में से) जिन्नात व इनसान गुज़र चुके हैं। बेशक वे (सब) भी घाटे में रहे।[5] (25) ◆

और ये काफ़िर (आपस में) यह कहते हैं कि इस क़ुरआन को सुनो ही मत, और (अगर पैग़म्बर सुनाने लगें तो) उसके बीच में शोर मचा दिया करो, शायद (इस तदबीर से) तुम ही ग़ालिब रहो। (26) सो हम उन काफ़िरों को सख़्त अ़ज़ाब का मज़ा चखा देंगे, और उनको उनके (ऐसे) बुरे-बुरे कामों की सज़ा देंगे। (27) यही सज़ा है अल्लाह के दुश्मनों की, यानी दोज़ख़ उनके लिए वहाँ हमेशा रहने की जगह होगी, इस बात के बदले में कि वे हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। (28) और (जब अ़ज़ाब में मुब्तला होंगे तो) वे

1. पस जो खुदा ऐसा क़ुदरत वाला और बड़ी शान वाला हो, उसके सामने उसके पूछने पर हम हक़ को कैसे छुपा सकते थे कि उसकी बड़ाई उससे रुकावट थी। इसलिए हमने गवाही दे दी।

2. क्योंकि हक़ तआ़ला की क़ुदरत हर चीज़ पर है, और आमाल की जानकारी हक़ीक़त में साबित है।

3. क्योंकि इस गुमान से कुफ़्रिया आमाल के करने वाले हुए और वे आमाल बरबादी का सबब हुए।

4. यह नहीं कि उनका सब्र करना और ख़ामोशी रहम का सबब हो जाए, जैसा कि दुनिया में कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

5. ऊपर सूरः के शुरू में क़ुरआन व रिसालत के मुताल्लिक़ मज़मून था, आगे उसका इनकार करने वालों को तंबीह व धमकी और मलामत है।

काफ़िर लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको वे दोनों शैतान और इनसान दिखा दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था, हम उनको अपने पैरों तले मसल डालें, ताकि वे ख़ूब ज़लील हों।[1] (29) जिन लोगों ने (दिल से) इक़रार कर लिया कि हमारा रब अल्लाह है,[2] फिर (उसपर) जमे रहे,[3] उनपर फ़रिश्ते उतरेंगे कि तुम न अन्देशा करो और न ग़म करो, और तुम जन्नत (के मिलने) पर ख़ुश रहो, जिसका तुमसे (पैग़म्बरों की मारिफ़त) वायदा किया जाया करता था। (30) और हम दुनियावी ज़िन्दगी में भी तुम्हारे साथी थे और आख़िरत में भी रहेंगे,[4] और तुम्हारे लिए इस (जन्नत) में जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहेगा मौजूद है, और तुम्हारे लिए उसमें जो माँगोगे मौजूद है।[5] (31) यह मेहमानी के तौर पर होगा माफ़ करने वाले, रहम करने वाले की तरफ़ से।[6] (32) ❖

और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो (लोगों को) ख़ुदा की तरफ़ बुलाए और (ख़ुद भी) नेक अ़मल करे, और कहे कि मैं फ़रमाँबरदारों में से हूँ।[7] (33) और नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, (बल्कि हर एक का असर अलग है), तो अब आप (मय अपने मानने वालों के) नेक बर्ताव से (बुराई को) टाल दिया कीजिए। फिर यकायक आपमें और जिस शख़्स में दुश्मनी थी वह ऐसा हो जाएगा जैसा कि कोई दिली दोस्त होता है। (34) और यह बात उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो बड़े मुस्तक़िल (मीज़ाज) हैं। और यह बात उसी को नसीब होती है जो बड़ा नसीब वाला है। (35) और अगर (ऐसे वक़्त में) आपको शैतान की तरफ़ से कुछ वस्वसा आने लगे तो (फ़ौरन) अल्लाह की पनाह माँग लिया कीजिए, बेशक वह ख़ूब सुनने वाला है, ख़ूब जानने वाला है। (36) और उसकी (क़ुदरत और तौहीद की) निशानियों में से रात और दिन है, और सूरज है और चाँद है। (पस) तुम लोग न सूरज को सज्दा करो और न चाँद को, और (सिर्फ़) उस ख़ुदा तआ़ला को सज्दा करो जिसने इन (सब) निशानियों को पैदा किया, अगर तुमको अल्लाह की इबादत करना है। (37) फिर अगर ये लोग तकब्बुर करें तो जो फ़रिश्ते आपके रब के क़रीबी हैं वे रात और दिन उसकी पाकी बयान करते हैं, और वे (उससे ज़रा) नहीं उकताते। ❑ (38) और उसकी (क़ुदरत और तौहीद की) निशानियों में से एक

1. यानी उस वक़्त उन लोगों पर गुस्सा आएगा जिन्होंने बहकाया था, और वे बहकाने वाले आदमी भी होंगे और शैतान भी। और उस दरख़्वास्त का मन्ज़ूर होना ज़रूरी नहीं, और यूँ तो गुमराह करने वाले भी जहन्नम में होंगे मगर शायद दरख़्वास्त के वक़्त नज़र न आएँ।
2. मतलब यह कि शिर्क छोड़कर तौहीद इख़्तियार कर ली।
3. यानी उसको छोड़ा नहीं।
4. चुनाँचे दुनिया में नेकियों का दिल में डालना, हादसों में सब्र और सुकून फ़रिश्तों ही का फ़ैज़ है।
5. यानी तलब इख़्तियारी हो या बेइख़्तियारी दोनों बराबर पूरी होंगी।
6. यानी ये नेमतें इज़्ज़त के साथ मिलेंगी जिस तरह मेहमान को मिलती हैं।
7. यानी बन्दगी को फ़ख़्र समझे। घमण्डी लोगों की तरह शर्म न करे।

यह है कि (ऐ मुख़ातब!) तू ज़मीन को देखता है कि दबी-दबाई पड़ी है, फिर जब हम उसपर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती है[1] और फूलती है। (इससे साबित हुआ कि) जिसने इस ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया वही मुर्दों को ज़िन्दा कर देगा, बेशक वह हर चीज़ पर क़ादिर है। **(39)** बेशक जो लोग हमारी आयतों में ग़लत रास्ता इख़्तियार करते हैं, वे लोग हमपर छुपे नहीं हैं।[2] सो भला जो शख़्स दोज़ख़ में डाला जाए वह अच्छा है या वह शख़्स जो क़ियामत के दिन अमन व अमान के साथ (जन्नत में) आए? जो जी चाहे कर लो वह तुम्हारा सब किया हुआ देख रहा है। **(40)** जो लोग इस क़ुरआन का इनकार करते हैं, जबकि वह उनके पास पहुँचता है, (उनमें खुद सोचने-समझने की कमी है) और यह (क़ुरआन मजीद) बड़ी वक़्अ़त वाली किताब है **(41)** जिसमें ख़िलाफ़े हक़ीक़त बात न उसके आगे की तरफ़ से आ सकती है और न उसके पीछे की तरफ़ से,[3] यह हिक्मत वाले और तारीफ़ वाले ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल किया गया है। **(42)** आपको वही बातें (झुठलाने और तकलीफ़ देने की) कही जाती हैं जो आपसे पहले रसूलों को कही गई हैं, आपका रब बड़ी मग़्फ़िरत वाला और दर्दनाक सज़ा देने वाला है। **(43)** और अगर हम इसको अ़जमी "यानी अ़रबी ज़बान के अ़लावा किसी और" (ज़बान का) क़ुरआन बनाते तो यूँ कहते कि इसकी आयतें साफ़-साफ़ क्यों नहीं बयान की गईं? यह क्या बात कि अ़जमी किताब और अ़रबी रसूल?[4] आप कह दीजिए कि यह क़ुरआन ईमान वालों के लिए रास्ता दिखाने वाला और शिफ़ा है। और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में डाट है। और वह क़ुरआन उनके हक़ में अंधापन है, ये लोग (फ़ायदा न उठाने की वजह से ऐसे हैं कि गोया) किसी बड़ी दूर जगह से पुकारे जा रहे हैं (कि आवाज़ सुनते हों मगर समझते न हों)। **(44)** ◆

और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को भी किताब दी थी, सो उसमें भी इख़्तिलाफ़ हुआ।[5] और अगर एक बात न होती जो आपके रब की तरफ़ से पहले ठहर चुकी है (कि पूरा अ़ज़ाब आख़िरत में मिलेगा) तो उनका फ़ैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता, और ये लोग उसकी तरफ़ से ऐसे शक में हैं जिसने उनको तरद्दुद "यानी असमंजस" में डाल रखा है। **(45)** जो शख़्स नेक अ़मल करता है वह अपने नफ़े के लिए, और जो शख़्स बुरा अ़मल करता है उसका वबाल उसी पर पड़ेगा, और आपका परवर्दिगार बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं।[6] **(46)**

---

1. इससे तौहीद पर दलालत होने के अ़लावा मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने के मुम्किन होने पर भी दलील हासिल हुई।

2. हमको उनका सब हाल मालूम है और उनको हम जहन्नम की सज़ा देंगे।

3. यानी इसमें किसी पहलू और किसी सम्त से इसका एहतिमाल नहीं कि यह क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से उतरा हुआ न हो, और फिर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ इसको अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल-शुदा (उतरा हुआ) कह दिया जाए।

4. खुलासा यह कि अब जो क़ुरआन अ़रबी है तो कहते हैं कि अ़जमी (अ़रबी के अ़लावा किसी और ज़बान में) क्यों नहीं? अगर अ़जमी होता तो कहते कि अ़रबी क्यों नहीं? किसी हाल पर उनको क़रार नहीं। फिर अ़जमी (ग़ैर-अ़रबी) होने से क्या फ़ायदा होता?

5. यानी किसी ने माना किसी ने न माना, यह आपके लिए कोई नई बात नहीं हुई। पस आप ग़मगीन न हों।

6. यानी ऐसा नहीं कि कोई नेकी जो उसकी पूरी शर्तों के साथ अ़मल में लाई गई हो, उसको शुमार न करे। या किसी बुराई को ज़्यादा शुमार कर ले।

पच्चीसवाँ पारः इलैहि युरद्दु

सूरः हा-मीम् अस्-सज्दः (आयत 47 से 54)

क़ियामत के इल्म का हवाला ख़ुदा ही की तरफ़ दिया जा सकता है।[1] और कोई फल अपने ख़ोल में से नहीं निकलता और न किसी औरत को हमल "यानी गर्भ" रहता है, और न वह बच्चे को जन्म देती है, मगर यह सब उसकी इत्तिला से होता है। और जिस दिन अल्लाह तआला उन (मुश्रिकों) को पुकारेगा (और कहेगा) कि मेरे शरीक (अब) कहाँ हैं, वे कहेंगे कि (अब तो) हम आपसे यही अ़र्ज़ करते हैं कि हममें (इस अ़क़ीदे का) कोई दावेदार नहीं। **(47)** और जिन-जिनको ये लोग पहले से (यानी दुनिया में) पूजा करते थे, वे सब ग़ायब हो जाएँगे।[2] और ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिए कहीं बचाव की सूरत नहीं। **(48)** आदमी, तरक़्क़ी की ख़्वाहिश से उसका जी नहीं भरता, और अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो नाउम्मीद परेशान हो जाता है।[3] **(49)** और अगर हम उसको किसी तकलीफ़ के बाद जो कि उसपर आ पड़ी थी, अपनी मेहरबानी का मज़ा चखा देते हैं तो कहता है कि यह तो मेरे लिए होना ही चाहिए था,[4] और मैं क़ियामत को आने वाला नहीं ख़्याल करता, और अगर मैं अपने रब के पास पहुँचाया भी गया तो मेरे लिए उसके पास भी बेहतरी ही है। सो हम उन इनकार करने वालों को उनके (यह) सब किरदार ज़रूर बतला देंगे, और उनको सख़्त अ़ज़ाब का मज़ा चखा देंगे। **(50)** और जब हम आदमी को नेमत अ़ता करते हैं तो (हमसे और हमारे अहकाम से) मुँह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है,[5] और जब उसको तकलीफ़ पहुँचती है तो ख़ूब लम्बी-चौड़ी दुआएँ करता है।[6] **(51)** आप कहिए कि भला यह तो बतलाओ कि अगर यह क़ुरआन ख़ुदा तआला के यहाँ से आया हो (और) फिर तुम इसका इनकार करो तो ऐसे शख़्स से ज़्यादा कौन ग़लती में होगा जो (हक़ से) ऐसी दूर-दराज़ मुख़ालफ़त में पड़ा हो? **(52)** हम जल्द ही उनको अपनी (क़ुदरत की) निशानियाँ उनके इर्द-गिर्द में भी दिखा देंगे[7] और ख़ुद उनकी ज़ात में भी,[8] यहाँ तक कि उनपर ज़ाहिर हो जाएगा कि वह क़ुरआन हक़ है। (तो) क्या आपके रब की यह बात (आपके हक़ पर होने की शहादत के लिए) काफ़ी नहीं कि वह हर चीज़ का शाहिद है।[9] **(53)** याद रखो कि वे लोग अपने रब के सामने जाने की तरफ़ से शक में पड़े हैं। याद रखो कि वह हर चीज़ को (अपने इल्म के) घेरे में लिए हुए है।[10] **(54)** ❖

---

1. यानी इस सवाल के ज़वाब में कि क़ियामत कब आएगी? यही कहा जाएगा कि उसका इल्म ख़ुदा ही को है, मख़्लूक़ को उसका इल्म न होने से उसका न आना लाज़िम नहीं आता।
2. या तो यह मुराद है कि उनकी शिर्कत का एतिक़ाद हक़ के वाज़ेह होने के सबब ज़ेहन से सब ख़त्म हो जाएगा, या यह कि वे मदद न कर सकेंगे।
3. और यह हद दर्जे की नाशुक्री, अल्लाह के साथ बदगुमानी और उसके हुक्म से नागवारी है।
4. क्योंकि मेरी तदबीर व क़ाबलियत और फ़ज़ीलत इसी को चाहती थी और यह भी हद दर्जे की नाशुक्री और तकब्बुर है।
5. और यह हद दर्जे की बुराई और सरकशी है।
6. और यह हद दर्जे की बेसब्री और दुनिया की मुहब्बत में मश्ग़ूलियत है।
7. कि अ़रब के इलाक़े पेशीनगोई के मुताबिक़ फ़त्ह हो जाएँगे।
8. यानी ये 'बद्र' में मारे जाएँगे और उनका मस्कन (यानी ठिकाना और रहने की जगह) मक्का भी फ़त्ह हो जाएगा।
9. और उसने जगह-जगह आपकी रिसालत की गवाही दी, मोजिज़ों के इज़हार से ज़बान से भी और अ़मल से भी। पस वह गवाही काफ़ी है।
10. पस उनके शक व इनकार को भी जानता है और उसपर सज़ा देगा।

42 सूरः शूरा 62

सूरः शूरा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 53 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम् (1) अ़ैन-सीन-क़ाफ़ (2) इसी तरह आप पर और जो (पैग़म्बर) आपसे पहले हो चुके हैं उनपर अल्लाह जो ज़बरदस्त हिक्मत वाला है (दूसरी सूरतों और किताबों की) वह्य भेजता रहा है। (3) उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वही सबसे बरतर और बड़ी शान वाला है। (4) कुछ बईद नहीं कि आसमान अपने ऊपर से (कि उधर ही से बोझ पड़ता है) फट पड़ें, और (वे) फ़रिश्ते अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते हैं और ज़मीन वालों के लिए माफ़ी माँगते हैं, ख़ूब समझ लो कि अल्लाह ही माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। (5) और जिन लोगों ने अल्लाह के अ़लावा दूसरे कारसाज़ "यानी काम बनाने वाले" क़रार दे रखे हैं अल्लाह तआ़ला उनको भी देख-भाल रहा है। और आपको उनपर कोई इख़्तियार नहीं दिया गया। (6) और हमने इसी तरह आप पर (यह) क़ुरआन अ़रबी वह्य के ज़रिए से नाज़िल किया है, ताकि आप (सबसे पहले) मक्का में रहने वालों को और जो लोग उसके आस-पास हैं उनको डराएँ और जमा होने के दिन से डराएँ,[1] जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं। एक गिरोह जन्नत में (दाख़िल) होगा और एक दोज़ख़ में होगा। (7)[2] और अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो उन सबको एक ही तरीक़े का बना देता,[3] लेकिन वह जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाख़िल कर लेता है, और (उन) ज़ालिमों का (क़ियामत के दिन) कोई हिमायती और मददगार नहीं। (8) क्या उन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरे कारसाज़ "काम बनाने वाले" क़रार दे रखें हैं? सो अल्लाह ही कारसाज़ है और वही मुर्दों को ज़िन्दा करेगा, और वही हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है।[4] (9) ❖

और जिस-जिस बात में तुम (हक़ वालों के साथ) इख़्तिलाफ़ करते हो उसका फ़ैसला अल्लाह तआ़ला ही के सुपुर्द है। यह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ़ रुजू करता हूँ।[5] (10) वह आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है,[6] उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बनाए और (इसी तरह) मवेशियों के जोड़े बनाए। (और) इस (जोड़े मिलाने) के ज़रिए से तुम्हारी नस्ल चलाता रहता है। कोई चीज़ उसके जैसी नहीं और वही हर बात का सुनने वाला (और) देखने वाला है। (11) उसी के इख़्तियार में हैं आसमानों की और ज़मीन की कुन्जियाँ,[7] जिसको चाहता है ज्यादा रोज़ी देता है और (जिसको चाहे) कम देता है, बेशक वह हर चीज़ का पूरा जानने वाला है।[8] (12) अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों के वास्ते वही दीन

---

1. इससे क़ियामत का दिन मुराद है, कि उसमें पहले वाले और आख़िर वाले सब जमा हो जाएँगे।
2. पस आपका काम सिर्फ़ ऐसे दिन से डरा देना है। और बाक़ी उनके ईमान लाने और ईमान न लाने से आपको क्या बहस, वह अल्लाह तआ़ला की चाहत और मरज़ी पर है।
3. यानी सबको ईमान नसीब कर देता।
4. तो कारसाज़ बनाने के लायक़ वही हुआ जिसकी क़ुदरत हर चीज़ पर आ़म तौर पर और मुर्दों को ज़िन्दा करने पर ख़ास तौर पर साबित है। इस ख़ास क़ुदरत का इसलिए बयान किया कि इस वक़्त औरों की क़ुदरत जो अब नाम के लिए है वह भी बेनाम व निशान हो जाएगी, तो क़ुदरत का ज़ुहूर पूरी तरह होगा।
5. पस न उन नुक़सान और तकलीफ़ों से डरता हूँ, और न तौहीद में कोई शुब्हा करता हूँ जिसको उसने हक़ कह दिया है।
6. और वह तुम्हारा भी पैदा करने वाला है। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 874 पर)

मुक़र्रर किया जिसका उसने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को हुक्म दिया था, और जिसको हमने आपके पास वह्य के ज़रिए से भेजा है, और जिसका हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (अ़लैहिमुस्सलाम) को (मय उनके सब पैरोकारों के) हुक्म दिया था, (और उनकी उम्मतों को यह कहा था) कि इसी दीन को क़ायम रखना और इसमें फूट न डालना।[1] मुश्रिकीन को वह बात बड़ी नागवार गुज़रती है जिसकी तरफ़ आप उनको बुला रहे हैं। अल्लाह अपनी तरफ़ जिसको चाहता है खींच लेता है,[2] और जो शख़्स (ख़ुदा की तरफ़) रुजू करे उसको अपने तक पहुँचना नसीब फ़रमाता है।[3] **(13)** और वे लोग इसके बाद कि उनके पास इल्म पहुँच चुका था, आपस की ज़िद्दा-ज़िद्दी से आपस में अलग-अलग हो गए। और अगर आपके परवर्दिगार की तरफ़ से एक मुक़र्ररा वक़्त तक (के लिए मोहलत देने की) एक बात पहले क़रार न पा चुकती तो (दुनिया ही में) उनका फ़ैसला हो चुका होता। और जिन लोगों को उनके बाद किताब दी गई है (मुराद इससे हुज़ूरे पाक के ज़माने के मुश्रिक हैं) वे उसकी तरफ़ से ऐसे (मज़बूत) शक में पड़े हैं जिसने (उनको) दुविधा और शक में डाल रखा है। **(14)** सो आप उसी तरफ़ (उनको बराबर) बुलाते रहिए, और जिस तरह आपको हुक्म हुआ है (उसपर) अटल और क़ायम रहिए, और उनकी (बुरी) ख़्वाहिशों पर न चलिए। और आप कह दीजिए कि अल्लाह ने जितनी किताबें नाज़िल फ़रमाई हैं मैं सबपर ईमान लाता हूँ। और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि (अपने और) तुम्हारे दरमियान में इन्साफ़ रखूँ। अल्लाह हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है। हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हमारी-तुम्हारी कुछ बहस नहीं। अल्लाह हम सबको जमा करेगा और (इसमें शक ही नहीं कि) उसी के पास जाना है। **(15)** और जो लोग अल्लाह तआ़ला (के दीन) के बारे में (मुसलमानों से) झगड़े निकालते हैं, इसके बाद कि वह मान लिया गया,[4] उन लोगों की हुज्जत उनके रब के नज़दीक बातिल है, और उनपर ग़ज़ब (पड़ने वाला) है, और उनके लिए (क़ियामत में) सख़्त अ़ज़ाब (होने वाला) है।[5] **(16)** अल्लाह ही है जिसने (इस) किताब (यानी क़ुरआन) को और इन्साफ़ को नाज़िल फ़रमाया। और आपको (इसकी) क्या ख़बर, अ़जब नहीं कि क़ियामत क़रीब हो। **(17)** (मगर) जो लोग उसका यक़ीन नहीं रखते उसका तक़ाज़ा करते हैं, और जो लोग यक़ीन रखने वाले हैं वे उससे डरते हैं और एतिक़ाद रखते हैं कि वह बरहक़ है। याद रखो कि जो लोग क़ियामत के बारे में झगड़ते हैं, बड़ी दूर की गुमराही में (मुब्तला)

(पृष्ठ 872 का शेष) **7.** यानी तसर्रुफ़ करने वाला वही है।

8. यानी वह जानने वाला है कि किसके लिए क्या मस्लहत है।

1. मुराद इस दीन से दीन की उसूली चीज़ें हैं, जो तमाम शरीअ़तों में मुश्तरक हैं। जैसे अल्लाह को एक मानना और रसूलों पर ईमान लाना और मरने के बाद ज़िन्दा होने पर यक़ीन लाना वग़ैरह।

फ़ायदाः क़ायम रखना यह कि उसको तब्दील मत करना, उसको छोड़ना मत। और फूट यह कि किसी बात पर ईमान लाएँ और किसी पर ईमान न लाएँ, या कोई ईमान लाए कोई न लाए। हासिल यह कि तौहीद वग़ैरह दीने क़दीम है कि शुरू से इस वक़्त तक तमाम शरीअ़तें इसमें मुत्तफ़िक़ रही हैं, और इसके ज़िम्न में नुबुव्वत की भी ताईद हो गई। पस चाहिए था कि उसके क़बूल करने में लोगों को ज़रा भी बहाने बनाना और टाल-मटोल न होता।

2. यानी हक़ दीन को क़बूल करने की तौफ़ीक़ दे देता है।

3. चाहत के बाद इज्तिबा यानी ईमान की तौफ़ीक़ देना होता है, और इज्तिबा यानी ईमान की तौफ़ीक़ के बाद अगर अल्लाह की तरफ़ रुजू और इताअ़त हो तो उसपर अल्लाह की नज़दीकी और बेइन्तिहा सवाब मुरत्तब होता है। ख़ुलासा यह कि मुश्रिकीन इनकार की सिफ़त के साथ मुत्तसिफ़ हैं और मोमिनीन अल्लाह की तौफ़ीक़ व हिदायत के साथ मुत्तसिफ़ हैं।

4. यानी इसके बाद कि बहुत-से आदमी अ़क़्लमन्द और समझदार होकर उसको मान चुके, जिससे हुज्जत और ज़्यादा ज़ाहिर हो गई।

5. और उससे बचने का तरीक़ा यही है कि अल्लाह को और उसके दीन को मानो, और उसका मानना यह है कि अल्लाह की किताब को जो कि अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ और सच और जिन चीज़ों पर अ़मल करना वाजिब है, उनको जामे और मुश्तमिल है।

हैं। (18) अल्लाह तआला (दुनिया में) अपने बन्दों पर मेहरबान है, जिसको (जिस क़द्र) चाहता है रोज़ी देता है।[1] और वह कुव्वत वाला (और) ज़बरदस्त है। (19) ❖

जो शख़्स आख़िरत की खेती का तालिब हो,[2] हम उसको उसकी खेती में तरक़्क़ी देंगे,[3] और जो दुनिया की खेती का तालिब हो[4] तो हम उसको कुछ दुनिया (अगर चाहें) दे देंगे और आख़िरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। (20) क्या (ख़ुदाई में) उनके कुछ शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुक़र्रर कर दिया है जिसकी ख़ुदा ने इजाज़त नहीं दी,[5] और अगर (ख़ुदा की तरफ़ से) एक फ़ैसले वाली बात (ठहरी हुई) न होती तो (दुनिया ही में) उनका फ़ैसला हो चुका होता, और (आख़िरत में) उन ज़ालिमों को ज़रूर दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। (21) (उस दिन) आप उन ज़ालिमों को देखेंगे कि अपने आमाल (के वबाल) से डर रहे होंगे, और वह (वबाल) उनपर (ज़रूर) पड़कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए वे जन्नतों के बाग़ों में (दाख़िल) होंगे। वे जिस चीज़ को चाहेंगे उनके रब के पास उनको मिलेगी, यही बड़ा इनाम है।[6] (22) यही है जिसकी ख़ुशख़बरी अल्लाह तआला अपने उन बन्दों को दे रहा है जो ईमान लाए और अच्छे अ़मल किए, आप (उनसे) यूँ कहिए कि मैं तुमसे कुछ मतलब नहीं चाहता सिवाय रिश्तेदारी की मुहब्बत के।[7] और जो शख़्स कोई नेकी करेगा हम उसमें और ज़्यादा ख़ूबी कर देंगे। बेशक अल्लाह तआला बड़ा बख़्शने वाला, बड़ क़द्रदान है। (23) क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि उन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोहतान बाँध रखा है? सो ख़ुदा अगर चाहे तो आपके दिल पर बन्द लगा दे, और अल्लाह तआला बातिल को मिटाया करता है और हक़ को अपने अहकाम से साबित किया करता है। वह दिलों की बातें जानता है। (24) और वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने बन्दों की तौबा क़बूल करता है,[8] और वह तमाम (गुज़रे हुए) गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। और जो कुछ तुम करते हो वह उस (सब) को जानता है।[9] (25) और उन लोगों की इबादत क़बूल करता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अ़मल किए, और उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा (सवाब) देता है। और जो लोग क़ुफ़्र कर रहे हैं उनके लिए सख़्त अ़ज़ाब है। (26) और अगर अल्लाह तआला अपने सब बन्दों के लिए रोज़ी

---

1. इस दुनिया में लुत्फ़ व मेहरबानी से यह लाज़िम नहीं आता कि उनका मस्लक (यानी मज़हब और तरीक़ा) हक़ हो, और आख़िरत में भी उनपर लुत्फ़ हो और अ़ज़ाब न हो, बल्कि बातिल पर जमे रहने की वजह से वहाँ अ़ज़ाब दिए जाएँगे।
2. यानी आख़िरत के सवाब का तालिब हो।
3. यानी आमाल पर उसको सवाब देंगे और उस सवाब को दोगुना करेंगे।
4. यानी तदबीर और कोशिश से उसकी ग़रज़ दुनिया का नफ़ा हो और आख़िरत के लिए कुछ कोशिश न करे, यहाँ तक कि ईमान भी न लाए।
5. इस इनकार के अन्दाज़ में सवाल करने से मक़सूद यह है कि कोई इस क़ाबिल नहीं कि ख़ुदा के ख़िलाफ़ उसका मुक़र्रर किया हुआ दीन मोतबर हो सके।
6. न वह जो दुनिया में ऐश और आराम मौजूद है।
7. यानी इतना चाहता हूँ कि मेरे-तुम्हारे जो रिश्तेदारी के ताल्लुक़ात हैं जो कि तमाम क़ुरैश में बल्कि तमाम अ़रब में फैले हुए थे, उनके हुक़ूक़ का तो ख़्याल रखो।
8. पस अगर कोई काफ़िर कुफ़्र से तौबा कर ले और इस्लाम ले आए तो हम उसका ईमान क़बूल कर लेंगे।
9. पस उसको यह भी ख़बर है कि तौबा ख़ालिस की है या ग़ैर-ख़ासिल की है। तो तुमको ख़ालिस तौबा करनी चाहिए।

कुशादा कर देता तो वे दुनिया में शरारत करने लगते,[1] लेकिन जितना रिज़्क़ चाहता है (मुनासिब) अन्दाज़ से (हर एक के लिए) उतारता है, वह अपने बन्दों (की मस्लहतों) को जानने वाला (और उनका हाल) देखने वाला है।[2] **(27)** और वह ऐसा है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैलाता है,[3] और वह (सबका) काम बनाने वाला, तारीफ़ के क़ाबिल है।[4] **(28)** और उस (की कुदरत) की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन का पैदा करना है, और उन जानदारों का जो उसने आसमान और ज़मीन में फैला रखे हैं,[5] और वह उन (मख़्लूक़ात) के जमा कर लेने पर भी जब वह (जमा करना) चाहे क़ादिर है। ◆ **(29)** ❖

और तुमको (ऐ गुनाहगारो!) जो कुछ मुसीबत पहुँचती है तो वह तुम्हारे ही हाथों के किए हुए कामों से (पहुँचती है) और बहुत-से तो दरगुज़र ही कर देता है।[6] **(30)** और तुम ज़मीन में (पनाह लेकर उसको) हरा नहीं सकते, और ख़ुदा तआ़ला के सिवा तुम्हारा कोई भी हामी और मददगार नहीं। **(31)** और उसकी निशानियों में से जहाज़ हैं समुद्र में (ऐसे ऊँचे) जैसे पहाड़। **(32)** अगर वह चाहे हवा को ठहरा दे, तो वह (समुद्री जहाज़) समुद्र की सतह पर खड़े-के-खड़े रह जाएँ। बेशक इसमें निशानियाँ हैं हर साबिर-शाकिर (यानी मोमिन) के लिए। **(33)** या उन जहाज़ों को उनके (बुरे) आमाल (कुफ़्र वग़ैरह) के सबब तबाह कर दे, और (उनमें) बहुत-से आदमियों से दरगुज़र कर जाए। **(34)** और (उस तबाही के वक़्त) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों में झगड़े निकालते हैं मालूम हो जाए कि (अब) उनके लिए कहीं बचाव नहीं। **(35)** सो जो कुछ तुमको दिया-दिलाया गया है वह सिर्फ़ (चन्द दिन की) दुनियावी ज़िन्दगी के बरतने के लिए है,[7] और जो (अज्र और सवाब आख़िरत में) अल्लाह तआ़ला के यहाँ है वह इससे कहीं बढ़ा हुआ और बेहतर है, और ज़्यादा पायदार।[8] वह उन लोगों के लिए है जो ईमान ले आए और अपने परवर्दिगार पर भरोसा करते हैं। **(36)** और जो कि बड़े गुनाहों से और (उनमें) बेहयाई की बातों से बचते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। **(37)** और जिन लोगों ने कि अपने रब का हुक्म माना और वे नमाज़ के पाबन्द हैं। और उनका हर काम (जिसमें शरीअ़त का कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद न हो) आपस के मश्विरे से होता है,[9] और हमने जो

---

1. यानी अल्लाह तआ़ला की सिफ़ते हिक्मत की निशानियों में से यह है कि उसने सब आदमियों को ज़्यादा माल नहीं दिया, और ज़ाहिर है कि अगर मालदारी आ़म हो जाए तो माल की ज़रूरत तो किसी को किसी से बाक़ी न रहे और काम किसी का कोई करे नहीं, तो दोनों तरफ़ से ज़रूरत जाती रहे, फिर कौन किससे दबे?

2. इससे हिक्मत वाला होने के अ़लावा ख़बर रखने वाला और दूर अन्देश होना दो सिफ़तें और साबित हुईं।

3. निशानियों से उगने वाले चीज़ें और फल मुराद हैं।

4. पस ऊपर की तीन सिफ़तों के साथ तीन सिफ़तें और साबित हुईं- 'रहम करने वाला, कारसाज़ और तारीफ़ के क़ाबिल होना'।

5. इससे ऊपर की छह सिफ़तों के साथ 'ख़ालिक़' होना भी साबित हुआ।

6. चाहे दोनों जहान में या सिर्फ़ दुनिया में।

7. और उम्र के ख़त्म होने के साथ उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा।

8. पस दुनिया की तलब छोड़कर आख़िरत की तलब करो।

9. हर काम से मुराद हर अहम और बड़ा काम है, इसलिए कि मामूली कामों में मश्विरा मन्क़ूल नहीं, जैसे दो वक़्त का खाना खाना वग़ैरह। और शरीअ़त का हुक्म न होने की क़ैद इसलिए कि शरीअ़त की तरफ़ से मुक़र्ररा अहकाम में भी मश्विरा नहीं, जैसे यह मश्विरा कि पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ा करूँ या न पढ़ा करूँ।

कुछ उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। **(38)** और जो ऐसे हैं कि जब उनपर ज़ुल्म वाक़े होता है तो वे बराबर का बदला लेते हैं।[1] **(39)** और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है,[2] फिर (बदला लेने की इजाज़त के बाद) जो शख़्स माफ़ करे और इस्लाह करे तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, वाक़ई अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता। **(40)** और जो अपने ऊपर ज़ुल्म हो चुकने के बाद बराबर का बदला ले ले, सो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। **(41)** इल्ज़ाम सिर्फ़ उन लोगों पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं[3] और नाहक़ दुनिया में सरकशी (और तकब्बुर) करते हैं, ऐसों के लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (मुक़र्रर) है। **(42)** और जो शख़्स सब्र करे और माफ़ कर दे, यह ज़रूर बड़े हिम्मत के कामों में से है।[4] **(43)** ❖

और जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराह कर दे तो उसके बाद उस शख़्स का (दुनिया में भी) कोई मददगार नहीं, और आप (उन) ज़ालिमों को देखेंगे जिस वक़्त कि उनको अ़ज़ाब का मुआ़यना होगा, कहते होंगे कि क्या (दुनिया में) वापस जाने की कोई सूरत है? **(44)** और (साथ ही) आप उनको इस हालत में देखेंगे कि वे दोज़ख़ के सामने लाए जाएँगे ज़िल्लत के मारे झुके हुए होंगे, सुस्त निगाह से देखते होंगे और (उस वक़्त) ईमान वाले कहेंगे कि पूरे घाटे वाले वे लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने मुताल्लिक़ीन से (आज) क़ियामत के दिन घाटे में पड़े। याद रखो कि ज़ालिम (यानी मुश्रिक और काफ़िर) लोग हमेशा के अ़ज़ाब में रहेंगे। **(45)** और (वहाँ) उनके कोई मददगार न होंगे जो ख़ुदा से अलग (होकर) उनकी मदद करें। और जिसको ख़ुदा गुमराह कर दे उस (की नजात) के लिए कोई रास्ता ही नहीं। **(46)** तुम अपने रब का हुक्म मान लो, इससे पहले कि ऐसा दिन आ पहुँचे जिसके लिए ख़ुदा की तरफ़ से हटना न होगा।[5] न तुमको उस दिन कोई पनाह मिलेगी और न तुम्हारे बारे में कोई (ख़ुदा से) रोक-टोक करने वाला है। **(47)** फिर अगर ये लोग (यह सुनकर भी) मुँह मोड़ें तो हमने आपको उनपर निगराँ करके नहीं भेजा, (जिससे कि आपको अपने से पूछताछ का अन्देशा हो), आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ (हुक्म का) पहुँचा देना है। और हम जब (इस क़िस्म के) आदमी को अपनी इनायत का मज़ा चखा देते हैं तो वह उसपर ख़ुश हो जाता है, और अगर (ऐसे) लोगों पर उनके आमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं, कोई मुसीबत आ पड़ती है तो आदमी नाशुक्री करने

1. यानी ज़्यादती नहीं करते, और यह मतलब नहीं कि माफ़ नहीं करते।
2. बशर्ते कि वह फ़ेल (काम) अपनी ज़ात के एतिबार से नाफ़रमानी न हो।
3. चाहे शुरू में या बदला लेने के वक़्त।
4. यानी ऐसा करना बेहतर है और यह बहादुरी है।
5. यानी दुनिया में जिस तरह अ़ज़ाब हटता जाता है वहाँ इसका हटाना और ढील देना न होगा।

लगता है।[1] **(48)** अल्लाह तआ़ला ही की बादशाहत है आसमानों की और ज़मीन की,[2] वह जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियाँ अ़ता फ़रमाता है और जिसको चाहता है बेटे अ़ता फ़रमाता है। **(49)** या उनको जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियाँ भी, और जिसको चाहता है बेऔलाद रखता है। बेशक वह बड़ा जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। **(50)** और किसी बशर "यानी आदमी और इनसान" की (मौजूदा हालत में) यह शान नहीं कि अल्लाह उससे कलाम फ़रमाए मगर (तीन तरह से), या तो इल्हाम से,[3] या आड़ और पर्दे के बाहर से,[4] या किसी फ़रिश्ते को भेज दे कि वह ख़ुदा के हुक्म से जो ख़ुदा को मन्ज़ूर होता है, पैग़ाम पहुँचा देता है, वह बड़ी बुलन्द शान वाला है और बड़ी हिक्मत वाला (भी) है। **(51)** और इसी तरह हमने आपके पास भी वह्य यानी अपना हुक्म भेजा है, आपको न यह ख़बर थी कि (अल्लाह की) किताब क्या चीज़ है, और न यह ख़बर थी कि ईमान (के कमाल की इन्तिहा) क्या है, और लेकिन हमने इस क़ुरआन को एक नूर बनाया,[5] जिसके ज़रिए हम अपने बन्दों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और इसमें कोई शुब्हा नहीं कि आप एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं। **(52)** यानी उस ख़ुदा के रास्ते की कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। याद रखो सब मामलात उसी की तरफ़ लौटेंगे। **(53)** ❖

43 सूरः ज़ुख़्रुफ़ 63

सूरः ज़ुख़्रुफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 89 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम् **(1)** क़सम है इस वाज़ेह किताब की **(2)** कि हमने इसको अ़रबी ज़बान का क़ुरआन बनाया ताकि (ऐ अ़रब वालो!) तुम (आसानी से) समझ लो। **(3)** और वह हमारे पास लौहे-महफ़ूज़ में बड़े रुतबे की और हिक्मत से भरी हुई किताब है।[6] **(4)** क्या हम तुमसे इस नसीहत (की किताब) को इस बात पर हटा लेंगे कि तुम (फ़रमाँबरदारी की) हद से गुज़रने वाले हो।[7] **(5)** और हम पहले लोगों में बहुत-से नबी भेजते रहे

1. ये दोनों हालतें नफ़्सानी लज़्ज़तों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होने और हक़ तआ़ला से बेताल्लुक़ी की दलील हैं। और यह हालत उनकी तबीयत का हिस्सा हो गई है। पस उनसे आप ईमान की उम्मीद क्यों रखें, जो ग़म का सबब हो।
2. "लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति······आख़िरत तक" तमाम इख़्तियारात को आ़म है।
3. यानी दिल में कोई अच्छी बात तबई हवास के वास्ते के बग़ैर डाल दे, चाहे वह इल्हामे क़तई हो जैसा अम्बिया का। या ग़ैर-क़तई हो जैसा ग़ैर-अम्बिया का इल्हाम।
4. यह पर्दा कोई जिस्मानी आड़ नहीं और न यह पर्दा हक़ तआ़ला की ज़ात व नूर को छुपा सकता है, बल्कि हक़ीक़त इस पर्दे की बशर के इदराक की सिफ़त का कमज़ोर होना है, और यही पर्दा था जो मूसा अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला के देखने से रुकावट बना था, और यही रुकावट जन्नत में दूर हो जाएगी, यानी दीदार की क़ुव्वत और बरदाश्त करने की हिम्मत दे दी जाएगी।
5. यानी उलूम और आमाल की तरफ़ हिदायत देने वाला बनाया।
6. पस जब यह समझने में आसान है, और ख़ास हमारी हिफ़ाज़त के तहत और अपने बेमिसाल, बड़े रुतबे वाली और हक़ होने पर दलालत करने वाली किताब, फिर फ़ायदों और मस्लहतों पर मुश्तमिल तो ऐसी किताब को ज़रूर मानना चाहिए। लेकिन अगर तुम न भी मानो तब भी हम हिक्मत के तक़ाज़े की वजह से उसका भेजना और तुमको उसका मुख़ातब बनाना न छोड़ेंगे।
7. यानी चाहे तुम मानो या न मानो, मगर नसीहत तो बराबर की जाएगी और यह फ़ैज़ कामिल होकर रहेगा।

हैं। **(6)** और उन लोगों के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने मज़ाक़ उड़ाने का काम न किया हो। **(7)** फिर हमने उन लोगों को जो कि उनसे ज़्यादा ताक़तवर थे ग़ारत कर डाला, और पहले लोगों की (हलाक व ग़ारत करने की) यह हालत हो चुकी है।[1] **(8)** और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वे ज़रूर यही कहेंगे कि उनको ज़बरदस्त, जानने वाले (ख़ुदा तआ़ला) ने पैदा किया है।[2] **(9)** जिसने तुम्हारे (आराम के) लिए ज़मीन को फ़र्श (के जैसा) बनाया (कि उसपर आराम करते रहो) और उसमें उसने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँच सको। **(10)** और जिसने आसमान से पानी एक अन्दाज़ से बरसाया, फिर हमने उससे सूखी ज़मीन को (उसके मुनासिब) ज़िन्दा किया। इसी तरह तुम (भी अपनी क़ब्रों से) निकाले जाओगे। **(11)** और जिसने तमाम क़िस्में बनाईं और तुम्हारी वे कश्तियाँ और चौपाए बनाए जिनपर तुम सवार होते हो। **(12)** ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर बैठो, फिर जब उसपर बैठ चुको तो अपने रब की नेमत को दिल से याद करो, और (ज़बान से पसन्दीदगी के इज़हार के तौर पर) यूँ कहो कि उसकी ज़ात पाक है जिसने इन चीज़ों को हमारे बस में कर दिया, और हम तो ऐसे न थे जो इनको क़ाबू में कर लेते।[3] **(13)** और हमको अपने रब की तरफ़ लौटकर जाना है। **(14)** और उन लोगों ने ख़ुदा के बन्दों में से (जो मख़्लूक़ होते हैं) ख़ुदा का हिस्सा ठहरा दिया, वाक़ई इनसान खुला नाशुक्रा है।[4] **(15)** ❖

क्या अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़्लूक़ात में से बेटियाँ पसन्द कीं और तुमको बेटों के साथ मख़्सूस किया **(16)** हालाँकि जब उनमें से किसी को उस चीज़ के होने की ख़बर दी जाती है जिसको ख़ुदा रहमान का नमूना (यानी औलाद) बना रखा है, (मुराद बेटी है) तो (इस क़द्र नाराज़ हो कि) सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक़ रहे और वह दिल ही दिल में घुटता रहे। **(17)** क्या जो कि (आ़दतन) बनाव-सिंघार में पले-बढ़े और वह बहस करने में बयान की कुव्वत (भी) न रखे।[5] **(18)** और उन्होंने फ़रिश्तों को जो कि ख़ुदा के बन्दे हैं औरत क़रार दे रखा है। क्या ये उनकी पैदाइश के वक़्त मौजूद थे? उनका यह दावा लिख लिया जाता है और (क़ियामत में) उनसे पूछताछ होगी। **(19)** और वे लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह तआ़ला चाहता तो हम

---

1. पस न आप ग़म करें कि उनका भी ऐसा ही हाल होना है, चुनाँचे बद्र वग़ैरह में हुआ। और न ये बेफ़िक्र हों कि नमूना मौजूद है।

2. और पैदा करने में तन्हा और अकेला होना इसको लाज़िम है कि माबूद और ख़ुदा भी तन्हा और अकेला हो, पस अल्लाह का एक होना उनके यह मान लेने से साबित हो गया।

3. क्योंकि जानवर से ज़्यादा ताक़त नहीं, और अल्लाह के दिल में डाले बग़ैर कश्ती चलाने की तदबीर से वाक़िफ़ नहीं। दोनों के मुताल्लिक़ हक़ तआ़ला ने तदबीर सिखा दी।

4. इसलिए कि ख़ुदा तआ़ला के साथ इतना बड़ा कुफ़्र करता है कि उसको हिस्सों वाला क़रार देता है, जिससे उसका क़दीम न होना लाज़िम आता है।

5. मक्का के मुश्रिकों की यह हालत थी कि अपने घर लड़की का पैदा होना तो बुरा समझते थे लेकिन रब्बुल आ़लमीन के लिए बेटियाँ तजवीज़ करते थे। फ़रमाया कि लड़की की ज़ात जो गहने-पाते में पले, और ज़रूरत के वक़्त जिसके मुँह से पूरी बात भी न निकल सके, उसको अल्लाह की तरफ़ मन्सूब करते हो?

उनकी इबादत न करते। उनको इसकी कुछ तहक़ीक़ नहीं, बिलकुल बेतहक़ीक़ बात कर रहे हैं।[1] (20) क्या हमने उनको इस (क़ुरआन) से पहले कोई किताब दे रखी है कि ये उससे दलील पकड़ते हैं।[2] (21) बल्कि वे कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है और हम भी उनके पीछे-पीछे रास्ता चल रहे हैं। (22) और इसी तरह हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई पैग़म्बर नहीं भेजा मगर वहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप-दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है और हम भी उन्हीं के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। (23) (इसपर) उनके पैग़म्बर ने कहा कि क्या (बाप-दादा के तरीक़े ही की पैरवी किए जाओगे) अगरचे मैं उससे अच्छा मक़सूद पर पहुँचा देने वाला तरीक़ा तुम्हारे पास लाया हूँ कि जिसपर तुमने अपने बाप-दादाओं को पाया है। वे (बैर और दुश्मनी के तौर पर) कहने लगे कि हम तो इस दीन को मानते ही नहीं जिसको देकर तुमको भेजा गया है। (24) सो हमने उनसे इन्तिक़ाम लिया, सो देखिए झुठलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ।[3] ● (25) ❖

और (वह वक़्त भी क़ाबिले ज़िक्र है) जबकि इब्राहीम ने अपने बाप से और अपनी क़ौम से फ़रमाया, मैं उन चीज़ों (की इबादत) से बेज़ार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। (26) मगर हाँ, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझको रास्ता दिखाता है।[4] (27) और वह इस (अक़ीदे) को अपनी औलाद में (भी) एक क़ायम रहने वाली बात कर गए। ताकि (हर ज़माने में मुश्रिक) लोग (शिर्क से) बाज़ आते रहें।[5] (28) बल्कि मैंने उनको और उनके बाप-दादाओं को (दुनिया का) ख़ूब सारा सामान दिया, यहाँ तक कि उनके पास सच्चा क़ुरआन और साफ़-साफ़ बतलाने वाला रसूल आया। (29) और जब उनके पास यह सच्चा क़ुरआन पहुँचा तो कहने लगे कि यह तो जादू है और हम इसको नहीं मानते। (30) और कहने लगे कि यह क़ुरआन (अगर अल्लाह का कलाम है तो) इन दोनों बस्तियों (मक्का और ताइफ़ के रहने वालों) में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया?[6] (31) क्या ये लोग आपके रब की (ख़ास) रहमत (यानी नुबुव्वत) को तक़सीम करना चाहते हैं। दुनियावी ज़िन्दगी में (तो) उनकी रोज़ी हम (ही) ने तक़सीम कर रखी है, और हमने एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है, ताकि एक-दूसरे से काम लेता रहे (और दुनिया का इन्तिज़ाम क़ायम रहे), और आपके रब की रहमत इस (दुनियावी माल व असबाब) से कहीं बेहतर है, जिसको ये लोग समेटते फिरते हैं।[7] (32)

1. क्योंकि क़ादिर कर देना रिज़ा और ख़ुशनूदी की दलील नहीं।
2. हक़ीक़त यह है कि न दलीले अ़क़्ली है न दलीले नक़्ली।
3. ऊपर तौहीद का मज़मून था। आगे उसकी ताकीद और ताईद के लिए हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से जो कि अ़रब वालों के नज़दीक माने हुए और सम्मानित थे, इसका मन्क़ूल होना और उनके बाद फिर उनकी औलाद में इसका नक़्ल होते हुए आना और अब आख़िर में सबसे आख़िरी पैग़म्बर की मारिफ़त इसको ताज़ा करना और इसके साथ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत के मुताल्लिक़ उन लोगों के एक एतिराज़ का जवाब मज़कूर है।
4. मतलब यह कि उन लोगों को हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का हाल याद करना चाहिए कि वह ख़ुद भी तौहीद (अल्लाह के एक होने) के मोतक़िद थे।
5. यानी अपनी औलाद को भी वसीयत की, जिसका कुछ-कुछ असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनाकर भेजे जाने तक रहा। यहाँ तक कि जाहिलियत के ज़माने में भी अ़रब में बाज़ लोग शिर्क से नफ़रत करते थे।
6. यानी रसूल के लिए बड़ी शान वाला होना ज़रूरी है, और पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम माल और रियासत नहीं रखते, तो यह पैग़म्बर नहीं हो सकते। मक़सद पैग़म्बरी का इनकार था।
7. पस जब दुनियावी रोज़गार तक़सीम उनकी राय पर नहीं रखी जो कि अदना दर्जे की चीज़ है तो नुबुव्वत जो ख़ुद भी आला दर्जे की चीज़ है और उसकी मस्लहतें भी बड़े दर्जे की हैं, वह क्योंकर उनकी राय पर तक़सीम की जाती।

और अगर यह बात (अपेक्षित) न होती कि तमाम आदमी एक ही तरीक़े के हो जाएँगे तो जो लोग अल्लाह तआला के साथ कुफ़्र करते हैं उनके लिए उनके घरों की छतें हम चाँदी की कर देते, और (यह भी कि) ज़ीने भी जिनपर वे चढ़ा (उतरा) करते हैं। **(33)** और उनके घरों के किवाड़ भी और तख़्त भी जिनपर तकिया लगाकर बैठते हैं। **(34)** और (यही चीज़ें) सोने की भी हैं,[1] और यह सब (साज़ व सामान) कुछ भी नहीं सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी की चन्द दिन की कामयाबी है, (फिर फ़ना आख़िर फ़ना,) और आख़िरत आपके रब के यहाँ ख़ुदा तआला से डरने वालों के लिए है।[2] **(35)** ❖

और जो शख़्स अल्लाह तआला की नसीहत (यानी क़ुरआन) से अंधा बन जाए हम उसपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, सो वह (हर वक़्त) उसके साथ रहता है। **(36)** और वे उनको (हक़) रास्ते से रोकते रहते हैं। और ये लोग ख़्याल करते हैं कि वे (सही) रास्ते पर हैं। **(37)** यहाँ तक कि जब ऐसा शख़्स हमारे पास आएगा तो (उस शैतान से) कहेगा कि काश! मेरे और तेरे दरमियान में (दुनिया में) पूरब और पश्चिम के बराबर फ़ासला होता कि (तू तो) बुरा साथी था। **(38)** और (उनसे कहा जाएगा कि) जबकि तुम (दुनिया में) कुफ़्र कर चुके थे, तो आज यह बात तुम्हारे काम न आएगी कि तुम (और शयातीन) सब अ़ज़ाब में शरीक हो। **(39)** सो क्या आप (ऐसे) बहरों को सुना सकते हैं या (ऐसे) अन्धों को और उन लोगों को जो खुली गुमराही में हैं, राह पर ला सकते हैं?[3] **(40)** पस अगर हम (दुनिया से) आपको उठा लें तो भी हम उनसे बदला लेने वाले हैं। **(41)** या अगर उनसे जो हमने अ़ज़ाब का वायदा कर रखा है वह आपको (भी) दिखला दें तब भी (कुछ बईद नहीं, क्योंकि) हमको उनपर हर तरह की क़ुदरत है।[4] **(42)** तो आप इस क़ुरआन पर क़ायम रहिए जो आप पर वह्य के ज़रिए से नाज़िल किया गया है, आप बेशक सीधे रास्ते पर हैं।[5] **(43)** और यह क़ुरआन आपके लिए और आपकी क़ौम के लिए बेशक बड़े शर्फ़ "यानी इज़्ज़त व सम्मान" की चीज़ है, और जल्दी ही तुम सब पूछे जाओगे।[6] **(44)** और आप उन सब पैग़म्बरों से जिनको हमने आपसे पहले भेजा है, पूछ लीजिए, क्या हमने ख़ुदा-ए-रहमान के सिवा दूसरे माबूद ठहरा दिए थे कि उनकी इबादत की जाए। **(45)** ❖

और हमने मूसा को अपनी दलीलें देकर फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा था, सो उन्होंने (उन लोगों के पास आकर) फ़रमाया कि मैं रब्बुल आ़लमीन की तरफ़ से (पैग़म्बर होकर आया) हूँ। **(46)** फिर जब मूसा उनके पास हमारी निशानियाँ लेकर आए तो वे यकायक उनपर हँसने लगे। **(47)** और हम उनको जो निशानी दिखलाते थे वह दूसरी निशानी से बढ़कर होती थी,[7] और हमने उन लोगों को अ़ज़ाब में पकड़ा था ताकि वे (अपने कुफ़्र से) बाज़ आ जाएँ।[8] **(48)** और उन्होंने कहा कि ऐ जादूगर! हमारे लिए अपने रब से

---

1. इससे मालूम हुआ कि दुनिया हक़ीक़त में बड़ी चीज़ नहीं हैं। पस वह नुबुव्वत के रुतबे की सलाहियत का आधार भी न होगी, बल्कि इस सलाहियत का आधार अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अ़ता की हुई आला ख़ूबियाँ और कमालात हैं जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में कमाल दर्जे के जमा हैं, पस नुबुव्वत उन्हीं के लिए मुनासिब थी, न कि मक्का और ताइफ़ के मालदारों के लिए।
2. पस जो चीज़ फ़ना हो जाने वाली हो वह न क़ाबिले क़द्र है और न इस क़ाबिल है कि उसको तलब किया जाए। हाँ, आख़िरत जो कि बाक़ी रहने वाली है, और उसके हासिल करने के ज़राए (सूत्र) जो कि आमाल और नेकियाँ हैं, वे बेशक एतिबार के क़ाबिल हैं।
3. यानी उनको हिदायत देना आपके इख़्तियार से बाहर है। आप इसके पीछे न पड़ें।
4. मतलब यह कि अ़ज़ाब ज़रूर होगा चाहे कभी हो।
5. मतलब यह कि अपना काम किए जाइए दूसरों के काम का ग़म न कीजिए।
6. पस आपसे सिर्फ़ तब्लीग़ के मुताल्लिक़ सवाल होगा, जिसको आप ख़ूब अदा कर चुके हैं। और अ़मल के मुताल्लिक़ उनसे सवाल होगा जिसमें उन्होंने कोताही की। पस जब आपसे उनके आमाल के बारे में पूछताछ न होगी **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 890 पर)**

उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे अ़हद कर रखा है, हम ज़रूर राह पर आ जाएँगे। **(49)** फिर जब हमने वह अ़ज़ाब उनसे हटा दिया तब ही उन्होंने (अपना) अ़हद तोड़ दिया। **(50)** और फ़िरऔन ने अपनी क़ौम में यह मुनादी कराई, यह बात कही कि ऐ मेरी क़ौम! क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है? और ये नहरें मेरे (महल के) नीचे बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं हो? **(51)** बल्कि मैं (ही) अफ़ज़ल हूँ उस शख़्स से[1] जो कि कम-क़द्र है,[2] और बयान की क़ुव्वत भी नहीं रखता। **(52)** तो उसके सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए,[3] या फ़रिश्ते उसके साथ में पर बाँधकर आए होते।[4] **(53)** ग़रज़ उसने (ऐसी बातें करके) अपनी क़ौम को मग़लूब कर दिया और वे उसके कहने में आ गए। वे लोग (कुछ पहले से भी) शरारत के भरे थे। **(54)** फिर जब उन लोगों ने हमको गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया और उन सबको डुबो दिया। **(55)** और हमने उनको आइन्दा आने वालों के लिए ख़ास तौर के पहले गुज़रे हुए और (इब्रत का) नमूना बना दिया।[5] **(56)** ❖

और जब ईसा इब्ने मरियम के मुताल्लिक़ एक अ़जीब मज़मून बयान किया गया तो यकायक आपकी क़ौम के लोग उससे (ख़ुशी के मारे) चिल्लाने लगे। **(57)** और (उस एतिराज़ करने वाले के साथ होकर) कहने लगे कि हमारे माबूद ज़्यादा बेहतर हैं या ईसा (अ़लैहिस्सलाम)? उन लोगों ने जो यह (अ़जीब मज़मून) आपसे बयान किया है तो सिर्फ़ झगड़ने की ग़रज़ से, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू।[6] **(58)** ईसा (अ़लैहिस्सलाम) तो सिर्फ़ एक ऐसे बन्दे हैं जिनपर हमने फ़ज़्ल किया था और उनको बनी इस्राईल के लिए हमने (अपनी क़ुदरत का) नमूना बनाया था। **(59)** और अगर हम चाहते तो हम तुमसे फ़रिश्तों को पैदा कर देते कि वे ज़मीन पर एक के बाद एक रहा करते। **(60)** और वह (यानी ईसा अ़लैहिस्सलाम) क़ियामत के यक़ीन का ज़रिया हैं, तो तुम लोग उस (के सही होने) में शक मत करो, और तुम लोग मेरी पैरवी करो, यह सीधा रास्ता है। **(61)** और तुमको शैतान (इस राह पर आने से) रोकने न पाए, वह बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। **(62)** और जब ईसा (अ़लैहिस्सलाम) मोजिज़े लेकर आए तो उन्होंने (लोगों से) कहा कि मैं तुम्हारे पास समझ की बातें लेकर आया हूँ और ताकि बाज़ बातें जिनमें तुम इख़्तिलाफ़ कर रहे हो तुमसे बयान कर दूँ, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। **(63)** बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो उसी की

(पृष्ठ 888 का शेष) तो फिर आप क्यों ग़म करते हैं।

7. मतलब यह कि सब निशानियाँ बड़ी थीं।

8. यानी वे निशानियाँ नुबुव्वत की दलीलें भी थीं, और उनके लिए सज़ाएँ भी थीं।

1. यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम से।

2. यानी माल और बड़ाई के एतिबार से।

3. मतलब यह कि अगर उस शख़्स को नुबुव्वत अ़ता होती तो ख़ुदा की तरफ़ से उसके हाथ में सोने के कंगन होते।

4. यानी ख़ास कर लेने की ये निशानियाँ ज़ाहिर होतीं, हालाँकि यह सिर्फ़ हिमाक़त है, क्योंकि नुबुव्वत जिस क़िस्म का कमाल और ख़ास करना है उसी क़िस्म की निशानियाँ और दलीलें उसके साथ मौजूद हैं।

5. मतलब यह है कि लोग उनका क़िस्सा याद करके इबरत दिलाते हैं कि देखो पहले लोगों में से ऐसे-ऐसे हुए हैं और उनका ऐसा-ऐसा हाल हुआ है।

6. क्योंकि अक्सर हक़ के मामलों में झगड़े निकालते रहते हैं।

इबादत करो, यही (अल्लाह तआला को एक मानना) सीधा रास्ता है। **(64)** सो मुख़्तलिफ़ गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में इख़्तिलाफ़ डाल लिया,[1] सो उन ज़ालिमों के लिए एक दर्दनाक अ़ज़ाब के दिन से बड़ी ख़राबी है। **(65)** ये लोग बस क़ियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं[2] कि वह उनपर अचानक आ पड़े और उनको ख़बर भी न हो। **(66)** तमाम (दुनियावी) दोस्त उस दिन एक-दूसरे के दुश्मन हो जाएँगे सिवाय ख़ुदा तआ़ला से डरने वालों के।[3] **(67)** ❖

(और मोमिनों को अल्लाह की तरफ़ से निदा होगी कि) ऐ मेरे बन्दो! तुमपर आज कोई ख़ौफ़ नहीं और न तुम ग़मगीन होगे। **(68)** (यानी वे बन्दे) जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और (हमारे) फ़रमाँबरदार थे। **(69)** तुम और तुम्हारी (ईमान वाली) बीवियाँ ख़ुशी-ख़ुशी जन्नत में दाख़िल हो जाओ। **(70)** उनके पास सोने की रकाबियाँ और गिलास लाए जाएँगे (यानी जन्नत के नौउम्र लड़के-लड़कियाँ लाएँगे) और वहाँ वे चीज़ें मिलेंगी जिनको जी चाहेगा और जिनसे आँखों को लज़्ज़त मिलेगी, और तुम यहाँ हमेशा रहोगे। **(71)** और (उनसे कहा जाएगा कि) यह वह जन्नत है जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो अपने (नेक) आमाल के बदले में। **(72)** (और) तुम्हारे लिए इसमें बहुत-से मेवे हैं जिनमें से खा रहे हो। **(73)** इसमें कोई शक नहीं कि नाफ़रमान (यानी काफ़िर) लोग दोज़ख़ के अ़ज़ाब में हमेशा रहेंगे। **(74)** वह (अ़ज़ाब) उनसे हल्का न किया जाएगा, और वे उसी में मायूस पड़े रहेंगे। **(75)** और हमने उनपर (ज़रा भी) ज़ुल्म नहीं किया, लेकिन ये ख़ुद ही ज़ालिम थे। **(76)** और पुकारेंगे कि ऐ मालिक! "यह दोज़ख़ के दारोग़ा का नाम है" तुम्हारा परवर्दिगार (हमको मौत देकर) हमारा काम ही तमाम कर दे, वह (फ़रिश्ता) जवाब देगा कि तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे। **(77)** हमने सच्चा दीन तुम्हारे पास पहुँचाया लेकिन तुममें अक्सर आदमी सच्चे दीन से नफ़रत रखते हैं। **(78)** हाँ, क्या उन्होंने कोई इन्तिज़ाम दुरुस्त किया है, सो हमने भी एक इन्तिज़ाम दुरुस्त किया है।[4] **(79)** हाँ, क्या उन लोगों का यह ख़्याल है कि हम उनकी चुपकी-चुपकी बातों को और उनके मश्विरों को नहीं सुनते,[5] हम ज़रूर सुनते हैं। और हमारे फ़रिश्ते उनके पास हैं वे भी लिखते हैं। **(80)** आप कहिए अगर ख़ुदा-ए-रहमान के औलाद हो तो सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला मैं हूँ।[6] **(81)** आसमानों और ज़मीन का मालिक जो कि अ़र्श का भी मालिक है, उन बातों से पाक है जो ये (मुश्रिक) लोग बयान कर रहे

1. यानी तौहीद के ख़िलाफ़ तरह-तरह के मज़ाहिब ईजाद कर लिए।
2. इन्तिज़ार से बावजूद इनकार के मजाज़न यह मुराद है कि उनका दलील को न मानना उस शख़्स की हालत के जैसा है जैसे कोई देखने का मुन्तज़िर हो कि उस वक़्त मानूँगा।
3. यानी ईमान वालों के।
4. ज़ाहिर है कि ख़ुदाई इन्तिज़ाम के सामने उनका इन्तिज़ाम नहीं चल सकता। चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम महफ़ूज़ रहे और वे लोग नाकाम, और आख़िरकार बद्र की लड़ाई में हलाक हुए।
5. दो में गुफ़्तगू होना "सिर्र" (यानी चुपके-चुपके बातें करना) है और दो से ज़्यादा में "नज्वा" (यानी मश्विरा करना) है।
6. मतलब यह कि मुझको तुम्हारी तरह हक़ बात के मानने से इनकार नहीं, तुम अगर साबित कर दो तो सबसे पहले उसको मैं मानूँ। मगर चूँकि यह बात बिलकुल बातिल है इसलिए मैं यह न मानूँगा और न इबादत करूँगा।

हैं। (82) तो आप उनको इसी धंधे और तफ़रीह में रहने दीजिए[1] यहाँ तक कि उनको अपने उस दिन से साबक़ा पड़े जिसका उनसे वायदा किया जाता है। (83) और वही ज़ात है जो आसमान में भी इबादत के क़ाबिल है और ज़मीन में भी क़ाबिले इबादत है। और वही बड़ी हिक्मत वाला और बड़े इल्म वाला है।[2] (84) और वह ज़ात बड़ी आलीशान है जिसके लिए आसमान और ज़मीन की और जो मख़्लूक़ उसके दरमियान में है उसकी बादशाही साबित है, और उसको क़ियामत की (भी) ख़बर है। और तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे। (85) और ख़ुदा के सिवा जिन माबूदों को ये लोग पुकारा करते हैं वे सिफ़ारिश (तक) का इख़्तियार न रखेंगे, हाँ! जिन लोगों ने हक़ बात (यानी ईमान के कलिमे) का इक़रार किया था और वे तस्दीक़ भी किया करते थे।[3] (86) और अगर आप उनसे पूछें कि उनको किसने पैदा किया है तो यही कहेंगे कि अल्लाह ने, सो ये लोग किधर उल्टे जा रहे हैं। (87) और उसको रसूल के इस कहने की भी ख़बर है कि ऐ मेरे रब! ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते। (88) तो आप उनसे बेरुख़ रहिए[4] और यूँ कह दीजिए कि तुमको सलाम करता हूँ, सो उनको अभी मालमू हो जाएगा। (89) ❖

44 सूरः दुख़ान 64

सूरः दुख़ान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 59 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम् (1) क़सम है इस वाज़ेह किताब की (2) कि हमने इसको (लौहे-महफ़ूज़ से दुनिया के आसमान पर) एक बरकत वाली रात (यानी शबे-क़द्र) में उतारा है, हम आगाह करने वाले थे।[5] (3) उस रात में हर हिक्मत वाला मामला तय किया जाता है।[6] (4) हमारी पेशी से हुक्म होकर, हम आपको पैग़म्बर बनाने वाले थे (5) रहमत की वजह से, जो आपके रब की तरफ़ से होती है। बेशक वह बड़ा सुनने वाला, बड़ा ज़ानने वाला है। (6) जो कि मालिक है आसमानों और ज़मीन का और जो (मख़्लूक़) उन दोनों के दरमियान है उसका भी। अगर तुम यक़ीन लाना चाहो। (7) उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वही जान डालता है और वही जान निकालता है, वह तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप-दादाओं का भी रब है। (8) बल्कि वे शक में हैं, खेल में लगे हुए हैं।[7] (9) सो आप (उनके लिए) उस दिन का इन्तिज़ार कीजिए कि आसमान की तरफ़ एक नज़र आने वाला धुआँ पैदा हो (10) जो उन सब लोगों पर आ़म हो "यानी फैल" जाए, यह (भी) एक दर्दनाक सज़ा है।[8] (11) ऐ हमारे रब! हमसे इस मुसीबत को दूर कर दीजिए हम ज़रूर

1. रहने देने का मतलब यह नहीं कि तब्लीग़ न कीजिए, बल्कि यह मतलब है कि उनकी मुख़ालफ़त की तरफ़ ध्यान न कीजिए और उनके ईमान न लाने से ग़मगीन न होइए।
2. और कोई इल्म व हिक्मत में उसका शरीक नहीं। पस माबूद होना भी उसी के साथ ख़ास है।
3. यानी अलबत्ता वे अल्लाह की इजाज़त से ईमान वालों की सिफ़ारिश कर सकेंगे, मगर इससे काफ़िरों को क्या फ़ायदा?
4. यानी उनके ईमान का एहतिमाम और उसकी उम्मीद न कीजिए। क्योंकि जब उनका यह अन्जाम मुक़द्दर है तो ये क्या ईमान लाएँगे।
5. यानी हमको मन्ज़ूर हुआ कि इन नुक़सानों से बचा लेने के लिए भलाई और बुराई की इत्तिला कर दें। क़ुरआन के नाज़िल करने का यह सबब हुआ।
6. यानी साल भर के मामलात में कि सब ही हिक्मत से भरे हैं, जिस तौर पर अल्लाह तआ़ला को करना मन्ज़ूर है, उस तौर को मुतैयन करके और उनकी इत्तिला कारकुन फ़रिश्तों को करके उनके सुपुर्द कर दिए जाते हैं। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 896 पर)

ईमान ले आएँगे। (12) उनको (इससे) कब नसीहत होती है, हालाँकि (इससे पहले) उनके पास ज़ाहिर शान का पैग़म्बर आया। (13) फिर भी ये लोग उससे सरकशी करते रहे और यही कहते रहे कि (किसी दूसरे बशर का) सिखाया हुआ है, दीवाना है। (14) हम किसी क़द्र अ़ज़ाब को हटा देंगे तुम फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। (15) जिस दिन हम बड़ी सख़्त पकड़ पकड़ेंगे (उस दिन) हम (पूरा) बदला ले लेंगे। (16) और हमने उनसे पहले फ़िरऔ़न की क़ौम को आज़माया था और (वह आज़माइश यह थी कि) उनके पास एक मुअ़ज़्ज़ज़ "यानी सम्मानित" पैग़म्बर आए थे।[1] (17) कि उन अल्लाह के बन्दों (यानी बनी इस्राईल) को मेरे हवाले कर दो,[2] मैं तुम्हारी तरफ़ ख़ुदा का रसूल (होकर आया) हूँ, दियानतदार हूँ। (18) और यह (भी फ़रमाया) कि तुम ख़ुदा से सरकशी मत करो, मैं तुम्हारे सामने (अपनी नुबुव्वत की) एक वाज़ेह दलील पेश करता हूँ।[3] (19) और मैं अपने परवर्दिगार और तुम्हारे रब की पनाह लेता हूँ इससे कि तुम लोग मुझको पत्थर (या पत्थर के अ़लावा किसी चीज़) से क़त्ल करो। (20) और अगर तुम मुझपर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग ही रहो। (21) तब मूसा ने अपने रब से दुआ़ की कि ये बड़े सख़्त मुजरिम लोग हैं। ▲ (22) तो अब मेरे बन्दों को तुम रात-ही-रात में लेकर चले जाओ, तुम लोगों का पीछा होगा। (23) और तुम उस दरिया को सुकून की हालत में छोड़ देना, उनका सारा लश्कर डुबो दिया जाएगा। (24) वे लोग कितने ही बाग़ और चश्मे (यानी नहरें) (25) और खेतियाँ और उम्दा मकानात (26) और आराम के सामान जिसमें वे ख़ुश रहा करते थे, छोड़ गए। (27) (यह क़िस्सा) इसी तरह हुआ और हमने एक दूसरी क़ौम को उनका मालिक बना दिया।[4] (28) सो न तो उनपर आसमान और ज़मीन को रोना आया[5] और न उनको मोहलत दी गई।[6] (29) ❖

और हमने बनी इस्राईल को सख़्त ज़िल्लत के अ़ज़ाब यानी फ़िरऔ़न (के ज़ुल्म व सितम) से नजात दी। (30) वाक़ई वह बड़ा सरकश (और बन्दगी की) हद से निकल जाने वालों में से था। (31) और (इसके अ़लावा) हमने बनी इस्राईल को अपने इल्म की रू से (बाज़ बातों में) तमाम दुनिया-जहान वालों पर बरतरी दी। (32) और हमने उनको ऐसी निशानियाँ दीं जिनमें खुला इनाम था।[7] (33) ये लोग कहते हैं कि (34) अख़ीर हालत बस यही हमारा दुनिया का मरना है, और हम दोबारा ज़िन्दा न होंगे।[8] (35) सो ऐ मुसलमानो! अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादाओं को (ज़िन्दा करके) सामने लाओ। (36) ये लोग (क़ुव्वत और शौकत में) ज़्यादा बढ़े हुए हैं या तुब्बा (यमन के बादशाह) की क़ौम? और जो क़ौमें उनसे पहले गुज़र चुकी हैं, सो हमने उनको भी हलाक कर डाला, वे नाफ़रमान थे।[9] (37) और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो

(पृष्ठ 894 का शेष) चूँकि वह रात ऐसी है और क़ुरआन सबसे ज़्यादा हिक्मत वाला मामला था, इसलिए यह भी उसी रात में उतरा।

7. आख़िरत की फ़िक्र नहीं जो हक़ को तलब करें और उसमें ग़ौर से काम लें।

8. मुराद इससे ग़ल्ले की कमी (अकाल) है जिसमें मक्का वाले मुब्तला हुए थे। जिसका असली सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बद्-दुआ़ थी। जब ये लोग दुश्मनी में हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। और यह बद्-दुआ़ एक बार मक्का में हुई थी और एक बार मदीना में।

1. यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम।

फ़ायदाः पैग़म्बर के आने से आज़माइश यह होती है कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं लाता।

2. और उनसे अलग और बेदख़ल हो जाओ कि मैं जहाँ और जिस तरह मुनासिब हो उनको आज़ाद करके रखूँ।

3. मुराद इससे 'अ़सा' (लाठी) और 'यदे बैज़ा' (सफ़ेद हाथ) है।

4. मुराद बनी इस्राईल हैं।

5. यह नापसन्दीदा और नफ़रत के क़ाबिल होने का असर है।

6. यानी अगर थोड़ा और जीते तो दोज़ख़ के अ़ज़ाब से और बचे रहते, और यह मोहलत न मिलना असर है ग़ज़ब के हक़दार होने का।

7. यानी वे उमूर दोनों सिफ़तों के जामे थे, यानी नेमत होना और क़ुदरत की दलील होना। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 898 पर)**

कुछ उनके दरमियान में है उसको इस तौर पर नहीं बनाया कि हम बेकार काम करने वाले हों। **(38)** (बल्कि) हमने उन दोनों के किसी हिक्मत ही से बनाया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। **(39)** बेशक फ़ैसले का दिन (यानी क़ियामत का दिन) उन सबका मुक़र्ररा वक़्त है **(40)** जिस दिन कोई ताल्लुक़ और रिश्ते वाला किसी ताल्लुक़ वाले के ज़रा काम न आएगा, और न उनकी कुछ हिमायत की जाएगी। **(41)** हाँ, मगर जिसपर अल्लाह तआला रहम फ़रमाए, वह (अल्लाह) ज़बरदस्त है, मेहरबान है।[1] **(42)** ❖

बेशक ज़क़्क़ूम का पेड़ **(43)** बड़े मुजरिम (यानी काफ़िर) का खाना होगा। **(44)** जो (बुरी सूरत होने में) तेल की तलछट जैसा होगा (और) वह पेट में ऐसा खौलेगा **(45)** जैसा तेज़ गर्म पानी खौलता है। **(46)** (और फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि) उसको पकड़ो, फिर घसीटते हुए दोज़ख़ के बीचों-बीच तक ले जाओ। **(47)** फिर उसके सर के ऊपर तकलीफ़ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो। **(48)** ले चख तू बड़ा इज़्ज़त वाला और रुतबे वाला है।[2] **(49)** यह वही चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे। **(50)** बेशक खुदा से डरने वाले अमन (चैन) की जगह में होंगे। **(51)** यानी बाग़ों में और नहरों में। **(52)** (और) वे लिबास पहनेंगे बारीक और मोटा रेशम का, आमने-सामने बैठे होंगे। **(53)** (और) यह बात इसी तरह है, और हम उनका गोरी-गोरी, बड़ी-बड़ी आँखों वालियों से निकाह करेंगे। **(54)** (और) वहाँ इत्मीनान से हर क़िस्म के मेवे मँगाते होंगे। **(55)** (और) वहाँ वे सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी और मौत का ज़ायक़ा भी न चखेंगे, (यानी मरेंगे नहीं) और अल्लाह उनको दोज़ख़ से बचा लेगा। **(56)** यह सब कुछ आपके रब के फ़ज़्ल से होगा, बड़ी कामयाबी यही है। **(57)** सो हमने इस क़ुरआन को आपकी ज़बान (अ़रबी) में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत क़बूल करें। **(58)** तो (अगर ये लोग न मानें तो) आप मुन्तज़िर "यानी इन्तिज़ार करने वाले" रहिए ये लोग भी मुन्तज़िर हैं।[3] **(59)** ❖

45 सूरः जासियः 65

सूरः जासियः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 37 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम्[4] **(1)** यह नाज़िल की हुई किताब है अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाले की तरफ़ से। **(2)** आसमानों

(पृष्ठ 896 का शेष) फिर बाज़ उनमें महसूस की जाने वाली नेमतें थीं और बाज़ उनमें मअ़नवी (यानी अन्दुरूनी और बातिनी) नेमतें थीं।

8. मतलब यह कि आख़िरी हालत वह आख़िरत की ज़िन्दगी नहीं, बल्कि यह दुनिया की मौत ही आख़िरी हालत है।

9. मतलब यह कि वे लोग उनसे ज़्यादा सख़्त और ताक़तवर थे मगर हमने उनको भी हलाक कर डाला। सो ये लोग अगर बाज़ न आएँगे तो ये क्योंकर अपने को बचा लेंगे।

1. वह काफ़िरों से इन्तिक़ाम लेगा और मुसलमानों पर रहमत फ़रमाएगा।

2. यानी हँसी उड़ाने के तौर पर कहा जाएगा कि यह तेरा सम्मान हो रहा है जैसा कि दुनिया में तू अपने को बड़ा इज़्ज़तदार और सम्मान वाला समझकर हमारे अहकाम से शर्म किया करता था।

3. यानी आप तब्लीग़ से ज़्यादा फ़िक्र में न पड़िए, न मुख़ालफ़त पर रंज कीजिए। उनका मामला खुदा तआला के सुपुर्द कीजिए, वह खुद समझ लेगा।

4. इस सूरः का खुलासा तीन मज़मून हैं- तौहीद, नुबुव्वत और आख़िरत। और दूसरे बाज़ मज़ामीन इन्हीं के ताल्लुक़ से आ गए हैं।

और ज़मीन में ईमान वालों के (दलील पकड़ने के) लिए बहुत-सी दलीलें हैं। (3) और (इसी तरह) ख़ुद तुम्हारे और उन जानवरों के पैदा करने में जिनको ज़मीन में फैला रखा है, दलीलें हैं उन लोगों के लिए जो यक़ीन रखते हैं। (4) और (इसी तरह) एक के बाद एक रात और दिन के आने जाने में, और इस रिज़्क़ (के माद्दे) में जिसको अल्लाह तआ़ला ने आसमान से उतारा,[1] फिर उस (बारिश) से ज़मीन को तरोताज़ा किया उसके सूख जाने के बाद। और (इसी तरह) हवाओं के बदलने में दलीलें हैं उन लोगों के लिए जो (सही-सालिम) अ़क़्ल रखते हैं। (5) ये अल्लाह तआ़ला की आयतें हैं जो सही-सही तौर पर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, तो फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन-सी बात पर ये लोग ईमान लाएँगे। (6) बड़ी ख़राबी होगी हर ऐसे शख़्स के लिए जो झूठा हो, नाफ़रमान हो। (7) जो ख़ुदा की आयतों को सुनता है जबकि उसके रू-ब-रू पढ़ी जाती हैं (और) फिर भी वह तकब्बुर करता हुआ (अपने कुफ़्र पर) इस तरह अड़ा रहता है जैसे उसने उनको सुना ही नहीं, सो ऐसे शख़्स को एक दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर सुना दीजिए। (8) और जब वह हमारी आयतों में से किसी आयत की ख़बर पाता है तो उसकी हँसी उड़ाता है, ऐसे लोगों के लिए (आख़िरत में) ज़िल्लत का अ़ज़ाब है।[2] (9) उनके आगे जहन्नम (आ रही) है, और (उस वक़्त) न तो उनके वे चीज़ें ज़रा काम आएँगी जो (दुनिया में) कमा गए थे और न वे जिनको अल्लाह के सिवा कारसाज़ (और माबूद) बना रखा था, और उनके लिए बड़ा अ़ज़ाब होगा। (10) यह क़ुरआन पूरा-का-पूरा हिदायत है। और जो लोग अपने रब की (इन) आयतों को नहीं मानते उनके लिए सख़्ती का दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। (11) ◆

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को ताबे बनाया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियाँ चलें और ताकि तुम उसकी रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। (12) और (इसी तरह) जितनी चीज़ें आसमानों में हैं और जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं उन सबको अपनी तरफ़ से ताबे बनाया, बेशक इन बातों में उन लोगों के लिए दलीलें हैं जो ग़ौर करते रहते हैं। (13) आप ईमान वालों से फ़रमा दीजिए कि उन लोगों से दरगुज़र करें जो ख़ुदा के मामलात का यक़ीन नहीं रखते,[3] ताकि अल्लाह तआ़ला एक क़ौम को (यानी मुसलमानों को) उनके अ़मल का सिला दे। (14) जो शख़्स नेक काम करता है सो अपने ज़ाती नफ़े के लिए, और जो शख़्स बुरा काम करता है उसका वबाल उसी पर पड़ता है, फिर तुमको अपने परवर्दिगार के पास लौटकर जाना है।[4] (15) और हमने बनी इस्राईल को (आसमानी) किताब और हिक्मत (यानी अहकाम का इल्म) और नुबुव्वत दी थी, और हमने उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दी थीं, और हमने उनको दुनिया

1. मुराद बारिश है।

2. मतलब यह कि जिन आयतों को तिलावत में सुनता है उनको भी झुठलाता है, और जिन आयतों की वैसे ही ख़बर सुन लेता है उनको भी झुठलाता है। ग़रज़ आयतों के झुठलाने में बहुत बढ़ा हुआ है।

3. यानी आख़िरत का इनकार करने वाले हैं।

4. पस वहाँ तुमको अख़्लाक़ और नेक आमाल का अच्छा बदला और उन तुम्हारे मुख़ालिफ़ों को उनके कुफ़्र और गुनाहों पर बुरा बदला दिया जाएगा। सो तुमको यहाँ दरगुज़र करना ही मुनासिब है।

फ़ायदाः और इससे जिहाद की नफ़ी नहीं होती, क्योंकि यहाँ उस बदले के लेने से रोका है जिससे असल मक़सद अल्लाह का कलिमा बुलन्द करना न हो, बल्कि सिर्फ़ अपने गुस्से को शाँत करना हो। और जिहाद में असल मक़सद अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करना है, अगरचे ताबे होकर गुस्सा भी शाँत हो जाए।

जहान वालों पर बरतरी दी। (16) और हमने उनको दीन के बारे में खुली-खुली दलीलें दीं,[1] सो उन्होंने इल्म ही के आने के बाद आपस में इख़्तिलाफ़ किया, आपस की ज़िद्दा-ज़िद्दी की वजह से। आपका रब उनके दरमियान क़ियामत के दिन उन मामलों में (अ़मली) फ़ैसला करेगा जिनमें ये आपस में इख़्तिलाफ़ किया करते थे।[2] (17) फिर हमने आपको दीन के एक ख़ास तरीक़े पर कर दिया, सो आप उसी तरीक़े पर चले जाइए और इन जाहिलों की ख़्वाहिशों पर न चलिए। (18) ये लोग ख़ुदा के मुक़ाबले में आपके ज़रा भी काम नहीं आ सकते, और ज़ालिम लोग एक-दूसरे के दोस्त होते हैं, और अल्लाह परहेज़गार लोगों का दोस्त है। (19) यह क़ुरआन आ़म लोगों के लिए समझदारियों का सबब और हिदायत का ज़रिया है, और यक़ीन (यानी ईमान) लाने वालों के लिए बड़ी रहमत (का सबब) है। (20) ये लोग जो बुरे-बुरे काम करते हैं, क्या ये ख़्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर रखेंगे जिन्होंने ईमान और नेक अ़मल इख़्तियार किया? कि उन सबका जीना और मरना यकसाँ हो जाए? ये बुरा हुक्म लगाते हैं।[3] (21) ❖

और अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीन को हिक्मत के साथ पैदा किया, और ताकि हर शख़्स को उसके किए का बदला दिया जाए, और उनपर ज़रा भी ज़ुल्म न किया जाएगा। (22) सो क्या आपने उस शख़्स की हालत भी देखी जिसने अपना ख़ुदा अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश को बना रखा है,[4] और ख़ुदा तआ़ला ने उसको बावजूद समझ-बूझ के गुमराह कर दिया है।[5] और ख़ुदा तआ़ला ने उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया है,[6] सो ऐसे शख़्स को ख़ुदा के (गुमराह कर देने के) बाद कौन हिदायत करे, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? (23) और ये (मरने के बाद ज़िन्दा होने के इनकारी) लोग यूँ कहते हैं कि सिवाय इस दुनिया की ज़िन्दगी के और कोई हमारी ज़िन्दगी नहीं है, हम मरते हैं और जीते हैं, और हमको सिर्फ़ ज़माने (की गर्दिश) से मौत आ जाती है।[7] और उन लोगों के पास इसपर कोई दलील नहीं, सिर्फ़ अटकल से हाँक रहे हैं। (24) और (इस बारे में) जिस वक़्त उनके सामने हमारी खुली-खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका (इसपर) इसके अ़लावा और कोई जवाब नहीं होता, कहते हैं कि हमारे बाप-दादाओं को (ज़िन्दा करके) सामने ले आओ अगर तुम सच्चे हो। (25) आप यूँ कह दीजिए कि अल्लाह तआ़ला

1. ग़रज़ सब ही तरह की नेमतें उनको दीं।

2. इस मज़मून से दो चीज़ें समझ में आ गईं- एक बनी इस्राईल को किताब, अहकाम और नुबुव्वत मिलने से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत की ताईद, दूसरे आपको तसल्ली देना कि बनी इस्राईल को जो इख़्तिलाफ़ की वजह पेश आई थी वही आपकी क़ौम को आपके साथ मुख़ालफ़त करने में पेश आई है, यानी दुनिया की मुहब्बत और हसद और नफ़्सानियत। यह नहीं कि आपकी दलीलों या अहकाम को वाज़ेह करने में कुछ कमी हो। पस आप ग़म न करें और यह ज़िक्रशुदा क़िस्सा याद कर लिया करें कि बनी इस्राईल के क्या-क्या मामलात हुए।

3. मतलब यह कि आख़िरत के इनकार से यह लाज़िम आता है कि फ़रमाँबरदारों को कहीं इताअ़त का फल न मिले, और मुख़ालिफ़ों पर कभी मुख़ालफ़त का वबाल न पड़े। पस आख़िरत के वजूद की यह हिक्मत हुई कि हर एक को उसके आमाल के फल मिल जाएँ।

4. यानी इल्म और अ़मल के एतिबार से जो जी में आता है उसकी पैरवी करता है।

5. यानी हक़ को सुना और समझा भी मगर नफ़्स की पैरवी करने से गुमराह हो गया।

6. यानी नफ़्स की पैरवी की बदौलत हक़ को क़बूल करने की सलाहियत बहुत ही कमज़ोर हो गई। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 904 पर)

तुमको ज़िन्दा रखता है, फिर (जब चाहेगा) तुमको मौत देगा, फिर क़ियामत के दिन जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं तुमको जमा करेगा, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। **(26)** ◆

और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और ज़मीन में,[1] और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी उस दिन अहले बातिल घाटे में पड़ेंगे। **(27)** और (उस दिन) आप हर फ़िर्क़े को देखेंगे कि (डर के मारे) घुटनों के बल पड़ेंगे। हर गिरोह अपने नामा-ए-आमाल (के हिसाब) की तरफ़ बुलाया जाएगा। आज तुमको तुम्हारे किए का बदला मिलेगा। **(28)** (और कहा जाएगा कि) यह (नामा-ए-आमाल) हमारा दफ़्तर है जो तुम्हारे मुक़ाबले में ठीक-ठीक बोल रहा है,[2] और हम (दुनिया में) तुम्हारे आमाल को (फ़रिश्तों से) लिखवाते जाते थे।[3] **(29)** सो जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे तो उनको उनका रब अपनी रहमत में दाख़िल करेगा और यह खुली कामयाबी है। **(30)** और जो लोग काफ़िर थे (उनसे कहा जाएगा कि) क्या मेरी आयतें तुमको पढ़-पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं, सो तुमने (उनको क़बूल करने से) तकब्बुर किया था और तुम (इस वजह से) बड़े मुजरिम थे। **(31)** और जब (तुमसे) कहा जाता था कि अल्लाह का वायदा हक़ है[4] और क़ियामत में कोई शक नहीं है, तो तुम कहा करते थे कि हम नहीं जानते कि क़ियामत क्या चीज़ है, सिर्फ़ एक ख़्याल-सा तो हमको भी होता है और हमको यक़ीन नहीं। **(32)** और (उस वक़्त) उनको अपने तमाम बुरे आमाल ज़ाहिर हो जाएँगे और जिस (अज़ाब) के साथ वे मज़ाक़ किया करते थे वह उनको आ घेरेगा। **(33)** और (उनसे) कहा जाएगा कि आज हम तुमको भुलाए देते हैं[5] जैसा कि तुमने अपने इस दिन के आने को भुला रखा था, और (आज) तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। **(34)** यह (सज़ा) इस वजह से है कि तुमने अल्लाह की आयतों की हँसी उड़ाई थी और तुमको दुनियावी ज़िन्दगी ने धोखे में डाल रखा था। सो आज न तो ये लोग दोज़ख़ से निकाले जाएँगे और न उनसे ख़ुदा (की नाराज़गी) की तलाफ़ी चाही जाएगी।[6] **(35)** सो तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो परवर्दिगार है आसमानों का और परवर्दिगार है ज़मीन का, परवर्दिगार तमाम आलम का। **(36)** और उसी को बड़ाई है आसमानों में और ज़मीन में, और वही ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है। **(37)** ◆

(पृष्ठ 902 का शेष) **7. मतलब यह कि ज़माने के गुज़रने से जिस्मानी क़ुव्वतें तहलील होती (यानी घुल जाती) हैं और इन तबई असबाब से मौत आ जाती है। और इसी तरह ज़िन्दगी का सबब भी तबई चीज़ें हैं। पस जब मौत और ज़िन्दगी तबई असबाब के तक़ाज़े की बिना पर है और दूसरी ज़िन्दगी को तबई असबाब नहीं चाहते तो दूसरी ज़िन्दगी न होगी।**

1. वह जो चाहे तसर्रुफ़ करे।

2. यानी तुम्हारे आमाल को ज़ाहिर कर रहा है।

3. और यह उन्हीं का मजमूआ है।

4. यानी मरने के बाद ज़िन्दा होने और आमाल का बदला दिए जाने के वायदे का।

5. यानी रहमत से महरूम किए देते हैं, जिसको भुलाना मजाज़न कह दिया है।

6. यानी इसका मौक़ा न दिया जाएगा कि तौबा करके ख़ुदा को राज़ी कर लें।

छब्बीसवाँ पारः हा-मीम

46 सूरः अहक़ाफ़ 66

सूरः अहक़ाफ़ मक्का में नाज़िल हुई, इसमें 35 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हा-मीम (1) यह किताब अल्लाह ज़बरदस्त, हिक्मत वाले की तरफ़ से भेजी गई है। (2) हमने आसमान और ज़मीन को और जो उनके दरमियान में हैं उनको हिक्मत के साथ एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिए पैदा किया है।[1] और जो लोग काफ़िर हैं उनको जिस चीज़ से डराया जाता है[2] वे उससे बेरुख़ी करते हैं। (3) आप कहिए कि यह तो बतलाओ कि जिन चीज़ों की तुम अल्लाह तआ़ला को छोड़कर इबादत करते हो, मुझको यह दिखलाओ कि उन्होंने कौन-सी ज़मीन पैदा की है या उनका आसमान में कुछ साझा है।[3] मेरे पास कोई किताब जो इससे पहले की हो या कोई और मज़मून नक़्लशुदा लाओ, अगर तुम सच्चे हो।[4] (4) और उस शख़्स से ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह तआ़ला को छोड़कर ऐसे माबूद को पुकारे जो क़ियामत तक भी उसका कहना न करे, और उनको उनके पुकारने की भी ख़बर न हो। (5) और जब सब आदमी जमा किए जाएँ तो वे उनके दुश्मन हो जाएँ और उनकी इबादत ही का इनकार कर बैठें।[5] (6) और जब हमारी खुली-खुली आयतें उन लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो ये मुन्किर लोग उस सच्ची बात के मुताल्लिक़ जबकि वह उन तक पहुँचती है, यूँ कहते हैं कि यह खुला जादू है। (7) क्या ये लोग यह कहते हैं कि इस शख़्स ने इसको अपनी तरफ़ से बना लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ़ से बनाया होगा तो फिर तुम लोग मुझको ख़ुदा से ज़रा भी नहीं बचा सकते।[6] वह ख़ूब जानता है, तुम क़ुरआन में जो-जो बातें बना रहे हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान में वह काफ़ी गवाह है,[7] और वह बड़ी मग़्फ़िरत वाला, रहमत वाला है। (8) आप कह दीजिए कि कोई मैं अनोखा रसूल तो हूँ नहीं, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, और न (यह मालूम कि) तुम्हारे साथ (क्या किया जाएगा), मैं तो सिर्फ़ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ़

---

1. वह हिक्मत तौहीद और बदला दिए जाने पर दलालत है, और वह मीयाद क़ियामत है।
2. जैसे यह कि तौहीद के इनकार पर तुमको क़ियामत में अ़ज़ाब होगा।
3. यानी ज़ाहिर है कि तुम भी उनको पैदा करने वाला नहीं मानते जो कि माबूद होने के हक़दार होने की दलील हो सकती है, बल्कि मख़्लूक़ कहते हो जो माबूद बनने के हक़दार होने के मनाफ़ी है। पस अ़क़्ली दलील तो मनफ़ी (नकारात्मक) हुई।
4. मतलब यह कि दलीले नक़्ली के लिए यह ज़रूरी है कि जहाँ से नक़्ल की गई है उसका पैरवी के क़ाबिल होना साबित हो, और सनद उस तक लगातार और बराबर मौजूद हो, चाहे वह जिससे नक़्ल किया गया है किसी नबी की किताब हो या उनका ज़बानी क़ौल हो, ज़ाहिर है कि ऐसी दलील कोई पेश नहीं कर सकता।
5. पस ऐसे माबूदों की इबादत करने से बढ़कर क्या ग़लती है कि इबादत का सबब और वजह एक भी नहीं और इबादत न करने के असबाब और कारण अनेक साबित हैं।
6. मतलब यह कि नुबुव्वत का झूठा दावा करने पर सज़ा का मुरत्तब होना ऐसा लाज़िमी है कि कोई मेरा हामी व मददगार भी उसके ख़िलाफ़ करने पर क़ादिर नहीं।
7. यानी उसकी ख़बर रखता है।

वह्य के ज़रिए आता है, और मैं तो सिर्फ़ साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ। **(9)** आप यह कह दीजिए कि तुम मुझको यह बताओ कि अगर यह क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से हो और तुम इसके मुन्किर हो, और बनी इस्राईल में से कोई गवाह इस जैसी किताब पर गवाही देकर ईमान ले आए और तुम तकब्बुर ही में रहो, बेशक अल्लाह तआ़ला बेइन्साफ़ लोगों को हिदायत नहीं किया करता। **(10)** ❖

और ये काफ़िर लोग ईमान वालों के बारे में यूँ कहते हैं कि अगर यह क़ुरआन कोई अच्छी चीज़ होता तो ये लोग उसकी तरफ़ हमसे आगे न बढ़ते,[1] और जब उन लोगों को क़ुरआन से हिदायत नसीब न हुई तो यह कहेंगे कि यह पुराना झूठ है। **(11)** और इससे पहले मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की किताब जो राह दिखाने वाली और रहमत थी, और यह एक किताब है जो उसको सच्चा करती है, अ़रबी ज़बान में, ज़ालिमों के डराने के लिए और नेक लोगों को ख़ुशख़बरी देने के लिए। **(12)** जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है,[2] फिर जमे रहे,[3] उन लोगों पर कोई ख़ौफ़ नहीं और न वे ग़मगीन होंगे। **(13)** ये लोग जन्नती हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे, उन कामों के बदले में जो वे करते थे। **(14)** और हमने इनसान को अपने माँ-बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसको बड़ी मशक़्क़त के साथ पेट में रखा और बड़ी मशक़्क़त के साथ उसको जन्म दिया और उसको पेट में रखना और उसका दूध छुड़ाना तीस महीने (में पूरा होता) है, यहाँ तक कि जब वह अपनी जवानी को पहुँच जाता है[4] और चालीस साल को पहुँचता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको इसपर हमेशगी दीजिए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र किया करूँ जो आपने मुझको और मेरे माँ-बाप को अ़ता फ़रमाई हैं। और मैं नेक काम करूँ जिससे आप ख़ुश हों, और मेरी औलाद में भी मेरे लिए सलाहियत पैदाकर दीजिए, मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं फ़रमाँबरदार हूँ।[5] **(15)** ये वे लोग हैं कि हम उनके कामों को क़बूल कर लेंगे और उनके गुनाहों से दरगुज़र करेंगे, इस तौर पर कि ये जन्नत वालों में से होंगे,[6] उस सच्चे वायदे की वजह से जिसका उनसे वायदा किया जाता है। **(16)** और जिसने अपने माँ-बाप से कहा कि तुफ़ "यानी लानत" है तुमपर। क्या तुम मुझको यह वायदा (यानी ख़बर) देते हो कि मैं (क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होकर) क़ब्र से निकाला जाऊँगा? हालाँकि मुझसे पहले बहुत-सी उम्मतें गुज़र गईं। और वे दोनों अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हैं कि अरे तेरा नास हो ईमान ले आ, बेशक

---

1. यानी हम लोग बड़े अ़क़्लमन्द हैं और ये लोग कमअ़क़्ल हैं, और हक़ बात को अ़क़्लमन्द पहले क़बूल करता है। तो अगर यह हक़ होता तो हम पहले मानते, जब हमने नहीं माना तो यह हक़ नहीं। ये लोग बेअ़क़्ली से उधर दौड़ने लगे हैं।
2. यानी तौहीद को रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीम के मुताबिक़ क़बूल किया।
3. यानी उसको छोड़ा नहीं।
4. यानी बालिग़ होने की उम्र को।
5. हासिल मक़ाम का यह हुआ कि जो शख़्स नेक होता है वह अल्लाह का हक़ भी अदा करता है, और माँ-बाप के हुक़ूक़ भी, जो कि बन्दों के हुक़ूक़ में से हैं, अदा करता है।
6. यहाँ यह न समझा जाए कि बग़ैर तौबा के गुनाह माफ़ नहीं होते, क्योंकि गुनाह महज़ फ़ज़्ल से भी माफ़ हो जाते हैं।

अल्लाह तआला का वायदा सच्चा है, तो यह कहता है कि ये बे-सनद बातें अगलों से नक़ल होती चली आ रही हैं।[1] (17) ये वे लोग हैं कि उनके हक़ में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का क़ौल पूरा होकर रहा जो उनसे पहले जिन्न और इनसान गुज़र चुके हैं, बेशक ये घाटे में रहे। (18) और हर एक के लिए उनके आमाल की वजह से अलग-अलग दर्जे मिलेंगे, और ताकि अल्लाह तआला सबको उनके आमाल पूरे कर दे और उनपर ज़ुल्म न होगा। (19) और जिस दिन काफ़िर लोग आग के सामने लाए जाएँगे कि तुम अपनी लज़्ज़त की चीज़ें अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में हासिल कर चुके और उनको ख़ूब बरत चुके, सो आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी, इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहक़ तकब्बुर किया करते थे।[2] और इस वजह से कि तुम नाफ़रमानियाँ किया करते थे।[3] (20) ❖

और आप क़ौमे आद के भाई का ज़िक्र कीजिए जबकि उन्होंने अपनी क़ौम को जो कि ऐसे मक़ाम पर रहते थे कि वहाँ रेग के लम्बे झुके हुए तूदे थे,[4] इसपर डराया कि तुम ख़ुदा के सिवा किसी की इबादत मत करो। और उनसे पहले और उनसे पीछे बहुत-से डराने वाले (पैग़म्बर अब तक) गुज़र चुके हैं, मुझको तुमपर एक बड़े दिन के अज़ाब का अन्देशा है। (21) वे कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इस इरादे से आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर तुम सच्चे हो तो जिसका तुम हमसे वायदा करते हो उसको हमपर ला दो। (22) उन्होंने फ़रमाया कि पूरा इल्म तो ख़ुदा ही को है, और मुझको तो जो पैग़ाम देकर भेजा गया है मैं तुमको पहुँचा देता हूँ, लेकिन मैं तुमको देखता हूँ कि तुम लोग ख़ालिस जहालत की बातें करते हो।[5] (23) सो उन लोगों ने जब उस बादल को अपनी वादियों के मुक़ाबिल आता देखा तो कहने लगे कि यह तो बादल है जो हमपर बरसेगा, नहीं-नहीं बल्कि यह वही है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। एक आँधी है जिसमें दर्दनाक अज़ाब है। (24) वह हर चीज़ को अपने परवर्दिगार के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनाँचे वे ऐसे हो गए कि

---

1. मतलब यह कि यह ऐसा बदबख़्त है कि कुफ़्र और नाफ़रमानी दोनों का मुजरिम है, और नाफ़रमानी भी इस दर्जे की कि माँ-बाप की मुख़ालफ़त के साथ उनसे कलाम में बदतमीज़ी और सख़्ती व बद-अख़्लाक़ी करता है।

2. "दुनिया में" की क़ैद इस इशारे के लिए है कि ज़मीन पर रहकर तकब्बुर करना और भी ज़्यादा बुरा है, और "नाहक़" की क़ैद हक़ीक़त के मुताबिक़ है, क्योंकि मख़्लूक़ से तकब्बुर का सादिर होना हमेशा नाहक़ ही होगा। और तकब्बुर करने से मुराद ईमान से तकब्बुर करना है कि हमेशगी का अज़ाब उसी की ख़ासियत में से है।

3. इसमें तमाम कुफ़्रियात और बुराइयाँ और ज़ुल्म के तरीक़े दाख़िल हो गए।

4. उन लोगों का ठिकाना अक्सर के क़ौल के मुताबिक़ यमन के शहर में था, और वहाँ रेग के तूदे थे। अरब के लोग तिजारत के लिए अक्सर सफ़र किया करते थे तो उन जगहों से गुज़रते थे और आदमियों और मवेशियों का उस हवा में उड़े-उड़े फिरना दुर्रे मन्सूर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया गया है। और वादी कहते हैं ज़मीन के निचले हिस्से को जहाँ पानी जमा हो जाता है, इसी वजह से कभी इसका तर्जुमा मैदान से किया जाता है और कभी नदी नाले से।

5. इसलिए कि एक तो तौहीद को कबूल नहीं करते हो, फिर अपने मुँह से बला माँगते हो, फिर मुझसे उसकी फ़रमाइश करते हो।

सिवाय उनके मकानों के और कुछ न दिखाई देता था। हम मुजरिमों को यूँ ही सज़ा दिया करते हैं। (25) और हमने उन लोगों को उन बातों में क़ुदरत दी थी कि तुमको उन बातों में क़ुदरत नहीं दी, और हमने उनको कान और आँख और दिल दिए थे, सो चूँकि वे लोग अल्लाह तआ़ला की आयतों का इनकार करते थे इसलिए न उनके कान उनके ज़रा काम आए और न उनकी आँखें और न उनके दिल, और जिसकी वे हँसी किया करते थे उसी ने उनको आ घेरा।[1] (26) ❖

और हमने तुम्हारे आस-पास की और बस्तियाँ भी ग़ारत की हैं,[2] और हमने बार-बार अपनी निशानियाँ बतला दी थीं ताकि वे बाज़ आएँ। (27) सो अल्लाह तआ़ला के सिवा जिन-जिन चीज़ों को उन्होंने अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने को अपना माबूद बना रखा है, उन्होंने उनकी मदद क्यों न की? बल्कि वे सब उनसे ग़ायब हो गए और वह महज़ उनकी तराशी हुई और घड़ी हुई बात है। (28) और जबकि हम जिन्नात की एक जमाअ़त को आपकी तरफ़ ले आए जो क़ुरआन सुनने लगे थे। ग़रज़ जब वे क़ुरआन के पास आ पहुँचे, कहने लगे कि चुप रहो। फिर जब क़ुरआन पढ़ा जा चुका तो वे लोग अपनी क़ौम के पास ख़बर पहुँचाने के वास्ते वापस गए। (29) कहने लगे कि ऐ भाइयो! हम एक किताब सुनकर आए हैं जो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के बाद नाज़िल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक़ करती है, हक़ और सही रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करती है। (30) ऐ भाइयो! अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले का कहना मानो और उसपर ईमान ले आओ, अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको दर्दनाक अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखेगा।[3] (31) और जो शख़्स अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले का कहना न मानेगा तो वह ज़मीन में हरा नहीं सकता, और ख़ुदा के सिवा उसका कोई मददगार भी न होगा। ऐसे लोग खुली गुमराही में हैं। (32) क्या उन लोगों ने यह न जाना कि जिस ख़ुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उनके पैदा करने में ज़रा नहीं थका, वह इसपर क़ुदरत रखता है कि मुर्दों को ज़िन्दा कर दे, क्यों न हो बेशक वह हर चीज़ पर क़ादिर है। (33) और

---

1. यानी न उनके हवास उनको अ़ज़ाब से बचा सके, और न उनकी तदबीर जिसका इदराक दिल से होता है, और न उनकी क़ुव्वत, पस तुम्हारी तो क्या हक़ीक़त है?

2. जैसे समूद और क़ौमे लूत कि मुल्क शाम को जाते हुए उनके ठिकानों से गुज़रते थे। और चूँकि मक्का से एक तरफ़ यमन है, दूसरी सम्त में शाम, इसलिए "तुम्हारे आस-पास" फ़रमाया।

3. इन आयतों में जिन जिन्नात के ईमान लाने का ज़िक्र है उनका वाक़िआ़ हदीसों में इस तरह आया है कि जब नबी-ए-पाक के नबी बनकर तशरीफ़ लाने के वक़्त जिन्नात को आसमानी ख़बरें सुनने से दुमदार टूटने वाले सितारे के ज़रिए रोक दिया गया, तो जिन्नात में तज़्किरा हुआ कि इसका सबब तहक़ीक़ करना चाहिए कि कौन-सा नया वाक़िआ़ दुनिया में हुआ है जिसके सबब यह मामला हो गया। जिन्नात मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में तहक़ीक़ के वास्ते रवाना हुए। बाज़ जिन्नात हिजाज़ की तरफ़ भी चले, उस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चन्द सहाबियों के साथ 'बतने नख़्ला' में जो एक जगह का नाम है तशरीफ़ रखते थे, और उकाज़ के बाज़ार को तशरीफ़ ले जाने का इरादा था। ग़रज़ आप सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे, जब वे जिन्नात यहाँ पहुँचे, क़ुरआन सुनकर कहने लगे, बस वह नई बात जो हमारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान रुकावट हो गई, यह है। और एक रिवायत में यह है कि वे जिन्नात जब यहाँ आए तो आपस में कहने लगे कि ख़ामोश रहकर क़ुरआन सुनो, जब आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मोतक़िद और मोमिन होकर अपनी क़ौम के पास वापस गए और उनको ख़बर सुनाकर ईमान की तरग़ीब दी, और आपको उनके आने-जाने की ख़बर नहीं हुई, यहाँ तक कि सूरः जिन्न के नाज़िल होने से आपको ख़बर दी गई।

जिस दिन वे काफ़िर लोग दोज़ख़ के सामने लाए जाएँगे (उनसे पूछा जाएगा), क्या ये दोज़ख़ एक हक़ीक़त नहीं है? वे कहेंगे कि हमको अपने परवर्दिगार की क़सम! ज़रूर एक हक़ीक़त है। इरशाद होगा, तो अपने कुफ़्र के बदले इसका अ़ज़ाब चखो। **(34)** तो आप सब्र कीजिए जैसे और हिम्मत वाले पैग़म्बरों ने सब्र किया था,[1] और उन लोगों के लिए (अल्लाह के) इन्तिक़ाम की जल्दी न कीजिए। जिस दिन ये लोग उस चीज़ को देखेंगे जिसका उनसे वायदा किया जाता है तो गोया ये लोग दिन भर में एक घड़ी रहे हैं,[2] यह पहुँचा देना है। सो वही बरबाद होंगे जो नाफ़रमानी करेंगे। ◆ **(35)** ❖

47 सूरः मुहम्मद 95

सूरः मुहम्मद मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 38 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जो लोग काफ़िर हुए और अल्लाह के रास्ते से रोका, ख़ुदा ने उनके आमाल ज़ाया कर दिए।[3] **(1)** और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और वे उस सब पर ईमान लाए जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर नाज़िल किया गया है और वह उनके रब के पास वाक़ई चीज़ है, अल्लाह तआ़ला उनके गुनाह उनपर से उतार देगा और उनकी हालत दुरुस्त रखेगा। **(2)** यह इस वजह से है कि काफ़िर तो ग़लत रास्ते पर चले और ईमान वाले सही रास्ते पर चले जो उनके रब की तरफ़ से है।[4] अल्लाह तआ़ला इसी तरह लोगों के लिए उनके हालात बयान फ़रमाते हैं। **(3)** सो जब तुम्हारा काफ़िरों से मुक़ाबला हो जाए तो उनकी गर्दनें मारो,[5] यहाँ तक कि जब तुम उनका ख़ूब ख़ून बहा चुको तो ख़ूब मज़बूत बाँध लो। फिर उसके बाद या तो मुआ़वज़े के बग़ैर छोड़ देना और या मुआ़वज़ा लेकर छोड़ देना, जब तक कि लड़ने वाले अपने हथियार न रख दें,[6] यह (जिहाद का) हुक्म (जो ज़िक्र किया गया) इसपर अ़मल करना। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे इन्तिक़ाम ले लेता, लेकिन ताकि तुममें एक का दूसरे के ज़रिए से इम्तिहान करे।[7]

---

1. "हिम्मत वालों" से मुहक़्क़िक़ीन ने सब पैग़म्बर मुराद लिए हैं, क्योंकि सबका अ़ज़्म और हिम्मत वाला होना ज़ाहिर है, और "मिनर्रुसुलि" में कलिमा "मिन" बयान करने के लिए है। और चूँकि अल्लाह के इरशाद "फ़ज़्ज़ल्ना बअ्-ज़हुम अ़ला बअ्ज़िन" कि हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है, के मुताबिक़ इस सिफ़्त में बाज़ रसूल औरों से बढ़े हुए हैं, इस बिना पर यह लक़ब भी बाज़ रसूलों का मश्हूर हो गया है।
2. यानी दुनिया की लम्बी मुद्दत छोटी मालूम होगी और यही मालूम होगा कि बहुत जल्दी अ़ज़ाब आ गया।
3. यानी जिन कामों को वे नेक समझ रहे थे ईमान न होने की वजह से वे मक़बूल नहीं, बल्कि उनमें से बाज़े काम और उल्टे सज़ा का सबब हैं।
4. ग़लत रास्ते का नाकामी का सबब होना और सही रास्ते का कामयाबी का सबब होना ज़ाहिर है, इसलिए वे नाकाम रहे और ये कामयाब हुए। और अगर इस्लाम के सही रास्ता होने में कोई शक हो तो "मिर्रब्बिहिम" यानी यह उनके रब की तरफ़ से है, से उसका जवाब हो गया कि दलील इसके सही होने की यह है कि उसका अल्लाह की जानिब से होना नुबुव्वत के मोजिज़ों ख़ास तौर से क़ुरआन के बेमिसाल होने से साबित है।
5. यानी क़त्ल करो।
6. मुराद इससे इस्लाम लाने और ताबेदार होने में से किसी मामले को क़बूल करना है। पस अगर क़त्ल और क़ैद से पहले इस्लाम ले आएँ या ज़िम्मी होना (यानी मुस्लिम हुकूमत में टैक्स देकर रहना) क़बूल करें तो अब न क़त्ल जायज़ है न क़ैद जायज़ है।
7. मुसलमानों का इम्तिहान यह कि कौन अल्लाह के हुक्म को अपनी जान पर तरजीह देता है, और काफ़िरों का इम्तिहान यह कि इस सज़ा से ख़बरदार होकर कौन हक़ को क़बूल करता है। पस इस हिक्मत के लिए भी जिहाद को शरीअ़त में रखा गया।

और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, अल्लाह उनके आमाल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। **(4)** अल्लाह उनको मक़सूद तक पहुँचा देगा और उनकी हालत दुरुस्त रखेगा।[1] **(5)** और उनको जन्नत में दाख़िल करेगा, जिसकी उनको पहचान करा देगा। **(6)** ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे क़दम जमा देगा।[2] **(7)** और जो लोग काफ़िर हैं उनके लिए तबाही है, और उनके आमाल को ख़ुदा तआ़ला बेकार कर देगा।[3] **(8)** यह इस सबब से हुआ कि उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए अहकाम को नापसन्द किया, सो अल्लाह ने उनके आमाल को अकारत कर दिया। **(9)** क्या ये लोग मुल्क में चले-फिरे नहीं, और उन्होंने देखा नहीं कि जो लोग उनसे पहले हो गुज़रे हैं उनका अन्जाम कैसा हुआ कि अल्लाह ने उनपर कैसी तबाही डाली, और उन काफ़िरों के लिए भी इसी क़िस्म के मामलात होने को हैं। **(10)** यह इस सबब से है कि अल्लाह मुसलमानों का कारसाज़ है और काफ़िरों का कोई कारसाज़ नहीं। **(11)** ❖

बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जो लोग काफ़िर हैं वे ऐश कर रहे हैं और इस तरह खाते-पीते हैं जिस तरह चौपाए खाते-पीते हैं, और जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है। **(12)** और बहुत-सी बस्तियाँ ऐसी थीं जो क़ुव्वत में आपकी उस बस्ती से बढ़ी हुई थीं जिसके रहने वालों ने आपको घर से बेघर कर दिया, हमने उनको हलाक कर दिया। सो उनका कोई मददगार न हुआ।[4] **(13)** तो जो लोग अपने रबके वाज़ेह रास्ते पर हों, क्या वे उन शख़्सों की तरह हो सकते हैं जिनकी बद्अ़मली उनको अच्छी मालूम होती हो और जो अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों पर चलते हों?[5] **(14)** जिस जन्नत का परहेज़गारों से वायदा किया जाता है उसकी कैफ़ियत यह है कि उसमें बहुत-सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं जिसमें ज़रा भी बदलाव न होगा,[6] और बहुत-सी नहरें दूध की हैं जिनका ज़ायक़ा ज़रा बदला हुआ न होगा, और बहुत-सी नहरें शराब की हैं जो पीने वालों को बहुत मज़ेदार मालूम होगी, और बहुत-सी नहरें शहद की हैं जो बिलकुल साफ़ होगा, और उनके लिए वहाँ हर क़िस्म के फल होंगे और उनके रबकी तरफ़ से बख़्शिश होगी। क्या ऐसे लोग उन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे और खौलता हुआ पानी उनको पीने को दिया जाएगा, सो वह उनकी अंतड़ियों को टुकड़े-टुकड़े कर देगा।[7] **(15)**

---

1. यानी क़ब्र में और हश्र में और पुलसिरात पर और आख़िरत के तमाम मौक़ों में।
2. मतलब यह कि मजमूए के मुक़ाबले मजमूआ साबित-क़दम रहकर काफ़िरों पर ग़ालिब आ जाएगा। चाहे शुरू ही से चाहे इन्तिहा में।
3. ग़रज़ काफ़िर लोग दोनों जहाम में घाटे में रहे।
4. ऐसी हालत में उनको घमण्ड न करना चाहिए क्योंकि हम जब चाहें उनकी भी सफ़ाई कर सकते हैं। और आप उनको भी सबब और इल्लत के एक होने यानी कुफ़्र और मुख़ालफ़त की वजह से वक़्त पर सज़ा देने वाले हैं। और ये लोग जो कि अहले बातिल हैं आप और तमाम अहले हक़ के मुक़ाबले में क्योंकर सज़ा के क़ाबिल न होंगे, जबकि अहले बातिल सिर्फ़ नफ़्स की राह पर हैं, और अहले हक़ ख़ुदा की राह पर हैं।
5. यानी जब आमाल में फ़र्क़ है तो अन्जाम में भी फ़र्क़ होगा। पस जिस तरह अहले हक़ सवाब के मुस्तहिक़ हैं उसी तरह अहले बातिल अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हैं।
6. न बू (गंध) में, न रंग में, न ज़ायके में।
7. ग़रज़ यह कि जब उनके आमाल में फ़र्क़ है तो उनके अन्जाम में यह फ़र्क़ होगा जिसका बयान अब किया गया।

और बाज़े आदमी ऐसे हैं[1] कि वे आपकी तरफ़ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब वे लोग आपके पास से बाहर जाते हैं तो दूसरे इल्म वालों से कहते हैं कि हज़रत ने अभी क्या बात फ़रमाई थी?[2] ये वे लोग हैं कि हक् तआ़ला ने उनके दिलों पर मुहर कर दी है और ये अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों पर चलते हैं। **(16)** और जो लोग राह पर हैं[3] अल्लाह तआ़ला उनको और ज़्यादा हिदायत देता है, और उनको उनके तक़्वे की तौफ़ीक़ देता है।[4] **(17)** सो ये लोग बस क़ियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि वह उनपर अचानक आ पड़े[5] सो उसकी निशानियाँ तो आ चुकी हैं,[6] तो जब क़ियामत उनके सामने आ खड़ी हुई उस वक़्त उनको समझना कहाँ मयस्सर होगा। **(18)** तो आप इसका यक़ीन रखिए कि अल्लाह तआ़ला के सिवा और कोई इबादत के क़ाबिल नहीं,[7] और आप अपनी ख़ता की माफ़ी माँगते रहिए[8] और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औ़रतों के लिए भी। और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे चलने-फिरने और रहने-सहने की ख़बर रखता है।[9] **(19)** ❖

और जो लोग ईमान वाले हैं वे कहते रहते हैं कि कोई (नई) सूरः क्यों न नाज़िल हुई, सो जिस वक़्त कोई साफ़-साफ़ (मज़मून की) सूरः नाज़िल होती है और (इत्तिफ़ाक़ से) उसमें जिहाद का भी ज़िक्र होता है तो जिन लोगों के दिलों में (निफ़ाक़ का) रोग है आप उन लोगों को देखते हैं कि वे आपकी तरफ़ इस तरह देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो।[10] सो (असल यह है कि) जल्द ही उनकी कमबख़्ती आने वाली है। **(20)** उनकी फ़रमाँबरदारी और बातचीत मालूम है, पस जब सारा काम तैयार ही हो जाता है तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहते तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता।[11] **(21)** सो अगर तुम किनारा करने वाले रहो तो आया तुमको यह अन्देशा भी है कि तुम दुनिया में फ़साद मचा दो, और आपस में ताल्लुक़ तोड़ दो। **(22)** ये वे लोग हैं जिनको ख़ुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया, फिर उनको बहरा कर दिया और उनकी आँखों को अंधा कर दिया। **(23)** तो क्या ये लोग क़ुरआन में ग़ौर नहीं करते? या दिलों पर ताले लग रहे हैं? **(24)** जो लोग पीठ फेर कर हट गए इसके बाद कि सीधा रास्ता उनको साफ़ मालूम हो गया, शैतान ने उनको चकमा दिया है और उनको दूर-दूर की सुझाई है। **(25)** यह इस सबब से हुआ कि उन लोगों ने ऐसे लोगों से जो कि ख़ुदा के उतारे हुए अहकाम को नापसन्द करते हैं, यह कहा कि बाज़ी बातों में हम तुम्हारा कहना मान लेंगे, और अल्लाह तआ़ला उनके ख़ुफ़िया बातें करने को ख़ूब जानता है। **(26)** सो

---

1. इससे मुनाफ़िक़ लोग मुराद हैं।
2. इसकी वजह उनकी ख़बीस हालत के तक़ाज़े से यह मालूम होती है कि वे इस बात का इशारा करते थे कि हम आपकी बातों को तवज्जोह के क़ाबिल नहीं जानते, और बज़ाहिर बात का पूछना ज़ाहिर करते थे, और यह भी उनके निफ़ाक़ का एक शोबा है।
3. यानी मुसलमान हो चुके हैं।
4. यानी ईमान लाने के बाद उन अहकाम पर भी अ़मल करते हैं।
5. यह भी एक तरह की डाँट और तंबीह है। यानी क्या क़ियामत में नसीहत हासिल करेंगे?
6. यहाँ 'अशरात' से मुराद वे निशानियाँ हैं जो क़ियामत से बहुत पहले सामने आईं, और क़रीब की निशानियाँ जैसे ईसा अ़लैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, दज्जाल का निकलना और सूरज का पश्चिम की ओर से निकलना यहाँ मुराद लेना इसलिए मुनासिब नहीं कि इससे आयत के नाज़िल होने के ज़माने के लोगों को डराना तकल्लुफ़ से ख़ाली नहीं, और "क़द जा-अ अशरातुहा" से मक़सूद वईद यानी सज़ा की धमकी और अ़ज़ाब से डराना है।
7. इसमें दीन के सब उसूल (यानी बुनियादी चीज़ें) आ गए, क्योंकि इल्म से मुराद पूरा और कामिल इल्म है, और कामिल इल्म बन्दगी पर पूरी तरह अ़मल करने को शामिल है। हासिल यह कि जिन चीज़ों के करने का हुक्म है **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 920 पर)**

उनका क्या हाल होगा जबकि फ़रिश्ते उनकी जान क़ब्ज़ करते होंगे और उनके मुँहों पर और पीठों पर मारते जाते होंगे। **(27)** यह इस सबब से कि जो तरीक़ा ख़ुदा की नाराज़ी को वाजिब करने वाला था ये उसी पर चले और उसकी रिज़ा से नफ़रत करते रहे, इसलिए अल्लाह तआला ने उनके सब आमाल ज़ाया और बरबाद कर दिए। **(28)** ❖

जिन लोगों के दिल में रोग है क्या ये लोग यह ख़्याल करते हैं कि अल्लाह तआला कभी उनकी दिली दुश्मनियों को ज़ाहिर न करेगा? **(29)** और हम अगर चाहते तो आपको उनका पूरा पता बता देते, सो आप उनको हुलिए से पहचान लेते, और आप उनको बात करने के अन्दाज़ से ज़रूर पहचान लेंगे। और अल्लाह तआला तुम सबके आमाल को जानता है।[1] **(30)** और हम ज़रूर तुम सबके आमाल की आज़माइश करेंगे, ताकि हम उन लोगों को मालूम कर लें जो तुममें जिहाद करने वाले हैं और जो साबित-क़दम "यानी अड़िग" रहने वाले हैं। **(31)** और ताकि तुम्हारी हालतों की जाँच कर लें। बेशक जो लोग काफ़िर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका और रसूल की मुख़ालफ़त की, इसके बाद कि उनको रास्ता नज़र आ चुका था, ये लोग अल्लाह को कुछ नुक़सान न पहुँचा सकेंगे,[2] और अल्लाह उनकी कोशिशों को मिटा देगा। **(32)** ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअ़त करो और रसूल की इताअ़त करो, और (काफ़िरों की तरह अल्लाह और रसूल की मुख़ालफ़त करके) अपने आमाल को बरबाद मत करो। **(33)** बेशक जो लोग काफ़िर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, फिर वे काफ़िर ही रहकर मर गए, ख़ुदा तआला उनको कभी न बख़्शेगा।[3] **(34)** सो तुम हिम्मत मत हारो और सुलह की तरफ़ मत बुलाओ,[4] और तुम ही ग़ालिब रहोगे[5] और अल्लाह तआला तुम्हारे साथ है और तुम्हारे आमाल में हरगिज़ कमी न करेगा।[6] **(35)** दुनियावी ज़िन्दगी तो सिर्फ़ एक खेल-तमाशा है,[7] और अगर तुम ईमान और तक़्वा इख़्तियार करो तो अल्लाह तुमको तुम्हारे अज्र अ़ता करेगा, और तुमसे तुम्हारे माल तलब न करेगा। **(36)** अगर तुमसे तुम्हारे माल तलब करे फिर इन्तिहाई दर्जे तक तुमसे तलब करता रहे तो तुम कन्जूसी करने लगो, और अल्लाह तआला तुम्हारी नागवारी ज़ाहिर कर दे। **(37)** हाँ! तुम लोग ऐसे हो कि तुमको अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए बुलाया जाता है, सो बाज़े तुममें से वे हैं जो कन्जूसी करते हैं। और जो शख़्स कन्जूसी करता है तो वह ख़ुद अपने से कन्जूसी करता है। और अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं, और तुम सब मोहताज हो। और अगर तुम नाफ़रमानी करोगे तो ख़ुदा तआला तुम्हारी जगह दूसरी क़ौम पैदा कर देगा, फिर वे तुम जैसे न होंगे। **(38)** ❖

(पृष्ठ 918 का शेष) और जिन चीज़ों से मना किया गया है उन सबपर शरीअ़त के मुताबिक़ अ़मल की हमेशा पाबन्दी रखो।

8. ख़ता से मुराद मजाज़ी ख़ता है।

9. पस उसके वायदे के उम्मीदवार और उसकी वईद से डरते रहना चाहिए।

10. इस तरह देखने का सबब ख़ौफ़ और बुज़दिली है कि अब अपनी ज़ाहिरी हालत को बनाए रखने के लिए जिहाद में जाना पड़ा और मुसीबत आई।

11. यानी शुरू में अगर मुनाफ़िक़ थे तो आख़िर में निफ़ाक़ से तौबा कर लेते, तब भी ईमान मक़बूल हो जाता।

1. तो मुसलमानों को उनके इख़्लास पर जज़ा और मुनाफ़िक़ों को उनके निफ़ाक़ व धोखे पर सज़ा देगा।

2. बल्कि यह दीन हर हाल में पूरा होकर रहेगा, चुनाँचे हुआ।

3. मग़्फ़िरत के न होने के लिए कुफ़्र के साथ "अल्लाह के रास्ते से रोकना" शर्त नहीं।

4. यहाँ जो सुलह की मनाही है तो इससे मुराद मुतलक़ सुलह नहीं, बल्कि सिर्फ़ वह सुलह जिसका मन्शा सिर्फ़ हिम्मत की कमज़ोरी हो, जो कि गुनाह है। और जो सुलह किसी मस्लहत से हो वह जायज़ है।

5. और वे मग़लूब होंगे इसलिए कि तुम महबूब हो और वे नापसन्दीदा हैं।

6. यह तो हिम्मत व जुर्रत दिलाने से जिहाद की तरग़ीब थी, आगे दुनिया से बे-रग़बती पैदा करके **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 922 पर)**

48 सूरः फ़त्ह 111

सूरः फ़त्ह मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 29 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

[1]बेशक हमने आपको एक खुल्लम-खुल्ला फ़त्ह दी[2] **(1)** ताकि अल्लाह तआ़ला आपकी सब अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ फ़रमा दे, और आप पर अपने एहसानों को पूरा कर दे, और आपको सीधे रास्ते पर ले चले।[3] **(2)** और अल्लाह आपको ऐसा ग़ल्बा दे जिसमें इज़्ज़त ही इज़्ज़त हो।[4] **(3)** वह ख़ुदा ऐसा है कि जिसने मुसलमानों के दिलों में बरदाश्त पैदा की है, ताकि उनके पहले ईमान के साथ उनका ईमान और ज़्यादा हो। और आसमान व ज़मीन का सब लश्कर अल्लाह ही का है, और अल्लाह तआ़ला (मस्लहतों का) बड़ा जानने वाला, बड़ी हिक्मत वाला है। **(4)** ताकि अल्लाह तआ़ला मुसलमान मर्दों और मुसलमान औ़रतों को ऐसी जन्नतों में दाख़िल करे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा को रहेंगे, और ताकि उनके गुनाह दूर कर दे, और यह अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। **(5)** और ताकि अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औ़रतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औ़रतों को अ़ज़ाब दे जो कि अल्लाह के साथ बुरे-बुरे गुमान रखते हैं। उनपर बुरा वक़्त पड़ने वाला है,[5] और (आख़िरत में) अल्लाह तआ़ला उनपर ग़ज़बनाक होगा और उनको रहमत से दूर कर देगा, और उनके लिए उसने दोज़ख़ तैयार कर रखी है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। **(6)** और आसमान व ज़मीन का सब लश्कर अल्लाह ही का है, और अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है।[6] **(7)** हमने आपको गवाही देने वाला और ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला करके भेजा है। **(8)** ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी क़द्र व इज़्ज़त करो[7] और सुबह व शाम उसकी तस्बीह में लगे रहो। **(9)** जो लोग आपसे बैअ़त कर रहे हैं, तो वे (हक़ीक़त में) अल्लाह तआ़ला से बैअ़त कर रहे हैं, ख़ुदा का हाथ उनके हाथों पर है।[8] फिर (बैअ़त के बाद) जो शख़्स अ़हद तोड़ेगा सो उसके अ़हद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा। और जो शख़्स उस बात को पूरा करेगा जिसपर (बैअ़त में) ख़ुदा से अ़हद किया है, सो जल्द ही ख़ुदा उसको बड़ा अज्र देगा। **(10)** ❖

(पृष्ठ 920 का शेष) जिहाद की तरग़ीब और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तम्हीद है।

7. अगर इसमें जान-माल को फ़ायदा हासिल करने के लिए बचाना है तो वह फ़ायदा ही कितने दिन का है, और क्या उसका हासिल?

1. आप हुदैबिया से मदीना को वापस तशरीफ़ लाते थे कि रास्ते में यह सूरः नाज़िल हुई। पूरी की पूरी या अक्सर, इसमें इख़्तिलाफ़ है। और सारे वाक़िआ़त (जिनकी तरफ़ इस सूरः में इशारा है) ज़ीक़ादा सन् 6 हिजरी में पेश आए।

2. यानी सुलह हुदैबिया से यह फ़ायदा हुआ कि वह सबब बन गई एक ऐसी फ़त्ह की जिसकी ज़रूरत थी, यानी फ़त्हे मक्का की। पस यह सुलह ही फ़त्ह थी। और मक्का की फ़त्ह को खुली फ़त्ह इसलिए कहा गया कि फ़त्ह की ग़रज़ और मक़सद इस्लाम का ग़ल्बा होना है, लोगों के मुसलमान होने से या झुक जाने और फ़रमाँबरदारी इख़्तियार कर लेने से, और यही उसका वह असर है जिसकी तलब है, और मक्का के फ़त्ह होने से इस्लाम को इसलिए बहुत ज़्यादा ग़ल्बा हुआ कि अ़रब के तमाम क़बीले इस बात के मुन्तज़िर थे कि आप अपनी क़ौम पर ग़ालिब आ गए तो हम भी इताअ़त कर लेंगे। चुनाँचे जब मक्का फ़त्ह हुआ तो चारों तरफ़ से क़बीले उमड़ पड़े और ख़ुद या किसी वफ़्द के वास्ते से हाज़िर होकर इस्लाम लाना शुरू किया। पस चूँकि इस्लाम के ग़ल्बे के आसार इस फ़त्ह पर ज़्यादा नुमायाँ हुए इसलिए इसको खुली फ़त्ह क़रार दिया गया।

3. और पहले से भी सीधे रास्ते पर चलना यक़ीनी है, लेकिन उसमें काफ़िर लोग आड़े आते और टकराते थे।

4. यानी जिसके बाद फिर आपको कभी दबना ही न पड़े।

5. चुनाँचे मुश्रिकीन चन्द दिन बाद क़त्ल और क़ैद किए गए और मुनाफ़िक़ों की तमाम उम्र हसरत (शेष तफ़सीर पृष्ठ 924 पर)

जो देहाती पीछे रह गए वे जल्द ही आपसे यह कहेंगे कि हमको हमारे माल और बाल-बच्चों ने फ़ुर्सत न लेने दी, सो हमारे लिए (इस कोताही की) माफ़ी की दुआ़ माँगिए। ये लोग अपनी ज़बान से वे बातें कहते हैं कि जो उनके दिल में नहीं हैं। आप कह दीजिए कि सो वह कौन है जो ख़ुदा के सामने तुम्हारे लिए किसी चीज़ का (कुछ भी) इख़्तियार रखता हो? अगर अल्लाह तआ़ला तुमको कोई नुक़सान या कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे,[1] बल्कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल पर बाख़बर है। **(11)** बल्कि तुमने यूँ समझा कि रसूल और (उनके साथी) मोमिनीन अपने घर वालों में कभी लौटकर न आएँगे। और यह बात तुम्हारे दिलों में अच्छी भी मालूम हुई थी और तुमने बुरे-बुरे गुमान किए, और तुम बरबाद होने वाले लोग हो गए। **(12)** और जो शख़्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाएगा सो हमने काफ़िरों के लिए दोज़ख़ तैयार कर रखी है। **(13)** और तमाम आसमान व ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वह जिसको चाहे बख़्श दे और जिसको चाहे सज़ा दे,[2] और अल्लाह तआ़ला बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है।[3] **(14)** जो लोग पीछे रह गए थे वे जल्दी ही जब तुम (ख़ैबर की) ग़नीमतें "यानी जंग में फ़त्ह के बाद हासिल होने वाले माल" लेने चलोगे तो कहेंगे कि हमको भी इजाज़त दो कि हम तुम्हारे साथ चलें। वे लोग यूँ चाहते हैं कि ख़ुदा के हुक्म को बदल डालें।[4] आप कह दीजिए कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते, ख़ुदा तआ़ला ने पहले से यूँ ही फ़रमा दिया है।[5] तो वे लोग कहेंगे कि बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो, बल्कि ख़ुद ये लोग बहुत कम बात समझते हैं। **(15)** आप उन पीछे रहने वाले देहातियों से (यह भी) कह दीजिए कि जल्द ही तुम लोग ऐसे लोगों (से लड़ने) की तरफ़ बुलाए जाओगे जो बहुत सख़्त लड़ने वाले होंगे, कि या तो उनसे लड़ते रहो या वे (इस्लाम के) फ़रमाँबरदार हो जाएँ। सो अगर तुम इताअ़त करोगे तो तुमको अल्लाह तआ़ला नेक बदला (यानी जन्नत) देगा, और अगर तुम (उस वक़्त भी) मुँह मोड़ोगे जैसा कि इससे पहले मुँह मोड़ चुके हो तो वह दर्दनाक अ़ज़ाब की सज़ा देगा। **(16)** न अंधे पर कोई गुनाह है और न लंगड़े पर कोई गुनाह है और न बीमार पर कोई गुनाह है, और जो शख़्स अल्लाह व रसूल का कहना मानेगा उसको ऐसी जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जो शख़्स (हुक्म से) मुँह मोड़ेगा उसको दर्दनाक अ़ज़ाब की सज़ा देगा। ● **(17)** ❖

(पृष्ठ 922 का शेष) और परेशानी में कटी कि इस्लाम बढ़ता जाता था और वे घुटते जाते थे।

6. यानी पूरी क़ुदरत वाला है अगर चाहता किसी लश्कर से उन सबकी एक दम से सफ़ाई कर देता कि ये उसके हक़दार हैं, लेकिन चूँकि वह हिक्मत वाला है इसलिए मस्लहत से सज़ा में देरी फ़रमाता है।

7. अ़क़ीदे के तौर पर भी कि अल्लाह तआ़ला को तमाम कमालात वाला और तमाम कमियों से पाक समझो, और अ़मल के एतिबार से भी फ़रमाँबरदारी करो।

8. "अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है" से यह न समझा जाए कि बैअ़त के वक़्त हाथ में हाथ लेना ज़रूरी है, या यह कि शैख़ यानी बैअ़त लेने वाले का हाथ ऊपर ही होना ज़रूरी है। असल यह बयान करना है कि बैअ़त से इताअ़त व फ़रमाँबरदारी मक़सद है। और "अल्लाह के हाथ" में, इसके असल मायने अल्लाह ही को मालूम हैं इसमें ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी चाहिए।

1. ज़ाहिर है कि कोई ऐसा नहीं। पस साबित हुआ कि हक़ीक़त में कोई उज़्र तक़दीर को टालने वाला नहीं। मगर जहाँ शरीअ़त ने मस्लहत समझा बहुत-से मौक़ों पर हक़ीक़ी उज़्र को रुख़्सत और छूट का मदार क़रार भी दे दिया।

2. चुनाँचे मोमिन के लिए मग़फ़िरत और काफ़िर के लिए अ़ज़ाब चाहा और इसी तरह मुक़र्रर कर दिया।

3. यानी काफ़िर अगरचे सज़ा का हक़दार होता है लेकिन अल्लाह तआ़ला ऐसा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है कि वह अगर ईमान ले आए तो उसको भी बख़्श देता है।

4. यानी ये लोग चाहते हैं कि ख़ुदा के हुक्म को बदल डालें, जो कि इस वाक़िए के मुताल्लिक़ हुआ है कि सिवाय हुदैबिया वालों के 'ख़ैबर' और कोई न जाए, ख़ासकर पीछे रह जाने वाले। यानी मुसलमानों से इसकी दरख़्वास्त करना **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 926 पर)**

तहक़ीक़ी बात है कि अल्लाह तआ़ला उन मुसलमानों से ख़ुश हुआ जबकि ये लोग आपसे (बबूल के) पेड़ के नीचे बैअ़त कर रहे थे और उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह तआ़ला को वह भी मालूम था। पस अल्लाह तआ़ला ने उनमें इत्मीनान पैदा कर दिया[1] और उनको लगे हाथ एक फ़त्ह दे दी।[2] **(18)** और (उस फ़त्ह में) बहुत-सी ग़नीमतें भी (दीं) जिनको ये लोग ले रहे हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हिक्मत वाला है। **(19)** अल्लाह तआ़ला ने तुमसे (और भी) बहुत-सी ग़नीमतों का वायदा कर रखा है जिनको तुम लोगे। सो फ़िलहाल तुमको यह दे दी है और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए,[3] और ताकि यह (वाक़िआ़) ईमान वालों के लिए एक नमूना हो जाए, और ताकि तुमको एक सीधी सड़क पर डाल दे।[4] **(20)** और एक फ़त्ह और भी है जो तुम्हारे क़ाबू में नहीं आई।[5] खुदा तआ़ला उसको घेरे में लिए हुए है, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है। **(21)** और अगर तुमसे ये काफ़िर लड़ते तो ज़रूर पीठ फेरकर भागते, फिर न उनको कोई यार मिलता और न मददगार। **(22)** अल्लाह तआ़ला ने (काफ़िरों के लिए) यही दस्तूर कर रखा है जा पहले से चला आता है, और आप ख़ुदा के दस्तूर में रद्दोबदल न पाएँगे। **(23)** और वह ऐसा है कि उसने उनके हाथ तुमसे (यानी तुमको क़त्ल करने से) और तुम्हारे हाथ उन (के क़त्ल) से ऐन मक्का (के निकट) में रोक दिए, इसके बाद कि तुमको उनपर क़ाबू दे दिया था, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों को देख रहा था।[6] **(24)** ये वे लोग हैं जिन्होंने कुफ़्र किया और तुमको मस्जिदे हराम से रोका, और (यह कि) क़ुरबानी के जानवर को, जो रुका हुआ रह गया उसके मौक़े में पहुँचने से रोका। और अगर (मक्का में उस वक़्त) बहुत-से मुसलमान मर्द और बहुत-सी मुसलमान औ़रतें न होतीं जिनकी तुमको ख़बर भी न थी, यानी उनके पिस जाने का अन्देशा न होता, जिसपर उनकी वजह से तुमको भी बेख़बरी से नुक़सान पहुँचता, तो सब क़िस्सा तय कर दिया जाता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाख़िल कर दे।[7] अगर यह टल गए होते तो उनमें जो काफ़िर थे हम उनको दर्दनाक सज़ा देते। **(25)** जबकि

(पृष्ठ 924 का शेष) गोया कि यह दरख़्वास्त करना है कि मुसलमान ख़ुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ करें, जो उनके लिए शरई तौर पर मना है। और इस मायने में बदलाव करने वाले मुसलमान होंगे। लेकिन चूँकि वे लोग इस दरख़्वास्त की वजह से इस बदलाव करने का सबब हैं, इसलिए उनकी तरफ़ इसकी निस्बत की गई, और ज़िक्र हुए मायने में तब्दीली के वाक़ेअ़ होने से अल्लाह के अफ़आ़ल (यानी कामों) और सिफ़तों में कोई नुक़्स नहीं आता, क्योंकि वह हुक्म क़ानून बयान करने के तौर पर था, लेकिन मोमिनों का गुनाहगार होना लाज़िम आता है। मतलब का हासिल यह हुआ कि वे इसकी दरख़्वास्त करते हैं कि तुम गुनाह के करने वाले हो जाओ।

5. पहले से इसलिए कहा कि हुदैबिया से वापसी पर यह हुक्म हो गया था।

1. जिससे उनको ख़ुदा का हुक्म मानने में ज़रा भी संकोच नहीं हुआ।

2. इससे ख़ैबर की फ़त्ह मुराद है।

3. यानी सबके दिल में रौब पैदा कर दिया कि उनको ज़्यादा हाथ डालने की हिम्मत न हुई। और इससे तुम्हारा दुनियावी नफ़ा भी मक़सूद था, ताकि आराम हो।

4. मुराद इस सड़क से अल्लाह पर भरोसा और एतिमाद है, यानी हमेशा के लिए उसको सोचकर अल्लाह पर एतिमाद से काम लिया करो।

5. इससे मक्का का फ़त्ह होना मुराद है।

6. हुदैबिया में सुलह से पहले एक वाक़िआ़ यह हुआ कि एक जमाअ़त हथियार से लैस मक्का वालों में से यहाँ ख़ुफ़िया तौर पर इस इरादे से आई कि मौक़ा पाकर नऊज़ु बिल्लाह आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का काम तमाम कर दें। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उनको देख लिया और पकड़ लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको छोड़ दिया, यहाँ उस वाक़िए की तरफ़ इशारा है।

7. चुनाँचे उन मुसलमानों की जान बची और तुम्हारा दीन बचा।

उन काफ़िरों ने अपने दिलों में शर्म "और ग़ैरत" को जगह दी, और शर्म की जाहिलियत की।[1] सो अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल और मोमिनों को अपनी तरफ़ से तहम्मुल "संयम" अ़ता किया[2] और अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को तक़्वे की बात पर जमाए रखा[3] और वे उसके ज़्यादा हक़दार और उसके अहल हैं, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानता है। **(26)** ❖

बेशक अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल को सच्चा ख़्वाब दिखलाया जो हक़ीक़त के मुताबिक़ है कि तुम लोग मस्जिदे हराम (यानी मक्का) में इन्शा-अल्लाह ज़रूर जाओगे, अमन व शांति के साथ, कि तुममें कोई सर मुँडाता होगा और कोई बाल कतरवाता होगा, तुमको किसी तरह का अन्देशा न होगा। सो अल्लाह तआ़ला को वे बातें मालूम हैं जो तुमको मालूम नहीं, फिर उससे पहले एक फ़त्ह दे दी।[4] **(27)** वह (अल्लाह) ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत दी और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) देकर (दुनिया में) भेजा है, ताकि उसको तमाम दीनों पर ग़ालिब करे[5] और अल्लाह काफ़ी गवाह है। **(28)** मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आपकी सोहबत पाए हुए हैं वे काफ़िरों के मुक़ाबले में तेज़ हैं और आपस में मेहरबान हैं। ऐ मुख़ातब! तू उनको देखेगा कि कभी रुकूअ़ कर रहे हैं, कभी सज्दा कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल और रज़ामन्दी की तलाश में लगे हैं, उनके आसार सज्दे की तासीर की वजह से उनके चेहरों पर नुमायाँ हैं। ये उनकी सिफ़तें तौरात में हैं और इन्जील में उनका यह वस्फ़ है कि जैसे खेती कि उसने अपनी सूई निकाली, फिर उसने उसको मज़बूत किया, फिर वह और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधे खड़ी हो गई, कि किसानों को भली मालूम होने लगी, ताकि उनसे काफ़िरों को जलाए। अल्लाह तआ़ला ने उन हज़रात से जो कि ईमान लाए हैं और नेक काम कर रहे हैं, मग़्फ़िरत और बड़े अज्र का वायदा कर रखा है। **(29)** ❖

49 सूरः हुजुरात 106

सूरः हुजुरात मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 18 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

[6]ऐ ईमान वालो! अल्लाह और रसूल (की इजाज़त) से पहले तुम आगे मत बढ़ा करो[7] और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआ़ला (तुम्हारी सब बातों को) सुनने वाला, और (तुम्हारे सब कामों को) जानने वाला है। **(1)** ऐ ईमान वालो! तुम अपनी आवाज़ें पैग़म्बर की आवाज़ से ऊँची मत किया करो। और न उनसे

1. इस शर्म से मुराद वह ज़िद है जो बिस्मिल्लाह और रसूलुल्लाह के लफ़्ज़ लिखने में उन्होंने मुसलमानों से की थी, इसलिए इसको जाहिलियत की क़ैद के साथ बयान फ़रमाया, वरना मुतलक़ ग़ैरत व शर्म बुरी चीज़ नहीं।
2. जिससे अपने ऊपर संयम करके लिखने पर इसरार नहीं किया, यहाँ तक कि सुलह हो गई और कुफ़्फ़ार किताल से बच गए।
3. तक़्वे की बात से कलिमा-ए-तय्यिबा यानी तौहीद और रिसालत का इक़रार मुराद है, इसकी बदौलत कुफ़्र व शिर्क से बचाव हो जाता है, और यह कि वह चाहता है तक़्वा व इताअ़त के वाजिब करने को। और उसपर जमाए रखने का मतलब यह है कि तौहीद और रिसालत के एतिक़ाद का तक़ाज़ा अल्लाह व रसूल की इताअ़त हैं। और मुसलमानों का यह बर्दाश्त करना सिर्फ़ इस वजह से था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तहम्मुल और संयम का हुक्म फ़रमाया था। पस यह इताअ़त कलिमा-ए-तक़्वा पर जमना है।
4. ख़ैबर की फ़त्ह मुराद है।
5. हुज्जत और दलील के एतिबार से तो हमेशा, और मुसलमानों की हुकूमत और शान व शौकत के एतिबार से दीनदारों के सुधार की शर्त के साथ। और चूँकि यह शर्त सहाबा में पाई जाती थी इसलिए यह आयत रिसालत के सुबूत के साथ-साथ सहाबा के लिए आ़म फ़ुतूहात होने की ख़ुशख़बरी भी हो गई, चुनाँचे ऐसा ही ज़ाहिर हुआ। (शेष तफ़सीर पृष्ठ 932 पर)

ऐसे खुलकर बोला करो जैसे तुम आपस में एक-दूसरे से खुलकर बोला करते हो,[1] कहीं तुम्हारे आमाल बरबाद हो जाएँ और तुमको ख़बर भी न हो। **(2)** बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह के सामने पस्त रखते हैं, ये लोग वे हैं जिनके दिलों को अल्लाह तआ़ला ने तक़्वे के लिए ख़ास कर दिया है,[2] उन लोगों के लिए मग्फ़िरत और बड़ा अज्र है।[3] **(3)** जो लोग हुजरों के बाहर से आपको पुकारते हैं, उनमें अक्सरों को अ़क्ल नहीं है। **(4)** और अगर ये लोग (ज़रा) सब्र (और इन्तिज़ार) करते, यहाँ तक कि आप ख़ुद बाहर उनके पास आ जाते तो यह उन लोगों के लिए बेहतर होता, (क्योंकि यह अदब की बात थी)। और अल्लाह तआ़ला मग्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। **(5)** ऐ ईमान वालो! अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो ख़ूब तहक़ीक़ कर लिया करो, कभी किसी क़ौम को नादानी से कोई नुक़सान पहुँचा दो, फिर अपने किए पर पछताना पड़े।[4] **(6)** और जान लो कि तुममें अल्लाह के रसूल हैं। बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं कि अगर वह उसमें तुम्हारा कहना माना करें तो तुमको बड़ा नुक़सान पहुँचे। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने तुमको ईमान की मुहब्बत दी, और उसको तुम्हारे दिलों में पसन्दीदा कर दिया, और कुफ़्र और फ़िस्क़ और नाफ़रमानी से तुमको नफ़रत दी, ऐसे लोग सही रास्ते पर हैं **(7)** अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल और इनाम "की वजह" से। और अल्लाह तआ़ला जानने वाला और हिक्मत वाला है। **(8)** और अगर मुसलमानों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान इस्लाह कर दो। फिर अगर उनमें का एक गिरोह दूसरे पर ज़्यादती करे तो उस गिरोह से लड़ो जो ज़्यादती करता है, यहाँ तक कि वह ख़ुदा के हुक्म की तरफ़ रुजू हो जाए। फिर अगर रुजू हो जाए तो उन दोनों के दरमियान इन्साफ़ के साथ इस्लाह कर दो, और इन्साफ़ का ख़्याल रखो, बेशक अल्लाह इन्साफ़ वालों को पसन्द करता है। **(9)** मुसलमान तो सब भाई हैं। सो अपने दो भाइयों के

(पृष्ठ 930 का शेष) 6. इस सूरः के हिस्सों के मजमूए का हासिल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और दीनी भाइयों के हुक़ूक़ का बयान है। इन आयतों के नाज़िल होने का वाक़िआ़ यह है कि एक बार बनू तमीम के कुछ लोग आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा में आपस में आपकी मज्लिस में इस मामले में गुफ़्तगू हो गई कि उन लोगों पर हाकिम किसको बनाया जाए। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कअ़क़ा बिन माबद के बारे में राय दी, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अक़रा बिन हाबिस के बारे में राय दी, और गुफ़्तगू बढ़कर दोनों की आवाज़ें बुलन्द हो गईं, इसपर यह हुक्म नाज़िल हुआ।

7. यानी जब तक मज़बूत इशारात या स्पष्ट तौर पर गुफ़्तगू की इजाज़त न हो, उस वक़्त तक गुफ़्तगू मत किया करो।

1. यानी न बुलन्द आवाज़ से बोलो जबकि आपके सामने बात करना हो, अगरचे आपस में ही गुफ़्तगू हो, और न बराबर की आवाज़ से बोलो जबकि ख़ुद आपसे गुफ़्तगू करो।

2. मतलब यह कि कामिल मुत्तक़ी हैं।

3. अगली आयतों का वाक़िआ़ यह है कि वही बनू तमीम जब आपकी ख़िदमत में हाज़िर होने के लिए आए तो उस वक़्त आप अपने दौलत ख़ाना (यानी घर) में तशरीफ़ रखते थे। उन्होंने तमीज़ व तहज़ीब न होने की वजह से बाहर से आपको नाम ले-लेकर पुकारना शुरू किया। इसपर ये आयतें नाज़िल हुईं।

4. इसके नाज़िल होने का वाक़िआ़ इस तरह हुआ (और फिर हुक्म आ़म है) कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वलीद बिन उक़्बा को बनी मुस्तलक़ के क़बीले से ज़कात वसूल करने के लिए भेजा, और एक रिवायत में बनी वकीआ़ आया है। वलीद में और उनमें जाहिलियत के ज़माने में कुछ दुश्मनी थी। वलीद को वहाँ जाते हुए कुछ अन्देशा हुआ, उन लोगों ने सुनकर स्वागत किया, वलीद को यह ख़्याल हुआ कि ये लोग क़त्ल करने के इरादे से आए हैं। वापस आकर अपने ख़्याल के मुवाफ़िक़ कह दिया कि वे तो इस्लाम के मुख़ालिफ़ हो गए। आपने हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अ़न्हु को सही हालात की तहक़ीक़ के लिए भेजा और फ़रमा दिया कि ख़ूब तहक़ीक़ करना और जल्दी मत करना। चुनाँचे उन्होंने वहाँ फ़रमाँबरदारी और भलाई के सिवा कुछ न देखा। आकर आपको इत्मीनान दिला दिया, उसपर यह हुक्म नाज़िल हुआ।

फ़ायदाः इससे एक शरई हुक्म साबित हो गया कि बग़ैर तहक़ीक़ के ऐसी ख़बर पर अ़मल न करना चाहिए।

दरमियान इस्लाह कर दिया करो, और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुमपर रहमत की जाए। ▲ (10) ◆

ऐ ईमान वालो! न तो मर्दों को मर्दों पर हँसना चाहिए[1] क्या अ़जब है कि (जिनपर हँसते हैं) वे उन (हँसने वालों) से (ख़ुदा के नज़दीक) बेहतर हों। और न औ़रतों को औ़रतों पर हँसना चाहिए, क्या अ़जब है कि वे उनसे बेहतर हों। और न एक-दूसरे को ताना दो, और न एक-दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना (ही) बुरा है। और जो लोग (इन हरकतों से) बाज़ न आएँगे तो वे ज़ुल्म करने वाले हैं। **(11)** ऐ ईमान वालो! बहुत-से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़े गुमान गुनाह होते हैं। और सुराग़ मत लगाया करो। और कोई किसी की ग़ीबत भी न किया करे।[2] क्या तुममें से कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इसको तो तुम नागवार समझते हो। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा क़बूल करने वाला, मेहरबान है। **(12)** ऐ लोगो! हमने तुमको एक मर्द और एक औ़रत से पैदा किया है, और तुमको मुख़्तलिफ़ क़ौमें और मुख़्तलिफ़ ख़ानदान बनाया ताकि एक-दूसरे को पहचान सको।[3] अल्लाह के नज़दीक तुम सबमें बड़ा शरीफ़ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह ख़ूब जानने वाला, पूरा ख़बर रखने वाला है। **(13)** ये गँवार कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप फ़रमा दीजिए कि तुम ईमान तो नहीं लाए लेकिन यूँ कहो कि हम (मुख़ालफ़त छोड़कर) फ़रमाँबरदार हो गए, और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाख़िल नहीं हुआ।[4] और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का कहना मान लो तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल में से ज़रा भी कमी न करेगा। बेशक अल्लाह मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। **(14)** पूरे मोमिन वे हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक नहीं किया और अपने माल और जान से ख़ुदा के रास्ते में जिहाद किया, ये लोग हैं सच्चे। **(15)** आप

---

1. 'हँसी उड़ाना' वह हँसी है जिससे दूसरे का अपमान हो और दिल को तकलीफ़ पहुँचे, और जिससे दूसरे का दिल खुश हो वह मिज़ाह कहलाता है, और वह जायज़ है।

2. ग़ीबत यह है कि किसी की पीठ-पीछे उसकी ऐसी बुराई करना कि उसके सामने की जाए तो उसको तकलीफ़ हो। अगरचे वह सच्ची बात हो, वरना बोहतान है। और पीठ-पीछे की क़ैद से यह न समझा जाए कि सामने जायज़ है, क्योंकि वह ताना देने में दाख़िल है जिसकी मनाही ऊपर आई है।

फ़ायदाः तहक़ीक़ी बात यह है कि ग़ीबत गुनाहे कबीरा (यानी बड़ा गुनाह) है। लेकिन जिससे बहुत कम तकलीफ़ हो वह सग़ीरा (यानी छोटा) हो सकता है।

फ़ायदाः बिना सख़्त मजबूरी के ग़ीबत सुनना ग़ीबत करने ही की तरह मना है।

3. शु-अ़ब् ख़ानदान की जड़ को कहते हैं, क़बीला उसकी शाख़ को। जैसे सय्यिद एक शु-अ़ब् है और हसनी और हुसैनी क़बीले हैं। इसी तरीक़े पर और को सोच लिया जाए।

4. यहाँ इस्लाम से मुराद इस्लाम के लुग़वी मायने हैं, शरई इस्लाम नहीं। पस इस आयत से ईमान व इस्लाम के एक-दूसरे से अलग होने पर दलील पकड़ना सही नहीं है।

फ़रमा दीजिए कि क्या ख़ुदा तआ़ला को अपने दीन की ख़बर देते हो[1] हालाँकि अल्लाह को तो आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों की ख़बर है, और अल्लाह सब चीज़ों को जानता है।[2] (16) ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर एहसान रखते हैं, आप कह दीजिए कि मुझपर अपने इस्लाम लाने का एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुमपर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दी, बशर्ते कि तुम सच्चे हो।[3] (17) बेशक अल्लाह तआ़ला आसमान और ज़मीन की छुपी बातों को जानता है, और तुम्हारे सब आमाल को भी जानता है। (18) ◆

50 सूरः क़ाफ़ 34

सूरः क़ाफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 45 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़ाफ़। क़सम है क़ुरआन मजीद की। (1) बल्कि उनको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उनके पास उन्हीं (की) जिन्स में से (कि इनसान हैं) एक डराने वाला (यानी पैग़म्बर) आ गया। सो काफ़िर लोग कहने लगे कि यह (एक) अ़जीब बात है। (2) जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो क्या दोबारा ज़िन्दा होंगे? यह दोबारा ज़िन्दा होना (संभावना से) बहुत ही दूर की बात है। (3) हम उनके उन हिस्सों को जानते हैं जिनको मिट्टी (खाती और) कम करती है। और हमारे पास (वह) किताब (यानी लौहे) महफ़ूज़ (मौजूद) है। (4) बल्कि सच्ची बात को जबकि वह उनको पहुँचती है तो झुठलाते हैं। ग़रज़ यह कि वे एक डाँवाडोल हालत में हैं।[4] (5) क्या उन लोगों ने अपने ऊपर की तरफ़ आसमान को नहीं देखा कि हमने उसको कैसा (ऊँचा और बड़ा) बनाया, और (सितारों से) उसको सँवार दिया, और उसमें कोई रख़ना "यानी छेद, नुक़्स और फटन" तक नहीं। (6) और ज़मीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ों को जमाया, और उसमें हर क़िस्म की ख़ुशनुमा चीज़ें उगाईं (7) जो ज़रिया है देखने और समझने का[5] हर रुजू होने वाले बन्दे के लिए।[6] (8) और हमने आसमान से बरकत (यानी नफ़े) वाला पानी बरसाया, फिर उससे बहुत-से बाग़ उगाए और खेती का ग़ल्ला (9) और लम्बी-लम्बी खजूर के पेड़ जिनके गुच्छे ख़ूब गुंधे हुए होते हैं (10) बन्दों को रिज़्क़ देने के लिए। और हमने उस (बारिश) के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा किया (पस) इसी तरह ज़मीन से निकलना होगा।[7] (11) इससे

1. यानी अल्लाह तआ़ला तो जानते हैं कि तुमने ईमान क़बूल नहीं किया, इसके बावजूद जो तुम दावा क़बूल करने का करते हो तो लाज़िम आता है कि अल्लाह तआ़ला के इल्म के ख़िलाफ़ एक बात बताते हो।

2. इससे मालूम हुआ कि हक़ तआ़ला को जो तुम्हारे मुताल्लिक़ इल्म है कि तुम ईमान नहीं लाए, वही सही है।

3. यहाँ लफ़्ज़ 'ईमान' फ़रमाने से शुब्हा न किया जाए कि उसका ईमान होना तस्लीम कर लिया गया। बात यह है कि यहाँ फ़र्ज़ कर लेने के तौर पर गुफ़्तगू है, जिसमें उनकी तरफ़ से गुफ़्तगू की गई है। जैसा कि "अगर तुम सच्चे हो" में क़रीना है। यानी अगर मान लो तुम्हारे दावे के मुवाफ़िक़ इसको ईमान मान लिया जाए तो भी ख़ुदा ही का एहसान है।

4. इसलिए कि कभी ताज्जुब है, कभी झुठलाना है।

5. यानी हमारी क़ुदरत को पहचानने का ज़रिया है।

6. यानी ऐसे शख़्स के लिए जो इस ग़रज़ से बनाई हुई चीज़ों में ग़ौर-फ़िक्र करने की तरफ़ मुतवज्जह हो जो कि एक तरह से उनके बनाने वाले की तरफ़ तवज्जोह करना है। शेष तफ़सीर पृष्ठ 936 पर)

पहले क़ौमे नूह और रस्स वालों और समूद ने झुठलाया (12) और आद और फ़िरऔन और क़ौमे लूत ने भी झुठलाया (13) और ऐका वालों और क़ौमे तुब्बा ने झुठलाया। (यानी) सबने पैग़म्बरों को झुठलाया, सो मेरी वईद (उनपर) साबित हो गई।[1] (14) क्या हम पहली बार पैदा करने में थक गए? बल्कि ये लोग नए सिरे से पैदा करने की तरफ़ से (महज़ बेदलील) शुब्हे में हैं। (15) ◆

और हमने इनसान को पैदा किया है, और उसके जी में जो ख़्यालात आते हैं हम उनको जानते हैं, और हम इनसान के इस क़द्र क़रीब हैं कि उसकी गर्दन की रग से भी ज़्यादा।[2] (16) जब दो लेने वाले फ़रिश्ते लेते रहते हैं, जो कि दाईं और बाईं तरफ़ बैठे रहते हैं। (17) वह कोई लफ़्ज़ मुँह से निकालने नहीं पाता मगर उसके पास ही एक ताक लगाने वाला तैयार है। (18) और मौत की सख़्ती (नज़दीक) आ पहुँची।[3] यह (मौत) वह चीज़ है जिससे तू बिदकता था। (19) और (क़ियामत के दिन दोबारा) सूर फूँका जाएगा। यही दिन होगा वईद का। (20) और हर शख़्स (क़ियामत के मैदान में) इस तरह आएगा कि उसके साथ एक "और होगा जो" उसको अपने साथ लाएगा, और एक (उसके आमाल का) गवाह होगा। (21) तू इस दिन से बेख़बर था, सो अब हमने तेरे ऊपर से तेरा (ग़फ़लत का) पर्दा हटा दिया, सो आज (तो) तेरी निगाह बड़ी तेज़ है। (22) और (उसके बाद) फ़रिश्ता जो उसके साथ रहता था, अर्ज़ करेगा कि यह वह (रोज़नामचा है) जो मेरे पास तैयार है। (23) ऐसे शख़्स को जहन्नम में डाल दो जो कुफ़्र करने वाला हो (24) और (हक़ से) ज़िद रखता हो, और नेक काम से रोकता हो, और (बन्दगी की) हद से बाहर जाने वाला हो, (और दीन में) शुब्हा पैदा करने वाला हो। (25) जिसने ख़ुदा के साथ दूसरा माबूद तजवीज़ किया हो, सो ऐसे शख़्स को सख़्त अ़ज़ाब में डाल दो। (26) वह शैतान जो उसके साथ रहता था, कहेगा कि ऐ हमारे परवर्दिगार! मैंने इसको ज़बरदस्ती गुमराह नहीं किया था, लेकिन यह ख़ुद दूर-दराज़ की गुमराही में था। (27) इरशाद होगा, मेरे सामने झगड़े की बातें मत करो, (कि बेफ़ायदा हैं) और मैं तो पहले ही तुम्हारे पास वईद भेज चुका था। (28) मेरे यहाँ (वह) बात (ज़िक्र हुई वईद की) नहीं बदली जाएगी, और मैं (इस तजवीज़ में) बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं हूँ। (29) ◆

जिस दिन कि हम दोज़ख़ से कहेंगे कि तू भर भी गई? वह कहेगी कि कुछ और भी है?[4] (30) और

(पृष्ठ 934 का शेष) 7. यानी जब इन उमूर पर हमारी क़ुदरत साबित हो गई तो मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क्यों न होगी? पस क़ुदरत में होना मुम्किन और करने वाला इल्म और क़ुदरत की सिफ़्तों से मुत्तसिफ़ हुआ, फिर ताज्जुब या झुठलाने के क्या मायने?

1. यानी उन सबपर अ़ज़ाब नाज़िल हुआ। इसी तरह इन झुठलाने वालों पर अ़ज़ाब आएगा, चाहे दुनिया में भी या सिर्फ़ आख़िरत में।

2. मतलब यह हुआ कि हम इल्म के एतिबार से उसकी रूह और नफ़्स से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। जैसा इल्म इनसान को अपने हालात का है हमको उसका इल्म ख़ुद उससे भी ज़्यादा है।

3. यानी हर शख़्स की मौत क़रीब है।

4. यह पूछना शायद काफ़िरों में हौल और डर बिठाने के लिए हो कि जवाब सुनकर उनके दिल में दोज़ख़ का ख़ौफ़ और डर पैदा हो जाए कि हम कैसे ग़ज़ब और ग़ुस्से के ठिकाने पर पहुँचे हैं।

जन्नत मुत्तक़ियों के क़रीब लाई जाएगी, कि कुछ दूर न रहेगी।[1] (31) यह है वह चीज़ जिसका तुमसे वायदा किया जाता था, कि वह हर ऐसे शख़्स के लिए है जो रुजू होने वाला, पाबन्दी करने वाला हो। (32) जो शख़्स ख़ुदा तआ़ला से बेदेखे डरता हो और रुजू होने वाला दिल लेकर आएगा। (33) इस जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल हो जाओ, यह दिन है हमेशा रहने का। (34) उनको जन्नत में सब कुछ मिलेगा जो-जो चाहेंगे, और हमारे पास और भी ज़्यादा (नेमत है)। (35) और हम उन (मक्का वालों) से पहले बहुत-सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो क़ुव्वत में उनसे (कहीं) ज़्यादा थे, और तमाम शहरों को छानते फिरते थे[2] (लेकिन जब हमारा अ़ज़ाब नाज़िल हुआ तो उनको) कहीं भागने की जगह न मिली।[3] (36) इसमें उस शख़्स के लिए बड़ी इबरत है जिसके पास (समझने वाला) दिल हो, या वह (कम-से-कम दिल से) मुतवज्जह होकर (बात की तरफ़) कान ही लगा देता हो। (37) और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान में है उस सबको छह दिन में पैदा किया, और हमको थकान ने छुआ तक नहीं। (38) सो उनकी बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहिए, (इसमें नमाज़ भी दाख़िल है) सूरज निकलने से पहले (जैसे सुबह की नमाज़) और छुपने से पहले (जैसे ज़ोहर और अ़सर) (39) और रात में भी उसकी तस्बीह किया कीजिए, (इसमें मग़्रिब और इशा आ गई) और (फ़र्ज़) नमाज़ों के बाद भी।[4] (40) और सुन लो कि जिस दिन एक पुकारने वाला पास ही से पुकारेगा।[5] (41) जिस दिन उस चीख़ने को यक़ीनन सब सुन लेंगे, यह दिन होगा (क़ब्रों से) निकलने का। (42) हम ही (अब भी) जिलाते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारी ही तरफ़ फिर लौटकर आना है। (43) जिस दिन ज़मीन उन (मुर्दों) पर से खुल जाएगी, जबकि वे दौड़ते होंगे। यह हमारे नज़दीक एक आसान जमा कर लेना है। (44) जो-जो कुछ ये लोग कह रहे हैं हम ख़ूब जानते हैं, और आप उनपर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं। तो आप क़ुरआन के ज़रिए से ऐसे शख़्स को नसीहत करते रहिए जो मेरी वईद "सज़ा की धमकी" से डरता हो। (45) ❖

51 सूरः ज़ारियात 67

सूरः ज़ारियात मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 60 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है उन हवाओं की जो ग़ुबार वग़ैरह को उड़ाती हों। (1) फिर उन बादलों की जो बोझ (यानी बारिश) को उठाते हैं। (2) फिर उन कश्तियों की जो नरमी से चलती हैं। (3) फिर उन फ़रिश्तों की जो (हुक्म के मुवाफ़िक़) चीज़ें बाँटते हैं। (4) तुमसे जिस (यानी क़ियामत) का वायदा किया जाता है, वह

---

1. 'जन्नत के क़रीब लाने' की दो सूरतें हो सकती हैं- या तो उसकी जगह से मुन्तक़िल करके क़ियामत के मैदान में ले आएँ और अल्लाह को सब क़ुदरत है। तो इस सूरत में "उसमें दाख़िल हो जाओ" फ़रमाना इस मायने में नहीं है कि अभी चले जाओ, बल्कि ख़ुशख़बरी और वायदा है कि तुम हिसाब-किताब वग़ैरह के बाद उसमें जाना। और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि हिसाब वग़ैरह से फ़ारिग़ होने के बाद उन लोगों को जन्नत के क़रीब पहुँचाकर बाहर ही से कहा जाएगा कि "यह है वह चीज़ जिसका तुमसे वायदा किया जाता था" फिर और क़रीब करके कहा जाएगा "उसमें दाख़िल हो जाओ...... आख़िर तक"।
2. यानी ताक़त के साथ रोज़गार और कमाने के असबाब में भी बड़ी तरक़्क़ी दी थी।
3. यानी किसी तरह बच न सके।
4. हासिल यह हुआ कि अल्लाह के ज़िक्र में और उसकी फ़िक्र में लगे रहिए ताकि उनके कुफ़्रिया क़ौलों की तरफ़ तवज्जोह न हो।
5. पास का मतलब यह है कि वह आवाज़ सबको बेतकल्लुफ़ पहुँचेगी, (शेष तफ़सीर पृष्ठ 940 पर)

बिलकुल सच है। **(5)** और (आमाल की) जज़ा (और सज़ा) ज़रूर होने वाली है।[1] **(6)** क़सम है आसमान की जिसमें (फ़रिश्तों के चलने के) रास्ते हैं **(7)** कि तुम (यानी सब) लोग (क़ियामत के बारे में) मुख़्तलिफ़ गुफ़्तगू में हो। **(8)** उससे वही फिरता है जिसको फिरना होता है। **(9)** ग़ारत हो जाएँ बे-सनद बातें करने वाले[2] **(10)** जो कि जहालत में भूले हुए हैं।[3] **(11)** पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? **(12)** जिस दिन वे लोग आग पर रखे जाएँगे **(13)** (और कहा जाएगा कि) अपनी उस सज़ा का मज़ा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। **(14)** बेशक मुत्तक़ी लोग जन्नतों में और चश्मों में होंगे। **(15)** (और) उनके रब ने उनको जो (सवाब) अ़ता किया होगा वह उसको (खुशी-खुशी) ले रहे होंगे। (और क्यों न हो) वे लोग इससे पहले (दुनिया में) नेक काम करने वाले थे। **(16)** वे लोग रात को बहुत कम सोते थे।[4] **(17)** और रात के अख़ीर में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। **(18)** और उनके माल में सवाली और ग़ैर-सवाली का हक़ था।[5] **(19)** और यक़ीन लाने वालों के लिए ज़मीन में बहुत-सी निशानियाँ हैं **(20)** और खुद तुम्हारी ज़ात में भी। और क्या तुमको दिखाई नहीं देता। **(21)** और तुम्हारा रिज़्क़ और जो तुमसे (क़ियामत के मुताल्लिक़) वायदा किया जाता है **(22)** (उन) सबका (मुतैयन वक़्त) आसमान में है, तो क़सम है आसमान और ज़मीन के परवर्दिगार की कि वह बरहक़ है जैसा कि तुम बातें कर रहे हो। **(23)** ❖

क्या इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के मुअ़ज़्ज़ज़ "यानी सम्मानित" मेहमानों की हिकायत आप तक पहुँची है? **(24)** (और यह क़िस्सा उस वक़्त में था) जबकि वे (मेहमान) उनके पास आए फिर उनको सलाम किया, इब्राहीम (अ़लैहि.) ने भी (जवाब में) कहा, सलाम (और कहने लगे कि) अन्जान लोग (मालूम होते) हैं। **(25)** फिर अपने घर की तरफ़ चले और एक मोटा-ताज़ा बछड़ा (तला हुआ) लाए। **(26)** और उसको उनके पास (यानी सामने लाकर) रखा। कहने लगे, आप लोग खाते क्यों नहीं? **(27)** तो उनसे दिल में डरे, उन्होंने कहा कि तुम डरो मत और उनको एक लड़के की खुशख़बरी दी, जो बड़ा आ़लिम होगा।[6] **(28)** इतने में उनकी बीवी बोलती हुई आईं, फिर माथे पर हाथ मारा और कहने लगीं कि (पहले तो) बुढ़िया (फिर) बाँझ। **(29)** फ़रिश्ते कहने लगे कि तुम्हारे परवर्दिगार ने ऐसा ही फ़रमाया है, कुछ शक नहीं कि वह बड़ा हिक्मत वाला, जानने वाला है।[7] **(30)**

(पृष्ठ 938 का शेष) और जैसे अक्सर दूर की आवाज़ किसी को पहुँचती है किसी को नहीं पहुँचती, ऐसा न होगा।

1. इन क़स्मों में इशारा है दलील की तरफ़। यानी ये सब अ़जीब तसर्रुफ़ात खुदाई क़ुदरत से होना दलील है अ़ज़्मते क़ुदरत की, फिर ऐसे बड़े क़ुदरत वाले को क़ियामत का क़ायम करना क्या मुश्किल है?

2. यानी जो अपने पास बिना दलील के होते हुए क़ियामत का इनकार करते हैं।

3. भूलने से मुराद वह ग़फ़लत है जो अपने इख़्तियार से हो।

4. यानी रात का ज़्यादा हिस्सा इबादत में ख़र्च करते थे।

5. यानी ऐसी पाबन्दी और एहतिमाम से देते थे कि जैसे उनके ज़िम्मे उनका कुछ आता हो। मुराद इससे ज़कात के अ़लावा है।

फ़ायदाः यह मतलब नहीं है कि "जन्नतें और चश्मे" इन नवाफ़िल पर मौक़ूफ़ हैं। बल्कि बुलन्द दर्जे वालों का ज़िक्र फ़रमाया गया है।

6. इससे इसहाक़ अ़लैहिस्सलाम मुराद हैं।

7. यानी अपने आपमें अगरचे यह बात ताज्जुब की है, मगर तुमको जो कि नुबुव्वत के ख़ानदान में रहती हो और इल्म व समझ भी रखती हो, यह मालूम करके कि यह खुदा का इरशाद है, ताज्जुब में न रहना चाहिए।

सत्ताईसवाँ पारः क़ा-ल फ़मा ख़त्बुकुम

सूरः ज़ारियात (आयत 31 से 60)

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) कहने लगे (कि) अच्छा तो (यह बतलाओ कि) तुमको बड़ी मुहिम क्या पेश आई है ऐ फ़रिश्तो![1] **(31)** फ़रिश्तों ने कहा कि हम एक मुजरिम क़ौम (यानी लूत अ़लैहिस्सलाम की क़ौम) की तरफ़ भेजे गए हैं। **(32)** ताकि हम उनपर घिंगर के पत्थर बरसाएँ। **(33)** जिनपर आपके रब के पास (यानी आ़लिमे ग़ैब में) ख़ास निशानियाँ भी हैं हद से गुज़रने वालों के लिए।[2] **(34)** और हमने जितने ईमान वाले थे उनको वहाँ से निकाल कर अलग कर दिया। **(35)** सो मुसलमानों के सिवाय एक घर के और कोई घर (मुसलमानों का) हमने नहीं पाया।[3] **(36)** और हमने इस वाक़िए में (हमेशा के वास्ते) ऐसे लोगों के लिए इबरत रहने दी[4] जो दर्दनाक अ़ज़ाब से डरते हैं।[5] **(37)** और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के क़िस्से में भी इबरत है, जबकि हमने उनको फ़िरऔ़न के पास एक खुली हुई दलील (यानी मोजिज़ा) देकर भेजा। **(38)** सो उसने अपनी हुकूमत के अरकान सहित सरकशी की और कहने लगा कि यह जादूगर है या मजनूँ। **(39)** सो हमने उसको और उसके लश्कर को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया (यानी ग़र्क़ कर दिया) और उसने काम ही मलामत का किया था। **(40)** और आ़द के क़िस्से में भी इबरत है, जबकि हमने उनपर नामुबारक आँधी भेजी। **(41)** जिस चीज़ पर गुज़रती थी (यानी उन चीज़ों में से कि जिनके हलाक करने का हुक्म था) उसको ऐसा कर छोड़ती थी जैसे कोई चीज़ गलकर रेज़ा-रेज़ा हो जाती है। **(42)** और समूद के क़िस्से में भी इबरत है, जबकि उनसे कहा गया, और थोड़े दिनों चैन-सुकून ले लो। **(43)** सो (इस डराने पर भी) उन लोगों ने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, सो उनको अ़ज़ाब ने आ पकड़ा और वे (उस अ़ज़ाब के आसार को) देख रहे थे। **(44)** सो न तो खड़े ही हो सके और न (हमसे) बदला ले सके। **(45)** और उनसे पहले नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम का यही हाल हो चुका था। (यानी इस सबब से कि) वे बड़े नाफ़रमान लोग थे। **(46)** ❖

और हमने आसमानों को (अपनी) क़ुदरत से बनाया और हम बड़ी क़ुदरत वाले हैं। **(47)** और हमने ज़मीन को फ़र्श (के तौर पर) बनाया, सो हम (कैसे) अच्छे बिछाने वाले हैं। **(48)** और हमने हर चीज़ को दो-दो क़िस्म बनाया, ताकि तुम (उन बनाई हुई चीज़ों से तौहीद को) समझो। **(49)** तो तुम अल्लाह ही की (तौहीद की) तरफ़ दौड़ो, मैं तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से खुला डराने वाला (होकर आया) हूँ। **(50)** और ख़ुदा के साथ कोई और माबूद मत क़रार दो। मैं तुम्हारे वास्ते अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से खुला डराने वाला हूँ।[6] **(51)** इसी तरह जो (काफ़िर) लोग उनसे पहले हो गुज़रे हैं, उनके पास कोई

---

1. जब प्यारे मेहमानों ने जो आदमियों की शक्ल में थे बताया कि हम फ़रिश्ते हैं और हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह का ख़ौफ़ जो उनके अचानक ज़ाहिर होने पर तारी हुआ था, जाता रहा तो आपने महसूस किया कि सिर्फ़ लड़के की खुशख़बरी देना इनका मक़सद नहीं था, क्योंकि उसके लिए एक क़ासिद को भेज देना काफ़ी था। यक़ीनन ये किसी अहम मामले के लिए भेजे गए हैं। इसलिए दरियाफ़्त फ़रमाया कि आप हज़रात के आने की असली ग़रज़ क्या है?

2. फ़रिश्तों ने बताया कि लूत अ़लैहिस्सलाम की मुज्रिम क़ौम पर पत्थर बरसाकर उनको तहस-नहस करने पर मुतैयन हुए हैं। जो मुज्रिम जिस पत्थर से हलाक होने वाला है, उसपर उसका नाम भी लिखा है। ग़रज़ यह कि सख़्त पकड़ करने वाले रब ने उनकी सख़्त बुरी हरकतों की सज़ा में जो इनसानियत के लिए शर्म का सबब थीं, उनपर कंकरी के पत्थर बरसाए जिससे वे हलाक हो गए।

3. उस क़सबे में लूत अ़लैहिस्सलाम के घराने के सिवा मुसलमानों का कोई घर न था, उसको बचा लिया गया। आपकी बीवी चूँकि काफ़िरा थी वह भी तमाम क़ौम की तरह हलाकत के गढ़े में डाल दी गई। लूत अ़लैहिस्सलाम की बीवी दो हाल से ख़ाली न थी- या तो मुनाफ़िक़ा थी यानी ज़ाहिर में मोमिना और बातिन में काफ़िरा, अगर ऐसा था तो मालूम हुआ कि मुनाफ़िक़ औरत से **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 944 पर)**

पैग़म्बर ऐसा नहीं आया जिसको उन्होंने जादूगर या मजनूँ न कहा हो। **(52)** क्या इस बात की एक-दूसरे को वसीयत करते चले आते हैं,[1] बल्कि (इस एक ही बात पर जमा होने की वजह यह हुई कि) ये सब-के-सब सरकश लोग हैं।[2] **(53)** सो आप उनकी तरफ़ तवज्जोह न कीजिए[3] क्योंकि आप पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं। **(54)** और समझाते रहिए कि समझाना ईमान (लाने) वालों को (भी) नफ़ा देगा। **(55)** और मैंने जिन्न और इनसान को इसी वास्ते पैदा किया है कि मेरी इबादत किया करें। **(56)** मैं उनसे (मख़्लूक़ को) रिज़्क़ पहुँचाने की दरख़्वास्त नहीं करता। और न यह दरख़्वास्त करता हूँ कि वे मुझको खिलाया करें। **(57)** अल्लाह ख़ुद ही सबको रिज़्क़ पहुँचाने वाला, ताक़त वाला, निहायत क़ुव्वत वाला है।[4] **(58)** तो उन ज़ालिमों के लिए (अल्लाह के इल्म में सज़ा की) भी बारी मुक़र्रर है, जैसे (पहले गुज़र चुके) उन्हीं जैसे तरीक़े वाले लोगों की बारी (मुक़र्रर) थी, सो मुझसे (अ़ज़ाब) जल्दी तलब न करें। **(59)** ग़रज़ उन काफ़िरों के लिए उस दिन के आने से बड़ी ख़राबी होगी जिसका उनसे वायदा किया जाता है।[5] **(60)** ❖

52 सूरः तूर 76

सूरः तूर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 49 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

और क़सम है तूर (पहाड़) की **(1)** और उस किताब की जो लिखी है **(2)** खुले हुए काग़ज़ में **(3)** और (क़सम है) बैतुल-मअ़मूर की।[6] **(4)** और (क़सम है) ऊँची छत की, (मुराद आसमान है)। **(5)** और (क़सम है) नमकीले पानी के दरिया की, जो (पानी से) भरा हुआ है।[7] **(6)** कि बेशक आपके रब का अ़ज़ाब ज़रूर होकर रहेगा। **(7)** कोई उसको टाल नहीं सकता। **(8)** (और यह उस दिन ज़ाहिर होगा) जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा। **(9)** और पहाड़ (अपनी जगह से) हट जाएँगे। **(10)** तो जो लोग झुठलाने वाले हैं (और) जो (झूठ के) मश्ग़ले में बेहूदगी के साथ लग रहे हैं **(11)** उनकी उस दिन कमबख़्ती आएगी। **(12)** जिस दिन कि उनको दोज़ख़ की आग की तरफ़ धक्के देकर लाएँगे। **(13)** यह वही दोज़ख़ है जिसको तुम झुठलाया करते थे[8] **(14)** तो क्या यह (भी) जादू है (देखकर बतलाओ)? या यह कि तुमको (अब भी) नज़र नहीं आता। **(15)** उसमें दाख़िल हो, फिर चाहे (उसकी) सहार करना या सहार न करना, तुम्हारे हक़ में दोनों बराबर हैं।[9] जैसा तुम करते थे वैसा ही बदला तुमको दिया जाएगा।[10] **(16)** बेशक मुत्तक़ी लोग (जन्नत के) बाग़ों और ऐश के सामान में होंगे। **(17)** (और) उनको जो चीज़ें उनके परवर्दिगार ने दी होंगी उनसे दिल से ख़ुश होंगे, और

(पृष्ठ 942 का शेष) मोमिन का निकाह जायज़ है जब तक कुल्ली तौर पर किसी कुफ़िया अ़मल को न करे, उस वक़्त तक वह मोमिन के निकाह में रह सकती है। और अगर वह औरत खुलेआ़म काफ़िरा थी तो उस वक़्त ग़ैर-मुस्लिम औरत से निकाह जायज़ होगा।

4. लूत अ़लैहिस्सलाम की क़ौम की बस्ती बिलकुल तबाह व बर्बाद कर दी गई और उस सरज़मीन पर एक दरिया ज़ाहिर हो गया जो उस हौलनाक हादसे की यादगार 'बहीरा-ए-लूत' के नाम से अब तक मश्हूर है। उस दरिया का पानी इतना कड़वा और बदबूदार है कि कोई जानदार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके किनारे कोई पेड़ भी नहीं उगता।

5. हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम की तबाहशुदा बस्ती की जगह तमाम लोगों के लिए इबरत की जगह है। लेकिन बदबख़्त काफ़िर उससे इबरत हासिल नहीं करते, बल्कि उन्होंने हक़ीक़ते हाल के चेहरे पर बात बनाने का मुलम्मा कर रखा है कि उस मक़ाम पर कोयले और गन्धक की खान थी जिसके उड़ने से यह दरिया ज़ाहिर हो गया था। ग़रज़ यह मक़ाम सिर्फ़ ईमान वालों के लिए इबरत की जगह है काफ़िर लोग उससे सबक़ नहीं लेते।

6. आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि आप वाक़ई बेशक साफ़ तौर पर डराने वाले हैं जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ, लेकिन ये आपके मुख़ालिफ़ ऐसे जाहिल हैं कि 'अल्लाह की पनाह!' आपको कभी जादूगर, कभी मजनूँ बताते हैं, सो आप सब्र कीजिए।

1. यानी यह जमा होना तो ऐसा हो गया जैसे एक-दूसरे को कहते चले आते हों कि देखो **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 946 पर)**

उनका परवर्दिगार उनको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखेगा। **(18)** ख़ूब खाओ और पियो मज़े के साथ, अपने आमाल के बदले में। **(19)** तकिया लगाए हुए तख़्तों पर जो बराबर-बराबर बिछाए हुए हैं, और हम उनका गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वालियों (यानी हूरों) से विवाह कर देंगे। **(20)** और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को भी (दर्जे में) उनके साथ शामिल कर देंगे, और उनके अ़मल में से कोई चीज़ कम नहीं करेंगे।[1] हर शख़्स अपने (कुफ़्रिया) आमाल में (दोज़ख़ में) क़ैद रहेगा। **(21)** और हम उनको मेवे और गोश्त जिस क़िस्म का उनको पसन्द हो दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाला देते रहेंगे। **(22)** (और) वहाँ आपस में (दिल्लगी के तौर पर) शराब के जाम में छीना-झपटी भी करेंगे, उसमें न बक-बक लगेगी (क्योंकि नशा न होगा) और न कोई बेहूदा बात होगी। **(23)** और उनके पास ऐसे लड़के आएँगे जो ख़ास उन्हीं के लिए होंगे, गोया कि वे हिफ़ाज़त से रखे हुए मोती हैं।[2] **(24)** और वे एक-दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह होकर बातचीत करेंगे। **(25)** यह भी कहेंगे कि (भाई) हम तो इससे पहले अपने घर (यानी दुनिया में अपने अन्जाम से) बहुत डरा करते थे। **(26)** सो ख़ुदा ने हमपर बड़ा एहसान किया और हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचा लिया। **(27)** हम इससे पहले (यानी दुनिया में) उससे दुआ़एँ माँगा करते थे, वाक़ई वह बड़ा एहसान करने वाला, मेहरबान है। **(28)** ❖

तो आप समझाते रहिए क्योंकि आप अल्लाह के फ़ज़्ल से न तो काहिन हैं और न मजनूँ हैं[3] (जैसा कि ये मुश्रिक लोग कहते हैं)। **(29)** हाँ, ये लोग यूँ (भी) कहते हैं कि यह शायर हैं (और) हम उनके बारे में मौत के हादसे का इन्तिज़ार कर रहे हैं। **(30)** आप फ़रमा दीजिए कि (ठीक है) तुम मुन्तज़िर रहो, सो मैं भी तुम्हारे साथ मुन्तज़िर हूँ।[4] **(31)** क्या उनकी अ़क़्लें उनको इन बातों की तालीम करती हैं? या यह है कि ये बुरे लोग हैं।[5] **(32)** हाँ, क्या यह (भी) कहते हैं कि उन्होंने इस (क़ुरआन) को ख़ुद घड़ लिया है, बल्कि ये लोग तस्दीक़ नहीं करते। **(33)** तो ये लोग इस तरह का कोई कलाम (बनाकर) ले आएँ अगर ये (इस दावे में) सच्चे हैं। **(34)** (आगे तौहीद के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू है कि) क्या ये लोग बग़ैर किसी पैदा करने वाले के ख़ुद-ब-ख़ुद पैदा हो गए हैं, या ये ख़ुद अपने पैदा करने वाले हैं? **(35)** या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? बल्कि ये लोग (अपनी जहालत की वजह से तौहीद का) यक़ीन नहीं लाते। **(36)** क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब के ख़ज़ाने हैं, या ये लोग (इस नुबुव्वत के महकमे के) हाकिम हैं? **(37)** क्या उनके पास कोई सीढ़ी है कि उसपर (चढ़कर आसमान की) बातें सुन लिया करते हैं? तो उनमें से जो (वहाँ की) बातें सुन आता हो वह (इस दावे पर) कोई साफ़ दलील पेश करे। **(38)** क्या अल्लाह के लिए बेटियाँ और तुम्हारे लिए

(पृष्ठ 944 का शेष) जो रसूल आए तुम भी हमारी तरह कहना।

2. यानी सबब उस क़ौल की सरकशी है, चूँकि वह मुश्तरक है इसलिए क़ौल भी मुश्तरक हो गया।

3. इस आयत के नाज़िल होने पर सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को सख़्त मलाल हुआ और समझे कि अब वह्य रुक गई और अ़ज़ाब नाज़िल हुआ चाहता है, क्योंकि हक़ तआ़ला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को काफ़िरों की नाफ़रमानियाँ देखकर ख़ामोश ही रहने और मुँह फेर लेने का हुक्म सादिर फ़रमा दिया है, लेकिन जब अगली आयत में यह हुक्म नाज़िल हुआ कि आप समझाते रहिए क्योंकि समझाना ईमान लाने वालों को भी नफ़ा देगा, तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दम में दम आया।

4. हासिल यह कि जब इस इबादत का हुक्म करने से हमारी कोई ग़रज़ नहीं बल्कि ख़ुद बन्दों ही का नफ़ा है तो उनको इसमें कुछ तरद्दुद न होना चाहिए।

5. यानी जिस तरह गुज़रे हुए ज़मानों के काफ़िरों ने गुनाहों और नाफ़रमानियों की गठरी बाँध ली थी, उसी तरह मक्का के काफ़िरों ने भी अपने अन्जाम की तबाही का पूरा ज़ख़ीरा जमा कर लिया है, सिर्फ़ इतनी-सी कमी है कि जिस तरह उन अगलों पर अल्लाह का अ़ज़ाब आ नाज़िल हुआ था इसी तरह उनपर भी आ गया। और हक़ीक़त में अगर रब्बुल आ़लमीन को अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दिलदारी अ़ज़ीज़ न होती तो अ़ज़ाब के नाज़िल होने में देर ही क्या लगती? लेकिन हज़रत सरदारे अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की **(पृष्ठ 944 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 946 की तफ़सीर पृष्ठ 948-952 पर)**

बेटे (तजवीज़ हों)? (39) क्या आप उनसे (अहकाम के पहुँचाने का) कुछ बदला माँगते हैं कि वह तावान उन लोगों को भारी मालूम होता है? (40) क्या उनके पास ग़ैब (का इल्म) है कि ये लिख लिया करते हैं?[1] (41) क्या ये लोग कुछ बुराई करने का इरादा रखते हैं? सो ये काफिर खुद ही (उस) बुराई में गिरफ़्तार होंगे। (42) क्या उनका अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? अल्लाह तआला उनके शिर्क से पाक है। (43) और अगर वे आसमान के टुकड़े को देख लें[2] कि गिरता हुआ आ रहा है तो यूँ कह दें कि यह तो तह-ब-तह जमा हुआ बादल है। (44) तो उनको रहने दीजिए यहाँ तक कि उनको अपने उस दिन से साबक़ा पड़े जिसमें उनके होश उड़ जाएँगे। (45) जिस दिन उनकी तदबीरें उनके कुछ भी काम न आएँगी। और न (कहीं से) उनको मदद मिलेगी। (46) और उन ज़ालिमों के लिए इस (अ़ज़ाब) से पहले भी अ़ज़ाब होने वाला है[3] (जैसे क़हत, और बद्र की लड़ाई में क़त्ल होना) लेकिन उनमें अक्सर को मालूम नहीं। (47) और आप अपने रब की (इस) तजवीज़ पर सब्र से बैठे रहिए कि आप हमारी हिफ़ाज़त में हैं, और (मज्लिस से या सोने से) उठते वक़्त अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ बयान किया कीजिए। (48) और रात में भी उसकी तस्बीह किया कीजिए (जैसे इशा की नमाज़) और सितारों से पीछे "यानी उनके छुपने के बाद" भी। (49) ❖

53 सूरः नज्म 23

सूरः नज्म मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 62 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है (आ़म) सितारे की जब वह छुपने लगे[4] (1) यह (हर वक़्त) तुम्हारे साथ रहने वाले न (हक़) राह से भटके और न ग़लत रास्ते पर गए[5] (2) और न आप अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश से बातें बनाते हैं। (3) उनका इर्शाद ख़ालिस वह्य है, जो उनपर भेजी जाती है।[6] (4) उनको एक फ़रिश्ता तालीम करता है जो बड़ा ताक़तवर है।[7] (5) पैदाइशी ताक़तवर है। फिर वह फ़रिश्ता (अपनी) असली सूरत पर (आपके सामने) ज़ाहिर हुआ। (6) ऐसी हालत में कि वह (आसमान के) बुलन्द किनारे पर था।[8] (7) फिर वह फ़रिश्ता (आपके) नज़दीक आया, फिर और आया। (8) सो दो कमानों के बराबर फ़ासला रह गया[9] बल्कि और भी कम।[10] (9) फिर अल्लाह पाक ने अपने बन्दे पर वह्य नाज़िल फ़रमाई जो कुछ नाज़िल फ़रमाई थी। (10) दिल ने देखी हुई चीज़ में कोई ग़लती नहीं की। (11) तो क्या उन (पैग़म्बर) से उनकी देखी हुई चीज़ में झगड़ा करते हैं। (12) और उन्होंने (यानी पैग़म्बर ने) उस फ़रिश्ते को एक बार और भी (असली सूरत में) देखा है। (13) सिद्रतुल मुन्तहा के पास।[11] (14) उसके क़रीब जन्नतुल-मअ्वा है। (15) जब उस सिद्रतुल मुन्तहा को लिपट रही थीं जो चीज़ें लिपट रही थीं।[12] (16) निगाह न तो हटी और न बढ़ी[13] (17) उन्होंने अपने परवर्दिगार (की

(पिछले पृष्ठ का शेष) दुआ से क़ुरैश पर सख़्त क़हत (अकाल) का आया हुआ अ़ज़ाब भी टल गया।

6. सही हदीसों से साबित है कि ख़ाना-ए-काबा के बिलकुल बराबर में सातवें आसमान पर फ़रिश्तों का ख़ाना-ए-काबा बना हुआ है, उसका नाम 'बैतुल-मअ्मूर' (यानी आबाद घर) है। हर दिन उसका तवाफ़ करने के लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते आते हैं, और जो एक बार तवाफ़ कर चुके हैं क़ियामत तक दूसरी बार उनकी बारी न आएगी।

7. इन क़स्मों में मतलब का इस तौर पर बयान करना है कि क़ियामत के क़ायम होने की असल ज़रूरत आमाल का सवाब या अ़ज़ाब है, और बदला दिए जाने में शरई अहकाम असल हैं। फिर बदला दिए जाने के नतीजे में दो चीज़ें अहम हैं- जन्नत और दोज़ख़, और क़सम खाने की वजह सूरः हिज्र आयत 'लअ़मुरु-क' के तहत में और क़सम की ग़रज़-मक़सद सूरः साफ़्फ़ात के शुरू में गुज़र चुकी है।

8. यानी जिन आयतों में उसकी ख़बर थी **(पृष्ठ 944 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 946, 948 की तफ़सीर पृष्ठ 950-960 पर)**

क़ुदरत) के बड़े-बड़े अ़जूबे देखे हैं।[1] (18) भला तुमने लात और उ़ज़्ज़ा (19)) और तीसरे मनात के हाल में ग़ौर भी किया है।[2] (20) क्या तुम्हारे लिए तो बेटे (तजवीज़) हों और ख़ुदा के लिए बेटियाँ? (21) इस हालत में तो यह बहुत बेढंगी तक़सीम हुई। (22) यह (ज़िक्र हुए माबूद का) बस नाम-ही-नाम हैं, जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने मुक़र्रर कर लिया है। ख़ुदा तआ़ला ने तो उन (के माबूद होने) की कोई दलील नहीं भेजी। (बल्कि) ये लोग सिर्फ़ बेअसल ख़्यालों पर और अपने नफ़्स की ख़्वाहिश पर चल रहे हैं, हालाँकि उनके पास (रसूल के वास्ते से) उनके रब की जानिब से हिदायत आ चुकी है। (23) क्या इनसान को उसकी हर तमन्ना मिल जाती है? (24) सो ख़ुदा ही के इख़्तियार में है आख़िरत और दुनिया। (25) ❖

और बहुत-से फ़रिश्ते आसमानों में मौजूद हैं, उनकी सिफ़ारिश ज़रा भी काम नहीं आ सकती, मगर इसके बाद कि अल्लाह जिसके लिए चाहें इजाज़त दें और (उसके लिए सिफ़ारिश करने से) राज़ी हों। (26) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते वे फ़रिश्तों को (ख़ुदा की) बेटी के नाम से नामज़द करते हैं। (27) हालाँकि उनके पास इसपर कोई दलील नहीं, सिर्फ़ बेअसल ख़्यालों पर चल रहे हैं। और यक़ीनन बेअसल ख़्यालात हक़ बात (के साबित करने) में ज़रा भी फ़ायदेमन्द नहीं होते। (28) तो आप ऐसे शख़्स से अपना ख़्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत का ख़्याल न करे और दुनियावी ज़िन्दगी के सिवा उसको कोई (आख़िरत का मतलब) मक़सूद न हो। (29) उन लोगों की समझ की रसाई यही (दुनियावी ज़िन्दगी) है, तुम्हारा परवर्दिगार ख़ूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, और वही उसको भी ख़ूब जानता है जो सही रास्ते पर है। ◆ (30) और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वह सब अल्लाह ही के इख़्तियार में है, अन्जामकार यह है कि बुरा काम करने वालों को उनके (बुरे) काम के बदले में (ख़ास अन्दाज़ की) जज़ा देगा, और नेक काम करने वालों को उनके नेक कामों के बदले में जज़ा देगा। (31) वे लोग ऐसे हैं कि बड़े गुनाहों से और (उनमें) बेहयाई की बातों से (ख़ास तौर से ज़्यादा) बचते हैं, मगर हल्के-हल्के गुनाह,[3] बेशक आपके रब की मग़फ़िरत बहुत बड़ी है[4] वह तुमको (और तुम्हारे हालात को उस वक़्त से) ख़ूब जानता है जब तुमको ज़मीन से पैदा किया था, और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे, तो तुम अपने को नेक और पारसा मत समझा करो। (बस) तक़्वे वालों को वही ख़ूब जानता है।[5] (32) ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) उनको झुठलाते थे, तथा यह कि उन आयतों को जादू कहा करते थे। ख़ैर वह तो तुम्हारे नज़दीक जादू था तो क्या यह भी जादू है? देखकर बतलाओ।

9. न यह होगा कि तुम्हारी हाय-तौबा से नजात हो जाए और न यह होगा कि तुम्हारे मान लेने और झुक जाने और चुप हो जाने पर रहम करके निकाल दिया जाए, बल्कि हमेशा उसी में रहना होगा।

10. यानी तुम कुफ़्र किया करते थे जो कि सख़्त नाफ़रमानी और अल्लाह के बेइन्तिहा और असीमित कमालात का इनकार है, पस बदले में दोज़ख़ का अ़ज़ाब नसीब होगा जो कि सख़्त अ़ज़ाब है और जिसकी कोई हद व सीमा नहीं है।

(तफ़सीर पृष्ठ 946) **1.** यानी यह न करेंगे कि उन मुक़्तदाओं यानी जिनकी पैरवी की गई है उनके बाज़ आमाल लेकर उनकी औलाद को देकर दोनों को बराबर कर दें, बल्कि मुक़्तदा अपने आला दर्जों में बदस्तूर रहेगा और पैरोकार व ताबेदार को भी वहाँ पहुँचा दिया जाएगा।

2. यानी ऐसे हसीन व ख़ूबसूरत लड़के जन्नतियों की ख़िदमत करने वाले होंगे जैसे आबदार मोती, और मोती भी वे जो किसी महफ़ूज़ जगह में अच्छी तरह बन्द करके रखे हों कि उनकी आब और चमक को गर्द व गुबार ने मैला नहीं किया। महफ़ूज़ मोती की आब और चमक आला दर्जे की होती है।

3. काहिन वे थे जो उन शैतानों से ख़बरें हासिल करते जो चोरी-छुपे आसमान तक पहुँचकर आसमानी ख़बरें ले उड़ते थे। फिर काहिन उनमें अपनी तरफ़ से बीस झूठ मिलाकर लोगों को सुनाते और अपने ग़ैब जानने का सिक्का जमाते। मक्का के काफ़िरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जो तोहमतें लगाई थीं, उनमें एक यह थी कि आप काहिन हैं, यानी ख़ुदा की पनाह! शैतानों से आसमानी ख़बरें हासिल करते हैं।

4. यानी तुम मेरा अन्जाम देखो, **(पृष्ठ 946 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 948, 950 की तफ़सीर पृष्ठ 952-964 पर)**

तो भला आपने ऐसे शख़्स को भी देखा जिसने (दीने हक़ से) मुँह मोड़ लिया (33) और थोड़ा माल दिया[1] और (फिर) बन्द कर दिया। (34) क्या उस शख़्स के पास (किसी सही ज़रिए से) ग़ैब का इल्म है कि उसको देख रहा है। (35) क्या उसको उस मज़मून की ख़बर नहीं पहुँची जो मूसा के सहीफ़ों में है (36) और तथा इब्राहीम (अ़लैहि.) के, जिन्होंने अहकाम पर पूरी तरह अ़मल किया। (37) (और वह मज़मून) यह (है) कि कोई शख़्स किसी का गुनाह अपने ऊपर नहीं ले सकता। (38) और यह कि इनसान को (ईमान के बारे में) सिर्फ़ अपनी ही कमाई मिलेगी। (39) और यह कि इनसान की कोशिश बहुत जल्द देखी जाएगी। (40) फिर उसको पूरा बदला दिया जाएगा। (41) और यह कि (सबको) आपके रब ही के पास पहुँचना है। (42) और यह कि वही हँसाता है और रुलाता है। (43) और यह कि वही मारता है और जिलाता है। (44) और यह कि वही दोनों क़िस्म यानी नर और मादा को बनाता है (45) नुत्फ़े से, जब वह (गर्भ में) डाला जाता है। (46) और यह कि (वायदे के मुताबिक़) दोबारा पैदा करना उसके ज़िम्मे है। (47) और यह कि वही मालदार करता है और सरमाया (देकर महफ़ूज़ और) बाक़ी रखता है। (48) और यह कि वही मालिक है शिअ़्रा (सितारे) का भी[2] (49) और यह कि उसने पुरानी क़ौम आ़द को (उसके कुफ़्र की वजह से) हलाक किया[3] (50) और समूद को भी, कि (उनमें से) किसी को बाक़ी न छोड़ा। (51) और उनसे पहले नूह की क़ौम को (हलाक किया) बेशक वे सबसे बढ़कर ज़ालिम और शरीर थे। (52) और उल्टी हुई बस्तियों को भी फेंक दिया। (53) (और फिर उन बस्तियों को) घेर लिया, जिस चीज़ ने कि घेर लिया। (54) सो तू अपने रब की कौन-कौन-सी नेमत में शक (और इनकार) करता रहेगा? (55) यह (पैग़म्बर) भी पहले पैग़म्बरों की तरह एक पैग़म्बर हैं। (56) (इनको मान लो क्योंकि) वह जल्दी आने वाली चीज़ क़रीब आ पहुँची है। (57) अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई उसका हटाने वाला नहीं। (58) सो क्या (ऐसी ख़ौफ़ की बातें सुनकर भी) तुम लोग इस (अल्लाह के) कलाम से ताज्जुब करते हो (59) और हँसते हो? और (अ़ज़ाब के ख़ौफ़ से) रोते नहीं हो? (60) और तुम तकब्बुर करते हो। (61) सो अल्लाह की इताअ़त करो और (किसी को उसका शरीक बनाए बग़ैर उसकी) इबादत करो। ❑ (62) ❖

54 सूरः क़मर 37

सूरः क़मर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 55 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़ियामत नज़दीक आ पहुँची और चाँद फट गया।[4] (1) और ये लोग अगर कोई मोजिज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं कि यह जादू है जो अभी ख़त्म हुआ जाता है। (2) उन लोगों ने झुठलाया और

(पिछले पृष्ठ का शेष) मैं तुम्हारा अन्जाम देखता हूँ। इसमें इशारे के तौर पर पेशीनगोई (भविष्यवाणी) है कि मेरा अन्जाम कामयाबी है और तुम्हारा अन्जाम घाटा और नाकामी। यह मक़सूद नहीं कि तुम मरोगे और मैं नहीं मरूँगा, बल्कि उन लोगों का इससे जो मक़सूद था कि इनका दीन नहीं चलेगा, यह मर जाएँगे और दीन मिट जाएगा, जवाब में इसका रद्द मक़सूद है। चुनाँचे ऐसे ही हुआ।

5. उनके अ़क़्ल का दावेदार होने पर उनका यह क़ौल दलालत करता है कि अगर दीने इस्लाम में कोई ख़ैर और अच्छाई होती तो अदना तबक़े के लोग इस्लाम लाने में हमसे आगे न बढ़ जाते। क़ुरैश के सरदार दूसरे लोगों में अ़क़्ल और समझ वाले मशहूर थे, पस इस आयत में उनकी अ़क़्ल की हालत दिखलाई गई है कि बस तुम्हारी यही अ़क़्ल है जो ऐसी तालीम दे रही है? और अगर यह अ़क़्ल की तालीम नहीं तो ख़ालिस शरारत और ज़िद है।

(तफ़सीर पृष्ठ 948) 1. यानी काफ़िर लोग जो बड़ी पुख़्तगी और इस्तिक़लाल के साथ कहा करते हैं कि क़ियामत हरगिज़ आएगी ही नहीं, और अगर आई भी तो हमको अ़ज़ाब हरगिज़ न होगा। क्या उनके पास लौहे-महफ़ूज़ मौजूद है जिससे ग़ैब की चीज़ों को देखकर इस ज़ोर और पुख़्तगी से **(पृष्ठ 948 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 950, 952 की तफ़सीर पृष्ठ 954-966 पर)**

अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों की पैरवी की, और हर बात को क़रार आ जाता है। **(3)** और उन लोगों के पास (तो पहले गुज़री हुई उम्मतों की भी) ख़बरें इतनी पहुँच चुकी हैं कि उनमें (काफ़ी) इबरत **(4)** यानी आला दर्जे की समझ और अक़्लमन्दी (हासिल हो सकती) है। सो (उनकी कैफ़ियत यह है कि) ख़ौफ़ दिलाने वाली चीज़ें उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं देतीं। **(5)** तो आप उनकी तरफ़ से कुछ ख़्याल न कीजिए। जिस दिन एक बुलाने वाला फ़रिश्ता (उनको) एक ना-पसन्दीदा चीज़ की तरफ़ बुलाएगा **(6)** उनकी आँखें (ज़िल्लत की वजह से) झुकी हुई होंगी (और) क़ब्रों से इस तरह निकल रहे होंगे जैसे टिड्डियाँ फैल जाती हैं। **(7)** (और फिर निकलकर) बुलाने वाले की तरफ़ दौड़े चले जा रहे होंगे। काफ़िर कहते होंगे कि यह दिन बड़ा सख़्त है। **(8)** उन लोगों से पहले नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम ने झुठलाया, यानी हमारे (ख़ास) बन्दे (नूह अ़लैहिस्सलाम) को झुठलाया और कहा कि यह मजनूँ है, और नूह (अ़लैहिस्सलाम) को धमकी दी गई। **(9)** तो नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ़ की कि मैं आ़जिज़ हूँ सो आप (इनसे) इन्तिक़ाम लीजिए। **(10)** पस हमने कसरत से बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाज़े खोल दिए **(11)** और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, फिर (आसमान और ज़मीन का) पानी उस काम के (पूरा होने के) लिए मिल गया जो (अल्लाह के इल्म में) तजवीज़ हो चुका था। **(12)** और हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को (मोमिनों के साथ) सवार किया तख़्तों और मेख़ों वाली कश्ती पर **(13)** जो कि हमारी निगरानी में चल रही थी। यह सब कुछ उस शख़्स का बदला लेने के लिए किया जिसकी बेक़द्री की गई थी।[1] **(14)** और हमने इस वाक़िए को इबरत के वास्ते रहने दिया, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? **(15)** फिर (देखो) मेरा अ़ज़ाब और मेरा डराना कैसा हुआ। **(16)** और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है,[2] सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? **(17)** आ़द ने (भी अपने पैग़म्बर को) झुठलाया। सो (उसका क़िस्सा सुनो कि) मेरा अ़ज़ाब और डराना कैसा हुआ। **(18)** हमने उनपर एक तेज़ हवा भेजी, एक हमेशा रहने वाले नहूसत के दिन में।[3] **(19)** वह हवा लोगों को इस तरह उखाड़-उखाड़ फेंकती थी कि गोया वे उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। **(20)** सो (देखो) मेरा अ़ज़ाब और डराना कैसा (हौलनाक) हुआ। **(21)** और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? **(22)** ❖

समूद ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया **(23)** और कहने लगे, क्या हम ऐसे शख़्स की पैरवी करेंगे जो हमारी जिन्स का आदमी है और अकेला है, तो इस सूरत में हम बड़ी ग़लती और (बल्कि) पागलपन में पड़ जाएँ। **(24)** क्या हम सबमें से (चुनकर) उसपर वह्य नाज़िल हुई है, (हरगिज़ ऐसा नहीं) बल्कि यह बड़ा झूठा

(पिछले पृष्ठ का शेष) अपने कलाम को सच्चा साबित करना चाहते हैं।

2. यानी उनकी सरकशी, कुफ़्र और दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई है कि अगर हम उनपर अ़ज़ाब नाज़िल करें और आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें, तब भी तो न डरें, बल्कि कहें कि यह तो बादल है चन्द टुकड़े ऊपर नीचे तह-ब-तह जमा होकर गाढ़े और गहरे बादल की सूरत में बारिश बरसाने को ज़ाहिर हुआ है।

3. यानी क़ियामत के दिन से पहले भी उनको एक और अ़ज़ाब होना है कि वह क़ब्र का अ़ज़ाब है। या दुनियावी अ़ज़ाब यानी सात साल का क़हत और बद्र की लड़ाई में ज़िल्लत के साथ मुसलमानों के हाथों क़त्ल होना।

4. जब सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जिबराईल अ़लैहिस्सलाम के ज़रिए से वह्य आनी शुरू हुई, आपने नबी बनने के बाद ऐलानिया अपने रसूल होने का दावा किया तो मक्का के काफ़िरों ने अपनी ज़ाती ग़रज़ों की वजह से बुरा-भला कहना शुरू किया और कहा अफ़सोस! मुहम्मद ने अपने बाप-दादा के दीन से बरगश्ता होकर एक नया दीन घड़ लिया है। तो उस वक़्त ये आयतें नाज़िल हुईं। और सितारे से या तो सुरैया मुराद है या आ़म है, यानी सितारा कि जब वह छुपने लगे, यानी जबकि वह ग़ुरूब होता है या जबकि क़ियामत के दिन टूट पड़ेगा।

5. इस क़सम में नज़ीर है क़सम के जवाब के मज़मून "मा ज़ल्-ल व मा ग़वा" की। यानी जिस तरह सितारा निकलने से छुपने तक उस पूरी की पूरी दूरी और सफ़र में **(पृष्ठ 948 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 950, 952, 954 की तफ़सीर पृष्ठ 956-968 पर)**

और बड़ा शैख़ीबाज़ है। **(25)** उनको बहुत जल्दी (मरते ही) मालूम हो जाएगा कि झूठा (और) शैख़ीबाज़ कौन था? **(26)** हम ऊँटनी को निकालने वाले हैं उनकी आज़माइश के लिए, सो उनको देखते-भालते रहना और सब्र से बैठे रहना। **(27)** और उन लोगों को यह बतला देना कि (कुएँ का) पानी उनमें बाँट दिया गया है, हर एक बारी पर बारी वाला हाज़िर हुआ करेगा।[1] **(28)** सो उन्होंने अपने साथी (क़ेदार) को बुलाया, सो उसने (ऊँटनी पर) वार किया और मार डाला।[2] **(29)** सो (देखो) मेरा अ़ज़ाब और डराना कैसा हुआ। **(30)** हमने उनपर (फ़रिश्ते की) एक ही चीख़ को मुसल्लत किया, सो वे (उससे) ऐसे हो गए जैसे काँटों की बाढ़ लगाने वाले (की बाढ़) का चूरा।[3] **(31)** और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? **(32)** लूत की क़ौम ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया। **(33)** हमने उनपर पत्थरों की बारिश बरसाई, सिवाय लूत (अ़लैहि.) के मुताल्लिक़ीन के। (यानी मोमिनों के अ़लावा) कि उनको रात के आख़िरी हिस्से में बचा लिया गया **(34)** अपनी ओर से फ़ज़्ल करके। जो शुक्र करता है हम उसे ऐसा ही सिला दिया करते हैं। **(35)** और (अ़ज़ाब आने से पहले) लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने उनको हमारी पकड़ से डराया था, उन्होंने उस डराने में झगड़े पैदा किए। **(36)** और उन लोगों ने लूत से उनके मेहमानों को बुरे इरादे से लेना चाहा[4] सो हमने उनकी आँखें चौपट कर दीं कि लो मेरे अ़ज़ाब और डराने का मज़ा चखो। **(37)** (यह तो उस वक़्त वाक़िआ़ हुआ) और (फिर) सुबह सवेरे उनपर हमेशगी का अ़ज़ाब आ पहुँचा। **(38)** (और इर्शाद हुआ) कि लो मेरे अ़ज़ाब और डराने का मज़ा चखो। **(39)** और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? **(40)** ❖

और (फ़िरऔ़न और) फ़िरऔ़न वालों के पास भी डराने की बहुत-सी चीज़ें पहुँचीं।[5] **(41)** उन लोगों ने हमारी (उन) तमाम निशानियों को झुठलाया, सो हमने उनको ज़बरदस्त क़ुदरत का पकड़ना पकड़ा। **(42)** क्या तुममें जो काफ़िर हैं उनमें इन (ज़िक्र हुए) लोगों से कुछ फ़ज़ीलत है, या तुम्हारे लिए (आसमानी) किताबों में कोई माफ़ी है? **(43)** या ये लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी जमाअ़त है जो ग़ालिब ही रहेंगे। **(44)** जल्द ही (उनकी) यह जमाअ़त शिकस्त खाएगी और पीठ फेरकर भागेंगे।[6] **(45)** बल्कि क़ियामत उनका (असल) वायदा है, और क़ियामत बड़ी सख़्त और नागवार चीज़ है। **(46)** ये मुजरिम लोग (यानी काफ़िर) बड़ी ग़लती और बेअ़क़्ली में हैं। **(47)** जिस दिन ये लोग अपने मुहों के बल जहन्नम में घसीटे जाएँगे तो इनसे कहा जाएगा कि

(पिछले पृष्ठ का शेष) अपनी बाक़ायदा रफ़्तार से इधर-उधर नहीं हुआ इसी तरह आप अपनी उम्र में गुमराही और ग़लत रास्ते पर जाने से महफ़ूज़ हैं। इसमें साथ ही इस तरफ़ भी इशारा है कि जैसे सितारे से रोशनी देने और रहनुमाई करने का अ़मल होता है इसी तरह आपसे भी हिदायत व रहनुमाई का अ़मल होता है, इस वजह से कि आप गुमराही और हक़ रास्ते से हटने से महफ़ूज़ हैं।

फ़ायदाः 'ज़लाल' यह कि बिलकुल रास्ता भूलकर खड़ा रह जाए, और 'ग़वायत' यह कि ग़लत राह को राह समझकर चलता रहे।

6. वह्य आ़म है चाहे अल्फ़ाज़ की भी हो जिसे क़ुरआन कहते हैं, चाहे सिर्फ़ मायनों की जो सुन्नत कहलाती है। और चाहे वह्य आंशिक हो या किसी क़ायदा-ए-कुल्लिया की वह्य हो जिससे आप इज्तिहाद फ़रमाते हों। इन अल्फ़ाज़ से असल मक़सद काफ़िरों के ख़्याल का इनकार है। यानी आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुदा की तरफ़ ग़लत बात की निस्बत नहीं करते।

7. जिबराईल अ़लैहिस्सलाम की ताक़त का अन्दाज़ा इससे हो सकता है कि क़ौमे लूत की बस्तियाँ एक बाज़ू पर तहतुस्सरा से उठाकर उलट मारीं और एक ही चिंघाड़ से क़ौमे समूद के जिगर फाड़ दिए।

8. जिबराईल अ़लैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास दह्या कलबी नाम के एक सहाबी की शक्ल में आया करते थे जो बहुत हसीन व ख़ूबसूरत थे। एक बार आपने जिबराईल अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी असल सूरत में भी देखना चाहता हूँ। सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिरा में थे कि हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम सूरज के निकलने की जगह पर आसमान के किनारे पर ज़ाहिर हुए। छह सौ पर थे और क़द और जिस्म और परों ने आसमान के दोनों किनारे छुपा रखे थे।

9. अ़रब वालों की आ़दत थी कि जब दो शख़्स आपस में इन्तिहाई दर्जे का इत्तिफ़ाक़ और एकता करना चाहते तो दोनों अपनी-अपनी कमानें लेकर उनकी ताँत को **(पृष्ठ 948 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 950, 952, 954, 956 की तफ़सीर पृष्ठ 958-970 पर)**

दोज़ख़ (की आग) के लगने का मज़ा चखो। (48) हमने हर चीज़ को अन्दाज़े से पैदा किया।[1] (49) और हमारा हुक्म एक ही बार में ऐसा हो जाएगा जैसे आँख का झपकाना। (50) और हम तुम्हारे ही तरीक़े वाले जैसे लोगों को हलाक कर चुके हैं, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? (51) और जो कुछ भी ये लोग करते हैं सब कुछ आमालनामों में (भी लिखा हुआ) है। (52) और हर छोटी बड़ी बात (उसमें) लिखी हुई है। (53) परहेज़गार लोग बाग़ों में और नहरों में होंगे। (54) एक उम्दा मक़ाम में क़ुदरत वाले बादशाह के पास। (55) ◆

55 सूरः रहमान 97

सूरः रहमान मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 78 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

रहमान ने (1) क़ुरआन की तालीम दी। (2) उसने इनसान को पैदा किया। (3) (फिर) उसको बोलना सिखाया। (4) सूरज और चाँद हिसाब के साथ (चलते) हैं। (5) और बग़ैर तने के पेड़ और तनेदार पेड़ (अल्लाह के) फ़रमाँबरदार हैं। (6) और उसी ने आसमान को ऊँचा किया, और उसी ने (दुनिया में) तराज़ू रख दी (7) ताकि तुम तौलने में कमी-बेशी न करो (8) और इन्साफ़ (और हक़ पहुँचाने) के साथ वज़न को ठीक रखो और तौल को घटाओ मत। (9) और उसी ने मख़्लूक़ के वास्ते ज़मीन को (उसकी जगह) रख दिया (10) कि उसमें मेवे हैं, और खजूर के पेड़ हैं जिन (के फल) पर ग़िलाफ़ होता है। (11) और (उसमें) ग़ल्ला है जिनमें भूसा (भी) होता है[2] और (उसमें) ग़िज़ा की चीज़ (भी) है। (12) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?[3] (13) उसी ने इनसान (की असल यानी आदम अ़लैहिस्सलाम) को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरे की तरह बजती थी। (14) और जिन्नात को ख़ालिस आग से पैदा किया।[4] (15) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (16) वह दोनों पूरब और दोनों पश्चिम का मालिक है।[5] (17) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (18) उसी ने दो दरियाओं को (देखने में) मिलाया कि (ज़ाहिर में) आपस में मिले हुए हैं (19) (और हक़ीक़त में) उन दोनों के दरमियान में एक (क़ुदरती) पर्दा है कि दोनों बढ़ नहीं सकते।[6] (20) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की

(पिछले पृष्ठ का शेष) आपस में मिला देते, पस दो कमानों का फ़ासला रह जाना निकटता और इत्तिहाद से इशारा होगा।

10. इससे इस तरफ़ इशारा है कि ज़ाहिरी निकटता और ताल्लुक़ के अ़लावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम में रूहानी मुनासबत भी थी।

11. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिबराईल अ़लैहिस्सलाम को 'शबे मेराज' में दूसरी बार 'सिद्रतुल मुन्तहा' के पास उनकी असल सूरत में देखा था। 'सिदरा' अ़रबी में बेरी के पेड़ को कहते हैं। 'सिद्रतुल मुन्तहा' सातवें आसमान पर बेरी का एक पेड़ है, फ़रिश्तों के पहुँचने की वहीं तक सीमा है।

12. एक रिवायत में है कि ऐसे अच्छे रंग वाले सुनहरे परवाने थे कि जिनके देखने से दिल खिँचा जाए। और दूसरी रिवायत में है कि फ़रिश्ते थे यानी उनकी हक़ीक़त यह थी।

13. बल्कि उन चीज़ों को ख़ूब देखा। और जिन चीज़ों के देखने का हुक्म जब तक न हुआ उनकी तरफ़ देखने को आपकी निगाह न बढ़ी, यानी उनको इजाज़त से पहले नहीं देखा। यह आपके हद दर्जा इस्तिक़लाल की दलील है क्योंकि इनसान अ़जीब चीज़ों से हैरान होकर उन चीज़ों को देखता नहीं **(पृष्ठ 948 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 950, 952, 954, 956, 958 की तफ़सीर पृष्ठ 960-972 पर)**

कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(21)** उन दोनों से मोती और मोंगा बरामद होता है। **(22)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(23)** उसी के (इख़्तियार और मिल्क में) हैं जहाज़ जो पहाड़ों की तरह ऊँचे खड़े (नज़र आते) हैं। ● **(24)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(25)** ❖

जितने (जानदार) रू-ए-ज़मीन पर मौजूद हैं सब फ़ना हो जाएँगे।[1] **(26)** और (सिर्फ़) आपके परवर्दिगार की ज़ात जो कि बड़ाई (वाली) और एहसान वाली है बाक़ी रह जाएगी। **(27)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(28)** उसी से (अपनी-अपनी ज़रूरतें) सब आसमान और ज़मीन वाले माँगते हैं, वह हर वक़्त किसी-न-किसी काम में रहता है।[2] **(29)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(30)** ऐ जिन्नात और इनसानो! हम जल्द ही तुम्हारे (हिसाब व किताब के) लिए ख़ाली हुए जाते हैं।[3] **(31)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(32)** ऐ जिन्नात और इनसानों के गिरोह! अगर तुमको यह क़ुदरत है कि आसमान और ज़मीन की हदों से कहीं बाहर निकल जाओ तो (हम भी देखें) निकलो, मगर बग़ैर ज़ोर के नहीं निकल सकते, (और ज़ोर है नहीं, पस निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता)। **(33)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(34)** तुम दोनों पर (क़ियामत के दिन) आग का शोला और धुआँ छोड़ा जाएगा, फिर तुम (उसको) हटा न सकोगे।[4] **(35)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(36)** ग़रज़ जब (क़ियामत आएगी जिसमें) आसमान फट जाएगा और ऐसा सुर्ख़ हो जाएगा जैसे सुर्ख़ नरी (यानी चमड़ा) **(37)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(38)** तो उस दिन (अल्लाह के मालूम करने के लिए) किसी इनसान और जिन्न से उसके जुर्म के मुताल्लिक़ न पूछा जाएगा।[5] **(39)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(40)** मुजरिम लोग अपने हुलिये से (कि चेहरे के काला होने और आँखों के नीला होने की वजह से) पहचाने जाएँगे[6] सो (उनके) सर और पाँव पकड़ लिए जाएँगे। **(41)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(42)** यह है वह जहन्नम जिसको मुजरिम लोग झुठलाते थे। **(43)** वे लोग दोज़ख़ के इर्द-गिर्द खौलते हुए पानी के दरमियान घूमते होंगे। **(44)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(45)** ❖

और जो शख़्स अपने रब के सामने खड़ा होने से (हर वक़्त) डरता रहता है, उसके लिए (जन्नत में) दो बाग़ होंगे।[7] **(46)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(47)** (और वे) दोनों बाग़ बहुत ज़्यादा शाख़ों वाले होंगे। **(48)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम

(पिछले पृष्ठ का शेष) जिनके देखने को कहा जाता है, और उन चीज़ों को देखता है जिनके देखने की मनाही की गई हो।

(तफ़सीर पृष्ठ 950) 1. वे अ़जूबे मेराज की हदीसों में ज़िक्र किए गए हैं- जैसे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से मुलाक़ात, रूहों को देखना, जन्नत की सैर वग़ैरह। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने सूरः नज्म की इन आयतों की तफ़सीर अल्लाह तआ़ला के दीदार के साथ की है लेकिन मुस्लिम शरीफ़ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा की रिवायत से इन आयतों की तफ़सीर हज़रत जिबराईल को देखने के साथ ख़ुद सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नक़ल की गई है। और शुरैक की रिवायत जो बुख़ारी शरीफ़ में है उससे यह शुब्हा पड़ता है कि शायद ये आयतें अल्लाह तआ़ला की नज़दीकी और क़ुर्ब पर महमूल हों, सो इमाम नववी ने नक़ल किया है कि शुरैक हाफ़िज़े हदीस नहीं थे।

2. अ़रब में बुत तो बहुत थे, मगर इन तीनों को ख़ास करने की वजह उनका बड़ा और मश्हूर होना है। तो इससे जो छोटे बुत थे उनका माबूद होना और **(पृष्ठ 950 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 952, 954, 956, 958, 960 की तफ़सीर पृष्ठ 962-976 पर)**

अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(49)** उन दोनों बाग़ों में दो चश्मे होंगे कि बहते चले जाएँगे। **(50)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे। **(51)** उन दोनों बाग़ों में हर मेवे की दो-दो क़िस्में होंगी। **(52)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(53)** वे लोग तकिया लगाए ऐसे फ़र्शों पर बैठे होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे,[1] और उन दोनों बाग़ों का फल बहुत नज़दीक होगा। **(54)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(55)** उनमें नीची निगाह वालियाँ (यानी हूरें) होंगी, कि उन (जन्नती) लोगों से पहले उनपर न तो किसी आदमी ने तुसर्रुफ़ किया होगा और न किसी जिन्न ने। **(56)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(57)** गोया वे याक़ूत और मरजान हैं। **(58)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(59)** भला हद दर्जा इताअ़त का बदला इनायत के अ़लावा और भी कुछ हो सकता है?[2] **(60)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(61)** और उन दोनों बाग़ों से कम दर्जे में दो बाग़ और हैं। **(62)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(63)** वे दोनों बाग़ गहरे सब्ज़ होंगे।[3] **(64)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(65)** उन दोनों बाग़ों में दो चश्मे होंगे जो कि जोश मारते होंगे। **(66)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(67)** उन दोनों बाग़ों के अन्दर मेवे और खजूरें और अनार होंगे। **(68)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(69)** उनमें अच्छे गुण वाली ख़ूबसूरत औ़रतें होंगी (यानी हूरें)। **(70)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(71)** वे औ़रतें गोरी रंगत की होंगी (और) ख़ेमों में महफ़ूज़ होंगी। **(72)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(73)** (और) इन (जन्नती) लोगों से पहले उनपर न तो किसी आदमी ने तसर्रुफ़ किया होगा और न किसी जिन्न ने। **(74)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(75)** वे लोग हरे नक़्श वाले और अ़जीब ख़ूबसूरत कपड़ों (के फ़र्शों) पर तकिया लगाए बैठे होंगे। **(76)** सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! तुम अपने रब की कौन-कौन-सी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? **(77)** बड़ा बरकत वाला नाम है आपके रब का, जो बड़ाई वाला और एहसान वाला है।[4] **(78)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) अच्छी तरह बातिल हो गया।

3. यानी हल्के-हल्के गुनाह अगर कभी-कभार हो जाएँ तो जिस नेक काम करने का यहाँ ज़िक्र है, उसमें उनसे ख़लल नहीं आता।

तंबीहः छोटे गुनाहों को अलग करने का मतलब यह नहीं कि छोटे गुनाह करने की इजाज़त है।

4. गुनाहों में फँसे हुए लोगों को अपने गुनाहों और बुराइयों की तलाफ़ी से हिम्मत न हारना चाहिए। अगर खुदा-ए-ग़फ़ूर चाहे कुफ़्र व शिर्क के सिवा तमाम दूसरे गुनाहों को महज़ अपने फ़ज़्ल से माफ़ कर देता है, तो तलाफ़ी से क्यों माफ़ न करेगा? इसी तरह नेक अ़मल करने वालों को अपने आमाल पर घमण्ड और तकब्बुर न होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी नेकियों में भी छुपे तौर पर ऐसे ऐब और ख़राबियाँ शामिल हो जाती हैं कि वे नेकियाँ क़ाबिले क़ुबूल नहीं रहतीं, और अ़मल करने वाले को उस तरफ़ ध्यान न होने से उनकी इत्तिला नहीं होती, लेकिन खुदा-ए-अ़लीम को उनका इल्म होता है। पस ज़ाहिर है कि जब वह नेकी मक़बूल नहीं तो नेकोकार होने का मदार नहीं हो सकती, फिर घमण्ड और बड़ाई कैसी?

(पृष्ठ 950 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 952, 954, 956, 958, 960, 962 की तफ़सीर पृष्ठ 964-977 पर)

56 सूरः वाक़िअः 46

सूरः वाक़िअः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 96 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जब क़ियामत क़ायम होगी। (1) जिसके क़ायम होने में कोई झूठ नहीं है। (2) तो वह (बाज़ को) पस्त कर देगी (और बाज़ को) बुलन्द कर देगी।[1] (3) जबकि ज़मीन को सख़्त ज़लज़ला आएगा। (4) और पहाड़ बिलकुल टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। (5) फिर वे मुन्तशिर गुबार हो जाएँगे। (6) और तुम तीन क़िस्म के हो जाओगे।[2] (7) सो जो दाहिने वाले हैं, वे दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं।[3] (8) और जो बाएँ वाले हैं, वे बाएँ वाले कैसे बुरे हैं।[4] (9) और जो आला दर्जे के हैं वे तो आला ही दर्जे के हैं। (10) (और) वे (अल्लाह के साथ) ख़ास निकटता रखने वाले हैं।[5] (11) ये (निकटता रखने वाले) लोग आराम के बाग़ों में होंगे। (12) उनका एक बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा। (13) और थोड़े पिछले लोगों में से होंगे।[6] (14) (वे लोग) सोने के तारों से बुने हुए तख़्तों पर (15) तकिया लगाए आमने-सामने बैठे होंगे। (16) उनके आस-पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे ये चीज़ें लेकर आना-जाना किया करेंगे- (17) आबख़ोरे और आफ़ताबे "यानी ढक्कनदार लोटे और डोंगे" और ऐसा जामे-शराब जो बहती हुई शराब से भरा जायेगा। (18) न उससे उनको सरदर्द होगा और न उससे अक़्ल में फ़तूर आयेगा। (19) और मेवे जिनको वे चाहेंगे। (20) और परिन्दों का गोश्त जो उनको पसन्दीदा होगा (21) और (उनके लिए) गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वाली औ़रतें होंगी (यानी हूरें)। (22) जैसे (हिफ़ाज़त से) छुपाकर रखा हुआ मोती। (23) यह उनके आमाल के बदले में मिलेगा। (24) (और) वहाँ न बक-बक सुनेंगे और न कोई (और) बेहूदा बात। (25) बस (हर तरफ़ से) सलाम की आवाज़ आएगी। (26) और जो दाहिने वाले हैं, वे दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं।[7] (27) वे उन बाग़ों में होंगे जहाँ बग़ैर काँटों की बेरियाँ होंगी (28) और तह-ब-तह केले होंगे। (29) और लम्बा-लम्बा साया होगा। (30) और चलता हुआ पानी होगा। (31) और कसरत से मेवे होंगे। (32) जो न ख़त्म होंगे और न उनकी रोक-टोक होगी। (33) और ऊँचे-ऊँचे फ़र्श होंगे। (34) हमने (वहाँ की) उन औ़रतों को

(पिछले पृष्ठ का शेष) 5. कि फ़लाँ शख़्स परहेज़गार है और फ़लाँ नहीं। अगरचे देखने में परहेज़गारी के अफ़आ़ल दोनों से सादिर होते हैं। पस नेक काम करने वालों को घमण्ड और नाज़ न चाहिए क्योंकि नेकोकारी का मदार ख़ात्मे पर है और अपने ख़ात्मे का हाल किसी को मालूम नहीं, यह चीज़ सिर्फ़ ख़ुदा के इल्म में है।

(तफ़सीर पृष्ठ 952) 1. यह आयत हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बाप वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में नाज़िल हुई थी। वह सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान ले आया, और जब वह ईमान लाकर घर को जा रहा था तो उसका एक दोस्त जो उसके इस्लाम का हाल सुन चुका था रास्ते में मिला, कहने लगा वलीद! मुझको सख़्त ताज्जुब और अफ़सोस है कि तू अपने बाप-दादा का दीन और अपने बड़ों का तरीक़ा छोड़कर एक नए दीन में दाख़िल हो गया है। वलीद कहने लगा कि मुझे अल्लाह के अ़ज़ाब का ख़ौफ़ हुआ इसलिए दीने इस्लाम क़बूल कर लिया। वह बोला, अगर आख़िरत के अ़ज़ाब का अन्देशा है तो मुझको माल अ़ता करो मैं तुम्हारे सारे गुनाह अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ। वलीद ने थोड़ा-सा माल दिया और जिस क़द्र माल मुक़र्रर हुआ था वह भी पूरा न दिया और काग़ज़ लिखवा कर उसपर शहादतें करा लीं और मुश्रिक बनकर मुत्मइन हो बैठा कि ख़ूब जान बची। थोड़ी-सी रक़म ख़र्च करने पर ख़ैर गुज़री कि अ़ज़ाब का खटका जाता रहा। उसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। इससे मालूम हुआ कि ऐसा शख़्स दूसरों को नफ़ा पहुँचाने के लिए क्या ख़र्च करेगा जब अपने ही मतलब के लिए पूरा ख़र्च न कर सका।

2. 'शिअ़रा' एक सितारे का नाम है जो सख़्त गर्मी में निकलता है। ख़ुज़ाआ़ क़बीले के लोग उसकी पूजा करते थे, इसलिए ख़ास तौर पर

(पृष्ठ 952 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 954, 956, 958, 960, 962, 964 की तफ़सीर पृष्ठ 966-977 पर)

ख़ास तौर पर बनाया है। (35) यानी हमने उनको ऐसा बनाया कि वे कुंवारियाँ हैं, (36) महबूबा हैं, हम-उम्र हैं। (37) ये सब चीज़ें दाहिने वालों के लिए हैं। (38) ❖

उन (दाहिने वालों) का एक बड़ा गिरोह अगले लोगों में से होगा।[1] (39) और एक बड़ा गिरोह पिछले लोगों में से होगा। (40) और जो बाएँ वाले हैं, वे बाएँ वाले कैसे बुरे हैं। (41) वे लोग आग में होंगे और खौलते हुए पानी में (42) और काले धुएँ के साये में (43) जो न ठन्डा होगा और न ख़ुशी व राहत देने वाला होगा।[2] (44) वे लोग उससे पहले (यानी दुनिया में) बड़ी ख़ुशहाली में रहते थे। (45) और बड़े भारी गुनाह (यानी शिर्क व कुफ़्र) पर इसरार किया करते थे। (46) और यूँ कहा करते थे कि जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियाँ (होकर) रह गए, तो क्या (उसके बाद) हम दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे (47) और क्या हमारे अगले बाप-दादा भी (ज़िन्दा किए जाएँगे)? (48) आप कह दीजिए कि सब अगले और पिछले (49) जमा किए जाएँगे एक मुक़र्रर की हुई तारीख़ के वक़्त पर (50) फिर (जमा होने के बाद) तुमको ऐ गुमराहो, झुठलाने वालो! (51) ज़क़्क़ूम के पेड़ से खाना होगा। (52) फिर उससे पेट भरना होगा। (53) फिर उसपर खौलता हुआ पानी पीना होगा। (54) फिर पीना भी प्यासे ऊँटों के जैसा। (55) (ग़रज़) उन लोगों की क़ियामत के दिन यह दावत होगी। (56) हमने तुमको (पहली बार) पैदा किया है (जिसको तुम भी तस्लीम करते हो), फिर तुम तस्दीक़ क्यों नहीं करते? (57) अच्छा फिर यह बतलाओ तुम जो (औरतों के गर्भ में) वीर्य पहुँचाते हो। (58) उसको तुम आदमी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं?[3] (59) हम ही ने तुम्हारे दरमियान मौत को (मुतैयन वक़्त पर) तय कर रखा है[4] और हम इससे आजिज़ नहीं हैं (60) कि तुम्हारे जैसे और (आदमी) पैदा कर दें और तुमको ऐसी सूरत में बना दें जिनको तुम जानते ही नहीं।[5] (61) और तुमको पहली पैदाइश का इल्म हासिल है[6] फिर तुम क्यों नहीं समझते? (62) अच्छा फिर यह बतलाओ कि तुम जो कुछ (बीज वग़ैरह) बोते हो, (63) उसको तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? (64) अगर हम चाहें तो उस

(पिछले पृष्ठ का शेष) उसका ज़िक्र फ़रमाया कि जिसको तुम अपना माबूद समझते हो उसका मालिक भी वही परवर्दिगारे आलम है।

3. यह 'आदे ऊला' हज़रत हूद और हज़रत लूत अलैहिमस्सलाम की क़ौम थी, और 'दूसरी आद' आदे इरम कहलाते हैं।

4. यानी क़ियामत के नज़दीक होने की ख़बरों को तस्दीक़ करने वाला भी ज़ाहिर हो गया। और उसका तस्दीक़ करने वाला होना इस तरह है कि चाँद का टुकड़े होना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिज़ा है जिससे नुबुव्वत साबित होती है। और नबी का हर क़ौल सच्चा है। पस आपका क़ियामत के नज़दीक होने की ख़बर देना भी सच है। इससे डराने वाले का क़ाबिले एतिबार होना साबित हो गया। चाँद का टुकड़े होना क़ियामत के बरहक़ होने की इस लिहाज़ से एक दलील है कि जिस तरह चाँद के दो टुकड़े हो गए इसी तरह क़ियामत के दिन आसमान और ज़मीन, चाँद-सूरज सब टूट-फूट जाएँगे। चाँद के टुकड़े होने वाले मोजिज़े का वाक़िआ यह है कि हज का मौसम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आधी रात के वक़्त क़बीलों में तब्लीग़ के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा भी आपके साथ थे। इत्तिफ़ाक़ से क़ुरैश के चन्द सरदार आपको रास्ते में मिल गए। वे आपको क़बीलों की तरफ़ जाते हुए देखकर कहने लगे, मुहम्मद! तुम चुपके-चुपके बाहर के लोगों को अपना पैरोकार बनाते हो लेकिन हम लोगों को अपनी सच्चाई की कोई निशानी दिखाकर अपने साथ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपने फ़रमाया कि तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते, ऐसी हालत में तुम्हें मेरे हक़ पर और सच्चा होने का क्योंकर यक़ीन हो सकता है? उन्होंने कहा कि सच्चा होने की कोई निशानी दिखाओ तो हम ज़रूर मानेंगे। अबू जहल ने चाँद की तरफ़ इशारा करके कहा, 'अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो हमारे सामने इस चाँद को दो टुकड़े करके दिखा दो' आपने फ़रमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे सच्चा नबी यक़ीन करोगे? अबू जहल और क़ुरैश के दूसरे सरदार बोले हाँ, हम तुम्हें सच्चा नबी मान लेंगे। आपने फ़रमाया कि आसमान की तरफ़ देखो, फ़ौरन चाँद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा हिरा पहाड़ के पूरब की तरफ़ उतर आया और दूसरा पश्चिम की तरफ़ हो लिया, पहाड़ दोनों के बीच में था, फिर दोनों हिस्से ऊपर की तरफ़ चढ़े और आपस में मिल गए। दिल के काले क़ुरैश के सरदार हक़ की पैरवी करने के बजाय कहने लगे कि वाक़ई यह शख़्स बड़ा जादूगर है, इस चाँद पर और हमारी आँखों पर जादू कर दिया है।

(पृष्ठ 954, 956, 958, 960, 962, 964,966 की तफ़सीर पृष्ठ 968-977 पर)

(पैदावार) को चूरा-चूरा कर दें, फिर तुम हैरान होकर रह जाओगे। **(65)** कि (अबकी बार तो) हमपर तावान ही पड़ गया। **(66)** बल्कि हम बिलकुल ही महरूम रह गए (यानी सारा ही सरमाया गया गुज़रा)। **(67)** अच्छा फिर यह बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो **(68)** उसको बादल से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं? **(69)** अगर हम चाहें तो उसको कड़वा कर डालें, सो तुम शुक्र क्यों नहीं करते? **(70)** अच्छा फिर यह बतलाओ जिस आग को तुम सुलगाते हो **(71)** उसके पेड़ को तुमने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं? **(72)** हमने उसको याद दिलाने की चीज़ और मुसाफ़िरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। **(73)** सो आप बड़ी शान वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह कीजिए।[1] ▲ **(74)** ❖

सो मैं क़सम खाता हूँ सितारों के छुपने की। **(75)** और अगर तुम ग़ौर करो तो यह एक बड़ी क़सम है। **(76)** कि यह एक क़ाबिले एहतिराम क़ुरआन है। **(77)** जो एक महफ़ूज़ किताब (यानी लौहे-महफ़ूज़) में दर्ज है **(78)** कि उसको पाक फ़रिश्तों के अ़लावा कोई हाथ नहीं लगाने पाता।[2] **(79)** यह रब्बुल आ़लमीन की तरफ़ से भेजा हुआ है। **(80)** सो क्या तुम लोग इस कलाम को सरसरी बात समझते हो[3] **(81)** और झुठलाने को अपनी गिज़ा बना रहे हो? **(82)** सो जिस वक़्त रूह हलक़ तक आ पहुँचती है **(83)** और तुम उस वक़्त तका करते हो **(84)** और हम (उस वक़्त) उस (मरने वाले) शख़्स के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो।[4] **(85)** तो (हक़ीक़त में) अगर तुम्हारा हिसाब-किताब होने वाला नहीं है **(86)** तो तुम उस रूह को (बदन की तरफ़) फिर क्यों नहीं लौटाते, अगर तुम सच्चे हो।[5] **(87)** फिर (जब क़ियामत आएगी तो) जो शख़्स अल्लाह के क़रीबी लोगों में से होगा उसके लिए तो राहत है। **(88)** और (फ़राग़त की) ग़िज़ाएँ हैं और आराम की जन्नत है। **(89)** और जो शख़्स दाहिने वालों में से होगा **(90)** तो उससे कहा जाएगा कि तेरे लिए अमन व अमान है कि तू दाहिने वालों में से है। **(91)** और जो शख़्स झुठलाने वालों (और) गुमराहों में से होगा **(92)** तो खौलते हुए पानी से उसकी दावत होगी। **(93)** और दोज़ख़ में दाख़िल

(तफ़सीर पृष्ठ 954) **1.** मुराद नूह अ़लैहिस्सलाम हैं। और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और अल्लाह तआ़ला के हुक़ूक़ में आपस में ताल्लुक़ है इसमें अल्लाह के साथ कुफ़्र करना भी आ गया।

2. यानी आसान कर दिया सबके लिए उमूमन इस वजह से कि अपने बयान में बिलकुल वाज़ेह है, और अ़रब वालों के लिए हिस्सा था इस वजह से कि ज़बान अ़रबी है।

फ़ायदाः इसका सीधा मतलब यह है कि शौक़ दिलाने और डराने के मुताल्लिक़ क़ुरआन में जो मज़मून हैं वे निहायत साफ़ और वाज़ेह हैं, और अहकाम के निकालने की वुजूहात का बारीक और गहरा होना तो खुद ज़ाहिर है।

3. यानी वह ज़माना उनके हक़ में हमेशा के लिए इसलिए मन्हूस रहा कि उस दिन जो अ़ज़ाब आया वह अ़ज़ाब बरज़ख़ (यानी मौत के बाद क़ियामत से पहले ज़माने) से मिला हुआ हो गया, फिर अ़ज़ाब काफ़िरों के लिए कभी ख़त्म होने वाला या हटने वाला न होगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 956) **1.** चूँकि अल्लाह की उस ऊँटनी के पानी पीते वक़्त दूसरे जानवर घाट पर पानी पीने नहीं आ सकते, इसलिए उसमें और तुममें पानी तक़सीम कर दिया गया है, कि एक दिन यह पानी पिए और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर पिएँ। और हर फ़रीक़ अपनी बारी के दिन पानी पीने के लिए हाज़िर हुआ करे, न उसकी बारी में तुम्हारे मवेशी आएँ और न उनकी बारी के दिन यह घाट पर जाए।

2. एक बदकार औरत के बहुत मवेशी थे। उसने अपने आश्ना को जिसका नाम क़ेदार था इस बात पर तैयार किया कि सालेह अ़लैहिस्सलाम की ऊँटनी को मार डाले, उसने उसकी कोंचें काटकर हलाक कर दिया।

3. क़ायदा यह है कि खेत की हिफ़ाज़त के लिए उसके ईर्द-गिर्द सूखी टहनियों और काटों की बाड़ लगा दिया करते हैं, ताकि जानवर खेत में घुसकर खेती बर्बाद न कर सकें। कुछ मुद्दत के बाद वह बाड़ पुरानी होकर बर्बाद हो जाती है। इस मिसाल से यह ग़रज़ है कि हमने पुरानी बाड़ की तरह समूद को पामाल और तबाह कर दिया।

4. यानी उन फ़रिश्तों के लेने के पीछे पड़ गए जो ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम के मेहमान बने थे।

(पृष्ठ 956 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 958, 960, 962, 964, 966, 968 की तफ़सीर पृष्ठ 970-978 पर)

होना होगा। (94) बेशक यह (जो कुछ ज़िक्र हुआ) तहक़ीक़ी यक़ीनी बात है। (95) सो अपने (उस) बड़ी शान वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह कीजिए। (96) ❖

57 सूरः हदीद 94

सूरः हदीद मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 29 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं। और वह ज़बरदस्त (और) हिक्मत वाला है। (1) उसी की बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की, वही ज़िन्दगी देता है और (वही) मौत देता है, और वही हर चीज़ पर क़ादिर है। (2) (सब मख़्लूक़ से) वही पहले है और वही पीछे, और वही ज़ाहिर है और वही पोशीदा है, और वह हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है। (3) वह ऐसा है कि उसने आसमानों और ज़मीन को छह दिन (की मात्रा) में पैदा किया, फिर तख़्त पर क़ायम हुआ[1] वह सब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर दाख़िल होती है (जैसे बारिश) और जो चीज़ उसमें से निकलती है (जैसे पेड़-पौधे और घास वग़ैरह) और जो चीज़ आसमान से उतरती है और जो चीज़ उसमें चढ़ती है[2] और वह तुम्हारे साथ रहता है चाहे तुम लोग कहीं भी हो, और वह तुम्हारे सब आमाल को भी देखता है। (4) उसी की हुकूमत है आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह ही की तरफ़ तमाम मामलात लौट जाएँगे। (5) वही रात को दिन में दाख़िल करता है (जिससे दिन बड़ा हो जाता है) और वही दिन को रात में दाख़िल करता है (जिससे रात बड़ी हो जाती है) और वह दिल की बातों (तक) को जानता है। (6) तुम लोग अल्लाह तआ़ला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और (ईमान लाकर) जिस माल में तुमको उसने क़ायम-मक़ाम किया है उसमें से (उसकी राह में) ख़र्च करो, सो जो लोग तुममें से ईमान ले आएँ और ख़र्च करें,[3] उनको बड़ा सवाब होगा।[4] (7) और तुम्हारे लिए इसका क्या सबब है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हालाँकि रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुमको इस बात की तरफ़ बुला रहे हैं कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, और खुद खुदा ने तुमसे अ़हद लिया था, अगर तुमको ईमान लाना हो। (8) वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर साफ़-साफ़ आयतें भेजता है ताकि वह तुमको (कुफ़्र और जहालत की) अंधेरियों से रोशनी की तरफ़ लाए, और बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे हाल पर बड़ा

(पिछले पृष्ठ का शेष) 5. मुराद मूसा अ़लैहिस्सलाम के इरशादात और मोजिज़ात हैं।

6. बद्र की लड़ाई के दिन मक्का के काफ़िरों ने कहा था कि हमारी भारी जमाअ़त और तादाद और ज़बरदस्त गिरोह है, हम यक़ीनन मुसलमानों को शिकस्त देंगे, लेकिन शिकस्त खाई और पीठ फेरकर भागे।

(तफ़सीर पृष्ठ 958) 1. मक्का के काफ़िरों ने तक़दीर के मसले पर कुछ बहस शुरू की, उसके सुबूत में यह आयत नाज़िल हुई। तक़दीर के मसले पर बहस करने से मुसलमानों को सख़्त मनाही है, क्योंकि यह बड़ा नाज़ुक मसला है जो हर एक की समझ में नहीं आ सकता। ज़्यादा खोद-कुरेद करने से ऐसे शुब्हात और वहम पैदा होते हैं जो ईमान को डाँवाडोल करते हैं। ईमान का मन्शा इस बात का पूरी तरह यक़ीन कर लेना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मुक़द्दर में दाख़िल है, छोटा-बड़ा हर काम शुरू और इब्तिदा ही में लिखा जा चुका है। लेकिन याद रहे कि लौहे-महफ़ूज़ के इस क़दीम लिखने ने किसी शख़्स को गुनाह पर मजबूर नहीं कर दिया है।

2. यानी ज़मीन में अनाज पैदा फ़रमाया जो इनसान की ग़िज़ा है और उसके ऊपर भूसे की भी पैदाइश की जो उनके चौपायों की ग़िज़ा बनता है। पस भूसा भी एक अलग और मुस्तक़िल नेमत हुई।

(पृष्ठ 958 की बकिया तफ़सीर और पृष्ठ 960, 962, 964, 966, 968, 970 की तफ़सीर पृष्ठ 972-978 पर)

शफ़्क़त करने वाला, बड़ा मेहरबान है। **(9)** और तुम्हारे लिए इसका क्या सबब है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते? हालाँकि सब आसमान और ज़मीन अख़ीर में अल्लाह ही का रह जाएगा।[1] तुममें से जो लोग मक्का फ़त्ह होने से पहले (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च कर चुके[2] और लड़ चुके बराबर नहीं, वे लोग दर्जे में उन लोगों से बड़े हैं जिन्होंने (मक्का के फ़त्ह होने के) बाद में ख़र्च किया और लड़े। और (यूँ) अल्लाह तआला ने भलाई (यानी सवाब) का वायदा सबसे कर रखा है, और अल्लाह तआला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है। **(10)** ◆

कोई शख़्स है जो अल्लाह तआला को अच्छी तरह क़र्ज़ के तौर पर दे, फिर ख़ुदा तआला उस (दिए हुए के सवाब) को उस शख़्स के लिए बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसन्दीदा अज्र है।[3] **(11)** जिस दिन आप मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनकी दाहिनी तरफ़ दौड़ता होगा,[4] आज तुमको ख़ुशख़बरी है ऐसे बाग़ों की जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे (और) यह बड़ी कामयाबी है। **(12)** (और यह वह दिन होगा) जिस दिन मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें मुसलमानों से (पुलसिरात पर) कहेंगे कि (ज़रा) हमारा इन्तिज़ार कर लो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें।[5] उनको जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ फिर (वहाँ से) रोशनी तलाश करो, फिर उन (दोनों फ़रीक़ों) के दरमियान में एक दीवार क़ायम कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा (भी) होगा। (जिसकी कैफ़ियत यह है कि) उसकी अन्दरूनी ओर में रहमत होगी और बाहरी ओर की तरफ़ अज़ाब होगा। **(13)** ये (मुनाफ़िक़) उनको पुकारेंगे कि क्या (दुनिया में) हम तुम्हारे साथ न थे? वे (मुसलमान) कहेंगे कि हाँ (थे तो सही) लेकिन तुमने अपने को गुमराही में फँसा रखा था और तुम मुन्तज़िर रहा करते थे, और (इस्लाम के हक़ होने में) तुम शक रखते थे, और तुमको तुम्हारी बेहूदा तमन्नाओं ने धोखे में डाल रखा था, यहाँ तक कि तुमपर ख़ुदा का हुक्म आ पहुँचा और तुमको धोखा देने वाले (यानी शैतान) ने अल्लाह के साथ धोखे में डाल रखा था। **(14)** ग़रज़ आज न तुमसे कोई बदला लिया जाएगा और न काफ़िरों से, तुम सबका ठिकाना दोज़ख़ है, वही तुम्हारा साथी है और वह (वाक़ई) बुरा ठिकाना है। **(15)** क्या ईमान वालों के लिए

(पिछले पृष्ठ का शेष) 3. यह आयत तफ़रीअ़िया इस सूरः में इकत्तीस जगह आई है और हर जगह "आला-इ" (यानी नेमतों) का मिस्दाक़ अलग है, इसलिए यह बार-बार आना वैसे ही नहीं, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ मुश्तरक हैं, और इन अल्फ़ाज़ के बार-बार आने की वजह से ज़ाहिरी तौर पर इसमें ताकीद का फ़ायदा भी है। और इस क़िस्म का तकरार (यानी एक जैसे अल्फ़ाज़ का बार-बार आना) जो कि उम्दा साफ़ की हुई मिठाई से ज़्यादा मीठा है, अ़रब के कलाम (सादी इबारत और शे'र) में कसरत से बिला नकीर इस्तेमाल होता है। "तुकज़्ज़िबानि" (यानी तुम इनकारी हो जाओगे) में ख़िताब इनसान और जिन्न को होना इन दलीलों से है- अल्लाह तआ़ला का क़ौल "ख़-लक़ल् इनसा-न व ख़-लक़ल् जान्-न" (यानी उसने इनसान और जिन्नात को पैदा किया) अल्लाह तआ़ला का क़ौल "अय्युहस्स-क़लानि" अल्लाह तआ़ला का क़ौल "इन्सुन् क़ब्लहुम व ला जान्नुन"।

4. क़ुरआन का असल लफ़्ज़ "जान्नुन्" है, जिस तरह इनसानों के बाप आदम अ़लैहिस्सलाम हैं और तमाम इनसान उन्हीं की औलाद हैं, इसी तरह तमाम जिन्नात जान्न की औलाद हैं, पस वह तमाम जिन्नात का बाप है।

5. जिस तरह गर्मी और जाड़े के मौसम में सूरज निकलने के दो मुख़्तलिफ़ मक़ाम हैं, इसी तरह ग़ुरूब होने के भी अलग-अलग मक़ाम हैं, गोया दो पूरब हुए और दो पश्चिम हुए।

6. यानी उसमें दो समुद्र पैदा किए। उनमें से एक का पानी खारा और दूसरे का पानी मीठा है, हालाँकि दोनों एक-दूसरे से मिले हुए बह रहे हैं मगर फिर भी उनमें क़ुदरती दीवार रोक है, कि न खारी समुद्र मीठे को नमकीन बना सकता है और न मीठा समुद्र खारे को मीठा कर सकता है।

(तफ़सीर पृष्ठ 960) 1. चूँकि मक़सूद जिन्न और इनसानों के दोनों गिरोहों को तंबीह करना है और वे सब ज़मीन पर हैं इसलिए फ़ना होने में ज़मीन वालों का ज़िक्र किया गया, इस ज़मीन वालों को ख़ास कर देने से जो ज़मीन के अलावा हैं उनके फ़ना होने की नफ़ी लाज़िम नहीं आती। **(पृष्ठ 960 की बक़िया और पृष्ठ 962, 964, 966, 968, 970, 972 की तफ़सीर पृष्ठ 974-978 पर)**

इस बात का वक़्त नहीं आया कि उनके दिल ख़ुदा की नसीहत के और जो हक़ दीन (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से) नाज़िल हुआ है उसके सामने झुक जाएँ, और उन लोगों की तरह न हो जाएँ जिनको उनसे पहले (आसमानी) किताब मिली थी (यानी यहूदी और ईसाई), फिर (उसी हालत में) उनपर एक लम्बा ज़माना गुज़र गया (और तौबा न की) फिर उनके दिल (ख़ूब ही) सख़्त हो गए, और बहुत-से आदमी उनमें के (आज) काफ़िर हैं।[1] **(16)** यह बात जान लो कि अल्लाह तआ़ला ज़मीन को उसके सूख जाने के बाद ज़िन्दा कर देता है,[2] हमने तुमसे उसकी नज़ीरें बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। **(17)** बेशक सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाली औ़रतें और ये (सदक़ा देने वाले) अल्लाह को नेक-नीयती के साथ क़र्ज़ दे रहे हैं, वह सदक़ा (सवाब के एतिबार से) उनके लिए बढ़ा दिया जाएगा, और उनके लिए पसन्दीदा अज्र है। **(18)** और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, ऐसे ही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं,[3] उनके लिए (जन्नत में) उनका (ख़ास) अज्र और (पुलसिरात पर) उनका (ख़ास) नूर होगा। और जो लोग काफ़िर हुए और हमारी आयतों को झुठलाया, यही लोग दोज़ख़ी हैं। **(19)** ❖

तुम ख़ूब जान लो कि (आख़िरत के मुक़ाबले में) दुनियावी ज़िन्दगी सिर्फ़ खेल-तमाशा और (एक ज़ाहिरी) ज़ीनत और आपस में एक-दूसरे पर फ़ख़्र करना और मालों और औलाद में एक-दूसरे से अपने को ज़्यादा बतलाना है।[4] जैसे बारिश (बरसती) है कि उसकी पैदावार (खेती) किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर वह सूख जाती है सो उसको तू ज़र्द देखता है, फिर वह चूरा-चूरा हो जाती है।[5] और आख़िरत (की कैफ़ियत यह है कि उस) में सख़्त अ़ज़ाब है, और ख़ुदा की तरफ़ से मग़्फ़िरत और रज़ामन्दी है, और दुनियावी ज़िन्दगी सिर्फ़ धोखे का सामान है। **(20)** तुम अपने परवर्दिगार की मग़्फ़िरत की तरफ़ दौड़ो और (इससे बढ़कर) ऐसी जन्नत की तरफ़ जिसकी लम्बाई-चौड़ाई आसमान और ज़मीन की वुसुअ़त के बराबर है।[6] वह उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, यह अल्लाह का फ़ज़्ल है वह अपना फ़ज़्ल जिसको चाहें इनायत करें, और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।[7] **(21)** कोई मुसीबत न दुनिया में आती है और न ख़ास तुम्हारी जानों में मगर वह एक ख़ास किताब (यानी लौहे-महफ़ूज़) में लिखी है, इससे पहले कि हम उन जानों को पैदा करें[8] यह अल्लाह के नज़दीक आसान काम है। **(22)** (यह बात इस वास्ते

(पिछले पृष्ठ का शेष) 2. यानी कायनात के इन्तिज़ाम में हर वक़्त अपनी मरज़ी के मुताबिक़ हुक्म फ़रमाता रहता है। जैसी कुछ उसने रोज़े अव्वल में किसी की तक़दीर लिख दी उसी के मुताबिक़ किसी को इज़्ज़त देता है और किसी को ज़िल्लत, किसी को अमीर बनाता है और किसी को फ़क़ीर, किसी को पैदा करता है और किसी को मारता है। पस इस आयत का यह मतलब नहीं कि अफ़आ़ल (कामों) का सादिर होना उसकी ज़ात के लवाज़िम में से है।

3. यानी हिसाब-किताब लेने वाले हैं। मजाज़न् और मुबालग़े के तौर पर इसको ख़ाली होने से ताबीर फ़रमा दिया। और हक़ीक़ी मायने इसलिए नहीं हो सकते कि इससे यह लाज़िम आता है कि उससे पहले उसको ऐसी मश्ग़ूलियत हो जो दूसरी तरफ़ मुतवज्जह होने से रोकने वाली हो, और यह अल्लाह की ज़ात के लिए मुहाल है।

4. यानी तुम मेरे हुक्म और तक़दीर से कहीं निकलकर भाग नहीं सकते, जब तुम लोग क़ब्रों से निकालकर खड़े किए जाओगे तो ख़ालिस आग के शोले और धुआँ भेज दिया जाएगा, तुममें उसके मुक़ाबले की ताक़त न होगी और न तुम उससे बच सकोगे, वह तुम सबको मैदाने हश्र की जानिब हाँक लाएगी।

5. क्योंकि अल्लाह तआ़ला को सब मालूम है। यानी हिसाब इस ग़रज़ से न होगा बल्कि ख़ुद उनको मालूम कराने के लिए और जतलाने के लिए सवाल और हिसाब होगा। और यह ख़बर देना भी एक नेमत है।

6. यह पहचान मुज्रिमों के मुतैयन करने के लिए लाज़िमी नहीं, लेकिन अल्लाह तआ़ला किसी हिक्मत से इस तरह ज़ाहिर कर देंगे और यह ख़बर देना भी एक नेमत है।

7. एक बार हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने क़ियामत के दिन और हिसाब व किताब और दोज़ख़ और जन्नत का ज़िक्र फ़रमाया, और इनसान जिन मामलात के लिए पैदा किया गया है और नाफ़रमानी की सूरत में जो अ़ज़ाब और इबरतनाक सज़ाएँ और तकलीफ़ें **(पृष्ठ 960 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974 की तफ़सीर पृष्ठ 976-978 पर)**

बतला दी है) ताकि जो चीज़ तुमसे जाती रहे तुम उसपर (इतना) ग़म न करो, और ताकि जो चीज़ तुमको अ़ता फ़रमाई है उसपर इतराओ नहीं, और अल्लाह तआ़ला किसी इतराने वाले शैख़ीबाज़ को पसन्द नहीं करता।[1] (23) जो ऐसे हैं कि (दुनिया की मुहब्बत की वजह से) ख़ुद भी बुख़्ल "यानी कन्जूसी" करते हैं और दूसरे लोगों को भी बुख़्ल की तालीम करते हैं, और जो शख़्स (हक़ दीन से) मुँह मोड़ेगा तो अल्लाह तआ़ला बेपरवाह हैं, तारीफ़ के लायक़ हैं।[2] (24) हमने (इसी आख़िरत का सुधार करने के लिए) अपने पैग़म्बरों को खुले-खुले अहकाम देकर भेजा, और हमने उनके साथ किताब को और इन्साफ़ करने (के हुक्म) को नाज़िल फ़रमाया ताकि लोग (अल्लाह के हुक़ूक़ और बन्दों के हुक़ूक़ में) सही राह पर क़ायम रहें, और हमने लोहे को पैदा किया जिसमें सख़्त हैबत है, और (इसके अ़लावा) लोगों के और भी तरह-तरह के फ़ायदे हैं, और (इसलिए लोहा पैदा किया) ताकि अल्लाह तआ़ला जान ले कि बेदेखे उसकी और उसके रसूलों की (यानी दीने हक़ की) कौन मदद करता है, अल्लाह तआ़ला ताक़तवर और ज़बरदस्त है।[3] (25) ❖

और हमने नूह और इब्राहीम (अ़लैहिमस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा, और हमने उनकी औलाद में पैग़म्बरी और किताब जारी रखी, सो उन लोगों में बाज़े तो हिदायत पाने वाले हुए और बहुत-से उनमें नाफ़रमान थे। (26) फिर उनके बाद और रसूलों को (जो कि मुस्तक़िल शरीअ़त रखने वाले न थे) एक के बाद एक भेजते रहे और उनके बाद ईसा इब्ने मरियम (अ़लैहिस्सलाम) को भेजा, और हमने उनको इन्जील दी, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की थी हमने उनके दिलों में शफ़्क़त और रहम व तरस पैदा किया। और उन्होंने रहबानियत "यानी दुनिया से बिलकुल बेताल्लुक़ हो जाने" को ख़ुद ईजाद कर लिया, हमने उसको उनपर वाजिब न किया था, लेकिन उन्होंने हक़ तआ़ला की रिज़ा के वास्ते उसको इख़्तियार किया था, सो उन्होंने उस (रहबानियत) की पूरी रियायत न की।[4] सो उनमें से जो लोग ईमान लाए[5] हमने उनको उनका (वायदा किया हुआ) अज्र दिया, और ज़्यादा उनमें नाफ़रमान हैं। (27) ऐ (ईसा अ़लैहिस्सलाम पर) ईमान रखने वालो! तुम अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह तआ़ला तुमको अपनी रहमत से (सवाब के) दो हिस्से देगा, और तुमको ऐसा नूर इनायत करेगा कि तुम उसको लिए हुए चलते-फिरते होगे और तुमको बख़्श देगा,[6] और अल्लाह मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। (28) (और ये दौलतें तुमको इसलिए देगा) ताकि अहले किताब को यह बात मालूम हो जाए कि उन लोगों को अल्लाह के फ़ज़्ल के किसी हिस्से पर (भी) इख़्तियार नहीं, और यह कि फ़ज़्ल अल्लाह के हाथ में है वह जिसको चाहे दे दे[7] और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।[8] (29) ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) उसके लिए तैयार हैं उनको याद करके वह घबरा उठे, और उनपर ऐसा ख़ौफ़ तारी हुआ, कहने लगे कि काश! मैं घास हुआ होता, कि मुझको चौपाए चर लेते, उस वक़्त उनकी शान में यह आयत नाज़िल हुई।

(तफ़सीर पृष्ठ 962) 1. क़ायदा है कि अबरा (यानी दोहरे कपड़े का ऊपर वाला हिस्सा) अस्तर (नीचे वाले कपड़े) के मुक़ाबले में ज़्यादा उम्दा होता है। पस जब अस्तर मोटे और मज़बूत रेशम का होगा तो अबरा कैसा कुछ होगा।

2. यानी नेकी का बदला नेकी ही होता है, जैसे उन नेक बन्दों ने नेक अ़मल किए ऐसे ही उनको हमारी सरकारे आ़ली से नेक सिले अ़ता हुए।

3. क़ायदे की बात है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हरे रंग की हो वह स्याही माईल हो जाती है। मतलब यह है कि ये दोनों बाग़ भी ख़ूब हरे-भरे होंगे। ये उन नेक बन्दों के लिए हैं जो रुतबे में पहले लोगों के मुक़ाबले में कुछ कम हैं।

4. इस सूरः में रब्बुल आ़लमीन ने जिन्नात और इनसान पर इकत्तीस जगह अपनी नेमतें जताई हैं। हर आयत के बाद नेमत का इज़हार सही ज़ौक़ रखने वाले के लिए वह पुरलुत्फ़ मायने ज़ाहिर करता है जिसको दिल वाले ही समझ सकते हैं। अगरचे अल्फ़ाज़ एक हैं, लेकिन हर मक़ाम में अलग लुत्फ़ और अलग कैफ़ियत है।

(तफ़सीर पृष्ठ 964) 1. यानी काफ़िरों की ज़िल्लत और मोमिनों की बुलन्दी और तरक़्क़ी का उस दिन ज़ुहूर होगा।

(पृष्ठ 964 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 966, 968, 970, 972, 974, 976 की तफ़सीर पृष्ठ 977-980 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) और अपनी हालत पर क़ियास करके अल्लाह तआला के लिए जिस्म होने का वहम करना बिलकुल नाजायज़ है। ईमान का मन्शा यह है कि अ़र्श पर अल्लाह तआ़ला के क़रार पकड़ने का यक़ीन रखें लेकिन उसकी कैफ़ियत या तश्बीह से ज़बान बन्द रखें। क्योंकि अल्लाह तआ़ला बेमिस्ल और बेनज़ीर है, किसी भी तरह उसके साथ किसी की मिसाल नहीं दी जा सकती।

2. जैसे फ़रिश्ते कि उतरते और चढ़ते हैं, और जैसे अहकाम जो उतरते हैं और आमाल जो चढ़ते हैं।

3. तबूक की लड़ाई में सफ़र दूर का और लम्बा था और जिहाद के सामान की कमी थी इसलिए मालदार सहाबा-ए-किराम को चन्दा देने की तरग़ीब और नादार व ग़रीब मोमिनों की मदद करने के हुक्म में यह आयत नाज़िल हुई। और चूँकि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने लश्कर की तैयारी और सामान से लैस करने में शानदार माली मदद की, उनकी फ़ज़ीलत के इज़हार में आयत "फ़ल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम" नाज़िल हुई।

4. इस क़ायम मक़ाम बनाने के उन्वान में इस तरफ़ इशारा है कि यह माल तुमसे पहले और किसी के पास था और इसी तरह तुम्हारे बाद किसी और के हाथ में चला जाएगा। पस जब यह सदा रहने वाली चीज़ नहीं तो इसको इस तरह जोड़-जोड़कर रखना कि ज़रूरत की जगह में भी ख़र्च न किया जाए कोरी बेवक़ूफ़ी है।

(तफ़सीर पृष्ठ 972) 1. पस जब सब माल एक दिन छोड़ना है तो ख़ुशी से क्यों न दिया जाए कि सवाब भी हो।

2. यह आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की फ़ज़ीलत में नाज़िल हुई कि सबसे पहले इस्लाम लाए और अल्लाह की राह में जान व माल दोनों ख़र्च किए।

3. ख़ैरात का सवाब ज़रूरत और हालात के लिहाज़ से कम और ज़्यादा होता है। जिन बुज़ुर्गाने मिल्लत ने मक्का के फ़त्ह होने से पहले इस्लाम की मदद की और अल्लाह की राह में दिल खोलकर माल ख़र्च किया उनका अज्र व सवाब उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जिन्होंने मक्का के फ़त्ह होने के बाद अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। क्योंकि मक्का के फ़त्ह होने के बाद इस्लाम ताक़तवर और इम्दाद से बेपरवाह हो गया था, अगरचे सवाब दोनों गिरोहों को मिलेगा और रब्बे करीम हर एक पर नवाज़िश फ़रमाएगा, लेकिन दोनों फ़रीक़ में आपस में दर्जों का बहुत फ़र्क़ होगा।

4. यह नूर पुलसिरात पर से गुज़रने के लिए उनके साथ होगा।

5. क़ियामत के दिन जब दोज़ख़ पर पुलसिरात के क़ायम किए जाने का हुक्म होगा और लोग उसपर से गुज़रने लगेंगे तो मोमिन अपने-अपने आमाल के मुवाफ़िक़ तेज़ी से गुज़र जाएँगे। लेकिन काफ़िर और मुश्रिक लोग कट-कटकर दोज़ख़ में गिरने लगेंगे। हर तरफ़ अंधेरा-ही-अंधेरा होगा, लेकिन ईमान वालों के आगे-आगे और दाहिनी तरफ़ उनके ईमान का नूर उनके साथ-साथ दौड़ता होगा। मुनाफ़िक़ लोग भी जो ज़ाहिर में मुसलमान और बातिन में काफ़िर थे और देखने में दुनिया के अन्दर मुसलमानों के साथी थे उनके नूर की रोशनी में चलने लगेंगे लेकिन उनके जैसी तेज़ रफ़्तार कहाँ से लाएँ, इसलिए पीछे रह जाएँगे और पुकारेंगे, मुसलमानो! ज़रा ठहरो हमें भी अपने साथ ले चलो, दुनिया में हम भी तुम्हारे साथी थे। मोमिन कहेंगे कि पीछे से रोशनी लाओ। मतलब यह कि रोशनी तो दुनिया में ईमान और नेक अ़मल से पैदा की जाती है, दुनिया में न ईमान लाए और न नेक अ़मल किए, अब रोशनी कहाँ से लाएँ। ग़रज़ वे पीछे रह जाएँगे। अब दोनों फ़रीक़ के दरमियान एक दीवार आड़ हो जाएगी।

(तफ़सीर पृष्ठ 974) 1. मतलब यह कि मुसलमान को जल्द तौबा कर लेना चाहिए क्योंकि कभी-कभी फिर तौबा की तौफ़ीक़ नहीं रहती, और कभी-कभी कुफ़्र तक नौबत पहुँच जाती है।

2. इस तरह तौबा करने पर अपनी रहमत से मुर्दा दिल को ज़िन्दा और दुरुस्त कर देता है। पस मायूस न होना चाहिए।

3. यानी ये ऊँचे दर्जे कामिल ईमान ही की बदौलत नसीब होते हैं।

4. यानी दुनिया के मक़ासिद ये हैं कि बचपन में खेलकूद का ग़ल्बा रहता है और जवानी में बनने-सँवरने और आपस में एक-दूसरे पर फ़ख़्र करने का और बुढ़ापे में माल-दौलत और आल-औलाद को गिनवाना। और ये सब मक़ासिद फ़ानी और महज़ ख़्वाब व ख़्याल हैं।

5. इसी तरह दुनिया चन्द दिन की बहार है फिर ज़वाल और ख़ात्मा।

6. यानी इससे कम का इनकार है ज़्यादा का इनकार नहीं।

7. इसमें इशारा है कि अपने आमाल पर कोई मग़रूर न हो और अपने आमाल पर जन्नत का हक़दार होने का दावेदार न हो। यह सिर्फ़ फ़ज़्ल है जिसका मदार हमारी मरज़ी पर है, मगर हमने अपनी रहमत से इन आमाल के करने वालों के साथ अपनी मरज़ी मुताल्लिक़ कर ली है। अगर हम चाहते तो अपनी मरज़ी को मुताल्लिक़ न करते।

8. यानी तमाम मुसीबतें बाहरी हों या अन्दुरूनी वे सब मुक़द्दर हैं।

(तफ़सीर पृष्ठ 976) 1. 'इख़्तियाल' यानी इतराना अक्सर अन्दुरूनी ख़ूबियों और कमालात पर इतराने में और फ़ख़्र अक्सर बाहरी चीज़ों माल व रुतबे वग़ैरह पर इतराने में इस्तेमाल होता है।

2. ऊपर 'इअ़्लमू' से 'अल्‌हमीद' तक दुनिया का ग़ैर-अहम चीज़ होना और उसके दरमियान में 'व फ़िल्-आख़िरति' से आख़िरत का अहम और शान वाली चीज़ होना इरशाद हुआ है। आगे भी आख़िरत का अहम और शान वाला होना इस तरह बयान फ़रमाते हैं कि असल में हमने इसी आख़िरत के दुरुस्त करने के लिए रसूलों को भेजा, और अहकाम मुक़र्रर किए और **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 978 पर)**

अट्ठाईसवाँ पारः क़द् समिअ़ल्लाहु

58 सूरः मुजादला 105

सूरः मुजादला मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 22 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

बेशक अल्लाह तआ़ला ने उस औ़रत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मामले में झगड़ती थी, और (अपने रंज व ग़म की) अल्लाह तआ़ला से शिकायत करती थी, और अल्लाह तआ़ला तुम दोनों की गुफ़्तगू सुन रहा था, (और) अल्लाह (तो) सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है।[1] (1) तुममें जो लोग अपनी बीवियों से 'ज़िहार' करते हैं (जैसे यूँ कह देते हैं कि तू मुझपर मेरी माँ की तरह है) वे उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो बस वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, और वे लोग बेशक एक नामाकूल और (चूँकि) झूठ बात कहते हैं (इसलिए गुनाह ज़रूर होगा) और यक़ीनन अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाले, बख़्श देने वाले हैं। (2) और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, फिर अपनी कही हुई बात की तलाफ़ी करना चाहते हैं तो उनके ज़िम्मे एक ग़ुलाम या बाँदी का आज़ाद करना है, इससे पहले कि दोनों (मियाँ-बीवी) आपस में मिलें, इससे तुमको नसीहत की जाती है, और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है।[2] (3) फिर जिसको (ग़ुलाम-बाँदी) मयस्सर न हो तो उसके ज़िम्मे लगातार दो महीने के रोज़े हैं, इससे पहले कि दोनों आपस में मिलें। फिर जिससे यह भी न हो सकें तो उसके ज़िम्मे साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है। यह हुक्म इसलिए (बयान किया गया) है कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) पर ईमान ले आओ, और ये अल्लाह की (मुक़र्रर की हुई) हदें हैं, और काफ़िरों के लिए सख़्त दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।[3] (4) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करते हैं वे (दुनिया में भी) ऐसे ज़लील होंगे जैसे उनसे पहले लोग ज़लील हुए, और हमने खुले-खुले अहकाम नाज़िल किए हैं, और काफ़िरों को ज़िल्लत का अ़ज़ाब होगा। (5) जिस दिन उन

(पृष्ठ 978 का शेष) दीन की मदद के लिए ख़ास तौर पर लोहे को पैदा किया। और साथ ही इन चीज़ों में तुम्हारे दुनियावी मुनाफ़े भी रख दिए। पस दुनिया एक ज़रूरत की वजह से मक़सूद है और आख़िरत अपनी ज़ात ही के सबब मक़सूद हुई।

3. ऊपर मख़्लूक़ की दुरुस्ती के लिए रसूलों का भेजना मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र किया गया था। आगे बाज़ ख़ास रसूलों का उम्मतों की इस्लाह के लिए भेजना और उन उम्मतों में से बाज़ का इस्लाह क़बूल करना और बाज़ का इस्लाह को क़बूल न करना, और मौजूदा लोगों को इस्लाह के क़बूल करने का हुक्म इरशाद है।

4. यानी जिस ग़रज़ से उसको इख़्तियार किया था और वह ग़रज़ अल्लाह की रिज़ा हासिल करना थी, उसका एहतिमाम नहीं किया, यानी अहकाम पर अ़मल नहीं किया अगरचे देखने में दुनिया से बेताल्लुक़ रहे, और बाज़े अहकाम पर अ़मल करने में सक्रिय रहे।

5. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाए।

6. यानी ऐसा ईमान देगा जो हर वक़्त साथ रहेगा यहाँ से पुलसिरात तक।

7. चुनाँचे उसकी मरज़ी व चाहत उसके फ़ज़्ल के साथ मुसलमानों से मुताल्लिक़ हुई तो उन्हीं को इनायत फ़रमा दिया।

8. मतलब यह कि उनका घमण्ड और गुमान टूट जाए कि वे मौजूदा हालत में अपने को फ़ज़्ल और मग़फ़िरत का महल व हक़दार समझते हैं।

1. अ़रब में जहालत के ज़माने में अगर कोई शख़्स अपनी बीवी को इस तरह कह देता कि तू मेरी माँ की जगह है, या तेरी पीठ मेरी माँ या बहन की पीठ की जगह है, तो मियाँ-बीवी में हमेशा के लिए जुदाई हो जाती थी। और यह क़ौल तलाक़ से बढ़कर हमेशा के लिए हराम करने वाला ख़्याल किया जाता था। शरीअ़त की इस्तिलाह में इसको 'ज़िहार' कहते हैं। हुज़ूरे पाक के ज़माने में औस बिन सामित सहाबी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने गुस्से में अपनी बीवी ख़ौला बिन्ते सालबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को कह दिया कि तू मेरे हक़ में ऐसी है जैसी मेरी माँ की पुश्त कि मुझपर हराम है। उसके बाद दोनों शर्मिन्दा हुए। हज़रत ख़ौला मसले के हल और तहक़ीक़े हाल के लिए बारगाहे नुबुव्वत में हाज़िर हुईं। चूँकि 'ज़िहार' के मुताल्लिक़ अब तक कोई आसमानी हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, आपने क़ौम ही के मामूल को (शेष तफ़सीर पृष्ठ 982 पर)

सबको अल्लाह दोबारा ज़िन्दा करेगा। फिर उनका सब किया हुआ उनको बतलाएगा। (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ने वह महफ़ूज़ कर रखा है और ये लोग उसको भूल गए, और अल्लाह हर चीज़ की ख़बर रखता है। **(6)** ◆

क्या आपने इसपर नज़र नहीं फ़रमाई कि अल्लाह तआ़ला सब कुछ जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कोई सरगोशी "यानी चुपके-चुपके बातें करना" तीन आदमियों की ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वह (यानी अल्लाह) न हो, और न पाँच की (कानाफूसी) होती है जिसमें छठा वह न हो, और न इस (अंक) से कम (में) होती है (जैसे दो चार आदमियों में) और न उससे ज़्यादा, मगर वह (हर हालत में) उन लोगों के साथ होता है, चाहे वे लोग कहीं भी हों। फिर उन (सब) को क़ियामत के दिन उनके किए हुए काम बतला देगा, बेशक अल्लाह तआ़ला को हर बात की पूरी ख़बर है। **(7)** क्या आपने उन लोगों पर नज़र नहीं फ़रमाई[1] जिनको सरगोशी "चुपके-चुपके बातें करने" से मना किया गया था, (मगर) फिर (भी) वह वही काम करते हैं जिससे उनको मना किया गया था, और गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की सरगोशियाँ "यानी कानाफूसी" करते हैं।[2] और वे लोग जब आपके पास आते हैं आपको ऐसे लफ़्ज़ से सलाम कहते हैं[3] जिससे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं फ़रमाया[4] और अपने जी में (या अपने आपस में) कहते हैं कि (अगर यह पैग़म्बर हैं तो) अल्लाह तआ़ला हमको हमारे इस कहने पर (फ़ौरन) सज़ा क्यों नहीं देता, उनके लिए जहन्नम काफ़ी है, उसमें ये लोग (ज़रूर) दाख़िल होंगे, सो वह बुरा ठिकाना है। **(8)** ऐ ईमान वालो! जब तुम (किसी ज़रूरत से) सरगोशी करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की सरगोशियाँ मत करो, और नफ़ा पहुँचाने और परहेज़गारी की बातों की सरगोशियाँ करो[5] और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। **(9)** ऐसी सरगोशी सिर्फ़ शैतान की तरफ़ से (यानी उसके बहाकाने से) है[6] ताकि मुसलमानों को रंज में डाले, और वह (शैतान) बग़ैर ख़ुदा के इरादे के उनको कुछ नुक़सान नहीं पहुँचा सकता, और मुसलमानों को (हर मामले में) अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। **(10)** ऐ ईमान वालो! जब तुमसे

(पृष्ठ 980 का शेष) क़ाबिले अ़मल ख़्याल करके फ़रमा दिया कि अब तुम्हारे और तुम्हारे शौहर में एक साथ रहने की कोई सूरत नहीं हो सकती। यह सुनकर वह रोने-धोने लगीं और अपने शौहर का शिकवा शुरू कर दिया और कहा या रसूलल्लाह! मेरी जवानी शौहर ही के घर में गुज़री और अब जो मैं बूढ़ी हो चली हूँ तो 'ज़िहार' कर बैठा है, लेकिन जुदाई की सूरत में घर तबाह हो जाएगा और छोटे-छोटे बच्चे परेशान और मारे-मारे फिरेंगे। उसके बाद आसमान की तरफ़ सर उठाकर कहने लगीं, या इलाही! मुझ बेचारी का तू ही वारिस है, मेरी फ़रियाद सुन। उसी वक़्त ये आयतें नाज़िल हुई जिनमें 'ज़िहार' को तलाक़ क़रार नहीं दिया गया, और फ़रमाया गया कि जिसने जन्म नहीं दिया वह माँ किस तरह हो सकती है? और ऐसी बेहूदा बात कहने से रोकने का यह हुक्म देकर फ़रमाया कि जब तक शौहर कफ़्फ़ारा अदा न करे, उस वक़्त तक बीवी के क़रीब न जाए।

2. पस कफ़्फ़ारे में दो हिक्मतें हो गईं- एक बुराई का कफ़्फ़ारा जिसकी तरफ़ इशारा है 'अल्लाह माफ़ करने वाले, बख़्श देने वाले हैं' में। दूसरे तंबीह और डाँट जिसका 'तुमको नसीहत की जाती है' में बयान है।

3. इस्लाम में भी यह हुक्म बहाल है कि जो शख़्स अपनी बीवी के किसी अंग को अपनी माँ, बहन, बेटी या किसी ऐसी औ़रत के अंग से तश्बीह दे जिसमें मर्द का किसी हालत में निकाह नहीं हो सकता तो कफ़्फ़ारा अदा किए बग़ैर बीवी से सोहबत करना और इसी तरह की दूसरी बातें जैसे लिपटाना, चूमना और साथ लेटाना वग़ैरह सब हराम हो जाते हैं। लेकिन अंग के तश्बीह देने से बदन के वही अंग व हिस्से मुराद हैं जिनकी तरफ़ मर्द बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के देख नहीं सकता जैसे पीठ, पेट, रान। अगर कफ़्फ़ारे में बाँदी गुलाम आज़ाद करने का मौक़ा न हो जैसा कि मौजूदा ज़माने में बाँदी और गुलामों का कहीं भी वजूद नहीं पाया जाता तो साठ रोज़े रखे, अगर रोज़ों की ताक़त नहीं तो साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त खाना सालन-रोटी पेट भरकर खिलाए। और अगर अनाज देना चाहे तो हर एक को दो सेर गेहूँ दे।

1. मदीना पाक के यहूदियों की आ़दत थी कि जब किसी मुसलमान को अपनी मज्लिस के सामने से गुज़रते हुए देखते तो आपस में कानों में बातें करनी शुरू कर देते। अगरचे उस वक़्त यहूदी और मुसलमानों में आपस में सुलह का अ़हद था, लेकिन उस कानाफूसी से मुसलमानों के दिलों में यह बात खटकती थी कि कहीं हमारे क़त्ल या तकलीफ़ के मश्विरे तो नहीं कर रहे हैं? हर चन्द पैग़म्बरे ख़ुदा सल्ल. ने उनको उस नाजायज़ कानाफूसी से मना किया, लेकिन वे बाज़ न आए। उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 984 पर)**

कहा जाए[1] कि मज्लिस में जगह खोल दो तो तुम जगह खोल दिया करो। अल्लाह तुमको (जन्नत में) खुली जगह देगा। और जब (किसी ज़रूरत से) यह कहा जाए कि (मज्लिस से) उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो[2] अल्लाह तआला (इस हुक्म के मानने से) तुममें ईमान वालों के और (ईमान वालों में) उन लोगों के जिनको (दीन का) इल्म अता हुआ है (आख़िरत के) दर्जे बुलन्द कर देगा, और अल्लाह तआला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है। **(11)** ऐ ईमान वालो! जब तुम रसूल से सरगोशी "यानी कान में बात" (करने का इरादा) किया करो तो अपनी उस सरगोशी से पहले (मिस्कीनों को) कुछ ख़ैरात दे दिया करो,[3] यह तुम्हारे लिए बेहतर है और (गुनाहों से) पाक होने का अच्छा ज़रिया है। फिर अगर तुमको (सदक़ा देने की) ताक़त न हो तो अल्लाह तआला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। **(12)** क्या तुम अपनी सरगोशी "यानी चुपके-चुपके कान में बात करने" से पहले ख़ैरात देने से डर गए? सो (ख़ैर!) जब तुम (उसको) न कर सके और अल्लाह तआला ने तुम्हारे हाल पर इनायत फ़रमाई तो तुम नमाज़ के पाबन्द रहो और ज़कात दिया करो और अल्लाह तआला और उसके रसूल का कहना माना करो, और अल्लाह तआला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है।[4] **(13)** ◆

क्या आपने उन लोगों पर नज़र नहीं फ़रमाई जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिनपर अल्लाह ने ग़ज़ब किया है, ये (मुनाफ़िक़) लोग न तो (पूरे-पूरे) तुममें हैं और न उन ही में हैं, और झूठी बात पर क़स्में खा जाते हैं, और वे (खुद भी) जानते हैं। **(14)** अल्लाह ने उन लोगों के लिए सख़्त अ़ज़ाब मुहैया कर रखा है, (क्योंकि) बेशक वे बुरे-बुरे काम किया करते थे। **(15)** उन्होंने अपनी क़स्मों को (अपने बचाव के लिए) ढाल बना रखा है, फिर खुदा की राह से रोकते रहते हैं। सो (इस वजह से) उनके लिए ज़िल्लत का अ़ज़ाब होने वाला है। **(16)** उनके माल और औलाद अल्लाह (के अ़ज़ाब) से उनको ज़रा भी न बचा सकेंगे, (और) ये लोग दोज़ख़ी हैं वे लोग उसमें हमेशा रहने वाले हैं। **(17)** जिस दिन अल्लाह उन सबको दोबारा ज़िन्दा करेगा, सो ये उसके सामने भी (झूठी) क़स्में खा जाएँगे जिस तरह तुम्हारे सामने क़स्में खा जाते हैं, और यूँ ख़्याल करेंगे कि हम किसी अच्छी हालत में हैं। ख़ूब सुन लो कि ये लोग बड़े ही झूठे हैं। **(18)** उनपर शैतान ने पूरा

(पृष्ठ 982 का शेष) 2. मुनाफ़िक़ों की जुर्रत और ढिटाई का यह आ़लम था कि मस्जिदे नबवी में बैठकर अपना हल्क़ा बना लेते और सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का मज़ाक़ उड़ाते और ऐब निकालते। सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कोई शरई हुक्म सादिर फ़रमाते तो ये आपस में कहने लगते कि हमसे तो ऐसे सख़्त काम हो नहीं सकते। सूरः निसा में उनकी कानाफूसियों के बारे में रोक का हुक्म आ चुका था, लेकिन वे किसी तरह बाज़ नहीं आते थे।

3. 'सलाम' के मायने सलामती के और 'साम' के मायने मौत व हलाक होने के हैं। बाज़ यहूदी बारगाहे नुबुव्वत में हाज़िर होते तो शरारत व बद-अन्देशी के तौर पर आपको 'अस्सामु अ़लैकुम' कहते थे और फिर इस बुरी हरकत और शरारत पर नाज़ करते हुए दिल में कहते थे कि अगर मुहम्मद वाक़ई खुदा के सच्चे नबी हैं तो फिर इस बेअदबी पर उनका खुदा हमपर अ़ज़ाब क्यों नाज़िल नहीं करता? उसपर यह आयत नाज़िल हुई।

4. यानी अल्लाह तआला के अल्फ़ाज़ तो ये हैं "सलामुन् अ़लल् मुर्सलीन, सलामुन अ़ला इबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा, सल्लू अ़लैहि व सल्लिमू तस्लीमन्" और वे कहते हैं "अस्सामु अ़लैकुम"।

5. 'बिर्र' यानी नफ़ा पहुँचाने से मुराद वह नफ़ा है जिसका फ़ैज़ दूसरों तक पहुँचे जो 'उदवान' यानी 'ज़्यादती' के मुक़ाबले में है। और 'तक़्वा' यानी परहेज़गारी 'इस्म व मासियत' यानी गुनाह और रसूल की नाफ़रमानी के मुक़ाबिल है।

6. मोमिनों के ख़िलाफ़ मुनाफ़िक़ों और यहूदियों की कानाफूसी मुसलमानों को ग़मगीन और परेशान करती थी, क्योंकि जब किसी मज्लिस में कई आदमी हों और दो आदमी तीसरे से अलग होकर कान में बातें करने लगें तो तीसरे को लाज़िमी तौर पर शक और मलाल होगा कि खुदा जाने मुझसे अलग होकर क्या मश्विरा कर रहे हैं। मुनाफ़िक़ों की इस बुरी हरकत के बारे में यह आयत नाज़िल हुई।

1. सहाबा-ए-बद्र की जमाअ़त अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल व मक़बूल-तरीन जमाअ़त है। एक बार उनमें से चन्द हज़रात सरदारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दीदार मुबारक से मुशर्रफ़ होने के लिए हाज़िरे ख़िदमत हुए। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 986 पर)**

क़ब्ज़ा जमा लिया है, सो उसने उनको ख़ुदा की याद भुला दी है, ये लोग शैतान का गिरोह है, ख़ूब सुन लो कि शैतान का गिरोह ज़रूर बरबाद होने वाला है।[1] (19) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करते हैं ये लोग इन्तिहाई ज़लील लोगों में हैं। (20) और अल्लाह तआ़ला ने यह बात (अपने क़दीमी हुक्म में) लिख दी है कि मैं और मेरे पैग़म्बर ग़ालिब रहेंगे,[2] बेशक अल्लाह तआ़ला क़ुव्वत वाला, ग़ल्बे वाला है। (21) जो लोग अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर (पूरा) ईमान रखते हैं, आप उनको न देखेंगे कि वे ऐसे शख़्सों से दोस्ती रखते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के मुख़ालिफ़ हैं, अगरचे वे उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबा ही क्यों न हों। उन लोगों के दिलों में अल्लाह तआ़ला ने ईमान जमा दिया है और उनके (दिलों) को अपने फ़ैज़ से क़ुव्वत दी है, (फ़ैज़ से मुराद नूर है)। और उनको ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआ़ला उनसे राज़ी होगा और वे अल्लाह से राज़ी होंगे। ये लोग अल्लाह का गिरोह है। ख़ूब सुन लो कि अल्लाह ही का गिरोह कामयाबी पाने वाला है।[3] (22) ❖

59 सूरः हश्र 101

सूरः हश्र मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 24 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ कि आसमानों और ज़मीन में (मख़्लूक़ात) हैं, (चाहे अपनी ज़बान से या अपने हाल से) और वह ज़बरदस्त (और) हिक्मत वाला है। (1) वही है जिसने (उन) अहले किताब काफ़िरों (यानी बनू-नज़ीर) को उनके घरों से पहली ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया,[4] तुम्हारा गुमान भी न था कि वे (कभी अपने घरों से) निकलेंगे, और (ख़ुद) उन्होंने यह गुमान कर रखा था कि उनके क़िले उनको अल्लाह से बचा लेंगे,[5] सो उनपर ख़ुदा (का अ़ज़ाब) ऐसी जगह से पहुँचा कि उनको ख़्याल भी न था।[6] और उनके दिलों में रौब डाल दिया कि अपने घरों को ख़ुद अपने हाथों से और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे थे, सो ऐ समझ रखने वालो! (इस हालत को देखकर) इबरत हासिल करो।[7] (2) और अगर

(पृष्ठ 984 का शेष) इत्तिफ़ाक़ से उस वक़्त मस्जिदे नबवी में काफ़ी बड़ा मजमा था। रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जाँनिसार इन्द्र धनुष की तरह रिसालत के चाँद के गिर्द जमे बैठे हुए थे। इसलिए उन नए आने वाले सहाबा-ए-बद्र को बैठने की जगह न मिल सकी। ये हज़रात सलाम करके खड़े रहे, मजमे में से कोई शख़्स उनकी ख़ातिर न उठा। जब यह हालत सरवरे अम्बिया सल्ल. ने देखी तो बद्री सहाबियों की गिनती के मुताबिक़ चन्द ग़ैर-बदरियों को नाम लेकर अपनी जगह से खड़े हो जाने का हुक्म दिया। वे हज़रात फ़ौरन खड़े हो गए और अहले बद्र उनकी जगह जा बैठे। इससे मुनाफ़िक़ों को ताना मारने का मौक़ा मिल गया और कहने लगे कि मुहम्मद तो बाज़ को दूसरों पर तरजीह देते हैं, उन्हें सबको एक नज़र से देखना चाहिए। आँ हज़रत ने जिन हज़रात को अपनी-अपनी जगह से खड़े होने का हुक्म दिया और उन्होंने बग़ैर तंगदिली के इरशादे नबवी की तामील की थी, हक़ तआ़ला को उनका यह हुक्म मानना बहुत पसन्द आया। चुनाँचे उनकी तारीफ़ में यह पूरी आयत "तअ़्मलू-न ख़बीर" तक नाज़िल हुई। और हक़ीक़त में इनसानी आदाब, इनसानी हमदर्दी और इस्लामी भाईचारे और मुरव्वत का यही तक़ाज़ा है कि अपने से अफ़ज़ल लोगों का एहतिराम किया जाए। अगर गुन्जाइश हो तो ख़ूब मिल-मिलकर बैठ जाएँ वरना बुज़ुर्ग हस्तियों के लिए जगह ख़ाली कर दी जाए।

2. चाहे उठने के लिए इस ग़रज़ से कहा जाए कि आने वाले के लिए जगह खुल जाए, फिर चाहे बिलकुल उठ जाने से हो या एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा बैठने से हो, और चाहे इस वजह से कहा जाए कि मज्लिस की मुख्य जगह को किसी ख़ास मश्विरे की मस्लहत या किसी ज़रूरत आराम या इबादत वग़ैरह से अलग करने और ख़ाली करने वग़ैरह की हाजत हो, जो बग़ैर तन्हाई के बिलकुल हासिल न हो सकें या कामिल न हो सकें। पस मज्लिस के सदर (अध्यक्ष) के हुक्म से उठ जाना चाहिए। और यह हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़लावा के लिए भी आ़म है। पस मज्लिस के मुखिया को ज़रूरत के वक़्त इसकी इजाज़त है, लेकिन आने वाले को न चाहिए कि किसी को उठाकर उसकी जगह जा बैठे। **(पृष्ठ 984 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 986 की तफ़सीर पृष्ठ 988-992 पर)**

अल्लाह तआला उनकी क़िस्मत में वतन से निकाला जाना न लिख चुकता तो उनको दुनिया ही में (क़त्ल की) सज़ा देता, और उनके लिए आख़िरत में दोज़ख़ का अ़ज़ाब (तैयार) है। **(3)** यह इस सबब से है कि उन लोगों ने अल्लाह की और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त की है, और जो शख़्स अल्लाह की मुख़ालफ़त करता है तो अल्लाह तआला उसको सख़्त सज़ा देने वाला है।[1] **(4)** जो खजूरों के पेड़ के तने तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो (दोनों बातें) ख़ुदा ही के हुक्म (और रिज़ा) के मुवाफ़िक़ हैं, और ताकि काफ़िरों को ज़लील करे।[2] **(5)** और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को उनसे दिलवाया, सो तुमने उसपर न घोड़े दौड़ाए और न ऊँट, लेकिन अल्लाह तआला (की आ़दत है कि) अपने रसूलों को जिसपर चाहे (ख़ास तौर पर) मुसल्लत फ़रमा देता है, और अल्लाह तआला को हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत है। **(6)** जो कुछ अल्लाह तआला (इस तौर पर) अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को दूसरी बस्तियों के (काफ़िर) लोगों से दिलवा दे[3] (जैसे फ़िदक और एक हिस्सा ख़ैबर का), सो वह (भी) अल्लाह का हक़ है और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का और (आपके) रिश्तेदारों का और यतीमों का और ग़रीबों का और मुसाफ़िरों का ताकि वह (ग़नीमत का माल) तुम्हारे मालदारों के क़ब्ज़े में न आ जाए। और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुमको जो कुछ दे दिया करें वह ले लिया करो, और जिस चीज़ (के लेने) से तुमको रोक दें (और अल्फ़ाज़ के आ़म होने से यही हुक्म है अफ़आ़ल और अहकाम में भी) तुम रुक जाया करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तआला (मुख़ालफ़त करने पर) सख़्त सज़ा देने वाला है। **(7)** (और) उन ज़रूरतमन्द मुहाजिरीन का (ख़ास तौर पर) हक़ है जो अपने घरों से और अपने मालों से (ज़ुल्म व ज़बरदस्ती से) अलग कर दिए गए। वे अल्लाह तआला के फ़ज़्ल (यानी जन्नत) और रिज़ा के तालिब हैं, और वे अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दीन) की मदद करते हैं, (और) यही लोग (ईमान के) सच्चे हैं।[4] **(8)** और (तथा) उन लोगों का (भी हक़ है)

(पिछले पृष्ठ का शेष) 3. ख़ैरात की मिक़्दार (यानी मात्रा) आयत में मुक़र्रर नहीं और रिवायतों में मुख़्तलिफ़ मिक़्दारें आई हैं। ज़ाहिरी तौर पर ग़ैर-तयशुदा मालूम होती है, लेकिन माकूल मात्रा होना ज़रूरी है। ग़ालिबन यह सदक़ा ऐलानिया होगा, वरना हर शख़्स सदक़ा करने में पहल करने वाला होने का दावा कर सकता। इसकी ज़रूरत इस बिना पर पेश आई कि मुनाफ़िक़ लोग बिना ज़रूरत भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ तन्हाई कर लेते और बेकार बातों के मुताल्लिक़ सवालात करने लगते, इससे उनका मक़सद मुसलमानों पर अपनी बड़ाई और बारगाहे नबवी में अपना ख़ुसूसी मक़ाम रखने वाला होना जतलाने के सिवा कुछ न होता था। महबूबे रब्बुल आ़लमीन सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मिजाज़ मुबारक ज़्यादा सवाल करने और फ़ुज़ूल बातों से परेशान होता था, इसके अ़लावा यह सूरत नुबुव्वत के एहतिराम के भी ख़िलाफ़ थी, इसलिए यह आयत नाज़िल हुई।

4. जब यह हुक्म हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बात करनी हो तो पहले कुछ ख़ैरात देकर पाकी हासिल कर लो फिर आपसे बात करो, मुफ़्त में कान में बात करना बेतहज़ीबी में दाख़िल है, तो मुनाफ़िक़ तो वहीं ठण्डे पड़ गए। क्योंकि फ़रमान मानकर रक़म ख़र्च करने में उनकी रूह फ़ना होती थी। लेकिन जिन सहाबा-ए-किराम को कोई बात दरियाफ़्त करनी होती थी वे ख़ैरात देकर हाज़िरे ख़िदमत होते थे फिर आपसे कोई बात पूछते थे। लेकिन इस आयत के नाज़िल होने के बाद बहुत-से कम गुन्जाइश वाले सहाबा भी ज़रूरी मसाइल पूछने से रुक गए। चूँकि मक़सूद हासिल हो ही चुका था इसलिए सदक़ा देने का हुक्म रद्द हो गया और आयत 'अ-अश्फ़क़्तुम......आख़िर तक' नाज़िल फ़रमाई।

(तफ़सीर पृष्ठ 986) 1. ये छह आयतें मुनाफ़िक़ों की मुनाफ़िक़ाना बदकिरदारियों के इज़हार में नाज़िल हुईं। मुनाफ़िक़ लोग यहूदियों के साथी बन बैठे थे जिनपर अल्लाह का ग़ज़ब है। मुनाफ़िक़ लोग यहूदियों से जा-जाकर सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के राज़ कह देते थे, और अगर उसकी इत्तिला हो जाती और उनसे पूछा जाता तो अपना इस्लाम जताने को सैकड़ों झूठी क़स्में खा जाते, ताकि एक तो मुसलमानों की नाराज़गी से बचे रहें दूसरे इस्लाम की जड़ उखाड़ने की शैतानी कोशिशों में भी छुपे तौर पर सक्रिय रह सकें। लेकिन मुनाफ़िक़ों की नापाक जमाअ़त न इधर की रही न उधर की।

2. मक़सद यहाँ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का ग़ल्बा बयान करना है अपना ज़िक्र अम्बिया के ऐज़ाज़ व सम्मान के लिए फ़रमा दिया।

3. इस आयत के नाज़िल होने की शान में **(पृष्ठ 986 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 988 की तफ़सीर पृष्ठ 990-996 पर)**

जो दारुल इस्लाम (यानी मदीना) में उन (मुहाजिरों) के (आने से) पहले से क़रार पकड़े हुए हैं। जो उनके पास हिजरत करके आता है उससे ये लोग मुहब्बत करते हैं। और मुहाजिरों को जो कुछ मिलता है उससे ये (अन्सार हज़रात) अपने दिलों में कोई रश्क नहीं पाते, और अपने से मुक़द्दम रखते हैं अगरचे उनपर फ़ाक़ा ही हो,[1] और (वाक़ई) जो शख़्स अपनी तबीयत की कन्जूसी से महफ़ूज़ रखा जाए ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।[2] (9) और उन लोगों का (भी उस फ़ै के माल में हक़ है) जो उनके बाद आए। जो (इन ज़िक्र हुए लोगों के हक़ में) दुआ़ करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको बख़्श दे और हमारे भाइयों को (भी) जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ़ से कीना न होने दीजिए। ऐ हमारे रब! आप बड़े शफ़्क़त वाले (और) रहम करने वाले हैं। ◆ (10) ❖

क्या आपने उन मुनाफ़िक़ों (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन उब्बी वग़ैरह) की हालत नहीं देखी कि अपने (तरीक़े पर चलने वाले) भाइयों से जो कि अहले किताब काफ़िर हैं, (यानी बनू नज़ीर से) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम! अगर तुम निकाले गए तो हम तुम्हारे साथ निकल जाएँगे और तुम्हारे मामले में हम किसी का कभी कहना नहीं मानेंगे। और अगर तुमसे किसी की लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाह है कि वे बिलकुल झूठे हैं। (11) ख़ुदा की क़सम! अगर अहले किताब निकाले गए तो ये (मुनाफ़िक़ लोग) उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद न करेंगे। और अगर (मान लो, अगरचे ऐसा होना मुहाल है कि) उनकी मदद भी की तो पीठ फेरकर भागेंगे, फिर उनकी कोई मदद न होगी।[3] (12) बेशक तुम लोगों का ख़ौफ़ उन (मुनाफ़िक़ों) के दिलों में अल्लाह से ज़्यादा है, (और) यह (उनका तुमसे डरना और ख़ुदा से न डरना) इस सबब से है कि वे ऐसे लोग हैं कि समझते नहीं। (13) ये लोग (तो) सब मिलकर भी तुमसे न लड़ेंगे मगर हिफ़ाज़त वाली बस्तियों में या दीवार (क़िला व शहर-पनाह) की आड़ में, उनकी लड़ाई आपस (ही) में बड़ी तेज़ है। ऐ मुख़ातब! तू उनको (ज़ाहिर में) मुत्तफ़िक़ "यानी एकजुट" ख़्याल करता है हालाँकि उनके दिल ग़ैरमुत्तफ़िक़ "बिखरे हुए" हैं।[4] यह इस वजह से है कि वे ऐसे लोग हैं जो (दीन की) अ़क़्ल नहीं रखते। (14) उन लोगों के जैसी मिसाल है जो उनसे कुछ ही पहले हुए हैं जो (दुनिया में भी)

(पिछले पृष्ठ का शेष) दो वाक़िआत बयान किए गए हैं। एक बार हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के वालिद अबू क़ुहाफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने कुफ़्र की हालत में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में कोई नामाक़ूल बात मुँह से निकाली। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का कमाले ईमान भला उस बद-ज़बानी को कब बर्दाश्त कर सकता था, उन्होंने उनके मुँह पर तमाँचा मारा। जब आक़ा-ए-दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने इस वाक़िए का तज़्किरा हुआ तो हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! उस वक़्त मेरे पास तलवार न थी वरना ऐसी बेजा बात पर उनकी गर्दन उड़ा देता। तो हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तारीफ़ में यह आयत नाज़िल हुई। या इसके नाज़िल होने का सबब यह था कि ग़ज़वा-ए-बद्र जहाँ एक तरफ़ हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस्लाम की ताईद में बहादुरी से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ़ उनके बाप ने कुफ़्र को ग़ालिब करने की नापाक कोशिश में अपनी सारी सलाहियतें झोंक दी थीं। जर्राह हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को इस्लामी लश्कर में देखकर बुरी तरह दाँत पीस रहा था। वह उस वक़्त यहाँ तक बिफरा हुआ था कि उसने अपनी तवज्जोह हर तरफ़ से हटाकर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के क़त्ल पर केंद्रित कर दी। वह बड़ी तेज़ी से आकर उनपर हमलावार हुआ। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने महज़ अपने बचाव पर इक्तिफ़ा किया, मगर वह ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि मेरा काफ़िर बाप मेरे इस्लाम की वजह से मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है तो इधर-उधर बचे-बचे फिरते रहे। लेकिन जब यक़ीन हो गया कि यह मुझे नहीं छोड़ेगा तो मजबूर होकर उसके क़त्ल करने का फ़ैसला कर लिया, चुनाँचे मौक़ा पाकर तलवार के एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया, उसपर यह आयत नाज़िल हुई।

4. मदीना मुनव्वरा से दो-चार मील के फ़ासले पर यहूद की एक क़ौम बनू नज़ीर आबाद थी। उन्होंने हिजरते नबवी के बाद सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से एक मुआ़हदा किया था जिसके मुताबिक उनपर लाज़िम था कि वे मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी तहरीक में शामिल न होंगे। मुसलमानों के हर तरह से मुवाफ़िक़ रहेंगे और उनके दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक़्तूल के वारिसों को ख़ून के बदले मुआ़वज़ा दिलवाने के **(पृष्ठ 986 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 988, 990 की तफ़सीर पृष्ठ 992-998 पर)**

अपने किर्दार का मज़ा चख चुके हैं और (आख़िरत में भी) उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (होने वाला) है।[1] (15) शैतान के जैसी मिसाल है कि (पहले तो) इनसान से कहता है, तू काफ़िर हो जा, फिर जब वह काफ़िर हो जाता है तो (उस वक़्त साफ़) कह देता है कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अल्लाह-रब्बुल आ़लमीन से डरता हूँ। (16) सो आख़िरी अन्जाम दोनों का यह हुआ कि दोनों दोज़ख़ में गए जहाँ हमेशा रहेंगे। (एक गुमराह करने की वजह से दूसरा गुमराह होने की वजह से), और ज़ालिमों की यही सज़ा है।[2] (17) ❖

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो, और हर शख़्स देखभाल ले कि कल (क़ियामत) के वास्ते उसने क्या ज़ख़ीरा भेजा है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे आमाल की सब ख़बर है। (18) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जिन्होंने अल्लाह (के अहकाम) से बेपरवाई की, सो अल्लाह ने ख़ुद उनकी जान से उनको बेपरवाह बना दिया, यही लोग नाफ़रमान हैं। (19) दोज़ख़ वाले और जन्नती आपस में बराबर नहीं। जो जन्नत वाले हैं वे कामयाब लोग हैं (और दोज़ख़ी नाकाम हैं)। (20) अगर हम इस क़ुरआन को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो (ऐ मुख़ातब!) तू उसको देखता कि ख़ुदा के ख़ौफ़ से दब जाता और फट जाता। और इन अ़जीब मज़ामीन को हम लोगों के (नफ़े के) लिए बयान करते हैं ताकि वे सोचें। (21) वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई और माबूद (बनने के लायक़) नहीं, वह जानने वाला है छुपी चीज़ों का और ज़ाहिर चीज़ों का, वही बड़ा मेहरबान, रहम वाला है। (22) वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, वह बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है, सालिम है,[3] अमन देने वाला है, निगहबानी करने वाला है,[4] ज़बरदस्त है, ख़राबी का दुरुस्त करने वाला है, बड़ी अ़ज़्मत वाला है अल्लाह (जिसकी शान यह है कि) लोगों के शिर्क से पाक है। (23) वह माबूद (बरहक़) है, पैदा करने वाला है, ठीक-ठीक बनाने वाला है (यानी हर चीज़ को हिक्मत के मुवाफ़िक़ बनाता है)। सूरत बनाने वाला है, उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं, सब चीज़ें उसकी तस्बीह करती हैं जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, और वही ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है।[5] (24) ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) मुआ़वज़ा दिलवाने के एक मुक़द्दमे का तसफ़िया करने के लिए चन्द सहाबा के साथ उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए, उन्होंने आपको दीवार के नीचे बैठाकर एक तरफ़ तो आपसे गुफ़्तगू शुरू की और दूसरी तरफ़ आपस में मश्विरा किया कि नऊज़ु बिल्लाह! आपको हलाक कर डालें। चुनाँचे इस मन्सूबे को अ़मली जामा पहनाने के लिए एक बड़ा पत्थर छत पर चढ़ाकर आप पर लुढ़का देना चाहा। झट से जिबराईल अ़लैहिस्सलाम पहुँचे और आपको इस साज़िश की इत्तिला दी, और आप फ़ौरन खड़े हुए और सहाबा को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले आए। आपने कहला भेजा कि तुमने अ़हद को तोड़ा है, या तो दस दिन के अन्दर यहाँ से ख़ुद चले जाओ वरना लड़ाई होगी। वे लड़ाई के लिए तैयार हो गए। आपने उनपर लश्कर भेजा और उनके क़िले का घेराव कर लिया। आख़िर मजबूर होकर निकल जाने पर राज़ी हो गए। आपने फ़रमाया कि सब हथियार छोड़ जाओ और जितना सामान अपने साथ लेजा सकते हो ले जाओ। ग़रज़ अपने घरों को अपने हाथों से वीरान करके चल दिए। बाज़ लोग ख़ैबर चले गए और दूसरों ने मुल्क शाम का रास्ता लिया, यह सन् तीन हिजरी का वाक़िआ है। बाज़ों ने इसको सन् चार या पाँच हिजरी का वाक़िआ क़रार दिया है।

5. यानी अपने क़िलों की मज़बूती पर ऐसे मुत्मइन थे कि उनके दिल में ग़ैबी बदले का ख़तरा भी न आता था।

6. मुराद इस जगह से यह है कि मुसलमानों के हाथों से निकाले गए जिनकी बेसरो-सामानी पर नज़र करके इसका गुमान भी न होता था कि ये बेसामान उन सामान वालों पर ग़ालिब आ जाएँगे।

7. यानी इबरत हासिल करो कि ख़ुदा व रसूल की मुख़ालफ़त का अन्जाम कभी-कभी दुनिया में भी बहुत ही बुरा होता है।

(तफ़सीर पृष्ठ 988) **1.** यानी अगर सख़्त सज़ा देने वाले ख़ुदा ने उनका वतन से निकाला जाना मुक़द्दर न किया होता तो उन्हें दुनिया में उनकी बद-अ़हदी, ग़द्दारी और क़त्ल करने की कोशिश की कोई और सज़ा देता। बहरहाल उनको दुनिया में जो सज़ा मिलनी थी वह मिली और आख़िरत में उनके लिए आग तैयार है।

2. जब इस्लामी लश्कर ने बनू नज़ीर पर चढ़ाई की तो वे अपने क़िलों में जा छुपे और उनके बाहर निकलने की कोई सूरत न हुई। उस ज़माने में क़िलाभेदी तोपें या कोई और ऐसा सामान न था जो घिरे हुए लोगों को बाहर निकलकर मुक़ाबला करने पर मजबूर करता, लेकिन अल्लाह पाक की मदद **(पृष्ठ 988 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 990, 992 की तफ़सीर पृष्ठ 994-1000 पर)**

60 सूरः मुम्तहिनः 91

सूरः मुम्तहिनः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 13 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ऐ ईमान वालो! तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इज़हार करने लगो,[1] हालाँकि तुम्हारे पास जो हक़ दीन आ चुका है वे उसके इनकारी हैं। रसूल को और तुमको इस बिना पर कि तुम अपने परवर्दिगार अल्लाह पर ईमान ले आए शहर से निकाल चुके हैं। अगर तुम मेरे रास्ते पर जिहाद करने की ग़रज़ से और मेरी रज़ामन्दी ढूँढने की ग़रज़ से (अपने घरों से) निकले हो। तुम उनसे चुपके-चुपके दोस्ती की बातें करते हो,[2] हालाँकि मुझको सब चीज़ों का ख़ूब इल्म है, तुम जो कुछ छुपाकर करते हो और जो ज़ाहिर करते हो।[3] और (आगे इसपर धमकी है कि) जो शख़्स तुममें से ऐसा करेगा वह सही रास्ते से भटकेगा। **(1)** अगर उनको तुमपर क़ब्ज़ा हासिल हो जाए तो (फ़ौरन) दुश्मनी का इज़हार करने लगें और (वह दुश्मनी का इज़हार यह कि) तुमपर बुराई के साथ हाथ और ज़बान चलाने लगें (यह दुनियावी नुक़सान पहुँचाना है), और (दीनी नुक़सान पहुँचाना यह कि) वे इस बात के इच्छुक हैं कि तुम काफ़िर (ही) हो जाओ। **(2)** तुम्हारे रिश्तेदार और औलाद क़ियामत के दिन तुम्हारे काम न आएँगे, ख़ुदा तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल को ख़ूब देखता है।[4] **(3)** तुम्हारे लिए इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) में और उन लोगों में जो कि (ईमान और इताअ़त में) उनके शरीके हाल थे, एक उम्दा नमूना है, जबकि उन सबने अपनी क़ौम से कह दिया कि हम तुमसे और जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो उनसे बेज़ार हैं, हम तुम्हारे मुन्किर हैं, और हममें और तुममें हमेशा के लिए बैर, दुश्मनी और बुग़्ज़ (ज़्यादा) ज़ाहिर हो गया, जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ। लेकिन इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार ज़रूर करूँगा, और तुम्हारे लिए (इस्तिग़फ़ार से ज़्यादा) मुझको ख़ुदा के आगे किसी बात का इख़्तियार नहीं।[5] ऐ हमारे परवर्दिगार! हम आप पर भरोसा करते हैं और आप ही की तरफ़ रुजू करते हैं। और आप ही की तरफ़ लौटना है। **(4)** ऐ हमारे

(पिछले पृष्ठ का शेष) हर-हर क़दम पर अपने रसूल के साथ थी। हबीबे रब्बुल आ़लमीन सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह के पैग़ाम के इशारे पर हुक्म दिया कि उनके खेत उजाड़ दो और बाग़ात काट दो, ताकि ये लोग जल्द फ़ैसला करने पर मजबूर हों। जब खेत उजड़ने और बाग़ात कटने लगे तो वे लोग बोले ऐ मुहम्मद! हम तो ग़द्दार और बद-अ़हद हैं इसलिए हमारे क़त्ल के पीछे पड़ना तो ठीक है, इन बेक़ुसूर खेतों और बाग़ों ने क्या क़ुसूर किया है जिसकी सज़ा में उनके सर क़लम हो रहे हैं? चूँकि यह पैग़ाम ज़ाहिरी तौर पर उचितता का पहलू लिए हुए था, इसलिए बाज़ नए-नए इस्लाम में दाख़िल होने वाले सहाबियों को भी ख़लजान (यानी चिंता और आशंका) हुआ और कुछ परेशानियाँ लाहिक़ हुईं। ख़ुदा तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाकर उनका इत्मीनान कर दिया कि जो कुछ हुआ हमारे हुक्म और मरज़ी से हुआ। याद रहे कि ज़रूरत व मस्लहत के वक़्त जंगी दुश्मनों का माल व असबाब बर्बाद और उसमें आग लगा देना, उनके पेड़ों को काट डालना और बाग़ों का काटना, ग़रज़ हर क़िस्म की ज़रूरियाते ज़िन्दगी का बर्बाद करना जायज़ है।

3. लूट की दो क़िस्में हैं- एक वह जो काफ़िरों से लड़कर हाथ आए। दूसरे बग़ैर जंग व झगड़े के मिले और उसमें इस्लामी मुजाहिद मालिक बनने और आपस में बाँटने के हक़दार न हों। पहली सूरत को 'माले ग़नीमत' कहते हैं और दूसरी का नाम 'फ़ै' है। माले फ़ै सब-का-सब बैतुल-माल में जमा होता है, माले ग़नीमत के पाँच हिस्से किए जाते हैं, चार हिस्से इस्लामी लश्कर में बँटते हैं और पाँचवा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में अलग कर दिया जाता है। बनू नज़ीर के मकानात, बाग़ात और खेत मुसलमानों के क़ब्ज़े में आए। हक़ तआ़ला ने यह ज़मीन माले ग़नीमत की तरह तक़सीम न कराई बल्कि उसका कुल्ली इख़्तियार नबी करीम सल्ल. को दे दिया।

4. हिजरत के बाद अन्सार पर मुहाजिरों का बोझ आन पड़ा था, यही लोग उन परदेसियों की ज़िन्दगी की ज़रूरतों के ज़िम्मेदार थे। हज़राते मुहाजिरीन **(पृष्ठ 988 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 990, 992, 994 की तफ़सीर पृष्ठ 996-1004 पर)**

परवर्दिगार! हमको काफ़िरों का तख़्ता-ए-मश्क़ "यानी ज़ुल्म व सितम का निशाना" न बना। और ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए, बेशक आप ज़बरदस्त, हिक्मत वाले हैं। **(5)** बेशक उन लोगों में तुम्हारे लिए यानी ऐसे शख़्स के लिए उम्दा नमूना है जो अल्लाह (के सामने जाने) का और क़ियामत के दिन (के आने) का एतिक़ाद रखता हो। और जो शख़्स (इस हुक्म से) रूगरदानी करेगा, सो (उसी का नुक़सान होगा क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (तो) बिलकुल बेनियाज़ और तारीफ़ के लायक़ है। **(6)** ❖

अल्लाह तआ़ला से उम्मीद है (यानी उधर से वायदा है) कि तुममें और उन लोगों में जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है, दोस्ती कर दे, और अल्लाह तआ़ला को बड़ी क़ुदरत है, और अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।[1] **(7)** अल्लाह तआ़ला तुमको उन लोगों के साथ एहसान और इन्साफ़ का बर्ताव करने से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े, और तुमको तुम्हारे घरों से[2] नहीं निकाला, अल्लाह तआ़ला इन्साफ़ का बर्ताव करने वालों से मुहब्बत रखते हैं। **(8)** सिर्फ़ उन लोगों के साथ दोस्ती करने से[3] अल्लाह तआ़ला तुमको मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़े हों, (चाहे सामने आकर या इरादे से) और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला हो। और (अगर निकाला भी न हो, लेकिन) तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों की) मदद की हो। और जो शख़्स ऐसों से दोस्ती करेगा सो वे गुनाहगार होंगे। **(9)** ऐ ईमान वालो! जब तुम्हारे पास मुसलमान औ़रतें (ग़ैर-इस्लामी मुल्क से) हिजरत करके आएँ तो तुम उनका इम्तिहान कर लिया करो। उनके ईमान को अल्लाह ही ख़ूब जानता है।[4] पस अगर उनको (उस इम्तिहान की रू से) मुसलमान समझो तो उनको काफ़िरों की तरफ़ वापस मत करो, (क्योंकि) न तो वे औ़रतें उन काफ़िरों के लिए हलाल हैं और न वे काफ़िर उन औ़रतों के लिए हलाल हैं। और उन काफ़िरों ने जो कुछ ख़र्च किया हो वह उनको अदा कर दो। और तुमको उन औ़रतों से निकाह कर लेने में कुछ गुनाह न होगा जबकि तुम उनके मह्र उनको दे दो। और (ऐ मुसलमानो!) तुम काफ़िर औ़रतों के ताल्लुक़ात को बाक़ी मत रखो,[5] और (इस सूरत में) जो कुछ तुमने ख़र्च किया हो (उन काफ़िरों से) माँग लो, और जो कुछ उन काफ़िरों ने ख़र्च किया हो वे (तुमसे) माँग लें, यह अल्लाह का हुक्म है (इसका इत्तिबा करो) वह तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करता है, और अल्लाह तआ़ला

(पिछले पृष्ठ का शेष) मक्का मुअ़ज़्ज़मा में अपनी बड़ी-बड़ी जायदाद छोड़कर चले आए थे, इसलिए बनू नज़ीर से जो ज़मीनें और बाग़ात हासिल हुए वे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़राते मुहाजिरीने किराम पर तक़सीम कर दिए। इस तक़सीम ने अन्सार सहाबा को मुहाजिरीन के बोझ से आज़ाद कर दिया, उससे मुहाजिरीन और अन्सार दोनों को फ़ायदा पहुँचा।

(तफ़सीर पृष्ठ 990) **1.** नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक मेहमान आया और आपने घर में पाक बीवियों से खाना मँगा भेजा। हर एक ने यही जवाब दिया कि पानी के सिवा कुछ नहीं। आपने अन्सार सहाबा की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, जो कोई आज रात मेरे मेहमान की मेहमानदारी करेगा ख़ुदा उसपर रहम करेगा। हज़रत साबित क़ैस अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैं मेहमान की ख़िदमत का हक़ अदा करूँगा। ग़रज़ मेहमान को घर ले गए और बीवी से कहा, यह रसूलुल्लाह के मेहमान आज हमारे मेहमान बने हैं, जो कुछ ख़ातिर-मुदारात हो सके, पीछे न रहना। बीवी ने कहा कि हमारे यहाँ तो आज बच्चों की ख़ुराक के सिवा और कुछ भी नहीं। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु बोले अच्छा यूँ करो कि बच्चों को तो बहला-फुसलाकर सुला दो, और मैं खाना लेकर मेहमान के साथ बैठूँ और तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। जब मेहमान खाना शुरू कर दे तो तुम किसी बहाने से उठकर चिराग़ बुझा देना, हम दोनों झूठ-मूठ और दिखाने को नवाले उठाते रहेंगे, अगरचे हम फ़ाक़े से रहेंगे लेकिन मेहमान का पेट तो भर जाएगा। चुनाँचे ऐसा ही किया गया। सुबह को हज़रत साबित बारगाहे नुबुव्वत में हाज़िर हुए तो यह आयत नाज़िल हो चुकी थी।

2. इन तीन आयतों से साबित हुआ कि: 1- ख़ुलासा-ए-उम्मत हज़राते मुहाजिरीन हैं। 2- अन्सार सहाबा के जो फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए गए हैं उनमें बड़ी बात यह है कि वे मुहाजिरीन से मुहब्बत करते हैं। इससे यह मालूम हुआ कि अन्सार की जो फ़ज़ीलत है वह मुहाजिरों के ख़िदमत-गुज़ार होने की वजह से है। 3- इन आयतों से यह भी मालूम होता है कि उम्मत तीन तबक़ों में मुन्क़सिम है। चुनाँचे हज़रत सअ़द

(पृष्ठ 990 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 992, 994, 996 की तफ़सीर पृष्ठ 998-1008 पर)

बड़ा इल्म वाला (और) हिक्मत वाला है। **(10)** और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफ़िरों में रह जाने से (बिलकुल ही) तुम्हारे हाथ न आए फिर तुम्हारी बारी आए तो जिनकी बीवियाँ हाथ से निकल गईं, जितना (मह्र) उन्होंने (उन बीवियों पर) ख़र्च किया था उसके बराबर तुम उनको दे दो, और अल्लाह से कि जिसपर तुम ईमान रखते हो डरते रहो। **(11)** ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! जब मुसलमान औ़रतें आपके पास (इस ग़रज़ से) आएँ[1] कि आपसे इन बातों पर बैअ़त करें कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगी, और न चोरी करेंगी, और न बदकारी करेंगी, और न अपने बच्चों को क़त्ल करेंगी और न बोहतान की औलाद लाएँगी, जिसको अपने हाथों और पाँव के दरमियान (शौहर के नुत्फ़े से जन्म दी हुई दावा करके) बना लें,[2] और जायज़ बातों में वे आपके ख़िलाफ़ न करेंगी, तो आप उनको बैअ़त कर लिया कीजिए, और उनके लिए अल्लाह से मग़्फ़िरत तलब किया कीजिए, बेशक अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। **(12)** ऐ ईमान वालो! उन लोगों से (भी) दोस्ती मत करो जिनपर अल्लाह तआ़ला ने ग़ज़ब फ़रमाया है[3] कि वे आख़िरत (की भलाई और सवाब) से ऐसे नाउम्मीद हो गए हैं जैसे काफ़िर लोग जो क़ब्रों में (दफ़न) हैं, नाउम्मीद हैं।[4] ● **(13)** ❖

61 सूरः सफ़्फ़ 109

सूरः सफ़्फ़ मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 14 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

सब चीज़ें अल्लाह ही की पाकी बयान करती हैं (अपनी ज़बान से या अपने हाल से) जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं। और वही ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है।[5] **(1)** ऐ ईमान वालो! ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? **(2)** ख़ुदा के नज़दीक यह बात बहुत नाराज़गी की है कि ऐसी बात कहो जो करो

(पिछले पृष्ठ का शेष) बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि ख़ुदा ने मोमिनों के तीन दर्जे क़ायम किए हैं- पहला दर्जा मुहाजिरों का जो ख़त्म हो चुका, अब किसी को नहीं मिल सकता। दूसरा दर्जा अन्सार का, वह भी ख़त्म हो चुका, और अब किसी को नहीं मिल सकता। तीसरा दर्जा उन लोगों का है जो मुहाजिरीन और अन्सार के बाद हों और उनके लिए दुआ़ करने वाले रहें और इस्तिग़फ़ार करते रहें, यह दर्जा बाक़ी है और इनसान की सआ़दत इसी में है कि वह तीसरे गिरोह में हो। और अगर कोई दुआ़ करने वाला होने के बजाय मुहाजिरीन और अन्सार को बुरा भला कहने वाला होगा, तो वह अपने अन्जाम का खुद ज़िम्मेदार होगा।

3. जब रसूले ख़ुदा सल्ल. ने बनू नज़ीर का घेराव किया था तो मुनाफ़िक़ों के सरदार अ़ब्दुल्लाह बिन उबई ने उनसे कहला भेजा कि घबराना नहीं मैं अपनी क़ौम के दो हज़ार बहादुरों से तुम्हारी मदद को जल्द ही पहुँचाता हूँ। मगर जब वक़्त आया तो कुछ भी न कर सका। यहूद बनू नज़ीर से मुनाफ़िक़ों ने यह भी वायदा कर रखा था कि अगर तुम निकाले गए तो हम भी मदीना से निकल जाएँगे, लेकिन मुनाफ़िक़ उनके साथ न निकले।

4. यानी अगरचे अहले हक़ की दुश्मनी में वे सब बराबर हैं मगर खुद भी तो उनमें अ़क़ीदों के अलग-अलग होने की वजह से दुश्मनी और फूट है।

(तफ़सीर पृष्ठ 992) **1.** मुराद उनसे यहूद बनी क़ैनक़ाअ़ हैं, जिनका क़िस्सा यह हुआ कि बद्र के वाक़िए के बाद उन्होंने आपसे सन् दो हिजरी में अ़हद तोड़कर जंग की, फिर मग़लूब और मक़्हूर हुए और आपके फ़ैसले पर क़िले से बाहर निकले और सबकी मुश्कें बाँधी गईं। फिर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई के रोने-धोने से उनकी इस शर्त पर जान बख़्शी हुई कि मदीना से चले जाएँ। चुनाँचे वे मुल्क शाम के इलाक़ों की तरफ़ निकल गए और उनके मालों में माले ग़नीमत की तरह अ़मल हुआ।

2. पस जिस तरह उस शैतान ने इनसान को पहले बहकाया फिर वक़्त पर साथ न दिया और दोनों घाटे का शिकार हुए, इसी तरह मुनाफ़िक़ीन ने पहले बनू नज़ीर को बुरी राय दी कि तुम निकलो नहीं, फिर ऐन वक़्त पर उनको दग़ा दी और दोनों बला में फँसे। बनू नज़ीर तो निकाले गए **(पृष्ठ 992 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 994, 996, 998 की तफ़सीर पृष्ठ 1000-1010 पर)**

नहीं। **(3)** अल्लाह तो उन लोगों को (ख़ास तौर पर) पसन्द करता है जो उसके रास्ते में इस तरह मिलकर लड़ते हैं कि गोया वह एक इमारत है कि जिसमें सीसा पिलाया गया है।[1] **(4)** और (वह वक़्त ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जबकि मूसा ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! मुझको क्यों तकलीफ़ पहुँचाते हो[2] हालाँकि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। फिर जब (इस तंबीह पर भी) वे लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों को और (ज़्यादा) टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह तआ़ला (का मामूल है कि वह) ऐसे नाफ़रमानों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं देता।[3] **(5)** और (इसी तरह वह वक़्त भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जबकि ईसा इब्ने मरियम ने फ़रमाया कि ऐ बनी इस्राईल! मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात (आ चुकी) है मैं उसकी तस्दीक़ करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं जिनका (मुबारक) नाम अहमद होगा, मैं उनकी ख़ुशख़बरी देने वाला हूँ। फिर जब वह उन लोगों के पास खुली दलीलें लाए तो वे लोग (उन दलीलों यानी मोजिज़ों के बारे में) कहने लगे, यह खुला जादू है। **(6)** और (वाक़ई) उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे, हालाँकि वह इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता हो।[4] और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं दिया करता।[5] **(7)** ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीने इस्लाम) को अपने मुँह से (फूँक मारकर) बुझा दें[6] हालाँकि अल्लाह तआ़ला अपने नूर को कमाल तक पहुँचाकर रहेगा, अगरचे काफ़िर लोग कैसे ही नाख़ुश हों। **(8)** (चुनाँचे) वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने (इस नूर के पूरा करने के लिए) अपने रसूल को हिदायत (का सामान यानी क़ुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) देकर भेजा है ताकि इस (दीन) को तमाम (बक़िया) दीनों पर ग़ालिब कर दे (कि यही पूरा करना है), अगरचे मुश्रिक कैसे ही नाख़ुश हों। **(9)** ❖

ऐ मोमिनो! क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत बतलाऊँ जो तुमको एक दर्दनाक अ़ज़ाब से बचा ले? **(10)** (वह यह है कि) तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ।[7] और अल्लाह की राह में अपने माल

(पिछले पृष्ठ का शेष) और मुनाफ़िक़ अपने मन्सूबे में नाकामयाब रहे।

3. यानी न गुज़रे ज़माने में उसमें कोई ऐब हुआ जो कि हासिल है "क़ुद्दूसुन" का, और न आइन्दा इसका एहतिमाल व गुमान है जो कि हासिल है 'सलामुन' का।

4. यानी आफ़त भी नहीं आने देता और आई हुई को भी दूर कर देता है।

5. पस ऐसे अ़ज़्मत और बड़ाई वाले के अहकाम पर अ़मल करना ज़रूरी और निहायत ज़रूरी है।

(तफ़सीर पृष्ठ 994) **1.** यानी अगरचे दिल से दोस्ती न हो मगर ऐसा दोस्ताना बर्ताव भी मत करो।

2. यानी पहले तो दोस्ती ही बुरी चीज़ है, फिर ख़ुफ़िया पैग़ाम भेजना और ज़्यादा बुरा है।

3. यानी दूसरी ज़िक्र की हुई रुकावटों की तरह यह चीज़ भी दोस्ती के लिए रुकावट होनी चाहिए।

4. हज़रत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिजरत के आठवें साल मक्का पर चढ़ाई करने का इरादा फ़रमाया और इस इरादे को ख़ुफ़िया रखा, ताकि मक्का वालों के कानों में इसकी भनक न पड़े और वे मुक़ाबले में आकर ख़ून-ख़राबे का सबब न बनें। आप उसके लिए तमाम एहतियाती तदबीरें अ़मल में लाए। हज़रत हातिब बिन अबी बल्तआ़ मुहाजिर और बद्री सहाबी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जो यमन के रहने वाले थे और मक्का में आकर रहने लगे थे और उनके माल, वालिदा, भाई और बाल-बच्चे अब भी मक्का में थे। मक्का वालों को आपके इस ख़ुफ़िया इरादे की इत्तिला देने के लिए चिट्ठी लिखी और मक्का की एक औ़रत के हाथ भेज दी। सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को वह्य के ज़रिए इसकी इत्तिला हुई, आपने झट हज़रत अ़ली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा को हुक्म दिया कि फ़ौरन पहुँचो और चिट्ठी औ़रत से वापस लाओ। उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। उस औ़रत का पीछा किया और रौज़ा-ए-ख़ाख़ के मक़ाम पर उस औ़रत को जा गिरफ़्तार किया। औ़रत ने चिट्ठी के होने से इनकार किया, लेकिन जब ज़्यादा सख़्ती की गई तो उसने अपनी चोटी में से चिट्ठी निकाल दी, यह चिट्ठी बारगाहे नुबुव्वत में लाकर पढ़ी गई। आपने हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से उसके बारे में पूछा, उन्होंने गुज़ारिश की या रसूलल्लाह! वाक़ई मैंने यह चिट्ठी लिखी, लेकिन मुझे ख़ुदा-ए-अ़लीम की क़सम यह काम मैंने मुसलमानों को नुक़सान पहुँचाने की नीयत से नहीं किया और न काफ़िरों की भलाई के ख़्याल से, बल्कि असल वजह यह थी कि दूसरे मुहाजिरों की मक्का मुअ़ज़्ज़मा में रिश्तेदारी और ख़ानदानी ताल्लुक़ हैं **(पृष्ठ 994 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 996, 998,1000 की तफ़सीर पृष्ठ 1002-1012 पर)**

और जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। **(11)** (जब ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और तुमको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और उम्दा मकानों में (दाख़िल करेगा) जो हमेशा रहने के बाग़ों में (बने) होंगे, यह बड़ी कामयाबी है। **(12)** और (इस आख़िरत के फल के अ़लावा) एक और (दुनियावी फल) भी है कि तुम उसको (भी ख़ास तौर पर) पसन्द करते हो। (यानी) अल्लाह की तरफ़ से मदद और जल्दी फ़त्ह पाना। और (ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप मोमिनों को ख़ुशख़बरी दे दीजिए। **(13)** ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के (दीन के) मददगार हो जाओ जैसा कि ईसा इब्ने मरियम (अ़लैहिस्सलाम) ने (उन) हवारियों से फ़रमाया कि अल्लाह के वास्ते मेरा कौन मददगार होता है? वे हवारी बोले,[1] हम अल्लाह (के दीन) के मददगार हैं। सो (इस कोशिश के बाद) बनी इस्राईल में से कुछ लोग ईमान लाए[2] और कुछ लोग इनकारी रहे।[3] सो हमने ईमान वालों की उनके दुश्मनों के मुक़ाबले में ताईद की, सो वे ग़ालिब हो गए। **(14)** ❖

62 सूरः जुमा 110

सूरः जुमा मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

[4]सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं, (अपनी ज़बान से या अपने हाल से) अल्लाह तआ़ला की पाकी बयान करती हैं जो कि बादशाह है, (ऐबों से) पाक है, ज़बरदस्त है, हिक्मत वाला है। **(1)** वही है जिसने (अ़रब के) अनपढ़ लोगों में उन्ही (की क़ौम) में से (यानी अ़रब में से) एक पैग़म्बर भेजा, जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, और उनको (ग़लत अ़क़ीदों और बुरे अख़्लाक़ से) पाक करते हैं, और उनको किताब और समझदारी (की बातें) सिखलाते हैं, और ये लोग (आपके पैग़म्बर की हैसियत से तशरीफ़ लाने से) पहले से खुली गुमराही में थे।[5] **(2)** और (इन मौजूदा लोगों के अ़लावा) दूसरों के लिए भी उनमें से जो अभी उनमें शामिल नहीं हुए[6] और वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है। **(3)** यह (रसूल के ज़रिए से गुमराही से निकलकर हिदायत की तरफ़ आना) ख़ुदा का फ़ज़्ल है, वह फ़ज़्ल जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाला है। **(4)** जिन लोगों को तौरात पर अ़मल करने का हुक्म दिया गया,

---

(पिछले पृष्ठ का शेष) उनके माल व औलाद की हिफ़ाज़त उस रिश्ते-नाते के सबब हो रही है, और मैं ग़ैर-मुल्क का रहने वाला हूँ, मक्का वालों से कोई रिश्ता नहीं, मेरे माल और बाल-बच्चों की हिफ़ाज़त करने वाला वहाँ कोई नहीं। चूँकि मुझे कामिल यक़ीन था कि ख़ुदा तआ़ला अपने दीन का बोल-बाला करेगा और उसके नबी को हर हालत में फ़त्ह होगी, मैंने ख़्याल किया अगर मैं मक्का वालों को इस चढ़ाई की इत्तिला दे दूँ तो इससे इस्लाम और मुसलमानों को तो कोई नुक़सान नहीं, लेकिन क़ुरैश मेरे एहसानमन्द होकर मेरे घर वालों और बाल-बच्चों और माल की हिफ़ाज़त करेंगे और उनको तकलीफ़ और नुक़सान नहीं पहुँचाएँगे। आपने मज्लिस में हाज़िर लोगों से फ़रमाया कि जो कुछ सच्ची बात थी इन्होंने ज़ाहिर कर दी है, इसलिए इनको कोई बुरा न कहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! यह शख़्स इस्लाम की मुख़ालफ़त में ग़द्दारी और ख़ियानत का मुजरिम हुआ है। इजाज़त दीजिए कि इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दूँ। इरशाद हुआ क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह बद्री हैं और बद्र वालों का हर गुनाह माफ़ है और उनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। रहमते आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इस माफ़ और दरगुज़र करने वाली शान पर हज़रत उमर रज़ि. की आँखों से आँसू जारी हो गए। उसपर ये आयतें नाज़िल हुईं।

5. यानी मुसलमानो! हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और उनके साथियों जैसी नेक चाल तुमको भी चलनी चाहिए कि उन्होंने अपने ग़ैर-मुस्लिम भाई-बन्दों से बिलकुल बेताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया, न उनसे कुछ वास्ता रखा न कोई सरोकार। लेकिन इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपने काफ़िर बाप के लिए जो इस्तिग़फ़ार का वायदा फ़रमाया था उसमें उनकी पैरवी करना जायज़ नहीं। क्योंकि उनसे यह वायदा नावाक़फ़ियत की हालत में हो गया था। **(पृष्ठ 994 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 996, 998 1000, 1002 की तफ़सीर पृष्ठ 1004-1016 पर)**

फिर उन्होंने उसपर अ़मल नहीं किया उनकी हालत उस गधे जैसी हालत है जो बहुत-सी किताबें लादे हुए है।[1] (ग़रज़) उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया (जैसे यहूद हैं), और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं दिया करता। **(5)** (और अगर ये लोग यह कहें कि हम बावजूद इस हालत के भी अल्लाह के मक़बूल हैं तो) आप (उनसे) कह दीजिए कि ऐ यहूदियो! अगर तुम्हारा यह दावा है कि तुम किसी और की शिर्कत के बग़ैर अल्लाह के मक़बूल (और प्यारे) हो, तो तुम (इसकी तस्दीक़ के लिए) मौत की तमन्ना कर (के दिखा) दो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो।[2] **(6)** और वे कभी इसकी तमन्ना न करेंगे, उन (कुफ़्रिया) आमाल (के ख़ौफ़ और सज़ा) की वजह से जो अपने हाथों समेटते हैं, और अल्लाह को ख़ूब इत्तिला है उन ज़ालिमों (के हाल) की। **(7)** आप (उनसे यह भी) कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वह (मौत एक दिन) तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम पोशीदा और ज़ाहिर जानने वाले (यानी ख़ुदा) के पास ले जाए जाओगे। फिर वह तुमको तुम्हारे सब किए हुए काम बतला देगा (और सज़ा देगा)। **(8)** ❖

ऐ ईमान वालो! जब जुमा के दिन (जुमे की) नमाज़ के लिए अज़ान कही जाया करे तो तुम अल्लाह की याद (यानी नमाज़ व ख़ुतबे) की तरफ़ (फ़ौरन) चल पड़ा करो, और ख़रीद व बेच (और इसी तरह दूसरे काम जो चलने से रुकावट हों) छोड़ दिया करो।[3] यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुमको कुछ समझ हो। (क्योंकि उसका नफ़ा बाक़ी है और ख़रीद व बेच वग़ैरह का नफ़ा फ़ना हो जाने वाला है)। **(9)** फिर जब (जुमे की) नमाज़ पूरी हो चुके तो (उस वक़्त तुमको इजाज़त है कि) तुम ज़मीन पर चलो-फिरो और ख़ुदा की रोज़ी तलाश करो[4] और (उसमें भी) अल्लाह को कसरत से याद करते रहो[5] ताकि तुमको भलाई हासिल हो। **(10)** और (बाज़े लोगों का यह हाल है कि) वे लोग जब किसी तिजारत या मश्ग़ूल होने वाली चीज़ को देखते हैं तो वे उसकी तरफ़ दौड़ने के लिए बिखर जाते हैं, और आपको खड़ा हुआ छोड़ जाते हैं। आप फ़रमा दीजिए कि जो चीज़ (अल्लाह की निकटता और सवाब की क़िस्म में से) ख़ुदा के पास है वह ऐसे मश्ग़ले और तिजारत से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे अच्छा रोज़ी पहुँचाने वाला है।[6] **(11)** ❖

63 सूरः मुनाफ़िक़ून 104

सूरः मुनाफ़िक़ून मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जब आपके पास ये मुनाफ़िक़ीन आते हैं[7] तो कहते हैं कि हम (दिल से) गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। और यह तो अल्लाह को मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं (इसमें तो उनके क़ौल को झुठलाया नहीं जाता) और (इसके बावजूद) अल्लाह तआ़ला गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ लोग (इस कहने में) झूठे हैं। **(1)** उन लोगों ने अपनी क़स्मों को (अपनी जान व माल बचाने के लिए) ढाल बना रखा है,

---

(पिछले पृष्ठ का शेष) जब उन्हें बाप का क़तई तौर पर काफ़िर होना मालूम हो गया और काफ़िर के लिए इस्तिग़फ़ार की मनाही भी मालूम हो गई तो साफ़ लफ़्ज़ों में अपनी बेज़ारी का इज़हार फ़रमा दिया।

(तफ़सीर पृष्ठ 996) 1. चुनाँचे मक्का फ़त्ह होने के दिन बहुत आदमी ख़ुशी से मुसलमान हो गए। मतलब यह कि अव्वल तो ताल्लुक़ात का ख़त्म करना हमेशा के लिए हो तब भी हुक्म होने की वजह से वाजिबुल अ़मल था, फिर ख़ासकर जबकि थोड़ी ही मुद्दत के लिए करना पड़े, और ईमान में शरीक होने से दोस्ती और ताल्लुक़ बदस्तूर लौट आए। ग़रज़ हर तरह ताल्लुक़ तोड़ना ज़रूरी हुआ।

2. मुराद वे काफ़िर हैं जो 'ज़िम्मी' (यानी इस्लामी हुकूमत में टैक्स देकर रह रहे हों, बदले में उनकी हर तरह की हिफ़ाज़त और देखभाल इस्लामी हुकूमत करती हो) या सुलह करने वाले हों। यानी उनके साथ एहसान का बर्ताव जायज़ है और इसी को मुन्सिफ़ाना बर्ताव फरमाया। पस इन्साफ़ से मुराद **(पृष्ठ 996 की बकिया तफ़सीर और पृष्ठ 998, 1000, 1002, 1004 की तफ़सीर पृष्ठ 1006-1019 पर)**

फिर ये लोग (दूसरों को भी) अल्लाह की राह से रोकते हैं, बेशक उनके ये आमाल बहुत ही बुरे हैं। **(2)** (और हमारा) यह (कहना कि उनके आमाल बहुत बुरे हैं) इस सबब से है कि ये लोग (पहले ज़ाहिर में) ईमान लाए फिर (कुफ़्रिया कलिमात कहकर) काफ़िर हो गए, सो उनके दिलों पर मुहर कर दी गई है, तो ये (हक़ बात को) नहीं समझते। **(3)** और जब आप उनको देखें तो (ज़ाहिरी शान व शौकत की वजह से) उनके डील-डोल आपको अच्छे मालूम हों। और अगर ये बातें करने लगें तो आप उनकी बातें सुन लें, गोया कि ये लकड़ियाँ हैं जो (दीवार के) सहारे लगाई हुई (खड़ी) हैं। हर शोर पुकार को (चाहे वह किसी वजह से हो) अपने ऊपर (पड़ने वाली) ख़्याल करने लगते हैं।[1] यही लोग (तुम्हारे पूरे) दुश्मन हैं, आप उनसे होशियार रहिए ख़ुदा उनको ग़ारत करे, (हक़ दीन से) कहाँ फिरे चले जाते हैं। **(4)** और जब उनसे कहा जाता है कि (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास) आओ तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह इस्तिग़फ़ार कर दें तो वे अपना सर फेर लेते हैं।[2] और आप उनको देखेंगे कि (वे उस नसीहत करने वाले और इस्तिग़फ़ार से) तकब्बुर करते हुए बेरुख़ी करते हैं। **(5)** (जब उनके कुफ़्र की यह हालत है तो) उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं चाहे उनके लिए आप इस्तिग़फ़ार करें या उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करें, अल्लाह तआ़ला उनको हरगिज़ न बख़्शेगा[3] बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे नाफ़रमान लोगों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं देता। **(6)** ये वे हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के पास (जमा) हैं उनपर कुछ ख़र्च मत करो यहाँ तक कि ये आप ही बिखर जाएँगे। और (उनका यह कहना कोरी जहालत है, क्योंकि) अल्लाह ही के हैं सब ख़ज़ाने आसमानों के और ज़मीन के, और लेकिन मुनाफ़िक़ीन समझते नहीं हैं। **(7)** (और) ये (लोग) कहते हैं कि अगर हम अब मदीना में लौटकर जाएँगे तो इज़्ज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को बाहर निकाल देगा। और (यह कहना बिलकुल जहालत है, बल्कि हक़ीक़त में) अल्लाह ही की है इज़्ज़त और उसके रसूल की, (अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के वास्ते से) और मुसलमानों के (अल्लाह और उसके रसलू के साथ ताल्लुक़ के वास्ते से) और लेकिन मुनाफ़िक़ लोग जानते नहीं। **(8)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुमको तुम्हारे माल और औलाद (मुराद इससे दुनिया की तमाम चीज़ें हैं) अल्लाह की याद (और इताअ़त) से (मुराद इससे दीन के तमाम अहकाम हैं) ग़ाफ़िल न करने पाएँ,[4] और जो ऐसा करेगा तो ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं।[5] **(9)** और (इबादतों में से एक माली इबादत और नेकी का हुक्म किया जाता है कि) हमने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से (वाजिब हुक़ूक़) इससे पहले-पहले ख़र्च कर लो कि तुममें से किसी की मौत आ खड़ी हो, फिर वह (तमन्ना व हसरत के तौर पर) कहने लगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको और थोड़े दिनों क्यों मोहलत न दी गई कि मैं ख़ैर-ख़ैरात दे लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता। **(10)** और अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को जबकि उसकी (उम्र की) मीयाद (ख़त्म होने पर) आ जाती है हरगिज़ मोहलत नहीं देता। और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है (वैसे ही बदले के हक़दार होगें)। **(11)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) ख़ास इन्साफ़ है, यानी ख़ास उनके ज़िम्मी बनकर रहने या सुलह करके रहने के एतिबार से इन्साफ़ का तक़ाज़ा यह है कि उनके साथ एहसान का मामला किया जाए और आ़म इन्साफ़ तो हर काफ़िर बल्कि जानवर के साथ भी वाजिब है।

3. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बड़ी बीवी फ़तीला ने इस्लाम के क़बूल करने से इनकार किया था इसलिए उन्होंने इस्लाम के शुरू ही में उसे तलाक़ दे दी थी। एक बार वह अपनी बेटी हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मिलने के लिए मक्का मुअ़ज़्ज़मा पहुँची। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हुज़ूरे पाक की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मेरी मुश्रिका माँ आई है और बदस्तूर इस्लाम से बेज़ार है, क्या मैं उसके साथ कुछ अच्छा सुलूक कर सकती हूँ। आपने फ़रमाया, हाँ! सुलूक कर सकती हो, उसपर यह आयत नाज़िल हुई कि जो तुमसे लड़े नहीं और न तुमको वतन से निकाला और न वतन से निकालने में तुम्हारे मुख़ालिफ़ों की मदद की, उनके साथ

(पृष्ठ 996 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 998, 1000, 1002, 1004, 1006 की तफ़सीर पृष्ठ 1008-1019 पर)

64 सूरः तग़ाबुन 108

सूरः तग़ाबुन मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 18 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं अल्लाह की पाकी (अपनी ज़बान से या अपने हाल से) बयान करती हैं। उसी की बादशाही है और वही तारीफ़ के लायक़ है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। **(1)** वही है जिसने तुमको पैदा किया, सो (बावजूद इसके भी) तुममें बाज़े काफ़िर हैं और बाज़े मोमिन हैं। और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे (ईमानी व कुफ़्रिया) आमाल को देख रहा है। **(2)** उसी ने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा किया[1] और तुम्हारा नक़्शा बनाया, सो उम्दा नक़्शा बनाया[2] और उसी के पास (सबको) लौटना है। **(3)** वह सब चीज़ों को जानता है जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और सब चीज़ों को जानता है जो तुम छुपाकर करते हो और जो खुले तौर पर करते हो, और अल्लाह तआ़ला दिलों तक की बातों का जानने वाला है।[3] **(4)** क्या तुमको उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जिन्होंने (तुमसे) पहले कुफ़्र किया[4] फिर उन्होंने अपने (उन) आमाल का वबाल (दुनिया में भी) चखा और (उसके अ़लावा आख़िरत में भी) उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब होने वाला है। **(5)** यह इस सबब से है कि उन लोगों के पास उनके पैग़म्बर खुली दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने (उन रसूलों के बारे में) कहा कि क्या आदमी हमको हिदायत करेंगे? ग़रज़ उन्होंने कुफ़्र किया और मुँह मोड़ा और खुदा ने (भी उनकी कुछ) परवाह न की, और अल्लाह (सबसे) बेपरवाह (और) तारीफ़ के लायक़ है।[5] **(6)** ये काफ़िर (आख़िरत के अ़ज़ाब का मज़मून सुनकर) यह दावा करते हैं कि वे हरगिज़-हरगिज़ दोबारा ज़िन्दा न किए जाएँगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं! खुदा की क़सम! ज़रूर दोबारा ज़िन्दा किए जाओगे, फिर जो-जो कुछ तुमने किया है तुमको सब जतला दिया जाएगा (और उसपर सज़ा दी जाएगी)। और यह (मरने के बाद ज़िन्दा करना और बदला देना) अल्लाह तआ़ला को बिलकुल आसान है। **(7)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) रिश्तेदारी के सबब सुलूक करने में कोई हर्ज नहीं।

4. हुदैबिया में क़ुरैश के काफ़िरों और मुसलमानों में इस बात पर सुलह हुई थी कि काफ़िरों में से जो कोई मुसलमान होकर आए उसको मुसलमान वापस कर दें, और जो मुसलमान इस्लाम से फिरकर क़ुरैश से जा मिले क़ुरैश उसको वापस न दें। सुलह के दिनों में उक़्बा बिन अबी मुईत काफ़िर की बेटी मोहतरमा उम्मे कुलसूम ईमान लाईं और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में अपने सौतेले भाई हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास पहुँच गईं। पीछे-पीछे उनके दोनों भाई उम्मारा और वलीद बहन को वापस लेने आ पहुँचे। उन्होंने गुमान किया था कि वापसी की शर्त आ़म है हालाँकि वह मर्दों ही के साथ ख़ास थी, लेकिन अब अल्लाह की बारगाह से बेकस व मज़लूम औ़रत ज़ात पर मुसालहत की यह शर्त लागू न होने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आ पहुँचा और यह आयत नाज़िल हुई। इसमें जहाँ यह हुक्म हुआ कि ईमान वाली औ़रतों को काफ़िरों के हवाले न करो, वहाँ यह भी इरशाद हुआ कि उनके काफ़िर शौहरों को उनके वे महर जो उन्हें दे चुके हैं, वापस कर दो।

5. यानी जो तुम्हारी बीवियाँ ग़ैरइस्लामी हुकूमत में कुफ़्र की हालत में रह गईं उनका निकाह तुमसे ख़त्म हो गया।

(तफ़सीर पृष्ठ 998) **1.** मक्का के फ़त्ह होने के दिन जब औ़रतें इस्लाम की बैअ़त के लिए नबी करीम की बाबरकत ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो हक़ तआ़ला ने अपने हबीब को उनके बैअ़त करने का तरीक़ा तालीम फ़रमाया और यह आयत नाज़िल फ़रमाई।

2. जाहिलियत के ज़माने में बाज़ औ़रतों का दस्तूर था कि किसी ग़ैर का बच्चा उठा लाईं और कह दिया कि मेरे शौहर का है। या किसी से बदकारी की और उस हराम नुत्फ़े को अपने शौहर का बतला दिया, कि इसमें गुनाह के अ़लावा ज़िना के किसी बच्चे को दूसरे की तरफ़ मन्सूब करना भी है हालाँकि वह बच्चा उसका नहीं है, जिसपर हदीस में वईद आई है।

3. हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु और किसी और सहाबी की चन्द यहूदियों से मुहब्बत थी। वे मुसलमानों की ख़बरें उन तक जा पहुँचाते, उसकी मनाही में यह आयत नाज़िल हुई और वे फ़ौरन तौबा करके उनसे अलग हो गए।

(पृष्ठ 998 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1000, 1002, 1004, 1006, 1008 की तफ़सीर पृष्ठ 1010-1019 पर)

सो तुम (को चाहिए कि) अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर (यानी क़ुरआन पर) जो कि हमने नाज़िल किया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखता है। **(8)** (और उस दिन को याद करो) कि जिस दिन तुम सबको एक जमा होने के दिन जमा करेगा, यही दिन है नफ़े और नुक़सान का।[1] और (बयान उसका यह है कि) जो शख़्स अल्लाह पर ईमान रखता होगा और नेक काम करता होगा अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह दूर कर देगा और उसको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिसमें हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगे (और) यह बड़ी कामयाबी है। **(9)** और जिन लोगों ने कुफ़्र किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा ये लोग दोज़ख़ी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे और वह बुरा ठिकाना है। ▲ **(10)** ❖

कोई मुसीबत ख़ुदा के हुक्म के बग़ैर नहीं आती।[2] और जो शख़्स अल्लाह पर (पूरा) ईमान रखता है अल्लाह तआ़ला उसके दिल को (सब्र व रिज़ा की) राह दिखा देता है, और अल्लाह हर चीज़ को ख़ूब जानता है।[3] **(11)** और (कलाम का खुलासा यह है कि हर मामले में जिसमें मुसीबतें भी दाख़िल हैं) अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, और अगर तुम (इताअ़त से) मुँह मोड़ोगे तो (याद रखो कि) हमारे रसूल के ज़िम्मे तो साफ़-साफ़ पहुँचा देना है।[4] **(12)** अल्लाह के सिवा कोई माबूद (बनने के क़ाबिल) नहीं[5] और मुसलमानों को अल्लाह ही पर (मुसीबतों वग़ैरह में) भरोसा रखना चाहिए। **(13)** ऐ ईमान वालो! तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और औलाद तुम्हारे (दीन की) दुश्मन हैं, सो तुम उनसे होशियार रहो (और उनकी ऐसी बात पर अ़मल मत करो), और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुज़र कर जाओ और बख़्श दो तो अल्लाह तआ़ला (तुम्हारे गुनाहों का) बख़्शने वाला (और तुम्हारे हाल पर) रहम करने वाला है। **(14)** तुम्हारे माल और औलाद बस तुम्हारे लिए एक आज़माइश की चीज़ है। और (जो शख़्स उनमें पड़कर अल्लाह को याद रखेगा तो) अल्लाह के पास (उसके लिए) बड़ा अज्र है।[6] **(15)** तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो[7] और (उसके अहकाम को) सुनो और मानो, और (ख़ासकर हुक्म के मौक़ों में) ख़र्च (भी) किया करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और जो शख़्स अपने नफ़्स की हिर्स से महफ़ूज़ रहा ऐसे ही लोग (आख़िरत में) फ़लाह पाने वाले हैं। **(16)** अगर तुम अल्लाह को अच्छी तरह (यानी नेक-नीयती के साथ) क़र्ज़ दोगे तो वह उसको

(पिछले पृष्ठ का शेष) 4. जो काफ़िर मर जाता है इस वजह से कि उसको आख़िरत का मुआयना हो जाता है, असल हक़ीक़त पर यक़ीन के साथ बाख़बर हो जाता है कि अब मेरी बख़्शिश न होगी।

5. पस जो ऐसा बड़ाई और शान वाला हो उसकी हर हुक्म में फ़रमाँबरदारी ज़रूरी है। जिनमें एक हुक्म जिहाद का है जो इस सूरः में ज़िक्र हुआ है। जिसके नाज़िल होने का सबब यह है कि एक बार बाज़ मुसलमानों ने आपस में तज़्किरा किया कि अगर हमको कोई ऐसा अ़मल मालूम हो जो अल्लाह तआ़ला के नज़दीक निहायत महबूब हो तो हम उसको अ़मल में लाएँ। और इससे पहले उहुद की लड़ाई में बाज़े जिहाद से भाग चुके थे, तथा जिहाद के हुक्म के नाज़िल होने के वक़्त बाज़ को वह हुक्म गिराँ गुज़रा था, उसपर यह आयत नाज़िल हुई।

(तफ़सीर पृष्ठ 1000) 1. मतलब यह हुआ कि तुम जो कहते हो कि हमको सबसे ज़्यादा महबूब अ़मल मालूम होता, सो सबसे महबूब अ़मल तो जिहाद है, फिर उसके नाज़िल होने के वक़्त नागवारी क्यों हुई थी और जंगे उहुद में क्यों भाग गए थे। यहाँ डाँट-डपट डींगें मारने और झूठ बोलने पर है। और बिना अ़मल के वअ़ज़ इसके मफ़हूम से ख़ारिज है।

2. वे तकलीफ़ें मुख़्तलिफ़ तौर पर थीं और हासिल उन सबका नाफ़रमानी और मुख़ालफ़त है।

3. इस तरह ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुख़्तलिफ़ तरीक़े से तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, इसलिए इनका जुर्म और बुराई और ज़्यादा हो जाता है कि इस्लाह की उम्मीद नहीं रही, पस उनके फ़साद को मिटाने के लिए क़िताल का हुक्म देना मस्लहत हुआ।

4. यह आयत नज़ीर बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई। उसने कहा था कि क़ियामत के दिन 'लात' और 'उ़ज़्ज़ा' बुत मेरी शफ़ाअ़त करेंगे और उनकी सिफ़ारिश यक़ीनन अल्लाह की बारगाह में मक़बूल होकर मेरी मग़फ़िरत होगी।

5. 'वल्लाहु ला यहदी' इसलिए बढ़ाया कि उनकी मौजूदा हालत इस्लाह से दूर हो गई, इसलिए क़िताल ही की सज़ा तजवीज़ किया जाना मस्लहत हुआ। **(पृष्ठ 1000 की बक़िया और पृष्ठ 1002, 1004, 1006, 1008, 1010 की तफ़सीर पृष्ठ 1012-1019 पर)**

तुम्हारे लिए बढ़ाता चला जाएगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा, और अल्लाह तआ़ला बड़ा क़द्र करने वाला है (कि नेक अ़मल को क़बूल फ़रमाता है और) बड़ा बुर्दबार है। **(17)** छुपे और ज़ाहिर (आमाल) का जानने वाला है (और) ज़बरदस्त है (और) हिक्मत वाला है। **(18)** ❖

65 सूरः तलाक़ 99

सूरः तलाक़ मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 12 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ऐ पैग़म्बर! (आप लोगों से कह दीजिए कि) जब तुम लोग (अपनी) औ़रतों को तलाक़ देने लगो[1] तो उनको इद्दत (के ज़माने यानी हैज़) से पहले (यानी पाकी के ज़माने में) तलाक़ दो, और तुम इद्दत को याद रखो और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो जो तुम्हारा रब है। उन औ़रतों को उनके (रहने के) घरों से मत निकालो (क्योंकि तलाक़ वाली का रहने का ठिकाना निकाह वाली की तरह वाजिब है) और न वे औ़रतें ख़ुद निकलें, मगर हाँ! कोई खुली बेहयाई करें तो और बात है।[2] और ये सब ख़ुदा के मुक़र्रर किए हुए अहकाम हैं, और जो शख़्स अल्लाह के अहकाम से तजावुज़ करेगा (जैसे उस औ़रत को घर से निकाल दिया) उसने अपने ऊपर जुल्म किया। तुझको ख़बर नहीं शायद अल्लाह तआ़ला इस तलाक़ देने के बाद कोई नई बात (तेरे दिल में) पैदा कर दे। (जैसे तलाक़ पर शर्मिन्दगी हो तो रुजू करने में उसकी तलाफ़ी हो सकती है)। **(1)** फिर जब वे (तलाक़ पाई हुई) औ़रतें अपनी इद्दत गुज़र जाने के क़रीब पहुँच जाएँ (तो तुमको दो इख़्तियार हैं, या तो) उनको क़ायदे के मुवाफ़िक़ निकाह में रहने दो या क़ायदे के मुवाफ़िक़ उनको रिहाई दो, और आपस में से दो मोतबर शख़्सों को गवाह कर लो। (ऐ गवाहो! अगर गवाही की ज़रूरत पड़े तो) ठीक-ठीक अल्लाह के वास्ते (बिना किसी रियायत के) गवाही दो। इस मज़मून से उस शख़्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर यक़ीन रखता हो।[3] और जो शख़्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए (परेशानियों से) नजात की शक्ल निकाल देता है। **(2)** और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता।[4] और जो शख़्स अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह तआ़ला उस (की ज़रूरतों को पूरा करने और उसके काम बनाने) के लिए काफ़ी है। अल्लाह तआ़ला अपना काम (जिस तरह चाहे) पूरा करके रहता है। अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ का (अपने इल्म में) एक अन्दाज़ा मुक़र्रर कर रखा है। **(3)** (ऊपर इद्दत का मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र था) और (तफ़सील यह है कि) तुम्हारी (तलाक़ दी हुई) बीवियों में से जो औ़रतें (ज़्यादा उम्र होने की वजह से) माहवारी आने से मायूस हो चुकी हैं, अगर तुमको (उनकी इद्दत के मुतैयन करने में) शुब्हा हो तो उनकी इद्दत तीन महीने हैं। और इसी तरह जिन औ़रतों को (अब तक उम्र कम होने की वजह से) माहवारी नहीं आई। और गर्भवती औ़रतों की इद्दत उस गर्भ का पैदा हो जाना है। और जो शख़्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह तआ़ला उसके हर एक काम में आसानी कर देगा। **(4)** यह (जो कुछ ज़िक्र

(पिछले पृष्ठ का शेष) **6.** एक बार सोलह दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वह्य नाज़िल न हुई थी। एक यहूदी सरदार कअ़ब बिन अशरफ़ कहने लगा, ऐ यहूद के गिरोह! तुमको ख़ुशख़बरी हो कि दीने इस्लाम का अब ख़ात्मा है, मुहम्मद का काम (अल्लाह की पनाह) ख़त्म ही हुआ चाहता है, इसपर यह आयत नाज़िल हुई।

7. यानी ईमान पर हमेशा क़ायम रहो।

(तफ़सीर पृष्ठ 1002) **1.** हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बुज़ुर्ग साथियों को 'हवारी' कहते हैं। ये तादाद में बारह थे। लफ़्ज़ 'हवारी' 'हौर' से निकला है जिसके मायने सफ़ेदी के हैं, हवारी इस बिना पर हवारी कहलाए कि हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले धोबी थे। **(पृष्ठ 1002 की बक़िया और पृष्ठ 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 की तफ़सीर पृष्ठ 1014-1020 पर)**

हुआ) अल्लाह का हुक्म है, जो उसने तुम्हारे पास भेजा है। और जो शख़्स (इन मामलात में और दूसरे मामलात में भी) अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को दूर कर देगा (जो कि बड़े नुक़सान का सबब हैं) और उसको बड़ा अज्र देगा। **(5)** तुम उन (तलाक़ दी हुई) औ़रतों को अपनी गुन्जाइश के मुवाफ़िक़ रहने का मकान दो जहाँ तुम रहते हो।[1] और उनको तंग करने के लिए (उसके बारे में) तकलीफ़ मत पहुँचाओ। और अगर वे (तलाक़ दी हुई) औ़रतें गर्भ से हों तो गर्भ पैदा होने तक उनको (खाने-पीने का) ख़र्च दो। फिर अगर वे (तलाक़ दी हुई) औ़रतें (जबकि पहले ही से बच्चे वालियाँ हों या बच्चा पैदा होने से ही उनकी इद्दत ख़त्म हुई हो) तुम्हारे लिए (बच्चे को उजरत पर) दूध पिला दें तो तुम उनको (तय की हुई) उजरत दो, और (उजरत के बारे में) आपस में मुनासिब तरीक़े पर मश्विरा कर लिया करो।[2] और अगर तुम आपस में कश्मकश करोगे तो कोई दूसरी औ़रत दूध पिला देगी। **(6)** (आगे बच्चे के ख़र्च के बारे में इरशाद है कि) गुन्जाइश वाले को अपनी गुन्जाइश के मुवाफ़िक़ (बच्चे पर) ख़र्च करना चाहिए। और जिसकी आमदनी कम हो उसको चाहिए कि अल्लाह ने जितना उसको दिया है उसमें से ख़र्च करे। ख़ुदा तआ़ला किसी शख़्स को उससे ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाता जितना उसको दिया है। ख़ुदा तआ़ला तंगी के बाद जल्दी फ़राग़त भी देगा (अगरचे हाजत व ज़रूरत के पूरा करने के बक़द्र हो)। **(7)** ❖

और बहुत-सी बस्तियाँ थी जिन्होंने अपने रब के हुक्म (मानने) से और उसके रसूलों से सरकशी की, सो हमने उन (के आमाल) का सख़्त हिसाब किया[3] और हमने उनको बड़ी भारी सज़ा दी (कि वह सज़ा अ़ज़ाब के ज़रिए हलाक करना है)। **(8)** ग़रज़ उन्होंने अपने आमाल का वबाल चखा और उनका अन्जाम घाटा ही हुआ। **(9)** (यह तो दुनिया में हुआ और आख़िरत में) अल्लाह ने उनके लिए एक सख़्त अ़ज़ाब तैयार कर रखा है। (और जब नाफ़रमानी का अन्जाम यह है) तो ऐ समझदारो! जो कि ईमान लाए हो, ख़ुदा से डरो[4] ख़ुदा ने तुम्हारे पास एक नसीहतनामा भेजा **(10)** (और वह नसीहतनामा देकर) एक ऐसा रसूल (भेजा) जो तुमको अल्लाह के साफ़-साफ़ अहकाम पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाएँ और अच्छे अ़मल करें (कुफ़्र व जहालत की) अंधेरियों से (ईमान, इल्म और अ़मल के) नूर की तरफ़ ले आएँ।[5] और (आगे ईमान वग़ैरह इबादतों पर वायदा है कि) जो शख़्स अल्लाह पर ईमान लाएगा और अच्छे अ़मल करेगा ख़ुदा उसको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उनको (बहुत) अच्छी रोज़ी दी। **(11)** (आगे अल्लाह की फ़रमाँबरदारी का वाजिब

(पिछले पृष्ठ का शेष) आप एक दरिया के घाट पर से गुज़रे, देखा कि धोबी कपड़े धो रहे हैं, आपने उनसे फ़रमाया कि तुम लोगों का मैल-कुचैल दूर करते हो, आओ मैं तुमको धो दूँ और तुमसे मैल-कुचैल छुड़ा दूँ। चुनाँचे वे सब आपकी दावत पर ईमान ले आए।

2. इस्राईलियों में से चन्द आदमी जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनका यह अ़क़ीदा था कि आप अल्लाह के बन्दे और रसूल थे। हक़ तआ़ला ने आपको यहूदियों के हाथों में पड़ने से बचाकर आसमान पर उठा लिया।

3. इसका यह तर्जुमा भी हो सकता है कि एक गिरोह ने कुफ़्र इख़्तियार कर लिया, यानी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने लगे।

4. ऊपर की सूरः में तौहीद व रिसालत का सुबूत और झुठलाने वालों का क़त्ल की सज़ा का मुस्तहिक़ होना ज़िक्र किया गया था। इस सूरः के शुरू में तौहीद व रिसालत को साबित करने और झुठलाने वालों में से यहूद का जो मूसा अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के उन्वान से ऊपर की सूरः में मज़कूर हुए हैं, निन्दा और वईद का मुस्तहिक़ होना ज़िक्र किया गया है। और चूँकि उन यहूद की असल बीमारी दुनिया की मुहब्बत थी, इसलिए मुसलमानों को उससे बचाने के लिए दूसरे रुकूअ़ में जुमे के अहकाम के ज़िम्न से आख़िरत को दुनिया पर तरजीह देने का हुक्म और इसके उलट करने से मना किया गया है। पस दोनों सूरतों के आख़िर में तिजारत का ज़िक्र है, पहली में दीनी तिजारत का और दूसरी में दुनियावी तिजारत का।

5. मुराद अक्सर हैं। क्योंकि जाहिलियत के ज़माने में भी बाज़े अल्लाह के एक होने के इक़रारी थे मगर फिर भी हिदायत को मुकम्मल करने

(पृष्ठ 1002 की बक़िया और पृष्ठ 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014 की तफ़सीर पृष्ठ 1016-1020 पर)

होना बयान किया जाता है, यानी) अल्लाह ऐसा है जिसने सात आसमान पैदा किए और उन्हीं की तरह ज़मीन भी, (और) उन सबमें (अल्लाह तआ़ला के) अहकाम नाज़िल होते रहते हैं। (और यह इसलिए बतलाया गया) कि तुमको मालूम हो जाए कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है, और अल्लाह हर चीज़ को (अपने) इल्मी घेरे में लिए हुए है। **(12)** ❖

66 सूरः तहरीम 107

सूरः तहरीम मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 12 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ऐ नबी! जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप (क़सम खाकर) उसको (अपने ऊपर) क्यों हराम फ़रमाते हैं? (फिर वह भी) अपनी बीवियों की ख़ुशी हासिल करने के लिए। और अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला, मेहरबान है।[1] **(1)** अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी क़स्मों का खोलना (यानी क़सम तोड़ने के बाद उसके कफ़्फ़ारे का तरीक़ा) मुक़र्रर फ़रमा दिया है, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारा कारसाज़ है। और वह बड़ा जानने वाला, बड़ी हिक्मत वाला है। **(2)** और जबकि पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने अपनी किसी बीवी से एक बात चुपके से फ़रमाई,[2] फिर जब उस बीवी ने वह बात (दूसरी बीवी को) बतला दी और पैग़म्बर को अल्लाह तआ़ला ने (वह्य के ज़रिए से) उसकी ख़बर कर दी, तो पैग़म्बर ने (उस ज़ाहिर कर देने वाली बीवी को) थोड़ी-सी बात तो जतला दी और थोड़ी-सी बात को टाल गए। सो जब पैग़म्बर ने उस बीवी को वह बात जतलाई, वह कहने लगी कि आपको इसकी किसने ख़बर कर दी? आपने फ़रमाया कि मुझको बड़े जानने वाले, ख़बर रखने वाले (यानी ख़ुदा ने) ख़बर कर दी। **(3)** ऐ (पैग़म्बर की) दोनों बीवियो! अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो तुम्हारे दिल माईल हो रहे हैं। और अगर (इसी तरह) पैग़म्बर के मुक़ाबले में तुम दोनों कार्रवाइयाँ करती रहीं तो याद रखो पैग़म्बर का साथी अल्लाह है और जिबराईल है और नेक मुसलमान हैं, और उनके अ़लावा फ़रिश्ते (आपके) मददगार हैं।[3] **(4)** अगर पैग़म्बर तुम औरतों को तलाक़ दे दें तो उनका परवर्दिगार बहुत जल्द तुम्हारे बदले उनको तुमसे अच्छी बीवियाँ दे देगा, जो इस्लाम वाली, ईमान वाली, फ़रमाँबरदारी करने वाली, तौबा करने वाली, इबादत करने वाली, रोज़ा रखने वाली होंगी, कुछ बेवा और कुछ कुँवारियाँ।[4] **(5)** ऐ ईमान वालो! तुम अपने को और अपने घर वालों को

(पिछले पृष्ठ का शेष) के वे भी मोहताज थे।

6. इसमें तमाम उम्मत क़ियामत तक अ़रबी और ग़ैर-अ़रबी सब आ गए। और उनको 'मिन्हुम' इस्लाम के एतिबार से फ़रमाया, क्योंकि मुसलमांन सब मुत्तहिद और एक हैं।

(तफ़सीर पृष्ठ 1004) **1.** यह इसलिए कि गधा उन किताबों के नफ़े से महरूम है। इसी तरह इल्म का असल मक़सूद और नफ़ा अ़मल है, जब यह न हुआ और सिर्फ़ इल्म हासिल करने और याद करने ही में दिक़्क़त और परेशानी उठाई तो बिलकुल ऐसी ही मिसाल हो गई। और गधे को ख़ास करने की वजह यह है कि वह जानवरों में बेवक़ूफ़ मशहूर है, तो इसमें और ज़्यादा बेज़ारी और कराहत हो गई।

2. यहूद ख़ुदा तआ़ला के साथ अपने ताल्लुक़ात जतलाया करते और अपने मक़बूले बारगाह होने पर फ़ख़्र करते। उनके रद्द में यह आयत नाज़िल हुई जिसमें कहा गया कि अगर दूसरों के बजाय तुम ही अल्लाह के दोस्त हो तो मरने की आरज़ू करो, क्योंकि जिसको इस बात का यक़ीन हो जाए कि मैं अल्लाह का प्यारा और लाडला हूँ, मुझे अल्लाह तआ़ला के यहाँ बड़े दर्जे मिलेंगे तो वह बेखटके मौत का इच्छुक होगा, ताकि ज़िन्दगी की तमाम परेशानियों से नजात पाकर जल्दी अल्लाह से जा मिले, और जन्नत का हमेशा का आराम और राहत हासिल करे।

3. बेचने को ख़ास करने की वजह उसके ज़्यादा एहतिमाम के सबब है कि उसके छोड़ने को नफ़े का जाता रहना समझा जाता है।

(पृष्ठ 1004 की बक़िया और पृष्ठ 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016 की तफ़सीर पृष्ठ 1018-1020 पर)

(दोज़ख़ की) उस आग से बचाओ[1] जिसका ईंधन (और सोख़्ता) आदमी और पत्थर हैं। जिसपर सख़्त-मिज़ाज (और) मज़बूत फ़रिश्ते (मुतैयन) हैं, जो ख़ुदा की किसी बात में (ज़रा भी) नाफ़रमानी नहीं करते जो उनको हुक्म देता है। और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसको (फ़ौरन) पूरा करते हैं।[2] **(6)** (और काफ़िरों को दोज़ख़ में दाख़िल करते वक़्त उनसे कहा जाएगा कि) ऐ काफ़िरो! तुम आज उज़्र (और माज़िरत) मत करो (कि बेफ़ायदा है), बस तुमको तो उसकी सज़ा मिल रही है जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते थे। **(7)** ❖

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो।[3] (तौबा का नतीजा फ़रमाते हैं कि) उम्मीद (यानी वायदा) है कि तुम्हारा रब (उस तौबा की बदौलत) तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। (और यह उस दिन होगा) जिस दिन कि अल्लाह तआ़ला नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को और जो मुसलमान (दीन की रू से) उनके साथ हैं, उनको रुस्वा न करेगा।[4] उनका नूर उनके दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा, (और यूँ) दुआ़ करते होंगे कि ऐ हमारे रब! हमारे लिए इस नूर को आख़िर तक रखिए। (यानी राह में बुझ न जाए), और हमारी मग़्फ़िरत फ़रमा दीजिए, आप हर चीज़ पर क़ादिर हैं। **(8)** ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! कुफ़्फ़ार से (तलवारों से) और मुनाफ़िक़ों से (ज़बान से) जिहाद कीजिए और उनपर सख़्ती कीजिए। (दुनिया में तो ये इसके मुस्तहिक़ हैं) और (आख़िरत में) उनका ठिकाना दोज़ख़ है, और वह बुरी जगह है। **(9)** अल्लाह तआ़ला काफ़िरों के लिए नूह (अ़लैहिस्सलाम) की बीवी और लूत (अ़लैहिस्सलाम) की बीवी का हाल बयान फ़रमाता है। वे दोनों हमारे ख़ास बन्दों में से दो बन्दों के निकाह में थीं। सो उन औ़रतों ने उन दोनों बन्दों का हक़ ज़ाया किया, तो वे दोनों नेक बन्दे अल्लाह के मुक़ाबले में उनके ज़रा भी काम न आ सके, और उन दोनों औ़रतों को (काफ़िरा होने की वजह से) हुक्म हो गया कि और जाने वालों के साथ तुम दोनों भी दोज़ख़ में जाओ।[5] **(10)** और अल्लाह तआ़ला मुसलमानों (की तसल्ली) के लिए फ़िरऔ़न की बीवी (हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा) का हाल बयान फ़रमाता है। जबकि उनकी बीवी ने दुआ़ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरे वास्ते जन्नत में अपने नज़दीक में मकान बनाइए और मुझको फ़िरऔ़न (की बुराई) से और उसके अ़मल (यानी कुफ़्र के नुक़सान और असर) से महफ़ूज़ रखिए, और मुझको तमाम ज़ालिम (यानी काफ़िर) लोगों से महफ़ूज़ रखिए।[6] **(11)** (और साथ ही मुसलमानों की तसल्ली के लिए) इमरान की बेटी (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) का हाल बयान करता है, जिन्होंने अपनी आबरू को (हराम और हलाल दोनों से) महफ़ूज़ रखा।[7] सो हमने उनके दामन में अपनी रूह फूँक दी और उन्होंने अपने परवर्दिगार के पैग़ामों की (जो उनको फ़रिश्तों के ज़रिए पहुँचे थे) और उसकी किताबों की तस्दीक़ की। और वह इताअ़त करने वालों में से थीं। **(12)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) 4. यानी उस वक़्त दुनिया के कामों के लिए चलने-फिरने की इजाज़त है।

5. यानी दुनियावी कामों में ऐसे मश्ग़ूल मत हो जाओ कि ज़रूरी अहकाम और इबादतों से ग़ाफ़िल हो जाओ।

6. सरदारे अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमा के दिन खड़े ख़ुतबा दे रहे थे कि हज़रत दह्या कल्बी रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ाफ़िला ग़ल्ले और हर क़िस्म के ख़ुराक के सामान से लदा हुआ मुल्के शाम से मदीना आया। उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में सख़्त क़हत (अकाल) और तंगी थी, और क़ायदा था कि जब कोई क़ाफ़िला सही-सलामत वापस आता तो ख़ुशी के नक़्क़ारे बजाते थे। नक़्क़ारा बजा और जो लोग ख़ुतबा सुन रहे थे, उस आवाज़ पर चल दिए। बहुत थोड़ी मिक़्दार (मात्रा) में हज़रात जिनमें 'अ़श्रा-ए-मुबश्शरा' भी दाख़िल थे, बैठे रह गए। उस वक़्त यह नाराज़गी भरी आयत नाज़िल हुई। लेकिन याद रहे कि जो हज़रात उठकर गए इस्लाम में उनकी इब्तिदाई हालत थी, दूसरे उस वक़्त तक ख़ुतबे से उठने की कोई मनाही नहीं आई थी। इसलिए वह इज्तिहादी ग़लती का शिकार हुए थे। पस किसी मुख़ालिफ़ के लिए एतिराज़ की गुन्जाइश नहीं।

(पृष्ठ 1004 की बक़िया और पृष्ठ 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018 की तफ़सीर पृष्ठ 1020-1022 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) हैज़ (माहवारी) की हालत में तलाक़ दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ऐ अ़ब्दुल्लाह! हैज़ में तलाक़ देनी नाजायज़ है, इसलिए रुजू कर लो। हक़ तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाकर तलाक़ का तरीक़ा तालीम फ़रमा दिया।

2. यानी जैसे बदकारी करने या चोरी करने का जुर्म करें तो सज़ा के लिए निकाली जाएँ, या बाज़ उलमा के क़ौल के मुताबिक़ ज़बान दराज़ी और हर वक़्त का रंज व तकरार रखती हों तो उनको निकाल देना जायज़ है।

3. शरीअ़त में अगरचे ख़ास ज़रूरत और मजबूरी के वक़्त बीवी को तलाक़ देना जायज़ है लेकिन बिना ज़रूरत सख़्त नापसन्दीदा है। इसकी भी ज़्यादा एहतियात रखी गई है कि हैज़ (यानी माहवारी) के दिनों में नहीं, बल्कि पाकी के ज़माने में तलाक़ दी जाए और पाकी की हालत भी वह हो जिसमें मियाँ-बीवी को हमबिस्तरी (सोहबत) करने का इत्तिफ़ाक़ न हुआ हो। फिर उसके बाद तलाक़ पाने वाली अगर बालिग़ा है कि जिसको हैज़ के दिन होते हैं तो उसकी इद्दत तीन हैज़ है, और अगर नाबालिग़ा या इतनी बूढ़ी है कि हैज़ नहीं आता तो तीन महीने। और अगर तलाक़ पाने वाली हामिला (गर्भ से) है तो उसकी इद्दत उस बच्चे का पैदा होना है। इद्दत के ज़माने में औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर तलाक़े रजई के बाद (यानी एक या दो तलाक़ के बाद जबकि उससे पहले कोई तलाक़ न दी हो, इसलिए कि कुल और मजमूए का एतिबार होता है) इद्दत ख़त्म होने से पहले शौहर उस औरत को अपने निकाह में रखना चाहे तो रुजू कर ले, और दो गवाह बना ले ताकि किसी को तोहमत लगाने का मौक़ा हाथ न आए।

4. अगर आख़िरत का नफ़ा, नुक़सान और रिज़्क़ मुराद लिया जाए तब तो ये मायने होंगे कि अ़ज़ाब से नजात देगा और जन्नत का रिज़्क़ देगा। और अगर दुनिया का नफ़ा व नुक़सान मुराद है तो उसके ज़ाहिर होने की कई सूरतें हैं- एक महसूस तरीक़े पर कि वह बला टल जाए और रिज़्क़ वग़ैरह की फ़राख़ी हो जाए, और अक्सर यही होता है। दूसरे बातिनी तौर पर कि उस बला पर सब्र हो जाए कि यह भी नजात है उसके असर से, और थोड़े पर क़नाअ़त हो जाए कि यह भी महसूस किए जाने वाले रिज़्क़ के हुक्म ही में है, सुकून और इत्मीनान के असर में, और ऐसा तो होता ही है। और इसको "ला यह्तसिब" कहना इस मायने में होगा कि बज़ाहिर तो नफ़्स के सुकून का तरीक़ा फ़राख़ी-ए-रिज़्क़ है, क़नाअ़त से सुकून "मिन् हैसु ला यह्तसिब" है।

(तफ़सीर पृष्ठ 1014) **1.** यानी इद्दत में रहने का ठिकाना भी तलाक़ पाने वाली का वाजिब है, लेकिन 'तलाक़े बाईन' में एक मकान में तन्हाई के साथ दोनों का रहना जायज़ नहीं, बल्कि आड़ होना ज़रूरी है।

2. इद्दत गुज़रने तक अपनी तलाक़ दी हुई बीवी को मकान देना शौहर पर लाज़िम है और बच्चे का ख़र्च बाप पर है जब तक बच्चा माँ के पेट में रहे। शौहर तलाक़ दी हुई बीवी को खिलाए-पहनाए और जब पैदा हो तो उसकी माँ ही उसको दूध पिलाए, जो उजरत किसी दूसरी दूध पिलाने वाली को देनी पड़े वही उसकी माँ को दी जाए, क्योंकि वह मुतल्लक़ा हो चुकी और बच्चे की पैदाइश से उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। लेकिन उस मासूम बच्चे की माँ होने के सबब माँ का हक़ दूसरी दूध पिलाने वाली से बहरहाल मुक़द्दम है, बशर्ते कि बच्चे की माँ को दूध पिलाने से इनकार न हो, और दूध पिलाने की उजरत भी दूसरी औरतों से ज़्यादा न माँगे।

3. मतलब यह कि उनके कुफ़्रिया आमाल में से किसी अ़मल को माफ़ नहीं किया, बल्कि सबपर सज़ा तजवीज़ की, और पूछगछ के तौर पर हिसाब मुराद नहीं।

4. डरना यह कि इताअ़त करो।

5. मतलब यह कि जो नसीहत इस रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के ज़रिए से पहुँचे उसपर अ़मल करना भी इताअ़त है।

(तफ़सीर पृष्ठ 1016) **1.** शुरू की आयतों के नाज़िल होने का सबब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरह में इस तरह नक़्ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मामूल शरीफ़ था कि अ़स्र के बाद खड़े-खड़े बीवियों के पास तशरीफ़ लाते। एक बार हज़रत ज़ैनब के पास मामूल से ज़्यादा ठहरे और शहद पिया तो मुझको रश्क आया, मैंने हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मश्विरा किया कि हममें से जिसके पास तशरीफ़ लाएँ वह यूँ कहे कि आपने 'मग़ाफ़ीर' पिया है। (यह एक गोंद है जो बदबूदार होता है) चुनाँचे ऐसा ही हुआ। आपने फ़रमाया कि मैंने तो शहद पिया है, इन बीवियों ने कहा कि शायद कोई मक्खी उस पेड़ पर बैठ गई होगी और उसका रस चूस लिया होगा। आपने क़सम खाकर फ़रमाया कि मैं फिर शहद न पिऊँगा, और इस ख़्याल से कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का जी बुरा न हो इसके छुपाने की ताकीद फ़रमाई, मगर उन बीवी ने दूसरी से कह दिया। और बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा शहद पिलाने वाली हैं और हज़रत आयशा और हज़रत सौदा और हज़रत सफ़िया सलाह-मश्विरा करने वाली हैं।

2. वह बात यह थी कि मैं फिर शहद न पियूँगा, मगर किसी से कहना नहीं।

3. मतलब यह कि तुम्हारी इन साज़िशों से आपका कोई नुक़सान नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही नुक़सान है।

4. बाज़ मस्लहतों से बेवा (विधवा) भी पसन्दीदा होती है- जैसे तजुर्बा, सलीक़ा, हमउम्र होना वग़ैरह, इसलिए इसको भी पसन्दीदा सिफ़्तों में फ़रमाया।

(तफ़सीर पृष्ठ 1018) **1.** अपने को बचाना खुद इताअ़त करना, और घर वालों को बचाना उनको अल्लाह के अहकाम सिखाना और उनपर अ़मल कराने के लिए ज़बान से हाथ से जितनी हो सके कोशिश करना।

2. यहाँ 'नाफ़रमानी' से मुराद दिली नाफ़रमानी है जो इताअ़त के मुक़ाबिल है। यानी न दिल में नाफ़रमानी का ख़्याल होता है, न अ़मल में ख़िलाफ़ करते हैं। या यूँ कहा जाए कि इस मायने में भी नाफ़रमानी नहीं करते कि कहे हुए के ख़िलाफ़ करें, और सुस्ती और देर भी नहीं करते। **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1022 पर)**

उन्तीसवाँ पारः तबा-रकल्लज़ी

67 सूरः मुल्क 77

सूरः मुल्क मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 30 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

वह (खुदा) बड़ा बुलन्द शान वाला है जिसके क़ब्ज़े में तमाम बादशाही है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। **(1)** जिसने मौत और ज़िन्दगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आज़माइश करे कि तुममें कौन शख़्स अ़मल में ज़्यादा अच्छा है।[1] और वह ज़बरदस्त (और) बख़्शने वाला है। **(2)** जिसने सात आसमान ऊपर-नीचे पैदा किए। तू खुदा की इस कारीगरी में कोई ख़लल न देखेगा, सो तू (अब की बार) फिर निगाह डालकर देख ले, कहीं तुझको कोई ख़लल नज़र आता है? **(3)** (यानी बिना सोचे तूने बहुत बार देखा होगा अबकी बार सोच-फ़िक्र से निगाह कर)। फिर बार-बार निगाह डालकर देख (आख़िरकार) निगाह ज़लील और आ़जिज़ होकर तेरी तरफ़ लौट आएगी।[2] **(4)** और हमने क़रीब के आसमान को चिराग़ों (यानी सितारों) से सजा रखा है, और हमने उन (सितारों) को शैतानों को मारने का ज़रिया भी बना दिया है और हमने उन (शैतानों) के लिए (उनके कुफ़्र की वजह से) दोज़ख़ का अ़ज़ाब (भी) तैयार कर रखा है। **(5)** और जो लोग अपने रब (की तौहीद) का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख़ का अ़ज़ाब है, और वह बुरी जगह है। **(6)** जब ये लोग उसमें डाले जाएँगे तो उसकी बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे, और वह इस तरह जोश मारती होगी **(7)** जैसे मालूम होता है कि (अभी) गुस्से के मारे फट पड़ेगी। (और) जब उसमें (काफ़िरों का) कोई गिरोह डाला जाएगा तो उसके मुहाफ़िज़ उन लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला (पैग़म्बर) नहीं आया था?[3] **(8)** वे काफ़िर (एतिराफ़ के तौर पर) कहेंगे कि वाक़ई हमारे पास डराने वाला (पैग़म्बर) आया था, सो (यह हमारी शामत थी कि) हमने (उसको) झुठला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने (अहकाम व किताबें) कुछ नाज़िल नहीं किया, (और) तुम बड़ी ग़लती में पड़े हो।[4] **(9)** और (काफ़िर फ़रिश्तों से यह भी) कहेंगे कि हम अगर सुनते या समझते[5] तो हम दोज़ख़ वालों में (शामिल) न होते। **(10)** ग़रज़ अपने जुर्म का इक़रार करेंगे, सो

(पृष्ठ 1020 का शेष) 3. यानी नाफ़रमानी पर दिल में कामिल शर्मिन्दगी और उसको छोड़ने का पुख़्ता इरादा हो।

4. मक़सूद सिर्फ़ मोमिनों का बयान करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र मिला देना हुक्म में ज़ोर पैदा करने के लिए है। यानी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रुस्वा न करना यक़ीनी है इसी तरह मोमिनों का रुस्वा न होना भी यक़ीनी है। और रुस्वाई से मुराद एक ख़ास रुस्वाई है जो कुफ़्र की जज़ा है। अल्लाह तआ़ला का क़ौल- 'इन्नल् ख़िज़्यल् यौ-म वस्सू-अ अ़लल् काफ़िरीन' की वजह से। और मोमिनों से मुराद आ़म मोमिनीन हैं।

5. यह दावा करना कि यह क़िस्सा हुज़ूरे पाक सल्ल. की पाक बीवियों को सुनाया गया है, सिर्फ़ दावा बिना दलील है। क्योंकि यह क़िस्सा आपकी पाक बीवियों के मज़मून से मुताल्लिक़ नहीं, बल्कि आयत 'कू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम' के मज़मून से मुताल्लिक़ है।

6. या तो यह दुआ़ आ़म हालात में की थी, या एक ख़ास हालत में। जिसका क़िस्सा यह लिखा है कि फ़िरऔ़न को जब अपनी बीवी के मोमिना होने की इत्तिला हो गई तो हुक्म दिया कि चारों हाथ-पैरों में कीलें ठोंक करके धूप में डाल दिया जाए और उनके सीने पर चक्की का पत्थर रखा जाए। उस तकलीफ़ में उन्होंने यह दुआ़ की तो उनको जन्नत में अपना मकान नज़र आ गया जिससे वह तकलीफ़ हल्की हो गई।

7. इसमें उनकी खुद इख़्तियार की हुई और अल्लाह की तरफ़ से अ़ताशुदा ग़ैर-इख़्तियारी पाकीज़गी का बयान है जो कि बुलन्द अख़्लाक़ और ऊँचे हालात में से है।

1. अ़मल के अच्छा होने में मौत का तो यह दख़ल है कि मौत के मुशाहदे से इनसान दुनिया को फ़ानी और मरने के बाद ज़िन्दा होने के एतिक़ाद से आख़िरत को बाक़ी समझकर वहाँ के अ़ज़ाब और सज़ा से बचने के लिए तैयार हो सकता है, और ज़िन्दगी का दख़ल यह है कि अगर ज़िन्दगी न हो तो अ़मल किस वक़्त करे। पस अ़मल के अच्छा होने के लिए **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1024 पर)**

दोज़ख़ियों पर लानत है। **(11)** बेशक जो लोग अपने रब से बेदेखे डरते हैं उनके लिए मग़्फ़िरत और बड़ा अज्र (मुक़र्रर) है। **(12)** और तुम लोग चाहे छुपाकर बात कहो या पुकारकर कहो (उसको सब ख़बर है, क्योंकि) वह दिलों तक की बातों से ख़ूब वाक़िफ़ है।[1] **(13)** (और भला) क्या वह न जानेगा जिसने पैदा किया है? और वह बारीकी से देखने वाला (और) पूरी ख़बर रखने वाला है। **(14)** ❖

वह ऐसा (नेमत देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर दिया[2] सो तुम उसके रास्तों में चलो (फिरो) और ख़ुदा की रोज़ी में से (जो ज़मीन में पैदा की है) खाओ (पियो) और (खा-पीकर उसको भी याद रखना कि) उसी के पास दोबारा ज़िन्दा होकर जाना है।[3] **(15)** क्या तुम उससे बेख़ौफ़ हो गए हो जो कि आसमान में (भी अपना हुक्म व तसर्रुफ़ रखता है) कि वह तुमको ज़मीन में धँसा दे, फिर वह ज़मीन थरथरा (कर उलट-पलट हो) ने लगे। **(16)** या तुम लोग उससे बेख़ौफ़ हो गए हो जो कि आसमान में (भी अपना हुक्म व तसर्रुफ़ रखता) है कि वह तुमपर (क़ौमे आ़द की तरह) एक तेज़ हवा भेज दे[4] (जिससे तुम हलाक हो जाओ)। सो जल्द ही (यानी मरते ही) तुमको मालूम हो जाएगा कि मेरा (अ़ज़ाब से) डराना कैसा (सही) था। **(17)** और उनसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं उन्होंने (दीने हक़ को) झुठलाया था, सो (देख लो उनपर) मेरा अ़ज़ाब कैसा (वाक़ेअ़) हुआ।[5] **(18)** क्या उन लोगों ने अपने ऊपर परिन्दों की तरफ़ नज़र नहीं की, कि पर फैलाए हुए (उड़ते फिरते) हैं, और (कभी उसी हालत में) पर समेट लेते हैं, सिवाय (ख़ुदा-ए-) रहमान के उनको कोई थामे हुए नहीं है। बेशक वह हर चीज़ को देख रहा है (और जिस तरह चाहे उसमें तसर्रुफ़ कर रहा है)। **(19)** हाँ! रहमान के सिवा वह कौन है कि वह तुम्हारा लश्कर बनकर (आफ़तों से) तुम्हारी हिफ़ाज़त कर सके, (और) काफ़िर (जो अपने माबूदों के बारे में ऐसा ख़्याल रखते हैं) तो (वे) ख़ालिस धोखे में हैं। **(20)** (और) हाँ, (यह भी बतलाओ कि) वह कौन है जो तुमको रोज़ी पहुँचा दे अगर अल्लाह तआ़ला अपनी रोज़ी बन्द कर ले, (मगर ये लोग इससे भी मुतास्सिर नहीं होते) बल्कि ये लोग सरकशी और (हक़ से) नफ़रत पर जम रहे हैं।[6] **(21)** सो (जिस काफ़िर का हाल ऊपर सुना है उसको सुनकर सोचो कि) क्या जो शख़्स मुँह के बल गिरता हुआ चल रहा हो वह मन्ज़िले मक़सूद पर ज़्यादा पहुँचने वाला होगा या वह शख़्स जो सीधा एक हमवार सड़क पर चला जा रहा हो।[7] **(22)** आप (उनसे) कहिए कि वही (ऐसा क़ादिर व नेमत देने वाला) है जिसने तुमको पैदा किया, और तुमको कान और आँखें और दिल दिए, (मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। **(23)** (और) आप (यह भी) कहिए कि वही है जिसने तुमको रू-ए-ज़मीन पर फैलाया, और तुम (क़ियामत के दिन) उसी के पास इकट्ठे किए जाओगे। **(24)** और ये लोग (जब क़ियामत का ज़िक्र सुनते हैं तो) कहते हैं कि यह वायदा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो (बतलाओ)। **(25)** आप (जवाब में) कह दीजिए कि यह (उसके सही वक़्त का) इल्म तो ख़ुदा ही को है, और मैं तो सिर्फ़ (ख़ुलासे के तौर पर मगर) साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ। **(26)** फिर जब उस (वायदा किए गए अ़ज़ाब) को पास आता हुआ देखेंगे[1]

(पृष्ठ 1022 का शेष) मौत शर्त के दर्जे में और ज़िन्दगी ज़र्फ़ (यानी एक जगह) के दर्जे में है। और चूँकि मौत पूरी तरह ख़त्म होना नहीं, इसलिए उसपर मख़्लूक़ होने का हुक्म सही है।

2. यानी वह जिस चीज़ को जैसा चाहे बना सकता है। चुनाँचे आसमान को मज़बूत बनाना चाहा तो कैसा बनाया कि एक लम्बी मुद्दत गुज़र जाने के बावजूद अब तक उसमें कोई ख़लल नहीं आया। इसी तरह किसी चीज़ को कमज़ोर और असर क़बूल करने वाली बना दिया। ग़रज़ उसको हर तरह से क़ुदरत है।

3. यह सवाल झिड़कने के तौर पर है।

4. यानी हमारी जमाअ़त के सभी अफ़राद ने तमाम डराने वालों और रसूलों को यूँ कह दिया, जिसका हासिल यह है कि अपने-अपने रसूल को हर एक ने यूँ कह दिया। **(पृष्ठ 1022 की शेष तफ़सीर और पृष्ठ 1024 की तफ़सीर पृष्ठ 1026-1028 पर)**

तो उस वक़्त (ग़म के) मारे काफ़िरों के मुँह बिगड़ जाएँगे, और (उनसे) कहा जाएगा कि यही है वह जिसको तुम माँगा करते थे (कि अ़ज़ाब लाओ, अ़ज़ाब लाओ)। **(27)** आप (उनसे) कहिए कि तुम यह बतलाओ कि अगर ख़ुदा तआ़ला मुझको और मेरे साथ वालों को (तुम्हारी तमन्ना के अनुसार) हलाक कर दे या (हमारी उम्मीद और अपने वायदे के अनुसार) हमपर रहमत फ़रमाए तो काफ़िरों को दर्दनाक अ़ज़ाब से कौन बचा लेगा?[2] **(28)** (और) आप (उनसे यह भी) कहिए कि वह बड़ा मेहरबान है, हम उसपर ईमान लाए और हम उसपर भरोसा करते हैं। सो जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन है। (यानी तुम, जैसा कि हम कहते हैं, या हम जैसा कि तुम कहते हो)। **(29)** आप (यह भी) कह दीजिए कि अच्छा यह बतलाओ कि अगर तुम्हारा पानी (जो कुओं में है) नीचे को उतर कर ग़ायब हो जाए, सो वह कौन है जो तुम्हारे पास सोत का पानी ले आए (यानी कुएँ की सोत को जारी कर दे)।[3] **(30)** ❖

68 सूरः क़लम 2

सूरः क़लम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 52 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

नून। क़सम है क़लम की और (क़सम है) उन (फ़रिश्तों) के लिखने की (जो आमाल के लिखने वाले हैं) **(1)** कि आप अपने रब के फ़ज़्ल से मजनूँ नहीं हैं।[4] (जैसा कि नुबुव्वत के मुन्किर लोग कहते हैं) **(2)** और बेशक आपके लिए (इस अहकाम की तब्लीग़ पर) ऐसा अज्र है जो (कभी) ख़त्म होने वाला नहीं **(3)** और बेशक आप (उम्दा) अख़्लाक़ के आला पैमाने पर हैं।[5] **(4)** सो (उनकी बेहूदा बातों का ग़म न कीजिए, क्योंकि) आप भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे **(5)** कि तुममें किसको जुनून "यानी पागलपन" था।[6] **(6)** आपका परवर्दिगार उसको भी ख़ूब जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है, और वह (सही) राह पर चलने वालों को भी ख़ूब जनता है। **(7)** तो आप उन झुठलाने वालों का (कभी) कहना न मानिए। (जैसा कि अब तक भी नहीं माना)। **(8)** ये लोग चाहते हैं कि आप (अपनी ज़िम्मेदारी यानी तब्लीग़ में) ढीले हो जाएँ तो ये लोग भी ढीले हो जाएँ।[7] **(9)** और आप (ख़ास तौर से) किसी ऐसे शख़्स का कहना न मानें जो बहुत क़स्में खाने वाला हो। (मुराद झूठी क़स्में खाने वाला है)। **(10)** बेवक़्अत हो, ताना देने वाला हो, चुग़लियाँ लगाता फिरता हो, **(11)** नेक काम से रोकने वाला हो, (एतिदाल की) हद से गुज़रने वाला हो, गुनाहों का करने वाला हो, **(12)** और सख़्त मिज़ाज हो, (और) इन (सब) के अ़लावा हरामज़ादा (भी) हो।[8] **(13)** इस सबब से कि वह माल व औलाद वाला हो। **(14)** जब हमारी आयतें उसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वह कहता है कि ये बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती हुई चली आती हैं। **(15)** हम जल्द ही उसकी नाक पर दाग़ लगा देंगे।[9] **(16)** हमने उनकी आज़माइश कर रखी है जैसे हमने बाग़ वालों की

(पिछले पृष्ठ का शेष) 5. यानी पैग़म्बरों के कहने को क़बूल करते और मानते।

(तफ़सीर पृष्ठ 1024) 1. दलील का हासिल यह है कि वह हर चीज़ का पैदा करने वाला और मुख़्तार है। पस तुम्हारे हालात और जो तुम कहते हो उसका भी पैदा करने वाला है, और पैदा करने का इख़्तियार होना पहले से इल्म के साथ होता है, पस इल्म ज़रूरी हुआ। और अक़वाल यानी जो कुछ कहते हैं उसकी तख़्सीस मक़सूद नहीं बल्कि हुक्म आ़म है। इसको ज़िक्र करने की तख़्सीस शायद इस बिना पर हो कि अक़वाल ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। ग़रज़ उसको सब इल्म है, वह हर एक को मुनासिब बदला देगा।

2. चुनाँचे वह तुम्हारे तसर्रुफ़ात की क़ाबलियत रखती है।

3. पस यह इसको चाहता है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो जो कि ईमान लाना व फ़रमाँबरदारी करना है।

4. यानी तुम्हारे कुफ़्र का तक़ाज़ा यही है। **(पृष्ठ 1024 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1026 की तफ़सीर पृष्ठ 1028-1036 पर)**

आज़माइश की थी, जबकि उन लोगों ने (यानी उनमें से अक्सर ने या बाज़ ने) क़सम खाई कि उस (बाग़) का फल ज़रूर सुबह चलकर तोड़ लेंगे। **(17)** और (ऐसा यक़ीन व एतिमाद हुआ कि) उन्होंने इन्शा-अल्लाह भी नहीं कहा। **(18)** सो उस बाग़ पर आपके रबकी तरफ़ से एक फिरने वाला (अ़ज़ाब) फिर गया और वे सो रहे थे। **(19)** फिर सुब्ह को वह बाग़ ऐसा रह गया जैसा कटा हुआ खेत (कि ख़ाली ज़मीन रह जाती है)। **(20)** सो सुबह के वक़्त (सोकर जो उठे तो) एक-दूसरे को पुकार कर कहने लगे **(21)** कि अपने खेत पर सवेरे चलो अगर तुमको फल तोड़ना है। **(22)** फिर वे लोग आपस में चुपके-चुपके बातें करते चले **(23)** कि आज तुम तक कोई मोहताज न आने पाए। **(24)** और (अपने ख़्याल में) अपने को उसके न देने पर क़ादिर समझकर चले। **(25)** फिर जब (वहाँ पहुँचे और) उस बाग़ को (उस हालत में) देखा तो कहने लगे कि हम ज़रूर रास्ता भूल गए। **(26)** बल्कि (जगह तो वही है लेकिन) हमारी क़िस्मत ही फूट गई (कि बाग़ यह हाल हो गया)।[1] **(27)** उनमें जो किसी क़द्र अच्छा आदमी था वह कहने लगा कि क्या मैंने तुमको कहा न था, अब (तौबा और) तस्बीह क्यों नहीं करते। **(28)** सब (तौबा के तौर पर) कहने लगे कि हमारा परवर्दिगार पाक है, बेशक हम ख़तावार हैं। **(29)** फिर एक-दूसरे को मुख़ातब बनाकर आपस में इल्ज़ाम देने लगे। **(30)** (फिर सब मुत्तफ़िक़ होकर) कहने लगे बेशक हम हद से निकलने वाले थे। (सब मिलकर तौबा कर लो) **(31)** शायद (तौबा की बरकत से) हमारा परवर्दिगार हमको उससे अच्छा बाग़ उसके बदले दे दे, (अब) हम अपने रब की तरफ़ रुजू होते हैं।[2] **(32)** इस तरह अ़ज़ाब हुआ करता है[3] और आख़िरत का अ़ज़ाब इस (दुनियावी अ़ज़ाब) से भी बढ़कर है। क्या अच्छा होता कि ये लोग (इस बात को) जान लेते (ताकि ईमान ले आते)। **(33)** ❖

इसमें कोई शक नहीं कि परहेज़गारों के लिए उनके रबके पास राहत व आराम की जन्नतें हैं। **(34)** क्या हम फ़रमाँबरदारों को नाफ़रमानों के बराबर कर देंगे? **(35)** तुमको क्या हुआ, तुम कैसा फ़ैसला करते हो? **(36)** क्या तुम्हारे पास कोई (आसमानी) किताब है जिसमें पढ़ते हो **(37)** कि उसमें तुम्हारे लिए वह चीज़ (लिखी) हो जिसको तुम पसन्द करते हो। **(38)** क्या हमारे ज़िम्मे कुछ क़स्में चढ़ी हुई हैं जो तुम्हारी ख़ातिर से खाई गई हों, और क़स्में क़ियामत तक बाक़ी रहने वाली हों (जिनका मज़मून यह हो) कि तुमको वे चीज़ें मिलेंगी जो तुम फ़ैसला कर रहे हो (यानी सवाब व जन्नत)। **(39)** उनसे पूछिए कि उनमें उसका कौन ज़िम्मेदार है। **(40)** क्या उनके ठहराए हुए (ख़ुदाई में) कुछ शरीक हैं? सो उनको चाहिए कि ये अपने उन शरीकों को पेश करें अगर ये सच्चे हैं। **(41)** (वह दिन याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन साक़ "यानी

(पिछले पृष्ठ का शेष) **5.** इससे साफ़ मालूम हुआ कि कुफ़्र क़ाबिले नफ़रत है। पस अगर किसी हिक्मत से यहाँ अ़ज़ाब टल गया तो दूसरे आ़लम में वईद व धमकी के मुताबिक़ ज़ाहिर होगा।

6. ख़ुलासा यह कि तुम्हारे बातिल माबूद न नुक़सान के हटाने पर क़ादिर हैं और न नफ़ा पहुँचाने पर क़ादिर हैं। फिर उनकी इबादत बिलकुल बेवक़ूफ़ी है।

7. यही हाल है मोमिन और काफ़िर का, कि मोमिन के चलने का रास्ता भी दीने मुस्तक़ीम है और चलता भी है वह सीधा होकर, और कमी-बेशी से बचकर। और काफ़िर के चलने का रास्ता भी टेढ़ा और गुमराही का है और चलने में भी हर वक़्त हलाकत के गढ़ों में गिरता और ख़तरनाक रास्तों पर चलता जाता है, पस ऐसी हालत में क्या मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचेगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 1026) **1.** पास आता हुआ देखना यह कि आमाल का मुहासबा होगा। दोज़ख़ में जाने का हुक्म होगा जिससे यक़ीन हो जाएगा कि अब अ़ज़ाब सर पर आया।

2. क़ुरैश के काफ़िर हज़रत सरदारे अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और सहाबा-ए-किराम रिज़यल्लाहु अ़न्हुम को बद-दुआ़एँ देते और कोस्ते थे। हक़ तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई जिसमें मोमिनों को इस जवाब की तल्क़ीन की गई कि अच्छा साहिबो! अगर तुम्हारी तमन्ना के मुवाफ़िक़ हम दुनिया से **(पृष्ठ 1026 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1028 की तफ़सीर पृष्ठ 1030-1040 पर)**

पिन्डली" की तजल्ली फ़रमाई जाएगी[1] और सज्दे की तरफ़ लोगों को बुलाया जाएगा[2] सो ये (काफ़िर) लोग सज्दा न कर सकेंगे। **(42)** (और) उनकी आँखें (शर्मिन्दगी के मारे) झुकी होंगी (और) साथ ही उनपर ज़िल्लत छाई होगी। और (वजह इसकी यह है कि) ये लोग (दुनिया में) सज्दे की तरफ़ बुलाए जाया करते थे और वे सही सालिम थे (यानी उसपर क़ादिर थे)।[3] **(43)** और जो इस कलाम को झुठलाते हैं उनको (इस मौजूदा हाल पर) रहने दीजिए। हम उनको धीरे-धीरे (जहन्नम की तरफ़) लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि उनको ख़बर भी नहीं। **(44)** और (दुनिया में अ़ज़ाब नाज़िल कर डालने से) उनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है। **(45)** क्या आप उनसे कुछ बदला माँगते हैं कि वे उस तावान से दबे जाते हैं। (इसलिए आपकी इताअ़त से नफ़रत है)। **(46)** या उनके पास ग़ैब (का इल्म) है कि ये (उसको) लिख लिया करते हैं। **(47)** तो आप अपने रब की (इस) तजवीज़ पर सब्र से बैठे रहिए और (तंगदिली में) मछली (के पेट में जाने) वाले पैग़म्बर[4] (यूनुस अ़लैहिस्सलाम) की तरह न होइए जबकि उन्होंने (यानी यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने) दुआ़ की और वह ग़म से घुट रहे थे। **(48)** अगर ख़ुदावन्दी एहसान उनकी मदद न करता तो वह (जिस) मैदान में (मछली के पेट से निकालकर डाले गए थे उसी) बदहाली के साथ डाले जाते (मदद करने से मुराद तौबा का क़बूल करना है)। **(49)** फिर उनके रब ने उनको और मक़बूल कर लिया और उनको नेकों में से कर दिया। **(50)** और ये काफ़िर जब क़ुरआन सुनते हैं तो (अपने हद दर्जा बैर और दुश्मनी की वजह से) ऐसे मालूम होते हैं कि गोया आपको अपनी निगाहों से फ़ुसला कर गिरा देंगे।[5] (यह एक मुहावरा है)। और (उसी दुश्मनी की वजह से आपके बारे में) कहते हैं कि यह मजनूँ है। **(51)** हालाँकि यह क़ुरआन (जिसके साथ आप बात फ़रमाते हैं) तमाम जहान के वास्ते नसीहत है। ◆ **(52)** ❖

69 सूरः हाक़्क़ः 78

सूरः हाक़्क़ः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 52 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

वह होने वाली चीज़ **(1)** कैसी कुछ है वह होने वाली चीज़। **(2)** और आपको कुछ ख़बर है कि कैसी कुछ है वह होने वाली चीज़ (यह बार-बार पूछना डराने और उसका हौलनाक होना बयान करने के लिए है)।[6] **(3)** समूद और आ़द ने उस खड़खड़ाने वाली चीज़ (यानी क़ियामत) को झुठलाया। **(4)** सो समूद तो एक ज़ोरदार आवाज़ से हलाक कर दिए गए। **(5)** और आ़द जो थे सो वह एक तेज़ व तुन्द हवा से हलाक किए गए। **(6)** जिसको अल्लाह तआ़ला ने उनपर सात रात और आठ दिन लगातार मुसल्लत कर दिया था।

(पिछले पृष्ठ का शेष) उठ ही गए या अल्लाह के वायदे के मुताबिक़ उसकी रहमत से नावाज़े गए, ग़रज़ जो कुछ भी हमारे साथ मामला होगा वह दुनिया ही में होगा और अन्जाम उसका भलाई के सिवा कुछ नहीं। मगर अपनो कहो कि तुमपर जो मुसीबत आने वाली है उसको कौन रोक लेगा? ग़रज़ अपनी फ़िक्र छोड़कर दूसरों के पीछे पड़ना कहाँ की अ़क़्लमन्दी है।

3. यह पानी जो तुम पीते हो, ज़मीन के अन्दर उतर जाए या बिलकुल सूखकर ख़त्म हो जाए तो अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो पानी ला मौजूद करे। जब यह आयत एक बार किसी मश्हूर मुलहिद (यानी ख़ुदा का इनकार करने वाले) ने सुनी तो बड़े ग़ुरूर से कहने लगा कि हम पहाड़ों के बीच में ज़मीन खोदकर पानी निकालेंगे। उसपर उसकी आँखों की तरी सूख गई और फ़ौरन अन्धा हो गया। ग़रज़ क़ुदरत की तरफ़ से उसका **(पृष्ठ 1026 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1028, 1030 की तफ़सीर पृष्ठ 1032-1044 पर)**

सो (ऐ मुख़ातब! अगर) तू (उस वक़्त मौजूद होता) तो उस क़ौम को इस तरह गिरा हुआ देखता कि गोया वह गिरी हुई खजूरों के तने (पड़े) हैं। **(7)** सो क्या तुझको उनमें का कोई बचा हुआ नज़र आता है? (यानी बिलकुल ख़ात्मा हो गया)। **(8)** और (इसी तरह) फ़िरऔन ने और उससे पहले लोगों ने और (क़ौमे लूत की) उल्टी हुई बस्तियों ने बड़े-बड़े कुसूर किए (यानी कुफ़्र व शिर्क, उसपर उनके पास रसूल भेजे गए)। **(9)** सो उन्होंने अपने रब के रसूल का कहना न माना तो अल्लाह ने उनको बहुत सख़्त पकड़ा, (यानी) हमने। **(10)** जबकि (नूह अ़लैहिस्सलाम के वक़्त में) पानी को तुग़यानी "यानी हद से ज़्यादा बढ़ोतरी और उफ़ान" हुई तो तुमको कश्ती में सवार किया (और बाक़ी को ग़र्क़ कर दिया) **(11)** ताकि हम उस मामले को तुम्हारे लिए यादगार (और इबरत) बनाएँ, और याद रखने वाले कान उसको याद रखें। **(12)** फिर जब सूर में एक ही बार में फूँक मारी जाएगी (मुराद पहली फूँक मारना है) **(13)** और (उस वक़्त) ज़मीन और पहाड़ (अपनी जगह से) उठा लिए जाएँगे, फिर दोनों एक ही दफ़ा में टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँगे। **(14)** तो उस दिन होने वाली चीज़ हो पड़ेगी। **(15)** और आसमान फट जाएगा और वह (आसमान) उस दिन बिलकुल बोदा होगा।[1] **(16)** और फ़रिश्ते (जो आसमान में फैले हुए हैं) उसके किनारे पर आ जाएँगे[2] और आपके परवर्दिगार के अ़र्श को उस दिन आठ फ़रिश्ते उठाए होंगे।[3] **(17)** जिस दिन (ख़ुदा के सामने हिसाब के वास्ते) तुम पेश किए जाओगे (और) तुम्हारी कोई बात (अल्लाह तआ़ला से) छुपी न होगी। **(18)** (फिर आमालनामे हाथ में दिए जाएँगे तो) जिस शख़्स का आमालनामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वह तो (ख़ुशी के मारे आस-पास वालों से) कहेगा कि लो मेरा आमालनामा पढ़ो।[4] **(19)** मेरा (तो पहले ही से) एतिक़ाद था कि मुझको मेरा हिसाब पेश आने वाला है।[5] **(20)** ग़रज़ वह शख़्स पसन्दीदा ऐश **(21)** यानी आ़लीशान जन्नत में होगा। **(22)** जिसके मेवे (इस क़द्र) झुके होंगे (कि जिस हालत में चाहेंगे) ले सकेंगे **(23)** (और हुक्म होगा कि) खाओ-पियो मज़े के साथ उन आमाल के सिले में जो तुमने गुज़िश्ता दिनों (यानी दुनिया में रहने के दौरान) में किए हैं। **(24)** और जिसका आमालनामा उसके बाएँ हाथ में दिया जाएगा, सो वह (बहुत ही हसरत से) कहेगा, क्या अच्छा होता कि मुझको मेरा आमालनामा ही न मिलता। **(25)** और मुझको यह ख़बर ही न होती कि मेरा हिसाब क्या है। **(26)** क्या अच्छा होता कि (पहली) मौत ही ख़ात्मा कर चुकती। **(27)** (अफ़सोस) मेरा माल मेरे कुछ काम न आया। **(28)** मेरा रुतबा और पद (भी) मुझसे गया गुज़रा।[6] **(29)** (ऐसे शख़्स के लिए फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि) उस शख़्स को पकड़ लो और उसको तौक़ पहना दो **(30)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) उसका यह जवाब दिया गया कि पहाड़ों पर जाकर पानी निकालना तो लम्बी प्रक्रिया है, तुम अपनी आँखों की तरी (यानी नमी और गीलापन) ही वापस लाकर अपने दावे का अ़मली सुबूत पेश कर दो।

4. सैफ़ुल्लाह हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बाप वलीद बिन मुग़ीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दुश्मनों की पहली सफ़ में था। उसने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दीवाना कहा। हक़ तआ़ला ने उसके जवाब में सूरः क़लम नाज़िल फ़रमाकर उसकी एक छोटी ऐबजोई के जवाब में उसकी दस ख़स्लतें ज़ाहिर फ़रमा दीं।

5. चुनाँचे आपका हर काम एतिदाल लिए हुए और अल्लाह की रिज़ा के मुताबिक़ है।

6. यानी पागलपन की हक़ीक़त अ़क़्ल का ख़राब होना है। और अ़क़्ल का काम नफ़े व नुक़सान को समझना और असल नफ़ा व नुक़सान वह है जो हमेशा का हो। पस क़ियामत में उनको भी मालूम हो जाएगा कि अ़क़्ल वाले अहले हक़ थे जिन्होंने उस नफ़े को हासिल किया, और मजनूँ यानी पागल ये ख़ुद थे जो उस नफ़े से महरूम रहकर हमेशा के नुक़सान में मुब्तला हुए।

(पृष्ठ 1026 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1028, 1030, 1032 की तफ़सीर पृष्ठ 1034-1045 पर)

फिर उसको दोज़ख़ में दाख़िल कर दो। **(31)** फिर एक ऐसी ज़न्जीर में जिसकी पैमाइश सत्तर गज़ है[1] उसको जकड़ दो **(32)** यह शख़्स अल्लाह पर ईमान न रखता था।[2] **(33)** और (वह ख़ुद तो किसी को क्या देता औरों को भी) ग़रीब आदमी के खिलाने की तरग़ीब न देता था (इसलिए अ़ज़ाब का हक़दार हुआ)।[3] **(34)** सो आज उस शख़्स का न कोई दोस्त है **(35)** और न उसको कोई खाने की चीज़ नसीब है, सिवाय ज़ख़्मों के धोवन के[4] **(36)** जिसको बड़े गुनाहगारों के सिवा कोई न खाएगा। **(37)** ❖

फिर (बदला देने का मज़मून बयान करने के बाद) मैं क़सम खाता हूँ उन चीज़ों की भी जिनको तुम देखते हो **(38)** और उन चीज़ों की भी जिनको तुम नहीं देखते[5] **(39)** कि यह क़ुरआन (अल्लाह तआ़ला का) कलाम है एक इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते का लाया हुआ है (पस जिसपर आया वह ज़रूर रसूल है)। **(40)** और यह किसी शायर का कलाम नहीं है जैसा कि कुफ़्फ़ार (आपको शायर कहते थे, मगर) तुम बहुत कम ईमान लाते हो।[6] **(41)** और न किसी काहिन "यानी अन्दाज़े से ग़ैब की बातें बताने वाले" का कलाम है (जैसा कि बाज़ कुफ़्फ़ार आपको कहते थे), तुम बहुत कम समझते हो। **(42)** रब्बुल-आ़लमीन की तरफ़ से भेजा हुआ (कलाम) है। **(43)** और अगर यह (पैग़म्बर) हमारे ज़िम्मे कुछ (झूठी) बातें लगा देते **(44)** तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ते **(45)** फिर हम उनकी दिल की रग काट डालते। **(46)** फिर तुममें कोई उनका इस सज़ा से बचाने वाला भी न होता।[7] **(47)** और बिला शुब्हा यह क़ुरआन परहेज़गारों के लिए नसीहत है। **(48)** और हमको मालूम है कि तुममें बाज़े झुठलाने वाले भी हैं (पस हम उनको उसकी सज़ा देंगे)। **(49)** और (इस एतिबार से) यह क़ुरआन काफ़िरों के हक़ में हसरत का सबब है। **(50)** और यह क़ुरआन तहक़ीक़ी यक़ीनी बात है। **(51)** सो (जिसका यह कलाम है) अपने (उस) अ़ज़ीम शान वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह कीजिए। **(52)** ❖

70 सूरः मआ़रिज 79

सूरः मआ़रिज मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 44 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

एक दरख़्वास्त करने वाला[8] (इनकार करने के तौर पर) उस अ़ज़ाब की दरख़्वास्त करता है जो वाक़ेअ़ होने वाला है **(1)** काफ़िरों पर, (और) जिसका कोई दूर करने वाला नहीं। **(2)** और जो कि अल्लाह की तरफ़ से वाक़ेअ़ होगा जो कि सीढ़ियों का (यानी आसमानों का) मालिक है। **(3)** (जिन सीढ़ियों से) फ़रिश्ते और (मोमिनों की) रूहें उसके पास चढ़कर जाती हैं[9] (और वह अ़ज़ाब) ऐसे दिन में होगा जिसकी मिक़्दार (यानी मात्रा दुनिया के) पचास हज़ार साल के (बराबर) है।[10] **(4)** सो आप (उनकी मुख़ालफ़त पर) सब्र कीजिए, और

(पिछले पृष्ठ का शेष) 7. यानी काफ़िरों का दिली मन्शा यह है कि आप अपने फ़रीज़े और ज़िम्मेदारी यानी तब्लीग़ को छोड़ दें या उसमें कमी कर दें और बुतपरस्ती की निन्दा भी छोड़ दें तो वे भी ढीले पड़ जाएँगे और दीने इस्लाम की मुख़ालफ़त में मौजूदा गर्मजोशी का इज़हार न करेंगे।

8. "ज़नीम" अ़रब की लुग़त में उस शख़्स को कहते हैं जो अपने आपको किसी दूसरी क़ौम या ख़ानदान की तरफ़ मन्सूब करे, यह आयत

(पृष्ठ 1026 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1028, 1030, 1032, 1034 की तफ़सीर पृष्ठ 1036-1046 पर)

सब्र भी ऐसा जिसमें शिकायत का नाम न हो। **(5)** ये लोग उस दिन को (इस वजह से कि ये उसके आने के इनकारी हैं) दूर देख रहे हैं। **(6)** और हम उसको (ज़ाहिर होने के एतिबार से) क़रीब देख रहे हैं। **(7)** (वह अ़ज़ाब उस दिन वाक़ेअ़ होगा) जिस दिन (कि आसमान रंग में) तेल तलछट की तरह हो जाएगा। **(8)** और (उस दिन) पहाड़ रंगीन ऊन की तरह (जो कि धुनी हुई हो) हो जाएँगे (यानी उड़ते फिरेंगे)। **(9)** और (उस दिन) कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा **(10)** इसके बावजूद कि एक-दूसरे को दिखा भी दिए जाएँगे।[1] (और उस दिन) मुज्रिम (यानी काफ़िर) इस बात की तमन्ना करेगा कि उस दिन के अ़ज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटों को **(11)** और बीवी को और भाई को **(12)** और कुन्बे को जिनमें वह रहता था **(13)** और तमाम ज़मीन पर रहने वालों को अपने फ़िदये में दे दे, फिर यह (फ़िदये में दे देना) उसको (अ़ज़ाब से) बचा ले।[2] **(14)** यह हरगिज़ न होगा, (बल्कि) वह आग ऐसी भड़कती हुई है **(15)** जो खाल (तक) उतार देगी **(16)** (और) वह उस शख़्स को (ख़ुद) बुलाएगी जिसने (दुनिया मे हक़ से) पीठ फेरी होगी और (अल्लाह व उसके रसूल की बात मानने से) बेरुख़ी की होगी। **(17)** और जमा किया होगा फिर उसको उठा-उठाकर रखा होगा।[3] **(18)** इनसान कम-हिम्मत पैदा हुआ है।[4] **(19)** जब उसको तकलीफ़ पहुँचती है तो (ज़रूरत से ज़्यादा) चीख़-पुकार करने लगता है। **(20)** और जब उसको ख़ुशहाली और फ़रागत होती है तो (अपने ज़िम्मे वाजिब हुक़ूक़ से) बुख़्ल करने लगता है। **(21)** मगर वह नमाज़ी (यानी मोमिन) **(22)** जो अपनी नमाज़ पर बराबर तवज्जोह रखते हैं[5] **(23)** और जिनके मालों में हक़ है **(24)** सवाली और बे-सवाली सबका।[6] **(25)** और जो क़ियामत के दिन का एतिक़ाद रखते हैं **(26)** और जो अपने परवर्दिगार के अ़ज़ाब से डरने वाले हैं। **(27)** (और) वाक़ई उनके रब का अ़ज़ाब बेख़ौफ़ होने की चीज़ नहीं (यह एक अलग और ग़ैर-मुताल्लिक़ जुम्ले के तौर पर है)। **(28)** और जो अपनी शरमगाहों को (हराम से) महफ़ूज़ रखने वाले हैं। **(29)** लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बाँदियों से (हिफ़ाज़त नहीं करते), क्योंकि उनपर (उसमें) कोई इल्ज़ाम नहीं। **(30)** हाँ! जो उसके अ़लावा (और जगह अपनी शहवत पूरी करने का) ततबगार हो, ऐसे लोग (शरई) हद से निकलने वाले हैं। **(31)** और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हुई) अमानतों और अपने अ़हद का ख़्याल रखने वाले हैं। **(32)** और जो अपनी गवाहियों को ठीक-ठीक अदा करते हैं, **(33)** और जो अपनी (फ़र्ज़) नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं। **(34)** (बस) ऐसे लोग जन्नतों में इज़्ज़त से दाख़िल होंगे। **(35)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) वलीद बिन मुग़ीरा मख़्ज़ूमी के बारे में नाज़िल हुई थी, जिसमें दूसरी बुराइयों के अ़लावा यह बुराई भी थी कि अपने आपको एक और ख़ानदान की तरफ़ मन्सूब करता था।

9. उसकी नाक को अपमान करने के तौर पर सूँड से ताबीर फ़रमाया, जैसे किसी आदमी के मुँह को थोतड़ी कह दिया जाए जिसका इस्तेमाल उमूमन कुत्ते के लिए होता है। हक़ तआ़ला क़ियामत के दिन उसके चेहरे और नाक पर ज़िल्लत और पहचान की कोई निशानी रख देगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 1028) **1.** 'सनआ़' शहर से थोड़े फ़ासले पर एक बाग़ था जिस दिन उसके फल तोड़े जाते शहर के फ़ुक़रा व मसाकीन जमा हो जाते। मालिक का मामूल यह था कि अपने साल भर के गुज़ारे के लिए उसमें से निकालकर बाक़ी तमाम ग़ल्ला और फल फ़क़ीरों और मोहताजों में ख़ैरात कर देता था। इससे उसको बड़ी बरकत और तरक़्क़ी थी। जब मालिक का इन्तिक़ाल हो गया तो उसके पाँच बेटे वारिस हुए। फल तोड़ने का दिन आया तो पाँचों भाई आपस में कहने लगे कि हमसे ख़ैरात करने में बाप की पैरवी न हो सकेगी। ये फल जो मसाकीन ले जाते हैं अपने ही काम आएँ तो अच्छा है। चलो सुबह-सवेरे ऐसे वक़्त में फल तोड़ लाएँ कि किसी को मालूम न हो सके। जब ग़रीब व मिसकीन लोग अपने वक़्त पर आएँगे तो कटा-कटाया पाएँगे। उनको अपनी इस तदबीर की कामयाबी का यहाँ तक यक़ीन था

(पृष्ठ 1028 की बकिया तफ़सीर और पृष्ठ 1030, 1032, 1034, 1036 की तफ़सीर पृष्ठ 1038-1046 पर)

तो काफ़िरों को क्या हुआ कि (इन मज़ामीन के झुठलाने को) आपकी तरफ़ दौड़े आ रहे हैं। (36) दाहिने और बाएँ से जमाअतें बनकर।[1] (37) क्या उनमें हर शख़्स इसकी हवस रखता है कि वह राहत व आराम की जन्नत में दाख़िल होगा। (38) यह हरगिज़ न होगा, हमने उनको ऐसी चीज़ से पैदा किया है जिसकी उनको भी ख़बर है।[2] (39) फिर (दूसरे तौर पर क़ियामत के क़ायम होने के लिए) मैं क़सम खाता हूँ पूरबों और पश्चिमों के मालिक की कि हम इसपर क़ादिर हैं (40) कि (दुनिया ही में) उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएँ (यानी पैदा कर दें) और हम (इससे) आ़जिज़ नहीं हैं।[3] (41) तो आप उनको इसी शग़ल और तफ़रीह में रहने दीजिए यहाँ तक कि उनको अपने उस दिन से साबक़ा पड़े जिसका उनसे वायदा किया जाता है (42) जिस दिन ये क़ब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी इबादतगाह की तरफ़ दौड़े जाते हैं। (43) (और) उनकी आँखें (शर्मिन्दगी की वजह से) नीचे को झुकी होंगी (और) उनपर ज़िल्लत छाई होगी। (बस) यह है उनका वह दिन जिसका उनसे वायदा किया जाता था (जो कि अब ज़ाहिर हुआ)। (44) ◆

71 सूरः नूह 71

सूरः नूह मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 28 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

हमने[4] नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम के पास (पैग़म्बर बनाकर) भेजा था कि तुम अपनी क़ौम को (कुफ़्र के वबाल से) डराओ, इससे पहले कि उनपर दर्दनाक अ़ज़ाब आए।[5] (1) उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा कि ऐ मेरी क़ौम! मैं तुम्हारे लिए साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ। (2) (और कहता हूँ) कि तुम अल्लाह की इबादत (यानी तौहीद इख़्तियार) करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो (3) तो वह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको वक़्ते मुक़र्रर (यानी मौत के वक़्त) तक (बिना सज़ा के) मोहलत देगा। अल्लाह तआ़ला का मुक़र्रर किया हुआ वक़्त (है), जब (वह) आ जाएगा तो टलेगा नहीं। क्या ख़ूब होता अगर तुम (इन बातों को) समझते।[6] (4) (जब लम्बी मुद्दत तक इन नसीहतों का कुछ असर क़ौम पर न हुआ तो) नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (हक़ तआ़ला से) दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! मैंने अपनी क़ौम को रात को भी और दिन को भी (हक़ दीन की तरफ़) बुलाया। (5) सो मेरे बुलाने पर (दीन से) और ज़्यादा भागते रहे। (6) और (वह भागना यह हुआ कि) मैंने जब कभी उनको (हक़ दीन की तरफ़) बुलाया ताकि (ईमान के सबब) आप उनको बख़्श दें तो उन लोगों

(पिछले पृष्ठ का शेष) कि इन्शा-अल्लाह भी न कहा। यहाँ भाइयों में ये मश्विरे हो रहे थे और वहाँ रात ही को बाग़ में आग लग गई जो सारे बाग़ का सफ़ाया कर गई। बाग़ की यह हालत हो गई थी कि पहचाना न जा सकता था। पहले तो उन्हें यह ख़्याल हुआ कि हम रास्ता भूलकर किसी और जगह पहुँच गए हैं, लेकिन ग़ौर किया तो पहचाना कि वही जगह और वही मक़ाम है, तब कहने लगे कि हाय हमारी किस्मत ही फूट गई।

2. जब उस भाई ने जो उनमें सबसे ज़्यादा दीनदार और समझदार था, उन्हें ख़बरदार किया कि जब तुम इन्शा-अल्लाह कहे बग़ैर फल तोड़ने का इरादा कर रहे थे तो मैंने तुम्हें मश्विरा दिया था कि अल्लाह की तस्बीह करो यानी इन्शा-अल्लाह कहो, क्योंकि उसकी मरज़ी के बग़ैर

(पृष्ठ 1028 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1030, 1032, 1034, 1036, 1038 की तफ़सीर पृष्ठ 1040-1047 पर)

ने अपनी उँगलियाँ अपने कानों में दे लीं (ताकि हक़ बात को सुनें भी नहीं), और (यह कि हद दर्जे नफ़रत की वजह से) अपने कपड़े (अपने ऊपर) लपेट लिए और इसरार किया और (मेरी इताअ़त से) हद दर्जे का तकब्बुर किया।[1] (7) फिर (भी) मैंने उनको बुलन्द आवाज़ से बुलाया।[2] (8) फिर मैंने उनको (ख़ुसूसी तौर पर ख़िताब करके) ऐलानिया समझाया और उनको बिलकुल ख़ुफ़िया भी समझाया। (9) और (उस समझाने में) मैंने (उनसे यह) कहा कि तुम अपने रब से गुनाह बख़्शवाओ बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला है। (10) कसरत से तुमपर बारिश भेजेगा। (11) और तुम्हारे माल और औलाद में तरक़्क़ी देगा, और तुम्हारे लिए बाग़ लगा देगा, और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा।[3] (12) (मैंने उनसे यह भी कहा कि) तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह की बड़ाई के मोतक़िद नहीं हो? (वरना शिर्क न करते)। (13) हालाँकि उसने तुमको तरह-तरह से बनाया। (14) क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने किस तरह सात आसमान ऊपर-तले पैदा किए (15) और उनमें चाँद को नूर (की चीज़) बनाया और सूरज को (एक रोशन) चिराग़ (की तरह) बनाया। (16) और अल्लाह तआ़ला ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास तौर पर पैदा किया। (17) फिर तुमको (मौत के बाद) ज़मीन ही में ले जाएगा और (क़ियामत में फिर इसी ज़मीन से) तुमको बाहर ले आएगा। (18) और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श (की तरह) बनाया (19) ताकि तुम उसके खुले रास्तों में चलो[4] (20) ❖

(और यह सब गुफ़्तगू और वाक़िआ़ अ़र्ज़ करके) नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (यह) कहा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! उन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना और ऐसे शख़्सों की पैरवी की कि जिनके माल और औलाद ने उनको नुक़सान ही ज़्यादा पहुँचाया।[5] (21) और (उन्होंने जिनकी पैरवी की है वे ऐसे हैं कि) जिन्होंने (हक़ के मिटाने के लिए) बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं। (22) और जिन्होंने (अपने पैरोकारों से) कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और (ख़ास तौर पर) 'वुद्द' को और न 'सुवा' को और न 'यग़ूस' को और 'यऊक़' को और 'नसूर' को छोड़ना।[6] (23) और उन (सरदार) लोगों ने बहुतों को (बहका-बहकाकर) गुमराह कर दिया, और (अब आप) उन ज़ालिमों की गुमराही और बढ़ा दीजिए।[7] (24) (उन लोगों का अन्जाम यह हुआ कि) अपने इन गुनाहों के सबब वे ग़र्क़ किए गए, फिर (ग़र्क़ होने के बाद) दोज़ख़ में दाख़िल किए गए। और ख़ुदा के सिवा उनको कोई हिमायती मयस्सर न हुए। (25) और नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (यह भी) कहा कि ऐ मेरे

(पिछले पृष्ठ का शेष) कामयाबी मुहाल है। मगर तुमने तवज्जोह न की और उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा, तब वे सब शर्मिन्दा हुए और ग़लती का इक़रार किया और तौबा की। हक़ तआ़ला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमाई और उस बाग़ के बदले में उनको एक और बाग़ अ़ता फ़रमाया जिसमें से ख़च्चर भर-भरकर अँगूर बाहर जाते थे। बज़ाहिर मालूम होता है कि ये लोग मोमिन थे जो पहले बुख़्ल के मुर्तकिब हुए मगर बाद में तौबा कर ली थी।

3. ऐ मक्का वालो! तुम भी ऐसे ही अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हो बल्कि इससे भी ज़्यादा के, क्योंकि जिस अ़ज़ाब का ज़िक्र किया गया वह तो महज़ नाफ़रमानी पर था, तुम तो कुफ़्र करते हो।

(तफ़सीर पृष्ठ 1030) 1. पिंडली खोल दिया जाना अ़रब ज़बान का एक मुहावरा है जिससे किसी काम की सख़्ती और मुसीबत का आना मुराद होता है। इस मुहावरे की बिना शायद यह हो कि जब इनसान को कोई मुश्किल काम करना पड़ता है तो वह पाजामा पिंडली से ऊपर चढ़ाकर मुस्तैदी के साथ उस काम को अन्जाम देता है। पस मतलब यह है कि वह दिन याद करने के क़ाबिल है जिसमें मुसीबत और सख़्ती का सामना होगा। और चूँकि काफ़िरों ने दुनिया में अल्लाह के अहकाम को तस्लीम नहीं किया था और सज्दे की सआ़दत से महरूम रहे थे **(पृष्ठ 1030 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1032, 1034, 1036, 1038, 1040 की तफ़सीर पृष्ठ 1042-1047 पर)**

परवर्दिगार! काफ़िरों में से ज़मीन पर एक रहने वाला भी मत छोड़। (26) (क्योंकि) अगर आप उनको रू-ए-ज़मीन पर रहने देंगे तो आपके बन्दों को गुमराह ही कर देंगे, और (आगे भी) उनके महज़ बुरी और काफ़िर ही औलाद पैदा होगी। (27) ऐ मेरे रब! मुझको और मेरे माँ-बाप को[1] और जो मोमिन होने की हालत में मेरे घर में दाख़िल हैं उनको (यानी घर वालों और बाल-बच्चों को, बीवी और किनआ़न को छोड़कर) और तमाम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औ़रतों को बख़्श दीजिए, और उन ज़ालिमों की हलाकत व तबाही और बढ़ाइए।[2] ● (28) ❖

72 सूरः जिन्न 40

सूरः जिन्न मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 28 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

आप (उन लोगों से) कहिए कि मेरे पास इस बात की वह्य आई है कि जिन्नात में से एक जमाअ़त ने क़ुरआन सुना।[3] फिर (अपनी क़ौम में वापस जाकर) उन्होंने कहा कि हमने एक अ़जीब क़ुरआन सुना है। (1) जो सही रास्ता बतलाता है, सो हम तो उसपर ईमान ले आए[4] और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएँगे। (2) और (उन्होंने यह भी बयान किया कि) हमारे परवर्दिगार की बड़ी शान है, उसने न किसी को बीवी बनाया और न औलाद। (3) और हममें जो अहमक़ हुए हैं वे अल्लाह की शान में हद से बढ़ी हुई बातें कहते थे।[5] (4) और हमारा (पहले) यह ख़्याल था कि इनसान और जिन्नात कभी ख़ुदा की शान में झूठ बात न कहेंगे। (5) और बहुत-से लोग आदमियों में ऐसे थे कि वे जिन्नात में से बाज़े लोगों की पनाह लिया करते थे। सो उन आदमियों ने उन जिन्नात का दिमाग़ और ख़राब कर दिया।[6] (6) और जैसा कि तुमने ख़्याल कर रखा था वैसा ही आदमियों ने भी ख़्याल कर रखा था कि अल्लाह तआ़ला किसी को दोबारा ज़िन्दा न करेगा। (7) और हमने (अपनी पुरानी आ़दत के अनुसार) आसमान (की ख़बरों) की तलाशी लेना चाहा, सो हमने उसको सख़्त पहरों (यानी मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों) और शोलों से भरा हुआ पाया।[7] (8) और (उससे पहले) हम आसमान (की ख़बरें सुनने) के मौक़ों में (ख़बर) सुनने के लिए जा बैठा करते थे, सो जो कोई अब सुनना चाहता है तो अपने लिए एक तैयार शोला पाता है। (9) और हम नहीं जानते कि (इन नए पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के भेजने से) ज़मीन वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचाना मक़सूद है या उनके रब ने उनको हिदायत देने का इरादा फ़रमाया है। (10) और हममें (पहले से भी) बाज़े नेक (होते आए) हैं और बाज़े और

(पिछले पृष्ठ का शेष) इसलिए इसका इज़हार करने के लिए उनको सज्दे का हुक्म होगा, लेकिन उनकी कमरें तख़्ता हो जाएँगी और वे झुक न सकेंगे।

2. बुलाए जाने से मुराद सज्दे का हुक्म देना नहीं है बल्कि उस तजल्ली में असर होगा कि सब ग़ैरइख़्तियारी तौर पर सज्दा करना चाहेंगे।

3. दुनिया में हुक्म न मानने से आज उनको यह रुस्वाई व ज़िल्लत हुई।

4. 'जुन्नून' और 'साहिबुल हूत' दोनों के एक ही मायने हैं यानी मछली वाला, यह हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम का लक़ब था क्योंकि उनको मछली निगल गई थी।

(पृष्ठ 1030 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042 की तफ़सीर पृष्ठ 1044-1048 पर)

तरह के (होते आए) हैं, हम मुख़्तलिफ़ तरीक़ों पर थे। **(11)** और (हमारा तरीक़ा तो यह है कि) हमने समझ लिया है कि हम ज़मीन (के किसी हिस्से) में (जाकर) अल्लाह तआ़ला को हरा नहीं सकते और न (और कहीं) भागकर उसको हरा सकते हैं।[1] **(12)** और हमने जब हिदायत की बात सुन ली तो हमने उसका यक़ीन कर लिया, सो (हमारी तरह) जो शख़्स अपने रब पर ईमान ले आएगा तो उसको न किसी कमी का अन्देशा होगा और न ज़्यादती का।[2] **(13)** और हममें बाज़े तो मुसलमान (हो गए) हैं और बाज़े हममें (पहले की तरह बदस्तूर) बेराह हैं। सो जो शख़्स मुसलमान हो गया उन्होंने तो भलाई का रास्ता ढूँढ लिया **(14)** और जो बेराह हैं दोज़ख़ के ईंधन हैं।[3] **(15)** और (मुझको अल्लाह की तरफ़ से ये मज़ामीन भी नाज़िल हुए हैं कि) अगर ये (मक्का वाले) लोग (सीधे) रास्ते पर क़ायम हो जाते तो हम उनको फ़राग़त के पानी से सैराब करते। **(16)** ताकि उसमें उनका इम्तिहान करें।[4] और जो शख़्स अपने परवर्दिगार की याद (यानी ईमान व फ़रमाँबरदारी) से रूगरदानी करेगा अल्लाह तआ़ला उसको सख़्त अ़ज़ाब में मुब्तला करेगा। **(17)** और (उन वह्य के ज़रिये आए मज़मूनों में से एक यह है कि) जितने सज्दे हैं वे सब अल्लाह का हक़ हैं[5] सो अल्लाह तआ़ला के साथ किसी की इबादत मत करो।[6] **(18)** और जब ख़ुदा का ख़ास बन्दा (मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं) ख़ुदा की इबादत करने खड़ा होता है तो ये (काफ़िर) लोग उस बन्दे पर भीड़ लगाने को हो जाते हैं।[7] **(19)** ❖

आप (उनसे) कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ अपने परवर्दिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। **(20)** आप (यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे न किसी नुक़सान का इख़्तियार रखता हूँ और न किसी भलाई का।[8] **(21)** आप कह दीजिए कि (अगर ख़ुदा न करे मैं ऐसा करूँ तो) मुझको ख़ुदा (के ग़ज़ब) से कोई नहीं बचा सकता, और न मैं उसके सिवा कोई पनाह (की जगह) पा सकता हूँ।[9] **(22)** लेकिन ख़ुदा की तरफ़ से पहुँचाना और उसके पैग़ामों का अदा करना यह मेरा काम है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का कहना नहीं मानते तो यक़ीनन उन लोगों के लिए दोज़ख़ की आग है जिसमें वे हमेशा-हमेशा रहेंगे। **(23)** (लेकिन ये काफ़िर लोग इस जहालत से बाज़ न आएँगे) यहाँ तक कि जब उस चीज़ को देख लेंगे जिसका उनसे वायदा किया जाता है। उस वक़्त जानेंगे कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसकी जमाअ़त कम है। **(24)** आप (उनसे) कह दीजिए कि मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया जाता है[10] क्या वह जल्द ही (आने वाली) है या मेरे परवर्दिगार ने उसके लिए कोई दूर की मुद्दत मुक़र्रर कर रखी है। **(25)** (और) ग़ैब का जानने वाला वही है, सो वह अपने ग़ैब पर किसी को मुत्तला "यानी अवगत" नहीं करता **(26)** हाँ मगर अपने किसी मक़बूल और चुने हुए पैग़म्बर को। तो (इस तरह

(पिछले पृष्ठ का शेष) 5. यह एक मुहावरा है यानी तेज़ नज़रों से घूर-घूरकर आपकी तरफ़ इस तरह देखते हैं गोया आप उनसे डरकर क़ुरआन का पढ़ना और सुनना छोड़ देंगे।

6. इन सवालात से मक़सूद डराना और उसका हौलनाक होना बयान करना है कि वह होने वाली चीज़ है। यानी क़ियामत एक बड़ी हौलनाक चीज़ है, और चूँकि क़ियामत ज़रूर वाक़ेअ़ होने वाली है इसलिए उसको 'अल्हाक़्क़ः' से ताबीर फ़रमाया।

(पृष्ठ 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044 की तफ़सीर पृष्ठ 1045-1048 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) (यानी मैं उनको मोहलत देता हूँ। मेरी यह तदबीर बड़ी ज़बरदस्त है) यह वही मस्लहतों से भरी तदबीर है जो इब्लीस और उसके लश्कर को क़ियामत तक खुला छोड़ देने में कारफ़रमा है, ताकि वे मख़्लूक़ को गुमराह करने का कारोबार आख़िरी हदों तक पहुँचा सकें।

8. एक बार मशहूर बुतपरस्त नज़र बिन हारिस ख़ाना-ए-काबा के दरवाज़े पर खड़ा होकर दुआ माँगने लगा कि इलाही! अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हक़ पर हैं तो हमपर पत्थर बरसा और ऐसा अ़ज़ाब नाज़िल कर कि हमको पनपना नसीब न हो, उसपर यह आयत नाज़िल हुई।

9. मुराद आसमानी दुनिया है। चूँकि रूहें आसमान के रास्ते चढ़ती हैं इसलिए उनको 'मआ़रिज' (यानी सीढ़ियों) से ताबीर फ़रमाया।

10. मुराद क़ियामत का दिन है कि कुछ उसके लम्बा होने और कुछ उसके सख़्त होने से काफ़िरों को इस क़द्र लम्बा महसूस होगा। और चूँकि कुफ़्र के दर्जों के एतिबार से सख़्ती में फ़र्क़ होगा इसलिए एक आयत में 'क-अल्फ़ि स-नतिन्' (यानी एक हज़ार साल के बराबर) आया है, और काफ़िरों की तख़्सीस इसलिए की कि हदीस में आया है कि मोमिन को वह दिन इस क़द्र हल्का मालूम होगा जैसे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेता है।

(तफ़सीर पृष्ठ 1036) 1. दोस्त का अपने दोस्त की ख़बर न लेना इस वजह से न होगा कि वह अपने दोस्त को देख नहीं रहा होगा, बल्कि उस हमवार ज़मीन पर जहाँ शुरू से लेकर आख़िर तक के तमाम लोग जमा होंगे एक किनारे वाला दूसरे किनारे वाले को ज़्यादा होने के बावजूद बिलकुल साफ़ नज़र आएगा, लेकिन चूँकि वहाँ अपनी-अपनी ऐसी पड़ी होगी कि न बाप को बेटे की ख़बर होगी और न दोस्त को दोस्त की, इसलिए कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा।

2. यानी उस दिन ऐसी नफ़्सा-नफ़्सी होगी कि हर शख़्स को अपनी फ़िक्र पड़ जाएगी। और जिनपर जान देता था उनको अपने बदले में सुपुर्द कर देना अगर उसके क़ाबू की बात हो तो इसको गवारा कर लेगा।

3. मतलब यह कि अल्लाह के हुक़ूक़ और बन्दों के हुक़ूक़ को ज़ाया किया होगा, या अ़क़ीदों और अख़्लाक़ के फ़ासिद होने की तरफ़ इशारा है। खुलासा यह है कि ऐसी सिफ़तें दोज़ख़ में दाख़िल होने का सबब हैं और उस मुज्रिम में ये सिफ़तें पाई जाती थीं फिर अ़ज़ाब से नजात कैसे हो सकती है?

4. कम-हिम्मती से तबई कम-हिम्मती मुराद नहीं, बल्कि कम-हिम्मती के बुरे आसार मुराद हैं जिनको अपने इख़्तियार से पैदा किया है।

5. यानी नमाज़ में ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर दूसरी तरफ़ तवज्जोह नहीं करते।

6. महरूम उस हाजतमन्द मिस्कीन को कहते हैं जिसको सवाल की आ़दत न हो और लोग उसको खुशहाल समझकर इम्दाद के क़ाबिल न समझें। सो ज़ाहिर है कि ऐसे शख़्स की इम्दाद करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। बाज़े नेकदिल मालदार ऐसे मिस्कीनों की तन्ख़्वाह मुक़र्रर करके उनको खुद से मासिक इम्दाद पहुँचाते रहते हैं। इस वजह से ख़ैरात पर हमेशगी रहने के सबब उनका अज्र भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 1038) 1. यानी चाहिए तो यह था कि उन मज़ामीन की तस्दीक़ करते लेकिन ये लोग मुत्तफ़िक़ हो होकर आपके पास इस ग़रज़ से आते हैं कि उन मज़ामीन को झुठलाएँ और उनके साथ मज़ाक़ करें।

2. यानी सबको मालूम है कि तमाम इनसान गन्दी और हक़ीर चीज़ 'मनी' (यानी वीर्य) के क़तरे से पैदा हुए हैं। चूँकि इस पैदाइश में तमाम इनसान बराबर हैसियत रखते हैं इसलिए ज़ाहिर है कि महज़ पैदाइश किसी के लिए दूसरों से ज़्यादा फ़ज़ीलत की वजह नहीं हो सकती, हाँ फ़ज़ीलत व फ़ौक़ियत और जन्नत में दाख़िले का सबब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है और तुम काफ़िर उससे महरूम हो, इसलिए तुम्हारी हवस भी बेफ़ायदा है।

3. पस जब नई मख़्लूक़ और वह भी ऐसी जिसमें ख़ूबियों की सिफ़तें ज़्यादा हों जिनमें ज़्यादा चीज़ें पैदा करना पड़ें हमको पैदा करना आसान है तो तुमको दोबारा पैदा करना कौन-सा मुश्किल है।

4. पहली सूरः में सज़ाओं को वाजिब करने वाली चीज़ों का बयान था। उनमें से एक रसूल का झुठलाना है। इस सूरः में नूह अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से के तहत में इसका बयान है, और साथ ही पहली सूरः में ज़िक्र हुई आख़िरत की सज़ाओं के साथ इस सूरः में कुफ़्र पर दुनियावी सज़ा को भी साबित किया है। साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसमें तसल्ली भी दी गई है कि क़ौमे नूह ने भी झुठलाया था।

5. यानी उनसे कहो कि अगर ईमान न लाओ तो तुमपर दर्दनाक अ़ज़ाब आएगा चाहे दुनियावी यानी तूफ़ान या आख़िरत का यानी दोज़ख़।

6. यानी अगर तुम ईमान ले आओगे तो तुम्हारी पिछली ख़ताएँ सब माफ़ हो जाएँगी, और ईमान न लाने पर जिस अ़ज़ाब का दुनिया में अन्देशा है वह ईमान लाने की सूरत में टल जाएगा और तबई मौत तक अमन व आ़फ़ियत के साथ **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1047 पर)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) वादी-ए-नख़्ला में अपने अस्हाबे किराम के साथ सुबह की नमाज़ अदा कर रहे थे, तो वे जिन्न ढूँढते-ढूँढते यहाँ आ निकले और आपकी क़िराअत सुनी। जिन्नात क़ुरआन का बेनज़ीर होना मालूम करके फ़ौरन ही आप पर ईमान ले आए। ये लोग इस्लाम में दाख़िल होकर वापस गए और अपनी क़ौम से तमाम माजरा बयान किया।

4. क़ुरआन होना तो उसके मज़मून से मालूम हुआ और अ़जीब होना इससे कि किसी इनसान के कलाम जैसा नहीं।

5. मुराद इससे वे शिर्क की बातें हैं जैसे अल्लाह का शरीक बनाना और उसके लिए औलाद वग़ैरह साबित करना वग़ैरह।

6. जाहिली दौर में जब अ़रब वाले किसी वादी या ख़ौफ़नाक बयाबान से गुज़रते तो कहा करते थे, ''अऊज़ु बिसय्यिदि हाज़ा वादी मिन सु-फ़हा-इ क़ौमिही'' (मैं इस वादी के सरदार की इस क़ौम के बेवक़ूफ़ों से पनाह चाहता हूँ)। उनके गुमान में बयाबानों पर जिन्नात का क़ब्ज़ा था और जिन्नों के सरदार की इसलिए पनाह तलब करते थे कि उसके मातहत बसने वाले जिन्न कुछ तकलीफ़ न पहुँचाएँ। मतलब यह कि इस क़िस्म की रस्मों और अक़्वाल से आदमियों ने उन जिन्नात को और ज़्यादा मग़रूर और घमण्डी बना दिया।

7. 'शुहुब' शिहाब (शोले के मायने में) का बहुवचन है। मतलब यह कि हमने जो आसमान को टटोला तो देखा कि उसमें बड़े ताक़तवर और मज़बूत फ़रिश्ते चौकीदार बनाकर हर तरफ़ तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई जिन्न आसमानी कलाम सुनने को आए तो उसको 'शिहाब' से दूर कर दें।

(तफ़सीर पृष्ठ 1044) **1.** भागने से यह मुराद है कि कोई शख़्स रू-ए-ज़मीन से भागकर किसी और जगह चला जाए और अपने आपको ख़ुदा की गिरफ़्त से बचा ले तो यह नामुम्किन है।

2. कमी यह कि उसकी कोई नेकी लिखने से रह जाए। और ज़्यादती यह कि कोई गुनाह ज़्यादा लिख दिया जाए।

3. यहाँ तक जिन्नात का कलाम ख़त्म हो गया।

4. यह आयत मक्का के काफ़िरों के बारे में नाज़िल हुई। जब उनपर कुफ़्र के सबब सात साल का सख़्त क़हत (अकाल) पड़ा। इस आयत में हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि अगर ये लोग ईमान ले आते तो हम इस कसरत से पानी बरसाते कि क़हत नाम को भी न रहता, अनाज की रेलपेल हो जाती।

5. यानी यह जायज़ नहीं कि कोई सज्दा अल्लाह को किया जाए और कोई सज्दा ग़ैरुल्लाह को, जैसा कि क़ुरैश के मुश्रिक करते थे।

6. जिन्नात ने दरख़्वास्त की थी कि या रसूलल्लाह! हमको भी इजाज़त दीजिए कि हम आपके साथ मस्जिद में हाज़िर होकर जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा किया करें, तो यह आयत नाज़िल हुई।

7. जिन्नात हज़रत सरवरे अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नमाज़ पढ़ते देखते कि किस ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ से अपने ख़ालिक़ के सामने हाथ बाँधे हुए खड़े होकर उसका पाक कलाम ख़ुलूसे दिल से पढ़ रहे हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी अपने मौला के आगे पेशानी ज़मीन पर रख देते हैं, और सहाबा हैं कि हाथ बाँधे हुए पीछे खड़े रहते हैं और जिस तरह उम्मत का पेशवा कर रहा है वे भी करते जाते हैं। तो यह हालत देखकर जिन्नात कलाम मजीद सुनने के शौक़ में सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के गिर्द हुजूम करते थे और घिचपिच एक-दूसरे से चिमट जाते थे।

8. यानी तुम जो ऐसी फ़रमाइशें करते हो कि अगर आप रसूल हैं तो हमपर अ़ज़ाब नाज़िल कर दें तो इसका जवाब यह है कि यह मेरे इख़्तियार में नहीं।

9. मक्का के काफ़िर कहते थे कि ऐ मुहम्मद! तुमने एक नया दीन घड़ लिया है तुम इस दावे से बाज़ आ जाओ, हम तुम्हारे हिमायती हो जाएँगे और तुमको हर बला व मुसीबत से पनाह देंगे। ख़ुदा-ए-हकीम ने आपको इन अल्फ़ाज़ से उनका जवाब तालीम फ़रमाया।

10. अल्लाह अपनी वह्य की हिफ़ाज़त के लिए मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते तैनात फ़रमा देता है जो शैतानों और उनके वस्वसों से अल्लाह की वह्य की हिफ़ाज़त करते हैं, ताकि अल्लाह का कलाम किसी दूसरी चीज़ की मिलावट से महफ़ूज़ रहे, वरना दीन की हक़्क़ानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। इसी बिना पर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को मासूम (ख़ता से महफ़ूज़) कहा जाता है और यही सबब है कि शैतान किसी के ख़्वाब में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शक्ल नहीं बना सकता।

इत्तिला देता है कि) उस पैग़म्बर के आगे और पीछे हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्ते भेज देता है। **(27)** (और यह इन्तिज़ाम इसलिए किया जाता है) ताकि (ज़ाहिरी तौर पर) अल्लाह तआला को मालूम हो जाए कि उन फ़रिश्तों ने अपने परवर्दिगार के पैग़ाम (रसूल तक हिफ़ाज़त से) पहुँचा दिए। और अल्लाह तआला उन (पहरेदारों) के तमाम हालात का इहाता किए हुए है और उसको हर चीज़ की गिनती मालूम है। **(28)** ◆

73 सूरः मुज़्ज़म्मिल 3

सूरः मुज़्ज़म्मिल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 20 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ऐ कपड़ों में लिपटने वाले।[1] **(1)** रात को (नमाज़ में) खड़े रहा करो, मगर थोड़ी-सी रात। **(2)** यानी आधी रात (कि उसमें खड़े न रहो बल्कि आराम करो) या उस आधी से किसी क़द्र कम कर दो **(3)** या आधी से कुछ बढ़ा दो। और क़ुरआन को ख़ूब साफ़-साफ़ पढ़ो (कि एक-एक हर्फ़ अलग-अलग हो)। **(4)** हम तुमपर एक भारी कलाम डालने को हैं[2] (मुराद क़ुरआन है)। **(5)** बेशक रात के उठने में दिल और ज़बान का ख़ूब मेल होता है, और (दुआ या पढ़ने पर) बात ख़ूब ठीक निकलती है। **(6)** बेशक तुमको दिन में बहुत काम रहता है[3] (दुनियावी भी और दीनी भी)। **(7)** और अपने रब का नाम याद करते रहो और सबसे कटकर उसी की तरफ़ मुतवज्जह रहो। **(8)** वह पूरब और पश्चिम का मालिक है, उसके सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं, तो उसी को अपने काम सुपुर्द कर देने के लिए क़रार दिए रहो। **(9)** और ये लोग जो बातें करते हैं उनपर सब्र करो, और ख़ूबसूरती के साथ उनसे अलग रहो।[4] **(10)** और मुझको और उन झुठलाने वालों और ऐश व आराम में रहने वालों को (मौजूदा हालत पर) छोड़ दो (यानी रहने दो) और उन लोगों को थोड़े दिनों की और मोहलत दे दो।[5] **(11)** हमारे यहाँ बेड़ियाँ हैं और दोज़ख़ है **(12)** और गले में फँस जाने वाला खाना है और दर्दनाक अ़ज़ाब है। **(13)** जिस दिन कि ज़मीन और पहाड़ हिलने लगेंगे, और पहाड़ (चूरा-चूरा होकर) उड़ने वाली रेत हो जाएँगे। **(14)** बेशक हमने तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल भेजा है जो तुमपर (क़ियामत के दिन) गवाही देंगे जैसा कि हमने फ़िरऔन के पास एक रसूल भेजा था **(15)** फिर फ़िरऔन ने उस रसूल का कहना न माना तो हमने उसको बहुत सख़्ती के साथ पकड़ा। **(16)** सो अगर तुम (भी रसूल के भेजने के बाद नाफ़रमानी और) कुफ़्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो (बहुत ही ज़्यादा) सख़्ती और अपने बहुत बड़ा होने से बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा।[6] **(17)** जिसमें आसमान फट जाएगा, बेशक उसका वायदा ज़रूर होकर रहेगा।[7] **(18)** यह (तमाम मज़मून) एक (बहुत ही उम्दा) नसीहत है, सो जिसका जी चाहे अपने परवर्दिगार की

1. इस उन्वान से ख़िताब करने की वजह यह है कि नुबुव्वत के शुरूआ़ती ज़माने में क़ुरैश ने 'दारुन्नदवा' में जमा होकर आपके बारे में मश्विरा किया कि आपकी हालत के मुनासिब कोई लक़ब तजवीज़ करना चाहिए कि उसपर सब मुत्तफ़िक़ रहें। किसी ने कहा कि काहिन हैं, फिर राय क़रार पाई कि काहिन नहीं हैं। किसी ने मजनूँ कहा, फिर इसको भी सबने ग़लत क़रार दिया। फिर जादूगर कहा, बाज़ ने इसको रद्द किया, लेकिन फिर कहने लगे कि जादूगर इसलिए हैं कि हबीब को हबीब (प्यारे को प्यारे) से जुदा कर देते हैं। आपको यह ख़बर पहुँचकर रंज हुआ और रंज की हालत में कपड़ों में लिपट गए जैसा कि अक्सर सोच और रंज में ग़मगीन आदमी इस तरह कर लेता है। पस हमदर्दी और ताल्लुक़ के इज़हार के लिए इस उन्वान से ख़िताब फ़रमाया। और फ़रमाया कि **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1052)**

तरफ़ रास्ता इख़्तियार कर ले।[1] (19) ❖

आपके रब को मालूम है कि आप और आपके साथ वालों में से बाज़े आदमी (कभी) दो तिहाई रात के क़रीब और (कभी) आधी रात और (कभी) तिहाई रात (नमाज़ में) खड़े रहते हैं। और रात और दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह ही कर सकता है। उसको मालूम है कि तुम इस (वक़्त के अन्दाज़े) को ज़ब्त नहीं कर सकते तो (इन वजूहों से) उसने तुम्हारे हाल पर इनायत की। सो (अब) तुम लोग जितना क़ुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो।[2] उसको (यह भी) मालूम है कि बाज़े आदमी तुममें बीमार होंगे और बाज़े आदमी रोज़ी की तलाश के लिए मुल्क में सफ़र करेंगे, और बाज़े अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे (इसलिए भी इस हुक्म को मन्सूख़ कर दिया) सो (इसलिए भी तुमको इजाज़त है कि अब) तुम लोग जितना क़ुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो और (फ़र्ज़) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह तआला को अच्छी तरह (यानी इख़्लास से) क़र्ज़ दो।[3] और जो नेक अ़मल अपने लिए आगे (ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाकर) भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पहुँचकर उससे अच्छा और सवाब में बड़ा पाओगे। और अल्लाह से गुनाह माफ़ कराते रहो, बेशक अल्लाह मग्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। (20) ❖

74 सूरः मुद्दस्सिर 4

सूरः मुद्दस्सिर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 56 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ऐ कपड़े में लिपटने वाले![4] (1) उठो (यानी अपनी जगह से उठो, या यह कि तैयार हो) फिर (काफ़िरों को) डराओ। (2) और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान करो। (3) और अपने कपड़ों को पाक रखो। (4) और बुतों से अलग रहो (जिस तरह कि अब तक अलग हो)[5] (5) और किसी को इस ग़रज़ से मत दो कि (दूसरे वक़्त) ज्यादा मुआ़वज़ा चाहो। (6) और फिर (डराने "यानी तब्लीग़ करने" में जो तकलीफ़ व परेशानी पेश आए उसपर) अपने रब (को ख़ुश करने) के वास्ते सब्र कीजिए। (7) फिर जिस वक़्त सूर फूँका जाएगा (8) सो वह वक़्त यानी वह दिन एक सख़्त दिन होगा (9) जिसमें काफ़िरों पर ज़रा भी आसानी न होगी। (10) (आगे बाज़ ख़ास काफ़िरों का ज़िक्र है, यानी) मुझको और उस शख़्स को (अपने-अपने हाल पर) रहने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया[6] (11) और उसको कसरत से माल दिया (12) और पास रहने वाले बेटे (दिए) (13) और सब तरह का सामान उसके लिए मुहैया कर दिया। (14) फिर भी इस बात की हवस

(पृष्ठ 1050 का शेष) आप इन बातों का रंज न करें बल्कि हक़ तआ़ला की तरफ़ ज़्यादा तवज्जोह फ़रमाएँ और इसी सिफ़त पर मुस्तक़िल क़ायम रहें।

2. यानी हम आप पर क़ुरआन नाज़िल फ़रमाएँगे और रिसालत की तब्लीग़ और इस्लाम की दावत का भारी बोझ डालेंगे, पस आप इबादत व रियाज़त कीजिए ताकि वह भारी बोझ हल्का और हुक्म का पालन करना आसान हो जाए।

3. यानी दिन को वअ़ज़ व नसीहत ही से फ़ुर्सत न मिलेगी इसलिए इबादत के वास्ते रात का वक़्त ख़ास करो कि नफ़्स भी ख़ूब कुचला जाए और दुआ भी दिल की गहराई से निकले।

(पृष्ठ 1050 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1052 की तफ़सीर पृष्ठ 1054-1064 पर)

रखता है कि (उसको) और ज़्यादा दूँ **(15)** हरगिज़ (वह ज़्यादा देने के क़ाबिल) नहीं, (क्योंकि) वह हमारी आयतों का मुख़ालिफ़ है। **(16)** उसको जल्द ही (यानी मरने के बाद) दोज़ख़ के पहाड़ पर चढ़ाऊँगा।[1] **(17)** उस शख़्स ने सोचा फिर एक बात तजवीज़ की **(18)** सो उसपर ख़ुदा तआला की मार हो कैसी बात तजवीज़ की। **(19)** (और) फिर (दोबारा) उसपर ख़ुदा की मार हो, कैसी बात तजवीज़ की। **(20)** फिर (हाज़िर लोगों के चेहरों को) देखा **(21)** फिर मुँह बनाया (ताकि देखने वाले समझें कि इसको कुरआन से बहुत ज़्यादा नफ़रत है) और ज़्यादा मुँह बनाया। **(22)** और फिर मुँह फेरा और तकब्बुर किया। **(23)** फिर बोला कि बस यह जादू है (जो औरों से) मन्क़ूल (है)। **(24)** बस यह तो आदमी का कलाम है। **(25)** मैं उसको जल्द ही दोज़ख़ में दाख़िल करूँगा। **(26)** और तुमको कुछ ख़बर भी है कि दोज़ख़ कैसी चीज़ है? **(27)** (इससे डराना और ख़ौफ़ दिलाना मक़सद है, वह ऐसी है कि) न तो बाक़ी रहने देगी और न छोड़ेगी। **(28)** (और) वह (जलाकर) बदन की हैसियत बिगाड़ देगी। **(29)** (और) उसपर उन्नीस फ़रिश्ते (जो उसके मुहाफ़िज़ हैं, जिनमें एक का नाम मालिक है, मुक़र्रर) होंगे।[2] **(30)** और हमने दोज़ख़ के कारकुन (आदमी नहीं बल्कि) सिर्फ़ फ़रिश्ते बनाए हैं, और हमने जो उनकी तादाद (ज़िक्र व बयान करने में) सिर्फ़ ऐसी रखी है जो काफ़िरों की गुमराही का ज़रिया हो तो इसलिए ताकि अहले किताब (सुनने के साथ) यक़ीन कर लें और ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाए, और अहले किताब और मोमिनीन शक न करें। और ताकि जिन लोगों के दिलों में (शक की) बीमारी है वह और काफ़िर लोग कहने लगें कि इस अ़जीब मज़मून से अल्लाह तआ़ला का क्या मक़सद है? (जिस तरह इस ख़ास बाब में ख़ुदा तआ़ला ने काफ़िरों को गुमराह किया) इसी तरह अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत कर देता है। और (यह उन्नीस फ़रिश्तों का मुक़र्रर होना किसी हिक्मत से है वरना) तुम्हारे रब के लश्करों (यानी फ़रिश्तों की तादाद) को सिवाय रब के कोई नहीं जानता, और दोज़ख़ का हाल बयान करना सिर्फ़ आदमियों की नसीहत के लिए है।[3] **(31)** ❖

क़सम है चाँद की। **(32)** और रात की जब वह जाने लगे। **(33)** और सुबह की जब वह रोशन हो जाए **(34)** कि यक़ीनन दोज़ख़ बड़ी भारी चीज़ है। **(35)** जो इनसान के लिए बड़ा डरावा है। **(36)** (यानी) तुममें जो (आगे की तरफ़) बढ़े उसके लिए भी या जो (ख़ैर से) पीछे की तरफ़ हटे उसके लिए भी।[4] **(37)** हर शख़्स अपने (कुफ़्रिया) आमाल के बदले में (दोज़ख़ में) मुक़ैयद होगा। **(38)** मगर वे दाहिने वाले **(39)** कि वे जन्नतों में होंगे, पूछते होंगे **(40)** मुज्रिमों (यानी काफ़िरों) का हाल (ख़ुद उन काफ़िरों ही से) **(41)** (यानी मोमिन लोग काफ़िरों से पूछेंगे) कि तुमको दोज़ख़ में किस बात ने दाख़िल किया? **(42)** वे कहेंगे, हम न तो

(पिछले पृष्ठ का शेष) 4. अलग होना यह कि कोई ताल्लुक़ न रखो और ख़ूबसूरती से यह कि उनकी शिकायत व इन्तिक़ाम की फ़िक्र में न पड़ो।

5. यह किनाया है सब्र व इन्तिज़ार से, यानी थोड़ा-सा और सब्र कर लीजिए जल्द ही उनको सज़ा होने वाली है।

6. यानी उसके सख़्त और लम्बा होने की वजह से।

7. पस यह भी गुमान नहीं है कि वह वक़्त टल जाए।

(तफ़सीर पृष्ठ 1052) 1. यानी उस तक पहुँचने के लिए दीन का रास्ता क़बूल करे।

(पृष्ठ 1052 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1054, 1056 की तफ़सीर पृष्ठ 1058-1065 पर)

नमाज़ पढ़ा करते थे (43) और न ग़रीब को (जिसका हक़ वाजिब था) खाना खिलाया करते थे। (44) और मश्ग़ले में रहने वालों के साथ हम भी (उस) मश्ग़ले में रहा करते थे। (45) और क़ियामत के दिन को झुठलाया करते थे। (46) यहाँ तक कि (उसी हालत में) हमको मौत आ गई।[1] (47) सो (जो हालत ज़िक्र हुई उसमें) उनको सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश फ़ायदा न देगी।[2] (48) (और जब कुफ़्र और हक़ से मुँह मोड़ने की बदौलत उनकी यह हालत बनने वाली है) तो उनको क्या हुआ कि इस (क़ुरआनी) नसीहत से मुँह फेरते हैं (49) कि गोया वे जंगली गधे हैं (50) जो शेर से भागे जा रहे हैं। (51) बल्कि उनमें हर शख़्स यह चाहता है कि उसको खुले हुए (आसमानी) नविश्ते दिए जाएँ। (52) (आगे इस बेहूदा दरख़्वास्त का रद्द है कि यह)[3] हरगिज़ नहीं (हो सकता) बल्कि ये लोग आख़िरत (के अ़ज़ाब) से नहीं डरते। (53) (पस यह) हरगिज़ नहीं हो सकता बल्कि क़ुरआन (ही) नसीहत (के लिए काफ़ी) है। (54) जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे। (55) और बग़ैर ख़ुदा के चाहे ये लोग नसीहत क़बूल नहीं करेंगे। वही है जिस (के अ़ज़ाब) से डरना चाहिए और (वही है) जो (बन्दों के गुनाह) माफ़ करता है। ▲ (56) ❖

75 सूरः क़ियामः 31

सूरः क़ियामः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 40 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

मैं क़सम खाता हूँ क़ियामत के दिन की। (1) और क़सम खाता हूँ ऐसे नफ़्स की जो अपने ऊपर मलामत करे।[4] (2) (आगे उन लोगों का रद्द है जो मरने के बाद ज़िन्दा होने का इनकार करते हैं, यानी) क्या इनसान ख़्याल करता है कि हम उसकी हड्डियाँ हरगिज़ जमा न करेंगे? (3) हम ज़रूर जमा करेंगे (और यह जमा करना हमको कुछ दुश्वार नहीं) क्योंकि हम इसपर क़ादिर हैं कि उसकी उँगलियों की पोरियों तक को दुरुस्त कर दें। (4) बल्कि बाज़ा आदमी (क़ियामत का इनकारी होकर) यूँ चाहता है कि अपनी आने वाली ज़िन्दगी में भी (बेख़ौफ़ व ख़तर होकर) बुराइयाँ और गुनाह करता रहे। (5) (इसलिए इनकार करने के तौर पर) पूछता है कि क़ियामत का दिन कब आएगा?[5] (6) सो जिस वक़्त (हैरत के मारे) आँखें फटी रह जाएँगी। (7) और चाँद बेनूर हो जाएगा। (8) और (चाँद की क्या तख़्सीस है बल्कि) सूरज और चाँद (दोनों) एक हालत के हो जाएँगे (यानी दोनों बेनूर हो जाएँगे) (9) उस दिन इनसान कहेगा, अब किधर भागूँ? (10) (इरशाद होता है) हरगिज़ (भागना मुम्किन) नहीं (क्योंकि) कहीं पनाह की जगह नहीं। (11) उस दिन सिर्फ़ आप ही के परवर्दिगार के पास (जाने का) ठिकाना है। (12) उस दिन इनसान को उसका सब अगला-पिछला किया हुआ जतला दिया जाएगा। (13) (और इनसान का अपने आमाल से आगाह होना कुछ उस जतलाने पर मौक़ूफ़ न होगा)[6] बल्कि इनसान ख़ुद अपनी हालत पर ख़ूब बाख़बर होगा। (14) अगरचे (तबीयत के तक़ाज़े की वजह से उस वक़्त भी) अपने हीले (बहाने) सामने लाए।[7] (15) (और) ऐ पैग़म्बर! (वह्य के ख़त्म हो चुकने से पहले) क़ुरआन पर अपनी ज़बान न हिलाया कीजिए ताकि आप उसको जल्दी-जल्दी

(पिछले पृष्ठ का शेष) 2. नुबुव्वत के शुरू में जब मुसलमानों पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ हुई तो मुसलमानों को वक़्त का अन्दाज़ा करने में बड़ी दुश्वारी पेश आती। **(पृष्ठ 1052 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1054, 1056 की तफ़सीर पृष्ठ 1058-1065 पर)**

लें। **(16)** (क्योंकि) हमारे ज़िम्मे है (आपके दिल में) इसका जमा कर देना (और आपकी ज़बान से) इसका पढ़वा देना। **(17)** (जब यह हमारे ज़िम्मे है) तो जब हम उसको पढ़ने लगा करें (यानी हमारा फ़रिश्ता पढ़ने लगा करे) तो आप उसके ताबे हो जाया कीजिए। **(18)** फिर उसका बयान करा देना (भी) हमारा ज़िम्मा है।[1] **(19)** (ऐ इनकारियो! क़ियामत के बारे में जैसा कि तुम समझ रहे हो) हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि (सिर्फ़ बात यह है) कि तुम दुनिया से मुहब्बत रखते हो **(20)** और आख़िरत को छोड़ बैठे हो।[2] **(21)** बहुत-से चेहरे उस दिन रौनक़ वाले होंगे। **(22)** अपने परवर्दिगार की तरफ़ देख रहे होंगे। **(23)** (यह तो मोमिनों का हाल हुआ) और बहुत-से चेहरे उस दिन बद्-रौनक़ होंगे। **(24)** (और वे लोग) ख़्याल कर रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा (यानी उनको सख़्त अ़ज़ाब होगा)। **(25)** हरगिज़ ऐसा नहीं, जब जान हँसली तक पहुँच जाती है **(26)** और (उस वक़्त बहुत ही हसरत से) कहा जाता है कि कोई झाड़ने वाला है?[3] **(27)** और (उस वक़्त) वह (मरने वाला) यक़ीन कर लेता है कि यह (दुनिया से) जुदाई का वक़्त है। **(28)** और (मौत की सख़्तियों से) एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाती है[4] **(29)** उस दिन तेरे रब की तरफ़ जाना होता है। **(30)** ❖

तो उसने न तो (ख़ुदा और रसूल की) तस्दीक़ की थी और न नमाज़ पढ़ी थी। **(31)** लेकिन (ख़ुदा और रसूल को) झुठलाया था और (अहकाम से) मुँह मोड़ा था। **(32)** फिर नाज़ करता हुआ अपने घर चल देता है। **(33)** तेरी कमबख़्ती पर कमबख़्ती आने वाली है। **(34)** फिर (दोबारा सुन ले कि) तेरी कमबख़्ती पर कमबख़्ती आने वाली है। **(35)** क्या इनसान यह ख़्याल करता है कि यूँ ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? **(36)** क्या यह शख़्स (शुरू ही में सिर्फ़) एक मनी "यानी वीर्य" का क़तरा न था जो (औ़रत के गर्भ में) टपकाया गया था। **(37)** फिर वह ख़ून का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह तआ़ला ने (उसको इनसान) बनाया, फिर आज़ा "यानी जिस्मानी हिस्से" दुरुस्त किए। **(38)** फिर उसकी दो क़िस्में कर दीं, मर्द और औ़रत। **(39)** (तो) क्या वह (ख़ुदा जिसने शुरू में अपनी क़ुदरत से यह सब कुछ किया) इस बात पर क़ुदरत नहीं रखता कि (क़ियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा करे? **(40)** ❖

76 सूरः दह्र 98

सूरः दह्र मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 31 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

बेशक इनसान पर ज़माने में एक ऐसा वक़्त भी आ चुका है जिसमें वह कोई क़ाबिले ज़िक्र चीज़ न था (यानी इनसान न था बल्कि नुत्फ़ा था) **(1)** हमने उसको मख़्लूत "यानी मिश्रित" नुत्फ़े से पैदा किया, इस तौर पर कि हम उसको मुकल्लफ़ बनाएँ। तो (इसी वास्ते) हमने उसको सुनता-देखता (समझता) बनाया।[5] **(2)** हमने उसको (भलाई-बुराई पर बाख़बर करके) रास्ता बतलाया (यानी अहकाम का मुख़ातब बनाया, फिर) या तो वह शुक्रगुज़ार (और मोमिन) हो गया या नाशुक्र (और काफ़िर) हो गया। **(3)** हमने काफ़िरों के लिए ज़न्जीरें और तौक़ और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। **(4)** (और) जो नेक (लोग) हैं वे ऐसे शराब के

(पिछले पृष्ठ का शेष) यह मालूम नहीं होता था कि किस क़द्र रात गुज़री और किस क़द्र बाक़ी है। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम सोना-लेटना सब छोड़ बैठे और क़रीब-क़रीब सारी रात अपने मौला-ए-करीम के आगे हाथ बाँधे हाज़िर और सारी-सारी रात खड़े रहने में गुज़ार देते थे। **(पृष्ठ 1052 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1054, 1056, 1058 की तफ़सीर पृष्ठ 1060-1066 पर)**

जाम से (शराबें) पिएँगे जिसमें काफ़ूर की मिलावट होगी। **(5)** यानी ऐसे चश्मे से (पिएँगे) जिससे अल्लाह तआ़ला के ख़ास बन्दे पिएँगे (और) जिसको वह (ख़ास बन्दे जहाँ चाहेंगे) बहाकर ले जाएँगे। **(6)** वे लोग वाजिबात को पूरा करते हैं और ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख़्ती आ़म होगी।[1] **(7)** और वे लोग (सिर्फ़) ख़ुदा तआ़ला की मुहब्बत से ग़रीब और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं।[2] **(8)** हम तुमको सिर्फ़ ख़ुदा की रज़ामन्दी के लिए खाना खिलाते हैं, न हम तुमसे (इसका अ़मली) बदला चाहें और न (इसका ज़बान से) शुक्रिया (चाहें)। **(9)** हम अपने रब की तरफ़ से एक सख़्त और तल्ख़ दिन का अन्देशा रखते हैं।[3] **(10)** सो अल्लाह तआ़ला उनको (इस इताअ़त और इख़्लास की बरकत से) उस दिन की सख़्ती से महफ़ूज़ रखेगा और उनको ताज़गी और ख़ुशी अ़ता फ़रमाएगा (यानी चेहरों पर ताज़गी और दिलों में ख़ुशी देगा)। **(11)** और उनकी पुख़्तगी (यानी दीन पर जमे रहने) के बदले में उनको जन्नत और रेश्मी लिबास देगा, **(12)** इस हालत में कि वे वहाँ (जन्नत में) मसहरियों पर (आराम और इ़ज़्ज़त से) तकिया लगाए होंगे। न वहाँ तपिश (और गर्मी) पाएँगे और न जाड़ा **(13)** (बल्कि ख़ुशी बख़्शने वाली दरमियानी हालत होगी) और यह हालत होगी कि (वहाँ के यानी जन्नत के) दरख़्तों के साये उनपर झुके होंगे और उनके मेवे उनके इख़्तियार में होंगे (कि हर वक़्त हर तरह बिना मशक़्क़त ले सकेंगे)। **(14)** और उनके पास चाँदी के बरतन लाए जाएँगे और आबख़ोरे "यानी पानी पीने के बरतन" जो शीशे के होंगे **(15)** (और) वह शीशे चाँदी के होंगे जिनको भरने वालों ने मुनासिब अन्दाज़ से भरा होगा।[4] **(16)** और वहाँ उनको (ज़िक्र हुए जामे शराब के अ़लावा) ऐसा जामे शराब पिलाया जाएगा जिसमें सोंठ की मिलावट होगी। **(17)** यानी ऐसे चश्मे से (उनको पिलाया जाएगा) जो वहाँ होगा जिसका नाम (वहाँ) सल्सबील (मश्हूर) होगा। **(18)** और उनके पास (ये चीज़ें लेकर) ऐसे लड़के आना-जाना करेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे (और इस क़द्र हसीन हैं कि) ऐ मुख़ातब! अगर तू उनको (चलते-फिरते) देखे तो यूँ समझे कि मोती हैं जो बिखर गए हैं।[5] **(19)** और ऐ मुख़ातब! अगर तू उस जगह को देखे तो तुझको बड़ी नेमत और बड़ी हुकूमत दिखाई दे।[6] **(20)** (और) उन जन्नतियों पर बारीक रेशम के हरे रंग के कपड़े होंगे और दबीज़ रेशम के कपड़े भी (क्योंकि हर लिबास में अलग लुत्फ़ है) और उनको चाँदी के कंगन पहनाए जाएँगे, और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पीने को देगा (जिसमें न नापाकी होगी न गदलापन)। **(21)** यह तुम्हारा सिला है, और तुम्हारी कोशिश (जो दुनिया में करते थे) मक़्बूल हुई। **(22)** ❖

हमने आप पर क़ुरआन थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है। **(23)** सो आप अपने रब के हुक्म पर (कि इसमें

(पिछले पृष्ठ का शेष) पाँव सूज गए और पिंडलियों में ख़ून उतरकर वर्म हो गया। पूरे एक साल बाद ख़ुदा तआ़ला ने उनके हाल पर रहम फ़रमाकर कमी के लिए यह आयत नाज़िल फ़रमाई जिससे तहज्जुद का फ़र्ज़ होना मन्सूख़ हो गया और मोमिनों को इख़्तियार दिया गया कि जो चाहे तहज्जुद पढ़े और जो चाहे न पढ़े। और जो नमाज़े तहज्जुद अदा करे वह भी जितना क़ुरआन पाक आसानी से पढ़ सके पढ़े "मा तयस्स-र मिनल् क़ुरआन" (जितना क़ुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो) में क़ुरआन पढ़ने से नमाज़े तहज्जुद में पढ़ना मुराद है।

3. 'क़र्ज़े हसन' (यानी अच्छी तरह क़र्ज़ देना) उस बिना ब्याज वाले क़र्ज़ को कहते हैं कि जिसका तक़ाज़ा सख़्त न हो। और अगर मक़रूज़ अदा न कर सके, बिना अदा किए दुनिया से चला जाए तो आख़िरत में भी मुतालबा न हो। अल्लाह को क़र्ज़ देने से उसके बन्दों को ज़कात, सदक़ात और ख़ैरात देना मुराद है। माल सब मालिकुल-मुल्क ही का है, बन्दे सारे उसके मम्लूक हैं, पस यह उसकी नवाज़िश है कि एक ख़ुशहाल बन्दे से उसी के ज़रूरतमन्द भाई को दिलवाता है और उसको अपने ऊपर क़र्ज़ क़रार देता है कि उसका बदला यक़ीनन अ़ता फ़रमाएगा। और बदला भी बराबर नहीं बल्कि दस गुना और उससे भी ज़्यादा।

4. हदीसों में है कि सबसे पहले सूरः इक़रा के शुरू की आयतें नाज़िल होकर बाज़ हिक्मतों से कुछ दिनों तक वह्य नाज़िल न हुई फिर एक बार जंगल में **(पृष्ठ 1052 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1054, 1056, 1058, 1060 की तफ़सीर पृष्ठ 1062-1066 पर)**

तब्लीग़ भी दाख़िल है) मुस्तक़िल रहिए और उनमें से किसी फ़ासिक़ या काफ़िर के कहने में न आइए। **(24)** और (आगे ज़रूरी इबादतों का हुक्म है) यानी अपने परवर्दिगार का सुबह व शाम नाम लिया कीजिए। **(25)** और रात के किसी क़द्र हिस्से में भी उसको सज्दा किया कीजिए (यानी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा कीजिए) और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह किया कीजिए। (मुराद इससे तहज्जुद है, फ़राइज़ के अ़लावा)। **(26)** ये लोग दुनिया से मुहब्बत रखते हैं और अपने आगे (आने वाले) एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं। **(27)** हम ही ने उनको पैदा किया है और हम ही ने उनके जोड़-बन्द मज़बूत किए। और (साथ ही यह कि) जब हम चाहें उन्हीं जैसे लोग उनकी जगह बदल दें। **(28)** यह (सब जो कुछ ज़िक्र हुआ, काफ़ी) नसीहत है, सो जो शख़्स चाहे अपने रबकी तरफ़ रास्ता इख़्तियार कर ले। **(29)** और बग़ैर ख़ुदा के चाहे तुम लोग कोई बात चाह नहीं सकते। (और बाज़ लोगों के लिए ख़ुदा के न चाहने में बाज़ हिक्मतें होती हैं, क्योंकि) ख़ुदा तआ़ला बड़ा इल्म और हिक्मत वाला है। **(30)** वह जिसको चाहे अपनी रहमत में दाख़िल कर लेता है और (जिसको चाहे कुफ़्र और ज़ुल्म में मुब्तला रखता है। फिर) ज़ालिमों के लिए उसने दर्दनाक अ़ज़ाब तैयार कर रखा है। **(31)** ❖

77 सूरः मुर्सलात 33

सूरः मुर्सलात मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 50 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है उन हवाओं की जो नफ़ा पहुँचाने के लिए भेजी जाती हैं। **(1)** फिर उन हवाओं की जो तेज़ी से चलती हैं (जिससे ख़तरों का अन्देशा होता है)। **(2)** और उन हवाओं की जो बादलों को (उठाकर) फैलाती हैं। **(3)** फिर उन हवाओं की जो बादलों को मुन्तशिर कर देती हैं (जैसा कि बारिश के बाद होता है)। **(4)** फिर उन हवाओं की जो (दिल में) अल्लाह तआ़ला की याद डालती हैं **(5)** (यानी) तौबा का या डराने का (जज़्बा दिल में डालती हैं)[1] **(6)** कि जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया जाता है वह ज़रूर होने वाली है, (मुराद क़ियामत है)। **(7)** सो जब सितारे बेनूर हो जाएँगे **(8)** और जब आसमान फट जाएगा **(9)** और जब पहाड़ उड़ते फिरेंगे **(10)** और जब सब पैग़म्बर मुक़र्ररा वक़्त पर जमा किए जाएँगे। **(11)** किस दिन के लिए पैग़म्बरों का मामला मुल्तवी रखा गया है? **(12)** (आगे जवाब है) फ़ैसले के दिन के लिए (मुल्तवी रखा गया है)। **(13)** और (आगे उस फ़ैसले के दिन के हौलनाक होने का ज़िक्र है कि) आपको मालूम है कि वह फ़ैसले का दिन कैसा कुछ है?[2] (यानी बहुत सख़्त है)। **(14)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(15)** (आगे अ़ज़ाब से डराना है, यानी) क्या हम अगले (काफ़िर) लोगों को (अ़ज़ाब से) हलाक नहीं कर चुके? **(16)** फिर पिछलों को भी (अ़ज़ाब में) उन (पहलों) ही के साथ-साथ कर देंगे। **(17)** हम मुज्रिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं (यानी उनके कुफ़्र पर सज़ा देते हैं)। **(18)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(19)** (आगे मरने के बाद ज़िन्दा करने की क़ुदरत का बयान है, यानी) क्या हमने तुमको एक बेक़द्र पानी (यानी नुत्फ़े) से नहीं बनाया? **(20)** फिर हमने उसको एक मुक़र्ररा वक़्त तक

(पिछले पृष्ठ का शेष) आपको एक आवाज़ सुनाई दी। ऊपर नज़र उठाकर देखा तो जिबराईल अ़लैहिस्सलाम ज़मीन व आसमान के बीच एक तख़्त पर बैठे हैं। आप हैबत से घर लौट आए और कपड़ों में लिपट गए। उसमें शुरू की आयतें नाज़िल हुईं। लफ़्ज़े "मुद्दस्सिर" में इस तरफ़ इशारा है। और ये आयतें नुबुव्वत के शुरू के दौर की हैं और बक़िया सूरः बाद में नाज़िल हुई है। और 'इतक़ान' से मालूम होता है

(पृष्ठ 1052 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1054, 1056, 1058, 1060, 1062 की तफ़सीर पृष्ठ 1064-1066 पर)

एक महफ़ूज़ जगह (यानी औरत के गर्भ में) रखा। **(21)** ग़रज़ हमने (इन तसर्रुफ़ात का) एक अन्दाज़ा ठहराया **(22)** सो हम कैसे अच्छे अन्दाज़ा ठहराने वाले हैं। **(23)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(24)** क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया **(25)** ज़िन्दों और मुर्दों को? **(26)** और हमने इस (ज़मीन) में ऊँचे-ऊँचे पहाड़ बनाए (जिनसे बहुत-से फ़ायदे जुड़े हुए हैं) और हमने तुमको मीठा पानी पिलाया। **(27)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(28)** तुम उस अ़ज़ाब की तरफ़ चलो जिसको झुठलाते थे। **(29)** एक सायबान "यानी साया करने वाला जैसे छज्जा वग़ैरह" की तरफ़ चलो जिसकी तीन शाख़ें हैं।[1] **(30)** जिसमें न (ठंडा) साया है और न वह गर्मी से बचाता है। **(31)** वह अंगारे बरसाएगा जैसे बड़े-बड़े महल। **(32)** जैसे काले-काले ऊँट।[2] **(33)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होगी। **(34)** यह वह दिन होगा जिसमें लोग बोल न सकेंगे **(35)** और न उनको (उज़्र करने की) इजाज़त होगी, सो उज़्र भी न कर सकेंगे। **(36)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होगी। **(37)** (उन लोगों से कहा जाएगा कि) यह है फ़ैसले का दिन (जिसको तुम झुठलाया करते थे), हमने (आज) तुमको और अगलों को (फ़ैसले के लिए) जमा कर लिया। **(38)** सो अगर तुम्हारे पास (आज के फ़ैसले से बचने की) कोई तदबीर हो तो मुझपर तदबीर चलाओ। **(39)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(40)** ❖

परहेज़गार लोग सायों और चश्मों में **(41)** और पसन्दीदा मेवों में होंगे **(42)** (और उनसे कहा जाएगा कि) अपने नेक आमाल के सिले में ख़ूब मज़े से खाओ-पियो। **(43)** हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। **(44)** (और ये काफ़िर लोग जन्नत की नेमतों को भी झुठलाते हैं, सो समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(45)** तुम (दुनिया में) थोड़े दिन और खा लो, बरत लो, (जल्द ही कमबख़्ती आने वाली है) तुम बेशक मुज्रिम हो। **(46)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होगी। **(47)** और (उन काफ़िरों की सरकशी और जुर्म की यह हालत है कि) जब उनसे कहा जाता है कि (ख़ुदा की तरफ़) झुको तो नहीं झुकते। **(48)** उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। **(49)** तो फिर इस (इस क़द्र उम्दा अन्दाज़ में नसीहत करने और डराने वाले क़ुरआन) के बाद और फिर कौन-सी बात पर ईमान लाएँगे?[3] **(50)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) कि सूरः मुज़्ज़म्मिल के बाद बाक़ी सूरः नाज़िल हुई है।

5. बावजूद एहतिमाल न होने के यह हुक्म फ़रमाना इशारा है तौहीद की अ़ज़ीम शान की तरफ़ कि ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि मासूम (जो गुनाहों से महफ़ूज़ हो) को भी बावजूद ज़रूरत न होने के इसकी तालीम की जाती है तो ग़ैर-मासूम तो इसका और भी ज़्यादा मुकल्लफ़ होगा।

6. एक बार वलीद बिन मुग़ीरा ने नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को क़ुरआन पढ़ते सुन लिया। इस कलाम ने उसके पत्थर दिल को मोम बना दिया और इस्लाम की तरफ़ माईल हुआ। अबू जहल को इसकी ख़बर लगी तो वलीद के पास जाकर कहने लगा कि तुम्हारी क़ौम तुम्हारी तरफ़ से बदगुमान हो गई है, तुम्हारा अपने बाप-दादा के दीन और पुराने तरीक़े को छोड़कर कल के बच्चे मुहम्मद पर ईमान लाना बड़ी ज़िल्लत और कम-ज़रफ़ी की बात होगी। तुम्हारे लिए मुनासिब यह है कि किसी ऐसी बात का इज़्हार करो जिससे सबको यक़ीन आ जाए कि तुम मुहम्मद के दीन को हरगिज़ पसन्द नहीं करते। वलीद बोला कि तुम ख़ूब जानते हो कि आज अ़रब के अन्दर शायरी में कोई शख़्स मेरा मुक़ाबला नहीं कर सकता। किसी की बुराई बयान करने में, तारीफ़ बयान करने में, ग़ज़ल कहने में, ग़रज़ मैं हर रंग में शे'र कहता हूँ। लेकिन मैंने मुहम्मद की ज़बान से ऐसा मज़ेदार और असर करने वाला कलाम सुना है कि जिसकी मिठास उम्र भर न भूलूँगा। अबू जहल बोला, कुछ भी हो तुम्हें कोई ऐसी बात ज़रूर बनानी होगी जिससे तुम्हारी क़ौम की बदगुमानी दूर हो। वलीद ने कहा कि अच्छा मैं देखूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ग़रज़ बहुत कुछ सोच-विचार के बाद वलीद ने ऐलान किया कि मुहम्मद किसी दूसरे से नक़ल करने लगते हैं, इसपर यह आयत नाज़िल हुई। **(पृष्ठ 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064 की तफ़सीर पृष्ठ 1065-1066 पर)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) 5. मतलब यह कि हमने ऐसी हैअतों और सिफ़तों के साथ पैदा किया कि उसमें मुकल्लफ़ बनने की क़ाबलियत हो।

(तफ़सीर पृष्ठ 1060) 1. यानी सबपर कम या ज़्यादा उसकी सख़्ती का असर होगा, मुराद क़ियामत का दिन है।

2. क़ैदी अगर मज़लूम है तब तो उसकी रियायत का अच्छा होना ज़ाहिर है, और अगर ज़ालिम है तो सख़्त ज़रूरत के वक़्त उसको खाना खिलाना भी अच्छा है।

3. इससे मालूम हुआ कि आख़िरत के ख़ौफ़ से कोई काम करना इख़्लास और अल्लाह की रिज़ा तलब करने के ख़िलाफ़ नहीं।

4. यानी उसमें पीने की चीज़ ऐसे अन्दाज़ से भरी होगी कि न उस वक़्त की इच्छा में कमी रहे और न उससे बचे कि दोनों में बेलुत्फ़ी होती है। और चाँदी के शीशे के यह मायने हैं कि सफ़ेदी तो चाँदी जैसी होगी और सफ़ाई व चमक शीशे के जैसी, और दुनिया की चाँदी में आरपार नज़र नहीं आता, और शीशे में यहाँ ऐसी सफ़ेदी नहीं होती, पस यह एक अ़जीब चीज़ होगी।

5. मोती से तो उनके बाहर आने और सफ़ाई की वजह से तश्बीह दी और बिखरे हुए का वस्फ़ उनके चलने-फिरने के लिहाज़ से, जैसे बिखरे मोती अलग-अलग होकर कोई इधर जा रहा है और कोई उधर जा रहा है, और यह आला दर्जे की तश्बीह है।

6. एक बार हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु बारगाहे नबवी में हाज़िर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि एक चटाई पर लेटे हुए हैं और चटाई के पट्ठे के निशान मुबारक जिस्म पर नक़्श हो गए हैं। यह देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की आँखों में आँसू आ गए। हज़रत रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसका सबब पूछा तो उन्होंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मेरे दिल में यह ख़्याल आया कि 'क़ैसर' व 'किसरा' तो काफ़िर होने के बावजूद कैसे ऐश-आराम में हैं और अल्लाह के हबीब दोनों जहाँ के सरदार एक सख़्त चटाई पर आराम फ़रमा हैं, जिसपर कोई कपड़ा भी नहीं। आपने फ़रमाया ऐ उमर! क्या तुम इसपर राज़ी नहीं कि ग़ैर-मुस्लिमों की फ़ानी नेमतें दुनिया की ज़िन्दगी तक सीमित हैं और हम लोगों को ख़ुदा तआ़ला आख़िरत में कभी ख़त्म न होने वाली हमेशा की नेमतें अ़ता फ़रमाएगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 1062) 1. यानी ये ज़िक्र हुई हवाएँ क़ुदरत पर दलालत करने वाली होने की वजह से अपने बनाने वाले और पैदा करने वाले की तरफ़ मुतवज्जह होने का सबब हो जाती हैं।

2. इस सवाल व जवाब का मतलब यह मालूम होता है कि काफ़िर लोग जो रसूलों को झुठलाते आए हैं और अब भी इस उम्मत के काफ़िर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को झुठला रहे हैं। और जब इस झुठलाने पर आख़िरत के अ़ज़ाब से डराए जाते हैं तो आख़िरत को भी झुठलाते हैं। इस वक़्त यह झुठलाना अपने आपमें इसको चाहता है कि रसूलों का जो क़िस्सा काफ़िरों से पेश आ रहा है उसका फ़ैसला अभी हो जाए, और उसकी ताख़ीर और देरी होने से काफ़िरों को जल्दी होने से इनकार और मुसलमानों को तबई तौर पर जल्दी से हो जाने की तमन्ना होती है। इस आयत में इस जल्दी का जवाब है कि हक़ तआ़ला ने बाज़ हिक्मतों से उसको मुअख़्ख़र कर रखा है, लेकिन वाक़ेअ़ ज़रूर होगा।

(तफ़सीर पृष्ठ 1064) 1. उस सायबान से एक धुआँ मुराद है जो जहन्नम से निकलेगा। और यह चूँकि कसरत से होगा इसलिए ऊँचा होगा, फटकर कई टुकड़े हो जाएगा। काफ़िर लोग हिसाब से फ़ारिग़ होने तक उसी धुएँ के घेरे में रहेंगे, जबकि अल्लाह के मक़बूल बन्दे अ़र्श के साये के नीचे होंगे।

2. क़ायदा है कि जब आग से चिंगारी झड़ती है तो बड़ी होती है, फिर पहली तश्बीह शुरू की हालत के एतिबार से है और दूसरी तश्बीह आख़िरी और इन्तिहाई हालत के एतिबार से है।

3. इन धमकियों और झंझोड़ने का तक़ाज़ा यह था कि ये सुनते ही डरकर ईमान ले आते मगर जब इसपर भी उनको असर नहीं तो फिर इस डराने वाले और आ़लीशान अल्फ़ाज़ वाले क़ुरआन के बाद और किस बात पर ईमान लाएँगे? इसमें काफ़िरों को झिड़की का सबब आपका उनके ईमान से नाउम्मीद होना है।

तीसवाँ पारः अम्-म य-तसाअलून

78 सूरः नबा 80

सूरः नबा[1] मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 40 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

ये (क़ियामत का इनकार करने वाले) लोग किस चीज़ का हाल पूछते हैं।[2] **(1)** उस बड़े वाक़िए का हाल पूछते हैं **(2)** जिसमें ये लोग (अहले हक़ के साथ) इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं। **(3)** हरगिज़ ऐसा नहीं (बल्कि क़ियामत आएगी और) उनको अभी मालूम हुआ जाता है। **(4)** (दोबारा कहते हैं कि जैसा ये लोग समझते हैं) हरगिज़ ऐसा नहीं (बल्कि आएगी) उनको अभी मालूम हुआ जाता है।[3] **(5)** क्या हमने ज़मीन को फ़र्श **(6)** और पहाड़ों को (ज़मीन की) मेख़ें नहीं बनाया। **(7)** और (इसके अ़लावा हमने और भी क़ुदरत ज़ाहिर फ़रमाई, चुनाँचे) हमने ही तुमको जोड़ा-जोड़ा (यानी मर्द व औ़रत) बनाया। **(8)** और हम ही ने तुम्हारे सोने को राहत की चीज़ बनाया। **(9)** और हम ही ने रात को पर्दे की चीज़ बनाया **(10)** और हम ही ने दिन को रोज़गार का वक़्त बनाया। **(11)** और हम ही ने तुम्हारे ऊपर सात मज़बूत आसमान बनाए। **(12)** और हम ही ने (आसमान में) एक रोशन चिराग़ बनाया (मुराद सूरज है)।[4] **(13)** और हम ही ने पानी भरे बादलों से कसरत से पानी बरसाया। **(14)** ताकि हम उस पानी के ज़रिये से पैदा करें ग़ल्ला और सब्ज़ी **(15)** और घने बाग़।[5] **(16)** बेशक फ़ैसले का दिन एक मुतैयन वक़्त है। **(17)** यानी जिस दिन सूर फूँका जाएगा, फिर तुम लोग गिरोह-गिरोह होकर आओगे। **(18)** और आसमान खुल जाएगा, फिर उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएँगे।[6] **(19)** और पहाड़ (अपनी जगह से) हटा दिए जाएँगे, सो वे रेत की तरह हो जाएँगे।[7] **(20)** (आगे उस फ़ैसले के दिन में जो फ़ैसला होगा उसका बयान है, यानी) बेशक दोज़ख़ एक घात की जगह है **(21)** सरकशों का ठिकाना (है) **(22)** जिसमें वे बेइन्तिहा ज़मानों (तक पड़े) रहेंगे। **(23)** (और) उसमें न तो वे किसी ठंडक (यानी राहत) का मज़ा चखेंगे और न पीने की चीज़ का (जो कि प्यास को बुझाने वाली हो) **(24)** सिवाय गर्म पानी और पीप के। **(25)** और (उनको) पूरा-पूरा बदला मिलेगा। **(26)** (और वे आमाल जिनका यह बदला है, यह हैं कि) वे लोग (क़ियामत के) हिसाब का अन्देशा न रखते थे। **(27)** और हमारी आयतों को ख़ूब झुठलाते थे। **(28)** और हमने (उनके आमाल में से) हर चीज़ को (उनके आमालनामे में) लिखकर ज़ब्त कर रखा है। **(29)** सो मज़ा चखो कि हम तुम्हारी सज़ा ही बढ़ाते जाएँगे। **(30)** ❖

ख़ुदा से डरने वालों के लिए बेशक कामयाबी है। **(31)** यानी (खाने और सैर को) बाग़ (जिनमें तरह-तरह के मेवे होंगे) और अंगूर **(32)** और (दिल बहलाने को) नौजवान हमउम्र औ़रतें **(33)** और (पीने को) लबालब भरे हुए शराब के जाम। **(34)** (और) वहाँ न कोई बेहूदा बात सुनेंगे और न झूठ (क्योंकि ये

1. इसमें भी पिछली मिली हुई सूरः की तरह क़ियामत के जल्द आने की संभावना और जज़ा व सज़ा के वाक़िआ़त ज़िक्र किए गए हैं।
2. मुराद क़ियामत है और पूछने से मक़सद इनकार करने के तौर पर पूछना है। और इस सवाल व जवाब से मक़सद ज़ेहनों का उधर मुतवज्जह करना और जो बात ग़ैर-वाज़ेह थी उसकी तफ़सीर से उसका अहम होना ज़ाहिर है।
3. यानी जब दुनिया से जाने के बाद उनपर अ़ज़ाब वाक़ेअ़ होगा तब असल हक़ीक़त और **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1070 पर)**

बातें वहाँ बिलकुल नापैद हैं) **(35)** यह (उनको उनकी नेकियों का) बदला मिलेगा जो कि काफ़ी इनाम होगा (आपके) रब की तरफ़ से **(36)** जो मालिक है आसमानों का और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो उन दोनों के दरमियान में हैं। (और जो) रहमान है, (और) किसी को उसकी तरफ़ से (मुस्तक़िल) इख़्तियार न होगा (कि उसके सामने कुछ कह-सुन सके)[1] **(37)** जिस दिन तमाम रूहों वाले और फ़रिश्ते (ख़ुदा के सामने) सफ़ बाँधे हुए (आ़जिज़ी के साथ झुके हुए) खड़े होंगे, (उस दिन) कोई न बोल सकेगा सिवाय उसके जिसको रहमान (बोलने की) इजाज़त दे दे और वह शख़्स बात भी ठीक कहे।[2] **(38)** यह (दिन जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ) यक़ीनी दिन है, सो जिसका जी चाहे (उसके हालात सुनकर) अपने रब के पास (अपना) ठिकाना बना ले। **(39)** हमने तुमको एक नज़दीक आने वाले अ़ज़ाब से डरा दिया है (जो कि ऐसे दिन में होने वाला है) जिस दिन हर शख़्स उन आमाल को (अपने सामने हाज़िर) देख लेगा जो उसने अपने हाथों किए होंगे, और काफ़िर (हसरत से) कहेगा कि काश! मैं मिट्टी हो जाता[3] (ताकि सज़ा से बच जाता)। **(40)** ❖

79 सूरः नाज़िआ़त 81

सूरः नाज़िआ़त मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 46 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है उन फ़रिश्तों की जो (काफ़िरों की) जान सख़्ती से निकालते हैं। **(1)** और जो (मुसलमानों की रूह आसानी से निकालते हैं, गोया उनका) बन्द खोल देते हैं।[4] **(2)** और जो तैरते हुए चलते हैं। **(3)** फिर तेज़ी के साथ दौड़ते हैं। **(4)** फिर हर मामले की तदबीर करते हैं। **(5)** (उन सबकी क़समें खाकर कहते हैं कि क़ियामत ज़रूर आएगी) जिस दिन हिला देने वाली चीज़ हिला डालेगी (इससे सूर का पहली बार फूँका जाना मुराद है)। **(6)** जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज़ आएगी (इससे सूर का दूसरी बार फूँका जाना मुराद है)। **(7)** बहुत-से दिल उस दिन धड़क रहे होंगे। **(8)** उनकी आँखें शर्म के मारे झुक रही होंगी। **(9)** कहते हैं, क्या हम पहली हालत में फिर वापस होंगे? (पहली से मुराद मौत से पहले की ज़िन्दगी है)[5] **(10)** क्या जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएँगे **(11)** फिर (ज़िन्दगी की तरफ़) वापस होंगे? (अगर ऐसा हुआ तो) उस सूरत में यह वापसी (हमारे लिए) बड़े घाटे की चीज़ होगी।[6] **(12)** तो (यह समझ लें कि हमको कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि) बस वह एक ही सख़्त आवाज़ होगी **(13)** जिससे लोग फ़ौरन ही मैदान में आ मौजूद होंगे। **(14)** क्या आपको मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का क़िस्सा पहुँचा है? **(15)** जबकि उनको उनके परवर्दिगार ने एक पाक मैदान यानी तुवा में (यह उसका नाम है) पुकारा **(16)** कि तुम फ़िरऔन के पास जाओ, उसने बड़ी शरारत इख़्तियार की है। **(17)** सो उससे (जाकर) कहो कि क्या तुझको इस बात की ख़्वाहिश है कि तू दुरुस्त हो जाए? **(18)** और (तेरी दुरुस्ती की ग़रज़ से) मैं तुझको तेरे रब की तरफ़ (ज़ात व सिफ़ात की) रहनुमाई करूँ तो तू (यह सुनकर उससे) डरने लगे? **(19)** फिर (जब उसने नुबुव्वत की दलील तलब की तो) उसको (नुबुव्वत की) बड़ी

(पृष्ठ 1068 का शेष) क़ियामत का हक़ होना सामने आएगा। ये लोग उसको नामुम्किन और मुहाल समझते हैं हालाँकि उसको नामुम्किन समझने से हमारी क़ुदरत का इनकार लाज़िम आता है, और हमारी क़ुदरत का इनकार निहायत अ़जीब है क्योंकि......(आगे देखो तर्जुमा)

(पृष्ठ 1068 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1070 की तफ़सीर पृष्ठ 1072-1080 पर)

निशानी दिखलाई। **(20)** तो उस (फ़िरऔन) ने उनको झुठलाया और (उनका) कहना न माना। **(21)** फिर (मूसा अ़लैहिस्सलाम से) अलग होकर (उनके ख़िलाफ़) कोशिश करने लगा **(22)** और (लोगों को) जमा किया फिर (उनके सामने) बुलन्द आवाज़ से तक़रीर की **(23)** और कहा कि मैं तुम्हारा आला रब हूँ। **(24)** सो अल्लाह तआ़ला ने उसको आख़िरत के और दुनिया के अ़ज़ाब में पकड़ा।[1] **(25)** बेशक (इस वाक़िए में) ऐसे शख़्स के लिए बड़ी इबरत है जो अल्लाह तआ़ला से डरे। **(26)** ❖

भला तुम्हारा (दूसरी बार) पैदा करना (अपने आप में) ज़्यादा सख़्त है या आसमान का?[2] अल्लाह तआ़ला ने उसको बनाया। **(27)** (इस तरह से कि) उसकी छत को बुलन्द किया और उसको दुरुस्त बनाया (कि कहीं उसमें नुक़्स और दरार नहीं) **(28)** और उसकी रात को अंधेरी बनाया और उसके दिन को ज़ाहिर किया।[3] **(29)** और उसके बाद ज़मीन को बिछाया **(30)** (और बिछाकर) उससे उसका पानी और चारा निकाला। **(31)** और पहाड़ों को (उसपर) क़ायम कर दिया **(32)** तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदा पहुँचाने के लिए। **(33)** सो जब वह बड़ा हंगामा आएगा **(34)** यानी जिस दिन इनसान अपने किए को याद करेगा **(35)** और देखने वालों के सामने दोज़ख़ ज़ाहिर की जाएगी **(36)** तो (उस दिन यह हालत होगी कि) जिस शख़्स ने (हक़ से) सरकशी की होगी **(37)** और (आख़िरत का मुन्किर होकर) दुनियावी ज़िन्दगी को तरजीह दी होगी **(38)** सो दोज़ख़ (उसका) ठिकाना होगा। **(39)** और जो शख़्स (दुनिया में) अपने परवर्दिगार के सामने खड़ा होने से डरा होगा और नफ़्स को (हराम) ख़्वाहिश से रोका होगा[4] **(40)** सो जन्नत उसका ठिकाना होगा। **(41)** ये लोग आपसे क़ियामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब आएगी?[5] **(42)** (सो) उसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक़ **(43)** उस (के इल्म को मुतैयन करने) का मदार सिर्फ़ आपके परवर्दिगार की तरफ़ है **(44)** (और) आप तो सिर्फ़ (उसकी मुख़्तसर ख़बर देकर) ऐसे शख़्स को डराने वाले हैं जो उससे डरता हो। **(45)** जिस दिन ये उसको देखेंगे तो (उनको) ऐसा मालूम होगा कि गोया (दुनिया में) सिर्फ़ एक दिन के आख़िरी हिस्से में या उसके अव्वल हिस्से में रहे हैं।[6] **(46)** ❖

80 सूरः अ़-ब-स 24

सूरः अ़-ब-स मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 42 आयतें और 1 रुकूअ़ है।

(नोटः- अब पारे के आख़िर तक हर सूरः एक ही रुकूअ़ की है।)

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

पैग़म्बर[7] (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के चेहरे पर नागवारी के असरात ज़ाहिर हो गए और मुतवज्जह न हुए **(1)** इस बात से कि उनके पास अंधा आया।[8] **(2)** और आपको क्या ख़बर शायद नाबीना "यानी अंधा" (आपकी तालीम से पूरे तौर पर) सँवर जाता। **(3)** या (किसी ख़ास मामले में) नसीहत क़बूल करता,

---

(पिछले पृष्ठ का शेष) 4. मुराद सूरज है, जैसे कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है- 'व ज-अ़लश्शम्-स सिराजन्'।

5. और इन सबसे हमारा कामिल क़ुदरत वाला होना ज़ाहिर है। फिर क़ियामत पर हमारे क़ादिर होने का क्यों इनकार किया जाता है?

6. यानी आसमान इस क़द्र बहुत सारा खुल जाएगा जैसे बहुत-से दरवाज़े मिलाकर बहुत-सी जगह खुली होती है। पस यह कलाम तश्बीह पर आधारित है, अब यह शुब्हा नहीं हो सकता कि आसमान में दरवाज़े तो अब भी हैं फिर उस दिन दरवाज़े होने के क्या मायने? और यह खुलना फ़रिश्तों के नाज़िल होने के लिए होगा जैसा कि सूरः फ़ुरक़ान में 'त-शक़्क़क़ुस्समा-उ' से ताबीर फ़रमाया है।

(पृष्ठ 1068 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1070, 1072 की तफ़सीर पृष्ठ 1074-1081 पर)

सो उसको नसीहत करना (कुछ न कुछ) फ़ायदा पहुँचाता। **(4)** तो जो शख़्स (दीन से) बेपरवाई करता है **(5)** आप उसकी तो फ़िक्र में पड़ते हैं **(6)** हालाँकि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि वह न सँवरे। **(7)** और जो शख़्स आपके पास (दीन के शौक़ में) दौड़ता हुआ आता है **(8)** और वह (ख़ुदा से) डरता है **(9)** आप उससे बेतवज्जोही करते हैं। **(10)** (आप आइन्दा) हरगिज़ ऐसा न कीजिए। क़ुरआन (सिर्फ़ एक) नसीहत की चीज़ है। **(11)** सो जिसका जी चाहे उसको क़बूल कर ले। **(12)** वह (क़ुरआन लौहे-महफ़ूज़ के) ऐसे सहीफ़ों में (लिखा हुआ) है जो (अल्लाह के नज़दीक) मुकर्रम "यानी सम्मानित" हैं। **(13)** बुलन्द रुतबे वाले हैं, मुक़द्दस हैं। **(14)** जो ऐसे लिखने वालों (यानी फ़रिश्तों) के हाथों में (रहते) हैं **(15)** कि वे मुकर्रम (और) नेक हैं। **(16)** आदमी पर (जो ऐसे तज़्किरे से नसीहत हासिल न करे) ख़ुदा की मार, वह कैसा नाशुक्रा है। **(17)** (वह देखता नहीं कि) अल्लाह ने उसको कैसी (बेवक़्अत) चीज़ से पैदा किया। **(18)** (आगे जवाब है कि) नुत्फ़े से (पैदा किया। आगे उसकी कैफ़ियत का ज़िक्र है कि) उसकी सूरत बनाई, फिर उस (के जिस्मानी अंगों) को अन्दाज़ से बनाया। **(19)** फिर उसके (निकलने का) रास्ता आसान कर दिया। **(20)** फिर (उम्र ख़त्म होने के बाद) उसको मौत दी, फिर उसको क़ब्र में ले गया। **(21)** फिर जब अल्लाह चाहेगा उसको दोबारा ज़िन्दा करेगा। **(22)** हरगिज़ (शुक्र नहीं अदा किया और) उसको जो हुक्म किया था उसपर अ़मल नहीं किया। **(23)** सो इनसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ़ नज़र करे **(24)** कि हमने अ़जीब तौर पर पानी बरसाया। **(25)** फिर अ़जीब तौर पर ज़मीन को फाड़ा **(26)** फिर हमने पैदा किया उसमें ग़ल्ला **(27)** और अंगूर और तरकारी **(28)** और ज़ैतून और खजूर **(29)** और घने बाग़ **(30)** और मेवे और चारा। **(31)** (बाज़ चीज़ें) तुम्हारे और (बाज़ चीज़ें) तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदे के लिए। **(32)** (अब तो ये नाशुक्री और कुफ़्र करते हैं) फिर जिस वक़्त कानों को बहरा कर देने वाला शोर बर्पा होगा **(33)** जिस दिन ऐसा आदमी भागेगा (जिसका ऊपर बयान हुआ), अपने भाई से **(34)** और अपनी माँ से और अपने बाप से **(35)** और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से। (यानी कोई किसी की हमदर्दी न करेगा)। **(36)** उनमें हर शख़्स को (अपना ही) ऐसा मश्ग़ला होगा जो उसको दूसरी तरफ़ मुतवज्जह न होने देगा। **(37)** (यह तो काफ़िरों का हाल हुआ, आगे मजमूई तौर पर मोमिनों और काफ़िरों की तफ़सील है कि) बहुत-से चेहरे उस दिन (ईमान की वजह से) रोशन **(38)** (और ख़ुशी से) खिले हुए होंगे **(39)** और बहुत-से चेहरों पर उस दिन (कुफ़्र की वजह से) स्याही छाई होगी। **(40)** (और उस स्याही के साथ) उनपर (ग़म की) कदूरत "यानी मलाल व रन्जीदगी" छाई होगी। **(41)** यही लोग काफ़िर-फ़ाजिर हैं। **(42)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) 7. और ये वाक़िआ़त दूसरी बार सूर फूँकने के वक़्त होंगे। अलबत्ता पहाड़ चलाए जाने में इस सूरः में भी और दूसरी जगह भी जहाँ-जहाँ आया है दोनों एहतिमाल हैं, या तो दूसरी बार सूर फूँकने के बाद कि उससे पूरी दुनिया फिर अपनी हालत पर वापस आ जाएगी, जब हिसाब का वक़्त आएगा तो पहाड़ों को ज़मीन के बराबर कर दिया जाएगा, ताकि ज़मीन पर कोई पहाड़ आड़ न रहे, सब एक ही मैदान में नज़र आएँ। और या यह कि पहली बार सूर फूँकने से दूसरी बार सूर फूँकने तक के मजमूए को एक दिन क़रार दे लिया गया। अल्लाह ही ख़ूब जानते हैं।

(तफ़सीर पृष्ठ 1070) 1. यहाँ कई सिफ़तें इरशाद फ़रमाई हैं- 'रब्बिस्समावाति.....आख़िर तक' जो दलालत करता है क़ियामत के दिन के वाक़िए पर मालिक और क़ब्ज़ा व इख़्तियार वाला होने पर, और रहमान जो मोमिनों को जज़ा देने के मुनासिब है। और 'ला यम्लिकू-न.....आख़िर तक' जो काफ़िरों को ख़ौफ़ दिलाने के मुनासिब है।

2. ठीक बात से वह बात मुराद है जिसकी इजाज़त दी गई हो, यानी बोलना भी सीमित और शर्त के साथ होगा, यह नहीं कि जो चाहे

3. और यह उस वक़्त कहेगा जबकि इनसान व जिन्नात के अ़लावा दूसरे जानदारों को आपस में बदला दिलाने के बाद मिट्टी कर दिया जाएगा। **(पृष्ठ 1070 की बकिया तफ़सीर और पृष्ठ 1072 की तफ़सीर पृष्ठ 1076-1081 पर)**

81 सूरः तक्वीर 7

सूरः तक्वीर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 29 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जब सूरज बेनूर हो जाएगा। **(1)** और जब सितारे टूट-टूटकर गिर पड़ेंगे। **(2)** और जब पहाड़ चलाए जाएँगे। **(3)** और जब दस महीने की गाभन ऊँटनियाँ छुटी फिरेंगी। **(4)** और जब जंगली जानवर (घबराहट के मारे) सब जमा हो जाएँगे। **(5)** और जब दरिया भड़काए जाएँगे।[1] **(6)** और जब एक-एक क़िस्म के लोग इकट्ठे किए जाएँगे। **(7)** और जब ज़िन्दा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा **(8)** कि वह किस गुनाह पर क़त्ल की गई थी। **(9)** और जब आमालनामे खोले जाएँगे (ताकि सब अपने-अपने अ़मल देख लें)। **(10)** और जब आसमान खुल जाएगा (और उसके खुलने से आसमान की ऊपर की चीज़ें नज़र आने लगेंगी)। **(11)** और जब दोज़ख़ (और ज़्यादा) दहकाई जाएगी। **(12)** और जब जन्नत क़रीब कर दी जाएगी। **(13)** (तो उस वक़्त) हर शख़्स उन आमाल को जान लेगा जो लेकर आया है। **(14)** (और जब ऐसा होलनाक वाक़िआ होने वाला है) तो मैं क़सम खाता हूँ उन सितारों की जो (सीधे चलते-चलते) पीछे को हटने लगते हैं। **(15)** (और फिर पीछे ही को) चलते रहते हैं (और अपने निकलने की जगहों में) जा छुपते हैं। **(16)** और क़सम है रात की जब वह जाने लगे। **(17)** और क़सम है सुबह की जब वह आने लगे। **(18)** (आगे क़सम का जवाब है) कि यह क़ुरआन (अल्लाह तआ़ला का) कलाम है। **(19)** एक इज़्ज़त वाला फ़रिश्ते (यानी जिबराईल अ़लैहिस्सलाम का लाया हुआ जो क़ुव्वत वाला है और) अ़र्श के मालिक के नज़दीक रुतबे वाला है। **(20)** (और) वहाँ (यानी आसमानों में) उसका कहना माना जाता है[2] (और वह) अमानतदार हैं।[3] **(21)** कि (वह्य को सही-सही पहुँचा देते हैं।) और यह तुम्हारे साथ के रहने वाले (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) मजनूँ नहीं हैं। **(22)** उन्होंने उस फ़रिश्ते को (असली सूरत में आसमान के) साफ़ किनारे पर देखा भी है।[4] **(23)** और यह पैग़म्बर पोशीदा (बतलाई हुई वह्य की) बातों पर कन्जूसी करने वाले भी नहीं।[5] **(24)** और यह क़ुरआन किसी शैतान मरदूद की कही हुई बात नहीं है।[6] **(25)** (जब यह साबित है) तो तुम लोग (इस बारे में) किधर को चले जा रहे हो? **(26)** बस यह तो (उमूमन) दुनिया जहान वालों के लिए एक बड़ा नसीहत की किताब है। **(27)** (और ख़ास तौर से) ऐसे शख़्स के लिए जो तुममें से सीधा चलना चाहे। **(28)** औरे तुम बग़ैर ख़ुदा-ए-रब्बुल आ़लमीन के चाहे कुछ नहीं चाह सकते।[7] **(29)** ❖

82 सूरः इन्फ़ितार 82

सूरः इन्फ़ितार मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 19 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जब आसमान फट जाएगा। **(1)** और जब सितारे (टूटकर) झड़ पड़ेंगे **(2)** और सब दरिया (मीठे व

(पिछले पृष्ठ का शेष) यह रिवायत हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से दुर्रे मन्सूर में बयान की गई है। या वह मायने मुराद हों जो सूरः निसा में "लौ तुसव्वा बिहिमुल अरज़ु" (कि काश! हम ज़मीन के पैवन्द हो जाते) में गुज़रे हैं।

4. "वन्नाज़िआति, वन्नाशितातित" से यह शुब्हा न किया जाए कि कभी-कभी काफ़िरों का मौत का वक़्त आसान और मोमिनों का सख़्त देखा जाता है। **(पृष्ठ 1070 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1072, 1076 की तफ़सीर पृष्ठ 1078-1081 पर)**

नमकीले) बह पड़ेंगे **(3)** और जब क़ब्रें उखाड़ी जाएँगी (यानी उनके मुर्दे निकल खड़े होंगे)। **(4)** (उस वक़्त) हर शख़्स अपने अगले और पिछले आमाल को जान लेगा। **(5)** ऐ इनसान! तुझको किस चीज़ ने तेरे ऐसे रब्बे करीम के साथ भूल में डाल रखा है **(6)** जिसने तुझको (इनसान) बनाया, फिर तेरे जिस्मानी अंगों को दुरुस्त किया, फिर तुझको (मुनासिब) एतिदाल पर बनाया। **(7)** (और) जिस सूरत में चाहा तुझको तरकीब दे दिया।[1] **(8)** (इन सब उमूर का तक़ाज़ा यह है कि तुमको) हरगिज़ (मग़रूर) नहीं (होना चाहिए, मगर तुम बाज़ नहीं आते) बल्कि तुम (इस वजह से धोखे में पड़ गए हो कि तुम) जज़ा व सज़ा (ही) को झुठलाते हो। **(9)** और तुमपर (तुम्हारे सब आमाल) याद रखने वाले, **(10)** इज़्ज़त वाले, लिखने वाले मुक़र्रर हैं। **(11)** जो तुम्हारे सब कामों को जानते हैं। **(12)** नेक लोग बेशक आराम में होंगे **(13)** और बदकार (यानी काफ़िर) लोग बेशक दोज़ख़ में होंगे। **(14)** बदले के दिन उसमें दाख़िल होंगे। **(15)** और (फिर दाख़िल होकर) उससे बाहर न होंगे (बल्कि उसमें हमेशा रहना होगा)। **(16)** और आपको कुछ ख़बर है कि वह बदले का दिन कैसा है? **(17)** (और हम) फिर (दोबारा कहते हैं कि) आपको कुछ ख़बर है कि वह बदले का दिन कैसा है? **(18)** वह दिन ऐसा है जिसमें किसी शख़्स के नफ़े के लिए कुछ बस न चलेगा और पूरी की पूरी हुकूमत उस दिन अल्लाह ही की होगी। ◆ **(19)** ❖

83 सूरः मुतफ़्फ़िफ़ीन 86

सूरः मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 36 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

बड़ी ख़राबी है नाप-तौल में कमी करने वालों की **(1)** कि जब लोगों से (अपना हक़) नापकर लें तो पूरा लें **(2)** और जब उनको नापकर या तौलकर दें तो घटा कर दें।[2] **(3)** (आगे नाप-तौल में कमी करने वालों को धमकाया और तंबीह की जा रही है कि) क्या उन लोगों को इसका यक़ीन नहीं है कि ज़िन्दा करके उठाए जाएँगे **(4)** एक बड़े दिन में। **(5)** जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। **(6)** हरगिज़ (ऐसा) नहीं होगा, (यानी काफ़िर) लोगों का आमालनामा 'सिज्जीन' में रहेगा।[3] **(7)** और (आगे डराने के लिए सवाल है कि) आपको कुछ मालूम है कि 'सिज्जीन' में रखा हुआ आमालनामा क्या चीज़ है? **(8)** वह एक निशान किया हुआ दफ़्तर है। **(9)** उस दिन (यानी क़ियामत के दिन) झुठलाने वालों को बड़ी ख़राबी होगी। **(10)** जो जज़ा के दिन को झुठलाते हैं। **(11)** और उस (बदले के दिन को तो वही शख़्स झुठलाता है जो बन्दगी की हद) से गुज़रने वाला हो (और) मुज्रिम हो। **(12)** (और) जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाएँ तो यूँ कह देता हो कि बे-सनद बातें हैं, अगलों से नक़ल होती हुई चली आती हैं। **(13)** हरगिज़ (ऐसा)

(पिछले पृष्ठ का शेष) असल यह है कि यह सख़्ती और सहूलत ज़ाहिरी जिस्म पर होती है और आयत में रूहानी व हक़ीक़ी सख़्ती और सहूलत मुराद है।

5. यानी क्या मरने के बाद फिर दोबारा ज़िन्दा होना होगा? असल इसका मुहाल होना ज़ाहिर करना मक़सद है।

6. क्योंकि हमने तो उसके लिए कुछ सामान नहीं किया। मक़सद इससे अहले हक़ के इस अक़ीदे का मज़ाक़ और हँसी उड़ाना था। यानी मुसलमानों के अक़ीदे पर तो हम बड़े ख़सारे में होंगे। जैसे कोई शख़्स किसी को ख़ैरख़्वाही से डराए कि इस रास्ते से मत जाना शेर मिलेगा

(पृष्ठ 1070 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1072, 1076, 1078 की तफ़सीर पृष्ठ 1080-1082 पर)

नहीं बल्कि (उनके झुठलाने की असल वजह यह है कि) उनके दिलों पर उनके (बुरे) आमाल का ज़ंग बैठ गया है। **(14)** हरगिज़ (ऐसा) नहीं, ये लोग उस दिन (एक तो) अपने रब (का दीदार देखने) से रोक दिए जाएँगे। **(15)** फिर (सिर्फ़ इसीपर बस न होगा बल्कि) ये दोज़ख़ में दाख़िल होंगे। **(16)** फिर (उनसे) कहा जाएगा, यही है जिसको तुम झुठलाया करते थे। **(17)** (ये जो मोमिनों के अज्र व सवाब का इनकार करने वाले हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं, नेक लोगों का आमालनामा इल्लिय्यीन में रहेगा।[1] **(18)** और (आगे बड़ाई व रुतबा जताने के लिए सवाल है कि) आपको कुछ मालूम है कि इल्लिय्यीन में रखा हुआ आमालनामा क्या चीज़ है? **(19)** वह एक निशान किया हुआ दफ़्तर है **(20)** जिसको मुक़र्रब फ़रिश्ते (शौक़ से) देखते हैं।[2] **(21)** (आगे उनके आख़िरत के बदले का बयान है कि) नेक लोग बड़ी राहत व आराम में होंगे। **(22)** मसहरियों पर (बैठे जन्नत की अजीब-अजीब चीज़ों को) देखते होंगे। **(23)** ऐ मुख़ातब! तू उनके चेहरों में राहत व आराम की ख़ुशी व ताज़गी देखेगा। **(24)** (और) उनको पीने के लिए मुहर-बन्द ख़ालिस शराब मिलेगी **(25)** जिसपर मुश्क की मुहर होगी।[3] और हिर्स करने वालों को ऐसी चीज़ की हिर्स करनी चाहिए।[4] **(26)** और उस (शराब) की मिलावट तसनीम (के पानी) की होगी। **(27)** यानी एक ऐसा चश्मा जिससे मुक़र्रब बन्दे पिएँगे। **(28)** (आगे मुसलमान और काफ़िर दोनों की दुनिया व आख़िरत का हाल मजमूई तौर पर बयान किया गया है, यानी) जो लोग मुज्रिम थे (यानी काफ़िर) वे ईमान वालों से (उनका अपमान करने के तौर पर दुनिया में) हँसा करते थे। **(29)** और ये (ईमान वाले) जब उन (काफ़िरों) के सामने से होकर गुज़रते थे तो आपस में आँखों से इशारे करते थे। **(30)** और जब अपने घरों में जाते तो (वहाँ भी उनका तज़्किरा करके) दिल्लगियाँ करते।[5] **(31)** और जब उनको देखते तो यूँ कहा करते कि ये लोग यक़ीनन ग़लती में हैं (क्योंकि काफ़िर लोग इस्लाम को ग़लती समझते थे)। **(32)** हालाँकि ये (काफ़िर) उन (मुसलमानों) पर निगरानी करने वाले करके नहीं भेजे गए। **(33)** सो आज (क़ियामत के दिन) ईमान वाले काफ़िरों पर हँसते होंगे। **(34)** मसहरियों पर (बैठे उनका हाल) देख रहे होंगे।[6] **(35)** वाक़ई काफ़िरों को उनके किए का ख़ूब बदला मिला। **(36)** ❖

84 सूरः इन्शिक़ाक़ 83

सूरः इन्शिक़ाक़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 25 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जब (दूसरी बार सूर फूँकने के वक़्त) आसमान फट जाएगा (ताकि उसमें से बादल और फ़रिश्ते नाज़िल हों) **(1)** और अपने रब का हुक्म सुन लेगा[7] और वह (आसमान) इसी लायक़ है। **(2)** और जब ज़मीन खींचकर बढ़ा दी जाएगी[8] **(3)** और (वह ज़मीन) अपने अन्दर की चीज़ों (यानी मुर्दों) को बाहर उगल देगी और खाली हो जाएगी। **(4)** और अपने रबका हुक्म सुन लेगी, और वह इसी लायक़ है। **(5)** ऐ इनसान! तू

(पिछले पृष्ठ का शेष) और मुख़ातब झुठलाने के तौर पर किसी से कहे कि भाई उधर मत जाना शेर खा जाएगा। मतलब यह कि क़ियामत कोई चीज़ नहीं है।

(तफ़सीर पृष्ठ 1072) 1. दुनियावी अ़ज़ाब तो डूबना है और आख़िरत का अ़ज़ाब आग में जलना है।

2. ज़ाहिर है कि तुम्हारे दूसरी बार पैदा करने से आसमान का पैदा करना ज़्यादा सख़्त है, फिर जब उसको पैदा कर दिया तो तुम्हारा दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल है।

3. रात और दिन को आसमान की तरफ़ इसलिए मन्सूब किया कि रात और दिन सूरज के निकलने और छुपने से होते हैं और सूरज आसमान में है। **(पृष्ठ 1072 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1076, 1078, 1080 की तफ़सीर पृष्ठ 1081-1082 पर)**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(तफ़सीर पृष्ठ 1078) **1.** यानी इनसान बनाने और दुरुस्त करने में मुश्तरक होने के बावजूद फिर अलग-अलग तौर पर पैदा किया। "मा ग़र्र-क" से पहले अन्जाम और आख़िर का और उसके बाद उसकी इब्तिदाई हालत के ज़िक्र की तरफ़ इशारा है कि अगरचे यह बात गुरूर और धोखे में पड़ने से रोकने वाली हो लेकिन फिर भी गुरूर और घमण्ड से बाज़ नहीं आता। और करीम की सिफ़त बयान करने से इस तरफ़ इशारा है कि करीम होना इस बात को चाहता है कि उसकी तरफ़ ज़्यादा तवज्जोह की जाए।

2. अगरचे लोगों से अपना हक़ पूरा लेना बुरा नहीं है मगर उसके लेने से मक़सूद खुद उसकी निन्दा करना नहीं है बल्कि कम देने पर निन्दा की ताकीद है। यानी कम देना अगरचे अपने आपमें बुरा है लेकिन उसके साथ अगर दूसरों की बिलकुल रियायत न की जाए तो और ज़्यादा बुरा है। बख़िलाफ़ रियायत करने वाले के कि अगर उसमें एक ऐब है तो एक हुनर भी है, इसलिए पहले शख़्स का ऐब ज़्यादा सख़्त है। और चूँकि असल मक़सूद कम देने की निन्दा करना है इसलिए उसमें नाप और तौल दोनों का ज़िक्र किया ताकि ख़ूब वज़ाहत हो जाए कि नापने में भी कम देते हैं, तौलने में भी कम देते हैं। और चूँकि पूरा लेना अपने आपमें बुराई का सबब नहीं है इसलिए वहाँ नाप और तौल दोनों का ज़िक्र नहीं किया बल्कि एक ही का ज़िक्र किया। फिर नापने को शायद इसलिए ख़ास किया हो कि अ़रब में ज़्यादा दस्तूर नापने का था।

3. सिज्जीन सातवीं ज़मीन में एक मक़ाम है जो काफ़िरों की रूहों का ठिकाना है, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत कअ़ब से और दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास, मुजाहिद, क़तादा, फ़रक़द और अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़मर से मरफ़ूअ़न नक़ल किया गया है।

(तफ़सीर पृष्ठ 1080) **1.** इल्लिय्यीन सातवें आसमान पर एक मक़ाम है जो मोमिनों की रूहों का ठिकाना है, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत कअ़ब से बयान किया गया है।

2. यह मोमिन के लिए बहुत बड़ा सम्मान है जैसा कि रूहुल-मआ़नी में हज़रत कअ़ब से रिवायत है कि जब फ़रिश्ते मोमिन की रूह को क़ब्ज़ करके ले जाते हैं तो हर आसमान के मुक़र्रब फ़रिश्ते उसके साथ होते जाते हैं यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुँचकर उस रूह को रख देते हैं। फिर फ़रिश्ते अ़र्ज़ करते हैं कि हम इसका आमालनामा खोलकर देखना चाहते हैं। चुनाँचे वह आमालनामा खोलकर दिखलाया जाता है।

3. जैसे क़ायदा है कि लाख वग़ैरह लगाकर उसपर मुहर कर देते हैं और ऐसी चीज़ को 'तीन ख़िताम' कहते हैं। वहाँ शराब के मुँह पर कस्तूरी लगाकर उसपर मुहर कर दी जाएगी जो इस बात की निशानी होगी कि इस शराब में से न तो कुछ निकाली गई है और न बाहर की कोई चीज़ इसमें दाख़िल की गई है।

4. यानी हिर्स के लायक़ यह है, चाहे सिर्फ़ शराब मुराद ली जाए चाहे जन्नत की तमाम नेमतें, यानी हासिल करने के लायक़ ये नेमतें हैं न कि दुनिया की फ़ानी नेमतें। और उनके हासिल करने का तरीक़ा नेक आमाल हैं। पस उनमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए।

5. मतलब यह कि सामने और पीछे हर हालत में मोमिनों का अपमान करने और उनके मज़ाक़ उड़ाने का मश्ग़ला रहता। लेकिन जब सामने मौजूद होते तो इशारे चला करते और पीछे खुलकर बुराइयाँ करते, हालाँकि मुसलमानों का अपमान और हँसी उड़ाने के बजाय काफ़िरों को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए थी। उन्होंने एक तो अहले हक़ का मज़ाक़ उड़ाया, फिर अपनी इस्लाह से बेफ़िक्र रहे।

6. दुर्रे मन्सूर में हज़रत क़तादा से रिवायत है कि कुछ दरीचे-झरोके ऐसे होंगे जिनसे जन्नत वाले दोज़ख़ियों को देख सकेंगे, पस उनका बुरा हाल देखकर बदला लेने के तौर पर हँसेंगे।

7. यहाँ हुक्म से मुराद फटने का हुक्म तक्वीनी है और मानने से मुराद उसका वाक़ेअ़ हो जाना है।

8. जिस तरह चमड़ा या रबड़ खींचा जाता है। पस ज़मीन अपनी मौजूदा मिक़्दार (यानी मात्रा) से बहुत ज़्यादा लम्बी-चौड़ी हो जाएगी ताकि शुरू से आख़िर तक की तमाम मख़्लूक़ उसपर समा सकें, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में उम्दा सनद के साथ हाकिम की रिवायत से मरफ़ूअ़न आया है- "क़ियामत के दिन ज़मीन चमड़े की तरह फैला दी जाएगी"। पस यह फटना और यह लम्बा होना दोनों हिसाब के मुक़द्दिमात में से हैं।

अपने रब के पास पहुँचने तक (यानी मरने के वक़्त तक) काम में कोशिश कर रहा है, फिर (क़ियामत में) उस (काम की जज़ा) से जा मिलेगा। **(6)** तो (उस दिन) जिस शख़्स का आमालनामा उसके दाहिने हाथ में मिलेगा **(7)** सो उससे आसान हिसाब लिया जाएगा[1] **(8)** और (वह उससे फ़ारिग़ होकर) अपने मुताल्लिक़ीन के पास ख़ुश-ख़ुश आएगा। **(9)** और जिस शख़्स का आमालनामा (उसके बाएँ हाथ में) उसकी पीठ के पीछे से मिलेगा[2] **(10)** सो वह मौत को पुकारेगा **(11)** और जहन्नम में दाख़िल होगा। **(12)** यह शख़्स (दुनिया में) अपने मुताल्लिक़ीन में ख़ुश-ख़ुश रहा करता था (यहाँ तक कि ख़ुशी की ज़्यादती में आख़िरत को झुठलाया करता था)। **(13)** उसने ख़्याल कर रखा था कि उसको (ख़ुदा की तरफ़) लौटना नहीं है। **(14)** (आगे इस ख़्याल का रद्द है कि लौटना) क्यों न होता, उसका रब उसको ख़ूब देखता था। **(15)** सो (इस बिना पर) मैं क़सम खाकर कहता हूँ शफ़क़ "यानी वह सुर्ख़ी जो सुबह को सूरज के निकलने से पहले और शाम को सूरज के छुपने के बाद" की। **(16)** और रात की और उन चीज़ों की जिनको रात समेट (कर जमा कर) लेती है।[3] **(17)** और चाँद की जब वह पूरा हो जाए **(18)** कि तुम लोगों को ज़रूर एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुँचना है।[4] **(19)** सो (बावजूद इन चीज़ों के जो कि ख़ौफ़ और ईमान के जमा होने का तक़ाज़ा करती हैं) उन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते। **(20)** और (जब उनके बैर और दुश्मनी की यह हालत है कि) जब उनके सामने क़ुरआन पढ़ा जाता है तो उस वक़्त भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ नहीं झुकाते। ❑ **(21)** बल्कि ये काफ़िर (और उल्टा) झुठलाते हैं। **(22)** और अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर है जो कुछ ये लोग (बुरे आमाल का ज़ख़ीरा) जमा कर रहे हैं। **(23)** सो (उन कुफ़्रिया आमाल के सबब) आप उन लोगों को एक दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर दे दीजिए। **(24)** लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अ़मल किए, उनके लिए (आख़िरत में) ऐसा अज्र है जो कभी मौक़ूफ़ होने वाला नहीं। **(25)** ❖

85 सूरः बुरूज 27

सूरः बुरूज मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 22 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है बुरजों वाले आसमान की (मुराद बुरजों से बड़े-बड़े सितारे हैं)। **(1)** और (क़सम) है वायदा किए हुए दिन की **(2)** और हाज़िर होने वाले की, और (क़सम है) उस (दिन) की जिसमें (लोगों की) हाज़िरी होती है।[5] **(3)** कि मलऊन हुए ख़न्दक़ वाले **(4)** यानी बहुत-से ईंधन की आग वाले, **(5)** जिस वक़्त वे लोग उस (आग) के आस-पास बैठे हुए थे। **(6)** और वे जो कुछ मुसलमानों के साथ (ज़ुल्म व सितम) कर रहे थे उसको देख रहे थे। **(7)** और उन काफ़िरों ने उन मुसलमानों में कोई ऐब नहीं पाया सिवाय इसके कि वे ख़ुदा पर ईमान ले आए थे[6] जो ज़बरदस्त (और) तारीफ़ के लायक़ है। **(8)** ऐसा कि उसी की बादशाहत है आसमानों और ज़मीन की, और (आगे ज़ालिमों के लिए आ़म सज़ा की धमकी और डाँट है, और मज़लूमों के लिए आ़म वायदा है) अल्लाह हर चीज़ से ख़ूब वाक़िफ़ है। **(9)** जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औ़रतों

---

1. आसान हिसाब के मुख़्तलिफ़ दर्जे हैं। एक यह कि उसपर बिलकुल अ़ज़ाब लागू न हो, बाज़ के लिए तो यह होगा और हदीस में इसी की तफ़सीर आई है कि जिस हिसाब में ज़्यादा बहस व पूछताछ न हो, सिर्फ़ पेशी हो जाए और यह उन लोगों के लिए होगा जिनपर अ़ज़ाब नहीं होगा। दूसरा यह कि उसपर हमेशा के लिए अ़ज़ाब न हो और यह आ़म मोमिनों के लिए होगा, और मुतलक़ अ़ज़ाब उसके ख़िलाफ़ नहीं।
2. इससे कुफ़्फ़ार मुराद हैं, और पीठ की तरफ़ से मिलने की दो सूरतें हो सकती हैं- एक यह कि **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1086 पर)**

को तकलीफ़ पहुँचाई और फिर तौबा नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अ़ज़ाब है, और (ख़ास तौर पर जहन्नम में) उनके लिए जलने का अ़ज़ाब है। **(10)** (आगे मोमिनों के हक़ में जिनमें मज़लूम लोग भी आ गए, इरशाद है कि) बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अ़मल किए उनके लिए (जन्नत के) बाग़ हैं, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी (और) यह बड़ी कामयाबी है। **(11)** आपके रब की पकड़ बड़ी सख़्त है। **(12)** (पस काफ़िरों पर सख़्त सज़ा का वाक़ेअ़ होना कोई बईद नहीं और यह कि) वही पहली बार भी पैदा करता है और वही दोबारा (क़ियामत में भी) पैदा करेगा। **(13)** और वही बड़ा बख़्शने वाला (और) बड़ी मुहब्बत करने वाला **(14)** (और) अ़र्श का मालिक (और) बड़ाई वाला है। **(15)** वह जो चाहे सब कुछ कर गुज़रता है। **(16)** क्या आपको उन लश्करों का क़िस्सा पहुँचा है **(17)** यानी फ़िरऔ़न और समूद का? **(18)** बल्कि ये काफ़िर (ख़ुद क़ुरआन को) झुठलाने में (लगे) हैं। **(19)** और (अन्जामकार उसकी सज़ा भुगतेंगे, क्योंकि अल्लाह उनको इधर-उधर से घेरे हुए है। **(20)** (क़ुरआन ऐसी चीज़ नहीं जो झुठलाने के क़ाबिल हो) बल्कि वह एक अ़ज़्मत वाला क़ुरआन है **(21)** जो लौहे-महफ़ूज़ में (लिखा हुआ) है। **(22)** ❖

86 सूरः तारिक़ 36

सूरः तारिक़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 17 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है आसमान की और उस चीज़ की जो रात को ज़ाहिर होने वाली है। **(1)** और आपको कुछ मालूम है कि वह रात को ज़ाहिर होने वाली चीज़ क्या है? **(2)** वह चमकदार सितारा है। **(3)** कोई शख़्स ऐसा नहीं जिसपर (आमाल का) याद रखने वाला कोई (फ़रिश्ता) मुक़र्रर न हो।[1] **(4)** (जब यह बात है) तो इनसान को (क़ियामत की फ़िक्र करनी चाहिए और) देखना चाहिए कि वह किस चीज़ से पैदा किया गया है। **(5)** वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है **(6)** जो पीठ और सीने (यानी पूरे बदन) के दरमियान से निकलता है।[2] **(7)** (तो इससे साबित हुआ कि) वह उसके दोबारा पैदा करने पर ज़रूर क़ादिर है। **(8)** (और यह दोबारा पैदा करना उस दिन होगा) जिस दिन सबकी क़लई खुल जाएगी।[3] **(9)** फिर इस इनसान को न तो ख़ुद (अपनी रक्षा की) क़ुव्वत होगी और न इसका कोई हिमायती होगा। **(10)** क़सम है आसमान की जिससे बारिश होती है **(11)** और ज़मीन की जो (बीज निकलते वक़्त) फट जाती है। **(12)** (आगे क़सम का जवाब है) कि यह क़ुरआन (हक़ व बातिल में) एक फ़ैसला कर देने वाला कलाम है **(13)** कोई बेकार चीज़ नहीं है।[4] **(14)** (उन लोगों का यह हाल है कि) ये लोग (हक़ के इनकार के लिए) तरह-तरह की तदबीरें कर रहे हैं **(15)** और मैं भी (उनकी नाकामी और सज़ा के लिए) तरह-तरह की तदबीरें कर रहा हूँ। **(16)** तो आप उन काफ़िरों (की मुख़ालफ़त) को यूँ ही रहने दीजिए, (और ज़्यादा दिन नहीं बल्कि) उनको थोड़े ही दिनों रहने दीजिए। **(17)** ❖

(पृष्ठ 1084 का शेष) उसकी मश्कें कसी हुई होंगी तो बायाँ हाथ भी पीठ की तरफ़ होगा। दूसरी सूरत हज़रत मुजाहिद का क़ौल है कि उसका हाथ पीठ की तरफ़ निकाल दिया जाएगा। दुर्रे मन्सूर में इसी तरह बयाम किया गया है।

3. मुराद वे सब जानदार हैं जो रात को आराम करने के लिए अपने-अपने ठिकाने पर आ जाते हैं।

4. वे हालतें एक मौत है, उसके बाद बरज़ख़ के हालात, उसके बाद क़ियामत के हालात, फिर ख़ुद उनमें भी तादाद व ज़्यादती है। और इन क़स्मों का मौक़े के मुनासिब होना इस तरह है कि रात की हालतों का विभिन्न होना कि पहले सुर्ख़ी ज़ाहिर होती है फिर ज़्यादा रात आती है तो सब सो जाते हैं, **(पृष्ठ 1084 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1086 की तफ़सीर पृष्ठ 1088-1093 पर)**

87 सूरः अअ़्ला 8

सूरः अअ़्ला मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 19 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (और जो मोमिन आपके साथ हैं) अपने रब आ़ली- शान के नाम की तस्बीह कीजिए। **(1)** जिसने (हर चीज़ को) बनाया, फिर (उसको) ठीक बनाया। **(2)** और जिसने तजवीज़ किया फिर राह बतलाई। **(3)** और जिसने (ज़मीन से) चारा निकाला **(4)** फिर उसको स्याह कूड़ा कर दिया।[1] **(5)** (इस क़ुरआन के बारे में हम वायदा करते हैं कि) हम (जितना) क़ुरआन (नाज़िल करते जाएँगे) आपको पढ़ा दिया करेंगे (यानी याद करा दिया करेंगे), फिर आप उसमें से कोई हिस्सा नहीं भूलेंगे। **(6)** मगर जिस क़द्र (भुलाना) अल्लाह को मन्ज़ूर हो (कि मन्सूख़ करने का तरीक़ा यह भी है)। वह ज़ाहिर और छुपी हर चीज़ को जानता है।[2] **(7)** और (इसी तरह) हम इस शरीअ़त के लिए आपको सहूलत देंगे (यानी समझना भी आसान होगा और अ़मल भी आसान होगा) **(8)** तो आप नसीहत किया कीजिए, अगर नसीहत करना मुफ़ीद होता हो।[3] **(9)** वही शख़्स नसीहत मानता है जो (ख़ुदा से) डरता है। **(10)** और जो शख़्स बद-नसीब हो वह उससे गुरेज़ करता है **(11)** जो (आख़िरकार) बड़ी आग में (यानी दोज़ख़ की आग में) दाख़िल होगा। **(12)** फिर न उसमें मर ही जाएगा और न (आराम की ज़िन्दगी) जियेगा। **(13)** मुराद पाई उस शख़्स ने जो (क़ुरआन सुनकर ग़लत अ़क़ीदों और बुरे अख़्लाक़ से) पाक हो गया **(14)** और अपने रब का नाम लेता और नमाज़ पढ़ता रहा। **(15)** (मगर ऐ इनकार करने वालो! तुम आख़िरत का सामान नहीं करते) बल्कि तुम दुनियावी ज़िन्दगी को मुक़द्दम रखते हो **(16)** हालाँकि आख़िरत (दुनिया से) कहीं बेहतर और पायदार है। **(17)** (और यह मज़मून सिर्फ़ क़ुरआन ही का दावा नहीं बल्कि) यह मज़मून अगले सहीफ़ों में भी है **(18)** यानी इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में।[4] (पस इससे और भी ज़्यादा ताकीद हो गई)। **(19)** ❖

88 सूरः ग़ाशियः 68

सूरः ग़ाशियः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 26 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

आपको उस आ़म घेराव करने वाले वाक़िए की कुछ ख़बर पहुँची है? (मुराद इससे क़ियामत है)। **(1)** बहुत-से चेहरे उस दिन ज़लील (और) मुसीबत झेलते **(2)** (और मुसीबत झेलने से) ख़स्ता होंगे **(3)** (और) भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे **(4)** (और) खौलते हुए चश्मे से पानी पिलाए जाएँगे। **(5)** (और) उनको सिवाय एक काँटेदार झाड़ के और कोई खाना नसीब न होगा। **(6)** जो न (तो खाने वालों को) मोटा करेगा और न (उनकी) भूख को दूर करेगा।[5] **(7)** बहुत-से चेहरे उस दिन रौनक़ वाले **(8)** (और) अपने (नेक) कामों की बदौलत ख़ुश होंगे **(9)** (और) आला दर्जे की जन्नत में होंगे **(10)** जिसमें कोई बेहूदा बात न

(पिछले पृष्ठ का शेष) और फिर एक रात का दूसरी रात से चाँद की रोशनी के कम ज़्यादा होने में मुख़्तलिफ़ और विभिन्न होना, ये सब हालात का मुख़्तलिफ़ होना मौत के बाद के हालात से मुशाबह है। और मौत से आख़िरत की दुनिया शुरू होती है जैसे सुर्ख़ी से रात शुरू होती है। फिर मरने के बाद यानी बरज़ख़ की ज़िन्दगी लोगों के सो रहने की तरह है, और घटने के बाद चाँद का पूरा होना दुनिया के फ़ना होने के बाद **(पृष्ठ 1084 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1086, 1088 की तफ़सीर पृष्ठ 1090-1093 पर)**

सुनेंगे। (11) उस (जन्नत) में बहते हुए चश्मे होंगे। (12) (और) उस (जन्नत) में ऊँचे-ऊँचे तख़्त (बिछे) हैं (13) और रखे हुए आबख़ोरे "पानी पीने के बरतन" (मौजूद) हैं। (14) और बराबर-बराबर लगे हुए गद्दे (तकिए) हैं (15) और सब तरफ़ क़ालीन (ही क़ालीन) फैले पड़े हैं।[1] (16) तो क्या वे लोग ऊँट को नहीं देखते कि किस तरह (अ़जीब तौर पर) पैदा किया गया है? (17) और आसमान को (नहीं देखते) कि तरह बुलन्द किया गया है? (18) और पहाड़ों को (नहीं देखते) कि किस तरह खड़े किए गए हैं? (19) और ज़मीन को (नहीं देखते) कि किस तरह बिछाई गई है?[2] (20) तो आप (भी उनकी फ़िक्र में न पड़िए बल्कि सिर्फ़) नसीहत कर दिया कीजिए, (क्योंकि) आप तो सिर्फ़ नसीहत करने वाले हैं। (21) (और) आप उनपर मुसल्लत नहीं हैं (जो ज़्यादा फ़िक्र में पड़ें)। (22) हाँ, मगर जो मुँह फेरेगा और कुफ़्र करेगा (23) तो ख़ुदा उसको (आख़िरत में) बड़ी सज़ा देगा। (24) क्योंकि हमारे ही पास उनका आना होगा। (25) फिर हमारा ही काम उनसे हिसाब लेना है (आप ज़्यादा ग़म में न पड़िए)। ● (26) ❖

89 सूरः फ़ज्र 10

सूरः फ़ज्र मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 30 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है (फ़ज्र के वक़्त की) (1) और (ज़िलहिज्जा की) दस रातों की (2) और जुफ़्त और ताक़ "यानी जोड़े और बेजोड़" की[3] (3) और (क़सम है) रात की जब वह चलने लगे (यानी गुज़रने लगे) (4) क्यों इस (ज़िक्र हुई क़सम) में अ़क़्लमन्द के वास्ते काफ़ी क़सम भी है।[4] (5) क्या आपको मालूम नहीं कि आपके परवर्दिगार ने क़ौमे आ़द यानी क़ौमे इरम के साथ क्या मामला किया? (6) जिनके डील-डोल सुतूनों के जैसे (लम्बे) थे। (7) (और) जिनकी बराबर (ताक़त व क़ुव्वत में दुनिया भर के) शहरों में कोई शख़्स नहीं पैदा किया गया।[5] (8) और (आपको मालूम है कि) क़ौमे समूद के (साथ क्या मामला किया गया) जो वादी-ए-क़ुरा में (पहाड़ के) पत्थरों को तराशा करते थे (और मकानात बनाया करते थे)। (9) और मेख़ों वाले फ़िरऔन के साथ[6] (10) जिन्होंने शहरों में सर उठा रखा था। (11) और उनमें बहुत फ़साद मचा रखा था। (12) सो आपके रब ने उनपर अ़ज़ाब का कोड़ा बरसाया। (13) बेशक आपका रब (नाफ़रमानों की) घात में है। (14) सो आदमी को जब उसका परवर्दिगार आज़माता है, यानी उसको (ज़ाहिरी तौर पर) इकराम व इनाम देता है तो वह (फ़ख़्र के तौर पर) कहता है कि मेरे रब ने मेरी क़द्र बढ़ा दी। (15) और जब उसको (दूसरी तरह) आज़माता है, यानी उसकी रोज़ी उसपर तंग कर देता है तो वह (शिकायत के तौर पर) कहता है कि मेरे रब ने मेरी क़द्र घटा दी।[7] (16) हरगिज़ ऐसा नहीं! बल्कि तुम (में और आमाल भी अ़ज़ाब का सबब हैं, चुनाँचे तुम) लोग यतीम की (कुछ) क़द्र (और ख़ातिर) नहीं करते हो (17) और दूसरों को भी मिस्कीन को खाना देने की तरग़ीब नहीं देते।[8] (18) और (तुम) मीरास का माल समेटकर खा जाते हो। (19) और माल से तुम लोग

(पिछले पृष्ठ का शेष) क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने के मुशाबह है।

5. तिर्मिज़ी शरीफ़ की हदीस में आया है कि "वायदा किया हुआ दिन" क़ियामत का दिन है और "हाज़िर होने वाला" जुमे का दिन है, और "जिस दिन में हाज़िरी होती है" अ़र्फ़े का दिन है जिसमें हाजी लोग अपने-अपने मक़ामात से सफ़र करके अ़रफ़ात में उस दिन के इरादे से जमा होते हैं, गोया वह दिन मक़सूद (यानी जिसका इरादा किया जाए) और दूसरे लोग हाज़िरी का इरादा करने वाले हैं।

6. इस सूरः में एक वाक़िए का मुख़्तसर तौर पर तज़्किरा है जो मुस्लिम शरीफ़ में ज़िक्र किया गया है। ख़ुलासा उसका यह है कि किसी काफ़िर बादशाह के पास (पृष्ठ 1084 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1086, 1088, 1090 की तफ़सीर पृष्ठ 1092-1094 पर)

बहुत ही मुहब्बत रखते हो। **(20)** (आगे इन कामों को अ़ज़ाब का सबब न समझने पर तंबीह है) कि हरगिज़ ऐसा नहीं! (जैसा कि तुम समझते हो)। जिस वक़्त ज़मीन को तोड़-तोड़कर रेज़ा-रेज़ा कर दिया जाएगा **(21)** और आपका रब और गिरोह के गिरोह फ़रिश्ते (मैदाने-महशर में) आएँगे।[1] **(22)** और उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, उस दिन इनसान को समझ आएगी, और अब समझ आने का मौक़ा कहाँ रहा।[2] **(23)** कहेगा काश! मैं इस (आख़िरत की) ज़िन्दगी के लिए कोई (नेक) अ़मल आगे भेज लेता। **(24)** पस उस दिन न तो ख़ुदा के अ़ज़ाब के बराबर कोई अ़ज़ाब देने वाला निकलेगा **(25)** और न उसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ने वाला निकलेगा। **(26)** (और जो अल्लाह तआ़ला के फ़रमाँबरदार थे उनको इरशाद होगा कि) ऐ इत्मीनान वाली रूह![3] **(27)** तू अपने परवर्दिगार (के क़रीब रहमत) की तरफ़ चल, इस तरह से कि तू उससे ख़ुश और वह तुझसे ख़ुश। **(28)** फिर (उधर चलकर) तू मेरे (ख़ास) बन्दों में शामिल हो जा (कि यह भी रूहानी नेमत है), **(29)** और मेरी जन्नत में दाख़िल हो जा। **(30)** ❖

90 सूरः बलद् 35

सूरः बलद् मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 20 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

मैं क़सम खाता हूँ इस शहर (यानी मक्का) की **(1)** और (मज़मून से हटकर इस जुमले में आपकी तसल्ली के लिए पेशीनगोई फ़रमाते हैं कि) आपको इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है।[4] **(2)** और क़सम है बाप की औलाद की[5] **(3)** कि हमने इनसान को बड़ी मशक़्क़त में पैदा किया है।[6] **(4)** क्या वह यह ख़्याल करता है कि उसपर किसी का बस न चलेगा[7] **(5)** (और) कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा माल ख़र्च कर डाला।[8] **(6)** क्या वह यह ख़्याल करता है कि उसको किसी ने देखा नहीं **(7)** क्या हमने उसको दो आँखें **(8)** और ज़बान और दो होंठ नहीं दिए। **(9)** और (फिर) हमने उसको (बुराई और भलाई के) दोनों रास्ते बतला दिए। **(10)** सो वह शख़्स (दीन की) घाटी में से होकर न निकला।[9] **(11)** और आपको मालूम है कि घाटी (से) क्या (मुराद) है? **(12)** वह किसी (की) गर्दन का गुलामी से छुड़ा देना है **(13)** या खाना खिलाना फ़ाक़े के दिन में **(14)** किसी रिश्तेदार यतीम को, **(15)** या किसी ख़ाकसार मोहताज को (यानी अल्लाह के इन अहकाम का पालन करना चाहिए था)। **(16)** फिर (सबसे बढ़कर यह कि) उन लोगों में से न हुआ जो ईमान लाए और एक-दूसरे को (ईमान की) पाबन्दी की नसीहत व तंबीह की, और एक-दूसरे को (मख़्लूक़ पर) रहम करने की (यानी ज़ुल्म को छोड़ने की) तंबीह व नसीहत की।[10] **(17)** यही लोग दाहिने वाले हैं। **(18)** और जो

(पिछले पृष्ठ का शेष) एक 'काहिन' (यानी ग़ैब की ख़बरें बताने वाला) था। उसने बादशाह से कहा कि मुझको कोई होशियार लड़का दो तो मैं उसको अपना कहानत का इल्म सिखा दूँ। चुनाँचे एक लड़का तजवीज़ किया गया, उसके रास्ते में एक ईसाई आ़लिम रहता था जो उस वक़्त के दीने हक़ यानी ईसाईयत का सच्चा पैरोकार था। उस लड़के का ईसाई आ़लिम के पास भी आना-जाना शुरू हो गया। चुनाँचे वह ख़ुफ़िया मुसलमान हो गया। एक बार उस लड़के ने देखा कि एक शेर ने रास्ता रोक रखा है और लोग परेशान हैं। उसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ़ की, ऐ अल्लाह! अगर राहिब (यानी ईसाई आ़लिम) का दीन सच्चा है तो यह जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए। यह कहकर वह पत्थर मारा तो शेर को लगा और वह हलाक हो गया। लोगों में चर्चा हुआ कि इस लड़के को कोई अ़जीब इल्म आता है। किसी अन्धे ने सुना तो उसने लड़के से आकर कहा कि मेरी आँखें अच्छी हो जाएँ। लड़के ने दुआ़ की तो वह 'बीना' (यानी देखने वाला) होकर मुसलमान हो गया। बादशाह को ये ख़बरें पहुँचीं तो उसने लड़के और राहिब (ईसाई आ़लिम) और अन्धे को जो अब देखने वाला था, गिरफ़्तार करा कर बुलाया। राहिब और अन्धे को शहीद करा दिया और लड़के के लिए हुक्म दिया कि पहाड़ पर से गिराया जाए।

(पृष्ठ 1084 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1086, 1088, 1090, 1092 की तफ़सीर पृष्ठ 1093-1094 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) उस वक़्त उनके सामने ऊँट होते थे और ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन और किनारों में पहाड़, इसलिए इन निशानियों में ग़ौर करने के लिए इरशाद फ़रमाया गया।

3. 'जोड़े' से मुराद ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ और 'बेजोड़' से मुराद नवीं तारीख़ है जैसा कि हदीस में है। और एक हदीस में है कि इससे नमाज़ मुराद है कि किसी की ताक़ यानी बेजोड़ रकअ़तें हैं और किसी की जुफ़्त यानी जोड़ वाली। पहली हदीस को रिवायत के एतिबार से भी सही कहा गया है और दिरायत (यानी अ़क़्ल व समझ) के एतिबार से भी वह ज़्यादा तरजीह रखती है। क्योंकि बक़िया तक़सीम होने वाले ज़मानों में से हैं।

4. सवाल करना ताकीद और मज़बूती के लिए है। यानी उन ज़िक्र हुई क़स्मों में से हर-हर क़सम कलाम की ताकीद के लिए काफ़ी है, और अगरचे सब क़स्में ऐसी ही हैं मगर एहतिमाम के लिए उसके काफ़ी होने की वज़ाहत फ़रमा दी, जैसा कि सूरः वाक़िअ़ः में अल्लाह तआ़ला का क़ौल गुज़रा "व इन्नहू ल-क़-समुन् लौ तअ्लमू-न अ़ज़ीम" और क़सम का जवाब इसी में मौजूद है कि इनकारियों को सज़ा ज़रूर होगी।

5. उस क़ौम के दो लक़ब हैं 'आ़द' और 'इरम' क्योंकि आ़द बेटा है आ़स का और वह इरम का और वह साम बिन नूह अ़लैहिस्सलाम का। पस कभी उनको आ़द कहते हैं उनके बाप के नाम पर और कभी इरम कहते हैं उनके दादा के नाम पर, और उस इरम का एक बेटा आ़बिर है, और आ़बिर का बेटा समूद जिसके नाम से एक क़ौम मश्हूर है, पस आ़द व समूद दोनों इरम में जा मिले हैं। आ़द आ़स के वास्ते से और समूद आ़बिर के वास्ते से।

6. दुर्रे मन्सूर में अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसकी तफ़सीर नक़ल की गई है कि वह जिसको सज़ा देता था उसके चारों हाथ-पावँ मेख़ों यानी कीलों से बाँधकर सज़ा देता था। और इसकी एक तफ़सीर सूरः सॉद में गुज़र चुकी है।

7. यानी मुझको इसके बावजूद कि मैं इकराम व सम्मान का हक़दार हूँ अपनी नज़र से आजकल गिरा रखा है कि दुनियावी नेमतें कम हो गईं। मतलब यह कि काफ़िर दुनिया ही को असल समझता है कि उसके ज़्यादा होने को मक़बूलियत की दलील और अपने को उसका मुस्तहिक़ और तंगी को धुतकारा हुआ होने की दलील और अपने को उसका ग़ैर-मुस्तहिक़ समझता है। पस इसमें दो चीज़ें बचने की हैं, एक दुनिया को असल मक़सूद समझना जिससे आख़िरत का इनकार और उसको छोड़ना सामने आता है, दूसरे हक़दार होने का दावा जिससे नेमत पर फ़ख़्र-नाज़, नाशुक्री और बला व मुसीबत पर शिकवा व बेसब्री निकलती है, और ये सब आमाल अ़ज़ाब का सबब हैं।

8. यानी दूसरों के वाजिब हुक़ूक़ न खुद अदा करते हैं न औरों को वाजिब हुक़ूक़ अदा करने को कहते हैं। और अ़मली तौर पर उसके तारिक (छोड़ने वाले) और एतिक़ाद के तौर पर उसके मुन्किर (इनकार करने वाले) हो, और काफ़िर के लिए वाजिब का छोड़ना अ़ज़ाब के ज़्यादा होने के और एतिक़ाद का ख़राब होना नफ़्से अ़ज़ाब का सबब है।

(तफ़सीर पृष्ठ 1092) 1. यह हिसाब के वक़्त होगा और अल्लाह तआ़ला का आना 'मुतशाबिहात' (यानी इसका सही मतलब अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं बता सकता कि उसकी कैफ़ियत क्या होगी) में से है।

2. क्योंकि आख़िरत बदला मिलने की जगह है, अ़मल करने की जगह नहीं।

3. मक़ाम के क़रीने से यह ख़िताब "ऐ इत्मीनान वाली रूह!......आख़िर तक" क़ियामत के दिन मालूम होता है। और बाज़ रिवायतों में जो आया है कि मरने के वक़्त मोमिन से कहा जाता है, वहाँ आयत की तफ़सीर मक़सूद नहीं, न मरने के वक़्त की तख़्सीस है।

4. चुनाँचे मक्का फ़त्ह होने के दिन आपके लिए हरम के अहकाम बाक़ी नहीं रहे थे।

5. सारी औलाद के बाप आदम अ़लैहिस्सलाम हैं। पस आदम अ़लैहिस्सलाम और आदम की औलाद सबकी क़सम हुई।

6. चुनाँचे उम्र में कहीं बीमारी में, कहीं रंज में, कहीं फ़िक्र में ज़्यादातर मुब्तला रहता है, और उसका तक़ाज़ा यह था कि उसमें आ़जिज़ी व इन्किसारी पैदा होती और अपने को तक़दीर के हाथों मजबूर समझकर हुक्म का फ़रमाँबरदार और अल्लाह की रिज़ा के ताबे होता, लेकिन काफ़िर इनसान की यह हालत है कि बिलकुल भूल में पड़ा हुआ है।

7. यानी क्या अल्लाह की क़ुदरत से अपने को बाहर समझता है जो इस क़द्र भूल में पड़ा हुआ है।

8. यानी एक तो शैख़ी बघारता है फिर रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दुश्मनी, इस्लाम की मुख़ालफ़त और गुनाहों में ख़र्च करने को हुनर समझता है, फिर झूठ भी बोलता है कि उसको ज़्यादा माल बतलाता है।

9. दीन के कामों को इसलिए घाटी कहा कि वे नफ़्स पर भारी हैं।

10. ईमान तो सबसे पहले है फिर ईमान पर साबित-क़दम रहने का हुक्म करना औरों से अफ़ज़ल है। फिर दूसरों को तकलीफ़ न देना बक़िया से अहम है, फिर उन आमाल का रुतबा है जो "फ़क्कु र-क़-बतिन्" से "ज़ा मत्-र-बतिन्" तक ज़िक्र किए गए हैं।

लोग हमारी आयतों के इनकारी हैं वे लोग बाएँ वाले हैं। **(19)** उनपर घेरने वाली आग होगी जिसको बन्द कर दिया जाएगा।[1] **(20)** ❖

91 सूरः शमूस 26

सूरः शमूस मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 15 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है सूरज की और उसकी रोशनी की **(1)** और चाँद की जब सूरज (के छुपने के) पीछे आए।[2] **(2)** और (क़सम है) दिन की जब वह उस (सूरज) को ख़ूब रोशन कर दे। **(3)** और (क़सम है) रात की जब वह उस (सूरज) को छुपा ले। **(4)** और (क़सम है) आसमान की और उस (ज़ात) की जिसने उसको बनाया।[3] **(5)** और (क़सम है) ज़मीन की और उस (ज़ात) की जिसने उसको बिछाया। **(6)** और (क़सम है इनसान की) जान की और उस (ज़ात) की जिसने उसको दुरुस्त बनाया। **(7)** फिर उसकी बद-किरदारी और परहेज़गारी (दोनों बातों) को उसके दिल में डाला।[4] **(8)** यक़ीनन वह मुराद को पहुँचा जिसने इस (जान) को पाक कर लिया **(9)** और नामुराद हुआ जिसने इसको (गुनाहों और बुराइयों में) दबा दिया। **(10)** क़ौमे समूद ने अपनी शरारत के सबब (सालेह अ़लैहिस्सलाम को) झुठलाया **(11)** (और यह उस ज़माने का क़िस्सा है) जबकि उस क़ौम में जो सबसे ज़्यादा बदबख़्त था **(12)** वह (ऊँटनी के क़त्ल करने के लिए) उठ खड़ा हुआ, तो उन लोगों से अल्लाह के पैग़म्बर (सालेह अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि अल्लाह की (इस) ऊँटनी से और इसके पानी पीने से ख़बरदार रहना।[5] **(13)** सो उन्होंने पैग़म्बर को झुठलाया, फिर उस ऊँटनी को मार डाला, तो उनके परवर्दिगार ने उनके गुनाहों के सबब उनपर हलाकत नाज़िल फ़रमाई, फिर उस (हलाकत) को तमाम क़ौम के लिए आ़म फ़रमाया। **(14)** और अल्लाह तआ़ला को उस हलाकत के अख़ीर में किसी ख़राबी (के निकलने) का (किसी से) अन्देशा नहीं हुआ।[6] **(15)** ❖

92 सूरः लैल 9

सूरः लैल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 21 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है रात की जबकि वह (सूरज को और दिन को) छुपा ले। **(1)** और (क़सम है) दिन की जबकि वह रोशन हो जाए। **(2)** और (क़सम है) उस (ज़ात पाक) की जिसने नर और मादा को पैदा किया **(3)** कि बेशक तुम्हारी कोशिशें (यानी आमाल) मुख़्तलिफ़ हैं। **(4)** सो जिसने अल्लाह की राह में (माल) दिया और अल्लाह से डरा, **(5)** और अच्छी बात (यानी दीने इस्लाम) को सच्चा समझा, **(6)** तो हम उसको राहत की चीज़ के लिए सामान देंगे।[7] **(7)** और जिसने (अपने ऊपर वाजिब हुक़ूक़ से) बुख़्ल किया और बजाय ख़ुदा से डरने के ख़ुदा से बेपरवाई इख़्तियार की **(8)** और अच्छी बात (यानी इस्लाम) को झुठलाया **(9)** तो हम उसको तकलीफ़ की चीज़ के लिए सामान दे देंगे।[8] **(10)** और उसका माल उसके कुछ काम न आएगा जब वह बर्बाद

1. यानी दोज़ख़ियों को दोज़ख़ में भरकर आगे से दरवाज़ा बन्द कर देंगे, क्योंकि हमेशा रहने की वजह से निकलना तो मिलेगा ही नहीं।
2. यानी निकले, मुराद इससे महीने की दरमियानी बाज़ रातों का चाँद है कि सूरज के छुपने के बाद रोशन होता है, और यह क़ैद शायद इसलिए हो कि वह वक़्त रोशनी के हद को पहुँचने का होता है जैसा कि "जुहाहा" का इशारा है सूरज की रोशनी के कामिल दर्जे को पहुँचने की तरफ़, और या उस वक़्त दो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं- पीछा करने और मिलाने की क़ुदरत, **(शेष तफ़सीर पृष्ठ 1098 पर)**

होने लगेगा। (बरबादी से मुराद जहन्नम में जाना है)। **(11)** वाक़ई हमारे ज़िम्मे राह का बतला देना है **(12)** और (जैसी राह कोई शख़्स इख़्तियार करेगा वैसा ही फल उसको देंगे, क्योंकि) हमारे ही क़ब्ज़े में है आख़िरत और दुनिया।[1] **(13)** (आगे खुलासे के तौर पर इरशाद है कि) तो मैं तुमको एक भड़कती हुई आग से डरा चुका हूँ।[2] **(14)** उसमें (हमेशा के लिए) वही बदबख़्त दाख़िल होगा **(15)** जिसने (दीने हक़ को) झुठलाया और (उससे) मुँह फेरा। **(16)** और उससे ऐसा शख़्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेज़गार है। **(17)** जो अपना माल (सिर्फ़) इस ग़रज़ से देता है कि (गुनाहों से) पाक हो जाए। **(18)** और सिवाय अपने बड़ी शान वाले परवर्दिगार की रिज़ा हासिल करने के (कि यही उसका मक़सूद है) उसके ज़िम्मे किसी का एहसान न था **(19)** कि (उस देने से) उसका बदला उतारना (मक़सूद) हो।[3] **(20)** और यह शख़्स जल्द ही खुश हो जाएगा[4] (यानी आख़िरत में ऐसी-ऐसी नेमतें मिलेंगी)। **(21)** ❖

93 सूरः जुहा[5] 11

सूरः जुहा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है दिन की रोशनी की। **(1)** और रात की जबकि वह क़रार पकड़े।[6] **(2)** (आगे क़सम का जवाब है) कि आपके परवर्दिगार ने न आपको छोड़ा और न (आपसे) दुश्मनी की।[7] **(3)** और आख़िरत आपके लिए दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। (पस वहाँ आपको इससे ज़्यादा नेमतें मिलेंगी)। **(4)** और जल्द ही अल्लाह तआला आपको (आख़िरत में बहुत ज़्यादा नेमतें) देगा, सो आप खुश हो जाएँगे।[8] **(5)** क्या अल्लाह तआला ने आपको यतीम नहीं पाया, फिर (आपको) ठिकाना दिया।[9] **(6)** और अल्लाह ने आपको (शरीअत से) बेख़बर पाया, सो (आपको शरीअत का) रास्ता बतला दिया।[10] **(7)** और अल्लाह तआला ने आपको नादार पाया, सो मालदार बना दिया।[11] **(8)** तो आप (उसके शुक्रिए में) यतीम पर सख़्ती न कीजिए **(9)** और माँगने वाले को मत झिड़किए **(10)** (यह तो अमली शुक्र है) और अपने रब के (ज़िक्र हुए) इनामों का तज़्किरा करते रहा कीजिए (यानी ज़बान से क़ौली शुक्र भी कीजिए)। **(11)** ❖

94 सूरः इन्शिराह 12

सूरः इन्शिराह मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 8 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क्या हमने आपकी ख़ातिर आपका सीना (इल्म, नर्मी और बर्दाश्त से) कुशादा नहीं कर दिया?[12] **(1)** और हमने आपसे आपका वह बोझ उतार दिया **(2)** जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी।[13] **(3)** और हमने आपकी ख़ातिर आपका ज़िक्र बुलन्द किया।[14] **(4)** सो बेशक मौजूदा मुश्किलात के साथ आसानी (होने वाली है)।[15] **(5)** बेशक मौजूदा मुश्किलात के साथ आसानी होने वाली है। **(6)** तो आप जब (तब्लीग़े अहकाम से) फ़ारिग़ हो जाया करें तो (अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ दूसरी खुसूसी इबादतों में) मेहनत किया कीजिए **(7)** और (जो कुछ माँगना हो उसमें) अपने रब ही की तरफ़ तवज्जोह रखिए। **(8)** ❖

(पृष्ठ 1096 का शेष) सूरज का छुपना और चाँद का निकलना।

3. मुराद अल्लाह तआला है और मख़्लूक़ की क़सम को ख़ालिक़ यानी पैदा करने वाले की क़सम पर मुक़द्दम फ़रमाना दलील से मदलूल की तरफ़ जाना है कि तैयारशुदा चीज़ अपने बनाने वाले पर दलालत करती है, पस इस मदलूल (जिसपर दलालत की गई है) में तौहीद पर दलील पकड़ने की तरफ़ भी इशारा हो गया। **(पृष्ठ 1096 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1098 की तफ़सीर पृष्ठ 1100-1113 पर)**

95 सूरः तीन 28

सूरः तीन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 8 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है इन्जीर (के पेड़) की और ज़ैतून (के पेड़) की। **(1)** और तूरे सीनीन की। **(2)** और इस अमन वाले शहर (मक्का शरीफ़) की **(3)** कि हमने इनसान को बहुत ख़ूबसूरत साँचे में ढाला है। **(4)** फिर (उनमें जो बूढ़ा हो जाता है) हम उसको पस्ती की हालत वालों से भी ज़्यादा पस्त कर देते हैं।[1] **(5)** लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए तो उनके लिए इस क़द्र सवाब है जो कभी मौक़ूफ़ न होगा। **(6)** फिर कौन-सी चीज़ तुझको क़ियामत के बारे में मुन्किर बना रही है? **(7)** क्या अल्लाह तआ़ला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है?[2] **(8)** ❖

96 सूरः अ़लक़ 1

सूरः अ़लक़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 19 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (पर जो) क़ुरआन (नाज़िल हुआ करेगा) अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए।[3] (यानी जब पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए) जिसने (मख़्लूक़ात को) पैदा किया। **(1)** जिसने इनसान को ख़ून के लोथड़े से पैदा किया।[4] **(2)** आप क़ुरआन पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है (जो चाहता है अ़ता फ़रमाता है)। **(3)** (और ऐसा है) जिसने (लिखे-पढ़ों को) क़लम से तालीम दी **(4)** (और आ़म तौर पर) इनसान को (दूसरे साधनों से) उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वह न जानता था।[5] **(5)** सचमुच बेशक (काफ़िर) आदमी (आदमियत की) हद से निकल जाता है। **(6)** इस वजह से कि अपने आपको (अपने ही जिन्स के अफ़राद से) बेपरवाह देखता है। **(7)** ऐ (आ़म) मुख़ातब! तेरे रब ही की तरफ़ सबको लौटना होगा। **(8)** ऐ (आ़म) मुख़ातब! भला उस शख़्स का हाल तो बतला जो (हमारे) एक (ख़ास) बन्दे को मना करता है **(9)** जब वह (बन्दा) नमाज़ पढ़ता है।[6] **(10)** (और) ऐ मुख़ातब! भला यह तो बतला कि अगर वह बन्दा हिदायत पर हो (जो कि लाज़िमी कमाल है) **(11)** या वह (दूसरों को भी) परहेज़गारी की तालीम देता हो। **(12)** ऐ मुख़ातब! भला यह तो बतला कि अगर वह शख़्स (नाहक़ दीन को) झुठलाता हो और (हक़ से) मुँह फेरता हो, **(13)** क्या उस शख़्स को यह ख़बर नहीं कि अल्लाह तआ़ला (उसकी सरकशी व शरारत वग़ैरह को) देख रहा है। **(14)** हरगिज़ (ऐसा) नहीं (करना चाहिए, और) अगर यह शख़्स बाज़ न आएगा तो हम (उसको) पैशानी के बाल पकड़कर **(15)** जो कि झूठ और ख़ता में लिप्त पेशानी के बाल हैं (जहन्नम की तरफ़) घसीटेंगे। **(16)** सो यह अपने पास बैठने वाले लोगों को बुला ले। **(17)** (अगर उसने ऐसा किया तो) हम भी दोज़ख़ के प्यादों को बुला लेंगे।[7] **(18)** (आगे फिर तंबीह व मलामत किया जा रहा है कि उसको) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (करना चाहिए मगर) आप उसका कहना न मानिए और (बदस्तूर) नमाज़ पढ़ते रहिए और (ख़ुदा की) नज़दीकी हासिल करते रहिए। ❑ **(19)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) **4.** या यह निस्बत पैदा करने के ऐतिबार से है, यानी दिल में जो नेकी का रुझान होता है या जो बुराई की तरफ़ मैलान होता है, दोनों का पैदा करने वाला अल्लाह तआ़ला है, अगरचे नेकी का ख़्याल दिल में डालना फ़रिश्ते के वास्ते से होता है और बुराई का ख़्याल शैतान के ज़रिये, **(पृष्ठ 1096 की बकिया तफ़सीर और पृष्ठ 1098, 1100 की तफ़सीर पृष्ठ 1102-1113 पर)**

72

97 सूरः क़द्र 25

सूरः क़द्र मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 5 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

बेशक हमने क़ुरआन को शबे-क़द्र में उतारा है। **(1)** और (शौक़ बढ़ाने के लिए फ़रमाते हैं कि) आपको कुछ मालूम है कि शबे-क़द्र कैसी चीज़ है? **(2)** (आगे जवाब है कि) शबे-क़द्र हज़ार महीने से बेहतर है।[1] **(3)** (और वह शबे-क़द्र ऐसी है कि) उस रात में फ़रिश्ते और रूहुल-क़ुदुस (यानी जिबराईल अलैहि.) अपने परवर्दिगार के हुक्म से हर ख़ैर के मामले को लेकर (ज़मीन की तरफ़) उतरते हैं।[2] **(4)** (और वह रात) पूरी-की-पूरी सलाम है। वह रात (इसी सिफ़त व बरकत के साथ) फ़ज्र के निकलने के वक़्त तक रहती है।[3] ▲ **(5)** ❖

98 सूरः बय्यिनः 100

सूरः बय्यिनः मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 8 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जो लोग अहले किताब और मुश्रिकों में से (आपको पैग़म्बर बनाकर भेजे जाने से पहले) काफ़िर थे, वे (अपने कुफ़्र से हरगिज़) बाज़ आने वाले न थे, जब तक कि उनके पास खुली दलील न आती।[4] **(1)** (यानी) एक अल्लाह का रसूल जो (उनको) पाक सहीफ़े पढ़कर सुना दे **(2)** जिनमें दुरुस्त मज़ामीन लिखे हों। **(3)** और जो लोग अहले किताब थे (और ग़ैर-अहले किताब तो और भी ज़्यादा) वे इस खुली दलील के आने ही के बाद (दीन में) इख़्तिलाफ़ करने वाले हो गए[5] **(4)** हालाँकि उन लोगों को (पहली आसमानी किताबों में) यही हुक्म हुआ था कि (बातिल और शिर्क वाले दीनों से) यक्सू होकर अल्लाह की इस तरह इबादत करें कि इबादत उसी के लिए ख़ास रखें, और नमाज़ की पाबन्दी रखें और ज़कात दिया करें, और यही तरीक़ा है उन (ज़िक्र हुए) दुरुस्त मज़ामीन का (बतलाया हुआ)। **(5)** बेशक जो लोग अहले किताब और मुश्रिकीन में से काफ़िर हुए वे दोज़ख़ की आग में जाएँगे जहाँ हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) ये लोग मख़्लूक़ में सबसे बदतर हैं। **(6)** बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए वे लोग मख़्लूक़ में सबसे अच्छे हैं। **(7)** उनका सिला उनके परवर्दिगार के यहाँ हमेशा रहने की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जहाँ हमेशा-हमेशा रहेंगे (और) अल्लाह उनसे ख़ुश रहेगा और वे अल्लाह से ख़ुश रहेंगे।[6] यह (जन्नत और अल्लाह की रिज़ा) उस शख़्स के लिए है जो अपने रब से डरता है। **(8)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) फिर वह रुझान और मैलान कभी इरादे के दर्जे तक पहुँच जाता है जो इरादे व इख़्तियार से सादिर होता है, जिसके बाद फ़ेल का सादिर होना ख़ुदा के पैदा करने की वजह से होता है, और कभी इरादे तक नहीं पहुँचता।

5. यानी उसको क़त्ल मत करना और न उसका पानी बन्द करना, चूँकि क़त्ल के इरादे का सबब यही पानी की बारी थी, पानी का इसलिए ज़िक्र फ़रमाया। और अल्लाह की ऊँटनी इसलिए कहा कि ख़ुदा तआ़ला ने उसको नुबुव्वत की दलील बना दिया और उसके एहतिराम व सम्मान को वाजिब फ़रमाया।

6. उस हलाकत के अख़ीर में किसी ख़राबी के निकलने का किसी से अन्देशा नहीं हुआ। जैसे दुनिया के बादशाहों को कभी-कभी किसी क़ौम को सज़ा देने के बाद अन्देशा होता है कि उसपर कोई शोरिश और हंगामा न खड़ा हो जाए। समूद और ऊँटनी का तफ़सीली तज़्किरा सूरः आराफ़ में गुज़र चुका है। **(पृष्ठ 1096 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1098, 1100, 1102 की तफ़सीर पृष्ठ 1104-1114 पर)**

99 सूरः ज़िल्ज़ाल 93

सूरः ज़िल्ज़ाल मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 8 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

जब ज़मीन अपनी सख़्त जुम्बिश से हिलाई जाएगी। **(1)** और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी।[1] **(2)** और (उस हालत को देखकर काफ़िर) आदमी कहेगा कि इसको क्या हुआ?[2] **(3)** उस दिन (ज़मीन) अपनी सब (अच्छी-बुरी) ख़बरें बयान करने लगेगी।[3] **(4)** इस सबब से कि आपके रब का उसको यही हुक्म होगा। **(5)** उस दिन लोग मुख़्तलिफ़ जमाअतें होकर (हिसाब के मक़ाम से) वापस होंगे ताकि अपने आमाल (के फल) को देख लें। **(6)** सो जो शख़्स (दुनिया में) ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वह (वहाँ) उसको देख लेगा। **(7)** और जो शख़्स ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वह उसको देख लेगा।[4] **(8)** ❖

100 सूरः आदियात 14

सूरः आदियात मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है उन घोड़ों की जो हाँपते हुए दौड़ते हैं (1) फिर (पत्थर पर) टाप मारकर आग झाड़ते हैं। (2) फिर सुबह के वक़्त तहस-नहस करते हैं। **(3)** फिर उस वक़्त ग़ुबार उड़ाते हैं। **(4)** फिर उस वक़्त (दुश्मनों की) जमाअत में जा घुसते हैं।[5] **(5)** बेशक (काफ़िर) आदमी अपने परवर्दिगार का बड़ा नाशुक्रा है। **(6)** और उसको ख़ुद भी उसकी ख़बर है (कभी पहली ही बार में कभी ग़ौर-फ़िक्र के बाद)। **(7)** और वह माल की मुहब्बत में बड़ा मज़बूत है। **(8)** क्या उसको वह वक़्त मालूम नहीं जब ज़िन्दा किए जाएँगे जितने मुर्दे क़ब्रों में हैं। **(9)** और ज़ाहिर हो जाएगा जो कुछ दिलों में है। **(10)** बेशक उनका परवर्दिगार उनके हाल से उस दिन पूरा आगाह है। **(11)** ❖

101 सूरः क़ारिअः 30

सूरः क़ारिअः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

वह खड़खड़ाने वाली चीज़। **(1)** कैसी कुछ है वह खड़खड़ाने वाली चीज़।[6] **(2)** और आपको मालूम है कैसी कुछ है वह खड़खड़ाने वाली चीज़? **(3)** जिस दिन आदमी परेशान परवानों की तरह हो जाएँगे **(4)** और पहाड़ धुन्की हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएँगे (तश्बीह देने की वजह अलग-अलग होकर उड़ जाना है)। **(5)** फिर (आमाल के वज़न के बाद) जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला भारी होगा[7] **(6)** वह तो अपनी पसन्दीदा

(पिछले पृष्ठ का शेष) 7. राहत की चीज़ से नेक अ़मल और नेक अ़मल के वास्ते से जन्नत मुराद है जो कि आसानी की जगह और सबब है। इसी लिए "युसरा" कह दिया गया। वरना "युसरा" के मायने आसान चीज़ के हैं।

8. तकलीफ़ की चीज़ से बुरे अ़मल और बुरे अ़मल के वास्ते से दोज़ख़ मुराद है जो कि तंगी का सबब और जगह है। इसलिए "उस्र" को "उस्रा" कह दिया गया। और सामान देने से मुराद दोनों जगह यह है कि अच्छे या बुरे काम उससे बेतकल्लुफ़ सादिर होंगे, और वैसे ही असबाब जमा हो जाएँगे, और फिर नेक आमाल का जन्नत का सामान होना और बुरे आमाल का दोज़ख़ का सामान होना ज़ाहिर ही है। हदीस में है कि "जो (पृष्ठ 1096 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1098, 1100, 1102, 1104 की तफ़सीर पृष्ठ 1106-1114 पर)

ऐश व आराम में होगा (यानी नजात पाने वाला होगा)। (7) और जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला हल्का होगा (यानी वह काफ़िर होगा) (8) तो उसका ठिकाना हाविया होगा। (9) और आपको कुछ मालूम है कि वह (हाविया) क्या चीज़ है? (10) (वह) एक दहकती हुई आग है। (11) ❖

102 सूरः तकासुर 16

सूरः तकासुर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 8 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

(दुनियावी साज़ व सामान पर) फ़ख़्र करना (उसके तलब करने और मुहब्बत की निशानी है,) तुमको (आख़िरत से) ग़ाफ़िल रखता है। (1) यहाँ तक कि तुम क़ब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो। (2) हरगिज़ नहीं! तुमको बहुत जल्द (क़ब्र में जाते ही, यानी मरते ही) मालूम हो जाएगा। (3) फिर (दोबारा तुमको सचेत किया जाता है कि) हरगिज़ (तुम्हारी यह हालत ठीक) नहीं, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। (4) हरगिज़ नहीं! (और) अगर तुम यक़ीनी तौर पर (ऐसी दलीलों, जो सही हों और जिनकी पैरवी वाजिब हो, से इस बात को) जान लेते। (5) अल्लाह की क़सम! तुम लोग जरूर दोज़ख़ को देखोगे। (6) फिर (दोबारा ताकीद के लिए कहा जाता है कि) खुदा की क़सम! तुम लोग उसको ऐसा देखना देखोगे जो कि खुद यक़ीन है।[1] (7) फिर (और बात सुनो कि) उस दिन तुम सबसे नेमतों की पूछ होगी।[2] (8) ❖

103 सूरः अ़स्र 13

सूरः अ़स्र मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 3 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क़सम है ज़माने की (जिसमें नफ़ा व नुक़सान वाक़ेअ़ होता है) (1) कि इनसान (उम्र को ज़ाया करने की वजह से) बड़े घाटे में है, (2) मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए (कि यह कमाल है) और एक-दूसरे को हक़ के एतिक़ाद (पर क़ायम रहने) की नसीहत व तंबीह करते रहे, और एक-दूसरे को (आमाल की) पाबन्दी की नसीहत व तंबीह करते रहे। (3) ❖

104 सूरः हु-मज़ः 32

सूरः हु-मज़ः मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 9 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख़्स के लिए जो पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो (और) रू-ब-रू ताना देने वाला हो। (1) जो (हिर्स के ज़्यादा होने की वजह से) माल जमा करता हो, और (उसकी मुहब्बत और खुशी से) उसको बार-बार गिनता हो। (2) वह ख़्याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा।[3] (3) हरगिज़ नहीं (रहेगा। फिर आगे उस ख़राबी की तफ़सीर है कि) अल्लाह की क़सम! वह शख़्स ऐसी आग में डाला जाएगा जिसमें जो कुछ पड़े वह उसको तोड़-फोड़ दे। (4) और आपको कुछ मालूम है कि वह तोड़-फोड़ करने वाली आग कैसी है? (5) वह अल्लाह की आग है जो (अल्लाह के हुक्म से) सुलगाई गई है, (6) जो (कि बदन को लगते ही) दिलों तक जा पहुँचेगी।[4] (7) (और) वह (आग) उनपर बन्द कर दी जाएगी (8) (इस तरह से कि) वे लोग आग के बड़े लम्बे-लम्बे सुतूनों में (घिरे होंगे)।[5] (9) ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) नेक-बख़्त होता है उसके लिए नेक-बख़्तों के आमाल आसान कर दिए जाते हैं और यही मामला बद-बख़्तों के साथ होता है **(पृष्ठ 1096 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1098, 1100, 1102, 1104, 1106 की तफ़सीर पृष्ठ 1108-1115 पर)**

105 सूरः फ़ील 19

सूरः फ़ील मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 5 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क्या आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया?[1] **(1)** क्या उनकी तदबीर को (जो कि काबा शरीफ़ को वीरान करने के बारे में थी) पूरी तरह ग़लत नहीं कर दिया? **(2)** और उनपर गिरोह के गिरोह परिन्दे भेजे **(3)** जो उन लोगों पर कंकर की पत्थरियाँ फेंकते थे। **(4)** सो अल्लाह तआ़ला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह (पामाल) कर दिया। **(5)** ❖

106 सूरः क़ुरैश 29

सूरः क़ुरैश मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 4 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

चूँकि क़ुरैश आ़दी हो गए हैं। **(1)** यानी जाड़े और गर्मी के सफ़र के आ़दी हो गए हैं। **(2)** तो (इस नेमत के शुक्रिए में) उनको चाहिए कि इस ख़ाना-ए-काबा के मालिक की इबादत करें **(3)** जिसने उनको भूख में खाने को दिया और ख़ौफ़ से उनको अमन दिया।[2] **(4)** ❖

107 सूरः माऊ़न 17

सूरः माऊन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 7 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

क्या आपने उस शख़्स को नहीं देखा जो क़ियामत के दिन को झुठलाता है। **(1)** सो (अगर आप उस शख़्स का हाल सुनना चाहें तो सुनिए कि) वह वह शख़्स है जो यतीम को धक्के देता है। **(2)** और मोहताज को खाना देने की (दूसरों को भी) तरग़ीब नहीं देता।[3] **(3)** सो (इससे साबित हुआ कि) ऐसे नमाज़ियों के लिए बड़ी ख़राबी है **(4)** जो अपनी नमाज़ को भुला बैठते हैं (यानी छोड़ देते हैं)[4] **(5)** जो ऐसे हैं कि (जब नमाज़ पढ़ते हैं तो) दिखावा करते हैं। **(6)** और ज़कात बिलकुल नहीं देते। **(7)** ❖

108 सूरः कौसर 15

सूरः कौसर[5] मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 3 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

बेशक हमने आपको कौसर (एक हौज़ का नाम है, और हर बड़ी भलाई भी इसमें दाख़िल है) अ़ता फ़रमाई है।[6] **(1)** सो (इन नेमतों के शुक्रिए में) आप अपने परवर्दिगार की नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। **(2)** यक़ीनन आपका दुश्मन ही बेनाम व निशान है।[7] **(3)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) कि उनके लिए बुरे आमाल आसान कर दिए जाते हैं"।

(तफ़सीर पृष्ठ 1098) 1. यानी दोनों में हमारी ही हुकूमत है। इसलिए दुनिया में हमने अहकाम मुक़र्रर किए और आख़िरत में उनकी मुख़ालफ़त व मुवाफ़क़त पर सज़ा व जज़ा देंगे, जिसका बयान दो जगह "फ़-सनुयस्सिरुहू" में हुआ है।

(पृष्ठ 1098 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1100, 1102, 1104, 1106, 1108 की तफ़सीर पृष्ठ 1110-1115 पर)

109 सूरः काफ़िरून 18

सूरः काफ़िरून[1] मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 6 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

आप (उन काफ़िरों से) कह दीजिए कि ऐ काफ़िरो! (1) (मेरा और तुम्हारा तरीक़ा एक नहीं हो सकता और) न (तो फ़िलहाल) मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करता हूँ (2) और न तुम मेरे माबूद की पूजा करते हो। (3) और न (आइन्दा भविष्य में) मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करूँगा (4) और न तुम मेरे माबूद की पूजा करोगे।[2] (5) तुमको तुम्हारा बदला मिलेगा और मुझको मेरा बदला मिलेगा।[3] (6) ◆

110 सूरः नस्र 114

सूरः नस्र मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 3 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) जब ख़ुदा की मदद और (मक्का की) फ़त्ह (अपनी निशानियों के साथ) आ पहुँचे (यानी ज़ाहिर हो जाए) (1) और (उसकी निशानियाँ जो उसपर सामने आने वाली हैं, ये हैं कि) आप लोगों को अल्लाह के दीन (यानी इस्लाम में) गिरोह के गिरोह दाख़िल होता हुआ देख लें।[4] (2) तो अपने रब की तस्बीह व तारीफ़ कीजिए और (उससे) इस्तिग़फ़ार की दरख़्वास्त कीजिए, वह बड़ा तौबा क़ुबूल करने वाला है।[5] (3) ◆

111 सूरः लहब 6

सूरः लहब[6] मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 5 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और वह बर्बाद हो जाए।[7] (1) न उसका माल उसके काम आया और न उसकी कमाई। (माल से मुराद सरमाया और कमाई से मुराद उसका नफ़ा है)। (2) (और आख़िरत में) वह जल्द ही (मरने के फ़ौरन बाद) एक भड़कती हुई अंगारों वाली आग में दाख़िल होगा। (3) वह भी और उसकी बीवी भी जो लकड़ियाँ लादकर लाती है। (मुराद काँटेदार लकड़ियाँ हैं,[8] जिनका शाने नुज़ूल में ज़िक्र है)। (4) (और दोज़ख़ में) उसके गले में रस्सी होगी ख़ूब बटी हुई। (5) ◆

112 सूरः इख़्लास 22

सूरः इख़्लास[9] मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 4 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

आप (उन लोगों से) कह दीजिए कि वह यानी अल्लाह तआ़ला (अपनी ज़ात व सिफ़ात के कमाल में) एक है।[10] (1) अल्लाह (ऐसा) बेनियाज़ है (कि वह किसी का मोहताज नहीं और उसके सब मोहताज हैं)। (2) उसके औलाद नहीं और न वह किसी की औलाद है। (3) और न कोई उसके बराबर का है।[11] (4) ◆

(पिछले पृष्ठ का शेष) 2. ताकि ईमान व फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करके उससे बचो और कुफ़्र व नाफ़रमानी इख़्तियार करके उसमें न जाओ। क्योंकि उसमें जाने और न जाने के यही असबाब हैं।

(पृष्ठ 1098 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110 की तफ़सीर पृष्ठ 1112-1116 पर)

113 सूरः फ़लक़ 20

सूरः फ़लक़[1] मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 5 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

आप (अपने पनाह लेने के लिए) कहिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ **(1)** तमाम मख़्लूक़ात की बुराई से[2] **(2)** और (ख़ास तौर से) अन्धेरी रात की बुराई से, जब वह रात आ जाए। (और रात में बुराइयों और फ़ितनों का अन्देशा ज़ाहिर है)। **(3)** और (ख़ास तौर से गन्डे की) गिरहों पर पढ़-पढ़कर फूँकने वालियों की बुराई से। **(4)** और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करने लगे। **(5)** ❖

114 सूरः नास 21

सूरः नास मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 6 आयतें हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़े रहम वाले हैं।

आप कहिए (जिस तरह कि सूरः फ़लक़ में गुज़रा) कि मैं आदमियों के मालिक, **(1)** आदमियों के बादशाह, **(2)** आदमियों के माबूद की पनाह लेता हूँ **(3)** वस्वसा डालने, पीछे हट जाने वाले[3] (शैतान) की बुराई से। **(4)** जो लोगों के दिलों में वस्वसा[4] डालता है **(5)** चाहे वह (वस्वसा डालने वाला) जिन्न हो या आदमी (हो)। **(6)** ❖

(पिछले पृष्ठ का शेष) **3.** यह इख़्लास की निहायत ही ऊँची हालत है, क्योंकि ख़र्च करने में किसी के एहसान का बदला उतारना अपने आपमें यह भी पसन्दीदा और मतलूब है, मगर फ़ज़ीलत में शुरू में किसी के साथ एहसान करने के बराबर नहीं। पस जब उस शख़्स का ख़र्च करना उससे भी ख़ाली और पाक है तो दिखावे वग़ैरह जैसे गुनाहों की मिलावट से और ज़्यादा बरी होगा। और यह इख़्लास का बहुत ऊँचा और आला दर्जा है।

4. अगरचे आयत के अल्फ़ाज़ आ़म हैं मगर इसका सबब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का वाक़िआ़ है, कि उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु वग़ैरह को काफ़िरों से ख़रीदकर अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया था।

5. एक बार आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किसी बीमारी की वजह से दो-तीन रात इबादत में रात को न जागे एक काफ़िरा ने कहा कि मालूम होता है कि तुम्हारे शैतान ने तुमको छोड़ दिया है, देर हो गई, उसपर यह सूरः नाज़िल हुई।

6. क़रार पकड़ने के दो मायने हो सकते हैं- एक हक़ीक़ी यानी उसकी अंधेरी का कामिल हो जाना कि उससे पहले उसका ज़्यादा होना हरकत करने की तरह था, दूसरे मजाज़ी (यानी असली मायनों को छोड़कर) यानी जानदारों का उसमें सो जाना और चलने-फिरने और बोलने-चालने की आवाज़ों का रुक जाना।

7. क्योंकि अव्वल तो आपसे कोई बात ऐसी नहीं हुई, दूसरे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वास्ते यह बात अल्लाह के तरीक़े में मुहाल है, पस आप काफ़िरों की ख़ुराफ़ात और बेकार बातों से ग़मगीन न हों, आपको वह्य की नेमत बराबर हासिल रहेगी।

8. जिसकी क़सम खाई गई है उसको ख़ुशख़बरी से मुनासबत यह है कि वह्य का लगातार आना और उसके आने में कुछ देरी होना रात और दिन के अदलने-बदलने की तरह है।

9. चुनाँचे सीरत की किताबों में है कि आप माँ के पेट में थे कि आपके वालिद की वफ़ात हो गई, अल्लाह तआ़ला ने आपके दादा और चचा से आपकी परवरिश कराई।

10. अल्लाह तआ़ला का क़ौल "मा कुन्-त तद्री मल्किताबु व लल्-ईमानु" और वह्य से पहले शरीअ़त की तफ़सील मालूम न होना इससे

(पृष्ठ 1098 की बक़िया तफ़सीर और पृष्ठ 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112 की तफ़सीर पृष्ठ 1113-1116 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) आपकी शान में कोई नुक़्स नहीं आता।

11. इस तरह कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के माल में आप शरीक हुए और उसमें नफ़ा मिला। फिर हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने आपसे निकाह कर लिया और अपना तमाम माल हाज़िर कर दिया।

12. यानी इल्म भी बहुत ज़्यादा अ़ता फ़रमाया और तब्लीग़ के मुख़ालिफ़ीन की रुकावट बनने की वजह से जो तकलीफ़ पेश आती है उसमें बरदाश्त करने की हिम्मत और संयम भी दिया।

13. ''बोझ'' से मुराद वे मुबाह उमूर हैं जो आपसे कभी-कभार किसी हिक्मत के तसव्वुर की बिना पर सादिर हो जाते थे और बाद में उनका हिक्मत के ख़िलाफ़ और ग़ैर-मुनासिब होना साबित होता था और आप अपनी बुलन्द शान और अल्लाह से अपने ख़ुसूसी ताल्लुक़ की वजह से ऐसे ही ग़मगीन होते थे जिस तरह कोई गुनाह से ग़मगीन होता है। इसमें उनपर पकड़ न होने की ख़ुशख़बरी है।

14. यानी शरीअ़त में अक्सर जगह अल्लाह तआ़ला के नाम के साथ आपका मुबारक नाम मिलाया गया, जैसे 'अत्तहिय्यात में, नमाज़ में, अज़ान में, तकबीर में' और अल्लाह के नाम की बुलन्दी और शोहरत ज़ाहिर है। पस जो उससे मिला हुआ होगा बुलन्दी व शोहरत में वह भी उसके ताबे रहेगा।

15. मक्का में आप और ईमान वाले तरह-तरह की तकलीफ़ों और सख़्तियों में गिरफ़्तार थे, लेकिन आख़िरकार वे मुश्किलें एक-एक करके सब दूर हो गईं।

(तफ़सीर पृष्ठ 1100) **1.** यानी वह ख़ूबसूरती और ताक़त बद-सूरती और कमज़ोरी से बदल जाती है और बुरे से बुरा हो जाता है। इससे मक़सूद बुराई के इन्तिहाई दर्जे को बयान करना है, जिससे लौटाने की क़ुदरत पर काफ़ी इस्तिदलाल होता है।

2. सूरः के शुरू में चार चीज़ों की क़सम खाई गई है- दो पेड़ ज़्यादा नफ़े वाले और दो बरकत वाले मक़ामात कि एक वह मक़ाम है जहाँ मूसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह से हम-कलाम होते थे, दूसरा मक़ाम आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पैदा होने और रहने और वह्य नाज़िल होने का है। और पेड़ों की क़सम को मक़सूद से मुनासबत ज़ाहिर है कि पेड़ भी इसी तरह फलता-फूलता है, और चूँकि यहाँ बयान था अशरफ़ुल मख़्लूक़ात यानी इनसान का इसलिए क़सम भी उस पेड़ की खाई जो सब पेड़ों में अफ़ज़ल है, और तूर पहाड़ और 'बलदे अमीन' यानी मक्का शरीफ़ दोनों वह्य उतरने की जगह हैं तो आख़िरत में बदला दिए जाने से उनको ज़्यादा मुनासबत हुई क्योंकि वह्य से आख़िरत में बदला दिए जाने का इल्म हुआ है।

3. ''इक़रा से मा लम् यअ्लम्'' तक सबसे पहली वह्य है। जिसके नाज़िल होने से नुबुव्वत की इब्तिदा और शुरूआत हुई।

4. इस सिफ़त और ख़ूबी को ख़ास करने में यह नुक्ता है कि नेमत के लिहाज़ से इनसान पर हक़ तआ़ला का तमाम दूसरी मख़्लूक़ात से ज़्यादा इनाम व इकराम है कि ख़ून के लोथड़े से जो कि बिलकुल एक बेजान चीज़ थी इसको किस दर्जे तक तरक़्क़ी दी कि सूरत कैसी बनाई, अ़क़्ल व इल्म से नवाज़ा। पस इनसान को ज़्यादा शुक्र और ज़िक्र करना चाहिए। और ख़ून के लोथड़े की तख़्सीस शायद इसलिए है कि उससे पहले एक बरज़ख़ी हालत है कि उसके पहले नुत्फ़ा और ग़िज़ा व उन्सुर है, और उसके बाद गोश्त की बोटी और हड्डियों की तरकीब और उसमें रूह का डालना है।

5. मतलब यह कि अव्वल तो तालीम लिखने में मुन्हसिर नहीं दूसरे असबाब से भी तालीम हो रही है। दूसरे असबाब अपने आपमें कुछ असर नहीं रखते, सबबे हक़ीक़ी और उलूम के देने वाले हम हैं। पस अगरचे आप लिखना नहीं जानते मगर हमने जब आपको पढ़ने का हुक्म किया है तो हम दूसरे ज़रिए से आपको पढ़ना और वह्य के उलूम को याद रखने की क़ुदरत दे देंगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ।

6. यह आयत अबू जहल के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई थी जिसने आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नमाज़ पढ़ने से रोका था।

7. चूँकि यह बुलाना उसके बुलाने की शर्त के साथ था, जब शर्त ही नहीं पाई गई तो मश्रूत भी नहीं पाया गया। तिबरी ने हज़रत क़तादा से मुर्सलन रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर अबू जहल ऐसी हरकत करता तो फ़रिश्ते सबके सामने उसको पकड़कर तहस-नहस कर देते।

(तफ़सीर पृष्ठ 1102) **1.** यानी हज़ार महीने तक इबादत करने का जिस-क़द्र सवाब है उससे ज़्यादा शबे-क़द्र में इबादत करने का सवाब है। इसी तरह तफ़सीरे ख़ाज़िन में बयान किया गया है।

2. चुनाँचे बैहक़ी की हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया गया है कि शबे-क़द्र में जिबराईल अ़लैहिस्सलाम फ़रिश्तों के एक गिरोह में आते हैं और जिस किसी को अल्लाह की इबादत में मश्ग़ूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ़ करते हैं। रहमत और सलामती की दुआ़ एक ही बात है। और 'अमरे-ख़ैर' यानी ख़ैर के मामले से मुराद यही है।

3. यह नहीं कि उस रात के किसी ख़ास हिस्से में यह बरकत हो और किसी में न हो। शबे-क़द्र के मुताल्लिक़ एक इश्काल यह है कि सूरज के निकलने और छुपने की जगहों के अनेक और अलग-अलग होने की वजह से शबे क़द्र का हर जगह अलग होना लाज़िम आता है। जवाब यह है कि इसमें कोई मुहाल और नामुमकिन होना लाज़िम नहीं आता कि ये बरकतें किसी को (शेष तफ़सीर अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष) किसी वक़्त में मिलें और किसी को किसी वक़्त में, इसी तरह फ़रिश्तों का उतरना हर जगह मुख़्तलिफ़ वक़्त में हो।
4. मुराद क़ुरआन है। मतलब यह है कि उन काफ़िरों का कुफ़्र ऐसा सख़्त था और ऐसे जहालत में मुब्तला थे कि एक अ़ज़ीम और बड़े रसूल के भेजे बग़ैर उनके राह पर आने की उम्मीद न थी, इसलिए अल्लाह तआ़ला ने हुज्जत के पूरा करने और लाज़िम करने के लिए आपको क़ुरआन देकर भेजा।
5. यानी दीने हक़ से भी इख़्तिलाफ़ किया और आपसी इख़्तिलाफ़ जो पहले से थे उनको भी दीने हक़ की पैरवी करके दूर न किया। और मुशिरकों को ख़ास तौर पर इसलिए कहा कि उनके पास तो पहले से भी आसमानी इल्म न था, और क़ुरआन को सहीफ़े और इसके मज़ामीन को किताबें फ़रमाना क़ुव्वत के एतिबार से है। हासिल यह है कि ऐसे रसूल और ऐसी अ़ज़ीमुश्शान किताब का आना यह तक़ाज़ा करता था कि वे सब लोग दीने हक़ पर जमा हो जाते, मगर उन लोगों ने इज्तिमा के सबब को तफ़रीक़ और फूट डालने का सबब बना लिया। और इस मुक़ाबला करने से यह भी मालूम हो गया कि जिन लोगों ने इख़्तिलाफ़ और फूट डालने का काम नहीं किया वे ईमान वाले हैं।
6. यानी न उनसे कोई नाफ़रमानी होगी और न उनको कोई बुरा और नापसन्दीद मामला पेश आएगा जिससे दोनों तरफ़ से किसी के राज़ी न होने का अन्देशा हो।
(तफ़सीर पृष्ठ 1104) 1. बोझ से दफ़न हुई चीज़ें और मुर्दे मुराद हैं।
2. उस हालत को देखकर कहेगा कि यह आ़दत के ख़िलाफ़ और ख़िलाफ़े गुमान ज़ल्ज़ला और बोझों का निकालना कैसे होने लगा। वजह इस कहने की यह है कि यह क़ियामत और उसके वाक़िआ़त का पहले से इनकारी था, अब उन वाक़िआ़त को देखकर हैरान है।
3. तिर्मिज़ी शरीफ़ वग़ैरह में इसकी तफ़सीर में हदीस आई है कि जिस शख़्स ने रू-ए-ज़मीन पर जैसा अ़मल किया होगा भला या बुरा, ज़मीन गवाही देने के तौर पर अल्लाह के सामने सब कह देगी।
4. बशर्ते कि उस वक़्त तक वह भलाई व बुराई बाक़ी रही हो, वरना अगर कुफ़्र से वह ख़ैर और भलाई फ़ना हो चुकी हो या तौबा व ईमान से वह बुराई दूर हो चुकी हो वह इसमें दाख़िल ही नहीं, क्योंकि वह भलाई-भलाई न रही और वह बुराई-बुराई न रही जिसपर हुक्म का मदार था, जब वह न रहा तो हुक्म भी साबित न होगा।
5. इससे मुराद लड़ाई के घोड़े हैं। जिहाद हो या ग़ैर-जिहाद और अ़रब को इस वजह से कि वे लड़ाके और जंगजू थे इन क़स्मों से निहायत मुनासबत है, हाँपना दौड़ने के वक़्त ज़ाहिर है। और लोहे वाला जूता पथरीली ज़मीन पर लगने से आग का झड़ना भी ज़ाहिर है, और अ़रब में अक्सर आ़दत यह थी कि दुश्मनों पर सुबह के वक़्त हमला बोलते थे ताकि रात के वक़्त जाने में दुश्मन को ख़बर न हो। सुबह को अचानक जा पड़ें, और रात को हमला न करने में बहादुरी का इज़्हार समझते थे। गुबार का उड़ना अगरचे हर वक़्त होता है मगर उसको सुबह के साथ मुक़ैयद करना इस तरफ़ इशारा है कि उनके चलने में बहुत तेज़ी होती है कि ठन्ड के वक़्त गुबार दबा हुआ होता है।
6. मुराद क़ियामत है कि दिलों को घबराहट के मारे और कानों को सख़्त आवाज़ से खड़खड़ा देगी और उसका खड़खड़ाना उस दिन होगा जिस दिन आदमी परेशान परवानों की तरह हो जाएँगे। परवानों के साथ तश्बीह देने की वजह कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा परेशान होना है, अगरचे बाज़ों को बेताबी और परेशानी न होगी मगर कमज़ोरी और ज़्यादती सबके लिए आ़म है।
7. ''ईमान के पल्ले के भारी और हल्का होने'' की तहक़ीक़ सूरः आराफ़ के शुरू में गुज़र चुकी है।
(तफ़सीर पृष्ठ 1106) 1. यानी वह देखना दलील के तौर पर नहीं जिसपर यक़ीन आने में कभी-कभी देर होती है, बल्कि बिलकुल सामने रू-ब-रू देखना होगा जिसपर फ़ौरन यक़ीन हासिल हो जाता है। और यह कि रू-ब-रू देखने में दलीलों से और अ़क़्ली ज़रूरतों से इन्किशाफ़ (यानी असलियत का खुलकर सामने आना) भी ज़्यादा है, उसके खुद देखने को नफ़्से यक़ीन फ़रमाया जो कि 'अ़ैनुल् यक़ीन' से मुराद है, इसके बावजूद कि वह सब यक़ीन है।
2. ''लतुस्अलुन्-न'' में आ़म ख़िताब है हदीस के क़रीने से, जिसमें आपने हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से फ़रमाया कि तुम लोगों से इन नेमतों के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। इसी तरह बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरह में ज़िक्र किया गया है। पस जब ग़ैर-मुज्रिमीन तक से सवाल होगा अगरचे इसपर कोई नुक़सान मुरत्तब न हो तो मुज्रिमीन तो क्यों बच जाएँगे? और उनके लिए वह नुक़सानदेह भी होगा।
3. यानी उसमें इस क़द्र मश्ग़ूल रहता और खुद को लगाए रखता है कि जैसे यह ख़्याल करता है कि यह हमेशा रहेगा। और यह ज़ाहिर है कि इन सिफ़ात व आमाल पर ये ख़ास वईद (सज़ा की धमकी) उस सूरत में है जबकि मन्शा उनका कुफ़्र हो, अगरचे मुतलक़ वईद मुतलक़ सिफ़ात व ज़िक्र हुए अफ़आ़ल पर भी दूसरी वाज़ेह आयात में है।
4. यानी उसमें जल्दी से पकड़ने और अन्दर घुस जाने से और उस शख़्स को मौत न आने से यह हालत होगी कि बदन के साथ ही दिल को जला देगी। और अगर इसे छोड़ भी दें तो भी दिल तक पहुँचने की तकलीफ़ मौत के न आने के सबब उसको महसूस होगी, दुनिया की आग के ख़िलाफ़ कि बदन से दिल तक पहुँचते-पहुँचते बहुत देर लगती है, यहाँ तक कि उससे पहले ही **(शेष तफ़सीर अगले पृष्ठ पर)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) रूह निकल जाती है और दिल तक पहुँचने का दर्द और तकलीफ़ का एहसास करने की नौबत नहीं आती।
5. यानी आग के इतने बड़े-बड़े शोले होंगे और वे लोग उस आग में क़ैद होंगे।
(तफ़सीर पृष्ठ 1108) **1.** यमन का हाकिम अब्रहा बड़ा लश्कर लेकर जिसमें हाथी भी थे ख़ाना-ए-काबा को ढाने के लिए चढ़ आया। जब मुहसर वादी में पहुँचा तो समुद्र की तरफ़ से कुछ परिन्दे आए। उनके पन्जों और चोंचों में मसूर और चने के बराबर कंकरियाँ थीं, उन्होंने उन कंकरियों को लश्कर पर फेंकना शुरू किया, ये कंकरियाँ बन्दूक़ की गोली की तरह लगती थीं और हलाक कर देती थीं। अक्सर तो इस अ़ज़ाब से हलाक हो गए और दूसरे भाग गए। यह वाक़िआ हुज़ूर सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की विलादते शरीफ़ा (जन्म मुबारक) से पचास दिन पहले हुआ।
2. हासिल यह कि मक्का में ग़ल्ला वग़ैरह पैदा नहीं होता, इसलिए क़ुरैश की आ़दत थी कि साल भर में तिजारत के लिए दो सफ़र करते, जाड़ों में यमन की तरफ़ कि वह गर्म मुल्क है और गर्मी में शाम की तरफ़ कि वह ठंडा मुल्क है। और लोग उनको हरम वाले और बैतुल्लाह के ख़ादिम समझकर उनकी इज़्ज़त करते और उनके माल व जान से कोई रोक-टोक न करता, और उनको ख़ूब नफ़ा होता कि घर बैठकर खाते और खिलाते। इस सूरः में इसी वाक़िए का ज़िक्र है। और चूँकि बैतुल्लाह के सबब हर जगह उनका एहतिराम व सम्मान होता था इसलिए लफ़्ज़ 'रब' (यानी मालिक) को 'हाज़ल बैत' की तरफ़ मुज़ाफ़ किया, और "भूख" में खाना देना इशारा है नफ़े के हासिल करने की तरफ़, और "ख़ौफ़" से दुनिया के अमन की तरफ़ इशारा है कि सफ़र हो या वतन में रहने की हालत उनसे कोई किसी तरह की रोक-टोक न करता था।
3. यानी वह ऐसा संगदिल है कि न ख़ुद एहसान करे और न दूसरों को एहसान पर आमादा करे। और जब बन्दे का हक़ ज़ाया करना ऐसा बुरा है तो ख़ालिक़ (यानी पैदा करने वाले) का हक़ ज़ाया करना तो और ज़्यादा बुरा है।
4. क्योंकि इसमें इज़हार करने का हुक्म नहीं दिया गया इसलिए इसको बिलकुल ही छोड़ देते हैं, बख़िलाफ़ नमाज़ के कि उसके इज़हार का हुक्म है इसलिए कभी-कभी दिखाने के लिए पढ़ भी लेते हैं और जब निगाह बची छोड़ देते हैं।
5. इस सूरः के नाज़िल होने का सबब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की औलाद में से सबसे बड़े बेटे हज़रत क़ासिम थे, उनका मक्का में इन्तिक़ाल हो गया तो आ़स बिन वाईल सहमी ने और उसके साथ दूसरे मुश्रिकों ने कहा कि मुहम्मद की नस्ल बन्द हो गई। पस आप नऊज़ु बिल्लाह अब्तर यानी बेनाम व निशान हैं। मतलब यह था कि उनके दीन का चर्चा चन्द दिन का है, फिर ये सब बखेड़े पाक हो जाएँगे। उसपर आपकी तसल्ली के लिए यह सूरः नाज़िल हुई। दुर्रे मन्सूर में भी इसी तरह है।
6. जिसमें दुनिया की ख़ैर यानी दीन का बाक़ी रहना और इस्लाम की तरक़्क़ी जो कि अज्र की ज़्यादती का सबब है और आख़िरत की भलाई यानी अल्लाह की निकटता के दर्जे और बुलन्द रुतबे सब दाख़िल है, फिर अगर एक बेटा फ़ौत हुआ और उसपर मुख़ालिफ़ लोग ख़ुश हो रहे हैं तो उसपर ग़म न कीजिए क्योंकि उससे बढ़कर आपको ये दौलतें अ़ता फ़रमाई गई हैं।
7. चाहे ज़ाहिरी नस्ल उस दुश्मन की चले या न चले लेकिन दुनिया में उसका ख़ैर के साथ ज़िक्र बाक़ी न रहेगा, बख़िलाफ़ आपके कि क़ियामत तक आपकी उम्मत और आपका दीन और आपकी याद, नेक-नामी, मुहब्बत और एतिक़ाद के साथ रहेगी जो कि 'कौसर' के मफ़हूम के आ़म होने में सब दाख़िल हैं। अगर नरीना औलाद की नस्ल न हो न सही, जो नस्ल से मक़सूद है वह आपको हासिल है। यहाँ तक कि दुनिया से गुज़रकर आख़िरत में भी। और दुश्मन इससे महरूम है।
(तफ़सीर पृष्ठ 1110) **1.** इस सूरः के नाज़िल होने का सबब यह है कि एक बार काफ़िरों के चन्द सरदार आपके पास आए और आपसे अ़र्ज़ किया कि आइए हमारे माबूदों की आप इबादत किया कीजिए और आपके माबूद की हम इबादत किया करें, जिसमें हम और आप दीन के तरीक़े में शरीक रहें। जौन-सा तरीक़ा ठीक होगा उससे सबको कुछ-कुछ हिस्सा मिल जाएगा। उसपर यह सूरः नाज़िल हुई। दुर्रे मन्सूर में इसी तरह बयान किया गया है।
2. मतलब यह मालूम होता है कि मैं मोमिन होकर शिर्क की बला में गिरफ़्तार नहीं हो सकता, न अब न आइन्दा। और तुम मुश्रिक रहकर मोमिन क़रार नहीं दिए जा सकते, न अब न आइन्दा। यानी तौहीद व शिर्क जमा नहीं हो सकते। जब तक तुम अपने माबूदों की इबादत करने वाले और मुश्रिक रहोगे उस वक़्त तक मेरे माबूद की इबादत करने वाले यानी मोमिन न समझे जाओगे। पस इसको पेशीनगोई पर महमूल करने की, और इसपर जो सवाल होता है कि बाज़े तो मुसलमान हो गए थे, उसके जवाब में "काफ़िरून" को अ़हद हुए मामले पर महमूल करने की ज़रूरत नहीं।
3. इसमें उनके शिर्क पर वईद भी सुना दी। पस यह सूरः मुख़ालफ़त के इज़्हार और वईद पर मुश्तमिल है।
4. तो उस वक़्त समझ लीजिए कि दुनिया में रहने और नबी बनाकर भेजे जाने का मक़सद जो कि दीन का मुकम्मल करना है, ख़त्म हुआ। इस वजह से आख़िरत का सफ़र क़रीब है, पस उसके लिए तैयारी कीजिए।
5. बहुत-सी हदीसों में इस सूरः की यही तफ़सीर आई है कि इसमें आपकी वफ़ात के क़रीब होने की **(शेष तफ़सीर अगले पृष्ठ पर)**

(पिछले पृष्ठ का शेष) ख़बर है, और फ़त्ह से मक्का का फ़त्ह होना मुराद है। और "अल्लाह के दीन में लोगों का गिरोह के गिरोह दाख़िल होने" को फ़त्हे मक्का की निशानियों में से इसलिए कहा गया है कि आ़म लोग मक्का के फ़त्ह होने का इन्तिज़ार कर रहे थे। अब तक एक-एक दो-दो आदमी मुसलमान होता था, मक्का के फ़त्ह होने के बाद क़बीले के क़बीले इस्लाम में दाख़िल होने लगे।

6. बुख़ारी, मुस्लिम और हदीस की दूसरी किताबों में रिवायत किया गया है कि जब आयत "व अन्ज़िर् अ़शी-र-तकल् अक़्रबी-न" नाज़िल हुई और आपने सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर सबको पुकारा और जमा करके इस्लाम की दावत दी तो आँ हज़रत के चचा अबू लहब बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ने गुस्ताख़ी करते हुए कहा "तू बर्बाद हो जाए, क्या हमको सिर्फ़ इतनी बात के लिए जमा किया था" उसपर यह सूरः नाज़िल हुई।

7. चुनाँचे ग़ज़वा-ए-बद्र के सात दिन के बाद उसके ताऊन का दाना जिसको 'अ़दसा' कहते हैं निकला और बीमारी लग जाने के ख़ौफ़ से घर वालों ने उसको अलग डाल दिया, यहाँ तक कि उसी हालत में हलाक हो गया। तीन दिन तक लाश यूँ ही पड़ी रही, जब सड़ने लगा तो मज़दूरों से उठवाकर शहर से बाहर भेज दिया, उन्होंने लेजाकर उसको गढ़े में फेंक दिया।

8. अबू लहब की बीवी काँटेदार लकड़ियाँ जमा करके लाती और अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी और बैर की वजह से आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की राह में बिछाती। दुर्रे मन्सूर में बैहक़ी वग़ैरह से इसी तरह नक़्ल किया गया है। और बाज़ ने कहा है कि "लकड़ियाँ लादकर लाने वाली" से मुराद चुग़लख़ोर है, और वह औ़रत चुग़लख़ोर भी थी जैसा कि दुर्रे मन्सूर में बयान किया गया है। चुनाँचे फ़ारसी में भी 'हेज़म-कश' (यानी सूखी लकड़ी लादकर लाने वाला) इसी मायने में इस्तेमाल होता है।

9. इस सूरः के नाज़िल होने का सबब यह है कि एक बार मुश्रिकों ने आपसे कहा कि अपने रब की ख़ूबी और नसब बयान कीजिए इसपर सूरः इख़्लास नाज़िल हुई जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है।

10. ज़ाती कमालात ये कि 'वाजिबुल वजूद' (यानी अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं) है, और सिफ़ात का कमाल यह कि इल्म व क़ुदरत वग़ैरह उसके क़दीम और मुहीत (घेरने वाले) हैं।

11. तौहीद का इनकार करने वाले कई क़िस्म के हैं- अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले, उसके 'वाजिबुल वजूद होने का इनकार करने वाले, उसकी सिफ़तों के कामिल होने का इनकार करने वाले, उसकी इबादत में दूसरों को शरीक करने वाले। इन सबका बातिल होना "अल्लाहु अ-हद" (यानी अल्लाह एक है) में हो गया। और जो मदद माँगने में शिर्क करते हैं उनका बातिल होना "अल्लाहुस्स-मद्" (यानी अल्लाह बेनियाज़ है) में हो गया। पस पहला जुम्ला मज़मून "इय्या-क नअ़बुदु" और दूसरे जुम्ले में "इय्या-क नस्तईन" दाख़िल हो गया। और जो लोग अल्लाह के लिए बेटे और बेटियाँ साबित करते थे उनका बातिल होना "लम यलिद्" से हो गया। और जो लोग बाज़ जिन्नात और इनसानों के माबूद होने का एतिक़ाद रखते थे उनका बातिल होना "लम् यूलद्" से हो गया। यानी ये लोग पैदा किए हुए हैं, हक़ तआ़ला को किसी ने पैदा नहीं किया। क्योंकि इससे हादिस होना लाज़िम आता है इसलिए अल्लाह के बराबर किसी को ख़्याल करना और किसी को उसका साथी व हमसफ़र एतिक़ाद करना, जैसा कि 'मजूस' (यानी आग को पूजने वाले) जो कि 'यज़दाँ' और 'अहूरमन' के क़ायल हैं, इसका बातिल होना "लम् यकुल्लहू कुफ़ुवन् अ-हद" से ज़ाहिर हो गया।

(तफ़सीर पृष्ठ 1112) **1.** सूरः 'फ़लक़' और 'नास' एक साथ नाज़िल हुईं। बैहक़ी की रिवायत की दलीलों के मुताबिक़ इनके नाज़िल होने का सबब यह है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर लबीद यहूदी और उसकी बेटियों ने जादू कर दिया था जिससे आपको बीमारी जैसी हालत लाहिक़ हो गई। आपने हक़ तआ़ला से दुआ़ की, उसपर ये दोनों सूरतें नाज़िल हुईं जिनमें एक की पाँच आयतें और एक की छह आयतें हैं। कुल मिलाकर ग्यारह आयतें हैं, और आपको वह्य से उस जादू की जगह और मक़ाम भी मालूम करा दिया गया। चुनाँचे वहाँ से मुख़्तलिफ़ चीज़ें निकलीं जिनमें जादू किया गया था। और उसमें ताँत का एक टुकड़ा भी था, जिसमें ग्यारह गिरहें लगी हुई थीं। हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम ये सूरतें पढ़ने लगे। एक-एक आयत पर एक-एक गिरह खुल गई। चुनाँचे आपको बिलकुल शिफ़ा हो गई, और दोनों सूरतों के मजमूए में मुख़्तलिफ़ बुराइयों से पनाह माँगने का और तमाम मामलात में हक़ तआ़ला पर भरोसा करने का हुक्म हुआ है।

2. शायद 'फ़लक़' (यानी सुबह के वक़्त) की तख़्सीस रात के मुक़ाबले में हो और इशारा इस तरफ़ हो कि जिस तरह हक़ तआ़ला रात को दूर फ़रमा देता है उसी तरह रात के असर यानी जादू का असर भी ख़त्म कर सकता है।

3. पीछे हटने का मतलब यह है कि हदीस में है कि अल्लाह का नाम लेने से वह हट जाता है, और यह बात जिन्नी शैतान में तो ज़ाहिर है, और इनसानी शैतान में तफ़सीरे कबीर के मुताबिक़ इस तरह से है कि वस्वसा डालने वाला अपने को नसीहत करने वाले और ख़ैरख़्वाह की सूरत में ज़ाहिर करता है, लेकिन अगर उसको डाँट दिया जाए तो फिर वस्वसा से बाज़ आ जाता है और हट जाता है। और अगर क़बूल कर लिया जाए तो और आगे बढ़ता है। और यह सिफ़त इशारा इस तरफ़ है कि अल्लाह के साथ उससे पनाह तलब करना बचाव और पनाह का सबब होगा, क्योंकि उसकी ख़ासियत है अल्लाह की याद से पीछे रह जाना।

4. इससे वह वस्वसा मुराद है जो नाफ़रमानी की तरफ़ ले जाता हो, और उसका दीन के लिए नुक़सानदेह होना ज़ाहिर है।

यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शुब्हा नहीं

क़ुरआन मजीद
(मय तर्जुमा व अ़रबी मतन)

तर्जुमा

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह०

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अ़लीग०)
मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ० प्र०)

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा०) लि०
नई दिल्ली

Translation by
Hakimul Ummat Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rah.

Rendered in Hindi by
Maulana Mohammad Imran Qasmi Bigyanvi

ISBN 978-81-7231-456-9

First Published 2003
Nineteenth Impression 2021

Published by *Abdus Sami* for
Islamic Book Service (P) Ltd.
1516-18, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110002 (India)
Tel.: +91-11-23244556, 23253514, 23286551
e-mail: info@ibsbookstore.com
Website: www.ibsbookstore.com

Our Associates
Husami Book Depot, Hyderabad (India)

Printed in India

अपनी बात

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने इस नाचीज़ को एक अहम और अज़ीमुश्शान दीनी ख़िदमत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई।

हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप चौदहवीं सदी के ज़बरदस्त आ़लिमे दीन गुज़रे हैं। ज़िला मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) के क़सबा 'थाना भवन' में **5** रबीउस्सानी **1280** हिजरी में पैदा होने वाले इस आ़लिमे दीन ने इस्लाम की वे ख़िदमात अन्जाम दीं कि जिनसे क़ियामत तक उम्मते मुस्लिमा फ़ायदा उठाती रहेगी और अपने दीन को सँवारती रहेगी। मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह. ने क़रीब बीस साल की उम्र में इस्लामी दुनिया की अ़ज़ीम दीनी दर्सगाह दारुल उलूम देवबन्द से फ़राग़त हासिल की, आपने क़रीब चौदह साल कानपुर में पढ़ाया और फ़तवे लिखने की ख़िदमत अन्जाम दी। उसके बाद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रह. की हिदायत के मुताबिक़ ख़ानक़ाह इमदादिया 'थाना भवन' में रिहाइश इख़्तियार की, और उम्र की आख़िरी साँस तक यहीं रहकर दीनी ख़िदमात अन्जाम देते रहे। आपका इन्तिक़ाल **17** रजब **1362** हिजरी (**19** जौलाई **1943** ई.) में हुआ।

हज़रत थानवी रह. की किताबों की तायदाद तक़रीबन एक हज़ार तक पहुँचती है, जिनमें इस्लामी उलूम और दीनी व इल्मी मौज़ूआत के तक़रीबन हर गोशे में आपने उम्मत की रहनुमाई फ़रमाई। दो बातों पर आपका ध्यान ख़ास तौर पर रहा- एक **समाज का सुधार** और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात का प्रसार और उनको आ़म करना। दूसरे **तसव्वुफ़** यानी इनसान का अपनी हक़ीक़त को पहचान कर दुनिया में आने और पैदा किए जाने के मक़सद को सामने रखकर उन तक़ाज़ों को पूरा करना जिनका उसके पैदा करने वाले और मालिक ने उससे मुतालबा किया है।

आपने उम्मते मुस्लिमा की हर-हर मैदान में रहनुमाई फ़रमाई और इस्लामी तालीमात को दुनिया के सामने उनके असली रंग में पेश किया। उम्मत के अन्दर जो बिगाड़ और ख़राबियाँ हैं आपने उनकी तरफ़ तवज्जोह दिलाई और उनके सुधार की तरफ़ ख़ास ध्यान दिया इसी लिए आपका लक़ब **"हकीमुल उम्मत"** मशहूर हुआ।

आप हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रह. के ख़लीफ़ा थे, मख़्लूक़ की रहनुमाई और बैअ़त की लाईन से भी आपने ज़बरदस्त ख़िदमतें अन्जाम दीं। आपके ख़लीफ़ाओं में बड़ी-बड़ी हस्तियाँ शामिल हैं, जिनमें बड़े-बड़े अ़ल्लामा, दीनी रहनुमा, सूफ़िया और समाज सुधारक शामिल हैं।

जिन दीनी किताबों का प्रकाशन हर साल लाखों में होता है उनमें हज़रत थानवी रह. की दो किताबें पहली सफ़ में अपना दर्जा रखती हैं- **बहिश्ती ज़ेवर** और **तर्जुमा-ए-क़ुरआन**। ये दोनों किताबें हर साल लाखों की तायदाद में छपती हैं, और मुस्लिम क़ौम की दीनी रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया बन रही हैं।

मुझे हज़रत थानवी रह. की शख़्सियत और आपकी किताबों से बचपन ही से मुनासबत और ताल्लुक़ रहा। मेरे उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मौलाना **क़ारी अ़ब्दुल ग़फ़ूर** साहिब (मोहतमिम **मदरसा मसीहुल उलूम** ग्रा. बिझाना ज़िला मुज़फ़्फ़र नगर यू. पी.) को हज़रत थानवी रह. की किताबों ख़ास तौर पर उनके **मवाअ़िज़** (यानी तक़रीरों) से एक तरह का इश्क़ है। मैंने होश संभाला तो अपनी बस्ती में इस मदरसे को क़ायम होता देखा, यही मेरी पहली दर्सगाह (शिक्षा स्थान) है। मौलाना **क़ारी अ़ब्दुल ग़फ़ूर** साहिब के इस ज़ौक़ का थोड़ा बहुत हिस्सा इस नाचीज़ को भी हासिल हुआ, और हज़रत थानवी रह. की ज़ात व शख़्सियत से बचपन ही में एक अ़क़ीदत व मुहब्बत क़ायम हो गयी जो अल्हम्दु लिल्लाह दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली गयी।

पिछले कई सालों से मुझे दीनी किताबों की प्रूफ़ रीडिंग और हिन्दी अनुवाद का मौक़ा मिलता रहा है, कई

बार मेरी ख़्वाहिश हुई कि हज़रत थानवी रह. की कुछ अहम किताबों का हिन्दी में अनुवाद किया जाए ताकि हिन्दी पढ़ने और जानने वाले हज़रात भी उनसे फ़ायदा उठा सकें।

क़रीब दो साल पहले की बात है कि मेरे करम-फ़रमा जनाब **अ़ब्दुल मुईन ख़ाँ** साहिब डायरेक्टर **इस्लामिक बुक सर्विस** ने नाचीज़ बन्दे से हिन्दी में तर्जुमा-ए-कुरआन छापने का इरादा ज़ाहिर किया और मुझसे फ़रमाइश की कि हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी या हज़रत मौलाना महमूदुल हसन शैख़ुल-हिन्द के तर्जुमों में से कोई एक तर्जुमा को हिन्दी में करने की ख़िदमत मैं अन्जाम दूँ। चूँकि काम अहम था इसलिए एक बार को मेरी हिम्मत नहीं हुई मगर फिर भाई **अ़ब्दुल मुईन ख़ाँ** के इसरार (जिसमें इस नाचीज़ के साथ उनका बिरादराना ताल्लुक़ और ख़ुलूस शामिल था) के सबब मैंने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू किया और नमूने के तौर पर एक पारः करके ले गया, ताकि वह किसी माहिर और ज़िम्मेदार शख़्स को दिखला कर यह तय कर लें कि हिन्दी अनुवाद में ज़बान का मेयार क्या रहे। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि उनको इस नाचीज़ का किया हुआ काम पसन्द आया और उन्होंने फ़ौरन मुझे इस काम की तकमील (यानी पूरा करने) का हुक्म दिया और उसूल व ज़ाब्ते के तहत एक मुआ़हदा उसी वक़्त तैयार कराकर बन्दे को इनायत फ़रमाया।

तर्जुमा का काम शुरू किया तो बहुत-सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हज़रत थानवी रह. की ज़बान व तहरीर बड़ी ही नपी-तुली और इल्मी अन्दाज़ की है, उनकी तहरीर के मफ़्हूम व मतलब को हिन्दी में मुन्तक़िल करना कोई आसान बात नहीं। मैंने अपनी बिसात-भर पूरी कोशिश की है कि उनकी तहरीर का मफ़्हूम व मतलब ज़रूर निकल आये और अल्हम्दु लिल्लाह मुझे इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। तफ़सीर में कहीं-कहीं ज़बान और अन्दाज़े बयान इस क़द्र इल्मी है कि पूरी कोशिश के बावजूद शायद सौ फ़ीसद उसे आसान ज़बान में बयान करने में नाचीज़ को कामयाबी न मिली हो मगर मफ़्हूम व मतलब को पकड़ने की भरपूर कोशिश की है, ऐसे मक़ामात (स्थान) चन्द ही नज़र आयेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि यह तर्जुमा इतना आसान हो गया है कि उर्दू तर्जुमा इसके सामने मुश्किल मालूम हो सकता है मगर इससे आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है।

हज़रत थानवी रह. ने अपने तर्जुमा में मक़सद व मफ़्हूम को स्पष्ट और वाज़ेह करने के लिए ब्रेकेट को इस्तेमाल किया है, ऐसे में मुझे जहाँ यह महसूस हुआ कि यहाँ तर्जुमा का असल लफ़्ज़ बाक़ी रहना चाहिए या यह कि हिन्दी का जो मुतबादिल लफ़्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह उस उर्दू लफ़्ज़ की सौ फ़ीसद नुमायन्दगी और तर्जुमानी नहीं करता, तो अगर हम भी वहाँ ब्रेकेट में इबारत बढ़ाते तो फिर यह पहचान करनी दुश्वार हो जाती कि कौनसी इज़ाफ़े वाली इबारत हज़रत थानवी रह. की है और कौनसी इबारत इस नाचीज़ (यानी हिन्दी अनुवादक) की है। इस मुश्किल को हमने इस तरह हल किया कि हज़रत थानवी रह. की ब्रेकेट वाली इबारतों को ब्रेकेट ही में रहने दिया और जहाँ कहीं इस नाचीज़ (हिन्दी अनुवादक) को इज़ाफ़े की ज़रूरत महसूस हुई तो तर्जुमा के अन्दर उद्धरण चिन्ह (" ") के दरमियान उस इबारत का इज़ाफ़ा किया, अब पढ़ने वाला अच्छी तरह समझ सकता है कि कौनसी इबारत हज़रत थानवी की है और कौनसा इज़ाफ़ा हिन्दी अनुवादक का। तफ़सीर के अन्दर चूँकि उर्दू अनुवादक (हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.) ने ब्रेकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, शायद ही पूरी तफ़सीर में दो-चार जगह हो, इसलिए तफ़सीर में बन्दे ने अगर कहीं किसी बात को वाज़ेह करने की ज़रूरत पेश आई है तो ब्रेकेट का इस्तेमाल किया है।

मैं बहुत आभारी हूँ जनाब **प्रोफ़ेसर मुहम्मद सुलैमान साहिब** (देवबन्द) और जनाब **प्रोफ़ेसर अ़ब्दुर्-रशीद आगवान साहिब** (देहली) का, जिन्होंने मेरे इस काम को तवज्जोह की नज़र से देखा और प्रशंसा व दुआ़ओं और मुफ़ीद मश्विरों के ज़रिये मेरी हिम्मत बढ़ाई। इसी तरह मुझे **जनाब ख़ालिद निज़ामी साहिब** (देहली) का

भी शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस तर्जुमा की प्रूफ़ रीडिंग की और अपने तजुर्बात से मुझ नाचीज़ की रहनुमाई फ़रमाई, अल्लाह तआला उनको इसका दोनों जहान में बेहतरीन बदला इनायत फ़रमाये। साथ ही दिल से दुआ निकलती है अपनी बच्ची **ज़ैनब ख़ातून** के लिए जो अगरचे अपनी उम्र की सिर्फ़ बारहवीं मन्ज़िल में है मगर अल्लाह तआला ने उसको एक ख़ास सलीक़े से नवाज़ा है, ग़लतियों के बनाने और प्रूफ़ रीडिंग में इस बच्ची ने भी मेरा बहुत सहयोग किया।

मैंने इस तर्जुमा को हिन्दी का रूप देने में इस बात का पूरा ख़्याल रखा कि हिन्दी के मुश्किल अल्फ़ाज़ न आने पायें बल्कि आम बोल-चाल में जो उर्दू-हिन्दी की मिली-जुली ज़बान इस्तेमाल होती है, कोशिश की है कि उसी आम बोल-चाल के स्तर की ज़बान इस्तेमाल की जाए ताकि उसको हर शख़्स आसानी से समझ सके। क्योंकि उर्दू ज़बान भले ही तालीमी इदारों से नापैद होती जा रही हो, भले ही उसके लिखने-पढ़ने वालों की तायदाद में कमी आ रही हो, मगर इसकी अदायगी में आसानी, मिठास और मतलब के समझने-समझाने में असरदार होने के सबब आम बोल-चाल और मीडिया पर अस्सी फ़ीसद तक आज भी इस ज़बान का क़ब्ज़ा बरक़रार है।

मैं एक बार फिर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे अपनी पवित्र और क़ियामत तक रहने वाली और इनसानियत की रहनुमाई करनी वाली किताब **क़ुरआन मजीद** की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। न सिर्फ़ हिन्दी अनुवाद बल्कि इसकी कम्पोज़िंग और सैटिंग भी मेरी ही निगरानी में अन्जाम पाई और अल्हम्दु लिल्लाह मुझे ख़ुद इसकी सैटिंग करने और तरतीब देने का मौक़ा मिला। यह काम क़रीब डेढ़ साल की मुद्दत में पूरा हुआ।

क़ुरआन पाक के अ़रबी मतन को किसी दूसरी ज़बान में मुन्तक़िल करने के बारे में मैं अपनी राय **''एक ज़रूरी तंबीह''** के उन्वान में लिख चुका हूँ। क़ुरआन पाक के हुरूफ़ को देखना और इज़्ज़त व अदब से वुज़ू की हालत में छूना भी इबादत का दर्जा रखता है, ऐसे में वह फ़ज़ीलत किसी और ज़बान में कैसे हासिल हो सकती है जो अ़रबी ज़बान में है। मेरी तमाम मुसलमानों से गुज़ारिश है कि क़ुरआन पाक की तिलावत की सआदत और अ़ज़ीम दौलत को हासिल करने के लिए क़ुरआन पाक को अ़रबी ही में सीखें और पढ़ें, इससे हमें दोनों जहान की कामयाबी हासिल होगी।

इनसान अपनी कोशिश का मुकल्लफ़ है, हमने भी पूरी कोशिश की है कि हमारा यह काम ग़लतियों से पाक हो जाए, मगर इनसान की कोई कोशिश ग़लती से पाक नहीं हो सकती, यह मक़ाम अल्लाह तआला ने सिर्फ़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को बख़्शा है कि अल्लाह तआला ख़ताओं और ग़लतियों से उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाता है। हमने पूरी कोशिश की है कि इस हिन्दी मतन, तर्जुमा और तफ़सीर में कोई ग़लती न रहे, अगर आपकी नज़र से कोई ग़लती गुज़रे तो मेहरबानी फ़रमा कर प्रकाशक को उसकी सूचना दें ताकि अगले संस्करण में उसको दुरुस्त किया जा सके। शुक्रिया।

आख़िर में अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारी इस मेहनत में इख़्लास पैदा फ़रमाये और इसको क़बूल फ़रमाये आमीन। इसके प्रकाशन का बन्दोबस्त करने वाले इदारे **'इस्लामिक बुक सर्विस/समी पब्लीकेशंस प्रा. लि.'** के मालिकान, अधिकारियों और कारकुनान सभी को इसकी ख़ैर व बरकत से नवाज़े, आमीन।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अ़लीग.)

79 महमूद नगर, गली न. 6 मुज़फ़्फ़र नगर यू. पी.

25.12.2002

क़ुरआन मजीद के नाज़िल होने, इकट्ठा किए जाने और तरतीब देने के हालात

जानते हो क़ुरआन मजीद क्या चीज़ है? एक मुक़द्दस और पवित्र किताब है जो सबसे आख़िरी नबी तमाम पैग़म्बरों के सरदार मुहम्मद अ़रबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई। यह अ़र्श व कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने अपने एक सम्मानित पैग़म्बर और मुकर्रम बन्दे से किया। इस्लाम की बिना इसी पाक आसमानी फ़रमान पर है। जिसने फ़रमाँबरदारी की वह इस्लाम के दायरे में दाख़िल हुआ और जिसने ज़रा भी सरकशी और नाफ़रमानी की वह उस पाकीज़ा जमाअ़त से ख़ारिज हो गया और अल्लाह जल्ल शानुहू के बाग़ियों में शामिल हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्र शरीफ़ चालीस साल की हुई उस वक़्त आपको नुबुव्वत अ़ता फ़रमाई गई और रिसालत का ताज आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सर पर रखा गया। उसी ज़माने से क़ुरआन पाक के नाज़िल होने की शुरूआ़त हुई। वक़्त वक़्त पर ज़रूरत के मुताबिक़ थोड़ा-थोड़ा तेईस (23) साल तक नाज़िल होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा एक ही बार में नाज़िल नहीं किया गया। (1)

सही यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत के बाद रमज़ान की शबे-क़द्र में पूरा क़ुरआन मजीद लौहे-महफ़ूज़ से इस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक़ नाज़िल हो गया और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को जिस वक़्त जिस क़द्र हुक्म हुआ उन्होंने इस मुक़द्दस कलाम को बिलकुल उसी हालत में बिना किसी कमी-बेशी और बिना किसी बदलाव और अदल-बदल के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक पहुँचा दिया। कभी दो आयतें, कभी तीन आयतें, कभी एक आयत से भी कम, कभी दस-दस आयतें, कभी-कभी पूरी-पूरी सूरतें। इसी को शरीअ़त में 'वह्य' कहते हैं। उलमा ने **'वह्य'** के अनेक तरीक़े हदीसों से निकाल कर पेश किये हैं।

1. फ़रिश्ता 'वह्य' लेकर आये और एक आवाज़ घन्टी जैसी मालूम हो। यह कैफ़ियत बहुत-सी हदीसों से साबित है, और यह क़िस्म 'वह्य' की तमाम क़िस्मों में सख़्त थी। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बहुत तकलीफ़ होती थी, यहाँ तक कि आपने फ़रमाया कि जब कभी ऐसी 'वह्य' आती है तो मैं समझता हूँ कि अब मेरी जान निकल जायेगी।
2. फ़रिश्ता दिल में कोई बात डाल दे।
3. फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में आकर बात-चीत करे। यह क़िस्म बहुत आसान थी, इसमें तकलीफ़ न होती थी।
4. अल्लाह तआ़ला बिना किसी वास्ते के जागने की हालत में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कलाम फ़रमाये, जैसा कि शबे-मेराज में।
5. अल्लाह तआ़ला ख़्वाब की हालत में कलाम फ़रमाए। यह क़िस्म भी सही हदीसों से साबित है।

---

1. जैसे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर तौरात और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर इन्जील और हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर ज़बूर। ये सब किताबें पूरी एक ही दफ़ा में नाज़िल हो गईं। और इसपर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि ये सब किताबें रमज़ान ही के महीने में उतरीं। (इतक़ान)

6. फ़रिश्ता ख़्वाब की हालत में आकर कलाम करे। मगर याद रहे कि अख़ीर की दो क़िस्मों (5. 6.) की 'वह्य' से क़ुरआन मजीद ख़ाली है। पूरा क़ुरआन जागने की हालत में नाज़िल हुआ। अगरचे बाज़ उलमा ने सूरः कौसर को अख़ीर की क़िस्म से क़रार दिया है मगर मुहक़्क़िक़ उलमा ने इसको रद्द कर दिया है और उनके शुब्हे का काफ़ी जवाब दे दिया है। (इत्क़ान)

क़ुरआन मजीद के थोड़ा-थोड़ा नाज़िल होने में यह भी हिक्मत थी कि उसमें बाज़ आयतें वे थीं जिनका किसी वक़्त मन्सूख़ (यानी निरस्त और रद्द) कर देना ख़ुदा-ए-तआ़ला को मन्ज़ूर था। क़ुरआन मजीद में तीन क़िस्म के मन्सूख़ात हैं। बाज़ वह जिनका हुक्म भी मन्सूख़ और तिलावत भी मन्सूख़।

मिसालः 1. सूरः 'लम् यकुन्' में "**लौ का-न लि-इब्नि आद-म वादियम् मिम्-मालिन् ल-अहब्-ब अंय्यकू-न इलैहिस्-सानी, व लौ का-न लहुस्-सानी ल-अहब्-ब अंय्यकू-न इलैहिमस्-सालिसु व ला यम्लउ जौफ़ब्नि आद-म इल्लत्-तुराबु व यतूबुल्लाहु अ़ला मन् ता-ब**" भी था।

मिसालः 2. **दुआ़-ए-क़नूत** भी क़ुरआन मजीद की दो सूरतें थीं।

बाज़ वे हैं जिनकी तिलावत मन्सूख़ हो गयी मगर हुक्म बाक़ी है। जैसे 'आयते रज्म' कि हुक्म उसका बाक़ी है मगर तिलावत उसकी नहीं होती। ये दोनों क़िस्में क़ुरआन मजीद से निकाल दी गईं और इनका लिखना भी क़ुरआन मजीद में जायज़ नहीं।

बाज़ वे हैं जिनकी तिलावत बाक़ी है मगर हुक्म मन्सूख़ हो गया है। यह क़िस्म क़ुरआन मजीद में दाख़िल है और इसकी बहुत-सी मिसालें हैं। बाज़ आ़लिमों ने मुस्तक़िल किताबें लिखकर उनको जमा किया है। तफ़सीर के फ़न में उनसे बहुत बहस होती है मगर यह मक़ाम उनकी तफ़सील का नहीं। (तफ़सीरे इत्क़ान)

जब नबी-ए-करीम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने हक़ीक़ी मालिक से जा मिले और इस दुनिया से पर्दा फ़रमाया और वह्य के नाज़िल होने का सिलसिला बन्द हो गया, क़ुरआन मजीद किसी किताब में, जैसा कि आजकल है, जमा न था, विभिन्न चीज़ों पर सूरतें और आयतें लिखी हुई थीं और वे मुख़्तलिफ़ लोगों के पास थीं। अक्सर सहाबा को पूरा क़ुरआन मजीद ज़बानी याद था। सबसे पहले क़ुरआन मजीद के इकट्ठा करने का ख़्याल हज़रत अमीरुल-मोमिनीन फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के दिल में पैदा हुआ और हक़ तआ़ला ने उनके ज़रिये से अपने उस सच्चे वायदे को पूरा किया जो अपने पैग़म्बर से किया था, यानी यह कि क़ुरआन मजीद के हम हाफ़िज़ है, इसका जमा करना और हिफ़ाज़त करना हमारे ज़िम्मे है। यह ज़माना हज़रत अमीरुल-मोमिनीन अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िलाफ़ते राशिदा का था। हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उनकी ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि क़ुरआन के हाफ़िज़ शहीद हो जाते हैं, और बहुत-से यमामा की लड़ाई में शहीद हो गये। मुझे डर है कि अगर यही हाल रहेगा तो बहुत बड़ा हिस्सा क़ुरआन मजीद का हाथ से जाता रहेगा। इसलिये मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप इस तरफ़ तवज्जोह फ़रमाइए और क़ुरआन मजीद के जमा करने का एहतिमाम कीजिये। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नहीं किया उसको तुम कैसे कर सकते हो? हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया कि ख़ुदा की क़सम! यह बहुत अच्छा काम है। फिर वक़्त वक़्त

पर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरफ़ तवज्जोह दिलाते रहे। यहाँ तक कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में यह बात जम गयी। उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया और यह सब क़िस्सा बयान करके फ़रमाया कि क़ुरआन मजीद के जमा करने के लिये मैंने आपको चुना है। आप 'वह्य' के लिखने वाले थे और नेक जवान हैं। उन्होंने भी वही उज़्र किया कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नहीं किया उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं? आख़िरकार वह भी राज़ी हो गये और उन्होंने बहुत ही एहतिमाम और हद दर्जा एहतियात से क़ुरआन मजीद को जमा करना शुरू किया।

हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को चुनने की वजह उलमा ने यह लिखी है कि हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ुरआन मजीद का दौर किया करते थे, (1) और वफ़ात के साल में दो बार क़ुरआन मजीद का दौर हुआ और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु उस अख़ीर दौरे में शरीक थे और अख़ीर दौरे के बाद फिर कोई आयत मन्सूख़ नहीं हुई। जिस क़द्र क़ुरआन उस दौरे में पढ़ा गया वह सब बाक़ी रहा, इसलिये उनको मन्सूख़ हुई आयतों का ख़ूब इल्म था। (शरहे सुन्नह्)

जब क़ुरआन मजीद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के निहायत एहतिमाम से जमा हो चुका, हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में उसकी नज़रे-सानी की और जहाँ कहीं लिखने में ग़लती हो गयी थी उसको दुरुस्त किया। कई साल तक इस फ़िक्र में रहे और अक्सर समय सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुनाज़रा भी किया। फिर जब इस एहतिमाम व पाबन्दी और एहतियात के बाद यह काम पूरा हो गया तो हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके पढ़ने-पढ़ाने का सख़्त एहतिमाम किया। जो सहाबा हाफ़िज़ थे उनको दूर-दराज़ मुल्कों में क़ुरआन व फ़िक़्ह (यानी मसाइल) की तालीम के लिये भेजा जिसका सिलसिला हम तक पहुँचा।

हक़ यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एहसान इस बारे में तमाम उम्मते मुहम्मदिया पर है, उन्हीं की बदौलत आज हमारे पास क़ुरआन मजीद मौजूद है और हम इसकी तिलावत से फ़ायदा उठाते हैं। इस एहसान का बदला किससे हो सकता है। ऐ अल्लाह! तू उनके दर्जे बुलन्द फ़रमा और उनको अपनी रिज़ा व निकटता का आला मक़ाम अ़ता फ़रमा, आमीन।

फिर हज़रत उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस एहसान को और भी कामिल कर दिया। अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में उन्होंने क़ुरआन मजीद के उस नुस्ख़े (प्रति) की सात नक़लें कराकर दूर-दराज़ के मुल्कों में भेज दीं और क़िराअत (पढ़ने) के इख़्तिलाफ़ की वजह से जो फ़सादात बरपा हो रहे थे और एक-दूसरे की क़िराअत को ख़िलाफ़े हक़ और बातिल समझता था उन सब झगड़ों से दीने इस्लाम को पाक कर दिया। सिर्फ़ एक क़िराअत पर सबको मुत्तफ़िक़ कर दिया। अब अल्हम्दु लिल्लाह जैसी मज़बूत किताब मुसलमानों के पास है कोई मज़हब दुनिया में इसकी मिसाल नहीं ला सकता। इन्जील व तौरात की हालत तो ख़स्ता है, उनके अन्दर वह

1. हदीस में 'मुआरज़े' का लफ़्ज़ है जिसका मतलब यह हुआ कि कभी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनको सुनाते थे कभी वह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सुनाते थे। (फ़तहुल-बारी)

तब्दीली और कमी-बेशी हुई कि अल्लाह अपनी हिफ़ाज़त में रखे। कुरआन मजीद के बारे में मुख़ालिफ़ों को भी इक़रार है कि हाँ यह वही किताब है जिसके बारे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह का कलाम होने का दावा फ़रमाया था। इसमें किसी क़िस्म की कमी-ज्यादती उनके बाद नहीं हुई। इसपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।

कुरआन मजीद में आयतों और सूरतों की तरतीब जो इस ज़माने में है यह भी सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने दी है, मगर अपनी राय और किसी अन्दाज़े से नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिस तरतीब से पढ़ते थे और जो तरतीब उस मुबारक ज़माने में थी उसके ज़रा भी ख़िलाफ़ नहीं किया। सिर्फ़ दो सूरतों की तरतीब अलबत्ता सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अपने क़ियास से दी है। सूरः बराअत और सूरः अन्फ़ाल। तो यह भी यक़ीनन लौहे-महफ़ूज़ के ख़िलाफ़ न होगी, जिसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी अल्लाह तआ़ला ने ली हो उसमें तरतीब भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती।

सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के ज़माने में कुरआन मजीद में सूरतों के नाम, पारों के निशानात वग़ैरह कुछ न थे बल्कि हर्फ़ों पर नुक़्ते भी न दिये गये थे, बल्कि बाज़ सहाबा इसको बुरा समझते थे, वे चाहते थे कि मुस्हफ़ में सिवाय कुरआन के और कोई चीज़ न लिखी जाये। अ़ब्दुल मलिक के ज़माने में अबुल-अस्वद या इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इसमें नुक़्ते बनाये और उसके बाद फिर ख़ुम्स (पाँचवाँ) और उश्र (दसवाँ) लिखे गये और सूरतों और पारों के नाम भी लिख दिये गये। उलमा इन सब चीज़ों के जायज़ होने पर मुत्तफ़िक़ हैं इसलिये कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके कुरआन होने का शुब्हा हो, और उन चीज़ों का लिखना मना है जिनके कुरआन होने का शुब्हा पैदा हो।

कुरआन मजीद के फ़ज़ाइल और उसकी तिलावत वग़ैरह का सवाब

कुरआन मजीद की अ़ज़मत, बुज़ुर्गी और उसकी फ़ज़ीलत और बुलन्दी के लिये इसी क़द्र काफ़ी है कि वह तमाम मख़्लूक़ात के ख़ालिक़ व मालिक का कलाम है, तमाम ऐबों और कमियों से बरी और पाक है, ज़बान और बयान के एतिबार से इसकी बुलन्द और बेमिसाल हैसियत को तमाम अ़रब ने मान ली, बड़े-बड़े फ़साहत व बलाग़त के दावे करने वाले इसके जैसे दो-तीन जुमले भी वर्षों की कोशिशों में भी न बना सके। सरेआ़म ऐलान भी किया गया, जोश दिलाने वाले ख़िताब से कहा गया कि अगर तुम इसके ख़ुदा का कलाम होने में शक करते हो और इसको इनसानी कलाम समझते हो तो तुम इसकी छोटी से छोटी सूरः के जैसी कोई इबारत बना लाओ और अपने तमाम मददगारों और सहयोगियों को जमा करो, हरगिज़ न बना सकोगे, हरगिज़ न बना सकोगे। जिन्नों की क़ौम ने जब इस कलाम को सुना, बेसाख़्ता कह उठे कि "इन्ना समिअ़ना कुरआनन् अ़-जबा, यह्दी इलर्रुश्दि फ़-आमन्ना बिही व लन् नुश्रि-क ब्रि-रब्बिना अ-हदन्" (यानी बेशक हमने एक अ़जीब कुरआन सुना जो नेकी की तरफ़ हिदायत करता है, हम उसपर ईमान लाये और अपने परवर्दिगार का किसी को शरीक हरगिज़ न समझेंगे) ख़ुद अल्लाह जल्ल शानुहू इस मुक़द्दस कलाम की तारीफ़ फ़रमाता है फिर हम लोगों की ज़बान व क़लम में क्या ताक़त है कि इसकी ख़ूबियाँ और फ़ज़ाइल का एक मामूली-सा हिस्सा भी

बयान कर सकें।

इसकी तिलावत और पढ़ने-पढ़ाने का सवाब किसी बयान का मोहताज नहीं। तमाम उलमा-ए-उम्मत मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई ज़िक्र कुरआन मजीद के पढ़ने से ज़्यादा सवाब नहीं रखता। इस बारे में बहुत ज़्यादा हदीसें हैं, नमूने के लिये बरकत के तौर पर चन्द हदीसें नक़ल की जाती हैं।

1. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला फ़रमाता है कि जो कोई क़ुरआन मजीद के पढ़ने में मश्गूल हो और दुआ़ या किसी दूसरे ज़िक्र की उसको फ़ुरसत न मिले, मैं उसको दुआ़ माँगने वालों से भी ज़्यादा दूँगा और कलामुल्लाह की बुज़ुर्गी तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे ख़ुदा की बुज़ुर्गी तमाम मख़्लूक़ पर। (दारमी शरीफ़)

2. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरआन मजीद अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़्यादा महबूब है तमाम आसमानों और ज़मीनों और उन चीज़ों से जो उनमें हैं। (दारमी शरीफ़)

3. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर क़ुरआन मजीद किसी खाल में हो तो वह खाल आग में नहीं जल सकती। (दारमी शरीफ़)

खाल से मुराद मोमिन का दिल है, कि अगर उसमें क़ुरआन मजीद हो तो वह दोज़ख़ के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहेगा।

4. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत किया गया है कि तीन क़िस्म के लोगों को क़ियामत में ख़ौफ़ न होगा, न उनसे हिसाब लिया जायेगा, और उन तीन में से क़ुरआन मजीद पढ़ने वाले को आपने बयान फ़रमाया। (दारमी शरीफ़)

5. नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक बार अपने ख़ुतबे में फ़रमाया कि ऐ लोगो! मैं भी एक आदमी हूँ क़रीब है कि मेरे रब की तरफ़ से कोई मुझको बुलाने आये और मैं चला जाऊँ। मैं तुममें दो बहुत क़ीमती और बड़ाई वाली चीज़ें छोड़े जाता हूँ- एक ख़ुदा की मुक़द्दस किताब, इसमें हिदायत व नूर है, पस तुम लोग अल्लाह की किताब को मज़बूत पकड़ लो और उसपर अ़मल करो। (रिवायत करने वाले कहते हैं कि फिर आपने लोगों को इसपर बहुत रग़बत दिलाई)। दूसरे मेरे अहले-बैत हैं, (यानी घर वाले और आल-औलाद), तुमको ख़ुदा का ख़ौफ़ याद दिलाता हूँ अपने अहले-बैत के हुक़ूक़ की रियायत करने में। (दारमी शरीफ़)

6. क़ुरआन मजीद की तिलावत के वक़्त फ़रिश्ते और रहमत नाज़िल होते हैं। बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत उसैद बिन हज़ीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक रात को वह सूरः ब-क़रः पढ़ रहे थे और उनका घोड़ा क़रीब ही बँधा हुआ था, वह भड़कने लगा। वह चुप हो गये, घोड़े को भी सुकून हो गया। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर उसकी वही हालत हुई। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया फिर उसकी वही हालत हुई। तब उन्होंने तिलावत बन्द कर दी, इस ख़्याल से कि उनके साहिबज़ादे यह्या क़रीब ही थे, कहीं घोड़ा ज़्यादा भड़के और वह कुचल न जायें। सुबह को यह वाक़िआ़ हज़रत नबी-ए-करीम की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया, आपने फ़रमाया, ऐ इब्ने हज़ीर! पढ़े जाओ, ऐ इब्ने हज़ीर! पढ़े जाओ। तब उन्होंने अपना वह ख़ौफ़ उज़्र में पेश किया और कहा कि तिलावत ख़त्म करने के बाद मैंने सर उठाकर देखा तो बादल का एक टुकड़ा था जिसमें चिराग़

रोशन थे। यहाँ तक कि वह मेरी नज़र से ग़ायब हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जानते हो यह क्या चीज़ थी? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि नहीं! आपने फ़रमाया कि ये फ़रिश्ते थे, तुम्हारी क़िराअत की वजह से नज़दीक आ गये थे। अगर तुम पढ़े जाते तो वे फ़रिश्ते तुम्हारे पास आ जाते और सुबह को सब लोग उनको देखते। इसी क़िस्म का वाक़िआ़ कई सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को क़ुरआन मजीद के पढ़ने के वक़्त पेश आया जो सही हदीसों में बयान किया गया है। कई क़िस्से तो बुख़ारी शरीफ़ में हैं।

7. नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत किया गया है कि हसद की इजाज़त नहीं मगर दो शख़्सों पर- एक वह जो क़ुरआन मजीद पढ़ता हो और वह उसकी तिलावत में रातों को मश्ग़ूल रहता हो। दूसरे वह जिसको अल्लाह तआ़ला ने माल दिया हो और वह उसको दिन-रात अल्लाह की राह में ख़र्च करता हो। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस में हसद से मुराद रश्क करना है। दोनों में फ़र्क़ यह है कि किसी शख़्स की नेमत के ख़त्म हो जाने की ख़्वाहिश करना हसद है, और उस नेमत की अपने लिये ख़्वाहिश करना बग़ैर इसके कि दूसरे शख़्स से ख़त्म हो, यह रश्क है। रश्क करना मुत्लक़न जायज़ है, हसद मुत्लक़न नाजायज़। इस हदीस में रश्क करने की इजाज़त सिर्फ़ इन्हीं दोनों चीज़ों में मुन्हसिर (सीमित) करना मक़सूद नहीं बल्कि मतलब यह है कि कोई नेमत इन दोनों नेमतों से बढ़कर नहीं, जिसके हासिल होने की ख़्वाहिश की जाये।

8. हज़रत अबू सालेह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया गया है कि क़ुरआन मजीद अपने पढ़ने वालों की क़ियामत में सिफ़ारिश करेगा। पस उसको बुज़ुर्गी का लिबास पहनाया जायेगा। फिर क़ुरआन मजीद कहेगा कि ऐ अल्लाह! और ज़्यादा इसके ऊपर इनाम फ़रमा, तब उसको बुज़ुर्गी का ताज पहनाया जायेगा। फिर कहेगा ऐ अल्लाह! और ज़्यादा दे, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला अपनी रज़ामन्दी का परवाना उस शख़्स को अ़ता फ़रमायेगा। (दारमी शरीफ़)

9. जो शख़्स अच्छी तरह क़ुरआन मजीद पढ़े और उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाने, अ़ल्लाह तआ़ला उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा और उसके दस अ़ज़ीज़ों (रिश्तेदारों) के हक़ में जो दोज़ख़ के मुस्तहिक़ होंगे, उसकी सिफ़ारिश क़बूल फ़रमायेगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

10. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरआन मजीद पढ़ने से हर हर्फ़ के बदले में दस नेकियाँ मिलती हैं। मैं नहीं कहता कि 'अलिफ़, लाम, मीम,' एक हर्फ़ है, बल्कि 'अलिफ़' एक हर्फ़ है, 'लाम' एक हर्फ़ है, 'मीम' एक हर्फ़ है। (दारमी शरीफ़)

मक़सद यह है कि सिर्फ़ 'अलिफ़-लाम-मीम' कहने से तीस नेकियाँ मिलती हैं। अल्लाहु अकबर।

11. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम सबमें बेहतर वह शख़्स है जिसने क़ुरआन मजीद को पढ़ा और पढ़ाया। यह हदीस अबू अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत उसमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सुनकर क़ुरआन मजीद पढ़ाना शुरू किया। हज़रत उसमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़िलाफ़त के वक़्त से हज्जाज के ज़माने तक पढ़ाते रहे और फ़रमाते थे कि इसी हदीस ने मुझे इस जगह बिठला दिया है कि क़ुरआन पढ़ाने में मश्ग़ूल हूँ। (बुख़ारी शरीफ़, दारमी शरीफ़)

12. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जो शख़्स अपने लड़के को क़ुरआन की तालीम करता है, हक़ तआ़ला उसको क़ियामत में जन्नत का एक ताज पहनायेगा। (तिबरानी)

13. मुआ़ज़ इब्ने अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जो शख़्स अच्छी तरह क़ुरआन पढ़े और उसपर अ़मल करे, क़ियामत के दिन उसके माँ-बाप को एक ताज पहनाया जायेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा होगी। फिर क्या कहना उस शख़्स का जिसने पढ़ा और अ़मल किया। (अबू दाऊद)

14. अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि यह क़ुरआन अल्लाह का नेमत-ख़ाना है, इससे लो जिस क़द्र ले सको, मेरे नज़दीक उस घर से ज़्यादा बेबरकत कोई मक़ाम नहीं जिस घर में ख़ुदा की किताब न हो, और बेशक वह दिल जिसमें कुछ भी क़ुरआन न हो एक वीरान घर है जिसमें कोई रहने वाला नहीं। (दारमी शरीफ़)

15. नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स क़ुरआन मजीद याद करके भूल जाये वह क़ियामत के दिन कोढ़ी होगा। (बुख़ारी शरीफ़) अल्लाह अपनी पनाह में रखे।

16. ख़ालिद बिन मअ़दान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जो शख़्स क़ुरआन मजीद पढ़े उसको इकहरा सवाब मिलेगा और जो उसको सुने उसको दोहरा सवाब मिलेगा। (दारमी शरीफ़) इसी हदीस से उलमा ने यह बात निकाली है कि क़ुरआन मजीद के सुनने में पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब है। (कबीरी)

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी बहुत पसन्दीदा था कि कोई दूसरा शख़्स क़ुरआन मजीद पढ़े और आप सुनें। एक बार अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इर्शाद हुआ कि तुम पढ़कर मुझको सुनाओ। उन्होंने कहा कि मैं आपको सुनाऊँ? आप ही पर नाज़िल हुआ है। इर्शाद हुआ कि मुझे अच्छा मालूम होता है कि किसी दूसरे से सुनूँ। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सूरः निसा पढ़ना शुरू की यहाँ तक कि इस आयत पर पहुँचेः **"फ़कै-फ इज़ा जिअ्ना मिन् कुल्लि उम्मतिम् बि-शहीदिंव्-व जिअ्ना बि-क अ़ला हा-उला-इ शहीदा"** (1) हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया बस बस। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने देखा कि आपकी मुबारक आँखों से आँसू बह रहे थे।

(बुख़ारी शरीफ़, दारमी शरीफ़) (2)

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब कभी हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को देखते तो फ़रमाते कि ऐ मूसा! हमको अपने परवर्दिगार की याद दिलाओ। वह क़ुरआन पढ़ना शुरू कर देते। (दारमी शरीफ़)

यह अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे। क़ुरआन मजीद बहुत अच्छा पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके पढ़ने की बहुत तारीफ़ फ़रमाई है।

---

(1) तर्जुमाः क्या हाल होगा उस वक़्त जब हम हर उम्मत के लिये उनमें से एक गवाह निकालेंगे और उन लोगों पर तुमको गवाह बनायेंगे। यह ज़िक्र क़ियामत का है कि उस दिन ख़ुदा तआ़ला हर उम्मत पर उनके पैग़म्बर को गवाह बनायेगा और हम लोगों पर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को।

(2) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शायद इस सबब से रोये कि इस आयत में आपके गवाह बनाने का ज़िक्र है और आपको अपनी उम्मत के तमाम अच्छे-बुरे हालात बयान करने पड़ेंगे, और उम्मत की बुराई आपको नागवार है। इसके अ़लावा आपकी आ़दत भी थी कि क़ुरआन मजीद के पढ़ने में अक्सर रोया करते थे।

इसी तरह क़ुरआन मजीद की ख़ास-ख़ास सूरतों की फ़ज़ीलतें भी सही हदीसों में बहुत आई हैं। मुख़्तसर तौर पर चन्द हदीसें नक़ल की जाती हैं।

सूरः फ़ातिहा के बारे में हदीसों में आया है कि 'सब्अ़े-मसानी' और 'क़ुरआने अ़ज़ीम' यही है। (बुख़ारी शरीफ़) (1) ऐसी सूरः किसी नबी पर नहीं नाज़िल हुई। (मुस्तद्रक)

सूरः ब-क़रः के हक़ में आया है कि जिस घर में यह सूरः पढ़ी जाये वहाँ से शैतान भाग जाता है। (तिर्मिज़ी शरीफ़) उसको पढ़ो बरकत होगी वरना हसरत होगी। (मुस्लिम शरीफ़) दो तरोताज़ा चीज़ों को पढ़ा करो, सूरः ब-क़रः और सूरः आलि इमरान। ये दोनों क़ियामत में अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअ़त करेंगी और ख़ुदा तआ़ला से झगड़ा करके उसको बख़्शवायेंगी। **आयतुल-कुर्सी** तमाम क़ुरआनी आयतों की बुज़ुर्ग और सरदार है। (मुस्लिम शरीफ़) सूरः ब-क़रः के आख़िर की दो आयतें जिस घर में पढ़ी जायें तीन दिन तक शैतान उस घर के क़रीब नहीं जाता। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

सूरः अन्आ़म जब उतरी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तस्बीह पढ़ी और फ़रमाया कि इस क़द्र फ़रिश्ते उसके साथ थे कि आसमान के किनारे भर गये। (मुस्तद्रक, हाकिम)

सूरः कहफ़ जुमा के दिन जो शख़्स पढ़े उसके लिये एक नूर होगा दूसरे जुमा तक। (मुस्तद्रक) उसके लिये नूर होगा क़ियामत के दिन। (हिस्ने हसीन)

सूरः यासीन क़ुरआन मजीद का दिल है। जो कोई शख़्स इसको ख़ुदा के लिये पढ़े वह बख़्श दिया जायेगा, इसको अपने मुर्दों पर पढ़ो। (मुस्तद्रक, हाकिम)

सूरः फ़त्ह मुझको तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। (बुख़ारी शरीफ़)

सूरः मुल्क ने एक शख़्स की सिफ़ारिश की यहाँ तक कि बख़्श दिया गया। (सिहाहे-सित्ता) यह अपने पढ़ने वालों के लिये मग़फ़िरत की दुआ़ करती है यहाँ तक कि वह बख़्श दिया जायेगा। (इब्ने हब्बान)

मैं चाहता हूँ कि यह सूरः हर मोमिन के दिल में रहे। (मुस्तद्रक, हाकिम) यह सूरः अपने पढ़ने वाले को क़ब्र के अ़ज़ाब से बचाती है। जो इसको रात को पढ़ ले उसने बहुत नेकी की और अच्छा काम किया। (मुस्तद्रक)

सूरः ज़िल्ज़ाल आधे क़ुरआन के बराबर सवाब रखती है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

सूरः काफ़िरून में चौथाई क़ुरआन के बराबर सवाब है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

सूरः नस्र का सवाब चौथाई क़ुरआन का सवाब है। (बुख़ारी शरीफ़) एक शख़्स इस सूरः को हर नमाज़ में पढ़ा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उनसे कह दो कि अल्लाह उनको दोस्त रखता है। (बुख़ारी शरीफ़) उसकी मुहब्बत तुमको जन्नत में दाख़िल करेगी। (बुख़ारी शरीफ़)

एक शख़्स को यह सूरः पढ़ते हुए आपने सुना तो फ़रमाया कि जन्नत ज़रूरी होगी। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

सूरः फ़लक़ और **सूरः नास** अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़्यादा महबूब हैं। (मुस्तद्रक) इससे बढ़कर कोई

(1) क़ुरआन मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ख़िताब है कि हमने तुमको 'सब्अ़े-मसानी' और 'क़ुरआने अ़ज़ीम' इनायत फ़रमाया है। उसी को आपने फ़रमा दिया कि सब्अ़े-मसानी और क़ुरआने अ़ज़ीम से यही सूरः मुराद है।

दुआ या इस्तिग़फ़ार नहीं है। (निसाई शरीफ़) यानी यह बहुत आला दर्जे की दुआ है और इसके पढ़ने से तमाम बलाओं से नजात मिलती है। जब से ये दोनों सूरतें नाज़िल हुईं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन्हीं को विर्द कर लिया और दूसरी दुआएँ जो जिन्न और हसद वग़ैरह के शर और बुराई से बचने के लिए पढ़ते थे, छोड़ दीं। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

क़ुरआन मजीद तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों की दवा है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है **"शिफ़ाउंव्-व रह्मतुल् लिल्-मुअ्मिनी-न, व शिफ़ाउल्-लिमा फ़िस्सुदूरि"**। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई सच्चे दिल से क़ुरआन मजीद पढ़े तो पहाड़ भी हिल जाये। अ़ल्लामा सुयूती इत्क़ान में लिखते हैं कि क़ुरआन मजीद रूहानी तिब (दवा और इलाज) है बशर्ते कि नेक लोगों की ज़बान से अदा हो। अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी और रोग की शिफ़ा इससे हासिल होती है, मगर चूँकि नेक लोग कम हैं और हर किसी की ज़बान में असर नहीं होता इसलिये लोगों ने जिस्मानी तिब की तरफ़ रुजू किया।

ख़ास-ख़ास सूरतों के ख़्वास भी सही हदीसों में बहुत आये हैं, सैकड़ों मरीज़ों को इससे शिफ़ा हुई है, हज़ारों बलायें इससे दूर हुई हैं।

बुख़ारी शरीफ़ में अनेक तरीक़ों से रिवायत किया गया है कि एक शख़्स को साँप ने काट लिया था, कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम वहाँ सफ़र की हालत में उतरे हुए थे। उन लोगों ने आकर कहा कि यहाँ के सरदार को साँप ने काट लिया है, आप लोगों में अगर कोई झाड़ते हों तो चलें। उनमें से एक सहाबी चले गये और उन्होंने सूरः फ़ातिहा पढ़कर फूँक दी, वह अच्छा हो गया।

कश्ती पर सवार होते वक़्त **"बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन्-न रब्बी ल-ग़फ़ूरुर्-रहीम"** पढ़ लेने से कश्ती डूबने से महफ़ूज़ रहती है। (इत्क़ान)

"क़ुलिद्अुल्ला-ह अविद्अुर्-रह्मा-न" आख़िर सूरः तक पढ़ लेने से चोरी से अमान होता है। (इत्क़ान)

रात को जिस बक़्त उठना मन्ज़ूर हो सोते वक़्त सूरः कह्फ़ का आख़िरी हिस्सा पढ़ ले, उस वक़्त ज़रूर आँख खुल जायेगी। इस हदीस के एक रिवायत करने वाले कहते हैं कि यह मेरा आज़माया हुआ है। (इत्क़ान)

"क़ुलिल्लाहुम्-म मालिकल् मुल्कि तुअ्तिल्-मुल्-क............बिग़ैरि हिसाब" तक पढ़ लेना क़र्ज़ की अदायगी के लिये मुफ़ीद है। (इत्क़ान) यह आयत इस नाचीज़ बन्दे की आज़माई हुई है मगर मुझे एक ख़ास तरीक़ा इसके पढ़ने का बतलाया गया है, वह यह कि नमाज़ के बाद शुरू व आख़िर में तीन-तीन बार दुरूद शरीफ़ पढ़कर सात बार यह आयत पढ़े। वाक़ई बहुत जल्द अपना असर दिखाती है। चालीस दिन भी नहीं गुज़रने पाते कि असर ज़ाहिर होने लगता है।

"रब्बि हब्-ली मिल्लदुन्-क ज़ुर्रिय्यतन् तय्यि-बतन्" जिस औ़रत के लड़का न होता हो, चालीस दिन तक पढ़ने से कामयाब हो जाती है, यह भी मेरे सामने कई मर्तबा आज़माई गई है।

क़ुरआन मजीद के फ़ज़ाइल और उसके पढ़ने-पढ़ाने का सवाब मुख़्तसर तौर पर बयान हो चुका। ग़ालिबन इस क़द्र सवाब व फ़ज़ीलत मालूम करने के बाद फिर कोई मुसलमान जुर्रत नहीं कर सकता कि क़ुरआन मजीद की तिलावत और इसके पढ़ने-पढ़ाने से ग़फ़लत करे।

ऐ अल्लाह! ऐ अ़र्श व कुर्सी के मालिक! ऐ तौरात, ज़बूर, इन्जील और क़ुरआन को नाज़िल करने वाले! ऐ क़ुरआन को तमाम किताबों पर फ़ज़ीलत देने वाले, ऐ नेमत देने वाले! अपने फ़ज़्ल व करम, अपनी रहमते कामिला और करम के सदक़े में हम सब मुसलमानों को इस अपनी मुक़द्दस किताब से फ़ैज़याब फ़रमा। इसकी तिलावत की हमें तौफ़ीक़ दे, हमारे आमाल व अफ़आ़ल को इसके मुवाफ़िक़ कर, क़ियामत के दिन जब हमारे बुरे आमाल हमें दोज़ख़ का मुस्तहिक़ बना दें तो क़ुरआन मजीद को हमारा सिफ़ारिशी कर और क़ुरआन पढ़ने वालों के सदक़े में हमें बख़्श दे, आमीन। कितना ख़ुशनसीब है वह शख़्स जिसको हर दिन क़ुरआन मजीद की ज़ियारत और तिलावत नसीब होती हो। सो उस नेक बन्दे पर फ़िदा होना पसन्दीदा जानें जिसका वज़ीफ़ा ऐसी मुक़द्दस किताब हो, बेशक इन्शा-अल्लाह तआ़ला उन लोगों की यह उम्मीद पूरी होगी जिसको अ़ल्लामा शातबी अपने इन शे'रों में ज़ाहिर फ़रमाते हैं:

ल-अ़ल्-ल इलाहल्-अ़र्शि या इख़्वती यक़ी जमा-अ़-तना कुल्लल्-मकारिहि हुव्वला

व यज्अ़लुना मिम्-मंय्यकूनु किताबुहू शफ़ीअ़न् लहू इज़् मा नसूहु फ़ियम्हला

तर्जुमा: उम्मीद है कि ऐ भाइयो! अ़र्श व कुर्सी का मालिक हमारी जमाअ़त को तमाम बुराइयों और ख़ौफ़ की चीज़ों से बचा ले, और हमको उन लोगों में शामिल फ़रमाये जिनके लिये उसकी मुक़द्दस किताब क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करेगी। इसलिये कि हमने उसकी मुक़द्दस किताब को भुलाया नहीं जो वह नाख़ुश होकर हमसे कुछ बुराई करे। आख़िरी जुमले में उस हदीस की तरफ़ इशारा है जिसका मज़मून यह है कि जो लोग क़ुरआन मजीद से ग़फ़लत करते हैं क़ुरआन मजीद उनको दोज़ख़ में भिजवायेगा। जमाअ़त से मुराद वे लोग हैं जो क़ुरआन मजीद पढ़ते हैं और उसके उलूम हासिल करते हैं।

यह भी जान लेना चाहिए कि क़ुरआन मजीद की तिलावत का सवाब इसपर मौक़ूफ़ नहीं कि उसके मायने समझकर तिलावत की जाये, जो शख़्स अ़रबी ज़बान न जानता हो, क़ुरआन के मायने न समझ सकता हो उसको भी क़ुरआन मजीद की तिलावत का सवाब मिलेगा और वह भी इस आ़म फ़ैज़ से महरूम न रहेगा, इसलिये कि क़ुरआन मजीद के अल्फ़ाज़ भी तासीर और फ़ायदे से ख़ाली नहीं हैं। (1) यह दूसरी बात है कि अगर मायने समझकर तिलावत की जाये तो ज़्यादा सवाब मिलेगा।

(1) शैख़ अ़ब्दुल-हक़ मुहद्दिस देहलवी ने 'शरह स-फ़रुस्-सआ़दत' के दीबाचे में लिखा है कि मैंने इस किताब में दुआ़ व अज़्कार का तर्जुमा नहीं किया इसलिये कि इनके असल अल्फ़ाज़ में ख़ासियत है, मायने मालूम हों या न हों, अगरचे मायने मालूम हो जाने से एक क़िस्म की ख़ुशी और ताज़गी हासिल हो जाती है। पस क़ुरआन मजीद जो तमाम ज़िक्रों से अफ़ज़ल है इसके अल्फ़ाज़ तासीर व फ़ैज़ से कैसे ख़ाली रह सकते हैं?।

क़ुरआन मजीद की तिलावत वग़ैरह के आदाब

जब क़ुरआन मजीद के फ़ज़ाइल मालूम हो चुके और उसकी अ़ज़मत दिल में बैठ गई तो यह बात क़ाबिले बयान न रही कि इसकी ताज़ीम व अदब में किस दर्जा कोशिश करनी चाहिये और इसके पढ़ने और सुनने में कैसा अदब और एहतिमाम पेशे नज़र रखना चाहिये। मगर चन्द ज़रूरी और मुफ़ीद बातें हम बयान किये देते हैं।

सही यह है कि क़ुरआन मजीद की तिलावत और पढ़ने के लिये किसी उस्ताद से इजाज़त लेना या उसको सुनाना शर्त नहीं, हाँ इस क़द्र ज़रूरी है कि क़ुरआन मजीद सही पढ़ता हो, अगर इतनी क़ाबलियत अपने में न देखे तो उसको ज़रूरी है कि किसी उस्ताद को सुना दे या उससे पढ़ ले। (इत्क़ान)

यह भी शर्त नहीं है कि क़ुरआन मजीद के मायने समझ लेता हो, और अगर क़ुरआन मजीद में ऐराब (यानी ज़ेर, ज़बर, पेश वग़ैरह) न हों तब भी उसके सही ऐराब पढ़ लेने पर क़ादिर हो। (1)

सही यह है कि क़ुरआन मजीद की तिलावत की नेमत सिर्फ़ इनसान को दी गयी है, शयातीन वग़ैरह इसकी तिलावत पर क़ादिर नहीं, बल्कि फ़रिश्तों को भी यह नेमत नसीब नहीं हुई, वे भी इस आरज़ू में रहते हैं कि कोई इनसान तिलावत करे और वे सुनें। हाँ मोमिनीन जिनको अलबत्ता यह नेमत नसीब है और वे क़ुरआन की तिलावत पर क़ादिर हैं। (इत्क़ान)

शायद इससे हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम अलग हों, इसलिये कि उनके बारे में हदीस में आया है कि हर रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से क़ुरआन मजीद का दौर किया करते थे और हाफ़िज़ इब्ने हज्र अ़स्क़लानी ने फ़तहुल्-बारी में इसका ख़ुलासा किया है कि कभी वह पढ़ते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुनते थे और कभी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पढ़ते थे और वह सुनते थे। और अल्लाह ही को ख़ूब इल्म है।

बेहतर यह है कि क़िब्ला की तरफ़ रुख़ करके पाक-साफ़ निहायत अदब से किसी पाकीज़ा जगह पर बैठकर क़ुरआन मजीद पढ़ा जाये, सबसे बेहतर इस काम के लिये मस्जिद है। जो लोग हर वक़्त या अक्सर वक़्त इसकी तिलावत में मश्ग़ूल रहना चाहें उनके लिये हर हाल में क़ुरआन मजीद पढ़ना बेहतर है, लेटे हों या बैठे हों, वुज़ू के साथ हों या बे-वुज़ू हों। हाँ मगर नापाकी की हालत में न पढ़ना चाहिये।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कैफ़ियत बयान फ़रमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर हाल में तिलावत फ़रमाया करते थे, वुज़ू की हालत में भी, बे-वुज़ू भी, हाँ अलबत्ता नापाकी की हालत में न करते थे।

क़ुरआन मजीद की तिलावत के लिए एक ख़ास वक़्त मुक़र्रर कर लेना भी दुरुस्त है। अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम फ़ज्र की नमाज़ के बाद क़ुरआन मजीद पढ़ा करते थे। वक़्त मुक़र्रर कर लेने में नाग़ा भी नहीं होता।

(1) अ़ल्लामा सुयूती वग़ैरह की इबारत से यह मुद्दआ बख़ूबी ज़ाहिर है और इस शर्त की कोई वजह भी नहीं मालूम होती। इन सब के अ़लावा अगर यह शर्त लगाई जाए तो तिलावत बिलकुल ही बन्द हो जायेगी। और अल्लाह ही ख़ूब जानते हैं।

सुन्नत यह है कि पढ़ने वाला शुरू करने से पहले "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम" पढ़ ले। और अगर पढ़ने के दरमियान में कोई दुनियावी बात करे तो उसके बाद फिर इस अ़मल को दोहरा ले।

क़ुरआन मजीद की तिलावत ज़बानी पढ़ने के मुक़ाबले में मुस्हफ़ में देखकर ज़्यादा सवाब रखती है इसलिये कि वहाँ दो इबादतें होती हैं- एक तिलावत, दूसरे मुस्हफ़ शरीफ़ की ज़ियारत। (1)

क़ुरआन मजीद पढ़ने की हालत में कोई कलाम करना या और किसी ऐसे काम में मसरूफ़ होना जो दिल को दूसरी तरफ़ मुतवज्जह कर दे, मक्रूह है। क़ुरआन मजीद पढ़ते वक़्त अपने को पूरी तरह उसी तरफ़ मुतवज्जह कर दे, न यह कि ज़बान से अल्फ़ाज़ जारी हों और दिल में इधर-उधर के ख़्यालात।

क़ुरआन मजीद की हर सूरः के शुरू में **'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम'** कह लेना मुस्तहब है मगर सूरः बराअत के शुरू पर बिस्मिल्लाह न पढ़ना चाहिये।

बेहतर यह है कि क़ुरआन मजीद की सूरतों को उसी तरतीब से पढ़े जिस तरतीब से मुस्हफ़ शरीफ़ में लिखी हैं, हाँ बच्चों के लिये आसानी की ग़रज़ से सूरतों का तरतीब के ख़िलाफ़ पढ़ाना, जैसा कि आजकल पारः अ़म्-म य-तसा-अलून में दस्तूर है, बिना किसी कराहत के जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार) और आयतों का तरतीब के ख़िलाफ़ पढ़ना सबके नज़दीक मना है। (इत्क़ान)

क़ुरआन मजीद की मुख़्तलिफ़ सूरतों की आयतों को एक साथ मिलाकर पढ़ने को उलमा ने मक्रूह लिखा है, इस वजह से कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को आपने इससे मना फ़रमाया था। (इत्क़ान वग़ैरह)

मगर मेरे ख़्याल में यह कराहत उस वक़्त होगी जब उन आयतों की तिलावत सवाब की ग़रज़ से हो, इसलिये कि झाड़-फूँक के वास्ते मुख़्तलिफ़ आयतों का एक साथ पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उनके सहाबा से सही तौर पर नक़ल किया गया है। और हर एक आयत के ख़्वास अलग-अलग हैं, इसलिये जो ख़ास असर हमें मतलूब है वह जिन-जिन आयतों में होगा हमको उनका पढ़ना ज़रूरी है।

क़ुरआन मजीद ख़ूब अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिये जिससे जिस क़द्र भी हो सके। सही हदीसों में आया है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स क़ुरआन मजीद अच्छी आवाज़ से न पढ़े वह हममें से नहीं है। (दारमी शरीफ़) मगर जिसकी आवाज़ ही अच्छी न हो वह मजबूर है और क़िराअत (2) के क़ायदों की पाबन्दी से क़ुरआन मजीद पढ़ना चाहिये। और इसपर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि क़ुरआन मजीद को राग से पढ़ना और उसको गाने की तरह गाना मक्रूहे तहरीमी है।

क़ुरआन मजीद ठहर-ठहर कर पढ़े बहुत तेज़ी से पढ़ना सब उलमा के नज़दीक मक्रूह है। (3)

---

(1) अ़ल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इत्क़ान में चन्द मरफ़ूअ़ हदीसें भी इस बारे में नक़ल की हैं। जैसे यह कि मुसहफ़ में बेदेखे तिलावत करने से एक हज़ार दर्जा सवाब मिलता है और देखकर पढ़ने से दो हज़ार दर्जा।

(2) यह (यानी क़िराअत) एक मुस्तक़िल फ़न है जिसमें क़ुरआन मजीद के पढ़ने के क़ायदे बयान किये जाते हैं और उन मुख़्तलिफ़ क़िराअतों का ज़िक्र होता है जिनमें क़ुरआन नाज़िल हुआ। इस फ़न में बहुत-सी किताबें हैं, मगर हक़ यह है कि उस्ताद के बग़ैर नहीं आता।

(3) ऐसी तेज़ी और जल्दबाज़ी कि जिससे अल्फ़ाज़ के समझने में दिक़्क़त हो मक्रूह है। ठहर-ठहर कर पढ़ने में असर भी ज़्यादा होता है, इसीलिये अ़जमी (यानी ग़ैर-अ़रबी) लोग जो क़ुरआन मजीद के मायने नहीं समझे उनको भी ठहर-ठहर कर पढ़ना मुफ़ीद है। (इत्क़ान)

अफ़सोस! हमारे ज़माने में क़ुरआन मजीद की सख़्त बे-अदबी होती है, पढ़ने में ऐसी तेज़ी की जाती है कि सिवाय बाज़-बाज़ अल्फ़ाज़ के और कुछ समझ में नहीं आता। तरावीह में अक्सर हाफ़िज़ों को ऐसा ही देखा गया। ख़ुदा जाने उनपर किसने ज़बरदस्ती की जो ये तरावीह पढ़ने आये, इससे बेहतर होता कि ऐसे हज़रात न पढ़ते, क़ुरआन मजीद की बे-अदबी तो न होती।

जो शख़्स क़ुरआन मजीद के मायने समझ सकता हो उसको क़ुरआन मजीद पढ़ते वक़्त उसके मायनों पर ग़ौर करना और हर मज़मून के मुवाफ़िक़ अपने में उसका असर ज़ाहिर करना मसनून है। जैसे जब कोई ऐसी आयत पढ़े जिसमें अल्लाह की रहमत का ज़िक्र हो तो रहमत माँगे, और अ़ज़ाब का ज़िक्र हो तो उससे पनाह माँगे। कोई जवाब-तलब मज़मून हो तो उसका जवाब दे। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सूरः वत्तीनि के आख़िर में पहुँचते तो **"बला व अ-न अ़ला ज़ालि-क मिनश्शाहिदी-न"** पढ़ लेते। (1) (तिर्मिज़ी शरीफ़)

या सूरः क़ियामह् के आख़िर में जब पहुँचते तो फ़रमाते **"बला"** (तिर्मिज़ी शरीफ़)। सूरः फ़ातिहा को जब ख़त्म करते तो आमीन कहते, लेकिन यह जवाब देना या दुआ़ माँगना उस वक़्त मसनून है कि क़ुरआन मजीद फ़र्ज़ नमाज़ में या तरावीह में न पढ़ा जाता हो, अगर फ़र्ज़ नमाज़ या तरावीह में पढ़ा जाता हो तो फिर जवाब न देना चाहिये। (रद्दुल्-मुह्तार)

क़ुरआन मजीद पढ़ने की हालत में रोना मुस्तहब है। अगर रोना न आये तो अपनी संगदिली पर रन्ज व अफ़सोस करे।

सूरः वज़्ज़ुहा के बाद से अख़ीर तक हर सूरः के ख़त्म होने के बाद **"अल्लाहु अकबर"** कहना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है। क़ुरआन मजीद ख़त्म होने के बाद दुआ़ माँगना मुस्तहब है। इसलिये कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत किया गया है कि हर ख़त्म के बाद दुआ़ मक़बूल होती है। (इत्क़ान)

क़ुरआन मजीद ख़त्म करते वक़्त **सूरः इख़्लास** को तीन बार पढ़ना मुतअख़्ख़िरीन (बाद के उलमा) के नज़दीक बेहतर है, बशर्ते कि क़ुरआन मजीद नमाज़ से बाहर पढ़ा जाये।

जब एक बार क़ुरआन मजीद ख़त्म कर चुके तो मसनून है कि फ़ौरन दूसरा शुरू कर दे, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत किया गया है कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक बहुत ही महबूब है कि जब क़ुरआन एक मर्तबा ख़त्म हो जाये तो दूसरा शुरू कर दिया जाये और दूसरे को सिर्फ़ **"उलाइ-क हुमुल् मुफ़्लिहून"** तक पहुँचाकर छोड़ दे, उसके बाद दुआ़ वग़ैरह माँगे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सही हदीसों में रिवायत किया गया है।

जहाँ क़ुरआन मजीद पढ़ा जाता हो वहाँ सब लोगों को चाहिये कि पूरी तरह उसी तरफ़ मुतवज्जह रहें। किसी दूसरे काम में, जो सुनने में हर्ज पैदा करने वाला हो, मश्ग़ूल न हों, इसलिये कि क़ुरआन मजीद का सुनना फ़र्ज़ है। हाँ अगर हाज़िरीन को कोई ज़रूरी काम हो जिसकी वजह से वे उस तरफ़ मुतवज्जह न हो सकें तो पढ़ने वाले को चाहिये कि आहिस्ता आवाज़ से पढ़े, और अगर ऐसी हालत में बुलन्द आवाज़ से पढ़ेगा तो गुनाह उसी पर होगा।

अगर कोई लड़का क़ुरआन मजीद बुलन्द आवाज़ से पढ़ रहा हो और लोग अपने ज़रूरी कामों में मश्ग़ूल हों तो कुछ हर्ज नहीं, इसलिये कि शरीअ़त में तंगी नहीं है। अगर लड़का आहिस्ता आवाज़ से पढ़े तो आ़दतन् याद नहीं होता। (रद्दुल्-मुह्तार)

---

(1) हाँ, और हम इसपर गवाह हैं। चूँकि इस सूरः के अख़ीर में हक़ तआ़ला पूछता है कि क्या हम सब हाकिमों के हाकिम नहीं हैं? इसलिये उसके जवाब में यह जुमला अ़र्ज़ किया गया।

सुनने वालों को तमाम उन बातों की रियायत करनी चाहिये जो ऊपर ज़िक्र हुईं हैं, सिवाय "**अऊज़ू बिल्लाहि** और **बिस्मिल्लाह** के।

अगर कोई शख़्स अच्छी आवाज़ वाला हो, कुरआन अच्छा पढ़ता हो, उससे कुरआन मजीद पढ़ने की दरख़्वास्त करना मसनून है। नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कुरआन सुनाने की फ़रमाइश की, हज़रत फ़ारूक़े आज़म अबू मूसा अश्अ़री से दरख़्वास्त फ़रमाया करते थे, रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

सज्दा-ए-तिलावत का बयान

सज्दा-ए-तिलावत के वाजिब होने के तीन सबब हैं:

1. सज्दे वाली आयत की तिलावत, चाहे पूरी आयत की तिलावत की जाये या सिर्फ़ उस लफ़्ज़ की जिसमें सज्दा है और उसके साथ पहले या बाद का कोई लफ़्ज़, और चाहे सज्दे की आयत के असल अल्फ़ाज़ के साथ तिलावत की जाये या उसका तर्जुमा किसी और ज़बान में, और चाहे तिलावत करने वाला ख़ुद अपनी तिलावत को सुने या न सुने, जैसे कोई बहरा तिलावत करे। सही यह है कि अगर रुकूअ़ या सज्दे या तशह्हुद (यानी अत्तहिय्यात पढ़ने की हालत) में सज्दे की आयत तिलावत की जाये तब भी सज्दा वाजिब हो जायेगा और उसी हालत में उसकी भी नीयत कर ली जायेगी। (रद्दुल-मुह्तार)

अगर कोई शख़्स सोने की हालत में सज्दा की आयत तिलावत करे उसपर भी इत्तिला मिलने के बाद सज्दा वाजिब है।

2. आयते सज्दा का किसी इनसान से सुनना, चाहे पूरी आयत सुने या सिर्फ़ लफ़्ज़े सज्दा मय एक लफ़्ज़ उसके पहले या उसके बाद के, और चाहे अ़रबी ज़बान में सुने या और किसी ज़बान में, और चाहे सुनने वाला यह जानता हो कि यह तर्जुमा आयते सज्दा का है या न जानता हो, लेकिन न जानने से सज्दा अदा करने में जिस क़द्र ताख़ीर और देरी होगी उसमें वह माज़ूर समझा जायेगा। (फ़तावा आ़लमगीरी)

किसी जानवर से जैसे तोते वग़ैरह से अगर आयते सज्दा सुनी जाये तो सही यह है कि सज्दा वाजिब न होगा, इसी तरह अगर किसी ऐसे मजनूँ से आयते सज्दा सुनी जाये जिसका जुनून यानी पागलपन एक दिन रात से ज़्यादा हो जाये और ख़त्म न हो तो सज्दा वाजिब न होगा।

3. ऐसे शख़्स की इक़्तिदा करना (यानी नमाज़ में उसकी पैरवी करना) जिसने आयते सज्दा की तिलावत की हो कि चाहे उसकी इक़्तिदा से पहले या इक़्तिदा के बाद, और चाहे उसने ऐसी आहिस्ता आवाज से तिलावत की हो कि किसी मुक़्तदी ने न सुना हो या बुलन्द आवाज़ से की हो। अगर कोई शख़्स किसी इमाभ से आयते सज्दा सुने उसके बाद उसकी इक़्तिदा करे तो उसको इमाम के साथ सज्दा करना चाहिये और अगर इमाम सज्दा कर चुका हो तो उसमें दो सूरतें हैं- जिस रक्अ़त में इमाम ने आयते सज्दा की तिलावत की हो वही रक्अ़त उसको अगर मिल जाये तो उसको सज्दे की ज़रूरत नहीं, उस रक्अ़त के मिल जाने से समझा जायेगा कि वह सज्दा भी मिल गया। और अगर वह रक्अ़त न मिले तो फिर उसको नमाज़ पूरी करने के बाद

नमाज़ से बाहर सज्दा करना वाजिब है। (बहरुर्-राइक़, रद्दुल-मुह्तार)

मुक़्तदी से अगर सज्दे की आयत सुनी जाये तो सज्दा वाजिब न होगा, न उसपर न इमाम पर, न उन लोगों पर जो उस नमाज़ में शरीक हैं। हाँ जो लोग उस नमाज़ में शरीक नहीं, चाहे वे लोग नमाज़ ही न पढ़ते हों या कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहे हों तो उनपर सज्दा वाजिब होगा। (रद्दुल-मुह्तार)

ये तीन सबब जो सज्दे के वाजिब होने के बयान किये गये इनके सिवा किसी और चीज़ से सज्दा वाजिब नहीं होता, जैसे कोई शख़्स आयते सज्दा लिखे या दिल में पढ़े, ज़बान से न कहे, या एक-एक हर्फ़ करके पूरी पढ़े, पूरी आयत एक दम न पढ़े, या इसी तरह किसी से सुने तो उन सब सूरतों में सज्दा वाजिब न होगा। (रद्दुल-मुह्तार)

(1) सज्दा-ए-तिलावत उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिनपर नमाज़ वाजिब है। हैज़ वाली (माहवारी की हालत में होने वाली औरत) और निफ़ास वाली (यानी ज़च्चा होने की हालत वाली) औरत पर वाजिब नहीं, न उस वक़्त और न बाद में उसकी क़ज़ा की ज़रूरत है। नाबालिग़ पर और ऐसे मजनूँ पर वाजिब नहीं जिसका जुनून एक दिन रात से ज़्यादा हो गया, चाहे उसके बाद ख़त्म हो या नहीं। जिस मजनूँ का जुनून एक दिन रात से कम रहे उसपर वाजिब है, इसी तरह मस्त और नापाकी की हालत में होने वाले पर भी।

(2) सज्दा-ए-तिलावत के सही होने की वही सब शर्तें हैं जो नमाज़ के सही होने की हैं, यानी तहारत (पाकी) और सत्रे औरत (यानी वह हिस्सा जिसका छुपाना ज़रूरी है जो मर्द के लिए नाफ़ से घुटनों तक और औरत के लिए हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा पूरा बदन है) और नीयत और क़िब्ला की तरफ़ रुख़ होना। तकबीरे तहरीमा उसमें शर्त नहीं। उसकी नीयत में आयत का मुतैयन करना शर्त नहीं कि यह सज्दा फ़लाँ आयत के सबब से है। और अगर नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी जाये और फ़ौरन सज्दा किया जाये तो नीयत भी शर्त नहीं। (रद्दुल-मुह्तार)

(3) जिन चीज़ों से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है उन चीज़ों से सज्दा-ए-तिलावत में भी फ़साद आ जाता है और फिर उसका लौटाना वाजिब हो जाता है, हाँ इस क़द्र फ़र्क़ है कि नमाज़ में क़हक़हा मारकर हँसने से वुज़ू जाता रहता है और इसमें क़हक़हा मारने से वुज़ू नहीं जाता, और औरत के मुक़ाबिल होने से भी यहाँ कोई ख़राबी नहीं आती।

(4) सज्दा-ए-तिलावत अगर नमाज़ से बाहर वाजिब हुआ हो तो बेहतर है कि फ़ौरन अदा कर ले और अगर उस वक़्त अदा न करे तब भी जायज़ है मगर मक्रूहे तन्ज़ीही है। और अगर नमाज़ में वाजिब हुआ हो तो उसका अदा करना फ़ौरन वाजिब है, देर करने की इजाज़त नहीं। (रद्दुल-मुह्तार)

(5) नमाज़ से बाहर वाजिब हुआ सज्दा नमाज़ में और नमाज़ में वाजिब हुआ सज्दा नमाज़ से बाहर बल्कि दूसरी नमाज़ में भी अदा नहीं किया जा सकता। पस अगर कोई शख़्स नमाज़ में आयते सज्दा पढ़े और सज्दा करना भूल जाये तो उसका गुनाह उसके ज़िम्मे होगा जिसकी तदबीर इसके सिवा कोइ नहीं कि तौबा करे, अर्हमुर्-राहिमीन अपने फ़ज़्ल व करम से माफ़ फ़रमा देगा। (बहरुर्-राइक़)

नमाज़ का सज्दा नमाज़ से बाहर उस वक़्त अदा नहीं हो सकता जबकि नमाज़ फ़ासिद न हो, अगर

नमाज़ फ़ासिद हो जाये और उसका फ़ासिद करने वाला हैज़ (यानी माहवारी) का आना न हो तो वह सज्दा ख़ारिज में यानी नमाज़ से बाहर अदा कर लिया जाये। और अगर हैज़ की वजह से नमाज़ में फ़साद आया हो तो वह सज्दा माफ़ हो जाता है। (बहरुर्-राइक़, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

(6) अगर कोई शख़्स नमाज़ की हालत में किसी दूसरे से आयते सज्दा सुने, चाहे वह दूसरा भी नमाज़ में हो तो यह सज्दा नमाज़ से बाहर का समझा जायेगा और नमाज़ के अन्दर वह अदा न किया जायेगा बल्कि नमाज़ से बाहर अदा किया जाएगा।

(7) अगर एक आयते सज्दा की तिलावत एक ही मज्लिस में कई बार की जाये तो एक ही सज्दा वाजिब होगा। और एक आयते सज्दा की तिलावत की जाये फिर वही आयत मुख़्तलिफ़ लोगों से सुनी जाये तब भी एक ही सज्दा वाजिब होगा। अगर सुनने वाले की मज्लिस न बदले तो एक ही सज्दा वाजिब होगा चाहे पढ़ने वाले की मज्लिस बदल जाये या न बदले। अगर सुनने वाले की मज्लिस बदल जाए तो उसपर भी मज्लिस बदलने के एतिबार से अलग-अलग सज्दे वाजिब होंगे, चाहे पढ़ने वाले की मज्लिस बदले या न बदले। और अगर पढ़ने वाले की मजलिस बदल जायेगी तो उसपर भी मज्लिस के एतिबार से अलग-अलग सज्दे वाजिब होंगे। (बहरुर्-राइक़)

(8) अगर एक आयते सज्दा कई मर्तबा एक ही मज्लिस में पढ़ी जाये तो इख़्तियार है कि सबके बाद सज्दा किया जाये या पहली ही तिलावत के बाद, क्योंकि एक ही सज्दा अपने से पहले और बाद में की जाने वाली तिलावत के लिये काफ़ी है, मगर एहतियात इसमें है कि सबके बाद किया जाये। (बहरुर्-राइक़)

अगर आयते सज्दा नमाज़ में पढ़ी जाये और फ़ौरन रुकूअ़ किया जाये या दो तीन आयतों के बाद, और रुकूअ़ में झुकते वक़्त सज्दा-ए-तिलावत की भी नीयत कर ली जाये तो सज्दा अदा हो जायेगा। और इसी तरह अगर आयते सज्दा की तिलावत के बाद नमाज़ का सज्दा किया जाये तब भी यह सज्दा अदा हो जायेगा और उसमें नीयत की भी ज़रूरत न होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल-मुह्तार वग़ैरह)

(9) जुमा और ईदों और आहिस्ता आवाज़ की नमाज़ों में आयते सज्दा न पढ़ना चाहिये, इसलिये कि सज्दा करने में मुक़्तदियों के शुब्हे में पड़ने का ख़ौफ़ है। (बहरुर्-राइक़)

(10) किसी सूरः का पढ़ना और ख़ासकर आयते सज्दा को छोड़ देना मक्रूह है। (बहरुर्-राइक़)

(11) अगर हाज़िरीन वुज़ू के साथ सज्दे के लिये मुस्तैद न बैठे हों तो आयते सज्दा का आहिस्ता आवाज़ से तिलावत करना बेहतर है, इसलिये कि वे लोग उस वक़्त सज्दा न करेंगे और दूसरे वक़्त शायद भूल जायें तो गुनाहगार होंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

सज्दा-ए-तिलावत का तरीक़ा

सज्दा-ए-तिलावत का तरीक़ा यह है कि क़िब्ला-रू होकर नीयत करके **'अल्लाहु अकबर'** कहे और सज्दा करे, फिर उठते वक़्त **'अल्लाहु अकबर'** कहकर उठे और खड़े होकर सज्दा करना मुस्तहब है। सज्दा-ए-तिलावत कई आदमी मिलकर भी कर सकते हैं, इस तरह कि एक शख़्स को इमाम की तरह आगे खड़ा करें और खुद मुक़्तदियों की तरह सफ़ बाँधकर पीछे खड़े हों और उसकी पैरवी करें। यह सूरत हक़ीक़त

में जमाअ़त की नहीं है, इसी लिये अगर इमाम का सज्दा किसी वजह से फ़ासिद हो जाये तो मुक़्तदियों का सज्दा फ़ासिद न होगा, और इसी सबब से औ़रत का आगे खड़ा कर देना भी जायज़ है।

आयते सज्दा अगर फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ी जाये तो उसके सज्दे में नमाज़ के सज्दे की तरह **'सुब्हा-न रब्बियल् अअ़्ला'** कहना बेहतर है, और नफ़िल नमाज़ों में या नमाज़ से बाहर अगर पढ़ी जाये तो उसके सज्दे में इख़्तियार है कि **'सुब्हा-न रब्बियल् अअ़्ला'** कहें या और तस्बीहें जो हदीसों में आई हैं वे पढ़ें, जैसे यह तस्बीह **"स-ज-द वज्ही लिल्लज़ी ख़-ल-क़हू व सव्व-रहू व शक़्-क़ सम्अ़हू व ब-स-रहू बिहौलिही व क़ुव्वतिही फ़-तबा-रकल्लाहु अह्सनुल्-ख़ालिक़ीन"** और दोनों को जमा कर लें तो और भी बेहतर है।

उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख़्स सज्दे की तमाम आयतों को एक ही मज्लिस में तिलावत करे तो हक़ तआ़ला उसकी मुश्किल को दूर फ़रमाता है। और ऐसी हालत में इख़्तियार है कि सब आयतें एक दफ़ा पढ़ ले और उसके बाद चौदह सज्दे करे, या हर आयत को पढ़कर उसका सज्दा करता जाये। (रद्दुल-मुह्तार)

रुमूज़े औक़ाफ़े क़ुरआन मजीद

हर एक ज़बान के अहले ज़बान जब गुफ़्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं कहीं नहीं ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं कहीं ज़्यादा। और उस ठहरने और न ठहरने को बात के सही बयान करने और उसका सही मतलब समझने में बहुत दख़ल है। क़ुरआन मजीद की इबारत भी गुफ़्तगू के अन्दाज़ में है इसी लिये आ़लिमों ने इसके ठहरने न ठहरने की निशानियाँ मुक़र्रर कर दी हैं, जिनको **"रुमूज़े औक़ाफ़े क़ुरआन मजीद"** कहते हैं। ज़रूरी है कि क़ुरआन मजीद की तिलावत करने वाले इन रुमूज़ का पूरा ख़्याल रखें। रुमूज़े औक़ाफ़े क़ुरआन मजीद की तायदाद तक़रीबन पन्द्रह है, लेकिन चूँकि हमने उनमें से सिर्फ़ दो चीज़ों की निशानियाँ मुक़र्रर की हैं इसलिए उन्हीं का बयान किया जाता है।

वक़्फ़े लाज़िमः वक़्फ़े लाज़िम का एक निशान है उसपर ज़रूर ठहरना चाहिये, अगर न ठहरा जाये तो अन्देशा है कि मतलब कुछ-का-कुछ हो जाये। इसकी मिसाल हिन्दी में यूँ समझनी चाहिये कि जैसे किसी को यह कहना हो किः **उठो, मत बैठो**। जिसमें उठने का हुक्म और बैठने की मनाही है। तो **'उठो'** पर ठहरना लाज़िम और ज़रूरी है, अगर ठहरा न जाये तो **'उठो मत बैठो'** हो जायेगा। जिसमें उठने की मनाही और बैठने के हुक्म का एहतिमाल और अन्देशा है। यानी सामने वाला इससे यह भी समझ सकता है कि उठने की मनाही की जा रही है। और अगर ऐसा हो जाए तो यह कहने वाले के मतलब और मन्शा के ख़िलाफ़ हो जायेगा। अ़रबी में इसकी निशानी (م) यह हर्फ़ है, हमने पढ़ने वालों की सहूलत के लिए अ़रबी के हिन्दी मतन में (⁘) यह निशानी मुक़र्रर की है।

निशान सज्दाः क़ुरआन पाक में चौदह स्थान ऐसे हैं जहाँ सज्दा करने का हुक्म है और वहाँ सज्दा करना लाज़िमी है। सज्दा से मुताल्लिक़ मसाइल और उसका तरीक़ा हमने इस मुक़द्दिमा के पृष्ठ **19-22** पर बयान किया है वहाँ तफ़सील देख लें। इसी तरह सज्दों के स्थानों की एक सूचि पृष्ठ **24** पर दी गयी है। हमने सज्दा के स्थान को बताने के लिए यह निशान (☐ सज्दा) मुक़र्रर किया है।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

आयत नम्बरः जहाँ बात पूरी हो जाती है वहाँ (अ़रबी मतन में) एक गोल दायरा बना देते हैं। यह पूरी तरह ठहरने की अ़लामत (निशानी) है। इसको आयत कहते हैं। हमने पढ़ने वालों की आसानी और सहूलत के लिए ब्रेकेट के अन्दर आयत का नम्बर लिख दिया है। इसपर ठहरना चाहिये।

निशान रुकूअ़ः यह (❖) रुकूअ़ का निशान है। अगर हाशिए पर ऐसा निशान लगा है तो इसका मतलब है कि रुकूअ़ का निशान है। इसमें जो संख्याओं की तरतीब है वह क़ुरआन पाक में जो रुकूअ़ के निशान लगे हैं उन्हीं के मुताबिक़ है। जैसे (❖ रु. **12/3/10**) इस तरह लिखा है तो इसका मतलब है कि वह उस सूरः का बारहवाँ रुकूअ़ है और उसके अन्दर तीन आयतें हैं और वह उस पारः का दसवाँ रुकूअ़ है।

निशान रुबूअ़ः हर पारः को उलमा ने चार हिस्सों में बाँट दिया है। उनमें से पहले हिस्से को रुबूअ़ 1/4 यानी चौथाई कहते हैं। उसके लिए हमने यह निशान (◆ रुबूअ़ 1/4) मुक़र्रर किया है।

निशान निस्फ़ः हर पारः को उलमा ने चार हिस्सों में बाँट दिया है। जहाँ आधा पारः हो जाता है उसको निस्फ़ कहते हैं। आधे की निशानी के लिए हमने यह निशान (● निस्फ़ 1/2) मुक़र्रर किया है।

निशान सलासहः हर पारः को उलमा ने चार हिस्सों में बाँट दिया है। जहाँ पारः का तीन चौथाई हिस्सा मुकम्मल हो गया है वहाँ हमने यह निशान (▲ सलासः 3/4) मुक़र्रर किया है।

निशान आधा क़ुरआनः हर्फ़ों की तायदाद के एतिबार से जहाँ क़ुरआन आधा हुआ है वहाँ हमने अ़रबी मतन में यह (✪) निशान लगाया है। इसको पारः 15 में सूरः कह्फ़ की आयत 19 में देखा जा सकता है।

क़ुरआन मजीद की मन्ज़िलें

क्रम. सं.	सूरः	सूरः सं.	पृष्ठ सं.	पारः सं.	नाम पारः
1	फ़ातिहः	1	1- 190		अलिफ़-लाम्-मीम्
2	मा-इदः	5	192- 371	6	ला युहिब्बुल्लाहु
3	यूनुस	10	373- 507	11	यअ़्तज़िरू-न
4	बनी इस्राईल	17	509- 659	15	सुब्हानल्लज़ी
5	शु-अ़रा-इ	26	661- 801	19	व क़ालल्लज़ी-न
6	वस्साफ़्फ़ात	37	803- 931	23	व मा लि-य
7	क़ाफ़	50	933- 1111	26	हा-मीम

कुरआन मजीद में सज्दा-ए-तिलावत के स्थान

क्रम. सं.	पारः	सूरः	सज्दे वाले शब्द	सज्दे का स्थान	पृष्ठ सं.	आयत सं.
1	9	सूरः आराफ़	यस्जुदून	यस्जुदून	317	206
2	13	सूरः रअ़द	व लिल्लाहि यस्जुदु	वल्-आसाल	451	15
3	14	सूरः नह्ल	व लिल्लाहि यस्जुदु	मा युअ्मरून	491	49-50
4	15	सूरः बनी इस्राईल	यख़िर्रू-न लिल् अज़्क़ानि सुज्ज-दन्	ख़ुशूआ़	529	107-109
5	16	सूरः मरियम	ख़र्रू सुज्जदन्	व बुकिय्या	557	58
6	17	सूरः हज	यस्जुदु लहू	मा यशा-उ	603	18
7	17	सूरः हज[1]	वस्जुदू	तुफ़्लिहून	615	77
8	19	सूरः फ़ुरक़ान	उस्जुदू	नुफ़ूरा	651	60
9	19	सूरः नमल	अल्ला यस्जुदू	रब्बिल्-अ़र्शिल् अ़ज़ीम	683	25-26
10	21	सूरः सज्दा	ख़र्रू सुज्जदन्	ला यस्तक्बिरून	751	15
11	23	सूरः सॉद[2]	व ख़र्-र राकिअ़न्	व अनाब	819	24
12	24	सूरः हा-मीम सज्दा	वस्जुदू लिल्लाहि	ला यस्अमून	865	37-38
13	27	सूरः नज्म	फ़स्जुदू	वअ्बुदू	951	62
14	30	सूरः इन्शिक़ाक़	ला यस्जुदून	ला यस्जुदून	1083	21
15	30	सूरः अ़लक़	वस्जुद्	वक़्तरिब्	1099	19

1. 2. इन दो सज्दों में मतभेद है। सूरः 22 आयत 77 पर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक सज्दा है लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक नहीं है। और सूरः 38 आयत 24 पर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सज्दा है लेकिन इमाम शाफ़ई के नज़दीक नहीं है। बहरहाल दोनों इमामों के नज़दीक सज्दों की कुल तायदाद 14 ही है।

क़ुरआन मजीद को कितने समय में ख़त्म किया जाए

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने तीन दिन से कम में क़ुरआन मजीद ख़त्म किया वह कुछ न समझ सका। इमाम अबू हनीफ़ा से नक़ल किया गया है कि जिसने हर साल में दो बार क़ुरआन मजीद ख़त्म किया उसने हक़ अदा किया। इसलिये कि हज़रत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी वफ़ात (इन्तिक़ाल) के साल में दो ही बार क़ुरआन ख़त्म किया था। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि उस इबादत में कुछ बेहतरी नहीं है जिसमें समझ न हो, औ न उस क़िराअत (पढ़ने) में जिसमें फ़िक्र (सोच-समझ) न हो। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाते हैं कि अपने आपको क़ुरआन मजीद के ख़त्म करने की गिनती पर हावी न करो, बल्कि एक आयत का सोचकर पढ़ना सारी रात में दो क़ुरआन ख़त्म करने से बेहतर है।

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे साथ खड़े हुए तो आप यह आयत बड़ी देर तक पढ़ते रहेः

"इन तुअ़ज़्ज़िबूहुम फ़-इन्नहुम् अ़िबादु-क"

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे पाँच दिन से कम समय में पूरा क़ुरआन मजीद ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी।

ज़रूरी तंबीह

क़ुरआन मजीद के मतन को अ़रबी के अ़लावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलख़त (लिपि) में रुपान्तर करने पर उलमा की रायों में मतभेद है। कुछ उलमा का ख़्याल है कि इस तरह करने से क़ुरआन मजीद के हर्फ़ों की तहरीफ़ (कमी-बेशी) होती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गईं वैसे ही ख़ुदा न करे इसका भी वही हाल हो, जबकि यह नामुम्किन है। करोड़ों हाफ़िज़ों को क़ुरआन मजीद ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** (इस क़ुरआन का हिन्दी अनुवादक) अ़र्ज़ करता है कि हक़ीक़त यह है कि अ़रबी रस्मुलख़त के अ़लावा दूसरी भाषा में क़ुरआन मजीद को क़तई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हर्फ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुन्जाइश नहीं कि वह अ़रबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़र्रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो **'मख़ारिजे हुरूफ़'** यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीक़ा और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीक़े से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सबको मालूम है कि सिर्फ़ अल्फ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अ़रबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ़ तीन मिसालें बयान करके अपनी बात की ताईद पेश करूँगाः

(1) क़ुरआन पाक में एक लफ़्ज़ जगह-जगह आता है **"अलीम"**। इस लफ़्ज़ में अगर **"अ"** को हलक़ के अगले हिस्से से निकाला जाए तो इसके मायने होंगे **"तकलीफ़ देने वाला"** जैसे **'अ़ज़ाबुन् अलीम'** यानी

तकलीफ़ देने वाला अ़ज़ाब। और अगर इस लफ़्ज़ को हलक़ के दरमियानी हिस्से से निकाला जाए यानी **"अ़"** तो अब **"अ़लीम"** के मायने होंगे **"जानने वाला"**।

(2) क़ुरआन पाक में **"अ़सा"** का लफ़्ज़ आया है। यह दो तरह लिखा है- एक **"अ़ैन, सीन और या"** के साथ। **"सीन"** को ज़बान की नोक और दाँतों के अगले किनारे से निकाला जाता है तो उस सूरत में इसके मायने होंगे **"उम्मीद है, शायद"**। और दूसरे **"अ़ैन, सॉद और या"** के साथ, **"सॉद"** को ज़बान की नोक और अगले दाँतों के बीच से निकाला जाता है। अब **"अ़सा"** के मायने होंगे **"नाफ़रमानी की, ग़लती की"**।

(3) तीसरी मिसाल यह है कि क़ुरआन पाक में **"मुन्-ज़रून"** का लफ़्ज़ भी कई जगह आया है। यह भी दो तरह लिखा जाता है- एक **"मीम, नून, ज़ाल, रा और नून"** से, और दूसरे **"मीम, नून, ज़ोए, रा और नून"** के साथ, यानी दोनों में एक हर्फ़ का फ़र्क़ है, एक तरफ़ **"ज़ाल"** है और दूसरी तरफ़ **"ज़ोए"** है। यह फ़र्क़ भी और इस लफ़्ज़ के निकालने और अदा करने का तरीक़ा भी **किराअत** का इल्म पढ़े और सीखे बग़ैर नहीं आ सकता। **"ज़ाल"** ज़बान की नोक और दाँतों के अगले किनारों से अदा किया जाता है। और **"ज़ोए"** को भी इसी स्थान से निकाला जाता है मगर जो माहिर हैं वह इसको अलग अन्दाज़ से अदा करने की मश्क़ कराते हैं। अब जिस लफ़्ज़ में **"ज़ाल"** है, उसके मायने हैं **"जिन लोगों को डराया गया हो"** और जिस लफ़्ज़ में **"ज़ोए"** है उसके मायने हैं **"जिसको मोहलत दी गयी हो, जिसको छोड़ दिया गया हो"**।

इन मिसालों के बाद यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जब तक अ़रबी के हुरूफ़ की सही पहचान और उनकी अदायगी का सही तरीक़ा नहीं सीखा जाएगा उस वक़्त तक क़ुरआन पाक की सही तिलावत मुम्किन नहीं। और यह सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुरआन मजीद को अ़रबी ज़बान के अन्दर सीखने से आ सकता है, किसी दूसरी ज़बान के ज़रीए इसको सीख पाना तैराकी का फ़न पानी से बाहर सीखने वाली बात होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमने यह सब जानते हुए अ़रबी मतन को हिन्दी में तब्दील करने की कोशिश क्यों की? सो इसका एक जवाब तो यह है कि आपके अन्दर इस चीज़ का शौक़ पैदा करने के लिए कि आप इस अ़ज़ीम दौलत को हासिल करने की कोशिश करें और आपको इस तरफ़ तवज्जोह हो। दूसरी बात यह है कि अ़रबी ज़बान में एक मिठास है और फिर क़ुरआन तो तमाम जहानों के ख़ालिक़ व मालिक का कलाम है इसके अन्दर तो एक क़ुदरती कशिश भी है जो अपनी तरफ़ खींचे बग़ैर नहीं रहती, इसलिए हो सकता है किसी अल्लाह के बन्दे के क़ुरआन सीखने का यही ज़रिया बन जाए।

अगर आप मेरी इस बात से इत्तिफ़ाक़ न करें कि क़ुरआन पाक को अ़रबी के अ़लावा सही नहीं पढ़ा जा सकता तो मैं आपको इसकी आज़माइश का भी एक तरीक़ा बतलाता हूँ। वह यह कि आप हिन्दी या किसी और ज़बान में मतन तब्दील शुदा क़ुरआन खोलकर बैठें और किसी अच्छे क़ारी के पढ़े हुए क़ुरआन की कैसिट लें और उसी जगह से उसको चलाएँ जहाँ आप क़ुरआन पाक में कोई मक़ाम खोले बैठे हैं, फिर जो आवाज़ उस रिकार्ड से निकलती जाए उसको अल्फ़ाज़ पर फिट करते जाएँ और देखें कि क्या मैं इस लिखी हुई इबारत को इस तरह अदा कर सकता हूँ? और जो हुरूफ़ ज़बान से निकल रहे हैं क्या मैं उनके इस तरह निकालने पर क़ादिर हूँ? देखने में तो **"स"** एक हर्फ़ है मगर अ़रबी के तीन हर्फ़ों की नुमायन्दगी करता है।

बहरहाल इस अ़र्ज़ करने का मक़सद यह है कि आप सिर्फ़ इस भरोसे पर न बैठ जाएँ कि हम अ़रबी के अ़लावा दूसरी भाषाओं में जो क़ुरआन पाक पढ़ते हैं वह सही तौर पर अदा हो जाता है, बल्कि डर है कि किसी जगह ऐसा न हो जाए कि मायने ही बदल जाएँ और बजाय सवाब के गुनाह के हक़दार बन जाएँ। अल्लाह तआ़ला इस से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए और हमें क़ुरआन को हासिल करने और उसको पढ़ने और उसपर अ़मल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन।

क़ुरआन मजीद की सूरतों की ख़ासियतें और असरात

अगर कोई यह अ़क़ीदा रखे कि क़ुरआन अ़मलियात और तावीज़ों के लिये नाज़िल हुआ है तो यह जहालत और बड़ा गुनाह है। क्योंकि क़ुरआन हक़ीक़त में ख़ुदा के हुक़ूक़ जो लोगों पर हैं और साथ ही लोगों के जो आपस में एक-दूसरे पर हुक़ूक़ हैं और उनके अदा करने या न करने के सबब जो परिणाम दुनिया में और मरने के बाद सामने आयेंगे उन सबके बयान के लिये ख़ुदा की तरफ़ से नाज़िल हुआ है। मगर इसके साथ ही बहुत-सी आयतों और सूरतों को रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम, सहाबा-ए-किराम और बुज़ुर्गाने दीन अ़मलियात के तौर पर मुसीबतों के दूर करने के लिये भी पढ़ते थे जिनकी बरकत से वह मुसीबत दूर हो जाती थी, मगर जो शख़्स किसी मतलब के लिये कोई अ़मल पढ़ता हो और असबाब की दुनिया के तक़ाज़े के मुताबिक़ ज़ाहिरी कोशिश न करता हो तो वह यक़ीनन नाकाम होगा, क्योंकि उसकी मिसाल एक ऐसे बीमार के जैसी होगी जो दवा खाता हो मगर परहेज़ न करता हो, बल्कि अ़मल पढ़ने का यह मतलब होता है कि अ़मल की वजह से ज़ाहिरी कोशिश नाकाम न रहे। अब आगे हम सूरतों के ख़्वास (ख़ासियतें और असरात) लिखते हैं जो रसूले करीम की हदीसों, सहाबा-ए-किराम के आसार और नक़्शबन्दी, चिश्तिया, क़ादिरिया और सहरूवरदिया ख़ानदान के बुज़ुर्गों के तजुर्बों के मुताबिक़ हैं, और उन सब बुज़ुर्गाने दीन का तजुर्बा है कि जिस आयत के मज़मून को जिस काम से मुनासबत पाई जाये तो वह आयत उस काम के लिये अ़मल के तौर पर पढ़ी जा सकती है। जैसे क़ुरआन में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र है कि उन्होंने दुआ़ की "क़ा-ल रब्बिश्रह् ली सद्री व यस्सिर् ली अम्री, वह्लुल् उक़्द-तम् मिल्लिसानी, यफ़्क़हू क़ौली"

तर्जुमाः मूसा अ़लैहिस्सलाम ने (फ़िरऔ़न को हिदायत की तरफ़ बुलाने के लिए जाते वक़्त) कहा ऐ ख़ुदा! मेरे सीने को खोल और मेरे काम को मेरे लिये आसान कर और मेरी ज़बान की गिरह खोल (ताकि बयान में सफ़ाई हो) और वे लोग मेरी बात को समझें।

इस आयत को हर शख़्स मुश्किल कामों की आसानी के लिये पढ़ सकता है और इस मतलब के लिये पढ़ सकता है कि उसकी ज़बान में तासीर हो ताकि दूसरे लोग उसकी बात और फ़ैसले को मान लें। और अपने ज़ेहन व अ़क़्ल के बढ़ने के लिये पढ़ सकता है। और तथा सूरः नूह में जहाँ हज़रत नूह ने कुफ़्फ़ार की तबाही के लिये दुआ़ की है कि ऐ ख़ुदा! किसी काफ़िर को ज़मीन पर ज़िन्दा न छोड़, इन आयतों को दुश्मन की तबाही के लिये पढ़ सकता है।

क़ुरआन के अ़मल के मामले में वक़्त का निश्चित करना और पढ़ने की तायदाद की क़ैद नहीं है, बल्कि

हर शख़्स को चाहिये कि वह खुद इशा, या सुबह की नमाज़ के बाद, या कोई और वक़्त मुक़र्रर करके, और पढ़ने की तायदाद भी अपनी तरफ़ से क़ायम करके पढ़ा करे, अव्वल व आख़िर में दुरूद हो और हर चीज़ को पाक रखे। मगर यह बात तजुर्बों से साबित हुई है कि अगर कोई शख़्स कुरआन की आयत किसी नाजायज़ काम के लिये अ़मल के तौर पर इस्तेमाल में लाये तो वह सरसब्ज़ नहीं होता और पागल हो जाता है।

सूरः फ़ातिहः की ख़ासियतें:- हज़रत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी शख़्स पर कोई मुसीबत पड़ती देखते तो आप सूरः फ़ातिहः पढ़ने का हुक्म करते। और जो शख़्स फ़ज्र की सुन्नत व फ़र्ज़ के दरमियान बिस्मिल्लाह के साथ चालीस (40) बार पढ़कर किसी बीमार के मुँह पर दम करे तो अल्लाह तआ़ला इस सूरः की बरकत से उसको मुकम्मल सेहत अ़ता फ़रमायेगा। नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्फ़ाति-हतु शिफ़ाउ कुल्लि दाइन्" यानी सूरः फ़ातिहः हर बीमारी के लिए शिफ़ा है। चुनाँचे एक शख़्स बीमार हुआ तो हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सूरः फ़ातिहः को पढ़कर उसके मुँह पर दम किया, उसको बिलकुल आराम हो गया।

सूरः ब-क़रः की ख़ासियतें:- हज़रत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते थे कि यह सूरः जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाख़िला नहीं पाता। और एक हदीस में फ़रमाया कि सूरः ब-क़रः को पढ़ो कि उसमें ख़ैर व बरकत है।

सूरः आलि इमरान की ख़ासियतें:- इस सूरः शरीफ़ का विर्द रखने वाला क़र्ज़ के बोझ से छुटकारा पायेगा। और जो शख़्स सात मर्तबा पढ़े तो तमाम क़र्ज़ा दूर हो जाये और उसको मालूम न हो कि उसके लिये रिज़्क़ किस जगह से आता है।

सूरः निसा की ख़ासियतें:- अगर कोई शख़्स हर दिन सात मर्तबा इस सूरः शरीफ़ का विर्द करे तो बीवी को उससे मुहब्बत ज़्यादा हो। और अगर बीवी पढ़े तो मर्द ज़्यादा मुवाफ़क़त करे।

सूरः मा-इदः की ख़ासियतें:- अगर कोई शख़्स क़हत-साली (अकाल) के दिनों में सूरः मा-इदः को पढ़े तो वह शख़्स क़हत से महफ़ूज़ रहे।

सूरः अन्आम की ख़ासियतें:- जो शख़्स इस सूरः को एक मर्तबा पढ़े तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये मग़फ़िरत की दुआ़ करते हैं और हर क़िस्म की ज़रूरतों और हाजतों में पढ़ने से मुश्किलात में आसानी होती है, और जो मुश्किल होती है वह हल हो जाती है।

सूरः आराफ़ की ख़ासियतें:- जो शख़्स सूरः आराफ़ को पढ़े तो क़ियामत के दिन उसका हाथ जनाब आदम अ़लैहिस्सलाम के हाथ में होगा। और अगर किसी बादशाह का ख़ौफ़ दिल पर तारी हो या किसी ज़ालिम बादशाह से वास्ता पड़े तो तीन बार पढ़े, ज़ालिम अपने ज़ुल्म से बाज़ आयेगा और मेहरबानी से पेश आयेगा।

सूरः अन्फ़ाल की ख़ासियतें:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स इस सूरः शरीफ़ के पढ़ने पर पाबन्दी रखेगा तो क़ियामत के दिन मैं गवाही दूँगा कि यह शख़्स निफ़ाक़ से बेज़ार है। और अगर कोई शख़्स क़ैद में मुब्तला हो तो वह इस सूरः को पढ़ा करे। अगर वह बेक़ुसूर है तो अल्लाह तआ़ला इसकी बरकत से उसको नजात देगा। अगर खुद न पढ़ सके तो कोई रिश्तेदार पढ़ लिया करे। और

हाकिम उसपर मेहरबान होगा।

सूरः तौबा की ख़ासियतें:- इस सूरः का हर दिन एक बार पढ़ना ईमान की सलामती का सवब होता है। चुनाँचे बुज़ुर्गाने दीन इसकी तिलावत से ऐसे-ऐसे फ़ायदे उठाते रहे हैं कि ज़ाहिरी आँखें उनको नामुम्किन ख़्याल करती हैं। किसी हाकिम के सामने पढ़कर जाये तो वह मेहरबान हो जाता है। और अगर कोई ख़ता हो तो उसकी बख़्शिश हो जाती है।

सूरः यूनुस की ख़ासियतें:- इस सूरः का जो हमेशा विर्द रखे उसपर जान निकलने की सख़्ती और क़ब्र का अ़ज़ाब न होगा। और जो शख़्स इक्कीस (21) मर्तबा पढ़े वह दुश्मनों पर ग़ल्बा और फ़त्ह पाएगा। और अगर कोई सख़्ती या मुसीबत पेश आए तो तेरह (13) बार पढ़ें, वह सख़्ती और मुसीबत दूर हो जाती है। इन्शा-अल्लाह।

सूरः यूसुफ़ की ख़ासियतें:- अगर कोई शख़्स अपने ओहदे (पद) से हटा दिया गया हो तो वह इसकी तिलावत की पाबन्दी इख़्तियार करे, इस सूरः की बरकत से बहाल हो जायेगा। और अगर किसी हाकिम से कोई हाजत हो तो तेरह (13) बार पढ़कर उसके पास जाये अपने मक़सद में ज़रूर कामयाब होगा।

सूरः कह्फ़ की ख़ासियतें:- जो शख़्स क़र्ज़ में मुब्तला हो, जुमा की नमाज़ के वाद सूरः कह्फ़ सात बार पाढ़े और अल्लाह के सामने रो-रोकर दुआयें करे, उसका क़र्ज़ा उतर जायेगा और वह हैरान हो जायेगा। और जो कोई इसको जुमा की रात में पढ़ेगा तो अल्लाह तआ़ला उसको ऐसा नूर अ़ता करेगा कि जिसकी रोशनी बैतुल्लाह शरीफ़ तक पहुँचे और उसके गुनाह माफ़ किये जायेंगे। और इस सूरः को पावन्दी के साथ पढ़ने वाला ताऊन, सफ़ेद कोढ़, ख़ून ख़राब होने की बीमारी और दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहेगा। और उसकी शुरू की दस आयतों के पढ़ने की सख़्त ताकीद है। और ज़बान बन्दी, बलाओं और मुसीवतों से हिफ़ाज़त रिज़्क़ में बढ़ोतरी व बरकत के लिए रोज़ाना सुबह को पढ़ें।

सूरः मरियम की ख़ासियतें:- जो शख़्स रोज़गार और काम-धन्धे की कमी के सवब परेशान हो तो सूरः मरियम को सात बार पढ़कर दुआ करे। और अगर कोई ज़रूरत सामने हो तो तीन बार पढ़े।

सूरः तॉ-हा की ख़ासियतें:- इसके आ़मिल पर जादू या सेहर कोई असर नहीं करता और रिज़्क़ की फ़राग़त होती है।

सूरः अम्बिया की ख़ासियतें:- अगर कोई शख़्स परेशान हाल हो और अक्सर मुख़्तलिफ़ क़िस्म की परेशानियों में घिरा रहता हो तो रोज़ाना तीन बार सूरः अम्बिया को पढ़े, अल्लाह तआ़ला उसके तमाम ग़म और परेशानियों को दूर कर देगा। जो सूरः अम्बिया पढ़ेगा क़ियामत के दिन उसका हिसाव न होगा।

सूरः सबा की ख़ासियतें:- जो शख़्स इस सूरः को दस बार पढ़ेगा तो वह आफ़तों और वलाओं से महफ़ूज़ रहेगा। और फ़रमाया हुज़ूर नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जो आदमी इस सूरः को पढ़ता रहे वह ख़ुशनसीब है क्योंकि क़ियामत के दिन कोई ऐसा नबी न होगा जो उसके साथ मुसाफ़ा न करे।

सूरः यासीन की ख़ासियतें:- इस सूरः की ख़ासियतें और असरात इस क़द्र हैं कि क़लम उनको लिखने की ताक़त नहीं रखता, क्योंकि यह क़ुरआन का दिल है। चुनाँचे नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

फ़रमाया कि हर चीज़ का दिल होता है और क़ुरआन मजीद का दिल सूरः यासीन है। और जो शख़्स इसको किसी हाजत के लिये एक बार पढ़े तो उसकी हाजत पूरी हो। और अगर बाँझ औ़रत को किसी चीनी के बरतन पर लिखकर और अ़र्क़े गुलाब से धोकर पिलाते रहें तो उसके नरीना औलाद हो। और मोहताज पढ़े तो मालदार हो जाये। और अगर किसी ऐसे शख़्स पर पढ़ी जाए जिसपर जादू का असर हो तो वह सेहर और जादू दूर हो जाये। अगर किसी ऐसे शख़्स पर पढ़कर दम की जाए जिसपर कोई जिन्न भूत वग़ैरह का असर हो तो वह असर भाग जाए। अगर कोई शख़्स रात को नीयत के ख़ुलूस के साथ पढ़े तो वह जन्नती है और दीन व दुनिया की तमाम मुश्किलें उसपर आसान हो जाती हैं। और हर मुहिम और हर मतलब के लिये इसका पढ़ना बहुत मुफ़ीद है। और अगर किसी शख़्स की जान अटक जाये तो उसपर इस सूरः शरीफ़ को तीन बार पढ़कर दम करें, उसकी रूह फ़ौरन निकल जाये। और अगर बीमार पर पढ़कर फूँकें तो वह सेहत पाये।

सूरः सॉद की ख़ासियतेंः- अगर इस सूरः को बुरी नज़र के दूर करने के लिये सात बार पढ़कर दम करें तो नज़रे-बद दूर होगी।

सूरः ज़ुमर की ख़ासियतेंः- जो शख़्स रोज़ाना सात बार इस सूरः को पढ़े तो इ़ज़्ज़त और रुतबे का मालिक हो, और उसकी रोज़ी में बढ़ोतरी और रुतबे में बुलन्दी हो और हमेशा राहत रहे।

सूरः मुहम्मद की ख़ासियतेंः- जो शख़्स इस सूरः शरीफ़ को पढ़े या लिखकर गुलाब से धोकर पिये तो वह रुतबे व पद में बुलन्द हो। और अगर लिखकर गले में डाले तो दुश्मनों पर फ़त्ह पाये। अगर सख़्त मुहिम दरपेश हो तो शुरू और आख़िर में ग्यारह (11) बार दुरूद शरीफ़ को पढ़े, इन्शा-अल्लाह नजात हासिल हो और उस मुहिम पर ग़ालिब आये।

सूरः फ़त्ह की ख़ासियतेंः- जो शख़्स सूरः फ़त्ह को इक्तालीस (41) बार पढ़े तो दुश्मनों पर फ़त्ह पाये। और अगर रमज़ान का चाँद देखकर खड़े-खड़े तीन बार पढ़े तो तमाम साल अमन में रहे। जनाब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स इस सूरः शरीफ़ को पढ़ता है गोया कि वह मेरे साथ जिहाद में शामिल है।

सूरः क़ाफ़ की ख़ासियतेंः- अगर इस सूरः शरीफ़ को लिखें और बारिश के पानी से धोकर पेटदर्द के मरीज़ को पिलायें तो सेहत हो। और जिस लड़के के दाँत मुश्किल से निकलते हों उसको पिलायें बहुत आसानी से दाँत निकल आयें। और इस सूरः के पढ़ने की पाबन्दी करने वाले पर मौत के वक़्त की सख़्ती में आसानी हो जाती है, और इस सूरः का आ़मिल जब मर जाता है तो उसकी क़ब्र में एक रोशनी पैदा हो जाती है।

सूरः क़मर की ख़ासियतेंः- अगर किसी को हाकिम का ख़ौफ़ पैदा हो, या उससे कोई तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा लगा हुआ हो तो सूरः क़मर को सात बार पढ़े।

सूरः रहमान की ख़ासियतेंः- हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स सूरः रहमान को पढ़ता है गोया वह अल्लाह तआ़ला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता है। और आँख के दर्द में पढ़कर दम करें तो अल्लाह तआ़ला शिफ़ा बख़्शे। और तिल्ली के मरीज़ पर दम करें तो सेहत हो जाये। और अगर कोई ग्यारह (11) बार पढ़े तो अपने मतलब को पहुँचे।

सूरः वाक़िआ की ख़ासियतें:- 'तब्अे ताबिईन' में बाज़ बुज़ुर्गों ने मालदारी हासिल करने के लिए सूरः वाक़िआ का अ़मल इस तरह लिखा है कि जुमा के दिन से सात दिन तक बिना नाग़ा किए हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद पच्चीस (25) बार पढ़े, फिर जब जुमा की रात आये तो इस सूरः को मग़रिब की नमाज़ के बाद पच्चीस (25) बार पढ़े, फिर इशा की नमाज़ के बाद पच्चीस (25) बार हज़रत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद शरीफ़ भेजे, उसके बाद रोज़ाना सुबह व शाम एक बार नमाज़ के बाद पढ़ा करे तो अल्लाह तआ़ला उसको मालदार कर देगा। या जिस मतलब के वास्ते पढ़ेगा वह मतलब पूरा होगा।

सूरः मुजादला की ख़ासियतें:- अगर किसी क़ौम में झगड़ा फ़साद बरपा हो तो सूरः मुजादला पढ़ें क्योंकि इस सूरः शरीफ़ का पढ़ना आपसी निफ़ाक़ और बुग़्ज़ व कीना को दूर करता है। और दुश्मनों को नीचा करने के लिए भी आज़माई हुई है।

सूरः हश्र की ख़ासियतें:- अगर कोई ज़रूरत सामने हो तो चार रक्अ़त नमाज़ पढ़ें और हर रक्अ़त में फ़ातिहः (यानी अल्हम्दु) के बाद सूरः हश्र एक बार पढ़ें, फिर सलाम फेरकर जो दुआ़ करें क़बूल होगी।

सूरः जुमा की ख़ासियतें:- जिन मियाँ-बीवी के दरमियान में नाइत्तिफ़ाक़ी हो उनमें से कोई जुमा के दिन इस सूरः शरीफ़ को तीन बार पढ़कर दुआ़ माँगे। उनमें मुहब्बत बढ़ जायेगी और आपस का झगड़ा दूर होगा। और कोई शख़्स अच्छी तरह कलाम न कर सकता हो तो इसका विर्द रखे, उसकी ज़बान दुरुस्त हो जायेगी।

सूरः मुनाफ़िक़ून की ख़ासियतें:- अगर कोई शख़्स किसी चुग़लख़ोर की तरफ़ से तकलीफ़ में हो तो सूरः मुनाफ़िक़ून को एक सौ साठ (160) बार पढ़े, अल्लाह तआ़ला उसके हाल पर रहम करेगा और उस तकलीफ़ से बचालेगा। या उस चुग़लख़ोर की ज़बान को बन्द कर देगा।

सूरः तग़ाबुन की ख़ासियतें:- हदीस शरीफ़ में आया है कि जो कोई सूरः तग़ाबुन को रोज़ाना एक बार पढ़े तो वह आदमी नागहानी और अचानक की मौत से महफ़ूज़ रहे। और अगर कोई शख़्स तीन बार पढ़ा करे तो उसके माल में ख़ैर व बरकत हो।

सूरः मुल्क की ख़ासियतें:- हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरआन में एक सूरः है जिसमें तीस आयतें हैं। उसने एक शख़्स की शफ़ाअ़त की यहाँ तक कि वह शख़्स बख़्शा गया। और इब्ने हब्बान से रिवायत है कि यह सूरः अपने पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करती है यहाँ तक कि वह बख़्शा जाता है। और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह लफ़्ज़ है कि यह सूरः नजात देने वाली है, क़ब्र के अ़ज़ाब से नजात देती है। मैं चाहता हूँ कि यह सूरः हर मोमिन के दिल में हो। और जो शख़्स इसको इक्तालीस (41) बार पढ़े तो उसकी तमाम मुश्किलें हल हों और वह तमाम आफ़तों से महफ़ूज़ रहे। और अगर क़र्ज़दार हो तो उसका क़र्ज़ा उतर जाये।

सूरः मआ़रिज की ख़ासियतें:- जो शख़्स रोज़ाना सूरः मआ़रिज को पढ़े वह तमाम दिन शैतानी वस्वसों से बचा रहे। और जिस शख़्स को एहतिलाम (स्वपनदोष) कसरत से होता हो वह आठ बार सूरः मआ़रिज को पढ़े, या सोते वक़्त रोज़ाना एक बार पढ़ लिया करे, इन्शा-अल्लाह तआ़ला वह शख़्स महफ़ूज़ रहेगा।

सूरः नूह की ख़ासियतें:- अगर किसी सख़्त दुश्मन से पाला पड़ जाये और उसको दफ़ा करना नामुम्किन

हो तो एक हज़ार बार सूरः नूह पढ़ें या बहुत-से आदमी जिनकी तायदाद ताक़ (यानी बेजोड़ हो.जैसे पाँच, सात, नौ, ग्यारह) हो, एक ही मजलिस में बैठकर ख़त्म करें या दो तीन दिन में ख़त्म करें, दुश्मन हलाक हो जायेगा।

सूरः जिन्न की ख़ासियतें:- अगर किसी शख़्स को आसेब (जिन्न भूत वग़ैरह का असर) हो गया हो तो सूरः जिन्न को सात बार पढ़कर सात दिन तक दम करें, आसेब भाग जायेगा। और जिन्न व परी को क़ब्ज़े में करने के वास्ते सात सौ (700) बार पढ़ें, जिन्न क़ाबू में आ जायेगा।

सूरः मुज़्ज़म्मिल की ख़ासियतें:- जो शख़्स रोज़ाना सूरः मुज़्ज़म्मिल को अपना विर्द बनाये तो वह हज़रत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़्वाब में ज़ियारत पाये और ख़ैर व बरकत का सबब है। अगर इस सूरः को पढ़कर हाकिम के पास जाये तो हाकिम मेहरबान हो जाये। और ज़बान बन्दी और तलवार बन्दी के वास्ते आज़माई हुई है। और अगर लिखकर मरीज़ के गले में लटकाये तो उसको सेहत हो और हर दिन सात बार पढ़े तो रिज़्क़ में फ़राख़ी हो।

सूरः इन्शिराह की ख़ासियतें:- अगर किसी शख़्स के सीने में दर्द हो तो इस सूरः पाक से दम किया हुआ पानी छाती पर मले। और दिल के दर्द के वास्ते अक्सीर है। और अगर कोई काम अनेक कारणों से बन्द हो गया हो तो इस सूरः को बीस (20) बार पढ़े, वह काम खुल जायेगा। और जो शख़्स कुछ माल ख़रीदे उसपर पढ़कर दम करे तो बरकत हो।

सूरः क़द्र की ख़ासियतें:- जो शख़्स इस सूरः को सुबह व शाम तीन-तीन बार पढ़े तो सब दोस्त व आश्ना उसकी इज़्ज़त करें और बुलन्द रुतबे हासिल करने के लिए हमेशा इसका विर्द रखना अ़जीब व ग़रीब असर रखता है। और चीनी के बरतन पर लिखकर और उसे गुलाब या बारिश के पानी से धोकर मरीज़ को पिलायें तो इन्शा-अल्लाह शिफ़ा हो।

सूरः इख़्लास की ख़ासियतें:- हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स तीन बार सूरः इख़्लास को पढ़े तो उसको एक क़ुरआन ख़त्म करने का सवाब हासिल होगा और जन्नत उसपर वाजिब हो जाती है। और नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "क़ुल् हुवल्लाहु शरीफ़" का पढ़ने वाला अपनी मुरादों को पहुँचेगा चाहे दुनियावी हों या दीनी। और अगर इशा की नमाज़ के बाद खड़े होकर एक सौ एक (101) बार पढ़े तो तमाम गुनाह उसके माफ़ किये जायें। और अगर बीमार को लिखकर और धोकर पिलायें तो उसे सेहत हासिल हो। यह हर बला को दूर करने वाली है।

सूरः फ़लक़ की ख़ासियतें:- इस सूरः को हर दिन बिना नाग़ा तिलावत करने वाला हर तरह की आफ़तों से महफ़ूज़ रहता है। और हासिदों और दुश्मनों के शर और बुराई से बचा रहता है। और अगर किसी शख़्स पर सेहर या जादू असर कर गया हो तो इस सूरः को पढ़कर दम करें, और जिसपर जादू का असर हुआ है अगर वह सौ (100) बार पढ़े तो उससे छुटकारा पाये, और घोलकर पिये और लिखकर गले में बाँधे।

सूरः नास की ख़ासियतें:- जो शख़्स इस सूरः को अपने ऊपर पढ़कर दम करे उसपर किसी का जादू न चले और हर बला से महफ़ूज़ रहे। और जादू के वास्ते सौ (100) बार पढ़ें। और अगर हर रोज़ पढ़ें तो तमाम गुनाह माफ़ किये जाते हैं। और जिस आदमी पर जादू कर दिया गया हो या उसपर किसी जिन्न भूत वग़ैरह का असर हो उसपर दम करें तो उसे नजात हासिल हो।

सूरतों की तरतीब

नोटः यहाँ सूरतों की तरतीब उसी तरह है जिस तरह कुरआन पाक में है। वैसे हमने सूरतों के साथ उनके नाज़िल होने की तरतीब का नम्बर भी लिखा है, चुनाँचे आप देखेंगे कि हमने हर सूरः के साथ दो नम्बर लिखे हैं जैसेः (2 सूरः ब-क़रः 87---- 96 सूरः अ़लक़ 1) इसका मतलब यह है कि कुरआन पाक में स्थान की हैसियत से सूरः ब-क़रः का नम्बर 2 वाँ और सूरः अ़लक़ का नम्बर 96 वाँ है, और इनके नाज़िल होने के एतिबार से सूरः ब-क़रः का नम्बर 87 वाँ और सूरः अ़लक़ का नम्बर 1 वाँ है। **(मुहम्मद इमरान क़ासमी)**

व क़ालर्-रसूलु या रब्बि

इन्-न क़ौमित्त-ख़ज़ू हाज़ल्-क़ुरआ-न मह्जूरा

तर्जुमाः और पैग़म्बर कहेंगे कि ऐ परवर्दिगार! मेरी क़ौम ने इस क़ुरआन को छोड़ रखा था।

फ़ायदाः जनाब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ियामत के दिन ख़ुदा से शिकायत करेंगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी क़ौम ने क़ुरआन को छोड़ दिया। छोड़ देने की कई सूरतें हैं- इसको न मानना और इसपर ईमान न लाना भी छोड़ देना है, इसमें ग़ौर न करना और सोच समझकर न पढ़ना भी छोड़ देना है, और इसके अवामिर (यानी जिन चीज़ों का हुक्म फ़रमाया गया है) पर अ़मल न करना और मन्हियात (यानी जिन चीज़ों और कामों से रोका गया है उन) से न बचना भी छोड़ देना है। क़ुरआन पाक की परवाह न करके दूसरी चीज़ों जैसे बेहूदा नाविलों, शायरी की किताबों, बेमक़सद बातों, खेल-तमाशों, राग-रंग में मसरूफ़ (व्यस्त) होना भी छोड़ देना है।

अफ़सोस है कि आजकल के मुसलमान क़ुरआन की तरफ़ से बहुत ही ग़ाफ़िल हो रहे हैं। इसके पढ़ने, सोचने-समझने और हिदायतों से फ़ायदा उठाने की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते और यह खुल्लम-खुल्ला क़ुरआन पाक को छोड़ देना है। ख़ुदा तआ़ला उनको इसकी तरफ़ राग़िब और इसकी तिलावत में मश्ग़ूल होने की तौफ़ीक़ बख़्शे, ताकि वे इसपर अ़मल करें और दोनों जहान की कामयाबी और फ़लाह हासिल हो।